



La Constitution de

डॉ० महेंद्रकुमार जैन न्यायाचार्य
स्मृति-ग्रन्थ

• • •



डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य



प्रधान सम्पादक

डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य

सम्पादक

पण्डित हीरालाल कौशल

- डॉ० भागचन्द्र 'भागेन्दु' • डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल
डॉ० सागरमल जैन • डॉ० राजाराम जैन
डॉ० फूलचन्द्र 'प्रेमी' • डॉ० रतन पहाड़ी

प्रबन्ध सम्पादक

बाबूलाल जैन फागुल्ल

प्रकाशक

डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समिति
दमोह (मध्यप्रदेश)

प्रकाशक

- डॉ० महेन्द्रकुमार जैन स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समिति
कबीर भवन १५२ हार्जिसग बोर्ड, दमोह (म० प्र०)

प्रेरणा स्रोत

- परमपूज्य उपाध्याय ज्ञानसागरजी महाराज
- वीर नि० स० २५२२ सन् १९९६

- मूल्य १५१) रुपये

मिळने का पता

- श्री संतोष भारती
कबीर भवन १५२ हार्जिसग बोर्ड, दमोह (म० प्र०)


मुद्रक

- बाबुलाल जैन फागुल्ल
महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी-१०
दूरभाष : ३११८४८

ऐतिहासिक युगप्रवर्तक आदि तीर्थंकर ऋषभदेव



बड बाबा सिद्धक्षेत्र कुण्डलपुर (दमाह)



सिद्धत्र मुण्डाप क जा मरि र क म रर ।

आध्यात्मिक सन्त



परमपूज्य गणशप्रसाद जा वर्णी

स्मृतिग्रन्थ के प्रेरणास्रोत



परमपूज्य उपाध्याय ज्ञानसागर ना महाराज

प्रकाशकीय

राष्ट्र के यशस्वी और मूर्धन्य विद्वान् (स्व०) न्यायाचार्य (डॉ०) प० महेन्द्रकुमार जी जैन के बहुआयामी कर्मठ जीवन, सघर्षमय जीवन यात्रा के मध्य विकसित अप्रतिम वैदुष्य, अभूतपूर्व श्रुतसेवा, वाङ्मय प्रणयन प्रभृति सदगुणों के प्रति कृतज्ञता समर्पण हेतु यह “स्मृति ग्रन्थ” प्रकाशित किया गया है। इसे प्रकाशित कर एतदर्थ गठित “स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन समिति” वस्तुतः स्वयं कृतार्थ हुई है। भारतीय मनीषा के साथको/उपासको/पाठको को यदि इस ग्रन्थ में कुछ प्रेरक तत्त्व प्राप्त हो तो वह सबका सब पूज्यवर पंडित जी का माने और जो भी न्यूनताएँ अनुभव हो उन्हें हमारी अज्ञता एव असावधानी समझकर हमें सूचित करने की कृपा करें।

वस्तुतः इस योजना के प्रमुख सूत्रधार परम पूज्यश्री १०८ उपाध्याय ज्ञानसागर जी मुनि महाराज हैं। पूज्य उपाध्यायश्री आगमनिष्ठ ज्ञान-ध्यान तपोनिष्ठ दुर्द्धर तपस्वी, विद्या व्यसनी, विद्वत् परम्परा के सम्बद्धक, परम यशस्वी आध्यात्मिक सन्त हैं।

“सत्त्वेषु पैत्री गुणिषु प्रमोदं

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।”

जैसे आप्तवाक्य को प्रतिपल दृष्टि में रखकर अहर्निश साधनारत इन महाव्रती ने जहाँ श्रमण सस्कृति से विमुख हो रहे लाखों सराक (श्रावक) बन्धुओं को प्रेरित कर उनके उद्धार का वह अनुपम कार्य किया है जिसे पूर्व में ऐसी ही प्रवृत्तियों के धनी सरलता की प्रतिमूर्ति परमपूज्य सन्त श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी महाराज ने प्रारंभ किया था, वही आर्ष परम्परा की श्रीवृद्धि कर परमपूज्य जैन आचार्यों की वाणी के सार्वजनीन कर्ता अबसे लगभग चार दशक पूर्व (सन् १९५९ में) दिवगत माननीय न्यायाचार्य डॉ० प० महेन्द्रकुमार जी के दिव्य योगदान को भारतीय इतिहास के पृष्ठों में अक्षुण्ण बनाने की दृष्टि से एक अभिनव उपक्रम किया। सराको के उद्धार यात्रा-पथ में पड़ाव था-मध्यप्रदेश के जिला मुख्यालय अम्बिकापुर का। वहाँ के जिनमन्दिर की प्राणप्रतिष्ठा के सन्दर्भ से उपाध्यायश्री की सूक्ष्म पारखी दृष्टि से सत्यर्श हुआ अम्बिकापुर के जिला चिकित्सालय में पदस्थ दम्पती (स्व०) प० जी के तृतीय जामाता डॉ० अभय चौधरी तथा तृतीय सुपुत्री (सौ०) डॉ० आशा चौधरी से। इस डाक्टर दम्पती को प्रेरितकर उपाध्यायश्री ने सन् १९९४ में १८, १९, २० अप्रैल को स्व० पण्डित जी के योगदान पर एक त्रिदिवसीय अखिल भारतीय विद्वत्संगोष्ठी सयोजित कराई। इस संगोष्ठी के सयोजन में (स्व०) प० जी के लघु जामाता श्री सतोष भारती दमोह तथा कनिष्ठ पुत्री सौ० आभा भारती की भी भूमिका उल्लेखनीय थी। इस संगोष्ठी में भारत के कोने-कोने से समागत मनीषी विद्वानों, साहित्यकारों तथा समाज ने यह अनुभव किया कि ऐसे दिव्य ललाम व्यक्तित्व की स्मृति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित किया जाए। एतदर्थ सम्पादक मण्डल का गठन निम्न भाँति हुआ—

प्रधान सम्पादक	-	डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य
सम्पादक वृन्द	-	प० हीरालाल कौशल, डॉ० भागचन्द्र जैन “भागेंदु” डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, डॉ० सागरमल जैन, डॉ० राजाराम जैन, डॉ० रतन पहाड़ी, डॉ० फूलचन्द्र प्रेमी

सम्रहीत एव प्राप्त सामग्री को सम्पादित करना एक दुस्तर कार्य था । एतदर्थ सम्पादकमण्डल की बैठकों में पारायण हुआ । इस कार्य में प्रधान सम्पादक परमश्रद्धेय डॉ० दरबारीलाल जी कोठिया, तथा सम्पादक मण्डल के माननीय सदस्य प० हीरालाल जी कौशल, डॉ० कस्तूरचन्द्र जी कासलीवाल, डॉ० 'भागेन्दु' जैन, डॉ० फूलचन्द्रजी प्रेमी और प्रबन्धक सम्पादक श्री बाबूलाल जैन फागुल्ल के सहयोग विशेष उल्लेखनीय है । सम्पादकमण्डल के सभी मनीषी सदस्यों की बहुज्ञता का लाभ/सहयोग निरन्तर प्राप्त किया गया है । अतः सभी के प्रति हृदय से आभारी है ।

ग्रन्थ प्रकाशन समिति परमपूज्य प्रातः वन्दनीय श्री १०८ उपाध्याय ज्ञानसागर जी महाराज को सादर त्रिनमोऽस्तु निवेदित करते हुए इस महनीय ग्रन्थ को उनके शुभाशीष, सत्प्रेरणाओं की फलश्रुति के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही है ।

स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमन्त सेठ डालचन्द्रजी जैन (सागर) तथा अन्य सभी पदाधिकारी एव सदस्यगण, परामर्शदातृ मण्डल के सदस्यगण, ग्रन्थ हेतु सामग्री प्रदान/प्रेषित करने वाले लेखक और कवि मित्र तथा आर्थिक सहयोग प्रदाताओं—विशेष रूप से डॉ० श्रीमती आशा चौधरी एव डॉ० अभय चौधरी (भोपाल) तथा श्रीमती मधु जैन एव श्री अरविन्द जैन (मुबई) के प्रति "न्यायाचार्य डॉ० प० महेन्द्रकुमार जैन स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समिति" हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है।

ग्रन्थ का मुद्रण कार्य पर्याप्त दिलचस्पी से करने हेतु - महावीर प्रेस, वाराणसी को हार्दिक साधुवाद अर्पित करता हूँ ।

अन्त मे-एक साथक और भगवती श्रुतदेवता के आराधक महामनीषी न्यायाचार्य प० (डॉ०) महेन्द्रकुमार जी का जीवन और कृतित्व भारतीय मेधा को स्फूर्त करे एव प्रेरणा का स्रोत बने, इस भावना के साथ यह ग्रन्थ सभी को सादर अर्पित है ।

भोपाल

धीर शासन जयन्ती

बी०नि०सं० २५२२

३१-७-१९९६

दिनीत

(डॉ० भागचन्द्र जैन "भागेन्दु")

मंत्री

अम्बिकापुर में परमपूज्य उपाध्याय ज्ञानसागरजी महाराज के सान्निध्य में

एक ज्ञानाराधक का स्मरण

• श्री निर्मल जैन, सतना

मध्यप्रदेशका आदिवासी अंचल सरगुजा भले ही पिछडा इलाका माना जाता हो परन्तु वहाँकी प्राकृतिक और पुरातात्विक सम्पदा उसे महत्त्वपूर्ण बनाती है। मुख्य पर्वतश्रेणियोंके बीच बसे सरगुजाके जिला मुख्यालय अम्बिकापुरको जब ज्ञानोपासक सत पूज्य उपाध्यायश्री १०८ ज्ञानसागरजी महाराजके पदा-पंथका सुयोग मिला तो वहाँ धर्माभूतकी वर्षा स्वाभाविक ही थी।

जिन मन्दिरकी वेदी प्रतिष्ठा वहाँ सम्पन्न हुई, पूज्य उपाध्यायश्री के प्रवचनोंसे शाकाहारका व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ और विगत १८-१९-२० अप्रैल १९९४ को वहाँ एक प्रभावक सार्थक विद्वत् गोष्ठीका आयोजन हुआ जिसके निमित्तसे समाजके अनेक प्रतिष्ठित विद्वानोंका समागम भी अम्बिकापुरमें हुआ।

प्रसंग था ३५ वर्ष पूर्व दिवंगत जैन न्याय एव दर्शनके प्रकाण्ड विद्वान् पंडित महेन्द्रकुमारजी न्याया-चार्यका पूज्य स्मरण। पूज्य उपाध्याय ज्ञानसागरजी महाराज अपने ज्ञान ध्यानके साथ ही जहाँ एक ओर सराफ उद्धार जैसे गुरुतर कार्यमें प्रेरक बन रहे हैं वही सरस्वती पुत्रोंके प्रति उनका स्नेह विद्वानोंके लिए प्रेरणा बनकर जिनबाणीकी सेवा का निमित्त भी बन रहा है।

अभी डेढ़ वर्ष पूर्व पंडित नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्यके महान् ग्रन्थ 'भगवान महावीर और उनकी आचार्य परम्परा' के चारो भागका पुनःप्रकाशन कराके तथा लेखकके व्यक्तित्व-कृतित्वपर एक सार्थक गोष्ठी का आयोजन कराके उपाध्यायश्रीने एक दिवंगत विद्वान्के गुणानुवादका अवसर समाज को दिया था।

इसी कडीमें इस बार 'जैनदर्शन' जैसे मौलिक दार्शनिक ग्रन्थके रचयिता तथा पूर्वाचार्यों द्वारा रचित अनेक न्याय-दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थोंकी टीका/संपादन करने वाले और उनपर महत्त्वपूर्ण लम्बी प्रस्तावनायें लिखने वाले पैंतीस वर्ष पूर्व दिवंगत न्यायाचार्य पंडित महेन्द्रकुमारजीके व्यक्तित्व-कृतित्व पर अम्बिकापुरमें एक प्रभावक गोष्ठी पूज्य उपाध्यायश्री की प्रेरणासे पंडितजीके दामाद डॉ० अभयकुमार चौधरी एवं पुत्री डॉ० आशा चौधरी, अम्बिकापुरकी ओरसे अति उत्साहपूर्वक आयोजित की गई।

१८ अप्रैल ९४ को पूज्य उपाध्याय ज्ञानसागरजी एव मुनिश्री बैराग्यसागरजी महाराजके सान्निध्यमें समारोहका प्रारम्भ प्रातः षाठ बजे अतरंग वातकि रूपमें हुआ। मेरे द्वारा मंगलाचरणसे प्रारम्भ इस बैठकमें संगोष्ठीके संयोजक डॉ० कस्तूरचन्द्रजी कासलीवालने गोष्ठीके उद्देश्य बताये। आगन्तुक विद्वानोंका पंडितजी के परिजनोंसे परिचय कराया गया। जैन समाजके बारह मान्य विद्वान् तथा स्व० पंडित महेन्द्रकुमारजीके अनुज, दो पुत्र, चार पुत्रियाँ एवं दामाद इस अवसर पर वहाँ उपस्थित थे। वयोवृद्ध विद्वान् डा० दरबारी-लालजी कोटियाने गोष्ठीके आयोजनपर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे देखसे किया जा रहा आवश्यक कार्य बताया। स्थानीय विद्वान् वयोवृद्ध कवि श्री बाबूलाल 'जलज' ने अपनी एक कविता प्रस्तुत की। पूज्य ज्ञान-सागरजी महाराजने अपने उद्बोधनमें दिवंगत विद्वानोंके महत्त्वपूर्ण कार्योंका मूल्यांकन करने की प्रेरणा दी।

मध्याह्न तीन बजेसे गोष्ठीका उद्घाटन सत्र ५० दरबारीलालजी कोटियाकी अध्यक्षतामें प्रारम्भ हुआ। नगरके प्रमुख समाजसेवी अम्बिकापुर राजघरानेके श्री टी० एस० सिधदेव आयोजनके मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथिके रूपमें जिलाधीश श्री गोयल एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस० के० जैन मंच पर थे। प्रतिष्ठित नागरिक श्री गंगासागर सिंह, श्री मदन त्रिपाठी एवं श्रीमती अनुराधा शंकर सिन्हा भी अतिथिके

रूपमें इस सत्रमें पधारे थे। इस महत्त्वपूर्ण सत्रका संचालन किष्वा मध्यप्रदेश संस्कृत अकादमीके सचिव डॉ० भागचन्द्र भागेन्दु ने।

मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन एवं पंडितजीके चित्रपर मातृपार्षणके बाद पं० जीके अनुज श्री धन्यकुमार जैन बाराणसी, पत्र श्री पद्मकुमार तथा अरविन्दकुमार जैन बम्बई, दामाद श्री रतन पहाडी, कामठी, श्री लक्ष्मीचन्द एवं गन्तोष भारती, दमोह, डॉ० अभय चौधरी, अम्बिकापुर एवं समाजके पदाधिकारियोंने गोष्ठी में पधार विद्वानो एवं अतिथियोंका स्वागत किया। डॉ० मत्स्यप्रकाश दिल्लीने पंडित महेन्द्रकुमारजी का परिचय प्रस्तुत करते हुए उनके जन्म, अध्ययन-अध्यापन, सम्पादन, लेखन आदिकी जानकारी थी।

संयोजक डॉ० कामन्नीवाल द्वारा प्रारम्भिक वक्तव्य दिये जानेके बाद अतिथियोंने अपने उद्बोधनमें पूज्य महाराजजी की प्रेरणासे होनेवाली इस सगोष्ठीपर प्रगन्ना व्यक्त करते हुए कहा कि इससे नगर गौरवान्वित हो रहा है। मनीने पंडितजीके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की। अध्यक्षके रूपमें बोलते हुए डॉ० दरबारीलालजी कोठिया भाव विह्वल हो गये। उन्होंने पंडितजीके अनंत स्मरण सुनाते हुए उन्हें एक प्रबुद्ध विचारक, दार्शनिक चिंतक, आदर्श अध्यापक और सफल लेखक-संपादक निरूपित किया। डॉ० कोठियाने बताया कि मैं अध्यापन कार्यमें तो बहुत समय उनके साथ रहा हूँ, पहले छह महीने तक मैंने उनसे अध्ययन भी किया था।

उद्घाटन सत्रके अन्तमें पूज्य महाराजजीने अपने उद्बोधनमें अध्ययन चिंतनकी उपादेयता प्रतिपादित करते हुए पं० महेन्द्रकुमारजी द्वारा की गई जिनवाणी सेवा की प्रशंसा की तथा विद्वानोंमें उनका अनुमरण करनेका आग्रह किया। रात्रिमें एक संस्मरण सभा आयोजित की गई जिसमें पंडितजीके परिजनो विशेष रूप से उनके अनुज, दोनो पुत्रो एवं पुत्रियोंने स्मरण सुनाये। डॉ० मत्स्यप्रकाश दिल्ली, निर्मल जैन मतना, डा० राजाराम आरा और फूलचन्द्र प्रेमी बाराणसीने भी पंडितजी का गुणानुवाद किया।

१९ अग्रेलका प्रात कालीन सत्र डॉ० सुदर्शनलालजी बाराणसीकी अध्यक्षतामें प्रारम्भ हुआ, इस सत्रका संचालन किया डॉ० शीतलचन्द्र जैन जयपुर ने। सत्रमें डॉ० रतनचन्द्र जैन भोपाल, श्री निर्मल जैन सतना, डॉ० फूलचन्द्र प्रेमी, बाराणसी एवं डॉ० नन्दलाल जैन रीवाने अपने आलेख प्रस्तुत किये जिनमें डॉ० महेन्द्रकुमारजी द्वारा लिखित एवं सम्पादित कृतियोंकी विवेचना की गई थी। अध्यक्षीय उद्बोधनके बाद पूज्य महाराजजीने कहा कि समाजको मार्गदर्शन देनेके लिये विद्वानोंमें ज्ञानके साथ चारित्र होना भी आवश्यक है।

मध्याह्न तीन बजेसे प्रारम्भ गोष्ठीके कार्यकारी सत्र की अध्यक्षता की डॉ० रतनचन्द्र जैन भोपालने और संचालन किया निर्मल जैन सतना ने। इस सत्रमें डॉ० शीतलचन्द्र जैन जयपुर, डॉ० राजारामजी आरा, डॉ० भागचन्द्र भास्कर नागपुर, डॉ० भागचन्द्र भागेन्दु, दमोह एवं डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवालने अपने आलेखो का वाचन किया। सभी आलेखो पर संचालक की सटीक टिप्पणियो एवं अतमें अध्यक्ष महोदय की महत्त्वपूर्ण समीक्षाओंने सत्र को अत्यन्त प्रभावक बना दिया। अतमें उपाध्यायश्री का मंगल प्रवचन भी हुआ।

रात्रिमें डा० रतनचन्द्रजी द्वारा शास्त्र प्रवचनके बाद प्रो० कमलेश जैन अम्बिकापुर का आलेख वाचन हुआ और फिर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस० के० जैन की अध्यक्षतामें एक सरस काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। इसका सुरुचिपूर्ण संचालन श्री निर्मल जैन मतनाने किया। गोष्ठीमें स्थानीय कविश्री श्रीमती उषाकिरण फुसकेले, पं० सुरेश जैन मनेन्द्रगढ़, डॉ० कासलीवाल जयपुर, डॉ० भागचन्द्र भागेन्दु



पूज्य उपाध्यायश्री क सानिध्य म अप्रैल ०४ म प जी क व्यक्तित्व और कृतित्व पर अम्बिकापुर म आयोजित सगाष्ठी म माइक पर बोलने ह। श्री सताप मार ३ यन २२ ह आर २२ २२२ नान ी चर्चा न



पूज्य उपाध्याय ज्ञानसागरजी महाराज क सानिध्य म १८ से २० अप्रैल १९९४ मे अम्बिकापुर (म०प्र०) मे प० जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित विद्वत् सगाष्ठी मे उपस्थित विद्वद्गण एव प० जी के परिवार के सदस्य । इस सगाष्ठी के अवसर पर प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन की योजना बनी था ।

भोपाल, श्री सन्तोष भारती, दमोह, डॉ० भागचंद भास्कर, नागपुर, डॉ० रतनचंद्र भोपाल, श्री रतन पहाडी कामठी एवं संचालक श्री निर्मल जैन सतना ने देर रात तक काब्यपाठ किया ।

२० अप्रैल को प्रातः समाप्त सत्र आयोजित हुआ इसमें संयोजक डॉ० कासखोवालने सगोष्ठी का खेवरण देते हुए इसकी सार्थकता एवं उपयोगिता पर विद्वानोंके अभिमत लिये तथा आगेके कार्यक्रमो पर सुझाव लिये । निर्णय हुआ कि प० महेन्द्रकुमारजीके कार्यों का लेखा-जोखा सुरक्षित करनेके लिये एक स्मृति-ग्रन्थ का प्रकाशन किया जाय एवं उनकी अप्रकाशित सामग्री प्रकाशित की जाय । उनके जन्म दिन बुद्ध पूर्णिमा को प्रतिवर्ष कोई न कोई आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जाय ।

आयोजकोने विद्वानों का आभार मानते हुए उनका मम्मन किया । विद्वानोंने भी सगोष्ठीके प्रभावपूर्ण आयोजन, समुचित व्यवस्थाओं एवं स्नेहपूर्ण आतिथ्यके लिये आयोजक डॉ० अभय चौधरी एवं डॉ० आशा चौधरी तथा स्थानीय जैन समाज के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया ।



डॉ० महेन्द्रकुमार जन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समिति
परम सरक्षक



स्वामिन्श्री कर्मयोगा
परम साधक पिनाथलालनगाठा



स्वामिन्श्री जानयोगा
भारतक चाम्कानिजी मुन्डविद्रा



मितलात्ताचार्य
बशाभर व्याकरणाचार्य



ममाजरत्न
साह अशाककुमार जन

डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समिति
संरक्षक मण्डल



श्री दबकुमारमह कासन्नावाल



श्री निर्मलकुमार मेहा



गयबहादुर हरखचन्द्र जैन



पद्मभूषण बाबूनाल पाटील

डॉ० महन्द्रकुमार जेन न्यायाचार्य स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समिति
सरक्षक मण्डल



श्री विनय कुमार गुप्ता



श्री जितेंद्र सिंह दुका



श्री महेश चंद्र जेन

डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समिति
पदाधिकारी गण



श्रामत लाल डालबन्द जैन
अध्यक्ष



डॉ० भागबन्द भागबन्द
सूत्री



श्री मुरेशचन्द्र चौधरी
कोषाध्यक्ष

सम्पादकीय वक्तव्यः

“न्यायाचार्य डॉ० (प०) महेन्द्रकुमार जैन स्मृति ग्रन्थ को लोकार्पित करते हुए हमें सातिशय प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यत सुधीजनों, परमपूज्य सन्तो, राष्ट्र नेताओं, सामाजिक कर्णधारों और विविध क्षेत्रों में अपने प्रशस्त कृतित्व से सम्पूर्ण वसुन्धरा एवं चिन्तना को महिमामण्डित करने वालों का गुणस्मरण सदैव स्वागत्य है। सुधीजनों के गुणस्मरण की परम्परा सुदूर प्राचीन काल से प्रवर्तमान है। सुप्रसिद्ध चिन्तक और धर्मशास्त्र-विश्लेषक महाराजा मनु ने सम्मानार्हता के पाँच प्रसंगों का उल्लेख कर ‘विद्या’ को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनन्दनीय निरूपित किया है —

वित्त बन्धुर्वयः कर्म, विद्या भवति पञ्चमी ।

एतानि मान्यस्थानानि, गरीयो यद यदुत्तरम् ॥

—मनुस्मृति २/१३६

और एतदनुसार नीति-मर्मज्ञ का यह कथन भी सुधीजनों के प्रतिनन्दन/गुणस्मरण की ही आशंसा करता है —

‘स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।’

सुधीजनों ने राष्ट्र, समाज, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, साहित्य और सस्कृति के विविध पक्षों को सम्बर्धित और सुरक्षित करते हुए उनके सागोपाग समुन्नयन हेतु भगीरथ प्रयत्न किये हैं।

प्रत्येक राष्ट्र और राष्ट्रियता की अभिव्यक्ति उसके दर्शन/चिन्तन/मनन/साहित्य और इनके प्रेणताओं से होती है। युग-युगों से जिन आचार्यों/ऋषियों/मनीषियों ने दृश्य और अदृश्य के प्रति अपनी जिन अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से मूर्तमान किया है और—

“अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं, स्वल्पं तथाऽऽयुर्बहवश्च विद्मः ।

सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु, हंसैर्यथाक्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥”

—पंचतन्त्रम् कथामुखम्, पद्य ९

के विशेषज्ञों ने अपने स्फूर्त और ओजस्वी चिन्तन को आगामी पीढ़ी द्वारा विश्लेषित और आविष्कृत किये जाने हेतु सुरक्षित कर रखा है, विज्ञान के इस तर्कशील और विकासवादी युग में भी उनके चिन्तन तथा निष्पत्तियों निश्चित ही प्रकाश-स्तम्भ का कार्य कर रहे हैं। ऐसे सुधीजन समाज, साहित्य, अध्यात्म, दर्शन, न्यायविद्या, सस्कृति और राष्ट्र की धरोहर होते हैं। उनके जीवन-दर्शन, आस्थाओं, नैतिक मूल्यों, साधनाओं और सार्थक कृतित्व से सम्पूर्ण परिवेश-समाज और राष्ट्र दिशाबोध प्राप्त करता है और ऐसे

दिव्य ललाम सुधीजनों के प्रति उनके जीवन काल में अभिनन्दन/प्रतिनन्दन तथा मरणोपरान्त स्मृति/स्मरण/गुणस्मरण शिष्ट तथा कृतज्ञ समाज का प्राथमिक दायित्व है। जैसा कि आचार्य विद्यानन्दि ने भी लिखा है -

“न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ।”

इस दृष्टि से अभिनन्दन/स्मृति ग्रन्थों की महती उपयोगिता है। विगत साठ वर्षों में यह परम्परा निरन्तर विकास को प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा सन्तो, सुधीजनों और राष्ट्रीय तथा सामाजिक क्षेत्र में महनीय व्यक्तित्वों के अभिनन्दन/गुणस्मरण/कृतज्ञता प्रकाश में “अभिनन्दन ग्रन्थ” अथवा “स्मृति ग्रन्थ” प्रकाशित हुए। जैन जगत् में यह परम्परा सन् १९४६ में प० नाथूराम प्रेमी को समर्पित किये गये अभिनन्दन ग्रन्थ से प्रारम्भ हुई। इस महत्त्वपूर्ण कार्य का सर्वत्र समादर हुआ। इसके उपरान्त अनेक अभिनन्दन/स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, जिनमें राष्ट्र, समाज, धर्म, दर्शन, साहित्य, पुरातत्त्व, विज्ञान, कला, इतिहास और सस्कृति का सार्थक प्रतिपादन हुआ है। यहाँ यह प्रश्न सहज ही समाधेय है कि “अभिनन्दन/स्मृति ग्रन्थों की भीड़ में एक और ग्रन्थ क्यों ?”

स्मृति ग्रन्थ की आयोजना और उसका इतिहास

डॉ० पण्डित न्यायाचार्य श्री महेन्द्रकुमार जैन बीसवीं शती के भारतीय दर्शनशास्त्र, न्यायविद्या एव जैन दर्शन के मूर्धन्य विद्वान् थे। उन्होने न्यायशास्त्र के दुरूह से दुरूह ग्रन्थों का सम्पादन करके उनकी शोधपूर्ण विस्तृत भूमिकाएँ लिखकर जैन न्याय साहित्य को एक नया जीवन प्रदान किया। उनके द्वारा सम्पादित एव प्रणीत ग्रन्थ विश्वविद्यालयों एव जैन शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। देश की प्रतिनिधि प्रकाशन संस्था-भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना एव उसके प्रारंभिक संचालकों में डॉ० महेन्द्रकुमार जी का योगदान अग्रगण्य है। “ज्ञानोदय” जैसी यशस्वी पत्रिका के वे सम्पादक थे। जब उनकी विशिष्ट प्रतिभा प्रकाश में आयी तभी अकस्मात् उनका स्वर्गवास हो गया और भारतीय धर्म, दर्शन एव न्याय विषयक क्षेत्र के विकास के कितने ही स्वप्न अधूरे रह गये।

डॉ० सा० ने अल्प जीवनकाल में ही धर्म, दर्शन—विशेष रूप से जैन न्याय साहित्य, प्राचीन वाङ्मय और राष्ट्र की जी सेवा की वह विरल है। भगवती वाग्देवता के ऐसे यशस्वी वरदपुत्र के कृतित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने हेतु स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित की योजना परमपूज्य युवा मनीषी श्री उपाध्याय ज्ञानसागर जी महाराज की प्रेरणा से बनी।

वस्तुतः यह कार्य चार दशक पूर्व ही हो जाना चाहिए था। किन्तु इस गुरुतर कार्य का शुभ सकल्प २० अप्रैल १९९४ को अम्बिकापुर में लिया गया और तब से अब तक निरन्तर “डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति ग्रन्थ” प्रकाशन योजना के प्रमुख प्रेरणास्रोत परमपूज्य श्री १०८ उपाध्याय ज्ञानसागर जी मुनि महाराज हैं। पूज्य उपाध्यायश्री आगमनिष्ठ ज्ञान-ध्यान-तपोनिष्ठ, दुर्द्धर तपस्वी, विद्याव्यसनी, विद्वत्परम्परा के सम्बर्द्धक, परम यशस्वी आध्यात्मिक सन्त हैं। पूज्य उपाध्यायश्री सराक जाति की उत्थान योजना को हाथ में लिए हुए मध्यप्रदेश के सुदूर अचल में अवस्थित पिछड़े हुए जिला सरगुजा-अम्बिकापुर १९९४ में पधारे। वहाँ के नवनिर्मित जैन मन्दिर की प्राणप्रतिष्ठा के सन्दर्भ में अम्बिकापुर के जिला

डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समिति
सम्पादक मण्डल



डॉ० दरबारीलाल कौटिल्या
प्रधान सम्पादक



प० हीरालाल 'कौशल'



डॉ० भागचन्द्र 'भागेन्दु'

डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समिति
सम्पादक मण्डल



डॉ० कम्तूरचन्द्र कासलीवाल



डॉ० मागग्माल जैन



डॉ० फूलचन्द्र प्रसा



डॉ० राजाराम जैन



डॉ० गगन पहाडी



बाबूलाल जैन फागुल्ल
प्रबन्ध सम्पादक

विक्रिसालय में पदस्व डॉक्टर दम्पती डॉ० अभय चौधरी और श्रीमती डॉ० आशा चौधरी ने पूज्य उपाध्यायश्री का पावन सान्निध्य प्राप्त किया। उपाध्यायश्री के अध्ययन/मनन/स्वाध्याय में (स्व०) डॉ० महेन्द्रकुमार जी के द्वारा प्रणीत और सम्पादित ग्रन्थ आये थे। मात्र ४७ वर्ष की अल्प जीवन यात्रा में जिस मनीषी ने भगवती जिनवाणी/श्रुत देवता की निष्ठापूर्वक अद्भुत सेवा की हो और जो सन् १९५९ में दिवगत हुआ हो, लगभग चालीस वर्षों के अन्तराल में जिनका व्यापक योगदान ओझल सा हो गया था—उन (स्व०) विद्वत् डॉ० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य के योगदान पर एक प्रभावक त्रि-दिवसीय अखिल भारतीय विद्वत् सगोष्ठी अम्बिकापुर मे १८, १९, व २० अप्रैल १९९४ को पूज्य उपाध्यायश्री की प्रेरणा से सम्पन्न हुई। इस सगोष्ठी के सयोजन में (स्व०) प० जी के तृतीय जामाता डॉ० अभय चौधरी तथा तृतीय सुपुत्री (सौ०) डॉ० आशा चौधरी एव लघु जामाता श्री सतोष भारती (दमोह) तथा कनिष्ठ पुत्री सौ० आभा भारती की भूमिका सातिशय महत्वपूर्ण थी। इस सगोष्ठी में राष्ट्र के विभिन्न भागों से समागत मनीषी विद्वानो, साहित्यकारों तथा समाज बन्धुओं ने पूज्य उपाध्यायश्री के सान्निध्य में यह निर्णय लिया कि (स्व०) डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य प्रबुद्ध विचारक, दार्शनिक, चिन्तक, आदर्श प्राध्यापक, सफल लेखक और कुशल सम्पादक थे। उनके अप्रतिम योगदान की स्मृति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय। एतदर्थ सम्पादक मण्डल और स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समिति का गठन भी किया गया। समिति के पदाधिकारियों एव सदस्यों की समग्र सूची इसी ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट में प्रकाशित है। एतदनुसार इसके अध्यक्ष श्रीमन्त सेठ डालचन्द्र जी सागर एव मन्त्री—डॉ० भागचन्द्र जैन “भागेन्दु” दमोह है। समिति का प्रधान कार्यालय १५२, कबीर भवन, दमोह निर्धारित हुआ, इसका सचालक श्री सतोष भारती एव सौ० आभा भारती ने किया। सम्पादक मण्डल का गठन निम्न भाँति हुआ—

प्रधान सम्पादक	-	डॉ० दरबारी लाल कोठिया, न्यायाचार्य
सम्पादकगण	-	प० हीरालाल कौशल, दिल्ली
		डॉ० भागचन्द्र जैन “भागेन्दु”, भोपाल
		डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, जयपुर
		डॉ० सागरमल जैन, वाराणसी
		डॉ० राजाराम जैन, आरा
		डॉ० रतन पहाड़ी, कामठी
		डॉ० फूलचन्द्र प्रेमी, वाराणसी एव
प्रबन्ध सम्पादक	-	श्री बाबूलाल जैन फागुल्ल, वाराणसी

समिति के निर्णयानुसार प्रकाश्य स्मृति ग्रन्थ की पञ्चखण्डीय रूपरेखा तैयार की गयी। इसके अनुरूप ही देश के कोने-कोने से बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई। दमोह एवं बीना मे इस समिति की तीन बैठके हुई, जिसमे प्राप्त सामग्री का वाचन/सशोधन/सम्पादन कर उसे प्रकाशन योग्य बनाया गया। कुछ सामग्री ग्रन्थ तैयार हो जाने तक आती रही, उसका उपयोग नहीं कर सकने हेतु हम माननीय लेखकों से क्षमा प्रार्थी हैं।

प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ की रूपरेखा और प्रकाशन क्रम स्थिर करते समय प्राच्य विद्या विशारदों के सम्मान की वह विशिष्ट परम्परा निरन्तर ध्यान में रही है जिसके अनुसार डॉ० आर०जी० भाडारकर, डॉ० एम० षिण्टनित्स, डॉ० दत्ताराल कठिया, डॉ० पद्मालाल साहित्याचार्य एवं प० बंशीधर व्याकरणाचार्य आदि का सम्मान उनके जीवन की आधारभूत प्रवृत्तियों और महत्त्वपूर्ण शोधपरक रचनाओं को ही एक साथ प्रकशित कर समर्पित करके किया गया था। यह परम्परा बस्तुतः प्रशस्त्य, अनुकरणीय और अभिनन्दनीय है। अतएव इस स्मृति-ग्रन्थ में माननीय न्यायाचार्य प० महेन्द्रकुमार जी जैन के प्रति सस्मरण/आदराञ्जलि और उनके जीवन परिचय के साथ-साथ उनके कृतित्व को भी समीक्षा के निकष पर परखा गया है। साथ ही उनके द्वारा विविध विषयों पर लिखित कुछ महत्त्वपूर्ण निबन्धों, आलेखों एवं ग्रन्थों की प्रस्तावनाओं को भी समाविष्ट किया गया है। ऐसा करते समय सम्पादक मण्डल का यह प्रयत्न रहा है कि माननीय (स्व०) महेन्द्रकुमार जी के विचारों/मौलिक उद्भावनाओं और निष्पत्तियों से समाज, सामान्य पाठक, शोधार्थी और मनीषी सभी लाभान्वित हो सकें तथा उनके व्यक्तित्व का एक साथ निदर्शन हो सके।

एतदनुसार पाँच खण्डों में अन्तर्विभाजित इस स्मृति ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में—न्यायाचार्य डॉ० महेन्द्रकुमार जी के स्मृति ग्रन्थ हेतु साधु-सन्तों के शुभाशीष, मनीषियों के आदराञ्जलि-पूर्ण सस्मरण, शिष्यों और समाज नेताओं के प्रणाम सन्निविष्ट है। शृंखलाबद्ध इन उद्गारों में प० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य के व्यक्तित्व और अप्रतिम वैदुष्य का मूल्यांकन सहज ही हो उठा है।

स्मृति-ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में—प० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य का जीवन परिचय व्यक्तित्व एवं कृतित्व रूपायित है।

स्मृति-ग्रन्थ के तृतीय खण्ड में—कृतियों की समीक्षाएँ में डॉ० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य की समग्र सारस्वत साधना पर विश्लेषणात्मक चिन्तन की प्रस्तुति के साथ ही साथ उनके बहुचर्चित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों पर तत् तत् विषयों के मर्मज्ञ अधिकारी विद्वानों के द्वारा अभिलिखित समीक्षाएँ सन्निविष्ट है।

इस स्मृति-ग्रन्थ का चतुर्थ खण्ड . विशिष्ट निबन्ध (स्व०) प० न्यायाचार्य जी के कृतित्व/सारस्वत आराधना के पूर्णतः निदर्शक है। ये निबन्ध (स्व०) न्यायाचार्य जी के लेखन, जीवन दर्शन और वैदुष्य का सर्वतोभावेन प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी उपादेयता आगे आने वाले समय में भी उतनी ही है/रहेगी जितनी आज है अथवा जब उनका सृजन हुआ था। सम्पादक मण्डल यह अनुभव करता है कि—इस सम्पूर्ण चतुर्थ खण्ड में (स्व०) न्यायाचार्य जी का गहन गम्भीर अध्ययन, विषय उपस्थापन—पल्लवन और प्रतिपादन की अद्भुत क्षमता, अन्वेषणात्मक सुतीक्ष्ण दृष्टि, एक दार्शनिक/नैयायिक आचार्य के व्यक्तित्व का गौरव, रोचक शैली, प्राञ्जल-परिष्कृत भाषा और कोमल कान्त पदावली तो निदर्शित है ही, इनमें 'सत्य, शिव, सुन्दरम' का लक्ष्य भी चरितार्थ हुआ है।

इस स्मृति-ग्रन्थ के पञ्चम खण्ड में—जैन न्यायविद्या का विकास और जैन दार्शनिक साहित्य का कालक्रमानुसार दिग्दर्शन कराया गया है। शोधार्थियों के लिए यह खण्ड विशेष उपयोगी है।

और परिशिष्ट :

स्मृति-ग्रन्थ में परिशिष्ट के रूप में—“डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समिति” के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की नामावलि तथा सम्पादक मण्डल के माननीय सदस्यों का परिचय सत्रिविष्ट है ।

कृतज्ञता :

इस स्मृति ग्रन्थ के सम्पादन कार्य में अनेक परम पूज्य साधु-सन्तों, शिक्षाशास्त्रियों, समीक्षकों, विद्वानों और लेखक महानुभावों का बहुविध हार्दिक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है । वस्तुतः इस आयोजना के प्रमुख प्रेरक परमपूज्य श्री १०८ उपाध्याय ज्ञानसागर जी मुनि महाराज हैं, उन्हीं के साक्षिण्य और पावन प्रेरणा की फलश्रुति यह स्मृति-ग्रन्थ है । उन्हें सादर त्रिनमोऽस्तु तथा ग्रन्थों के समीक्षकों, विद्वान् लेखकों, परामर्शदातृ मण्डल के सदस्यों और स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमन्त सेठ डालचन्द्र जी जैन तथा अन्य सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के प्रति सम्पादक मण्डल कृतज्ञता निवेदित करता है ।

अपने व्यस्त जीवन क्षणों में से कुछ समय निकालकर ग्रन्थ में प्रकाशनार्थ शुभाशीष/आदराञ्जलि तथा अन्य सामग्री भेजकर जिन महानुभावों ने आयोजना को मूर्तरूप प्रदान किया है उन सभी के हम आभारी हैं ।

संग्रहीत सामग्री का पारायण कर पाण्डुलिपि तैयार करने के कार्य में प्रधान सम्पादक माननीय डॉ० कोठिया जी एव सम्पादक मण्डल के माननीय सदस्यों—सर्वश्री पं० हीरालाल जी कौशल, डॉ० कस्तूरचन्द्र जी कासलीवाल, डॉ० ‘भागेंद्रु’ जैन, डॉ० फूलचन्द्र जी प्रेमी और प्रबन्ध सम्पादक श्री बाबूलाल जैन फागुल्ल के सक्रिय सहयोग नितरा उल्लेखनीय हैं । सम्पादक मण्डल के सभी मनीषी सदस्यों की बहुज्ञता का लाभ निरन्तर प्राप्त किया गया है । अतः सभी के प्रति हृदय से आभारी हैं ।

मानव की शरीर संरचना में जो महत्त्व ‘रीढ़ की अस्थि’ का है वही इस ग्रन्थ की आयोजना के क्रियान्वयन में श्री अरविन्दकुमार जी जैन (मुंबई), डॉ० अभय चौधरी एव (सी०) डॉ० आशा चौधरी, (सम्प्रति भोपाल), श्री सतोष भारती एव सी० आभा भारती (दमोह) का है । इस सन्दर्भ में श्री धन्यकुमारजी (वाराणसी), श्री पद्मकुमार जी (वाराणसी), एव माननीय पं० हीरालाल जी कौशल एव डॉ० सत्यप्रकाश जी दिल्ली, तथा श्री लक्ष्मीचन्द्र जी एव सी० मणिप्रभा सागर का सहयोग भी उल्लेखनीय है । इन सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ।

इस ग्रन्थ का मुद्रण संस्कृत वाङ्मय और जैन विद्या ग्रन्थों के यशस्वी मुद्रक श्री महावीर प्रेस, वाराणसी ने अत्यन्त रुचिपूर्वक किया है । अतः यह समिति इस प्रेस के सचालक श्री बाबूलाल जैन फागुल्ल को हार्दिक धन्यवाद समर्पित करती है ।


अपनी सीमाओं और ग्रन्थ की त्रुटियों/कमियों से हम भली-भांति परिचित हैं । हम जानते हैं कि यह ग्रन्थ (स्व०) डॉ० महेन्द्रकुमार जी जैन न्यायाचार्य जैसे मूर्धन्य विद्वान् के बहुआयामी विराट्

व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं बन सका है। हमें सकोच है कि इच्छा रहते हुए भी इस ग्रन्थ को सर्वांगपूर्ण नहीं बना सके तथा अपरिहार्य कारणों से इसके प्रकाशन में भी कुछ विलम्ब हुआ है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।

अन्त में—एक साधक और भगवती श्रुतदेवता के यशस्वी आराधक, महामनीषी न्यायाचार्य डॉ० (प०) (स्व०) महेन्द्रकुमार जी का जीवन और कृतित्व भारतीय मेधा को स्फूर्त करे एवं प्रेरणा का स्रोत बने, इस भावना के साथ यह ग्रन्थ सादर लोकार्पित है।

मध्यप्रदेश संस्कृत अकादमी,
संस्कृति भवन, भोपाल (म०प्र०)
वीर शासन जयन्ती
वीर निर्वाण संवत् २५५२
दिनांक ३१-७-१९९६

विदुषां वशंबदः
प्रधान सम्पादक डॉ० दरबारीलाल कोटिया
तथा समस्त सम्पादक मण्डल की ओर से



(डॉ० भागचन्द्र जैन 'भागेन्दु')
सम्पादक

विषयानुक्रमिका

खण्ड : १ : संस्मरण / आदराञ्जलि

राष्ट्र के सारस्वत जगत् के अग्रणी	आचार्य विद्यानन्दजी महाराज	१
माँ सरस्वती के बरदपुत्र	आचार्य श्री भरतसागरजी महाराज	२
अपूर्व साहित्य सेवी	उपाध्याय श्री ज्ञानसागरजी महाराज	३
पूर्वाग्रह मुक्त विचार के धनी	मुनि श्री जिनविजयजी	४
स्याद्वाद विद्या के प्रकाशस्तम्भ	आर्यिका स्याद्वादमती माताजी	४
परम्परा और आधुनिकता के संगम	मुनि श्री सुधासागरजी महाराज	५
आशीर्वाद	मुनि श्री क्षमासागरजी महाराज	५
साहित्य के मेरु शिखर	स्वस्तिश्री भट्टारक बालकीर्ति स्वामीजी, मूढविद्वी	६
वर्णनशास्त्र के महान् विद्वान्	सिद्धान्ताचार्य प० फूलचन्द्र शास्त्री	७
सम्पादन कला के आचार्य	सिद्धान्ताचार्य प० कैलाशचन्द्र शास्त्री	७
दार्शनिक चिन्तन के मनीषी	प्रज्ञाचक्षु प० सुखलाल संघवी	७
एक प्रकाशमान नक्षत्र	प० जगन्मोहनलाल शास्त्री	८
सृजनात्मक प्रतिभा के धनी	प० बंशीधर व्याकरणाचार्य	१०
परिनिष्ठित विद्वान्	डॉ० मङ्गलदेव शास्त्री	१०
अद्वितीय विद्वान्	प० दलसुख मालवाणिया	१०
वे सदा चिरस्मरणीय रहेंगे	स्वामी सत्यभक्त	११
उनकी विद्वत्ता विरल थी	श्री यशपाल जैन	११
हार्दिक कामना	डॉ० प्रभुदयालु अग्निहोत्री	११
विनोदप्रिय महेन्द्रकुमार जी	प० नाथूलाल शास्त्री	१२
सन्देश	D. Veerendra Heggade	१२
सहाभ्यायी और जैन म्याय-विद्यागुरु	डॉ० दरबारीलाल कोठिया	१३
उत्कृष्ट क्षयोपशाम के धनी	डॉ० पन्नालाल जैन साहित्याचार्य	१४
प्रगतिशील विचारधारा के पोषक	प० बलभद्र जैन	१५
हार्दिक शुभकामना	पद्मश्री बाबूलाल पाटोदी	१५
शुभकामना	श्री देवकुमारसिंह कासलीवाल	१६
शुभकामना	श्री निर्मलकुमार जैन सेठी	१६
असाधारण विद्वान्	श्री बालचन्द्र जैन, (पूर्व सांसद)	१६
भारतीय दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान्	श्री ज्ञानचन्द खिन्नुका	१६
बहुमुखी प्रतिभाके धनी	समाजरत्न साहू अशोककुमार जैन	१७
सरस्वती के महान् उपासक	साहू रमेशचन्द्र जैन	१८
असाधारण व्यक्तित्व के धनी	श्री सुबोधकुमार जैन	१९
अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व	प्रो० उदयचन्द्र जैन, सर्वदर्शनाचार्य	१९

उत्कट मनीषा के धनी	श्री नीरज जैन	२१
बे उद्भट विद्वान् ये	पं० प्रकाश द्वितीय शास्त्री	२२
झट्ट तेजस्वी व्यक्तित्व	डॉ० भागचन्द्र जैन "भास्कर"	२२
प्रखर प्रतिभाशाली	डॉ० चेतनप्रकाश पाटनी	२३
महान् दार्शनिक मनीषी	श्री जवाहरलाल जैन एवं श्रीमती कैलाश जैन	२४
वरिष्ठ एवं गरिष्ठ साहित्यसेवी	श्री शिवचरनलाल जैन	२५
निलिप्त साधक संत	श्री सत्यधरकुमार सेठी	२५
उनका गुणगान ही वास्तविक श्रुत-आराधना	पं० बालचन्द्र काव्यतीर्थ	२६
न्याय-जगत्के जाज्वल्यमान नक्षत्र	डॉ० सुदीप जैन	२६
ओ सदा चमकते रहेंगे ?	पं० सागरमल जैन	२७
न्यायशास्त्र के अद्वितीय विद्वान्	सिधर्ष सुमेरचन्द्र	२७
सादा जीवन और उच्च विचार के धनी	श्री महेंद्रकुमार मानव	२७
इस शताब्दी के महान् विद्वान्	श्री राजकुमार सेठी	२८
शुभकामना	डॉ० शशिकान्त जैन	२८
महान् विभूति को शत-शत नमन	श्री सुभाष जैन	२८
सरस्वती के उज्ज्वल प्रकाशमान पुञ्ज	पं० गुलाबचन्द्र 'पुष्प' प्रतिष्ठाचार्य	२८
उच्चकोटि के विद्वान्	श्री चेतनलाल जैन	२९
बीसवी शताब्दी के प्रकाण्ड जैन दार्शनिक	डॉ० लालचन्द्र जैन	२९
आशावादी बुद्धिवाद के जनक पण्डितजी	डॉ० नन्दलाल जैन	३०
शुभकामना	पं० मल्लिनाथ जैन शास्त्री	३०
श्रद्धा सुमन	डॉ० दयाचन्द्र साहित्याचार्य	३१
मेरी श्रद्धाके वपंग	सि० पं० जम्भूप्रसाद जैन शास्त्री	३१
न्यायशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्	पं० पूर्णचन्द्र जैन शास्त्री	३१
अगाध पाहित्य के धनी	पं० रविचन्द्र शास्त्री	३२
बुन्देलभूमि का अद्भुत् लाल	डॉ० कस्तूरचन्द्र 'सुमन'	३२
शुभकामना	डॉ० कपूरचन्द्र जैन	३२
प्रखर चेतना और लेखनी के धनी	डॉ० फूलचन्द्र जैन प्रेमी	३३
जैनदर्शन साहित्य के अनन्य सेवक	शशिप्रभा जैन "शशाक"	३३
जिनवाणी माँ के अनन्य उपासक	डॉ० रमेशचन्द्र जैन	३४
असाधारण व्यक्तित्व के धनी	डॉ० कमलेशकुमार जैन	३४
मार्गदर्शक दार्शनिक न्यायाचार्यजी	डॉ० नीलम जैन	३५
हमारी आस्था के सुमेरु न्यायाचार्य	प्रतिष्ठाचार्य पं० विमलकुमार जैन सोरया	३६
शत शत नमन	डॉ० राजमति दिवाकर	३६
न्याय-शास्त्र के उदीयमान नक्षत्र	पं० कमलकुमार शास्त्री	३७
शुभकामना	पं० नन्हैलाल जैन	३७

शुभ कामना	पं० लक्ष्मणप्रसाद शास्त्री	३७
अष्टाञ्जलि	सं० सि० रतनचन्द जैन शास्त्री	३७
स्थापना-वासन के सजग-आदर्श प्रहरी	श्री अभिनन्दनकुमार दिवाकर, एम्बोकेट	३८
देखा तो नहीं, पर देख रहा हूँ उनको	श्री पवनकुमार शास्त्री, बीवान	३८
अनोखा व्यक्तित्व	डॉ० ऋषभचन्द्र जैन फौजदार	३९
पण्डितजी स्वतन्त्र चिन्तक थे	श्री जमनालाल जैन	३९
जैनदर्शन के आधुनिक मेरु	डॉ० सुरेशचन्द्र जैन	४०
डॉ० कोठिया जी से जो सुना; जो गुना	प्राचार्य निहालचन्द जैन	४०
मेरे विद्यागुरु	पं० अमृतलाल शास्त्री	४१
गम्भीर अध्येता	आयुर्वेदाचार्य भीमा शास्त्री एवं शास्त्री परिवार	४२
विद्वानेव विज्ञानाति विद्वञ्जनपरिश्रमम्	डॉ० कमलेशकुमार जैन चौधरी	४२
बचपन की कुछ यादें	सौ० आभा भारती	४३
न्यायशास्त्र के तलस्पर्शी ज्ञाता	श्री बाबूलाल जैन फागुल	४४
स्मृति-यत्राञ्जलि	श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन	४५
असाधारण विद्वत्ताके धनी	डॉ० रतन पहाड़ी	४६

खण्ड : २ : जीवन परिचय : व्यक्तित्व एवं कृतित्व

पं० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य : एक परिचय	पं० होरालाल जैन कौशल	१
उन्हें वर्णोंजी का परामर्श प्राप्त था	श्री नीरज जैन	३
न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमार जैन	महापण्डित राहुल साकुल्यायन	७
डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य का बहु आयामी	डॉ० राजाराम जैन	१२
व्यक्तित्व एवं वैदुष्य		
पं० महेन्द्रकुमारजीको मृत्यु पर 'जैनसन्देश' का	पं० कीलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री	२६
सम्पादकीय		
डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा प्रतिपादित	प्रो० रतनचन्द जैन	२९
नियतिवाद एक समीक्षा		

खण्ड : ३ : कृतियों की समीक्षाएँ

तत्त्वार्थवृत्ति . एक अध्ययन	प्रो० उदयचन्द्र जैन सर्वदशनाचार्य	१
आचार्य अनन्तवीर्य की सिद्धिविनिश्चय टीका का		
वैदुष्यपूर्ण सम्पादन : एक समीक्षा	डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य	१०
पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य के द्वारा सम्पादित		
एव अनूदित षड्वर्णसमुच्चय की समीक्षा	डॉ० सागरमल जैन	१५
प्रमेयकमलमार्तण्ड का सम्पादन : एक समीक्षा	डॉ० फूलचन्द्र जैन प्रेमी	१९
डॉ० महेन्द्रकुमारजी द्वारा सम्पादित न्यायकुमुदचन्द्र	डॉ० जयकुमार जैन	२३
न्यायकुमुदचन्द्र और उसके सम्पादन की विशेषताएँ	डॉ० सुदर्शनलाल जैन	२५
न्यायविनिश्चयविवरण : एक मूल्यांकन	डॉ० शीतलचन्द्र जैन	२८

अकलंकदेव विरचित तत्त्वार्थवातिक का सम्पादन

कार्य : एक समीक्षा	डॉ० फूलचन्द्र जैन प्रेमि	३०
अकलंक ग्रन्थत्रय : एक अनुचिन्तन	डॉ० कमलेशकुमार जैन	३४
विबिध तीर्थकल्प एक समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल	३८
जैनदर्शन : एक मौलिक चिन्तन	श्री निर्मल जैन	४३

खण्ड : ४ : विशिष्ट निबन्ध

अकलंकग्रन्थत्रय और उसके कर्ता	(अकलंकग्रन्थत्रय की प्रस्तावना)	१
	बी० नि० २४६५	
न्यायविनिश्चय और उसका विवेचन	(न्यायविनिश्चयविवरण की प्रस्तावना)	७४
	बी० नि० २४७५	
आचार्य प्रभाचन्द्र और उसका प्रमेयकमलमार्तण्ड	(प्रमेयकमलमार्तण्ड की प्रस्तावना)	१२६
	बी० नि० २४६५	
तत्त्वार्थवृत्ति और श्रुतसागरसूरि	(तत्त्वार्थवृत्ति की प्रस्तावना)	बी० नि० २४७५ १८५
जैनदर्शन और विद्वेषान्ति	(जैन दर्शन)	२५५
तत्त्वनिरूपण	(जैन दर्शन)	२५८
षट्द्रव्य विवेचन	(जैन दर्शन)	२८३
नय-विचार	(जैन दर्शन)	३१२
अनेकान्तदर्शन की पृष्ठभूमि	(ज्ञानोदय नवम्बर १९५०)	३३३
अनेकान्तदर्शन का सांस्कृतिक आधार	(ज्ञानोदय जुलाई १९४९)	३३८
क्या स्याद्वाद अनिश्चयवाद है ?	(ज्ञानोदय जुलाई १९५०)	३४४
जैन अध्यात्म	(अनेकान्त वर्ष ९ फर्रिण ९)	३५३
निश्चयनय सर्वज्ञता और अध्यात्म भावना	(जैन सन्देश २७ मार्च १९५८)	३६०
प्राचीन नवीन या समीचीन ?	(ज्ञानोदय सितम्बर १९४९)	३७२
जैन अनुसंधान का दृष्टिकोण	(श्रमण मई-जून १९५३)	३७४
सर्वोदय की साधना	(ज्ञानोदय दिसम्बर १९४९)	३७६
नियतिवादी सद्दालपुत्र	(ज्ञानोदय अगस्त १९४९)	३७९
श्रमण प्रभाचन्द्र	(ज्ञानोदय सितम्बर १९४९)	३८३
अमृतवर्षान	(ज्ञानोदय नवम्बर १९५०)	३८७
जटिल मुनि	(ज्ञानोदय अक्टूबर १९४९)	३९०
तीर्थंकर महावीर	(श्रमण अप्रैल १९५७)	३९३

खण्ड : ५ : जैनन्याय विद्या का विकास : जैनदार्शनिक साहित्य

जैन न्यायविद्याका विकास	डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य	१
जैनदार्शनिक साहित्य	डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य	१४
परिशिष्ट—स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समिति के पदाधिकारी		२२
सम्पादक मण्डलका परिचय		२५

खण्ड : १

संस्मरण: आदराञ्जलि



राष्ट्र के सारस्वत जगत् के अग्रणी

डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य प्रामाणिक विद्वान्, प्रभावी वक्ता एवं सफल लेखक तो थे ही, उनका व्यक्तित्व भी अत्यन्त सरल, निश्छल एवं सार्विक था। उनकी सादगी एवं विद्वत्ता का ही यह प्रकृष्ट प्रभाव था कि विरोधी विचारधारा वाले विद्वान् भी उनका भ्रम आदर करते थे।

पं० महेन्द्रकुमारन्यायाचार्य नामके साथ स्वर्गीय शब्दकी संगति अनुचित लगती है। वे अपने क्रान्तिकारी विचारों और उच्च रचनाओंसे आज भी जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे। हम सन् १९४८ में तीर्थराज श्री मम्मेशिलरजीसे लीटते हुए वाराणसी उतरे थे। हम उस समय क्षुल्लक थे। हमारे साथ कोल्हापुरके महास्वामी लक्ष्मीसेन भट्टारकजी थे। उस समय हमारा समयमार-कलशका स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्यायमें पं० महेन्द्रकुमारजी भी सम्मिलित होते थे। लगभग पन्द्रह दिन तक हमे उनका सान्निध्य मिला था। इस कालमें हमे उनके विविध विषयक वैदुष्य और क्रान्तिदर्शी विचारोंका जो परिचय प्राप्त हुआ, उससे हमे यह विश्वास हो गया था कि ये राष्ट्रके सारस्वत् जगतमें अपना उचित स्थान बनायेंगे और उन्होंने अपनी प्रज्ञासे हमारे इस विद्वासको सत्य सिद्ध कर दिया। यदि वे कुछ वर्ष और जीवित रहते, तो हममें सन्देह नहीं है कि उनकी प्रज्ञाका सौरभ राष्ट्रकी सीमाओं का अतिक्रमण करके सुदूर विदेशोंमें पहुँचा होना। उनमें ऐसे गद्स थे, उनमें ऐसी प्रतिभा थी।

ऐसे महामनोषीकी स्मृतियोंको संजोकर उनके गुणों, विद्वत्ता एवं गरिमापूर्ण कार्योंसे समाज एवं राष्ट्रको परिचित करानेका जो पावन सकल्प आप लोगों ने लिया है; तदर्थ हमारा बहुत-बहुत मंगल आशीर्वाद है।

आचार्य बिद्यानन्दजी महाराज



माँ सरस्वती के वरदपुत्र

कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान विन कर्म क्षरे जे ।

ज्ञानी के छिनमाहि, त्रिगुप्त ते सहज टरे ते ॥

द्विद्वय्य श्री महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यका स्मृति ग्रन्थ प्रकाशनका समाचार श्री बाबूलालजी फागुल्लसे ज्ञात होते ही दिमागमे एक लहर सी उठ आई, आखिर यह क्यों ? मोचा इसमे गलत है ही क्या ? ज्ञानी, जिनवाणीका अनुरागी उसका स्मरण अर्हतदेवकी दिव्यदेशनाका स्मरण है । अतः यह तो होना ही चाहिये । माँ सरस्वतीके पुत्र श्री महेन्द्रकुमारजी ने अपनी आयुके अल्पवर्षीमे ही न्याय जैसे जटिल विषयके ग्रन्थोका सम्पादन कर जैनदर्शनकी महत्ताको गौरवान्वित किया है । स्मृति-ग्रन्थके माध्यमसे आपकी जैनदर्शनके प्रति गमर्पणकी भावना युग-युग तक स्मरणीय बनेगी । और स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये उनका अद्भुत श्रम अनुकरणीय बनेगा । स्मृति-ग्रन्थके प्रधान सम्पादक श्री दरबारीलालजी कोठिया एवं समस्त सम्पादक मण्डलको मेरा आशीर्वाद है । आगे भी इसी प्रकार ज्ञानियोंका स्मरण करते हुए जिनागमकी प्रभावना करते रहे ।

आचार्य श्री भरतसागरजी महाराज



अपूर्व साहित्य सेवी

डॉ० महेन्द्रकुमारजीका अध्ययन बहुत गम्भीर और विशद था, अपनी प्रखर प्रतिभा और अप्रतिहत मेधाके बल पर उन्होंने जो पाण्डित्य अधिगत किया था, वह वस्तुतः आदर की वस्तु है, सभी अध्येताओके लिए महान् आदर्श है, भारतीय धर्म, दर्शन, न्याय शास्त्रोके आप प्रकाण्ड विद्वान् थे, प्राकृत, संस्कृत जैसी प्राचीन भाषाओ पर आपका असाधारण अधिकार था। आपने अपने छोटे-से जीवनकालका प्रतिक्षण ज्ञानकी आराधना हेतु उपयोग किया है। ज्ञानकी गम्भीरता, विषयकी विशदता और भाषाकी सहज सुबोधता डॉ० सा० की साहित्य साधनाके त्रिभुज है,। आपके ग्रन्थ, आलेख, सम्पादित रचनाएँ आज भी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। उनके कार्यको आगे बढ़ाने वाले अभी भी दुर्लभ ही है। उनकी समर्पित सरस्वती आराधना आज भी समाजको विकास एवं प्रगतिकी प्रेरणा दे रही है। उनकी साहित्य सेवा अनुपम है। ऐसे मनीषीकी स्मृतिमे प्रकाशित स्मृति-ग्रन्थ ज्ञान प्रदीप बन अन्य साहित्याराधको एवं वाणी साधकोका पथ आलोकित करेगा। सम्पादक मण्डल एवं प्रकाशन समितिको हमारा शुभाशीष है।

उपाध्याय श्री ज्ञानसागरजी महाराज

पूर्वाग्रह मुक्त विचार के धनी

पं० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य अपने विषयके आचार्य हैं और तदुपरान्त खूब परिश्रम-शील और अध्ययनरत अध्यापक हैं। आधुनिक अन्वेषणात्मक और तुलनात्मक दृष्टिसे विषयो और पदार्थोंका परिशीलन करनेमें यथेष्ट प्रवीण हैं। दार्शनिक, सांप्रदायिक और वैयक्तिक पूर्वाग्रहोंका पक्षपात न रखकर तत्त्व विचार करनेकी शैलीके अनुगामी हैं।
श्रावणशुक्ला पंचमी सं० १९९६

भूति श्री जिनविजयजी



स्याद्वाद विद्या के प्रकाशस्तम्भ

डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यके स्मृति-ग्रन्थके प्रकाशनके समाचार से प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। वस्तुतः यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैनधर्म, दर्शन, न्याय जैसे विषय तथा इनके दुर्लभ और कठिन साहित्यको सहज, सरल और बोधगम्य आधुनिक वैज्ञानिक शैलीमें प्रस्तुत करके डॉ० सा० ने भारतीय साहित्य और सस्कृतिकी महत्त्वपूर्ण विधाकी सेवा की है। उनके द्वारा सम्पादित एवं मौलिक ग्रन्थ ऐसे कीर्ति स्तम्भ हैं जो युगो-युगो तक उनकी स्मृति-का यशोगान कराने रहेंगे। स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन सार्मति और सम्पादक मण्डलको हमारा इस कार्य के लिए शुभ-आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने डॉ० सा० की साहित्य साधनाके योगदानके मूल्यांकनका मुअवसर साहित्य जगत्को दिया।

भार्यिका स्याद्वादमती माताजी



परम्परा और आधुनिकता के संगम

प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यके साहित्य और आलेखोंके अध्ययनसे ऐसा लगता है कि वे सदा समसामयिक है। उन्होंने जहाँ जैनधर्म और दर्शनके महत्त्वपूर्ण प्राचीन ग्रन्थोंका उत्कृष्ट सम्पादन करके परम्पराकी रक्षा की है वही उन्होंने अपने सम्पादकीय और समसामयिक आलेखों द्वारा जैनधर्म दर्शनको वैज्ञानिक शैलीमें प्रस्तुत करके आधुनिकताका भी परिचय दिया है और अनेक पीढ़ियोंको उस अमृतज्ञान से लाभान्वित किया है। मेरी यही भावना है कि जैन समाजमें ऐसे अनेक विद्वान् हो ताकि जैनधर्म-दर्शनके महत्त्वसे सम्पूर्ण जगत् परिचित हो सके। मेरा शुभाशीष आप सभीके सदा साथ है।

मुनि श्री सुधासागरजी महाराज



आशीर्वाद

न्यायशास्त्रके प्रसिद्ध विद्वान् प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यका स्मृति ग्रन्थ निकल रहा है। यह उत्तम कार्य है। उनके द्वारा तत्त्वार्थवार्तिक आदि कई ग्रन्थोंका नई शैली एवं वैज्ञानिक पद्धतिमें सम्पादन हुआ है। उनके साथ अनुसन्धान पूर्ण प्रस्तावना परिशिष्ट आदिका संयोजन कार्य भी किया गया है, जो अनुसन्धित्सु पाठकों के लिए बड़ा ही उपयोगी है।

इस सार्थक प्रयत्नके लिए हमारा आप सबको आशीष है।

मुनि श्री क्षमासागरजी महाराज



साहित्य के मेरु शिखर

अज्ञानतिमिराच्छन्न संसारका अपनी ज्ञानगारिमाके द्वारा आलाकित करने वाले महामनीषी विद्वद्वर्ष १० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य के समान जैनजगत्स विरले ही विद्वान् हुए हैं। प्राचीन परिपाटीके चिरन्तन मत्यान्वेषणके अनुपम तत्त्वानुसंधान में तत्पर १० जी के व्यक्तित्व व कृतित्व से कौन सहृदय व्यक्ति आकृष्ट एव मश्रुद्ध नतमस्तक नहीं होगा।

१० जी जैनदर्शन, न्याय, धर्म व साहित्यके अद्वितीय 'मेरुशिखर' थे। उनका पांडित्य प्रभावपूर्ण व तलस्पर्शी ज्ञानसे ओनप्राप्त था। उनका सपूर्ण जीवन ही माँ जिनवाणा सरस्वतीकी सेवामें समर्पित हुआ। जैनदर्शन, धर्म तथा सस्कृतिके उत्थानमें १० जी का जो 'न भूतो न भविष्यति' वाला अनुपम योगदान है, वह श्रमण-संस्कृति के इतिहासमें मदा अमर रहेगा।

॥ इति भद्र भूयात् ॥ वर्धता जिनशासन ॥

स्वास्त्यो भट्टारक चारकोति स्वामीजी, मूडबित्री

दर्शनशास्त्र के महान् विद्वान्

• सिद्धान्ताचार्य प० फूलचन्द्र शास्त्री

न्यायाचार्य प० महेन्द्रकुमारजीके विषयमे हम क्या लिखें । इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि जैन समाजमे दर्शनशास्त्रके जो भी इने-गिने विद्वान् हैं उनमे ये प्रथम हैं । इन्होंने जैनदर्शनके साथ सब भारतीय दर्शनोंका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया है । इन्होंने ही बड़े परिश्रम और अध्ययनपूर्वक स्वतन्त्र कृतिके रूपमे जैनदर्शन ग्रन्थका निर्माण किया है । एक ऐसी मौलिक कृतिकी आवश्यकता तो थी ही, जिसमे जैनदर्शनके सभी दार्शनिक मन्तव्योंका ऊहापोहके साथ विचार किया गया हो । हम समझते हैं कि इस सर्वांगपूर्ण कृति द्वारा उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है । अतएव प० महेन्द्रकुमारजी का जितना आभार माँगे, थोड़ा है ।

—जैनदर्शन (अपनी बात) १९५५

सम्पादन कला के आचार्य

• सिद्धान्ताचार्य प० कैलाशचन्द्र शास्त्री

पण्डित महेन्द्रकुमारजी अपने विद्यार्थी जीवन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे ।

जैन न्यायका आज उन जैसा अधिकारी विद्वान् कोई दृष्टिगोचर नहीं होता जो उनका भार संभालने की योग्यता रखता हो । दर्शनके प्रायः सभी प्रमुख ग्रन्थोंका उन्होंने पारायण कर डाला था । न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, बौद्ध सभी दर्शनोंके ग्रन्थ उनके दृष्टिपथसे निकल चुके थे और सम्पादन कलामे तो वह आचार्य हो गये थे । दिगम्बर जैन समाजमे आज उन जैसा न कोई दार्शनिक है और न सपादक ।

प्रत्येक व्यक्तिके गुण भी होते हैं और दोष भी । प० महेन्द्रकुमारजी मे दोनों थे, किन्तु उन जैसा अध्यवसायी, उनके जैसा कर्मठ और उनके जैसा धुनका पक्का व्यक्ति होना कठिन है । उनके जीवनका एकमात्र लक्ष्य था— 'स्वकार्यं माययेत् पीमान्' बुद्धिमानका कर्तव्य है कि अपने कार्यको सिद्ध करे । यही उनका मूल मन्त्र था । उन्होंने अपने इस मूल मन्त्रके सामने आपत्तियाँ/विपत्तियाँ की कभी परवाह नहीं की ।

—जैनसन्देश २८ मई १९५९

दार्शनिक चिन्तन के मनीषी

• प्रज्ञाचक्षु प० सुखलालजी सघत्री

“प० महेन्द्रकुमारजीके साथ मेरा परिचय छह सालका है । इतना ही नहीं बल्कि इतने अग्रेसे दार्शनिक चिन्तनके अखाड़ेमे हम लोग समशील नावक हैं । इससे मे पूरा तटस्थ रखकर भी नि मकोच कह सकता हूँ कि प० महेन्द्रकुमारजीका विद्याव्यायाम कम-से-कम जैन परम्पराके लिए तो सकारास्पद ही नहीं अनुकरणीय भी है । प्रस्तुत ग्रन्थका बहुश्रुतसम्पादन उक्त कथन का साक्षी है । प्रस्तावनामे विद्वान् सपादकने अवलोकनेके समयके बारेमे जो विचार प्रकट किया है, मेरी ममक्षमे अन्य समर्थ प्रमाणोंके अभावमे वही विचार आन्तरिक यथार्थ गुलनाम होनेसे सत्यके विशेष निकट है । समयविचारमे सपादकने जो सूक्ष्म और विस्तृत तुलना की है, वह तरपदान तथा इतिहासके रमिकोके लिए बहुमूल्य भोजन है ।” मैं पंडितजी की प्रस्तुत संवेष्टापूर्ण और श्रमगाधित मत्कृतिका सच्चे हृदयसे अभिनन्दन करता हूँ, और साथ ही जैन समाज, खासकर दिगम्बर समाजके विद्वानों और श्रीमानोंसे भी अभिनन्दन करनेका अनुरोध करता हूँ । विद्वान् तो पंडितजीकी सभी कृतियोंका उदारभावसे अध्ययन-अध्यापन करके अभिनन्दन कर सकते हैं ।

(दर्शन और चिन्तन पृ० 481, 475 से)

एक प्रकाशमान नक्षत्र

● पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री

मैं अपनी शिक्षा समाप्त करके, कटनीके दिगम्बर जैन विद्यालयमें प्राध्यापकके पद पर नियुक्त होकर कार्य करने लगा था। एक बार पर्येषण पूर्वमें मैं खुरई समाजके द्वारा आमंत्रित था। खुरईमें एक सरकारी कन्याशालाके प्रधानाध्यापक मास्टर कन्हेडीलालजी अच्छे अनुभवों विद्वान् थे। मेरे पिताजीके साथ उनके सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थे, उन्होंने यह परिचय कराया कि एक बालक बीनाके जैन विद्यालयमें अध्ययन करने वाला यहाँ आया है, और वह आपसे मिलना चाहता है।

वह आया। उसके मिलनेके बाद मुझे यह पता चला कि इनका नाम महेंद्रकुमार जैन है, और ये इस समय जैन न्याय मध्यमाकी परीक्षाकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे उनसे दो-चार प्रश्नोंके उत्तर मालूम कर संतोष हुआ कि यह बालक बहुत होनहार और बुद्धिमान् है।

कालक्रमसे ये अपने अध्ययनके लिए काशी गए और वहाँ न्यायशास्त्रमें आचार्य परीक्षा पास की। सम्भवत ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने न्यायशास्त्रकी आचार्य परीक्षाके पूर्व छ सप्ताहोंको उत्तीर्ण किया था। मेरे साथ उनका सम्पर्क बराबर बना हुआ था। मैं उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देता था और उनकी विद्योन्नति देखकर मुझे बड़ा हर्ष होता था।

पूज्य पं० गणेशप्रसाद जी वर्णी भी जैन ममाजमें अग्रगण्य चारित्रधारी महापुरुष थे। कालान्तरमें पूज्यवर्णी जीके नामसे एक ग्रन्थ प्रकाशनी सस्थाका जन्म हुआ। उसके अध्यक्ष हमारे विद्या गुरु पण्डित बंशीधरजी न्यायालकार थे और मैं उपाध्यक्ष था। उन दिनों पं० महेंद्रकुमारजी न्यायाचार्यने "जैन दर्शन" नामसे एक विस्तृत ग्रन्थ करीब ६०० पृष्ठका लिखकर तैयार किया था। वर्णी प्रथमालासे उस ग्रन्थको प्रकाशन करनेकी योजना बनाई थी।

पं० बशीधर व्याकरणाचार्य बीना, ग्रन्थमालाके मन्त्री थे। अत मन्त्रीजीके और मेरे बीचमें यह प्रश्न खड़ा था। परन्तु ग्रन्थमालाकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर थी फिर भी हम लोगोंने यह निर्णय किया कि ग्रन्थमालाकी मूलनिधि भी खर्च हो जाय तो कोई चिन्ताकी बात नहीं परन्तु इस अपूर्व कृतिका ग्रन्थमालासे प्रकाशन अवश्य होना चाहिए। इस निर्णयानुसार ग्रन्थमाला समितिते अक्टूबर १९५५ में इसका प्रकाशन किया। इस ग्रन्थका सम्पादन तत्कालीन सुयोग्य विद्वान् पं० फूलचन्द्रजी मिदनालशास्त्रीने किया।

ऐतिहासिक दृष्टिमें भारतवर्षमें जब बौद्धोंका प्रभुत्व था और उनके तर्कपूर्ण प्रहारासे न्यायशास्त्रके विद्वानोंमें खलबली मच गई थी उस समय जैनदर्शनके विद्वानोंमें आचार्य समन्तभद्र और आचार्य सिद्धनेन दो समर्थ आचार्य इस प्रकारके आचार्य हुए जिन्होंने इस युगमें आनेवाले जैनधर्मके प्रति आक्षेपोंका तर्क पूर्ण भाषामें अनेकान्त शैलीमें उत्तर दिया और आक्षेपोंका निराकरण करते हुए जैनदर्शनके प्रमाण और प्रमेय तत्त्वोंकी तर्क पूर्णभाषामें स्थापना की थी।

आचार्य समन्तभद्रके जीवन कालकी यह घटना उनके आर्हत मतकी दृढ़ श्रद्धाकी परिचायिका है। जब उन्हें भस्मक व्याधि उत्पन्न हुई। तो उस समय उन्होंने अपने मुनि पदकी मर्यादाको भी गौण कर कृत्रिम रूपमें "शिवपूजक" बनकर अपने रोगका शमन किया। जब शिवजीको लगने वाली सम्पूर्ण भोग सामग्रीको वे रोग क्रमश शांति होने पर पूरा नहीं खा सके तब उनकी कपट-स्थिति उस समयके शासकके सामने प्रकट हो गई और आदेश दिया कि तुम अपने अपराधके प्रायश्चित्त स्वरूप महादेवजीकी वन्दना करो।

आचार्य समन्तभद्रने अपने सम्यक्दर्शनकी प्रभुताके आधार पर उन्हें उत्तर दिया कि मेरा नमस्कार

मेरी यह मूर्ति सट्टन नहीं कर सकेगी। और जब उन्होंने चौबीस तीर्थंकरोंकी भक्तिमें विभोर होकर स्वयंभू-स्तोत्र" की रचना की और भगवान् चन्द्रप्रभकी भक्ति पढ़ते हुए उस मूर्तिको नमस्कार किया तो वह महादेवजीकी पिण्डी ऊपरसे फट गई और उसमेंसे उनकी जिनभक्तिकी दृढ़ताके प्रभावसे चन्द्रप्रभ भगवान्की मूर्ति प्रकट हुई। जो उनके नमस्कारको झेल सकी। इस प्रकार उनकी इस बनाबटी वशामे भी उनके सम्पत्सकी दृढताके आधार पर होनेवाली यह घटना सर्वत्र प्रकाशित हुई और लोगोंने जैनधर्मको ग्रहण किया।

यह घटना केवल कपोल कल्पना नहीं है। किन्तु यथार्थ सत्य है जिमके प्रमाण स्वरूप काशीमें आज भी वह मूर्ति "फटे महादेव" के नामसे स्थित है और बादमें यह कल्पना उसके बादके लोगोंने कर ली कि ये पहले "स्फटिकमणि" के रहे होंगे। परन्तु कालान्तरमें शब्द बोलते वे फटे महादेवके नामसे शब्दोंमें कहे जाने लगे। परन्तु यह कल्पना ही मिथ्या है। जिसका प्रमाण उम महादेवजीकी पिण्डीका फटा हुआ भाग घटनाकी यथार्थ सत्यताको स्वयं प्रकट करता है।

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्रने अपने युगमें अपनी श्रद्धा और आचरण तथा वृद्धिगत तर्क विद्याके आधार पर न केवल जैन सिद्धान्त को बल्कि उसके आचार की भी प्रतिष्ठा की। आचार्य समन्तभद्र तथा जिनभद्रगणों की सेवाओंसे उस समय जैनधर्मकी प्रतिष्ठा हुई थी।

इम युगमें काशी नगरी नैयायिकों की सुप्रसिद्ध नगरी है जहाँ पर दर्शनशास्त्रके विभिन्न मतोंके विद्वान् रहते हैं उनके परस्पर शास्त्रार्थ चला करते हैं। इस युगमें जैन विद्वानोंमें प० महेन्द्रकुमारजी जैसे विद्वान् "प्रकाशमय नक्षत्र"के रूपमें आये जिन्होंने सभी दर्शनोंका गहरा अध्ययन किया और जैनधर्म पर किये जाने वाले विविध विद्वानोंके आक्षेपोंको अनेकान्त शैलीसे निराकरण किया। जैनतत्वकी प्रतिष्ठापना विद्वत् समाजमें की।

'जैनदर्शन' ग्रन्थमें बारह अधिकार हैं इनमें से प्रथम अधिकारमें ग्रन्थकी पृष्ठभूमि लिखी गई तथा दूसरे अधिकारमें विषय परिचय दिया गया। तीसरे अधिकारमें जैनदर्शनमें भारतीय दर्शनको अनेकान्त दर्शनका परिचय कराया।

प्रत्येक धर्ममें लोक व्यवस्था तत्त्व, व्यवस्था अपने-अपने ढंगकी पायी जाती है साथ ही उम तत्त्वोंकी सिद्धिके लिए प्रमाण व्यवस्था भी सुनिश्चित रूपसे की जाती है इसलिए ग्रन्थमें भी जैनमतके अनुसार लोक व्यवस्था तथा उसमें पाये जाने वाले द्रव्यों तथा तत्त्वोंकी व्यवस्थाका वर्णन चार-पाँच-छ-सात अध्यायमें किया गया है। इन सबका विवेचन करने वाले प्रमाणों और नयोका विचार आठ, नौ और दस अध्यायमें किया गया है।

इन अध्यायोंमें आर्हत मतकी मान्यताके अनुसार प्रमाणोंके आधार पर उक्त व्यवस्थाएँ तो सिद्ध की ही गई है साथ ही अन्य दर्शनोंमें की गई लोक और तत्त्व व्यवस्थाका परीक्षण भी किया गया है।

जैनदर्शनकी भारतीय सस्कृतिकी यह बहुत बड़ी देन है कि इमने बस्तुके विशाल स्वरूपकी विविध दृष्टिकोणोंसे [नयोकी दृष्टिसे] देखने की प्रेरणा दी है। इसलिए ग्रन्थके अन्तमें ११ और १२ अध्यायमें विश्वशांति और जैनदर्शनका सम्बन्ध स्थापित करने हुए जैन दार्शनिक माहृतिह्यका भी परिचय दिया है।

बस्तुतः अपने छोटेसे जीवनमें प० महेन्द्रकुमारजीने इतना बड़ा कार्य किया है। वे दार्शनिकोंकी शृंखलामें एक प्रकाशमान नक्षत्रकी तरह उदित हुए, पर शीघ्र ही अस्त हो गए इस बातका दुःख सदा रहेगा।

—कटनी, अप्रैल १९९५

१० : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

सृजनात्मक प्रतिभा के धनी

• पं० बंशीधर व्याकरणचार्य, बीना

पं० महेन्द्रकुमारजी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने क्रमबद्ध पर्यायिकी मान्यताको कल्पित कहा था। प्रत्येक वस्तुकी स्व-प्रत्यय पर्याय क्रमबद्ध होने हुए भी स्व-परप्रत्यय पर्याय निमित्तानुसार ही होती है और निमित्त एव निमित्तोका बदलाव क्रम तथा अक्रम दोनों प्रकारसे प्राप्त होता है। जैसे जीवकी अनादि कालसे जो स्व-पर प्रत्यय पर्याय होती है वे निमित्तके अनुसार भी होती है और निमित्तोके बदलावके कारण भी होती है।

पं० महेन्द्रकुमारजी नये चिन्तनके पण्डित थे, वे परम्परा पण्डित नहीं थे। उन्होंने १९३० में इन्दौर से न्यायतीर्थ (दि०) किया था और स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसीमें जैनदर्शनके अध्यापक हो गये थे। यह उनके गौरवकी बात थी। स्याद्वाद महाविद्यालयमें अध्यापक होना गौरव समझा जाता था।

उस समय विद्यालयमें शास्त्री और आचार्य कक्षाओमें पढ़नेवाले बड़े-बड़े छात्र थे। उन्होंने भी प्राचीन न्याय लेकर न्यायाचार्य किया।

यहाँके अध्ययन-अध्यापन और सम्पादनके वातावरणको देखकर वे भी ग्रन्थ-सम्पादनके कार्यमें जुट गये। फलतः तत्त्वार्थवार्तिक, तत्त्वार्थवृत्ति, न्यायकुमुदचन्द्र, अकलकग्रन्थत्रय, न्यायविनिश्चय-विवरण आदि ग्रन्थोका उन्होंने वैज्ञानिक एव नव्य पद्धतिसे सम्पादन किया। 'जैनदर्शन' जैसी स्वतन्त्र एव मौलिक कृतिका सर्जन भी किया। अनेक शोध खोजके आलेख भी 'अनेकान्त' आदि पत्र-पत्रिकाओमें लिखे।

वास्तवमें पं० महेन्द्रकुमारजी एक सृजनात्मक प्रतिभाके अद्भुत धनी थे।

परिनिष्ठित विद्वान्

• डॉ० मङ्गलदेव शास्त्री

न्यायाचार्य आदि पदवियोसे विभूषित प्रो० महेन्द्रकुमारजी अपने विषयके परिनिष्ठित विद्वान् हैं। जैनदर्शनके साथ तात्त्विक दृष्टिसे अन्य दर्शनोका तुलनात्मक अध्ययन भी उनका एक महान् वैशिष्ट्य है। अनेक प्राचीन दुर्लभ दार्शनिक ग्रन्थोका उन्होंने बड़ी योग्यतासे सम्पादन किया है। ऐसे अधिकारी विद्वान् का कृतित्व 'जैनदर्शन' राष्ट्रभाषा हिन्दीके लिए एक बहुमूल्य देन है। हम हृदयसे उनका अभिनन्दन करने हैं।

—जैनदर्शन (प्राक्कथन) २०-१०-५५

अद्वितीय विद्वान्

• पं० दलमुख मालवाणिया, अहमदाबाद

पण्डित श्री महेन्द्रकुमार अपने समयके अद्वितीय विद्वान् थे। उन्होंने अकलङ्कग्रन्थत्रयसे प्रारम्भ करके अकङ्ककके मूलग्रन्थोका टीकाके गाय जो सम्पादन किया है वह उन्हें अमर बनाने वाला है।

बनारस यूनिवर्सिटीमें मेरी जैनदर्शनके प्राध्यापक रूपमें नियुक्ति हुई। जब शास्त्रीके पाठ्य क्रममें जैन और बौद्ध ग्रन्थोका अभाव सा था। अतएव मैंने यूनिवर्सिटीको निवेदन किया कि जैनदर्शनके लिए मेरी नियुक्ति है तो बौद्ध ग्रन्थोको पढ़ानेके लिए अन्य विद्वान्की नियुक्ति जरूरी है। तब यूनिवर्सिटीमें पं० महेन्द्रकुमारजीको बौद्धदर्शनके प्राध्यापक पर नियुक्ति हुई। और हम दोनों साथी बन गए।

पं० महेन्द्रकुमारजी बड़े उत्साही थे। अतएव यूनिवर्सिटीके सब प्रकारसे सगठनोमें उनका मार्गदर्शन अनुपम रहा है। और उनकी आकस्मिक मृत्यु भी उनके ऐसे सगठनोमें भाग लेने पर हुई है।

वे सदा चिरस्मरणीय रहेंगे

• स्वामी सत्यभवत, वर्धा

डॉ० महेन्द्रकुमारजीका मुझे घनिष्ठ परिचय था। बनारस और इन्दौरके विद्यालयोकी सविस छोड़ कर जब मैं दूसरी जगह चला गया तब ये उन विद्यालयोंमें पढ़ने गये। इसके बाद मिलनेका और पत्र व्यवहारके बहुत अवसर आये। वे मुझे एक तरहसे गुरुका सम्मान देते थे। और मेरे द्वारा लिखित बहुत सा साहित्य भी उनने पढ़ा है।

इसमे सन्देह नहीं कि महेन्द्रकुमारजी बहुश्रुत और विविध विषयोंके अच्छे विद्वान् थे। यह दुर्भाग्य है कि वे जल्दी चले गये अन्यथा गमाजको उनकी बहुत जरूरत थी।

४ वर्षकी उम्रके बाद मैं दमोह निवासी बन गया। और गमियोंकी छूटीमे हर वर्ष दमोह आया करता था। इस प्रकार दमोह मेरा घर हो या। गन् १९३६ मे जब मेरे पिताजीका देहान्त हुआ उसके बाद घरके रूपमें दमोहका स्थान छूट गया।

यह प्रसन्नताकी बात है कि महेन्द्रकुमारजीका सम्बन्ध दमोहसे कई तरहसे आया है। उनके जानेसे मुझे काफी दुःख हुआ है। फिर भी अपने थोड़ेसे जीवनमे जो उनने असाधारण साहित्य सेवा और समाज सेवा की है उससे वे सदा चिरस्मरणीय रहेंगे।

उनकी विद्वत्ता विरल थी

• श्री यशपाल जैन, दिल्ली

पण्डितजीने जैन समाज तथा जैनधर्म और दर्शनको जो सेवा की है, वह सराहनीय है। उनकी विद्वत्ता विरल थी। उनका व्यक्तित्व और कृतिन्व अत्यन्त यशस्वी था। वह एक ऐसे साधक थे, जिनका स्थान सदा अक्षुण्ण रहेगा।

मुझे पण्डितजीके सम्पर्कमें आनेका विशेष अवसर मिला था। उनकी सौम्यता और सादगीकी मेरे मनपर बड़ी गहरी छाप है। सच यह है कि इतने विद्वान् होते हुए भी उन्हें कभी अपनी विद्वत्ताका गर्व नहीं हुआ। वह अत्यन्त सरल और निश्छल थे। सेवा उनका धर्म था। उन्हें स्मृति-ग्रन्थ अपित करके भारतीय समाज उपकृत होगा।

हार्दिक कामना

• डॉ० प्रभुदयालु अग्निहोत्री, भोपाल

प० महेन्द्रकुमारजी मेरे निकट मित्रोंमे थे और जो कुछ भी लिखते या प्रकाशित कराते थे उसकी एक प्रति वह मुझे अवश्य भेजते थे। उनके द्वारा भेंट की हुई उनकी पुस्तक "जैनदर्शन" मेरे पास सुरक्षित है। वह न केवल जैनदर्शन, अपितु भारतीय दर्शनकी अन्य शाखाओंमे भी निष्णात थे। अनेक वर्षों तक मेरे और उनके बीच भाईचारा रहा।

आपका आयोजन सफल हो, यह मेरी हार्दिक कामना है।

१२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

विनोदप्रिय महेन्द्रकुमार जी

• प० नाथूलाल शास्त्री, इन्दौर

श्री महेन्द्रकुमारजी मेरे सहपाठी थे। यह सन् १९२७ से १९२९ तक तीन वर्ष शास्त्री कक्षामे श्री महेन्द्र गिहूजी (प्रसिद्ध आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी) श्री वर्धमानजी शोलापुर, दक्षिणके जिनराजजी एवं नागराजजी आदि जैन बोडिगमे रहकर वही सर हुकमचंद संस्कृत महाविद्यालय जैवरीबाग, इन्दौरमे श्री न्यायालंकार प० बशीधरजी, श्री प० जोबधरजी न्यायतीर्थ एव श्री व्याकरणाचार्य प० शम्भुनाथजी त्रिपाठीके पास क्रमश जैनमिडान, जैन न्याय और जैन साहित्यका अध्ययन करने थे। महेन्द्रकुमारजी अत्यंत विनोदप्रिय थे। और परस्पर हासपरिहाससे तग आकर जब कोई सहपाठी गुरुजीके पाग शिकायत ले जाता तो गुरुजी का उत्तर था कि—

स्वकार्य साधयत नृत्यतोऽपिदोषाभावात्।

हम बया करे महेन्द्रकुमार मेधावी और ध्युत्पन्न पात्र हैं। उसका हम कोई अपराध नहीं मानते—

‘जिन्दगी जिन्दादिलीका नाम है’।

यह उक्ति उसपर घटती है।

हमलोग प्रमेयकमलमातृण्ड और अष्टमहस्त्री आदि उच्चतम ग्रन्थोका पक्तिश अर्थ लगाने थे। ‘त्रिलोकसार’ अलौकिक गणितका ग्रन्थ भी हमने साथ ही पढा है। सर्वे ग्रन्थोमे महेन्द्रकुमारजी का विशेष प्रवेश था। सन् १९२८ मे बैरिस्टर चपतरायजीने विदेशमे आकर एक माह तक हमें जैनग्रन्थके नोट्स लिखाये थे और परीक्षा भी ली थी, उनमे महेन्द्रकुमारजी प्रथम आए थे।

हम व्यायामशाला, जितेन्द्रपूजा और हाकी, फुटबाल आदिमे साथ ही रहने थे। श्री मन सरसेठ हुकमचंदजी वर्षमे दो बार व्यायामशालामे आकर हमारी कुश्ती देखने थे और हमे पारितोषिक देने थे। प्रतिदिन वायुनेवन या अन्य समय दो घण्टा संस्कृत भाषामे ही हम वार्तालाप करते थे। महेन्द्रकुमारजी सदृश महान् विद्वान्को भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्का अध्यक्ष बनाकर परिषद्को गौरवान्वित होना चाहिए था। परन्तु परिषद्के कार्यकर्ताओने डम और ध्यान नहीं दिया। मुझे दुःख है कि बहुत कम उम्रमे उनका देहावसान हुआ। उसका कारण यह है कि वे अहर्निश बिना विश्राम साहित्य सेवामे सलग्न रहने थे। वे रोगोके इलाजकी चिन्ता नहीं करते थे।

अध्ययनके बाद जब वे खुरईमे थे, मैं उनमे मिलने गया था। दूसरी बार भी मैं मेरे मित्र पचरत्न-जोके विवाहमे उनके साथ रहा था। प०मे मुझे, वे भवदीयके स्वानामे अनुकारक लिखा करते थे। वाराणसी के विद्वानोमे बड़ा प्रभाव था।

उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

सन्देश

• D VEERENDRA HEGGADE Dharmasthala

I am happy to note that you will bring out a commemorative Volume on Dr Mahendra Kumar Jain. Hope it will highlight his activities and achievements.

I wish your venture all success.

सहाध्यायी और जैन न्याय-विद्यागुरु

• डॉ० दरबारीलाल कोठिया, बीना

दि० जैन संस्कृत विद्यालय साहमूल (ललितपुर) में तीन वर्ष अध्ययन करके मैं वाराणसीके विश्रुत स्याद्वाद महाविद्यालयमें उच्च अध्ययनार्थ पहुँचा और वहाँ विशारद द्वितीय खण्ड एव न्यायमध्यमा प्रथम खण्डमें प्रविष्ट हुआ। यह ई० १९२९ की बात है।

वहाँ जैनदर्शन एव जैन न्यायका कोई अध्यापक नहीं था। दूसरे वर्ष १९३० में स्वर्गीय प० महेन्द्र-कुमारजी न्यायतीर्थकी नियुक्ति ला० मुसद्दीलालजी अमृतसरके ३०) मामिक आर्थिक सहयोगसे हो गयी। वे नये-नये थे, छात्रों पर उनका प्रभाव कम था। आप्तपरीक्षा पढ़ाते थे। उनके अध्यापनमें स्थूलन रहता था, इससे हम लोग चुपचाप उनका मजाक उड़ाते थे। हम न्यायमध्यमा द्वितीय खण्ड भी पढ़ते थे, जिसमें वैशेषिक-नैयायिक दर्शनोंके सिद्धान्त थे और आप्तपरीक्षाके आरम्भमें भी वे थे। अतएव उनके स्थूलन पकड़में आ जाते थे। फलतः उन्होंने १९३२ में सम्पूर्ण साहित्य-मध्यमा उत्तीर्ण कर १९३३ में प्राचीन न्याय लेकर न्यायाचार्यके प्रथम खण्डमें प्रवेश लिया। उन्पर हमने भी नव्य-न्याय मध्यमाके क्रमशः चारों खण्ड प्रथम श्रेणीमें १९३२ में उत्तीर्ण किये और १९३३ में प्राचीन न्याय लेकर न्यायाचार्यके पहले खण्डमें प्रवेश लिया। यद्यपि हमने पहले नव्य न्याय लिया था, पर जैन दार्शनिक ग्रन्थोंमें उसके न होने तथा प्राचीन न्याय होनेसे उसे ही अध्ययनका विषय बनाया।

इस तरह पण्डितजी और हम चार खण्ड साथ-साथ पढ़े। पपीरा विद्यालयमें अध्यापनार्थ चले जानेसे साथ न रह सका और एक वर्षका अन्तराल पड़ गया। पण्डितजी लगातार परीक्षा देते रहे और १९३९ में न्यायाचार्य हो गये और हम १९४० में हुए। इस प्रकार हम और प० जी सहाध्यायी रहे। निःसन्देह वे प्रतिभा सम्पन्न थे।

इसके साथ हम उनके पास जैनदर्शन पढ़ते थे। जैन न्यायमध्यमा और दि० जैन न्यायतीर्थकी परीक्षाएँ उन्हींके पास पढ़कर दी एव प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्णता प्राप्त की। अतः पण्डितजी मेरे गुरु भी थे।

हमें उन दिनोंका स्मरण आता है, जब हम दोनों शीतकालमें ३ बजे रातमें उदयनाचार्यकृत न्याय-कुसुमाञ्जलिके अध्ययनके लिए हनुमान घाटमें स्थित एक दक्षिणी नैयायिकके यहाँ जाते थे। वे बहुत योग्य विद्वान् थे। ४ बजे तक एक घण्टा पढ़ाते थे। बादमें दूसरे छात्र पढ़नेको आ जाते थे।

जब पण्डितजी स्याद्वाद महाविद्यालयको छोड़कर महावीर विद्यालय बम्बई पहुँचे, तो कुछ दिनों बाद उन्होंने हमें एक पत्र लिखा कि 'अपनी दुकान होती, तो मैं उसका मालिक होता।' यह पत्र मैंने श्रद्धेय पं० जुगलकिशोरजी मुस्तारको दिखाया। उन्होंने उत्तर देनेका कहा। मैंने उन्हे लिखा कि 'आप बीर-सेवा-मन्दिर में आ जाइए।' उनकी स्वीकृति भी आ गयी। पर सयोगवश नहीं आ पाये।' मैं उन दिनों वीर-सेवा मन्दिर, सरसावा (सहारनपुर) में कार्यरत था। यह १९४४ की बात है।

तत्त्वार्थसूत्रके मंगलाचरणको लेकर मेरे और उनके बीच 'अनेकान्त' में लेख-प्रतिलेख लिखे गये। किन्तु मन भेद नहीं हुआ। अन्तमें तो उसे उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण स्वीकार कर लिया था।

जैन न्यायके उच्चतम ग्रन्थोंका सम्पादन कर जो वैज्ञानिक सम्पादनकी कला प्रदर्शित की वह अद्वितीय और असाधारण है। आज वे नहीं हैं, किन्तु उनकी सम्पादित यशस्वी कृतियाँ उनके यश और प्रतिभाका गुणगान कर रही हैं।

१४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

खतीलीमें एक संगोष्ठीमें हम दोनों पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने एक द्रावक घटना सुनाई। बोले— 'कोठियाजो, दैवकी कौसी विचित्रता है कि मसहरीके लिए एक वॉस खरीदकर लाया था। पर वह वॉस मसहरीके काम तो नहीं आया, किन्तु पत्नीकी अर्थके हेतु वह आया। इससे लगा कि कभी-कभी पुरुषार्थ दैवके आगे घुटने टेक देता है। पंडितजीको अन्तिम समयमें डॉक्टर और प्रोफेसरके पदाकी उपलब्धि हुई थी। पर वे दोनोंका उपभोग नहीं कर सके। यह दैवकी ही विचित्रता है।

उत्कृष्ट क्षयोपशम के धनी

• डॉ० पन्नालाल जैन साहित्याचार्य, सागर

प्रतिभाशाली एवं उत्कृष्ट-क्षयोपशमके धनी प० श्री महेन्द्रकुमारजैन वाराणसी पहुँचनेका अच्छा उपयोग किया। अध्ययन करने वाले छात्रोंको वाराणसी सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ रहकर उन्होंने न्याय-शास्त्रका सर्वाङ्गीण अध्ययन कर न्यायाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री मुसलालजी सघवीके सम्पर्कमें रहकर सम्पादन कलाका अनुभव प्राप्त किया और उसके फलस्वरूप सर्वप्रथम प्रमेयकमलमार्तण्डका एक सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित कराया। एम ए परीक्षा पासकर डॉ० की उपाधि प्राप्त की।

भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना भी उसी समय हुई थी। उसके आप प्रमुख सम्पादक हुए और अपने कार्य-कालमें अनेको ग्रन्थ सम्पादित कर तथा अन्य विद्वानोंसे सम्पादित कराकर मूर्तिदेवी ग्रन्थमालासे प्रकाशित कराये। साहित्याचार्यकी परीक्षा देनेके लिये मैं वाराणसी जाता था तब आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती थी।

एक बार सागरमें मध्य प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन था। उसकी दर्शन-परिषद्में विद्वानोंको आमन्त्रित करनेका दायित्व मुझपर था। उसमें प० महेन्द्रकुमारजी को भी मैंने आमन्त्रित किया था। उसी समय मैंने भगवज्जिनसेनाचार्य विरचित आदिपुराणका अनुवाद पूर्ण किया था। भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित करानेके लिये मैंने चर्चा की तो उन्होंने स्वीकृति देते हुए कहा कि आप पाण्डुलिपि लेकर कुछ दिनोंके लिये वाराणसी आ जाइये। प्राचीन प्रतियोंसे पाठभेद लेकर आधुनिक रीतिसे सम्पादित करा देगे। उनके कहे अनुसार मैं १८ दिन वाराणसी रहा। उस समय ज्ञानपीठका कार्यालय दुर्गाकुण्ड वाराणसीमें था। वहाँ आदिपुराणकी १२ प्रतियाँ एकत्रित थीं। अनेक विद्वानोंके साथ बैठकर मैंने पाठभेद लिये। पंडितजीने सब प्रकारकी सुविधा प्रदान की। उनकी सम्मतिसे भारतीय ज्ञानपीठने दो भागोंमें आदिपुराण प्रकाशित किया। फिर सम्पर्क बढ़नेसे मेरे अन्य ग्रन्थ—उत्तरपुराण, हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, गद्यचिन्तामणि, पुरुवेव-धम्पू, जीवन्धरचम्पू, धर्मशर्माभ्युदय आदि प्रकाशित हुए। मेरा शोध ग्रन्थ 'महाकवि हरिचन्द्र - एक अनु-शीलन' भी वहाँसे प्रकाशित हुआ।

मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे सम्पादन कला सिखाकर इस दिशामें आगे बढ़ाया। प० महेन्द्रकुमारजीके द्वारा सम्पादित राजवार्तिक, तत्त्वार्थवृत्ति आदि अनेक ग्रन्थ दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों समाजोंमें श्रद्धाके साथ पढ़े जाते हैं। वे स्पष्ट वक्ता थे। सत्य बातको कहनेमें कभी चूकते नहीं थे। अल्प आयुमें ही उनका जीवन समाप्त हो गया यह दुःख की बात रही।

उनका अभिनन्दन उनके जीवनमें नहीं हो सका। जब वे थे तब विद्वानोंके अभिनन्दनकी परम्परा नहीं चली थी। जब परम्परा चालू हुई तब तक जनता उन्हें भूल गयी। हृषिकी बात है कि पूज्य उपाध्याय ज्ञानसागरजी महाराजका इस ओर लक्ष्य गया और उन्होंने जनताको सम्बोधित कर स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशनकी योजना बनवाई। इस सन्दर्भमें मेरी विनयाञ्जलि समर्पित है।

प्रगतिशील विचारधारा के घोषक

• प० बलभद्र जैन, दिल्ली

डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यका स्मरण आते ही आँखोंके आगे एक भारी भरकम व्यक्तित्व उभर उठता है, जिसने कट्टर ब्राह्मण विद्वानोंको सस्कृतकी कथित नगरी वाराणसीमें अपनी प्रज्ञा और वैदुष्यसे मुग्ध और प्रभावित कर लिया था। एक बार विख्यात विद्वान् राहुल सांकृत्यायनने जैन दार्शनिकों द्वारा स्वीकृत प्रमाणका खण्डन कर दिया, तब न्यायाचार्यजी ने युक्ति और प्रमाणों द्वारा उसका जो उत्तर दिया, दार्शनिक जगतमें उसकी बड़ी सराहना हुई थी और राहुलजीने प्रमाचक्षु प० सुखलालजी सघवी से कहा था कि अगर यह युवा विद्वान् यूरोपमें हुआ होता तो इसे नोबिल पुरस्कार प्राप्त हुआ होता। इसकी युक्तियोंमें प्रौढ़ता है, इसके तर्कोंमें पँनापन है और इसकी विषय-प्रतिपादनकी शैली प्रभावक है।

इस घटनाके बाद तो विद्वज्जगत्में न्यायाचार्यजीने बहुत उच्च स्थान बना लिया। प० सुखलालजी सघवी अपने समयके शीर्षस्थ जैन विद्वान् थे। उनके दो शिष्य ऐसे थे, जो प्रथम पत्रिके विद्वानोंमें गिने जाते थे—उममें एक थे प्रो० दलमुख मालबणिया और दूसरे थे प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य। ये दोनों ही विद्वान् बड़े उदार थे, व्यवहार कुशल थे, प्रगतिशील विचारधारके थे, गुण-प्राप्ति भी थे। सबवत इसी कारण न्यायाचार्यजी की श्यातिसँ ईर्ष्या करनेवाले कुछ लोगोंने यह उडा दिया कि न्यायाचार्यजी दूसरे कैम्पमें चले गये हैं, उन्होंने भी सघवीजी के व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर अपनी मान्यता छोड़ दी है। एकबार डॉ० हीरालालजी के सम्बन्धमें भी ऐसी ही हवा चली थी। किन्तु दोनों ही बार यह मिथ्या निकला। दोनों ही विद्वान् जीवन भर निष्ठा पूर्वक प्राचीन आर्ष ग्रन्थों पर काम करते रहे। और दुरुह ग्रन्थोंको सरल और सुबोध बनानेका सतत प्रयत्न करते रहे। न्यायाचार्यजी का यह स्मृति ग्रन्थ भले ही विलम्ब से ही सही, कृतज्ञ समाजकी कृतज्ञताका मही प्रमाण है।

हमें यह गौरव अनुभव करनेका अधिकार है कि न्यायाचार्यजी हमारे जीवन-कालमें हुए और उन्होंने अपनी प्रतिभासे जैनदर्शनको चिरजीवी बना दिया।

हार्दिक शुभकामना

• पद्मश्री बाबूलाल पाटोदी, इन्दौर

डॉ० महेन्द्रकुमार जैन एक ऐसे प्रतिष्ठित विद्वान् थे कि उनकी कृतियोगका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। आदरणीय डॉक्टर सा० ने न सिर्फ जैन वाङ्मयका अपितु बौद्ध धर्मपर भी अनुसंधान एवं शोध करके उस साहित्यका भी पूरा आलोडन किया। अपने छोटेसे यशस्वी जीवनमें समाजने उनको परखा नहीं, वे तो ऐसे रत्न थे, जो सदियोंमें एक हीने हैं। मुझे स्मरण है राष्ट्रमत आचार्य श्री विद्यानदजी महाराज का वर्षायोग इन्दौरमें हो रहा था, उनके प्रवचनके मध्य जब यह दुःखद समाचार आया कि श्री महेन्द्रकुमार जी नहीं रहे, कुछ क्षणोंके लिए वे अवाक रह गये। पश्चात् करीब ४० मिनट डॉक्टर सा० की बहुमूल्य कृतियोपर ही उन्होंने सारभूत प्रकाश डाला। मुझे आज भी याद है कि उनके शब्द थे—“जैन वाङ्मयका उर्वित हो रहा सूर्य राहुके द्वारा असमय डम लिया गया।”

किसी भी महान् विद्वान्के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना समाजका धर्म है। उनकी स्मृतियों जो ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है वह पंडितजीके कृतित्वको पुनः समाजके सामने लावेगा।

मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

शुभकामना

- श्री देवकुमारसिंह कासलीवाल, इन्दौर

डॉ० महेन्द्रकुमारजी जैन न्यायाचार्य स्मृति ग्रन्थका प्रकाशन किया जा रहा है उससे अत्यंत प्रसन्नता है। डॉ० महेन्द्रकुमारजी जैन ने धर्म, गमाज एव साहित्यके क्षेत्रमे जो अपनी सेवाए प्रदान की हैं वह प्रशंसनीय एवं सराहनीय है, इस अवसर पर मेरी अनेकानेक शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ।

शुभकामना

- श्री निर्मलकुमार जैन सेठी

पूज्य श्री महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य जैन न्यायशास्त्रके एक उच्चकोटिके विद्वान् थे और उन्होने जैन संस्कृतिके सवर्धनमे अपनी बहुमूल्य सेवाये अर्पित की हैं। उनकी जैन साहित्य साधनाके योगदानकी जानकारी हेतु स्मृति ग्रन्थके प्रकाशनके इस प्रयास की मैं सराहना करता हूँ।

असाधारण विद्वान्

श्री डालचन्द्र जैन, सागर (पूर्व सासद)

डॉ० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य समाजके उद्भट विद्वान् थे जिन्होने माँ सरस्वतीकी अपूर्व सेवा की है। जैन साहित्य, धर्म एव दर्शनके असाधारण विद्वान् थे। विद्वत्ताके दर्पसे वे किसी प्रकार आक्रान्त नहीं हुये। अपनी अगाध ज्ञान राशिको विविध रूपोमे वितरित कर उन्होने अपना बौद्धिक जीवन साधक किया। उन्होने अपनी कृतियोमे पाठित्यके साथ, उस व्यापक दृष्टिकोणको अपनाया है जो समभाव तथा अनेकान्तका परिचायक है। न्याय एव दर्शनके वे अधिकारी विद्वान् थे। उन्होने सरस-सरल भाषामे जैनदर्शनके मूल सिद्धान्तोपर अनेको पुस्तकें लिखी है।

उनको अभी समाजके बीजमे और रहना था। छोटी आयुमे ससार छोडकर चले गये जो समाज की अपूरणीय क्षति है।

ऐसे मूर्धन्य विद्वान्को मेरी मम्मानाञ्जलि समर्पित है।

भारतीय दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान्

- श्री ज्ञानचन्द खिन्डूका, जयपुर

डॉ० महेन्द्रकुमारजी जैन न्यायाचार्यकी गणना इस शताब्दीके मूर्धन्य विद्वानोमे जाती है। वे जैन दर्शनके ही नहीं अपितु समस्त भारतीय दर्शनके तल-स्पर्शी विद्वान् थे। जैन न्याय साहित्य पर सम्पादित उनकी कृतियोमे इसका स्पष्ट आभास मिलता है। "जैनदर्शन" नामकी उनकी मौलिक कृति उनकी असाधारण योग्यता व विषयकी पकड की परिचायक है। चालीस वर्ष पूर्व लिखित इस कृतिमे इस विषयपर बड़ी गम्भीरतापूर्वक ऊहापोह किया गया है जिसकी समानतामे आधुनिक अनेक कृतियाँ उस स्तर की नहीं बन पाई हैं।

यह समाजका दुर्भाग्य ही समझिये कि ऐसी असाधारण प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् अल्पायुमे ही काल-कवलित हो गया। उन द्वारा छोड़ा गया साहित्य आनेवाली पीढीको मार्गदर्शन व प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे विद्वान्को मैं विनयपूर्वक प्रणाम करता हूँ।

जिन महानुभावोने कृतज्ञतावश स्मृति-ग्रन्थके प्रकाशनका सकल्प किया है वे साधुवादके पात्र हैं।

बहुमुखी प्रतिभाके धनी

- समाजरत्न साहु अशोककुमार जैन, दिल्ली
अध्यक्ष भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी

डॉ० प० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्यकी पुण्य स्मृतिमें ग्रन्थ प्रकाशित करनेके लिए पुण्य उपाध्याय श्री जानामागरजीकी प्रेरणाको कार्यरूप देने पर मैं आपकी बधाई देता हूँ। अपने विद्वानोको समाप्त करना भारतीय सस्कृतिकी परम्परा है। वास्तवमें हम इस रूपमें अपने उन गुरुजनोके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जो अपने गहन ज्ञान, चिन्तन, मनन और माहृत्त्य-मर्जनसे मानव-समुदायका कल्याण करते हैं। आदरणीय डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य भी ऐसे ही एक सुप्रतिष्ठित मनीषी विद्वान् थे जिन्होंने अपने यशस्वी कृतित्व से धर्म, दर्शन और समाजकी भरपूर सेवा की। उनके इस उपकारको समाज कभी नहीं भुला पाएगी।

आपने लिखा है कि आदरणीय पण्डितजीके बारेमें मैं भी कुछ लिखूँ। लेकिन यह सब कुछ बहुत सहज नहीं। जो आत्मीय-जन हूँ और श्रद्धाका पात्र हो उसके प्रति भाव शब्दोंसे कम भक्तिसे अधिक व्यक्त होते हैं। पण्डितजीका व्यक्तित्व मेरे लिए ऐसा ही था। मैं शायद तब १०-११ वर्षका ही था जब उनके सम्पर्कमें आया और उनके उदार विचारों तथा गूढ़ विषयोंकी भी मरल, सुबोध भाषामें समझानेकी तर्क संगत शैलीका कायल हो गया। मेरे बाल-मन पर उनकी जा पड़ी छवि अंकित हुई उसमें आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा-भक्तिका पट था। वे अन्य विद्वानोंसे कुछ हट कर थे।

मैं कलकत्ता कालेजमें पढ़ने चला गया। विज्ञानको विषय चुना। हर पर्युषणमें बाबूजी विद्वानोकी धर्म-चर्चाके लिए घर आमन्त्रित करने थे। मुझे भी कई वर्ष तक पण्डितजीकी सुननेका सौभाग्य मिला। जैनधर्मके विषयमें उनका दृष्टिकोण अन्य पण्डितोंकी अपेक्षा उदारवादी तथा विषयोंकी विवेचना-शीली हृदय-प्राणी थी। मैं विज्ञानका छात्र था। धर्ममें तो आस्था प्रथान होती है पर विज्ञान तो हर बातको तर्ककी कसौटी पर कमतता है। मेरे मनमें भी अनेक शकौएँ थी-विज्ञान पर आधारित। पण्डितजीने न केवल उनका समाधान दिया। अपितु मेरे जिज्ञासु-मनमें यह बात बँठा दी कि जैनधर्म अत्यन्त वैज्ञानिक धर्म है।

मैं चकित था कि आइन्स्टीनने जिस "काल" को सबसे पहले अलग "आयाम" के रूपमें माना उनका उल्लेख हमारे जनाचार्य हजार वर्ष पहले कर चुके थे और उमें उन्होंने पृथक् "द्रव्य" के रूपमें माना था। आचार्य कह चुके थे कि किसी भी कार्यकी मिडिमें काल भी आवश्यक निमित्त कारण है। यही बात 'धर्म' और 'अधर्म' के बारेमें थी। न्यूनतमने इनके बारेमें जो बात प्रनिपादित की वे सब जैन-विद्वान्तोमें पहलेसे ही परिभाषित हैं। ये सारी बातें मुझे प० महेन्द्रकुमारजीके माध्यमसे समझनेका मौका मिला जिनसे एक विज्ञानका विद्यार्थी होनेके नाते जैनधर्ममें मेरी आस्था बढ़ी।

मेरी कई शकौएँ पुरुषार्थ और भाग्य जैसे विषयोंमें सम्बन्ध रखती थी। उन्होंने जैनदर्शनकी अनेकान्त शैलीसे तथ्योंको समझनेकी बात मझे समझायी कि किम प्रकार परस्पर विरोधी दिखनेवाली बातोंमें भी समन्वय हो सकता है। वे शुद्ध शास्त्रीय भाषामें न कह कर गुप्त भाषासे हमें समझाने थे। आज ऐसे विद्वानों की बहुत कमी है जो वर्तमान युवा पीढी व बच्चोंको जैनधर्मके बारेमें समझा सके। हमलोग समझते हैं कि हर प्राणीकी शुभ और अशुभ दोनों कर्मोंका फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो कम हो चुके हैं उनके बारेमें कुछ नहीं किया जा सकता और उनका फल भुगतना ही पड़ेगा। पर पण्डितजीने समझाया कि यह बात केवल अशत सत्य है। वास्तवमें जैनधर्ममें कर्म भाव प्रमान है और यदि भाव प्रबल है तो पिछले अशुभ

१८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

कर्मोंको शुभ कर्मोंमें बदला जा सकता है। पुरुषार्थमें इतनी शक्ति है कि वह भाग्यको भी बदल सकता है। वह नई दृष्टि मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रही।

पण्डितजी अल्पायुमें ही चले गए। उनके बारेमें पूज्य पिताजी और माताजीसे बराबर सुनता था कि उनके असाधारण निधनसे समाज और जैनदर्शनकी अपूरणीय क्षति हुई है। उनके उदार दृष्टिकोणसे मेरे माता-पिता बहुत प्रभावित थे। प्राचीन और विलुप्तप्राय जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनके लिए बाबूजी व माताजीने जब भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना की थी तो पण्डितजीको ही उसका कार्य भार मीपा था। वे यद्यपि कुछ ही वर्षों तक ज्ञानपीठसे जुड़े रहे पर अपनी प्रतिभा और ज्ञानसे उन्होंने ज्ञानपीठको शीर्ष साहित्यिक संस्था बनानेमें महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पण्डितजी अब नहीं हैं, बस उनकी स्मृतियाँ शेष हैं पर आज भी मुझे पण्डितजी सबसे हटकर उदार विचारोंके विद्वान् प्रतीत होते हैं जिनकी बातोंसे मेरे जीवनको बहुत लाभ हुआ।

वास्तवमें ५० महेन्द्रकुमारजी का सम्पूर्ण जीवन ही ज्ञानके मन्त्र और उनके विनरणकी प्रवाहमान मन्दाकिनीकी तरह था। इसमें जो भी नष्टाया, अज्ञानके कन्मवसे मुक्ति पा गया। जैन समाजकी प्रतिष्ठाको बढ़ाने वाले ऐसे ज्ञान-गौरवके प्रति मेरी हार्दिक श्रद्धाजलि। उनकी स्मृतिमें प्रकाशित होने वाले ग्रन्थके पोछे उपाध्याय श्री ज्ञानमागरजी महाराजकी प्रेरणा है। गुरुका आशीर्वाद गदैव कर्मणकारो होता है। मुझे विश्वास है कि बहुमुखी प्रतिभाके धनी डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्यके जीवनको उद्घाटित करनेवाला यह ग्रन्थ समाजको विशेषकर युवा एव ज्ञान-पिपासु वर्ग को निरन्तर प्रेरणा देता रहेगा।

मैं आपके इस प्रयासकी सफलताकी कामना करता हूँ।

सरस्वती के महान् उपासक

• साहू रमेशचन्द्र जैन, दिल्ली

कार्यकारी निदेशक-टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली

सोचता हूँ, विचारता हूँ कि एक फूल हर मीगार का बस रात भरका जीवन, सध्याके धुँधलकेमें बन्दोदयकी प्रथम किरणके साथ अठखेलियाँ करने हुए खिला और ऊषाकी गुदगुदाहटके साथ झर गया, पर मात्र एक रातके जीवनमें आस-पामके मारे वातावरणको सुवामित कर गया। डॉ० ५० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्यका जीवन भी कुछ ऐसा ही था। केवल ४७ वर्षकी अल्पायुमें उनकी साहित्यिक-प्रतिभाकी सुरभिने सुधी जगत्को एक छोरसे दूसरे छोर तक अपने आगोशमें ले लिया। वह मुगन्ध आज भी व्याप्त है और दर्शन तथा न्याय-शास्त्रके प्रेमियोंके मन-मस्तिष्कको सराबोर कर रही है।

मैं परम पूज्य युवा मनीषी उपाध्याय श्री ज्ञानमागरजी महाराजके चरणोंमें सादर वन्दन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे साहित्य-मूठटा और दृष्टाकी पावन स्मृतिको ग्रन्थबद्ध करनेकी प्रेरणा दी और आपको बघाई देता हूँ कि आप उस उपक्रमको फलीभूत कर रहे हैं।

डॉ० ५० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य हम शताब्दीके जैन-दर्शन और न्याय-शास्त्रके महान् विद्वान् थे। वे विलक्षण और बहुमुखी प्रतिभाके धनी थे। ज्ञान-पिपासु और विद्याके व्यसनी हम व्यक्तिता सम्पूर्ण जीवन ही ज्ञान-गरिमाकी कहानी हैं। पण्डितजीने अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन किया, दार्शनिक ग्रन्थोंकी सरल, सुबोध भाषामें टीकाएँ की और मौलिक ग्रन्थोंका सर्जन कर सरस्वतीके भण्डारकी श्रीवृद्धि की। उनकी दृष्टि खोजी थी। वाराणसीके प्रख्यात स्यादाद महाविद्यालयमें न्यायशास्त्रके प्राध्यापकके रूपमें पण्डित महेन्द्रकुमारजी को उस समयके जैनदर्शनके महान् विद्वान् ५० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीका सानिध्य मिला। सोनेमें सुपन्धकी

तपह् विद्या-व्यसनी जीवन पर अध्ययन-अध्यापनकी धार चढ गई और प्रतिभा निरन्तर पनीसे पनी होती गई। फिर तो अज्ञान-तिमिरकी न जाने किननी परने इस ज्ञानदीपने भेद डाली और ज्ञान पिपासुओका मार्ग प्रशस्त कर दिया। माहित्यके क्षेत्रमें अग्रणी मस्था भारतीय ज्ञानपीठसे पडितजी जब जुडे तो अपनी कुशलता और बौद्धिक प्रतिभासे उसकी कीर्तिको चार चाँद लगा दिए।

न केवल जैन समाज बल्कि सम्पूर्ण साहित्य जगत् इस विद्वान् मनोषीको उनके अमर कृतित्वसे सदैव याद रखेगा। आपका स्मृति ग्रन्थ उन सब व्यक्तियोंके जीवनको प्रेरणा एव स्फूर्ति प्रदान करेगा जा माँ सरस्वतीकी धीणाके तारोसे अकृत है। आपके इस सुप्रयासके लिए मेरी समस्त शुभनामनाएँ हैं। अन्तमें इस बन्दनीय व्यक्तित्वके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करने हुए ज्ञान-सूर्यको पुन प्रणाम करता हूँ।

असाधारण व्यक्तित्व के धनी

• श्री सुबोधकुमार जैन, आरा

डॉ० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य स्मृति ग्रन्थका प्रकाशन, एक ऐंसे कर्मठ और विद्वन्वर व्यक्तिकी स्मृतिको सजोकर रखनेका निणय है, जिसका जैन समाज ही नहीं अपितु भारतवर्षके विद्वत् समाजमें भरपूर स्वागत होगा।

इनकी मौलिक रचनाएँ और भारतीय ज्ञानपीठके उदयकालमें इनके द्वारा भारतीय ज्ञानपीठकी नीव को मजबूत बनानेका प्रयास कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

४७ वर्षकें अत्यायुमें इतना कुछ कर जाना साधारण बात नहीं है। वे सचमुच असाधारण व्यक्तित्वके धनी थे।

मैं उनकी स्मृतिमें अपनी सादर श्रद्धाजलि प्रेषित कर रहा हूँ।

अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व

• प्रो० उदयचन्द्र जैन, सर्वदर्शनाचार्य, वाराणसी

आदरणीय डॉ० प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न और विद्वज्जगतके जाज्वल्यमान नक्षत्र थे। आपने अपनी प्रतिभा और ज्ञानका जो विकास किया वह अनुपम तथा सबको आश्चर्यचकित करनेवाला है। आप विद्याव्यसनी तथा मर्यादन कलामें प्रवीण थे। आपने स्वादाद महाविद्यालय काशीमें न्यायाध्यापक पद पर रहने हुए न्यायाचार्य परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की, तथा श्री प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, श्री प० मुखलाजजी मधवी, श्री प० दलमुखजी मालवणिया आदि उच्चकोटिके विद्वानोके साथ घनिष्ठ सम्पर्क होनेके कारण मर्यादन कलामें अच्छी प्रवीणता प्राप्त कर ली। भारतीय ज्ञानपीठमें जाने के पहले ही आपके द्वारा प्रमेयकमलमार्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, अकलकयन्धत्रय और प्रमाणमीमांसाका संपादन और प्रकाशन हो चुका था। इससे जैन समाज तथा विद्वज्जगत्में आपकी अच्छी ख्याति हो गई थी।

यहाँ यह उल्लेख करना अप्रामाणिक नहीं होगा कि श्रीमान् साहू शान्तिप्रसादजी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमारानीजीने अग्रकाशित जैन बाङ्गमयके संरक्षण, संशोधन, सम्पादन और प्रकाशनके लिए सन् १९४४ में काशीमें भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना की थी। और उस समय ज्ञानपीठके सफल संचालनके लिए एक योग्य सचाङ्ककी आवश्यकता थी। तब प० जीकी योग्यता और विद्वत्तासे प्रभावित होकर साहूजीने प० जीको ज्ञानपीठके संचालक पदपर नियुक्त किया था। इसके साथ ही मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमालाका सम्पादन तथा नियामक भी बनाया था। ज्ञानपीठमें आ जानेपर प० जीने ज्ञानपीठकी प्रगतिके लिए बहुत परिश्रम किया और थोडे ही समयमें ज्ञानपीठके कार्यको बहुत आगे बढ़ा दिया।

२० : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

ज्ञानपीठमे प० जी ने ही सर्वप्रथम सम्पादन कार्य प्रारम्भ किया था। आपने अपनी उच्च प्रतिभाके बलपर जैनदर्शन और जैन न्यायके अनेक दुर्लभ ग्रन्थोंका आधुनिक शोधपूर्ण शैलीमें विद्वत्तापूर्ण सम्पादन किया है। आपके द्वारा सम्पादित ग्रन्थोंमें आपकी उच्चकोटिकी प्रतिभा स्पष्ट झलकती है। प० जीके द्वारा सम्पादित ग्रन्थोंसे तथा उन ग्रन्थोंकी प्रस्तावनाओंसे अनेक मौलिक तथ्योंका उद्घाटन होना है। अतः आपके द्वारा लिखित वैदुष्यपूर्ण प्रस्तावनाएँ विशेष रूपसे पठनीय, चिन्तनीय और मननीय हैं। आपके द्वारा सम्पादित ग्रन्थोंमें अधिकांश ग्रन्थ जैन न्यायके प्रतिष्ठापक आचार्य अकलकदेव प्रणीत हैं। और प० जीके द्वारा सम्पादित अधिकांश ग्रन्थोंका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हुआ है। जैनदर्शन तथा न्यायके अनेक उच्चकोटिके ग्रन्थोंके सम्पादनके अनिर्विकल्पक प० जीकी एक मौलिक कृति भी है जिसका नाम है—जैनदर्शन। इस कृतिमें जैनदर्शनके अनेक मौलिक तथ्योंका प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

उच्चकोटिके प्रतिभाशाली विद्वान्को अपने बीचमें पाकर जैन समाज गौरवान्वित हुई। किन्तु यह दुर्भाग्यकी ही बात है कि क्रूरकात्त ८८ वर्षकी अल्प अवस्थामें ही प० जी को जैन समाजसे छान लिया। यदि प० जी २०-२५ वर्ष और जीवित रहते तो आपके जावनमें वे अपने सम्पादन और लेखन द्वारा और भी अनेक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक तथा सामाजिक कार्य सम्पन्न करते किन्तु मन् १९५९ में उनके अनामयिक निधनसे जैन समाजको और विशेषरूपमें विद्वत्समाजकी जो महती क्षति हुई है उम्गी पूर्ति २६ वर्षका समय बौत जाने पर भी आज तक नहीं हो सकी है और न निकट भविष्यमें होने की सम्भावना है।

आदरणीय प० जी मेरे गुरुजी तथा पथप्रदर्शक रहे हैं। मैं श्री वीर दि० जैन विद्यालय पणोरासे व्याकरण मध्यमा उत्तीर्ण करके मन् १९४० में स्यादादा महाविद्यालय बाराणसीमें अध्ययनार्थ आया था। उस समय मेरे लिये यह बात विचारणीय थी कि शास्त्रीय कौन सा विषय लिया जाय। तब प० जीने अपनी दूरदृष्टिसे मुझे सुझाव दिया था कि किसी नवीन विषयको लेना ठीक रहेगा। अब उनके परामर्शसे मैंने बौद्धदर्शन विषय ले लिया। और क्रमशः बौद्धदर्शन शास्त्री तथा आचार्य कर्णिके बाद मैंने सर्वदर्शनाचार्य भी उत्तीर्ण कर लिया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प० जीसे मेरा घर जैसा निकटका सम्बन्ध रहा है। यही कारण है कि जब आप स्यादादा महाविद्यालय छोड़कर भागनोय ज्ञानपीठमें चले गये थे तब भी आवश्यकतानुसार घर पर मेरे अध्ययनमें महत्वपूर्ण सहयोग देने रहे। आपने मुझसे कह दिया था कि जब भी कुछ ममझना या पूछना हो तब निःसंकोच घर आ जाया करो। इमने मुझे बौद्धदर्शनके अध्ययनमें विशेष कठिनाई नहीं हुई।

यहाँ यह भी ज्ञापनीय है कि आदरणीय प० जी मुझसे विशेष स्नेह रखते थे और चाहते थे कि मैं उनके मार्गदर्शनमें सम्पादन कार्यका प्रशिक्षण प्राप्त करूँ। अतः प० जीने सम्पादन कार्य मोखनेके लिए मुझे भारतीय ज्ञानपीठने विशेषवृत्ति दिलवाई थी। उस समय प० जी तत्त्वार्थवृत्तिका सम्पादन कर रहे थे और मैंने प० जीके निर्देशानुसार तत्त्वार्थवृत्तिके सम्पादन कार्यमें प० जीको सहयोग दिया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मैंने सम्पादनके समय तत्त्वार्थवृत्तिका हिन्दी सार लिखा था जो मूलग्रन्थके साथ १८३ पृष्ठोंमें मुद्रित है। इस हिन्दी सारमें तत्त्वार्थसूत्र पर श्रुतसागरसूत्रिका जो विवेचन है वह प्रायः पूरा सङ्गृहीत है और संस्कृत न जानने वालोंके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तदनन्तर भारतीय ज्ञानपीठसे तत्त्वार्थवृत्तिका प्रकाशन होने पर उसके मूल पृष्ठपर प० जीने अपने नामके साथ मेरा नाम भी महायकके रूपमें दिया है। ऐसी ही प० जीकी उदारता और सदाशयता।

स्मृति ग्रन्थके प्रकाशनसे प० जीकी विद्वत्ता और कार्यमें प्रेरणा प्राप्त होगी।

पूज्य प० जीके चरणोंमें अपने श्रद्धासुमन समर्पित करता हुआ उनको शत-शत वन्दन करता हूँ।

उस्कट मनीषा के धनी

• श्री नीरज जैन, सतना

भारतीय ज्ञानपीठके माध्यमसे जैन आगम या पुराण-ग्रन्थोका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। शानोदय भी इस दिशामें नियमित प्रगति कर रहा था। उम समय श्रीमान् साहू शान्तिप्रसादजीने जैन पुरा-विद्वाकके प्रचार-प्रसारके बारेमें कोई योजना बनानेके लिये परामर्शके विचारसे कुछ विद्वानोको कलकत्ते बुलाया था। तब भारतीय ज्ञानपीठ बनारसने ही सञ्चालन होती थी। मैंने बनारस होकर ही कलकत्ता गया था। उस यात्रामें प० महेन्द्रकुमारजीसे मेरा कुछ निकट परिचय हुआ। इसके पूर्व सागरमें उनसे मिलनेका और उनके जगम ज्ञानकी बानगी देखनेका अवसर मिल चुका था, परन्तु निकटता उनसे नहीं हुई थी।

तीन-चार दिनोंके समागममें अनेक विषयोपर बहुत सी चर्चाएँ होती रहीं। साहूजी और उनके सहयोगी श्री अयोध्याप्रसादजी गोपलीयने एक रूपरेखा बनाकर उसमें स्बद्ध कुछ प्रश्न चुन रखे थे। उन्हींपर चर्चा होती रही। मूल अभिप्राय यह था कि स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रित पाण्डुलिपियोंके क्षेत्रमें विगम्बर परम्पराकी कलाकी पृथक पहिचान दिलानेका क्या उपाय हो सकता है।

तब मैंने पहली बार प० महेन्द्रकुमारजीके गहन पाण्डित्यकी यथार्थ झलक पहली बार देखी। कहना कठिन था कि उनकी विशेषज्ञता किस विषयमें है। वैसे तो वे जैन न्यायके पारगम विद्वानके रूपमें जाने जाते थे, परन्तु उस यात्रामें मैंने देखा कि चर्चा चाहे साहित्य पर हो, या कला हमारी वार्ताका विषय हो, न्यायका गहन प्रकरण हो या भक्तिका सरल-सा सवर्भ हो, महेन्द्रकुमारजी उसपर अत्यन्त सटीक टिप्पणी करते थे। उनकी दृष्टि उदार थी और उन्हें देश-कालका अच्छा अध्ययन था। वे वैचारिक सहिष्णुताके पक्षधर तो थे, पर सिद्धान्तके प्रति उनमें कोई लचीलापन नहीं था। सिद्धान्त-रक्षाको वे जीवन-रक्षाकी तरह आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते थे और उसपर टससे भ्रम होनेको तैयार नहीं थे। उनमें अपनी दृढ़ मान्यताओको, असहमत व्यक्तियोंके समक्ष, नम्रतापूर्वक कहनेकी सहज सामर्थ्य थी। “मनभेद” रहित “मतभेद” पर अडिग बने रहना शायद उनके व्यक्तित्वका सबसे चमकदार पहलू उन दिनों मैंने लक्ष्य किया।

कुछ समय बाद गुरुवर पूज्य न्यायाचार्य क्षुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णा महाराजके चरण-सान्निध्यमें उनके साथ कुछ समय बितानेका अवसर प्राप्त हुआ। शायद दो दिन तक अकलकदेवके अवदानके बारेमें दोनों न्यायाचार्योंमें गहन चर्चा होती रही। न्यायका विषय मेरे लिये आज भी दुःख है, उन दिनों तो उसका तात्पर्य समझना भी मेरे लिए कठिन था, पर, मुझे उस चर्चामें जो आनन्द आया और पण्डित महेन्द्रकुमारजी की ज्ञान-निधि की जो चमक मैंने उन दो दिनोंमें देखी उसने मुझें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने मेरे साथ भाई जैसा ही स्नेहपूर्ण व्यवहार किया परन्तु मेरे लिए आदरणीय और एक विलक्षण प्रतिभावाले विद्वान्के रूपमें मान्य रहे। बादमें प्रसंगवश दो बार मेरे घरपर भी उन्होंने आतिथ्य ग्रहण किया।

उनके द्वारा अनूदित विशाल-विशाल ग्रन्थोंकी शोधपूर्ण प्रस्तावनाओमें जहाँ उनके तलस्पर्शी आगम-ज्ञानका परिचय मिलता है वहीं दूसरी ओर उनकी अमर मौलिक कृति “जैनदर्शन” में उनकी पनी दृष्टि तथा देव-शास्त्र-मुक्तके प्रति उनकी अडिग भास्या विश्वादी देता है। मेरी ऐसी कुछ मान्यता है कि न्याय-ग्रन्थोका अनुवाद और सम्पादन महेन्द्रकुमारजीके मस्तिष्कको सम्बन्धनाका परिचायक है परन्तु “जैनदर्शन” में उनका हृदय ही घडकता है। वह ग्रन्थ उनके ज्ञानमें से नहीं उनको आस्वासे से स्रजित हुआ है। वह उनकी कालजयी रचना है और यदि उसका प्रचार-प्रसार युगानुरूप होना रहा तो वही कृति महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यको दीर्घकाल तक जैन-जान-मानसमें जीवित रखेगी।

बस, यही शब्द-सुमन समर्पित करके मैं उनकी स्मृतियोंको प्रणाम करता हूँ।

वे उद्भट विद्वान् थे

- पं० प्रकाश हितेशी शास्त्री, देहली

डॉ० महेंद्रकुमारजी न्यायाचार्य एक विशिष्ट विद्वान् थे। अध्ययन-मनन-लेखन एवं सम्पादन कार्यमें आपकी विशेष रुचि थी। अधिक समय तक पारिवारिक सुख माधनक अभावमें भी आपका लेखन कार्य चलता रहता था। न्याय विषयमें तो पूर्ण पारंगत विद्वान् थे। उन्होंने न्यायकुमुद, अकलकग्रन्थत्रय, प्रमार्श-मीमांसा, प्रमेयकमलमासंख्य, तत्त्वार्थवृत्ति, न्यायविनिश्चयविवरण, राजवातिक-सिद्धिविनिश्चय जैसे न्यायके उच्चकोटिके ग्रन्थोंका सम्पादन एवं हिन्दा टीका, प्रस्तावना आदि लिखकर अपना अरुं ज्ञान प्रतिभाका महान् परिचय दिया था। एव जैनदर्शन एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखकर द्वादशांगका सार उसमें आपने भर दिया था। वे चतुर्मुखी प्रतिभाके धनी थे। अनेक महत्त्वपूर्ण पदोपर रहकर उनका विद्वत्पूर्ण निर्वाह किया। भारतीय ज्ञानपोठके सचालक रहकर एक उच्चस्तरीय माहिस्यिक पत्रिका ज्ञानोदयका सम्पादन भी किया। इस प्रकार वे देश, धर्म, समाजकी सेवामें अग्रणी रहे हैं। विद्वानोंके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं।

अट्ट तेजस्वी व्यक्तित्व

- डॉ० भागचन्द्र जैन "भास्कर", नागपुर

पं० महेंद्रकुमारजी न्यायाचार्य एक अट्ट तेजस्वी व्यक्तित्वके धनी महाविद्वान् थे। उनका स्वाभिमान भरा पाण्डित्य, पारम्परिक विद्वत्ता भरा अगाध वैदुष्य, प्रतिभा और चिन्तनसे आपूर लेखन तथा सहयोगी मीठा व्यवहार सहाय्यायियों और समर्थियोंके बीच ईर्ष्याका कारण बना गया था। दूरदराज खुरई (सागर, म० प्र०) में जन्मे पं० जीने अपने ही अध्ययनसाय और श्रमसे जो प्रतिष्ठा पाई वह आज भी अन्य किसीके लिए दुर्लभ रहती है। उन्होंने अपने सधर्ष भरे जीवनमें सिद्धान्तोंसे कभी समझौता नहीं किया। यह उनके व्यक्तित्वकी बड़ी भारी विशेषता थी।

मुझे पं० जीके पास बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयीय संस्कृत महाविद्यालयमें शास्त्राचार्यके कतिपय प्राचीन जैन-बौद्ध-न्यायके ग्रन्थोंको पढ़नेका अवसर मिला। उनकी अध्यापन शैली बड़ी आकर्षक और स्नेहिल थी। न्यायके शुद्ध पारिभाषिक शब्दोंको वे हतनी सरल शैलीमें समझा देते थे कि छात्रकी परोक्षकी तैयारी स्वतः हो जाती थी। दुर्लभ विषयको सुगम बना देना उनकी अध्यापन पद्धति की अन्यतम विशेषता थी।

जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों परम्पराओंके वे कुशल दार्शनिक अभ्येता थे। उनके लेखनमें तुलनात्मक अध्ययन क्षलकता था। सिद्धिविनिश्चय टीका आदि जिन ग्रन्थोंका भी उन्होंने सम्पादन किया वे आज भी सम्पादन कलाके लिए मानदण्ड सिद्ध हो रहे हैं। उनकी सम्पादन शैली अनुकरणीय थी। चाहता था, इस विषयपर कुछ लिखूँ पर समयाभावके कारण लिख नहीं सका। हाँ, मैंने अपने अनेक व्याख्यानोमें इस तथ्यको उनके सम्पादित ग्रन्थोंसे उद्धरण देकर स्पष्ट अवश्य किया है कि प्राचीन ग्रन्थोंका सम्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए। पाठ निर्धारण तथा काल निर्णय की उनकी क्षमता बेजोड़ थी।

पं० जीके अवसान हुए लगभग पैंतीस वर्ष गुजर चुके, पर आज भी उनसे रिक्त जगह सूनी पड़ी हुई है। इस अपूरणीय क्षतिके जिम्मेदार कर्दाचित् हम लोग ही हैं। पण्डित परम्पराकी अक्षुण्णताका प्रसन्न जिस बेरहमीसे हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसने पं० जीके व्यक्तित्वसे कुछ मीखनेके लिए हमें मजबूर कर दिया है। काश, उनकी विद्वत्ताका कुछ अंश भी हमारी पीढ़ी ग्रहण कर लेती तो तुलनात्मक अध्ययन तथा प्राचीन ग्रन्थोंके सम्पादनमें हममेंसे अनेक लोग उनके शेष कार्यको किसी मीमा तक पूरा कर चुके होते।

उन्हें विनम्र प्रणाम कर मैं अपनी आदराब्जलि व्यक्त करता हूँ।

अखर प्रतिभाशाली

• डॉ० चेतनप्रकाश पाटनी, जोधपुर

प्रोफेसर महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्यका नाम स्मृति पटलपर आते ही उन साहित्यिक-दार्शनिक व्यक्तित्वको छवि मूर्त होती है जिसने बौद्धिक जगत्में जैनधर्म और दर्शनके सम्बन्धमें प्रचलित भ्रातियोका निवारण कर उसकी महनीय देनको विद्वद्जगत्के सम्मुख प्रस्तुत किया। अखर प्रतिभाके घनी डॉ० जैनने अपने अल्पकालीन जीवनमें धर्म, दर्शन, साहित्य, समाज और देशकी जो सेवा की है वह अनुपम है। उनका साहित्यिक अवदान सश्रद्ध अभिनन्दनीय है।

न्यायाचार्य, न्यायविदाकर आदि पदवियोसे विभूषित प्रोफेसर जैन अपने विषयके परिनिष्ठित विद्वान् थे। अनेक प्राचीन दुष्कृष्ट दार्शनिक ग्रन्थोंका उन्होंने बड़ी कुशलतासे सम्पादन किया। न्यायविनिश्चय विवरण, प्रमेयकमन्त्रमातृष्ट, तत्त्वार्थवृत्ति, तत्त्वार्थवार्तिक आदि गम्भीर एवं विलम्ब कृतियोका सम्पादन उनके गहन अध्ययन, विषय-मर्मज्ञता और सम्पादन-कुशलताका साक्षात्कार कराता है।

महापण्डितो, दार्शनिको और विद्वानोके अनेकान्त और स्माद्वाद विषयक भ्रान्त विचारो की उन्होने तीव्र आलोचना की और उनकी भ्रान्त धारणाओको निर्मूल सिद्ध किया। उनकी पीडा थी कि प्रायः लोग जैनधर्म और दर्शनको साम्प्रदायिक दृष्टिसे ऊपर उठकर नही देखते। यह दृष्टि दृष्टि है। उनकी मान्यता थी कि "दर्शनके क्षेत्रमें दृष्टिकोणोंका भेद तो स्वाभाविक है, परन्तु जब वे मतभेद साम्प्रदायिक दृष्टियोकी जडमें चले जाते हैं, तब वे दर्शनको तो दूषित कर ही देते हैं, साथ ही स्वस्थ समाजके निर्माणमें बाधक बन देशकी एकताको छिन्न-भिन्न कर विश्वशान्तिके विघातक हो जाते हैं।"

जैनदर्शन और धर्मके सम्बन्धमें प्रचलित साम्प्रदायिक सकीर्ण विचार सदैव उनकी चिन्ताके विषय रहे। अपनी सम्पादित कृतियोकी विस्तृत प्रस्तावनाओमें उन्होने इनका निराकरण करनेका भरसक प्रयास किया और फिर इसी क्रममें महापण्डित राहुल साकुल्यायनके उदाहनेमें प्रेरणा प्राप्त कर उन्होने 'जैनदर्शन' नाम की महत्त्वपूर्ण रचना का सूत्रन किया। व्यापक और तुलनात्मक दृष्टिसे जैनदर्शनके स्वरूपको स्पष्ट करने वाली यह कृति अपनेमें मौलिक, परिपूर्ण और अनूठी है।

समाजमें नियतिवादके एकान्तसे प्रसारित होने वाली पुरुषार्थहीनता भी उनकी गहन चिन्ताका विषय थी। उन्होने अपनी सबल लेखनीसे नियतिवादको दृष्टिविष कहने हुए इस मिथ्या एकान्त धारणाका प्रबल शब्दोमें खण्डन किया। मैं उनके शब्दोकी यहाँ उद्धृत करनेका लोभ सवरण नहीं कर पा रहा हूँ। 'तत्त्वार्थ-वृत्ति' की प्रस्तावनामें उन्होने लिखा—

"यह नियतिवादका कालकूट 'ईश्वरवाद'से भी भयकर है। ईश्वरवादमें इतना अवकाश है कि यदि ईश्वरकी भक्ति की जाय या सत्कार्य किया जाय तो ईश्वरके विधानमें हेरफेर हो जाता है। ईश्वर भी हमारे सत्कर्म और दुष्कर्मोंके अनुगार हो फलका विधान करता है। पर यह नियतिवाद अमेघ है। आश्चर्य तो यह है कि इसे 'अनन्त पुरुषार्थ' का नाम दिया जाता है। यह कालकूट कुण्डकुण्ड, अघ्यात्म, सर्वज्ञ, सम्पूर्णदर्शन और धर्मकी शक्करमें लपेट कर दिया जा रहा है। ईश्वरवादी संपके जहरका एक उपाय (ईश्वर) तो है पर इस नियतिवादी कालकूटका, इसी भीषण दृष्टिविषका कोई उपाय नहीं है क्योंकि हर एक ब्रह्मकी हर समयकी पर्याय नियत है।

"सर्मान्त वेचना तो तब होती है जब इस मिथ्या एकान्तविषको अनेकान्त अमृतके नामसे कोमलमति नयी पीड़ीकी पिलाकर उन्हें अनन्त पुरुषार्थो कहकर सदाके लिए पुरुषार्थ विमूक्त किया जा रहा है।"

तत्त्वज्ञ प्रोफेसर सा० की पीडा सर्वथा चिन्तनीय है कि विश्वके सम्मुख 'अनेकान्त'का आवर्ष प्रस्तुत करने वाले जैनदर्शनसे ये कैसे एकान्तके स्वर उठ रहे हैं और इनसे कैसे और कितनी हानि होने वाली है, इसका किसीको अनुमान नहीं है। मम्मलि वेदनासे आहत होकर प्रो० जैन इन शब्दोंमें अपना 'विनम्र निवेदन' प्रस्तुत करते हैं—

‘मेरा यही निवेदन है कि हम सब समन्तभद्रादि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित उभयमुखी तत्त्व-व्यवस्था-की समझें। कुन्दकुन्दके अध्यात्ममें अहंकार और पर-कर्तृत्व भावको नष्ट करें, कार्तिकेयकी भावनासे निर्भयता प्राप्त करें और अनेकान्त दृष्टि और अहिंसाके पुरुषार्थ द्वारा क्षीघ्र ही आत्मोन्नतिके असीम पुरुषार्थमें जुटें। भविष्यको हम बनायेंगे, वह हमारे हाथमें है। कर्मोंके उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीरणा, सक्रमण, उद्वेलन आदि सभी हम अपने भावोंके अनुसार कर सकते हैं और इसी परम स्वपुरुषार्थकी घोषणा हमें इस छन्दमें सुनाई देती है—

‘कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान विन कर्म झरें जे ।

ज्ञानोके छिनमाहि, त्रिगुणित तैं सहज टरें ते ॥ ४ । ४ ॥

—पं० दौलतरामकृत छहठाला

भारतीय दर्शनोंके गम्भीर अध्येता, अनेकान्त और स्याद्वादके प्रबल पक्षधर, निर्भीक लेखक, प्रवीण सम्पादक, प्रखर दृष्टि और अद्भुत प्रतिभाके धनी उम महनीय व्यक्तित्वको मैं सद्यः नमन करता हूँ ।

महान् दार्शनिक मनीषी

• श्री जवाहरलाल जैन एवं श्रीमती कैलाश जैन, भीडर

परम आगमभक्त श्रीमान् अप्राप्तवार्षिक्य, महान् दार्शनिक, न्यायनिपुण, अज्ञातशत्रु श्री प० महेन्द्र-कुमारजी न्यायाचार्य, प्राचीन न्यायतीर्थको कौन नहीं जानता ? हमने उनके दर्शन करनेका मौभाग्य नहीं प्राप्त किया तथापि उम मत्पुरुषके प्रति हमारा श्रेष्ठ हार्दिक (न कि शाब्दिक) सम्मान है। क्योंकि जब जयधवला जैसे ग्रन्थराजकी पहली पुस्तक हम खोलने हैं उस महामानवका स्मरण हो आता है। इन्होंने ही तो जयधवलाजी की आद्य पुस्तकके सम्पादक होनेका मौभाग्य प्राप्त किया था। उसमें लगाये हुए न्याय-शास्त्रीय बहुमूल्यक टिप्पण आपके ही हैं। गुरुजी पंडित फूलचन्द्रजी कहते थे—‘मैं जयधवलाका अनुवाद करता जाता था साथ ही साथ पं० कैलाशचन्द्रजी उसे देखते जाते थे और प० महेन्द्रकुमारजी टिप्पण लगाते जाते थे ।’ प्रथम पुस्तक न्यायशास्त्रीय प्रकरणसे सभूत-आपूर्णा है।

स्याद्वाद सम्बन्धी प्रकरणोंको ढूँढनेके सिलसिलेमें हमने आपका ‘जैनदर्शन’ देखा तो आपके न्याय शास्त्रीय तलस्पर्शी ज्ञानसे हमें सम्पर्क हुआ। आप वस्तुतः अपने कालके—इस शतीके श्रेष्ठ न्यायज्ञ गिने जाने योग्य हैं। आपके सम्पादनमें कोई भी विद्वान् प्रश्नचिह्न नहीं लगाता। पूज्य १०५ महाविदुषी सुभाषर्वमति-माताजीने राजवार्तिकका अनुवाद किया तो राजवार्तिक मूलके महेन्द्रकुमारीय सम्पादनको ही प्रामाणिकतम माना।

आपने सदा ही आर्ष कथनको ही मुख्यता दी।

हम दिवगत प्राज्ञके प्रति ‘अपनी स्नेह-स्मृति-पटलकी मंजुल रेखाओं पर आपका नाम सदैव लिखे रखेंगे’, यही श्रद्धाञ्जलि सम्प्रेषित करते हैं।

वरिष्ठ एवं गरिष्ठ साहित्यसेवी

• श्री शिवचरनलाल जैन, मैनपुरी

डॉ० पं० महेश्वरकुमार जैन न्यायाचार्य जैनदर्शन जगत्की महानतम विभूतियोंमें एक थे। कवित्वरूप से वर्तमान लौकिक अन्यायपूर्ण युगमें न्याय-दर्शन तो न्यूनतम रूपसे आध्यात्मिक क्षेत्रमें विद्यमान है ही। इस न्याय दीपके प्रकाशमें जीवनपथके लिए संबल मिलता है। जैन-न्याय-दीपकी भूमिकामें पं० महेश्वरकुमार न्यायाचार्यने बस्तीके रूपमें कार्य किया। बस्तीकी तरह वे सरस्वती मांके वैभव-प्रसारके लिए बले, तीव्र गतिसे बले और मात्र ४७ वर्षकी अल्पायुमें इस नद्वर विश्वमें चले गये। इतना काम कर गये कि न्यायका रूझ और सूक्ष्म विषय भी मेधावी जन-समुदायको आकर्षित करने लगा। जैनेतर दार्शनिक वर्तमान जगत्में जैन-दर्शनको यथोचित सम्मान दिलानेका उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया। जैन-बौद्ध विद्याका एकाकी संघम यह महान् विद्याशरीरी पुरोधा युगो-युगो तक स्मरणीय रहेगा।

विश्वविद्यालयीय क्षेत्रोंमें वे अग्रणी कार्यरत रहे। न्याय एवं दर्शनके तुलनात्मक अध्ययनके वे प्रचार-प्रसारक विद्यापुंज थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। लेखन, सम्पादन, अध्ययन, अध्यापन, टीका-टिप्पण आदि सभी क्षेत्रोंमें उनकी पैठ थी। 'जैनदर्शन' उनकी अमर मौलिक कृति है। पं० श्रीमहाशचन्द्रजी का जैन-न्याय और इनका 'जैनदर्शन' दोनों चन्द्र-सूर्य की भांति दार्शनिक आकाशमें जाण्वल्यमान प्रकाश पुंज हैं।

मुझे उनके दर्शनका मौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ किन्तु ऐसा लगता है कि अपनी अमर कृतिमेंकि माध्यमसे 'कृति शरीर' रूपमें मेरे सामने विद्यमान हैं। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम भी उनके समान ही परिश्रम कर उच्चसे उच्च ज्ञान-पद प्राप्त करें।

निर्लिप्त साधक संत

• श्री सत्यधरकुमार सेठी, उज्जैन

मैं आरम्भसे ही माननीय डॉ० साहबके जीवनसे और उनकी महान् साहित्यिक सेवाओंमें प्रभावित हूँ। कई बार मैंने उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी किये हैं। उनके विचारोंमें जैनदर्शन और साहित्यिक प्रति उच्च कोटिकी भावनाएँ ही जिनको सुनकर मानव एक क्षणमें जैन जीवनके प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकना था। वे एक उच्च कोटिके आदर्श अध्येता विद्वान् थे। जिसका स्पष्ट उदाहरण है उनके छोटेसे जीवनमें की गईं माँ जिनबागोकी सेवामें। वे न्याय शास्त्रके तो अद्वितीय विद्वान् थे ही लेकिन जैनदर्शनके अन्वेषणपर भी उनके अध्ययन पर गहरा अधिकार था। जिसका स्पष्ट उदाहरण है उनके द्वारा सम्पादित-मौलिक कृतियाँ।

माननीय डॉ० साहब साहित्य सेवामें जितने संलग्न थे इसका स्पष्ट प्रमाण यही है कि छोटेसे जीव-नमें उन्होंने अनेक ग्रन्थोका संपादन करके अपने व्यक्तित्वका परिचय दिया। सच कहा जाय तो वे गृहस्थ जीवनमें भी एक साधक पुरुष की तरह उनका जीवन था। उनके जीवनमें कई बाधाएँ आईं। फिर भी वे एक अटल साधककी तरह साहित्यिक सेवामें जुटे रहे। उनका जीवन निर्लिप्त साधक संतकी तरह था। ऐसे महामानव एवं आदर्श विद्वान्के प्रति हम जा भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वे भी अति अल्प हैं। मैं ही यही भावना है कि उन महाविद्वान्के पथपर चलते हुए हम भी उन्हींके अनुरूप जैनधर्म और जैन साहित्यके प्रचार और प्रसारमें अपना जीवन अर्पित करते रहे।

२६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

उनका गुणगान ही वास्तविक श्रुत-आराधना

• पं० बालचन्द्र काव्यतीर्थ, नवापाराजिम

आदरणीय पूज्य डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यको आज स्मरण करते हुए बरबस ही हृदय अकथनीय श्रद्धासे भर उठता है। डॉ० साहब ऐसे जाज्वल्यमान रत्न थे जिनने जैन न्याय-दर्शनको देश, विदेशमें अपनी लेखनी द्वारा पुनः स्थापित किया। उनके द्वारा जटिल एवं दुरूह ग्रन्थोका जो सम्पादन एवं उन ग्रन्थोकी प्रस्तावना लिखी गई है उससे आज सामान्य जन भी दुरूह विषयको सरलनासे समझ लेने हैं।

यह उनकी प्रतिभा की देन है कि आज वे दुरूह गम्भीर विषय पाठ्यक्रममें स्थान पा सके हैं। यह डॉ० साहबके श्रमका ही फल है कि हमें आज पूज्य आचार्य अकलकदेवकी महिमाका बोध इनकी सम्पादित टीकाओंसे हुआ। जैनधर्मके जिज्ञानुओके लिए उनकी कृति 'जैनधर्म' ही पर्याप्त है।

समाजके नवयुवकोके लिए डॉ० सा०का जीवन एक ज्वलत उदाहरण है कि व्यक्ति युवा अवस्थामें 'जो ठान ले' वह बन जाता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उस दिशामें उसकी लगन और पुरुषार्थ बराबर बना रहे।

सस्वती पुत्रका स्मृति ग्रन्थके प्रकाशनसे अपने आपको गौरान्वित अनुभव कर रहे हैं। उनका गुणगान ही हमारी वास्तविक श्रुत आराधना है।

न्याय-जगत्के जाज्वल्यमान नक्षत्र

• डॉ० सुदीप जैन, दिल्ली

स्वनामचम्य विद्वद्वर्य डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यका 'स्मृति ग्रन्थ' प्रकाशित होने जा रहा है, यह उस महान् व्यक्तित्वके अगाध पाण्डित्य एवं उज्ज्वल कृतित्वके प्रति एक विनम्र श्रद्धाञ्जलि होगी। विलम्बमें ही सही, किन्तु जैन विद्वज्जगत्ने उनकी सुघ ली है—यह हर्ष का विषय है।

आप जैसे वर्तमान जगत्के विश्रुत न्यायवेत्ता मनीषीके द्वारा आदरणीय डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य सपुत्र बीसवीं सदीके न्यायजगत्के जाज्वल्यमान नक्षत्रके प्रति जो निष्ठा एवं सूक्ष्म परस्पर पूर्वक उनके प्रति जो भी प्रकाशन किया जायेगा, वह अपने आपमें तथ्यपरक एवं अधिक सार्थक होगा—ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

भट्टाकलकदेव प्रणीत 'सिद्धिविनिश्चय' एवं 'न्यायविनिश्चय' जैसे गूढ एवं गम्भीर न्याय ग्रन्थोका हार्द डॉ० महेन्द्रकुमारजी की विशद प्रस्तावनाओके अध्ययन के बिना समझ पाना अत्यन्त दुष्कर प्रतीत होता है। सम्पूर्ण जैनजगत् कि वे अमूल्यनिधि थे। यद्यपि मुझे डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यके प्रत्यक्ष दर्शनोका सौभाग्य कभी नहीं मिला, किन्तु उनके गरिमामयी कृतित्वके अवलोकनसे उनके आक्षिप्तजविस्तोण व्यक्तित्व एवं ज्ञानगरिमाका भलीभाँति बोध होता है।

वर्तमान प्रसंगमें उन जैसे महान् चिद्धान्के प्रति वास्तविक विनयाञ्जलि यही होगी कि हम उनके अनुपलम्ब प्रायः कृतियोंको, तथा यदि कोई उनके द्वारा लिखित/संपादित/अनूदित कृति हो, तो उसको भी प्रामाणिक रूपसे डॉ० साहबकी गरिमाके अनुरूप प्रकाशित कराया जाय एवं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्वका विशद अनुशीलनपूर्वक उसे भी पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाये।

इस सुअवसर पर मैं भी उन महान् न्यायविद् विद्वद्वरेण्यके प्रति अपनी विनम्र प्रणामाञ्जलि प्रस्तुत करता हूँ।

जो सदा चमकते रहेंगे ?

- प० सागरमल जैन, विदिशा

जैन साहित्य, इतिहासकी शीवृद्धि करनेवाले भी अपने पीछे जो छोड़ गये वह धरोहर आज उन्हें जीवित रखे हुए हैं, उन्हींमें से एक है डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य। ४७ वर्षके जीवन कालमें जितना दे गये उस धरोहरको ये समाज-शास्त्र भण्डार इतिहासके रूपमें सदा स्मरण करती रहेगी, पूज्य उमास्वामी एवं अकलंकदेवके श्रीचरणोंमें जिनने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किये हैं, वे स्वयं ही अमर हो गये। इस शताब्दीमें जैनदर्शन पर जितना शोधपूर्ण साहित्य जिनके द्वारा दिया गया है उनमें प्रमुखतासे न्यायाचार्य डॉ० महेन्द्र-कुमारजी का नाम सर्वोपरि है। इस खोये हुये महा विद्वान्को पुनः समाजमें लानेका श्रेय परमपूज्य उपाध्याय मुनिवर ज्ञानसागरजी महाराजश्री को है।

मैं अपने जीवनकालमें उनके दर्शन नहीं कर पाया किन्तु उनके द्वारा दिये गये दर्शन शास्त्रोका सरलतासे अध्ययन करनेका अवसर अवश्य मिला। ऐसे महामानवके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते समय मैं अपनेको धन्य मान रहा हूँ।

न्यायशास्त्र के अद्वितीय विद्वान्

- मिर्घई सुमेरुचन्द्र, जबलपुर

प० जी बुन्देलखण्डकी महान् विभूति थे। उन्होंने न्यायविद्याके विषयपर पाण्डित्यपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था और अपनी लेखनीमें जिन प्रयोका सम्पादन किया था वह अभूतपूर्व था। उनकी तर्कणा शक्ति इतनी प्रबल थी कि बड़े-बड़े विद्वान् भी लोहा मानते थे। ऐसे मनीषीके प्रति अपनी श्रद्धाजलि समर्पित करता हूँ।

सादा जीवन और उच्च विचार के धनी

- श्री महेन्द्रकुमार मानव, छतरपुर

यह मेरा मौभाम्य रहा है कि मुझे अपने जीवनमें विद्वानों, महापुरुषों, राजनेताओं, स्यागियों एवं तपस्वियोंसे मिलन का अवसर मिला है। प० महेन्द्रकुमारजीसे भेट वाराणसीमें उनके घर पर ही हुई थी। जैन न्यायपर पंडितजीके अवदानकी तुलना किसी अन्यसे नहीं की जा सकती। वह अनुलनीय है। जैन न्याय-पर पण्डितजी ने जिन ग्रन्थोंकी रचना की है उन्हें देखकर यह सहज विश्वास नहीं होता कि यह समग्र एक विद्वान्का कृतित्व है। प्रत्येक व्यक्तिके साथ घर गृहस्थीकी झगड़ें तो रहती ही हैं इन सबके बावजूब पण्डित जीने जैन न्यायके अनुशीलनके लिए कितने रात्रि जागरण किए होंगे इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जैन विद्याके अध्ययनके लिए पूज्य वर्षाजीने वाराणसीमें स्थापित विद्यालय न खोला होता तो इधर वर्षोंमें जैन विद्याकी जितनी प्रगति हुई है वह न हुई होती। जैन विद्याको आगे बढ़ानेमें बुन्देलखण्डके छात्रोंने जो योगदान किया है वह भी स्मरणीय है। पूरे भारतकी जैन समाजके लिए बुन्देलखण्डने जितने जैन पण्डित दिए हैं उनकी सख्या प्रचुर है। उनमें प० महेन्द्रकुमारका नाम शीर्षपर है।

विद्वत्ताके साथ पण्डितजी की विनम्रता स्पृहणीय थी। अपनी मिट्टीसे उनको बहुत लगाव था। बुन्देलखण्डका कोई शोधार्थी उनके पास पहुँच जाता तो पण्डितजी अपने स्नेहसे उसे अभिसिन्धित कर देते। पण्डितजी सादा जीवन उच्च विचारमें विश्वास रखते थे। ऐसे महामानके प्रति विनम्र श्रद्धाजलि।

३८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

इस शताब्दी के महान् विद्वान्

• श्री राजकुमार सेठी, कलकत्ता

डॉ० महेन्द्रकुमार जैनसे न्यायशास्त्रमें दुर्लभसे दुर्लभ ग्रन्थोंका सम्पादन कर जो महान् कार्य किया है उसके लिए उनके प्रति जिनकी भी कुनजना ज्ञापित की जाय वह कम ही होगी। वे इस शताब्दीके महान् विद्वान्में से हैं। ऐसे विद्वान्को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने हुए उनके स्मृति ग्रन्थोंका गफताके लिए कामना करता हूँ।

शुभकामना

• डॉ० शशिकान्त जैन, लखनऊ

डॉ० महेन्द्रकुमारजी पित्तजी (डॉ० ज्योतिप्रसादजी जैन) के मित्र थे और उन्हें गुरुवत् सम्मान एवं श्रद्धा देते थे। उसी माध्यमसे मेरा भी उनसे अप्रत्यक्ष परिचय था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें जैन-दर्शनके प्राध्यापकके रूपमें उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की थी। उनकी अध्ययनशीलता और सरलताने मुझे आकर्षित किया था। ग्रन्थके सफल प्रकाशनके लिए मेरी शुभकामना है।

महान् विभूति को शत-शत नमन

• श्री सुभाष जैन, दिल्ली

डॉ० महेन्द्रकुमारजीके दर्शनका सीमाग्य मुझे नहीं मिला, किन्तु उनके कायसे उनको प्रतिभाका अनुशासक समझना वा संभव है। डाक्टर साहब इस पीढीके ऐसे विद्वान् थे जिनके समस्त चिन्तन और रचनाके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं था। उन्होंने जो भी कार्य किया वह समर्पित भावनासे किया।

भाजके युगमें जब आममको लेकर तरह-तरहकी भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं इस प्रकारकी सभी धारणाओंका निवारण उन्होंने किया है। समाजकी उनके सान्निध्यकी अति आवश्यकता थी, किन्तु क्रूर कालमें हमसे वह प्रतिभा असमय ही छीन ली। उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी कि विद्वत् वर्ग उनके कष्टोंके कार्योंको पूरा करे। इस महान् विभूतिको शत-शत नमन।

सरस्वती के उज्ज्वल प्रकाशमान पुञ्ज

• पं० गुलाबचन्द्र 'पुष्प' प्रतिष्ठाचार्य, टीकमगढ़

कौन विश्वास कर सकता था कि इस महान् व्यक्तिका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली, प्रज्ञापरागामी होगा। चरितार्थ है "होनेहार विरवानके होत धोकने पात" आपने अकथ परिश्रम, श्रद्धा, लगनके साथ अध्ययन कर न्यायाचार्यकी परीक्षामें उत्तीर्णता प्राप्त की तथा न्यायशास्त्र एवं जैनदर्शनके अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन किया जो श्लाघनीय है।

आप अनेक प्रतिभाके धनी, समाजके गौरव थे। सभवतया आप दीर्घायु पाते तो जैनदर्शनका आपसे बहुत प्रसार प्रचार होता। फिर भी आपने समाजको बहुत दिया और समाज आपका चिरऋणी रहेगा। आप सरस्वती माताके प्रकाशमान पुञ्ज एवं चलते फिरते मञ्चन न्यायालय थे। हम विनम्र श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं।

सूरतसे कीरत बडी बिना पंख उठ जाय।

सूरत जै जाती रहे पर कीरत कभी न जाय।

उच्चकोटि के विद्वान्

• श्री चेतनलाल जैन, डालमियानगर

ई० सन् १९३०मे करीब १६ वर्षकी आयुमें संस्कृत अध्ययन हेतु मैं स्याह्याब वि० जैन विश्वविद्यालय-में पहुँचा। सब कुछ अनजान एवं अपरिचित होनेसे मन बड़ा विकल था। घरसे एक तो बिदा कर लच्छु-तरहके विकल्प मनमें आ रहे थे। परिवारजनोंने इतनी दूर जानेसे बहुत रोका, पर संस्कृत पढ़नेकी मुन्नमें किसी की नहीं सुनी और अकेला ही बनारस विश्वालयमें पहुँच गया, संस्कृत शिक्षा प्राप्त करनेकी जगह अभिलाषाका कारण था जैन आगमका ज्ञान प्राप्त करना जो कि संस्कृत भाषाके जाने बिना सम्भव नहीं था, ऐसी मेरी मान्यता रह्यो। विश्वालय पहुँचने पर वहाँके अध्यापको, अधिकारियो एव छात्रोंका व्यवहार देखकर सब विकल्प शान्त हो गये। जहाँ तक बाद है उस समय विश्वालयमें श्रीमान् पं० कैलाशचन्द्रजी धर्माध्यापक, पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाध्यापक, पं० मुकुन्दजी शास्त्री साहित्याध्यापक एवं पं० सचचन्द्रजी न्याकरणाध्यापक रहे।

प्रथमामे प्रवेश मिला और आदरणीय गुरुजनोसे अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। सभी गुरुजनोंका व्यवहार छात्रोंके प्रति सीहार्दपूर्ण था अतः शीघ्र ही शूक्ति जीवनमें रच-रच गया, जो कि मेरे जीवनका स्वर्णयुग कहा जा सकता है।

अपने ६ वर्ष (१९३० से १९३६) के विश्वालय निवासमें अध्ययन को अधिक नहीं केवल ज्येष्ठ प्रथमा, धर्म विचारद एव गवर्नमेंट संस्कृत कालेज काशीकी साहित्यमध्यमा तक ही शिक्षा अर्जित कर सका। परन्तु गुरुजनोकी कृपासे वहाँ रहकर जो सस्कार अर्जित किए वे जीवनके कटाकीर्ण मार्गमें आज भी प्रयत्न-स्तम्भके समान मार्गदर्शन कर रहे हैं।

प्रत्येक व्यक्तित्वमें अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं जो उसे अन्योसे भिन्न करती हैं। आदरणीय पं० महेन्द्रकुमारजीमें सरलता, निरभिमानता एव जीवन्तता थी। वे छात्रोंके साथ निःसकोच खेल-कूद, तैराकी इत्यादिमें हमेशा भाग लेते रहे। उन्होंने कभी छात्रोंको ऐसा आभास नहीं होने दिया कि वे उनके गुरु हैं। वे अपने विषयके उच्चकोटिके विद्वान् थे एव अध्यापन, लेखन एव सम्पादनदि कार्योंमें भी उनकी अबाध-गति थी।

असमयमें ही उनके निधनसे जैन समाजको जो क्षति हुई वह अपूरणीय है। वे हमेशा मेरे श्रद्धास्वप रहे। उनके चरणोंमें मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

बीसवीं शताब्दी के प्रकाण्ड जैन दार्शनिक

• डॉ० लालचन्द्र जैन, वैशाली

डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्यका जैनदर्शनके क्षेत्रमें बड़ी स्थान है जो भट्ट अकलकदेव का है। डॉ० साहबने जैन न्याय-दर्शनके गम्भीर शास्त्रोंका गहन अध्ययन कर उनकी सरल-सुबोध और सर्वप्रथम भाषामे विवेचन कर सभीका ध्यान सम्बन्धित ग्रन्थोंकी ओर आकर्षित किया। न्यायविनिश्चयविवरण और सिद्धिविनिश्चयविवरणकी प्रस्तावनाके अध्ययनसे सम्पूर्ण भारतीय दर्शनका ज्ञान हो जाता है। उक्त ग्रन्थोंकी प्रस्तावना उक्त्यासकी तरह सरल, सरल, सुबोध है। 'जैनदर्शन' नामक ग्रन्थ लिख कर उन्होंने जैनदर्शन जगत् का मस्तक ऊँचा किया है। अतः उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर रहा हूँ।

३० : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

आशावादी बुद्धिवाद के जनक पण्डितजी

• डॉ० नन्दलाल जैन, रोवाँ

पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य मेरे स्याद्वाद महाविद्यालयीन छात्र जीवनमे साक्षात् गुरु रहे हैं। उन्होंने मुझे प्रमेयरत्नमाला, प्रमेयकमलमात्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द पढाये हैं। इन न्याय ग्रन्थोंके सामान्य अध्ययनसे भी व्यक्तिमे श्रद्धावादकी तुलनामे बुद्धिवाद और आगमवादकी तुलनामे हेतुवादकी मनोवृत्ति सहज ही पनपती है। पण्डितजीके 'जैनदर्शन' मे और उनकी अनेक प्रस्तावनाओमे उनमे इस मनोवृत्तिकी प्रखरताके स्पष्ट दर्शन होते हैं।

पण्डितजीने प्राचीनता और नवीनताके द्वन्द्वको समाप्त करनेके लिए समन्तभद्रके 'समीचीनता' की मनोवृत्तिका नारा उद्घोषित किया है। उनके द्वारा प्रसारित बुद्धिवाद परोक्षा प्रधानी एव विवेक जागर है। यह श्रद्धाको बलवती बनानेका एक अमोघ उपाय है।

यही नहीं, उनका बुद्धिवाद जीवनके प्रति आशावादी और उत्थानवादी दृष्टिको भी प्रेरित करता है।

हमे मानव और पशु जीवन इस योग्य बनानेका प्रयत्न करना चाहिए कि यदि हम उत्तर जीवनमे वहाँ जावें, तो हमे अनुकूल सामग्री और सुन्दर वातावरण मिले। फलतः परलोक सुधारनेका अर्थ मानव-समाजको सुधारना है। जैनोंके सम्परदर्शनका अर्थ यही है कि मानव तथा पशु समाजमे आये हुए दोषोंकी निकालकर इन्हें सद्गुणी एव सद्भावी बनाया जावे। इस दृश्य परलोकके सुधारके लिए उत्तम मर्वादियकारणी व्यवस्था विकसित हो जिनसे हमे स्वर्गके सुख भी न मोह सके। यह व्यवस्था 'समीचीन' धर्मके सिद्धान्तोंके परिपालनसे ही भव्य है। परलोकका अर्थ केवल ब्यक्ति का मरणोत्तर जीवन ही नहीं है, हमारी सन्तति और शिष्य परम्परा भी परोक्ष रूपमे इसके रूप है। इन्हें सुमस्कारित कर हम अपना ही नहीं, भावी पीढीको भी सुखमय बना सकते हैं। पण्डितजीका प्रचण्ड आशावादी स्वरूप उनके बुद्धिवाद की ही देन है।

उनके स्वतन्त्रचेताके स्वरूपके कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। वे नयी पीढीको परम्पराचेताके बदले स्वतन्त्रचेता देखना चाहते हैं। यही जैन सस्कृतिकी परम्पराका अधुणरूपसे विकसित बने रहने मे सहायक होगा।

उनके अनेक आल्हादकारी और अनुकरणीय रूप अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रकट किये गये हैं। हम सभी उनके विचारोंके अनुरूप अपने-अपने क्षेत्रोंमे आशावादी, बुद्धिवादकी मशाल जलाये रखनेमे समर्थ हो, यही परोक्ष आशीर्वाद उनसे अभीप्सित है। उनके चरणोंमे शत शत वदन।

शुभकामना

• प० मल्लिनाथ जैन शास्त्री, मद्रास

यशस्वी एव महाविद्वान् डॉ० महेन्द्रकुमारजी जैन न्यायाचार्य ऊँचे दर्जेके विद्वान् थे। वे न्यायशास्त्र-के अप्रतिम प्रतिभाशाली तो थे ही। साथ ही साथ मस्कृन्, प्राकृन् आदि कई भाषाओंके ज्ञाता भी थे। उन्होंने अपने जीवन कालमे कठिनसे कठिन ग्रन्थोंका सम्पादन कर अपनी विद्वत्ताका परिचय दिया है।

हमारी शुभकामना यही है कि हम उनके बताये हुए मार्गपर चले। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी।

श्रद्धा सुमन

• डॉ० दयाचन्द्र साह्ल्याचार्य, सागर

डॉ० श्री महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य जैनदर्शनके प्रकाण्ड विद्वान्, लेखक, प्रवचनकर्ता और प्रतिभाशाली प्रवीण प्राध्यापक थे। आपने स्वकीय कुशाग्र बुद्धिसे न्यायशास्त्रकी ग्रन्थियोंको सरलतासे विकसित कर दिया। अपनी विलक्षण शिक्षण कलासे छात्रोंके हृदयोंको प्रफुल्लित कर दिया था। आपने गृहस्थ जीवनकी कठिनाईयोंको साहस और ज्ञानबलसे पार किया। आपकी साहित्यिक, सामाजिक और शैक्षणिक सेवाएँ अनुपम एवं उल्लेखनीयके साथ ही अनुकरणीय हैं।

हम आपके प्रति कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं।

मेरी श्रद्धा के दर्पण

• मि० पं० जम्बूप्रसाद जैन शास्त्री, मड़वावरा

आदरणीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य हमारे साथी समकालीन विद्वान् थे। यद्यपि वह मुझसे उम्रमें ४१५ वर्ष ज्येष्ठ थे। उम्रमें ही नहीं ज्ञानके क्षयोपशममें भी उन्नत थे। पूतके लक्षण पालनेमें विश्वास देते हैं कि उन्नित श्री महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य जीके जीवनमें परिलक्षित होगी है। आरम्भिक बालापनसे ही वह प्रतिभाशाली रहे। ज्ञानका इतना अच्छा क्षयोपशम था कि जिस वस्तु या प्रकरणको उन्होंने एक बार देख लिया जीवन भर उनके मन-मस्तिष्कमें स्मृत रूप बना रहता था। उनके जीवनके ऐसे अनेको प्रसंग हैं जो उनकी विलक्षण प्रतिभाके प्रतीक स्मृत रूप रह गए। उन्होंने जो भी लेखन, सम्पादनका कार्य किया वह इतनी उन्नत एवं लोकोत्तर रूपमें हुआ जिससे आगे आनेवाली लाखों पीढ़ियाँ स्मृत कर कृतज्ञताका अर्घ्य बढ़ाती रहेगी। मैंने आदरणीय न्यायाचार्य जीके प्रायः सभी टीका ग्रन्थोंका अध्ययन किया। पढ़ते समय मुझे अपार प्रसन्नता होती थी जब इन्होंने इसकी टीकापर अक्षरशः आचार्योंके प्रतिपाद्य विषयको सुस्पष्ट रूपमें भाषान्तर कर अपनी विशेष व्याख्यासे उसे सावित किया। यह उनके विलक्षण अपार ज्ञानकी क्षमता का प्रतीक है।

मैं महान् आत्माको अपनी श्रद्धाजलि समर्पित करता हूँ।

न्यायशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्

• पं० पूर्णचन्द्र जैन शास्त्री

डॉ० पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य न्यायशास्त्रके प्रकाण्ड पण्डित थे। उनके द्वारा भारतीय न्याय-विद्या-विधाको एक नवीन दिशा प्रदान की गई। जैन-दर्शनमें समुपलब्ध जैन-न्यायशास्त्रके समस्त ग्रन्थोंका पारायण कर उनके सम्पादन एवं मशोधनकी अमूर्ती प्रक्रिया, हिन्दी भाषामें "जैन-दर्शन" नामक ग्रन्थकी रचना कर प्रारम्भ की गई थी। संस्कृत एवं प्राकृतसे अनभिज्ञ न्यायशास्त्रके जिज्ञानुओंका इस महान् ग्रन्थ के माध्यमसे महान् उपकार किया है। उनकी अमरकृति "जैनदर्शन" नामक ग्रन्थ "सागरमें सागर" की उन्नितको चरितार्थ करता है।

पं० जीके प्रथम दर्शन मैंने बनारस हिन्दू वि० वि० में बौद्धदर्शन "विभागके अध्यक्षके रूपमें किया था। मैं सन् १९५८ में १९६० तक बनारस हिन्दू वि० वि० का स्नातक छात्र रहा हूँ। पं० जी की सौम्य छविमें आत्मीयता एवं स्नेहशीलताका अपूर्व सम्मिश्रण परिलक्षित होता था। दर्शक अपरिचित छोटे-बड़े व्यक्तिको उनकी स्निग्ध-दृष्टि सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थी।

उनके श्री चरणोंमें मैं अपनी विनम्र श्रद्धाजलि प्रस्तुत करता हुआ अपनेको गौरवान्वित मानता हूँ।

३२ : डॉ० महेश्वरकुमार जीव न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

अगाध पाण्डित्य के धनी

• पं० रविचन्द्र शास्त्री, दमोह

पण्डित महेश्वरकुमारजी न्यायाचार्य एक शास्त्र स्वभावी, निरभिमानी, उदार हृदय तथा अगाध पाण्डित्य के धनी थे ।

अण्ठी प्रतिभाके धनी, प्रभावशाली व्यक्तित्व सम्पन्न पण्डित महेश्वरकुमारजी न्यायाचार्यसे मेरा प्रथम परिचय तब हुआ था जब मैं श्री गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय सागरसे प्रथमाफी परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थापित महाविद्यालय वाराणसीमें अध्ययन हेतु प्रविष्ट हुआ था । पण्डितजीने मुझे न्यायदीपिका, प्रमेयरत्न-माका आदि दर्शन ग्रन्थोंका अध्ययन कराया था । इनकी शिक्षण पद्धति अत्यधिक नरम एवं सरल थी । दर्शन एवं न्याय सरीखे शुष्क तथा नीरस विषयको प्रेमपूर्वक शिष्योंके मस्तिष्कमें स्थापित कर देनेकी अद्भुत कला थी उनमें । ऐसे अगाध पाण्डित्यके धनी विद्वान्का असमयमें निधन जैन जगत की अपूरणीय क्षति हुई है । उनका अभिनन्दन बहुत पहले हो जाना चाहिए था । पर 'देर आयत् दुस्त आयत्' की उक्ति को चरितार्थ करनेका जो उपक्रम किया जा रहा है वह श्रेयस्कर है ।

उनकी स्मृतिमें प्रकाशित स्मृति ग्रन्थके लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं ।

बुन्देलभूमि का अद्भुत ज्ञान

• डॉ० कस्तूरचन्द्र 'सुमन' श्रीमहावीरजी

भारत बसुन्धरामें बुन्देलभूमिका अपना एक विशेष स्थान रहा है । धर्म और दर्शन, कला और स्वाध्यायके क्षेत्रमें इसकी आन, शान-शान निराली ही है ।

इस बसुन्धरा पर जो लाल उल्लस हुए हैं उनमें न केवल वीरोने अपितु ऐसे शिक्षा प्रेमी सरस्वती-पुत्रोंने भी जन्म लिया है जिन्होंने धर्म, दर्शनके समुन्नयनमें अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया । परमपूज्य न्यायाचार्य गणेशप्रसाद वर्णी (मुनि गणेशकीर्ति) ऐसे ही साधु थे । उन्हींकी प्रेरणा स्वरूप अनेक विद्वानोंने इस धरतीको गौरवान्वित किया ।

संस्कृत शिक्षाके क्षेत्रमें संस्कृत साहित्यको पढकर अनेक जैन विद्वान् हुए किन्तु न्याय-विषयकी ओर बहुत कम विद्वानोंका ध्यान गया है । जिन गणमान्य विद्वानोंने न्यायको गले लगाया उनमें सरस्वती-साधक डॉ० महेश्वरकुमारजी जैनका नाम उल्लेखनीय है । आप पूज्य वर्णीजीके परम अनुयायी रहे । अपने अध्ययन और चिन्तनसे ऐसे ग्रन्थोंका आपने सम्पादन और अनुवाद किया है जिनपर आज हमें विशेष गौरव है । उनकी मौलिक रचना "जैनदर्शन" तो जैनदर्शनकी जानने-समझनेके लिए बहुत उपयोगी ग्रन्थ है । बुन्देलभूमिका यह लाल आज भी जन-जनके हृदयमें विराजमान है और रहेगा । धन्य है यह आत्मा । मेरा उसे सविनय प्रणाम है ।

शुभकामना

• डॉ० कपूरचन्द्र जैन, टीकमगढ़

आश्चर्याच डॉ० महेश्वरकुमारजी ने अपने अल्प जीवनकालमें अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन कर धर्म, समाज और देशकी जो सेवा की है, वह चिरस्मरणीय रहेगी । मैं श्री डॉ० साहूके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ ।

प्रखर चेतना और लेखनी के धनी

• डॉ० फूलचन्द जैन प्रेमी, वाराणसी

पं० महेन्द्रकुमार जीसे कमी मिलनेका अवसर नहीं मिला किन्तु उनके बहुआयामी कृतित्वसे अत्यन्त प्रभावित हूँ। विविध जैन दार्शनिक ग्रन्थोका जिन तरह वैज्ञानिक विधिसे जो सम्पादन कार्य उनके द्वारा किया गया वह अद्भुत ही नहीं अपितु भारतीय वाङ्मयको उनका बहुमूल्य योगदान है। यद्यपि डा० प्रभाचन्द्र आदिके ग्रन्थोका भी सम्पादन कार्य पं० जीने किया है, किन्तु आचार्य अकलकके ग्रन्थोंसे भारतीय मनीषाको उन्होंने परिचित कराया वह अपने आपमें अमूल्य ही है। मुख्यतः पं० जीके द्वारा सम्पादित कृतियो और उनके जैनदर्शन ग्रन्थोके देख-पढ़कर ही जैनेतर दार्शनिकोंने जैनधर्म-दर्शनकी बहुता एवं महानताको स्वीकार किया। और इसीलिए इन ग्रन्थोका विश्वविद्यालयीय स्तर पर पठन-पाठन भी सुलभ हो सका।

वे मात्र प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थोंके लेखक ही नहीं अपितु ज्ञानपीठ संस्था एवं ज्ञानोदय जैसी शक्तिशाली प्रतिष्ठानकोमेसे एक थे। उनके द्वारा धर्मयुग, ज्ञानोदय तथा अन्यान्य पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित लेखोंके अध्ययनसे राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतनाका उनका स्वरूप भी सामने आता है। प्रखर चेतना और विधिक लेखनीके माध्यमसे पं० जीने जैनदर्शनके क्षेत्रमें जैन आचार्योंकी अनेक मौलिक उद्भावनायें प्रस्तुत कीं। यथार्थवादी विवेचन और स्वाभाविक ऊर्जाके कारण उनकी प्रसिद्धि अधिक रही। उनके अप्रकाशित कार्यको भी मुझे देखनेका अवसर मिला है। उसे प्रकाशमें लाना भी हम सभीका दायित्व है।

इस तरह पं० जीने जैनधर्म-दर्शन जगत्को जो कुछ भी दिया उसका मूल्य आँक पाना असंभव नहीं है। क्योंकि इतने अल्प जीवनमें इतनी बड़ी साहित्यिक साधना उनकी अद्भुत मेधा, अमता और लगनकी घोटक है। ऐसे महान् व्यक्तित्व और कृतित्वसे सम्पन्न मनीषीको मेरा शतशः प्रणाम।

जैनदर्शन साहित्य के अनन्य सेवक

• क्षत्रिप्रभा जैन "शाशांक"

डॉ० श्री महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य उद्भट विद्वान, अपूर्व व्याख्याता, जैनदर्शन साहित्यके अनन्य सेवक हैं उनकी विचारशैली और लेखनीका लोहा अनकेश विद्वान् मानते रहे हैं और मानते हैं। उनकी सम्पादित कृतियो, साहित्योत्कर्षका अभिनन्दन करना स्तुत्य है। १९११ में श्रीयुत अवाहुरलालजी पिताजी और माता सुदरबाई खुर्रकी पुनीत कुँलसे जन्मे डा० महेन्द्रजी समाजके अनमोल रत्न रहे हैं उनसे समाज और धर्मके प्रति गौरव है। व्यक्तित्व और स्वस्थ निरोगी काया जीवनका परमसुख है और इसे पाया था महेन्द्र भ्राताश्रीने।

पं० महेन्द्रकुमारजी द्वारा लब्ध प्रतिष्ठित संस्था भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापनामें उसके सर्वाङ्गीण-विकासार्थ बहुत श्रम किया तथा उसके संजाने संवारने, सर्वोपयोगी बनानेमें जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है वह अभिनन्दीय है इस संस्थासे प्रकाशित ज्ञानोदय पत्रिकाके सम्पादनमें जो कर्तव्य दायित्व आपने अपने साहित्य दर्शन प्रेमसे, प्रतिभा सम्पन्नतासे, श्रमसे, आत्मिक लग्न एकाग्रतासे दर्शाया है, वह अनुकरणीय है, स्तुत्य है।

ऐसे महामनीषीके प्रति श्रद्धा-सुमन समर्पित करके गौरवका अनुभव करती हूँ।

३४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

जिनवाणी माँ के अनन्य उपासक

• डॉ० रमेशचन्द्र जैन, विजनीर

मैंने श्रद्धेय पण्डित महेन्द्रकुमारजीके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किये हैं, क्योंकि मेरे बनारसमें छात्र-जीवन प्रवेशसे पूर्व ही वे विरंगत हो चुके थे, किन्तु उस समय बनारसमें जैनाजैन विद्वान्मण्डली जो कि पण्डितजीके परिचयमें या सान्निध्यमें आयी थी, उससे मैंने पण्डितजी की प्रशंसा खूब सुनी है। उनका गुणगान करते हुए लोग अघाते नहीं थे। जैन, बौद्ध और भारतीय न्याय साहित्य वे तलस्पर्शी, मर्मज्ञ और अद्भुत विद्वान् थे। यद्यपि वे दीर्घजीवी नहीं हुए, किन्तु अपने जीवनके अल्पकालमें ही सिद्धिविनिश्चय, न्यायविनिश्चय, तत्त्वार्थ-वार्तिक, न्यायकुमुदचन्द्र जैसे अनेक ग्रन्थोंके जो प्रामाणिक संस्करण निकाले, वे समाज और विद्वद्गणकी अमूल्य धरोहर बन गए। वे अद्वितीय प्रतिभाके धनी और जिनवाणी माँ के अनन्य उपासक थे। यदि वे अधिक समय जीवित रहते तो माँ जिनवाणीकी कितनी अमूल्य निधियोका उद्धार करते, इस बातकी अब कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनके बाद उन जैसा न्यायशास्त्रका विद्वान् आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। विद्वानोंकी और समाजको ऐसी महान् विभूति पर गर्व है।

मैं पूज्य पण्डितजीके प्रति अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।

असाधारण व्यक्तित्व के धनी

• डॉ० कमलेशकुमार जैन, वाराणसी

असाधारण व्यक्तित्वके धनी, स्वनामधन्य प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य अपनी अनूठी प्रतिभा एवं सुसम्पन्नके कारण न केवल जैन नैयायिकोंमें प्रतिष्ठित थे, अपितु अपनी विद्वत्ता एवं सम्पादन-कलाके कारण वे प्राण्यविद्वाकके अप्रगण्य मनीषियोंमें भी लब्धप्रतिष्ठ थे। उनकी लोहू लेखनीसे प्रसून 'जैनदर्शन' जैसी मौलिक कृतियाँ आज भी उनके गुण-गौरवको प्रकट करती हैं।

प्राचीन ग्रन्थोंके सम्पादन एवं समीक्षणमें उनकी गहरी पैठ थी। उनके द्वारा निर्णान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तथ्य उनकी शोध-खोजके जीवन्त प्रतीक हैं।

न्यायाचार्य प० महेन्द्रकुमार जैन अपने जीवनके प्रारम्भमें स्याद्वाद महाविद्यालय काशीमें न्यायाध्यापक थे। वहाँ जैन न्यायके अध्यायन-अध्यापन एवं मनन-चिन्तनके कारण उनकी प्रतिभा दिन-प्रतिदिन निखरती गई और पूर्वपक्षके रूपमें आये हुये विभिन्न दर्शनोके अध्यायन-अध्यापनसे उनकी प्रतिभामें चार-चाँद लग गये। वे समस्त भारतीय दर्शनों, विशेषकर जैन और बौद्धदर्शनोंके विशिष्ट ज्ञाता थे। साथ ही उक्त दर्शनोंका निरन्तर आलोचन-विलोचन करनेके कारण वे उसीमें रच-पच गये थे।

भारतीय ज्ञानपीठ काशीकी स्थापनामें उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। जहाँ उनकी तदुपाईका लाभ भारतीय ज्ञानपीठको मिला है, वहाँ उनके व्यक्तित्वको मजाने-सँवारनेमें भारतीय ज्ञानपीठका भी महनीय योगदान रहा है। दोनोंने परस्पर एक दूसरेका पर्याप्त लाभ लिया है।

प्राचीन ग्रन्थोंके सम्पादनकी दृष्टि उन्हें आधुनिक जैनदर्शनके भीष्मपितामह पद्मश्री प० सुखलालजी संघवीसे प्राप्त हुई थी, जिसका सदुपयोग करते हुए उन्होंने न्यायकुमुदचन्द्र एवं प्रमेयकमलमार्तण्ड जैसे जैन न्यायके दुरूह ग्रन्थोंका सम्पादन एवं विवेचन किया है। इस दुरूह कार्यके सम्पादनमें उनकी नैसर्गिक प्रतिभाके पदे-पदे दर्शन होते हैं। उनका यह सम्पादन कार्य आधुनिक जैनविद्वाकके मनीषियोंके लिये आदर्शके रूपमें चिरकाल तक मार्गदर्शन करता रहेगा।

ऐसे विद्वान्के प्रति मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ।

मार्गदर्शक दार्शनिक न्यायाचार्यजी

• डॉ० नीलम जैन, सहारनपुर

डॉ० महेंद्रकुमार न्यायाचार्य उन विरल स्रष्टाओंमें से हैं। जिन्होंने अपने जीवनका एक-एक क्षण साहित्यकी साधना और आराधनामें व्यतीत किया। ४७ वर्षीय जीवनकालमें अपनी प्रतिभा व लगनसे अपने चिन्तनको नये ढंगसे संस्कारित किया। स्वाभाविक, प्रभावशाली एवं द्वािधांग रत्नाकरकी अतल गहराइयोंसे न्याय, दर्शन एवं प्रमाणके जो रत्न प्रदान किए आज भी वह अद्वितीय हैं।

डॉ० महेंद्रकुमारजी का साधनाकाल देशकी विषम एवं दुःसंक्रमित परिस्थितियोंके मध्य रहा, यह वह समय था जब पश्चिमकी मान्यवादी अवधारणाओंने तथा दासताकालकी त्रासदियोंने मानवकी अन्तर्चेतना-व्यक्तिवादी बर्चस्वको स्थापित कर रखा था, तत्कालीन देशके कर्णधारोंने तो सारो धर्म एवं साहित्य संरचना एक ही धार्मिक अवधारणा मानकर चिन्तन प्रक्रियासे परे सरका दी थी, उस समय डॉ० जैन जैसे ही अध्यवसायी थे जिन्होंने सभी दर्शनोंको परिभाषित करते हुए जैनदर्शनको सर्वथा नूतन और मौलिक पहचान देकर हिन्दुत्वसे पृथक् रखने हुए जैनदर्शनकी सरल, स्पष्ट एवं सर्वग्राह्य व्याख्या की, अनेकान्त, स्याद्वाद, छ द्रव्य एवं सात तत्त्व, नौ पदार्थोंको 'जैनदर्शन' पुस्तकमें अभूतपूर्व ढंगसे प्रस्तुत किया। इस नयी पुस्तकसे एक नये युगका प्रारम्भ हुआ। कहना न होगा, यह एक ऐसी प्रथम पुस्तक थी जिसकी भाषाको नुनाबट एवं शैलीको कमाबट तथा विषय वस्तुकी सटीकतासे कोई भी पाठक अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। यह पुस्तक अद्वितीय है इसमें वह सब कुछ है जो वर्तमान युगके सामाजिक चिन्तनको एक सर्वविध समृद्धिशास्त्री उच्च-कोटिकी कैनवाम प्रदान करती है, "विश्व शान्ति में जैनधर्मका योगदान" एवं अनेकान्त स्याद्वाद जैसे लेख न्याय, स्वतन्त्रता, समानता एवं विश्व बन्धुत्व स्थापित करनेमें सक्षम हैं। जैन साहित्यके अन्तरंग में व्यापक सर्वांगीण व्यवस्थाओंके अनन्तर भी उससे स्वाध्यायीको सोचने समझने और ग्रहण करनेकी ऊर्जा शक्ति नहीं प्राप्त हो सकी, जिन समय न्याय जैसे शुष्क एवं नीरस विषय पर डॉ० साहब ने लेखनी उठाई थी उस समय तो मभवतः किसी ने सोचा भी न होगा कि न्यायका अभिलेखके रूपमें स्थायी और सार्वजनीन बनानेकी यह पगडंडी राजमार्गमें बदल जाएगी और ये ग्रन्थ और वाक्य प्रभुसत्ता में बदल जायेंगे तथा समस्त वाङ्मयको अनुशासित करनेकी भूमिका भी निभाने लग जायेंगे, आज तो उनका साहित्य न्यायाधीश सरीखा बन गया है।

विहम्बनाकी बात यह है कि प्रारम्भ में इन साहित्य साधको एवं इनकी साधनाके प्रति सम्मानका भाव प्रायः शून्य ही रहा। चन्द ही ऐसे व्यक्ति थे जो देवपूजा की भाँति इस कार्यको महत्त्व देते हैं इसी कारण ऐसे प्रयासके परिणाम इतने उत्साहवर्द्धक नहीं रहे। प्रत्येक मोर्चे पर घरसे बाहर तक गार्हस्थ्यिक एवं आर्थिक समस्याओंसे जूझता विद्वान् कितनी साधना कर पायेगा यह प्रश्न नहीं है। अपने जीवनके कुक्षेत्रमें ऐसे रण बाँकुरे इसलिए विरल रहे हैं।

डॉ० महेंद्रकुमार व्ययनिष्ठ रचनाकार थे, जो साहित्यको सोद्वेष्य और सामाजिक प्रयोजन प्रेरित मानते थे। उनको प्रगतिशीलताके श्रोत बहुमुखी थे। अपने धर्मके प्रति, राष्ट्रके प्रति, समाजके प्रति उनका अनवरत लगाव उन्हें उसकी बेहतरी, सुख, समृद्धि अमय आलोकके प्रत्येक कोणको मौलिक दृष्टिकोणसे शीघ्रता है, इसीलिए न्यायके अतिरिक्त जब भी आलेख उन्होंने लिखे हैं जो "जैनदर्शन" पुस्तकके अन्तमें हैं उसमें उनकी अभिव्यक्ति प्रत्येक लघुसूत्र आशयको समाजके संघटित बृहत्तर आशयसे जोड़ता है उनके आदर्शवाद में वर्ण्य विषयका इतना घुला-मिलापन है जो उनकी रचनाओंको सर्वजन सुलभ बनाकर सच्ची

३६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

मानवीयताका संदेश देता है, यह संदेश है जीवनकी क्रांतिमुखी मर्यादाका, आत्मोन्नतिपूर्ण निष्ठाका और पीड़ित मानवताके प्रति गहरी कष्टनाका। ऐसे साहित्यकी रचनाका जो आचरित और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, जीवनमें भी वे न्यायके प्रति संघर्षरत रहे।

दुर्लभ ग्रन्थोंका प्रणयन, भारतीय ज्ञानपीठ जैसी संस्थाओंकी संस्थापना उनको जीवन्त जीवदत्ताकी प्रतीक हैं। साहित्यका दीपक प्रज्वलित कर प्राचीनतम ग्रन्थोंका जीर्णोद्धार, ज्ञानोदयके माध्यमसे जनसामान्यसे उनका परिचय कराना कुछ ऐसे विशिष्ट योजनाबद्ध कार्यक्रम रहे जो आज तक भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

जैन जागरणके अग्रदूत बनकर डॉ० महेन्द्रने सचमुच नये युगका सूत्रपात किया। जैन साहित्यके मध्य स्तम्भ डॉ० महेन्द्रको कृतज्ञता पूर्वक स्मरण।

हस्ताक्षर आस्था के सुमेरु न्यायाचार्य

● प्रो० विमलकुमार जैन सोरया, टीकमगढ़

पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णा महाराजके बाद न्याय शास्त्रका महान् अध्येता कोई विद्वान् हुआ है तो वह है डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य हैं जिन्होंने न्यायशास्त्रका तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त कर न्यायशास्त्रोंकी बहुमुखी टीका कर अपनी श्रेष्ठ प्रतिभाका परिचय दिया। न्यायशास्त्रके अध्ययनका द्वार आपके द्वारा अत्युत्कृष्ट ऋणोंके ब्याज ही खुला है न्यायशास्त्र जैसे नीरस दुर्लभ ग्रन्थोंकी सरस और सरलतम टीका कर नई परम्पराके अध्येताओंको अभिरुचि देनेका प्रथमतः श्रेय आपको देनेका कारण बनी है। जैन संस्कृतिके अत्युत्कृष्टतम पूज्य वर्णाजीको दाया और महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यजीको बाया हाथ कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं है। भाषाशास्त्र ज्ञानपीठ जैसी उन्नत आगम प्रकाशन संस्थाकी सवृद्धि और लोकोत्तरता प्रदान करनेका यकीनमान वत श्रेय महेन्द्रकुमारजीको ही है। जैनागमके जो भी शास्त्र दुर्लभ, विलुप्त अथवा पठन-याठनकी विषयोंके अज्ञेयकृत थे। ऐसे महान् ग्रन्थोंकी टीका करनेका प्रयत्नशाली श्रेय श्री महेन्द्रकुमारजीको ही है।

महान् विद्वान्की यह भावनाएँ आदरणीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यकी विलक्षण प्रतिभा, अगाध पण्डित्य और बहुमुखी विद्वत्तापूर्ण प्रतिभाकी द्योतक हैं। आपने अपने ४८ वर्षीय जीवनकालमें जितना लोकोत्तर कर्म किया है। कई वर्षोंमें अनेकों विद्वान् ऐसा कार्यकर सकनेमें समर्थ नहीं हो पाते। बीसवीं शताब्दीका यह प्रथम विद्वान् है जिनका अमिनन्दन राष्ट्र स्तरपर सर्वप्रथम होना चाहिये था। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि जैन समाजने अपने इस महान् विद्वान्की सम्मान स्मृतिमें इस ग्रन्थका प्रकाशन कर कृतज्ञताका अर्थ व्यक्त है।

शुत् शुत् नमन

● डॉ० राजमति दिवाकर, सागर

प्रतिभा नवनयोन्येव शालिनी होती है जो समयके पार माप लेती है अपने यश को; ऐसे ही यश-काय न्यायशास्त्र, न्यायविचार, न्यायाचार्य महेन्द्रकुमारजी अपनी विशिष्ट प्रतिभाके घनी धे जिन्होंने ४८ वर्ष की कम आयुमें अपने समयसे कई गुना आगेकी जमी पार कर ली थी। जैनधर्म एवं दर्शनकी वैज्ञानिक दृष्टिको-सङ्गठन और सरल ढंगसे सम्पूर्ण मानव-समाजके बीच प्रस्तुत करना अपने आपमें बहुत उल्लेखनीय कार्य है।

निश्चय ही प्रो० डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य अपने प्रवेयसे जैनधर्म एवं दर्शनके असाधारण हस्ताक्षर हैं। ऐसे जैनदर्शनके अपूर्व ज्ञानको मेरा शुत् शुत् नमन।

न्याय-शास्त्र के उदीयमान नक्षत्र

• पं० कमलकुमार शास्त्री, टीकमगढ़

मेरी जीवन कलने जब आखिं ही नहीं खोली थीं उसके पूर्व ही डॉ० महेंद्रकुमारजी अपना प्रकाश समस्त जैन जगतमें फैला चुके थे। मैंने तो उनके दर्शन एक दो बार ही कर पाये हैं उन दिनों मैं पढ़ रहा था और डॉ० सा० अनेक संस्थाओंमें कार्य करते हुए प्रकाशमान नक्षत्र की तरह चमक रहे थे कि अचानक राहुने उन्हें असमयमें ही ग्रस लिया। उन दिनों डॉ० सा०के द्वारा न्याय विषय पर लोजपूर्ण लेख सौंपोंकी विस्मयमें डाल देते थे।

लम्बा कद, भरा हुआ गठीला बदन, गोल चेहरे पर चमकता हुआ भोज, सफेद सादीका कुर्ता और चौड़ी पट्टीकी टोपी सहज ही पं० जीके व्यक्तित्वको शालीनता प्रखण्ड कर रहे थे।

मैंने एक दो बार ही दर्शन किए होंगे किन्तु आज भी आपका चेहरा हृदयमें अंकित है। एक बार उन्होंने मिट्टीके केवलज्ञानकी एक नई चर्चा विद्वानोंके समक्ष रखी। मुझे जहाँ तक याद है वह काफी चर्चाका विषय बनी थी। उनका कहना था कि केवलज्ञानी केवल अपनी आत्माको ही जानता है और देखता है उसे ससारके पदार्थोंसे क्या मतलब है। आत्माका लक्षण उपयोगमयी है और उनका उपयोग आत्मरूप में रहता है। क्या बताऊँ अगर कुछ दिनों और संसारमें रहते तो न्यय-शास्त्र एवं समाजका काफी ज्ञान विकासोन्मुख हो सकता था।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ।

शुभकामना

• पं० नन्हैलाल जैन, एरीरा

अकलंकके सद्दश वर्तमानमें श्रद्धेय डॉ० महेंद्रकुमारजी जैन प्रौढ़ विद्वानोंमें प्रथम थे। बौद्ध दर्शन-जैन न्यायके ज्ञाताके रूपमें डॉ० साहबके सद्दश ज्ञानी विद्वानोंकी जरूरत है ताकि देश समाजको लाभान्वित कर सकें। मेरा उन्हें शत् शत् नमन है।

शुभकामना

• पं० लक्ष्मणप्रसाद शास्त्री, मडावरा

सरस्वतीपुत्र डॉ० महेंद्रकुमारजी न्यायाचार्य अपने विषयके अद्वितीय विद्वान् थे। उन्होने अकलंकदेवके ग्रन्थोंका सम्पादन कर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

आप स्वभावतः शान्त, सरल, मृदुभाषी और उच्च विचारोंके धनी थे।

स्मृति ग्रन्थ प्रकाशनके प्रकुशलके अवसर मेरी श्रद्धाञ्जलि उन्हें समर्पित है।

श्रद्धाञ्जलि

• स० सि० पं० रतनचन्द जैन शास्त्री बामोरकला

न्यायाचार्य डॉ० महेंद्रकुमारजी विद्यालय बीनामें मेरे सहपाठी रहे हैं। उनका मेरे ऊपर अपार प्रेम था। आत्यप्रिय मंत्री भुलाई नहीं जा सकती।

उन्होंने समाजको जो दिया वह विस्मरणीय नहीं है। उनके सम्मानमें प्रकाशित स्मृति ग्रंथ अमर कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। मेरी श्रद्धाञ्जलि प्रस्तुत है।

स्याद्वाद-शासन के सजग-आदर्श प्रहरी

• श्री अभिनन्दन कुमार दिवाकर एडवोकेट, सिवनी

नय विधाके अप्रतिम मनीषी निष्णात विद्वान् डॉ० पंडित महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने प्रमाण-नय संबंधी जिनागमके महान् उपकारी मरकक न्यायवेत्ता आचार्य भट्टकालक, आचार्य उमास्वामी आदि आचार्योंके क्लिष्ट ग्रंथोका संपादन सरल, सुबोध, हृदयपाही भाषा शैलीमें कर समाजका महान् उपकार किया है। पंडितजी की "जैनदर्शन" कृति अत्यंत सामयिक महत्वपूर्ण है। इसे पंडितजी की "कालजयी कृति" कहना अति-शयोक्ति नहीं है। जैनदर्शनके विविध पक्षोका तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण इसमें संबद्ध है, समाजको एकातवादसे ग्रसित कई कथित-विद्वानों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थोंके यशीभूत होने अथवा अल्पज्ञताके कारण क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त-उपादान, व्यवहार-निश्चयनय सद्बोध आदि बहुचर्चित विषयों पर, जो दिग्भ्रमित किया गया है एवं किया जा रहा है, उसका निराकरण पंडितजी ने जो इस ग्रन्थमें किया है वह मुमुक्षुओं द्वारा विशेषरूपसे पठनीय है। पं० जी द्वारा विश्लेषण अज्ञान तिमिराधोके लिये ज्ञानाजनशालाके रूप है।

स्मृति ग्रंथका प्रकाशन स्तुत्य हो। किन्तु किसी भी महापुरुषका सम्मान, मात्र उसकी भौतिक प्रशंसा नहीं। पंडितजी द्वारा सृजित साहित्य जिनागमके अध्ययनसाधियोंके लिये मार्गदर्शक है। नयोका ज्ञान अजित करनेके अभिलाषी मुमुक्षु युगो-युगो तक उनकी रचनाओंसे लाभान्वित होंगे। जिनागममें विरोधाभासका किञ्चित् स्थान नहीं। नयविधाके ज्ञानाभावके कारण अनेकातदृष्टिको ओझल कर एकात रूपमें आचार्योंकी वाणीको प्रस्तुत करना जिनवाणीकी अवमानना है एवं स्व-पर-हित घातक है, इस तथ्यको पवित्र बुद्धिसे हृदयंगम कर तदनुसार आचरण करना पंडितजी के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

देखा तो नहीं, पर देख रहा हूँ उनको

• श्री पवनकुमार शास्त्री, दीवान, मोरेना

आजसे लगभग ८ वर्ष पूर्व जब मेरे गृहनगर ललितपुरमें पू० झुल्लक श्री १०५ गुणसागरजी महाराज (सम्प्रति उपाध्यायश्री १०८ ज्ञानसागरजी) की प्रेरणा एवं उनके ही सानिध्यमें सर्वप्रथम "जैन न्याय विद्या वाचन समारोह" का आयोजन किया गया था। उद्घाटन सत्र की बेलामें जब प्रथम बार पं० दरबारी-लालजी कोठियाके द्वारा न्यायाचार्योंकी श्रृंखलामें न्यायाचार्य श्री डॉ० महेन्द्रकुमारजी का नाम सुना तो कुछ नयापन सा प्रतीत हुआ, उनके अलावा भी अन्य वयोवृद्ध विद्वानोंसे भी जब श्री न्यायाचार्य जीके स्मरण सुने तो सहज ही एक प्रबलच्छा होती कि काश यदि आज उनसे प्रत्यक्ष भेंट कर पाता तो धन्य हो जाता, लेकिन आज स्मृति ग्रन्थकी इस मंगलबेलामें उनके फोल्डरपर प्रकाशित चित्रको प्रथम बार देखकर एवं उनकी अल्पकालीन सशक्त श्रुतसेवा रूप व्यक्तित्वको देखकर यही लगता है कि वह हमसे दूर नहीं, हमारे समक्ष ही है।

प्रतिवर्ष एक या दो परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाला विशिष्ट ज्ञानावरण क्षयोपशम वाला ही होता है। न्याय जैसे जटिल विषयमें इतनी दक्षता प्राप्ति सहज संभव नहीं है। परन्तु अल्पायु होनेसे श्रुतसेवामें संलग्न रहते हुये जिनका जीवन समर्पित हो गया हो, उनके बारेमें अपनी विनम्र कुसुमाजलि अर्पित करते हुए यह कहना गलत नहीं होगा, कि उन्हें देखा तो नहीं, ((चर्म चक्षुओंसे)) पर देख रहा हूँ उनको (चिन्तन चक्षुओंसे)।

स्मृति ग्रन्थकी इस मंगलबेलामें पुनश्च शत-शत नमन।

अनोखा व्यक्तित्व

• डॉ० श्रेष्ठभचन्द्र जैन फौजदार, वैशाली

पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके विषयमें कुछ भी लिखना सूर्यको दीपक दिखाना है। मुझे उनके दर्शनका भी मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे जन्मके पूर्व ही उनका देहावसान हो चुका था। फिर भी श्रेष्ठय बाबूलालजी फागुल्लके स्नेहिल अनुरोधको स्वीकारते हुए वो शब्द लिखनेका साहस कर रहा हैं। सर्वप्रथम मेरा उस जिनवाणी सेवक सरस्वती पुत्रके चरणोंमें शत-शत नमन।

पण्डित महेन्द्रकुमारजी बचपनसे ही प्रतिभा सम्पन्न थे। अध्ययनके उपरान्त जब वे कार्यक्षेत्रमें उतरे तो उन्हें पं० कौलाशचन्द्र शास्त्रीका मान्निध्य मिला। पश्चात् वे पं० नाथूराम प्रेमं और पं० सुखलाल सखी जैसे प्रकाण्ड विद्वानोंके सम्पर्कमें आये। अनन्तर परस्पर आदान-प्रदान एवं सहयोगसे आपकी प्रतिभाको पल्कित-पुष्पित होनेका भरपूर अवसर मिला। न्यायाचार्यजीको उच्चतर अध्ययन-अनुसन्धानकी विशेष प्रेरणा पं० नाथूराम प्रेमोसे प्राप्त हुई। पं० सुखलालजी की प्रज्ञादृष्टिसे प्रेरित होकर वे साहित्य साधना एवं अध्ययन-अनुसन्धानमें आकण्ठ डूब गये। उन्होंने अनेक दुरूह ग्रन्थोंका सम्पादन करते जैनदार्शनिक साहित्यकी श्रीवृद्धि की तथा भविष्यके अनुसन्धाताओंको एक नयी दृष्टि प्रदान की। यह विशेष रूपसे उल्लेखनीय है।

न्यायाचार्यजी ने एक-एक ग्रन्थके टिप्पण तैयार करनेमें शताधिक ग्रन्थोंका अध्ययन-मनन किया। तब कही तुलनात्मक टिप्पण या अन्य टिप्पणियाँ तैयार हो पायीं। उन्होंने दार्शनिक ग्रन्थोंके सम्पादनमें समालोचनात्मक पद्धति का प्रायः पहली बार प्रयोग किया, जो पश्चात्तुर्वर्ती विद्वानोंके लिए मार्गदर्शक बना। उन्होंने कई ग्रन्थोंका तो मूलाठ भी टीकाओसे सजोकर तैयार किया। सम्पादन कार्यको पूर्णतः प्रदान करने हेतु पं० जी को अनेको यात्राएँ करनी पड़ी तथा महीनो बाहर रहना पड़ा। उनकी प्रतिभा लगे और कार्य करनेकी क्षमता उत्तरवर्ती विद्वानोंके लिए निःसन्देह प्रेरणास्पद है। उन्हें शत-शत नमन।

पंडितजी द्वारा सम्पादित ग्रन्थोंकी प्रस्तावनाएँ शोधके क्षेत्रमें विशेष महत्वपूर्ण हैं।

पण्डितजी स्वतंत्र चिंतक थे

• श्री जमनालाल जैन, सारनाथ

स्व० पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यसे मेरा पहला परिचय सन् १९५० में हुआ और फिर तो बनारसमें उनसे अनेक बार मिलनेका अवसर मिला। मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा।

एक दिन पता नहीं किसो मूढमें पंडितजीने मुझसे कहा कि 'तुम तो सर्वोदयो बन गये, अपने बेटे-को सर्वोदयो मत बना देना!' मैं विचारमें पड़ गया। आखिर यह बात उन्होंने क्यों कही? कौन-सी कस-मसाहट है इसके पीछे? क्या पंडितको पुत्रको पंडित नहीं बनना चाहिए? फिर दार्शनिक प्रणालियाँ क्या कहती हैं? कौन किसका निर्माण करता है? क्या सभी लोग अपनी अपनी नियति, कर्मफल भोग, भाग्य या संस्कार सप्रभावित होकर विभिन्न रास्तो पर नहीं चल पड़ते हैं? पंडितका बेटा इकोनियर बन जाता है, शराबीका बेटा संत बन जाता है। पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षणिक परिस्थितियाँ आदमी-को कहीका कही पहुँचा देती हैं! लेकिन पंडित महेन्द्रकुमारजीके कहनेका तात्पर्य शायद यह था कि किसीको भी अपनी सन्तानको अभाव पूर्ण जीवनकी ओर नहीं धकेल देना चाहिए। उनका अपना अनुभव भी शायद प्रारंभिक दिनोंका यही रहा होगा कि समाजमें बड़े से बड़े विद्वान्का भी कोई आदर-सम्मान नहीं होता। समाज पंडित वर्गसे ज्ञानदानकी, ज्ञान चर्चा की अपेक्षाएँ तो रखता है, पर आर्थिक दृष्टिसे उन्हें अपना

४० : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

चाकर ही समझता रहता है ! सत्य ज्ञान और व्यवहार-कुशलताका यह अन्तर्विरोध अगह-अगह, बार-बार देखा गया है । आज भी खुली आँखों देखा जा सकता है !

पण्डितजीने अपने जीवनमें विपुल साहित्य-साधना की । यह साधना पहाड़ खोदने जैसी कठिन रही है । इसीके कारण शायद उन्हें ब्रौन-हेमरेज हो गया और वे अचानक छीन लिये गये । उनके जानेसे न केवल वाराणसी की अपूर्व क्षति हुई, बल्कि सम्पूर्ण भारत वर्षके जैन समाजकी क्षति हुई है और स्वतंत्र चिन्तन तथा निर्भीक विचारधाराके एक प्रकाश मनीषी की पावन धारा ही सूख गयी !

लगभग ३५ वर्ष बाद उनकी स्मृति में कुछ भावना प्रधान स्नेहीजन स्मृति ग्रन्थका प्रकाशन करके विनयांजलि अर्पण कर रहे हैं—यह शुभ है ! आशा है हमारी नयी तरुण पीढ़ी डाक्टर महेन्द्रकुमारजी के प्रशस्त किये गये स्वतंत्र मनीषाके पथ पर अपनी प्रतिभा का आलोक फैलानेमें समर्थ होगे ।

जैनदर्शन के आधुनिक मेरु

• डॉ० सुरेसचन्द्र जैन, वाराणसी

पूज्य सन्त श्री गणेशप्रसादजी वर्षाके सत्प्रयत्नसे ज्ञानद्वीपकी शृङ्खलामें डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यके योगदानको जैन दार्शनिक क्षेत्रमें महान् तार्किक भट्टाकलकदेवसे किसी दृष्टिसे न्यून नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके जैन न्यायके गूढ़ रहस्योंका सम्पादन एवं पादटिप्पणके माध्यमसे जिस रूपमें अल्पतम समयमें व्याख्यायित किया है, वह स्तुत्य, स्पृहनीय और अनुकरणीय है ।

यद्यपि विद्यमान युवा पीढ़ी उनके साक्षात् सानिध्यसे वंचित रही है, तथापि उनकी कृतियाँ, उनकी गहन चिन्तन पद्धति, गवेषणापरक विधा एवं सम्पादनकी नयी दिशाका सहज बोध कराती हैं । ऐसे मनीषी अन्वयतम दार्शनिक मेरुके प्रति अपनी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता हूँ !

डॉ० कोठिया जी से जो सुना; जो गुना

• प्राचार्य निहालचंद जैन, बीना

डॉ० पं० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य अपने युगके न्याय-वाङ्मयके एक कालजयी हस्ताक्षर जिन्हें बुद्धिका वरदान मी (श्रीमती) सुन्दरबाई जी से मिला था । बुन्देलखण्ड खुरई (सागर) की माटीमें केवल श्रेष्ठ गुणवत्ताका गेहूँ ही नहीं उपजाया, बल्कि ज्ञानकी फसलको भी उपजाया है । खुरईको ऐसे सरस्वतीके वरस्त्रुवकी रूपायित करनेका सौभाग्य मिला जिन्होंने न्यायशास्त्रके क्लिष्टसे क्लिष्ट ग्रन्थोंका सम्पादन करके जैन साहित्यको अपने अक्षय अवदान द्वारा समृद्ध किया ।

बीसवीं शताब्दीके जैन-विद्वानों/पण्डितोंकी सूची तैयार की जावे, तो उस सूचीके अधिकतर पन्नोंमें बुन्देलखण्डका गौरव यद्योगान अंकित होगा ।

डॉ० घरबारीलाल कोठिया-न्यायाचार्य उनके समकालीन पण्डित आज विद्यमान हैं, जिनके पास बैठकर इन पंक्तियोंके लेखकने डॉ० पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यको असाधारण बुद्धि और ज्ञान-प्रतिभाके अक्षेप किस्से/संस्मरण सुने और अनुभव किया कि ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व-जैन समाजको, सरस्वतीकी विशेष अनुकम्पासे ही सुलभ होते हैं ।

“जन्मी सम्भूमिस्थ स्वर्गादपि गरीयसी” की भावनासे अनुप्राणित होकर अपनी जन्मभूमि बुन्देलखण्डकी माटीका अल्पांश ऋण चुकानेके लिए पण्डित महेन्द्रकुमारजीने अपनी सेवाका श्रीगणेश-खुरईके जैन

विद्यालयसे किया। लेकिन मरिता भला सरोवरकी सीमाओमें बँधकर कैसे रह सकती है। अस्तु। १९३० मे वे "स्याद्वाद-महाविद्यालय" वाराणसीमें अध्यापन हेतु चले गए। बनारसके ककर ककरमें व्याप्त शकरका यह बरदान है कि जो भी शिक्षार्थी-ज्ञान' को जीवन-साधनाका लक्ष्य बना कर वहाँ जाता है, वह उद्भट विद्वान् बनकर सम्पूर्ण देशमें विख्यात हों जाता है। ऐसा ही बरदान डॉ० महेन्द्रकुमारजी को प्राप्त हुआ।

आज डॉ० महेन्द्रकुमारजी का भौतिक शरीर हमारे बीच विद्यमान नहीं है, परन्तु न्यायशास्त्रके ग्रन्थोंके कुशल सम्पादन व उनकी विस्तृत प्रस्तावनाओंके रूपमें आपका ज्ञान व यश शरीर आज भी अविद्यमान है।

ऐसी महान् प्रणम्य आत्माको ये कुछ पक्तियाँ-जूजाका घालमें अक्षत (चावल) के कुछ धवल-कण ही है जिन्हें समर्पित कर उस प्रजा पुरुषको लेखकका विनम्र प्रणाम है।

मेरे विद्या-गुरु

• पं० अमृतलाल जैन शान्त्री, वाराणसी

मैं स्वयं को हम दृष्टि में मौभाग्यशाली समझता हूँ कि स्याद्वाद दि० जैन महाविद्यालय काशी में रहकर मैंने परम श्रेष्ठ डी० पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य से जैनदर्शन का आचार्य अन्तिम खण्ड तक अध्ययन किया था। आप केवल जैन और जैनेतर दर्शनों के ही मनीषी विद्वान् नहीं थे प्रत्युत सिद्धान्त और माहिर्यके भी प्रौढ़ विद्वान् थे। पूज्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णी न्यायाचार्यने आपके सहयोगमें गोम्मतसार कर्मकाण्डका अथ में इति तक पारायण किया था। मैंने दार्शनिक ग्रन्थोंके अतिरिक्त यशस्विलकचम्पू उत्तरार्धके दुसह पद्योका आपमें अध्ययन किया था।

आपने अध्ययन कालमें घोर परिश्रम किया था। फलतः दिगम्बर एव श्वेताम्बर जैन ग्रन्थ आपके प्राय कण्ठस्थ थे। प्रमेयकमलमार्तण्ड और अष्टसहस्री जैसे ग्रन्थ हम छात्रोंके सामने रहने थे और आप गद्दी पर बैठे-बैठे किसी भी पक्तिको जरा सा देखकर आगेकी पक्तियाँ स्वयं बोलने जाते थे और फिर उनका विस्तृत विवेचन भी करते जाते थे। दिगम्बर ग्रन्थोंकी भाँति श्वेताम्बर ग्रन्थोंका भी आपने गहन अध्ययन किया था। परोक्षाने दिनोंमें जब मैं परोक्ष ग्रन्थको लेकर आपके पास पहुँचता था तो आप ग्रन्थ खोलकर प्रत्येक पृष्ठ की शकाओं और उनके समाधान स्पष्ट बता दिया करते थे और लगभग एक घटेमें सम्पूर्ण ग्रन्थकी सारगर्भित बातें हमें स्पष्ट हो जाती थी।

जैन और जैनेतर दर्शनोंके अतिरिक्त बौद्धदर्शनका भी आपका गहन अध्ययन था। काशी हिन्दु विश्वविद्यालयके मस्कृत कॉलेजमें आप बौद्धदर्शन ही पढ़ाते थे। समय-समय पर अनेक बौद्ध भिक्षु आपके पास बौद्ध दर्शनके ग्रन्थोंके अध्ययन हेतु आया करते थे। मैंने बौद्ध भिक्षुओंको प्रमाणवार्तिक आदि ग्रन्थोंका आपमें अध्ययन करने देखा है।

ऐसे प्रतिभाशाली विद्वान् को मेरा शतशः नमन।

विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्

• डॉ० कमलेशकुमार जैन 'चौधरी' वाराणसी

अप्रैल १९९४ के प्रारम्भमें बी० एल० इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डालॉजी, दिल्लीमें शोध-अध्येताके पद पर नियुक्त हुआ। और 'जैन संस्कृत टीकाओमें उद्धरण' विषयक प्रोजेक्टमें कार्य करना शुरू किया तो

४२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

पं० महेन्द्रकुमारजी द्वारा सम्पादित-अनुवादित (मूल) और स्वतंत्र रूपसे लिखी गयी उनकी प्रायः सभी कृतियों-को अत्यधिक नजदीकसे देखने-पढ़नेका मौका मिला। इस प्रसंगमें उनके द्वारा सम्पादित लगभग सभी मूल-ग्रन्थोंका एक-एक पन्ना पलटा है और कभी-कभी पक्ति-पक्तिको देखा है, पढ़ा है। उस सबको देखकर-अनुभव कर दौती तले उँगली दबानी पडती है। उनकी सम्पादन पद्धति आधुनिकताके साथ प्राचीनताको भी साथमें लिए है, जो कि अपने आपमें अनूठी एव बेजोड़ है।

जैन और जैनेतर (वैदिक, बौद्ध, साख्य, योगादि) शास्त्रीय मन्वर्भों-प्रसंगोकी उनको जो स्मृति, उपस्थिति और जानकारी रहती है, उससे पंडितजीकी जन्मजात प्रतिभा, अथक अध्यवसाय, स्तुत्य स्मरण-शीलता, अगाध विद्वत्ता और प्रखर दार्शनिकताका सहज पता चलता है। आधुनिक सम्पादनपद्धति और तुलनात्मक अध्ययनकी दृष्टिका पंडितजीने यथासम्भव बखूबी उपयोग किया है।

पं० महेन्द्रकुमार जीकी उपयुक्त विद्वत्ता, प्रतिभा, अध्ययन-अध्यापन क्षमता, स्मरणशीलता, अथक अध्यवसाय आदिको देखकर मैं उन्हें महान् दार्शनिक आद्य शकराचार्यके नजदोक देखता हूँ।

प्रो० महेन्द्रकुमार जीने अल्प आयुमें ही जो-जो कार्य कर दिये, वे कार्य शायद अनेक विद्वानोकी टीमसे भी संभव न हों पाते। उनके द्वारा लिखी गयी ग्रन्थोकी तुलनात्मक-ममीक्षात्मक एक-एक प्रस्तावना अलग-अलग पी-एच० डी० की उपाधि की योग्यता और समक्षता रखती है। यह उनका कृतित्व ही है जो पण्डितजीकी अमर गाथा गाता रहेगा। उन्होने भारतीय दर्शन विशेषतः जैनदर्शनकी जो सेवा की है, वह असाधारण एव आश्चर्य पैदा करनेवाला है। जैन-धर्म-दर्शनके प्राचीन क्लिष्ट दृक्क, महनीय एव विशाल दर्शनपरक शास्त्रोका उन्होने जो असाधारण योग्यता-विद्वत्ता और कठिन परिश्रमसे सम्पादनादि-अनुवादादि कार्य किया है, तुलनात्मक तथा चिन्तनपूर्ण प्रस्तावनाएँ लिखी है वह शायद पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य के ही वधकी बात रही है।

इस महान् विद्वान्, दार्शनिक और लेखक के प्रति मैं अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हुए गौरव का अनुभव करता हूँ।

गम्भीर अध्येता

• आयुर्वेदाचार्य भैया शास्त्री, शिवपुरी एवं समस्त शास्त्री परिवार

जैन सिद्धान्त एवं न्यायदर्शनके चिंतन मननशील गम्भीर-अध्येता समस्त ज्ञानके भण्डार वर्णाजीके पश्चात् सर्वप्रथम न्यायाचार्य बननेवाले डॉ० महेन्द्रकुमारजी की सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेगी। प्रायः अन्धरी वस्तुका सयोग थोड़े ही दिन रहता है, पं० जोसे बड़ी भारी आशय थी कि डॉ० गा० जैनधर्मका प्रचार-प्रसार बड़ी द्रुत गतिमें करेगे किन्तु असमयमें ही हमारे बीचसे उठ गये।

इतने अल्पमयमें जो भी पं० जी०ने किया वह थोडा नहीं है, उनके द्वारा सम्पादित, अनूदित दार्शनिक ग्रन्थ, टीका ग्रन्थ, मौलिक रचनाएँ आगामी पीढीके शोधार्थी विद्वानोको ज्ञानाराधन करानेके मार्गदर्शन देकर पर्याप्त सहायक होंगे।

स्मृति-ग्रन्थ द्वारा दिया गया सम्मान चिरस्मरणीय रहेगा, हम सभी शास्त्री परिवार जन उनके प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए अपने अनन्त श्रद्धा सुमन समर्पण करते हैं।

बचपन की कुछ यादें

• सी० आभा भारती, दमोह (सुपुत्री स्व० पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य)

क्या भूलूँ क्या याद करूँ,
क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ,
का यहाँ सवाल ही नहीं ।
याद ही है चन्द बाते, चन्द घटनाएँ,
और कुछ लम्हो का लडकपन ।

मैं मात्र पाँच वर्ष की थी जब मेरे पिताजी नहीं रहे थे । पिताजीको हम सब दादा कहते थे । वो वर्ष की थी तभी मैं स्वर्ण सिंघार गयी थी । मानस पटलपर आती हूँ एक तस्वीर हर रात दादाके सीनेसे बन्दर समान चिपक कर सोनेकी । चौकीदारकी आवाज 'जागते रहो' सुनकर और सट जाने को । बड़ी मयाकह आवाज लगती थी वह ।

एक दूसरी तस्वीर उभरती है दादामे एक पल की असहनीय जुदाईसे सम्बन्धित । अलगावके भयसे लम्बा-लम्बा स्कूलसे गोल मारना । भाई-बहनोके उलाहनेपर, कि अब तुम्हारा नाम स्कूलसे कटने वाला है, स्कूल जाना और आधी छुट्टीमे भाग आना । घरपर दादाको न पाकर रोना-चिन्लाना । मिलनेपर पुनः गोदमे सवार हो जाना । हाँ, एक बात और याद आती है, स्कूल जाते समय हम सबको इकन्नी (एक आना) मिला करती थी, उमके बावजूद नहीं जाना तो नहीं जाना । इसी कारण पहलीमे एक साल फेल हो गयी मैं । एक बार अपनी एकन्नी मुँहमे दबाए मस्त सोफे पर लेती थी मैं । एकन्नी गलेमे फँसते हुए पेटमें सरक गयी । घरमे बेचारी बूढ़ी दादी । अकेली क्या करती । कालेजसे पिताजी घर आये और सार्डिकिल पर बैठे डाक्टरके पास ले गये । पहली बार एक्सरे-कक्ष देखा और मेरा एक्सरे हुआ । सलाह दी गयी चिकने पदार्थ हलुआ, केला आदि खिलाने की । रोज सुबहसे हलुआ मिलने लगा । मैं सबसे कहती तुम भी एकन्नी गुटक जाओ हलुआ खानेकी मिलेगा । यह सुनकर भाई-बहन चिढ़ते, पर दादा हँस देते थे ।

एक अन्य तस्वीर मैं के अभावमे पिता ही हम चारो भाई-बहनोको भोरसे नहला-धुला तैयार कर देते थे । स्कूल जानेके वक़्त मैं हमेशाकी तरह रोते-चिल्लाते न जानेकी जिद्दपर अड़ी थी । इतनेमे पहली और अन्तिम बार तडाकसे सैन्डिल पहनाने-पहनाने एक चाटा गाल पर दादाने जड़ दिया । मेजपर बैठे-बैठे ही मेरे कपडे गीले हो गये । पिताजी असोम दु खमे डूब गये । मैं ना जाने कब तक रोती रही, याद ही नहीं ।

फिर आये वे दिन, जिनकी भयानकता पता नहीं थी तब । पर आज तक प्रभावित करती रही । काल बैडरा रखा था आस-पास । पिताका दौया सम्पूर्ण अंग लकवा ग्रस्त हो गया था । न बोल सकते थे, न चल फिर और न ही हिल-डुल सकते थे । विस्तरपर लेंटे, नाकमे नली लगी थी । मैं पाँच साल की थी तब । आँगनमे खेलेनेमे मस्त । पिताने इशारेसे पास बुलवाया । दौया हाथ सिरपर फेरा । उनके गालो पर आँसू की कुछ बूँदे बुलक पड़ी । यही है वह जीवित अन्तिम दृश्य मेरी तिजोरी मे । पूँजी बन बैठा है । सिर-पर उनका वह दौया हाथ आज तक बना है ।

फिर याद आता है दो-चार दिन बाद हा-हाकार करती बेहिसाब भीड़ । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय-का विशाल घर छोटा पड़ गया था । सामने डाक्टर राजबली पाण्डे रहते थे । जो बादमे जबलपुर विश्व-विद्यालयके कुलपति हुए । उन्होने ही सब बच्चोको अपने घर बुलवा लिया था । अर्थात् दृश्य भी हमे नहीं

४४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

बिस्वाया गया। शायद इसीलिए मैं आज तक अपने दादाको खोजतो रही। समझ ही नहीं सकी कि वे अब इस लोकमें नहीं रहे। वे मुझे कभी छोड़ सकते हैं यह बात मेरे लिए कल्पनातीत थी। वे मेरे और मैं उनकी थी। होश सँभालनेपर जहाँ-तहाँ, जाने-अनजाने विद्वानोमें पूछनी रही कि आप मेरे पिता प० महेन्द्रकुमार जैनको जानते हैं। उत्तर मिलता ही कौन नहीं जानता। पर कोई नहीं बताता कहाँ हैं वे। सब कहते, वे प्रकाण्ड पण्डित थे, उनके लेखन, उदारता, वात्सल्य को बात जरूर बताने। और बता भी क्या सकते थे।

कालचक्र आगे बढ़ता गया। पिताका वही दाया हाथ, वरदहस्त बन हम सब अधोष भाई-बहनोपर आर्षोवाचकी अद्भुत बरसात करता रहा। पिता-प्रदत्त सारगभिल नामोके माथ हम घनघोर अभावमें बड़े हुए। बड़ी दो बहनें मणिप्रभा और प्रभादेवीके विवाह दादा ही ने सम्पन्न कर दिये थे। बड़े भाई पदम और अरविन्द जो उस समय मात्र १६ वर्ष और ९ वर्षके थे, आज अपने-अपने क्षेत्रके प्रतिष्ठित इन्जीनियर हैं। तब मात्र ७ वर्षकी बहन आशा आज प्रसिद्ध स्त्री-रोग-विशेषज्ञ हैं। लगता है पिताको पता था कि आशा ही उनके जीवनकी आशा बनेगी। नमो तो उमीके निमित्त स्मृति-ग्रन्थका यह दुर्लभ, महान् कार्य आरम्भ हुआ और सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ जा रहा है। महाराज श्री ज्ञान-भागरजी की प्रेरणा रग लायी। पिताजो की मृत्युके लगभग साठे तीन दशक बाद यह स्वर्णिम आशा गाकार हो रही है। इस अपूर्व कार्यमें आशाको पति अभयजी का अभयदान मिला और मुझे अपने पति मनोषजी द्वारा सनोष। मध्यप्रदेशके आदिवासी जिले सरगुजामे शुरू हुई शुरूआत समाप्त हो रही है। साथ ही पिताको ढूँढनेकी हमारी अनवरत खोज भी। आज हम सब भाई-बहनोको सबके सहयोगसे हमारे दादा मिल गये।

न्यायशास्त्र के तत्त्वस्पर्शी ज्ञाता

• श्री बाबूलाल जैन फागुल्ल, दाराणसी

मई सन् १९४९ को भारतीय ज्ञानपीठके प्राणमें श्रद्धेय प० महेन्द्रकुमारजीसे जो आत्मीयता मिली थी वह आज भी नाजी है। उनका असोम प्रेम हमें ज्ञानपीठके कार्यकर्ता होनेके नाते ऐसा मिला था कि उसे भुलाया नहीं जा सकता।

वे अद्वितीय प्रतिभाके धनी थे। अगाध पाण्डित्य पूर्ण प्रतिभा उन्हें विरासतमें मिली थी। न्यायशास्त्र-का तत्त्वस्पर्शा ज्ञान इतना विशाल था कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उनकी लौह लेखनीसे जिन ग्रंथोका सम्पादन हुआ है वह उनकी प्रतिभा, अध्यवसाय, लगन और कर्मठताका परिचायक हैं। सहज रूपमें बड़ोसे बड़ी गुणोकी सुश्रुतानेकी उनकी तीक्ष्णबुद्धिका काम था। बड़े-बड़े विद्वान् उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। उनका मौलिक चिन्तन अद्वितीय था।

भारतीय ज्ञानपीठकी प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा उसे समुन्नत बनानेके लिये महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है और अन्तिम समय तक वे उसके प्रति समर्पित बने रहे।

ऐसे महामनीषीके प्रति अपने श्रद्धामुमन समर्पित करने हुए गौरवका अनुभव कर रहा हूँ।



स्मृति-पत्राञ्जलि

• श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, दिल्ली

स्नेही भाई,

कैसी विडम्बना है कि जो पत्र आप कभी मेरे विषयमें लिखते, वैसे पत्र आपकी स्मृतियों में लिखनेके लिए रह गया हूँ। आप थोड़ी आयुमें ही इतना कुछ कर गये। बागदेवीके यशस्वी एक पुत्रके रूपमें उनकी बेटी पर इतने सुरभित चिर-अम्कान कमलपुञ्ज चढा गये कि पीढ़ियाँ उनकी सुवाससे भकि मन्दिरको महकता पाकर अपनी साँस-साँसको धन्य कर लेगी। यह जो स्मृति ग्रन्थ फागुलजीने मेरे बरिष्ठ स्नेही मित्रके सहयोगसे प्रस्तुत किया है वह आद्यन्त आपके आगमिक और साहित्यिक अवदानकी गाथासे भरा-पूरा है। इस सम्बन्ध में मैं अब क्या कहूँ। भारतीय ज्ञानपीठके माध्यमसे, उसके बहुविध कार्यकलापके माध्यमसे और समाजके अनेक अनेक सांस्कृतिक आयोजनोंसे हम दोनों भागीदार रहे और बिकासके वे आह्लादकारी क्षण—वर्ष कर्तव्य-निष्ठाके आत्म-सोचसे परितुप्त वित्तिये—ऐसे गुरुजनो और बन्धुजोंके बीच जो युगके शलाका पुरुष थे—प्रातः स्मरणीय वर्षाजीने अपने पावन प्रयत्नसे जिस कल्पवृक्षको स्थापित किया, उसकी शाखाओं-प्रशाखाओंने, परितुप्त हृदयोंको ज्ञानकी छाया और विधाके विकासके आश्रय-स्थल प्रदान कर दिए। प्रिय भाई महेन्द्रजी, आपने पूज्य वर्षाजीके ज्योति कलशके जलसे अनेक संस्थाओंको सींचा और आलोकसे उद्भासित किया। कैसे सौभाग्यके वे दिन थे जब डाक्टर हीरालालजी, डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, सिद्धान्ताचार्य पंडित फूलचन्दजी, सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशचन्दजी आदिके साथ हम दोनों बैठकर न केवल उन्हीं विद्वानोंसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे, अपितु उनके स्नेहसे आश्वस्त होकर उनके साथ विचार-विनिमय करते थे, तथा नीति-निर्धारणमें सहयोगी बनते थे, हम दोनों कितनी-कितनी बार माननीय साहू शान्तिप्रसादजीके अद्भुत गुणोंसे प्रभावित होकर नयी-नयी योजनायें बनाया करते थे और श्रीमती रमा जैन भारतीय ज्ञानपीठकी सहृदया अध्यक्षके तत्वावधानमें कठिनाईयोंको सहजतासे हल कर लिया करते थे। आप ज्ञानपीठसे सम्बन्धित तो बहुत वर्षों तक रहे, किन्तु ज्ञानपीठके सम्पादक और वाराणसी कार्यालयके अधिकारीके रूपमें कुछ ही वर्षों तक काम कर पाये। हमने कितने उतार-चढाव—कहना चाहिए चढ़ाव-उतार देखे। बहुत ही उन्नत कल्पनाओंसे आप आविर्भूत होकर ऊँचसे ऊँचे शिखर छू लेना चाहते थे और ज्ञानपीठ को उन शिखरों तक ले जाना चाहते थे। जो हो सका, बहुत हुआ। जो नहीं हो सका उसे सोचकर मन खिन्न हो जाता है। अनेक प्राक्क क्षणोंमें आप अपने मतकी बात मुझसे कहते थे और जब पाते थे कि व्यवस्था आपके मनके अनुकूल नहीं हो पा रही है तो निराशासे भर उठते थे। श्रीमती रमा जैनके अनेकों पत्र अभी-अभी मैंने देखे जब उन्होंने बड़ी शालीनता और कुशलतासे प्रयत्न किया कि बैयभित्तक मत-भेद या दुष्टिकोण ज्ञानपीठकी प्रगतिमें बाधक न बने तथा सत्त्वामें सामञ्जस्य का वातावरण दुष्ट हो। वास्तवमें वे दिन ज्ञानपीठके प्रारम्भिक विकास के थे। उस समय, कहना चाहिये, ज्ञानपीठका अस्तित्व था ही नहीं। सत्त्वामें स्थापनाकी प्रारम्भिक कल्पना 'जैन ज्ञानपीठ' की थी। उसी नामसे पहला संकल्प-पत्र प्रकाशित हुआ और ज्ञानपीठका पहला प्रकाशन भी जैन ज्ञानपीठकी पताकाके अन्तर्गत हुआ। वह प्रकाशन था 'आधुनिक जैन कवि' जिसके संपादनका दायित्व रमाजीको साहू शान्तिप्रसादजीने विगम्बर जैन परिवर्द्धके कानपुरके खुले अधिवेशनमें कवि सम्मेलनकी परिसमाप्ति पर घोषित किया था। उससे कुछ समय पहले ही मैं साहूजीके सचिवके रूपमें डालमियानगरमें नियुक्त हुआ था और जैन ज्ञानपीठ की स्थापनाकी प्रारम्भिक चर्चा बली थी।

४६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

प्रिय भाई,

बात करते-करते मैं कहींसे कहीं पहुँच गया। ज्ञानपीठका विस्तार होता रहा—शालमियानगर, कलकत्ता और दिल्लीके बीच, किन्तु आप और पंडित फूलचन्दजी, उस समयके निकट सहयोगियोंके साथ जैन बाह्यकी सेवामें जुटे रहे और ज्ञानपीठको जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनके यशका भागीदार बनाते रहे। ज्ञानपीठने ज्ञानोदयका प्रकाशन प्रारंभ किया तो आपने और पंडित फूलचन्दजीने जैन विद्याके क्षेत्रमें नया प्रकाश-स्तम्भ स्थापित कर दिया। ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित ज्ञानोदय तीर्थकरोंकी उदार छाप और मानव कल्याणकी भावनाका पक्षधर बना। सामाजिक चेतनाका यही विश्व-कल्याणकारक रूप ज्ञानोदयमें उभरा। हरिजन मंदिर प्रवेश, अछूतोंद्वारा, सामाजिक क्षेत्रमें विभिन्न जातियों-उपजातियोंके सपर्कको दृढ़ करनेकी प्रतिज्ञा आदि सारे विकासोन्मुखी प्रश्न ज्ञानोदयमें प्रतिबिम्बित हुए हैं।

जैन शास्त्रोंका विपुल भण्डार जो ज्ञानपीठमें आपके व्यवस्था-संचालनके समय आया और उसने समाज की अनेक प्रतिभाओंको उत्साहित किया वह ज्ञानपीठके इतिहासका समृद्ध और समुज्ज्वल समय था।

आप निरन्तर साथ रहे, और जब अन्ततोगत्वा आप विश्वविद्यालयमें चले गये तो भी जैन ग्रन्थोंका संपादन करते रहे और ज्ञानपीठकी प्रतिष्ठाको चमकाते रहे।

एक पूरा इतिहास है। जीवनके वे उभरते-उठते अमूल्य क्षण उत्तेजक, प्रेरक दिन स्मृतिमें बसे हुए हैं। आप इतनी जल्दी क्यों चले गये? और मैं हूँ कि आज भी बैठा हूँ। लेकिन कितने दिन?

हृदय की समस्त कुण्ठा और प्रेमसे आपको स्मरण किया है।

स्वीकार करे यह पत्राञ्जलि यह विनयाञ्जलि।

असाधारण विद्वत्ताके धनी

• डॉ० रतन पहाड़ी, कामठी

वदन प्रसाद सदपं सदप हृदय सुधामुचो वाचः।

करण परोपकरणं येषा केषा न तो बन्धाः ॥

प्रसन्नतासे युक्त ही जिनका मुखमंडल है दयासे पूर्ण जिनका हृदय है—परोपकार ही जिनका कृत्य है। ऐसे पुरुष किनके द्वारा वन्दनीय नहीं होते हैं?

डॉ० प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यका व्यक्तित्व जब स्मृतिपटल पर घूमता है तो ऐसे ही गुणोंसे युक्त उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व, कृतित्व दृष्टिगोचर होता है।

आज उन्हें बिल्कुले ३ दशकसे अधिक हो गए। साधारण व्यक्तित्व होता तो जनमानस जिसकी प्रवृत्ति विस्मरणशील होती है, भुला दिया जाता किन्तु असाधारण विद्वत्ता तथा असाधारण लेखनी और असाधारण अमूल्य ग्रन्थोंके प्रणेताकी स्मृतिको सजीव करनेका श्रेय एक उपाध्यायश्रीको मिलेगा यह कभी स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की गई थी। उपाध्यायश्री ज्ञानसागरजी महाराजने उनपर गोष्ठीका आयोजन करके तथा उनके स्मृति ग्रन्थकी रूपरेखा हेतु पुरस्कृतिके रूपमें प्रेरणास्रोत बनकर स्मृतिको पावन रूप देनेका स्तुत्य कार्य किया है।

पं० महेन्द्रकुमारजीके ग्रन्थोके सम्बन्धमें, उनकी विद्वत्ताके सम्बन्धमें, उनके असाधारण व्यक्तित्वके सम्बन्धमें इसी स्मृति ग्रन्थमें पर्याप्त प्रकाश डालकर उन्हें अक्षुण्ण अजर-अमर बनानेमें तथा उनपर शोध करके दुर्लभ सामग्री प्रस्तुत करके एक उन्नत महान् विद्वान्की स्मृतिको देरसे ही सही प्रस्तुत करने का कृतज्ञ कार्य किया है।

मैं पं० महेन्द्रकुमारजीका बड़ा दामाद हूँ। दामादको दशम ग्रहकी संज्ञा दी जाती है। दामाद कभी असन्तोष, कभी सन्तोष तथा अनेक पारिवारिक हिन्दोलोंमें झूलता है।

पं० जीका मैं १९४० में स्याद्वाद दि० जैन महाविद्यालयका विद्यार्थी भी रहा और १९४२ में जेल गया इस कारण पं० जीका आकर्षण मेरे प्रति मेरे काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें अध्ययन कालसे ही बढ़ता गया। और न चाहने हुए भी अनेक छोटोसे दबाव डालकर उनका दामाद बन गया।

पं० जी बीसे तो ज्ञानपीठमें अपनी टेबुल पर बैठकर बड़े सबेरेसे काममें जुट जाते थे लेकिन साहित्यिक और साहित्य सृष्टा की जो गति होती है—उसके उदाहरण वेशके साहित्यिकोके लोगोके सामने है पं० महेन्द्र-कुमारजी न्यायाचार्य इस दृष्टिसे तथा पारिवारिक जिम्मेदारियोंको निभानेकी दृष्टिसे अगर मुँह खोलकर कहा जाय तो स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि इस व्यक्तियने सदैव ही अपनेको ग्रन्थ प्रणयनमें खपा दिया, अपने परिवार हेतु साधन जुटानेकी ओर ही खपा दिया—उसका फल भोगनेका जब समय कभी आया और स्वातंत्र्यकी चरमसीमा जब छूनेको आई तो पं० जी को कालने अपने आगोशमें छिपा लिया।

एक बारका प्रसंग मुझे याद आ रहा है। पं० जी काशी छोड़कर बम्बई सर्जिस हेतु जा रहे थे। स्याद्वाद विद्यालयमें विदाई समारोह मनाया जा रहा था उस समय पं० जीकी असमंजस स्थिति तथा आर्थिक स्थितिकी स्पष्ट रूपरेखा उनकी मुखाकृति पर स्पष्ट देखी जा सकती थी। पं० कौलाशचन्द्रजीने उनकी विदाई पर जो मार्मिक उद्गार प्रकट किए थे वे आज भी मुझे याद हैं—उन्होंने कहा था कि साहकिल्ली गतिकी वशमें करनेके लिए ब्रँक लगाया जाता है—वह ब्रँक अपने काबूमें व्यक्तिको रखना होता है पं० जी बम्बई तो जा रहे हैं—मगर लगता है परिस्थितियोंने उन्हें ब्रँक हाथसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया है।”

और वही हुआ कि पत्नी अथवा घरकी स्थितियोंमें पं० जी ऐंसे घिरे कि उन्हें बम्बई छोड़ना ही पडा और पुनः काशी वापस आना पडा।

एक इतना बड़ा विद्वान् जिसने सबसे पहले न्यायाचार्य होनेका गौरव प्राप्त किया हो, एक इतना बड़ा विद्वान् जिसकी टीका पर सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन् जैसे विश्वविख्यात उपकुलपति भी प्रभावित हुए हो और डाक्टरेट भी उसी टीका पर मिली हो—ऐसे महामनीषीका इतना कष्ट अन्त और अन्तमें जो स्थिति आई उसका स्मरण हो आता है तो शरीरमें काटे उठ आते हैं—भला इतना ही क्यों? इससे भी भयानक स्थितिका सामना पं० जी के जीवनमें पं० जीने किया है।

पं० जीके घरमें रेडियोके वायर लगाने के लिए बाँस लाए थे—बाँस लगने में थोडा समय छग क्या गया पं० जीकी दूसरी पत्नीकी इसी अन्तरालमें मृत्यु हो गई—और वे बाँसविचिता सजानेके काममें आए। ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्तित्व कितना सहनशील होगा—इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं इमशानघाटसे पं० जी आकर घर में बैठे हैं हमारे एक मित्र श्री मूलचंदजी बडजात्या पं० जीसे मिलने भाग्यसे पहुँचे। उन्हें कुछ भी घटनाका आभास नहीं था—अगर वातावरण उदासी का था। और

४८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

पं० श्री सहजवाकसे बात कर रहे हैं—हालचाल पूछ रहे हैं और बात के दौरान बता रहे हैं कि पत्नीका निधन हो गया है—बही बहीसे जा रहे हैं ।

पं० श्री में एक आसियत थी—बे किसीके भी कार्यके लिए दौड़ पड़ते थे । यही सबके लिए दौड़ पड़ना उनके स्वास्थ्यके लिए विशेषकर अन्तिम समयमें दुःखद बनकर उनकी मृत्युका कारण भी बना यह एक कटु सत्य है जिसका उल्लेख बस इतना ही करना समीचीन होगा ।

आजके पंडित वर्गकी तुलना में—पुस्तको पर पुरस्कारोंकी बौछार होनेकी तुलना में—पारिवर्त्मिक की दृष्टिसे आजमें और तबमें जमीन आसमानका अन्तर है । आज पाँचों उगलियाँ धीमें हैं अगर कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और पहले पंडित वर्गका जीवन पिसता था और उसमेंसे विद्वत्ता निस्सर-निस्सर कर जाती थी क्योंकि तब यही नीति थी—

जीर्णमङ्ग सुमाषितम्

खण्ड : २

जीवन परिचय
व्यक्तित्व एवं कृतित्व

डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य का जीवन
चित्रमय प्रस्तुति

न्यायाचार्य डॉ० महेन्द्रकुमार जी का जीवन : चित्रमय प्रस्तुति



डॉ० महेन्द्रकुमार जी की पूजनीया माँ
श्रीमती सुन्दरबाई



डॉ० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य



श्रीमती नर्मदा बाई
(धर्मपत्नी न्यायाचार्य जी)



स्वादाय मराठ्यानाय बाराणसी म जाल्लेक
सरस्वती भवन म केंद्र मे स्वादायामंडा



डॉ. न्यायाचार्ये की
लेखन आर चिन्तन की मंडा म



न्यायाचार्ये के जन्म मे म साध



सायाचार्ये की आपणे परिषद मे एका सदा मे स्थान



कार्यकर्ते की लक्ष्मणवट की एका मीसलाल मे एका जन्म पोस्टर
मे साय न्यायाचार्ये की



समसाय श्री के भाता श्री नयलजील जेन एन समेपनी श्रीम ती यद्वराबाई



समसाय श्री न भाता श्री धन्यकुमार जेन एन समेपनी श्रीम ती सीतादेवी



न्यायाचार्य जी के बहनोई प हीरालाल जी व मर्मपत्नी श्रीमती व



न्यायाचार्य जी की प्रथम पुत्री श्रीमती प्रभा जेन
व माता डा रतन पहाडी व उनका परिवार



न्यायाचार्य जी की द्वितीय पुत्री श्रीमती मणिदेवी जैन
व दामाद श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन



न्य याचार्य जी के प्रथम पुत्र श्री पदमकुमार जैन
शर्मपत्नी श्रीमती विमलादती जैन व उनका परिवार



यायाचाये श्री क द्वितीय पुन श्री अ विन् नम ते
व ग्नेप नी श्रीमती मनु जेन व एक र्ति



य सचाये श्री सा तृतीय पुत्री ला आता चो र्णे
व ग्नेप नी अमय चो र्णे व नका र्तिवा



गयाचार्य जी को चतुर्थ पुत्री श्रीमती आभा जेन
व टामाद श्री सनाथ भारती एवं उनके पुत्र श्री अनुपम भारती



डा० मन्मन्द् कृमार जेन न्यायाचार्य को पूज्यनीया माता जी अपन
पोता पातियो के बीच



समाजरत्न साहु शान्तिप्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा जैन की सुपुत्री सुश्री अलका जैन के जैन पद्धति से वैवाहिक धार्मिक कार्यक्रम मे मन्त्रोच्चारण करते हुए प० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य



साहु शान्तिप्रसाद जी, प० कमलापति त्रिपाठी तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ० सम्पूर्णानन्द जी एव श्रीमती रमा जैन आदि अनेक गणमान्यो के साथ न्यायाचार्य जी



जाना-प्य के सम्पादक—श्री मुनि कान्तिसागर जी एव प० फूलचन्द्र जी शास्त्री तथा
 बातापीठ क मंत्री श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय के साथ न्यायाचार्य डॉ० महन्द्रकुमारजी



वागणरी में नरिया स्थित श्री सन्मनि जैन भवन (जैन लाज) गगठन एव काशी हिन्दू विश्व-
 विद्यालय क प्रमुखों क साथ सन् १९५२-५३ म प्रथम पत्रिक में बाये से दाये पाचवे क्रम में
 वेद एव डॉ० न्यायाचार्य जी साथ में है चौथे क्रम में हटा के डॉ० शिखर वन्द जी जैन तथा
 प्रो० एम० बी० दाम गुप्ता, डॉ० ए० बी० मिश्र (कुलसचिव), डॉ० एम० एस० वर्मा, प्रो०
 एम० एम० तिवारी आदि ।



अभिन्न मित्र परमेशीदास क साथ परमेश्वरदास जी



दिनांक १८८९५ से २०८९५ तक सम्पादक मण्डल की बैठक में सम्पादक मण्डल स्मृति ग्रन्थ के वाचना में व्यस्त ।

पण्डित महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य : एक-परिचय

• पं० हीरालाल जैन 'कोशल', दिल्ली

आपका जन्म रैन नगरी खुरई (सागर) म० प्र० में थी जवाहरलालजी जैनके यहाँ उनकी पत्नी श्रीमती सुन्दरबाईके कोखमें दि० ११ मई १९११ तदनुसार बंशाख शुक्ला पुणिमा वि० स० १९६८ को हुआ था। ब्रह्मपुणिमाका दिन था। मयोगकी बात है कि हिन्दू विश्वविद्यालयमें बौद्धदर्शनके हो प्राध्यापक पद पर आपकी नियुक्ति हुई। पूर्णमासीको जन्म होनेके कारण आपका नाम पूणचन्द्र रखा गया था। खुरईमें प्रारम्भिक शिक्षाके पश्चात् बीनाकी पाठशालामें विशारद तककी पढाई शीघ्र पूरी कर ली। आपका नाम भी महेन्द्रकुमार हो गया। फिर सर हुकुमचन्द्र महाविद्यालय, इन्दौरमें प्रविष्ट होकर धुरन्धर विद्वान् प० बशीरजो न्यायालकारमें मिद्धानशास्त्र, दर्शनशास्त्रके सुप्रसिद्ध विद्वान् प० जीवन्धरजोसे दर्शनशास्त्र तथा प० शम्भुनाथजो त्रिपाठी व्याकरणाचार्यके माहिर्यका गम्भीर अध्ययन किया। मन् १९२१ में प्रथमश्रेणीमें न्यायनीधं तथा अगले वर्ष शास्त्रीकी पदवी प्राप्त की तथा १९ वर्षकी आयुमें शास्त्री-विद्वान् बन गये।

खुरई आ जाने पर वहाँ श्रीमन्त सेठ मोहनलालजी द्वारा सञ्चालित जैन पाठशालामें अध्यापक हो गये। उमी वर्ष दमोहके मिर्छा गमलालजीकी सुपुत्री कु० चम्पाबाईसे आपका विवाह हो गया। सन् १९३० में ही म्यादाद नहाविद्यालय, बनारसमें दर्शनाध्यापकके पद पर आपकी नियुक्ति हो गयी। अपने अध्ययनको जारी रखने हुए बनारस पढ़ने पर न्यायाचार्यकी परीक्षा उत्तीर्ण की। १३ वर्ष तक कार्य करनेके पश्चात् सन् १९४३ में आप श्री महावीर जैन विद्यालयमें अध्यापक बनकर बम्बई चले गये। वहाँ प्रख्यात पुरातत्व प्रेमी माननोय नाथरामजी पेम्की सम्पर्कमें प्राचीन ग्रन्थोंकी खोज शोध की। बम्बईमें आप बहुत समय नहीं रह गये। उन्हीं दिनों आपकी पत्नी श्रीमती चम्पाबाईका निधन हो गया। ये अपने पीछे दो पुत्रियाँ प्रभा एवं मणिप्रभा तथा एक पुत्र पदमकुमारको छोड़ गयी।

स्वनामग्रन्थ मात्र शान्तिप्रसादजी तथा उनकी पत्नी श्रीमती रमारानी जैनने प्राचीन ग्रन्थोंकी शोध, खोज, सम्पादन तथा प्रकाशन हेतु भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना की और उसके सञ्चालन और व्यवस्थाके लिए श्री महेन्द्रकुमारजीको बनारस बुलाया गया। आपके अथक प्रयासोंमें मस्थापी चहेंमुखी उन्नति हुई। मस्थाकी ओरसे आपने 'ज्ञानोदय' नामक पत्र निकाला एवं 'लोकोदय' ग्रन्थमालाकी स्थापना की।

सन् १९४७ में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटीमें बौद्धदर्शनके प्राध्यापकके रूपमें आपकी नियुक्ति हो गयी। इसी वर्ष आपका दूसरा विवाह कु० नर्मदाबाईमें हुआ। यह भी मान वर्ष बाद १९५४ में एक पुत्र अरविन्द-कुमार तथा दो पुत्रियाँ कु० आशा और कु० आभाकी छोड़कर चल बसी। आप पर गृहस्वीका सारा उत्तर-दायित्व आ पडा जिसे आपने बड़ी सावधानीसे निभाया। आप पक्के देशभक्त तथा गांधीवादी विचारधाराके पोषक थे। दिगम्बर जैन परिवार तथा समाजके अन्य बड़े अभिवेशनोंमें आपकी उपस्थिति अवश्य हुआ करती थी।

डॉ० महेन्द्रकुमारजीके दो भाई और है श्री मंगलजीतजी एवं प्रयत्नकुमारजी। एव दो बहने हैं बड़ी श्रीमती कस्तूरीबाई जो लक्ष्मीचन्द्रजी शास्त्रीकी व्याही थी एव दूसरी बहिन श्रीमती कान्तादेवी जो विद्वत्वर्य प० हीरालाल जैन 'कोशल' की विवाही हैं जो शिक्षाके क्षेत्रमें देशके शिक्षा मन्त्री द्वारा राजकीय पुरस्कारमें सम्मानित, महावीर विधाण पञ्चम गोत्र महोत्सव पर राष्ट्रसत्ता आचार्य विद्यानन्दजीके सानिध्यमें महामहिम

२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

उपराष्ट्रपति द्वारा 'विद्वत्सल' की उपाधि द्वारा सम्मानित विद्वान् है। आपके पुत्र डॉ० सत्यप्रकाश जैन समाजसेवी व लेखक हैं।

मेरी रचिको देखकर श्री महेन्द्रकुमारजीका मुझ पर कुछ विशेष स्नेह था और वे मुझे निरन्तर आगे बढ़ना देखना चाहते थे। इसलिए छुट्टियोंमें प्रायः मुझे अपने पास बुला लेते थे। गर्मीके दिनोमें शामको माननीय पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, पं० महेन्द्रकुमारजी तथा मैं दुर्गाकुण्डके पार्कमें जाकर बैठते थे। विविध विषयो पर गम्भीर चर्चा होती थी। मैं सभी बातोंको ध्यानसे सुनकर अनेक नई जानकारियाँ ग्रहण करता था और यही उनका उद्देश्य था।

सन १९५९ में उनका आग्रह था कि मैं गर्मीकी छुट्टीमें बनारस आ जाऊँ। वहाँ दोनो जैनधर्म पर एक पुस्तक लिखे। पर छुट्टी होने पर मैं वहाँ पहुँचना, इसके पूर्व ही २० मईको उनका स्वर्गवास हो गया और वह विचार यो ही रह गया।

वे वास्तवमें महान् थे। उनमें अनेक विशेष गुण थे जिनके कारण वे सब सम्मान प्राप्त करते थे। जीवनके सभी क्षेत्रोंमें वे रचिपूर्वक भाग लेते तथा नाम व यश प्राप्त करते थे। उनका निधन माहित्य और समाजके साथ परिवार एक सम्बन्धियोंके लिए अपूरणीय क्षति थी।



उन्हें वर्णीजी का परामर्श प्राप्त था

• श्री नीरज जैन, सतना

विद्वानोंके प्रति पूज्य श्री गणेशप्रसादजी वर्णाजीक ममता भवं-प्रसिद्ध थी। विशेषकर जिस विद्वान्मे जैन विद्याओके अनुरागके साथ चारित्रिक निष्ठा हो उसके लिये तो बाबाजीके मनमे मातृत्व ही छलकता रहता था। उसके अरण-पोषणके लिये, और उसके मानसिक पोषणके लिये वे सदा चिन्तित रहते थे। यथा-मम्भव उसकी सहायताका भी प्रयत्न करते रहने थे।

पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य एक ऐंग ही "जैन-विद्यानुरागी" तथा "चारित्र-निष्ठ" विद्वान् थे, अत समय-समय पर उन्हें भी पूज्य वर्णाजीका मस्परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता था। जब-जब पण्डितजीके सामने कोई कठिन समय आया, तब-तब बाबाजीने उन्हें अपनी अमृतवाणीसे कभी दिशा-दर्शन कराया, कभी डाइस बँधाया और कभी प्रेरणा प्रदान की। पण्डितजी भी समय-समय पर अपनी मनो-दशा, या अपनी समस्या बाबाजीके सामने उसी प्रकार बेहिचक रखते थे जैसे कोई पुत्र, अपना अधिकार मानकर अपनी बात पिताके सामने रख देता है। वर्णाजीके पास चर्चामे कई बार उनके बारेमे हमें सुननेको मिलता था। उनके पास वर्णाजीके अनेक पत्र भी थे जिनसे इन स्नेह-मम्बन्धोका सहज अनुमान होता है।

सन् १९४४ मे साहु शान्तिप्रसादने जिन दो-चार विद्वानोंके परामर्श भारतीय ज्ञानपीठको स्थापना की थी, उन विद्वानोमे पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यका नाम शीर्षस्थ था। इतना ही नहीं, साहुजीके अनुरोधपर पण्डितजीने बनारस विद्यालयमे अपनी तेरह वर्षकी नौकरी छोडकर भारतीय ज्ञानपीठमे अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली और ज्ञानपीठको साहु दम्पतिके सपनोके अनुरूप आकार प्रदान किया। वह पण्डितजीका युवाकाल था। वर्णाजीने उन्हें ब्रह्मचर्यकी प्रेरणा दी जो उनके जीवन-निर्माणमे बहुत सहायक सिद्ध हुई। वर्णाजीका वह पत्र मैं यहाँ अविकल प्रस्तुत कर रहा हूँ—

श्रीमान् महाशय पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य,
योग्य दर्शनविशुद्धि।

एक व्रत हमारी सम्मतिसे पालन करना। इसमे आपका हित है। इन दिनोंमे ब्रह्मचर्यसे रहना—

१-अष्टमी चतुर्दशी।

२-वर्षमे तीन बार दसलक्षण पर्व।

३-वर्षमे तीन बार अष्टाह्निका पर्व।

४-स्त्रीके गर्भमे बालक आने पर, जब तक बालक दो वर्षका न हो जाये, ब्रह्मचर्यसे रहना। इसकी अवहेलना न करना।

विशेष—पं० शिखरचन्द्र जो ईसरीमे है, योग्य है। उसे आप अपने कार्यमे बुला लो।

७५/- और मकान देनेसे वह प्रायः आ जायेगा।

कुर्बार वदी ११, सं० २००१

आपका शुभचिन्तक
गणेश वर्णा

मैं सोचता हूँ एक सदगृहस्थको अपना जीवन सार्थक बनानेके लिये यह परामर्श क्या पूरी जीवन-यात्राका पर्याप्त पाथेय नहीं है? ऐसी होती थी बाबाजीकी कृपा अपने कृपापात्र विद्वानों पर।

४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

इसके कुछ समय बाद पण्डितजीको इष्ट-वियोगका वह दारुण दुःख झेलना पडा जो किसी भी भावुक व्यक्तिको बिरक्षित करनेके लिये पर्याप्त होता है। पूज्य वर्णाजीने उस दशमे पण्डितजीको इन शब्दोंके द्वारा सबेबना और सान्त्वना प्रदान की—

श्रीयुन पं० महेन्द्रकुमारजा न्यायाचार्य,
योग्य दर्शनविशुद्धि ।

मैंने श्री पं० गुलाबचन्द्रजी द्वारा आपके इष्ट-वियोगको जानकर कुछ खेदका अनुभव किया। इसका मूल कारण आपसे स्नेह ही है। यहाँ—समारामे—यही होता है। आपको अब सर्वथा यही उचित है जा इस जालसे अपनेको रक्षित रखें, और स्व-परिपकारमे अपना शेष जीवन पूर्ण करें। यदि यह न हो सके तो जो होना है, वही होगा। ससारमे ज्ञानार्जन उतना कठिन नहीं, जितना उसका सदुपयोग करना कठिन है। "सदुपयोग" से तात्पर्य निवृत्ति मार्गकी प्राप्तिसे है। विशेष क्या लिखें। " × × आप सहसा कोई कार्य मन करना और न गजटोमे कुछ छपवाना। कुछ दिन बाद जब चित्त स्थिर हो जाये तब अपनी हार्दिक भावनाको प्रगट करना।

आपका शुभचिन्तक

गणेश वर्णा

शिक्षा-प्रसार तो बाबाजीका जीवन व्रन ही था। अपने विद्वस्त और समर्पित जनोमे वे उसमे सहा-यक होनेके लिये भी कहते थे। पं० महेन्द्रकुमारजी उनके प्रति समर्पित तो थे ही, समाज पर भी उनका अच्छा प्रभाव था। जब खुरईमे गुरुकुलकी स्थापना हुई तब, वर्णाजीने पण्डितजीको एक ऐसा ही काम सौपा था जो उनके ऊपर वर्णाजीके विश्वासका प्रतीक है।

× × × —“एक बार मैं सागर जाऊँगा। खुरईमे जो गुरुकुलका उद्योग हुआ है, उसमें है। परन्तु जो मूल द्रव्य है वह बहुत ही न्यून है। गुरुहाजीको उचित तो यह था जो दो लाख रुपया देकर कुछ लाभ लेते। श्री सेठजी ता अभी बालक ही है, उन्होंने जो दान दिया है वह तो “न” के तुल्य है। गुरुहा जो तो अब वार्धक्यका अनुभव कर रहे हैं। सच्चे रूपमे कार्य करें। आजकल बीस हजारमे तो एक चटशाला भी नहीं चल सकती। जब आप खुरई जावें, हमारा उनसे यह सन्देश कह देना।”

आपका शुभचिन्तक

गणेश वर्णा

ज्ञानका फल चारित्र ही है, अन्य कुछ नहीं, यह वर्णाजीकी अटल धारणा थी। वे सदा सबमें ज्ञानके अनुष्ण अनासक्ति और समयकी परिणति देखना चाहते थे। अधिकांश विद्वान् ऐसा कर नहीं पाते इस बातको लेकर बाबाजी चिन्तित भी रहते थे और अफसोस भी जाहिर करने रहते थे। कुछ ऐसे ही मनो-भाव उन्होंने अपने एक पत्रके माध्यमसे न्यायाचार्यजीपर व्यक्त किये हैं। यह उन दोनों न्यायाचार्योकी निकटताका भी प्रतीक है—

श्रीयुत महाशय महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य,
योग्य दर्शनविशुद्धि ।

आदिपुराण यदि पूर्ण छप गया हो तो बाबू रामस्वरूप बरुवासागरके नामसे भेज देना ।
हम कार्तिक सुदी पूर्णिमा तक सोनागिरि पहुँच जावेंगे । विशेष क्या लिखें ।
धर्मका मर्म जिसके ज्ञानमें आ गया उसके शत्रु-मित्र समान हैं ।
अभी तो कतिपय मनुष्योंकी प्रवृत्ति है कि “अपनी शान रह जावे, दूसरा कोई चाहे मर्तमें
जाये ।” मेरी सम्मति तो यह है कि आपने ज्ञान पाया है तब स्वप्नमें भी किसीको शत्रु न समझना ।
जिस चिन्तनासे संकलेश हो वह चिन्तना किस काम की ?
ज्ञानका फल “उपेक्षा” भी है ।
अज्ञान-निवृत्तिकी अपेक्षा उपेक्षा बहुत मूल्य रखती है ।
क्या कहे, जन्म बीत गया परन्तु शान्तिका उदय न आया ।
इसमें किसीका अपराध नहीं ।
हमारी मोहकी बलवत्ता है जो अद्यावधि शान्तिको तरसते हैं ।
अस्तु, जिसमें आपको शान्ति मिले वही कार्य करना ।

फाल्गुन सुदी ६, सं० २००७

आपका शुभचिन्तक
गणेश वर्णी

ऐसा लगता है कि पण्डितजीका जीवन सुगम नहीं रहा । उनके सामने अवश्य कोई ऐसी परिस्थिति
आई होगी जिससे उनके मनमें अस्थिरताका अंधेरा व्याप्त हुआ होगा । शायद ऐसी ही किसी बेलामें वर्णी-
जीने बहुत हिम्मत दिलानेवाला एक पत्र अपने इस प्रिय शिष्यको लिखा ।

श्रीमान् पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य,
दर्शनविशुद्धि ।

पत्र आया, वृत्त जाने । हमको कोई चिन्ता नहीं । चिन्ता यह रहती है कि विद्वान् लोग
निश्चिन्त रहे क्योंकि जगत्का सद्व्यवहार इनके ऊपर रहता है । आप निश्चिन्त रहिये ।
वह वस्तु आपको मिली है जो असंख्य द्रव्यसे नहीं मिलती ।
पण्डित लोग एक मत हो यह असम्भव है ।
जिस चक्रमें जगत् रहता है, वे भी उसीमें हैं । मात्र ज्ञान अधिक है ।
इनके ज्ञान है, किसीके धन है । किसीके अज्ञान है ।
मूल वस्तुके सद्भावमें तीनों ही कल्याणके पात्र हैं ।
हम क्या लिखें ? हम भी अपनी गणना इसी चक्रमें मानते हैं ।
अतः आप आनन्दसे जीवनयापन करो ।

जैन साहित्यका विकास इन महानुभाव पण्डितोंसे होना दुर्लभ नहीं, परन्तु इनकी आभ्यन्तर
दृष्टि ही नहीं है । श्रेय इस बातका है कि कूपमें ही भाँग पड़ो है । किसे दोष दें ?

गया, भाद्रपद वदी २, सं० २०१०

आपका शुभचिन्तक
गणेश वर्णी

६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

संवत् २०१२ के भादो-महिनारेके ये बहू दिन थे जब पूज्य बाबाजी बुन्देलखण्ड छोडकर पारस प्रभुके पादसूलमें अपनी सल्लेखना-साधनाके लिये जा रहे थे। मार्गमें गयामें उनका १९५३ का चातुर्मास हुआ। वहीसे उपरोक्त पत्र लिखा गया। वहीसे लिखा हुआ एक और पत्र पण्डितजीके नामका प्राप्त हुआ है।

उन दिनों पं० महेन्द्रकुमारजी भारतीय ज्ञानपीठ छोडकर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें जा चुके थे। जैनदर्शनको उद्योतित करनेवाली अपनी अमर कृतिका सृजन वे कर चुके थे, परन्तु शायद उसके प्रकाशनमें कुछ बाधा उनके सामने रही होगी। कहीं किसीने इस बारेमें उन्हें निराशा किया होगा। उधर स्याद्वाद विद्यालयके अधिष्ठाता-पदसे भी, जातिवादके जहरके कारण, वे उपराम हो चुके थे। उनकी ऐसी मनस्थितिमें उन्हें वर्णोजीने इन शब्दोंमें साहस दिलाया—

श्रीमान् पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य
योग्य दर्शनविशुद्धि

आपकी कृति जो दर्शन-शास्त्र, जिसके लिखनेमें आपने अधिक परिश्रम किया है, समय पाकर चन्द्रवत प्रकाशित होगी। मनमें अणुमात्र भी पश्चाताप न करना। जो, कोई भी आदर करने वाला नहीं। सर्व कार्य समय पाकर ही होते हैं।

आपके चित्तमें जो हो सो करना। यदि अधिष्ठाता-पदसे ग्लानि है तो छोड़ देना, परन्तु सामान्य उपद्रव हो तब मत त्यागना। अथवा आपको जो रुचे सो करना। हम उसके रोकने वाले कौन? आजकल एक अभिप्राय होना कठिन है। पंचम काल है। असंख्यात लोक प्रमाण कषाय हैं।

हमारी भावना तो आप लोगोंके उत्कर्षकी रहती है। इसके सिवाय कर ही क्या सकते हैं? परमार्थसे तो कर हो नहीं सकते, किन्तु व्यवहारसे कभी करनेमें असमर्थ हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी जो मैंने सर्व संस्थाओंसे त्यागपत्र दे दिया है।

आ० सुदी ५, सं० २०१०

आपका शुभचिन्तक
गणेश वर्णी

इस प्रकार पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यके जीवनको, यदि हम पूज्य वर्णोजीके उपयुक्त पत्रोंके संदर्भमें देखें तो सहज ही सिद्ध होगा कि न्यायाचार्यजी एक उत्कृष्ट और धर्मानुकूल, सरल व्यक्तित्वके धनी थे। पूज्य श्री गणेशप्रसादजी जैसे युग-पुरुष महात्माका इतना विश्वास, ऐसा स्नेह जिसे प्राप्त रहा हो वह निश्चित ही एक प्रामाणिक श्रावक होना चाहिये। बाबाजीके ये पत्र महेन्द्रकुमारजीकी श्रेष्ठताके प्रमाण-पत्र हैं।



न्यायाचार्य पण्डित महेन्द्रकुमार

• महापण्डित श्री राहुल सांकृत्यायन

आचार्य महेन्द्रकुमारके नामके साथ "स्वर्गीय" लगाने में हृदयमें असह्य वेदना होती है, ऐसी वेदना किसी आत्मीयके निघनपर भी नहीं हुई थी। हमारे लोग प्रतिभाओंकी कितनी कदर करते हैं, यह इसीसे मालूम होगा कि वाराणसी जैसे बड़े शहरमें इस महापुरुषकी जीवन समाप्तिकी सूचना किनी प्रमुख दैनिक पत्रमें नहीं दी। मसूरीमें उनके स्वजनने सूचना न दी होती, तो इतने ही समय तक मैं यहीं नमन्रता रहता कि महेन्द्रजी "सिद्धिविनिश्चय" के उद्धारमें लगे हुए हैं। बहुत पीछे एक माघारण साप्ताहिकने छापा— "दिनांक २० मई; सायंकाल ७ बजे लकवाकी बीमारीमें प० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्यका स्वर्गवास हो गया। १४ मईको करीब १२ बजे हिन्दू युनिवर्सिटीमें अपने ही घरपर उन्हें बायें अगमें लकवा लग गया था। दो दिनके बाद स्थिति कुछ सुधरने लगी थी, किन्तु पाँचवें दिन जब फिरसे लकवेका जोर पड़ा, तो सारा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। इस स्थितिमें डॉक्टर लोग सँभाल नहीं सके और अन्तमें २० मईको सायंकाल वे इस नश्वर शरीरको छोड़कर चले गये।"—(जैनभारती ३१-५-५९)

महेन्द्रजीका जन्म ११ मई १९११ को हुआ था, अर्थात् वह मुश्किल से ४८ वर्षके हो पाये थे। यही नहीं, अभी वह अपनी साधनाओंको दिनों-दिन बढ़ा रहे थे। एक ही वर्ष पहले उन्होंने पेकिंगमें मेरे पास लिखा था, कि मैं निम्बती भाषा पढ़ने और साथ ही धर्मकीतिके "प्रमाणविनिश्चय" को फिरसे तिम्बती अनुबापके सहारे संस्कृतमें करनेमें लगा हूँ। उस वक्त मुझे कितनी प्रसन्नता हुई थी। धर्मकीतिको यूरोपके मूर्खन्य विद्वान् भारतका कान्ट कहते हैं। उन्होंने बुद्धिवाद और वस्तुवादी प्रमाणशास्त्र पर लेखनी उठाई, और सात अमूल्य ग्रंथ लिखे। उनमें से सिर्फ एक छोटा-सा ग्रंथ "न्यायविन्दु" मूल संस्कृत में रह गया था। इन पक्तियोंके लेखककी तिम्बत यात्राओंके फलस्वरूप "प्रमाणवातिक", "हेतुविन्दु", "वादन्याय", "संबंध-परीक्षा" चार ग्रंथ मूल संस्कृतमें मिलकर प्रकाशमें आये। "सन्तानान्तरसिद्धि" छोटा ग्रंथ होनेसे किसी समय भी तिम्बती अनुबापसे संस्कृतमें किया जा सकता था, पर "प्रमाणविनिश्चय", "प्रमाणवातिक" जैसा ही बड़ा ग्रंथ था, उसे ही महेन्द्रजी संस्कृतमें कर रहे थे। पर चिरजीवी पद्मकुमारके पत्रके अनुसार "पूज्य" पिताजी ने 'प्रमाणविनिश्चय' का काम प्रारंभ कर दिया था, किन्तु वह पूरा न हो सका और बीचमें ही हमें छोड़कर चले गये।

ऊपरकी पंक्तियोंसे उम क्षतिका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता जो कि आचार्य महेन्द्रके अवसान से हुआ है। भारत परलंघनाके अन्धकारमें सात शताब्दियों तक भटकता और गिरावटकी ओर जाता रहा। उसकी बहुत सी अनमोल निधिर्था नष्ट हो गयी, जिनमें अनमोल ग्रंथ भी थे। तो भी बिधाके लिए विवेह बने पंडितों ने संस्कृतके भंडारको रक्षा की, शास्त्रोंके अध्ययन और अध्यापनमें जीवन बिताया। पर, इस सारे समयमें एक बड़ी क्षति यह हुई, कि हमारे प्राचीन शास्त्रोंमें से कितनोंकी पढाई छूट गयी। वाराणसी, नव-द्वीप, पूणा, कुम्भाकोणम्के दिग्गज विद्वान् प्राचीन न्यायकी ओर हाथ बढ़ानेकी भी समता नहीं रखते थे। प्रथम विश्वयुद्धकी समाप्तिके समय तक यही हालत रही। वाराणसीमें पंडित अम्बादास शास्त्री किसी तरह "न्यायकुसुमाजलि" को पढा दिया करते थे। नयी पीढ़ीके पंडितोंको इससे सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने उस संस्कृतपर अधिकार प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न आरंभ किया, जिसके बिना जैन, बौद्ध, ब्राह्मणिक आदि प्राचीन वर्षान् ग्रंथ बन्द पोथी बने हुए थे। अपने समयके सर्वश्रेष्ठ काशीके विद्वान् महामहोपाध्याय पं० बालकृष्ण शर्मणें एक बार अपनी लिखी कापियाँ दिख गयी थी, जिनमें वात्स्यायन, उद्योतकर, कुमारिल, बाचस्पति, जयन्त, श्रीहर्ष आदिकी कृतियों से बौद्धोंके पक्षको जमा करके उन्हें समझने की कोशिश की गयी थी। आजके

कुछ कितने ही महत्त्वपूर्ण बौद्ध-ग्रंथ उग मय्य सदाके लिए लुप्त समझे जाते थे। हमारे पंडितोंने अपनी खोन्ती गयी निधि को इस प्रकार प्राप्त करनेमें बहुत कुछ सफलता पायी। महेन्द्रजी उन्हींमें से अन्यतम थे। उन्हींने प्राचीन ब्राह्मण दर्शन प्र बोका गभीर अध्ययन किया, बौद्ध-दर्शनका अवगाहन किया और जैनदर्शन-पर अधिकार प्राप्त किया। हिन्दू विद्वद्विद्यालयमें बौद्ध दर्शनके अध्यापक हुए। इसीसे उनकी इस योग्यताका पता लगेगा। हाल ही में वह उगी विश्वविद्यालयमें "जैन धर्म-दर्शन और प्राकृत विभाग" के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, पर कार्यभार सँभालने से पहले ही महाप्रस्थान कर गये।

आचार्य महेन्द्र अथक परिश्रमी थे, तभी तो उन्हींने इतनी थोड़ी आयुमें दर्जनों सस्कृतके प्रौढ़ दर्शन ग्रंथोंकी विशाल भूमिका लिली तथा उनका अनुवाद या वैज्ञानिक दृष्टिसे सम्पादन किया। वे ग्रन्थ यह हैं— (१) 'न्यायकुमुदचन्द्र' (२) 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' (३) 'अकलकप्रथय' (४) 'न्यायदिनिश्चय' (५) 'तत्त्वार्थ-वार्तिक' (६) 'सिद्धिविनिश्चय' (७) 'तत्त्वार्थवृत्ति' (८) 'जयधवल' (प्रथमपुस्तक) (९) 'प्रमाणमीमासा' (१०) 'जैनतर्क भाषा, जैनदर्शन'। (११) साठे छ सौ पृष्ठोका 'जैनदर्शन' उनके दार्शनिक ज्ञानकी परिपक्वताका परिचायक रहेगा। उनके निम्न ग्रंथ प्रकाशनार्थ तैयार हैं—(१) 'षड्दर्शनसमुच्चय' (२) 'सत्य-शासनपरीक्षा' (३) 'विश्वतत्त्वप्रकाश' (४) 'प्रमाणप्रमेयकलिका' (५) 'युक्त्यनुशासन' (६) 'आत्मानुशासन' (७) 'विविधतीर्थकल्प' (८) 'प्रभावकचरित्र'।

वह अपनी पूरी अमताका उपयोग नहीं कर सके वह अपने वर्तमान से सतुष्ट नहीं थे, इसीलिए अपनी साधनामें सतत तत्पर थे, और इस आयुमें समर्थ पंडित बननेके बाद भी तिब्बती भाषा पर अधिकार करनेमें लगे हुए थे। वह जानते थे, दो लाख श्लोको से अधिक सस्कृत दर्शन ग्रंथ तिब्बती अनुवादोंमें ही सुरक्षित हैं, उनके बिना भारतीय दर्शनका अध्ययन पूरा नहीं समझा जा सकता। उन्हींने मुझे तिब्बत जाते देख कहा था मेरी आवश्यकता हो, तो अवश्य मुझे बुलाइयेगा। एक जैन बातावरणमें पले-पोसे विद्वान्के लिए तिब्बत अनु-कूल स्थान नहीं हो सकता। पर जिसने विद्याभ्रत धारण किया है, वह किसी भी बाधासे हिचक नहीं सकता।

"मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद् यतति मिदमे" की तरह आजके हजारों सस्कृतके साधकों में महेन्द्रजी एक सिद्धिप्राप्त थे। उतने ही से सन्मुष्ट न रह अपनी साधनाको बढा रहे थे। भावी पीढी से भी निराश नहीं हैं। महेन्द्रका स्थान उन्हें भरना होगा, पर वह कितना कठिन है, इसे समझना कठिन नहीं है।

हमारे देशमें सस्कृतकी रक्षा और प्रचारके लिए बहुत चर्चा सुनी जाती है। उसके लिए भारत-सरकारने आयोग भी नियुक्त किया था। उसने अपने मुद्दाव भी उपस्थित कर दिये हैं, पर जान पडता है, उनका ध्यान अधिकतर सस्कृतके प्रचार पर ही है। सस्कृतके प्रचार पर मत्था-पन्थी करने की वस्तुतः आवश्यकता नहीं है। हमारी सभी भाषाएँ सस्कृतके अवलंब से विकसित और समृद्ध हुई हैं। उनपर अच्छा अधिकार पानेके लिए सस्कृतकी बडी आवश्यकता है, इसे सभी समझते हैं, और उसीके अनुसार असमिया, बँगला, उडिया, मराठी, हिन्दी, गुजराती, नेपाली ही नहीं हेल्लुगु, कन्नड, मलयालमके क्षेत्रमें भी सस्कृतका प्रचार बढ़ रहा है। वस्तुतः समस्या सस्कृतके प्रचार की नहीं है, बल्कि यह है कि सस्कृतके गभीर पांडित्यकी रक्षा कैसे की जाय ? उन्नीसवीं सदीके अन्त तक नहीं बल्कि बीसवीं सदीके मध्य तक बढ़े आते पांडित्य की— जिसके प्रतिनिधि आचार्य महेन्द्र थे—रक्षा कैसे की जाये। आजका शिक्षित पुरुष अध्ययन जल्दी समाप्त कर अधिक वेतनवाली नौकरी प्राप्तकर निश्चिन्त सुखका जीवन बिताना चाहता है। वह ४८ या ५० वर्ष तक विद्यार्थी रहकर तपस्वी और अकिंचनका जीवन बिताना नहीं चाहता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी तत्पण सस्कृतके गभीर विद्वान् बनने के लिए प्रयास करें, तो उन्हें निश्चिन्त सुखपूर्वक जीवन पानेकी सुविधा करनी होगी।

महेन्द्रजी मन्व्यप्रदेशके एक छोटे-से गाँव सुरईमें एक अति साधारण जैन घरने पैदा हुए थे। अपनी विद्याकी उत्कट भूषको तृप्त करनेके लिए आजसे तीन सदी पहले वह वाराणसी आये। प्रायः उसी समयसे मेरा उनसे सम्पर्क हुआ। उनकी रुचि दर्शन जैसे गम्भीर विषयकी ओर हुई। कलकत्तासे “न्यायतीर्थ” और काशी संस्कृत विद्यालय (अब संस्कृत विश्वविद्यालय) की न्यायाचार्य परीक्षा पास की। कितने ही वर्षों तक काशीके स्वाध्याय विद्यालयमें अध्यापक रहे। फिर हिन्दू विश्वविद्यालयमें गये। दुर्लभ ग्रन्थोंको प्रकाशमें लानेवाली महती सस्था “भारतीय ज्ञानपीठ” को अस्तित्वमें लानेमें उनका बड़ा हाथ था। उसके बहुत-से ग्रन्थोका उन्होंने सम्पादन किया। अग्रतिम जैन नैयायिक अकलंककी महत्त्वपूर्ण कृति ‘सिद्धिविनिश्चय’ लुप्त हो गई थी। इस ग्रन्थको मूल कारिकापर ग्रन्थकारने स्वयं टीका लिखी थी, वह भी अप्राप्य थी। इनपर लिखी अनन्तवीर्यकी टीका मिली थी सो भी अशुद्ध। महेन्द्रजी इस प्रयासके बारेमें लिखते हैं—“अब १९४४ मे भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना हुई तो उसके कार्यक्रममें आचार्य अकलंकके ग्रन्थो एवं प्रकाशनको प्राथमिकता दी गयी। इस समय तक धर्मकीतिके प्रमाणवातिक, वादन्याय, हेतुविन्दु, प्रसाकरगुप्तका प्रमाणवातिकालकार, अचंटकी हेतुविन्दुटीका, जयसिंह भट्टका तत्त्वोपलब्ध, कर्णगीमीका प्रमाणवातिक-स्ववृत्तिक टीका आदि अमूल्य दार्शनिक साहित्य प्रकाशमें आया था। सिद्धिविनिश्चय टीकाका बहुभाग इन्ही ग्रन्थोके खंडनसे भरा हुआ है अतः कुछ उल्टाह इस अशुद्धिपुंज सिद्धिविनिश्चय टीकाके संपादनका भी हुआ और ज्ञानपीठसे मुक्त होते हो इस कार्यमें पूरी तरह जुट गये। लगभग ५ वर्ष तक सतत साधनाके बाद सिद्धिविनिश्चय टीका तथा उससे उद्घृत सिद्धिविनिश्चय मूल एवं उसकी स्ववृत्ति इस अवस्थामें आ गये कि उनके सम्पादन और प्रकाशनके विचारको प्रोत्साहन मिला। प्रयत्न करने पर भी अभी तक न तो सिद्धिविनिश्चयमूल और उसकी स्ववृत्तिकी ही दूसरी प्रति मिली और न सिद्धिविनिश्चय टीकाकी दूसरी प्रति।”

यही उनका सबसे अन्तिम प्रकाशित ग्रंथ है, और उसीकी विद्वत्सापूर्ण ११९ पृष्ठोकी भूमिका पर आचार्यको हिन्दू विश्वविद्यालयने पो-एच० बी० की उपाधि प्रदान की।

महेन्द्रजी संस्कृत और प्राकृतके ही महान् विद्वान् नहीं थे, बल्कि हिन्दीके सुलेखक और प्रेमी होनेके नाने हिन्दीकी जननी अपभ्रंश भाषाके भी सतर्क गवेषक थे। आज यह विडंबना मालूम होती है, पर आजसे दो ही पीढ़ी पहले हमारे विग्गज विद्वान् भी नहीं जानते थे, कि हमारी आजकी भाषाओकी जननी, एक समृद्ध भाषा अपभ्रंश थी, जिनने सातवीसे बारहवी शताब्दी तक उत्तरी भारत पर अक्षुण्ण प्रभुत्व रखा था। छठी सदी उसका अपनी जननी प्राकृतके साथका और तेरहवी सदी अपनी पुत्रियो—आजकी हिन्दी आदि भाषाओं—के साथका संधिकाल था। संस्कृतके पंडित अपभ्रंशका नाम आने पर तुरन्त पतञ्जलिके महाभाष्यकी पंक्तियाँ यादकर उसे ईसापूर्व दूसरी सदीके गावा-गोपी-गोपोतलिका आदि शब्दोवाली भाषासे जोड़ देते थे। आज तो अपभ्रंशके दर्जने बड़े-बड़े ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। उसकी समृद्धिकी धाक स्वयंभूके “रामायण”, “महाभारत” जैसे महाकाव्यों द्वारा स्थापित हो चुकी है। मेरी तरह आचार्य महेन्द्रकुमार भी अपभ्रंशकी नयी-नयी कृतियोंको खोजमें थे। अपभ्रंशके पद्य ग्रंथ बहुत मिले थे, जिनमें से थोड़े ही प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु, अपभ्रंश गद्य देखनेमें ही नहीं आया था। एक दिन, वाराणसीमें मुलाकात होनेपर, उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ एक जोर्ण-शोर्ण पाहुलपि दिखाते हुए कहा—यह अपभ्रंश गद्य है, कोई पत-कथा है। महेन्द्रजी सदा स्मितपूर्वाभिभाषी थे। उनकी हृदयस्थ उदारता मुस्कुराहटके रूपमें सदा मुँह पर नाचा करती थी। उन्होंने बतलाया—यह पुस्तक बतला रही है कि छोटे-मोटे जैन मंढारोंमें ईदनेपर अपभ्रंश

के और भी ग्रन्थ मिल सकते हैं। जहाँ वह “प्रमाणविनिश्चय” को निम्नतोसे उद्धार करनेमें लगे हुए थे, वहाँ अपभ्रंशकी ओर भी ध्यान रखते थे।

अनुवाद अर्थमें वह जैन नहीं थे। वह भलीभाँति समझते थे कि जैन धरोहरके रूपमें भारतीय संस्कृतिकी ऐसी अनमोल निधिर्था सुरक्षित है, जो जैनोंके अभावमें सदाके लिए विलुप्त हो जाती। विद्वान् जानते हैं, हमारे देशमें हमारीभाषाओका रूप वैदिक भाषा से पालि प्राकृतों, अपभ्रंशोंके रूपमें होते-होते आजकी भाषाओंमें विकसित हुआ। ब्राह्मणोंके वाङ्मयको देखने से मालूम होता है कि केवल संस्कृत ही सर्वथा सर्वसर्वा रही। उन्होंने बीचकी लोक भाषाओंके लोक या शिष्ट-साहित्यकी रक्षा नहीं की। अभी हाल तक संस्कृत-पंडित मंडली उन्हें “भाखा” कहकर तिरस्कृत करती थी। ब्राह्मण भाषा-कवियोंने अपने समयमें प्राकृत और अपभ्रंश में भी रामायण और महाभारतको भाषानिबद्ध किया होगा, तीर्थोंके एकादशी आदिके माहात्म्य बनाये होंगे। पर उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों और पंडितोंने भाषाके साथ मर जाने दिया। क्यों? इसी-लिए कि वह संस्कृतके मानने किमीकी सत्ता नहीं स्वीकार करते थे। जैन और बौद्ध भी इसके बारेमें दूसरा ही भाव रखते थे। उनके लिए प्राकृत या अपभ्रंश संस्कृत से कम महत्त्व नहीं रखती थी। तीर्थंकर महावीर के उपदेशोंको वह पालि-काण्ड (६००-१ ई० पू०) में लिपि-बद्ध नहीं कर सके थे, जैसा कि बौद्धोंके प्राचीनतम सम्प्रदाय ने किया। प्राकृत-कालमें लिपि-बद्ध होनेने श्रमण महावीरकी वाणों प्राकृत रूपमें ही हमारे सामने मौजूद है। उसके अतिरिक्त और भी विषयों पर प्राकृतमें ग्रन्थ और पुस्तिकायें, व्रतकथायें भी बनी। सबको सुरक्षित रखना संभव नहीं, पर कितनों को उन्होंने सुरक्षित रखा।

जब सुबन्धु और दधी के समय अपभ्रंश भाषाका आरंभ हुआ तो जन-साधारणके लिए उसमें ग्रन्थ लिखे जाने लगे। बारहवी-तेरहवी सदीमें अपभ्रंशके समाप्त होनेपर उनका उपयोग साधारण जनताके लिए नहीं रह गया, तो भी जैन उपाध्यों और भडारों से उनको बाहर नहीं फेंका गया। आज वह हमारे लिए बहुमूल्य निधि है, भाषा और तत्कालीन संस्कृतिके ममझनेके लिए अनुपम माधन है। ऐसी निधि जिस संप्रदाय (जैन) ने सुरक्षित की, उसके महत्त्व से कैसे इन्कार किया जा सकता है। संस्कृतमें सांप्रदायिकता का स्थान नहीं है। वस्तुतः संस्कृति ही क्षण-क्षण परिवर्तित, परिवर्द्धित होने हुए भी स्थायी और मूल्यवान् वस्तु है। वही हमें बौधे हुए है। पर, अब भी हमारेमें ये कितनोंका दृष्टिकोण उदार नहीं है। तभी तो हमारे हिन्दी साहित्यके इतिहासकार सैकड़ों सुन्दर जैन काव्योंमें से किमीका उल्लेख नहीं करते। हालमें बौद्धोंके प्रति वह सफीणता बहुत हद तक दूर हुई है। अब चौरासी सिद्धों और उनकी कृतियोंकी चर्चा हर एक हिन्दीके विद्वान्के मुख पर है।

राजस्थान और गुजरातके पुस्तक-संग्रहालयोंके अनुसंधानने बतलाया है, कि वहाँकी साहित्यिक परंपरा आज तक अक्षुण्ण बली आई है और वह जैनोंके प्रयासमें ही। बुन्देलखंडमें जैन बराबरके निवासी रहे, और अपनी जीविकाके कारण साक्षर होते रहे। अपभ्रंश से अक्षुण्ण सम्बन्ध स्थापित करनेवाली कड़ी— बुंदेली साहित्य—वहाँके जैन मठियों और समाजमें जरूर मिलना चाहिए। महेन्द्रजीने इसके बारेमें बात हुई थी। महेन्द्रजी इसके महत्त्वको भली-भाँति समझते थे। अपभ्रंशके साथ हमारी आजकी भाषाओंमें बहुत कम अविच्छिन्न सम्बन्ध मिलता है। हिन्दी क्षेत्रमें राजस्थानीके बाद केवल मैथिली ऐसी है, जिसके यशस्वी कवि विद्यापति ने दोनोमें कविता की है। वस्तुतः गवेषणा करनेपर जैन ग्रन्थों द्वारा बुन्देलीका भी ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो जाये, तो कोई अचरज नहीं।

जो अपभ्रंश आज साहित्यिक रूपमें प्राप्य है, वह अधिकतर कल्पदेशीया (कन्नोजिया) अपभ्रंश है।

प्राचीन उपनिषदों—बृहदारण्यक, छांदोग्य की भाषा उस समयकी कौरवी भाषा थी, जिसे कौरवी संस्कृत कह लीजिये। उसकी प्राकृत और अपभ्रंशका क्या रूप था, यह कहा नहीं जा सकता। आज हमारी हिन्दी उसीका साहित्यिक रूप है। इनका प्राचीनतम रूप कुछ रूपमें दक्खिनी-हिन्दीके गद्य-पद्यमें पंद्रहवीं सदी तक जाता है। कौरवीका विशाल क्षेत्र बिजनौर से फीरोजपुर तक फैला हुआ है। वहाँ बड़े गाँवा तकमें परम्परागत परिवार मिलने हैं, कस्बों तकमें जैन मंदिर होते हैं, जिनमें कुछ न कुछ हस्तलिखित ग्रंथ रहते हैं। उनका अभी अनुसंधान नहीं हुआ है, उन्हें अगरचन्द नाहटा जैसे धुन पकने पुरुष से वास्ता नहीं पडा। इस क्षेत्रमें कौरवी प्राचीन गद्य-पद्य जैन ग्रंथोंके रूपमें मिल सकते हैं।

जैन जीवित परम्पराके रूपमें हमारे पास कितनी समृद्ध सामग्री मौजूद है, इसे हम सकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टिसे नहीं देख सकते। आचार्य महेंद्रके अभावका भी मूल्यांकन वह दृष्टि नहीं होने देगी। हिन्दू ण्ड्यक आजका प्रयोग भी इस सकीर्णताका एक कारण है। हिन्दू शब्द कभी एक धार्मिक सम्प्रदायके लिए हमारे यहाँ प्रयुक्त नहीं होता था। यह हमारे विशाल देशके लोगों और उनकी संस्कृतिके लिए प्रयुक्त होता था। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन सभी 'हिन्दू' कहे जाते थे। आज भी चीन या जापानमें भारतीय बौद्ध इन्धो (हिन्दू) है। रूसमें सभी भारतीयोंको 'इन्दुय' कहा जाता है। यह सांस्कृतिक एकता हमारे भेद-भावको मिटाने के लिए उद्यत है। श्रमण-ब्राह्मण परंपरा हमारी संस्कृति को पूरक है।

महेंद्रजी दिगंबर जैन-कुलमें पैदा हुए थे, पर यह ध्वेताबर-दिगंबरकी लीक पीटनेवाले नहीं थे; एक मच्छे विद्वानकी तरह नाना रूपोंमें प्रबलित हमारी कृतियों तथा सुकृतियोंके साथ ममत्व रखते थे। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने श्रमण संस्कृतिपर एक विचारपूर्ण लेख लिखा था।

तिब्बतकी यात्राओं से लौटकर आते समय महेंद्रजी से मेरा संपर्क स्थापित हुआ। मेरे सामने ही उनका स्पृहणीय विकास होता रहा, उनके मपने साकार रूप धारण करने गये। उसके साथ उनकी जिज्ञासा और योग्यताका कलेवर बढ़ता गया। उनसे बहुत आशा थी। शरीर देखनेमें स्वस्थ मालूम होता था, इसलिये कभी मनमें कल्पना भी नहीं हुई थी कि ७०-८० से पहले वह अपने काम से उपराम लेंगे। उस आयु तक पहुँचकर वह कितना काम करनेमें सफल होते। पर, मनचैती मनमें ही रह गयी। महेंद्र बिना पूरी तरह खिले ही मुर्दा गये।

(सरस्वती इलाहाबाद १९५९ से साभार)

डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य

का

बहुआयामी व्यक्तित्व एवं वैदुष्य

• प्रो० (डॉ०) राजाराम जैन, आरा

श्रद्धेय पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यका नाम व्यक्तित्वाची नहीं बल्कि वह जैनन्याय-दर्शनका एक पर्यायवाची नाम बन गया है। १९वीं सदीके अन्तिम चरणसे ही जैन-न्यायके शास्त्रीय-विद्वानोका अभाव स्रटकने लगा था। इत पूर्व यद्यपि तद्विषयक अनेक शास्त्रीय ग्रन्थोंका प्रणयन तो हो चुका था, किन्तु ऐसी रिक्तताका अनुभव भी किया जाने लगा था कि नवशास्त्र-लेखनकी बात तो दूर, उसके अध्येता एव विश्लेषणकर्त्ता विद्वानोका भी अभाव हो गया था। यह घोर चिन्ताका विषय तो था ही, जैन न्यायशास्त्रके प्रगति-पथ तथा उसके प्रचार-प्रसारका जबर्दस्त अवरोधक भी बन रहा था।

जब मुरैना एव बनारसमें जैन महाविद्यालयोंकी स्थापना हुई, तो प० गोपालदासजी बैरैया (सन् १८६६-१९१७) प्रभृति गुरुजनोको बड़ी चिन्ता हुई कि जैन न्यायके क्षेत्रमें कोई भी उपाधिधारी प्रकाण्ड विद्वान् तैयार नहीं हो रहे हैं। कहने है कि एक बार जब वेदान्तशास्त्रके विश्लेषक विद्वानोका अभाव होने लगा, तो दक्षिण भारतकी एक सवेदनशील महिला बड़ी ही दुःखी रहने लगी। उसने एक बार मन्दिरमें प्रार्थना करते हुए वेदान्तशास्त्रके उद्धारकके शीघ्र जन्म लेनेकी कामना की। तब वही आकाशवाणीमें किसीने उत्तरमें उमसे कहा कि—“हे माता, जहाँ तुम जैसी सवेदनशील प्रबुद्ध माता पृथिवीमण्डलपर उपस्थित हो और वेदान्तशास्त्रके उद्धारकके लिए चिन्तित होकर मन्दिरमें उसके (उद्धारकके) अवतरण हेतु मगल-प्रार्थना कर रही हो, तो अब तुम्हारी मंगल कामना अवश्य और शीघ्र ही पूर्ण होगी और उस उद्धारका जन्म केरलपुत्रकी पुण्यधरा पर होगा।” वह आकाशवाणी सत्य निकली। केरलमें शंकराचार्यका जन्म हुआ और वेदान्तशास्त्रके प्रकाण्ड चिन्तक, लेखक, विद्वान् एव टीकाकारके रूपमें वे जगद्भिख्यात हुए।

मुझे यह तो स्मरण नहीं आता कि किसी जैन माताने जैन नैयायिकके अभावकी पूर्ति हेतु किसी मन्दिरमें जाकर कोई प्रार्थना की हो। किन्तु सम्भवतः जिनवाणी-माता जैन-न्यायके ग्रन्थोंकी दुर्दशा देखकर अनश्य ही चिन्तित हुई होगी और जैन विद्याके सौभाग्यसे अगले ४ दशकोंमें चार सपूतोंने क्रमशः जन्म लिया—श्री प० गणेशप्रसादजी वर्णी, प० माणिकचन्द्रजी, प० महेन्द्रकुमारजी एव प० दरबारीलालजी कोठिया। ये चारो प्रथम श्रेणीके न्यायाचार्य रहे और उन्होंने अपने शोधपरक उच्च कार्योंसे अपनी उपाधियोंकी सार्थकता सिद्ध की।

सन् १९१४ ई० में एक जैनेतर युवक कुण्डलपुर (दमोह) में जैनधर्ममें दीक्षित हुआ। समर्पित-भावसे उसने जैनदर्शनका अध्ययन किया और न्याय-विषयके साथ वह प्रथम न्यायाचार्य बना। इसी व्यक्तित्व का नाम था स्वनामधन्य प० गणेशप्रसाद (सन् १८७४-१९५४), जो सप्तम प्रतिमाधारी बनकर प० गणेशप्रसादजी वर्णीके नामसे प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात् प० माणिकचन्द्रजी दूसरे न्यायाचार्य (सन् १८८६-१९७० ई०) हुए, और तीसरे क्रममें न्यायाचार्य थे हमारे पूज्यपाद प० महेन्द्रकुमारजी।

इनमेंसे वर्णीजी तो महान् व्रतधारी साधक सन्त महापुरुष बने। उन्होंने जैनधर्मका गहन अध्ययनकर आचार्य कुन्दकुम्बके समयसारका गहन अध्ययन किया और उनके सिद्धान्तोंको अपने जीवनमें उतारनेका आशा उदाहरण प्रस्तुत किया।

श्रद्धेय प० माणिकचन्द्रजीने जैनन्याय शास्त्रके अत्यन्त कठिन १८ सहस्र श्लोक प्रमाण आचार्य

विद्यामन्द कुत तत्त्वावधारणकारिका अलंकार नामक हिन्दी-भाष्य लिखकर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभाका परिचय दिया ।

फिर भी, जैन न्यायशास्त्रके अनेक कठिन ग्रन्थ ज्ञानी तक अच्छे ही पढ़े थे । उनको दुःसहता और कठिणताके कारण वे पठन-पाठनसे भी बाहर होते जा रहे थे । यह सौभाग्यभरा संयोग ही था कि पं० महेशकुमारजी अपनी प्रारम्भिक शिक्षा समाप्तकर, श्री० पं० बनव्यामवासीजी न्यायतीर्थके सम्पर्कमें आए और उनकी श्रमीभूत प्रेरणासे उन्होंने जैनन्यायशास्त्रके अध्ययनमें विशेष अभिरुचि जानूत की । उन्होंने नाभिनन्दन वि० जैन विद्यालय, बीना (मध्यप्रदेश) तथा सरसेठ हुकुमचन्द्र वि० जैन महाविद्यालय, इन्दीरमें पं० बंशोधरजी एवं पं० जीवन्धरजी न्यायतीर्थके पादमूलमें बैठकर उनसे जैनधर्म एवं न्यायग्रन्थोंका विशेष अध्ययन किया ।

पण्डितजी प्रारम्भसे ही कठोर परिश्रमी, दृढ़-संकल्पी एवं जैन-न्यायके ग्रन्थोंके उद्धारके प्रति समर्पित भावनासे ओतप्रोत रहे । उन्होंने साधनाभाषा एवं आर्थिक विपन्नतासे कभी भी हार नहीं मानी बल्कि उन्होंने अपने अध्ययनसाथसे अपनी आर्थिक दरिद्रताको बरदानमें बदलनेके साहसभरे प्रयत्न किए । पं० नाथूराम प्रेमी, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, पं० सुखलाल जी संघवी, महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ कविराज, डॉ० मंगलदेव शास्त्री, पं० गणेशप्रसादजी वर्णी, डॉ० हीरालाल जैन आदिके सान्निध्यमें उन्हें निरन्तर ही प्रेरित एवं उत्साहित रखा । यही कारण है कि विभिन्न विघ्न-बाधाओंके बीच भी उन्होंने अपनी साहित्य-साधनाको अक्षुण्ण बनाए रखा और एवयुगीन नैयायिकों तथा दार्शनिकोंकी अपेक्षा उन्होंने गुण एव परिमाण दोनों ही दृष्टियोंसे श्रेष्ठ कार्य किए । जैन न्यायशास्त्रके क्षेत्रमें उनके निम्न ऐतिहासिक शोध-कार्य अगली पीढ़ीको निरन्तर प्रेरित करते रहेंगे ।

१-न्यायकुमुदचन्द्र (प्रभाचन्द्र) (१-२ भा०) पृ० ९४१	माणिकचन्द्र सीरीज, बम्बई (ग्रन्थांक ३८-३९)	१९३८, ४१
२-अकलंकग्रन्थत्रयम् (अकलंक) पृ० २८८	सिधी जैन सीरीज, बम्बई (ग्रन्थांक १२)	१९३९
३-प्रमाणमोमासा (हेमचन्द्र) पृ० ३२४	सिधी जैन सीरीज, बम्बई (ग्रन्थांक ९)	१९३९
४-प्रमेयकमलमार्तण्ड (प्रभाचन्द्र) पृ० ९१०	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई	१९४१
५-तत्त्वार्थवृत्ति (श्रुतसागरसुरि) पृ० ६५५	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी (ग्रन्थांक १३)	१९४९
६-न्यायविनिश्चयविवरणम् (अकलंक) पृ० १०१८	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी (ग्रन्थांक ३, १३)	१९४९, ५४
७-तत्त्वार्थराजवार्तिक (अकलंक) पृ० ९५०	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी (ग्रन्थांक १९-२०)	१९५७
८-सिद्धिविनिश्चय टीका (अकलंक) पृ० २१५	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी (ग्रन्थांक २२-२३)	१९५९
९-जैनदर्शन (हिन्दी) पृ० ६८३	बर्णी ग्रन्थमाला वाराणसी (ग्रन्थांक २)	१९५५
१०-बह्वर्दान समुच्चय (हरिभद्र)	भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली	

इसके अतिरिक्त जैन न्याय-दर्शन तथा इतिहास एवं साहित्यपर कई योजनापूर्ण निबन्ध, कहानियाँ, कविताएँ भी लिखी ।

उनके द्वारा लिखित एवं सम्पादित साहित्यके वैशिष्ट्यका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है—

१-न्यायकुमुदचन्द्र

प्रस्तुत ग्रन्थ भट्टाकलंकदेव विरचित स्वविवृति सहित लघीयस्वरूप नामक ग्रन्थपर आचार्य प्रभाचन्द्र कुत विस्तृत टीका है, जिसका प्रकाशन माणिकचन्द्र वि० जैन ग्रन्थमाला, बम्बईसे क्रमशः सन् १९३८

१४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

ई० १९४१ में हुआ। प्रथम भागमें उसके सम्पादक पं० महेन्द्रकुमारजीने स्वल्पवद् बहु प्रतिष्ठा तथा स्वल्प साधन सामग्रियोंका परिचय देकर ग्रन्थ-विषयके महत्त्वपर प्रकाश डाला है। श्री० पं० कैलाशचन्द्रजी द्वारा लिखित १२६ पृष्ठ प्रमाण प्रस्तावनामें अकलंक-साहित्यका परिचय विविध क्षेत्रोंमें न्यायशास्त्रके विद्वानोंके साथ उनकी तुलना, जैन-न्यायकी विशेषताएँ, अकलंकके पूर्वकालीन, समकालीन एवं परवर्ती कुछ विद्वानोंके परिचय एवं प्रभावके कालनिर्धारणके विविध साक्ष्य, प्रभावके कृतियों—प्रमेयकालभारतखण्ड, स्वल्प-कुमुदचन्द्र, तत्त्वार्थवृत्ति, शाकटायनन्याय, शब्दाभोजभास्कर (जैनवेदव्याकरणमहान्याय), प्रवचनसारखण्ड-भास्कर (प्रवचनसारटीका), ब्रह्मकथाकोष, महोपुराण-टिप्पण आदिका संक्षिप्त परिचय, प्रवचनके कृतित्व एवं व्यक्तित्वपर विस्तृत प्रकाश तथा उनके बहुवृत्तत्व आदि विषयोंपर गम्भीर विवेचना की है। प्रस्तुत प्रथम खण्डमें दो परिच्छेद प्रस्तुत किए गये हैं, जिसमें कुल ४०२ पृष्ठ हैं।

द्वितीय खण्डमें अवशिष्ट मूलपाठ ५२७ पृष्ठोंमें उसके अतिरिक्त प्रस्तावना आदि ९२ पृष्ठोंमें प्रस्तुत है। अपनी विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना पं० महेन्द्रकुमारजी द्वारा लिखित है, जिसमें प्रभावके विविध साक्ष्योंके आधार पर काल-निर्णय, वैदिक विचारधारा तथा—वेद, उपनिषद्, स्मृति एवं पुराणोंसे प्रभावके परिचय, व्यास, पतंजलि, भर्तृहरि, व्यासभाष्यकार, ईश्वरकृष्ण, ऋषभरायण, ब्रह्मसूत्रपाद ज्योतिषि, श्रीचर, वात्स्यायन, उद्योतकर, भट्टजयन्त, वाचस्पति मिथ, शबरश्रुति, कुमारिल, मंडनमिश्र, शालिन्कराज, शंकराचार्य, सुरेश्वर, भास्कर, बाणभट्ट, माध्व बौद्धाचार्योंमें—अखण्ड, नानाजु, कुमुदचन्द्र, विद्यानाथ, धर्मकीर्ति, प्रजाकरगुप्त, कर्णकगोमि, शान्तरक्षित, कमलशील, अर्घट धर्मोत्तर, ज्ञानपी, बर्वासिहराशिष्यभट्ट तथा न्यायाचार्योंमें—कुन्दकुन्द, वट्टकेर, समन्तभद्र, पुण्यपाद, धनंजय, अन्तर्वीर्य, विद्यानाथ, अनन्तकीर्ति, शाकटायन, अभयानन्दि, वादिारवसूरी, नेमिचन्द्र, देवसेन, श्रुतकीर्ति, सिद्धसेन, धर्मदासगणि, हरिभद्र, सिद्धार्थ, देवधर, मल्लिषेण, गुणरत्न, यशोविजय आदिका परिचय देते हुए प्रभावके साहित्यके साथ उनके पारस्परिक प्रभाव अथवा आदान-प्रदानकी चर्चा की गई है।

पण्डितजीने विविध साक्ष्योंके आधारपर प्रभावके समय सन् ९८० से १०६५ ई० के मध्य निर्धारित किया है। प्रभावके बहुआयामी व्यक्तित्वकी चर्चा करते हुए उन्हें आयुर्वेदका ज्ञाता भी बताया है।

न्यायकुमुदचन्द्रके सम्पादनसे पण्डित महेन्द्रकुमारजीका एक शोधाभिकी रूपमें जीवन प्रारम्भ हुआ। इस कृति ने उनके प्रखलन पाण्डित्यको मुक्त किया तथा उस दुष्टिसे यह ग्रन्थ उनके लिए एक शुभ शकुन-का सूचक सिद्ध हुआ। पारिवारिक जीवन में उन्हें उसके पुरस्कार स्वरूप एक पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शुभस्मृतिके प्रतीक स्वरूप "कुमुदचन्द्र" रखा। किन्तु दुर्भाग्यसे वह उनका साथ अविक्रम समय तक न दे सका और बीचमें ही चल बसा। उस समय पण्डितजी कितने व्यथित हुए होंगे, इसका आभास उनके इस कथनमें मिल सकता है—“मैंने न्यायकुमुदचन्द्रके सम्पादन-कालमें जात अपने ज्येष्ठ पुत्रका नाम स्मृति-स्वरूप "कुमुदचन्द्र" रखा था। कालकी गति विचित्र है। अब तो यह सम्पादित ग्रन्थ ही उसका पुण्य-स्मारक हो गया है। मैं तो इसे अपने साहित्य-यज्ञकी आहुति ही मानता हूँ।”

पं० महेन्द्रकुमारजी के शास्त्रीय पद्धतिसे लिखित प्राचीन जैन न्यायके मूल ग्रन्थोंकी सम्पादन-कालके विषयमें पं० नाथूरामजी "प्रेमी" ने (भाणिकचन्द्र वि० जैन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित "न्यायकुमुदचन्द्र" (द्वितीय भाग) के अपने प्रकाशकीय निवेदनमें) कहा है कि—“पूर्वार्धके समान इस उत्तरार्धका भी सर्वांग-सुन्दर पद्धतिसे सम्पादन और सजोघन किया गया है पण्डितजीका यह परिचय और अल्पवयस्य द्वारा विद्वानोंके लिए ग्रन्थ-सम्पादनके कार्यमें मार्गदर्शकका काम देगा।”

प्रभावकृत्वं तुलनात्मकी संघवीने इत ग्रन्थके प्राककथनमें भारतीय दर्शनके अध्येताओंका ध्यान ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टिसे अध्ययनकी ओर आकर्षित करते हुए कहा है—“न्यायकुमुदचन्द्र” के सम्पादक पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने मूलग्रन्थके नीचे एक-एक छोटे बड़े मुद्रों पर जो बहुभुतस्वपूर्ण टिप्पण बिचे हैं और “प्रस्तावनामें जो अनेक सम्प्रदायोंके आचार्योंके ज्ञानमें एक दूसरेसे लेन-देनका ऐतिहासिक पत्रालोचन किया है, उन सबकी सार्थकता उपयुक्त दृष्टिसे अध्ययन करने-करानेमें ही है। सारे “न्यायकुमुदचन्द्र” के टिप्पण तथा “प्रस्तावका ममीषा अगर कार्यमापक है तो सर्वप्रथम अध्यापकके लिए, पहले वह जैन हो या जैनैतर, सच्चा जिज्ञानु इसमेंसे बहुत कुछ पा सकता है। अध्यापकोकी दृष्टि एक बार सफ़्त हुई, उनका अवलोकन-प्रदेश एक बार विस्तृत हुआ, तो फिर यह सुवास विद्याभूमिमें तथा अपढ़ अनुयायियोंमें भी अपने-आप फैलने लगती है। इसी भावी काम को, निश्चित आशासे देखा जाय, तो मुझे यह कहनेमें लेशमात्र भी सकोच नहीं होता कि सम्पादकका टिप्पण तथा प्रस्तावना-विषयक श्रम, दार्शनिक अध्ययन-क्षेत्रमें साम्प्रदायिकताकी सकुचित मनोवृत्ति दूर करनेमें बहुत कारगर सिद्ध होगा।”

२-अकलंकग्रंथसंग्रहम्

प्रस्तुत ग्रन्थमें ज्योतिषर आचार्य भट्ट अकलक कृत् तीन ग्रन्थोंका एक साथ संग्रह किया गया है— लघुघस्रग्रन्थम्, न्यायविनिश्चय एवं प्रमाणसंग्रह। जैनतर्कशास्त्रके क्षेत्रमें अकलकको जैन सिद्धांतों तथा पदार्थोंकी प्रमाणपरिष्कृत व्याख्या और तर्कमम्मन प्रतिष्ठाको प्रदान करानेमें प्रमुख स्थान प्राप्त है। मुनि जिन-विजयजीके शब्दोंमें ‘स्वामी समन्तभद्र तथा सिद्धसेन विभाकर, जहाँ जैन तर्क शास्त्रके क्षेत्रमें आविष्कारक कोटिमें आते हैं, वही भट्ट अकलंक उस क्षेत्रमें समुच्चायक एवं प्रसारक कोटिमें आते हैं।’ इस प्रकार अकलंक समन्तभद्रके उपर सिद्धांतोंके उपस्थापक, समर्थक, विवेचक एवं प्रसारक माने गये हैं। समन्तभद्रने जिन मूलभूत तार्किक विचारों और तर्क-संबादोंका उद्घोषण अथवा आविर्भाव किया उन्हींका अकलंकने अनेक प्रकारसे उपबृंहण विप्लेषण, सचयन, समुपस्थापन, संकलन एवं प्रसारण किया।”

जैसा कि पूर्वमें लिखा गया है, प्रस्तुत ग्रन्थमें अकलंकके पूर्वोक्त तीन ग्रन्थोंका संकलन एवं सम्पादन किया गया है।

पण्डितजीने अपनी पाण्डित्यपूर्ण प्रस्तावनामें उपयुक्त ग्रन्थोंका मूल्यांकन करते हुए ग्रन्थकारके व्यक्तित्वपर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है।

३-ग्रन्थावलीमासा

आचार्य हेमचन्द्र (१३वीं सदी) कृत उक्त प्रमाणमीमासाका प्रकाशन सिंधी जैन सीरीज (ग्रन्थांक ९) (अहमदाबाद, कलकत्ता) से सन् १९३९ में हुआ। इसमें मुख्य सम्पादक पं० सुखलालजी संघवी तथा उनके सहायक-सम्पादकके रूपमें पं० महेन्द्रकुमारजी तथा पं० बलसुखभाई मालवणिया थे। इसमें पण्डितजीने ग्रंथगत अवतरणोंके मूल स्थानोंके खोजने तथा उनकी तुलना और भाषा-टिप्पणके लिखनेमें उपयोगी स्थलोंको जैन एवं जैनैतर ग्रन्थोंसे संग्रह करनेका विशेष कार्य किया। मूलापठके साथ-साथ प्रस्तुत ग्रन्थ भूमिका, विषय-निरूपण, भाषा-टिप्पण अनुक्रमणी आदिके साथ कुल लगभग ३२४ पृष्ठोंमें विस्तृत है।

४-प्रमेयकमलमासंग्रह

प्रस्तुत ग्रन्थ आचार्य माणिक्यनन्दि कृत परीक्षामुखसूत्रपर प्रभाचन्द्रकृत टीका-ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन सन् १९४१ में निर्णयसागर प्रेस, बम्बईसे हुआ। इसके पूर्व भी इसका प्रकाशन हुआ था, किन्तु

१. प्रमाणमीमासा, सिंधी सीरीज, प्रास्ताविक पृ० १

१६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

वह वृत्तिपूर्ण था तथा उसमें संशोधनकी आवश्यकताका अनुभवकर पं० कुन्दनलालजी, पं० सुखलालजी संघवी, पं० बंशीधरजी, शोलापुर तथा पं० नाथुरामजी प्रेमोके विशेष अनुरोधपर पं० महेन्द्रकुमारजीने इसके सम्पादनका भार स्वीकार किया।

पं० महेन्द्रकुमारजीके अनुसार उन्होंने प्रस्तुत संस्करणमें निम्नलिखित सुधार किए—(१) सूत्र-संशोधना अर्थात् परीक्षामुखके सूत्रोंका, जिनपर कि उक्त ग्रन्थमें टीका लिखी गई और इसी कारण उसका अपरनाम परीक्षामुखालंकार भी है, उसमें सूत्रोंका यथास्थान विनिवेश किया गया है, जिससे प्रत्येक सूत्रकी व्याख्याका पृथक्करण हो जाय। सुविधाके लिए सूत्रोंका भी उक्त ग्रन्थके प्रत्येक पृष्ठपर दिए गये हैं। इनके अतिरिक्त अन्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—(२) पाठ-संशोधन (३) अवतरण-निर्देश (४) विस्तृत-विषय-सूची (५) पाठान्तर (६) परिशिष्ट एवं (७) परीक्षामुख-प्रस्तावना।

अपनी ७८ पृष्ठोंकी पाण्डित्यपूर्ण विस्तृत प्रस्तावनामें पण्डितजीने सूत्रकार माणिक्यनन्दि तथा टीकाकार प्रभाचन्द्रके कृतित्व एवं व्यक्तित्वपर प्रकाश डालते हुए आचार्य प्रभाचन्द्रकी जैन एवं जैनतर आचार्योसि तुलना करते हुए उनकी (प्रभाचन्द्रकी) अन्य उपलब्ध कृतियोंका सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है।

इसका विषयानुक्रम इतने विषद रूपमें (७२ पृष्ठोंमें) तैयार किया गया है कि मूल-ग्रन्थके हिन्दी-अनुवादके अभावमें भी अध्येता स्वेच्छित आवश्यक प्रकरण अथवा विषयकी खोज सरलतापूर्वक कर सकता है।

मूल विषय ६ परिच्छेदोंमें विभक्त है। मूल पाठ ६९४ पृष्ठोंमें तथा अन्तमें आठ परिशिष्टामेसे प्रथम परिशिष्टमें परीक्षामुख सूत्र-पाठ तथा द्वितीय परिशिष्टमें प्रमेयकमलासंज्ञामें उपलब्ध जैन एवं जैनतर अवतरणोंकी अकाराधिक्रमसे प्रस्तुत किया गया है, जो आगामी शोध-कार्योंके लिए मार्गदर्शक है।

५-सत्त्वार्थवृत्ति

आचार्य गृह्यपिच्छ द्वारा विरचित; ज्ञान-विज्ञानके लिए विश्वकोषके समान माने जानेवाले सत्त्वार्थ-सूत्रपर अनेक ग्रन्थोंके लेखक तथा टीकाकार आचार्य श्रुतसागरसूरि (१६वीं सदी) द्वारा १० अध्यायोंमें विभक्त उक्त ग्रन्थका सर्वप्रथम सम्पादन अत्याधुनिक दृष्टिसे अनेक प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियोंके आधारपर पं० महेन्द्रकुमारजीने किया है, जिसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मार्च १९४९ में किया गया। अतः पूर्व इस ग्रन्थका संस्करण अद्युद्धि पुंजके रूपमें घोषित था। प्रस्तुत नवीन संस्करणमें मूलग्रन्थका भावानुवाद प्रस्तुत कर उसके गुण-बोधकी चर्चा विस्तृत प्रस्तावनामें की गई है।

पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीके अनुसार मूल टीकाकारने पूज्यपादकृत सर्वाथसिद्धिके आधारपर उक्त टीका लिखी है। उनके अनुसार सत्त्वार्थवृत्तिका अन्तःपरीक्षण करने पर प्रस्तुत टीका-ग्रन्थमें अनेक सिद्धान्त-विरुद्ध तथ्य दृष्टिगोचर हुए हैं। पं० महेन्द्रकुमारजी स्वयं भी उनसे सहमत रहे तथा उनकी चर्चा उन्होंने अपनी प्रस्तावनामें की है।

ग्रंथकी १०१ पृष्ठोंकी तुलनात्मक एवं समोसात्मक प्रस्तावनामें स्याद्वाद, सप्तभगी, नव, तत्त्व आदि प्रकरणोंका नवीन दृष्टि तथा आधुनिक शैलीसे व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जो एक ओर तो विचारोत्तेजक तथा नवीन सामग्री प्रस्तुत करती है और दूसरी ओर सर्वगामी मिथ्यात्व पर परिणामकारी प्रहार भी करती है।

प्रस्तुत कृति, सर्वप्रथम भगवान् महावीरके समकालीन छद्म अन्य तीर्थंकरोंके विचारोंकी समीक्षा की

गई है, जो बौद्ध और जैनागमोंके आधारसे लिखित है। इससे पाठकोंको यह समझ पानेमें सुविधा मिलती है कि महावीर-कालमें किम प्रकार वेदबाह्य विचारधाराएँ प्रवाहित थी। इसके अतिरिक्त यह ध्यानकारी भी मिलती है कि उनका जैन तत्त्वज्ञानके साथ किस प्रकारसे समन्वय किया गया।

इसके आगे जैन तत्त्वज्ञानके विविध अंगोंकी चर्चा करते हुए सम्यग्दर्शनके विषयमें जो कुछ भी लिखा है, वह पाठकोका ध्यान अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेता है। पंडितजीने धर्म और कर्म जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी अच्छा प्रकाश डाला है। आज का मनुष्य-समाज तो परिभाषाओंसे जकड़ा हुआ है। वह उनके भीतर छिपे हुए तत्त्वज्ञानके रहस्यों की ओर रचमान भी ध्यान नहीं देता और प्रकारान्तरसे मिथ्यात्व का ही पोषण करता रहता है। पण्डितजीने सम्यग्दर्शन आदि विविध प्रकरण लिखकर उसी मिथ्यात्वके भ्रामक जाल को दूर करने का प्रयत्न किया है।

स्याद्वाद की चर्चा करते हुए पं० महेन्द्रकुमारजीने विभिन्न वैचारिक भ्रमों का जो समुचित निराकरण किया है, वह प्रशंसनीय है। वस्तुतः स्थिति यह रही है, कि जैनेतर विद्वानोंने जैन तत्त्वज्ञान का तल्लक्षणी अध्ययन किए बिना ही युगो-युगोंसे उम पर विविध भ्रमात्मक आरोप किए हैं। यहाँ तक कि स्वामी शंकराचार्य भी उम दौषमें मुक्त न रह सके। अतः यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है कि जैन न्यायशास्त्रके अध्येता विद्वान् आगे आँ और पंडितजीके समान ही निर्भीकतापूर्वक चले आ रहे भ्रमात्मक तथ्यों को दूर कर सिद्धान्तों की यथार्थतासे सभी को परिचित करावे।

यह तथ्य ध्यानमें रखने की महती आवश्यकता है कि जैनदर्शन यथार्थ की परिधि का उल्लंघन न कर भ्रमक को उसी परिधि तक सीमित रखता है। कल्पना को उड़ानों का उसमें कोई स्थान नहीं। डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, पं० बलदेव उपाध्याय, डॉ० वस्ता, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० देवराज, डॉ० हनुमन्तराव आदि की दार्शनिक समीक्षाएँ भी अनेकान्त, स्याद्वाद एवं सप्तसंगी न्यायके सिद्धान्तों की गहराई तक पहुँच पानेमें असमर्थ रहीं हैं।

६- न्यायविनिश्चयविवरण (प्रथम भाग)

सुप्रसिद्ध वाग्मी एव तार्किकके रूपमें प्रतिष्ठित आचार्य अकलक (सन् ७२०-७८० ई०) कृत ४:१३ कारिका प्रमाण "न्यायविनिश्चय" नामक सम्पूर्ण ग्रन्थ पर दृढकंधेषमुख, स्याद्वादनविद्यापति तथा जगदेक-मल्लवादी आदि उपाधियोंके धारी, शाब्दिक, तार्किक तथा महाकविके रूपमें सुप्रसिद्ध वादिराजसूरि (रचनाकाल सन् १०२५ ई०) द्वारा लिखित विस्तृत टीका ही उक्त न्यायविनिश्चयविवरणके नामसे प्रसिद्ध है। इसका प्रकाशन दो भागोंमें काशी स्थित भारतीय ज्ञानपीठसे फरवरी १९४९ ई० में हुआ। प्रथम खण्ड प्रत्यक्षप्रस्तावनात्मक है, जिसमें ६४ पृष्ठों की विस्तृत भूमिकामें ग्रन्थ एव ग्रन्थकारमें सम्बन्ध रखने वाली सामग्री तथा आगत सन्दर्भों पर गहराईके साथ विचार किया गया है। उनमें कुछ प्रमेयों पर भी नवीन दृष्टिसे विचार किया गया है। साथ ही स्याद्वाद एव सप्तसंगीके विषयमें युगो-युगोंसे प्रचलित भ्रामक धारणाओं की भी समीक्षा इसमें भी की गई है।

उमके प्रथम खण्डमें प्रत्यक्ष का लक्षण, इन्द्रिय-प्रत्यक्ष का लक्षण, प्रमाणसम्बलसूचन, चक्षुरादि बुद्धियों का व्यवसायात्मकत्व, विकल्पके अभिलाषयत्व आदि लक्षणों का खण्डन, ज्ञान को परोक्ष मानने का निराकरण, ज्ञानके स्वसंबेदन की सिद्धि, ज्ञानान्तरबंधज्ञाननिरास, साकारज्ञाननिरास, अश्वेतनज्ञाननिरास, निराकारज्ञानसिद्धि, सर्वेदनाद्वैतनिरास, विभ्रमवादनिरास, बहिरर्थसिद्धि, चित्रज्ञानखण्डन, परमाणुस्व-बहिरर्थ का निराकरण, अवयवोंसे भिन्न अवयवी का खण्डन, द्रव्य का लक्षण, गुण और पर्याय का स्वकृप,

१८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

सामान्य का स्वरूप, अर्थके उत्पादादित्रयात्मकत्व का समर्थन, अपोहरूप सामान्य का निरास, व्यक्ति से निम्न सामान्य का खण्डन, धर्मकीर्तिस्मृत प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन, बौद्धकल्पित स्वसवेदन-योगि-मानस-प्रत्यक्षनिरास, साध्यकल्पित प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन, नैयायिक के प्रत्यक्ष का समालोचन, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण आदि विषयों का विवेचन किया गया है। इस प्रकार इन भागमें प्रत्यक्ष प्रमाण का सांगोपांग वर्णन किया गया है।

७-न्यायविनिश्चयविचारण (द्वितीय भाग)

प्रस्तुत भाग का प्रकाशन भी काशो स्थित भारतीय ज्ञानपीठसे सितम्बर १९५४ ई० में किया गया। इस खण्डमें अनुमान-प्रबचन-प्रस्तावों का विस्तृत विवेचन किया गया है।

इस खण्डमें ४० पृष्ठों की तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक प्रस्तावना, भट्टकालक द्वारा विरचित न्यायविनिश्चय की संशोधित कारिकाएँ तथा उनकी क्रम सख्या का निर्धारण (प्रथम प्रत्यक्ष प्रस्ताव से सम्बन्धित १६८^३ कारिकाएँ, द्वितीय-अनुमानके प्रस्तावसे सम्बन्धित २१७^३ कारिकाएँ तथा तृतीय प्रबचन प्रस्तावसे सम्बन्धित ९५^३ कारिकाएँ), २५ पृष्ठों तथा मूल भाग आदिके कुल मिलाकर ४५७ पृष्ठोंमें विस्तृत यह भाग विशेष महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैनन्याय-दर्शन की उत्पत्ति तथा इतर दार्शनिक विचारधाराओंसे उसके वैशिष्ट्य का निदर्शन प्रस्तावनामें विशेष रूपसे किया गया है।

इस संस्करण की विद्वत्संगत में मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की गई। डॉ० हीरालाल जैनने लिखा है कि— "भारतीय न्याय-साहित्यमें अकलकके ग्रन्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके अब तक जिन ग्रन्थों का पता चला है, उनमें निम्नलिखित ग्रन्थ पूर्णतया न्याय-विषय के हैं—(१) लघोयस्त्रय, (२) प्रमाणसंग्रह, (३) न्यायविनिश्चय एवं (४) सिद्धिविनिश्चय। इन सभी ग्रन्थों का आधुनिक ढग से प० महेन्द्रकुमारजीने सम्पादन किया है। इनके सम्पादनमें उन्होंने जितना श्रम किया है तथा अभिरुचिपूर्वक विद्वत्ताका परिचय दिया है।"

भारतीय दर्शनशास्त्रके धुरीण विद्वान् डॉ० सात्करी मुखर्जीने उक्त ग्रन्थके अपने फोरवर्डमें इसके सम्पादन-कार्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

इस विषयमें प० दलसुरा भाई मालवणिकके ये विचार भी पटनीय हैं—उनके अनुसार जैन दार्शनिक साहित्य की ही नहीं, किन्तु भारतीय दार्शनिक साहित्य की दृष्टिमें आचार्य अकलक की कृतियों की विवेचना आवश्यक है। तथा इनकी कृतियोंका प० महेन्द्रकुमारजीके सम्पादन-कार्यकी भी इन्होंने बहुत प्रशंसा की है।

धर्मकीर्तिके मन्तव्यों का खण्डन ब्योमशिव, जयन्त, वाचस्पति, शालिकनाथ आदिने किया है और विज्ञानवादके विरुद्ध वास्तववाद को पुनः प्रस्थापित करने का प्रयत्न भी किया है किन्तु आचार्य अकलकने वास्तववाद को सिद्ध करनेके लिए धर्मकीर्ति का जो खण्डन किया है, वह पूर्वोक्त सभी आचार्योंसे अधिक मार्मिक और तर्कपूर्ण होनेके साथ ही दूसरोंकी तरह पूर्वपक्ष की कुछ ही दलीलों तक सीमित न रहकर धर्मकीर्तिके समयके दर्शन को व्याप्त कर लेता है। इस दृष्टिमें कहना होगा कि भारतीय दार्शनिकोंमें धर्मकीर्ति का समर्थ प्रतिस्पर्धी यदि कोई है, तो वह अकलकदेव ही हैं। अनएव भारतीय दर्शनके क्रमिक-विकास में धर्मकीर्तिके समान अकलक भी पुन-विधाता हैं। इस दृष्टिसे अकलकके ग्रन्थों का विशेष महत्त्व है और उनका आधुनिक शैलीसे प्रकाशन बाध्यनीय है।

धर्मकीर्तिके टीकाकारोंमें प्रजाकरका अद्वितीय स्थान है। न्यायविनिश्चयके विवरणमें वादिरावने

सही को मुख्य रूपसे अपने तर्कबाणों का लक्ष्य बनाया है। प्रशाकरकृत। प्रमाणवातिक भाष्य प्रस्तुत ग्रन्थके प्रकाशन तक अप्रकाशित था। किन्तु प० महेन्द्रकुमारने अपने सम्पादनमें उसको पण्डित राहुल सांकृत्यायन प्रदत्त तिम्बतोय हस्तलिखित प्रति का पूरा उपयोग किया है और प्रमाणवातिकके भाष्यके सम्पादन का मार्ग और भी प्रशस्त कर दिया है।

पंडितजीने प्रस्तुत ग्रन्थके प्रारम्भमें लम्बी प्रस्तावना लिखी है। उगमें दर्शनकी व्याख्या करने हुए ज्ञान और दर्शनकी जो विवेचना की है, वह विद्वानोंके लिए पठनीय है। विषय-परिचयमें पंडितजीने ग्रन्थ-प्रतिपाद्य विषयोंका सक्षिप्त किन्तु सारगर्भित तुलनात्मक विवेचन किया है। उसमें श्री राहुलजी द्वारा समर्पित प्रतीत्यसमुत्पादवादकी भी परीक्षा की गई है।

८-तत्त्वार्थवातिक

आचार्य उमास्वातिकृत तत्त्वार्थसूत्र का जैन-साहित्यमें बड़ी स्थान है, जो हिन्दुओंमें गीता, बौद्धोंमें धम्मपद, इस्लाममें कुरान, क्रिश्चियनमें बाइबिल तथा पारसियोंमें जैन्दावेस्ताका है। जैनधर्मका सम्पूर्ण-सार उसमें समाहित है।

इसका महत्त्व इसीसे समझा जा सकता है कि यह ग्रन्थ कुछ परिवर्तनोंके साथ दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें समान रूपसे मान्य है।

ग्रन्थकी गरिमाको देखते हुए उस पर विभिन्न कालोंमें युगानुरूप विस्तृत टीकाएँ एवं भाष्य लिखे गए, जिनमें सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थश्लोकवातिकालकार तथा तत्त्वार्थवातिक आदि प्रमुख हैं।

तत्त्वार्थवातिकका प्रकाशन जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था, कलकत्ताकी ओरसे यद्यपि बहुत पहले ही हो चुका था। इसको दो हिन्दी टीकाएँ भी उपलब्ध होती हैं। एक टीका प० पन्नालालजी दुनीवालोकरी है और दूसरी पण्डित मन्खनलालजी न्यायालकार की। वह भी मुद्रित हो चुकी है। फिर भी इसका आधुनिक शैलीसे सम्पादित होकर उसका प्रकाशन अत्यावश्यक था। इसीके फलस्वरूप भारतीय ज्ञानपीठने सन् १९५७ में इसका प्रकाशन दो खण्डोंमें किया।

उक्त दोनों खण्डोंमें कुल मिलाकर लगभग ९०० पृष्ठ हैं। प्रथम भागमें प्रथम चार अध्यायके साथ अन्तमें उनका हिन्दी सारांश तथा द्वितीय भागमें अन्तिम छह तथा उनका हिन्दी सारांश ग्रहित है।

वर्तमानमें उक्त ग्रन्थ "तत्त्वार्थराजवातिक" के नामसे ही अधिक प्रसिद्ध है। जबकि इसका पूरा नाम तत्त्वार्थवातिक भाष्य अथवा तत्त्वार्थवातिकालकार है। क्योंकि उसके प्रत्येक अध्यायके अन्तमें इसका उक्त नामसे उल्लेख किया गया है और सक्षिप्त नाम तत्त्वार्थवातिक कहा गया है। इस नामका उल्लेख वातिक-कारने आद्य मंगल श्लोकमें भी किया है।

जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, इसके कई शताब्दियों पूर्व तत्त्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि (तत्त्वार्थ-वृत्ति) नामक प्रसिद्ध टीका लिखी जा चुकी थी। उक्त तत्त्वार्थवातिक इस टीकाको भी सामने रखकर लिखा गया है। वातिककारने सर्वार्थसिद्धिके वाक्योंको कही वातिक रूपसे और कही टीकाका अंग बनाकर अपनी विषाद् व्याख्याएँ लिखी हैं।

कह बहुत ही स्पष्ट है कि तत्त्वार्थवातिककारके सामने तत्त्वार्थभाष्य और उसमें स्वीकृत सूत्रपाठ भी उपस्थित था। तत्त्वार्थसूत्रकी रचनाके कारता पर प्रकाश डालनेवाली एक सर्वार्थसिद्धि-मान्य और दूसरी तत्त्वार्थब्राह्मणभाष्य में दो परम्पराएँ उपलब्ध होती हैं। भट्ट अकलकदेवने अपनी उत्पानिकामें इन दोनोंको

समानरूपसे स्थान दिया है। साथ ही उन्होंने अनेक सूत्रोंकी व्याख्या करते समय तत्त्वार्थभाष्यमान्य सूत्रपाठका भी उल्लेख किया है और इस तरह उन्होंने तत्त्वार्थवातिकके रचनाकालके पूर्व तक तत्त्वार्थसूत्र पर जो कुछ लिखा जा चुका था, उसको भी आत्मसात् करते हुए इसे सवैगपूरण बनाया है।

डॉ० हीरालाल जैनके शब्दोंमें “प्रस्तुत ग्रन्थकी शैली न्याय-प्रचुर है—अधिकांश अतिप्रसन्न और कहीं-कहीं जटिल। इसके रचयिताने अपनेसे पूर्वकी मिद्धान्त और न्याय सम्बन्धी सामग्री तथा परम्पराका अच्छा उपयोग किया है और उनसे पीछेके रचयिताओं पर इन रचनाका गम्भीर प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार जैन संस्कृतिकी अपार काल-परम्पराके बीच यह ग्रन्थ दोनों ओर अपनी भुजाओंका प्रसार किए हुए सुमेरुके समान अच्छल खड़ा है।”

९.—सिद्धिविनिश्चय टीका

आचार्य अकलंक द्वारा प्रणीत सिद्धिविनिश्चय तथा उसकी स्ववृत्ति पर आचार्य अनन्तवीर्य द्वारा लिखित टीकाका नाम “सिद्धिविनिश्चय टीका है” जो जैन-न्याय तथा तर्कशास्त्रका उच्चकोटिका ग्रन्थ है।

सिद्धिविनिश्चय तथा उसकी लेखकीय वृत्तिकी मूल प्रति लुप्त और विस्मृत हो चुकी थी। किन्तु सयोगसे आचार्य अनन्तवीर्य कृत उक्त ग्रन्थको टीका पर लिखित व्याख्यामूलक टीका उपलब्ध हुई। अर्थात् यह माना जाय कि सिद्धिविनिश्चयकी टीका पर अन्य दूसरे आचार्य द्वारा लिखित एक टीका-ग्रन्थ मिला, जिसके आधार पर सिद्धिविनिश्चयके मूलभागका ग्रन्थन करना जितना दुर्लभ कार्य था, उसे उसी भागका निष्ठावान पथिक विद्वान् हो अनुभव कर सकता है। किन्तु धन्य है प० महेन्द्रकुमारजीका बहुआयामी पाण्डित्य, असीम धैर्य एवं कुशल-प्रतिभा, जिनके कारण उन्होंने असम्भवको भी सम्भव बनाकर पाण्डुलिपियों के उद्धार, सम्पादन एवं समीक्षाके क्षेत्रमें एक नया प्रतिमान स्थापित कर दिया।

सिद्धिविनिश्चयटीकाके प्रकाशनसे विद्वज्जगत्में मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की गई। जर्मनीके प्राच्यविद्याविद् प्रो० (डॉ०) आल्सडॉर्फ, महामहोपाध्याय डॉ० गापीनाथ कविराय, डॉ० सम्पूर्णानन्द, प्रो० (डॉ०) हीरालाल जैन, डॉ० ए० एन० उपाध्ये, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके मस्कृत-विभागाध्यक्ष डॉ० सूर्यकान्त आदिने पण्डित महेन्द्रकुमारजीके उक्त श्रमसाय शोध-कार्यके लिए अनेक बधाइयाँ भेजी। योगी सन्न्यास महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथजी कविराजने उनके प्राक्कथनमें उक्त ग्रन्थको भारतीय न्यायशास्त्रकी उत्कृष्ट कृति बतलाने हुए तथा न्यायाचार्यजीको विलक्षण प्रतिभाकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए कहा—“प० महेन्द्रकुमारजीने प्रमुख जैन तार्किक आचार्य अकलंकके लुप्त ग्रन्थ ‘सिद्धिविनिश्चय’ और उसकी स्ववृत्तिका उद्धार तथा आचार्य अनन्तवीर्यकी टीकाके साथ उसका समालोचनात्मक सम्पादन करके न केवल जैन-दर्शनकी महती सेवा की है, अपितु, मध्यकालीन समग्र भारतीय दर्शनका भी बड़ा उपकार किया है। अकलंक-देवका मूल सिद्धिविनिश्चय एवं उसकी स्ववृत्ति अप्राप्य है, केवल उसकी परधर्ती टीकाकी एक दुर्लभ पाण्डुलिपिके आधार पर डॉ० जैनने इस अमूल्य ग्रन्थका उद्धार किया है, यत्र-तत्र अन्य साधनोंका भी उपयोग किया है। इस कार्यके सम्पादनमें जो महान् प्रयत्न एवं परिश्रम निहित है, उसका केवल अनुमान ही किया जा सकता है।”

प्रस्तुत ग्रन्थका प्रकाशन काशी स्थित भारतीय ज्ञानपीठसे दो खण्डोंमें फरवरी १९५९में हुआ। प्रथम खण्डमें कुल मिलाकर २९० पृष्ठोंकी अंग्रेजी प्रस्तावना एवं उसका हिन्दी अनुवाद तथा अन्य ३७० पृष्ठोंमें सिद्धिविनिश्चयटीकाका सम्पादित मूलपाठ प्रस्तुत है जिससे जल्पसिद्धि पर्यन्त पाँच प्रस्ताव ग्रथित हैं।

इसके द्वितीय खण्डमें केवल मूलपाठके ४३८ पृष्ठ हैं, जिसमें अवशिष्ट-हेतु-लक्षणसिद्धि आदि ७ प्रस्ताव प्रस्तुत हैं ।

प्रस्तुत ग्रन्थके विषय-विवेचन, लुप्त-विलुप्त मूल ग्रन्थकी इतर साधनोंसे श्रमसाध्य खोज, उसका उद्धार एवं सम्पादन, उसकी विषयवस्तुका तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक गम्भीर अध्ययन आदिसे प्रभावित होकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके तत्कालीन सस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो० (डी०) सूर्यकान्तने उस पर उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान करने हेतु अनुशाना करनेसे महापण्डित न्यायाचार्य महेन्द्रकुमारजीका गौरव तो बढ़ा हो, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्वयं भी गौरवान्वित हुआ था ।

१०-जैन दर्शन

प्रस्तुत ग्रन्थ प० महेन्द्रकुमारजीके मौलिक चिन्तनका प्रतिफल है, जिसमें जैनदर्शनके विविध पक्षों पर उन्होंने तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक विस्तृत अध्ययन किया है । एकद्विषयक ग्रन्थमें सम्भवतः यह प्रथम ग्रन्थ है, जो विद्याधियो, शोधधियो तथा जिज्ञासु स्वाध्यायाधियोमें समान रूपसे लोकप्रिय है तथा भारतीय विश्वविद्यालयोंके विविध पाठ्यक्रमोंमें स्वीकृत है ।

इसका प्रथम प्रकाशन सन् १९५५ में श्रीगणेश प्रसाद वर्णा जैन ग्रन्थमाला, काशीसे हुआ ।

इस ग्रन्थका मूल विषय १२ प्रकारणोंमें विभक्त तथा ६५१ पृष्ठोंमें विस्तृत है । इनमें क्रमशः पृष्ठ-भूमि एवं सामान्यावलोकन, विषय-प्रवेश, भारतीय दर्शनको जैनदर्शनकी देन, लोक-व्यवस्था, पदार्थ-स्वरूप, षट्द्रव्यविवेचन, सप्ततत्त्व-निरूपण, प्रमाणभोमासा, नयविचार, स्याद्वाद एवं सप्तभगो, जैनदर्शन एवं विश्व-शांति तथा अन्तमें जैन दार्शनिक साहित्य प्रमुख है ।

प्रस्तुत ग्रन्थका प्राक्कथन डॉ० मंगलदेव शास्त्रीने लिखा है, जिन्होंने जैनदर्शनके भारतीय सस्कृतिके विकासमें महत्त्वपूर्ण योगदानकी चर्चा करते हुए उक्त ग्रन्थको राष्ट्रभाषा हिन्दीके गौरव ग्रन्थोंमें गणना की है ।

एक सिद्धहस्त कहानीकारके रूपमें

प० महेन्द्रकुमारजीका व्यक्तित्व बहुआयामी था । वह केवल जटिल न्यायग्रन्थोंके सम्पादन-समीक्षा तक ही सीमित न था बल्कि एक सिद्धहस्त कहानीकार, निबन्धकार, पत्रकार एवं कविके रूपमें भी उन्होने अपनी कुशल-प्रतिभाका परिचय दिया । कहानीकारका उनका रूप, उस समय प्रकाशमें आया जब उनकी सम्भवतः प्रथम कहानी "अमृतदर्शन" का अक्टूबर १९५० में प्रकाशन हुआ । यह कहानी पौराणिक है, जिसमें भरत-चक्रवर्ती मूल नायकके रूपमें चित्रित है । कहानीकारने इसमें उस घटनाका मर्मस्पर्शी चित्रण किया है, जब भरत चक्रवर्ती एक प्रभावकारी चक्रवर्ती-सम्राट् होकर भी राज्यके सभी सुख-भोगों एवं ऐश्वर्य-किलासोंके प्रति अनासक्त थे । राज्य-वैभव और आत्मदर्शन परस्पर-विरोधी होने पर भरतके चरित्रमें वे दोनों ही विरोध-भावसे दूर थे । क्योंकि कहानीकारके ही शब्दोंमें—“वैराग्य और उदासीनता तो अन्तरकी परिणति है और विभूति तथा वैभव बाह्य-पदार्थ । मात्र दृष्टि-परिवर्तनसे ही उनका विरोधभाव दूर हो जाता है ।”

उक्त कहानीमें सोमदत्त एवं यज्ञदत्त नामक दो पात्रोंके सवादोंके माध्यमसे कथाकारने उक्त सैद्धान्तिक-तत्त्वका विश्लेषण किया है । पात्र-चयन, कथा-गठन, सवाद-योजना तथा मुहावरेंदार भाषाके प्रयोग आदिकी दृष्टिसे यह कथा उत्कृष्ट श्रेणीकी है ।

२२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

उनकी दूसरी कहानी "बहुरुपिया" है, जो जनवरी १९५१ में प्रकाशित हुई। यह कहानी ऐतिहासिक है। इसमें कथाकारने उत्तरमध्यकालीन महान् विचारक एवं निर्भीक व्यक्तित्व वाले महाकवि पं० ब्रह्मगुलालके जीवनसे सम्बन्धित कुछ घटनाओंका चित्रण किया है, जो बड़ी ही रोमांचक, मनोरंजक, प्रेरक एवं नवीन पीढ़ीके मनमें गौरवको जागृत करने वाली है।

यह ध्यातव्य है कि पं० ब्रह्मगुलाल चन्द्रदाहपट्टन राज्यान्तर्गत फीरोजाबादके निवासी थे तथा उनकी समाधि फीरोजाबाद स्थित दि० जैन कालिज प्राणमें आज भी प्रतिष्ठित एवं दर्शनीय है।

पं० ब्रह्मगुलाल स्थानीय राज-दरबारके एक सम्मानित सदस्य थे। उनकी कुशल-प्रतिभा, स्वाभाविक अभिनय एवं बढ़ती हुई लोकप्रियतासे अन्य सभासद ईर्ष्यासे घबकते रहते थे और अवसर पाकर वे राज्याकी दृष्टिमें उन्हें गिराना चाहते थे।

ब्रह्मगुलाल बहुरुपियाका स्वाग भरनेमें बड़े निपुण थे। ईर्ष्यालुओंने उसीके माध्यमसे उन्हें क्षतिग्रस्त अवस्था अपमानित करनेका विचार किया। एक दिन उन्होंने राजाको उकसाया। अवसर पाकर राजाने ब्रह्मगुलालको एक दिन गाय तथा अन्य दूसरे दिन शेरका स्वाग रच कर दरबारमें प्रदर्शन करनेके अनुरोध किया। तदनुसार ब्रह्मगुलालने भी बहुत ही सुन्दर एवं स्वाभाविक स्वाग रचकर दरबारमें सभीको प्रभावित कर दिया। राजा द्वारा ब्रह्मगुलालको पुरस्कृत देखकर ईर्ष्यालुओंके मनमें विद्वेषकी द्विगुणित भावना भडक उठी है। अतः वे अन्तिम रूपमें प्रेरित कर दिगम्बर जैनका स्वागका आग्रह कराते हैं। ब्रह्मगुलाल उस स्वागके प्रदर्शित करनेमें भी बंसा उत्साह दिखाते हैं और "ॐ नमः सिद्धेभ्यः" कहकर वस्त्राभूषण त्यागकर पंचमुष्टि केशलोच कर निर्ग्रन्थ मुनिपद धारण कर लेते हैं। राजा अभिनयसे प्रभावित होकर उन्हें श्रेष्ठतम पुरस्कार देना चाहता है किन्तु मुनि ब्रह्मगुलाल कहते हैं कि—“राजन्, श्रमणवेशका कोई भी पुरस्कार नहीं होता, क्योंकि वह तो स्वयम् ही एक श्रेष्ठतम पुरस्कार है। यह स्वयं साधन है, और साध्य, मंगल है और मंगलका कारण है। वह स्वयं एक धर्म है। राजन्, आपने मुझे मानव-जीवनके चरम पुरुषार्थकी साधनाके द्वार पर पहुँचा दिया, जो मेरे लिए बड़ा उपकारी सिद्ध हुआ है।

मुनि ब्रह्मगुलालका कथन सुनकर राजा अवाक् रह गया। वह क्षमाश्रमणके चरणों पर गिर पड़ा।

क्षमाश्रमण ब्रह्मगुलालने अमयमुद्रामें उसे "धर्मलाम" कहा और वे स्वयं महामैत्रीके पुण्य कणोंको बिखेरते हुए तपोवनकी ओर चल पड़े।”

कथाशिल्पकी दृष्टिसे उक्त कहानी सफल एवं श्रेष्ठ है। इसी प्रकार पण्डित जीकी कहानियोंमें परावलम्बनसे हटाकर स्वावलम्बनकी सीख प्रदान करने वाली नियतिवादी सद्बाल्युत्त तथा जटिलमुनि और कोशा-गणिका आदि भी हैं, जो कहानी कला तथा नैतिक मूल्योंके प्रचार-प्रसारकी दृष्टिसे किञ्चै न महत्त्वपूर्ण हैं।

शम्भेर निबन्धकारके रूपमें

दार्शनिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सर्वोदय विषयक चिन्तनपूर्ण निबन्धोंके लेखनके रूपमें भी पण्डितजीकी लेखनीने अपनी प्रौढ़ताका परिचय दिया है। उनके ऐसे शम्भेर निबन्धोंमेंसे अनेकान्त-वर्षोंका सांस्कृतिक आधार (१९४९ ई०), सर्वोदयकी साधना (१९४९ ई०) विद्वत्शान्तिके मूल आधार (१९५० ई०), आध्यात्मिक-संस्कृति (१९५० ई०) 'स्यात्' एक प्रहरी (सन् १९५१) तथा अनेकान्तः स्वयं ही एक न्यायाधीश आदि प्रमुख हैं।

संस्कृत कविके रूपमें पण्डितजी

बहुत कम लोग जानते हैं कि पं० महेन्द्रकुमारजी संस्कृतमें कविता भी करते थे। मले ही वे कवि-मंचोंसे उनका प्रसारण नहीं करते थे किन्तु अपने ग्रन्थ-सम्पादन-कालमें जब वे प्रसंग प्राप्त ग्रन्थका सम्पादन-नादि कार्य समाप्त करते थे, तब भावविभोर होकर वे अपने विद्या गुणोंका स्मरण कर उन्हें आदराञ्जलि प्रदान करते थे। उनकी वही भावना संस्कृत-कविताके विविध छन्दोंमें स्फुरायमान हो उठती थी।

पण्डितजी अपने गुरुतुल्य श्रीमान् पं० गणेशप्रसादजी वर्णी, गुरुवर पं० जीबन्धरजी शास्त्री, इन्दौर एवं पं० बंशीधरजी शास्त्री, इन्दौर, ज्येष्ठभ्रातृके समान पं० नाथुरामजी प्रेमो, बम्बई तथा साहित्यरसिक सेठ मुसद्दीलालजीके प्रति वे सदैव विनयावनत रहते थे। अतः इनके सहायता कार्योंके प्रति कृतज्ञता भाषित करने हेतु उन्होंने संस्कृतके विविध छन्दोंमें कुछ श्लोकोंका प्रणयन किया था। यथा—

‘श्रीजैनसिद्धान्तमहोदधिर्मे समग्रसिद्धान्तगुरुश्चकास्ति ।
बंशीधरो जैनकुलावतसी हृसीयती न्यायनये जनोऽयम् ॥

स न्यायालंकारञ्चन्तस्याद्वादवारिधिर्धर्मान् ।
वाग्देवीनर्मज्ञो मर्मज्ञः कर्मकाण्डस्य ॥

तस्याद्य वरिवस्यायामुपहारधिया मया ।
सम्पाद्य न्यायकुमुदोत्तरार्धनिदमप्यति ॥

(न्यायकुमुदचन्द्र द्वि० भा०)

सम्पादक प्रवास्तिः

भजति सागरमण्डलमुद्धरे सुकृतिभिः ‘सुरई’ विकसत्पुरे ।
सुपरवार जवाहरलालतः समजनिष्टः ‘महेन्द्रकुमारक’ ॥ १ ॥

कवीनाश्रितबीनाख्यनगरे धर्मदासतः ।
नाभिनन्दनसद्विद्यालये संस्कृतशिक्षणम् ॥ २ ॥

प्रारम्भिकमुपादाय विशेषाधिजिगीसया ।
विद्वत्सुन्दरमिन्दूरविद्यालयमवाप्तवान् ॥ ३ ॥

बंशीधरात् धर्ममधीत्य ‘जीबन्धराच्च’ तर्कश्रमतः सतर्कम् ।
स्याद्वादविद्यालयमेत्य तस्मिन्श्रान्तमश्राम्यमह चिराय ॥ ४ ॥

न्यायमध्यापयन्न्तेवासिनोऽपि निरन्तरम् ।
अभूवमुत्तमश्रेण्या न्यायाचार्यस्ततः परम् ॥ ५ ॥

गवेषणापूर्णधिदेह टिप्पणीतिहाससम्यक्तुलना मया श्रमात् ।
विलिख्य तत्रानवधानदूषणं सुधीजनः शोधयितेत्युपेक्ष्यते ॥ ६ ॥

२४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

रसरसयुगनेत्रे (वी० नि० २४६६) वीरनिर्वाणवर्षे,
 प्रथमदलनवम्यां भौमवारान्वितायाम् ।
 कृतिरियमगमन्मे पूर्णतां मासि भाद्रे,
 गुरुचरणकृपोधेनान्तरेणान्तरायम् ॥ ७ ॥

(न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय भाग के अन्त में अंकित)

विभाति सद्ब्रूतवपुर्गणेशप्रसादवर्णी गुरुस्मदीय ।
 प्रसादतो यस्य निरम्य विघ्न करोमि निघ्न सकलेप्सितार्थम् ॥

मंजुलजैनहितैषोत्याख्यं पत्र प्रचारयन् प्रथित ।
 पूर्णगवेषणमभित सचितजैनेतिहासश्च ॥

नाथुरामप्रेमी सन्ततमुत्साहयन्नतिप्रेम्णा ।
 न्यायकुमुदसम्पादनलग्नं चेतो ममाकार्षीत् ॥

श्रीजैनवाणीप्रणयी मसद्दीलाल स्वधर्मस्य निषेवकोऽसि ।
 यस्यानुकम्पाभिरहं चिराय स्याद्वादविद्यालयमाश्रयामि ॥

तेनोदाहृतनाम्नां सतां त्रयाणा करारविन्देषु ।
 अमलाकलंकशास्त्रत्रयं क्रमादर्प्यते मोदात् ॥

(अकलक ग्रन्थत्रयम् मे अंकित समर्पण पत्र)

निर्भौक पत्रकार के रूप में

पण्डितजी भारतीय ज्ञानपीठके स्थापनाकाल सन् १९४४ से ही उसके संस्थापक-व्यवस्थापक तथा मूर्तिदेवी ग्रन्थमालाके सर्वप्रथम सम्मान्य नियामक एवं सम्पादक थे। जुलाई १९४९ से उन्होंने ज्ञानपीठ की शोध पत्रिकाके रूपमें 'ज्ञानोदय' मासिक का प्रकाशन किया, जिसके सम्पादकमण्डलमें उनके साथ-साथ मुनि कान्तिसागरजी तथा प० फूलचन्द्रजी सि० शा० थे। शोध-पत्रिका जगत्में अत्यावधिमें भी इसने अपन उच्च स्थान बना लिया था। इसके सम्पादकीय लेख बड़े ही विचारपूर्ण, निर्भौक, सामयिक समस्याओंके विश्लेषक, समीक्षक तथा सुझावपूर्ण होते थे। ऐसे सम्पादकीय वक्तव्योंमें हरिजनोद्धार, वर्णभेद एवं वर्गभेद-समाप्ति, गांधीवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार, समत्वयोग, विश्वशान्ति, शिक्षामें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता, नारी-जागरण, अर्थसंकट एवं विपन्नावस्था-ग्रस्त प्रतिभाशाली छात्रोंके लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने सम्बन्धी विषयों पर उनकी लेखनी प्रभावकारी ढंगसे कार्य करती रही।

इस प्रकार प०/डॉ० महेन्द्रकुमारजीके बहुआयामी व्यक्तित्वके प्रति आज समस्त प्राच्य विद्या जगत् श्रद्धावानत है। इन्होंने साहित्य साधना का जो प्रशस्त मार्ग दिखलाया, वह साहित्यिक इतिहासमें स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजासे ही समाज यशस्वी बनकर प्रगति कर सकता है। यह एक दुःख प्रसंग है कि जैन विद्याके क्षेत्रमें आज जैन लोग नगण्य हैं, जैनैतर विद्वान् उत्साहवर्धक उच्चस्तरीय कार्य कर अपनी प्रगति कर रहे हैं। जैन समाजके नवयुवकों को उनसे शिक्षा लेकर आगे आना चाहिए और पूज्य पण्डितजीके मार्ग का अनुकरण करना चाहिए।

विद्वत्ताके लिए बस्तुतः कठोर परिश्रम, उत्कट अभिलाषा, दृढ़ संकल्प और असीम धैर्य की आवश्यकता होती है, साथ ही उसे आवश्यक है सामाजिक-सम्मान, पुरस्कार एवं प्रेरक उत्साहवर्धन। यदि जैन समाज अपना प्रविष्य उत्पन्न बनाना चाहता है, तो उसे जैन विद्याके साधकों को प्रतिष्ठा एवं सम्मान देना होगा। इस दिशामें उन्हें मध्यकालीन जैन समाज की जिनवाणी-भक्ति एवं विद्वज्जन-सेवासे सबक सीखना होगा। जैन-विद्या एक विद्वानोंके प्रति उसे अपने मनमें श्रद्धाका गुण जागृत करना होगा।

विद्वानों की गहन साधना एवं उनके गुणों की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक गुणवत् आदर हज़ार गुणों को उत्पन्न करता है। विद्वान् का आदर करनेसे समस्त गुणों का स्वतः ही आदर ही जाता है। इसीसे समाज का तथा उसकी भावी पीढ़ी का कल्याण हो सकता है।

अब समय आ गया है। पूज्य पंडितजीके शोध कार्योंका निष्पन्न एवं बस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। इसके बिना न तो एक मूक साधक विद्वान्के समर्पित जीवनके प्रति सामाजिक न्याय होगा और न ही जैन विद्याके प्रति समाज की श्रद्धा-भक्ति की अभिव्यक्ति ही। सले ही पूज्य पंडित महेन्द्र-कुमारजीकी आर्थिक विपन्नता उनकी कुशल न्याय-प्रतिभा की अवरोधक नहीं बन सकी, किन्तु यह सत्य है कि जिस समाजके उत्थानके लिए वे जिए और मरे और अपनी अन्तिम आहुति भी दे डाली उस समाजने उनका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी मृत्युके बाद अत्यावधिमें उन्हें सर्वथा भुला दिया। जैन विद्या, विशेषतया जैन न्यायशास्त्र को उन्होंने आलोक प्रदान किया किन्तु उन्हें आलोकमें लाने का किसीने प्रयत्न नहीं किया। वे अपनी साधनाके आलोकसे स्वयं आलोकित हुए। किन्तु हमें हर्ष है कि उनकी मृत्युके बाद इस स्मृतिग्रन्थके माध्यमसे उनका स्मरण किया जा रहा है।



पण्डित महेन्द्रकुमारजीकी मृत्यु पर 'जैन संदेश' का सम्पादकीय

• पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

हमने कभी स्वप्नमें भी यह कल्पना न की थी कि हमे अपने परम मुहद और तीस वर्षके सहयोगी पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यके स्वर्गवास पर उनकी स्मृतिमें अपनी हतभाग्य लेखनी चलानी पड़ेगी। यह हमसे आठ वर्ष छोटे थे और अभी उनकी उम्र केवल ४७ वर्ष की थी।

आजसे लगभग तीस वर्ष पूर्व वह श्री स्याद्वाद महाविद्यालय, काशीमें न्यायाध्यापक होकर आये थे। और इस पथ पर उन्हें प्रतिष्ठित कराने वाले थे अमृतसरके जिनवाणीभक्त लाला मुमदोलालजी। लालाजी बम्बई परीक्षालय का परीक्षाफल देखकर जो विद्यार्थी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता था, उसे छात्रवृत्ति दिया करते थे। पं० महेन्द्रकुमारजी अपने विद्यार्थी जीवनसे ही बड़े प्रतिभावान् थे। सदा उच्चश्रेणीमें उत्तीर्ण होते थे। लालाजी की दृष्टिमें वह बड़ गये। उन्होने उन्हें छात्रवृत्ति दी। और जब वह शिक्षा समाप्त करके खुरई की जैनपाठशालामें अध्यापकी करने लगे तो लालाजीने स्याद्वाद महाविद्यालयके अधिकारियों पर जोर डालकर उन्हें जैनन्याय का अध्यापक बनवाया और कुछ समय तक २०) मासिक वेतन अपनी धोरसे दिया।

लालाजी की इस दूरदर्शी दृष्टि ने जैनसमाज को एक ऐसा हीरा दिया जो यद्यपि पैदा हुआ था मध्यप्रदेशके खुरई नामक ग्राममें किन्तु विद्वानों की खान वाराणसीमें आकर चमक उठा। उनके उच्च अध्ययनका क्रम वाराणसीमें चालू हुआ। यहाँ उन्होने अपना अध्ययन चालू रखा। गवर्नमेंट कीन्स कॉलेज, बनारस की मध्यमा परीक्षा पास की और फिर एक-एक खण्ड करके छहो खण्ड पास किये। वह जैन समाज के प्रथम न्यायाचार्य थे।

इसी बीचमें प्रकाण्ड पं० सुखलालजी हिन्दू विष्वविद्यालयमें स्थापित जैन चैयरके अध्यापक नियुक्त होकर आये। और पं० महेन्द्रकुमारजीसे उनका परिचय हुआ। और उन्होने उनसे ग्रन्थ संपादन कलाका शिक्षण लेना आरंभ किया। उनका सबसे प्रथम सम्पादित ग्रन्थ था 'न्यायकुमुदचन्द्र' जो जैनन्याय का एक अपूर्व ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन सेठ माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला, बम्बई की ओरसे हुआ। इस ग्रन्थके सम्पादनमें हम लोगोंने कई वर्ष तक श्रम किया। उसके बाद न्यायाचार्यजीने प्रमेयकमलमासंखण्ड का सम्पादन किया। और पं० सुखलालजीके साथ भी कई ग्रन्थों का सम्पादन किया। सिंधी जैन सिरीज से उनके द्वारा सम्पादित अकलकप्रत्यय का प्रकाशन हुआ। उसकी प्रस्तावनासे उनकी विद्वत्ता चमक उठी।

बारह वर्ष तक श्री स्याद्वाद महाविद्यालयमें न्यायाध्यापक रहकर पंडितजी बम्बईके महावीर जैन-विद्यालयमें चले गये। वहाँ वह साहू श्रंयांसप्रसादजीके परिचयमें आये। साहू शान्तिप्रसादजीसे तो वह पहले ही परिचित हो चुके थे। इस परिचयके फलस्वरूप सन् '४४ में साहूजी की ओरसे भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना वाराणसीमें हुई और पंडितजी पुनः बनारस लौट आये। ज्ञानपीठ की स्थापना का और उसके द्वारा स्थापित भूतिदेवी जैन ग्रन्थमालाके द्वारा अनेको बहुमूल्य जैन ग्रन्थोंके प्रकाशमें लाने का बहुत कुछ श्रेय पं० महेन्द्रकुमारजीको है। वह ज्ञानपीठ को एक केन्द्रीय जैनसंस्था बनाने का प्रयत्न बराबर करते रहे। उसीके फलस्वरूप 'ज्ञानोदय' नामक पत्र का जन्म हुआ जिसके वह सम्पादक रहे और उसके द्वारा उन्होंने अपनी स्वतन्त्र विचारधारा को सर्वसाधारणमें फैलाने का प्रयत्न किया। पीछे उनका ज्ञानपीठसे कार्यकर्ता का सम्बन्ध टूट गया और वह हिन्दू विष्वविद्यालयमें ही बौद्धदर्शनके अध्यापक होकर रहने लगे।

यहाँ रहते हुए उन्होने एम० ए० पास किया। और अकलकदेवके अपूर्व ग्रन्थ सिद्धिविनिश्चय का संपादन किया। इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थके सम्पादनमें उन्होने जी-तोड़ श्रम किया और सिद्धि-

विनिश्चयटीका अकलकदेवके मूल ग्रन्थ सिद्धिविनिश्चयका उद्धार किया। उसी परसे उन्हें पिछले ही विनों हिन्दू विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। और इस तरह जैन विद्वानोंमें वह प्रथम डॉक्टर हुए। आगामी जुलाई मासमें उनकी नियुक्ति सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसीमें जैनदर्शन और प्राकृतके अध्यक्ष पद पर होनेवाली थी। आजकल वह उसी की तैयारीमें व्यस्त थे। हिन्दू विश्वविद्यालय छोड़ने पर नये निवासस्थान की व्यवस्था करना आवश्यक था। उसीके सम्बन्धमें १४ मई को दिवके १० बजे शहरमें एक मकान देखकर लोटे और ११ बजेके लगभग पक्षाघात का आक्रमण हो गया।

पक्षाघातसे पीड़ित अनेक रोगी हमारे सामने ही अच्छे हुए हैं और आज मजेमें हैं। हमे आशा थी कि वह भी स्वस्थ हो जायेंगे किंतु दूसरे आक्रमणने उन्हें हमसे सदाके लिये छीन लिया। यह उनके कुटुम्ब पर और जैनसमाज पर अनभिन्न बखपात है। कल तक उनके जो बच्चे सनाथ थे आज वे अनाथ जैसे हो गये हैं। माता बुढ़ा है—एक लड़का और दो लड़कियाँ दस वर्ष की अवस्थासे अन्दरके एकदम शिथिल हैं। एक बड़ा लड़का इस साल इजीनियरिंगमें प्रवेश लेगा। किंतु आज उन सबके सम्मुख घोर अंधकार जैसा उपस्थित है, क्योंकि प० महेन्द्रकुमारजी कोई धनी पंडित नहीं थे। हाँ, आगे अब यह आशा थी किंतु वह आशा तो उनके साथ ही चली गई। यह तो उनके कुटुम्ब की दशा है।

उधर जैनन्याय का आज उनके जैसा अधिकारी विद्वान् कोई दृष्टिगोचर नहीं होता जो उनका भार सम्भालने की योग्यता रखता हो। दर्शनके प्राय सभी प्रमुख ग्रन्थों का उन्होंने पारायण कर डाला था। न्याय, वैशेषिक, माध्य, योग, मीमांसा, बौद्ध सभी दर्शनोंके ग्रन्थ उनके दृष्टिपथसे निकल चुके थे। और सपादनकलाके तो वह आचार्य ही गये थे। वि० जैनसमाजमें आज न बँसा कोई दार्शनिक नहीं है और न सम्पादक। उनकी विशेषताएँ उनके साथ चली गईं। विद्वानन्दिस्वामी की अष्टसहस्री और तत्त्वार्थश्लोकावलि जैसे महान् दार्शनिक ग्रन्थ सिद्धिविनिश्चयके ढग पर प्रकाशन की प्रतीक्षामें हैं। हम सोचा करते थे कि महेन्द्रकुमारजीके द्वारा एक-एक करके इन सबका उद्धार हो जायेगा। किंतु हमारा सोचना भी उनके साथ ही चला गया। आज जैनसमाज लाख रूपया भी खर्च करे तो दूसरा प० महेन्द्रकुमार पैदा नहीं कर सकता। आजके युगमें जब सस्कृत पढ़नेवाले भी दर्शन की ओरसे मुस मोड़ रहे हैं तब ऐसे विद्वान्के उत्पन्न होने का स्वप्न देखना भी नासम्भवी है। इसलिये रह-रह कर क्रूर काल पर क्रोध आता है और आता है अपना बेबसी पर रोना। कहसि लाये हम प० महेन्द्रकुमार जैसा विद्वान्।

प्रत्येक व्यक्तिमें गुण भी होते हैं और दोष भी। प० महेन्द्रकुमारजोमें भी दोनों ही थे। किंतु उनके जैसा अद्यवसायो, उनके जैसा कर्मठ और उनके जैसा धुन का पक्का व्यक्ति होना कठिन है। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था—'स्वकार्यं साधयेत् धीमान्' 'बुद्धिमान का कर्तव्य है कि अपने कार्य की सिद्धि करे।' यही उनका मूलमन्त्र था। उन्होंने अपने इस मूलमन्त्र के सामने आपत्ति-विपत्तियों की कभी भी परवाह नहीं की, बुराई-भलाइयों की ओरसे आँखें मूँद ली। जब जहाँ जैसे भी अपने कार्य में सफलता मिले तब वहाँ तैरे उमे प्राप्त करके ही वह शान्त होते थे। और किसीके साथ बुराई पैदा होने पर भी उससे अपना सबधसे विच्छेद नहीं करते थे। समय पर उससे मिलने जाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। और इस तरह मिलते थे, मानो कोई बात ही नहीं है।

उनके जीवनमें जो उतार-चढ़ाव आये वह मेरी स्मृतिमें आज भी मौजूद है। और उन्होंने अपने मूलमन्त्र को दृष्टिमें रखते हुए विष को अमृत की तरह पी लिया, यह भी मैं जानता हूँ। उनके विचार बहुते उदार थे। किन्तु सामाजिक सम्बन्धोंके प्रति भी उनकी आस्था थी। और सामाजिक सम्बन्धोंके महत्त्व को

२८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

बहु अनन्त थे। फिर भी अपने भाषणों और लेखोंके द्वारा वह अपने विचार बराबर प्रकट करने रहते थे और कभीतर पर चूकते नहीं थे। उनकी धार्मिक श्रद्धा कोई गहरी नहीं थी किन्तु जिनवाणोंके उद्धार और जैन-संस्कृतिके अस्त्युत्थानके प्रति उनकी अभिरुचि अत्यन्त गम्भीर थी।

विछले दिनों वाराणसीमें सर्व वेदशास्त्रा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और उसमें वेदविरोधी विद्वानोंको भी बोलनेके लिये आमन्त्रित किया था। प्रवाससे लौटने पर मुझे ज्ञात हुआ कि प० महेन्द्रकुमारजीने वेदके अपौरुषेयत्वके विरोधमें उगम संस्कृतमें बोला। संस्कृत विश्वविद्यालयमें उनके पहुँच जानेसे जैन संस्कृतिके अवयव ही बच मिलता इसमें सन्देह नहीं है। किन्तु दुःख यही है कि असमयमें ही और वह भी अचानक ही उनका हमसे सवाके लिये बियोग हो गया।

आज हमारे लिये वाराणसी सूनी हो गई है। मिले हुए बहुत दिन हो जाते थे तो मिलनेकी प्रतीक्षा करते थे। अब इस प्रतीक्षाका कभी अन्त होने वाला नहीं है। अपनी इन्हीं आँसूके सामने उन्हें चित्तमें जलते देखा है फिर भी हृदय चाहता कि यह मूर्ति एक बार किसी तरहसे देखनेकी मिल जाये। मिलने पर इधर-उधरकी समाजकी कितनी बातें और विचार-विमर्श होता था। अब वह सीमाय कभी प्राप्त नहीं होगा।

ऐसे बियोगके समयमें विवेक ज्ञान भी साथ नहीं देता। मनुष्य यह सोचकर अचिर हो उठता है कि जो बला गया वह अब कभी भी देखनेको नहीं मिलेगा। जब हम मित्रोंकी यह वशा है तो उनके कुटुम्बियोंकी खास करके उनकी वृद्धा माता और समझदार बड़े पुत्रके दुःखकी तो थाह ही नहीं मिल सकती। हम ज्ञानसे हार्थिक समवेधना प्रकट करते हुए भगवान् जिनेन्द्रदेवसे यही प्रार्थना करते हैं कि महेन्द्रकुमारजी अपने सन्तानोंको लेकर पुनः जैनकुलमें जन्म ले और अपने इस जीवनके शेष बचे कार्योंको पूर्ण करे।

दि० २८ मई १९५९ के 'जैन सवेस'से साभार



डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा प्रतिपादित नियतिवाद : एक समीक्षा

• प्रो० रतनचन्द्र जैन, भोपाल

माननीय डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य प्रथम जैन पण्डित वे जिन्होंने जैन पाठशालाओं और महा-विद्यालयोंकी सीमासे बाहर जाकर विश्वविद्यालयमें प्राध्यापकका पद सुधोभित किया और जैनदर्शनके अध्ययन-मनन और शोधको विश्वविद्यालयीन आयाम दिया । न्यायाचार्यजी जैन न्यायशास्त्रके पारगत विद्वान् थे । उन्होंने प्रायः सभी प्रमुख जैन न्यायग्रन्थों जैसे न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिश्चयविवरण, अकलङ्कग्रन्थत्रय, प्रमेयकमलमार्तण्ड और सिद्धिविनिश्चयटीकाके सम्पादन एवं प्रस्तावनालिखनका यशस्कर कार्य किया है । इसके अतिरिक्त तत्त्वार्थवातिक और तत्त्वार्थवृत्तिको भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना एवं हिन्दीसार द्वारा अत्यन्त उपयोगी बना दिया है । 'जैनदर्शन' उनकी बहू यशस्वी कृति है जो हिन्दीमें सर्वप्रथम लिखी गई और जिसमें जैनइतिहास, जैनसिद्धान्त, जैनन्याय और जैनाचारका सरल भाषामें मसिख्त एव उच्चस्तरीय प्रतिपादन किया गया है । डॉक्टर माह्वकी यह कृति जैन एवं जैनेतर जिज्ञासुओंके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है ।

न्यायविद्यामें न्यायाचार्यजीको आधुनिक युगका अकलक कहे तो अत्युक्ति न होगी । वर्तमान कालमें डॉ० राधाकृष्णन्, महाप्रज्ञित राहुल सांकृत्यायन, प्रो० बलदेव उपाध्याय आदि अनेक जैनेतर विद्वानोंने स्याद्वादकी अत्यन्त भ्रान्तिपूर्ण व्याख्याएँ की थी । न्यायाचार्यजीने उन सबका युक्तिपूर्वक खण्डन कर स्याद्वाद की समीचीनता स्थापित करनेका सराहनीय कार्य किया । इतना ही नहीं, कालदोषसे जैनसमुदायमें भी कुछ ऐसे विद्वान् अस्तित्वमें आये जिनके मस्तिष्कने सर्वज्ञोपदेशके विपरीत एकान्तवादी मान्यताओंका अन्धकार उगला । इससे न्यायाचार्यजी अत्यन्त पीड़ित हुए और उन्होंने अमोघ युक्तियों तथा ज्वलन्त आगम प्रमाणोंसे इन विपरीत मान्यताओंका जोरदार खण्डन किया जिसके दर्शन तत्त्वार्थवृत्तिकी प्रस्तावनामें किये जा सकते हैं ।

कुछ विद्वानोंने नियति-अनियति, निमित्त-उपादान, व्यवहारधर्मको हेयोपादेयता, व्यवहारनयकी भूतार्थता-अभूतार्थता आदि अनेक सिद्धान्तोंके विषयमें एकान्तवादी मान्यताएँ प्रचलित की हैं । तत्त्वार्थवृत्तिकी प्रस्तावनामें इन सबकी शक्यपरीक्षा की गई है । जीवकी समस्त पर्यायोंको क्रमबद्ध या नियत माननेकी जो एकान्तवादी मान्यता प्रचलित की गई है उसकी न्यायाचार्यजीने विस्तारसे परीक्षा की है । वह बतलाती है कि यह मान्यता कितनी पथभ्रष्ट करनेवाली है । न्यायाचार्यजीने अपने निष्कर्षमें लिखा है कि नियतिवाद ईश्वरवादसे भी ज्यादा खतरनाक है । ईश्वरवादमें कर्मोंका फल ईश्वरके अधीन है, किन्तु अच्छे-बुरे कर्म करना मनुष्यके अधीन है । नियतिवादमें तो 'अच्छे-बुरे' कर्म भी मनुष्यके अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे क्रमबद्ध हैं, पूर्वनियत हैं (पृष्ठ ४८) ।

न्यायाचार्यजीने क्रमबद्ध पर्यायवादकी ओ शक्यपरीक्षा की है उसका मैंने भी गहराईसे अनुचितन किया है और मुझे न्यायाचार्यजीका कथन शतप्रतिशत समीचीन प्रतीत हुआ है । इस मान्यतासे श्रद्धा कितनी विपरीत और जीवन कितना अकर्मण्य हो जाता है तथा यह सर्वज्ञोपदेशके कितने खिलाफ है इसका मैंने जो चिन्तन किया है उस पर सक्षेपमें प्रकाश डाल रहा हूँ ।

क्रमबद्धपर्यायवाद प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक द्रव्यकी सभी पर्यायें क्रमबद्ध हैं । अर्थात् किस द्रव्यकी कब क्या अवस्था होती है यह पूर्वनिर्धारित है । उसका स्थान भी निर्धारित है, काल भी निर्धारित है, साधन-सामग्री भी निर्धारित है, पुरुषार्थ भी निर्धारित है । अतः जिस द्रव्यकी, जिस स्थानमें, जिस

समयमें, जिस साधनसे जो अवस्था होनी है, उस द्रव्यकी वही अवस्था, उसी स्थानमें, उसी समयमें, उसी साधनसे होती है। इस नियमका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दोंमें, जो होना है वही होगा, जब होना है तभी होगा, जहाँ होना है वही होगा, जिस रीतिसे होना है उसी रीतिसे होगा, जिस साधनसे होना है उसी साधनसे होगा, जिस क्रमसे होना है उसी क्रमसे होगा। अतः जो क्रमबद्ध है, पूर्वनियत है वही होता है। होनेवाले कार्यके लिये तदनुरूप बुद्धि और पुरुषार्थ अपने आप होते हैं, निमित्त भी अपने आप मिल जाते हैं। होनी कोई टाल नहीं सकता, अनहोनी कोई कर नहीं सकता। क्रमबद्धपर्यायवादी अपने मन्तव्यको इस उक्ति द्वारा स्पष्ट करते हैं—

तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायोऽपि तादृश ।
सहायास्तादृशा एव यादृशा भवितव्यता ॥

जैसी होनद्वारा होती है वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसा ही प्रयत्न होने लगता है, वैसा ही सहायक मिल जाते हैं।

क्रमबद्धपर्यायका यह सिद्धान्त एकान्तनियतिवादका दूसरा नाम है। एकान्तनियतिवादमें प्रत्येक कार्य, उसके होनेका काल, निमित्त एव पुरुषार्थ होते हैं, क्रमबद्धपर्यायवादमें भी नियत होते हैं।

इस सिद्धान्तका समर्थन इस तर्क द्वारा किया जाता है कि सर्वज्ञके ज्ञानमें समस्त द्रव्योकी (भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालोंकी पर्यायें झलकती हैं जिसका तात्पर्य यह है कि वे यह जानते हैं कि भविष्यमें किस द्रव्यकी क्या-क्या अवस्था होनेवाली है। इसी आधार पर वे कहते हैं—

जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी तीरा रे ।
अनहोनी कबहुँ नहीं होसी काहे होत अधोरा रे ॥

किन्तु यह सिद्धान्त समस्त जिनोपदेश और मोक्षमार्गके नियमों पर पानी फेर देता है क्योंकि इससे निम्नलिखित बातें सिद्ध होती हैं—

१—जीव पापसे बचनेके लिए स्वतंत्र नहीं है क्योंकि क्रमबद्ध या नियत होनेके कारण ही पाप होते हैं और जो नियत है उसे कोई टाल नहीं सकता।

२—जीव मोक्षकी साधना करनेके लिये स्वतंत्र नहीं है क्योंकि यदि वह नियत नहीं है तो वैसा करनेकी बुद्धि भी जीवमें उत्पन्न नहीं हो सकती।

३—पाप होता है तो उससे बरनेको आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि स्वर्ग और मोक्ष नियत है तो पाप करनेके बावजूद वे होकर रहेंगे। ('काहे होत अधीरा रे?')

४—मोक्षके लिये परेशान होनेकी जरूरत नहीं है क्योंकि यदि वह नियत है तो जब उसका क्रम आवेगा तब उसे करनेकी बुद्धि जीवमें अपने आप उत्पन्न होगी।

५—उपदेश देने और सुननेकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो कार्य क्रमबद्ध नहीं है उसे करनेका विचार उपदेश देने पर भी नहीं आ सकता और जो क्रमबद्ध है उसको करनेकी बुद्धि समय आने पर अपने आप उत्पन्न हो आवेगी। कहा भी है—'तादृशी जायते बुद्धि' ।

इस प्रकार इस सिद्धान्तके अनुसार जीवमें स्वच्छन्दता (असंयम) एवं अकर्मण्यता (मोक्षमार्गसे विमुक्तता) आ जानेसे भी कोई हानि सिद्ध नहीं होती, जबकि सर्वज्ञके उपदेशके अनुसार उन्हींके कारण जीव अनन्तकाल तक संसारमें भटकता है।

खण्ड : ३

कृतियों की समीक्षाएँ

तत्त्वार्थवृत्ति : एक अध्ययन

• प्रो० उदयचन्द्र जैन सर्वदर्शनाचार्य, वाराणसी

आचार्य गृह्यपिच्छ अपरनाम उमास्वामी द्वारा विरचित तत्त्वार्थसूत्र जैनपरम्पराका आद्य सूत्र ग्रन्थ है जो दश अध्यायोंमें विभक्त है। इस पर सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवातिक, तत्त्वार्थश्लोकवातिक आदि अनेक सस्कृत टीकाजोका निर्माण हुआ है। उनमें श्री श्रुतसागरसूरि विरचित तत्त्वार्थवृत्ति भी तत्त्वार्थसूत्रकी एक विशाल और उपयोगी टीका है। यह टीका पहले अप्रकाशित थी। सम्पादनकला विशेषज्ञ स्व० डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने इसका विद्वत्पूर्ण सम्पादन किया और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन् १९४९ में ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमालाके अन्तर्गत इसका प्रकाशन हुआ।

ग्रन्थ नाम

इस टीकाका नाम तत्त्वार्थवृत्ति है। श्रुतसागरसूरिने ग्रन्थके प्रारम्भमें “वक्ष्ये तत्त्वार्थवृत्तिं निज-विभवतयाऽहं श्रुनोदन्वदाख्ये।” ऐसा लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि इस ग्रन्थका नाम तत्त्वार्थवृत्ति है। इसके प्रथम अध्यायके अन्तमें आगत पुष्पिका वाक्यमें—“तत्त्वार्थटीकाया प्रथमोऽध्यायः समाप्तः।” ऐसा लिखा है। द्वितीय अध्यायके अन्तमें जो पुष्पिका वाक्य है उसमें लिखा है—“तात्पर्यसंज्ञाया तत्त्वार्थवृत्तौ द्वितीय पाद समाप्तः।” ऐसा लिखा है। इसी प्रकार तृतीय आदि अध्यायोंके अन्तमें भी “तात्पर्यसंज्ञाया तत्त्वार्थवृत्तौ” ऐसा उल्लेख मिलता है उपरिलिखित पुष्पिका वाक्यसे ऐसा प्रतीत होता है कि तत्त्वार्थवृत्तिके दो नाम और हैं—“तत्त्वार्थटीका” और “तात्पर्य”। किन्तु श्रुतसागरसूरिको इसका नाम तत्त्वार्थवृत्ति ही अभीष्ट है। इसी कारण उन्होंने ग्रन्थके प्रारम्भमें तथा अन्तमें इसका तत्त्वार्थवृत्ति नाम ही लिखा है। ग्रन्थके अन्तका उल्लेख इस प्रकार है—“एषा तत्त्वार्थवृत्ति र्विचार्यते।” तत्त्वार्थसूत्रकी टीका होनेके कारण इसका तत्त्वार्थ-टीका यह एक साधारण नाम है। तत्त्वार्थसूत्रके तात्पर्यको स्पष्ट करनेके कारण इसको तात्पर्य सज्ञक तत्त्वार्थ-वृत्ति भी कह सकते हैं। फिर भी इसका वास्तविक नाम तत्त्वार्थवृत्ति ही है।

यहाँ एक बात विचारणीय है कि श्रुतसागरसूरिने प्रथम अध्यायके अन्तमें ‘प्रथमोऽध्यायः समाप्तः’ ऐसा लिखा है। किन्तु द्वितीय आदि नौ अध्यायोंके अन्तमें ‘द्वितीयः पादः समाप्तः’, ‘तृतीयः पादः समाप्तः’ इस प्रकार लिखा है। यहाँ यह विचारणीय है कि लेखकने अध्यायके स्थानमें पाद शब्दका प्रयोग क्यों किया है। क्योंकि सब अध्यायोंके अन्तमें एकसा प्रयोग होना चाहिए। फिर जब दश अध्याय प्रारम्भमें ही प्रचलित हैं तब अध्यायको पाद लिखना अटपटासा लगता है। न्यायसूत्र, वैशेषिक सूत्र आदि अन्य दर्शनोके सूत्र ग्रन्थोंमें एक अध्यायमें कई पाद होने हैं। अतः वहाँ ‘प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः’, ‘द्वितीयः पादः’ इत्यादि प्रकारसे उल्लेख किया गया है जो ठीक है। इससे यही सिद्ध होता है कि अध्याय और पाद अलग-अलग हैं। इसलिए अध्यायको पाद लिखना ठीक प्रतीत नहीं होता है। फिर भी इतना निश्चित है कि तत्त्वार्थवृत्तिके लेखकको पाद शब्दसे अध्याय ही इष्ट है।

ग्रन्थकारका व्यक्तित्व एवं कृतित्व

तत्त्वार्थवृत्तिके कर्ताका नाम श्रुतसागरसूरि है। ये विगम्बर जैन मुनि होनेके साथ ही बहुश्रुत विद्वान् थे। यथार्थमें वे श्रुतके सागर थे। वे तर्क, व्याकरण, छन्द, अलंकार, साहित्यशास्त्र, धर्मशास्त्र आदिके ज्ञाता होनेके साथ ही सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थराजवातिक, तत्त्वार्थश्लोकवातिक, न्यायकुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलमालांण्ड, अष्टसहस्री आदि जैनदर्शनके तथा न्याय-वैशेषिक आदि इतर दार्शनिक ग्रन्थोंके प्रकाण्ड पण्डित थे। उनका

२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

ज्ञान कितना व्यापक था इसका पता तत्त्वार्थवृत्तिमें उद्धृत वाक्योंसे चलता है। तत्त्वार्थवृत्तिमें जिन अनेक ग्रन्थोंके श्लोक, भाषा तथा गद्यात्मक वाक्य उद्धृत हैं उनमेंसे कई उद्धरण ऐसे हैं जिनके मूलग्रन्थोंका पता विद्वान् सम्पादकको भी नहीं चल सका है। इससे ज्ञात होता है कि उनका अध्ययन और ज्ञान कितना विशाल था।

श्रुतसागरसूरि मूलसघके बलात्कारणमें विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीमें हुए हैं। इनके गुल्का नाम विद्वान्निधि था। श्रुतसागरसूरिने अपनेको कलिकालसर्वज्ञ, कलिकालगौतम, व्याकरणकमलमार्तण्ड, तार्किक-शिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहा-महावादि विजेता आदि विशेषणोंमें अलंकृत किया है। इन्होंने तत्त्वार्थवृत्तिके अतिरिक्त जिन सहस्रनामटीका, औदार्य चिन्तामणि, व्रतकथाकोश, तत्त्वत्रय-प्रकाशिका आदि अन्य कई ग्रन्थोंकी रचना की थी।

तत्त्वार्थवृत्तिकी विशेषता

तत्त्वार्थवृत्ति तत्त्वार्थसूत्रके तात्पर्यको स्पष्ट करनेवाली एक विस्तृत टीका है जो परिमाणमें सर्वाथ-सिद्धिसे भी बड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह सर्वाथसिद्धिकी व्याख्या हो। इनमें पूज्यपादकृत सर्वाथ-सिद्धि ग्रन्थ पूराका पूरा समाविष्ट हो गया है। इसमें सर्वाथसिद्धिके अनेक पदोंकी व्याख्या, साधकता, विशेषार्थ आदि विपुल मात्रामें उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही इसमें सर्वाथसिद्धिके सूत्रात्मक वाक्योंके अर्थप्रत्ययको अच्छी तरहसे उद्घाटित किया गया है। अतः सर्वाथसिद्धिको समझनेमें इससे बहुत सहायता मिलती है।

यद्यपि श्रुतसागरसूरि अनेक शास्त्रोंके प्रकाण्ड पण्डित थे फिर भी 'को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रं' इस सूक्तिके अनुसार उन्होंने भी तत्त्वार्थवृत्तिमें कुछ गलतियाँ की हैं और इन गलतियोंका उद्घाटन विद्वान् सम्पादकने प्रस्तावनामें किया है। जैसे सूत्र सख्या ९/५ की वृत्तिमें आदाननिक्षेपसमितिका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—

धर्मोपकरणग्रहणविसर्जने सम्यगवलोक्य मयूरवह्नेण तदभावे वस्त्रादिना प्रतिलिख्य स्वीकरण विसर्जनेञ्च सम्यगादाननिक्षेपसमितिर्भवति।

अर्थात् धर्मके उपकरणोंको मोरकी पीछी से, पीछीके अभावमें वस्त्र आदिसे अच्छी तरह झाड़ पोछकर उठाना और रखना सम्यक् आदाननिक्षेपसमिति है।

यहाँ श्रुतसागरसूरिने मयूरपिच्छके अभावमें वस्त्रादिके द्वारा धर्मोपकरणोंके प्रतिलिखनका जो विधान किया है वह दिगम्बर परम्पराके अनुकूल नहीं है।

इसी प्रकार सूत्र सख्या ९/४७ में आगत लिग शब्दकी व्याख्या करते हुए लिखा है—

लिङ्ग द्विप्रकारं द्रव्यभावभेदात्। तत्र पञ्चप्रकारा अपि निर्यन्था भावलिङ्गिनो भवन्ति। द्रव्यलिङ्ग तु भाज्यम्। तत्किम्? केचिदसमर्था महर्षयः शीतकालादौ कम्बलशब्दवाच्य कौशेयादिक गृह्णन्ति, न तत् प्रक्षालयन्ति, न सीवन्ति, न प्रयत्नादिकं कुर्वन्ति, अपरकाले परिहृदन्ति। केचिच्छरोरे उत्पन्नदोषा लज्जितत्वात् तथा कुर्वन्तीति व्याख्यानमाराधनाभगवतीप्रोक्ताभिप्रायेणापवादरूपं ज्ञातव्यम्।

अर्थात् लिङ्गके दो भेद हैं—द्रव्यलिङ्ग और भावलिङ्ग। पाँचों प्रकारके मुनियोंमें भावलिङ्ग समानरूपसे पाया जाता है। द्रव्यलिङ्गकी अपेक्षासे उनमें कुछ भेद पाया जाता है। कोई असमर्थ मुनि शीतकाल आदिमें कम्बल आदि वस्त्रोंको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उस वस्त्रको न धोते हैं और फट जाने पर न सीते हैं

तथा कुछ समय बाद उसको छोड़ देते हैं। कोई मुनि शरीरमें विकार उत्पन्न हो जानेसे लज्जाके कारण बस्त्रोंको ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकारका व्याख्यान भगवती आराधनामें अपवादरूपसे बतलाया है।

इस प्रकरणमें विद्वान् सम्पादकने लिखा है कि भगवती आराधनाकी अपराजित सूरिकृत विजयोदया टीकामें यह अपवाद मार्ग स्वीकार किया गया है। क्योंकि अपराजितसूरि यापनीय सधके आचार्य थे और यापनीय आगमोको प्रमाण मानते थे। परन्तु श्रुतसागरसूरि तो कट्टर दिग्गम्बर थे। वे कैसे इस चक्करमें आ गये।

इसी प्रकार सूत्र सख्या ५/४१, ८/२, ८/११, ९/१ इत्यादि सूत्रोंकी वृत्तियोंमें भी कुल गलतियाँ विश्वमान हैं। फिर भी तत्त्वार्थवृत्ति अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण और बहुते ही उपयोगी बृहदाकार रचना है। इसका परिमाण ९००० श्लोक प्रमाण है। सुपर रायल साहजके ३२८ पृष्ठोंमें इसका मुद्रण हुआ है। संस्कृत टीकाके बाद १८३ पृष्ठोंमें इसका हिन्दी सार भी मुद्रित है जिसे श्री उदयचन्द्र जैन सर्वदर्शनाचार्यने लिखा है। इसमें तत्त्वार्थसूत्र पर श्रुतसागरसूरिका जो विवेचन है वह प्रायः पूरा समूहीत है और संस्कृत न जानने वालोंके लिए यह हिन्दी सार बहुत ही उपयोगी है। ग्रन्थके अन्तमें ६५ पृष्ठोंमें ६ उपयोगी परिशिष्ट दिये गये हैं। इस प्रकार सुपर रायल साहजमें मुद्रित तत्त्वार्थवृत्तिकी कुल पृष्ठ सख्या ६५० है।

अब यहाँ "भरनैरावतयोवृद्धिह्लासौ षट्समयाम्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीम्याम्।" ३/२७। इस सूत्रकी व्याख्यामें उल्लिखित कुछ विशेष बातों पर विचार करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

श्रुतसागरसूरिने अवसर्पिणी कालके वर्णनमें कुछ विशेष बातें बतलाई हैं जो इस प्रकार हैं—

अवसर्पिण्यास्तृतीयकाले पल्यस्याष्टम भागे स्थिते सति षोडशकुलकरा उत्पद्यन्ते। तत्र षोडशकुलकरेषु मध्ये पञ्चदशकुलकराणामष्टम एव भागे विपत्तिर्भवति। षोडशस्तु कुलकर उत्पद्यते अष्टम एव भागे विनाशस्तु तस्य चतुर्थकाले भवति। पञ्चदश कुलकरस्तोर्थकर। तत्पुत्र षोडशकुलकरश्चक्रवर्ती भवति। तौ द्वावपि चतुरशीतिलक्षपूर्वजीवितौ। चतुर्थकाले त्रयोविंशतिस्तोर्थकरा उत्पद्यन्ते निर्वाणन्ति च।

एकादश चक्रवर्तिन नव बलभद्रा नव वामुदेवा नव प्रतिवासुदेवा उत्पद्यन्ते। एकादशरत्ना नव नारदाश्च उत्पद्यन्ते। अर्थात् अवसर्पिणीके तृतीयकालमें आठवा भाग शेष रहने पर १६ कुलकर उत्पन्न होते हैं। १६ कुलकरोमें से १५ की आठवे भागमें ही मृत्यु हो जाती है। सोलहवा कुलकर आठवे भागमें ही उत्पन्न होता है किन्तु उसकी मृत्यु चतुर्थकालमें होती है। पन्द्रहवा कुलकर तीर्थकर होता है और सोलहवा कुलकर उसका पुत्र चक्रवर्ती होता है। उन दोनोंकी आयु चौरासी लाख पूर्वकी होती है। चौथे कालमें तेईस तीर्थकर उत्पन्न होतें हैं और निर्वाणको प्राप्त होते हैं। चतुर्थकालमें ११ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ९ वामुदेव और ९ प्रतिवासुदेव उत्पन्न होते हैं। ११ स्त्र और ९ नारद भी इस कालमें उत्पन्न होते हैं।

अब उत्सर्पिणी कालकी जिन विशेषताओंको श्रुतसागरसूरिने बतलाया है उनको देखिए—

उत्सर्पिण्या द्वितीयस्य कालस्यान्ते वर्षसहस्रावशेषे स्थिते सति चतुर्दशकुलकरा उत्पद्यन्ते। तद्वर्षसहस्रमध्ये त्रयोदशानां विनाशो भवति। चतुर्दश कुलकर उत्पद्यते। तद्वर्षसहस्रमध्ये विपद्यते तु तृतीयकालमध्ये। तस्य चतुर्दशस्य कुलकरस्य पुत्रस्तोर्थकरो भवति। तस्य तीर्थकरस्य पुत्रश्चक्रवर्ती भवति। तद्वयस्याप्युत्पत्तिस्तृतीयकाले भवति। अस्मिन्नेवकाले शलाका पुरुषा उत्पद्यन्ते।

अर्थात् उत्सर्पिणीके द्वितीय कालके अन्तमें एक हजार शेष रहने पर चौदह कुलकर उत्पन्न होते हैं। तेरह कुलकर द्वितीय कालमें ही उत्पन्न होते हैं और मरते भी द्वितीय कालमें ही हैं। लेकिन चौदहवा कुलकर उत्पन्न तो द्वितीय कालमें ही होता है किन्तु मरता तृतीय कालमें है। चौदहवें कुलकर का पुत्र तीर्थकर

४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

होता है और उस तीर्थंकर का पुत्र चक्रवर्ती होता है इन दोनोंकी उत्पत्ति तृतीय कालमें होती है। इसी कालमें ६३ शलाका पुरुष उत्पन्न होते हैं। २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ९ नारायण, और ९ प्रति-नारायण ये ६३ शलाका पुरुष कहलाते हैं।

अब मुझे यहाँ उपर्युक्त कथनके आधारसे चार बातों पर विचार करना है। उनमेंसे पहली विचारणीय बात यह है कि श्रुतसागरसूरिके अनुसार अवसर्पिणी कालमें १६ कुलकर होते हैं और उत्सर्पिणी कालमें १४ कुलकर होते हैं। ऐसा क्यों होता है। दोनों कालोंमें कुलकरोंकी संख्या एक समान होना चाहिये। जैसे कि तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों आदिकी संख्या सदा एक समान रहती है। प्रत्येक कालमें तीर्थंकर २४ ही होते हैं। कभी २३ ही और कभी २५ हो ऐसा नहीं होता है। आदिपुराण, पद्मपुराण आदि ग्रन्थोंमें भी इस अवसर्पिणी कालमें कुलकर १४ ही बतलाये गये हैं। और चौदहवें तथा अन्तिम कुलकर नाभिराय थे। यहाँ यह विचारणीय है कि अवसर्पिणी कालमें १६ कुलकरोंकी मान्यता श्रुतसागरसूरिकी अपनी है या उसका कोई आधार रहा है।

द्वितीय विचारणीय बात यह है कि अवसर्पिणी कालमें प्रथम तीर्थंकरकी उत्पत्ति किम कालमें होती है ? तृतीय कालमें या चतुर्थ कालमें ? श्रुतसागरसूरिके कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक अवसर्पिणीके तृतीय कालमें प्रथम तीर्थंकरका जन्म होता है। यदि उनकी ऐसा मान्यता है तो वह गलत है। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक अवसर्पिणी कालके चतुर्थ कालमें २४ तीर्थंकर होते हैं और प्रत्येक उत्सर्पिणी कालके तृतीय कालमें २४ तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी काल इसका अपवाद अवश्य है। इस अवसर्पिणी कालके तृतीय कालमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथका जन्म अवश्य हुआ है, किन्तु मदा ऐसा नहीं होता है। इस बार ऐसा क्यों हुआ इसका विशेष कारण है और वह कारण है हुण्डावसर्पिणी काल। यह कालका एक दोष है। इस दोषके कारण कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सामान्यरूपसे सदा नहीं होती। जैसे इस अवसर्पिणी कालके तृतीय कालके अन्तमें प्रथम तीर्थंकरका जन्म होना। तीर्थंकरके पुत्रीका जन्म नहीं होता है। किन्तु काल दोषके कारण ऋषभनाथके दो पुत्रियाँ ब्राह्मी और मुन्दरी हुईं। यह सब हुण्डावसर्पिणी कालका प्रभाव है। हुण्डावसर्पिणी कालमें कौन-कौनसी विशेष बातें होनी हैं इसका वर्णन तिलोयपण्णत्तिके चतुर्थ अध्यायमें किया गया है। किन्तु श्रुतसागरसूरिके हुण्डावसर्पिणी कालका उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। यहाँ यह स्मरणीय है कि असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालोंके बीच जाने पर एक बार हुण्डावसर्पिणी काल आता है।

यहाँ तीसरी विचारणीय बात यह है कि श्रुतसागरसूरिके अवसर्पिणी कालके प्रथम तीर्थंकरको कुलकर माना है किन्तु उत्सर्पिणी कालके प्रथम तीर्थंकरको कुलकर नहीं माना। ऐसा क्यों माना है यह समझमें नहीं आ रहा है। अवसर्पिणी कालके प्रथम तीर्थंकरको कुलकर माननेका क्या हेतु है ? कुलकर तो एक प्रकारके राजा सदृश होते हैं। कहाँ तीर्थंकरपना ? और कहाँ कुलकरपना ? दोनोंमें बड़ा अन्तर है।

चौथी विचारणीय बात यह है कि श्रुतसागरसूरिके अवसर्पिणी कालमें ६३ शलाका पुरुषोंके अतिरिक्त ९ नारद तथा ११ रुद्र भी माने हैं। किन्तु उत्सर्पिणी कालमें केवल ६३ शलाका पुरुष माने हैं। इस कालमें ९ नारद तथा ११ रुद्रोंको नहीं माना है। उन्होंने ऐसा अपने मनसे माना है या इस मान्यताका भी कुछ आधार रहा है। मैं यहाँ एक और बात पर विचार करना चाहता हूँ। ध्यान दें—

तृतीय अध्यायके पूर्वोक्त सूत्रकी वृत्तिकी ध्यानपूर्वक पढ़नेसे ज्ञात होता है कि वर्तमान अवसर्पिणी कालके ऋषभादि चौबीस तीर्थंकरोंके बाद आगे उत्सर्पिणी कालमें जो चौबीस तीर्थंकर होंगे वे ८४ हजार वर्षके बाद होंगे। ८४ हजार वर्षकी गणना इस प्रकार है—

अवसर्पिणीका पंचमकाल (२१ हजार वर्ष) छठा काल (२१ हजार वर्ष) फिर उत्सर्पिणीका प्रथम काल (२१ हजार वर्ष) द्वितीयकाल (२१ हजार वर्ष) अतः २१ + २१ + २१ + २१ = ८४ हजार वर्ष हुए । इतना काल बीत जानेपर उत्सर्पिणीके तृतीय कालमें २४ तीर्थंकर होंगे ।

अब अवसर्पिणी कालके २४ तीर्थंकर कितने कालके बाद होंगे इसपर विचार कीजिए । उत्सर्पिणीका चतुर्थकाल (२ कोडाकोडी सागर) पंचम काल (३ कोडाकोडी सागर) छठा काल (४ कोडाकोडी सागर) । फिर अवसर्पिणीका प्रथम काल (४ कोडाकोडी सागर) द्वितीय काल (३ कोडाकोडी सागर) तृतीय काल (२ कोडाकोडी सागर) इस प्रकार २ + ३ + ४ + ४ + ३ + २ = १८ कोडाकोडी सागर हुए । अतः १८ कोडाकोडी सागर प्रमाण काल बीत जानेपर अवसर्पिणी कालके चतुर्थकालमें २४ तीर्थंकर होंगे ।

उक्त विवरणमें यह सिद्ध होता है कि उत्सर्पिणी कालके तृतीय कालमें होनेवाले तीर्थंकर अल्पकाल (केवल ८४ हजार वर्ष) के बाद होते हैं किन्तु अवसर्पिणी कालके चतुर्थ कालमें होने वाले २४ तीर्थंकर बहुत काल (१८ कोडाकोडी सागर) के बाद होते हैं । अर्थात् प्रत्येक उत्सर्पिणीके तृतीय कालमें होनेवाली चौबीसी ८४ हजार वर्ष बाद और प्रत्येक अवसर्पिणीके चतुर्थ कालमें होनेवाली चौबीसी १८ कोडाकोडी सागर प्रमाण कालके बाद होती है । यहाँ यह समझमें नहीं आ रहा है कि एक चौबीसीके बाद दूसरी चौबीसी के होनेमें कभी बहुत कम कालका अन्तर और कभी बहुत अधिक कालका अन्तर क्यों होता है ? इस विषयमें शायद यह उत्तर दिया जा सकता है वस्तु स्थिति अथवा काल व्यवस्थाके कारण ऐसा होता है । फिर भी दो चौबीसीके बीचमें कालका कहीं बहुत कम और कहीं बहुत अधिक अन्तराल कुछ विचित्रसा लगता है । वहाँ ८४ हजार वर्ष ? और कहीं १८ कोडाकोडी सागर ? इन दोनोंमें कितना महान् अन्तर है । सम्पादन की विज्ञापता

तत्त्वार्थवृत्तिके सम्पादक डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य जैनदर्शन, बौद्धदर्शन तथा अन्य दर्शनोंके प्रकाण्ड विद्वान् थे । उन्होंने सर्वश्री ५० मुखलाल संघवी, ५० कैलाशचन्द्र शास्त्री तथा दलमुखजी मालवणिया आदि उच्चकोटिके विद्वानोंके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण सम्पादन कार्यमें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी । यही कारण है कि उन्होंने सिद्धिविनिश्चय, न्यायविनिश्चय, तत्त्वार्थराजवार्तिक, न्यायकुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलमार्तण्ड, पददर्शनसमुच्चय आदि अनेक ग्रन्थोंका शोधपूर्ण सम्पादन किया है । यह तो सम्पादक ही जानता है कि शोधपूर्ण सम्पादन करनेमें उसे कितना परिश्रम करना पड़ता है ।

विद्वान् सम्पादकने तत्त्वार्थवृत्तिका सम्पादन चार कागजकी तथा एक ताड़पत्रीय पाण्डुलिपियोंके आधारपर किया है । प्रथम बनारस, आरा और दिल्लीसे प्राप्त प्राचीन कागजकी चार पाण्डुलिपियों (प्रतियों) का उपयोग किया गया है । किन्तु मूडबिद्रीसे प्राप्त ताड़पत्रीय प्रतिके आधारसे ही तत्त्वार्थवृत्तिका शुद्ध गस्करण सम्पादित हो सका है । यहाँ यह स्मरणीय है कि दिगम्बर बाह्यमयके शुद्ध सम्पादनमें ताड़पत्रीय प्रतियाँ बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं । इस प्रकार उक्त पाँच प्रतियोंके आधारसे तत्त्वार्थवृत्तिका सम्पादन किया गया है । मूडबिद्री जैन मठकी प्रति कन्नड लिपिमें है और शुद्ध है । तथा उसमें कुछ टिप्पण भी उपलब्ध हुए हैं । उन टिप्पणोंको 'ता० टि०' के साथ छपाया गया है । कुछ अर्धबोधक टिप्पण भी लिखे गये हैं । प्रस्तावना

सम्पादित ग्रन्थकी प्रस्तावना सम्पादनका ही अंग होती है । यथार्थमें प्रस्तावनाके द्वारा ही सम्पादक को विद्वत्ता, विचारशीली, ग्रन्थ समीक्षा आदिका परिचय मिलता है । विद्वान् सम्पादकने ९३ पृष्ठोंकी विस्तृत प्रस्तावना लिखी है जो पठनीय और मननीय है । कुछ गम्भीर विषयोंपर अपने स्वतन्त्र, तर्कपूर्ण और निर्भारक विचार प्रस्तुत करनेमें भी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया है ।

६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

प्रस्तावनामें सर्वप्रथम भगवान् महावीरके समकालीन ६ प्रमुख तीर्थनायकोके मतोपर विचार किया गया है। उनके नाम तथा मत इस प्रकार हैं—(१) अजितकेशकम्बलि (भौतिकवाद, उच्छेदवाद) (२) मन्सल्लिगोशाल (नियतवाद) (३) पूरणकश्यप (अक्रियावाद) (४) प्रकृषकात्पायन (कूटस्थ नित्यवाद) (५) सजयबेलट्टिपुत्त (सशयवाद) (६) गीतमबुद्ध (अव्याकृतवाद, अनात्मवाद) ।

इसके बाद सम्पादकने भगवान् महावीरके विषयमें बतलाया है कि वे न तो अनिश्चयवादी थे, न अव्याकृतवादी और न भूतवादी। यथार्थमें वे अनेकान्तवादी और स्वाद्यादी थे। उन्होंने बतलाया था कि न तो कोई द्रव्य नया उत्पन्न होता है और न उसका सर्वथा विनाश होता है। किन्तु प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिक्षण परिवर्तन अवश्य होता रहता है। क्योंकि उसका यही स्वभाव है। महावीरने कहा था—'उपप्लेद्द वा विगमेद्द वा भवेद्द वा'—अर्थात् प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है और द्रव्य है। इसके अतिरिक्त महावीरने प्रत्येक वस्तुको अनन्तधर्मात्मक बतलाया है।

तदनन्तर भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोका विस्तारसे विवेचन किया गया है। इस सात तत्त्वोका श्रद्धान और ज्ञान मुमुक्षुके लिए आवश्यक है। इसी प्रकारमें बुद्धके अनात्मवादका युक्तिपूर्वक निराकरण करके जैनदर्शन सम्मत आत्माका स्वरूप उनके भेद आदिके विषयमें अच्छा प्रकाश डाला गया है।

सात तत्त्वोके विवेचनके बाद सम्पादकने सम्यग्दर्शनके विषयमें अनेक शीर्षकोके विस्तारसे विचार किया है। यथा—

सम्यग्दर्शनका सम्यग्दर्शन

सम्यग्दर्शनका यथार्थ स्वरूप बतलानेके बाद सम्पादकने लिखा है—

सम्यग्दर्शनके अन्तरंग स्वरूपकी जगह आज बाहरी पूजा-पाठने ले ली है। जो महावीर और पद्मप्रभु वीतरागताके प्रतीक थे आज उनकी पूजा व्यापार-लाभ, पुत्रप्राप्ति, भूतबाधा शान्ति जैसी क्षुद्रकामनाओकी पूर्तिके लिए ही की जाने लगी है। इनके मन्दिरोंमें शासना देवता स्थापित हुए हैं और उनकी पूजा और भक्तिने ही मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है। और यह सब ही रहा है सम्यग्दर्शनके पवित्र नाम पर।

परम्पराका सम्यग्दर्शन

यहाँ बतलाया गया है कि प्राचीन होनेसे ही कोई विचार अच्छा या नवीन होनेसे ही कोई विचार बुरा नहीं कहा जा सकता। किन्तु जो समीचीन हो वही ग्राह्य होता है। सभी पुराना अच्छा और सभी नया बुरा नहीं हो सकता है। अत बुद्धिमान् लोग परीक्षा करके उनमेंसे जो समीचीन होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। अत प्राचीनताके मोहको छोड़कर समीचीनताकी ओर दृष्टि रखना आवश्यक है। क्योंकि इस प्राचीनताके मोहने अनेक अन्धविश्वासों और कुरुद्धियोंको जन्म दिया है।

संस्कृतिका सम्यग्दर्शन

इसमें बतलाया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बच्चा जब उत्पन्न होता है उस समय वह बहुत कम संस्कारोंका लेकर आता है और उसका ९९ प्रतिशत विकास माता-पिताके संस्कारोंके अनुसार होता है। यदि किसी चाण्डालका बालक ब्राह्मणके यहाँ पले तो उसमें बहुत कुछ संस्कार ब्राह्मणोंके आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि नूतन पीढ़ीके लिए माता-पिता ही बहुत कुछ उत्तरदायी होते हैं। आज संस्कृतिकी रक्षाके नामपर लोग समाजमें अनेक प्रकारके अनर्थ करते रहते हैं। अत सबसे पहले जैन संस्कृतिके स्वरूप को जानना आवश्यक है। क्योंकि जैन संस्कृतिने आत्माके अधिकार और स्वरूपकी ओर हमारा ध्यान दिलाया है और कहा है कि संस्कृतिका सम्यग्दर्शन हुए बिना आत्मा कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता है।

अध्यात्म और नियतिवादका सम्यग्दर्शन

इसमें बतलाया गया है कि जगत्में जो सत् है उसका सर्वथा विनाश नहीं हो सकता और सर्वथा नये किसी अस्तुका स्वरूपमें उत्पाद नहीं हो सकता। जोब, पुद्गल आदि जो छह मौलिक द्रव्य हैं इनमेंसे न तो कोई द्रव्य कम हो सकता है और न कोई नया द्रव्य उत्पन्न होकर इसकी सख्यामें वृद्धि कर सकता है। प्रत्येक द्रव्य परिणामी नित्य है। द्रव्यगत मूल स्वभावकी अपेक्षा प्रत्येक द्रव्यके अपने परिणमन नियत है। जैनदर्शनकी दृष्टिसे द्रव्यमन शक्तियाँ नियत हैं, पर उनके प्रतिक्षणके परिणमन अनियत है।

इस प्रकरणमें सम्पादकने नियतिवादका निर्भयतापूर्वक खण्डन किया है। वे लिखते हैं—“जो होना होगा वह होगा ही, इसमें हमारा कुछ भी पुरुषार्थ काम नहीं करता है।” इस प्रकारके नियतिवाद सम्बन्धी विचार जैनतत्त्वस्थितिके प्रतिकूल हैं। नियतिवाद दृष्टिविषय है। ‘ईश्वरकी मर्जी’, ‘विचिका विधान’ इत्यादि प्रकारके शब्दोका प्रयोग पुरुषार्थकी महुताको कम कर देते हैं। नियतिवादका कालकूट ईश्वरवादसे भी भयकर है। नियतिवादमें पुण्य और पापकी व्यवस्था भी नहीं बन सकती है। जब प्रत्येक जीवका प्रति समयका परिणमन निश्चित है तब क्या पुण्य और क्या पाप। ऐसा क्यों हुआ ? नियतिवादमें इस प्रश्नका एक ही उत्तर है—एसा ही होना था, जो होना होगा सो होगा ही।” नियतिवादमें पुरुषार्थका कोई स्थान नहीं है। इत्यादि प्रकारसे संपादकने नियतिवादके सम्बन्धमें विस्तारसे जो प्रतिपादन किया है वह चिन्तनके योग्य है। निश्चय और व्यवहारका सम्यग्दर्शन

यहाँ बतलाया गया है कि निश्चयनय परनिरपेक्ष आत्मस्वरूपको बतलाता है। उसकी दृष्टि धीतरा-गतापर रहती है। निश्चयनय यहाँ मूल द्रव्य स्वभावको विषय करता है वहाँ व्यवहारनय परसापेक्ष पर्याय को विषय करता है। निश्चयनय भूतार्थ है और व्यवहारनय अभूतार्थ है। मूल द्रव्यदृष्टिसे सभी आत्माओं की स्थिति एक प्रकार की है। शुद्ध द्रव्यस्वरूप उपादेय है यही निश्चयनय की भूतार्थता है। व्यवहारनयकी अभूतार्थता इतनी ही है कि वह जिन विभाव पर्यायोंको विषय करता है वे विभाव पर्यायें हेय हैं, उपादेय नहीं। परनिरपेक्ष द्रव्यस्वरूप और परनिरपेक्ष पर्यायें निश्चयनयके विषय है और परसापेक्ष परिणमन व्यवहारनयके विषय है।

परलोकका सम्यग्दर्शन

यहाँ बतलाया गया है कि जब आत्मा एक स्थूल शरीरको छोड़कर अन्य स्थूल शरीरको धारण करता है तो वह परलोक कहलाता है। परलोकका अर्थ मनुष्यगति, तिर्यञ्चगति, नरकगति और देवगति इन चार गतियोसे है। नरक अत्यन्त दुःखके स्थान है और स्वर्ग सांसारिक अम्युदयके स्थान है। इनमें मनुष्य कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता है किन्तु मनुष्यके लिए मरकर उत्पन्न होनेके दो स्थान तो ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य इसी जन्ममें सुधार सकता है। ये स्थान हैं मनुष्ययोनि और पशुयोनि। अत आधे परलोकका सुधारना हमारे हाथमें है। हमें मनुष्य समाज और पशु समाजको इस योग्य बना लेना चाहिए कि यदि इनमें पुन जन्म लेना पड़े तो अनुकूल वातावरण तो मिल जाय। परलोकका अर्थ दूसरे लोग भी होता है। अत-परलोकके सुधारका अर्थ मानव समाजका सुधार भी होता है। इसके अतिरिक्त परलोकका अर्थ हमारी सन्तति और शिष्य परम्परा भी हो सकता है। इसलिए परलोक सुधारनेका अर्थ है अपनी सन्तान और शिष्य परम्पराको सुधारना। इस प्रकार परलोकके सुधारके लिए हमें परलोकके सम्यग्दर्शनकी आवश्यकता है।

कर्म सिद्धान्तका सम्यग्दर्शन

यहाँ यह बतलाया गया है कि जैनदर्शनके अनुसार प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है। और वह स्वयं अपने मायका विधाता है। अपने कर्मका कर्ता और उसके फलका भोक्ता भी वही है। किन्तु अनादि से कर्म पर-

८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

तन्त्र होनेके कारण वह अपने स्वभावकी भूला हुआ है। इस कारण वह किसी आपत्तिके आनेपर 'करमगति टाली नाहिं टलै', 'विधिका विधान ऐसा ही है', 'भवितव्यता दुर्निवार है' इत्यादि वाक्योंका प्रयोग करता है। यह तो वही हुआ कि जब जैनदर्शनमें ईश्वरकी दासतासे मुक्ति दिलाई तो कर्मकी दासता स्वीकार कर ली। यथार्थमें कर्मकी गति अटल नहीं है। उसे हम अपने पुरुषार्थसे टाल सकते हैं। उदीरणा, सक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि कर्मकी विविध अवस्थाये हमारे पुरुषार्थके अधीन हैं। अतः कर्मका सम्यग्दर्शन करके हमें अपने अनुकूल मतपुरुषार्थमें लग जाना चाहिए। वही पुरुषार्थ सत् कहलाता है जो आत्मकल्याणका साधक होता है।

शास्त्रका सम्यग्दर्शन

इस प्रकरणमें यह बतलाया गया है कि वैदिक परम्परा धर्म और अधर्मकी व्यवस्थाके लिए वेदको प्रमाण मानती है तथा धर्मका ज्ञान केवल वेदके द्वारा ही मानती है। किन्तु जैन परम्परामें केवल शास्त्र होनेके कारण ही किसी शास्त्रकी प्रमाणता स्वीकार नहीं की है। यहाँ तो उसी शास्त्रको प्रमाण माना गया है जिसका प्रणयन सर्वज्ञ और वीतराग पुरुष द्वारा हुआ हो। वर्तमान में अनेक ऐसे शास्त्र प्रचलित हैं जिनका मूल-परम्परा से मेल नहीं खाता है। वही शास्त्र प्रमाण है जिसमें हमारी मूलपरम्परासे विरोध न आता हो। अतः हमें यह विवेक तो करना ही होगा कि इस शास्त्रका प्रतिपाद्य विषय मूलपरम्पराके अनुसार है या नहीं। तान्त्रिक यह है कि मात्र शास्त्र होनेके कारण ही कोई ग्रन्थ प्रमाण नहीं माना जा सकता है। इसप्रकार शास्त्र विषयक सम्यग्दर्शनके द्वारा हमें यह जानना चाहिए कि इस शास्त्रमें किस युगमें किम पात्रके लिए किस विवक्षासे क्या बात लिखी गई है। यही शास्त्रका सम्यग्दर्शन है।

तत्त्वाधिगमके उपाय

इस प्रकरणमें प्रमाण, नय और निक्षेपका अच्छी तरहसे स्वरूप, भेद आदि समझाकर जैनदर्शन सम्मन स्याद्वादके विषयमें विस्तारसे विचार किया गया है। यह द्रष्टव्य है कि स्याद्वादमें जो 'स्यात्' शब्द है वह एक निश्चित अवस्थाको बतलाता है। स्यात्का अर्थ न तो सशय है, न सभावना, न अनिश्चय और न कदाचित्। शकराचार्यने शकुरभाष्यमें स्याद्वादको सशयरूप लिखा है। इसीके अनुसार वर्तमानमें अनेक विद्वान् स्याद्वादको सशयादिरूप मानते हैं। अतः विद्वान् सम्पादकने महापण्डित राहुल साङ्कल्यायन, आचार्य बलदेव उपाध्याय, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० देवराज आदि विद्वानोंके स्याद्वाद सम्बन्धी मन्तव्योंकी युक्तिपूर्वक समीक्षा करके जैनदर्शन सम्मत स्याद्वादके स्वरूपको पूर्णरूपसे स्पष्ट किया है और उसमें सशय, विरोध आदि दोषोंका निराकरण भी किया है।

लोकवर्णन और भूगोल

इस प्रकरणमें यह बतलाया गया है कि जिसप्रकार अपने सिद्धान्तों और तत्त्वोंके स्वतन्त्र प्रतिपादनके कारण जैनधर्म और जैनदर्शनका भारतवर्षमें स्वतन्त्र स्थान है उस प्रकार जैन भूगोल और जैन खगोलका स्वतन्त्र स्थान नहीं है। यथार्थ बात यह है कि भूगोल कभी स्थिर नहीं रहता है। वह तो कई कारणोंसे कालक्रमसे बदलता रहता है। जैन शास्त्रोंमें भूगोल और खगोलका जो वर्णन मिलता है उसकी परम्परा लगभग तीन हजार वर्ष पुरानी है। प्रायः यही परम्परा अन्य सभ्यताओंके ग्रन्थोंमें भी पाई जाती है। जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों परम्पराओंके भूगोल और खगोल सम्बन्धी वर्णन लगभग एक जैसे हैं। सबमें जम्बू-द्वीप, विवेक, देवकुह, उत्तरकुह, सुमेरु आदि नाम पाये जाते हैं और लाखों योजनकी गिनती भी पायी जाती है। निष्कर्ष यह है कि भूगोल और खगोलकी जो परम्परा परिपाटीसे जैनाचार्योंको मिली उसे उन्होंने

शास्त्रोमे लिख विधा है । जैन परम्पराको तत्त्वार्थसूत्रके तृतीय और चतुर्थ अध्यायमे विषय किया गया है ।
बौद्ध परम्परा

भूगोल और खगोलके सम्बन्धमे जो बौद्ध परम्परा है, अभिधर्मकोशके आधारमे उसका विवरण इस प्रकार है—

बौद्ध परम्परामे चार द्वीप हैं—जम्बुद्वीप, पूर्वविदेह, अवरगोदानीय और उत्तरकुश । चारो द्वीपोंके मध्यमे देह, विदेह आठ अन्तर द्वीप हैं । यहाँ अवीचि, प्रतापन, तपन, महारौरव, रौरव, सवात, कालसूत्र और संजीवक ये आठ नरक हैं । स्वर्गलोकमे महाराजिक, श्यायस्त्रिंश आदि कई प्रकारके देव बतलाये गये हैं । महाराजिक और श्यायस्त्रिंश जानिके देव मनुष्योंके समान कामसेवन करते हैं । वामदेव आर्लिगनसे, तुषिक देव पाणिनयोगसे, निर्माणरति देव हाम्यसे और परिनिमित्तवसवर्णी देव अवलोकनसे काम सुलका अनुभव करते हैं । इस काम सेवनकी तुलना तत्त्वार्थसूत्रके निम्नलिखित सूत्रोसे कीजिए—कायप्रवीचारा वा एसानात् । ४/७ शेषा स्पर्शरूपशब्दमन प्रवीचारा । ४/८ ।

वैदिकपरम्परा

यहाँ भूगोल और खगोल सम्बन्धी परम्पराका तीन आधारोसे वर्णन किया गया है । एक आधार है योगदर्शनका व्यास भाष्य, दूसरा आधार है विष्णुपुराण और तीसरा आधार है श्रीमद्भागवत पुराण । इन तीनोंमे प्राय एक समान वर्णन है । कहीं कुछ भिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है । इस परम्परामे भूलोक, अन्तरिक्षलोक, स्वर्गलोक, पानाल्लोक आदि सात लोक हैं । भूलोकपर जम्बु, प्लक्ष, शास्त्रलि, कुश, क्रौञ्च, शाक और पुष्कर ये सात द्वीप हैं । ये द्वीप लवण, इक्षु, मुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल इन सात समुद्रोंसे घिरे हुए हैं । जम्बुद्वीपके मध्यमे सुवर्णमय मेखल्वंत है जो ८४ हजार योजन ऊँचा है । मेरुके दक्षिणमे भारत, किम्बुरुष और हरिवर्ष ये तीन क्षेत्र हैं । तथा उत्तरमे रम्यक, त्विरण्यमय और उत्तरकुश ये तीन क्षेत्र हैं । समुद्रके उत्तरमे तथा हिमालयके दक्षिणमे भारत क्षेत्र है । पुष्करद्वीपके बीचमे मानुषीत्तर पर्वत स्थित है । इस द्वीपमे महावीर और धातकीखण्ड ये दो क्षेत्र हैं । वैदिक परम्परामे स्वर्गलोकके माहेन्द्रलोक, ब्रह्मलोक आदि पाँच भेद हैं । योगदर्शनके अनुसार अवीचि, महाकाल, अम्बरीष, रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अन्धतामित्र ये सात नरक हैं । किन्तु श्रीमद्भागवतपुराणके अनुसार ताम्रिज, अन्धनाम्रिज, रौरव महारौरव, कालसूत्र, अन्धकूप, कुभपीक आदि अष्टाईस नरक हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन, बौद्ध और वैदिक—इन तीनों परम्पराओंमे द्वीपो, समुद्रों, स्वर्गों और नरकोंका वर्णन पाया जाता है । इनकी सख्यामे अवश्य भेद है । किन्तु जैनदर्शनकी परम्परामे ही असंख्यात द्वीप और समुद्र माने हैं; अन्य किसी परम्परामे नहीं । इसका कारण क्या है यह विचारणीय विषय है । यह सभीने माना है कि सूर्य और चन्द्रमा निरन्तर मेरुकी प्रदक्षिणा करने रहते हैं । सञ्चलत इस माध्यताका आधार प्राचीन परम्परा है । परन्तु आधुनिक विज्ञानके अनुसार इस परम्पराका कोई मेल नहीं बैठता है । फिर भी जैन, बौद्ध और वैदिक इन तीनों परम्पराओंके भूगोल और खगोलके तुलनात्मक अध्ययनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आजसे लगभग तीन हजार वर्ष पहले भूगोल और खगोलके सम्बन्धमे लगभग एक जैसी अनुश्रुतियाँ प्रचलित थी ।

प्रस्तावनाके अन्तमे विद्वान् सम्पादक महोदयने ग्रन्थ और ग्रन्थकारके सम्बन्धमे विस्तारसे समीक्षात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है ।

आचार्य अनन्तवीर्यकी सिद्धिविनिश्चयटीकाका वैदृष्यपूर्ण संपादन : एक समीक्षा

• डॉ० दरबारीलाल कोठिया न्यायाचार्य, बीना

पूर्ववृत्त

लगभग ४९ वर्ष पूर्व ईस्वी सन् १९४६ में 'आचार्य अनन्तवीर्य और उनकी सिद्धिविनिश्चय टीका' शीर्षकसे एक शोधपूर्ण आलेख 'अनेकान्त' मासिक पत्रमें हमने लिखा था। उस समय यह टीका प्रकाशित नहीं हुई थी। उसके कोई १२ वर्ष बाद स्वर्गीय डॉ० प० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्यके सुयोग्य सम्पादकत्वमें भारतीय ज्ञानपीठसे ई० १९५८ में प्रकाशित हुई। यह विशाल टीका दो भागोंमें प्रकट हुई है। इसके प्रथम भागके साथ सम्पादककी विद्वत्तापूर्ण अति महत्त्वकी १६४ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना भी सम्बद्ध है। आज यही ग्रन्थ हमारी समीक्षाका विषय है।

मूलग्रन्थ 'सिद्धि-विनिश्चय' है, जिसके रचयिता आचार्य अकलकदेव है। अन्य न्यायविनिश्चयादि तर्क-ग्रन्थोंकी तरह इस पर भी उनकी स्वोपज्ञवृत्ति है और मूल तथा स्वोपज्ञवृत्ति दोनों ही अत्यन्त दुरुह एवं दुरवगम्य है। अतएव दोनों पर आचार्य अनन्तवीर्यने विशाल टीका लिखी है, जिसका नाम 'सिद्धि-विनिश्चयटीका' है।

उपलब्ध जैन साहित्यमें अनन्तवीर्य नामके अनेक आचार्य हुए हैं। पर उनमें दो अनन्तवीर्य अधिक विद्यमान हैं। एक वे हैं जिन्होंने आ० माणिक्यनन्दिके 'परीक्षामुख' पर 'परीक्षामुखपञ्जिका' नामक वृत्ति लिखी है^१ और जिसे 'प्रमेयरत्नमाला' नामसे अभिहित किया जाता है।^२ ये अनन्तवीर्य परीक्षामुखालकार प्रभाचन्द्रसे उत्तरकालीन हैं और लघु अनन्तवीर्य कहे जाते हैं। इन्होंने स्वयं प्रमेयरत्नमालाके आरम्भमें प्रभाचन्द्र और उनके प्रमेयकमलमार्त्तण्ड (परीक्षामुखालकार) का उल्लेख किया है।^३ इनका समय १२वीं शती है।

दूसरे अनन्तवीर्य वे हैं, जिन्होंने प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चयटीका लिखी है और जिन्हें बृहदनन्तवीर्य कहा जाता है। ये अकलकदेवके प्रौढ और सम्भवतः आद्य व्याख्याकार हैं। प्रभाचन्द्र और वादिराज इन दोनों व्याख्याकारों द्वारा ये बड़े सम्मान एवं आदरके साथ अपने पद्यप्रदर्शकके रूपमें स्मरण किये गये हैं। प्रभाचन्द्र लिखते हैं कि अकलकदेवकी सक्षिप्त, गहन और दुर्गम पद्धतिको अनन्तवीर्यके व्याख्यानो परसे सैकड़ों बार सम्यक् अभ्यास करके तथा विवेचन करके बड़े पुण्योदयसे प्राप्त (ज्ञान) कर पाया हूँ।^४ इससे यह प्रकट है कि जहाँ ये अनन्तवीर्य प्रभाचन्द्र (११वीं शती) से पूर्ववर्ती हैं वहाँ वे उनकी असाधारण विद्वत्ताको भी मानते हैं और अकलकदेवकी दुरुह कथन शैलीका समोद्घाटक एवं स्पष्ट करनेवाला प्रतिभाशाली सारस्वत भी बतलाते हैं।

स्याहाद विद्यापति वादिराज (ई० १०२५) कहते हैं कि अकलकदेवके गूढ पदोंका अर्थ अनन्तवीर्यके वचन-प्रदीप द्वारा ही मैं अवलोकित कर सका^५। यही वादिराज एक दूसरे स्थानपर अनन्तवीर्यको

१. प्रमेयरत्न पृ० २। २ वही, प्रशस्ति, पृ० २१०।

३. वही, पृ० २, श्लोक ३।

४. न्यायकुमुदं द्वि० भा० ५-३०, पृ० ६०५।

५. न्यायवि० विव०, भाग २, १-३।

बन्दना करने हुए लिखते हैं कि मैं अनन्तवीर्यरूपी मेघको बन्दन करता हूँ, जिन्होंने अपनी बचनामृत बषाके द्वारा जगनको ध्वंस करनेवाली शून्यवादरूपी आग्नको बुझाया^१। अतः ये अनन्तवीर्यं इन दोनों (प्रभाचन्द्र और बादिराज (१०२५) व्याख्याकारोंसे पूर्ववर्ती है। तथा विद्यानन्द (७७५-८४०) के समकालीन हैं, क्योंकि दोनोंमें किसीने किसीका उल्लेख नहीं किया। अतः अनन्तवीर्यका समय विद्यानन्दका समय (८वीं-९वीं शती) जान पड़ता है।^२

मिद्धिविनिश्चय-टीका

अपर हम कह आये हैं कि यह टीका अकलकदेवके स्वोपज्ञवृत्ति सहित मिद्धिविनिश्चय की है। अकलकदेवके जितने तर्कग्रन्थ हैं वे सभी दुरवगाह, दुरधिगम्य हैं। टीकाकार अनन्तवीर्य उनकी गहनता प्रकट करते हुए स्वयं कहते हैं—

देवस्थानन्तवीर्योऽपि पद व्यक्तुं तु सर्वतः।

न जानीतेऽकलङ्कस्य चित्रमेतत्परं भुवि ॥ ३ ॥

अर्थात्—मैं अनन्तवीर्यं होकर भी अकलकदेवके पदोंको पूर्णतः व्यक्त करना नहीं जानता। इस लोकमें यह बड़ा आश्चर्य है।

उम समय ऐसे गहन और सञ्ज्ञित प्रकरणोंका रचयिता बौद्ध तार्किक धर्मकीर्तिको माना जाता था। अनन्तवीर्यं उनकी अकलकके साथ तुलना करते हुए लिखते हैं—

सर्वधर्मस्य नैरात्म्यं कथयन्नपि सर्वथा।

धर्मकीर्तिः कथं गच्छेदाकलङ्कं पदं ननु ॥ ५ ॥

अर्थात्—सर्व धर्मकी निरात्मकताका कथन करनेवाला धर्मकीर्ति भी अकलङ्कके पदको-समानताको कैसे प्राप्त कर सकता है? अर्थात् नहीं।

इसने प्रकट है कि अकलककी रचनाएँ बेजोड और अत्यन्त दुरूह हैं।

इनकी दो तरहकी रचनाएँ हैं—(१) टीकात्मक और (२) मौलिक। टीकात्मक दो हैं—(१) तत्त्वार्थ-वार्तिक (स्वोपज्ञभाष्य सहित) और (२) अष्टशती (देवागम-विवृति-देवागमभाष्य)। तत्त्वार्थवार्तिक भाष्य आ० गृह्यपिच्छके तत्त्वार्थसूत्रकी विस्तृत व्याख्या है और अष्टशती स्वामी समन्तभद्रके देवागम (आप्त-मीमांसा) की विवृति/भाष्य है।

मौलिक ग्रन्थ निम्न है—

१ लघीयस्त्रय (प्रमाण, नय और निक्षेप इन तीन प्रकरणोंका समुच्चय), २ न्यायविनिश्चय (स्वोपज्ञवृत्तियुत) ३ सिद्धिविनिश्चय (स्वोपज्ञवृत्तिसहित) और ४. प्रमाणसंग्रह (स्वोपज्ञवृत्तियुक्त) ये सब सञ्ज्ञित और सूत्ररूप हैं।

अष्टशतीको बंष्टित करके विद्यानन्दने देवागम पर अपनी विद्वत्तापूर्ण अष्टसहस्री (देवागमालंकार टीका) लिखी है। लघीयस्त्रय और उसकी स्वोपज्ञवृत्तिपर प्रभाचन्द्रने 'लघीयस्त्रयालंकार' अपरनाम 'न्याय-कुमुदचन्द्र' नामकी विशाल व्याख्या रची है। 'न्यायविनिश्चय' पर मात्र उसकी कारिकाओंकी लेकर वाधि-

१. पार्श्व० ख०।

२. जैनदर्शन और प्रमाणशास्त्र परिशीलन, पृ० २५०।

रत्नने 'व्याख्याविनिश्चयविवरण' अथवा 'न्यायविनिश्चयालंकार' नामक वैदुष्यपूर्ण बृहद् व्याख्या लिखी है। उनकी स्वोपज्ञवृत्ति को उन्होंने छोड़ दिया है, इसीसे उन्होंने सन्धि बानयोमें 'कारिका विवरण' शब्दका प्रयोग किया है। फलतः वह आज अनुपलब्ध है। 'सिद्धिविनिश्चय' और प्रमाणमयह तथा इनकी स्वोपज्ञवृत्तिबोधपर अनन्तवीर्यमें अपनी महान् व्याख्याएँ—सिद्धिविनिश्चयटीका और प्रमाणसंग्रहभाष्य लिखी हैं। अकलकके इन व्याख्याकारोंमें अनन्तवीर्यका उन्नत स्थान है और सभवतः वे ही अकलकके आद्य व्याख्याकार हैं। यदि विद्यानन्द अनन्तवीर्यसे पूर्ववर्ती है तो वे अकलकके प्रथम व्याख्याकार ह, क्योंकि उनकी अष्टशतीपर अष्टसहस्री लिखनेवाले विद्यानन्द है। यद्यपि विद्यानन्दने अष्टसहस्री अष्टशतीपर न लिखकर देवागम (आत्मोमासा) पर लिखी है। किन्तु अष्टशती लिखी जानेंके बाद अष्टसहस्री लिखी गयी है क्योंकि विद्यानन्दने अष्टशती को अष्टसहस्रीमें ऐसा आवेष्टित किया है, मानो वह अष्टसहस्रीका ही अपना आत्मोय अंश है।

अनन्तवीर्यने पभाचन्द और बादिराजकी तरह दार्शनिक एवं तार्किक चर्चाओं को न देकर अकलक के पदोंके साक्षात् हार्दको ही पूर्णतः व्यक्त करनेका प्रयत्न किया है और वे अपने इन प्रयत्नमें सफल भी हुए हैं। वे अकलकके प्रत्येक पद, वाक्यादिका समासादि द्वारा योग्यतापूर्ण सुस्पष्ट व्याख्यान करते हैं। कहीं-कहीं दो-दो, तीन-तीन व्याख्यान करते हुए पाये जाते हैं। अनन्तवीर्यको हम प्रजाकरकी तरह परपक्षके निराकरणमें मुख्य पाते हैं, स्वपक्ष साधन तो उनके लिए उतना ही है, जितना मूलसे ध्वनित होता है। अकलककी चोट यदि धर्मकीतिपर है तो अनन्तवीर्यको उनके प्रधान टीकाकार प्रजाकर पर है। अपनी इस टीकामें उन्होंने प्रजाकरका बीसियों जगह नामोल्लेख करके उनके मतका कदथन किया है। उनके प्रमाण-वार्तिकालंकारके ती अनेक स्वर्णोंको उद्धृत करके उसका सर्वाधिक समालोचन किया है। हमारा अनुमान है कि अनन्तवीर्यने जो प्रमाणसंग्रहालंकार/प्रमाणसंग्रहभाष्य लिखा था, जिसका उल्लेख स्वयं उन्होंने सिद्धिविनिश्चयालंकारमें किया है और जो आज अनुपलब्ध है वह प्रजाकरके प्रमाणवार्तिकालंकारके जवाबमें ही लिखा होगा। दोनोका नाम साम्य भी यही प्रकट करता है। कुछ भी हो, यह अवश्य है कि अनन्तवीर्यने सबसे ज्यादा प्रजाकरका ही खण्डन किया है, जैसे अकलकने धर्मकीतिका। उन जैन साहित्यमें अकलकके टीकाकारोंमें अनन्तवीर्यका वही गौरवपूर्ण स्थान है जो बौद्ध न्याय-साहित्यमें धर्मकीतिके टीकाकारोंमें प्रधान टीकाकार प्रजाकरको प्राप्त है और इसलिए अनन्तवीर्यको जैन साहित्यका प्रजाकर कहा जा सकता है।

इनका व्यक्तित्व और वैदुष्य इसीसे जाना जा सकता है कि उत्तरवर्ती प्रभाचन्द्र, बादिराज जैसे टीकाकारोंने उनके प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया है तथा अकलक पदोंका उन्हें तलस्पर्शी एवं धर्मज्ञ व्याख्याकार कहा है। अकलककी न्यायकृतियोंमें वस्तुतः सबसे अधिक विलम्ब और दुर्बोध प्रमाण-मयह और सिद्धिविनिश्चय हैं। अनन्तवीर्यने इनपर ही अपनी व्याख्याएँ लिखी हैं। यद्यपि उनके सामने अकलकके न्यायविनिश्चय और लघुपदत्रय ग्रन्थ भी थे और जो अपेक्षाकृत उनसे मरल हैं। किन्तु उनपर व्याख्याएँ नहीं लिखी। इससे अनन्तवीर्यकी योग्यता, बुद्धि वैभव और अदम्य साहस प्रतीत होते हैं। इसीसे ये अनन्तवीर्य 'बृहन्नन्तवीर्य' कहे जाते हैं।

अनन्तवीर्यकी गुरु परम्परा

अनन्तवीर्यने अपनी इस टीकामें प्रत्येक प्रस्तावके अन्तमें केवल अपने साक्षात् गुरुका नाम 'रविभद्र' दिया है और अपनेको उनका पादोपजीवी—शिष्य बतलाया है। ये रविभद्र कौन थे? इस सम्बन्धमें न टीकाकारने कुछ परिचय दिया और न अन्य साधनोसे कुछ अवगत होता है। इतना ही ज्ञात होता है कि

वे उस समयके विशिष्ट विद्वानाचार्य थे, जिनके चरणोमे बैठकर अनन्तवीर्यने शिक्षण प्राप्त किया होगा। एक बात यह भी प्रकट होती है कि इन अनन्तवीर्यके पूर्व या समसमयमे अनन्तवीर्य नामके दूसरे भी विद्वान् होंगे, जिनसे व्यावृत्त करनेके लिए ये अपनेको 'रविभद्रपादोपजीवी अनन्तवीर्य' बतलाते हैं।

अनन्तवीर्यने जो ग्रन्थ रचे हैं वे व्याख्या ग्रन्थ हैं। सम्भव है इन्होंने मौलिक ग्रन्थ भी रचा हो, जो आज उपलब्ध नहीं है। व्याख्या ग्रन्थ उनके निम्न दो हैं—(१) प्रमाणसग्रहभाष्य और (२) सिद्धिविनिश्चयटीका। प्रमाणसग्रहभाष्य अनुपलब्ध है, केवल इसके सिद्धिविनिश्चयटीकामे अनेक जगह उल्लेख आये हैं। इससे मालूम होता है कि वह महत्वपूर्ण और एक विशाल व्याख्या ग्रन्थ है। सिद्धिविनिश्चयटीका प्रस्तुत है, जिसका परिचय यहाँ अंकित है।

सिद्धिविनिश्चयटीकाकी उपलब्धिका दिलचस्प और दुःखपूर्ण इतिहास / परिचय श्रद्धेय इतिहासविद् प० जुगलकिशोरजी मुस्ताने 'अनेकान्त' वर्ष १, किरण ३ मे 'पुरानी बातोकी खोज' शीर्षक लेखमे दिया है, जिनमे उन्होंने बताया है कि यह टीका एक इबेताम्बर जैनशास्त्र भण्डारमे सुरक्षित थी, वहसि यह प्राप्त हुई। जिनदास गणि महत्सरने 'निशीथचूर्णि और शोचन्द्रसूरिने 'जीतकल्पचूर्णि' मे सिद्धिविनिश्चयको दर्शन प्रभावक शास्त्र बतलाया है। इससे अकलंकके 'सिद्धिविनिश्चय' की गरिमा और माहात्म्य प्रकट होता है।

अनन्तवीर्यने मगलाचरणके बाद टीका आरम्भ करने हुए अकलंकके वचनो को अति दुर्लभ निरूपित किया है—

अकलंकवचः काले कलौ न कलयाजिप यत्।

नृषु लभ्य वचंचिल्लब्ध्वा तत्रैवास्तु मतिर्मम ॥ २ ॥

'अकलंकके वचनोकी एक कला / अक्ष भो मनुष्यो को अलम्भ है। कही प्राप्त हो जाये तो मेरी बुद्धि उसीमे लीन रहे।'।

इसके आगे एक अन्य पद्य द्वारा अकलंकके वाङ्मयको सदरत्नाकर—समुद्र बतलाया है और उसके सूक्त-रत्नोको अनेको द्वारा यथेच्छ ग्रहण किये जानेपर उसके कम न होनेपर भी उसे सदरत्नाकर ही प्रकट किया है। वह सुन्दर और प्रिय पद्य इस प्रकार है—

अकलंक वचोम्भोधेः सूक्त-रत्नानि यद्यपि।

गृह्यन्ते बहुभिः स्वैर सदरत्नाकर एव स ॥ ४ ॥

इसमे अकलंकने बारह (१२) प्रस्ताव रखे हैं। धर्मकीतिने प्रमाणवातिकमे परिच्छेद नाम चुना है और अकलंकने परिच्छेदार्थक 'प्रस्ताव' नाम दिया है। वे बारह प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं—१. प्रत्यक्षसिद्धि, २. सविकल्पसिद्धि, ३. प्रमाणान्तरसिद्धि, ४. जीवसिद्धि, ५. जल्पसिद्धि, ६. हेतुलक्षणसिद्धि, ७. शास्त्र-सिद्धि, ८. सर्वज्ञसिद्धि, ९. शब्दसिद्धि, १०. अर्थनयसिद्धि, ११. शब्दनयसिद्धि और १२. निरक्षेपसिद्धि। प्रस्तावोमे विषयका वर्णन उनके नामोसे ही अवगत हो जाता है।

टीकामे मूलभाग उस प्रकारसे अन्तर्निहित नहीं है जिस प्रकार प्रभाचन्द्रके न्यायकुमुदचन्द्रमे लघुय-स्त्रय और उसकी स्वोपज्ञवृत्ति है। किन्तु कारिका और उसकी वृत्तिके आदि अक्षरोके प्रतीक मात्र दिये गये हैं। इससे यह जानना बड़ा कठिन है कि यह मूल कारिका-भाग है और यह उसकी वृत्ति है। टीकासे अलग मूलकारिका भाग तथा वृत्तिभाग अन्यत्र उपलब्ध नहीं, जिसकी सहायतासे उसे टीका परसे अलग

१४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

किया जा सके। नि सन्देह इसके लिये बड़े परिश्रम की आवश्यकता है। स्व० प० जुगलकिशोरजी मुस्तार ने इस विषयमें कुछ प्रयत्न करके निम्न मगलाचरण कारिकाको उद्धृत किया था—

सर्वज्ञं सर्वतत्त्वार्थस्याद्वादन्यायदेशिनम् ।
श्रीवर्द्धमानमभ्यर्च्य वक्ष्ये सिद्धिविनिश्चयम् ॥

हमने भी एक कारिकाको उद्धृत किया है वह यह है—

समर्थवचनं जल्पं चतुरङ्गं विदुर्बुधाः ।
पक्षनिर्णयपर्यन्तं फलं मार्गं प्रभावना ॥

—हस्त-लि० प्रति पृ० ७३५ (प्रस्ता० ५) ।

सम्पादकका स्तुत्य प्रयत्न

स्व० डॉ० प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने बहु प्रयत्न करके उन दोनोंको टीका परसे उद्धृत किया है। इस दुष्कर कार्यमें उन्हें पाँच वर्ष लगे थे। यह उनका अदम्य साहस था। टीकाका योग्यतापूर्ण सम्पादन किया है। ग्रन्थके साथ १६४ पृष्ठकी महत्त्वपूर्ण एव अमाधारण परिश्रमसे लिखी गयी प्रस्तावना भी निबद्ध की गयी है, जिसमें ग्रन्थकार, ग्रन्थ और सम्पादन सामग्रीकी योजना पर विस्तृत विमर्श किया गया है। ग्रन्थकार-भागमें जैन न्यायके ग्रन्थकारोंका विस्तारसे शोधपूर्ण परिचय दिया गया है। ग्रन्थ-भागमें प्रमाण, नय, निक्षेप, सर्वज्ञ, स्याद्वाद, अनेकान्त, सप्तभगी प्रभृति विषयों पर सूक्ष्म प्रकाश डाला गया है।

भारतीय दर्शनोके विशेषज्ञ डॉ० गोपीनाथ कविराज और तत्कालीन उत्तर प्रदेशके मुख्यमंत्री श्री सम्पूर्णानन्दके प्राक्कथन भी ग्रन्थके आरम्भमें दिये गये हैं।

सबसे बड़े आश्चर्यकी बात यह है कि इस ग्रन्थके सम्पादनमें शतश ग्रन्थोंका अनुशीलन सम्पादकके घोर परिश्रम और अध्ययनको सूचित करता है। पण्डितजीको इसपर काशी हिन्दू विश्वविद्यालयने पी०-एच० डी० की उपाधि प्रदान कर उनके पाण्डित्यका सम्मान भी किया।



पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके द्वारा संपादित एवं अनूदित 'षड्दर्शनसमुच्चय' की समीक्षा

• डॉ० सागरमल जैन, वाराणसी

पं० महेन्द्रकुमारजी 'न्यायाचार्य' के वैदुष्यको समझना हो, उनकी प्रतिभा एवं व्यक्तित्वका मूल्यांकन करना हो तो हमें उनकी संपादित एवं अनूदित कृतियोंका अवलोकन करना होगा। जिनमें एक समदर्शी आचार्य हरिभद्रका 'षड्दर्शनसमुच्चय' और उसकी गुणरत्नकी टीकाका सम्पादन-अनुवाद है। उनकी यह कृति भारतीय ज्ञानपीठ, काशी (वर्तमानमें देहली) से मन् १९६९ में उनके स्वर्गवासके दस वर्ष पश्चात् प्रकाशित हुई है। उनकी इस कृति पर उनके अभिन्न मित्र एवं साथीकी विस्तृत भूमिका है। प्रस्तुत समीक्षामें मैंने उन पक्षों पर जिनपर पं० दलमुखभाईकी भूमिकामें उल्लेख हुआ है, चर्चा नहीं करने हुए मुख्यतः उनकी अनुवाद शैलीको ही समीक्षाका आचार बनाया है।

यदि हम भारतीय दर्शनके इतिहास में सभी प्रमुख दर्शनोंके सिद्धान्तोंको एक ही ग्रन्थमें पूरी प्रामाणिकताके साथ प्रस्तुत करने हेतु किए गये प्रयत्नोंको देखते हैं तो हमारी दृष्टिमें हरिभद्र ही वे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने समयके सभी प्रमुख सभी भारतीय दर्शनोंको निष्पक्ष रूपसे एक ही ग्रन्थमें प्रस्तुत किया है। हरिभद्रके 'षड्दर्शनसमुच्चय' की कोटिका कोई अन्य दर्शन सम्राहक प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है। यद्यपि हरिभद्रके पूर्व और हरिभद्रके पश्चात् भी अपने-अपने ग्रन्थोंमें विविध दार्शनिक सिद्धान्तोंको प्रस्तुत करनेका कार्य अनेक जैन एवं जैनेतर आचार्योंने किया है, किन्तु उन सबका उद्देश्य अन्य दर्शनोंकी समीक्षा कर अपने दर्शनकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करना ही रहा है। चाहे फिर वह मल्लवादीका द्वादशार-नयचक्र हो या शंकरका 'सर्वसिद्धान्तसंग्रह' ही या मध्वाचार्यका सर्वदर्शनसंग्रह हो। इन ग्रन्थोंमें पूर्वदर्शनका उन्ही दर्शनको द्वारा निराकरण करते हुए अतमें अपने सिद्धान्तकी सर्वोपरिता या श्रेष्ठताकी स्थापना की गई है। इसी प्रकारका एक प्रयत्न जैनदर्शनमें हरिभद्रके लगभग तीन वर्ष पूर्व पाँचवीं शताब्दीमें मल्लवादीके नयचक्रमें भी देखा जाता है। उसमें भी एकदर्शनके द्वारा दूसरे दर्शनका खण्डन कराते हुए अन्तिम दर्शनका खण्डन प्रथम दर्शनसे करवाकर एक चक्रकी स्थापना की गई है। यद्यपि नयचक्र स्पष्टरूपसे जैनदर्शनकी सर्वोपरिताको प्रस्तुत नहीं करता किन्तु उसकी दृष्टि भी स्वपक्ष अर्थात् अनेकान्तवादके मण्डन और परपक्षके खण्डनकी ही रही है। यही स्थिति सर्वसिद्धान्तसंग्रह और सर्वदर्शनसंग्रहकी भी है। उनमें भी स्वपक्षके मण्डनकी प्रवृत्ति रही है। अतः ये जैन दार्शनिक हो या जैनेतर दार्शनिक, सभीके दर्शन सम्राहक ग्रन्थोंमें मूल उद्देश्य तो अपने दर्शनकी सर्वोपरिताकी प्रतिस्थापना ही रही है। हरिभद्रके षड्दर्शनसमुच्चयकी जो विशेषता है वह जैन और जैनेतर परम्पराके अन्यदर्शन सम्राहक ग्रन्थोंमें नहीं मिलती। यह हरिभद्रकी उदार और व्यापक दृष्टि थी, जिसके कारण उनके द्वारा सम्प्रदायनिरपेक्ष षड्दर्शनसमुच्चयकी रचना हो पाई। उनके षड्दर्शनसमुच्चय और शास्त्रवार्तासमुच्चय इन दोनोंमें अन्य दर्शनोंके प्रति पूर्ण प्रामाणिकता और आदरका तत्त्व देखा जाता है। उन्होंने षड्दर्शनसमुच्चय में अन्य दर्शनोंको अपने यथार्थरूपमें प्रस्तुत किया है।

हरिभद्रके इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पर गुणरत्नसूत्रिकृत टीका है। किन्तु ज्ञातव्य है कि टीकामें

१६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

उस उदार दृष्टिका निर्वाह नहीं देखा जाता जो मूल ग्रन्थकार की है क्योंकि टीकामें चतुर्थ अधिकारमें जैनमतके प्रस्तुतीकरणके साथ अन्य मतोंकी समीक्षा भी की गई है जब कि हरिभद्रकी कारिकाओंमें इस प्रकारका कोई भी संकेत नहीं मिलता है। इस टीकामें जैनदर्शनकी प्रतिस्थापनाका प्रयत्न अतिविस्तारसे हुआ। टीकाका आधे से अधिक भाग तो मात्र जैनदर्शनमें सम्बन्धित है, अतः टीकाके विवेचनमें वह सन्तुलन नहीं है जो हरिभद्रके मूल ग्रन्थमें है।

हरिभद्रका यह मूलग्रन्थ और उसकी टीका यद्यपि अनेक भडारोमें हस्तप्रतियोंके रूपमें उपलब्ध थे किन्तु जहाँ तक हमारी जानकारी है गुजराती टीकाके साथ हरिभद्रके षड्दर्शनसमुच्चयका सर्वप्रथम प्रकाशन एमियाटिक सोसायटी, कलकत्तामें १९०५ में हुआ था। इसी प्रकार मणिभद्रकी त्र्युदृष्टिके साथ इसका प्रकाशन चौखम्भा संस्कृत मीरीज, वाराणसीके द्वारा १९२० में हुआ। इस प्रकार षड्दर्शनसमुच्चय मूलका-टीकाके साथ प्रकाशन उसके पूर्व भी हुआ था किन्तु वैज्ञानिक रीतिमें सम्पादन और हिन्दी अनुवाद अपेक्षित था। इस ग्रन्थका वैज्ञानिक रीतिसे सम्पादन और हिन्दी अनुवादका यह महत्त्वपूर्ण कार्य पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके द्वारा किया गया। सम्भवतः उनके पूर्व और उनके पश्चात् भी इस ग्रन्थका ऐसा अन्य कोई प्रामाणिक संस्करण आज तक नहीं प्रकाशित हो पाया है।

अनेक प्रतियोंसे पाठोका मिलान करके और जिस ढंगसे मूलग्रन्थको सम्पादन किया गया था वह निश्चित ही एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य रहा होगा जिसमें पंडितजी को अनेक कष्ट उठाने पड़े होंगे। दुर्भाग्यसे इस ग्रन्थ पर उनकी अपनी भूमिका न हो पानेके कारण हम यह नहीं ममक्ष पा रहे हैं कि मूल प्रतियोंको प्राप्त करके अथवा एक प्रकाशित संस्करणके आधार पर इस ग्रन्थको सम्पादन करनेमें किन-किन कठिनाइयोंका सामना करना पडा होगा। इस ग्रन्थके सदर्भमें अपने पाठुलिपिमें जो सूचना मिलती है इससे मात्र इनका ज्ञात होता है कि उन्होंने षड्दर्शनसमुच्चय मूल और गुणरत्न टीकाका अनुवाद २५/६।४० को ४ बजे पूर्ण किया था किन्तु उनके संशोधन उमपर टिप्पण लिखनेका कार्य वे अपनी मृत्यु जून १९५९ के पूर्व तक करने रहे। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने इस ग्रन्थको अन्तिम रूप देनेमें पर्याप्त परिश्रम किया है। खेद तो यह भी है कि वे अपने जीवनकालमें न तो इसकी भूमिका लिख पाए न इसे प्रकाशित रूपमें ही देख पाये।

भारतीय ज्ञानपीठमें प्रकाशित होकर यह ग्रन्थ जिस रूपमें हमारे सामने आया और उनके श्रम एवं उनकी प्रतिभाका अनुमान किया जा सकता है। यह तो एक सुनिश्चित तथ्य है कि संस्कृतकी अधिकांश टीकाएँ मूलग्रन्थमें भी अधिक दुष्कर हो जाती हैं और उन्हें पढ़कर समझ पाना मूलग्रन्थको अपेक्षा भी कठिन होता है। अनेक संस्कृत ग्रन्थोंकी टीकाओं विशेषरूपसे जैनदर्शनसे सम्बन्धित ग्रन्थोंकी संस्कृत टीकाओंके अध्ययनसे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि टीकाओंका अनुवाद करना अत्यन्त दुर्लभ कार्य है। सामान्यतया यह देखा जाता है विद्वज्जन अनुवादमें ग्रन्थके मूलशब्दोंको यथावत् रखकर अपना काम चला लेते हैं किन्तु इससे विषयकी स्पष्टतामें कठिनाई उत्पन्न होती है। 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' रखकर अनुवाद तो किया जा सकता है किन्तु वह पाठकोके लिए बोधगम्य और सरल नहीं होता। पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यकी अनुवाद शैलीका यह वैशिष्ट्य है कि इनका अनुवाद मूलग्रन्थ और उसकी टीकाकी अपेक्षा अत्यन्त सरल और सुबोध है। दर्शनके ग्रन्थको सरल और सुबोध ढंगसे प्रस्तुत करना केवल उसी व्यक्तिके लिए संभव होता है जो उन ग्रन्थोंको आत्मसात् कर प्रस्तुतीकरणकी क्षमता रखता हो। जिसे विषय ज्ञान न हो वह चाहे कैसा ही भाषाविद हो सफल अनुवादक नहीं होता है।

अनुवादके क्षेत्रमें प० महेन्द्रकुमारजी ने मूल टीकाकी अपेक्षा भी अर्थमें विस्तार किया है किन्तु इस विस्तारके कारण उनकी शैलीमें जो स्पष्टता और सुबोधता आई है वह निश्चय ही ग्रन्थको सरलतापूर्वक समझानेमें सहायक होती है। उदाहरणके रूपमें ईश्वरके सृष्टिकृतत्वको सरल शब्दोंमें समोक्षा करते हुए वे लिखते हैं—अच्छा यह भी बताओ कि ईश्वर ससारको क्यों बनाता है ? क्या वह अपनी रुचिसे जगत्को गढ़ने बैठ जाता है ? अथवा हम लोगोंके पुण्य-पापके अधीन होकर इस जगत्की सृष्टि करता है या वयाके कारण यह जगत् बनाता है या उसने क्रीडाके लिए यह खेल-खिलौना बनाया है। किंवा शिष्टोकी भलाई और दुष्टो को दण्ड देनेके लिए यह जगत्-जाल बिछामा है या उमका यह स्वभाव ही है कि वह बड़े ठाले कुछ न कुछ किया ही करे। यदि हम उनकी इस व्याख्या को मूलके साथ मिलान करके देखते हैं तो यह पाते हैं कि मूल टीका मात्र दो पक्षियोंमें है जबकि अनुवाद विस्तृत है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका यह अनुवाद शब्दानुसारी न होकर विषयको स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे ही हुआ है। प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके इस अनुवाद शैलीकी विशेषता यह है कि वे इसमें किसी दुरूह शब्दावलीका प्रयोग न करके ऐसे शब्दों की योजना करते हैं जिससे सामान्य पाठक भी विषयको सरलतापूर्वक समझ सके। इस अनुवादसे ऐसा लगता है कि इसमें पंडितजीका उद्देश्य अपने वैदुष्य का प्रदर्शन करना नहीं है, अपितु सामान्य पाठकको विषयका बोध कराना है। यही कारण है कि उन्होंने मूल टीकामें हटकर भी विषयको स्पष्ट करनेके लिए अपने ढंगसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

प० महेन्द्रकुमारजीके इस अनुवादकी दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी व्याख्यामें जनसामान्य की परिचित शब्दावलीका ही उपयोग किया है। उदाहरणके रूपमें जैनदृष्टिसे ईश्वरके सृष्टिकर्ता होनेकी समोक्षाके प्रसंगमें वे लिखते हैं कि यदि ईश्वर हम लोगोंके पाप-पुण्यके आधारपर ही जगत्की सृष्टि करता है तो उमकी स्वतन्त्रता कहाँ रहती। वह काहेंका ईश्वर। वह तो हमारे कर्मोंके हुकुमको बजानेवाला एक मनेजर सरोक्षा ही हुआ। यदि ईश्वर कृपा करके इस जगत्की रचना ह तो समारमें कोई दुःखी प्राणी नहीं रहना चाहिए, खुशहाल और सुखी ही सुखी उत्पन्न हो। इस शब्दावलीमें हम स्पष्ट अनुमान कर सकते हैं कि पंडितजीने दर्शन जैसे दुरूह विषयको कितना सरस और सुवां बना दिया है। यह कार्य सामान्य पंडित का नहीं अपितु एक अधिकारी विद्वान का ही हो सकता है।

वस्तुतः यदि इसे अनुवाद कहना ही तो मात्र इस प्रकारका कहा जा सकता है कि उन्होंने टीकाके मूल तर्कों और विषयोंका अनुसरण किया है किन्तु यथार्थमें तो यह टीकापर आधारित एक स्वतन्त्र व्याख्या ही है। दर्शन जैसे दुरूह विषयके ताकिक ग्रन्थोंकी ऐसी सरल और सुबोध व्याख्या हमें अत्यन्त कम ही देखने को मिलती है। यह उनकी लेखनीका ही कमाल है कि वे वाग-वातमें ही दर्शनकी दुरूह समस्याओंको हल कर देते हैं। हरिभद्रके ही एक ग्रन्थ शास्त्रवार्तासमुच्चयकी टीका अनुवाद सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयके पूर्व कुलपति स्व० प० बन्दीनाथ शुक्लने किया है किन्तु उनका यह अनुवाद इतना जटिल है कि अनुवादकी अपेक्षा मूलग्रन्थसे विषयको समझ लेना अधिक आसान है। यही स्थिति प्रमेयकमलभास्कर, अष्ट-सहस्री आदि जैनदार्शनिक ग्रन्थोंके हिन्दी अनुवाद की है। वस्तुतः किंवा व्यक्तिका वैदुष्य इस बात में नहीं झलकता कि पाठकको विषय अस्पष्ट बना रहे, वैदुष्य तो इसीमें है कि पाठक ग्रन्थको सहज और सरल रूपमें समझ सके। प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यकी यही एक ऐसी विशेषता उन्हे उन विद्वानोंकी उम कीटिमें लाकर खड़ी कर देती है जो गम्भीर विषयको भी स्पष्टताके साथ समझने और समझानेमें सक्षम है।

सामान्यतया संस्कृतके ग्रन्थोंके व्याख्याताओं या अनुवादकोंको यह समझनेमें एक कठिनाई यह होती

१८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

है कि मूलग्रन्थ या टीकाओंमें पूर्वपक्ष कहाँ समाप्त होता है और उत्तरपक्ष कहाँ प्रारम्भ होता है किन्तु पं० महेन्द्रकुमारजीने अपने अनुवादमें ईश्वरवादी जैन अथवा शका-ममागान एसे छोटे-छोटे शीर्षक देकरके बहुत ही स्पष्टताके साथ पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षको अलग-अलग रख दिया ताकि पाठक दोनों पक्षोंको अलग-अलग ढंगसे समझ सके ।

भाषाकी दृष्टिसे पंडितजीके अनुवादकी भाषा अत्यन्त सरल है । उन्होंने दुर्लभ सस्कृतनिष्ठ वाक्यों की अपेक्षा जनसाधारणमें प्रचलित शब्दावलीका ही प्रयोग किया है । यही नहीं, यथास्थान उर्दू और अंग्रेजी शब्दोंका भी नि.संकीच प्रयोग किया है । उनके अनुवादमें प्रयुक्त कुछ पदावलियों और शब्दोंका प्रयोग देखें—“यह जगत् जाल बिछाया है ।” “कर्मोंके ढुकुमको बजानेवाला मैनेजर”, “बैठे-ठाले”; “हाइड्रोजन में जब आक्सीजन” अमक मात्रामें मिलता है तो स्वभावसे ही जल बन जाता है, “इसके बीचके ऐजेन्ट ईश्वर की क्या आवश्यकता है”, बिना जोते हुए अपनेसे ही उगनेवाली जगली घास, “प्रत्यक्षसे फर्तिका अभाव निश्चित है ।” (देखें पृ० १०२-१०३) आदि । वस्तुतः ऐसी शब्द योजना सामान्य पाठकके लिए विषयको समझनेमें अधिक कारगर होती है ।

जहाँ तक पं० महेन्द्रकुमारजीके वैदुष्यका प्रश्न है, इस ग्रन्थको व्याख्यासे वह अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है क्योंकि जब तक व्यक्ति षड्दर्शनो एव मात्र इतना ही नहीं उनके पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षका सम्यक् ज्ञान न हो तब तक वह उनकी टीका नहीं लिख सकता । यद्यपि प्रस्तुत टीकामें जैनदर्शनके पूर्वपक्ष एवं पूर्वपक्षको विस्तार दिया है किन्तु अन्य दर्शनोंके भी पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष तो अपनी जगह उपास्थित हुए ही हैं । अतः षड्दर्शनसमुच्चय जैसे ग्रन्थकी टीकापर एक नवीन व्याख्या लिख देना केवल उसी व्यक्तिके लिए सम्भव है जो किसी एक दर्शनका अधिकारी विद्वान् न होकर समस्त दर्शनोका अधिकारी विद्वान् हो । पं० महेन्द्रकुमारजीको यह प्रतिभा है कि वे इस ग्रन्थकी सरल और सहज हिन्दी व्याख्या कर सके । दार्शनिक जगत् उनके इस अवदानको कभी भी नहीं भुला पाएगा । वस्तुतः उनका यह अनुवाद, अनुवाद न होकर एक स्वतन्त्र व्याख्या ही है ।

उनकी वैज्ञानिक सम्पादन पद्धतिका यह प्रमाण है कि उन्होंने प्रत्येक विषयके मदर्भमें अनेक जैन एवं जैनतर ग्रन्थोंसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं । मदर्भ ग्रन्थोंकी यह सख्या सम्भवतः सौमें भी अधिक होगी जिनके प्रमाण टिप्पणीके रूपमें तुलना अथवा पक्ष समर्थनकी दृष्टिसे प्रस्तुत किए गए हैं । ये टिप्पण पं० महेन्द्रकुमारजीके व्यापक एवं बहुमुखी प्रतिभाके परिचायक हैं । यदि उन्हें इन सब ग्रन्थोंका विस्तृत अवबोध नहीं होता तो यह सम्भव नहीं था कि वे इन सब ग्रन्थोंमें टिप्पण दे पाते । परिशिष्टोंके रूपमें षड्दर्शनसमुच्चयकी मणि-भद्रकृत लघुवृत्ति, अज्ञातकर्तृक अवचूर्णिके साथ-साथ कारिका, शब्दानुक्रमिका, उद्धृत वाक्य, अनुक्रमणिका, संकेत विवरण आदिमें यह स्पष्ट हो जाता है कि पं० महेन्द्रकुमारजीकेवल परम्परागत विद्वान् ही नहीं थे अपितु वे वैज्ञानिक रीतिमें सम्पादन-कालमें भी निष्णात थे । वस्तुतः उनकी प्रतिभा बहुमुखी और बहु-आयामी थी, जिमका आकलन उनकी कृतियोंके सम्यक् अनुशीलनमें ही पूर्ण हो सकता है । षड्दर्शनसमुच्चय की गुणरत्नकी टीकापर उनको यह हिन्दी व्याख्या वस्तुतः भारतीय दर्शन जगत्को उनका महत्वपूर्ण अवदान है जिसके लिए वे विद्वज्जगत्में सदैव स्मरण किये जाते रहेंगे ।

प्रमेयकमलमार्तण्डका सम्पादन : एक समीक्षा

• डॉ० फुलचन्द जैन प्रेमी, वाराणसी

किसी भी प्राचीन ग्रन्थका उद्धार करके उसका साङ्गोपाङ्ग सम्पादन और प्रकाशन अति दुष्कर कार्य है। किन्तु जिस विद्वान्ने विविध कठिनाइयोंके बाद भी अनेक प्राचीन दार्शनिक दुर्लभ एवं जटिल बृहद् ग्रन्थोंका सम्पादन-कार्य किया हो उसके अद्भुत ईदुष्य, प्रतिभा, धर्म-माधना और अदम्य उत्साहके विषयमें जिनना लिखा जाए, कम ही होगा। ऐसे विरले ही साहित्य-साधक होते हैं जिन्होंने अपने अल्प जीवनकालमें ही इतने विस्तृत, विपुल एवं कठिन अनेक जैन दार्शनिक ग्रन्थोंको मुसम्पादित करके जैन साहित्यकी मेवामें अपनेको समर्पित कर दे। किन्तु डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने यही सब करके स्वयंको जैन दार्शनिकोंकी गौरवशाली परम्परामें सम्मिलित कर लिया है। आपके द्वारा सम्पादित अनेक ग्रन्थोंकी शृङ्खलामें प्रमेयकमलमार्तण्ड ग्रन्थके सम्पादन-कार्यकी समीक्षा प्रस्तुत है—

समृद्ध भारतीय मनीषाकी प्रत्येक परम्परामें उपलब्ध प्राचीन सूत्रग्रन्थोंपर अनेकानेक व्याख्यायें प्राप्त होती हैं। जैन परम्पराके आद्य संस्कृत सूत्रग्रन्थकी तरह जैनन्यायके आद्य सूत्रग्रन्थ आचार्य माणिक्य-नन्दि (आठवीं शती) प्रणीत ' परीक्षामुखसूत्र ' पर भी अनेक टीकायें लिखी गईं। किन्तु इन सभी टीकाओंकी यह एक अन्यतम विशेषता है कि ये सभी अपने आपमें स्वतंत्र ग्रन्थ प्रतीत होते हैं। इन सब टीकाओंके नाम भी अलग-अलग हैं। इनमें से कुछ तो प्रकाशित होनेके कारण प्रसिद्ध हैं तो कुछ टीकाग्रन्थ अब तक इमीलिए प्रसिद्ध नहीं हो सके क्योंकि वे अभी तक अप्रकाशित हैं। सर्वप्रथम इन सबका उल्लेख आवश्यक है।

प्रकाशित टीका-ग्रन्थ

इनके अन्तर्गत (१) आचार्य प्रभाचंद्र (११वीं शती) विरचित प्रमेयकमलमार्तण्ड अपरनाम परीक्षा-मुखालङ्कार, (२) आचार्य लघु अनतवीर्य (१२वीं शतीका पूर्वार्द्ध) विरचित प्रमेयरत्नमाला (चौखम्बा-विद्याभवन, वाराणसी द्वारा सन् १९६४ में प्रकाशित), (३) भट्टारक अभिनव चाक्रीति (१९वीं शती) द्वारा प्रणीत प्रमेयरत्नमालालङ्कार (मैसूर युनिवर्सिटी द्वारा सन् १९४८ में प्रकाशित) तथा शान्ति वर्णा विरचित प्रमेयकण्डिका (भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित) प्रमुख हैं।

अप्रकाशित टीका-ग्रन्थ

(१) भट्टारक अजितसेन (वि० स० १९८०) प्रणीत न्यायमणिदीपिका, (२) विजयचन्द्र विरचित प्रमेयरत्नमाला अर्थप्रकाशिका, (३) पं० जयचन्दजी छावडा (वि० स० १९वीं शती) प्रणीत प्रमेयरत्नमाला-परीक्षामुख भाषा वचनिका प्रमुख हैं। इनमें से प्रायः सभी प्रकाशित-अप्रकाशित टीकाग्रन्थोंकी हस्त-लिखित पाण्डुलिपियाँ आरा (बिहार) के सुविख्यात जैन सिद्धान्त भवनमें सुरक्षित हैं।

प्रस्तुत समीक्ष्य ग्रन्थ प्रमेयकमलमार्तण्डका सर्वप्रथम प्रकाशन निर्णयसागर प्रेस, बम्बईसे प० बशीर जी शास्त्री, सोलापुरके सम्पादकत्वमें हुआ था। इसके बाद यहीसे सन् १९४१ में द्वितीय संस्करणके रूपमें मूलग्रन्थ अनेक टिप्पणियों एवं ८३ पृष्ठीय विस्तृत सम्पादकीय वक्तव्यमें विविध दार्शनिकों एवं उनकी कृतियोंसे तुलनात्मक विवेचन, बृहद् प्रस्तावना और लगभग पचास पृष्ठीय अनेक परिशिष्टोंसे युक्त सागोपाग प्रकाशन डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यके सम्पादकत्वमें हुआ। यह उस समयके प्रकाशनोमें सम्पादित आदर्श

२० : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृत-ग्रन्थ

कृति है और आज भी सम्पादनके आदर्शका एक अनुपम उदाहरण है। आचार्य प्रभाचन्द्रकी यह दार्शनिक कृति सस्कृत गद्यका भी उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कृति अभी तक मूलग्रन्थके रूपमें ही प्रकाशित होनेसे सामान्य पाठक इसके हार्दकी समझमें कठिनाईका सामना करते थे। किन्तु यह प्रसन्नताका विषय है कि न्यायाचार्यजी द्वारा सुसम्पादित प्रस्तुत मूलग्रन्थके आधार पर ही इसके प्रकाशनके लगभग चार दशक बाद विदुषी आयिका जिनमती माताजी द्वारा हिन्दी अनुवाद विशेष विवेचनयुक्त भावार्थके साथ तीन भागोंमें प्रकाशित हो जानेसे जन साधारणका उम ग्रन्थका हार्द समझना तथा विविध विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानोंके पाठ्यक्रममें अध्ययन-अध्यापन एवं अनुसंधानका मार्ग मुगम हो गया है। इतने कठिन ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद भी प० महेन्द्रकुमारजी द्वारा सुसम्पादित प्रस्तुत कृतिके आधार पर ही सम्भव हो सका। हिन्दी अनुवाद सहित इन तीन खण्डका प्रकाशन वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला, हस्तिनापुरके माध्यमसे सन् १९७० से १९८६ के मध्य अलग-अलग श्रद्धालु दातारा द्वारा हुआ है।

ग्रन्थ-परिचय

आचार्य माणिक्यनन्दि प्रणीत जैनन्यायके सूत्रग्रन्थ "परीक्षामुख सूत्र" पर बारह हजार श्लोक प्रमाण "प्रमेयकमलमार्तण्ड" नामके बृहद् टीका लिखकर आ० प्रभाचन्द्रने ग्रन्थगत मूलसूत्रोंके विषयको स्पष्ट और विस्तृत विवेचित तो किया ही, अपनी अनेक मौलिक उद्भावनाओंके साथ तत्कालीन प्रचलित उन सभी भारतीय दार्शनिकों और न्यायशास्त्रियोंके पक्षों एवं चर्चित विषयोंको पूर्वपक्षके रूपमें प्रस्तुत करके अनेकान्त-मय प्रबल प्रमाणों द्वारा खण्डनात्मक अकाट्य उत्तरपक्ष प्रस्तुत करते हुए जैनन्यायको गौरव प्रदान किया और उसके विकासका मार्ग प्रशस्त बनाया। इसलिए यह ग्रन्थ मात्र टीका ग्रन्थ ही न रहकर आरम्भसे ही मौलिक ग्रन्थके रूपमें भी इसका अधिक स्थान रही। यह ग्रन्थ अपने नामको सार्थक करते हुए प्रमेयरूपी कमलको उद्भावित करनेके लिए मार्तण्ड (सूर्य) के समान है तथा मिथ्या-अभिविचाररूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए भी मार्तण्ड (सूर्य) के सङ्ग होनेसे भी यह ग्रन्थ अपने नामको सार्थक करता है। वस्तुतः जैसे सूर्य कमलको विकसित करता है, वैसे ही यह ग्रन्थ समस्त प्रमेयोंको प्रदर्शित करता है।

आचार्य प्रभाचन्द्र द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ और प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि बारह ग्रन्थ प्रणीत होनेके उल्लेख मिलते हैं किन्तु इनको स्थानित मुख्यतः इन्हीं दो न्याय ग्रन्थोंके कारण ही विशेष है। इन दोनों ग्रन्थोंमें ही सम्पूर्ण भारतीय दर्शनकी प्रायः सभी शाखाओंकी प्रमुख मान्यताओंको उनके विविध मूलभूत प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थोंके आधारपर आ० प्रभाचन्द्रने गहन अध्ययन एवं मयन करके ही उन्हें पूर्वपक्षके रूपमें प्रस्तुत किया। प्रमेयकमलमार्तण्ड ग्रन्थ ही इनका सर्वाङ्ग परिपूर्ण है कि मात्र अनेकले इस ग्रन्थके आधारपर ही सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय दर्शनको समझा जा सकता है। जबकि इस ग्रन्थका प्रमुख उद्देश्य मुख्यतः प्रमाण-तत्त्वका विवेचन है।

सम्पादन-कार्यकी विशेषतायें

डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य द्वारा सम्पादित प्रमेयकमलमार्तण्डका प्रस्तुत संस्करण श्रेष्ठ एवं आदर्श सम्पादनकलाका एक कीर्तिमान उदाहरण है। प० जी द्वारा सम्पादित प्रस्तुत ग्रन्थका जिसने भी अध्ययन किया, प० जी के अगाध पाण्डित्य एवं अपूर्व धर्म तथा साहित्यसाधनाको उसने भरपूर प्रशंसा की। सर्वाङ्गीण तुलनात्मक अध्ययनकी दिशामें इस ग्रन्थकी महत्ता तो प्रत्येक पृष्ठपर उल्लिखित भरपूर पाठ-टिप्पणियोंके आधारसे ही सिद्ध है। जो विद्वान् इस प्रकारके सम्पादन-कार्यमें गहरो रुचि रखते हैं, इस

प्रकारके कार्योंको ईमानदारीसे सम्पादित करनेमें ही विद्वास रखते हैं वे प० महेन्द्रकुमारजीकी सारस्वत साधनासे प्रसूत इस अप्रतिम कृतिका एक आदर्श कृतिके रूपमें मूल्यांकन किये बिना नहीं रह सकता । पं० जीने स्वयं इसके सम्पादकीय आद्य वक्तव्यमें प्रस्तुत संस्करणकी विशेषताओका उल्लेख करते हुए लिखा है—

जब न्यायकुमुदचन्द्रका सम्पादन चल रहा था तब श्रीयुक्त कुन्दनलालजी जैन तथा प० सुखलालजी संघवीके आग्रहमें मुझे प्रमेयकमलमासंज्ञके पुनः सम्पादनका भी भार लेना पडा । इसके प्रथम संस्करणके संपादक प० बशीधरजी शास्त्री, सोलापुर थे । मैंने उन्हींके द्वारा सम्पादित प्रतिके आधारसे ही इस संस्करणका सम्पादन किया है । मैंने मूलपाठका शोधन, विषय वर्गीकरण, अवतरण निर्देश तथा विरामचिह्न आदिका उपयोगकर इसे कुछ सुन्दर बनानेका प्रयत्न किया है । प्रथम तो यही विचार था कि न्यायकुमुदचन्द्रकी ही तरह इसे तुलनात्मक तथा अर्थबोधक टिप्पणोंसे पूर्ण समृद्ध बनाया जाय, और इसी सक्त्यके अनुसार प्रथम अध्यायमें कुछ टिप्पण भी दिये गए हैं । ये टिप्पण अज्ञेजी अकोके साथ चालू टिप्पणके नीचे पृथक् मुद्रित कराए हैं । परन्तु प्रकाशककी मर्यादा, प्रेसकी दूरी आदि कारणोंसे उस सक्त्यका दूसरा परिच्छेद प्रारम्भ नहीं हो सका और यह प्रथम परिच्छेदके साथ ही समाप्त हो गया । आगे तो यथासंभव पाठशुद्धि करके ही इसका संपादन किया है ।

संपादक न्यायाचार्यजीके उपर्युक्त कथनमें स्पष्ट है कि वे इसे और भी अनेक टिप्पणों, पाठभेदों आदिमें युक्त प्रकाशित करानेके इच्छुक थे किन्तु अनेक कठिनाइयोंके कारण वे ऐसा नहीं कर सके । फिर भी प० बशीधरजी, सोलापुर द्वारा सम्पादित प्रथम संस्करणकी अपेक्षा न्यायाचार्यजी द्वारा सम्पादित इस द्वितीय संस्करणमें अनेक विशेषतायें हैं । इनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं—प्रस्तुत ग्रन्थका सम्पादन वैज्ञानिक विधि से अर्थात् स्पष्ट और विस्तृत विषयसूची दी गई है, अनेक परिशिष्ट दिये गये हैं और शब्दानुक्रमणिका भी है । इनसे पाठकोंको इतने बृहद् मूलग्रन्थमें भी सम्बद्ध विषयको खोजनेमें कठिनाई नहीं होती ।

प्रमेयकमलमासंज्ञक ग्रन्थका दूसरा नाम परीक्षामुखालङ्कार भी है अतः तदनु रूप प्रस्तुत संस्करणमें मूलग्रन्थ परीक्षामुखके सूत्रोंको उसकी वृत्तिके पूर्व यथास्थान रखकर व्यवस्थित किया है । इससे तद-तद् सूत्रकी व्याख्याका पृथक्करण हो गया, अन्यथा कुछ पाठकोंको पता ही नहीं चल पाता था कि किस सूत्रको व्याख्या कहाँसे प्रारम्भ है और कहाँ समाप्त है । इसी तरह प्रकरण और अर्थकी दृष्टिसे अशुद्धियोंका सशोधन भी किया गया है । यद्यपि प्रथम संस्करणमें मुद्रित टिप्पण एक ही हस्तलिखित प्रतिसे लिये गये थे । अतः उनमें कुछ-कुछ अस्तव्यस्तता और अशुद्धियाँ दिखलाई पडती थी किन्तु प्राचीन टिप्पणोंका मौलिकताके संरक्षणके उद्देश्यसे न्यायाचार्यजीने उन्हें इस अपने संस्करणमें भी यथावत् रहने दिया किन्तु साथ ही कुछ अन्य प्रतियोंके और भी टिप्पण साथमें दे दिये हैं ।

प्रस्तुत संस्करणको और भी अधिक उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण बनानेके लिए न्यायाचार्यजीने जो बहुत ही श्रमसाध्य कठिन कार्य किया है, वह है विविध जैन और जैनतर मूलग्रन्थोंके अनेकों अवतरण, जिन्हें आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रतिपाद्य विषयकी पुष्टि हेतु अपने इस ग्रन्थमें उद्धृत किया था और हस्तलिखित ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियाँ करने समय लिपिकारोंने लगभग उन्हें मूलग्रन्थमें ही सम्मिलित कर लिया था । न्यायाचार्यजीने उन अवतरणोंको अलग दिखलानेकी दृष्टिसे उन उद्धरणोंको इनबटैड कामा (" " ") में रख कर प्रस्तुत किया है । इतना ही नहीं, जिन-जिन ग्रन्थोंके ये उद्धरण हैं, उन्हें उन-उन ग्रन्थोंमें खोजकर पुष्ट सहित उन ग्रन्थोंके नामोल्लेख भी कोष्ठकमें कर दिये गये हैं । अज्ञात अवतरणोंके बाद लाली ब्रैकेट छोड़

२२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

दिये गये ताकि किसी विद्वान् पाठकको इस अवतरणके सही ग्रन्थ और ग्रन्थकारका नाम पता हो तो वहाँ उसे लिख सके और सम्पादकको भी सूचित कर मके ताकि आगेके संस्करणोमें उन्हें सम्मिलित किया जा सके ।

इन ग्रन्थकी ७८ पृष्ठीय विद्वत्साम्यपूर्ण प्रस्तावनामें पं० जीने जहाँ मूलग्रन्थकार आ० माणिक्यनन्दि एव आ० प्रभाचन्द्रके व्यक्तित्व एव कृतित्वपर ध्यापक रूपमें प्रकाश डाला है वही जैननर एव जैन पूर्ववर्ती एव परवर्ती अनेक भारतीय दार्शनिको एव उनके ग्रन्थोसे प्रमेयकमलमार्त्तण्डके प्रतिपाद्य विषयकी जो तुलना, प्रभाव एवं समीक्षा प्रस्तुत की है वह अपने आपमें तुलनात्मक अध्ययन एव अनुसन्धानकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । वेद, उपनिषद्, स्मृति, पुराण, महाभारत, गीता, पतञ्जलि, भर्तृहरि, व्यासभाष्य आदि ग्रन्थोके जिन अंशोंको आ० प्रभाचन्द्रने उद्धृत किया है, उन सन्दर्भोंको तथा साख्य आदि दार्शनिकोके सन्दर्भोंको भी सम्पादकजीने उद्धृत किया है । इस कार्यसे अनेक ऐसे ग्रन्थ, ग्रन्थकार एव ऐसे सन्दर्भ प्रकाशमें आये हैं जो अब उपलब्ध नहीं होते । जैसे प्रवस्तुपादभाष्यमें (कणादसूत्र भाष्यकार—ई० पाँचवीं शती) के ईश्वरवादके पूर्व-पक्षमें प्रमेयकमलमार्त्तण्डके पं० २७० पर 'प्रवस्तमतिना च' लिखकर "मर्गादी पुत्रवाणा व्यवहारो" इत्यादि अनुमान उद्धृत किया है । किन्तु यह अनुमान प्रवस्तुपादभाष्यमें नहीं है । इसी तरह आ० प्रभाचन्द्रने न्याय-कुमुदचन्द्रमें साख्यदर्शनके कुछ ऐसे वाक्य और कारिकाएँ उद्धृत की हैं जो उपलब्ध ग्रन्थोमें प्राप्त नहीं होती ।

प्रवस्तुपादभाष्यके पुरातन टीकाकार आ० ज्योमशिवकी ज्योमवती टीकाम प्रतिपाद्य अनेक मतोंका आ० प्रभाचन्द्रने खण्डन किया है । आ० प्रभाचन्द्रके इन उल्लेखोसे ज्योमशिवके सही काल-निर्धारणमें बहुत सहायता प्राप्त हुई है । इसी तरह उद्योतकर, जयन्तभट्ट, वाचस्पति, शबरऋषि, कुमारिल, मण्डनमिथ, प्रभाकर, शङ्कराचार्य, सुरेश्वर आदि वैदिक दार्शनिको तथा अश्वघोष, नागार्जुन, वसुभन्धु, दिग्नाग, धर्म-कीर्ति, प्रभाकर गुप्त, शान्तरक्षित, कमलशील, अर्चट, धर्मोत्तर और जानशी जैसे बौद्धदार्शनिको तथा विग-म्बर एव श्वेताम्बर जैन परम्पराओंके पचाससे भी अधिक ग्रन्थ एव ग्रन्थकारोसे आ० प्रभाचन्द्र द्वारा लिखित एव उद्धृत ग्रन्थगत विषयकी महत्त्वपूर्ण समीक्षा की गई है । यह बृहद् प्रस्तावना फाल्गुन शुक्ला द्वादशी वीर निर्वाण सवत् २४६७ के आष्टाह्निक पर्वमें पूर्ण हुई ।

इस महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनाके बाद न्यायप्रवेश, न्यायविन्दु, न्यायविनिश्चय, न्यायमार, न्यायावतार, प्रमाणनयत्त्वालोकान्तर, प्रमाणपरीक्षा, प्रमाणमीमासा, प्रमाणसंग्रह, लघीयस्त्रय स्ववृत्ति इत्यादि अनेक ग्रन्थोसे परीक्षामुख सूत्रोकी तुलना प्रस्तुत की गई है । इससे इन ग्रन्थगत सूत्रोके विम्ब-प्रतिविम्ब भावका स्पष्ट बोध होता है ।

ग्रन्थके अन्तमें परीक्षामुख सूत्रपाठ, प्रमेयकमलमार्त्तण्डगत अवतरणो, परीक्षामुख एव प्रमेयकमल-मार्त्तण्डके लाक्षणिक शब्दो, उल्लिखित ग्रन्थ एव ग्रन्थकारो, विशिष्ट शब्दोकी सूची और सबसे अन्तमें आरा के जैन सिद्धान्त भवनकी हस्तलिखित प्रतिके पाठान्तर—ये सब शोधपूर्ण परिशिष्ट प्रस्तुत किये गये हैं ।

६९४ पृष्ठीय मूलग्रन्थमें प्रत्येक सूत्रका जिस तरह विषयका स्पष्ट प्रतिपादन और पूर्वपक्ष एव उत्तर-पक्षके विविध प्रमाण उद्धृत करते हुए उनका विवाद विवेचन, साथ ही सन्दर्भ और कठिन शब्दोको स्पष्ट करनेके लिए जो टिप्पण दिये गये हैं—ये सब विषयको समझनेका मार्ग प्रशस्त करते हैं ।

इस प्रकार प्रमेयकमलमार्त्तण्डके उत्कृष्ट सम्पादन-कार्यसे जहाँ इस ग्रन्थकी महत्ता और उपयोगिता प्रकाशमें आई है, वही सम्पूर्ण भारतीय दार्शनिक क्षेत्रने भी इसका बहुमानपूर्वक मूल्यांकन किया । इस कार्य से डॉ० महेन्द्रकुमारजीमें भी विद्वत्ता, सम्पादन-पटुता, अन्यान्य दर्शनोका गहन अध्ययन एवं उनके प्रति

समादर दृष्टि और तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसन्धानकी व्यापकता, विशेषताओंका सागर हिलोरें लेता दिखलाई पड़ता है जो किमी भी विद्वान्के मनमें उनके प्रति गौरव और आदरके भाव उत्पन्न करनेके लिए पर्याप्त है। वस्तुतः प्रस्तुत ग्रन्थ तथा अन्य अनेक ग्रन्थोंके सम्पादन कार्य, मौलिक चिन्तन और लेखन कार्यों के मूल्यांकनमें श्रेष्ठ भारतीय दार्शनिकोंकी पंक्तिमें सम्मिलित न्यायाचार्य जी एक प्रकाशमान नक्षत्रकी तरह दिखलाई देते रहेंगे।



डॉ० महेन्द्रकुमारजी द्वारा सम्पादित न्यायकुमुदचन्द्र

● डॉ० जयकुमार जैन, मुजफ्फरनगर

पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य प्राचीन संस्कृत ग्रंथोंके सम्पादन-कार्यमें निपुण थे। उनके द्वारा प्राचीन आचार्योंकी हस्तलिखित जैन न्याय विषयक अनेक कृतियोंका उद्धार हुआ है। उन्हींमेंसे आचार्य अकलकदेव द्वारा रचित लघुवैश्वदेवकी कारिकाओपर आचार्य प्रभाचन्द्र द्वारा रचित लगभग बीस सहस्र पद्य प्रमाण न्यायकुमुदचन्द्र नामक टीकाका सम्पादन एवं सशोधन उनके जैन एवं जैनेतर न्याय विषयक ज्ञान का उद्घोष करता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ श्री भाणिकचन्द्र विगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बईसे सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ पं० नाथूराम जी प्रेमीके मन्त्रित्व कालमें मत् १९३८ एवं १९४१ में क्रमशः दो भागोंमें ३८७ एवं ३९९ पृष्ठोंके रूपमें प्रकाशित हुआ है।

न्यायकुमुदचन्द्रके सम्पादन एवं सशोधनमें आदरणीय पण्डितजीके द्वारा जैन एवं जैनेतर ग्रन्थोंसे लिये गये विविध टिप्पण सम्पादनका मूल हार्द है। इन टिप्पणोंके माध्यमसे अनेक दार्शनिक एवं ऐतिहासिक मुद्दियोंका स्पष्टीकरण तो हुआ ही है, साथ ही समाजोचनात्मक अध्ययन करनेवाले शोध-स्रोतोंको विद्वानोंके लिए बहुमूल्य शोधात्मक सामग्री प्रस्तुत की गई है। इन टिप्पणोंसे एक अन्य लाभ यह हुआ है कि अनेक आचार्योंके काल निर्धारणमें पर्याप्त सहायता मिली है और लेखन शैली तथा विद्वानों/आचार्यों द्वारा परस्पर आदान-प्रदान की गई सामग्रियोंका आकलन हुआ है।

मूल ग्रन्थमें अनेक आचार्योंके नामोल्लेखपूर्वक आये हुये उद्धरणोंके माध्यमसे अनेक विलुप्त ग्रन्थों एवं उनके लेखक आचार्योंका पता चला है। इस प्रकार न्यायकुमुदचन्द्रके सम्पादनके ब्याजसे समस्त दर्शनों एवं न्याय विषयक विविध प्रस्थानोंका एक ही स्थानपर अच्छा मेल हुआ है। अतः इस ग्रन्थका टिप्पणों सहित अध्ययन करनेसे ममय भारतीय दर्शनों एवं न्याय विषयक मान्यताओंकी अच्छी जानकारी मिलती है।

सम्पादनकी प्रामाणिकताके लिए आदरणीय पण्डितजीने हस्तलिखित मूल ग्रन्थके एक पृष्ठकी फोटो प्रति भी ग्रन्थमें मुद्रित कराई है।

उपर्युक्त विशेषताओंके अतिरिक्त इस ग्रन्थके प्रारम्भमें प्रथम भागमें स्यादाद महाविद्यालय, काशीके पूर्व प्राचार्य एवं जैन जगत्के विश्रुत विद्वान् पं० कैलाशचन्द्र शास्त्रीके द्वारा लिखित प्रस्तावनामें सिद्ध-विनिश्चय एवं प्रमाणसंग्रहका परिचय तथा न्यायकुमुदचन्द्रकी इतर दर्शनोंके ग्रंथोंके साथ तुलना जैसे

२४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

प्रकरण, जो कि प० महेन्द्रकुमारजीकी लेखनीये ही प्रसूत है और आचार्य प्रभाचन्द्र के कालनिर्धारणमें पर्याप्त सहयोग किया है। साथ ही प्रस्तावनागत (पृ० १२६) अन्य विषयोंके लेखनमें भी प० कलाशचन्द्र शास्त्रीकी सहायता की है। इस प्रकार न्यायकुमुदचन्द्रके प्रथम भागकी प्रस्तावनाके लेखनमें प० महेन्द्रकुमारजीका अनन्य सहयोग रहा है।

न्यायकुमुदचन्द्रके द्वितीय भागकी प्रस्तावना प० महेन्द्रकुमारजीने स्वतन्त्र रूपसे लिखी है, जिसमें उन्होंने लघुयस्त्रयके रचयिता भट्टाककदेव एव उसपर न्यायकुमुदचन्द्र नामक टीकाके लेखक आचार्य प्रभाचन्द्रके समयपर पर्याप्त प्रकाश डाला है। प्रभाचन्द्रकी इतर वैदिक एव अवैदिक आचार्योंसे जो उन्हीने तुलना की है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रभाचन्द्रके अन्य ग्रन्थोंका परिचय भी उगी प्रस्तावनाका एक अंग है, जिसमें प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोंका परिचय देकर उन ग्रन्थोंके प्रभाचन्द्रकृत होनेका मनक उल्लेख किया है। इससे प्रस्तावनाका महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया है। मूलग्रन्थका दोहन करके लिखी गई यह प्रस्तावना मन्दिरके ऊपर रखे गये कलाशकी भाँति सुगोभित है और मटिपण मूलग्रन्थका सशोभन एव सम्पादन तो उनकी प्रतिभाका निदर्शन है ही।

उपर्युक्तके अतिरिक्त हम प्रस्तावनामें आचार्य प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोंका आन्तरिक परीक्षण करके उनके समय आदिपर पूर्वापर दृष्टिमें विचार करते हुये विविध युक्तियों एव तर्कोंका उल्लेख किया है। इस क्रममें आदरणीय पण्डितजीने आचार्य प्रभाचन्द्रके समय आदिपर जो प्रकाश डाला है वह न केवल इत पूर्व चिन्तित विद्वानोंके मनोकी समीक्षा ही करता है, अपितु पण्डित कलाशचन्द्रजी शास्त्री द्वारा स्थापित शाकाओंको बल देता हुआ उनके मतकी पुष्टि भी करता है।

अनेकान्तवादको विविध भारतीय दर्शनोंमें महत्त्वपूर्ण स्थान मिल सके, इसके लिये तर्क और युक्तियोंसे परिपूर्ण धार्योका प्रयोग अपेक्षित है। जैनदर्शनका यह अनेकान्तवाद सिद्धान्त मूल रूपसे अहिंसावादको ही दूसरे प्रकारसे पुष्ट करता है। इस सन्दर्भमें गवर्नमेंट मस्कृत कॉलेज, बनारसके तत्कालीन प्रिन्सिपल डॉ० मङ्गलदेव शास्त्रीके निम्नाङ्कित विचार (न्यायकुमुदचन्द्र भाग २, आदिवचन पृ० १०) ध्यातव्य है। वे लिखते हैं कि जैनधर्मकी भारतीय मस्कृतिका बड़ी भारी देन अहिंसावाद है, जो कि वास्तवमें दार्शनिक भित्तिपर स्थापित अनेकान्तवादका ही नैतिकशास्त्रकी दृष्टिसे अनुवाद कहा जा सकता है।

उपर्युक्त उल्लिखित विविध बिन्दुओंपर विचार करनेपर हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यकी प्रतिभा अद्भुत थी।



न्यायकुमुदचन्द्र और उसके सम्पादन की विशेषतायें

• डॉ० सुदर्शनलाल जैन, वाराणसी

ग्रन्थ परिचय

भट्टकालकङ्कटैवकृत लघीयस्त्रय और उसकी स्वोपज्ञविवृत्तिकी विस्तृत व्याख्याका नाम है 'न्यायकुमुदचन्द्र'। न्यायकुमुदचन्द्र एक व्याख्या ग्रन्थ होकर भी अपनी महत्ताके कारण स्वतन्त्र ग्रन्थ ही है। इसमें भारतीय दर्शनके समग्र तर्क-साहित्य एवं प्रमेय-साहित्यका आलोचन करके नवनीत प्रस्तुत किया गया है। तार्किक-शिरोमणि प्रभाचन्द्राचार्यने निष्पक्षभावसे वात्स्यायन, उद्योतकर आदि वैदिक तार्किकोंके और घर्मकीर्ति आदि बौद्धतार्किकोंके मतोंका विवेचन उनके ही ग्रन्थोंका आधार लेकर उनकी ही निष्पक्षतामें किया है जितना कि जैनाचार्योंके मन्तव्योका प्रस्तुतीकरण किया है। जैन सिद्धान्तोंके सदर्थमें उठने वाली सूदमसे सूक्ष्म समस्याओंको उठाकर उनका तार्किक दृष्टीमें विशद समाधान प्रस्तुत किया है।

तर्कशास्त्र वह शास्त्र है जो अतीत, अनागत, दूरवर्ती, सूक्ष्म और व्यवहृत अर्थोंका ज्ञान कराता है। तर्कशास्त्रका विशेषतः गम्बन्ध अनुमान प्रमाणसे है। परन्तु कभी-कभी इन्द्रियप्रत्यक्ष और आगमकी प्रमाणतामें सदेह होनेपर तर्कके द्वारा ही उस सदेहका निवारण किया जाता है। इस दृष्टीका आश्रय लेकर पर-वादिग्रन्थोंके प्रायः सभी सिद्धान्तोंकी समीक्षा न्यायकुमुदचन्द्रमें की गई है। जिन प्रकार प्रभाचन्द्राचार्यकृत प्रमेयकमलमार्तण्ड-प्रमेयरूपी कमल्लोका विकास करनेके लिए मार्तण्ड (सूर्य) है उसी प्रकार न्यायकुमुदचन्द्र भी न्यायम्पी कुमुदोका विकास करनेके लिए चन्द्रमा है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि न्यायकुमुदचन्द्र भट्टकालकङ्कटैवकृत लघीयस्त्रय और उसकी स्वोपज्ञ-विवृत्तिकी व्याख्या है। लघीयस्त्रय प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश और प्रवचनप्रवेश इन तीन छोटे-छोटे प्रकरणोंका संग्रह है। प्रमाणप्रवेशमें चार परिच्छेद हैं, नयप्रवेशमें एक तथा प्रवचनप्रवेशमें दो। इस तरह लघीयस्त्रयमें कुल सात परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदके प्रारम्भकी दो कारिकाओं पर, पञ्चम परिच्छेदकी अंतिम दो कारिकाओं पर, षष्ठ परिच्छेदकी प्रथम कारिका पर और सप्तम परिच्छेदकी अंतिम दो कारिकाओं पर विवृति नहीं है, शेष पर है। विवृतिमें दिडनाग, घर्मकीर्ति, वार्धगण्य और सिद्धसेनके ग्रन्थोंसे वाक्य या वाक्यांश लिए गए हैं।^१

जैनदर्शनमें स्वामी समन्तभद्र (ई० २री शता०) को जैन तर्क विद्याकी नीवका प्रतिष्ठापक माना जाता है। पश्चात् सिद्धसेन विवाकर (वि० स० ६२५ के आसपास) का जैन तर्कका अवतरण कराने वाला और आचार्य भट्टकालकङ्क (ई०-७-८ शता०) का जैन तर्कके भव्यपामादको गस्थापित करनेवाला माना जाता है। अकलकङ्क द्वारा सस्थापित सिद्धान्तोंका आश्रय लेकर परवर्ती जैन न्यायके ग्रन्थ लिखे गए। आचार्य विद्यानंद (ई० ९वीं शता०) ने इस तर्कविद्याको प्रौढ़ता प्रदान की और आचार्य प्रभाचन्द्र (ई० ९८०-१०६५) ने जैन तर्कविद्याकी वृक्षताको बोधगम्य बनाया। प्रशस्तपादभाष्य, व्योमवती, न्यायभाष्य, न्यायवार्तिक, न्यायमजरी, शाबरभाष्य, इलोकवार्तिक, बृहती, प्रमाणवार्तिकानुसार, तत्त्वमयह आदि जैनैतर प्रौढतर्क ग्रन्थोंका गहन अध्ययन करके आचार्य प्रभाचन्द्रने उनकी ही शैलीमें प्रबलव्युक्तियोंमें उनके सिद्धान्तोंका परिमार्जन किया है। इस तरह जैन तर्क शास्त्रमें नवीन शैलीको जन्म देकर न्यायकुमुदचन्द्र आदि द्वारा व्योमवती जैसे प्रौढ ग्रन्थोंकी कमीको पूरा किया है।

१. न्यायकुमुदचन्द्र प्र० भा०, प्रस्तावना, पृ० ५-७।

संपादन और प्रकाशन योजना

माणिकचंद्र दि० जैन ग्रन्थमालाके मंत्री पं० नाथुराम जो 'प्रेमी' की इच्छासे प्रेरित होकर न्यायाचार्य, न्यायविचारक, जैनप्राचीन न्यायसूची आदि उपाधियोसे विभूषित पं० महेन्द्रकुमार शास्त्री जो श्री स्यादाब दि० जैन महाविद्यालय, काशीमें जैन न्यायके अध्यापक थे, ने पं० सुखलाल सधवी द्वारा संपादित सम्मितिककी शैलीमें न्यायकुमुदचन्द्रका सम्पादन प्रारम्भ किया। यह पं० महेन्द्रकुमारजी का इस क्षेत्रमें प्रथम प्रयास था। इसके सम्पादनमें पं० सुखलाल सधवी और पं० कैलाशचन्द्रजी का बहुमूल्य सहयोग रहा है। सम्पादनोपयोगी साहित्योपलब्धि करानेमें पूज्य गणेशप्रसाद जी वर्णाका औदार्यपूर्ण सहयोग मिला। इसके सम्पादनमें पाँच प्रमुख प्रतियोसे सहायता ली गई थी। और उन प्रतियोके आधार पर जो या तो अशुद्ध थी या अधूरी थी, प्रस्तुत संस्करणका सम्पादन कितना कठिन कार्य है, यह अनुभवी सम्पादक ही समझ सकता है। सम्पादन करते समय जिन-जिन बातोंका ध्यान रखना चाहिए उन सभीका ध्यान रखा गया है। प्रस्तुत संस्करण माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बईमें ई० सन् १९३८ तथा १९४१ में क्रमशः दो भागोंमें प्रकाशित हुआ है। छपाईमें मूलपाठ, विवृति, व्याख्यान, टिप्पण, पाठान्तर, विरामचिह्नो आदिका समुचित प्रयोग किया गया है। विषयकी सुबोधना तथा शोधार्थियोंके उपयोगके लिए द्वितीय भागमें निम्न १२ परिशिष्ट दिए गए हैं—

- (१) लघोयस्त्रय-कारिकानुक्रमणिका, (२) लघोयस्त्रय और उसकी स्वविवृतिमें आगत अवतरण-वाक्योकी सूची, (३) लघोयस्त्रय और स्वविवृतिके विशेष शब्दोकी सूची, (४) अन्य आचार्यों द्वारा उद्धृत लघोयस्त्रय कारिकायें एवं विवृति अशोकी तुलना, (५) न्यायकुमुदचन्द्रमें उद्धृत ग्रन्थान्तरोंके अवतरण, (६) न्यायकुमुदचन्द्रमें निर्दिष्ट न्यायवाक्य, (७) न्यायकुमुदचन्द्रमें आगत ऐतिहासिक और भौगोलिक नामोंकी सूची, (८) न्यायकुमुदचन्द्रमें उल्लिखित ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंकी सूची, (९) न्यायकुमुदचन्द्रान्तर्गत लक्षणिक शब्दोकी सूची, (१०) न्यायकुमुदचन्द्रान्तर्गत कुछ विशिष्ट शब्द, (११) न्यायकुमुदचन्द्रान्तर्गत दार्शनिक शब्दोकी सूची, (१२) मूल ग्रन्थ तथा टिप्पणीमें प्रयुक्त ग्रन्थ सकेत सूची (पृष्ठ सकेतके साथ)।

पं० महेन्द्रकुमारजीका वैदुष्य

पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायशास्त्रार्थ जिन्होंने न्यायकुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलमातङ्ग, अकलङ्कग्रन्थत्रय आदि महत्त्वपूर्ण एवं गम्भीर ग्रन्थोंका सटिप्पण सुन्दर सम्पादन किया है, उनकी बराबरीका आज दूसरा कोई संपादक नहीं दिखलाई पड़ रहा है। आप जैनविद्याके प्रकाण्ड मनीषी तो थे ही, साथ ही जैनेतर न्यायशास्त्र-में भी गहरी पँठ थी। न्यायकुमुदचन्द्रके टिप्पण तथा द्वितीय भागकी ६३ पृष्ठोंकी विस्तृत प्रस्तावना आपके वैदुष्यको प्रकट करती है। प्रथम भागकी १२६ पृष्ठोंकी प्रस्तावना पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री द्वारा लिखित है। इसके बाद भी आपने द्वितीय भागमें प्रभाचन्द्रकी वैदिक और अवैदिक इनर आचार्योंनि तुलना करते हुए अभिनव तथ्योंको प्रकट करनेवाली प्रस्तावना लिखी है। ग्रन्थ सकेत सूची, शृङ्खिपत्रक आदिके साथ विस्तृत विषयसूची दोनों भागोंमें दी गई है जिसमें विषयकी दुर्बोधता समाप्त हो गई है।

संपादनकी प्रमुख विशेषताएँ

पं० महेन्द्रकुमार जीके वैदुष्यको तथा सम्पादन कलाकी वैज्ञानिकता को प्रकट करनेवाली प्रस्तुत न्यायकुमुदचन्द्रके संस्करणकी प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

१—आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से संपादन किया गया है। ग्रन्थसकेतसूची, विस्तृत विषयसूची, परिशिष्ट, प्रस्तावना, शृङ्खिपत्रक, सहायक ग्रन्थसूची, विराम चिह्नो का समुचित प्रयोग, टिप्पण, पाठान्तर, तुलना आदि सभी सुव्यवस्थित और प्रामाणिक हैं।

२-टिप्पणी और द्वितीय भागकी प्रस्तावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसमे संपादकने अथक धम किया है। ऐतिहासिकताके बीजोको उद्घाटित करते हुए तुलनात्मक दृष्टि अपनाई गई है। विषय विवेचनमें सकीर्णता नहीं अपनाई गई है।

३-कुछ टिप्पणियाँ ग्रन्थकारके आशयको स्पष्ट करनेके लिए तथा कुछ पाठशुद्धिके लिए भी दी गई हैं।

४-प्रत्येक विषयके अन्तमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष संबंधी ग्रन्थोकी विस्तृत सूची दी गई है जिससे उस विषयके पर्यालोचनमें और अधिक सहায়ता मिलती है।

५-प्रस्तावनामें आचार्य अकलंक और प्रभाचन्द्रके संबंधमें ज्ञातव्य अनेक ऐतिहासिक और दार्शनिक मन्तव्योका विवेचन किया गया है। प्रसङ्गत जैन एव जैनेतर ग्रन्थकारोकी तुलना करते हुए बहुत-सी बातोके रहस्य खोले गए हैं। इसे यदि जैनतक युगके इतिहासकी रूपरेखा कही जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अत ऐतिहासिकोके लिए यह प्रस्तावना बहुत उपयोगी है।

६-जो पाठ अशुद्ध थे उनको सुधारनेका प्रयत्न किया गया है। संपादकने इस बातको इंगित करनेके लिए उस कल्पित शुद्धपाठको () ऐसे ब्रैकेटमें दिया है। इसके अतिरिक्त जो शब्द मूलमें नृटिव थे या नहीं थे उनका जगह संपादकने जिनशब्दोको अपनी ओरसे रखा है उसे [] ऐसे ब्रैकेटके द्वारा प्रदर्शित किया है।

७-इसके संपादनमें ईडर भण्डारकी (आ० मजक) प्रतिको आदर्श माना गया है। शेष अन्य चार प्रतियोका यथास्थान उपयोग किया गया है। विवृतिकी पूर्णता आ० प्रतिके अतिरिक्त जबपुरकी प्रतिसे की गई है।

इस तरह न्यायाचार्य प० महेन्द्रकुमार जीका यह प्रथम संपादन कार्य इतना महत्वपूर्ण और आदर्शदीपक हुआ कि कालान्तरमें इन्हें प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि ग्रन्थोके संपादनका उत्तरदायित्व सौंपा गया जिसे इन्होंने उमी लगन और ईमानदारीसे पूर्ण किया। न्यायकुमुदचन्द्रका इनपर इतना प्रभाव था कि इन्होंने इसके संपादन कालमें उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्रका नाम स्मृतिनिमित्त 'कुमुदचन्द्र' रखा जो कालकी गतिका निशाना बन गया और संपादित यह ग्रन्थ ही उसका पुण्यस्मारक बना जिसे पं० जीने अपने साहित्ययज्ञकी आहुति माना। ऐसे स्वनामधन्य प० महेन्द्रकुमार जीकी प्रतिभा जो प्रभाचन्द्राचार्यवत् थी को शतशत वन्दन करते हुए उनके द्वारा प्रदर्शित मार्गपर चलनेकी कामना करता हूँ।

न्यायविनिश्चय-विवरण : एक मूल्यांकन

• डॉ० शीतलचन्द जैन, जयपुर

भारतीय दर्शनमें जैनदर्शनका एक विशिष्ट स्थान है और जैनदर्शनके क्षेत्रमें आचार्य श्रीमद्भट्टा-कलकदेव द्वारा लिखित न्यायविनिश्चय अद्वितीय ग्रन्थरत्न है। इस ग्रन्थके पद्य भागपर प्रबल ताकिक स्याद्वादविद्यापिन वादिराजसूरिकृत तात्पर्य विद्योतिनी व्याख्यान रत्नमाला उपलब्ध है जिसका नाम न्याय-विनिश्चय-विवरण है। जैसा कि वादिराजकृत श्लोकमें प्रकट है—

प्रणिपत्य स्थिरभक्त्या गुरुन् पदानुद्गारबुद्धिगुणान् ।
न्यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीयं मया क्रियते ॥

उक्त श्लोकमें स्पष्ट है कि हमका नाम न्यायविनिश्चय विवरण ही है, अलवार नहीं। इस विषय पर विद्वान् सपादकने काफी महत्त्वपूर्ण प्रमाण उपस्थित कर विमर्श किया है। ग्रन्थका सपादन २०वीं शताब्दिके प्रसिद्ध मूर्धन्य दार्शनिक विद्वान् प० महेंद्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा किया गया है। प० जो की जो सपादिन कृतियाँ हैं उनमें आचार्य भट्टाकलकदेव द्वारा रचित ग्रन्थ प्रमुख हैं। आपकी सपादकीय एवं प्रस्तावनाओंको पढ़कर ग्रन्थका रहस्य मुगमतामें समझमें आ जाना है। वस्तुतः प्राचीन ग्रन्थोंमें दार्शनिक ग्रन्थोंका सम्पादन अति दुर्गाध्य कार्य है। इस कार्यके लिये निष्ठा, समय, शक्तिके साथ विरता अत्यन्त अपेक्षित है। क्योंकि दार्शनिक ग्रन्थोंमें ग्रन्थान्तरोके अवतरण पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष दोनोंमें प्रचुर मात्रामें झाने हैं उन सबका स्थान खोजना तथा उपयुक्त टिप्पणियोंका सम्कलन आदि सभी कार्य धैर्य और स्थिरताके बिना नहीं मध सकने विशेषकर उन ग्रन्थोंके सम्पादनमें जिनका मूल भाग उपलब्ध न हो और विवरणकी प्रतियाँ अशुद्धियोंका पुञ्ज हों ऐसी स्थितिमें सम्पादककी प्रतिभाकी समीक्षा विद्वान् ही कर सकने हैं। हम जैसे अल्पबुद्धि वाले तो उनकी सम्पादिन कृतियोंका भूयाकन ही कर सकेंगे।

प्रस्तुत कृति न्यायविनिश्चयविवरण दो भागोंमें विभक्त है। इसमें कुल तीन प्रस्ताव हैं जिसमें प्रथम भागके प्रथम प्रस्तावमें प्रत्यक्षकी विवेचना है और द्वितीय भागके द्वितीय एवं तृतीय प्रस्तावमें क्रमशः अनुमान एवं प्रवचनकी विवेचना है। ग्रन्थकारने सर्वप्रथम न्यायके विनिश्चय करनेकी प्रतिज्ञा की है। वे न्याय अर्थात् स्याद्वादमुद्राकित आम्नायको कालकाल दोषमें गुणद्वेषी व्यक्तियों द्वारा मलिन किया हुआ देखकर विचलित हो उठने हैं और भय्य पुरुषोंकी हिनकामना से सम्यग्ज्ञान-वचन रूपी जलसे उम न्याय पर आये हुए मलकी दूर करके उनको निर्मल बनानेके लिए कुलमकल्प होने हैं। जिसके द्वारा वस्तु स्वरूपका निर्णय किया जाय उसे न्याय कहते हैं। अर्थात् न्याय उन उपायोंको कहते हैं जिनसे वस्तु तत्त्वका निश्चय हो। ऐसे उपाय तत्त्वासूत्रमें प्रमाण और नय दो तथा इनके भेद-प्रभेद ही निर्दिष्ट हैं।

विद्वान् सम्पादकने अपने मन्तव्यमें लिखा है कि दार्शनिक क्षेत्रमें दर्शनकी व्याख्या बदली है और वह वैतन्याकारकी परिधिमें लौबक पदायोंके सामान्याबलोकन तक जा पहुँची परन्तु सिद्धान्त ग्रन्थोंमें दर्शनका अनुपयुक्त दशन तल्लवत ही वर्णन है।

विद्वान् सम्पादकने अकलकके ज्ञानकी साकारता विषयक विवेचनमें धबला-जयधबलाका आधार लेते हुए न्यायविनिश्चय-विवरणका युक्तिसंगत तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तावनामें प्रस्तुत किया है। इस प्रस्तावना को पढ़कर ग्रन्थकी कारिकाओंके हृदयको समझनेमें कठिनाई नहीं होती है।

अर्थ सामान्य विशेषात्मक और द्रव्य पर्यायात्मक है, के विवेचन प्रसंगमे सुयोग्य विद्वान्ने ग्रन्थको आधार बनाते हुये इतर भारतीय दार्शनिकोंकी समालोचना करते हुए राहुल सांकृत्यायनके विचारोंकी विस्तारमे उल्लेख करके समीक्षा की है और जैनदर्शनकी दृष्टिसे पदार्थकी कौमी व्यवस्था है इसको सूक्ष्माति-सूक्ष्म तर्कोंके माध्यमसे विषयको समझाया है।

इसी तरह विद्वान् सम्पादकने प्रत्यक्षके भेदोंके विमर्शमे आचार्य अकलक द्वारा मान्य भेद और उत्तरवर्ती आचार्यों द्वारा मान्य भेदोंको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अकलक देवने प्रत्यक्षके तीन भेद किये हैं — १-इन्द्रिय प्रत्यक्ष २-अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष ३-अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष।

चक्षु आदि इन्द्रियोसे रूपादिकका स्पष्ट ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। मनके द्वारा सुख आदिकी अनुभूति मानस प्रत्यक्ष है। अकलकदेवने लघीयस्त्रयस्ववृत्तिमे स्मृति, सज्जा, चिन्ता और अभिनिबोधको अतिन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा है। इनका अभिप्राय इतना ही है कि-मति, स्मृति, सज्जा, चिन्ता और अभिनिबोध ये सब मति-ज्ञान है, मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे इनकी उत्पत्ति होती है। मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है। इन्द्रियजन्य मतिज्ञानको जब गन्धवहारमे प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्धि होनेके कारण इन्द्रियप्रत्यक्ष मान लिया तब उसी तरह मनोमति रूप स्मरण प्रत्यभिज्ञान तर्क और अनुमानको भी प्रत्यक्ष ही कहना चाहिये। परन्तु सव्य-वहार इन्द्रियजन्य मतिको तो प्रत्यक्ष मानता है पर स्मरण आदि को नहीं। अत अकलककी स्मरण आदिको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष माननेकी व्याख्या उन्हीं तक सीमित रही। वे शब्दयोजनाके पहिले स्मरण आदिको मति-ज्ञान और शब्दयोजनाके बाद इन्हींको श्रुतज्ञान भी कहते हैं। पर उत्तरकालमे असकीर्ण प्रमाण विभागके लिए—“इन्द्रियमति और मनोमतिको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष, स्मृति आदिको परोक्ष, श्रुतको परोक्ष और अवधि, मन पर्यय तथा केवलज्ञान ये तीन ज्ञान परमार्थ प्रत्यक्ष” यही व्यवस्था सर्वस्वीकृत हुई।

न्यायविनिश्चयविवरणके द्वितीय भागकी विस्तृत प्रस्तावनामे प्रमाण विभागकी चर्चा करते हुए विद्वान् सम्पादकने लिखा है कि द्वितीय भागके दो प्रस्तावोंमे परोक्ष प्रमाणके विषयमे आचार्य अकलकदेवने जैन-दार्शनिक क्षेत्रमे एक नई व्यवस्था दी। अकलकदेवने पाँच इन्द्रिय और मनसे होनेवाले ज्ञानको जो कि आगमिक परिभाषामे परोक्ष था, साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कोटिमे लिया और स्मृति, सज्जा, चिन्ता, अभिनि-बोधिक और श्रुत इन पाँचोंको आगमानुसार परोक्ष प्रमाण कहा है।

प्रवचन प्रस्तावमे सर्वज्ञताके विषयमे पर्याप्त ऊहापोह किया है। विद्वान् लेखकने अकलकके अभिप्राय को समझानेके लिए सर्वज्ञताका इतिहास बताते हुए लिखा है कि—

सर्वज्ञताके विकासका एक अपना इतिहास भी है। भारतवर्षकी परम्पराके अनुसार सर्वज्ञताका सम्बन्ध भी मोक्षसे था। मुमुक्षुओंके विचारका मुख्य विषय यह था कि मोक्षके उपाय, मोक्षका आधार, ससार और उसके कारणोंका साक्षात्कार हो सकता है या नहीं। विशेषत मोक्ष प्राप्तिके उपायोंका अर्थात् उन धर्मा-नुष्ठानोंका जिनसे आत्मा बन्धनसे मुक्त होता है, किसीने स्वय अनुभव करके उपदेश दिया है या नहीं? वैदिक परम्पराओंके एक भागका इस सम्बन्धमे विचार है कि धर्मका साक्षात्कार किसी एक व्यक्तिको नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु या महेश्वर जैसा महान् भी क्यों न हो? धर्म तो केवल अपौरुषेय वेदसे ही जाना जा सकता है। वेदका धर्मसे निर्बाध और अन्तिम अधिकार है। उसमे जो लिखा है वही धर्म है। मनुष्य प्रायः रागादि द्वेषोसे दूषित होने है और अल्पज्ञ भी। यह सम्भव ही नहीं है कि कोई भी मनुष्य किसी भी सम्पूर्ण निर्दोष या सर्वज्ञ बनकर धर्म जैसे अतीन्द्रिय पदार्थोंका साक्षात्कार कर सके।

विद्वान् सम्पादकने न्यायविनिश्चयविवरणके दोनो भागोंकी प्रस्तावनाओंमे जो चिन्तनपूर्ण प्रमेय दिया है वह बिल्कुल मौलिक, महत्त्वपूर्ण एवं नया है। जो दार्शनिक विद्वानोंके लिए अत्यन्त अनुकरणीय, विचारणीय एवं दिशाबोध देने वाला है।

अकलंकदेव विरचित तत्त्वार्थवार्तिक का सम्पादन-कार्य : एक समीक्षा

• डॉ० फूलचन्द जैन प्रेमी, वाराणसी

सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मयकी गौरववृद्धिमें जहाँ जैन वाङ्मयका अप्रतिम योगदान है, वही इस महत्त्वपूर्ण अपूर्व विशाल जैन साहित्यके सृजनमें सहस्रो आचार्यों, विद्वानों आदि मनीषियोंकी दीर्घकालसे चली आ रही लम्बी परम्पराका जब स्मरण करते हैं, तो हमारा हृदय उनके प्रति कृतज्ञतासे गदगद हो जाता है। उस समयकी विविध कठिन, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अनेक उपसर्गों, विपुल कष्टोंका सदभाव और आज जैसी युद्ध-सुविधाओं, अनुकूलताओंका उस समय सर्वथा अभाव होनेके बावजूद इतने विशाल सृजनात्मक साहित्य-निर्माणके महान् उद्देश्यको देखते हैं तो अनुभव होता है कि उन्हें मात्र इस देशकी ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्वके कल्याणकी कितनी उत्कट अभिलाषाने उन्हें साहित्य-सृजनकी प्रेरणा दी होगी।

प्रस्तुत प्रसवमें हम यहाँ उस लंबी परम्पराकी नहीं, अपितु बीसवीं शतीके मात्र उस महान् संपूर्ण साहित्यकी चर्चा कर रहे हैं जिसने बुन्देलखण्डकी खुरई (सागर जिला) नगरीमें सन् १९११ में जन्म लेकर २० मई १९५९ तकके मात्र ४८ वर्षोंके जीवनमें जैनधर्म-दर्शन, न्याय तथा अन्यान्य विधाओंके ऐसे अनेक प्राचीन, दुष्कृत, दुर्लभ और क्लिष्ट ग्रन्थोंका सम्पादन करके उद्धार किया, जिनमें सम्पूर्ण भारतीय मनीषाके तथ्य समाहित हैं। ऐसे वे महामनीषी विद्यानगरी वाराणसीके स्व० डॉ० प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य, जिन्होंने मात्रवी शतीके महान् जैन तार्किक आचार्य अकलंकदेवके प्रायः सम्पूर्ण वाङ्मय और उसपर लिखित व्याख्या साहित्यका वैज्ञानिक ढंगसे श्रेष्ठ सम्पादन-कार्य करके आचार्य अकलंकदेवके साहित्य उद्धारकर्ताके रूपमें अपनी विशेष पहचान बनाई है।

वस्तुतः इस बीसवीं शतीके आरम्भिक छह-सात दशकोंका समय ही ऐसा था, जबकि बहुमूल्य दुर्लभ जैन-साहित्यके पुनः उद्धारकी कठिन ज़ुम्मेबारीका अलग-अलग क्षेत्रों एवं विषयोंमें बौद्ध उठाकर जैन विद्वानोंने अपनी अलग-अलग विशेष पहचान बनाई है। जैसे—आचार्य नेमिचन्द्र मिदान्तचक्रवर्ती विरचित गोम्मतमारके अध्ययन-अव्यापन और स्वाध्यायकी परम्पराकी पुनः लोकप्रिय बनानेका प्रमुख श्रेय गुरुणा गुरु प० गोपालदास जी वरैयाको है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दीके अनेक शास्त्रोंका शास्त्र-भण्डारोंसे खोजबीन एवं उनका उचित मूल्यांकन करके इन भाषाओंके अनेक शास्त्रोंके उद्धारकर्ता एवं जैन साहित्यके इतिहास-लेखकके रूपमें प० नाथूरामजी प्रेमीने सम्पूर्ण देशमें अपनी विशेष पहचान बनाई थी। वही आचार्य समन्तभद्र और उनके सम्पूर्ण अवदानको सामने लानेका प्रमुख श्रेय आचार्य प० जुगलकिशोरजी मुस्तारकी है। आचार्य कुम्भकुन्ददेवके बहुमूल्य चिन्तन और उनके अवदानपर कार्य करनेवाले इसी शतीके पूज्य गणेशप्रसाद वर्णा, पूज्य कानजी स्वामी आदि अनेक विद्वानोंकी लंबी परम्परा है, किन्तु उन्हें मात्र धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिसे ही नहीं, अपितु उनके बाह्य बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्वका अनुसंधानपरक दृष्टिसे मूल्यांकन करनेके लिए समीको प्रेरित करनेका प्रमुख श्रेय महामनीषी डॉ० ए० एन० उपाध्येकी है। डॉ० हीरालाल-जी जैन एवं ए० एन० उपाध्ये द्वारा अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन एवं उनकी अश्रेणी भाषाओंमें लिखित विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावनाओंके रूपमें इन दोनों विद्वानोंका योगदान विशेष प्रसिद्ध है।

आगमिक सिद्धान्त ग्रन्थोंमें मुख्यतः अनेक खण्डोंमें कसायपाट्टद्वारा जयधवला टीका और षट्खण्डागमकी धवला टीका तथा आ० पूज्यपाद विरचित सर्वार्थसिद्धिका सुसम्पादन और अनुवाद जैसे महान् कार्यमें

सिद्धान्ताचार्य प० फूलचन्दकी सिद्धान्तशास्त्रीकी पहचान इस क्षेत्रमें सर्वोपरि है। सिद्धान्ताचार्य प० कैलाशचन्दकी शास्त्रीने यद्यपि अनेक प्राचीन ग्रन्थोंका सम्पादन और अनुवाद कार्य किया है, किन्तु इन्हें जैन इतिहासकारके रूपमें विशेष सम्मान प्राप्त है। मुख्यत जैन पुराण एव काव्य साहित्यके अनुवादके रूपमें डॉ० प० पन्नालालजीका महनीय योगदान है। नवीं शताब्दी के आचार्य विद्यानन्दके अधिकांश साहित्यके उद्धारकतकिके रूपमें डॉ० दरवारलालजी कोठिया तथा अपभ्रंशके महाकवि रघू द्वारा सृजित साहित्यके उद्धारकतकिके रूपमें डॉ० राजारामजी जैनका महनीय योगदान है। इसी तरह और भी अनेक विद्वानोंने साहित्यकी अनेक विधाओपर महत्वपूर्ण कार्य करके अपना विशेष स्थान बनाया है।

प्रथम शतीके आचार्य उमास्वामी विरचित तत्त्वार्थसूत्र एक ऐसा लोकप्रिय ग्रन्थ है जिसपर व्याख्या लिखनेके कार्यको प्राचीन और अर्वाचीन आचार्यों और विद्वानोंने महान् गौरवपूर्णकार्य माना। वस्तुतः इस ग्रन्थमें जैनधर्मके चारो अनुयोगोंका सार समाहित है। इसीलिए अब तक इसपर शताधिक टीकाग्रन्थ लिखे जा चुके हैं। यहाँ तत्त्वार्थसूत्रपर लिखी गई सर्वाथसिद्धि नामक व्याख्या-ग्रंथके आधारपर आ० अकलकदेव द्वारा त्रिखिा 'तत्त्वार्थवातिक' के सम्पादन-कार्यकी समीक्षा प्रस्तुत है—

इस तत्त्वार्थवातिक ग्रन्थके सम्पादक एवं हिन्दीसार करनेवाले प० महेन्द्रकुमारजी हैं। वस्तुतः अकलकदेवके ताकिक, जटिल-साहित्यका यदि प० महेन्द्रकुमारजी उद्धार नहीं करते तो शायद प० जीकी प्रतिभा रूपमें इस अनुपम लाभमें हम सभी बंचित रह जाते। यद्यपि आपने अकलकके अतिरिक्त आचार्य प्रभाचन्द तथा आचार्य हरिभद्र आदि और भी आचार्य ग्रन्थोंका भी सम्पादन किया है। जैसा कि प० महेन्द्रकुमारजीके बहुमूल्य कृतित्वसे स्पष्ट है कि उन्होंने अनेक मूल ग्रन्थोंका सम्पादन किया है, किन्तु आ० उमास्वामीके तत्त्वार्थसूत्रपर सातवीं शतीके महान् आचार्य अकलकदेव द्वारा टीकारूपमें रचित 'तत्त्वार्थवातिक' (तत्त्वार्थ राजवातिक) का प० जीने मात्र सम्पादन ही नहीं किया, अपितु उसका हिन्दीसार लिखकर उस ग्रन्थका हार्ब समझनेका मार्ग भी प्रशस्त किया।

तत्त्वार्थवातिक ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ, काशीके अन्तर्गत मूर्तिदेवी जैनग्रन्थमालासे संस्कृत ग्रन्थोंक १० एव २०के क्रममें दो भागोंमें क्रमशः सन् १९५३ एव १९५७में प्रकाशित हुए थे। द्वितीय संस्करण १९८२में प्रकाशित हुआ है। अभी कुछ वर्ष पूर्व सन् १९८७ में यह ग्रन्थ शब्दशः सम्पूर्ण अनुवाद सहित दो भागोंमें दुलीचन्द्र वाकलीवाल मुनिवसंल, एजेन्सीज, देरगाँव (आसाम) से प्रकाशित हुआ है। इसकी हिन्दी अनुवादिका है सुप्रसिद्ध विदुषी गणिनी आर्थिका सुपाश्वर्भती माताजी। पूज्य मालाजीने यह अनुवाद प० महेन्द्रकुमारजी द्वारा सम्पादित इस ग्रन्थके आधारपर किया। यद्यपि तत्त्वार्थवातिक पर प० सदासुखदासजीके सिध्य प० पन्नालालजी सधी, दूनोवालीने वि० स० १९२० के आसपास भाषा-वचनिका भी लिखी थी। सन् १९१५ में प० गजाधरलालजीके सम्पादकत्वमें सनातन जैन ग्रन्थमाला, बनारससे तत्त्वार्थवातिक ग्रन्थ मूल-मात्र प्रकाशित हुआ था। उसके बाद प० गजाधर लालजीके ही हिन्दी अनुवादको प० मन्खनलाल जी न्यायालकारके सशोधन एव परिवर्धनके साथ भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था, फलकतासे हरीभाई देव-करण ग्रन्थमालाके क्रमांक ८वे पृष्ठके रूपमें सन् १९२९ ई० में यह प्रकाशित हुआ। किन्तु इस ग्रन्थकी यह बहुत ही विशालकाय विस्तृत व्याख्या होने तथा वातिकके साथ टीका नहीं होनेसे स्वाध्यायियोंको कठिनाई-का सामना करना पड़ता था। अतः प० जी द्वारा संपादित यह ग्रन्थ हिन्दीसार सहित आ जानेसे समस्त पाठकोंको इसे समझनेमें सुविधा हुई। इस श्रमसाध्य उद्देश्यकी पूर्ति करते हुए, जिस ज्ञानसाधनाका कार्य प० जीने किया है, वैसा शायद ही किसी दूसरेसे संभव होता ? प० जीने ऐसे प्रामाणिक बनानेके लिए जखपुर,

ध्यावर, दिल्ली, वाराणसी, आरा, पूना, मूडबिडी, श्रवणबेलगोल आदि शास्त्रभंडारोकी हस्तलिखित और उपलब्ध मुद्रित प्रतियोंके आधारपर इनका सम्पादन किया है। जो विद्वान् इस प्रकारके दुर्लभ ग्रन्थोका सम्पादन-कार्य स्वयं करते हैं, वे ही इतनी अधिक प्रतियोंके आधारपर मिलान करके सम्पादन-कार्यकी श्रमसाधना और कठिनाइयोंको समझ सकते हैं। अन्यथा ऐसे दृढ़ सकल्प, अटूट श्रद्धा एवं दृढ़ इच्छाशक्तिके इस महान् कार्यका वैसा मूल्यांकन सभीके वशकी बात नहीं होती।

पं० जीके सम्पादनकी यही विशेषता है कि ग्रन्थके उत्तम सम्पादन-कार्य हेतु उस ग्रन्थकी अनेक प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपिकी मूलप्रतियों, पूर्व प्रकाशित ग्रन्थोका तथा उस ग्रन्थमें प्रतिपाद्य विषयके तुलनात्मक अध्ययन हेतु जैनतर विभिन्न ग्रन्थकारोंके ग्रन्थोका वे भरपूर उपयोग कर लेते हैं, ताकि सम्पादन-कार्यमें कुछ कमी न रहे। इसलिए वे विस्तृत प्रस्तावनाके साथ ही अनेक परिशिष्टोंमें भी उसे सुसज्जित करते हैं जिसमें प्रमुख हैं—ग्रन्थगत सूत्रपाठ, उद्धरण, ग्रन्थमें आये ग्रन्थकार, ग्रन्थोंके नामोंकी सूची शब्दानुक्रमणिका, भौगोलिक शब्द सूची, पारिभाषिक शब्दावली तथा सम्पादनमें सहायक ग्रन्थोका विवरण आदि।

प्रस्तुत तत्त्वार्थवातिक ग्रन्थके सम्पादन-कार्यको भी पं० जीने इन्हीं विशेषताओंसे सुसज्जित किया है। इसमें मात्र प्रस्तावनाकी कमी काफी महसूस होती है। किमी कारणवश पं० जीने इसकी प्रस्तावना हममें नहीं दी। अन्यथा इस ग्रन्थके सम्पादन-कार्यके अनुभव, आचार्य अकलक और उनके इस ग्रन्थकी विविध विशेषताओंको सम्पन्न करनेमें ग्रन्थ, विषय, शैली, रचयिताको लेन व देन एवं उनका व्यक्तिगत परिचय, रचनाकाल आदि इतिहास उन्हें क्या कैसा प्रतीत हुआ? इन सभी बातोंका उन्होके द्वारा लिखित विवरण ग्रन्थकी प्रस्तावनाके रूपमें पाठकोंके सामने आता तो उनका विशेष महत्त्व होता।

फिर भी पं० जी द्वारा प्रस्तुत इस ग्रन्थके अच्छे सम्पादन हेतु पूर्व प्रकाशित संस्करणोंके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंके पाठमकलन, संशोधन, तुलनात्मक टिप्पण, हिन्दीसार सूत्र-पाठ, समस्त दिग्म्बर-श्वेताम्बर टीकाकारोंके पाठभेदों सहित सूत्रोंकी व तद्गत शब्दोंकी वर्णानुक्रमणियाँ, अवतरण-सूची, भौगोलिक शब्द सूची तथा वातिकके विशिष्ट शब्दोंकी सूची—ये इस संस्करणकी महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।

तत्त्वार्थवातिकके अध्येता यह अच्छी तरह जानने हैं कि इस ग्रन्थका मूल आधार आचार्य पूज्यपाद विरचित सर्वार्थसिद्धि है। सर्वार्थसिद्धिकी वाक्य रचना, सूत्र आदि बड़े ही सतुलित और परिमित हैं। इसीलिए अपने पूर्वजनों और आगमानुकूल विषयका प्रतिपादन करनेवाले आचार्यके प्राय सभी प्रमुख वाक्योंको आचार्य अकलकदेव ने अपने तत्त्वार्थवातिकमें वातिकके रूपमें समायोजित करके उनका विवेचन प्रस्तुत किया। प्रमाणानुसार नवे-नवे वातिकोंकी रचना भी की। इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार वृक्षमें बीज समाविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सर्वार्थसिद्धि तत्त्वार्थवातिकमें समाविष्ट होते हुए भी दोनों ग्रन्थोका अपना-अपना स्वतंत्र और मौलिक ग्रन्थके समान महत्त्व है। तत्त्वार्थवातिककी यह भी विशेषता है कि वातिको ग्रन्थोंके नियमानुसार यह अध्याय आङ्गिक और वातिकोसे युक्त है।

इस ग्रन्थके प्रथम खण्डके द्वितीय संस्करणमें सम्पादकीय प्रस्तावनाके अभावमें सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशचंदजी शास्त्रीने अपनी प्रधानसम्पादकीय वक्तव्यमें लिखा है—“जहाँ भी दार्शनिक चर्चाका प्रसंग आया है वहाँ अकलकदेवकी वातिक संरणिके दर्शन होने हैं। इस तरह यह वैद्वान्तिक ग्रन्थ दर्शनशास्त्रका एक अपूर्व ग्रन्थ बन गया है। जैन सिद्धान्तोंके जिज्ञासु हम एक ही ग्रन्थके स्वाध्यायसे अनेक शास्त्रोंका रहस्य हृदयंगम कर सकते हैं। उन्हे हममें ऐसी भी अनेक चर्चायें मिलेंगी जो अन्यत्र नहीं हैं।

इस ग्रन्थमें जगह-जगह आचार्य अकलकदेवने विविध वैश्वीको प्राचीन ग्रन्थोंके वाक्य उद्धृत किये हैं। प० जीने उन सबकी अलग पहचान हेतु उतने अंशोंको इन्वरटेड कामा (" ") में रक्ष दिया है तथा जितने उद्धरणोंके मूलग्रन्थोंकी जानकारी हुई, कोष्ठकमें उनके नाम और सन्दर्भ आदि सम्बन्धों दे दी, जितने अज्ञात रहे, उनके कोष्ठक खाली छोड़ दिये गये, ताकि विद्वानोंको ज्ञात होनेपर वे वहाँ लिख सकें।

जिस तरह आ० अकलकदेवकी शैली मूल और शब्दार्थ गंभीर है, वे प्रतिपाद्य विषयको गंभीर और अर्थपूर्ण वाक्योंमें सहज विवेचन करने चलते हैं। इतना ही नहीं, उस विषयको पूरी तरहसे समझानेके लिए सम्भाव्य प्रश्नोंको पूर्वपक्षके रूपमें प्रस्तुत करके उत्तरपक्षके रूपमें उनका समाधान करते हुए चलते हैं, उसी प्रकार प० महेंद्रकुमारजीकी भी हिन्दीसारकी शैली भी अर्थगंभीर है। यद्यपि इस ग्रन्थके हिन्दीसारको मूलग्रन्थके अतमे इकट्ठा प्रस्तुत किया है। किन्तु मूलग्रन्थकारका ऐसा कोई मुख्य विषय या स्थलका हार्द अवशिष्ट नहीं है, जिसे प० जी ने स्पष्ट रूपमें प्रस्तुत न किया हो। सम्बद्ध कुछ-कुछ वातिकों और उसमें प्रस्तुत सुगम्य विषयको सम्पादनके एक साथ हिन्दीसारके रूपमें किया है। उदाहरणस्वरूप ग्रन्थके आरम्भमें मंगलाचरणका अर्थ करनेके बाद प० जीने प्रथम अध्यायके आरम्भिक प्रथम एवं द्वितीय वातिकमें प्रतिपाद्य विषयको सार रूपमें एक साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया है—“उपयोऽस्वरूप तथा श्रेयोमार्गकी प्राप्तिके पात्रभूत आत्मद्रव्यको ही मोक्षमार्गके जाननेकी इच्छा होनी है। जैसे आरोग्यलाभ करनेवाले चिकित्साके योग्य रोगीके रहनेपर ही चिकित्सामार्गकी खोज की जाती है, उसी प्रकार आत्मद्रव्यकी प्रसिद्धि होनेपर मोक्षमार्गके अन्वेषणका औचित्य सिद्ध होता है।”

इसके बाद मात्र तीसरे वातिकका अर्थ बतलाने हुए लिखा कि—“ससारी आत्माके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंमें मोक्ष ही अन्तिम और प्रधानभूत पुरुषार्थ है। अत उमकी प्राप्तिके लिए मोक्ष मार्गका उपदेश करना ही चाहिए।” इस वातिकके हिन्दीसारके बाद चौथेसे लेकर आठवें वातिक तकके विषयको एक साथ प्रश्न (पूर्वपक्ष) और उसके समाधान (उत्तरपक्ष) के रूपमें अर्थ लिखा। प्रथम अध्यायके प्रथमसूत्रके ३९ से ४६ तकके ७ वातिकोका अर्थ एक साथ ही नहीं अर्पितु उस सम्पूर्ण विषयको सुसम्बद्ध करते हुए “मिथ्याज्ञानसे बंध और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष” माननेवाले सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, बौद्ध आदि जैनतर दर्शनोंकी एतद् विषयक मान्यताओंका अलग-अलग किन्तु सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हुए रत्नत्रयको मोक्षमार्ग प्रतिपादन करते हुए जैनधर्म सम्बन्धी मान्यताओंका औचित्य सिद्ध किया है। इनो प्रकारकी शैलीमें प० जीने सम्पूर्ण ग्रन्थका हिन्दीसार प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत हिन्दीसारके इन अंशोंको उदाहरणके रूपमें यहाँ प्रस्तुत करनेका प्रयोजन प० जीकी शैली बताना है। आपने मूलग्रन्थकारके सभी अंग और भावोंको किस तरह अपनी सभी हुए भाषा, चुने हुए शब्दों और प्रभावक शैलीमें प्रस्तुत किया है कि देखते हो बनता है। वस्तुतः किसी भी दार्शनिक या तात्त्विक ग्रन्थका किसी भी भाषामें ग्रन्थकारके सम्पूर्ण भावोंको अनुवादके माध्यमसे प्रस्तुत करना जितना कठिन होता है, उसका साराश प्रस्तुत करना उससे भी अधिक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। फिर भी प० जीका हिन्दीसार रूप अनुवाद तथा इस ग्रन्थका श्रेष्ठ सम्पादन रूप यह साहसपूर्ण कार्य उनकी विलक्षण प्रतिभाका परिचायक है।

अकलङ्कग्रन्थत्रय : एक अनुचिन्तन

• डॉ० कमलेशकुमार जैन, वाराणसी

डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा सम्पादित विविध प्राचीन ग्रन्थोंकी शृङ्खलामें आचार्य भट्टाकलङ्कदेव द्वारा रचित लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय और प्रमाणसंग्रह—इन तीन ग्रन्थोंमें सकलित कर 'अकलङ्कग्रन्थत्रयम्' के नामसे सम्पादित किया गया है, जो मिर्घो जैन ज्ञानपीठ कलकत्ता द्वारा मिर्घो जैन ग्रन्थमालाके बारहवें पुष्पके रूपमें सन् १९३९ में प्रकाशित हुआ है। आजसे लगभग छापन वर्ष पूर्व प्रकाशित विस्तृत प्रस्तावना, विविध टिप्पणियों, पाठ भेदों एवं अनेक परिशिष्टोंसे अलङ्कृत प्रस्तुत ग्रन्थ आज भी उतना ही प्रामाणिक, उपयोगी एवं कार्यकारी है, जितना इत पूर्व रहा है।

उक्त ग्रन्थत्रयके रक्ता भट्टाकलङ्कदेव जैनदर्शनके एक महान् ज्योतिर्धर आचार्य थे। यदि वे स्वामी समन्तभद्रके उपर सिद्धान्तोंके उपस्थापक, समर्थक, विवेचक और प्रसारक थे तो सम्प्रति ईमाकी इस बीमबी शताब्दीमें डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य स्वामी समन्तभद्र और भट्टाकलङ्कदेव इन दोनों आचार्योंके द्वारा रचित ग्रन्थोंके उद्धारकर्ता तथा हिन्दी भाषामें तुलनात्मक अध्ययनके माध्यमसे दार्शनिक जगत्के समस्त उक्त शोनोंके सिद्धान्तों/विचारोंके प्रस्तोता हैं।

डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने 'अकलङ्कग्रन्थत्रयम्' पर लिखी गई अपनी हिन्दी प्रस्तावनाको सर्वप्रथम दो भागोंमें विभाजित किया है—ग्रन्थकार और ग्रन्थ। ग्रन्थकार अकलङ्कदेवकी जन्मभूमि एवं पितृकुल पर विचार किया है। साथ ही उनके स्थिति काल पर भी विचार किया है। उनके द्वारा काल निर्णयकी पद्धति बहुत ही युक्तियुक्त किवा तर्कसंगत है। अतः भट्टाकलङ्कदेवका समय सन् ७२० के पहले नहीं माना जा सकता है। इस क्रममें उन्होंने भट्टाकलङ्कदेवके ग्रन्थोंकी तुलना अनेक वैदिक दार्शनिकोंके साथ की है। यही पद्धति उन्होंने न्यायकुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलमार्तण्ड और सिद्धिविनिश्चय आदि ग्रन्थोंकी प्रस्तावनाओंमें भी अपनाई है।

प्रस्तुत 'अकलङ्कग्रन्थत्रयम्' में भट्टाकलङ्कदेवकी तीन मौलिक कृतियों—लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय और प्रमाणसंग्रहका बंशानिक पद्धतिसे सम्पादन होकर प्रथम बार प्रकाशन हुआ है। हाँ, इत पूर्व लघीयस्त्रय की माथ मूलकारियोंके साथ अभयचन्द्र इत वृत्ति अवश्य प्रकाशित हुई है। किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थत्रयमें लघीयस्त्रयकी मूलकारिकाएँ तो हैं ही, साथ ही उनपर स्वोपज्ञ विवृति भी प्रकाशित है। लघीयस्त्रय पर आचार्य प्रभाचन्द्र द्वारा लिखी गई अठारह हजार श्लोक प्रमाण न्यायकुमुदचन्द्र टीकासे उत्पन्न वाक्य चुनकर दिये हैं। इसी प्रकार न्यायविनिश्चय में वादिराजसूरि विरचित बीस हजार श्लोक प्रमाण न्यायविनिश्चय विवरणसे लिये हैं। प्रमाणसंग्रहकी प्राचीन टीका उपलब्ध न होनेसे उसे ज्योंका त्यों मुद्रित किया है। हाँ; कहीं-कहीं आद्य भागसे कारिकाओंके छोटकर ब्रेकेटमें दे दिया गया है। किसी भी टीका या भाष्यसे मूल कारिकाको निकाल लेना बहुत बड़े परिश्रम एवं साहसकी बात है, जिसे डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने सम्पन्न किया है। यह उनकी स्फूर्ति प्रतिभाका एक उत्कृष्ट पक्ष है।

डॉ० सा० ने लघीयस्त्रयकी अकलङ्ककर्तृक सिद्ध करने हेतु जिस पद्धतिका प्रयोग किया है, वह अति महत्त्वपूर्ण है। ग्रन्थके आन्तरिक साक्ष्योंको तो उन्होंने ग्रहण किया ही है। साथ ही अन्य परवर्ती ग्रन्थकारों द्वारा उद्धृत लघीयस्त्रयकी कारिकाओंके उद्धारणोंको अकलङ्कदेवके नामोल्लेख पूर्वक जहाँ-जहाँ ग्रहण किया

गया है, उन उद्धरणोंको भी विभिन्न ग्रन्थोंसे संकलित कर अपने कथनकी पुष्टि की है। इसी प्रकार अन्तर्बाह्य साधकोंके द्वारा न्यायविनिश्चय और प्रमाणसंग्रहके अकलङ्ककर्तृक होनेकी पुष्टि एव समर्थन किया है, जिससे डॉ० सा० के अत्यायुमें ही विविध सम्प्रदायोंके शास्त्रोंके पारायण करनेकी जानकारी मिलती है। वे जिस ग्रन्थका अध्ययन करते थे उसमें उनकी शोध-सौख्य दृष्टि सतत् बनी रहती थी। वे ग्रन्थका मात्र वाचन ही नहीं करते थे, अपितु सम्पूर्ण ग्रन्थकी शल्यक्रिया करके उसे पूर्णतः आत्मसात् कर लेते थे।

पण्डितजीने पहले ग्रन्थत्रयका संक्षेपमें सामान्य परिचय दिया है। तत्पश्चात् उनके विषय पर एक साथ विचार किया है। इसमें आचार्य अकलङ्कदेवके एतद्विषयक विवेचनका समवेत रूपमें हम सभीको ज्ञान हो जाता है।

इस ग्रन्थकी सम्पादन कलाका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विषय है इस ग्रन्थकी प्रस्तावनाके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध प्राचीन जैनतर प्रमुख दार्शनिक ग्रन्थकारोंके ग्रन्थों और विषयोंसे आचार्य अकलङ्कके ग्रन्थोंका तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ मुख्यतः भर्तृहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, प्रभाकरगुप्त, कर्णकगामि, धर्मकीर्तिके यशस्वी टीकाकार धर्मोत्तर, शान्तरक्षित आदि अनेक ग्रन्थकारोंसे आचार्य अकलङ्कदेवका तुलनात्मक, समीक्षात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जो परस्पर आदान-प्रदान, योगदान एव प्रभाव आदि दृष्टियोंसे अध्ययन हेतु अति महत्त्वपूर्ण है।

ग्रन्थत्रयके नामका इतिहास तथा उनका परिचय प्रस्तुत करते हुए पं० जीने प्रथम ग्रन्थके परिचयमें स्वयं लिखा है कि "लघीयस्त्रय नामसे मालूम होता है कि यह छोटे-छोटे तीन प्रकारणोंका एक संग्रह है। ग्रन्थ बनाने समय अकलङ्कदेवको 'लघीयस्त्रय' नामकी कल्पना नहीं थी। उनके मनमें तो बिड़नागके न्याय-प्रवेश जैसा एक जैनन्यायप्रवेश बनानेकी बात घूम रही थी। लघीयस्त्रयके परिच्छेदोंका प्रवेशरूपसे विभाजन तो न्यायप्रवेशको आधार माननेकी कल्पनाका स्पष्ट समर्थन करता है।" मुझे ऐसा लगता कि यह सूझ अनन्त-वीय आचार्य की है क्योंकि लघीयस्त्रय नामका सबसे पुराना उल्लेख सिद्धविनिश्चयटीकामें मिलता है। लघीयस्त्रयके इसी मस्करणके आधार पर इसका हिन्दी अनुवाद सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशचन्द्रजी द्वारा कुछ वर्ष पूर्व किया गया, जो श्री गणेश वर्णो दि० जैन संस्थान नरिया, बाराणसी से शीघ्र प्रकाशित हो रहा है।

द्वितीय ग्रन्थ "न्यायविनिश्चय" है। इसका नाम धर्मकीर्तिके गणपद्यय "प्रमाणविनिश्चय" का अनुकरण लगता है। न्यायविनिश्चयमें प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन-नामके तीन प्रस्ताव हैं। अतः सभ्य है कि अकलङ्कके लिए विषयकी पसदगीमें तथा प्रस्तावके विभाजनमें आ० सिद्धसेन कृत न्यायावतार प्रेरक हो और इसीलिए उन्होंने न्यावतारके 'न्याय' के साथ 'प्रमाणविनिश्चय' के 'विनिश्चय' का मेल वैदिक न्यायविनिश्चय नाम रखा हो।

लघीयस्त्रयमें तृतीय ग्रन्थ 'प्रमाणसंग्रह' है। इसकी भाषा चिन्तक विषय तो अत्यन्त कठिन तथा कठिनतासे समझने लायक प्रमेय-बहुल ग्रन्थ है। इसकी प्रौढ़ शैलीसे ज्ञात होता है कि यह इनकी अन्तिम कृति है, जिसमें इन्होंने अपने यावत् अक्षिप्त विचारोंके लिखनेका प्रयास किया है, इसीलिए प्रमाणो-युक्तियोंका सघन-रूप यह ग्रन्थ इतना गहन हो गया है। पं० सुललाक्ष्मी संघवीके अनुसार इस ग्रन्थका नाम दिडनागके प्रमाणसमुच्चय तथा शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रहका स्मरण दिलाता है। किन्तु पं० महेश्वरकुमारजीके अनुसार तत्त्वसंग्रहके पहिले भी प्रशस्तपाद भाष्यका 'षडार्थसंग्रह' नाम प्रचलित रहा है। संभव है कि संग्रहान्त नाम पर इसका भी कुछ प्रभाव हो।

१६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

इस तरह लघुयस्त्रयमे संग्रहीत तीनों ग्रन्थ अपने नाम की सार्थक करते हैं। जिनका पस्तुत प्रामाणिक सम्पादन कार्य प० जीने वैज्ञानिक विधिसे किया है। वस्तुतः आ० अकलंकदेवके ग्रन्थोका इस रूपमे सम्पादन करना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए प० जीको जैन एवं जैनतर अनेक प्राचीन ग्रन्थो और ग्रन्थ-कारोंका गहन अध्ययन, मनन और तुलनात्मक विवेचन करना पडा। आ० अकलंकदेवके साहित्य और उसमें प्रतिपाद्य विषयोके तत्सम्पर्श ज्ञानके बिना ऐसा सफल सम्पादन असम्भव कार्य था किन्तु उनके इस कार्यमे सफलतासे यही सिद्ध होता है कि प० महेन्द्रकुमारजी भी उन महान् विरासतके मन्चे प्रहरी थे। क्योंकि आचार्य अकलंकदेव जब आगमिक विषय पर कलम उठाते हैं तब उनके लेखनकी सरलता, विशदता एवं प्रसाद गुणवा प्रवाह पाठकको पढ़ने ऊबने नहीं देता। राजवातिककी प्रसन्न रचना इसका अप्रतिम उदाहरण है। परन्तु जब वही अकलंक तार्किक विषयो पर लिखते हैं तब वे उतने ही दुःसह बन जाते हैं। यही इनके प्रमाण विवेचनका विषय प्रस्तुत है—

प्रमाणके भेदोके प्रसङ्गमे आचार्य अकलंकदेवके दृष्टिकोणको स्पष्ट करने हुये डॉ० मा० ने उसके भेदोको जिस पद्धतिमे प्रस्तुत किया है उसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है। उन्होंने अपनी प्रस्तावना (पृ० ४८) में लिखा है कि “प्रत्यक्षके दो भेद हैं—१. माध्यवहारिक, २ मुख्य। साध्यवहारिक प्रत्यक्षके दो भेद—१. इन्द्रिय प्रत्यक्ष, २ अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष। इन्द्रिय प्रत्यक्ष—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणादि ज्ञान। अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष—शब्द योजनासे पहले अवस्था वाले स्मृति, सजा, चिन्ता और अभिनिबोध ज्ञान।” इसीको स्पष्ट करते हुये पण्डितजी लिखते हैं—“है। इसमे स्मृति, सजा, चिन्ता और अभिनिबोधको शब्द योजनाके पहले अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा है उसे किसी भी अन्य आचार्यने स्वीकार नहीं किया। उन्हे सवीशमे अर्थात् शब्द योजनाके पूर्व और पश्चात्—दोनों अवस्थाओमे परोक्ष ही कहा है। यही कारण है कि आचार्य प्रभाचन्द्रने लघुयस्त्रयकी ‘ज्ञानमाद्य’ कारिकाका यह अर्थ किया है कि—मति, स्मृति, सजा, चिन्ता और अभिनिबोध ज्ञान शब्द योजनाके पहले और शब्द योजनाके बाद—दोनों अवस्थाओमें श्रुत है अर्थात् परोक्ष है।”

आगे मुख्य प्रत्यक्षका स्वरूप लिखा है कि—“इन्द्रिय और मनकी अपेक्षाके बिना, अतीन्द्रिय, व्यवसायात्मक, विशद, सत्य, अन्यवहित, अलौकिक, अशेष पदार्थोंको विषय करने वाले अक्रम ज्ञानको मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं।”

डॉ० सा० ने सर्वज्ञता पर विस्तारमे विचार किया है। सर्वप्रथम उन्होंने कुमारिलके मतकी समीक्षा की है।

इस समीक्षासे प० जीके जैन-बौद्धदर्शनके अतिरिक्त वैदिक दर्शनके मूलभूत ग्रन्थोके अध्ययन एवं उनकी समालोचनात्मक दृष्टि परिलक्षित होती है।

प० जीने ‘अकलंकग्रन्थत्रयम्’ की प्रस्तावनाके मध्यमे पूर्वपक्षियो द्वारा उठाये गये अनेक प्रश्नोका समाधान ऐसा तर्क एवं आग-सम्मत प्रस्तुत किया है कि सामान्य व्यक्ति भी उसे पढ़कर उसके हार्दको समझ सकेगा।

आगे न्यायाचार्यजीने (प्रस्तावना पृ० सं० १४ मे) नयों और नयाभासोका स्पष्ट एवं तुलनात्मक विवेचन किया है। नयोके सन्दर्भमे आचार्य सिद्धसेनके कथनको युक्तिमगल बनाते हुये वे लिखते हैं कि—“चूंकि नैगम नय सकल्प मात्रग्राही है तथा संकल्प या तो अर्थके अन्वेषण अथवा अज्ञानको विषय करता है या भेद अंशको। इसीलिये अन्वेषण सकल्पी नैगमका संग्रहणयमे तथा भेद सकल्पी नैगमका व्यवहार नयमे अन्तर्भाव करके आचार्य सिद्धसेनने नैगम नयको स्वतन्त्र नय नहीं माना है। इनके मतसे संग्रहादि छह ही नय हैं।

विद्वान् सम्पादकने यहाँ इतनी अच्छी तुलनात्मक नय व्यवस्था प्रस्तुत की है कि उनके इस संक्षिप्त विवेचनमें ही नयवादकी पूर्ण और स्पष्ट मीमांसा हो जाती है और आचार्य सिद्धसेन एवं आचार्य अकलङ्कके मन्तव्योंका भी स्पष्टीकरण हो जाता है ।

सात भंगोकी क्रय व्यवस्थामें (प्रस्तावना पृ० सं० १०१) न्यायाचार्यजीका मत है कि—अवक्तव्य मूल भङ्ग है, अतः सप्तभङ्गोके उल्लेख क्रममें अवक्तव्यका क्रम तीसरा होना चाहिये ।

अपने इस मन्तव्यके कारण आचार्य मलयगिरिने आचार्य अकलङ्कके मन्तव्यकी आलोचना की है, किन्तु श्वेताम्बर विद्वान् उपाध्याय यशोविजयने समन्तभद्र और सिद्धसेन आदिके मतका समर्थन किया है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्यने काफी मनन और चिन्तन करके इस प्रस्तावनाको लिखा है । जिसमें न केवल जैनदर्शन, अपितु जैनतर दर्शनोके मूल सिद्धान्तोको प्रस्तुत कर उनका समाधान जैनदर्शनके परिप्रेक्ष्यमें खोजनेका सार्थक प्रयास किया है ।

इस विस्तृत प्रस्तावनामें उल्लिखित विषय वस्तु तथा तर्क एव आगम-सम्मत समाधान प्रस्तुत करनेसे डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यकी शोध-खोज एव समालोचनात्मक दृष्टि एव उनका अतुलनीय वैदुष्य मुखर हुआ है ।



विविध तीर्थकल्प : एक समीक्षात्मक अध्ययन

• डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, जयपुर

विविधतीर्थकल्प डॉ० महेंद्रकुमारजी न्यायाचार्य द्वारा संस्कृतसे हिन्दी गद्यमे अनूदित एक ऐसी कृति है जिनका सबसे कम अध्ययन हुआ है। जिसकी चर्चा तहो के बराबर हो गयी है। इसका कारण डॉ० साहूबके न्याय शास्त्रके बड़े-बड़े ग्रन्थोका संपादन, भूमिका लेखनको विशालतामे दब जाना है या ओझल हो जाता है। संस्कृतसे हिन्दीमे अनुवादित उनकी यह एक मात्र कृति है।

विविधतीर्थकल्पकी रचना श्वेताम्बर जैनाचार्य श्री जिनप्रभसूरिने सवत् १३८५ ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमीके दिन की थी। १४वीं शताब्दीका वह समय मुसलिम आक्रमणकारियो द्वारा मन्दिरोंको नष्ट करनेका था। इसके प्रथम कल्पमे लिखा है कि जाबकि शाहू द्वारा स्थापित भगवान् आदिनाथका सुन्दर प्रतिबिम्ब संवत् १३६९ मे मलेच्छों द्वारा नष्ट किये जानेके २ वर्ष पश्चात् अर्थात् संवत् १३७१ मे श्रेष्ठी समरवाहने उस भग्न मूलनाथक प्रतिमाका पुनरुद्धार करवाया और अभूतपूर्व धर्मलाभ लिया।

श्री जिनप्रभसूरिने अपने विविधतीर्थकल्पके शत्रुजयकल्पमे लिखा है कि स्वनामवन्त्र मंत्री वस्तुपालने विचारता कि कलिकालमे मलेच्छ लोग इस तीर्थका बिनाश कर देगे इसने उसने भगवान् आदिनाथ एवं भगवान् पुण्डरीककी भव्य मूर्तियां बनवाकर तलघरमे चुपचाप बिराजमान कर दी। उनको जो आशका थी वही हुआ और भगवान् आदिनाथकी प्रतिमाको मलेच्छोंने नष्ट कर दिया।

विविधतीर्थकल्प एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिनका श्री जिनप्रभसूरिने अपने कल्पमे उल्लेख किया है। इसी कल्प कृतिका डॉ० प० महेंद्रकुमारजी ने हिन्दी गद्यमे अनुवाद करके हिन्दी भाषा-भाषी पाठकोके लिए एक ऐतिहासिक रचनाको मुलभ बना दिया है। लेकिन हमारे पास जो पाण्डुलिपि है उसमे प० महेंद्रकुमारजी के नामका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। और इस कृतिका कब उन्होंने हिन्दी गद्यानुवाद किया इस सम्बन्धमे भी कृति मौन है।

फिर भी यह 'विविधतीर्थकल्प' कृतिको हिन्दी गद्यमे उन्होंने अनूदित की है इसमे कोई सन्देह नहीं है। अब हम यहाँ इसके प्रत्येक कल्पका परिचय उपस्थित कर रहे हैं जिससे पाठकोको इसकी विषय वस्तुसे परिचय मिल सके। श्री जिनप्रभसूरि श्वेताम्बर सत थे इसलिये उन्होंने तीर्थोंका इतिहास भी उन्होंने इसी दृष्टिसे किया है इसके अतिरिक्त सवत् १३८५ मे देशमे कौन-कौनसे जैनतीर्थ थे इसका भी प्रस्तुत कृतितसे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

१-प्रथम कल्प शत्रु जय कल्प

यह इस कृतिका प्रथम कल्प है। शत्रुजय तीर्थ श्वेताम्बर समाजका महान् तीर्थ है। जैसे दिगम्बर समाजमे सम्मेदशिखरजो का माहात्म्य है उसी तरह श्वेताम्बर जैन समाजमे शत्रुजय तीर्थका महत्त्व है। शत्रुजय पर्वतसे महातपस्वी पुंडरीकने पाँच करोड़ मुनियोंके साथ मोक्ष प्राप्त किया था इसलिये इसे पुंडरीक तीर्थ भी कहते हैं। इस गिरिराज से अवतक अनगिनत तीर्थंकर एवं साधुमे मोक्ष पद प्राप्त किये, वर्तमानके सभी चौबीस तीर्थंकर इस पर्वत पर पधारें थे और वही उनका समवशरण रचा गया था। प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजने यहाँ एक योजन लम्बा चौड़ा चैत्यालय बनाया था। जिनमे आदिनाथ स्वामीकी मूल नाथक प्रतिमा बिराजमान की गयी थी।

इस युगमें महाराजा सम्प्रति, विक्रमादित्य, सातवाहन, वाग्भट्ट, पादलिप्त, आम और इत्त इन्होंने इस पर्वतराजका समय-समयपर जीर्णोद्धार करवा कर उसका सरक्षण करते रहे। प्रसिद्ध तीर्थोद्धारक श्री जावडि साहने भी इस तीर्थराजका उद्धार करवा कर अजितनाथ स्वामीके मन्दिरमें एक तालाबका निर्माण कराया था। इस कल्पमें शत्रु जय तीर्थका उद्धार कराने वाले महान् आत्माओंके नाम गिनाये हैं। जिनमें इतिहासका फुट भी है। श्री जिनप्रभसूरिने जब इस विविध तीर्थकल्पकी रचना आरम्भ की तो सघ पर राजाधिराज अत्यधिक प्रसन्न हुये इसलिये कल्पका नाम 'राजप्रासाद' भी दिया गया है। श्री जिनप्रभसूरिने इस प्रथम कल्पकी रचना सवत् १३८५ ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्षकी सप्तमीको पूर्ण की थी। इस कल्पमें १३३ संस्कृत पद्योका भाषानुवाद है।

२-रैवतकगिरि संक्षेप कल्प

रैवतकगिरि जिसका दूसरा गिरिनार है के माहात्म्यको बतलाने वाला है। इस कल्पका पूर्वमें पादलिप्त आचार्यने जिस प्रकार वर्णन किया था वज्रस्वामीके शिष्यने पालीतानाका वर्णन किया है उसी प्रकार जिनप्रभसूरिने रैवतकगिरिका वर्णन किया है। २२वें तीर्थकर नेमिनाथ ने छत्रशिलाके पास दीक्षा ली थी, सहस्राब्द वनमें केवलज्ञान प्राप्त किया, लक्षा रामवनमें मोक्षमार्गका उपदेश दिया तथा सबसे ऊँची अवलोकन नामक शिखरसे मोक्ष प्राप्त किया। स्वयं श्रीकृष्ण जीने भगवानके तीनो कल्याणकोमें भाग लिया था। रैवतकगिरि पर और कौनसे मन्दिर आदि हैं इन सबका प्रस्तुत कल्पोंमें वर्णन मिलता है।

३-श्री उज्जयन्त स्तव

इसका नाम उज्जयन्त कल्पके स्थान पर उज्जयन्त स्तव दिया है। रैवतक, उज्जयन्त आदि एक ही शिखरके नाम हैं। उज्जयन्त गिरिनार पर्वतका नाम है जो गुजरात देश में स्थित है। इस पर्वतके किनारे पर बसे हुये खगारगढमें श्री ऋषभनाथ आदि अनेक तीर्थंकरोंके बस्त्यालय हैं। काश्मीर देशके निवासी श्री रत्नसाहने कूष्मांडी देवीके आदेशसे भगवान् नेमिनाथकी सुन्दर पाषाण प्रतिमा स्थापित की थी। इस स्तवमें २४ पद्य हैं।

४-उज्जयन्त महातीर्थ कल्प

इस कल्पमें इसी गिरिनार पर्वत और ४० पद्योंमें और विशद वर्णन किया गया है।

५-रैवतकगिरि कल्प

इस कल्पमें गिरिनार तीर्थका और विशेष वर्णन है। इतिहासकी दृष्टिमें यह अच्छा कल्प है। श्री जिनप्रभसूरिने इसमें कितने पद्य लिखे अथवा गद्यमें ही लिखा इसका कल्पके अध्ययनमें पता नहीं चलता है। इस प्रकार रैवतक कल्प चार छोटे-छोटे कल्पोंमें पूर्ण होता है।

६-श्री पार्ष्वनाथ कल्प

इस कल्पमें स्वस्तभक्त पार्ष्वनाथ तीर्थके उद्भवका वर्णन किया गया है। इस कल्पमें ७४ पद्य हैं। भगवान् पार्ष्वनाथकी इस प्रतिमाके दर्शनके कारण ही अभयदेवसूरिका रोग दूर हुआ था।

७-अहिछन्ना नगरी कल्प

इस कल्पमें अहिछन्न तीर्थका इतिहास दिया है जिसमें भगवान् पार्ष्वनाथको संबन्ध होनेके पूर्व कमठ द्वारा उपसर्ग किया गया था। उसीका विस्तृत वर्णन है। उपसर्ग स्थल पर ही भगवान् पार्ष्वनाथकी मूर्ति विराजमान कर दी गयी।

४० : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

८-अबुंदाद्रि (आबू पर्वत) कल्प

प्रारम्भमें आबू पहाड़की विस्तृत कथा दी गयी है। सवत् १०८८में चैत्यालयका निर्माण करवा कर उसका नाम विमलवसति रखा गया। संवत् १२८८ में लूण्णिवसतिका निर्माण किया गया जिसमें भगवान् पार्श्वनाथकी कमीटीके पत्थरकी प्रतिमा विराजमान की गयी। इन दोनों विमल वसति एवं लूण्णिवसतिको म्लेच्छोंने नष्ट कर दिया था। उमके पश्चात् विमलवसतिका पुनरुद्धार विक्रम संवत् १२४३ में श्री महर्षिसिंहके पुत्र छल्लने किया। तथा चण्डसिंहके पुत्र पीथडने लूण्णिवसतिका उद्धार किया। इस कल्पमें ५२ पद्य हैं।

९-मथुरापुरी कल्प

इस कल्पमें मथुरा नगरी, चौरामी मथुरा आदिका विस्तृत इतिहास दिया गया है।

१०-अश्ववावबोध तीर्थ कल्प

इस कल्पमें अश्ववावबोध तीर्थ एवं सकुलिकाविहार इन दोनों तीर्थोंका विस्तृत वर्णन है। इस कल्पके अनुसार भगवान् मनिमुव्रतनाथके निर्वाणके ११८४४७० वर्ष पश्चात् विक्रम सवत् चला तथा ११९४९७२के पश्चात् विक्रम राजा हुए।

११-वैचारगिरि कल्प

इस कल्पकी रचना सवत् १३६४ में की गयी थी, राजगृहोंमें पहिले वैश्योंके छतीस हजार घर थे जिनमें आधे बौद्ध और आधे जैन थे।

१२-कौशाम्बी नगरी कल्प

इन नगरीमें भगवान् महावीरका चन्दनवालाके यहाँ पाँच कम छह माहके पश्चात् पारणा हुआ था। वह ज्येष्ठ सुदी दशमीका दिन था। कौशाम्बी आर्या मृगावतीका नगर था। इसी नगरीमें भगवान् पद्मप्रभुके गर्भ, जन्म, दीक्षा एवं ज्ञान ये चार कल्याणक हुए।

१३-अयोध्यानगरी कल्प

अयोध्या नगरी ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनन्दन, सुमतिनाथ एवं अनन्तनाथकी जन्म-भूमि है। भगवान् महावीरके नवमे गणधर श्री अचलभानु एवं विमलबाहुन आदि सात कुलकरोकी जन्मभूमि रही थी। भगवान् पार्श्वनाथकी दिव्य प्रतिमाकी स्थापनाका इतिहास भी दिया हुआ है।

१४-अपापापुरी सक्षिप्त कल्प

इसका दूसरा नाम पावापुरी है जहाँसे भगवान् महावीरने निर्वाण पद प्राप्त किया था। यही महावीर स्वामीके कानोसे कील निकाली गयी थी। इसी नगरीमें भगवान् महावीर जूम्भिका नगरीमें पधार कर सर्व प्रथम उपदेश दिया था।

१५-कलिकुण्ड कुवकुटेद्वर कल्प

इसमें कविकुण्ड तीर्थके उद्भवकी कथा एवं कुवकुटेद्वर कल्पकी उत्पत्तिकी कथा दी हुई है।

१६-हस्तिनापुर कल्प

तीर्थंकर शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ एवं अरनाथ तीर्थंकरोंकी जन्मभूमि तथा इनके दीक्षाकल्याणक एवं ज्ञान कल्याणककी भूमि रहनेका सौभाग्य प्राप्त है। भगवान् ऋषभनाथका प्रथम आहार हुआ। यहाँ मल्लिनाथ स्वामीका समवसरण आया था। विष्णुकुमार मुनि द्वारा सात सौ मुनियोंकी रक्षा आदि आश्चर्यजनक घटनाएँ हुईं।

१७—सत्यपुर तीर्थ कल्प—सत्यपुर तीर्थकी विस्तृत कथा वी हर्ष है । कथा रोचक है ।

१८—अष्टापद महातीर्थ कल्प

यह कल्प श्री धर्मघोषसूत्रि कृत है । अष्टापदका दूसरा नाम गिरिराज कैलाश है । आठ पर्वतोसे वेष्टित होनेके कारण इसे अष्टापद कहते हैं । इस कल्पमें २४ पद्य हैं ।

१९—मिथिला तीर्थ कल्प

मिथिलापुरी विदेह देशमें अवस्थित है । इस मिथिला नगरीमें मल्लिनाथ एव नमिनाथ भगवान्के चार कल्याणक हुए थे । यहाँ बाणगंगा एवं गडकी नदी बहती है । भगवान् महावीरने यहाँ एक चातुर्मास किया था । जनकसुता सीताका भी मिथिला नगरी जन्म-स्थान है । मिथिला नगरी अनेक राजा-महाराजाओंकी जन्मभूमि रही है ।

२०—श्री रत्नवाहूपुर कल्प—रत्नवाहूपुर कौशल देशमें स्थित है । यह भगवान् धर्मनाथको जन्मभूमि है । इस कल्पमें कुम्हारके लडके और नागराजकी खेलनेकी कला है ।

२१—अपापा बृहत्कल्प

दीपमालिकोत्सव सहित अपापाका कल्प है । इसमें अनेक अवान्तर कथाएँ हैं । इस कल्पका निर्माण सवत् १३८७ भाद्रपद कृष्ण द्वादशीके दिन किया गया था । यह बहुत बड़ा कल्प है ।

२२—कन्यानयनोय महावीर प्रतिमा कल्प

इस कल्पमें कन्यानय नगरमें तेईस पर्व प्रमाण ऊँची महावीरकी प्रतिमा है इसे विक्रमपुर निवासी जिनपतिसूरीके चाचा साहु मानदेवने सवत् १२३३ आषाढ शुक्ला १० को आचार्य जिनपतिसूत्रि द्वारा प्रतिष्ठापित की थी ।

२३—प्रतिष्ठानपुर कल्प—भगवान् महावीरके ९९३ वर्ष पश्चात् आर्य कालकाचार्यने इस नगरीमें पवारकर भाद्रपद शुक्ला चतुर्थीके दिन वार्षिक प्रतिक्रमण करने पर्वकी प्रवृत्ति की थी ।

२४—नन्दीश्वर द्वीप कल्प—नन्दीश्वर द्वीपका विस्तारसे वर्णन है ।

२५—काम्पिल्यपुर तीर्थ कल्प

२६—अणहिलपुर (पाटन) कल्प—इसका दूसरा नाम अरिष्टनेमि कल्प भी है ।

२७—शखपुर पार्श्व कल्प

२८—नासिक्यपुर कल्प—पहिले यह नगर पद्मपुर नामसे विख्यात था फिर त्रेता युगमें सूर्यगङ्गाकी लक्ष्मण द्वारा नाक काट लेनेके कारण वह नगर नासिक्यपुर नामसे प्रसिद्ध हुआ । आगे भी नगरमें कितनी ही घटनाएँ होती रहीं ।

२९—हूरिकंछी नगर स्थित पार्श्वनाथ कल्प ।

३०—कपदिदयक्ष कल्प ।

३१—शुद्धदन्ती स्थित पार्श्वनाथ कल्प ।

३२—अवन्तिदेवास्थ श्री अभिनन्दन कल्प ।

३३—प्रतिष्ठापुर कल्प ।

४२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

३४-प्रतिष्ठानपुरके महाराज सातवाहनका चरित्र—इस कल्पमे कितनी ही असगत बातें हैं जो जैन-सिद्धान्तसे मेल नहीं खाती ।

३५-चम्पापुरी कल्प ।

३६-पाटलीपुत्र कल्प ।

३७-श्रावस्ती कल्प ।

३८-वाराणसी नगरी कल्प ।

३९-महावीर गणधर कल्प ।

४०-कोकावसति पार्श्वनाथ कल्प ।

४१-कोटिशिला तीर्थ कल्प ।

४२-वस्तुपाल तेजपाल मन्त्र कल्प ।

४३-छिपुरी तीर्थ कल्प—इसमें बंकचूलकी कथा भी हुई है ।

४४-छिपुरी स्तव ।

४५-चौरासी महातीर्थ नाम संग्रह कल्प ।

४६-समवसरण रचना कल्प ।

४७-कुंडुगेश्वर नामेयदेव कल्प ।

४८-ध्यात्री कल्प ।

४९-अष्टापदगिरि कल्प ।

५०-हस्तिनापुर तीर्थ स्तवन ।

५१-कन्यानय महावीर कल्प परिशेष ।

५२-कुल्य पाकस्थ ऋषभदेव स्तुति ।

५३-अमरकुण्ड पद्मावती देवी कल्प ।

५४-चतुर्विंशति जिन कल्याणक कल्प ।

५५-तीर्थकरातिशय विचार ।

५६-पञ्च कल्याणक स्तवन ।

५७-कोल्लपाक माणिक्यदेव तीर्थ कल्प ।

५८-श्रीपुर अन्तरीक्ष पार्श्वनाथ कल्प ।

५९-स्तम्भक कल्प-अवशिष्ट भाग ।

६०-फलवद्धि पार्श्वनाथ कल्प ।

६१-अम्बिका देवी कल्प ।

६२-पंचपरमेष्ठी नमस्कार कल्प ।

इस प्रकार विविधतीर्थकल्पमे ६२ कल्पोंकी कथाएँ भी हुई हैं । डॉ० महेन्द्रकुमारजीने कल्पका भाषानुवाद सही बोलीमे किया है । भाषा साफ सुधरी है । पूरा कल्प एक ही कथा संग्रह बन गया है ।

जैनदर्शन : एक मौलिक चिन्तन

• श्री निर्मल जैन, सतना

संसार और उसके बेचैन-अचेतन समस्त द्रव्योंको जानने और समझनेकी जिज्ञासा, जिज्ञासु व्यक्तियों को हमेशासे रही है। दुष्टिगोचर एवं अनुभवगम्य पदार्थोंका अस्तित्व कबसे है, किस कारणसे है और कब तक रहेगा। इनके उत्पन्न होने, बने रहने और विनश जानेकी प्रक्रियाका रहस्य क्या है, कौन मी शक्ति इसके पीछे कार्य करती है। इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर पानेके लिए लोग विशिष्ट ज्ञानी-तपस्वी जनोकी शरणमें जाने रहते हैं। अध्यात्म प्रधान हमारे भारत देशमें इन प्रश्नोंका उत्तर देने वालोंकी भी कमी नहीं रही, विभिन्न मत-मनान्तरोके जनक या व्याख्याकारोंने अपनी-अपनी मान्यताओंके अनुसार प्रश्नोंको सुलझानेका प्रयास किया परन्तु पक्ष व्यामोहके कारण और दूसरी मान्यताओंको गर्वया मिथ्या माननेके कारण वे सही स्थितिको न तो समझ सके और न जिज्ञासुओंको समझा सके।

अनन्त धार्मिक वस्तुओंकी तहमें वे जितने घुसे अपने मीमित और भ्रामक ज्ञानके कारण उतने ही उलझते चले गये। अपनी मान्यता बनाए रखनेके लिए कुछ न कुछ उत्तर देना भी उन्हें अभीष्ट था सो येन-केन-प्रकारेण उक्ति बिठाकर उत्तर देने रहे। एक दो दार्शनिकोंने कुछ प्रश्नोंको अनावश्यक बताकर टाला भी और कुछ ने अपनी अनभिज्ञता भी जाहिर की, पर जिज्ञासाएँ तो बनी ही रही।

जैनदर्शनमें विश्वव्यवस्था और उसके पदार्थोंका सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण अनादिकालमें होता आया है। भगवान महावीरके निर्वाणके कुछ काल बाद केवलज्ञानियोकी परम्परा समाप्त हुई परन्तु भगवान् महावीरकी दिव्यध्वनि और उनके बाद हुए केवली-श्रुतकेवली भगवंतों द्वारा प्रसारित ज्ञानका सहारा लेकर ईसाकी दूसरी शताब्दीसे १५वीं शताब्दी तक बहु श्रुतज्ञ जैनाचार्योंने अनेक ऐसे ग्रन्थोंकी रचना की जिसमें जैनदर्शन और न्यायकी पूरी बारीकियोंके साथ प्रस्तुत किया गया है। तथा मिथ्या मान्यताओंका खण्डन भी युक्तिपूर्वक किया गया है। उक्त शास्त्र प्राय प्राकृत भाषामें लिखे गए, उनकी टीकाएँ भी श्रुतज्ञ आचार्यों द्वारा हुई पर सस्कृत में। कुछ शास्त्र मौलिक रूपसे सस्कृतमें लिखे गए।

इस बीच अन्य दार्शनिकोंने भी अपने मतकी पुष्टिके लिए ग्रन्थ लिखे। साथ ही भारतीय दार्शनिक क्षितिजपर कुछ ऐसे दर्शनों/दार्शनिकोंका भी उदय हुआ जिन्होंने अपने मनकी पुष्टिके लिए कुतर्कोंके द्वारा जैनदर्शनका खण्डन करना प्रारम्भ किया। जैसे श्याद्वयके मूल स्वर स्यात् शब्दका अर्थ सशयके रूपमें प्रतिपादित कर एक भ्रामक व्याख्या उपस्थित की गई।

बीसवीं सदीमें आते-आते भाषाकी दुरुहता जन साधारणके लिए आर्थ ग्रन्थोंके स्वाध्यायमें बाधक बनने लगी। शास्त्रोंकी हिन्दी टीकाएँ तो हुई परन्तु दर्शन और न्याय विषयक ग्रन्थोंपर कार्य करने वाले विद्वान् विशेष नहीं हुए। कुछ इने-गिने विद्वानोंने ही इन विषयोंको अपने चिन्तनका विषय बनाया।

इस शताब्दीके चौथे दशकमें युवा विद्वान् प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने इन गम्भीर विषयोंका विशद अध्ययन किया, केवल जैनदर्शन ही नहीं, अन्य भारतीय दर्शनोंका भी गहन अध्ययन करते उन्होंने अपने विचारोंको शब्दोंका आकार देना प्रारम्भ किया। जैन ग्रन्थोंके प्रकाशनका स्तुत्य कार्य करनेवाली सस्था भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापनामें तथा विद्वत् परिषद जैसी सस्थाकी स्थापनामें भी प० महेन्द्रकुमार जीका विशेष योगदान था। भारतीय ज्ञानपीठकी व्यवस्थामें सहयोगी बनकर उन्होंने 'न्यायकुमुदचन्द्र', 'न्याय-विनिश्चयविवरण', 'अकलंकग्रन्थत्रय', 'प्रमेयकमलमातृण्ड', 'तत्त्वार्थबालिक', 'तत्त्वार्थश्रुति', 'सिद्धिचिन्ति-

४४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

श्चयटीका' आदि ग्रन्थोंका कुशलतापूर्वक सम्पादन किया तथा उनपर चिन्तन पूर्ण प्रस्तावनाएँ लिखकर उन्हें प्रकाशित भी कराया ।

सन् १९११ में जन्म लेने वाले महेन्द्रकुमार जीने अपने तीव्र क्षयोपशम और पुरुषार्थके बलपर अल्प-वयमें ही कौकिक एवं पारमार्थिक शिक्षा प्राप्त करके सन् १९३२ से ही काशीमें अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया था । अध्यापनके साथ ही आपका अध्ययन भी जारी रहा और उन्होंने एम ए शास्त्री, न्यायाचार्य आदि उपाधियाँ अर्जित कर ली । प० महेन्द्रकुमार जीका चिन्तन और सम्पादन आदिका कार्य कितना उच्च-कोटिका था इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि 'सिद्धिविनिश्चय' टीका के कार्यका सही मूल्यांकन करके हिन्दू विश्वविद्यालय काशीने आपको पी एच डी की उपाधिसे सम्मानित किया ।

ग्रन्थोंकी प्रस्तावनामें डॉ० महेन्द्रकुमार जीने जहाँ एक ओर जैनदर्शनकी विशेषताओंको उजागर किया वहीं विभिन्न दार्शनिकों द्वारा किए जा रहे जैनदर्शनके खण्डनका भी तर्कपूर्ण उत्तर दिया । उन्होंने अपनी लेखनीको किसी लोभ छालख या भयसे प्रभावित नहीं होने दिया । संस्कृत महाविद्यालय काशीमें बौद्धदर्शनके प्राध्यापक होते हुए भी बौद्धदर्शनकी तर्कसम्मत आलोचना एवं महापण्डित राहुल सांकृत्यायन जैसे मनीषी एवं मान्य विद्वान्के विचारोंकी आलोचना करना इनका प्रमाण है ।

उनकी आलोचना ऐसे तथ्योंपर आधारित थी कि राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान्ने उसे स्वीकार किया और उनकी विद्वत्तासे प्रभावित होकर उन्हें स्याद्वादपर स्वतन्त्र मौलिक ग्रन्थ लिखनेके लिये प्रेरित किया । फलस्वरूप डॉ० महेन्द्रकुमार जीके चिन्तन और स्वाध्यायका मार ६०० पृष्ठों वाला मौलिक ग्रन्थ "जैनदर्शन" के रूपमें सामने आया । उन्होंने ग्रन्थके 'दो शब्द' में स्वयं स्वीकार किया है कि राहुल सांकृत्यायनके उलाहनेने ही इस ग्रन्थको लिखनेका सक्त्य कराया ।

'जैनदर्शन' ग्रन्थ को अपने प्रतिपाद्य विषयपर प्रथम ग्रथका गौरव प्राप्त हुआ । अक्टूबर १९५५ में श्री गणेश प्रसाद वर्णा ग्रन्थमाला वाराणसीसे इसका प्रकाशन हुआ । प्रकाशकीय वक्तव्यमें मन्थ्याके कर्णधार विद्वान् पं० फूलचन्द जी सिद्धान्तशास्त्री एवं व० बशोधर जी व्याकरणाचार्यने लिखा है कि—

'जैन समाजमें दर्शनशास्त्रके जो इने-गिने विद्वान् हैं उनमें न्यायाचार्य प० महेन्द्रकुमार प्रथम हैं । इन्होंने जैनदर्शनके साथ-साथ नव भारतीय दर्शनोका सागो-ग अध्ययन किया है तथा बड़े परिश्रम तथा अध्ययनपूर्वक इस ग्रन्थका निर्माण किया है । हिन्दीमें एक ऐसी मौलिक कृतिकी आवश्यकता थी जिसमें जैनदर्शनके सभी दार्शनिक मतग्रन्थोंका ऊहापोहके साथ विचार किया गया हो । इस सर्वांगपूर्ण कृति द्वारा उस आवश्यकताकी पूर्ति हो जाती है । अतएव हम इस प्रयत्नके लिए प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यका जितना आभार मानें, थोडा है ।'

'जैनदर्शन' में केवल जैनदर्शनकी ही व्याख्या नहीं है, अन्य भारतीय दर्शनोकी मान्यताओंको उदाहरण सहित प्रस्तुत करके लेखकने उनके अपभ्रंशको भी उजागर किया है और जैनदर्शनसे उनकी तुलना करनेके लिए आधार प्रस्तुत किए हैं । यद्यपि प्रकाशनके पूर्व कुछ विद्वानोंको भय था कि इस कृतिके प्रकाशन में साम्प्रदायिक विद्वेष फैल सकता है परन्तु निष्पक्ष दार्शनिकों और विचारक विद्वानोंने लेखककी इस कृतिकी उपयोगिता स्वीकार करते हुए सराहना की, केवल मौखिक मराहना ही नहीं, अनेक विद्वानोंने प्रशस्तमक पत्र लिखे तथा एक जैनेतर विद्वान् संस्कृत कालिज बनारसके पूर्व प्राचाय प० मंगलदेव शास्त्री एम० ए०, डी० फिल० ने उक्त ग्रन्थका प्राक्कषण लिखकर ग्रन्थकी प्रशंसा की एवं जैनदर्शनके सिद्धान्तोके महत्त्वको स्वीकार किया । प्राक्कषणके अन्तमें आपने लिखा—

‘अभी तक राष्ट्रभाषा हिन्दीमें कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी, जिसमें व्यापक और तुलनात्मक दृष्टिसे जैनदर्शनके स्वरूपको स्पष्ट किया गया हो। बड़ी प्रसन्नताका विषय है कि इस बड़ी भारी कमीको प्रकृत पुस्तकके द्वारा उसके मुयोग्य विद्वान् लेखकने दूर कर दिया। पुस्तककी शैली विद्वत्तापूर्ण है, उसमें प्राचीन मूल ग्रन्थोंके प्रमाणोंके आधारेसे जैनदर्शनके सभी प्रयोगका बड़ी विशद रीतिसे यथासम्भव सुबोध शैलीमें निरूपण किया गया है। विभिन्न दर्शनोंके सिद्धान्तोंके साथ तद्विषयक आधुनिक दृष्टियोंका भी इसमें सन्निवेश और उनपर प्रगगानुसार विमर्श करनेका भी प्रयत्न किया गया है। पुस्तक अपनेमें मौलिक-परिपूर्ण और अनूठी है। हम हृदयसे ग्रन्थका अभिनन्दन करते हैं।’

‘जैनदर्शन’ ग्रन्थमें लेखकने १२ अधिकारोंके माध्यमसे सम्पूर्ण विवेचना की है। ‘पृष्ठभूमि और सामान्यावलोकन’ नामके प्रथम अध्यायमें उन्होंने कर्मभूमिको प्रारम्भिक स्थितियोंकी चर्चा करते हुए भगवान् आदिनाथसे लेकर अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीरके काल तकको परिस्थितियों और प्रचलित मान्यताओंका उल्लेख किया है। साथ ही जैनधर्म एवं दर्शनके मूल मुद्दोंको उजागर करते हुए श्रुत परम्परा और मान्य आचार्योंका परिचय देते हुए उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तोंकी भी सक्षिप्त चर्चा की है। इस अध्यायके उपसंहारमें वे लिखते हैं कि—

तर्क जैने शुष्क शास्त्रका उपयोग भी जैनाचार्योंने समन्वय और समताके स्थापनमें किया है। दार्शनिक कटाकटोंके युगमें भी इस प्रकारकी समता और उदारता तथा एकताके लिए प्रयोजक समन्वयदृष्टिका नायम रखना अहिंसाके पुजारियोंका ही कार्य था। स्याद्वादके स्वरूप तथा उसके प्रयोगकी विधियोंके विवेचनमें ही जैनाचार्योंने अनक ग्रन्थ लिखे हैं। इस तरह दार्शनिक एकता स्थापित करनेमें जैनदर्शनका अकेला और स्थायी प्रयत्न रहा है।’ (पृष्ठ २६।)

‘विषय प्रवेश’ नामक दूसरे अध्यायमें दर्शन शब्दकी उद्भूति, अर्थ आदिको स्पष्ट करते हुए विद्वान् लेखकने विभिन्न दार्शनिकोंके मनमाने अर्थका स्पष्टन करते हुए जैन दृष्टिकोणको यथायथा प्रतिपादित की है। इस अध्यायमें सुदर्शन और कुदर्शनकी व्याख्या करते हुए आपने लिखा है कि—

‘जिम प्रकार नयके सुनय और दुर्नय विभाग, मापेक्षता और निरपेक्षताके कारण होते हैं उसी तरह ‘दर्शन’ के भी सुदर्शन और कुदर्शन (दर्शनाभास) विभाग होते हैं। जो दर्शन अर्थात् दृष्टिकोण वस्तुकी सीमाकी उल्लंघन नहीं करके उसे पानेको चेष्टा करता है, बनानेकी नहीं, और दूसरे वस्तुस्पर्शा दृष्टिकोण-दर्शनको भी उचित स्थान देता है, उसकी अपेक्षा रखता है वह सुदर्शन है और जो दर्शन केवल भावना और विद्वानकी भूमिपर खड़ा होकर कल्पमालोकमें विचरण कर, वस्तुसीमाको लौचकर भी वास्तविकताका दम्भ करता है, अन्य वस्तुग्राही दृष्टिकोणोंका तिरस्कार कर उनकी अपेक्षा नहीं करता वह कुदर्शन है। दर्शन अपने ऐसे कुपुत्रोंके कारण ही मात्र सदेह और परीक्षाकी कोटिमें जा पहुँचा है। अत जैन तीर्थंकरों और आचार्योंने इन बातकी सतर्कतासे चेष्टा की है कि कोई भी अधिगमका उपाय, चाहे वह प्रमाण (पूर्ण ज्ञान) हो या नय (अशग्राही), सत्यको पानेका यत्न करे, बनानेका नहीं। वह मौजूद वस्तुकी मात्र व्याख्या कर सकता है। उसे अपनी मर्यादाको समझते रहना चाहिए।’ (पृष्ठ ३८।)

तीसरे अध्यायका शीर्षक है ‘भारतीय दर्शनको जैनदर्शनकी देन’ इस अध्यायका प्रारम्भ करते हुए लेखकने कहा है कि परम अहिंसक तीर्थंकर भगवान्ने मानसिक अहिंसाके लिए अनेकान्तदृष्टिके उपयोगकी बात कही है।

अनेकान्तकी अहिंसाका आचारभूत तत्त्वज्ञान, स्याद्वादकी एक निर्दोष भाषाशैली और स्यात्को प्रहरी

निरूपित करते हुए ठोस तर्क देकर यह भी सिद्ध किया है कि स्थातका अर्थ शायद नहीं है। अनेकान्त दर्शन-को न्यायाधीशकी उपमा देते हुए कहा गया है कि—

‘प्रत्येक पक्षके बकालो द्वारा अपने पक्षके समर्थनके लिए सकलित दलीलको फाइलकी तरह न्यायाधीशका फाइल भले ही आकारमें बड़ा न हो, पर उसमें वस्तुस्पर्श, व्यावहारिकता, सूक्ष्मता और निष्पक्ष-पातिता अवश्य होनी है। उसी तरह एकान्तके समर्थनमें प्रयुक्त दलीलके भण्डार-भूत एकान्तवादी दर्शनकी तरह जैनदर्शनमें विकल्प या कल्पनाओका चरम विकास न हो, पर उसकी वस्तुस्पर्शिता, व्यावहारिकता, समतावृत्ति एवं अहिंसाधारितानामे तो सदेह किया ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि जैनाचार्योंने वस्तु-स्थितिके आधारसे प्रत्येक दर्शनके दृष्टिकोणके समन्वयकी पवित्र चेष्टा की है और हर दर्शनके साथ न्याय किया है। यह वृत्ति अहिंसाहृदयिके सुसंस्कृत मस्तिष्ककी उपज है। यह अहिंसा स्वरूप अनेकान्तदृष्टि ही जैनदर्शनके भव्य प्रासादका मध्य स्तम्भ है। इसीसे जैनदर्शनकी प्राणप्रतिष्ठा है। भारतीय दर्शन सचमुच इस अतुल सत्य ही पाये बिना अपूर्ण रहता। जैनदर्शनने इस अनेकान्तदृष्टिके आधारसे बनी हुई मधुस्त्वपूर्ण ग्रन्थरशिष्य देकर भारतीय दर्शनशास्त्रके ऋषागारमें अपनी ठोस और पर्याप्त पूंजी जमा की है।’ (पृ० ५५।)

‘लोक व्यवस्था’ नामके चौथे अध्यायमें लोकके स्वरूप और छोड़े द्रव्योका विवेचन है। इसको चर्चामे स्वाभाविक ही द्रव्यके परिणमन, मन् तथा उसके उत्पाद, व्यय और ध्रुवसे युक्त होनेके प्रकरण आए हैं जिन्हें छोड़े द्रव्योमें तर्क और उदाहरणके साथ समझाया गया है।

विभाव परिणमनकी चर्चा करते हुए निमित्त और उपादानकी भी विशद व्याख्या इस अध्यायमें की गई है। का०वाद, स्वभाववाद और नियतिवादकी विभिन्न मान्यताओकी समीक्षा भी इस अध्यायमें है। लेखकने केवल अन्य दर्शनकी भ्रामक मान्यताओका ही खण्डन नहीं किया है, वरन् जैनदर्शनकी अनेकान्त पद्धतिमें आये एकान्त प्रवृत्तिका भी आलोचना की है। नियतिवादके एक ऐमे ही प्रकरणमें श्रीकानजी स्वामी लिखित पुस्तक ‘वस्तुविज्ञानगार’ को मान्यताओको एकान्तिक निरूपित करते हुए लेखकने कहा है कि—

‘नियतिवादका एक आध्यात्मिक रूप और निकला है। इसके अनुसार प्रत्येक द्रव्यकी प्रतिसमयकी पर्याय सुनिश्चित है। जिस समय जो पर्याय होनी है वह अपने नियत स्वभावके कारण होगी ही, उसमें प्रयत्न निरर्थक है। उपादानशक्तिसे ही वह पर्याय प्रकट हो जाती है, वहाँ निमित्तकी उपस्थिति स्वयमेव होनी है, उसके मिलापकी आवश्यकता नहीं। इनके मनसे पेट्रोलसे मोटर नहीं चलती, किन्तु मोटरको चलना हो है और पेट्रोलको जलना हो है। और यह सब प्रचारित हो रहा है द्रव्यके शुद्ध स्वभावके नामपर। इसके भीतर भूमिका यह जमाई जाती है कि—एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता। सब अपने आप नियतिचक्रवश परिणमन करते हैं। जिसको जहाँ जिस रूपमें निमित्त बनना है उस समय उसको वहाँ उपस्थिति हो ही जायगी। इस नियतिवादसे पदार्थोंके स्वभाव और परिणमनका आश्रय लेकर भी उनका प्रतिलक्षणका अनन्तकाल तकका कार्यक्रम बना दिया गया है, जिसपर चलनेको हर पदार्थ बाध्य है। किसीको कुछ नया करनेका नहीं है। नियतिवादियोंके जो विविध रूप विभिन्न समयोंमें हुए हैं उन्होंने सदा पुरुषार्थ-को रेंड मारी है और मनुष्यको भाग्यके चक्करमें डाला है।’ (पृष्ठ ८४।)

आचार्य कुण्डकुन्दके अकृतत्ववादकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि समयमारमें स्वभावका वर्णन करनेवाली गाथाको कुछ विद्वान् नियतिवादके समर्थनमें छगाते हैं परन्तु इस गाथामें सीधे बात यही बताई गई है कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कोई नया गुण नहीं ला सकता, जो आयेगा वह उपादान योग्यताके अनुसार हो आवेगा।

लेखकने प्रश्न उठाया है कि जब प्रत्येक जीवका प्रतिसमयका कार्यक्रम निश्चित है तब पुण्य-पाप और

सदाचार-दुराचारकी क्या परिभाषा बनेगी ? क्योंकि इस नियतिवादमें तो 'ऐसा क्यों हुआ' का एक ही उत्तर है कि 'ऐसा होना ही था' ।

इस अध्यायमें कर्मवाद, यदृच्छावाद, पुरुषवाद, ईश्वरवाद, भूतवाद, अव्याकृतवाद, उत्पादादित्र-यात्मकवाद, जडवाद और परिणामवादकी मान्यताओंकी भी समीक्षा की गई है ।

पदार्थके स्वरूपका निर्णय करनेके लिए ग्रन्थमें छोटसे पाँचवें अध्यायके रूपमें अलगसे अध्याय रखा गया है जिसमें पदार्थके गुण और धर्मका स्वरूपास्तित्वका और सामान्य विशेषका विवेचन है ।

'षट्द्रव्य विवेचन' नामके छठे अधिकारमें छह द्रव्योंकी सामान्य विवेचनाके बाद जीव द्रव्यके संसारी और मुक्त आदि भेद, पृथ्गल द्रव्यके स्कन्ध आदि भेद, बन्धकी प्रक्रिया, धर्म-अधर्म, आकाश और काल द्रव्योंके कार्याका विवेचन किया गया है तथा इनके स्वरूपमें बौद्ध, वैशेषिक, नैयायिक आदि दर्शनोंकी भ्रान्तियोंकी भी उजागर किया गया है। एक द्रव्यके दूसरे द्रव्यपर पडनेवाले प्रभावकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि—

'इसीलिए जगत्के महापुरुषोंने प्रत्येक भव्यको एक ही बात कही है कि "अच्छा वातावरण बनाओ; मगलमय भावोंको चारों ओर बिखेरो ।' किसी प्रभावशाली योगीके अचिन्त्य प्रेम और अहिंसाकी विश्वमैत्री रूप सजीवन धारासे आसपासकी वनस्पतियोंका असमयमें पुष्पित हो जाना और जानिविरोधी सप-नेवला आदि प्राणियोंका अपना साधारण वर भूलकर उनके अमृतपूत वातावरणमें परस्पर मैत्रीके क्षणोका अनुभव करना कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है, यह तो प्रभावकी अचिन्त्य शक्तिका साधारण स्फुरण है ।' (पृष्ठ १५२ ।)

सातवें अधिकारका शीर्षक है 'तत्त्व निरूपण' । इसका प्रयोजन बताने हुए प्रारम्भमें ही कहा गया है कि यद्यपि विश्व षट्द्रव्यमय है परन्तु मुक्तिके लिए जिस तत्त्वज्ञान को आवश्यकता होती है वे तत्त्व सात हैं । विश्व व्यवस्थाका ज्ञान न होनेपर भी तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी साधना की जा सकती है । परन्तु तत्त्वज्ञान न होनेपर विश्व व्यवस्थाका समग्र ज्ञान भी कार्यकारी नहीं होता ।

सात तत्त्वोंकी विवेचना करते हुए लेखकने लिखा है कि इन सात तत्त्वोंका मूल है आत्मा । स्वभावसे अमूर्तिक-असण्डाविनाशी आत्माको जैन दार्शनिकों द्वारा अनादिबद्ध माननेके कारणोंकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि व्यवहारसे जीव मूर्तिक भी है । कर्म संयोगके कारण अनादिसे जीव मूर्तिक और अशुद्ध माना गया है परन्तु एक बार शुद्ध-अमूर्तिक हो जानेके बाद फिर वह अशुद्ध या मूर्तिक नहीं होता ।

आत्मदृष्टिको ही सम्यक्दृष्टि निरूपित करते हुए कहा है कि बन्ध, मोक्ष और उसके कारणभूत तत्त्वोंके सिवाय उम आत्माका ज्ञान भी आवश्यक है जिसे शुद्ध होना है पर जो वर्तमानमें अशुद्ध हो रहा है । आत्माकी यह अशुद्ध दशा स्वरूप प्रच्युतिरूप है । यह दशा स्वस्वरूपको भूलकर पर पदार्थोंमें ममकार अह-कार करनेके कारण हुई है अतः इस अशुद्ध दशाकी समाप्ति स्वस्वरूपके ज्ञानसे ही हो सकती है ।

संसारके कारण आत्म और बन्ध तथा मोक्षके कारण सवर और निर्जरा तत्त्वोंकी समुचित व्याख्या करके मोक्ष तत्त्वकी चर्चा करते हुए लेखकने कहा है कि अन्य दार्शनिकोंने मोक्षको निर्वाण नामसे व्यवहार करके आत्म निर्वाण को दीप निर्वाण आदिकी तरह व्याख्यायित कर दिया है पर जैन दार्शनिकोंने सात तत्त्वोंमें उसका नाम ही मोक्ष तत्त्व रखा है जिसका अर्थ है छूटना ।

अध्यायके अन्तमें मोक्ष-मार्गकी चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता ही मोक्ष का मार्ग है । ऐसा सम्यग्ज्ञान जो सम्यक्चारित्रका पोषक या वर्षक नहीं

है, मोक्षका साधन नहीं होता। जो ज्ञान जीवनमें उत्तरकर आत्म शोधन करे वही मोक्षका साधन है। अन्ततः सच्चि श्रद्धा और ज्ञानका फल चारित्र्य शुद्धि ही है। इस अध्यायमें एक जगह सुख और दुःखकी स्पूल परिभाषाके रूपमें भी एक अच्छी बात कही गई है कि 'जो चाहे सो होवे, इसे कहते हैं सुख और चाहे कुछ और होवे कुछ या जो चाहे वह न होवे इसे कहते हैं दुःख।'

'प्रमाण मीमांसा' नामक आठवाँ अध्याय इस ग्रन्थका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है। लगभग २०० पृष्ठोंमें समाहित इस अध्यायमें प्रमाण ज्ञानकी विश्व विवेचना की गई है। प्रारम्भमें ही ज्ञान और दर्शनका अन्तर समझाते हुए कहा है कि जड़ पदार्थोंसे आत्माको भिन्न करनेवाला गुण या स्वरूप है चैतन्य, यही चैतन्य अन्नस्था विशेषमें निराकार रहकर 'दर्शन' कहलाता है और साकार होकर 'ज्ञान'। प्रमाणके स्वरूपका निरूपण करते हुए कहा है कि प्रमाणका सामान्यतया अर्थ व्युत्पत्तिरूप है अर्थात् जिसके द्वारा पदार्थोंका ज्ञान होना है उस द्वारका नाम प्रमाण है।

तदाकारता, सामग्री, इन्द्रिय व्यापार आदिको प्रमाण न माननेके कारणोंकी व्याख्या करके बौद्धदर्शन के क्षणिकवादेसे उत्पन्न भ्रान्तियोगका भी निराकरण किया गया है। जैनदर्शन पदार्थको एकान्त क्षणिक न मानकर कथंचित् नित्य भी मानता है। वस्तु अनन्त धर्मवाली है किसी ज्ञानके द्वारा वस्तुके किन्हीं अशोकानिश्चय होनेपर भी अग्रहीन अशोकको जाननेके लिए प्रमाणान्तर को अवकाश रहता है।

प्रमाणके भेदोंकी चर्चा करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण तथा उसके सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सन्निकर्ष, पारमाथिक प्रत्यक्ष, अनुमान, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, प्रत्याज्ञाभास, परोक्षभासा आदि भेदोंकी भी विशद व्याख्या करके समझाया गया है। ज्ञानकी उत्पत्तिको क्रम बताते हुए उनके अवग्रह, ईहा आदि भेदोंकी व्याख्या है तथा सभी ज्ञानोंको स्वस्ववेदी निरूपित किया है। इसी सन्दर्भमें विपर्यय आदि मिथ्याज्ञानों की भी चर्चा है। अधिज्ञान, मन पर्ययज्ञानके विश्लेषणके बाद केवलज्ञानका स्वरूप बताते हुए 'गर्वजताका इतिहास' शीघ्रकसे जैनाचार्यों भगवान् कुन्दकुन्द, वीरसेन आदिके द्वारा की गई सर्वज्ञताकी व्याख्याओंका अन्य दर्शनोंकी सर्वज्ञता की अपेक्षा प्रामाणिक सिद्ध किया गया है।

इस आठवें अध्यायमें व्याप्ति और व्याप्य-व्यापार सम्बन्ध, अभाव, साध्य-साधन सम्बन्ध, शब्दार्थ प्रतिपत्ति, प्राकृत, अपभ्रंस शब्दोंकी अर्थवाचकताकी व्याख्याके साथ शब्दाद्वैतवाद, ब्रह्मवाद, साध्यवाद, बौद्धोंका विशेष पदार्थवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद आदिकी भी विस्तारसे समीक्षा की गई है जिससे विषय स्पष्ट होता है और पाठकोंको वस्तुस्वरूप की निर्दोष अवधारणा हो जाती है।

नौवाँ अध्याय है 'नय विचार, इसमें नयका लक्षण तथा नयके भेदोंका भलीभाँति निरूपण किया गया है, मुनय-दुर्नय, द्रव्याधिक-पर्यायाधिक, परमार्थ-व्यवहार, निश्चयव्यवहार आदि भेदोंके अतिरिक्त नयके तीन और सात भेदोंकी भी समझाया गया है। साथ ही नयाभासके माध्यमसे भी नयोंकी व्याख्या की गई है इसमें प्रायः सभी भारतीय दर्शनोंके नयवादोंका विश्लेषण तो है ही, मध्यक् नय माननेवाले नयाभासियोंकी भी आलोचना की गई है। जैनाचार्योंकी नय प्ररूपणाका उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि—

'अध्यात्मशास्त्रका उद्देश्य है कि वह साधकको यह स्पष्ट बता दे कि तुम्हारा गन्तव्य स्थान क्या है ? तुम्हारा परम ध्येय और चरम लक्ष्य क्या हो सकता है ? बीचके पड़ाव तुम्हारे साध्य नहीं है। तुम्हें तो उनसे बहुत ऊँचे उठकर परम स्वावलम्बी बनना है। लक्ष्यका दो-टुक वर्णन किए बिना मोही जीव भटक ही जाता है। साधकको उन स्वोपादानक, किन्तु परनिमित्तक विभूतियाँ विकारोंसे उसी तरह अलग रहना है, उनसे ऊपर उठना है, जिस तरह कि वह स्त्री, पुत्रादि परचेतन तथा धन-धन्यादिपर अचेतन पदार्थोंसे नाता

तोड़कर स्वावलम्बी मार्ग पकड़ता है। यद्यपि यह साधककी भावनामान है, पर इसे आ० कुन्दकुन्दने दार्शनिक आधार पकड़ाया है। वे उस लोकव्यवहारको हेय मानते हैं, जिसमें अशत भी परावलम्बन हो। किन्तु यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि वे सत्यस्थितिका अलाप नहीं करना चाहते। वे लिखते हैं कि 'जीवके परिणामोंको निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य कर्मपर्यायको प्राप्त होते हैं और उन कर्मोंके निमित्तसे जीवनमें रागादि परिणाम होते हैं, यद्यपि दोनों अपने-अपने परिणामोंमें उपादान होने हैं, पर ये परिणामन परस्परहेतुक-अन्योन्यनिमित्त हैं।' उन्होंने 'अण्णोष्णणिमित्तोण' पदसे इसी भावका समर्थन किया है। यानी कार्य उपादान और निमित्त दोनों सामयीसे होता है।' (पृष्ठ ४६८-४६९ ।)

'अत निश्चयनयको यह कहनेके स्थानमें कि 'मैं शुद्ध हूँ, अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ', यह कहना चाहिए कि 'मैं शुद्ध, अबद्ध और अस्पृष्ट हो सकता हूँ।' क्योंकि आज तक तो उसने आत्माकी इस शुद्ध आदर्श दशाका अनुभव किया ही नहीं है। बल्कि अनादिकालसे रागादिपक्षमें ही वह लिप्त रहा है। यह निश्चित तो इस आधारपर किया जा रहा है कि जब दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं, तब उनका संयोग भले ही अनादि हो, पर वह टूट सकता है और वह टूटेगा तो अपने परमार्थ स्वरूपकी प्राप्तिकी ओर लक्ष्य करनेमें। इस शक्तिका निश्चय भी द्रव्यका स्वतन्त्र अस्तित्व मानकर ही तो किया जा सकता है। अनादिकी अशुद्ध आत्मामें शुद्ध होनेकी शक्ति है, वह शुद्ध हो सकता है। यह शक्यता-भविष्यतका ही तो विचार है। हमारा भूत और वर्तमान अशुद्ध है, फिर भी निश्चयनय हमारे उज्ज्वल भविष्यकी ओर, कल्पनामें नहीं, वस्तुके आधारसे ध्यान दिलाता है? उसी तत्त्वको आचार्य कुन्दकुन्द बड़ी सुन्दरतासे कहते हैं कि 'काम, भोग और वन्धकी कथा सभीको श्रुत, परिचित और अनुभूत है, पर विभक्त-शुद्ध आत्माके एकत्वकी उपलब्धि सुलभ नहीं है।' कारण यह है कि शुद्ध आत्माका स्वरूप ससार जीवोंको केवली श्रुतपूर्व है अर्थात् उसके सुननेमें ही कदाचित् आया हो, पर न तो उसने कभी इसका परिचय पाया है और न कभी उसका अनुभव ही किया है। (पृष्ठ ४७१-४७२ ।)

ग्रन्थका दसवाँ अध्याय है 'स्याद्वाद और सप्तभगी' इस अध्यायमें स्याद्वादकी उद्भूतिका कारण बताते हुए विद्वान् लेखकने कहा है कि जब मनुष्यकी दृष्टि अनेकान्त तत्त्वका स्पर्श करनेवाली बन जाती है तब उसके समझानेका ढग भी निराळा हो जाता है, वह उस शैलीसे वचन प्रयोग करना चाहता है जिससे वस्तुतत्त्वका यथार्थ प्रतिपादन हो जाए। इस शैलीका भाषाके निर्दोष प्रकारकी आवश्यकतामें स्याद्वादका आविष्कार किया है। इसमें लगा हुआ स्यात् शब्द प्रत्येक वाक्यके सापेक्ष होनेकी सूचना देता है। स्यात् एक सजग प्रहरी है जो उच्चरित धर्मको इधर-उधर नहीं जाने देता तथा अविधित धर्मोंके अधिकारका संरक्षण करता है। स्यात् शब्द जहाँ अस्तित्व धर्मकी स्थिति सुदृढ़ और सहैतुक बनाता है वहाँ एक न्यायाधीशकी तरह यह भी कह देता है कि हे अस्तित्व, तुम अपनी अधिकार सीमाको समझो, स्वद्रव्य क्षेत्र, काल, भावकी दृष्टिसे जिस प्रकार तुम वस्तुमें रहते हो, उसी तरह परद्रव्यादिकी अपेक्षा नास्त नामका तुम्हारा भाई भी उसी वस्तुमें रहता है।

वस्तुकी अनन्तधर्मात्मकताका सुन्दर विश्लेषण करते हुए उसमें प्राग्भाव, प्रथमाभाव, इतरेतराभाव एव अत्यन्ताभावका सामञ्जस्य भी बिठाया गया है। सद्सत्तात्मक तत्त्व, एकानैकात्मक तत्त्व, नित्यानित्यात्मक तत्त्व और भेदा-भेदात्मक तत्त्व भी किस प्रकार वस्तुमें एक साथ रह लेते हैं इसकी प्ररूपणा भी बहून् स्पष्ट रूपसे की गई है। सप्तभगीकी व्याख्या करते हुए यह भी समझाया है कि भग सात ही क्यों हैं, अवबतव्य भगका क्या अर्थ है तथा भंगोमें सकलविकलादेशता किस प्रकार बनती है।

चूँकि स्याद्वादको लेकर जैनदर्शनकी आलोचना पूर्ववर्ती और वर्तमान अनेक दार्शनिकोंने की है अतः लेखकने इस अध्यायमें उन सबके मतोंका उद्धरण देकर स्याद्वाद पद्धतिसे ही उनका निराकरण भी कर दिया है। आलोचना करनेवालोंकी तो लम्बी सूची है परन्तु कुछ वर्तमान जैनतर दार्शनिकोंने स्याद्वादकी महत्ताकी स्वीकार भी किया है जैसे—

महामहोपाध्याय डॉ० गगनाथ झा लिखते हैं कि 'जबसे मैंने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धांतका खण्डन पढ़ा है, तबसे मुझे विद्वान्त्व हुआ है कि इस सिद्धांतमें बहुत कुछ है जिसे वेदान्तके आचार्योंने नहीं समझा।' दर्शनशास्त्रके अद्वितीय विद्वान् प्रो० फणिभूषण अधिकारीने तो और भी स्पष्ट शब्दोंमें लिखा था कि—'जैनधर्मके स्याद्वाद सिद्धांतको जितना गलत समझा गया है, उतना किसी अन्य सिद्धांतको नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोषसे मुक्त नहीं हैं। उन्होंने भी इस सिद्धांतके प्रति अन्याय किया है, यह बात अल्पज्ञ पुरुषोंके लिए क्षम्य हो सकती थी किन्तु भारतके इस महान् विद्वानके लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा। यद्यपि मैं इस महर्षिको अतीव आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने जैन-धर्मके मूल ग्रन्थोंके अध्ययनकी परवाह नहीं की।'।

इस प्रकार इस अध्यायमें स्याद्वादपर अनेक मतावलम्बी दार्शनिकोंके विचारोंका ऊहापोह संकलित है। स्याद्वादपर लगाए गए आक्षेपोंका जो परिहार पूर्वमें हो हमारे अकलकदेव, हरिभद्र आदि आचार्योंने किया था वह भी इसमें संक्षेपसे उद्धृत है।

ग्यारहवें अध्यायका शीर्षक है 'जैन दर्शन और विश्व शान्ति' इस अधिकारको लिखनेमें लेखकने अपने मौलिक विचार ही सँजोए हैं, परन्तु वे विचार जैनदर्शनकी महानता एवं विश्व शान्तिके परिप्रेक्ष्यमें उसकी उपयोगिताको उजागर करनेवाले हैं।

जैनदर्शन अनन्त आत्मवादी है। वह प्रत्येक आत्माको मूलमें समान स्वभाव और समान धर्मवाला मानता है। उनमें जन्मना किसी जातिभेद या अधिकार भेदको नहीं मानता। वह अनन्त जड़पदार्थोंका भी स्वतन्त्र अस्तित्व मानता है। इस दर्शनने वास्तवबहुत्वको मानकर व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी साधारण स्वीकृति दी है। वह एक द्रव्यके परिणमनपर दूसरे द्रव्यका अधिकार नहीं मानता। अतः किसी भी प्राणीके द्वारा दूसरे प्राणीका शोषण, निर्दलन या स्वायत्तीकरण ही अन्याय है। किसी चेतनका अन्य जड़ पदार्थोंको अपने अधीन करनेकी चेष्टा करना भी अनधिकार चेष्टा है। इसी तरह किसी देश या राष्ट्रका दूसरे देश या राष्ट्रको अपने अधीन करना, उसे अपना उपनिवेश बनाना ही मृत्यु अनधिकार चेष्टा है, अतएव हिंसा और अन्याय है। (पृष्ठ ५७३।)

ग्रन्थका अन्तिम अध्याय यद्यपि एक ग्रन्थ सूचीके रूपमें है परन्तु वह सामान्य पाठकोसे लेकर चित्तक और शोधकर्ता विद्वानों तकके लिए अत्यन्त उपयोगी है।

अध्यायके अन्तमें लेखककी यह टिप्पणी भी है कि यहाँ प्राकृत/संस्कृत ग्रन्थोंका ही उल्लेख किया गया है। कन्नड भाषामें भी अनेक ग्रन्थोंकी टीकाएँ पाई जाती हैं तथा कुछ जैनआचार्योंने जैन दर्शन ग्रन्थोंकी टीकाएँ भी लिखी हैं वे इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

इस प्रकार डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यकी महान् कृति 'जैनदर्शन' हमें जैनदर्शनके सिद्धांतोंकी सही परिप्रेक्ष्यमें समझनेके लिए तथा अन्य मतावलम्बी दार्शनिकोंकी भ्रामक मान्यताओंसे बचानेके लिए दीप-शिखाका कार्य पिछले चार दशकोंसे करती आ रही है, आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी।

खण्ड ४

विशिष्ट निबन्ध

अकलङ्कग्रन्थत्रय और उसके कर्ता

ग्रन्थकार आचार्य अकलङ्कदेव

श्रीमद्महाकलङ्कदेवकी जीवनगाथा न तो उन्हीने स्वयं ही लिखी है और न तन्निर्गतसमयवर्ती किसी दूसरे आचार्योंने ही। उपलब्ध कथाकोशमें सबसे पुराने हरिवंशकृत कथाकोशमें समस्तमद्र और अकलङ्क जैसे युगप्रधान आचार्योंकी कथाएँ ही नहीं हैं। हरिवंशने स्वयं अपने कथाकोशका समाप्तिकाल शकम्बत् ८५३ (ई० ९४१) लिखा है। प्रभावन्दकृत गणकथाकोशमें अकलङ्ककी कथा मिलती है। ५० नाथूरामजी प्रेमी इसका रचनाकाल विक्रमकी चौदहवीं सदी अनुमान करते हैं। प्रभावन्दके गणकथाकोशकी ही ब्रह्मचारी नेमिदत्तने विक्रमम्बत् १५७५के आसपास पद्यरूपमें परिवर्तित किया है। देवचन्द्रकृत कनक्री भाषाकी 'राजावलीकथे' में भी अकलङ्ककी कथा है। इसका रचनाकाल १६वीं सदीके बाद है। इस तरह कथाग्रन्थोंमें चौदहवीं सदीमें पहिलेका कोई कथाग्रन्थ नहीं मिलता जिनमें अकलङ्कका चरित्र तो क्या निर्देश तक भी हो। अकलङ्कदेवके ५०० वर्ष बादकी इन कथाओंका इतिवृत्तज्ञ विद्वान् पूरे-पूरे रूपमें अनुकरण नहीं करते हैं। इनके निदान अकलङ्कके शास्त्रार्थका उल्लेख मल्लिवंशप्रशस्तिकमें है। यह प्रशस्ति विक्रमम्बत् ११८५में लिखी गई थी। अकलङ्कके पिताका नाम राजवातिक प्रथमाध्यायके अन्तमें आए हुए 'जीवाचिचर' श्लोकमें 'लघुहृव्य' लिखा हुआ है। इस तरह अकलङ्कके जीवनवृत्तकी सामग्री नहीं बत है। जो है भी वह इतनी बाद की है कि उनपर अन्य प्रबल साक्ष्य प्रमाणोंके अभावमें सहसा जोर नहीं दिया जा सकता।

५० नाथूरामजी प्रेमीने कथाकोश आदिके आधारसे जैनहितोपी (भाग ११ अंक ७-८) में अकलङ्कदेवका जीवन वृत्तान्त लिखा है। उसीके आधारसे न्यायकुमुदचन्द्रकी प्रस्तावनामें भी बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ में उसका पिण्डोपण न करके सिर्फ उन्ही मुद्दीपर कुछ विचार प्रकट करूँगा, जिनके विषयमें अभी कुछ नया जाना गया है तथा अनुमान करनेके लिए प्रेरकसामग्री सकलित की जा सकी है। खासकर समय-निर्णयार्थ कुछ आम्बन्तर सामग्री उपस्थित करना ही इस समय मुख्यरूपसे प्रस्तुत है, क्योंकि इस विषयमें जैसी गुजाइश है वैसे प्रयत्न नहीं हुआ।

१ जन्मभूमि-पितृकुल

प्रभावन्दके गणकथाकोश तथा उसीके परिवर्तितरूप ब्रह्मचारी नेमिदत्तके आराधनाकथाकोशके लेखानुसार अकलङ्कका जन्मस्थान मान्यखेट नगरी है। वे वहाँके राजा शुभतुंगके मन्त्री पुरुषोत्तमके ज्येष्ठ पुत्र थे। श्री देवचन्द्रकृत कनक्री भाषाके राजावलीकथे नामक ग्रन्थमें उन्हे काञ्चीके जिनदास ब्राह्मणका पुत्र बताया है। इनकी माताका नाम जिनमती था। तीनरा उल्लेख राजवातिकके प्रथम अध्यायके अन्तमें पाया जाने वाला यह श्लोक है—

अनवरतनिखिलजननुतविद्य प्रशस्तजनहृद्य ॥”

इस श्लोकके अनुसार वे लघुहृव्य राजाके वरतनम्-ज्येष्ठ पुत्र थे। विद्वानोंकी आजतककी पर्यालोचनासे ज्ञात होता है कि वे राजावलीकथेका वर्णन प्रमाणकोटिमें नहीं मानते और कथाकोशके वर्णनकी अपेक्षा उनका झुकाव राजवातिकके श्लोककी ओर अधिक दिखाई देता है।

मुझे तो ऐसा लगता है कि—लघुहृव्य और पुरुषोत्तम एक ही व्यक्ति हैं। राष्ट्रकूटवंशीय इन्द्रराजद्वितीय तथा कुण्डराजप्रथम भाई-भाई थे। इन्द्रराज द्वितीय का पुत्र दन्तिदुर्गद्वितीय अपने पिताकी मृत्युके बाद राज्याधिकारी हुआ। कर्नाटक प्रान्तमें पिताको अथवा या अन्य शब्दसे कहते हैं। सम्भव है कि दन्तिदुर्ग अपने

२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

चाचा कृष्णराजको भी अर्ध शब्दसे कहता हो। यह तो एक साधारण-सा नियम है कि जिसे राजा 'अर्ध' कहना हो, उसे प्रजा भी 'अर्ध' शब्दसे ही कहेगी। कृष्णराज जिसका दूसरा नाम दुभतुग था, दन्तिदुर्गके बाद राज्याधिकारी हुआ। मालूम होता है कि—पुरुषोत्तम कृष्णराजके प्रथममे ही लघु सहकारी रहे हैं, इसलिए स्वयं दन्तिदुर्ग एवं प्रजाजन इनको 'लघु अर्ध' शब्दसे कहने लगे। बादमे कृष्णराजके राज्यकालमे ये कृष्णराजके मंत्री बने होंगे। कृष्णराज अपनी परिणत अवस्थामे राज्याधिकारी हुए थे। इसलिये यह माननेमें कोई आपत्ति नहीं है कि—पुरुषोत्तमकी अवस्था भी करीब-करीब उतनी ही होगी और ज्येष्ठ पुत्र अकलक दन्तिदुर्गकी सभामे, जिनका उपनाम 'साहमनुग' कहा जाता है, अपने हिमशोतलकी मभाग होनेवाले शास्त्रार्थकी बात कहे। पुरुषोत्तमका 'लघुअर्ध' नाम इतना रूढ़ हो गया था कि अकलक भी उनके अमली नाम पुरुषोत्तमकी अपेक्षा प्रसिद्ध नाम 'लघुअर्ध' अधिक पसन्द करने लगे। यदि राजवातिकवाला श्लोक अकलक या तत्पमकालीन किसी अन्य आचार्यका है तो उसमे पुरुषोत्तमकी जगह 'लघुअर्ध' नाम आना स्वाभाविक ही है। 'लघुअर्ध' एक ताल्लुकेदार होकर भी विशिष्ट राजमान्य तो थे ही और इसीलिए वे भी नृपति कहे जाने थे। अकलक उनके बरतनय-ज्येष्ठ पुत्र या श्रेष्ठ पुत्र थे।

यद्यपि अभी तक इतिहाससे यह मालूम हो सका है कि—मान्यश्रेष्ठ राजधानीकी प्रतिष्ठा महाराज अमोघवर्षने की थी। पर इसमे सभी ऐतिहासिक विद्वानोका एकमत नहीं है। यह तो सम्भव है कि अमोघवर्षने इसका जीर्णोद्धार करके पुन प्रतिष्ठा की हो, क्योंकि अमोघवर्षने पहिले भी 'मान्यपुर, मान्यान' आदि उल्लेख मिलते हैं। अथवा यह मान भी लिया जाय कि अमोघवर्षने ही मान्यश्रेष्ठको प्रतिष्ठित किया था। तब भी इससे कथाकोशकी बातें सर्वथा अप्रामाणिक नहीं कहे जा सकनी। इससे तो इतना ही कहा जा सकता है कि—कथाकोशकारके समयमे राष्ट्रकूटवंशीय राजाओंकी राजधानी आमतौरसे मान्यश्रेष्ठ प्रसिद्ध थी और इसीलिये कथाकोशकारने दुभतुगकी राजधानी भी मान्यश्रेष्ठ लिख दी है।

यदि पुरुषोत्तम और लघुअर्धके एक ही व्यक्ति होनेका अनुमान सत्य है तो कहना होगा कि अकलक-देवकी जन्मभूमि मान्यश्रेष्ठके ही आम पास होगी तथा पिताका अमली नाम पुरुषोत्तम तथा प्रचलित नाम 'लघुअर्ध' होगा। 'लघुअर्ध' की जगह 'लघुहर्ध' का होना तो उच्चारणकी विविधता और प्रति के लेखन-वैचित्र्यका फल है।

२ समय विचार

अकलकके समयके विषयमें मुख्यतया दो मत हैं। पहिला स्वर्गीय डॉ० के० वी० पाठकका और दूसरा प्रो० श्रीकण्ठशास्त्री तथा प० जुगलकिशोर मुस्तारका। डॉ० पाठक मल्लिखेणप्रशास्त्रिके 'राजन साहसनुग' श्लोकके आधारसे इन्हे राष्ट्रकूटवंशीय राजा दन्तिदुर्ग या कृष्णराज प्रथमका समकालीन मानते हैं, और अकलकचरित्रके—'विक्रमार्कशकाद्रीयशतसप्तप्रमाजुषि। कालेऽकलकयतिनो बौद्धैर्वाद्यो महानभूत् ॥' इस श्लोकके 'विक्रमार्कशकाद' शब्दका शकसवत् अर्थ करते हैं। अत इनके मतानुसार अकलकदेव शकसवत् ७०० (ई० ७७८) मे जीवित थे।

दूसरे पक्षमे श्रीकण्ठशास्त्री तथा मुस्तारका 'विक्रमार्कशकाद' का विक्रमसवत् अर्थ करके अकलक देवकी स्थिति विक्रम सं० ७०० (ई० ६४३) में बतलाते हैं।

प्रथमतया समयनि स्व० डॉ० आर० जी० भाण्डारकर, स्व० डॉ० नतीशचन्द्र विद्याभूषण तथा प० नाथूरामजी प्रेमी आदि विद्वानोंने किया है। इसके समर्थनार्थ हरिवंशपुराण (१३१) में अकलकदेवका स्मरण, अकलक द्वारा धर्मकीर्तिका खंडन तथा प्रभाचन्द्रके कथाकोशमे अकलकको शुभतुगका मन्त्रिपुत्र बतलाया जाना आदि युक्तियाँ प्रयुक्त की गई हैं।

दूसरे मतके समर्थक प्रो० ए० एन० उपाध्ये और पं० कौलाशचन्द्रजी शास्त्री आदि हैं। इस मतके समर्थनार्थ बीरसेन द्वारा धवलटीकामें राजवातिकके अवतरण लिये जाना, हरिभद्रके द्वारा 'अकलक न्याय' शब्दका प्रयोग, मिद्धसेनगणिका मिद्धि-विनिश्चयवाला उल्लेख, जिनदासगणि महत्तर द्वारा निशोथचूर्णिमें मिद्धिविनिश्चयका दर्शनप्रभावक शास्त्ररूपसे लिखा जाना आदि प्रमाण दिये गये हैं^१।

हमारी विचारसरणि—किसी एक आचार्यका या उसके ग्रन्थका अन्य आचार्य समकालीन होकर भी उल्लेख और समालोचन कर सकते हैं, और उत्तरकालीन होकर भी। पर इसमें हमें इस बातपर ध्यान रखना होगा कि उल्लेखादि करनेवाला आचार्य जन्म हुआ या जनेतर। अपने सम्प्रदायमें तो जब मामूलीसे थोड़ा भी अच्छा व्यक्ति, जिसकी प्रवृत्ति इनरमत निरसनके द्वारा मार्गप्रभावनाकी ओर अधिक होती है, बहुत जल्दी ख्यात हुआ जाता है, तब अमाधारण विद्वानोंकी तो बात ही क्या? स्वसम्प्रदायमें प्रसिद्धिके लिये अधिक समयकी आवश्यकता नहीं होती। अतः स्वसम्प्रदायके आचार्यों द्वारा पूर्वकालीन तथा समकालीन आचार्योंका उल्लेख किया जाना ठीक है। इतना ही नहीं, पर स्वसम्प्रदायमें तो किसी बृद्ध आचार्य द्वारा असाधारण-प्रतिभाशाली युवक आचार्यका भी उल्लेख होना सम्भव है। पर अन्य सम्प्रदायके आचार्यों द्वारा समालोचन या उल्लेख होना याग्य प्रसिद्धिके लिए कुछ समय अवश्य ही अपेक्षित होता है। क्योंकि १२-१३ सौ वर्ष पूर्वके सम्प्रदायिक वातावरणमें असाधारण प्रसिद्धिके बिना अन्य सम्प्रदायके आचार्योंपर इस प्रकारकी छाप नहीं पड़ सकती, जिनसे वे उल्लेख करनेमें तथा समालोचन या अनुसरण करनेमें प्रवृत्त हो। अतः सम्प्रदायान्तरेके उल्लेख या समालोचन करनेवाले आचार्यसे समालोच्य या उल्लेखनीय आचार्यके समयमें समकालीन होनेपर भी १५-२० वर्ष जितने समयका पीर्वापर्य मानना विशेष सयुक्तिक जान पड़ता है। यद्यपि इसके अपवाद मिल सकते हैं और मिलते भी हैं, पर साधारणतया यह प्रणाली स्वयमार्गोन्मुख होती है। दूसरे समकालीन लेखकोंके द्वारा लिखी गई विद्वत्सामग्रीके अभावमें ग्रन्थोंके आन्तरिकपरीक्षणको अधिक महत्त्व देना मत्पक्षके अधिक निकट पहुँचनेका प्रशस्त मार्ग है। आन्तरिक परीक्षणके निवाय अन्य बाह्य साधनोंका उपयोग तो खीचतान करके दोनों ओर किया जा सकता है, तथा लोग करते भी हैं। मैं यहाँ इसी विचार पद्धतिके अनुसार विचार करूँगा।

अकलकके ग्रन्थोंके आन्तरिक अवलोकनके आधारसे मेरा विचार स्पष्टरूपसे अकलकके समयके विषयमें डॉ० पाठकके मतकी ओर ही अधिक झुकाता है। हाँ, मेरी समर्थनपद्धति डॉ० पाठककी समर्थन पद्धतिसे भिन्न है। मैं पहिले विरोधी मतको उन एक दो खास युक्तियोंकी आलापना करूँगा जिनके आधारपर उनका मत स्थिर है, फिर उन विचारोंको विस्तारसे लिखूँगा जिनमें मेरी मति डॉ० पाठकके मतसमर्थनकी ओर झुकाई।

आलोचना—(१) निशोथचूर्णिमें सिद्धिविनिश्चयका दर्शनप्रभावकरूपसे उल्लेख है तो सही। यह भी ठीक है कि इसके कर्ता जिनदासगणिमहत्तर हैं, क्योंकि निशोथचूर्णिके अन्तमें दी हुई गाथासे उनका नाम स्पष्टरूपसे निकल आता है। पर अभी इस चूर्णिके रचनाकालका पूरा निश्चय नहीं है। यद्यपि नन्दीचूर्णिकी प्राचीन और विश्वसनीय प्रतिमें उसका रचनासमय शक ५९८ (ई० ६७६) दिया है पर इसके कर्ता जिनदासगणिमहत्तर हैं यह अभी सदिग्ध है। इसके कारण ये हैं—

१—अभी तक परम्परागत प्रसिद्धि ही ऐसी चली आ रही है कि नन्दीचूर्णि जिनदासकी है, पर कोई

इन दोनों मतोंके समर्थनकी सभी युक्तियोंका विस्तृत सग्रह न्यायकुमुदचन्द्रकी प्रस्तावनामें देखना चाहिए।

साधकप्रमाण नहीं मिला। भाण्डारकर प्राच्यविज्ञानशोधन मन्दिरके जैनागम कैंटलीगमे प्रो० H R कापडिया ने स्पष्ट लिखा है कि—नन्दीचूणिके कर्ता जिनदास है यह प्रघोषमात्र है।

२-निशीथचूणिकी तरह नन्दीचूणिके अन्तमे जिनदासने अपना नाम नहीं दिया।

३-नन्दीचूणिके अन्तमे पाई जानेवाली—

“गिरेण गामेत्त महामहा जिता, पसूयती सख जगद्धिताकुला।
कमद्धिता वीमत चितितक्खरो फुड कहेय अभिहाणकम्मुणा ॥”

इस गायके अक्षरोको लौट पलटनेपर भी ‘जिनदास’ नाम नहीं निकलता।

४-नन्दाध्ययन टीकाके रचयिता आचार्य मलयगिरिको भी चूणिकारका नाम नहीं मालूम था, क्योंकि वे अपनी टीका में पूर्वटीकाकार आचार्योंका स्मरण करने समय हरिभद्रसूत्रिका तो नाम लेकर स्मरण करते हैं जब कि हरिभद्रके द्वारा आभार रूपसे अवलम्बित चूणिके रचयिताका वे नामोल्लेख नहीं करके ‘तस्मै श्रीचूणिकृते नमोऽस्तु’ इतना लिखकर ही चुप हो जाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि—आचार्य मलयगिरि चूणिकारके नामसे अपरिचित थे, अन्वथा वे हरिभद्रकी तरह चूणिकारका नाम लिखे बिना नहीं रहते।

अतः जब नन्दीचूणिकी और निशीथचूणिकी एककृतका है अनिश्चित है तब नन्दीचूणिके समयसे निशीथचूणिके समयका निश्चय नहीं किया जा सकता। इग तरह अनिश्चितनामयवाला निशीथचूणिका मिर्द्धि-बिनिश्चयवाला उल्लेख अकलकका समय ई० ६७६ से पहिले ले जानेमे साधक नहीं हो सकता।

(२) अकलकचरितके ‘विक्रमार्क शकाब्द’ वाले उल्लेखको हमे अन्य नमर्थ प्रमाणोके प्रकाशमे ही देखना तथा सगत करना होगा, क्योंकि अकलकचरित १५वा १६वीं शताब्दीका ग्रन्थ है। यह अकलकमे करीब सत्त आठ सौ वर्ष बाद बनाया गया है। अकलकचरितके कर्ताके नामने यह परम्परा रही होगी कि ‘सवत् ७०० मे अकलकका शास्त्रार्थ हुआ था’, पर उन्हे यह निश्चित मालूम नहीं था कि—यह सवत् विक्रम है या शक अब्दवा और कोई? आगे लिखे हुए ‘अकलकके ग्रन्थोकी तुलना’ शीर्षक स्तम्भसे यह स्पष्ट हो जायगा कि अकलकने भर्तृहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर, कर्णकगोमि आदि आचार्योंके विचारीकी आलोचना की है। कुमारिल आदिका कार्यकाल सन् ६५० ई० से पहले किसी भी तरह नहीं जाता, क्योंकि भर्तृहरि (सन् ६०० से ६५०) की आलोचना कुमारिल आदिके ग्रन्थोमे पाई जाती है। यदि विक्रमार्क शकाब्दसे विक्रमसवत् विवक्षित किया जाय तो अकलकको कुमारिल आदिसे पूर्वकालीन नहीं ता ज्येष्ठ तो अवश्य हो मानना पडेगा। यह अकलकके द्वारा जिन अन्य आचार्योंकी समालोचना की गई है, उनके समयसे स्पष्ट ही विरुद्ध पडता है। अतः हम इस श्लोकोको इतना महत्त्व नहीं दे सकते, जिसमे हमे मारी वस्तुस्थितिको उलटकर भर्तृहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर और कर्णकगोमिकी, जिनमे स्पष्टरूपमे पूर्वोपर्य है स्वात्तानकर समान कालमे लाना पडे। अकलकदेवके ग्रन्थोसे मालूम होता है कि उनका बौद्धदर्शनविषयक अस्यास धर्मकीर्ति तथा उनके शिष्योके मूल एव टीकाग्रन्थोका था। इनका यह तात्पर्य नहीं है कि—उन्होंने वसुवन्धु या दिग्नागके ग्रन्थ नहीं देखे थे। किन्तु बौद्धोके साथ महान् शास्त्रार्थ करनेवाले अकलकको उन पूर्वग्रन्थोका देखना भर

१. भाण्डारकर प्राच्यविज्ञान सशोधन मन्दिरके जैनागम कैंटलीग (Part II P. 302) मे मलयगिरिरचित लिखित तीन नन्दिसूत्रविवरणोका परिचय है। उनमे चूणिकार तथा हरिभद्रका निम्न श्लोकोमे स्मरण किया है—

“नन्दाध्ययन पूर्व प्रकाशित येन विषमभावाधर्मम् । तस्मै श्रीचूणिकृते नमोऽस्तु विदुषे परोपकृते ॥ १ ॥

मध्ये समस्तभूषीठ यशो यस्याभिवर्द्धत । तस्मै श्रीहरिभद्राय नमस्तीकाविधायिने ॥ २ ॥”

पर्याप्त नहीं था, उन्हें तो शास्त्रार्थमें खण्डनीय अटिल मुक्तिजालका विशिष्ट अम्यास चाहिए था। इसलिये शास्त्रार्थमें उपयोगी दलीलके कोटिक्रममें पूर्ण निष्णात अकलकका महान्वाद विक्रम ७०० में असभव मालूम होता है; क्योंकि धर्मकीर्ति आदिका ग्रन्थरचनाकाल सन् ६६० से पहिले किसी तरह संभव नहीं है। सारांश यह कि—हमें इस उल्लेखकी सगतिके लिये अन्य साधक एवं पोषक प्रमाण खोजने होंगे। मैंने इसी दिशामें यह प्रयत्न किया है।

अन्य हरिवंश, सिद्धसेनगण आदि द्वारा अकलकका उल्लेख, हरिवंशपुराणमें अकलकका उल्लेख, वीरसेन द्वारा राजवार्तिकके अवतरण लिये जाना आदि ऐसे रबरप्रकृतिक प्रमाण हैं, जिन्हें खीचकर कहीं भी बिठाया जा सकता है। अतः उनकी निराधार खीचतानमें मैं अपना तथा पाठकोका समय खर्च नहीं करूँगा।

३ अकलकके ग्रन्थोंको तुलना

हमें अकलकके ग्रन्थोंके साथ जिन आचार्योंके ग्रन्थोंकी तुलना करना है उनके पारस्परिक पीवपिय एवं समयके निर्णयकी खास आवश्यकता है। अतः तुलना लिखनेके पहिले उन खान-खान आचार्योंके पीवपिय तथा समयके विषयकी आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की जानी है। इसमें प्रथम भर्तृहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, कर्णकगोमि, शान्तरक्षित आदि आचार्योंके समय आदिका विचार होगा फिर इनके साथ अकलककी तुलना करके अकलककदवका समय निर्णय होगा।

भर्तृहरि और कुमारिल—इतिहासके उल्लेखानुसार भर्तृहरि उस समयके एक प्रसिद्ध वैयाकरण थे। उस समय इनका वाक्यविषयकचर्चावाला वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्ध था। इतिहासमें जब (सन् ६९१) अपना यात्रा वृत्तान्त लिखा तब भर्तृहरिकी मृत्यु हुए ४० वर्ष हो चुके थे। अतः भर्तृहरिका समय सन् ६००-६५० तक सुनिश्चित है। भर्तृहरि शब्दाद्वैत दर्शनके प्रस्थापक थे। मोमासकथुरीण कुमारिलने भर्तृहरिके वाक्यपदीयसे अनेको श्लोक उद्धृतकर उनकी समालोचना की है। यथा—

“अस्त्यर्थं सर्वशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम्।

अपूर्वंदेवतास्वर्गं

सममाहुर्गवादिषु ॥”

—वाक्यपदीय २।१२१

तन्त्रवार्तिक (पृ० २५१-२५३) में यह श्लोक दो जगह उद्धृत होकर आलोचित हुआ है। इसी तरह

- १ हरिवंशपुराणके “इन्द्रचन्द्रार्कजैनेन्द्रव्याडिव्याकरणेभ्रिण । देवस्य देवपचस्य न यन्दने गिर कथम् ॥” (१-३१) इस श्लोकमें पं. कौलाशचन्द्रजी देवनन्दिका स्मरण मानते हैं। उसके लिये ‘देवसघस्य’ की जगह ‘देववन्दस्य’ पाठ शुद्ध बताते हैं (न्यायकुमुद प्रस्ता०)। पर इस श्लोकका ‘इन्द्रचन्द्रार्कजैनेन्द्रव्याडिव्याकरणेभ्रिण’ विशेषण ध्यान देने योग्य है। इसका तात्पर्य यह है कि—वे देव इन्द्र चन्द्र अर्क जैनेन्द्र व्याडि आदि व्याकरणोंके इक्षिन्-प्रष्टा-विशिष्ट अम्यासी थे। देवनन्दि इन्द्र आदि व्याकरणोंके अम्यासी तो हो सकते हैं पर जैनेन्द्रव्याकरणके तो वे रचयिता थे। यदि देवनन्दिका स्मरण हरिवंशकारको करना था तो वे ‘जैनेन्द्रकत्तु’ या ‘जैनेन्द्रप्रणेतु’ ऐसा कोई पद रखते। एक ही पदमें जैनेन्द्रके कर्ता तथा इन्द्रादि व्याकरणोंके अम्यासी देवनन्दिका उल्लेख व्याकरणशास्त्रके नियमोंसे विरुद्ध है। देवनन्दिका स्मरण माननेके लिए ‘देवसघस्य’ की जगह ‘देववन्दस्य’ पाठरूप कल्पनागौरवका, तथा ‘देवनन्दस्य’ पाठके अष्ट रूपसे देवनन्दिका संकेत मानने रूप क्लिष्टकल्पनाका भार व्यर्थ ही ठोना पड़ता है। अतः इस श्लोकमें शब्दशास्त्रनिष्णात अकलकका ही स्मरण मानना चाहिए।

६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

१ (पृ० २०९-१०) में कुमारिलने वाक्यपदीयके "तत्त्वावबोध शब्दाना नास्ति व्याकरणश्रुते" (वाक्यप० १।७) अश को उद्धृतकर उसका खडन किया है। मोमामाश्लोकवातिक (वाक्याधिकरण श्लोक ५१ से) में वाक्यपदीय (२।१-२) में आए हुए दशविध वाक्यलक्षणोका समालोचन किया है। भर्तृहरिके स्फोटवादकी भी आलोचना कुमारिलने (मी० श्लो० स्फोटवाद , बड़ी प्रखरनासे की है। डॉ० के० बी० पाठकने यह निर्धारित किया है कि—कुमारिल ईसवी सन्की ८वीं शताब्दीके पूर्वभागमें हुए है। डॉ० पाठकके द्वारा अन्विष्ट प्रमाणोसे इतना तो स्पष्ट है कि कुमारिल भर्तृहरि (सन् ६५०) के बाद हुए है। अतः कमसे कम उनका कार्यकाल सन् ६५० के बाद नो होगा, पर वे इतने बाद तो कभी नही हो सकते। मेरे 'धर्मकीर्ति और कुमारिल' के विवेचनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि—कुमारिल भर्तृहरिके बाद होकर भी धर्मकीर्तिके कुछ पूर्व हुए है; क्योंकि धर्मकीर्तिने कुमारिलके विचारोका खडन किया है। डॉ० पाठक कुमारिल और धर्मकीर्तिके पारस्परिक पीर्बपयके विषयमें अभ्रान्त नही थे। यही कारण है कि—वे कुमारिलका समय ई० ८वीं का पूर्वभाग मानते थे। धर्मकीर्तिका समय आगे सन् ६२० से ६९० तक निर्दिष्ट किया जायगा। अतः कुमारिलका समय सन् ६०० से ६८० तक मानना ही समुचित होगा।

भर्तृहरि और धर्मकीर्ति—कुमारिलको तरह धर्मकीर्तिने भी भर्तृहरिके स्फोटवाद तथा उनके अन्य विचारोका खडन अपने प्रमाणवातिक तथा उमकी स्वोपजवृत्तिमें किया है। यथा—

१—धर्मकीर्ति स्फोटवादका खडन प्रमाणवातिक (३।२५१ से) में करते है।

२—भर्तृहरि की—'नादेनाहितवीजायामन्येन ध्वनिना सह।

आवृत्तिपरिपाकाया बुद्धौ शब्दोऽवभासते ॥'

—वाक्यप० १।८५

इन कारिकामें वर्णित वाक्यार्थबोधप्रकारका खडन धर्मकीर्ति प्रमाणवातिक स्वोपजवृत्ति (३।२५३) में इस प्रकार उल्लेख करके करते है—

"ममस्त्वर्णसंस्कारवत्या अन्त्यया बुद्ध्या वाक्यावधारणमित्यपि मिथ्या।"

अतः धर्मकीर्तिका समय भर्तृहरिके अनन्तर माननेमें कोई मन्वेह नही है।

कुमारिल और धर्मकीर्ति—डॉ० विद्याभूषण आदिको विश्वास था कि कुमारिलने धर्मकीर्तिको आलोचना की है। मद्रास युनि०से प्रकाशित बृहतीके द्वितीय भागकी प्रस्तावनामें प्रो० रामनाथ शास्त्रीने उन मन्तव्यकी पुष्टिके लिये मोमामाश्लोकवातिकके ४ स्थल (मी० श्लो० पृ० ६९ श्लो० ७६, पृ० ८३ श्लो० १३१, पृ० १४४ श्लो० ३६, पृ० २५० श्लो० १३१) भी खोज निकाले है। मालूम होता है कि—इन स्थलोकी पार्थसारथिमिथि विरचित न्यायरत्नाकर व्याख्यामें जो उल्लेख वाक्य दिए है, उन्होके आधारसे ही प्रो० रामनाथजीने उन श्लोकोकी धर्मकीर्तिके मतखण्डनपरक समझ लिया है। यहा पार्थसारथिमिश्रकी तरह, जो कुमारिलमें ४-५ गौ वर्ष बाद हुए है शास्त्रीजी भी भ्रममें पड़ गए है। क्योंकि उन श्लोकोमें कोई भी शब्द ऐसा नही है जिसके बलपर उन श्लोकोका अर्थ साक्षात् धर्मकीर्तिके मतखण्डनपरक रूपमें लगाया जा सके। ४-५ गौ वर्ष बाद हुए टीकाकारकी, जिसकी दृष्टि ऐतिहासिककी अपेक्षा तात्त्विक अधिक है ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है। इसी तरह डॉ० पाठकका यह लिखना भी अभ्रान्त नही है कि—'मोमामा श्लोकवातिकके पुन्यवाद प्रकरणमें कुमारिलने बौद्धमतके 'बुद्धयात्मा ग्राह्य ग्राहक रूपसे भिन्न दिखाई देता है' इस विचारका

१. यह उद्धरण न्यायकुमुदचन्द्रकी प्रस्तावनासे लिया है।

खण्डन किया है। श्लोकवार्तिककी व्याख्यामें इस स्थानपर सुचरितमिश्र धर्मकीतिका निम्न श्लोक, जिसको शंकराचार्य और सुरेश्वराचार्यने भी उद्धृत किया है, बारम्बार उद्धृत करते हैं—

“अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा विपर्यामितदर्शनं ।

ग्राह्यग्राहकसर्वविभेदवानिव लक्ष्यते ॥” —प्रमाणवा० २।३५४

इससे यह मालूम होता है कि कुमारिल धर्मकीतिके बाद हुए हैं ।”

डॉ० पाठक जिन श्लोकोकी व्याख्यामें सुचरितमिश्र द्वारा ‘अविभागोऽपि’ श्लोक उद्धृत किए जानेका जिक्र करते हैं, वे श्लोक ये हैं—

“मत्पक्षे यद्यपि स्वच्छो ज्ञानात्मा परमायतं । तथाप्यनादौ ससारे पूर्वज्ञानप्रसूतिभिः ॥

चित्राभिश्चित्रहेतुस्वाप्नानामिरूपप्लवात् । स्वानुरूपेण नीलादिग्राह्यग्राहकदूषितम् ॥

प्रविभक्तमिवोत्पन्न नान्यमर्थमपेक्षते ।”

—मी० श्लो० धूम्यवाद श्लो० १५-१७

इन श्लोकोकी व्याख्यामें न केवल सुचरितमिश्रने ही किन्तु पार्थसारथिमिश्रने भी ‘अविभागोऽपि’ श्लोकको उद्धृतकर बोद्धमतका पूर्वपक्ष स्थापित किया है। पर इन श्लोकोकी शब्दावलीका ध्यानसे पर्यवेक्षण करनेपर ज्ञात होता है कि—ग्रन्थकार इन श्लोकोकी सीधे तौरसे पूर्वपक्षके किसी ग्रन्थसे उठाकर उद्धृत कर रहा है। इनकी शब्दावली ‘अविभागोऽपि’ श्लोककी शब्दरचनासे करीब-करीब बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि आर्थिक दृष्टिसे ‘अविभागोऽपि’ श्लोककी सगति ‘मत्पक्षे’ आदि श्लोकोसे ठीक बैठ सकती है, पर यह विषय स्वयं धर्मकीति द्वारा मूलन नहीं कहा गया है। धर्मकीतिके पूर्वज आचार्य वसुवन्धु आदिने विशतिकाविज्ञप्तिमात्रता और त्रिशतिकाविज्ञप्तिमात्रतासिद्धि आदि ग्रन्थोंमें बड़े विस्तारसे उक्त विषयका स्थापन किया है। दिग्भागके जिस प्रमाणमसूच्यपर धर्मकीतिने प्रमाणवार्तिक वृत्ति रखी है उसमें तो इसका विवेचन होगा ही। स्थिरमति आदि विज्ञानवादियोंने वसुवन्धुकी त्रिशतिकाविज्ञप्तिमात्रतासिद्धिपर भाष्य आदि रचके उक्त मतको पूरी-पूरी तौरसे पल्लवित किया है। धर्मकीति तो उक्त मतके अनुवादक है। अतः सुचरिता मिश्र या पार्थसारथिमिश्रके द्वारा उद्धृत श्लोकके बलपर कुमारिलको धर्मकीतिका समालोचक नहीं कहो-जा सकता ।

अब मैं कुछ ऐसे स्थल उद्धृत करता हूँ जिनसे यह निर्धारित किया जा सकेगा कि धर्मकीति है कुमारिलका खण्डन करने हैं—

१-कुमारिलने शावरभाष्यके ‘धर्मं चोदनेव प्रमाणम्’ इस वाक्यको ध्यानमें रखकर अपने द्वारा किए गए सर्वज्ञत्वनिराकरणका एक ही तात्पर्य बताया है कि—

“सर्वज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रापयुज्यते । सर्वमन्यद्विज्ञानस्तु पुरुष केन वायते ॥”

अर्थात्—सर्वज्ञत्वके निराकरणका तात्पर्य है धर्मज्ञत्वका निषेध। धर्मके सिवाय अन्य सब पदार्थोंके जानने-वालेका निषेध यहाँ प्रस्तुत नहीं है ।

धर्मकीति प्रमाणवार्तिक (१-३१-३५) में ठीक इससे विपरीत सुगतकी धर्मज्ञता ही पूरे जोरसे सिद्ध करते हैं, उन्हें सुगतकी सर्वज्ञता अनुपयोगी मालूम होती है। वे लिखते हैं कि—

“हेयोपादेयतत्त्वस्य साम्युपायस्य वेदक । यह प्रमाणमसाविष्ट न तु सर्वस्य वेदक ॥

१. यह श्लोक कुमारिलके नामसे तत्त्वग्रह (पृ० ८१७) में उद्धृत है ।

दूरं पश्यतु वा मा वा तत्रवमिष्ट तु पश्यतु । प्रमाणं दूरदर्शीं चेतद गृध्रानुपासमहे ॥”

—प्रमाणवा० १।३४-३५

अर्थात्—जो हेय-दुःख, उपादेय-निरोध, हेयोपाय-समुदय, और उपादेयोपाय-मार्ग इन चार आर्यसत्योका जानता है वही प्रमाण है । उसे समस्त पदार्थोंका जाननेवाला होना आवश्यक नहीं है । वह दूर-अतीन्द्रिय पदार्थोंको जाने या न जाने, उसे दृष्टतत्त्वका परिज्ञान होना चाहिए । यदि दूरवर्ती पदार्थोंका द्रष्टा ही उपास्य होता हो तब तो हमको दूरद्रष्टा गृध्रोंकी उपासना पहिले करनी चाहिए ।

२-कुमारिलने शब्दको नित्यत्व सिद्ध करनेमें जिन क्रमबद्ध दलीलोक प्रयोग किया है, धर्मकीर्ति उनका प्रमाणवातिकमे (३।२६५ से आगे) खण्डन करते हैं ।

३-कुमारिलके ‘वर्णानुपूर्वीं वाक्यम्’ इस वाक्यलक्षणका धर्मकीर्ति प्रमाणवातिक (३।२५९) में ‘वर्णानुपूर्वीं वाक्यं चैत्’ उल्लेख करके उसका निराकरण करते हैं ।

४-कुमारिलके “नित्यस्य नित्य एवार्थं कृतवस्थाप्रमाणता” —मी० श्लो० वेदि० श्लो० १४ इस वाक्यका धर्मकीर्ति प्रमाणवातिकमे उल्लेख करके उसकी मखौल उड़ाते हैं—

“मिध्यात्व कृतकेष्वेव दृष्टमित्यकृतक वच ।

सत्यार्थं व्यतिरेकेण विरोधिब्यापनाद् यदि ॥—प्रमाणवा० ३।२८९

५-कुमारिलके “अतोऽत्र पुनर्मित्तत्वादुपपन्ना मूषार्थता” । —मी० श्लो० चोदानसू० श्लोक० १६९ इस श्लोकका खंडन धर्मकीर्तिने प्रमाणवातिक स्वोपज्ञवृत्ति (३।२९१) में किया है—“ततो यत्किञ्चिन्मिध्यार्थं तत्सर्वं पीक्षयेममित्यतिश्चयात् ।”

६-कुमारिलने “आप्तवादार्थिबवादसामान्यादनुमानता” दिग्भागेके इस वचनकी भीमाश्लोकवातिक (पृ० ४१८ और ९१३) में समालोचना की है । इसका उत्तर धर्मकीर्ति प्रमाणवातिक (३।२१६) में देते हैं ।

७-कुमारिल श्लोकवातिक (पृ० १६८) में निविकल्पकप्रत्यक्षका निम्नरूपसे वर्णन करते हैं—

“अस्ति ह्यालोचनाज्ञान प्रथमं निविकल्पकम् । बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम् ॥

धर्मकीर्तिने प्रमाणवातिक (२।१४१) में इसका “केचिदिन्द्रियजत्वादेर्बालधीबदकल्पनाम् । आहु-र्बाला” उल्लेख करके खण्डन किया है ।

८-कुमारिल ब्रह्मके अपौरुषेयत्वसमर्थनमें वेदाध्ययनवाच्यत्व हेतुका भी प्रयोग करते हैं—

“वेदस्याध्ययनं सर्वं तदध्ययनपूर्वकम् ।

वेदाध्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययन यथा ॥” —मी० श्लो० पृ० ९४९

धर्मकीर्ति अपौरुषेयत्वसाधक अन्य हेतुओंके साथ ही साथ कुमारिलके इस हेतुका भी उल्लेख करके खण्डन करते हैं—

“यथाऽयमन्यतोऽश्रुत्वा नेमं वर्णपदक्रमम् ।

वक्तु ममर्थं पुंस्व तथाप्योऽपीति कश्चन ॥” —प्रमाणवा० ३।२४०

प्रमाणवातिकस्वोपज्ञवृत्तिके टीकाकार कर्णकगोमि इस श्लोककी उत्पत्तिका इस प्रकार देते हैं—
“तदेवं कर्तुरस्मरणादिति हेतु निराकृत्य अन्यदपि साधनम् वेदस्याध्ययनं सर्वं तदध्ययनपूर्वकम्” इति

दूषयितुमुपन्यस्यति यथेत्यादि ।” हमसे स्पष्ट है कि—इस श्लोकमें धर्मकीर्ति कुमारिलके वेदव्ययनवाच्यत्व हेतुका ही खंडन कर रहे हैं ।

इन उद्धरणोंमें यह बात असन्दिग्धरूपसे प्रमाणित हो जाती है कि—धर्मकीर्तिने ही कुमारिलका खंडन किया है न कि कुमारिलने धर्मकीर्तिका । अतः भर्तृहरिका समय सन् ६००से ६५० तक, कुमारिलका समय सन् ६००से ६८० तक, तथा धर्मकीर्तिका समय सन् ६२० से ६९० तक मानना समुचित होगा । धर्मकीर्तिके इन समयके समर्थनमें कुछ और विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं—

धर्मकीर्तिका समय—डॉ० विद्याभूषण आदि धर्मकीर्तिका समय सन् ६३५ से ६५० तक मानते हैं । यह प्रसिद्धि है कि—धर्मकीर्ति नालन्दा विश्वविद्यालयके अध्यक्ष धर्मपालके शिष्य थे । चीनी यात्री हुएनसागने जब सन् ६३५में नालन्दा पहुँचा तब धर्मपाल अध्यक्षपदसे निवृत्त हो चुके थे और उनका बयोवृद्ध शिष्य शीलभद्र अध्यक्षपद पर था । हुएनसागने इन्हींसे योगशास्त्रका अध्ययन किया था । हुएनसागने अपना यात्राविवरण सन् ६४५ ई०के बाद लिखा है । उसने अपने यात्रावृत्तान्तमें नालन्दाके प्रसिद्ध विद्वानोंकी जो नामावली दी है उसमें ये नाम हैं—धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभासिद्ध, जिनमित्र, ज्ञानमित्र, शीलवृद्ध और शीलभद्र । धर्मकीर्तिका नाम न देनेके विषयमें साधारणतया यही विचार है, और वह युक्ति-संगत भी है कि—धर्मकीर्ति उस समय प्रारम्भिक विद्यार्थी होंगे ।

भिक्षु राहुलसाहूव्यायनजीका विचार है कि—‘धर्मकीर्तिकी उस समय मृत्यु हो चुकी होगी । चूँकि हुएनसागको तर्कशास्त्रसे प्रेम नहीं था और यत वह समस्त विद्वानोंके नाम देनेकी बाध्य भी नहीं था, इसी-लिए उसने प्रसिद्ध ताकि धर्मकीर्तिका नाम नहीं लिया ।’ राहुलजीका यह तर्क उचित नहीं मालूम होता, क्योंकि धर्मकीर्ति जैसे युगप्रधानताकिणिका नाम हुएनसागको उसी तरह लेना चाहिए था जैसे कि उसने पूर्वकालीन नामार्जुन या वसुबन्धु आदिका लिया है । तर्कशास्त्रसे प्रेम न होनेपर भी गुणमति, स्थिरमति जैसे विज्ञानवादी ताकिणिकोंका नाम जब हुएनसाग लेता है तब धर्मकीर्तिने तो बौद्धदर्शनके विस्तारमें उनसे कहीं अधिक एव ठोस प्रयत्न किया है । इसलिए धर्मकीर्तिका नाम लिया जाना न्यायग्राह्य ही नहीं था, किन्तु हुएनसागकी महज गुणानुरागिताका द्योतक भी था । यह ठीक है कि—हुएनसाग सबके नाम लेनेकी बाध्य नहीं था, पर धर्मकीर्ति ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं था जिसकी ऐसी उपेक्षा अनजानमें भी की जाती । फिर यदि धर्मकीर्तिका कार्यकाल गुणमति, स्थिरमति आदिसे पहिले ही समाप्त हुआ होता तो इनके ग्रन्थों-पर धर्मकीर्तिकी विशालग्रन्थराशिका कुछ तो असर मिलना चाहिए था । जो उनके ग्रन्थोंका सूक्ष्म पर्यवेक्षण करनेपर भी दृष्टिगोचर नहीं होता । हुएनसागने एक जिनमित्र नामके आचार्यका भी उल्लेख किया है । इतिहासके ‘धर्मकीर्तिने जिन’ के पश्चात् हेतुविद्याको और सुधारा’ इस उल्लेखके अनुसार तो यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि धर्मकीर्तिका कार्यकाल ‘जिन’ के पश्चात् था, क्योंकि हुएनसागने ‘जिनमित्र’ और इतिहासके ‘जिन’ एक ही व्यक्ति मालूम होते हैं । अतः यही उचित मालूम होता है कि—धर्मकीर्ति उस समय युवा थे जब हुएनसागने अपना यात्राविवरण लिखा ।

दूसरा चीनी यात्री इतिहास था । इसने सन् ६७१ से ६९५ तक भारतवर्षकी यात्रा की । यह सन् ६७५ से ६८५ तक दम वर्ष नालन्दा विश्वविद्यालयमें रहा । इसने अपना यात्रावृत्तान्त सन् ६९१-९२में लिखा

१ देखो वादन्यायकी प्रस्तावना ।

२. दिनागके प्रमाणसम्बन्धपर जिनन्द्रविरचित टीका उपलब्ध है । सभव है ये जिनन्द्र ही हुएनसागके जिनमित्र हों ।

है। इस्लामने नालन्दा विश्वविद्यालयकी शिक्षाप्रणाली आदिका अच्छा वर्णन किया है। वह विद्यालयके लम्ब-प्रतिष्ठ स्नातकोंकी शर्काके सिलसिलेमें लिखता है कि—“प्रत्येक पीढ़ीमें ऐसे मनुष्योंमेंसे केवल एक या दो ही प्रकट हुआ करते हैं जिनकी उपमा चाँद या सूर्यसे होनी है और उ-हे नाग और हाथीकी तरह समझा जाता है। पहिले समयमें नागार्जुनदेव, अश्वघोष, मध्यकालमें वसुबन्धु, अमङ्ग, मधुभद्र और भवविवेक, अन्तिम समयमें जिन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, शीलभद्र, सिंहचन्द्र, स्थिरमति, गुणमति, प्रज्ञागुप्त, गुणप्रभ, जिनप्रभ ऐसे मनुष्य थे।” (इस्लामकी भारतयात्रा पृ० २७७) इस्लाम (पृ० २७८) फिर लिखते हैं कि “धर्मकीर्तिने ‘जिन’ के पश्चात् हेतुविद्याको और सुधारा। प्रज्ञागुप्तने (मतिपाल नहीं) सभी विपत्ती मतोंका खडन करके सच्चे धर्मका प्रतिपादन किया।” इन उल्लेखोंमें मालूम होता है कि—सन् ६९१ तकमें धर्मकीर्तिकी प्रसिद्धि ग्रन्थकारके रूपमें हो रही थी। इस्लामने धर्मकीर्तिके द्वारा हेतुविद्याके सुधारनेका जो वर्णन किया है वह सम्भवतः धर्मकीर्तिके हेतुविन्दु ग्रन्थको लक्ष्यमें रखकर किया गया है, जो हेतुविद्याका एक प्रधान ग्रन्थ है। वह इतना परिष्कृत एवं हेतुविद्यापर सर्वांगीण प्रकाश डालनेवाला है कि केवल उसीके अध्ययनसे हेतुविद्याका पर्याप्त ज्ञान हो सकता है।

इस्लामके द्वारा धर्मपाल, गुणमति, स्थिरमति आदिके साथ ही साथ धर्मकीर्ति तथा धर्मकीर्तिके टीकाकार शिष्य प्रज्ञागुप्तका नाम लिए जानेसे यह मालूम होता है कि—उमका उल्लेख किसी खास समयके लिए नहीं है किन्तु एक ८० वर्ष जैसे लम्बे समयवाले युगके लिए है। इससे यह भी ज्ञान होता है कि—धर्मकीर्ति इस्लामके यात्राविवरण लिखने तक जीवित थे। यदि राहुलजीकी कल्पानामुसार धर्मकीर्तिकी मृत्यु हो गई होती तो इस्लाम जिस तरह भर्तृहरिको धर्मपालका समकालीन लिखकर उनकी मृत्युके विषयमें भी लिखता है कि—‘उसे मरे हुए अभी ४० वर्ष हो गए’ उनी तरह अपने प्रसिद्ध ग्रन्थकार धर्मकीर्तिकी मृत्युपर भी आँसु बहाए बिना न रहता।

यद्यपि इस्लाम धर्मकीर्तिको हेतुविद्याके सुधारक रूपसे लिखता है, परन्तु वह हेतुविद्यामें पाण्डित्य प्राप्त करनेके लिये पठनीय शास्त्रोंकी सूचीमें हेतुद्वारशास्त्र, हेत्वाभासद्वार, न्यायद्वार, प्रज्ञप्तिहेतु, एकीकृत अनुमानोपर शास्त्र, आदि ग्रन्थोंका ही नाम लेता है, धर्मकीर्तिके किसी भी प्रसिद्ध ग्रन्थका नाम नहीं लेता। इसके ये कारण हो सकते हैं—इस्लामने अपना यात्राविवरण चाइनी भाषामें लिखा है अतः अनुवादकोंने जिन शब्दोंका हेतुद्वार, न्यायद्वार तथा हेत्वाभासद्वार अनुवाद किया है उनका अर्थ हेतुविन्दु और न्यायविन्दु भी हो सकता हो। अथवा धर्मकीर्तिको हेतुविद्याके सुधारक रूपमें जानकर भी इस्लाम उनके ग्रंथोंसे परिचित न हो। अथवा उस समय धर्मकीर्तिके ग्रन्थोंकी ओझा अन्य आचार्योंके ग्रंथ नालन्दामें विशेषरूपमें पठन-पाठनमें आते होंगे।

इस विवेचनसे हमारा यह निश्चय विचार है कि—भर्तृहरि (सन् ६०० से ६१०) के साथ ही साथ उनके आलोचक कुमारिल (सन् ६२० से ६८०) की भी आलोचना करनेवाले, तथा प्रमाणवातिक, न्यायविन्दु, हेतुविन्दु, प्रमाणविनिश्चय, सन्तानान्तरमिद्धि, वादन्याय, सम्बन्ध परीक्षा आदि ९ प्रौढ, विस्तृत और सटीक प्रकारणोंके रचयिता धर्मकीर्तिकी समयवधि सन् ६३५-६५० में आगे लम्बानी ही होगी। और वह अवधि सन् ६२० से ६९० तक रखनी समुचित होगी। इससे हुएनसागके द्वारा धर्मकीर्तिके नामका उल्लेख न होनेका, तथा इस्लाम द्वारा होनेवाले उल्लेखका वास्तविक अर्थ भी सगत हो जाता है। तथा तिब्बतीय इतिहासलेखक तारानाथका धर्मकीर्तिको तिब्बतके राजा ओङ्ग सन् गम् पो का, जिन्होंने सन् ६२९ से ६८९ तक राज्य किया था, समकालीन लिखना भी युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है।

अकलंकदेवने भर्तृहरि कुमारिल तथा धर्मकीतिकी समालोचनाके साथ ही साथ प्रज्ञाकरगुप्त, कर्णक-गोमि, धर्मात्तर आदिके विचारोका भी आलोचन किया है। इन सब आचार्योंके ग्रन्थोके साथ अकलंकके ग्रन्थोकी आन्तरिक तुलना अकलंकके समयनिर्णयमे खास उपयोगी होगी। इसलिए अकलंकके साथ उक्त आचार्योंकी तुलना क्रमशः की जाती है—

भर्तृहरि और अवलक—भर्तृहरिके स्फोटवादकी आलोचनाके सिलसिलेमे अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्थराजवातिक (पृ० २३१) मे वाच्यपदीयकी (१७९) “इन्द्रियस्यैव संस्कार शब्दस्योभयस्य वा।” इस कारिकामे बणित इन्द्रियसंस्कार, शब्दसंस्कार तथा उभयसंस्कार रूप तीनों पक्षोका खडन किया है।

राजवातिक (पृ० ४०) मे वाच्यपदीयकी “शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरविद्यैवोपपद्यते” —वाक्यप० २।२३५ यह कारिका उद्धृत की गई है। सिद्धिविनिश्चय (सिद्धिवि० टी० पृ० ५४६ से) के शब्दसिद्धि प्रकरणमे भी स्फोटवादका खडन है। शब्दाद्वैतवादका खडन भी सिद्धिविनिश्चयमे (टी० पृ० ४५८ से) किया गया है।

कुमारिल और अकलव—अकलंकदेवके ग्रन्थोमे कुमारिलके मन्तव्योके आलोचनके साथ ही साथ कुछ शब्दसादृश्य भी पाया जाता है—

१—कुमारिल सर्वज्ञका निराकरण करते हुए लिखते हैं कि—

“प्रत्यक्षाद्यविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्य च।

सद्भाववारणे शक्त को नु त कल्पयिष्यति ॥” —मी० श्लो० पृ० ८५

अर्थात्—जब प्रत्यक्षादिप्रमाणोसे अबाधित प्रमेयत्वादि हेतु ही सर्वज्ञका सद्भाव रोक रहे हैं तब कौन उसे मिट्ट करनेकी कल्पना भी कर मकेगा ?

अकलंकदेव इसका प्रतिबन्दि उत्तर अपनी अष्टशती (अष्टसह० पृ० ५८) में देते हैं कि—“तदेवं प्रमेयत्वसत्त्वादियंत्र हेतुलक्षण पुष्पाति तं कथं चेतन प्रतिषेद्धुमर्हति सशयितु वा” अर्थात्—जब प्रमेयत्व और मत्त्व आदि अनुमेयत्वका हेतुका पोषण कर रहे हैं तब कौन चेतन उस सर्वज्ञका प्रतिषेध या उसके सद्भावमे सशय कर सकता है ?

२—तत्त्वमग्रहकार शान्तरक्षितके लेखानुसार कुमारिलने सर्वज्ञनिराकरणमे यह कारिका भी कही है कि—

“दश हस्तान्तर व्योम्नो यो नामोत्प्लुत्य गच्छति।

न योजनशत गन्तु शक्तोऽभ्यासशतैरपि।” —तत्त्वसं० पृ० ८२६

अर्थात्—यह सम्व है कि कोई प्रयत्नशील पुरुष अभ्यास करनेपर अधिकसे अधिक १० हाथ ऊँचा कूद जाय; पर सैकड़ो वर्षों तक कितना भी अभ्यास क्यों न करे वह १०० योजन ऊँचा कभी भी नहीं कूद सकता। इसी तरह कितना भी अभ्यास क्यों न किया जाय ज्ञानका प्रकर्ष अतीन्द्रियाथके जाननेमे नहीं हो सकता।

अकलंकदेव सिद्धिविनिश्चय (टीका पृ० ४२५ B.) में इसका उपहास करते हुए लिखते हैं कि—

“दश हस्तान्तर व्योम्नो नोत्प्लवेरन् भवादुश। योजनाना सहस्रं कि बोत्प्लवेदधुना नरै ॥”

अर्थात्—जब शारीरिक असामर्थ्यके कारण आप दस हाथ भी ऊँचा नहीं कूद सकते तब दूसरोसे हजार योजन कूदनेकी आशा करना व्यर्थ है। क्योंकि अयुक्त मर्यादासे ऊँचा कूदनेमे शारीरिकगुरुत्व बाधक होता है।

१२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

३-कुमारिलने जैनसम्मत केवलज्ञानकी उत्पत्तिको आगमाश्रित मानकर यह अन्योन्याश्रय दोष दिया है कि—'केवलज्ञान हुए बिना आगमकी सिद्धि नहीं हो सकती तथा आगम सिद्ध हुए बिना केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ।'—

“एव यैः केवलज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिण । सूक्ष्मातीतादिविषय जीवस्य परिकल्पितम् ।”

“नतं तदागमात्सिद्धयेत् न च तेनागमो विना ।” —मी० श्लो० पृ० ८७

अकलकदेव न्यायविनिश्चय का० ८१२-१३) में भीमाशालोकवार्तिकके शब्दोंको ही उद्धृत कर इसका उत्तर यह देते हैं कि—सर्वज्ञ और आगमकी परम्परा अनादि है । इस पुरुषको केवलज्ञान पूर्व आगमसे हुआ तथा उस आगमकी उत्पत्ति तत्पूर्व सर्वज्ञसे । यथा—

“एवं यत्केवलज्ञानमनुमानविजृम्भितम् । नतं तदागमात्सिद्धयेत् न च तेन विनागमः ॥

सत्यमर्थबलादेव पुरुषातिशयो मन । प्रभव पीरुषेयोस्य प्रबन्धोऽनादिरिष्यते ॥”

शान्दिक तुलना—

“पुरुषोऽभ्युपगन्तव्य कुण्डलादिषु संपवन् ।” —मी० श्लो० पृ० ६९५

“ग्रन्थशप्रतिगवेष्ट कुण्डलादिषु संपवन् ।” —न्यायवि० का० ११७

“तदय भाव स्वभावेव कुण्डलादिषु संपवन् ।” —प्रमाणम० पृ० ११२

धर्मकीर्ति और अकलक — अकलकने धर्मकीर्तिको केवल मार्मिक समालोचना ही नहीं की है, किन्तु परपक्षके खडनमें उनका शाब्दिक और आर्थिक अनुसरण भी किया है । अकलकके मार्मिक-यका बहुभाग बौद्धोंके खडनसे भरा हुआ है । उममें जहाँ धर्मकीर्तिके पूर्वज दिग्गज आदि विद्वानोंकी समालोचना है वहाँ धर्मकीर्तिके उत्तरकालीन प्रजाकर तथा कर्णकगोमि आदिके विचारोंका भी निरसन किया गया है । अकलक और धर्मकीर्तिकी पारस्परिक तुलना कुछ उद्धरणों द्वारा स्पष्ट रूपसे नीचे की जाती है—

१-धर्मकीर्तिके सन्तानान्तरसिद्धि प्रकरणका पहिला श्लोक यह है—

“बुद्धिपूर्वा क्रिया दृष्ट्वा स्वदेहेऽन्यत्र तद्ग्रहात् । मन्यन्ते बुद्धिमद्भाव मा न येपु न तेषु धी ।”

अकलकदेवने राजवार्तिक (पृ० १९) में इसे तदुक्तम्' लिखकर उद्धृत किया है तथा सिद्धिविनिश्चय (द्वितीय परि०) में तो 'ज्ञायते बुद्धिरन्यत्र अभ्रान्तै पुरुषै ववचिन्' इस हेरफेरके साथ मूलमें ही शामिल करके हमकी समालोचना की है ।

२-हेतुविन्दु प्रथमपरिच्छेदका “अथक्रियार्थी हि सर्वं प्रेक्षावान् प्रमाणमप्रमाण वाऽन्वेषते” यह वाक्य लघीयस्त्रयकी स्वोपज्ञाविवृति (पृ० ३) में मूलरूपसे पाया जाता है । हेतुविन्दुकी—

‘पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्तो हेतुस्त्रिष्वथ स । अविनाभावनियमाद् हेत्वाभागास्ततोऽगरे ॥”

इम आक्षकारिकाकी आलोचना सिद्धिविनिश्चयकी हेतुलक्षणसिद्धिमें की गई है ।

३-प्रमाणविनिश्चयके “महोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्वियो” वाक्यकी अष्टशती (अष्टसह० पृ० २४२) में उद्धरण देकर आलोचना है ।

४-वादन्यायकी—“अमाधनाङ्गवचनमदोषोद्भावन द्वयो ।

निग्रहस्थानमन्यत् न युक्तमिति नेष्यते ॥”

इस आक्षकारिकाकी समालोचना न्यायविनिश्चय (का० ३७८) में, सिद्धिविनिश्चयके जल्पसिद्धि प्रकरण में तथा अष्टशती (अष्टसह० पृ० ८१) में हुई है ।

५-प्रमाणवार्तिक स्वोपज्ञवृत्तिका "तस्मादेकस्य भावस्य यावन्ति पररूपाणि तावत्यस्तदपेक्षा तद-सम्भकार्यकारणा' तस्य भेदात् यावत्पक्ष व्यावृत्तयः तावत्य. श्रुतय ।" यह अज्ञ अष्टशती (अष्टसह० पृ० १३८) के "ततो यावन्ति पररूपाणि तावन्त्येव प्रत्यात्मं स्वभावान्तराणि" इस अज्ञसे शब्द तथा अर्थ-दृष्ट्या तुलनीय है ।

६-प्रमाणवार्तिककी आलोचना तथा तुलनाके लिए उपयोगी अवतरण न्यायविनिश्चयादि ग्रंथोंमें प्रचुर रूपसे पाये जाते हैं । ये सब अवतरण प्रस्तुतप्रधत्तयके टिप्पणोमें सगृहीत किये हैं । देखो—लघो० टि० पृ० १३१-१३३, १३६-१३९, १४१, १४२, १४६, १४७, १५२ तथा न्यायविनिश्चय टि० पृ० १५५-१५७, १५९-१७० में आये हुए प्रमाणवार्तिकके अवतरण ।

प्रज्ञाकरगुप्त और अकलंक—धर्मकीर्तिके टीकाकारोंमें प्रज्ञाकरगुप्त एक मर्मज्ञ टीकाकार हैं । ये केवल टीकाकार ही नहीं हैं किन्तु कुछ अपने स्वतन्त्र विचार भी रखते हैं । इनका समय अभी तक पूर्ण रूपसे निश्चित नहीं है । डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण उन्हें १०वीं सदीका विद्वान् बताते हैं । भिक्षु राहुल साङ्क-त्यायनजीने टिबेटियन गुरुपरम्पराके अनुसार इनका समय सन् ७०० दिया है । इनका नामोल्लेख अनन्तवीर्य सिद्धिविनिश्चयटीकामें, विद्यानन्द अष्टसहस्रीमें तथा प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्गण्डमे करते हैं । जयन्तभट्टने (न्यायमं० पृ० ७४) जिनका समय ईस्वी ८वींका मध्य भाग है, इनके वार्तिकालंकारके "एकमेवेद सवि-द्रूप हर्षविषादाद्यनेकाकारविवर्त्तं पश्याम तत्र यथेष्ट सज्ञा क्रियन्ताम्" इस वाक्यका खण्डन किया है । अतः इनका समय ८वीं सदीका प्रारम्भिक भाग तो होना ही चाहिए । इत्सिंगने अपने यात्राविवरणमें एक प्रज्ञा-गुप्त नामके विद्वान्का उल्लेख करते हुए लिखा है कि—"प्रज्ञागुप्त (मतिपाल नहीं) ने सभी विपक्षी मतों-का खण्डन करके सच्चे धर्मका प्रतिपादन किया ।" हमारे विचारसे इत्सिंगके द्वारा प्रशंसित प्रज्ञागुप्त दूसरे व्यक्ति नहीं हैं । वे वार्तिकालंकारके रचयिता प्रज्ञाकरगुप्त ही हैं, क्योंकि इनके वार्तिकालंकारमें विपक्ष खण्डनका भाग अधिक है ।

इस तरह सन् ६९१-९२ में लिखे गये यात्राविवरणमें प्रज्ञाकरगुप्तका नाम होनेसे ये भी धर्मकीर्तिके समकालीन ही हैं । हाँ, धर्मकीर्ति बृद्ध तथा प्रज्ञाकर युवा रहे होंगे । अतः इनका समय भी करीब ६७० से ७२५ तक मानना ठीक है । यह समय भिक्षु राहुलजी द्वारा सूचित टिबेटियन गुरुपरम्पराके अनुसार भी ठीक बैठता है । प्रज्ञाकरगुप्तके वार्तिकालंकारकी भिक्षु राहुलजी द्वारा की गयी प्रेसकापी प्लटनेसे मालूम हुआ कि प्रज्ञाकरने मात्र प्रमाणवार्तिककी टीका ही नहीं की है, किन्तु कुछ अपने स्वतन्त्र विचार भी प्रकट किये हैं । जैसे—

१-गुषुप्त अवस्थामें ज्ञानकी सत्ता नहीं मानकर जाग्रत् अवस्थाके ज्ञानको प्रबोध अवस्थाकालीन ज्ञान-में कारण मानना तथा भाविमरणको अरिष्ट-अपशकुनमें कारण मानना । तात्पर्य यह कि—अतीतकारणवाद और भाविकारणवाद दोनों ही प्रज्ञाकरके द्वारा आविष्कृत हैं । वे वार्तिकालंकार में लिखते हैं कि—

"अविद्यमानस्य करणमिति कोऽर्थं ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदानन्तर्यंभूभयापेक्षयापि समानम् । यथैव भूतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि । नचानन्तर्यमेव तत्त्वे निबन्धनम्, व्यवहिनस्यापि कारण-त्वात् ।

गाढमुप्तस्य विज्ञान प्रबोधे पूर्ववेदनात् । जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम् ॥
तस्मादन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वा निबन्धनम् । कार्यकारणभावस्य तद्भाविष्यपि विद्यते ॥
भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव । मृत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति लोके व्यवहार, यदि ॥

१४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

मृत्युर्न भविष्यन्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति ।" —वातिकालकार पृ० १७६

प्रमेयकमलमातंष्ट (पृ० ११० A.) का यह उल्लेख—“ननु प्रजाकराभिप्रायेण भाविरोहिष्युदय-कार्यतया कृतिकोदयस्य गमकत्वात् कथं कार्यहेतौ नास्यान्तर्भावः” —इस बातका सबल प्रमाण है कि— प्रजाकरगुप्त भाविकारणवादी थे। इसी तरह व्यवहितकारणवादके सिलसिलेमें अनन्तवीर्यका यह लिखना कि—“इति प्रजाकरगुप्तस्यैव मतं न धर्मोत्तरादीनामिति मन्यते ।” (सिद्धिबि० टी० पृ० १६१ A) प्रजाकरके व्यवहितकारणवादी होनेका खासा प्रमाण है। प्रजाकरके इस मतको समकालीन धर्मोत्तर आदि तथा उत्तरकालीन शान्तरक्षित आदि नहीं मानते थे।

२—स्वप्नान्तिकशरीर—प्रजाकर स्वप्नमें स्थूल शरीरके अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर मानता है। स्वप्नमें जो शरीरका दौडना, त्रास, भूख, प्यास, मेरुपर्वतादिपर गमन आदि देखे जाते हैं वे सब क्रियाएँ, मीजुदा स्थूलकायके अनिरिक्त जो सूक्ष्मशरीर बनता है, उसीमें होती है। इस सूक्ष्मशरीरको वह स्वप्नान्तिकशरीर शब्दसे कहता है। यथा—

“यथा स्वप्नान्तिक कायं त्रामलघनधावनै । जाग्रद्देहविकारस्य तथा जन्मान्तरेष्वपि ॥”

“स्वप्नान्तिकशरीरसञ्चारदर्शनात् ।” —वातिकालकार पृ० १४८, १८४

अनन्तवीर्यचार्यके सिद्धिबिनिश्चयटीका (पृ० १३८ B) में उल्लिखित “प्रजाकरस्तु स्वप्नान्तिक-शरीरवादी” “ ” वाक्यमें स्पष्ट है कि यह मत भी प्रजाकरगुप्तका था।

३—धर्मकीर्तिने सुगुतकी सर्वज्ञताके समर्थनमें अपनी शक्ति न लगाकर धर्मज्ञत्वका समर्थन ही किया है। पर प्रजाकर धर्मज्ञत्वके साथ ही साथ सर्वज्ञत्वका भी समर्थन करते हैं। सर्वज्ञत्वके समर्थनमें वे ‘सत्य-स्वप्नज्ञान’का दृष्टान्त भी देते हैं। यथा—

“इहापि सत्यस्वप्नदशिनोऽज्ञीतादिकं सविदन्त्येव ।” —वातिकालकार पृ० ३९६

४—पीतशखादिज्ञानोके द्वारा अर्थक्रिया नहीं होती, अतः वे प्रमाण नहीं हैं, पर मस्थानमात्र अशसे होनेवाली अर्थक्रिया तो उनसे भी हो सकती है, अतः उस अशसे उन्हें अनुमानरूपसे प्रमाण मानना चाहिये, तथा अन्य अशमें सशयरूप। इस तरह इस एक ज्ञानमें आशिक प्रमाणता तथा आशिक अप्रमाणता है। यथा—

“पीतशखादिविज्ञानं तु न प्रमाणमेव तथार्थक्रियाव्याप्तरेभावात् । मस्थानमात्रार्थक्रियाप्रसिद्धाव्ययदेव ज्ञानं प्रमाणमनुमानम्; तथाहि—

‘प्रतिभास एवम्भूतो यः स न सस्थानवर्जितः । एवमन्यत्र दृष्टत्वादनुमानं तथा च तत् ॥’

ततोऽनुमानं सस्थाने, सहाय परत्रेति प्रत्ययद्वयमेतत् प्रमाणमप्रमाणं च, अनेन मणिप्रभाया मणिज्ञानं व्याख्यातम् ।” —वातिकालकार पृ० ६

अकलकदेवेन प्रजाकरगुप्तके उक्त सभी सिद्धान्तोका खण्डन किया है यथा—

१—अकलकदेवेन सिद्धिबिनिश्चयमें जीवका स्वरूप बताने हुए ‘अभिन्न सविदात्मार्य-स्वापप्रबो-धादी’ विशेषण दिया है। इसका तात्पर्य है कि—स्वाप और प्रबोध तथा मरण और जन्म आदिमें जीव अभिन्न रहता है, उसकी सन्तान विच्छिन्न नहीं होती। इसीका व्याख्यान करते हुए उन्होंने लिखा है कि— ‘तद्भावमे मिद्धादेरनुपपत्ते’ यदि सुप्तादि अवस्थाओमें ज्ञानका अभाव माना जायगा तो मिद्ध-अतिनिद्रा मूर्च्छा आदि नहीं बन सकेंगी, क्योंकि सर्वथा ज्ञानका अभाव माननेमें तो मृत्यु ही हो जायगी। मूर्च्छा और अति-निद्रा व्यपदेश तो ज्ञानका सद्भाव माननेपर ही हो सकता है। हाँ, उन अवस्थाओमें ज्ञान तिरोहित रहता

है। अनन्तवीर्याचार्य 'तदभावे मिद्धादेनुरुपपत्ते' वाक्यका व्याख्यान निम्नरूपसे करते हैं—“ननु स्वापे ज्ञानं नास्त्येव इति चेदत्राह—‘तदभाव इत्यादि’” ज्ञानस्य अमति मिद्धादे अनुपपत्ते. इति। मिद्धो निद्रा आदि यस्य मूच्छदि तस्यानुपपत्ते मरणोपपत्ते अवस्थाचतुष्टयाभाव तदवस्थ एव।” (सिद्धिवि० टी० पृ० ५७९. A.) इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि—अकलकदेव सुषुप्तावस्थामे ज्ञान नहीं माननेवाले प्रज्ञाकरका खडन करते हैं। अतएव वे न्यायविनिश्चय (का० २२२) में भी जीवस्वरूपका निरूपण करते हुए ‘सुषुप्तादौ बुद्ध’ पद देते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवहितकारणवादपर भी उन्होंने आक्षेप किया है। (देखो सिद्धिवि० टी० पृ० १६१ A.)

इसके सिवाय अकलकदेव सिद्धिविनिश्चय प्रथमपरिच्छेदमें स्पष्टरूपसे लिखते हैं कि—“न हि स्वापादौ चित्तचैतन्यसिकानामभाव प्रतिपद्यमानान् प्रमाणमस्ति” अर्थात्—जो लोग स्वापादि अवस्थाओमें निर्विकल्पक और नविकल्पकज्ञानका अभाव मानते हैं उनका ऐसा मानना प्रमाणशून्य है। इस पक्षमें अकलकके द्वारा प्रज्ञाकरके अतीतकारणवादके ऊपर किये गये आक्षेपकी बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है।

२—न्यायविनिश्चय (का० ४७) में अकलकदेवने प्रज्ञाकरके स्वप्नान्तिकशरीरका अन्त शरीर शब्दसे उल्लेख करने पूर्वपक्ष किया है। सिद्धिविनिश्चय (टी० पृ० १३८ B.) में भी अकलकने स्वप्नान्तिक शरीरपर आक्रमण किया है।

३—अकलकदेव प्रज्ञाकरकी तरह सर्वज्ञताके समर्थनमें न्यायविनिश्चय (कारि० ४०७) में स्वप्नका दृष्टान्त देते हैं तथा प्रमाणग्रह (पृ० ९९) में तो स्पष्ट ही सत्यस्वप्नज्ञानका ही उदाहरण उपस्थित करते हैं। यथा—‘स्वयंप्रभुरलङ्घनाहं स्वार्थालोकपरिस्फुटमवभासते सत्यस्वप्नवत्।’

४—जिस प्रकार प्रज्ञाकरगुप्तने पीतशलादिज्ञानको सस्थानमात्र अशमें प्रमाण तथा इतराशमें अप्रमाण कहा है। उसी तरह अकलक भी लघोयस्त्रय तथा अष्टशतीमें द्विचन्द्रज्ञानको चन्द्राशमें प्रमाण तथा द्वित्वाशमें अप्रमाण कहते हैं। दोनो ग्रन्थोंके अवतरणके लिए देखो—लघो० टि० पृ० १४० पं० २० से। अष्टशतीमें तो अकलकदेव प्रज्ञाकरगुप्तकी सस्थानमात्रमें अनुमान माननेकी बातपर आक्षेप करते हैं। यथा—

“नापि लैङ्गिकं लिगलिगिसम्बन्धाप्रतिपत्ते अन्यथा दृष्टान्तेतरयोरकत्वात् किं केन कृतं स्यात्।”

—अष्टश० अष्टसह० पृ० २७७

इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐसे वाक्य उपस्थित करते हैं जिससे प्रज्ञाकर और अकलकके ग्रन्थोंकी शब्दिक और आर्थिक तुलनामें बहुत मदद मिलेगी।

“एकमेवेदं सविद्रूपं हर्षविषादाद्यनेकाकारविषयं पश्याम तत्र यथेष्टं सज्ञां क्रियन्ताम्।”—वार्तिकालकार

“हर्षविषादाद्यनेकाकारविषयज्ञानवृत्ते प्रकृतेरपरा चैतन्यवृत्तं कं प्रेक्षावान् प्रतिजानीते।”—सिद्धिवि० टी० पृ० ५२६ ङ शेषके लिए देखो—लघो० टि० पृ० १३५ पं० ३१, न्यायवि० टि० पृ० १५९ पं० ११, पृ० १६२ पं० १३, पृ० १६५ पं० २०।

प्रज्ञाकरगुप्तने प्रमाणवार्तिक टीकाका नाम प्रमाणवार्तिकालकार रखा है। इसीलिए उत्तरकालमें इनकी प्रसिद्धि ‘अलङ्कारकार’के रूपमें भी रही है। अकलकदेवका ‘तत्त्वार्थराजवार्तिकालकार’ या ‘तत्त्वार्थवार्तिकव्याख्यानालकार’ नाम भी वार्तिकालकारके नामप्रभावसे अछूता नहीं मालूम होता। इस तरह उपर्युक्त दलीलके आधारसे कहा जा सकता है कि—अकलकदेवने धर्मकीतिकी तरह उनके टीकाकार सिध्द प्रज्ञाकरगुप्तको देखा ही नहीं था किन्तु उनकी समालोचना भी डटकर की है।

कर्णकगोमि और अकलक—धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिकके प्रथम—स्वार्थानुमान परिच्छेदपर ही वृत्ति बनाई थी। इस वृत्तिकी कर्णकगोमिरचित टीकाके प्रूप हमारे सामने है। कर्णकगोमिके समयका बिलकुल ठीक निश्चय न होनेपर भी इतना तो उनके ग्रन्थ देखनेसे कहा जा सकता है कि—ये मण्डनमिश्रके बादके हैं। इन्होंने अनेको जगह मण्डनमिश्रका नाम लेकर कारिकाएँ उद्धृत की हैं तथा उनका खडन किया है। इनने प्रमाणवा० स्ववृ० टीका (पृ० ८८) में 'तदुक्त मण्डनेन' कहकर "आहुर्विधातु प्रत्यक्ष न निषेद्ध विषदिचत । नैकत्वे आगमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रवाच्यते ॥" यह कारिका उद्धृत की है तथा इसका खण्डन भी किया है।

मण्डनमिश्रने स्फोटसिद्धि (पृ० १९३) में मी० श्लोकवार्तिक (पृ० ५४२) की "वर्णा वा ध्वनयो वापि" कारिका उद्धृत की है, तथा विधिविवेक (पृ० २७९) में तन्त्रवार्तिक (२।१।१) की 'अभिधा-भावनामाहुः' कारिका उद्धृत की है। इसलिए इनका समय कुमारिल (मन् ६०० से ६८०) के बाद तो होना ही चाहिए। बृहती द्वितीयभागकी प्रस्तावनामें इनका समय सन् ६७० से ७२० सूचित किया है, जो युक्तियुक्त है।

अतः मण्डनका उल्लेख करनेवाले कर्णकगोमिका समय ७०० ई० के बाद होना चाहिए। ये प्रजाकर-गुप्तके उत्तरकालीन मालूम होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी टीकामें (पृ० १३७) 'अलङ्कार एव अवस्तुत्व-प्रतिपादनात्' लिखकर वार्तिककालकारका उल्लेख किया है। अतः इनका समय ६९० में पहिले होना संभव ही नहीं है।

अकलकदेवने प्रमाणसंग्रहमें इनके मतकी भी आलोचना की है। यथा—

जब कुमारिल आदिने बौद्धसम्मत पक्षधर्मत्वरूपपर आक्षेप करते हुए कहा कि कृत्तिकोदयादि हेतु तो शकटोदयादि पक्षमें नहीं रहने, अतः हेतुका पक्षधर्मत्वरूप अव्यभिचारी कैसे कहा जा सकता है? तब इनका उत्तर कर्णकगोमिने अपनी स्ववृत्तिटीकामें इस प्रकार दिया है कि—कालको पक्ष मानकर पक्षधर्मत्व घटाया जा सकता है। यथा—“तदा च स एव कालो धर्मो तत्रैव च साभ्यानुमान चन्द्रोदयश्च तत्सम्बन्धीति कथमपक्षधर्मत्वम् ? [प्रमाणवा० स्ववृ० टी० पृ० ११]

अकलकदेव इसका खडन करते हुए लिखते हैं कि—यदि कालादिको धर्मो मानकर पक्षधर्मत्व सिद्ध करोगे तो अनिप्रसंग हो जायगा। यथा—“कालादिधर्मिकल्पनायामनिप्रसङ्गः ॥”—प्रमाणम० पृ० १०४

धर्मोत्तर और अकलक—प्रजाकरकी तरह धर्मोत्तर भी धर्मकीर्तिके यशस्वी टीकाकार है। इन्होंने प्रमाणविनिश्चय, न्यायविन्दु आदिपर टीका लिखनेके सिवाय कुछ स्वतन्त्र प्रकरण भी लिखे हैं। न्यायविनिश्चयविवरणकार (पृ० ३९० B) के लेखानुसार मालूम होता है कि—अकलकदेवने न्यायविनिश्चय (का० १६२) में धर्मोत्तर (न्यायवि० टी० पृ० १९) के मानसप्रत्यक्ष विषयक विचारोको आलोचना की है। इसी तरह वे न्यायविनिश्चयविवरण (पृ० २६ B.) में लिखते हैं कि—चूणिमें अकलकदेवने धर्मोत्तरके (न्यायविन्दुटीका पृ० १) आदिवाक्यप्रयोजन तथा शास्त्रशरीरोपदर्शनका प्रतिक्षेप किया है। यह चूणि अकलकदेवकी ही है, क्योंकि—“नया च सुक्तं चूर्णं देवस्य वचनम्” इस उल्लेखके साथ ही एक श्लोक न्यायविनिश्चयविवरणमें उद्धृत देखा जाता है (देखो इसी ग्रन्थका परिशिष्ट ९वां)। इसी तरह अनन्तवीर्याचार्यने सिद्धिविनिश्चयके अनेक वाक्योंको धर्मोत्तरके खडन रूपमें सूचित किया है। धर्मोत्तर करीब-करीब प्रजाकरके समकालीन मालूम होते हैं।

शान्तरक्षित और अकलक—धर्मकीतिके टीकाकारोमे शान्तरक्षित भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बादन्यायकी टीकाके सिवाय तत्त्वसंग्रह नामका विशाल ग्रन्थ भी लिखा है। इसका समय सन् ७०५ से ७६२ तक माना जाता है। (देखो तत्त्वसंग्रहकी प्रस्तावना) अकलक और शान्तरक्षितकी तुलनाके लिए हम कुछ वाक्य नीचे देते हैं—

“बुद्धे शाखा शिलाश्चांग इत्येषा लौकिका मतिः ।” —तत्त्वसं० पृ० २६७

“सानेव पश्यन् प्रत्येति शाखा बुद्धोऽपि लौकिकः ।” —न्यायविनि० का० १०४,
प्रमाणसं० का० २६

“अविकल्पमविघ्नान्त तद्योगीश्वरमानसम् ।” —तत्त्वसं० पृ० ९३४

“अविकल्पकमभ्रान्तं प्रत्यक्ष न पटीयसाम् ।” —न्यायवि० का० १५५

“एवं यस्य प्रमेयत्ववस्तुसत्त्वादिलक्षणं । निहन्तु हेतवोऽशक्ता को न तं कल्पयिष्यति ॥”

—तत्त्वसं० पृ० ८८५

“तदेवं प्रमेयत्वसत्त्वाविर्यत्र हेतुलक्षणं पुष्पाति तं कथं चेतनं प्रतिषेद्धमहूनि र्गवायितु वा ॥”

—अष्टश० अष्टसह० पृ० ५८

इनके सिवाय शान्तरक्षितने सर्वज्ञसिद्धिमें ईक्षणिकादिविद्याका दृष्टान्त दिया है।

यथा—“अस्ति हीक्षणिकाद्याख्या विद्या या (या) सुविभाविता ।

परचित्तपरिज्ञानं करोतीहैव जन्मनि ॥” —तत्त्वसं० पृ० ८८८

अकलकदेव भी (न्यायवि० का० ४०७) सर्वज्ञसिद्धिमें ईक्षणिकाविद्याका दृष्टान्त देते हैं।

इन अवतरणोंसे अकलक और शान्तरक्षितके बिम्बप्रतिबिम्बभावका आभास हो सकता है।

अकलकके साथ की गई प्रज्ञाकर आदिकी तुलनासे यह बात निर्विवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है कि अकलकदेव इनके उत्तरकालीन नहीं तो लघुसमकालीन तो अवश्य ही हैं। उक्त समस्त आचार्योंको खीचकर एक कालमें किसी भी तरह नहीं रखा जा सकता। अतः भर्तृहरिके समालोचक कुमारिल, कुमारिलका निरसन करनेवाले धर्मकीर्ति, धर्मकीतिके टीकाकार प्रज्ञाकर गुप्त तथा प्रज्ञाकरगुप्तके वातिकालकारके बाद बनी हुई कर्णकगोमिकी टीका तकका आलोचन करनेवाले अकलक किसी भी तरह कुमारिल और धर्मकीतिके समकालीन नहीं हो सकते। धर्मकीतिके समयसे इनको अवश्य ही कमसे कम ५० वर्ष बाद रखना होगा। इन पचास वर्षोंमें प्रमाणवातिकी टीका, वातिकालकारकी रचना तथा कर्णकगोमिकी स्वोपज्ञवृत्तिटीका बनी होंगी, और उमने इतनी प्रसिद्धि पाई होगी कि जिससे वह अकलक जैसे तार्किकको अपनं और आकृष्ट कर सके। अतः अकलकका समय ७२० से ७८० तक मानना चाहिए। पुराने जमानेमें आज जैसे प्रेस, डॉक आदि शोध प्रसिद्धिके साधन नहीं थे, जिनसे कोई लेखक या ग्रन्थकार ५ वर्षमें ही दुनियाके इस छोरसे उस छोर तक क्थाति प्राप्त कर लेता है। फिर उस समयका साम्प्रदायिक वातावरण ऐसा था जिससे काफ़ी प्रसिद्धि या विचारोंकी मौलिकता ही प्रतिपक्षी विद्वानोंका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकती थी, और इस प्रसिद्धिमें कमसे कम १५-२० वर्षका समय तो लगना ही चाहिए। इस विवेचनाके आधारपर हम निम्न आचार्योंका समय इस प्रकार रख सकते हैं—

भर्तृहरि ६०० से ६५० तक

प्रज्ञाकर ६७० से ७२५ तक

कुमारिल ६०० से ६८० तक

कर्णकगोमि ६९० से ७५० तक

१८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

धर्मकीर्ति ६२० से ६९० तक
धर्मोत्तर ६५० से ७२० तक

शान्तरक्षित ७०५ से ७६२ तक
अकलक ७२० से ७८० तक

तात्पर्य यह कि—अर्जुनकी अन्तिम कृति बाबयपदीय मन् ६५० के आसपास बनी होगी। बाबय-पदीयके श्लोकोका खडन करनेवाला कुमारिलका मीमासाश्लोकवातिक और तन्त्रवातिक जैसा महान् ग्रन्थ मन् ६६० से पहिले नही रचा गया होगा। कुमारिलके मीमासाश्लोकवातिककी समालोचना जिस धर्मकीर्ति-कृत बहूकाय प्रमाणवातिकमे है, उसकी रचना मन् ६७० के आसपास हुई होगी। प्रमाणवातिकपर प्रज्ञाकर गुप्तकी अतिविस्तृत वार्तिकालकार टीका मन् ६८५ के करीब रची गई होगी। वार्तिकालकारका उल्लेख करने-वाली कर्णकगोमिकी विशाल प्रमाणवातिकस्वोपश्रवृत्तिटीकाकी रचना ७२० से पहिले कम संभव है। अतः इन सब ग्रन्थोकी आलोचना करनेवाले अकलकका समय किसी भी तरह मन् ७२० से पहिले नही जा सकता। अकलकचरितके '७०० विक्रमार्कशकाब्द' वाले उल्लेखको हमें इन्ही प्रमाणोके प्रकाशमें देखना है। यदि १६वीं सदीके अकलकचरितकी दी हुई शास्त्रार्थकी तिथि ठीक है तो वह विक्रमसंवत्की न होकर शक संवत्की होनी चाहिए। शकसंवत्का उल्लेख भी 'विक्रमार्कशकाब्द' शब्दसे पाया जाना है। अकलकका यह समय माननेमें प्रभाचन्द्रके कथाकोशका उन्हे शुभतुग (कृष्णराज प्र० राज्य मन् ७५८ के बाद) का मन्त्र-पुत्र बतलाना, मल्लिवेणप्रशास्तिका साहमतुग (दन्तिदुर्गद्वि०, राज्य मन् ७४५-७५८) की मन्त्रोपस्थित होना आदि घटनाएँ युक्तिसंगत समयवाली मिथ्य हो जाती हैं। मोल्लुवी सदीके अकलकचरितकी अपेक्षा हमें १४वीं सदीके कथाकोश तथा १२वीं सदीकी मल्लिवेणप्रशास्तिको अग्रस्थान देना ही होगा, जब कि उसके साथक तथा पोषक अन्य आन्तरिक प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं। इति।

अकलकग्रन्थत्रय ग्रन्थ

[बाह्यस्वरूपपरिचय]

१. ग्रन्थत्रय की अकलककृतता

प्रस्तुत ग्रन्थत्रयके कर्ता प्रखर तार्किक, वागी श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेव हैं। अकलङ्कदेवकी यह शैली है कि—वे अपने ग्रन्थोंमें कही न कही 'अकलङ्क' नामका प्रयोग करते हैं। कही वह प्रयोग जिनेन्द्रके विशेषण-रूपसे हुआ है तो कही ग्रन्थके विशेषणरूपसे और कही किसी लक्ष्यके लगणभूत शब्दोंमें विशेषणरूपसे।

लघीयस्त्रय के प्रमाणनयप्रवेशके अन्तमें आए हुए 'कृतिरिय सकलवादिचक्रचक्रवर्तिनो भगवतो भट्टा-कलङ्कदेवस्य' इम पुष्पिकावाक्यसे, कारिका नं० ५० में प्रयुक्त 'प्रेसावानकलङ्कमेति' पदसे तथा कारिका नं० ७८ में कथित 'भगवदकलङ्कानाम्' पदसे ही लघीयस्त्रयकी अकलङ्ककृतता स्पष्ट है और अनन्तवीर्यचार्य द्वारा सिद्धिबिनिश्चयटीका (पृ० ९९B) में उद्धृत "तदुक्तम् लघीयस्त्रय-प्रमाणफलयो ..." इस वाक्यसे, आचार्य विद्यानन्द द्वारा प्रमाणपरीक्षा (पृ० ९९) एवं अष्टमहर्षा (पृ० १३४) में 'तदुक्तमकलङ्कदेवैः' कहकर उद्धृत लघीयस्त्रयकी तीसरी कारिकासे, तथा तत्त्वाथश्लोकवातिक (पृ० २३९) में 'अत्र अकलङ्क-देवा प्राहुः' करके उद्धृत लघीयस्त्रयकी १०वीं कारिकासे लघीयस्त्रयकी अकलङ्ककृतता समर्थित होती है। आचार्य मलयगिरि आवस्यकनियुक्तिकी टीका (पृ० ३७०B) में 'तथा चाहाकलङ्क' कहकर लघीयस्त्रयकी ३०वीं कारिका उद्धृत करके लघीयस्त्रयकी अकलङ्ककृतता अनुमोदन करते हैं।

न्यायविनिश्चय कारिका नं० ३८९ में प्रयुक्त 'बिसम्भैरकलङ्करस्तनिचयन्यायो' पद्यसे, तथा कारिका नं० ४८० में 'आभव्यादकलकमङ्गलफलम्' पदके प्रयोगसे केवल न्यायविनिश्चयकी अकलङ्ककतुङ्कता द्योतित हो नहीं होती; किन्तु न्यायविनिश्चयविवरणकार वादिराजसूरिके उल्लेखसे तथा आचार्य अनन्तवीर्य-द्वारा सिद्धिविनिश्चयटीका (पृ० २०८B) में, एवं आचार्य विद्यानन्द द्वारा आन्तपरीक्षा (पृ० ४९) में 'तदुक्तमकलङ्कदेवै' कहकर उद्धृत की गई इसकी ५१वीं कारिकासे इसका प्रबल समर्थन भी होता है। आचार्य धर्मभूषणने तो न्यायटीपिका (पृ० ८) में 'तदुक्तं भगवदिभरकलङ्कदेवै' न्यायविनिश्चय' लिखकर न्यायविनिश्चयकी तीसरी कारिका उद्धृत करके इसका अस्मिन् अनुमोदन किया है।

प्रमाणसंग्रह की कारिका नं० ९ में आया हुआ 'अकलङ्कं महीयसाम्' पद प्रमाणसंग्रहके अकलङ्करचित होनेकी सूचना दे देता है। इसका समर्थन आचार्य विद्यानन्द द्वारा 'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक (पृ० १८५) में 'अकलङ्करम्यथायि य' कहकर उद्धृत इसकी दूसरी कारिकासे, तथा वादिराजसूरि द्वारा न्यायविनिश्चय-विवरण (पृ० ८३A) में 'नथा नात्र देवस्य वचनम्' लिखकर उद्धृत किए गए हमके (पृ० ९८) 'विविधानुविवादनस्य' वाक्य में स्पष्टरूपमें हो जाता है।

२. ग्रन्थत्रयके नामका इतिहास तथा परिचय

लघीयस्त्रय नामसे मालूम होता है कि यह छोटे-छोटे तीन प्रकरणोंका एक संग्रह है। पर इसका लघीयस्त्रय नाम ग्रन्थकर्ताके मनमें प्रारम्भसे ही था या नहीं, अथवा बादमें ग्रन्थकारने स्वयं या उनके टीकाकारोंने यह नाम रखा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। मालूम होता है कि—ग्रन्थ बनाने समय अकलङ्कदेवको 'लघीयस्त्रय' नामकी कल्पना नहीं थी। उनके मनमें तो दिनागके न्यायप्रवेश जैसा एक जैनन्यायप्रवेश बनानेकी बात घूम रही थी। यद्यपि बौद्ध और नैयायिक परार्थानुमानको न्यायशब्दकी मर्यादामें रखते हैं; पर अकलङ्कदेवने तत्त्वार्थसूत्रके 'प्रमाणनयैरधिगम' सूत्र में वर्णित अधिगमके उपायभूत प्रमाण और नयको ही न्यायशब्दका वाच्य माना है। तदनुसार ही उन्होंने अपने ग्रन्थकी रचनाके समय प्रमाण और नयके निरूपणका उपक्रम किया। लघीयस्त्रयके परिच्छेदोका प्रवेशरूपसे विभाजन तो न्यायप्रवेशको आधार माननेको कल्पनाका स्पष्ट समर्थन करता है। प्रमाणनयप्रवेशको समाप्तिस्थलमें विवृतिकी प्रतिमें "इति प्रमाणनय-प्रवेश समाप्तः। कृतिरियं सकलवादिब्रह्मवर्तिनो भगवतो भट्टकलङ्कदेवस्य" यह वाक्य पाया जाता है। इस वाक्यसे स्पष्ट मालूम होता है कि—अकलङ्कदेवने प्रथम ही 'प्रमाणनयप्रवेश' बनाया था। इस प्रमाणनयप्रवेशकी मकलता, मंगल तथा पर्यवसान इसके अखण्ड प्रकरण होनेको पूरी तरह सिद्ध करते हैं। यदि नयप्रवेश प्रमाणप्रवेशसे भिन्न एक स्वतन्त्र प्रकरण होता तो उसमें प्रवचनप्रवेशकी तरह स्वतन्त्र मंगलवाक्य होना चाहिए था। अकलङ्कदेवकी प्रवचनपर अगाध श्रद्धा थी। यही कारण है कि—स्वतन्त्र उत्पादनकी पूर्ण सामर्थ्य रखते हुए भी उन्होंने अपनी शक्ति पुरातनप्रवचनके समन्वयमें ही लगाई। उनमें प्रवचनमें प्रवेश करनेके लिए तत्त्वार्थसूत्रमें अधिगमोपाय रूपसे प्ररूपित प्रमाण, नय और निक्षेपका अखण्डरूपसे वर्णन करनेके लिए प्रवचन-प्रवेश बनाया। इस तरह अकलङ्कदेवने प्रमाणनयप्रवेश और प्रवचनप्रवेश ये दो स्वतन्त्र प्रकरण बनाये।

यह प्रश्न अभी तक है ही कि—'इसका लघीयस्त्रय नाम किसने रखा?' मुझे तो ऐसा लगता है कि—यह सूत्र अनन्तवीर्य आचार्य की है, क्योंकि लघीयस्त्रय नामका सबसे पुराना उल्लेख हमें सिद्धिविनिश्चय टीकामें मिलता है। अनन्तवीर्यकी दृष्टिमें 'प्रमाणनयप्रवेश' एक अखण्ड प्रकरण नहीं था, वे उसे दो स्वतन्त्र प्रकरण मानते थे। इसका आधार यह है कि—सिद्धिविनिश्चय टीका (पृ० ५७२ B) में शब्द-मन्त्रादिका लक्षण करके वे लिखते हैं कि "एतेषामुदाहरणानि नयप्रवेशप्रकरणोदाहृतानि"—इतने

उदाहरण नयप्रवेशकप्रकरणसे जानना चाहिए। यहाँ नयप्रवेशको स्वतन्त्र प्रकरणरूपमें उल्लेख करनेसे अनुमान किया जा सकता है कि अनन्तवीर्यकी दृष्टिमें प्रमाणप्रवेश और नयप्रवेश दो प्रकरण थे। और यह बहुत कुछ सम्भव है कि उनमें हो प्रवचनप्रवेशको मिलाकर इनकी 'लघीयस्त्रय' सजा दी हो। उस समय प्रवेशक और लघु ग्रंथोंकी प्रकरण शब्दसे कहनेकी परम्परा थी। जैसे न्यायप्रवेशप्रकरण, न्यायविन्दुप्रकरण आदि। अनन्त-वीर्यके इस लघीयस्त्रय सजाकरणके बाद तो इनकी प्रमाणनयप्रवेश तथा प्रवचनप्रवेश सजा लघीयस्त्रयके तीन प्रवेशोंके रूपमें ही रही ग्रन्थके नामके रूपमें नहीं।

अस्तु, लघीयस्त्रय नामका इतिहास जान लेनेके बाद अब हम इसका एक अखण्ड ग्रन्थके रूपमें ही वर्णन करेंगे; क्योंकि आज तक निर्विवाद रूपसे यह एक ही ग्रन्थके रूपमें स्वीकृत चला आ रहा है। इस ग्रन्थमें तीन प्रवेश हैं—१ प्रमाण प्रवेश, २. नय प्रवेश, ३. निक्षेप प्रवेश। प्रमाण प्रवेशके चार परिच्छेद हैं— १. प्रत्यक्ष परिच्छेद, २. विषय परिच्छेद, ३. परोक्ष परिच्छेद, ४. आगम परिच्छेद। इन चार परिच्छेदोंके साथ नयप्रवेश तथा प्रवचन प्रवेशको मिलाकर कुल ६ परिच्छेद स्वोपज्ञविवृतिकी प्रतिमें पाए जाते हैं। लघीयस्त्रयके व्याख्याकार आ० प्रभाचन्द्रने प्रवचनप्रवेशके भी दो परिच्छेद करके कुल सात परिच्छेदोंपर अपनी न्यायकुमुदचन्द्र व्याख्या लिखी है। प्रवचनप्रवेशमें जहाँ तक प्रमाण और नयका वर्णन है वहाँ तक प्रभाचन्द्रने छठवाँ परिच्छेद, तथा निक्षेपके वर्णनको स्वतन्त्र सातवाँ परिच्छेद माना है।

लघीयस्त्रयमें कुल ७८ कारिकाएँ हैं। मुद्रित लघीयस्त्रयमें ७७ ही कारिकाएँ हैं। उसमें 'लक्षण क्षणिकैकान्ते' (का० ३५) कारिका नहीं है। नयप्रवेशके अन्तमें 'मोहेनैव परोऽपि' इत्यादि पद्य भी विवृति-की प्रतिमें लिखा हुआ मिलता है। पर इन पद्यका प्रभाचन्द्र तथा अभयनन्दिने व्याख्यान नहीं किया है, तथा उनको मूलग्रन्थके साथ कोई संगति भी प्रतीत नहीं होती, अतः इसे प्रक्षिप्त समझना चाहिए। प्रथम परि०में ६॥, द्वि० परि०में ३, तृ० परि०में १२, चतु० परि०में ७, पंचम परि०में २१, तथा ६ प्रवचन प्र० में २८, इस तरह कुल ७८ कारिकाएँ हैं।

मूल लघीयस्त्रयके साथ ही स्वयं अकलकदेवकी सक्षिप्त विवृति भी इसी मस्करणमें मुद्रित है। यह विवृति कारिकाओंका व्याख्यानरूप न होकर उसमें सूचित विषयोंको पूरक है। अकलकदेवने इसे मूल श्लोकोंके साथ ही साथ लिखा है। मालूम होता है कि—अकलकदेव जिस पदार्थको कहना चाहते हैं, वे उनके अग्रे अशकी कारिका बनाकर बाकीको गद्य भागमें लिखते हैं। अतः विषयकी दृष्टिसे गद्य और पद्य दोनों मिलकर ही ग्रन्थकी अखण्डता स्थिर रखने हैं। धर्मकीतिकी प्रमाणवार्तिककी वृत्ति भी कुछ इसी प्रकारकी है। उसमें भी कारिकोक्त पदार्थकी पूर्ति तथा स्पष्टताके लिए बहुत कुछ लिखा गया है। अकलकके प्रमाणसंग्रहका अध्ययन करनेमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि—अकलकके गद्यभागको हम शुद्ध वृत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि शुद्ध वृत्तिमें मात्र मूलकारिकाका व्याख्यान होना ही आवश्यक है, पर लघीयस्त्रयकी विवृति या प्रमाणमग्रेके गद्यभागमें व्याख्यात्मक अश नहींके ही बराबर हैं। हाँ, कारिकोक्त पदोंको आधार बनाकर उम विषयका शेष वक्तव्य गद्यरूपमें उपस्थित कर दिया है। व्याख्याकार प्रभाचन्द्रने इसको विवृति माना है और वे कारिकाका व्याख्यान करते जब गद्य भागका व्याख्यान करते हैं तब 'विवृति विवृण्वन्नाह' लिखते हैं। विवृति शब्दका प्रयोग हमारे विचारमें खालिस टीका या वृत्तिके अर्थमें न होकर तत्सम्बद्ध शेष वक्तव्यके अर्थमें है।

लघीयस्त्रयमें चर्चित विषय संक्षेपमें इस प्रकार है—

प्रथमपरिच्छेदमें—सम्यग्ज्ञानकी प्रमाणता, प्रत्यक्ष परोक्षका लक्षण, प्रत्यक्षके साध्यवहारिक और

मुख्य रूपसे दो भेद, साध्यव्यवहारिकके इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्ष रूपसे भेद, मुख्यप्रत्यक्षका समर्थन, साध्यव्यवहारिकके अवग्रहादिरूपसे भेद तथा उनके लक्षण, अवग्रहादिके बद्धादिरूप भेद, भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रियके लक्षण, पूर्व पूर्वज्ञानकी प्रमाणतामें उत्तरोत्तर ज्ञानोकी फलरूपता आदि विषयोकी चरचा है।

द्वितीयपरिच्छेदमें—द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुका प्रमाणविषयत्व तथा अर्थक्रियाकारित्व, निरर्थकान्त तथा क्षणिकैकान्तमें क्रमयोगपरस्पररूपसे अर्थक्रियाकारित्वका अभाव, निरर्थ माननेपर विक्रिया तथा अधिक्रियाका अविरोध आदि प्रमाणके विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले विचार प्रकट किए हैं।

तृतीयपरिच्छेदमें—मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, तथा अधिनियोजका शब्दयोजनासे पूर्व अवस्थामें मतिव्यपदेश तथा उत्तर अवस्थामें श्रुतव्यपदेश, व्याप्तिका ग्रहण प्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा असंभव होनेसे व्याप्तिप्राप्ती तर्कका प्रामाण्य, अनुमानका लक्षण, जलचन्द्रके दृष्टान्तसे कारण हेतुका समर्थन, कृतिकोदय आदि पूर्वचर हेतुका समर्थन, अदृश्यानुपलब्धिते मी परचैतन्य आदिका अभावज्ञान, नैयायिकाभिमत उपमानका सादृश्यप्रत्यभिज्ञानमें अन्तर्भाव, प्रत्यभिज्ञानके बस्युद्घय आपेक्षिक प्रतियोगि आदि भेदोका निरूपण, बौद्ध मतमें स्वभावादि हेतुओके प्रयोगमें कठिणता, अनुमानानुमेयव्यवहारकी वास्तविकता एवं विकल्पबुद्धिकी प्रमाणता आदि परोक्षज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयोकी चरचा है।

चतुर्थपरिच्छेदमें—किसी भी ज्ञानमें ऐकान्तिक प्रमाणता या अप्रमाणताका निषेध करके प्रमाणाभासका स्वरूप, सविकल्पज्ञानमें प्रत्यक्षाभासताका अभाव, अविस्वादा और विसवादासे प्रमाण-प्रमाणाभास-व्यवस्था, विप्रकृष्टविषयोमें श्रुतकी प्रमाणता, हेतुवाद और आप्तोक्तारूपसे द्विविध श्रुतकी अविस्वादि होनेसे प्रमाणता, शब्दोके विवक्षावाचित्वका लण्डनकर उनकी अर्थवाचकता आदि श्रुत सम्बन्धी बातोका विवेचन किया गया है। इस तरह प्रमाणके स्वरूप, सख्या, विषय और फलका निरूपणकर प्रमाणप्रवेश समाप्त होता है।

पंचम परिच्छेदमें—नय दुर्नयके लक्षण, द्रव्याधिक और पर्यायाधिक रूपसे मूलभेद, सत् रूपमें समस्त वस्तुओके ग्रहणका सग्रहनयत्व, ब्राह्मवादका संग्रहाभासत्व, बौद्धाभिमत एकान्तक्षणिकताका निरास, गुण-गुणी, धर्म-धर्मीकी गौण मुख्य विवक्षामें नैगमनयकी प्रवृत्ति, वैशेषिकसम्मत गुणगुण्यादिके एकान्त भेदका नैगमाभासत्व, प्रामाणिक भेदका व्यवहारनयत्व, काल्पनिक भेदका व्यवहाराभासत्व, कालकारकादिके भेदसे अर्थ-भेद निरूपणकी शब्दनयता, पर्यायभेदसे अर्थभेद कथनका समभिरूढनयत्व, क्रियाभेदसे अर्थभेद प्ररूपणका एवंभूतनयत्व, सामग्रीभेदसे अभिन्नवस्तुमें भी षट्कारकीका सभव आदि समस्त नयपरिवारका विवेचन है। यहाँ नयप्रवेश समाप्त हो जाता है।

६ प्रवचन प्रवेशमें—प्रमाण, नय और निक्षेपके कथनकी प्रतिज्ञा, अर्थ और आलोककी ज्ञानकारणताका खंडन, अन्वकारको ज्ञानका विषय होनेसे आवरणरूपताका अभाव, तज्जन्म, ताप्य और तदव्यवसायका प्रामाण्यमें अप्रयोजकत्व, श्रुतके सकलादेश विकलादेश रूपसे दो उपयोग, 'स्यादस्त्येय जीव' इस वाक्यकी विकलादेशता, 'स्याज्जीव एव' इस वाक्यकी सकलादेशता, शब्दकी विवक्षासे भिन्न वास्तविक अर्थकी वाचकता, नैगमादि माल नयोमेंसे आदिके नैगमादि चार नयोका अर्थनयत्व, शब्दादि तीन नयोका शब्दनयत्व, नामादि चार निक्षेपोके लक्षण, अप्रस्तुत निराकरण तथा प्रस्तुत अर्थका निरूपण रूप निक्षेपका फल, इत्यादि प्रवचनके अधिगमोपायभूत प्रमाण, नय और निक्षेपका निरूपण किया गया है।

न्यायविनिश्चय—धर्मकीतिका एक प्रमाणविनिश्चय ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसकी रचना गद्यपद्यमय है। न्यायविनिश्चय नाम स्पष्टतया इसी प्रमाणविनिश्चय नामका अनुकरण है। नामकी पसन्वगीमें आन्तरिक

विषयका निश्चय भी एक सास कारण होता है। मिथसेन दिवाकरने अपने न्यायावतारमे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाणोका विवेचन किया है। अकलकदेवने न्यायविनिश्चयमे भी तीन प्रस्ताव रखे हैं— १ प्रत्यक्ष प्रस्ताव, २ अनुमान प्रस्ताव, ३ प्रवचन प्रस्ताव। अतः संभव है कि—अकलकके लिए विषयकी पसन्दगीमे तथा प्रस्तावके विभाजनमे न्यायावतार प्रेरक हों, और इसीलिए उन्होंने न्यायावतारके 'न्याय'के साथ प्रमाणविनिश्चयके 'विनिश्चय' का मेल बैठाकर न्यायविनिश्चय नाम रखा हो। वादिदेवसूरिने स्याद्वाह-रत्नाकर (पृ० २३) में 'धर्मकीतिरिपि न्यायविनिश्चयस्य ...' यह उल्लेख करके लिखा है कि न्यायविनिश्चयके तीन परिच्छेदोमे क्रमशः प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमानका वर्णन है। यदि धर्मकीतिका प्रमाण-विनिश्चयके अतिरिक्त भी कोई न्यायविनिश्चय ग्रन्थ है तब तो ज्ञात होता है कि—प्रस्तावविभाजन तथा नामकरणकी कल्पनामे उमीने कार्य किया है। यह भी संभव है कि—प्रमाणविनिश्चयको ही वादिदेवसूरिने न्यायविनिश्चय समझ लिया हो। इसके तीन प्रस्तावोमे निम्नविषयोका विवेचन है—

प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावमे—प्रत्यक्षका लक्षण, इन्द्रियप्रत्यक्षका लक्षण, प्रमाणसम्बलवसूचन, चक्षुरादि-बुद्धियोका व्यवसायात्मकत्व, विकल्पके अभिलाषत्व आदि लक्षणोका खंडन, ज्ञानको परोक्ष माननेका निराकरण, ज्ञानके स्वमवेदनकी मिद्धि, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञाननिरास, अचेतनज्ञाननिरास, साकारज्ञाननिरास, निराकारज्ञानमिद्धि, सर्वदेनाद्वैतनिरास, विभ्रमवादनिरास, बहिरर्थसिद्धि, चित्रज्ञानखंडन, परमाणुरूप बहिरर्थका निराकरण, अवयवोमे भिन्न अवयवोका खंडन, द्रव्यका लक्षण, गुणपर्यायका स्वरूप, सामान्यका स्वरूप, अर्थके उत्पादादादिप्रयात्मकत्वका समर्थन, अपोहरूप सामान्यका निरास, व्यक्तिते भिन्न सामान्यका खण्डन, धर्मकीतिसम्मत प्रत्यक्षलक्षणका खंडन, बौद्धकल्पित स्वसवेदनयोगमानसप्रत्यक्षनिरास, साध्यकल्पित प्रत्यक्ष-लक्षणका खंडन, नैयायिकके प्रत्यक्षका ममालोचन, अतीन्द्रियप्रत्यक्षका लक्षण आदि विषयोका विवेचन किया गया है।

द्वितीय अनुमानप्रस्तावमे—अनुमानका लक्षण, प्रत्यक्षकी तरह अनुमानकी बहिरर्थविषयता, साध्य-साध्यभासके लक्षण, बौद्धादिमतोमे साध्यप्रयोगकी असम्भवता, शब्दका अर्थवाचकत्व, शब्दसकेतग्रहणप्रकार, भूतचैतन्यवादका निराकरण, गुणगुणि भेदका निराकरण, साधन-साधनाभासके लक्षण, प्रमेयत्व हेतुकी अनेकान्तसाधकता, सत्त्वहेतुकी परिणामित्वप्रसाधकता, श्रेष्ठ्य खंडन पूर्वक अन्यथानुपपत्तिसमर्थन, तर्ककी प्रमाणता, अनुपलम्भहेतुका समर्थन, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचरहेतुका समर्थन, अमिद्ध विरुद्ध अनीकान्तिक और अकिञ्चित्कर हेत्वाभासोका विवेचन, दूषणाभास लक्षण, जातिलक्षण, जयतद्व्यवस्था, दृष्टान्त-दृष्टान्ताभास विचार, वादका लक्षण, नियहस्थानलक्षण, वादाभासलक्षण आदि अनुमानसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयोका वर्णन है।

तृतीय प्रवचनप्रस्तावमे—प्रवचनका स्वरूप, सुगतके आप्तत्वका निरास, सुगतके करुणावृत्त तथा चतुरार्यसत्यप्रतिपादकत्वका परिहारा, आगमके अपीक्ष्येयत्वका खण्डन, सर्वज्ञत्वसमर्थन, व्योतिर्ज्ञानोपदेश सत्व-स्वप्नज्ञान तथा ईशणिकादिबिद्वाके दृष्टान्त द्वारा मर्षज्ञत्वसिद्धि, शब्दनित्यत्वनिरास, जीवादितत्त्वनिरूपण, नैरात्म्यभावनाकी निरर्थकता, मोक्षका स्वरूप, मत्तभगीनिरूपण, स्याद्वाद्यमे दिये जानेवाले संशयादि दोषोक्त परिहारा, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदिका प्रामाण्य, प्रमाणका फल आदि विषयोका विवेचन है।

लघीयस्त्रयकी तरह न्यायविनिश्चयपर भी स्वयं अकलककृत विवृति जवस्य रही है। जैसा कि न्यायविनिश्चयविवरणकार (पृ० १२० B) के 'वृत्तिमध्यवर्तित्वान्' आदि वाक्योसे तथा सिद्धिविनिश्चय-टीका (पृ० १२० A) मे न्यायविनिश्चयके नामसे उद्धृत 'नचैतद्बहिरैव...' आदि गद्यभासोसे पता चलता

है। न्यायविनिश्चयविवरण (पृ० १६१ B.) में 'तथा च सूक्त सूक्तौ देवस्य बचनम्' कहकर 'समारोप-व्यवच्छेदात्...' श्लोक उद्धृत मिलता है। बहुत कुछ सम्भव है कि इसी विवृतिरूप गद्यभागका ही विवरण-कारने वृष्णि शब्दसे उल्लेख किया हो। न्यायविनिश्चयविवरणकार वादिराजने न्यायविनिश्चयके केवल पद्य-भागका व्याख्यान किया है।

प्रमाणसंग्रह—पं० सुखलालजीकी कल्पना है कि—'प्रमाणसंग्रह नाम दिग्भागके प्रमाणसमुच्चय तथा शास्त्ररक्षितके तत्त्वसंग्रहका स्मरण दिलाता है। यह कल्पना हृदयको लगती है। पर तत्त्वसंग्रहके पहिले भी प्रशस्तपावभाष्यका पदार्थसंग्रह नाम प्रचलित रहा है। सभब है कि संग्रहान्त नामपर इसका भी कुछ प्रभाव हो। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही यह ग्रन्थ वस्तुतः प्रमाणो—युक्तियोंका संग्रह ही है। इस ग्रन्थकी भाषा और स्थासकर विषय तो अत्यन्त जटिल तथा कम्प्लेक्स समझने लायक है। अकलकके इन तीन ग्रन्थोमे यही ग्रन्थ प्रमेयबहुल है। मालूम होता है कि यह ग्रन्थ न्यायविनिश्चयके बाद बनाया गया है; क्योंकि इसके कई प्रस्तावोके अन्तमे न्यायविनिश्चयकी अनेको कारिकाएँ बिना किसी उपक्रम वाचकके लिखी गई हैं। इसकी प्रौढ़शैलीसे ज्ञात होता है कि यह अकलकदेवकी अन्तिम कृति है, और इसमे उन्होने अपने यावत् अवशिष्ट विचारोके लिखनेका प्रयास किया है, इसलिए यह इतना गहन हो गया है। इसमे हेतुओके उपलब्धि अनुपलब्धि आदि अनेको भेदोका विस्तृत विवेचन है; जबकि न्यायविनिश्चयमे मात्र उनका नाम ही लिया गया है। अतः यह सहज ही समझा जा सकता है कि—यह न्यायविनिश्चयके बाद बनाया गया होगा।

इसमे ९ प्रस्ताव हैं, तथा कुल ८७॥ कारिकाएँ।

प्रथम प्रस्तावमे—९ कारिकाएँ हैं। इनमे प्रत्यक्षका लक्षण, श्रुतका प्रत्यक्षानुमानागमपूर्वकत्व, प्रमाणका फल, मुख्यप्रत्यक्षका लक्षण आदि प्रत्यक्ष विषयक निरूपण है।

द्वितीय प्रस्तावमे—९ कारिकाएँ हैं। इनमे स्मृतिका प्रााम्ण्य, प्रत्यभिज्ञानकी प्रमाणता, तर्कका लक्षण, प्रत्यक्षानुपलम्भमे तर्कका उद्भव, कुतर्कका लक्षण, विवक्षाके बिना सी शब्दप्रयोगका सभब, परोक्ष पदार्थोमे श्रुतसे अविनाभावग्रहण आदिका वर्णन है। अर्थात् परोक्षके भेद स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्कका निरूपण है।

तृतीय प्रस्तावमे—१० कारिकाएँ हैं। इनमे अनुमानके अवयव साध्य-साधनका लक्षण, साध्याभासका लक्षण, सदसदेकान्तमे साध्यप्रयोगकी असभवता, सामान्यविक्षीयात्मक वस्तुकी माध्यता तथा उसमे विद्ये जानेवाले सग्यादि आठ दोषोका परिहार आदिका वर्णन है।

चतुर्थ प्रस्तावमे—११॥ कारिकाएँ हैं। इनमे त्रिरूपका खण्डन करके अन्यथानुपतिरूप हेतुलक्षणका समर्थन, हेतुके उपलब्धि, अनुपलब्धि आदि भेदोका विवेचन, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचरहेतुका समर्थन आदि हेतु-सम्बन्धी विचार हैं।

पचम प्रस्तावमे—१०॥ कारिकाएँ हैं। इनमें विरुद्धादि हेत्वाभासोका निरूपण, सर्वथा एकान्तमे सत्त्वहेतुकी विरुद्धता, सहोपलम्भनियमहेतुकी विरुद्धता, विरुद्धाव्याभचारीका विरुद्धमे अन्तर्भाव, अज्ञात हेतुका अकिञ्चित्करमे अन्तर्भाव आदि हेत्वाभास विषयक प्ररूपण है, तथा अन्तर्व्याप्तिका समर्थन है।

षष्ठ प्रस्तावमे—१२॥ कारिकाएँ हैं। इनमे वाक्का लक्षण, जयपराजय व्यवस्थाका स्वरूप, जाति-का लक्षण, ध्वज्युष्ट्यादिके अभेदप्रसंगका आत्युत्तरत्व, उत्पादादित्रयात्मकत्वसमर्थन, सर्वथा नित्य सिद्ध करने-के सत्त्वहेतुका सिद्धसेनादिके मतसे असिद्धत्वादिनिरूपण आदि वादविषयक कथन है। अन्तमे—धर्मकीर्ति आदिमे अपने ग्रन्थोमे प्रतिवादिओके प्रति जिन जाड्य आदि अपराधोका प्रयोग किया है उनका बहुत सुन्दर

२४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

मुहूर्तोत्तर दिया है। लिखा है कि—धूम्रवाद, संवृतिवाद, विज्ञानवाद, निर्विकल्पकदर्शन, परमाणुसंख्य-को प्रत्यक्षका विषय मानना, अपोहवाद तथा मिथ्यासन्तान ये सात बातें माननेवाला ही वस्तुतः जड़ है। प्रतिज्ञाको अमाधन कहना, अदृश्यानुपलब्धि-को अगमक कहना आदि ही अलौकिकता—निर्लज्जता है। निर्विकल्पकप्रत्यक्षके सिवाय सब ज्ञानोंको भ्रान्त कहना, साकार ज्ञान मानना, क्षणभङ्गवाद तथा असत्कार्यवाद ही पशुताके द्योतक हैं। परलोक न मानना, शास्त्र न मानना, तप-दान देवता आदिसे इत्कार करना ही अलौकिकता है। अतीन्द्रिय धर्माधर्म आदिमें शब्द-वेदको ही प्रमाण मानना, किसी चेतनको उसका ज्ञाता न कहना ही तामस है। सस्कृत आदि शब्दोंमें साधुता, असाधुताका विचार तथा उनके प्रयोगमात्रसे पुण्य-पाप मानना ही प्राकृत-ग्रामीणजनका लक्षण है।

सप्तम प्रस्तावमें—१० कारिकाएँ हैं। इसमें प्रवचनका लक्षण, सर्वज्ञतामें किये जानेवाले सन्देशका निराकरण, अपौरुषेयत्वका खंडन, तत्त्वज्ञानचारित्रकी मोक्षहेतुता आदि प्रवचन सम्बन्धी विषयोका विवेचन है।

अष्टम प्रस्तावमें—१३ कारिकाएँ हैं। इनमें सप्तमंगीका निरूपण तथा नैगमादिनयोका कथन है।

नवम प्रस्तावमें—२ कारिकाएँ हैं। इनमें प्रमाणनय और निक्षेपका उपसंहार है।

३ रचनाशैली

अकलङ्कके ग्रथ दो प्रकारके हैं—१ टीका ग्रथ, २. स्वतन्त्र प्रकरण। टीका ग्रथोंमें राजवातिक तथा अष्टशती हैं। स्वतन्त्र ग्रथोंमें लघीयस्त्रयसविवृति, न्यायविनिश्चय सवृत्ति, सिद्धिविनिश्चय सवृत्ति और प्रमाणसंग्रह ये चार ग्रथ निश्चितरूपसे अकलककर्तृक हैं। परम्परागत प्रसिद्धिकी दृष्टिसे स्वरूपसम्बोधन, न्यायबूलिका, अकलक प्रतिष्ठापाठ, अकलक प्रायश्चित्तसंग्रह आदि हैं, जिनके कर्ता प्रसिद्ध अकलकदेव न होकर अन्य अकलक हैं।

राजवातिकके सिवाय प्रायः सभी ग्रथ अष्टशती जितने ८०० श्लोक प्रमाण ही मालूम होते हैं। धर्म-कीर्तिके हेतुबिन्दु, वादन्याय, प्रमाणविनिश्चय ग्रथ भी करीब-करीब इतने ही छोटे हैं। उस समय सक्षिप्त पर अर्थबहुल, गम्भीर तथा तलस्पर्शी प्रकरणोंकी रचनाका ही युग था।

अकलक जब आगमिक विषयपर कलम उठाते हैं तब उनके लेखनकी सरलता, विशदता एवं प्रसाद गुणका प्रवाह पाठकको पहलेसे ऊबने नहीं देता। राजवातिककी प्रसन्न रचना इसका अप्रतिम उदाहरण है। परन्तु जब वही अकलक तार्किक विषयोपर लिखते हैं तब वे उतने ही दुःसह बन जाते हैं। अकलकके प्रस्तुत संस्करणमें मुद्रित प्रकरणग्रथ अत्यन्त जटिल, गूढ़ एवं इतने सक्षिप्त हैं कि कहीं-कहीं उनका आधार लेकर टीकाकारों द्वारा किये गये अर्थ अकलकके मनोगत थे या नहीं यह सन्देह होने लगता है। अकलकके प्रकरणोंकी यथार्थज्ञताका दावा करनेवाले अनन्तवीर्य भी इनकी गूढ़ताके विषयमें बरबस कह उठते हैं कि—

“देवस्थानन्तवीर्योऽपि पद व्यक्त तु सर्वथा । न जानीतेऽकलकस्य चित्रमेतत्पर भुवि ॥”

अर्थात्—“अनन्तवीर्य भी अकलक देवके पदोंके व्यक्त अर्थको नहीं जान पाता यह बड़ा आश्चर्य है।” ये अनन्तवीर्य उस समय अकलकके प्रकरणोंके मर्मज्ञ, तलद्रष्टा समझे जाते थे। प्रभाचन्द्र एवं वादिराज अनन्तवीर्यकी अकलकीय प्रकरणोंकी तलस्पर्शिताका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि—“मैंने त्रिलोकके यावत् पदार्थोंको संक्षेपरूपसे वर्णन करनेवाली अकलककी पद्धतिको अनन्तवीर्यकी उक्तियोका सैकड़ों बार अभ्यास करके समझ पाया है।” “अकलकके गूढ़ प्रकरणोंको यदि अनन्तवीर्यके वचनदीप प्रकट न करते तो उन्हें कौन समझ सकता था ?” आदि।

सविबृति लघीयस्त्रयपर प्रभाचन्द्रकी टीका उपलब्ध होनेसे तथा उसका विषय कुछ प्रारम्भिक होनेसे समझनेसे उतनी कठिनाई नहीं मालूम होती जिनकी न्यायविनिश्चयमें। प्रमाणसंग्रहमें तो यह कठिनाई अपनी चरमसीमाको पहुँच जाती है। एक ही प्रकरणमें अनेक चर्चाओंका समावेश हो जानेसे तो यह जटिलता और भी बढ़ जाती है। उदाहरणार्थ—न्यायविनिश्चयमें भूतवैतन्यवादका निराकरण करते हुए जहाँ यह लिखा है कि ज्ञान भूतोंका गुण नहीं है, वही लगे हाथ गुण शब्दका व्याख्यान तथा वैशेषिकके गुणगुणभेदका खंडन भी कर दिया है। समझनेवाला इससे विषयके वर्गीकरणमें बड़ी कठिनाईका अनुभव करता है। अकलकदेवका षड्दर्शनका गहरा अभ्यास तथा बौद्धशास्त्रोंका अनुभवपूर्वक आत्ममात्करण ही उनके प्रकरणोंकी जटिलतामें कारण मालूम होता है। वे यह सोचने हैं कि कम-से-कम शब्दोंमें अधिकसे अधिक सूक्ष्म और बहुपदार्थ ही नहीं किन्तु बहुविध पदार्थ लिखा जाय। उनकी यह शब्दसंक्षिप्तता बड़े-बड़े प्रकाण्डपण्डितोंको अपनी बुद्धिको मापनेका मापदण्ड बन रही है। धर्मकीतिकी प्रमाणवातिक-स्ववृत्तिकी देखकर तो यह और भी स्पष्ट मालूम होने लगता है कि उम समय कुछ ऐसी ही सूत्र रूपसे लिखने की परम्परा थी। लेखनशैलीमें परिहासका पुट भी कहीं-कहीं बड़ी व्यञ्जनाके साथ मिलता है, जैसे—न्यायविनिश्चयमें धर्मकीतिके—“जब सब पदार्थ द्रव्यरूपमें एक हैं तब वही और ऊँट भी द्रव्यरूपमें एक हुए, अतः वहीको गानेवाला ऊँटको क्यों नहीं खाता ?” इस आक्षेपका उत्तर देते हुए लिखा है कि—भाई, जैसे सुगत पूर्व भ्रममें मृग थे, तथा मृग भी सुगत हुआ था, अतः सन्तानदृष्टिमें एक होनेपर भी आप मृगकी जगह सुगतको क्यों नहीं खाते और मृगकी बन्दना क्यों नहीं करते ? अतः जिस तरह वहाँ पर्यायभेद होनेसे बन्धत्व और साधत्व की व्यवस्था है उसी तरह वही और ऊँटके शरीरमें पद्मद्रव्यरूपसे एकता होनेपर भी पर्यायकी अपेक्षा भिन्नता है। यथा—

“सुगतोऽपि मृगो जात मृगोऽपि सुगतस्तथा । तथापि सुगतो बन्धो मृग स्याद्यो यथेष्यते ॥
तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदव्यवस्थिते । चोदितो वधि सादेति किमुपुममिधावति ॥”

—न्यायवि० ३।३७३-७४

अकलकके प्रकरणोंका सूक्ष्मतामें अनुसंधान करनेपर मालूम होता है कि—अकलकदेवकी सीधी चोट बौद्धोंके ऊपर है। इतरदर्शन तो प्रसंगसे ही चर्चित हैं, और उनकी समालोचनामें बौद्धदर्शनका सहारा भी लिया गया है। बौद्धाचार्य धर्मकीतिके प्रमाणवातिकसे तो अनेको पूर्वपक्ष शब्दशः लेकर समालोचित हुए हैं। धर्मकीतिके साथ ही साथ उनके शिष्य एवं टीकाकार प्रजाकरगुप्त, कर्णकगोमि प्रभृति भी अकलकके द्वारा युक्तिजालोंमें लपेटे गये हैं। जहाँ भी मौका मिला सौत्रान्तिक या विज्ञानवादीके ऊपर पूरा-पूरा प्रहार किया गया है। कुमारिलकी सर्वज्ञताविरोधिनी युक्तियाँ प्रबलप्रमाणोंसे खंडित की गई हैं। जैननिरूपणमें समन्त-भद्र, पूज्यपादका प्रभाव होनेपर भी न्यायविनिश्चयमें सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतार तथा लघीयस्त्रयके नयनिरूपणमें सम्मतिकके नयकाण्ड तथा मल्लवादिके नयचक्रका भी प्रभाव है। उत्तरकालीन ग्रथकार अनंत-वीर्य, माणिक्यनन्द, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र, अभयदेव, शान्तिभूरि, वादिराज, वादिदेव, हेमचन्द्र तथा यशो-विजय आदि सभी आचार्योंने अकलकके द्वारा प्रस्थापित जैनन्यायकी रेखाका विस्तार किया तथा उनके वाक्योंको बड़ी श्रद्धासे उद्धृतकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

अकलक द्वारा प्रणीत व्यवस्थामें अनुपपत्ति शान्तिभूरि तथा मलयगिरि आचार्योंने दिखाई है। शान्ति-भूरिने जैनसर्ववातिकमें अकलक द्वारा प्रमाणसंग्रहमें प्रतिपादित प्रत्यक्ष-अनुमान-आगमनिमित्तक त्रिविध श्रुतकी जगह द्विविध-अनुमानज और शब्दज श्रुत माना है। मलयगिरि आचार्योंने सम्यग्मयमें स्यात्पदके प्रयोगका इस आधारपर समालोचन किया है कि स्यात् पदका प्रयोग करनेसे तो प्रमाण और नयमें कोई भेद नहीं रहेगा। पर इसका उत्तर उ० यशोविजयने श्रुतत्वविनिश्चयमें दे दिया है कि—मान स्यात् पदके प्रयोगसे प्रमाण

और नयेमे वेदाभाव नहीं हो सकता। नयान्तरसापेक्षनय यदि प्रमाण हो जाय तब तो व्यवहारादि सभी नयो-को प्रमाण मानना होगा। इस तरह उपाध्यायजीने अककलके मतका ही समर्थन किया है।

आन्तरिक विषयपरिचय

इस परिचयमे अकलकदेवने प्रस्तुत तीनों ग्रन्थोमे जिन विषयोपर संक्षेप या विस्तारसे जो भी लिखा है, उन विषयोका सामान्य परिचय तथा अकलकदेवके वक्तव्यका सार दिया है। इससे योग्यभूमिवाले जैनन्यायके अम्यासियोका अकलकके ग्रन्थोमे प्रवेश तो होगा ही, साथ ही साथ जैनन्यायके रसिक अध्यापको-को जैनन्यायसे सम्बन्ध रखनेवाले दशान्तर्रीय विषयोकी अनेको महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ भी मिल सकेगी। इसमे प्रसंगत जिन अन्य आचार्योंके मतोंकी चर्चा आई है उनके अवतरण देखनेके लिए उस विषयके टिप्पणोंको ध्यानसे देखना चाहिए। इस परिचयको प्रथम नहीं लिखकर तीनों ग्रन्थोके मुख्य-मुख्य विषयोका संक्षेप करके लिखा है जिससे पाठकोको विशेष सुविधा रहेगी। यह परिचय मुख्यतयासे प्रमाण, प्रमेय, नय, निक्षेप और सप्तभगीरूपसे स्थूल विभाग करके लिखा गया है।

१. प्रमाणनिरूपण

प्रमाणसामान्यविचार—समन्तभद्र और सिद्धमेनने प्रमाणसामान्यके लक्षणमे स्वपरावभासक, ज्ञान तथा बाधवर्जित पद रखे हैं, जो उस समयके प्रचलित लक्षणोसे जैनलक्षणको व्यावृत्त करते थे। माध्वरणतया 'प्रभाकरण प्रमाणम्' यह लक्षण सर्वमान्य था। विवाद था तो इस विषयमे कि वह करण कीन हो? न्याय-भाष्यमे करणरूपसे सन्निकर्ष और ज्ञान दोनोंका स्पष्टतया निर्देश है। यद्यपि विज्ञानवादी बौद्ध ज्ञानको स्वसंवेदी मानते रहे हैं, पर वे करणके स्थानमे मालुप्य या योग्यताको रखते हैं। समन्तभद्रादिने करणके स्थानमे स्वपरावभासक ज्ञान पद रखके ऐसे ही ज्ञानको प्रमाण माना जो स्व और पर उभयका अवभासन करनेवाला हो। अकलकदेवने इस लक्षणमे अविशवादि और अनभिगतार्थग्राहि इन दो नए पदोंका समावेश करके अवभासकके स्थानमे व्यवसायात्मक पदका प्रयोग किया है। अविशवादि तथा अज्ञातार्थप्रकाश पद स्पष्टरूपसे धर्मकीर्तिके प्रमाणके लक्षणसे आए हैं तथा व्यवसायात्मक पद न्यायसूत्र से। इनकी लक्षणसधृष्टनाके अनुसार स्व और परका व्यवसाय-निश्चय करनेवाला, अविशवादि-सशयादि समारोपका निरसन करनेवाला और अनभिगतार्थको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण होगा।

प्रमाणसम्प्लव विचार—यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि धर्मकीर्ति और उनके टीकाकार धर्मोत्तरने अज्ञातार्थप्रकाश और अनभिगतार्थग्राहि शब्दोंका प्रयोग करके प्रमाणसम्प्लवका निषेध किया है। एक प्रमेयमे अनेक प्रमाणोंकी प्रवृत्ति को प्रमाणसम्प्लव कहते हैं। बौद्ध पदार्थोंको एकलक्षयस्थायी मानते हैं। उनके सिद्धान्तके अनुसार पदार्थ ज्ञानमे कारण होता है। अत जिस विवर्जित पदार्थसे कोई भी प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न हुआ कि वह पदार्थ दूसरे क्षणमे नियमसे नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी धर्ममे दो ज्ञानोंके प्रवृत्त होनेका अवसर ही नहीं है। दूगरे, बौद्धोंने प्रमेयके दो भेद किए हैं—१ विशेष (स्वलक्षण), २ सामान्य (अन्यापोहरूप)। विशेष पदार्थको विषय करनेवाला प्रत्यक्ष है तथा सामान्यको जाननेवाले अनुमानादि विकल्पज्ञान। इस तरह विषयद्वैविध्यतात्मक व्यवस्था होनेसे कोई भी प्रमाण अपनी विषयमर्यादाको नहीं लाँच सकता। इसलिए विजातीय प्रमाणको तो स्वनियत विषयसे भिन्न प्रमेयमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। रह जाती है मजातीय प्रमाणान्तरके सम्प्लवकी बात, सो द्वितीय क्षणमे जब वह पदार्थ रहता ही नहीं है तब सम्प्लवकी चर्चा अपने आप ही समाप्त हो जाती है।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि—जैन तो पदार्थको एकान्तक्षणिक नहीं मानते और न विषयद्वैविध्यको

ही। जैनकी दृष्टिसे तो एक सामान्य-विशेषात्मक अर्थ सभी प्रमाणोंका विषय होता है। तब अनधिगतार्थप्राप्ति पदका औन्नत प्रमाणलक्षणमे क्या उपयोग हो सकता है? अकलंकदेवने इसका उत्तर दिया है कि—वस्तु अनन्तधर्मवाली है। अमुक ज्ञानके द्वारा वस्तुके अमुक अंशोंका निश्चय होनेपर भी अगृहीत अंशोंको जाननेके लिए प्रमाणान्तरको अवकाश रहता है। इसी तरह जिन ज्ञान अशोमे सबाध हो जानेसे निश्चय ही गया है, उन अशोमे भले ही प्रमाणान्तर कुछ विशेष परिच्छेद न करे पर जिन अशोमे अर्न्तबाध होनेसे अनिश्चय भा विपरीतनिश्चय है उनका निश्चय करके तो प्रमाणान्तर विशेष परिच्छेदक होनेके कारण अनधिगतप्राप्तिरूपसे प्रमाण ही है। प्रमाणसम्प्लवके विषयमे यह बात और भी ध्यान देने योग्य है कि—अकलंकदेवने प्रमाणके लक्षणमे अनधिगतार्थप्राप्ति पदके प्रवेश करनेके कारण अनिश्चितताके निश्चयमे या निश्चितताशमे उपयोग-विशेष होनेपर प्रमाणसम्प्लव माना है, जब कि नैयायिकोंने अपने प्रमाणलक्षणमे ऐसा कोई पद नहीं रखा, अतः उसकी दृष्टिसे वस्तु गृहीत हो या अगृहीत, यदि इन्द्रियादि कारणकलाप मिल जायें तो अवश्य ही प्रमाणकी प्रवृत्ति होगी, इसी तरह उपयोग विशेष हो या न हो, कोई भी ज्ञान इसलिए अप्रमाण नहीं होगा कि उसने गृहीत को ग्रहण किया है। तात्पर्य यह कि नैयायिकोंको प्रत्येक अवस्थामे प्रमाणसम्प्लव स्वीकृत है।

अकलंकदेवने बौद्धमतमे प्रमाणसम्प्लवकी असम्भवातेके कारण 'अनुमानको अप्रवृत्ति' रूप दूषण देते हुए कहा है कि—जब आपके यहाँ यह नियम है कि प्रत्यक्षके द्वारा वस्तुके समस्त गुणोंका दर्शन हो जाता है; तब प्रत्यक्षके द्वारा सर्वांशतया गृहीत वस्तुमे कोई भी अनधिगत अंश नहीं बचा, जिसके ग्रहणके लिए अनुमानको प्रमाण माना जाय। अनुमानके विषयभूत अन्यापोहुरूप सामान्यमे विपरीतारोपकी सभावना नहीं है, अतः समारोपव्यवच्छेदार्थ भी अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता। अकलंकोत्तरवर्त्ती आ० माणिवयनन्दिने अनधिगतार्थकी जगह कुमारिलके अपूर्वार्थ पदको स्थान दिया। पर विद्यानन्द तथा उनके बाद अभयदेव, वादिदेव, हेमचन्द्र आदि आचार्योंने अनधिगत या अपूर्वार्थ किसी भी पदको अपने लक्षणोमे नहीं रखा।

ज्ञान का स्व-परसंवेदन विचार—ज्ञानके स्वरूपसंवेदनके विषयमे निम्न वाद है—१. मीमांसकका परोक्षज्ञानवाद, २ नैयायिकका ज्ञानान्तरवेदज्ञानवाद, ३ सांख्यका प्रकृतिपर्यायात्मक ज्ञानका पुरुष द्वारा सचेतनवाद, ४. बौद्धका साकार-स्वसंवेदनज्ञानवाद, ५. जैनका निराकार-स्वसंवेदनज्ञानवाद। अकलंकदेवने इतर वादोंकी समालोचना इस प्रकार की है—

परोक्षज्ञानवादनिरास—यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाय अर्थात् ज्ञान स्वयं अपने स्वरूपको न जान सके, तब उस परोक्षज्ञानके द्वारा जाना गया पदार्थ हमारे प्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकेगा, क्योंकि आत्मान्तरके ज्ञानसे हमारे ज्ञानमे यही स्वकीयत्व है कि वह हमारे स्वयं प्रत्यक्षका विषय है, उसे हम स्वयं उसीके द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जब कि आत्मान्तरके ज्ञानको हम स्वयं उसीके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं करते। यही कारण है कि आत्मान्तरके ज्ञानके द्वारा हमें पदार्थका प्रत्यक्ष नहीं होता। जब ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष नहीं तब उसकी सिद्धि अनुमानसे भी कैसे होगी? क्योंकि अस्वसंवेदित अर्थप्रकाशरूप लिंगसे अज्ञात धर्म-ज्ञानका अविनाभाव ही गृहीत नहीं है। अर्थप्रकाशको स्वसंवेदित माननेपर तो ज्ञानकी कल्पना ही निरर्थक हो जायगी; क्योंकि स्वार्थसंवेदी अर्थप्रकाशसे स्व और अर्थ उभयका परिच्छेद हो सकता है। इसी तरह विषय, इन्द्रिय, मन आदि भी परोक्ष ज्ञानका अनुमान नहीं करा सकते, क्योंकि एक तो इनके साथ ज्ञानका अविनाभाव असिद्ध है, दूसरे इनके होनेपर भी कभी-कभी ज्ञान नहीं होता अतः ये व्यभिचारी भी हैं। यदि विषयजन्य ज्ञानात्मक सुखादि परोक्ष है, तब उनसे हमें अनुसुह या परिताप नहीं हो सकेगा। अपने सुखादिको अनुमानप्राप्त मानकर अनुग्रहादि मानना तो अन्य आत्माके सुखसे व्यभिचारी है, अर्थात् परकीय आत्माके सुखादिका हम उसकी

प्रसाद-विधावादि चेष्टाओसे अनुमान तो कर सकते हैं पर उनसे अनुग्रहादि तो हमें नहीं होता। ज्ञानको परोक्ष माननेपर आत्मान्तरकी बुद्धिका अनुमान करना भी कठिन हो जायगा। परकीय आत्मामें बुद्धिका अनुमान व्यापार वचनादि चेष्टाओसे किया जाता है। यदि हमारा ज्ञान हमें ही अप्रत्यक्ष है, तब हम ज्ञानका व्यापार-रादिके साथ कार्यकारणरूप अविनाभाव अपनी आत्मामें तो ग्रहण ही नहीं कर सकेंगे, अन्य आत्मामें तो अभी तक ज्ञानका सद्भाव ही असिद्ध है। अतः अविनाभावका ग्रहण न होनेसे परकीय आत्मामें बुद्धिका अनुमान नहीं हो सकेगा।

नैयायिकके ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादका निराकरण—यदि प्रथमज्ञानका प्रत्यक्ष द्वितीयज्ञानसे माना जाय और इसी तरह अस्वसवेदी तृतीयादिज्ञानसे द्वितीयादिज्ञानका प्रत्यक्ष, तब अनवस्था नामका दूषण ज्ञानके सद्भाव सिद्ध करनेमें बाधक होगा, क्योंकि जब तक आगे-आगेके ज्ञान अपने स्वरूपका निश्चय नहीं करेंगे तब तक वे पूर्वज्ञानको नहीं जान सकेंगे। और जब प्रथमज्ञान ही अज्ञात रहेगा तब उसके द्वारा अर्थका ज्ञान असंभव हो जायगा। इस तरह जगत् अर्थनिश्चयशून्य ही जायगा। एक ज्ञानके जाननेमें ही जब इस तरह अनेकानेक ज्ञानोंका प्रवाह चलेगा, तब तो ज्ञानकी विषयान्तरमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी। यदि अप्रत्यक्षज्ञानसे अर्थबोध माना जाय, तब तो हम लोग ईश्वरज्ञानके द्वाग भी समस्त पदार्थोंको जानकर सर्वज्ञ बन जायेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग सर्वज्ञके ज्ञानके द्वारा अर्थोंको इसी कारणसे नहीं जान सकते थे कि वह हमारे स्वयं अप्रत्यक्ष हैं।

साक्ष्यके प्रकृतिपर्यायारमकज्ञानवाद निरासन—यदि ज्ञान प्रकृतिका विकार होनेसे अचेतन है तथा वह पुरुषके सचेतन द्वारा अनुभूत होता है, तो फिर इस अकिञ्चित्कर ज्ञानका क्या प्रयोजन? क्योंकि उसी ज्ञानस्वरूपमत्तके पुरुषानुभवके द्वारा अर्थका भी परिज्ञान ही जायगा। यदि वह सञ्चेतन स्वप्रत्यक्ष नहीं है; तब इस अकिञ्चित्कर ज्ञानकी सत्ता किससे सिद्ध की जायगी? ज्ञान विषयक सञ्चेतना जो कि अनित्य है, अविकारी कूटस्थनित्य पुरुषका धर्म भी कैसे हो सकती है? अतः ज्ञान परिणामी पुरुषका ही धर्म है और वह स्वार्थसवेदक होता है। इसी तरह यदि अर्थसञ्चेतना स्वार्थसवेदक है, तब तद्व्यतिरिक्त अकिञ्चित्कर पुरुषके माननेका भी क्या प्रयोजन? यदि वह अस्वसवेदक है, तब पूर्वज्ञान तथा पुरुषकी सिद्धि किससे होगी?

बौद्धिके साकारज्ञानवादका निरास—साकारज्ञानवादी निराकारज्ञानवादियोंको ये दूषण देते हैं कि—'यदि ज्ञान निराकार है, उसका किसी अर्थके साथ कोई खान सम्बन्ध नहीं है, तब प्रतिकर्मव्यवस्था-घटज्ञानका विषय घट ही है पट नहीं—कैसे होगी? तथा विषयप्रतिनियम न होनेसे सब अर्थ एक ज्ञानके या सब ज्ञानोंके विषय हो जायेंगे। विषयज्ञान और विषयज्ञानज्ञानमें कोई भेद नहीं रहेगा। इनमें यही भेद है कि विषयज्ञानजहाँ केवल विषयके आकार होता है तब विषयज्ञानज्ञान अर्थ और अर्थकारज्ञान दोनोंके आकारको धारण करता है। विषयकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए ज्ञानको साकार मानना आवश्यक है।' अकलकदेवने इनका समाधान करके ज्ञानको निराकार सिद्ध करते हुए लिखा है कि—'विषयप्रतिनियमके लिए ज्ञानकी अपनी शक्ति ही नियामक है। जिस ज्ञानमें जिस प्रकारकी जितनी शक्ति होगी उससे उतनी और उसी प्रकारकी अर्थव्यवस्था होगी।

इस स्वशक्तिको न मानकर ज्ञानको साकार माननेपर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि 'घटज्ञान घटके ही आकार क्यों हुआ पटके आकार क्यों नहीं हुआ?' तदुत्पत्तिसे तो आकारनियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह घटज्ञान घटसे उत्पन्न हुआ है उसी तरह इन्द्रिय, आलोक आदि पदार्थोंसे भी तो

उत्पन्न हुआ है। अतः उनके आकारको भी उसे प्रहण करना चाहिए। ज्ञान विषयके आकारको यदि एकदेशसे प्रहण करता है; तब तो ज्ञान साध हो जायगा। यदि सबदिशसे तो ज्ञान अर्थकी तरह जड़ हो जायगा। समानकालीन पदार्थ किसी तरह आकार ज्ञानमें समर्पित कर सकते हैं पर अतीत और अनागत पदार्थोंके जाननेवाले स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमानादि ज्ञान कैसे उन अविद्यमान पदार्थोंके आकार हो सकते हैं? हाँ, शक्तिप्रतिनियम माननेसे अतीतादि पदार्थोंका ज्ञान भलीभाँति हो सकता है। ज्ञानका अमुक अर्थको विषय करना ही अन्य पदार्थोंसे व्यावृत्त होना है। अतः ज्ञानको निराकर मानना ही ठीक है। अमूर्त ज्ञानमें मूर्त अर्थका प्रतिबिम्ब भी कैसे आ सकता है?

सौत्रान्तिकको ज्ञानके साकार होनेका 'ज्ञानमें अर्थका प्रतिबिम्ब पड़ता है।' यह अर्थ इष्ट था या नहीं यह तो विचारणीय है। पर विज्ञानवादी बौद्धोंने उसका खण्डन यही अर्थ मानकर किया है और उसीका प्रतिबिम्ब अकलककृत खण्डनमें है।

इस तरह अकलकने स्वार्थव्यवसायात्मक, अनधिगतार्थग्राहि, अविस्वादि ज्ञानको प्रमाण कहा है। इस लक्षणके अनधिगतार्थग्राहिय विशेषण के सिवाय बाकी अश सभी जैन तात्त्विकोंने अपनाए हैं। अनधिगतार्थग्राहियकी परम्परा माणिक्यनन्दि तक ही चली। आ० हेमचन्द्रने स्वनिर्णयको भी प्रमाणके व्यावर्त्तिक लक्षणमें नहीं रखा, बयोक स्वनिर्णय तो ज्ञानसामान्यका धर्म है न कि प्रमाणात्मक विशेषज्ञानका। अकलकदेवने जहाँ अज्ञानात्मक सन्निकर्षादिकी प्रमाणताका व्यवच्छेद प्रमितिक्रियामें अव्यवहित करण न होनेके कारण किया है, वहाँ ज्ञानात्मक सशय और विपर्ययका विस्वादी होनेसे तथा निर्विकल्पज्ञानका सम्बन्धकारानुपयोगी होनेके कारण निरास किया है। इसी सम्बन्धकारानुपयोगी पदसे सुषुप्त चैतन्यके समान निर्विकल्पकदर्शन भी प्रमाणकोटिसे बहिर्भूत है इसकी सूचना मिलती है।

प्रमाणके भेद—तत्त्वार्थसूत्रके 'तत्प्रमाणे' इस सूत्रको लक्ष्यमें रखकर ही अकलकने प्रमाणके दो मूल भेद किए हैं। यद्यपि उक्त प्रत्यक्ष तथा परोक्षके कई अवान्तर भेद मानना पड़े है। इसीलिए उनमें 'प्रमाणे इति सग्रह' पद देकर उस भेदके आधारभूत सूत्रकी सूचना दी है। वे दो भेद हैं—एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष। तत्त्वार्थसूत्रमें मति (इन्द्रियान्द्रियप्रत्यक्ष, स्मृति, सज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता (तर्क), अभिनिबोध (अनुमान) इन ज्ञानोंको मतिसे अनर्थान्तर अर्थात् मतिज्ञानरूप बताया है। मतिज्ञानका परोक्षत्व भी वही स्वीकृत है। अतः उक्तज्ञान जिनमें इन्द्रियान्द्रियप्रत्यक्ष भी शामिल है आगमिकपरम्परामें स्पष्टरूपसे परोक्ष है। पर लोकव्यवहार तथा दर्शानन्तरोमें इन्द्रियान्द्रियज्ञान प्रत्यक्षरूपसे ही प्रसिद्ध तथा व्यवहृत होते हैं। यद्यपि अकलकदेवके पहिले आ० सिद्धसेन विवाकरने अपने न्यायावतारमें प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द इन तीन प्रमाणोंका कथन किया है, पर प्रमाणोंकी व्यावर्त्तिक सख्या अभी तक अनिश्चितसी ही रही है। अकलकदेवने सूत्रकारकी परम्पराकी रक्षा करते हुए लिखा है कि—मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध ज्ञान शब्दयोजनासे पहिले मतिज्ञान तथा शब्दयोजनाके अनन्तर श्रुतज्ञान कहे जायें। श्रुतज्ञान परोक्ष कहा जाय। मतिज्ञानमें अन्तर्भूत मति—इन्द्रियान्द्रियप्रत्यक्षको लोकव्यवहारमें प्रत्यक्षरूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण तथा वैशाखाका सद्भाव होनेसे सम्बन्धकारप्रत्यक्ष कहा जाय। प्रत्यक्षके इन्द्रियप्रत्यक्ष, अनिन्द्रियप्रत्यक्ष और अतीन्द्रियप्रत्यक्ष ये तीन मूलभेद हो।

इस वक्तव्यका यह फलितार्थ हुआ कि प्रत्यक्षके दो भेद—१. सांख्यव्यवहारिक, २ मुख्य। सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्षके दो भेद—१. इन्द्रियप्रत्यक्ष, २ अनिन्द्रियप्रत्यक्ष। इन्द्रियप्रत्यक्ष—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणादिज्ञान। अनिन्द्रियप्रत्यक्ष—शब्दयोजनासे पहिलेकी अवस्थावाले स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोधज्ञान। इस तरह अकलकदेवने प्रमाणके भेद किए जो निर्विवाद रूपसे उत्तरकालीन ग्रन्थकारों द्वारा माने गए।

है, इसमें जो स्मृति, सजा, चिन्ता और अभिनिबोधज्ञानको शब्दयोजनाके पहिले अनिन्द्रियप्रत्यक्ष कहा है उसे किसी भी अन्य आचार्यने स्वीकार नहीं किया। उन्हें सवींशमें अर्थात् शब्दयोजनाके पूर्व और पश्चात् दोनों अवस्थाओंमें परोक्ष ही कहा है। यही कारण है कि आचार्य प्रभाचन्द्रने लघीयस्त्रयकी 'ज्ञानमात्र' कारिकाका यह अर्थ किया है कि—'भ्रति, स्मृति, सजा, चिन्ता और अभिनिबोधज्ञान शब्दयोजनाके पहिले तथा शब्दयोजनाके बाद दोनों अवस्थाओंमें श्रुत हैं अर्थात् परोक्ष हैं।'

यद्यपि जिनमद्भगणिसमाश्रमणने अपने विशेषावश्यकभाष्यमें प्रत्यक्षके दो भेद करके इन्द्रियानिन्द्रियज-प्रत्यक्षको सव्यवहारप्रत्यक्ष कहा है, पर उन्होंने स्मृति आदि ज्ञानोके विषयमें कुछ खास नहीं लिखा। इन्द्रिय-प्रत्यक्षको सव्यवहारप्रत्यक्ष मान लेनेसे लोकप्रसिद्धिका निर्वाह तथा दर्शनांतरप्रसिद्धिका समन्वय भी हो गया और सूत्रकारका अभिप्राय भी सुरक्षित रह गया।

प्रत्यक्ष—मिद्धसेनदिवाकरने प्रत्यक्षका—'अपरोक्ष रूपसे अर्थको जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष है' यह परोक्षलक्षणान्तरित लक्षण किया है। यद्यपि विशद ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेकी परम्परा बौद्धोंमें स्पष्ट है, फिर भी प्रत्यक्षके लक्षणमें अकलकके द्वारा विशद पदके साथ ही साथ प्रयुक्त साकार और अजसा पद खाम महत्व रखने हैं। बौद्ध निर्विकल्पज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। यह निर्विकल्पकज्ञान जैनपरम्परामें प्रसिद्ध-इन्द्रिय और पदार्थके योग्यदेशावस्थितिरूप सन्निकर्षके बाद उत्पन्न होनेवाले, तथा मत्तात्मक महासामान्यका आलोचन करने-वाले अनाकार दर्शनके समान है। अकलकदेवको दृष्टिमें जब निर्विकल्पकदर्शन प्रमाणकोटिसे ही बहिर्भूत है तब उसे प्रत्यक्ष तो कहा ही नहीं जा सकता। इसी बातकी सूचनाके लिए उन्होंने प्रत्यक्षके लक्षणमें साकार पद रखा, जो निराकारदर्शन तथा बौद्धसम्मत निर्विकल्पप्रत्यक्षका निराकरणकर निश्चयात्मक विशद ज्ञानको ही प्रत्यक्षकोटिमें रखता है। बौद्ध निर्विकल्पक प्रत्यक्षके बाद होनेवाले 'नीलमिदम्' इत्यादि प्रत्यक्षज विकल्पों-को भी सव्यवहारसे प्रमाण मान लेते हैं। इसका मूल यह है कि—प्रत्यक्षके विषयभूत दृश्य-स्वलक्षणमें विकल्पके विषयभूत विकल्पसामान्यका आरोपरूप एकत्वाध्यवसाय करके प्रवृत्ति करनेपर स्वलक्षण ही प्राप्त होता है। अतः विकल्पज्ञान सव्यवहारसे विशद है। इसका निराकरण करनेके लिए अकलकदेवने 'अञ्जसा' पदका उपादान करके सूचित किया कि विकल्पज्ञान सव्यवहारसे नहीं किन्तु अजसा—परमार्थरूपसे विशद है।

अनुमान आदि ज्ञानोसे अधिक विशेषप्रतिभासका नाम वैशद्य है। जिस तरह अनुमान आदि ज्ञान अपनी उत्पत्तिमें लिगज्ञान आदि ज्ञानान्तरकी अपेक्षा करते हैं उस तरह प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्तिमें किसी अन्य ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रखता, यही अनुमानादिसे प्रत्यक्षमें अतिरेक-अधिकता है।

अकलकदेवने इतरवाधिसम्मत प्रत्यक्षलक्षणोका निरन्तरण इस प्रकार किया है—

बौद्ध—जिसमें शब्दससर्गकी योग्यता नहीं है ऐसे निर्विकल्पज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं सविकल्प-को नहीं, क्योंकि विकल्पज्ञान अर्थके अभावमें भी उत्पन्न होता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्षके द्वारा यद्यपि अर्थमें रक्षेवाले क्षणिकत्वादि सभी अर्थोंका अनुभव हो जाता है, पर वह नीलादि अशोभे 'नीलमिदम्' इत्यादि विकल्पज्ञानके द्वारा व्यवहारसाधक होता है, तथा क्षणिकत्वादि अशोभे यथासभव अनुमानादि विकल्पों द्वारा। अतः निर्विकल्पक 'नीलमिदम्' इत्यादि विकल्पोका उत्पादक होनेसे तथा अर्थस्वलक्षणसे उत्पन्न होनेके कारण प्रमाण है। विकल्पज्ञान अस्पष्ट है, क्योंकि वह परमार्थसत् स्वलक्षणसे उत्पन्न नहीं होता। सर्वप्रथम अर्थसे निर्विकल्प ही उत्पन्न होता है। निर्विकल्पकमें असाधारण क्षणिक परमाणुओका प्रतिभास होता है। उस निर्विकल्पक अवस्थामें कोई भी विकल्प अनुभवमें नहीं आता। विकल्पज्ञान कल्पितसामान्यको विषय करनेके कारण तथा निर्विकल्पकके द्वारा गृहीत अर्थको ग्रहण करनेके कारण प्रत्यक्षाभास है।

अकलंकदेव इसका निराकरण इस तरह करते हैं—अर्थक्रियार्थी पूर्व प्रमाणका अन्वेषण करते हैं। जब व्यवहारमें साक्षात् अर्थक्रियासाधकका सविकल्पज्ञानमें हो है, तब क्यों न उसे ही प्रमाण माना जाय ? निविकल्पकमें प्रमाणता लानेको आखिर आपकी सविकल्पज्ञान ही मानना ही पड़ता है। यदि निविकल्पके द्वारा गृहीत नीलाद्यद्यको विषय करनेसे विकल्पज्ञान अप्रमाण है; तब तो अनुमान भी प्रत्यक्षके द्वारा गृहीत क्षणिकत्वादिको विषय करनेके कारण प्रमाण नहीं हो सकेगा। निविकल्पमें जिस प्रकार नीलाद्यद्योमें 'नीलमिदम्' इत्यादि विकल्प उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार क्षणिकत्वादि अद्योमें भी 'क्षणिकमिदम्' इत्यादि विकल्प-ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। अतः व्यवहारसाधक सविकल्पज्ञान ही प्रत्यक्ष कहा जाने योग्य है। विकल्पज्ञान ही विशदरूपसे हर एक प्राणीके अनुभवमें आता है, जबकि निविकल्पज्ञान अनुभवसिद्ध नहीं है। प्रत्यक्षसे तो स्थिर स्थूल अर्थ ही अनुभवमें आते हैं, अतः क्षणिक परमाणुका प्रतिभास कहना प्रत्याघातसिद्ध है। निविकल्पकको स्पष्ट होनेसे तथा सविकल्पको अस्पष्ट होनेसे विषयभेद मानना भी ठीक नहीं है; क्योंकि एक ही वृक्ष दूरवर्ती पुरुषको अस्पष्ट तथा समीपवर्तीको स्पष्ट दीखता है। बाद्यप्रत्यक्षकालमें भी कल्पनाएँ बराबर उत्पन्न तथा विनष्ट तो होती ही रहती हैं, भले ही वे अनुपलक्षित रहें। निविकल्पसे सविकल्पककी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है; क्योंकि यदि अशब्द निविकल्पकसे सशब्द विकल्पज्ञान उत्पन्न हो; तो शब्दशून्य अर्थसे ही विकल्पकी उत्पत्ति माननेमें क्या बाधा है ? अतः मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्तादि यावद्विकल्पज्ञान मवादी होनेसे प्रमाण है। जहाँ ये विसवादी हो वही इन्हें अप्रमाण कह सकते हैं। निविकल्पक प्रत्यक्षमें अर्थक्रियास्थिति-अर्थात् अर्थक्रियासाधकत्व रूप अविसवादाका लक्षण भी नहीं पाया जाता, अतः उसे प्रमाण कैसे कह सकते हैं ? शब्दससृष्ट ज्ञानको विकल्प मानकर अप्रमाण कहनेसे शास्त्रोपदेशके क्षणिकत्वादिकी सिद्धि नहीं हो सकेगी।

मानसप्रत्यक्ष निरास—बौद्ध इन्द्रियज्ञानके अनन्तर उत्पन्न होनेवाले विशद ज्ञानको, जो कि उसी इन्द्रियज्ञानके द्वारा ग्राह्य अर्थके अनन्तरभावी द्वितीयक्षणको जानता है, मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। अकलंकदेव कहते हैं कि—एक ही निश्चयात्मक अर्थसाक्षात्कारी ज्ञान अनुभवमें आता है। आपके द्वारा बताए गए मानस प्रत्यक्षका तो प्रतिभास ही नहीं होता। 'नीलमिदम्' यह विकल्पज्ञान भी मानसप्रत्यक्षका असाधक है; क्योंकि ऐसा विकल्पज्ञान तो इन्द्रियप्रत्यक्षसे ही उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए मानसप्रत्यक्ष माननेको कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी और गरम जलेबी खाते समय जितनी इन्द्रियबुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं उतने ही तदनन्तर-भावी अर्थको विषय करनेवाले मानस प्रत्यक्ष मानना हीमें; क्योंकि बादमें उतने ही प्रकारके विकल्पज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस तरह अनेक मानसप्रत्यक्ष माननेपर सन्तानभेद ही जानेके कारण 'जो मैं खाने वाला हूँ वही मैं सूँघ रहा हूँ' यह प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा। यदि समस्त रूपादिको विषय करनेवाला एक ही मानस-प्रत्यक्ष माना जाय; तब तो उसीसे रूपादिका परिज्ञान भी हो ही जायगा, फिर इन्द्रियबुद्धियाँ किसलिए स्वीकार की जायें ? धर्मोत्तरे मानसप्रत्यक्षको आगमप्रसिद्ध कहा है। अकलंकने उसकी भी समालोचना की है कि—जब वह मात्र आगमप्रसिद्ध ही है, तब उसके लक्षणका परीक्षण ही निरर्थक है।

स्वसंवेदनप्रत्यक्ष खंडन—यदि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निविकल्पक है तब तो स्वाप तथा मूच्छादि अवस्थाओंमें ऐसे निविकल्पक प्रत्यक्षको माननेमें क्या बाधा है ? सुषुप्ताद्यवस्थाओंमें अनुभवसिद्ध ज्ञानका निषेध तो किया ही नहीं जा सकता। यदि उक्त अवस्थाओंमें ज्ञानका अभाव हो तो उस समय योगियोंको चतुःसत्य-विषयक भावनालोका भी विच्छेद मानना पड़ेगा।

बौद्धसम्मत विकल्पके लक्षणका निरास—बौद्ध 'अभिलाषवती प्रतीतिः कल्पना' अर्थात् जो ज्ञान शब्दसमर्गके योग्य हो उस ज्ञानको कल्पना या विकल्पज्ञान कहते हैं। अकलंकदेवने उनके इस लक्षणका खंडन

३२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

करते हुए लिखा है कि—यदि शब्दके द्वारा कहे जाने लायक ज्ञानका नाम कल्पना है तथा बिना शब्दसंशयके कोई भी विकल्पज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता; तब शब्द तथा शब्दाशोक स्मरणालम्बक विकल्पके लिए तद्वाचक अन्य शब्दोका प्रयोग मानना होगा, उन अन्य शब्दोके स्मरणके लिए भी तद्वाचक अन्यशब्द स्वीकार करना होगा, इस तरह दूसरे-दूसरे शब्दोकी कल्पना करनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा। अतः जब विकल्पज्ञान ही सिद्ध नहीं हो पाता; तब विकल्पज्ञानरूप साधकके अभावमें निविकल्पक भी असिद्ध ही रह जायगा और निविकल्पक तथा सविकल्पक रूप प्रमाणद्वयके अभावमें सकल प्रमेयका भी साधक प्रमाण न होनेसे अभाव ही प्राप्त होगा। यदि शब्द तथा शब्दाशोक स्मरणालम्बक विकल्प तद्वाचक शब्दप्रयोगके बिना ही हो जाय; तब तो विकल्पका अभिलाषवत्त्व लक्षण अव्याप्त हो जायगा। और जिस तरह शब्द तथा शब्दाशोक स्मरणालम्बक विकल्प तद्वाचक अन्य शब्दके प्रयोगके बिना ही हो जाता है। उसी तरह 'नीलमिमम्' इत्यादि विकल्प भी शब्दप्रयोगकी योग्यताके बिना ही हो जायेंगे, तथा चक्षुरादिबुद्धियाँ शब्दप्रयोगके बिना ही नीलपीतादि पदार्थोका निश्चय करनेके कारण स्वतः व्यक्तसायात्मक सिद्ध हो जायेंगी। अतः विकल्पका अभिलाषवत्त्व लक्षण दूषित है। विकल्पका निर्दोष लक्षण है—समारोपविरोधीग्रहण या निश्चयात्मकत्व।

सांख्य—श्रोत्रादि इन्द्रियोकी वृत्तियोको प्रत्यक्षप्रमाण मानते हैं। अकलकदेव कहते हैं कि—श्रोत्रादि इन्द्रियोकी वृत्तियाँ तो तैमिरिक रोगीको होनेवाले द्विचन्द्रज्ञान तथा अन्य सशयादि ज्ञानोमें भी प्रयोजक होती हैं, पर वे सभी ज्ञान प्रमाण तो नहीं हैं।

नैयायिक—इन्द्रिय और अर्थके सन्निकर्षको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसे भी अकलकदेवने सर्वज्ञके ज्ञानमें अव्याप्त बताते हुए लिखा है कि—त्रिकाल-त्रिलोकवर्ती यावत् पदार्थोको विषय करनेवाला सर्वज्ञका ज्ञान प्रतिनियतशक्तिवाली इन्द्रियोसे तो उत्पन्न नहीं हो सकता, पर प्रत्यक्ष तो अवश्य है। अतः सन्निकर्ष अव्याप्त है।

सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष—चार प्रकारका है—१ अवग्रह, २ ईहा, ३ अवाय, ४ धारणा। प्रत्यक्षज्ञानकी उत्पत्तिका साधारण क्रम यह है कि—सर्वप्रथम इन्द्रिय और पदार्थका योग्यदेशस्थितिरूप सम्बन्ध (सन्निकर्ष), ततः सामान्यावलोकन (निविकल्पक), ततः अवग्रह (सविकल्पक ज्ञान), ततः ईहा (विशेष जिज्ञासा), ततः अवाय (विशेष निश्चय), अन्तमें धारणा (सस्कार)।

सामान्यावलोकनसे धारणापर्यन्त ज्ञान चाहे एक ही मल्युपयोगरूप माने जायें या पृथक्-पृथक् उपयोगरूप, दोनों अवस्थाओमें अनुस्यूत आत्माकी सत्ता तो मानना ही होगी, अन्यथा 'जो मैं देखनेवाला हूँ, वही मैं अवग्रह तथा ईहादि जानवाला हूँ, वही मैं धारण करता हूँ' यह अनुभवसिद्ध प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा। इसी दृष्टिसे अकलकदेवने दर्शनकी अवग्रहरूप परिणति, अवग्रहकी ईहारूप, ईहाकी अवायरूप तथा अवायकी धारणारूप परिणति स्वीकार की है। अन्वित आत्मदृष्टिसे अभेद होनेपर भी इन ज्ञानोंमें पर्यायकी दृष्टिसे तो भेद है ही।

ईहा और धारणाकी ज्ञानात्मकता—वैशेषिक ईहाको प्रयत्न नामका पृथक् गुण तथा धारणाको भावनासस्कार नामक पृथक् गुण मानते हैं। अकलकदेवने इन्हें एक चैतन्यात्मक उपयोगकी अवस्था होनेके कारण ज्ञानात्मक ही कहा है, ज्ञानसे पृथक् स्वतंत्र गुणरूप नहीं माना है।

अवग्रहदिका परस्पर प्रमाण-फलभाव—ज्ञानके साधकतम अघाको प्रमाण तथा प्रमित्यंशको फल कहते हैं। प्रकृत ज्ञानोमें अवग्रह, ईहाके प्रति साधकतम होनेसे प्रमाण है, ईहा प्रमाणरूप होनेसे उसका फल है।

इसी तरह ईहाकी प्रमाणतामें अवाय फल है तथा अवायको प्रमाण माननेपर धारणा फलरूप होती है। तात्पर्य यह कि—पूर्वपूर्वज्ञान साधकत्वमें होनेसे प्रमाण है तथा उत्तरोत्तरज्ञान प्रमितिरूप होनेसे फलरूप है। प्रमाण-फलभावका ऐसा ही क्रम वैशेषिकादि अन्य दर्शनोंमें भी पाया जाता है।

मुख्य प्रत्यक्ष—इन्द्रिय और मनकी अपेक्षाके बिना होनेवाले, अतीन्द्रिय, व्यवसायात्मक, विषय, सत्य, अव्यवहित, अलौकिक, अक्षय पदार्थोंको विषय करनेवाले, अक्रम ज्ञानको मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। वह सकल और विकलके भेदसे दो प्रकारका है। सकलप्रत्यक्ष केवलज्ञान है। अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान अमक पदार्थोंको विषय करनेके कारण विकलप्रत्यक्ष है।

सर्वज्ञत्व विचार—प्राचीनकालमें भारतवर्षकी परम्पराके अनुसार सर्वज्ञताका सम्बन्ध भी मोक्षके ही साथ था। मनुस्मृतियोंमें विचारणीय विषय तो यह था कि—मोक्षके मार्गका किमने साक्षात्कार किया है? इसी मोक्षमार्गको धर्म शब्दसे कहते हैं। अतः 'धर्मका साक्षात्कार हो सकता है या नहीं?' इस विषयमें विवाद था। एक पक्षका, जिसके अनुगामी शबर, कुमारिल आदि मीमांसक हैं, कहना था कि—धर्म जैसी अतीन्द्रिय वस्तुको हम लोग प्रत्यक्षसे नहीं जान सकते, उसमें तो वेदका ही निर्बाध अधिकार है। धर्मकी परिभाषा भी 'चोदनालक्षणोऽर्थं धर्मं' करके धर्ममें चोदना-वेदको ही प्रमाण कहा है। ऐसी धर्मज्ञतामें वेदको ही अन्तिम प्रमाण माननेके कारण उन्हें पुरुषमें अतीन्द्रियार्थविषयक ज्ञानका अभाव मानना पड़ा। उन्होंने पुरुषोंमें राग-द्वेष-अज्ञान आदि दोषोंकी शका होनेसे अतीन्द्रियार्थप्रतिपादक वेदको पुरुषकृत न मानकर उसे अपीरुष्ये स्वीकार किया। इस अपीरुष्येयत्वको मान्यतासे ही पुरुषमें सर्वज्ञताका अर्थात् प्रत्यक्षके द्वारा होनेवाली धर्मज्ञताका निषेध हुआ। कुमारिल इस विषयमें स्पष्ट लिखते हैं कि—सर्वज्ञत्वके निषेधसे हमारा तात्पर्य केवल धर्मज्ञत्वके निषेधमें है। धर्मके सिवाय यदि कोई पुरुष ससारके समस्त अर्थोंको जानना चाहता है, खुशीसे जाने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर धर्मका ज्ञान वेदके द्वारा ही होगा, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे नहीं। इस तरह धर्मको वेदके द्वारा तथा धर्मातिरिक्त अन्य पदार्थोंको यथासंभव अनुमानादि प्रमाणोंके द्वारा जानकर कोई पुरुष यदि टोटलमें सर्वज्ञ बनता है, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है।

दूसरा पक्ष बौद्धोंका है। ये बुद्धको धर्म-चतुरार्यमत्यका साक्षात्कार मानते हैं। इनका कहना है कि बुद्धने अपने निरास्रव शुद्धज्ञानके द्वारा दुःख, ममुदय—दुःखके कारण, निरोध-मोक्ष, मार्ग—मोक्षोपाय इस चतुरार्यसत्यरूप धर्मका प्रत्यक्षसे ही स्पष्ट साक्षात्कार किया है। अतः धर्मके विषयमें बुद्ध ही प्रमाण हैं। वे करुणा करके कषायज्वालासे झुलसे हुए संसारी जीवोंके उद्धारकी भावनासे उपदेश देते हैं। इस मतके समर्थक धर्मकीर्तिने लिखा है कि—हम 'समारके समस्त पदार्थोंका कोई पुरुष साक्षात्कार करता है कि नहीं' इस निरर्थक बातके झगड़में नहीं पड़ना चाहते। हम तो यह जानना चाहते हैं कि—उमने इष्टतत्त्व-धर्मको जाना है कि नहीं? मोक्षमार्गमें अनुपयोगी समारके कीड़े-मकोड़ों आदि की मर्याके परिज्ञानका भला मोक्षमार्गसे क्या सम्बन्ध है? धर्मकीर्ति सर्वज्ञताका सिद्धान्त विरोध नहीं करते उसे निरर्थक अवश्य दत्तलते हैं। वे सर्वज्ञताके समर्थकोसे कहते हैं कि—भाई, मीमांसकोंके सामने सर्वज्ञता—त्रिकाल-त्रिलोकवर्ती समस्तपदार्थोंका प्रत्यक्षसे ज्ञान—पर जोर क्यों देते हो? असली विवाद तो धर्मज्ञतामें है कि धर्मके विषयमें धर्मके साक्षात्कारकी प्रमाण माना जाय या वेदको? उस धर्ममार्गके साक्षात्कारके लिए धर्मकीर्तिने आत्मा-ज्ञानप्रवाहसे दोषोंका अत्यन्तोच्छेद माना और उसके साधन नैरात्म्यभावना आदि बताए हैं। तात्पर्य यह कि—जहाँ कुमारिलने प्रत्यक्षसे धर्मज्ञताका निषेध करके धर्मके विषयमें वेदका ही अव्याहत अधिकार सिद्ध किया है, वहाँ धर्मकीर्तिने प्रत्यक्षसे ही धर्म-मोक्षमार्गका साक्षात्कार मानकर प्रत्यक्षके द्वारा होनेवाली धर्मज्ञताका जोरोसे समर्थन किया है।

धर्मकीर्तिके टीकाकार प्रजाकरगुप्तने सुगतको धर्मज्ञके साथ ही साथ सर्वज्ञताकालवर्ती सबत् पदार्थोंका ज्ञाता भी सिद्ध किया है। और लिखा है कि—सुगतकी तरह अन्य योगी भी सर्वज्ञ हो सकते हैं यदि वे अपनी साधक अवस्थामें रागादिबिनिर्मितिकी तरह सर्वज्ञताके लिए भी यत्न करे। जिनने वीतरागता प्राप्त कर ली है वे चाहें तो थोड़ेसे प्रयत्नसे तो सर्वज्ञ बन सकते हैं। शास्त्ररक्षित भी इसी तरह धर्मज्ञता साधनके साथ ही साथ सर्वज्ञता सिद्ध करते हैं और इस सर्वज्ञताको वे शक्तिरूपसे सभी वीतरागोमें मानते हैं। प्रत्येक वीतराग जब चाहें तब जिस किसी भी वस्तुको अनायास ही जान सकते हैं।

योग तथा वैशेषिकके सिद्धांतमें यह सर्वज्ञता अणिमा आदि ऋद्धियोगी तरह एक विभूति है जो सभी वीतरागोंके लिए अवश्य प्राप्तम्ब नहीं है। हाँ, जो इसकी साधना करेगा उसे यह प्राप्त हो सकती है।

जैन तार्किकोंने प्रारम्भसे ही त्रिकाल-त्रिलोकवर्ती यावज्ज्योके प्रत्यक्षदर्शन रूप अर्थमें सर्वज्ञता मानी है और उसका समर्थन भी किया है। यद्यपि तर्कयुगके पहिले 'जे एग जाणइ से मज्ज जाणइ'—जो एक आत्माको जानता है वह सर्व पदार्थोंको जानता है इत्यादि वाक्य जो सर्वज्ञताके मुख्य माधक नहीं है, पाए जाते हैं; पर तर्कयुगमें इनका जैसा चाहिए वैसा उपयोग नहीं हुआ। समन्भद्र आदि आचार्योंने सूक्ष्म, अन्तरित तथा दूरवर्ती पदार्थोंका प्रत्यक्ष अनुमेयत्व हेतुसे सिद्ध किया है। जान आत्माका स्वभाव है, जब दोष और आवरणका समूल क्षय हो जायगा तब जान अनायास ही अपने पूर्णरूपमें प्रकट होकर सम्पूर्ण अर्थका साक्षात्कार करेगा। बौद्धोंको तरह किसी भी जैनतर्कग्रन्थमें धर्मज्ञता और सर्वज्ञताका विभाजनकर उनमें गौण-मुख्यभाव नहीं बताया गया है। सभी जैनतार्किकोंने एकस्वरसे त्रिलोकत्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंके पूर्णपरिज्ञान अर्थमें सर्वज्ञताका समर्थन किया है। धर्मज्ञता तो उक्त पूर्णसर्वज्ञताके गर्भमें हो निहित मान लो गई है।

अकलंकदेवने सर्वज्ञता तथा मुख्यप्रत्यक्षके समर्थनके साथ ही साथ धर्मकीर्तिके उन विचारोंका खूब समालोचन किया है जिनमें बुद्धको कण्ठावान्, शास्ता, तापि, तथा चातुरार्यसत्यका उपदेष्टा बताया है। साथ ही सर्वज्ञाभावके विशिष्ट समर्थक कुमारिलकी युक्तियोंका खण्डन किया है। वे लिखते हैं कि—आत्मामें सर्वपदार्थोंके जाननेकी पूर्ण सामर्थ्य है। ससारा अवस्थामें मल-ज्ञानावरणसे आवृत होनेके कारण उसका पूर्ण प्रकाश नहीं हो पाता पर जब चैतन्यके प्रतिबन्धक कर्मका पूर्ण क्षय हो जाता है, तब उस अप्राप्यकारी ज्ञानको समस्त अर्थोंको जाननेमें क्या बाधा है? यदि अतीन्द्रियपदार्थोंका ज्ञान न हो सके तो ज्योतिर्ग्रहोंकी ग्रहण आदि भविष्यद्दशाओंका जो अनागत होनेसे अतीन्द्रिय है, उपदेश कैसे होगा? ज्योतिर्ज्ञानोपदेश यथार्थ देखा जाता है, अतः यह मानना ही चाहिए कि उसका यथार्थ उपदेश साक्षाद्द्रष्टा माने बिना नहीं हो सकता। जैसे सत्यस्वप्नदर्शन इन्द्रियादिकी सहायताके बिना ही भाविराज्यलाभादिका यथार्थ स्पष्ट ज्ञान कराता है तथा विशद है उसी तरह सर्वज्ञका ज्ञान भी भावपदार्थोंमें संबाधक तथा स्पष्ट है। जैसे प्रव्रत या ईक्षणिकाविधि आतीन्द्रिय पदार्थोंका स्पष्ट भान करा देती है उसी तरह अतीन्द्रियज्ञान स्पष्ट भासक होता है। इस तरह साधक प्रमाणोंको बताकर उन्होंने जो एक खास हेतुका प्रयोग किया है, वह है—'सुनिश्चितसम्भवद्बाधकप्रमाणत्व' अर्थात् किसी भी वस्तुकी सत्ता मिट्ट करनेके लिए सबसे बड़ा प्रमाण यही हो सकता है कि उसकी सत्तामें कोई साधक प्रमाण नहीं मिले। जैसे 'मैं सुखी हूँ' यहाँ सुखका साधक प्रमाण यही है कि—मेरे सुखी होनेमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है। वृत्ति सर्वज्ञकी सत्तामें कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है, अतः उसकी निर्बाध सत्ता होनी चाहिए। इस हेतुके समर्थनार्थ उन्होंने विरोधियोंके द्वारा कल्पित बाधकोंका निराकरण इस प्रकार किया है—

प्र०—'अर्हन्त सर्वज्ञ नहीं हैं, क्योंकि वह वक्ता है, पुरुष है, जैसे कोई भी गलीमें घूमनेवाला साधारण मनुष्य' यह अनुमान बाधक है।

उ०—वस्तुत्व और सर्वज्ञत्वका कोई विरोध नहीं है, वक्ता भी हो सकता है और सर्वज्ञ भी। ज्ञानकी बढ़तीमें वचनोंका ह्रास नहीं होता।

प्र०—वस्तुत्व विवक्षासे सम्बन्ध रखता है, अतः इच्छारहित निर्मोही सर्वज्ञमे वचनोंकी संभावना ही कैसे है ? शब्दोच्चारणकी इच्छा तो मोहकी पर्याय है।

उ०—विवक्षाके माय वस्तुत्वका कोई अविनाशक नहीं है। मन्दबुद्धि शास्त्रविवक्षा रखते हैं, पर शास्त्रका व्याख्यान नहीं कर सकते। सुवृत्तादि अस्थायीमें बचन देखे जाते हैं पर विवक्षा नहीं है। अतः वचनप्रवृत्तिमें चैतन्य तथा इन्द्रियोकी पटुता कारण है। लेकिन उनका सर्वज्ञताके साथ कोई विरोध नहीं है। अथवा, वचन विवक्षाहेतुक मान भी लिए जायें पर सत्य और हितकारक वचनकी प्रवृत्ति करानेवाली विवक्षा बोधवाली कैसे हो सकती है ? हमी तरह निर्दोष बीतराम पुरुषत्व सर्वज्ञताके साथ कोई विरोध नहीं रखता। अतः इन व्यभिचारी हेतुओसे साम्यसिद्धि नहीं हो सकती; अन्यथा 'जैमिनिको यथार्थ' वेदज्ञान नहीं है, क्योंकि वह वक्ता है एव पुरुष है' इस अनुमानसे जैमिनिकी वेदाधिज्ञताका भी निषेध प्रतीति किया जा सकता है।

प्र०—आजकल हमे किमी भी प्रमाणसे सर्वज्ञ उपलब्ध नहीं होता, अतः अनुपलम्भ होनेसे उसका अभाव ही मानना चाहिए।

उ०—पूर्वोक्त अनुमानोसे सर्वज्ञकी सिद्धि होती है, अतः अनुपलम्भ तो नहीं कहा जा सकता। यह अनुपलम्भ आपको है, या समारके समस्त जीवोको ? आपको तो इस समय हमारे चित्तमे आनेवाले विचारोकी भी अनुपलब्धि है पर इससे उनका अभाव तो सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः स्वोपलम्भ अर्न्तकान्तिक है। 'सबको सर्वज्ञका अनुपलम्भ है' यह बात तो सबके जानोका ज्ञान होनेपर ही सिद्ध हो सकती है। और यदि किमी पुरुषको समस्त प्राणियोके ज्ञानका ज्ञान हो सके; तब तो वही पुरुष सर्वज्ञ ही जायगा। यदि समस्तजीवोके ज्ञानका ज्ञान नहीं हो सके, तब तो 'सबको सर्वज्ञका अनुपलम्भ है' यह बात असिद्ध ही रह जायगी।

प्र०—'सर्वज्ञता आगमोक्तपदावर्षोका यथार्थज्ञान एवं' अम्मासे होगी तथा आगम सर्वज्ञके द्वारा कहा जायगा' इस तरह सर्वज्ञ और आगम दोनों ही अन्योन्याश्रित—एक-दूसरेके आश्रित होनेसे असिद्ध है।

उ०—सर्वज्ञ आगमका कारण है। प्रकृत सर्वज्ञका ज्ञान पूर्वसर्वज्ञके द्वारा प्रतिपादित आगमके अर्थके आचरणसे उत्पन्न होता है, पूर्व आगम तत्पूर्वसर्वज्ञके द्वारा कहा गया है। इस तरह बीजाकुरकी तरह सर्वज्ञ और आगमकी परम्परा अनादि मानी जाती है। अनाविपरम्परामे इतरतराश्रय दोषका विचार अव्यवहार्य है।

प्र०—अब आजकल पुरुष प्रायः रागादि दोषसे दूषित तथा अज्ञानी देखे जाते हैं, तब अतीतकालमे भी किसी अतीन्द्रियावर्षण्टाकी संभावना नहीं की जा सकती और न भविष्यत्कालमे ही ? क्योंकि पुरुषजातिकी शक्तिसत्त्वा सीमों कालोमें प्रायः समान ही रहती है; वे अपनी अमुक मर्यादा नहीं लाँघ सकती।

उ०—यदि पुरुषातिशयको हम नहीं जान सकते तो इससे उसका अभाव नहीं होता। अन्यथा आजकल कोई वेदका पूर्णज्ञ नहीं देखा जाता अतः अतीतकालमे जैमिनिको भी उसका यथार्थ ज्ञान नहीं था यह कहना चाहिये। बुद्धिमे तारतम्य होनेसे उसके प्रकर्षकी संभावना तो है ही। जैसे मलिन सुवर्ण अग्निके तापसे क्रमशः पूर्ण निर्मल हो जाता है, उसी तरह सम्यग्दर्शनाधिके अम्मासे आत्मा भी पूर्णरूपसे निर्मल हो सकता है।

३६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

प्र०—जब सर्वज्ञ रागी आत्माके राग तथा दुःखीके दुःखका माझात्कार करता है तब तो वह स्वयं रागी तथा दुःखी हो जायगा ।

उ०—दुःख या राग को जाननेमात्रसे कोई दुःखी या रागी नहीं होता । राग तो आत्माका स्वयं तद्रूपसे परिणमन करनेपर होता है । क्या कोई श्रोत्रियब्राह्मण मंदिरके रमका ज्ञान करनेमात्रसे मद्यपायी कहा जा सकता है ? रागके कारण मोहनीय आदि कर्म सर्वज्ञसे अत्यन्त उन्मिन्न हो गए हैं, अतः वे राग या दुःखको जाननेमात्रसे रागी या दुःखी नहीं हो सकते ।

प्र०—जब सर्वज्ञके साधक और बाधक दोनों प्रकारके प्रमाण नहीं मिलते, तो उसकी मत्ता सदिग्ध हो कहना चाहिए ।

उ०—साधक प्रमाण पहिले बना आग है तथा बाधकोका परिहार भी किया जा चुका है तब सदेह क्यों हो ? सर्वज्ञके अभावका साधन तो सर्वज्ञ हुए निना किया ही नहीं जा सकता । जब हम त्रिकाल-त्रिलोक-वर्ती यावत्सुखोंका असर्वज्ञरूपसे दर्शन कर सकेंगे तभी असर्वज्ञता मिट्टी की जा सकती है । पर ऐसी असर्वज्ञता सिद्ध करनेवाला व्यक्ति स्वयं अनायास ही सर्वज्ञ बन जायगा ।

धर्मकीर्तिने बुद्धको कल्याणानु तथा हेयोपादेय तत्त्वका उपदेष्टा कहा है । अकलक कहने है कि—जब आप समस्तधर्मोंके आधारभूत आत्माको ही नहीं मानते तब किमपर कल्याण की जायगी तथा कौन कल्याण करेगा ? कौन उसका अनुष्ठान करेगा ? ज्ञानक्षण तो परस्पर भिन्न हैं, अतः भावना किसी अव्यञ्जानक्षणको होगी तो मुक्ति किसी दूसरे ज्ञानक्षणको । दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग ये चार आयमत्य तो तब ठीक हो सकते हैं जब दुःखादिके अनुभव करनेवाले आत्मको स्वीकार किया जाय । इस तरह जीव जिसे ससार होता है तथा जो मुक्त होता है, अजीव त्रयमेः सम्बन्धसे दुःख होता है, इन दो आधारभूत तत्वोंको माने बिना तत्त्वसंख्याकी पूर्णता नहीं हो सकती । दुःखको जैन लोग अन्य तथा समुदयको आम्ब षट्से कहते हैं । निरोधको मोक्ष तथा मार्गको सवर और निर्जरा शब्दसे कहते हैं । अतः चार आयमत्यके साथ जीव और अजीव इन दो मूल तत्वोंको मानना ही चाहिए । जीव और अजीव इन दो मूल तत्वोंके अनादिकालीन सम्बन्धसे ही दुःख आदिकी सृष्टि होती है । बुद्धने हिंसाका भी उपदेश दिया है अतः मालूम होता है कि वे यथार्थदर्शी नहीं थे । इत्यादि । मद् आत्माको हेय कहना, निरोधको जो अमद्रूप है उपदेय कहना, उसके कारणोंका उपदेश देना तथा अमत्की प्राप्तिके लिए यत्न करना ये सब बातें उनकी असर्वज्ञताका दिग्दर्शन करानेके लिए पर्याप्त है । अकलकके द्वारा बुद्धके प्रति किए गए अकल्याणवत्त्व आदि आक्षेपोंके लिए उम समयकी साम्प्रदायिक परिस्थिति ही जबाबदेह है, क्योंकि कुमारिल और धर्मकीर्ति आदिने जैनोंके ऊपर भी ऐसे ही कल्पित आक्षेप किए हैं ।

परोक्ष—अकलकदेवने तत्त्वार्थसूत्रकारके द्वारा निर्दिष्ट परोक्षज्ञानोमे मतिज्ञान मति स्मृत्यादि ज्ञानोको नामयोजनाके पहिले साध्यबह्यारिकप्रत्यक्ष कहकर नाम योजना होनेपर उन्हीं ज्ञानोको श्रुतव्यपदेश दिया है और श्रुतको अस्पष्ट होनेसे परोक्ष कहा है । अर्थात् परोक्षज्ञानके स्मृति, सज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध तथा श्रुत-आगम ये पाँच भेद हुए । अकलकदेवने राजवात्तिकमे अनुमान आदि ज्ञानोको स्वप्रतिपत्तिकालमे (नामयो-जनासे पहिले) अन्तरभूत तथा परप्रतिपत्तिकालमे अन्तरश्रुत कहा है । लघीयस्त्रयमे मति (इन्द्रियानिन्द्रियज-प्रत्यक्ष) को नामयोजनाके पहिले मतिज्ञान एवं साध्यबह्यारिकप्रत्यक्ष तथा शब्दयोजनाके बाद उसे ही श्रुत कहना उनके समन्वय करनेके उक्तक यत्नकी ओर ध्यान खीचता है, और इससे यह भी मालूम होता है कि लघीय-स्त्रय बनाते समय वे अपनी योजनाको दृढ़ नहीं कर सके थे, क्योंकि उनसे लघीयस्त्रयमे मति, स्मृति आदिकी

अवस्थाविशेषमें मतिज्ञान लिखनेपर भी न्यायविनिश्चयमें स्मरणादि ज्ञानोंके ऐकान्तिक श्रुतत्व-परोक्षत्वका-विधान किया है ।

स्मृति—स्मरणको कोई वादी गृहीतग्राही होनेसे तथा कोई अर्थसे उत्पन्न न होनेके कारण अप्रमाण कहते आए हैं । पर अकलंकदेव कहते हैं कि—यद्यपि स्मरण गृहीतग्राही है फिर भी अविंसवादी होनेसे प्रमाण ही होना चाहिये । वह अविंसवादी प्रत्यभिज्ञानका जनक भी है । स्मृति समारोपका व्यवच्छेद करनेवाली है, अतः उसे प्रमाण माननेमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए ।

प्रत्यभिज्ञान—दर्शन और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले, एकत्व मादृश्य वैसदृश्य प्रतियोगि तथा दूर-त्वारिरूपसे संकलन करनेवाले ज्ञानका नाम प्रत्यभिज्ञान है । प्रत्यभिज्ञान यद्यपि स्मरण और प्रत्यक्षसे उत्पन्न होता है फिर भी इन दोनोंके द्वारा अगृहीत पूर्वोत्तरपर्यायवर्ती एकत्वको विषय करनेके कारण प्रमाण है । अविंसवादित्व भी प्रत्यभिज्ञानमें पाया जाता है जो प्रमाणताका सास प्रयोजक है ।

तर्क—प्रत्यक्ष—साध्यसाधनसद्भावज्ञान और अनुपलम्भ—साध्याभाव-साधनाभावज्ञानसे उत्पन्न होने-वाला सर्वोपसंहाररूपसे साध्यसाधनके सम्बन्धको ग्रहण करनेवाला ज्ञान तर्क है । सक्षेपमें अविनाभावरूप व्याप्ति-को ग्रहण करनेवाला ज्ञान तर्क कहलाता है । जितना भी धूम है वह कालत्रय तथा त्रिलोकमें अनिमें ही उत्पन्न होता है, अनिके अभावमें कभी भी कभी भी नहीं हो सकता ऐसा सर्वोपसंहारी अविनाभाव प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाणसे गृहीत नहीं होता । अतः अगृहीतग्राही तथा अविमवादक तर्कको प्रमाणभूत मानना ही चाहिये । सन्निहितपदार्थको विषय करनेवाला अविचारक प्रत्यक्ष इतने विस्तृत क्षेत्रवाले अविनाभावको नहीं जान सकता । भले ही वह एक अमूकस्थानमें साध्यसाधनके सम्बन्धको जान सके, पर अविचारक होनेसे उसकी साध्यसाधनसम्बन्धविषयक विचारमें सामर्थ्य ही नहीं है । अनुमान तो व्याप्तियग्रहणके बाद ही उत्पन्न होता है, अतः प्रकृत अनुमान स्वयं अपनी व्याप्तिके ग्रहण करनेका प्रयत्न अन्व्यग्याशयदोष आनेके कारण नहीं कर सकता; क्योंकि जब तक व्याप्ति गृहीत न हो जाय तब तक अनुमानोत्पत्ति नहीं हो सकती और जब तक अनुमान उत्पन्न न हो जाय तब तक व्याप्तिका ग्रहण असंभव है । प्रकृत अनुमानकी व्याप्ति किसी दूसरे अनुमानके द्वारा ग्रहण करनेपर तो अनवस्था दूषण स्पष्ट ही है । इस तरह तर्कको स्वतन्त्र प्रमाण मानना ही उचित है ।

जिनमें अविनाभाव नहीं है उनमें अविनाभावकी सिद्धि करनेवाला ज्ञान कुतर्क है । जैसे विवक्षासे वचनका अविनाभाव बतलाना; क्योंकि विवक्षाने अभावमें भी सुपुत्तादि अवस्थामें वचनप्रयोग देखा जाता है । शास्त्रविवक्षा रहनेपर भी मन्वुद्विद्योके शास्त्रव्याख्यानरूप वचन नहीं देखे जाते ।

अनुमान—अविनाभावी साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं । नैयायिक अनुमितिके करण-को अनुमान कहते हैं । उनके मतसे परामर्शज्ञान अनुमानरूप होता है । 'धूम अनिसे व्याप्त है तथा वह धूम पर्वतमें है' इस एकज्ञानको परामर्शज्ञान कहते हैं । बौद्ध त्रिरूपलिंगसे अनुमेयके ज्ञानको अनुमान मानते हैं ।

साधनका स्वरूप तथा अत्रिनाभावग्रहणप्रकार—साध्यके साथ जिसकी अन्यथानुपपत्ति-अविनाभाव निश्चित हो उसे साधन कहते हैं । अविनाभाव (विना-साध्यके अभावमें अ-नहीं भाव-होना) साध्यके अभावमें साधनके न होनेको कहते हैं । यह अविनाभाव प्रत्यक्ष और अनुपलम्भसे उत्पन्न होनेवाले तर्क नामके प्रमाणके द्वारा गृहीत होवा है । बौद्ध पक्षधर्मत्वादि त्रिरूपवाले साधनको सत्साधन कहते हैं । वे सामान्यसे अविनाभावको ही साधनका स्वरूप मानते हैं । त्रिरूप तो अविनाभावके परिचायकमात्र है । वे तादात्म्य और तदुत्पत्ति इन दो सम्बन्धोंसे अविनाभावका ग्रहण मानते हैं । उनके मतसे हेतुके तीन भेद हैं—

३८ : डॉ० महेंद्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

१. स्वभावहेतु, २. कार्यहेतु, ३. अनुपलब्धिहेतु। स्वभाव और कार्यहेतु विधिभाषक हैं तथा अनुपलब्धिहेतु निषेधसाधक। स्वभावहेतुमें तादात्म्यसम्बन्ध, कार्यहेतुमें तदुत्पत्तिसम्बन्ध तथा अनुपलब्धिहेतुमें क्वाचान्वय दोषों सम्बन्ध अविनाभावके प्रयोक्क होते हैं।

अकलंकदेव इसका निरास करते हैं कि—जहाँ तादात्म्य और तदुत्पत्ति सम्बन्धसे हेतुमें गमकत्व देखा जाता है वहाँ अविनाभाव तो रहता ही है, भले ही वह अविनाभाव तादात्म्य तथा तदुत्पत्तिप्रयुक्त हो, पर बहुतेसे ऐसे भी हेतु हैं जिनका साध्यके साथ तादात्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं है फिर भी अविनाभावके कारण वे नियत साध्यका ज्ञान कराते हैं। जैसे कृतिकोदयसे भविष्यत् शकटोदयका अनुमान। यहाँ कृतिकोदयका शकटोदयके साथ न तादात्म्य सम्बन्ध है और न तदुत्पत्ति ही। हेतुओंके तीन भेद मानना भी ठीक नहीं है; क्योंकि स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धिके सिवाय कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर हेतु भी स्वनियत-साध्यका अनुमान कराते हैं।

कारणहेतु—वृक्षसे छायाका ज्ञान, चन्द्रमासे जलमें पड़नेवाले उसीके प्रतिबिम्बका अबाधित अनुमान होता है। यहाँ वृक्ष या चन्द्र न तो छाया या जलप्रतिबिम्बित चन्द्रके कार्य हैं और न स्वभाव ही। हाँ, निमित्तकारण अवश्य है। अतः कारणलिंगसे भी कार्यका अनुमान मानना चाहिये। जिस कारणकी सामर्थ्य अप्रतिबद्ध हो तथा जिसमें अन्य कारणोंकी विकलता न हो वह कारण अवश्य ही कार्योपादक होता है।

पूर्वचरहेतु—कृतिका नक्षत्रका उदय देखकर एक मुहूर्तके बाद रोहिणी नक्षत्रके उदयका अनुमान देखा जाता है। अब विचार कीजिये कि—कृतिकाका उदय जिससे रोहिणीके उदयका अविस्वादी अनुमान होता है, किस हेतुमें शामिल किया जाय? कृतिकोदय तथा रोहिण्युदयमें कालभेद होनेसे तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः स्वभावहेतुमें अन्तर्भाव नहीं होगा। तथा एक दूसरेके प्रति कार्यकारणभाव नहीं है अतः कार्य या कारणहेतुमें उसका अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता। अतः पूर्वचरहेतु अतिरिक्त ही मानना चाहिये। इसी तरह आज सूर्योदय देखकर कल सूर्योदय होगा, चन्द्रग्रहण होगा इत्यादि भविष्यद्विषयोका अनुमान अमुक अविनाभावी पूर्वचर हेतुओंसे होता है।

उत्तरचरहेतु—कृतिकाका उदय देखकर एक मुहूर्त पहिले भरणी नक्षत्रका उदय हो चुका यह अनुमान होता है। यह उत्तरचर हेतु पूर्वोक्त किसी हेतुमें अन्तर्भूत नहीं होता।

सहचरहेतु—चन्द्रमाके इस भागकी देखकर उसके उस भागका अनुमान, तराजूके एक पल्लके नीचा देखकर दूसरे पल्लके ऊँचे होनेका अनुमान, रस च्लकर रूपका अनुमान तथा सास्ता देखकर गौका अनुमान देखा जाता है। यहाँ रसादि सहचर हेतु हैं, क्योंकि इनका अपने साध्योंके साथ तादात्म्य और तदुत्पत्ति आदि कोई सम्बन्ध नहीं होनेसे ये कार्य आदि हेतुओंमें अन्तर्भूत नहीं हैं। हाँ, अविनाभावमात्र होनेसे ये हेतु गमक होते हैं।

अनुपलब्धि—बौद्ध दृश्यानुपलब्धिसे ही अभावकी सिद्धि मानते हैं। दृश्यसे उनका तात्पर्य ऐसी वस्तु-से है कि—जो वस्तु सूक्ष्म, अन्तरित या दूरवर्ती न हो तथा जो प्रत्यक्षका विषय हो सकती हो। ऐसी वस्तु उपलब्धिके समस्त कारण मिलनेपर भी यदि उपलब्ध न हो तो उसका अभाव समझना चाहिये। सूक्ष्मादि पदार्थोंमें हम लोगोंके प्रत्यक्ष आदि की निवृत्ति होनेपर भी उनका अभाव तो नहीं होता। प्रमाणसे प्रमेयका सम्भाव जाना जा सकता है पर प्रमाणकी अप्रवृत्तिसे प्रमेयका अभाव नहीं माना जा सकता। अतः विप्रकृष्ट पदार्थोंमें अनुपलब्धि संशयहेतु होनेसे अभावकी साधिका नहीं हो सकती।

अकलंकदेव इसका निरास करते हुए लिखते हैं कि—वृक्षत्वका अर्थ प्रत्यक्षविषयत्व ही न होना

वाह्यिहे किन्तु प्रमाणविषयत्व करना चाहिये। इससे यह नात्यर्थ होता कि—जो वस्तु जिस प्रमाणका विषय होकर यदि उसी प्रमाणसे उपलब्ध न हो तो उसका अभाव सिद्ध होना। क्लेशो—मृत शरीरमें स्वभावसे अतीन्द्रिय परचैतन्यका अभाव भी हम लोग सिद्ध करते हैं। वहाँ परचैतन्यमें प्रत्यक्षविषयत्वरूप दृश्यत्व तो नहीं है; क्योंकि परचैतन्य हमारे प्रत्यक्षका विषय नहीं होता। बचन उष्णताविशेष या आकारविशेष आदिके द्वारा उसका अनुमान किया जाता है, अतः उन्हीं वचनादिके अभावसे चैतन्यका अभाव सिद्ध होना चाहिये। अदृश्यानुपलब्धि यदि सक्षम हेतु मानी जाय तो अपनी अदृश्य अस्त्याकी सत्ता भी कैसे सिद्ध हो सकेगी? आत्मादि अदृश्य पदार्थ अनुमानके विषय हैं; यदि हम उनकी अनुमानसे उपलब्धि न कर सके तब उनका अभाव सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, जिन पिशाचादि पदार्थोंको हम किसी भी प्रमाणसे नहीं जान सकते उनका अभाव हम अनुपलब्धिसे नहीं कर सकेंगे। तात्पर्य यह कि—जिस वस्तुको हम जिव-जिन प्रमाणोंसे जानते हैं उस वस्तुका अनुमान प्रमाणोंकी निवृत्तिसे अभाव सिद्ध होना।

अकलंककृत हेतुके भेद—अकलंकदेवने सद्भाव साधक छ. उपलब्धियोंका वर्णन किया है—

१—स्वभावोपलब्धि—आत्मा है, उपलब्ध होनेसे।

२—स्वभावकार्योपलब्धि—आत्मा धी, स्मरण होनेसे।

३—स्वभावकारणोपलब्धि—आत्मा होगी, सत् होनेसे।

४—सहचरोपलब्धि—आत्मा है, स्पर्शविशेष (शरीरमें उष्णता विशेष) पाया जानेसे।

५—सहचरकार्योपलब्धि—कायव्यापार हो रहा है, बचनप्रवृत्ति होनेसे।

६—सहचरकारणोपलब्धि—आत्मा सप्रदेशी है, सावयवशरीरके प्रमाण होनेसे।

असद्व्यवहारसाधनके लिए छ. अनुपलब्धियाँ बतायी हैं—

१—स्वभावानुपलब्धि—क्षणक्षयकाल्त नहीं है, अनुपलब्ध होनेसे।

२—कार्यानुपलब्धि—क्षणक्षयकाल्त नहीं है, उसका कार्य नहीं पाया जाता।

३—कारणानुपलब्धि—क्षणक्षयकाल्त नहीं है, उसका कारण नहीं पाया जाता।

४—स्वभावसहचरानुपलब्धि—आत्मा नहीं है, रूपविशेष (शरीरमें आकारविशेष) नहीं पाया जाता।

५—सहचरकार्यानुपलब्धि—आत्मा नहीं है, व्यापार, आकारविशेष तथा बचनविशेषकी अनुपलब्धि होनेसे।

६—सहचरकारणानुपलब्धि—आत्मा नहीं है, उसके द्वारा आहार ग्रहण करना नहीं देखा जाता।

सजीव शरीर ही स्वयं आहार ग्रहण करता है।

सद्व्यवहारके निषेधके लिए ३ उपलब्धियाँ बतायी हैं—

१—स्वभावविच्छेदोपलब्धि—पदार्थ नित्य नहीं है, परिणामी होनेसे।

२—कार्यविच्छेदोपलब्धि—लक्षणविज्ञान प्रमाण नहीं है, विसवादी होनेसे। (?)

३—कारणविच्छेदोपलब्धि—इस व्यक्तिको परीक्षाका फल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अभावेकाल्तका ग्रहण किया है।

इस तरह सद्भावसाधक ९ उपलब्धियाँ तथा अभावसाधक छ' अनुपलब्धियोंको कण्ठोक्त कहकर इनके और अन्य अनुपलब्धियोंके भेदप्रभेदोंका इन्हींमें अन्तर्भाव किया है। साथ ही यह भी बताया है कि—धर्म-कौटिकके कथनानुसार अनुपलब्धियाँ केवल अभाव साधक ही नहीं हैं, किन्तु भावसाधक भी होती हैं। इसी संकेतके अनुसार भाषिण्यनन्द, विद्यानन्द तथा बादिदेवसूरिने उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनोंको उभयसाधक मानकर उनके अनेकों भेदप्रभेद किये हैं।

त्रैरूप्य निराम—बौद्ध हेतुके तीन रूप मानता है। प्रत्येक सत्य हेतुमें निम्न त्रिरूपता अवश्य ही पाई जानी चाहिए, अन्यथा वह सद्धेतु नहीं हो सकता। १. पक्षधर्मत्व—हेतुका पक्षमें रहना। २. सपक्ष-सत्त्व—हेतुका समस्त सपक्षोंमें या कुछ सपक्षोंमें रहना। ३. विपक्षासत्त्व—हेतुका विपक्षमें बिल्कुल नहीं पाया जाना। अकारकदेव इनमेंसे तीसरे विपक्षासत्त्व रूपको ही सद्धेतुत्वका नियामक मानने हैं। उनकी दृष्टिसे हेतुका पक्षमें रहना तथा सपक्षसत्त्व कोई आवश्यक नहीं है। वे लिखते हैं कि—‘शकटोदय होगा, कृत्तिकोदय होनेसे’ ‘भरणीका उदय हो चुका, कृत्तिकाका उदय होनेसे’ इन अनुमानोंमें कृत्तिकोदय हेतु पक्षभूत शकट तथा भरणिमें नहीं पाया जाता। इसी तरह ‘अद्वैतवादीके प्रमाण है, अन्यथा इष्टसाधन और अनिष्ट-दुष्ण नहीं हो सकेगा।’ इस स्थलमें जब इस अनुमानके पहिले अद्वैतवादियोंके यहाँ प्रमाण नामक धर्मोंकी सत्ता ही सिद्ध नहीं है तब पक्षधर्मत्व कैसे बन सकता है? पर उक्त हेतुओंकी स्वसाध्यके साथ अन्यथानु-पपत्ति (अन्यथा—साध्यके अभावमें-विपक्षमें अनुपपत्ति-असत्त्व) देखी जाती है, अतः वे सद्धेतु हैं।

धर्मकीतिके टीकाकार कर्णकगोमिने शकटोदयादिका अनुमान करानेवाले कृत्तिकोदयादि वैयधिकरण हेतुओंमें काल या आकाशको धर्म बनाकर पक्षधर्मत्व घटानेकी युक्तिका उपयोग किया है। अकलकदेवने इसका भी निराकरण करते हुए कहा है कि—यदि काल आदिको धर्म बनाकर कृत्तिकोदयमें पक्षधर्मत्व घटाया जायगा तब तो पृथिवीरूप पक्षकी अपेक्षासे महानसगतधूमहेतुसे ममूद्रमें भी अग्नि सिद्ध करनेमें हेतु अपक्षधर्म नहीं होगा।

सपक्षमत्त्वको अनावश्यक बताते हुए अकलकदेव लिखते हैं कि—पक्षमें साध्य और साधनकी व्याप्ति-रूप अन्तर्व्याप्तिके रहनेपर ही हेतु सर्वत्र गमक होता है। पक्षसे बाहिर—सपक्षमें व्याप्ति ग्रहण करने रूप बहिर्व्याप्तिके कोई लाभ नहीं। क्योंकि अन्तर्व्याप्तिके असिद्ध रहनेपर बहिर्व्याप्ति तो असाधक ही है। जहाँ अन्तर्व्याप्ति गृहीत है वहाँ बहिर्व्याप्तिके ग्रहण करनेपर भी कुछ लाभ लाभ नहीं है। अतः बहिर्व्याप्तिका प्रयोजक सपक्षसत्त्व रूप भी अनावश्यक है। इस तरह अन्यथानुपपत्तिको ही हेतुका व्यावर्त्तक रूप मानते हुए अकलकदेवने स्पष्ट लिखा है कि—जहाँ अन्यथानुपपत्ति है वहाँ त्रिरूपता माननेसे क्या लाभ? जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ त्रिरूपता मानकर भी गमकता नहीं आ सकती। ‘अन्यथानुपपन्नत्व’ यह कारिका तत्त्व-संग्रहकारके उल्लेखानुसार पात्रस्वामिकी मालूम होती है। यही कारिका अकारकने न्यायविनिश्चयके त्रिलक्षण-क्षणप्रकरणमें लिखी है।

हेत्वाभास—नैयायिक हेतुके पाँच रूप मानते हैं, अतः वे एक-एक रूपके अभावमें असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट और प्रकरणसम ये पाँच हेत्वाभास मानते हैं। बौद्धने हेतुको त्रिरूप माना है, अतः उनके मतसे पक्षधर्मत्वके अभावसे असिद्ध हेत्वाभास, सपक्षसत्त्वके अभावसे विरुद्ध हेत्वाभास तथा विपक्षासत्त्वके अभावसे अनैकान्तिक हेत्वाभास, इन तरह तीन हेत्वाभास होते हैं। अकलकदेवने जब अन्यथानुपपन्नत्वका ही हेतुका एकमात्र नियामक रूप माना है तब स्वभावतः इनके मतसे अन्यथानुपपन्नत्वके अभावमें एक ही हेत्वाभास माना जायगा, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा है कि—वस्तुतः एक ही असिद्ध हेत्वाभास है। अन्यथानुपपत्तिका अभाव कई प्रकारसे होता है अतः विरुद्ध, असिद्ध, सन्दिग्ध और अकिञ्चित्कारके भेदसे चार हेत्वाभास भी हो सकते हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं—

१—असिद्ध—सर्वथात्ययात्—सर्वथा पक्षमें न पाया जानेवाला, अथवा सर्वथा जिसका साध्यसे अविना-भाव न हो। जैसे शब्द अनित्य है चाशुष होनेसे।

२—विरुद्ध—अन्यथाभावात्—साध्याभासमें पाया जानेवाला, जैसे सब क्षणिक हैं, सत् होनेसे। सत्त्व-हेतु सर्वपाक्षणिकत्वके विपक्षभूत कपञ्चित्क्षणिकत्वमें पाया जाता है।

३-अनैकान्तिक—विपक्षमे भी पाया जानेवाला। जैसे सर्वज्ञाभाव सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त वस्तु-त्वादिहेतु। यह निश्चितानैकान्तिक, सन्दिग्धनैकान्तिक आदिके भेदसे अनेक प्रकारका होता है।

४-अकिञ्चित्कर—सिद्ध माध्यमे प्रयुक्त हेतु। अन्यथानुपपत्तिसे रहित जितने त्रिलक्षण हेतु हैं उन सबको भी अकिञ्चित्कर समझना चाहिए।

दिग्नागाचार्यने विरुद्धाव्यभिचारी नामका भी एक हेत्वाभास माना है। परस्पर विरोधी दो हेतुओंका एक धर्ममें प्रयोग होनेपर प्रथम हेतु विरुद्धाव्यभिचारी हो जाता है। यह संशयहेतु होनेसे हेत्वाभास है। धर्मकीतिने इसे हेत्वाभास नहीं माना है। वे लिखते हैं कि—प्रमाणसिद्धत्रैलुप्यवाले हेतुके प्रयोग होनेपर विरोधी हेतुको अवसर ही नहीं मिल सकता। अतः इसकी आगमाश्रितहेतुके विषयमे प्रवृत्ति मानकर आचार्यके वचनकी संगति लगा लेनी चाहिए; क्योंकि शास्त्र अतीन्द्रियार्थविषयमे प्रवृत्ति करता है। शास्त्रकार एक ही वस्तुको परस्पर विरोधी रूपसे कहते हैं, अतः आगमाश्रित हेतुओंमें ही यह संभव हो सकता है। अकलकदेवने इस हेत्वाभासका विरुद्धहेत्वाभासमें अन्तर्भाव किया है। जो हेतु विरुद्धका अव्यभिचारी-विपक्षमे भी रहनेवाला होगा वह विरुद्ध हेत्वाभासकी ही सीमासे आयागा।

अर्चकृत हेतुबिन्दुविवरणमें एक षड्लक्षण हेतु माननेवाले मतका कथन है। पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षादव्यावृत्ति, अबाधितविषयत्व, असम्प्रतिपक्षत्व और ज्ञातत्व ये छह लक्षण हैं। इनमें ज्ञातत्व नामके रूपका निर्देश होनेसे इस वादीके मतसे 'अज्ञात' नामका भी हेत्वाभास फलित होता है। अकलकदेवने इस 'अज्ञात' हेत्वाभासका अकिञ्चित्कर हेत्वाभासमे अन्तर्भाव किया है। नैयायिकोक्त पाँच हेत्वाभासोंमें काल-त्ययापदिष्टका अकिञ्चित्कर हेत्वाभासमे, तथा प्रकरणसमका जो दिग्नागने विरुद्धाव्यभिचारी जैसा है, विरुद्धहेत्वाभासमे अन्तर्भाव समझना चाहिए। इस तरह अकलकदेवने सामान्य रूपसे एक हेत्वाभास कहकर भी विशेषरूपसे असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक और अकिञ्चित्कर इन चार हेत्वाभासोंका कथन किया है।

अकलकदेवका अभिप्राय अकिञ्चित्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेके विषयमे सुदृढ़ नहीं मालूम होता। क्योंकि वे लिखते हैं कि—सामान्यसे एक असिद्ध हेत्वाभास है। वही विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्धके भेदसे अनेक प्रकारका है। ये विरुद्धादि अकिञ्चित्करके विस्तार हैं। फिर लिखते हैं कि—अन्यथानुपपत्तिरहित जितने त्रिलक्षण हैं उन्हें अकिञ्चित्कर कहना चाहिए। इससे मालूम होता है कि वे सामान्यसे हेत्वाभासोंकी अकिञ्चित्कर या असिद्ध सज्ञा रखते थे। इसके स्वतन्त्र हेत्वाभास होनेपर उनका भार नहीं था। यही कारण है कि आ० माणिक्यनन्दिने अकिञ्चित्कर हेत्वाभासके लक्षण और भेद कर चुकनेपर भी लिखा है कि—इस अकिञ्चित्कर हेत्वाभासका विचार हेत्वाभासके लक्षणकालमें ही करना चाहिए। शास्त्रार्थके समय तो इसका कार्य पक्षदोषसे ही किया जा सकता है। आचार्य विद्यानन्दने भी सामान्यसे एक हेत्वाभास कहकर असिद्ध, विरुद्ध और अनैकान्तिकको उसीका रूपान्तर माना है। उनमें भी अकिञ्चित्कर हेत्वाभासके ऊपर भार नहीं दिया। वादिदेवसूरि आदि उतरकालीन आचार्योंने अमिद्धादि तीन ही हेत्वाभास गिनाए हैं।

साध्य—आ० दिग्नागने पक्षके लक्षणमे ईप्सित तथा प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध ये दो विशेषण दिए हैं। धर्मकीति ईप्सितकी जगह इष्ट तथा प्रत्यक्षाद्यविरुद्धके स्थानमें प्रत्यक्षाद्यनिराकृत शब्दका प्रयोग करने हैं। अकलकदेव ने अपने साध्यके लक्षणमे शक्य (अबाधित) अभिप्रेत (इष्ट) और अप्रमिद्ध इन तीन विशेषणोंका प्रयोग किया है। अमिद्ध विशेषण तो 'साध्य' शब्दके अर्थसे ही फलित होता है। साध्यका अर्थ है—सिद्ध करने योग्य, अर्थात् असिद्ध। शक्य और अभिप्रेत विशेषण बौद्धाचार्योंके द्वारा किए गए साध्यके लक्षणसे आए हैं।

साध्यका यह लक्षण निविधारूपसे माणिक्यनन्दि आदि आचार्यों द्वारा स्वीकृत है। सिद्ध, अनिष्ट तथा बाधितको साध्याभास कहा है।

दृष्टान्त—जहाँ साध्य और साधनके सम्बन्धका ज्ञान होना है उम प्रदेशका नाम दृष्टान्त है। साध्य-विकल तथा साधनविकलादिक दृष्टान्ताभास है। इस तरह दृष्टान्त और दृष्टान्ताभासका लक्षण करनेपर भी अकलंकदेवने दृष्टान्तको अनुमानका अवयव स्वीकार नहीं किया। उनसे लिखा है कि—सभी अनुमानोमें दृष्टान्त होना ही चाहिये, ऐसा नियम नहीं है, दृष्टान्तके बिना भी साध्यकी सिद्धि देखी जाती है, जैसे बीड़के मतसे समस्त पदाथोंको क्षणिकत्व सिद्ध करनेमें सत्त्व हेतुके प्रयोगमें कोई दृष्टान्त नहीं है। अतः दृष्टान्त अनुमानका नियत अवयव नहीं है। इसीलिये उत्तरकाशीन कुमारनन्दि आदि आचार्योंने प्रतिज्ञा और हेतु इन दोषों ही अनुमानका अवयव माना है। हाँ, मन्दबुद्धि शिष्योंकी दृष्टिये दृष्टान्त, उपनय तथा निगमनादि भी उपयोगी हो सकते हैं।

धर्मी—बौद्ध अनुमानका विषय कल्पित सामान्य मानते हैं, क्षणिक स्वलक्षण नहीं। आ० विग्नायने कहा है कि—समस्त अनुमान-अनुमेयव्यवहार बुद्धिकल्पित धर्मधर्मिन्नायसे चलता है, किन्ती धर्मोंकी वास्तविक सत्ता नहीं है। अकलंकदेव कहते हैं कि—जिस तरह प्रत्यक्ष परपरार्थ तथा स्वरूपको विषय करता है उसी तरह अनुमान भी वस्तुमूल अर्थको ही विषय करता है। हाँ, यह हो सकता है कि प्रत्यक्ष उस वस्तुको स्फुट तथा विशेषाकार रूपसे ग्रहण करे और अनुमान उसे अस्फुट एव सामान्याकार रूपसे। पर इतने मात्रने एक वस्तुविषयक और दूसरा अवस्तुको विषय करनेवाला नहीं कहा जा सकता। जिस विकल्पज्ञानसे आप धर्मधर्मि-भावकी कल्पना करते हैं, वह विकल्पज्ञान निविकल्पकसे तो मिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि निविकल्पक—निश्चय-शून्यज्ञानसे किसी वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती। विकल्पान्तरसे मिद्धि माननेमें अनवस्था दूषण आता है। अतः विकल्पको स्व और अर्थ दोनों ही अशोभे प्रमाण मानना चाहिए। जब विकल्प अर्थाशोभे प्रमाण हो जायगा; तब ही उसके द्वारा विषय किए गए धर्मों आदि भी सत्य एव परमार्थ मिद्ध होंगे। यदि धर्मों ही मिथ्या हैं; तब तो उसमें रहनेवाले साध्य-साधन भी मिथ्या एव कल्पित ठहरेंगे। इस तरह परम्पराने भी अनुमानके द्वारा अर्थकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अतः धर्मोंको प्रमाणसिद्ध मानना चाहिए। केवल विकल्प-सिद्ध नहीं। अकलंकोत्तरवर्ती आ० माणिक्यनन्दिने इसी त्राणयसे परीक्षामुखसूत्रमें धर्मोंके तीन भेद किए हैं—

१. प्रमाणसिद्ध, २ विकल्पसिद्ध, ३ उभयसिद्ध।

अनुमानके भेद—न्यायसूत्रमें अनुमानके तीन भेद किए हैं—पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट। साध्यतत्त्वकीमूदोमें अनुमानके दो भेद पाये जाते हैं—एक वीत और दूसरा अवीत। वीत अनुमान के दो भेद— १ पूर्ववत्, २. सामान्यतोदृष्ट। साध्यके इन भेदोंकी परम्परा वस्तुतः प्राचीन है। विशेषिकने अनुमानके कार्यालिंगज, कारणालिंगज, मयोगालिंगज और ममवार्थालिंगज, इस तरह पाँच भेद किए हैं। अकलंकदेव तो सामान्यरूपमें एक ही अन्यथानुपपत्ति लिंगज अनुमान मानते हैं। वे इन अपूर्ण भेदोंकी परिगणनाको महत्त्व नहीं देते।

वाद—नैयायिक कथाके तीन भेद मानते हैं—१ वाद, २ जल्प, ३ वितण्डा। वीतरागकथाका नाम वाद है तथा विजिगीषुकथाका नाम जल्प और वितण्डा है। पक्ष-प्रतिपक्ष तो दोनों कथाओंमें ग्रहण किए ही जाते हैं। हाँ, इतना अन्तर है कि—वाद्यमें स्वपक्षसाधन और परपक्षदूषण प्रमाण और तर्कों द्वारा होते हैं, जब कि जल्प और वितण्डामें छल, जाति और निग्रहस्थान जैसे अमदुत्तरोंमें भी किए जा सकते हैं। नैयायिकने छलाधिके प्रयोगको असदुत्तर माना है और साधारण अवस्थामें उनके प्रयोगका निषेध भी किया है। वाद्यका प्रयोजन तत्त्वनिर्णय है। जल्प और वितण्डाका प्रयोजन है—सत्त्वमरक्षण, जो छलजातिरूप

असदुपायोंसे भी किया जा सकता है। जैसे खेतकी रक्षाके लिए कांटोकी बारी लगाई जाती है उसी तरह तत्कसरक्षणके लिए कांटोके समान छलादिके प्रयोगका अवलम्बन अमुक अनस्थाने ठीक है। आ० धर्मकीर्तिने अपने वादन्यायमें छलादिके प्रयोगका बिलकुल अन्याय्य बताया है। उसी तरह अकलकदेव अहिंसाका दृष्टिसे किसी भी हालतमें छलादि रूप असदुत्तरके प्रयोगको उचित नहीं समझते। छलादिको अन्याय्य मान लेनेसे जल्प और वादमें कोई भेद ही नहीं रह जाता। अतः वे वादका ही एकमात्र कथा रूपसे स्वीकार करते हैं। उनमें वादका सक्षेपमें 'समर्थवचनको वाद कहते हैं' यह लक्षण करके कहा है कि वादि-प्रतिवादिदोषका मध्यस्थोके सामने स्वपक्षसाधन-परपक्षदूषणवचनको वाद कहना चाहिए। इस तरह वाद और जल्पको एक मान लेनेपर वे यथेच्छ कही वाद शब्दका प्रयोग करते हैं तो कही जल्पका। वितण्डाको जिसमें वादी अपना पक्षस्थापन नहीं करके मात्र प्रतिवादीके पक्षका खण्डन ही खण्डन करता है, वादाभास कहकर त्याज्य बताया है।

जय-पराजयव्यवस्था—नैयायिकने इसके लिए प्रतिज्ञाहानि आदि २२ निग्रहस्थान माने हैं जिनमें बताया है कि यदि कोई वादी अपनी प्रतिज्ञाकी हानि कर दे, दूसरा हेतु बोल दे, अमम्बद्ध पद-वाक्य या वर्ण बोले, इस तरह बोले जिससे तीन बार कहनेपर भी प्रतिवादी और परिषद न समझ पावे, हेतुवृष्टान्तादिका क्रम भंग हो जाय, अवयव न्यून कहे जायँ, अधिक अवश्य कहे जायँ, पुनरुक्त हो, प्रतिवादी वादीके द्वारा कहे गए पक्षका अनुवाद न कर सके, उत्तर न दे सके, वादीके द्वारा दिए गए दूषणको अर्थस्वीकारकर खण्डन करे, निग्रहाहूके लिए निग्रहस्थान उद्भावन न कर सके, अनिग्रहाहूको निग्रहस्थान बता देवे, सिद्धान्तविषय बोल जावे, हेत्वाभासका प्रयोग करे तो निग्रहस्थान अर्थात् पराजय होगा। सामान्यसे नैयायिकोंने विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्तिको निग्रहस्थान माना है। विप्रतिपत्ति—विरुद्ध या असम्बद्ध कहना। अप्रतिपत्ति—पक्षस्थापन नहीं करना, स्थापितका प्रतिषेध नहीं करना तथा प्रतिषिद्धका उद्धार नहीं करना। प्रतिज्ञाहान्यादि २२ तो इन्हीं दोनोंके ही विशेष प्रकार हैं।

धर्मकीर्तिने इनका खण्डन करते हुए लिखा है कि—जय-पराजयव्यवस्थाको इस तरह गुटालेने नहीं रखा जा सकता। किसी भी सच्चे साधनवादीका मात्र इसलिए निग्रह होना कि वह कुछ अधिक बोल गया या अमुक कायदेका पालन नहीं कर सका, सत्य और अहिंसाका दृष्टिसे उचित नहीं है। अतः वादी और प्रतिवादी के लिए क्रमशः असाधनाङ्गवचन और अदोषोद्भावन, ये दो ही निग्रहस्थान मानना चाहिये। वादीका कर्तव्य है कि वह सच्चा और पूर्ण साधन बोले। प्रतिवादीका कार्य है कि वह यथार्थ दोषोका उद्भावन करे। यदि वादी सच्चा साधन नहीं बोलता या जो साधनके अंग नहीं है ऐसे वचन कहता है तो उसका असाधनागवचन होनेसे पराजय होना चाहिये। प्रतिवादी यदि यथार्थ दोषोका उद्भावन न कर सके या जो दोष नहीं है उनका उद्भावन करे तो उसका पराजय होना चाहिए। इस तरह सामान्यलक्षण करनेपर भी धर्मकीर्ति फिर उसी धरलेमें पड़ गए। उन्होंने असाधनाङ्गवचन तथा अदोषोद्भावनके विविध व्याख्यान करके कहा है कि अन्वय या व्यतिरेक दृष्टान्तमेंसे केवल एक दृष्टान्तसे ही जब साध्यकी सिद्धि संभव है तो दोनों दृष्टान्तोंका प्रयोग करना असाधनाङ्गवचन होगा। त्रिरूपवचन ही साधनाङ्ग है, उसका कथन न करना असाधनाङ्ग है। प्रतिज्ञा निगमनादि साधनके अंग नहीं हैं, उनका कथन असाधनाङ्ग है। यह सब लिखकर अन्तमें उनमें यह भी सूचन किया है कि—स्वपक्षसिद्धि और परपक्ष निराकरण जयलाभके लिए आवश्यक है।

अकलकदेव असाधनाङ्गवचन तथा अदोषोद्भावनके श्रवणको भी पसन्द नहीं करते। किसको साधनाङ्ग माना जाय किसको नहीं, किसको दोष माना जाय किसको नहीं, यह निर्णय स्वयं एक शास्त्रार्थका विषय हो

जाता है। अतः स्वपक्षसिद्धिसे ही जयव्यवस्था माननी चाहिए। स्वपक्षसिद्धि करनेवाला यदि कुछ अधिक धीक आंव तो कुछ हानि नहीं। प्रतिवादी यदि विरुद्ध हेत्वाभासका उद्भावन करता है तो फिर उसे स्वयं स्वपक्षसे पक्षसिद्धि की भी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि वादोके हेतुको विरुद्ध कहनेसे प्रतिवादीका पक्ष तो स्वयं विरुद्ध हो जाता है। हाँ, असिद्ध आदि हेत्वाभासोके उद्भावन करनेपर प्रतिवादीको अपना पक्ष भी सिद्ध करना चाहिए। स्वपक्षसिद्धि नहीं करनेवाला शास्त्रार्थके नियमोके अनुसार चलनेपर भी जयका भागी नहीं हो सकता।

जाति—मिथ्या उत्तरोको जाति कहते हैं। जैसे धर्मकीतिका अनेकान्तके रहस्योको न समझकर यह कहना कि—“यदि सभी वस्तुएँ द्रव्यदृष्टिसे एक हैं तो द्रव्यदृष्टिसे तो दही और ऊँट भी एक हो गया। अतः दही खानेवाला ऊँटको भी क्यों नहीं खाता ?” साधर्म्यादिमम जातियोंको अकलकदेव कोई खास महत्त्व नहीं देते और न उनकी आवश्यकता ही समझते हैं। आ० दिग्मागकी तरह अकलकदेवने भी असदुत्तरोको अनन्त कहकर जातियोंकी २४ सख्या भी अपूर्ण सूचित की है।

श्रुत—समस्त एकान्त प्रवादोके अगोचर, प्रमाणसिद्ध, परमात्माके द्वारा उपदिष्ट प्रवचन श्रुत है। ज्ञत द्वीप, देश, नदी आदि व्यवहिन अर्थोंमें प्रमाण है। हेतुवाटरूप आगम युक्तिसिद्ध है। उसमें प्रमाणता होनेसे शेष अहेतुवाद आगम भी उसी तरह प्रमाण है। आगमकी प्रमाणताका प्रयोजक आप्तोक्तस्व नामका गुण होता है।

शब्दका अर्थावाचकत्व—शब्द शब्दका वाच्य अर्थ नहीं मानते। वे कहते हैं कि शब्दकी प्रवृत्ति संकेतसे होती है। स्वल्क्षण क्षणक्षयी तथा अनन्त है। जब अनन्त स्वल्क्षणोका ग्रहण भी मभव नहीं है तब संकेत कैसे ग्रहण किया जायगा ? ग्रहण करनेपर भी व्यवहार काल तक उसकी अनुवृत्ति न होनेसे व्यवहार कैसे होगा ? शब्द अतीतानागतकालीन अर्थोंमें भी प्रयुक्त होते हैं, पर वे अर्थ विद्यमान तो नहीं हैं। अतः शब्दका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि शब्दका अर्थके साथ सम्बन्ध हो तो शब्दबुद्धिका प्रतिभाम इन्द्रियबुद्धिकी तरह स्पष्ट होना चाहिए। शब्दबुद्धिमें यदि अर्थ कारण नहीं है, तब वह उमका विषय कैसे हो सकेगा ? क्योंकि जो ज्ञानमें कारण नहीं है वह ज्ञानका विषय भी नहीं हो सकता। यदि अर्थ शब्दज्ञानमें कारण हो, तो फिर कोई भी शब्द विस्वादी या भ्रममाण नहीं होगा, अतीतानागत अर्थोंमें शब्दकी प्रवृत्ति ही रुक जायगी। संकेत भी शब्द और अर्थ उभयका ज्ञान होनेपर ही हो सकता है। एक प्रत्यक्षसे ता उभयका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि श्रावणप्रत्यक्ष अर्थको विषय नहीं करना तथा वाचुषादिप्रत्यक्ष शब्दको विषय नहीं करते। स्मृति तो निविषय एक गृहीतप्रमाण होनेसे प्रमाण ही नहीं है। इसलिए शब्द अर्थका वाचक न होकर विवक्षाका सूचन करता है। शब्दका वाच्य अर्थ न होकर कल्पित—बुद्धिप्रतिबिम्बित अन्यायोहरूप सामान्य है। इसलिए शब्दसे होनेवाले ज्ञानमें सत्यार्थताका कोई नियम नहीं है।

अकलकदेव इसका समालोचन करते हुए कहते हैं कि—पदार्थमें कुछ धर्म सद्दा तथा कुछ धर्म विसद्दा होते हैं। सद्दाधर्मोंकी अपेक्षासे शब्दका अर्थमें संकेत होता है। जिस शब्दमें संकेत ग्रहण किया जाता है भले ही वह व्यवहारकाल तक नहीं पहुँचे पर तत्सद्दा दूसरे शब्दमें अर्थबोध होनेमें क्या बाधा है ? एक घटशब्दका एक घट अर्थमें संकेत ग्रहण करनेके बाद तत्सद्दा यावद् घटोमें तत्सद्दा यावद् घटशब्दोंकी प्रवृत्ति होती है। केवल सामान्यमें संकेत नहीं होता, क्योंकि केवल सामान्यमें संकेत ग्रहण करनेसे विशेषमें प्रवृत्ति रूप फल नहीं हो सकेगा। न केवल विशेषमें; अनन्त विशेषोंमें संकेतग्रहणकी शक्ति अस्मदादि पामर जनोंमें नहीं है। अतः सामान्य-विशेषोत्पन्न—सद्दाधर्मविशिष्ट शब्द और अर्थव्यक्तित्वमें संकेत ग्रहण किया जाता है। संकेत ग्रहणके अनन्तर

शब्दार्थका स्मरण करके व्यवहार होता है। जिस प्रकार प्रत्यक्षबुद्धि अतीतार्थको जानकर भी प्रमाण है उसी तरह स्मृति भी प्रमाण ही है। प्रत्यक्षबुद्धिमें अर्थ कारण है, अतः वह एक क्षण पहिङ्गे रहता है। ज्ञानकालमें नहीं। ज्ञानकालमें तो वह क्षणिक होनेसे नष्ट हो जाता है। जब अविश्ववाचप्रयुक्त प्रमाणता स्मृतिमें है ही, तब शब्द सुनकर स्मृतिके द्वारा अर्थबोध करके तथा अर्थ देखकर स्मृतिके द्वारा तद्वाचक शब्दका स्मरण करके व्यवहार अच्छी तरह चलना ही है। यह अवश्य है कि—नामात्म्यविशेषात्मक अर्थको विषय करनेपर भी अज्ञान स्पष्ट तथा शब्दज्ञान अस्पष्ट होता है। जैसे एक ही वृक्षको विषय करनेवाला दूरवर्ती पुरुषका ज्ञान अस्पष्ट तथा समीपवर्तीका स्पष्ट होता है। स्पष्टता और अस्पष्टता विषयभेदप्रयुक्त नहीं है, किन्तु आवरण-क्षयोपशमादिसामग्रीप्रयुक्त है। जिस प्रकार अविनाभावसम्बन्धसे अर्थका बोध करानेवाला अनुमान अस्पष्ट होकर भी अविश्ववादी होनेसे प्रमाण है उसी तरह वाच्यवाचकसम्बन्धसे अर्थका ज्ञान करानेवाला शब्दबोध भी ही प्रमाण होना चाहिए। यदि शब्द बाह्यार्थमें प्रमाण न हो, तब बौद्ध स्वयं शब्दोंसे अदृष्ट तयो, शेष, पर्यतादिका अविश्ववादि ज्ञान कैसे करते हैं? यदि कोई एकाक्ष शब्द अर्थकी गैरमौजूबगीमें प्रयुक्त होनेसे व्यभिचारी देखा गया तो मात्र इतनेमें सभी शब्दोंको व्यभिचारी या अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। जैसे प्रत्यक्ष या अनुमान कही-कही भ्रान्त देखे जानेपर भी अध्रान्त या अव्यभिचारि विशेषणोंसे युक्त होकर प्रमाण है उसी तरह आभ्रान्त शब्दको बाह्यार्थमें प्रमाण मानना चाहिए। यदि हेतुवादरूप शब्दके द्वारा अर्थका निश्चय न हो; तो साधन और साधनाभासको व्यवस्था कैसे होगी? इसी तरह आप्तके सचनके द्वारा अर्थबोध न हो तो आप्त और अनाप्तकी व्यवस्था कैसे की जायगी? यदि पुरुषोंके अभिप्रायोंमें विचित्रता होनेके कारण शब्द अर्थव्यभिचारी करार दिए जायें, तो सुगतकी सर्वज्ञता या सर्वज्ञानानुत्तमों कैसे विश्वास किया जा सकेगा? वहाँ भी अभिप्रायवैचित्र्यकी शका उठ सकती है। यदि अर्थव्यभिचार देखा जानेके कारण शब्द अर्थमें प्रमाण नहीं है; तो विवक्षाका भी तो व्यभिचार देखा जाता है, अन्य शब्दको विवक्षामें अन्य शब्दका प्रयोग उल्लभ होता है। इस तरह तो शिष्यापात्व हेतु, वृथाविश्ववादी होनेपर कही-कही शिष्यापाको लताकी सभावनासे, अग्नि इंधनसे पैदा होती है पर कही मणि आदिसे उत्पन्न होनेके कारण सभी स्वभावहेतु तथा कार्यहेतु व्यभिचारी हो जायेंगे। अतः जैसे यहाँ सुविवेचित व्याप्य और कार्य, व्यापक और कारणका उल्लेख नहीं कर सकते उसी तरह सुविवेचित शब्द अर्थका व्यभिचारी नहीं हो सकता। अतः अविश्ववादि श्रुतको अर्थमें प्रमाण मानना चाहिये। शब्दका विवक्षाके साथ कोई अविनाभाव नहीं है, क्योंकि शब्द, वर्ण या पद कही अवाचित अर्थको भी कहते हैं तथा कही वाचितको भी नहीं कहते। यदि शब्द विवक्षामात्रके वाचक हो तो शब्दोंमें सत्यत्व और मिथ्यात्वकी व्यवस्था न हो सकेगी, क्योंकि दोनों ही प्रकारके शब्द अपनी-अपनी विवक्षा का अनुमान कराते हैं। शब्दमें सत्यत्वव्यवस्था अर्थप्राप्तिके कारण होती है। विवक्षा रहते हुए भी मन्दबुद्धि शास्त्रव्याख्यानरूप शब्दका प्रयोग नहीं कर पाते तथा सुधृष्टादि अवस्थामें इच्छाके न रहनेपर भी शब्दप्रयोग देखा जाता है। अतः शब्दोंमें सत्यासत्यत्वव्यवस्थाके लिए उन्हें अर्थका वाचक मानना ही होगा।

श्रुतके भेद—श्रुतके तीन भेद हैं—१ प्रत्यक्षनिमित्तक, २ अनुमाननिमित्तक, ३ आगमनिमित्तक। प्रत्यक्षनिमित्तक—परोपदेशकी सहायता लेकर प्रत्यक्षसे होनेवाला। अनुमाननिमित्तक—परोपदेशके बिना केवल अनुमानसे होनेवाला। आगमनिमित्तक—मान परोपदेशसे होनेवाला। जैनतर्कवातिककारने परोपदेशज तथा लिङ्गनिमित्तक रूपसे द्विविध श्रुत स्वीकार करके अकलकके इस मतकी समालोचना की है।

शब्दका स्वरूप—शब्द पुद्गलकी पर्याय है। वह स्कन्ध रूप है, जैसे छाया और आतप। शब्द भीमांसकोंकी तरह नित्य नहीं हो सकता। शब्द यदि नित्य और व्यापक हो तो व्यञ्जक वायुजैसे एक जगह

उसकी अभिव्यक्ति होनेपर सभी जगह सभी वर्णोंकी अभिव्यक्ति होनेसे कोलाहल मच जायगा। संकेतके लिए भी शब्दको नित्य मानना आवश्यक नहीं है; क्योंकि अनित्य होनेपर भी सदृशशब्दमें संकेत होकर व्यवहार हो सकता है। 'स एवाय शब्दः' यह प्रत्यभिज्ञान शब्दके नित्य होनेके कारण नहीं होता किंतु तत्सदृश शब्दमें एकत्वाध्यवसाय करनेके कारण होता है। अतः यह एकत्वप्रत्यभिज्ञान भ्रान्त है। यदि इस तरह भ्रान्त प्रत्यभिज्ञानसे वस्तुओंमें एकत्व सिद्ध हो; तो बिजली आदि पदार्थ भी नित्य सिद्ध हो जायेंगे। शब्दकी उपादानभूत शब्दवर्णणाएँ इतनी सूक्ष्म हैं कि उनकी प्रत्यक्षसे उपलब्ध नहीं हो सकती। इसी तरह शब्दकी उत्तरपर्याय भी सूक्ष्म होनेसे अनुपलब्ध रहती है। क्रमसे उच्चरित शब्दोंमें ही पद, वाक्य आदि यज्ञाएँ होती हैं। यद्यपि शब्द सभी विधाओंमें उत्पन्न होते हैं पर उनमेंसे जो शब्द श्रोतके माध मन्त्रिकृष्ट होते हैं वही श्रोत्रके द्वारा सुने जाते हैं, अन्य नहीं। श्रोत्रको प्राप्यकारी कहकर अकलकदेवने बौद्धके 'श्रोत्रको भी वस्तु-रिन्द्रियकी तरह अप्राप्यकारी माननेके' सिद्धान्तका खण्डन किया है। इसतरह शब्द तात्वादिके सयोगसे उत्पन्न होता है और वह श्रावणमध्यस्वभाव है। इसीमें इच्छानुसार संकेन करनेसे अर्थबोध होता है।

वेदापीरूपेयत्व विचार—मीमांसक वेदको अपीरूपेय मानते हैं। उनका कहना है कि धर्ममें वेदवाक्य ही प्रमाण हो सकते हैं। चूँकि प्रत्यक्षसे अतीन्द्रिय पुण्यपापादि पदार्थोंके ज्ञानकी सम्भावना नहीं है, अतः अतीन्द्रिय धर्मादिका प्रतिपादक वेद किसी पुरुषकी कृति नहीं हो सकता। आज तक उसके कर्त्ताका स्मरण भी तो नहीं है। यदि कर्त्ता होता तो अवश्य ही उसका स्मरण होना चाहिए था। अतः वेद अपीरूपेय तथा अनादि है। अकलकदेवने श्रुतको परमात्मप्रतिपादित बताते हुए कहा है कि—जब आत्मा ज्ञानरूप है तथा उसके प्रतिबन्धक कर्म हट सकते हैं, तब उसे अतीन्द्रियादि पदार्थोंके जाननेमें क्या बाधा है? यदि ज्ञानमें अतिशय असम्भव ही हो, तो जैमिनि आदि को वेदार्थका पूर्ण परिज्ञान कैसे सम्भव होगा? सर्वत्र प्रमाणता कारणगुणोंके ही आधीन देखी जाती है। शब्दमें प्रमाणताका लानेवाला वक्ताका गुण है। यदि वेद अपीरूपेय है, तब तो उसकी प्रमाणता हो मन्दिबध रहेगी। जब अतीन्द्रियदर्शों एक भी पुरुष नहीं है, तब वेदका यथार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है? परम्परा तो मिथ्यार्थोंकी भी चल सकती है। यदि समस्तार्थज्ञानमें शका की जाती है, तब चंचल-इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें कैसे विश्वास किया जा सकता है? यदि अपीरूपेय वेद अपने अर्थका स्वतः विवरण करे, तब तो वेदके अगभूत आयुर्वेद आदिके परिज्ञानार्थ मनुष्योंका पठन-पाठनरूप प्रयत्न निष्फल ही हो जायगा। अतः मामग्रीके गुण-दोषसे ही प्रमाणता और अप्रमाणताका सम्बन्ध मानना चाहिए। शब्दकी प्रमाणताके लिए वक्ताका सम्यग्ज्ञान ही एकमात्र अकुश हो सकता है। जब वेदका कोई अतीन्द्रियार्थ-द्रष्टा नियामक नहीं है, तब उसके अर्थमें अन्वपरम्परा ही हुई। आज तक अनादिकाल बील चुका, ऐसा अनाप्त वेद नष्ट क्यों नहीं हुआ? अनादि माननेसे या कर्त्ताका स्मरण न होनेसे ही तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि लोकमें बहुतसे ऐसे स्मृच्छादिव्यवहार या गाली-गलौज आदि पाए जाते हैं, जिनके कर्त्ताका आज तक किसी को स्मरण नहीं है पर इतने मात्रसे वे प्रमाण तो नहीं माने जा सकते। इसलिए वेदके अर्थमें यथार्थताका नियामक अतीन्द्रियार्थदर्शों पुरुषविशेष ही मानना चाहिए। कर्त्ताका अस्मरणरूप हेतु जीर्ण लख्खहर, कुआ आदि चोजोमें, जिनके कर्त्ताका किसीको स्मरण नहीं है, अनैकान्तिक है। अतः सर्वज्ञप्रतिपादित आगमको ही अतीन्द्रियधर्म आदिमें भी प्रमाण मानना चाहिए। सर्वज्ञके माने बिना वेदकी प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती; क्योंकि अपीरूपेय वेदका व्याख्यान यदि रागी, द्वेषी और अज्ञानी पुरुष होगा तो उसके द्वारा किया गया व्याख्यान प्रमाणकोटिमें नहीं आ सकेगा। व्याख्याभेद होनेपर अन्तिम निर्णय तो धर्मादिके साक्षात्कर्त्ता का ही माना जा सकता है।

परपरिकल्पित प्रमाणान्तर्भाव—नैयायिक प्रसिद्ध अर्थके सादृश्यसे साध्यके साधनको—संज्ञासंज्ञि-

सम्बन्धज्ञानको उपमान कहते हैं। जैसे किसी नागरिकने यह सुना कि 'गौके सदृश गवय होता है।' यह जंगलमें गया। वहाँ गवयको देखकर उसमें गौसादृश्यका ज्ञान करके गवयसज्ञाका सम्बन्ध जोड़ता है और गवयशब्दका व्यवहार करता है। इसी संज्ञा-संज्ञिसम्बन्धज्ञानको उपमान प्रमाण कहते हैं। अकलकदेव इस ज्ञानका यथासम्भव अनुमान तथा प्रत्यभिज्ञानमें अतर्भाव करते हुए कहते हैं कि—यदि प्रसिद्धार्थका सादृश्य अविनाभावी रूपसे निर्णीत है तब तो वह लिगात्मक हो जायगा और उससे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान अनुमान कहलायगा। यदि अविनाभाव निर्णीत नहीं है, तो दर्शन और स्मरणपूर्वक सादृश्यात्मक सकलन होनेके कारण यह सादृश्यप्रत्यभिज्ञानमें ही अन्तर्भूत होगा। सादृश्यप्रत्यभिज्ञानमें अन्तर्भूत होनेपर भी यदि इस ज्ञानको स्वतंत्ररूपसे उपमान नामक प्रमाण मानोगे, तो भँसको देखकर 'यह गवय नहीं है' या 'यह गौसे विलक्षण है' इस विलक्षणज्ञानको किस प्रमाणरूप मानोगे? 'शाखादिवाला वृक्ष होता है' इस शब्दको सुनकर वैसे ही शाखादिमान् अर्थको देखकर 'वृधोऽयम्' इस ज्ञानको किस नामसे पुकारोगे? इसी तरह 'यह इससे पूर्वमें है, यह इससे पश्चिममें है', 'यह छाटा है, यह बड़ा है', 'यह दूर है, यह पास है', 'यह ऊँचा है, यह नीचा है', 'ये दो हैं, यह एक है' इत्यादि सभी ज्ञान उपमानसे पृथक् प्रमाण मानने हागे; क्योंकि उक्त ज्ञानोंमें प्रसिद्धार्थसादृश्यको तो गद्य भी नहीं है। अतः जिनमें दर्शन और स्मरण कारण हो उन सभी सकलनरूप ज्ञानोंको प्रत्यभिज्ञान कहना चाहिए, भले ही वह सकलन सादृश्य वैसदृश्य या एकत्वादि किसी भी विषयक क्यों न हो। उक्त सभी ज्ञान हितप्राप्ति, अहितपरिहार तथा उपेक्षाज्ञानरूप फलके उत्पादक होनेसे अप्रमाण तो कहे ही नहीं जा सकते।

मीमामक जिस साधनका साध्यके साथ अविनाभाव पहिले किसी सपक्षमें गृहीत नहीं है उस साधनसे तत्कालमें ही अविनाभाव ग्रहण करके होनेवाले साध्यज्ञानको अर्थापत्ति कहते हैं। इससे शक्ति आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंका भी ज्ञान किया जाता है। अकलकदेवने अर्थापत्तिको अनुमानमें अन्तर्भूत किया है; क्योंकि अविनाभावी एक अर्थसे दूसरे अर्थका ज्ञान अनुमान तथा अर्थापत्ति दोनोंमें समान है। सपक्षमें व्याप्तिका गृहीत होना या न होना प्रमाणान्तरताका प्रयोजक नहीं हो सकता। सम्भव नामका प्रमाण यदि अविनाभावप्रयुक्त है; तो उसका अनुमानमें अन्तर्भाव होगा। यदि अविनाभावप्रयुक्त नहीं है, तब तो वह प्रमाण ही नहीं हो सकता। ऐतिह्य नामका प्रमाण यदि आप्तोपदेशमूलक है, तो आगमनामक प्रमाणमें अन्तर्भूत होगा। यदि आप्तमूलत्व संदिग्ध है; तो वह प्रमाणकोटिमें नहीं आ सकता। अभाव नामका प्रमाण यथासम्भव प्रत्यक्ष, प्रत्यभिज्ञान तथा अनुमानादि प्रमाणोंमें अन्तर्भूत समझना चाहिए। इस तरह परपरिकल्पित प्रमाणोंका अतर्भाव होनेपर प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही मूल प्रमाण हो सकते हैं।

प्रमाणाभावात्—अविसर्वादि ज्ञान प्रमाण है, अतः विसर्वादि ज्ञान प्रमाणाभास होगा। यहाँ अकलकदेवकी एक दृष्टि विशेषरूपसे विचारणीय है। वे किसी ज्ञानको सर्वथा विसर्वादि नहीं कहते। वे कहते हैं कि—जो ज्ञान जिस अंशमें अविसर्वादि है, वह उस अंशमें प्रमाण तथा विसर्वादि-अंशमें अप्रमाण होगा। हम किसी भी ज्ञानको एकान्तसे प्रमाणाभास नहीं कह सकते। जैसे तिमिररोगीका द्विचन्द्रज्ञान चन्द्राशमें अविसर्वादी है तथा द्वित्वसंख्यामें विसर्वादी है, अतः इसे चन्द्राशमें प्रत्यक्ष तथा द्वित्वाशमें प्रत्यक्षाभास कहना चाहिए। इस तरह प्रमाण और प्रमाणाभासकी सकीर्ण स्थिति रहनेपर भी जहाँ अविसर्वादीकी प्रकर्षता हो वहाँ प्रमाण व्यपदेश तथा विसर्वादीकी प्रकर्षमें प्रमाणाभास व्यपदेश करना चाहिए। जैसे कस्तूरीमें रूप, रस आदि सभी गुण मौजूद हैं, पर गन्धकी प्रकर्षता होनेके कारण उसमें 'गन्धद्रव्य' व्यपदेश होता है।

ज्ञानके कारणोंका विचार—बौद्धके मतसे चार प्रत्ययोसे चित्त और चैत्तकी उत्पत्ति होती है—

१. समनन्तरप्रत्यय, २ अधिपतिप्रत्यय, ३ आलम्बनप्रत्यय, ४. सहकारिप्रत्यय । ज्ञानकी उत्पत्तिमें पृथक्ज्ञान समनन्तरकारण होता है, चक्षुरादि इन्द्रियाँ अधिपतिप्रत्यय होती हैं, पदार्थ आलम्बनप्रत्यय तथा आलोक आदि अन्य कारण सहकारिप्रत्यय होते हैं । इस तरह बौद्धकी दृष्टिसे ज्ञानके प्रति अर्थ तथा आलोक दोनों ही कारण हैं । उन्होने स्पष्ट लिखा है कि—‘नाकारण शिष्य’ अर्थात् जो ज्ञानका कारण नहीं होगा वह ज्ञानका विषय भी नहीं होगा । नैयायिकादि इन्द्रियायंसन्निकर्षको ज्ञानमें कारण मानते हैं अतः उनके मतसे सन्निकर्ष-व्यक्त-तया अर्थ भी ज्ञानका कारण है ही ।

अर्थकारणतानिरास—ज्ञान अर्थका कार्य नहीं हो सकता; क्योंकि ज्ञान तो मात्र इतना ही जानता है कि ‘यह अमूक अर्थ है’ । वह यह नहीं जानता कि ‘मैं इस अर्थसे उत्पन्न हुआ हूँ’ । यदि ज्ञान यह जानने लगे कि ‘मैं इस अर्थसे पैदा हुआ हूँ’, तब तो विवादको स्थान ही नहीं रहता । जब उत्पन्न ज्ञान अर्थके परिच्छेदमें व्यापार करता है तब वह अपने अन्य इन्द्रियादि उत्पादक कारणोकी सूचना स्वयं ही करता है; क्योंकि यदि ज्ञान उन्ही अर्थसे उत्पन्न हो जिसे वह जानता है, तब तो वह उस अर्थको जान ही नहीं सकेगा; क्योंकि अर्थकालमें तो ज्ञान अनुत्पन्न है तथा ज्ञानकालमें अर्थ विनष्ट हो चुका है । यदि ज्ञान अपने कारणोको जाने; तो उसे इन्द्रियादिककी भी जानना चाहिए । ज्ञानका अर्थके साथ अन्य और व्यतिरेक न होनेसे भी उनमें कारण-कार्यभाव नहीं हो सकता । संशयज्ञान अर्थके अभावमें भी हो जाता है । संशयज्ञानस्थलमें स्थाणु-पुरुषरूप दो अर्थ तो विद्यमान नहीं हैं । अर्थ या तो स्थाणुरूप होगा या पुरुषरूप । व्यभिचार—अन्यथा प्रतिभास बुद्धिगत धर्म है । जब मिथ्याज्ञानमें इन्द्रियगत—निमिरादि, विषयगत—आशुभ्रमणादि, बाह्य-नौका-यें यात्रा करना आदि तथा आत्मगत—वातपित्तादितन्त्र शोभ आदि दोष कारण होते हैं; तब तो अर्थको हेतुता अपने ही आप व्यर्थ हो जाती है । मिथ्याज्ञान यदि इन्द्रियोकी दृष्टतासे होता है, तो सत्यज्ञानमें भी इन्द्रिय-गत निर्दोषता ही कारण होगी । अतः इन्द्रिय और मनको ही ज्ञानमें कारण मानना चाहिए । अर्थ तो ज्ञानका विषय ही हो सकता है, कारण नहीं ।

अन्य कारणोंसे उत्पन्न बुद्धिके द्वारा सन्निकर्षका निश्चय होता है, सन्निकर्षसे बुद्धिका निश्चय तो नहीं देखा जाता । सन्निकर्षप्रविष्ट अर्थके साथ ज्ञानका कार्यकारणभाव तब निश्चित हो सकेगा, जब सन्निकर्षप्रविष्ट आत्मा, मन, इन्द्रिय आदि किसी एक ज्ञानके विषय हो । पर आत्मा, मन और इन्द्रियाँ तो अतीन्द्रिय हैं, अतः पदार्थके साथ होनेवाला इनका सन्निकर्ष भी अतीन्द्रिय होगा और जब वह विद्यमान रहते हुए भी अप्रत्यक्ष है, तब उसे ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण कैसे माना जाय ? ज्ञान अर्थको तो जानता है, पर अर्थमें रहनेवाली स्व-कारणताको नहीं जानता । ज्ञान जब अतीत और अनागत पदार्थोंको जो ज्ञानकालमें अविद्यमान है, जानता है; तब तो अर्थकी ज्ञानके प्रति कारणता अपने आप निःसार सिद्ध हो जाती है । देखो—कामलादि रोगवालेको शुक्लशूलमें अविद्यमान पीलेपनका ज्ञान होता है । मरणोन्मुख व्यक्तिको अर्थके रहने-पर भी ज्ञान नहीं होता या विपरीतज्ञान होता है ।

अधिक अर्थ तो ज्ञानके प्रति कारण ही हो नहीं सकता, क्योंकि जब वह अधिक होनेसे कार्यकाल तक नहीं पहुँचता तब उसे कारण कैसे कहा जाय ? अर्थके होंपर उसके कालमें ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तथा अर्थके अभावमें ही ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ज्ञान अर्थका कार्य कैसे माना जाय ? कार्य और कारण एक साथ तो रह ही नहीं सकते । यह कहना भी ठीक नहीं है कि—“यद्यपि अर्थ नष्ट हो चुका है पर वह अपना आकार ज्ञानमें समर्पित कर चुकनेके कारण ग्राह्य होता है । पदार्थमें यही ग्राह्यता है कि—वह ज्ञानको उत्पन्न कर उसमें अपना आहार अर्पण करे ।” क्योंकि ज्ञान अमूर्त है वह मूर्त अर्थके प्रतिबिम्बको कारण नहीं कर सकता । मूर्त अर्थात् यिनमें ही मुखादिका प्रतिबिम्ब आता है, अमूर्तमें मूर्तका नहीं । यदि

पदार्थसे उत्पन्न होनेके कारण ज्ञानमें विषयप्रतिनियम हो; तो जब इन्द्रिय आदिसे भी घटज्ञान उत्पन्न होता है तब उसे घटकी तरह इन्द्रिय आदिको भी विषय करना चाहिये। तदाकारतासे विषयप्रतिनियम माननेपर एक अर्थका ज्ञान करनेपर उसी आकारवाले यावत् समान अर्थका परिज्ञान होना चाहिए। तदुत्पत्ति और तदाकारता मिलकर यदि विषयनियामक हों; तो घटज्ञानसे उत्पन्न द्वितीय घटज्ञानको, जिसमें पूर्वज्ञानका आकार है तथा जो पूर्वज्ञानसे उत्पन्न भी हुआ है, अपने उपादानभूत पूर्वज्ञानको जानना चाहिये। पर बौद्धिके सिद्धान्तानुसार 'ज्ञान ज्ञानस्य न नियामकम्'—ज्ञान ज्ञानका नियामक नहीं होता। तत्कथ्यवसाय (अनुकूल विकल्पका उत्पन्न होना) से भी वस्तुका प्रतिनियम नहीं होता; क्योंकि शुक्लशंखमें होनेवाले पीताकारज्ञानसे उत्पन्न द्वितीयज्ञानमें तदध्यवसाय देखा जाता है पर नियामकता नहीं है। अतः अपने-अपने कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले अर्थ और ज्ञानमें परिच्छेद-परिच्छेदकभाव-विषय-विषयिभाव होता है। जैसे दीपक अपने नैलादि कारणोंसे प्रज्वलित होकर भिट्टी आदिसे उत्पन्न होनेवाले घटादिको प्रकाशित करता है, उसीतरह इन्द्रिय तथा मन आदि कारणोंसे उत्पन्न ज्ञान अपने कारणोंसे उत्पन्न अर्थको जानेगा। जैसे 'देवदत्त काठको छेदता है' यहाँ अपने-अपने कारणोंसे उत्पन्न देवदत्त तथा काष्ठमें कर्तुं-कर्मभाव है उसी तरह स्व-स्वकारणोंसे समुत्पन्न ज्ञेय और ज्ञानमें ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव होता है। जैसे लदानसे निकली हुई मलयुक्त मणि अनेक शाण आदि कारणोंसे तरतम-न्यूनाधिकरूपसे निर्मल एव स्वच्छ होती है उसी तरह कर्मयुक्त आत्माका ज्ञान अपनी विशुद्धिके अनुसार तरतमरूपसे प्रकाशमान होता है, और अपनी क्षयोपशमरूप योग्यताके अनुसार पदार्थोंको जानता है। अतः अर्थको ज्ञानमें कारण नहीं माना जा सकता।

आलोककारणतानिरास—आलोकज्ञानका विषय आलोक होता है, अतः वह ज्ञानका कारण नहीं हो सकता। जो ज्ञानका विषय होता है वह ज्ञानका कारण नहीं होता जैसे अन्धकार। आलोकका ज्ञानके माथ अन्वय-व्यतिरेक न होनेसे भी वह ज्ञानका कारण नहीं कहा जा सकता। यदि आलोक ज्ञानका कारण हो तो उसके अभावमें ज्ञान नहीं होना चाहिये, पर अन्धकारका ज्ञान आलोकके अभावमें ही होता है। नक्त-ञ्चररात्रिचारी उल्लू आदिको आलोकके अभावमें ही ज्ञान होता है तथा उसके सद्भावमें नहीं। 'आलोकके अभावमें अन्धकारकी तरह अन्य पदार्थ क्यों नहीं दिखते' इस शंकाका उत्तर यह है कि—अन्धकार अन्य पदार्थोंका निरोध करनेवाला है, अतः आलोकके अभावमें निरोध करनेवाला अन्धकार तो दिखता है पर उससे निरुद्ध अन्य पदार्थ नहीं। जैसे एक महाघटके नीचे दो चार छोटे घट रखे हो, तो महाघटके दिखनेपर भी उसके नीचे रखे हुए छोटे घट नहीं दिखते। अन्धकार ज्ञानका विषय है अतः वह ज्ञानका आवरण भी नहीं माना जा सकता। ज्ञानका आवरण तो ज्ञानावरण कर्म ही हो सकता है। इसीके क्षयोपशमकी तरतमतासे ज्ञानके विकासमें तारतम्य होता है। अतः आलोकके साथ ज्ञानका अन्वय-व्यतिरेक न होनेसे आलोक भी ज्ञानका कारण नहीं हो सकता। अर्थात् आलोककारणताविषयक अकलंकके इन विचारोंका उत्तरकालीन माणिक्यमन्त्रि आदि आचार्योंने प्रायः उन्हींके ही शब्दोंमें अनुसरण किया है।

प्रमाणका फल—प्रशस्तपादभाष्य तथा न्यायभाष्यादिमें हान, उपादान एवं उपेक्षाबुद्धिको प्रमाणका फल कहा है। समन्तभद्र, पूज्यपाद आदिने अज्ञाननिवृत्तिका भी प्रमाणके अभिन्न फलरूपसे प्रकल्पन किया है। अकलंकदेव अज्ञाननिवृत्तिके विधिपरकल्पतरुनिर्णयका तथा हान, उपादान, उपेक्षाबुद्धिके साथ ही परिनि-क्षेयसका भी प्रमाणके फलरूपसे कथन करते हैं। केवलज्ञान बीतराग योगिमेंकि होता है अतः उनमें रागद्वेष-जन्म हानोपादानका संभव ही नहीं है, इसलिये केवलज्ञानका फल अज्ञाननिवृत्ति और उपेक्षाबुद्धि है। इनमें अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका साक्षात् फल है, शेष परम्परासे।

२. ब्रह्मेवमित्युच्यते

प्रमाणका विषय—यद्यपि अकलंकदेवने प्रमाणके विषयका निरूपण करते समय लघीयस्तरमें द्रव्य-पर्यायात्मक अर्थको ही प्रमेय बताया है, पर न्यायविनिश्चयमें उन्होंने द्रव्य-पर्यायके साथ ही साथ सामान्य और विशेष ये दो पद भी प्रयुक्त किए हैं। वस्तुमें दो प्रकारका अस्तित्व है—? स्वरूपास्तित्व, २. मादुष्यास्तित्व। एक द्रव्यको पर्यायोको दूसरे मजातीय या विजातीय द्रव्यसे असङ्कीर्ण रखनेवाला स्वरूपास्तित्व है। जैसे एक शाबलेय गी की हर एक अवस्थामें 'शाबलेय शाबलेय' व्यवहार करानेवाला तत्-शाबलेयत्व। इससे एक शाबलेय गौर्व्यक्तिकी पर्यायें अन्य सजातीय शाबलेयादि गौर्व्यक्तियोंसे तथा विजातीय अथवादिव्यक्तियोंसे अपनी पृथक् सत्ता रखती हैं। इसीको जैन द्रव्य, ध्रौव्य, अन्वय, ऊर्ध्वतासामान्य आदि शब्दोंसे व्यवहृत करते हैं। मालूम तो ऐसा होता है कि बौद्धोंने मन्तानशब्दका प्रयोग ठीक इसी अर्थमें किया है। इसी स्वरूपास्तित्वको विषय करनेवाला 'यह वही है' यह एकत्वप्रत्यभिज्ञान होता है। अपनी भिन्न-भिन्न सत्ता रखनेवाले पदार्थोंमें अनुगतव्यवहार करानेवाला सादृश्यास्तित्व है। जैसे भिन्न-भिन्न गौर्व्यक्तियोंमें 'गी गी' इस अनुगत-व्यवहारको करानेवाला साधारण गोत्व। इसे तिर्यक् सामान्य कहते हैं। गौत्वादि जातियाँ सदृशपरिणाम रूप ही हैं; नित्य एक तथा निरश नहीं हैं। एक द्रव्यको पूर्वोत्तर पर्यायोंमें व्यावृत्तप्रत्यय पर्यायरूप विशेषके निमित्तसे होता है। भिन्न सत्ता रखनेवाले दो द्रव्योंमें विलक्षणप्रत्यय व्यतिरेकरूप विशेष (द्रव्यगतमेव) से होता है। इस तरह दो प्रकारके सामान्य तथा दो प्रकारके विशेषसे युक्त वस्तु प्रमाणका विषय होती है। ऐसी ही वस्तु सत् है। मत्का लक्षण है—उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यसे युक्त होना। सत्को ही द्रव्य कहते हैं। उत्पाद और व्यय पर्यायोंकी दृष्टिसे हैं जब कि ध्रौव्य गुणकी दृष्टिसे। अतः द्रव्यका गुण-पर्यायवत्त्व लक्षण भी किया गया है। द्रव्य एक अखंड तत्त्व है। वह सयुक्त या रासायनिक मिश्रणसे तैयार न होकर मौलिक है। उसमें भेदव्यवहार करनेके लिए देश, देशांश तथा गुण, गुणांशकी कल्पना की जाती है। ज्ञान अखण्डद्रव्यको ग्रहण भले ही कर ले, पर उसका व्यवहार तो एक-एक धर्मके द्वारा ही होता है। इन व्यवहारार्थ कल्पित धर्मोंको गुण शब्दसे कहते हैं। वैशेषिकोंकी तरह गुण कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। द्रव्यके सहभावी अंश गुण कहलाते हैं, तथा क्रमसे होनेवाले परिणमन पर्याय कहलाते हैं। इस तरह अखण्ड मौलिक तत्त्वकी दृष्टिसे वस्तु नित्य होकर भी क्रमिक परिणमनकी अपेक्षासे अनित्य है। नित्यका तात्पर्य इतना ही है कि—वस्तु प्रतिक्षण परिणमन करने हुए भी अपने स्वरूपास्तित्वको नहीं छोड़ सकती। कितना भी विलक्षण क्यों न हो जीव कभी भी पुद्गलरूप नहीं हो सकता। इस असाकार्यका निवामक ही द्रव्याश है। मारुत्यके अपरिणामी कृट्य नित्य पुरुषकी तरह नित्यता यहाँ विवक्षित नहीं है और न बौद्धकी तरह सर्वथा अनित्यता ही, जिससे वस्तु सर्वथा अपरिणामी तथा पूर्वक्षण और उत्तरक्षण सर्वथा अनन्वित रह जाते हैं।

ध्रौव्य और सन्तान—यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि—जिस प्रकार जैन एक द्रव्याश मानते हैं उसी तरह बौद्ध मन्तान मानते हैं। प्रत्येक परमाणु प्रतिक्षण अपनी अर्थपर्याय रूपसे परिणमन करता है, उसमें ऐसा कोई भी स्थायी अंश नहीं बचता जो द्वितीय क्षणमें पर्यायके रूपमें न बदलता हो। यदि यह माना जाय कि उसका कोई एक अंश बिल्कुल अपरिवर्तनशील रहता है और कुछ अंश सर्वथा परिवर्तनशील; तब तो नित्य तथा क्षणिक दोनों पक्षोंमें विद्द जानेवाले दोष ऐसी वस्तुमें आर्थोंमें। कथञ्चित्तादात्म्य सम्बन्ध माननेके कारण पर्यायोंके परिवर्तित होनेपर भी अपरिवर्तिष्णु कोई अंश ही नहीं सकता। अन्यथा उच्च अपरिवर्तिष्णु अंशसे तादात्म्य रखनेके कारण शेष अंश भी अपरिवर्तनशील ही होगा। इस तरह कोई एक ही मार्ग पकड़ना होगा—या तो वस्तु बिल्कुल नित्य मानी जाय या बिल्कुल परिवर्तनशील—चेतन भी अचेतन-रूपसे परिणमन करनेवाली। इन दोनों अन्तिम सीमाओंके मध्यका ही वह मार्ग है जिसे हम द्रव्य कहते हैं।

जो न बिलकुल अपरिवर्तनशील है और न इतना विलक्षण परिवर्तन करनेवाला जिससे अचेतन भी अपनी अचेतनत्वकी सीमाको लाँचकर चेतन बन जाए, या दूसरे अचेतन द्रव्यरूप हो जाय। अथवा एक चेतन दूसरे मजातीय चेतनरूप या विजातीय अचेतनरूप हो जाय। उसकी मीबे शब्दोंमें यही परिभाषा हो सकती है कि किसी एक द्रव्यके प्रतिक्षणमें परिणमन करनेपर भी जिसके कारण उसका दूसरे सजातीय या विजातीय द्रव्यरूपसे परिणमन नहीं होता, उस स्वरूपास्तित्वका ही नाम द्रव्य, द्रौढ्य या गुण है। बौद्धके द्वारा माने गए सन्तानका भी यही कार्य है कि—वह नियत पूर्वक्षणका नियत उत्तरक्षणके साथ ही कार्य-कारणभाव बनाता है क्षणान्तरसे नहीं। तात्पर्य यह कि इस सन्तानके कारण एक चेतनक्षण अपनी उत्तर चेतनक्षणपर्यायिका ही कारण होगा, विजातीय अचेतनक्षणका और सजातीय चेतनान्तरक्षणका नहीं। इस तरह तात्त्विक दृष्टिसे द्रव्य या सन्तानके कार्य या उपयोगमें कोई अन्तर नहीं है। हाँ, अन्तर है तो केवल उमके शाब्दिक स्वरूपनिरूपणमें। बौद्ध उस सन्तानको काल्पनिक कहते हैं, जब कि जैन उम श्रव्यावाको पर्याय क्षणकी तरह वास्तविक कहते हैं। सदा कूटस्थ अविचारो नित्य अर्थमें तो जैन भी उसे वस्तु नहीं कहते। सन्तानको समझानेके लिए बौद्धोंने यह दृष्टान्त दिया है कि—जैसे दस आदमी एक लाइनमें खड़े हैं पर उनमें पक्ति जैसी कोई एक अनुस्यूत वस्तु नहीं है, उसी तरह क्रमिक पर्यायोंमें कूटस्थ नित्य कोई द्रव्याद्य नहीं है। पर इस दृष्टान्तकी स्थितिसे द्रव्यकी स्थिति कुछ विलक्षण प्रकार की है। यद्यपि यहाँ दश भिन्नसत्ताक पुरुषोंमें पक्ति नामकी कोई स्थायी वस्तु नहीं है फिर भी पक्तिका व्यवहार हो जाता है। पर एक द्रव्यकी क्रमिक पर्यायों दूसरे द्रव्यकी पर्यायोंसे किसी स्वरूपास्तित्वरूप तात्त्विक अशके माने बिना असक्रान्त नहीं रह सकती। यहाँ एक पुरुष चाहे तो इस पक्तिसे निकलकर दूसरो पक्तिमें शामिल हो सकता है। पर कोई भी पर्याय चाहनेपर भी दूसरे सजातीय या विजातीय द्रव्यकी पर्यायसे सक्रान्त नहीं हो सकती और अपने द्रव्यमें भी अपना क्रम छोड़कर न आगे जा सकता है और न पीछे। अतः द्रव्याद्यमात्र पक्ति एव सेना आदिकी तरह बुद्धिकल्पित नहीं है किन्तु क्षणकी तरह सत्य है। इस तरह द्रव्यपर्यायात्मक—उत्पाद-व्यय-ध्रौढ्यात्मक वस्तु अर्थक्रियाकारी है, सर्वथा क्षणिक तथा सर्वथा नित्य वस्तु अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकती।

बौद्ध सत्का लक्षण अर्थक्रियाकारित्व करते हैं। अर्थक्रिया दो प्रकारसे होती है—१. क्रमसे, २. योग-पद्यरूप से। उनका कहना है कि नित्य वस्तु न क्रमसे ही अर्थक्रिया कर सकती है और न युगपत्। अतः अर्थ-क्रियाकारित्व रूप सत्त्वके अभावमें वह असत् ही सिद्ध होती है। नित्य वस्तु सदा एकरूप रहती है, अतः जब वह समर्थ होनेसे सभी कार्योंको युगपत् उत्पन्न कर देगी, तब कार्योंमें भेद नहीं हो सकेगा; क्योंकि कार्योंमें भेद कारणके भेदसे होता है। जब कारण एक एवं अपरिवर्तनशील है तब कार्यभेदका वहाँ अवसर ही नहीं है। यदि वह युगपत् अर्थक्रिया करे; तो सभी कार्य एक ही क्षणमें उत्पन्न हो जायेंगे, तब दूसरे क्षणमें नित्य अकिञ्चित्कर ठहरेगा। इस तरह क्रमयोगपद्यसे अर्थक्रियाका विरोध होनेसे नित्य असत् है।

अकलंकदेव कहते हैं कि—यदि नित्यमें अर्थक्रिया नहीं बनती तो सर्वथा क्षणिकमें भी तो उसके धनमेंकी गुजाइश नहीं है। क्षणिकवस्तु एकक्षण तक ही ठहरती है, अतः जो जिस देश तथा जिस कालमें है वह उसी देश तथा कालमें नष्ट हो जाती है। इसलिये जब वह देशान्तर या कालान्तर तक किसी भी रूपमें नहीं जाती तब देशकृत या कालकृत क्रम उसमें नहीं आ सकता, अतः उसमें क्रमसे अर्थक्रिया नहीं बनेगी। निरंश होनेसे उसमें एक साथ अनेकस्वभाव तो रहेंगे ही नहीं; अतः युगपत् भी अनेक कार्य कैसे हो सकते हैं ? एक स्वभावसे तो एक ही कार्य हो सकेगा। कारणमें नाना शक्तियाँ माने बिना कार्योंमें नानात्व नहीं आ सकता। इस तरह सर्वथा क्षणिक तथा नित्य दोनों वस्तुओंमें अर्थक्रिया नहीं हो सकती। अर्थक्रिया तो

उभयात्मक—नित्यानित्यात्मक वस्तुमें ही संभव है। क्षणिकमें अन्वित रूप नहीं है तथा नित्यमें उत्पाद और भ्रम्य नहीं है। उभयात्मक वस्तुमें ही क्रम, योगपद्य तथा अनेक शक्तियाँ संभव हैं।

अर्थनिरूपणके प्रसंगमें अकलकने विभ्रमवाद, संवेदनाद्वैतवाद, परमाणुरूपअर्थवाद, अवयवसे भिन्न अवयवविवाद, अन्यापोह्यत्मक सामान्यवाद, नित्यैकसर्वगत-सामान्यवाद, प्रसंगसे भूतचैतन्यवाद आदिका समालोचन किया है। जिसका सार यह है—

विभ्रमवाद निराम—स्वप्नादि विभ्रमकी तरह समस्त ज्ञान विभ्रम है। जिस प्रकार स्वप्नमें या जादूके खेलमें अथवा भ्रगतृष्णामें अनेकी पदार्थ सत्यरूपसे प्रतिभासित तो होते हैं, पर उनकी वहाँ कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, मात्र प्रतिभाम ही प्रतिभास होता है, उमी तरह घट-पटादि ज्ञानोके विषयभूत घट-पटादि अर्थ भी अपनी पारमाथिक सत्ता नहीं रखने। अनादिकालीन विकल्पवासनाके विचित्र परिपाकसे ही अनेकानेक अर्थ प्रतिभासित होते हैं। वस्तुतः वे सब विभ्रमरूप ही हैं। इनके मतसे किसी भी अर्थ और ज्ञानकी सत्ता नहीं है, जितना ब्राह्म-ग्राहकाकार है वह सब भ्रान्त है। इसका खडन करने हुए अकलकदेवने लिखा है कि—‘स्वप्नादि विभ्रमको तरह समस्त ज्ञान विभ्रम रूप है’ इस वाक्यका अर्थ विभ्रम रूप है, कि सत्य ? यदि उक्त वाक्यका अर्थ विभ्रम—मिथ्या है, तब तो सभी अर्थोंकी सत्ता अविभ्रम-सत्य सिद्ध हो जायगी। यदि उक्त वाक्यका अर्थ सत्य है, तो समस्त वस्तुएँ विभ्रमात्मक कहाँ हुईं ? कम-से-कम उक्त वाक्यका अर्थ तो स्वरूप सत् हुआ। इसी तरह अन्य वस्तुएँ भी स्वरूप सत् सिद्ध होंगी।

संवेदनाद्वैतवाद निरसन—ज्ञानाद्वैतवादीमात्र ज्ञानकी ही वास्तविक सत्ता मानते हैं बाह्यार्थकी नहीं। ज्ञान ही अनादिकालीन विकल्पवासनाके कारण अनेकाकार अर्थरूपसे प्रतिभासित होता है। जैसे इन्द्र-जाल गन्धर्वनगर आदिमें अविद्यमान भी आकार प्रतिभासित होते हैं उमी तरह ज्ञानसे भिन्न घटादि पदार्थ अपनी प्रातिभासिकी सत्ता रखने हैं पारमाथिकी नहीं। इसी अभिन्नज्ञानमें प्रमाण-प्रमेय आदि भेद कल्पित होते हैं, अतः यह ब्राह्म-ग्राहकरूपसे प्रतिभासित होता है।

इसकी समालोचना करने हुए अकलकदेव लिखते हैं कि—तथोक्त अद्वयज्ञान स्वतः प्रतिभासित होता है, या परत ? यदि स्वतः प्रतिभासित हो, तब तो विवाद ही नहीं होना चाहिए। आपकी तरह ब्रह्मवादी भी अपने ब्रह्मका भी स्वतः प्रतिभाम ही तो कहने हैं। परत प्रतिभास तो परके बिना नहीं हो सकता। परकी स्वीकार करनेपर द्वैतप्रसंग होगा। इन्द्रजालदृष्ट पदार्थ तथा बाह्यसत् पदार्थोंमें इतना मोटा भेद है कि उसमें स्त्रियाँ तथा ढोर चरानेवाले ग्वाले आदि मूडजन भी भ्रान्त नहो हो सकने। वे बाह्यसत्य पदार्थोंको प्राप्तकर अपनी आकाशाएँ शांत कर मनोपका अनुभव करते हैं जब कि इन्द्रजालदृष्ट पदार्थोंसे कोई अर्थकिया या सत्त्वोपानुभव नहो होना। वे तो प्रतिभासकालमें ही अमत् मालूम होते हैं। अद्वयज्ञानवादियोंको प्रतिभासकी सामथी-प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार आदि तो मानना ही चाहिए, अन्यथा प्रतिभास कैसे हो सकेगा ? अद्वयज्ञानमें अर्थ-अनर्थ, तन्म-अतन्म आदिकी व्यवस्था न होनेसे तद्ग्राही जानोमें प्रमाणता या अप्रमाणता भी निश्चित नहीं की जा सकेगी। पर्वतादि बाह्य पदार्थोंको विकल्पवासनाप्रसूत कहनेसे उनमें मूर्तत्व, स्थूलत्व, सप्रतिषत्व आदि धर्म कैसे संभव हो सकने हैं ? यदि विद्यादि पदार्थ बाह्यसत् नहीं हैं केवल ज्ञानरूप ही हैं; तब उनके खानेसे मृत्यु आदि कैसे हो जाते हैं ? विषके ज्ञानमात्रसे तो मृत्यु नहीं देखी जाती। प्रतिपाद्यरूप आत्मान्तरकी सत्ता माने बिना शास्त्रोपदेश आदिका क्या उपयोग होगा ? जब परप्रतिपत्तिके उपायभूत बचन ही नहीं हैं; तब परप्रतिपादन कैसे संभव है ? इसी तरह ब्राह्म-ग्राहकभाव, बाध्य-बाधकभाव आदि अद्वैतके बाधक हैं। अद्वयसिद्धिके लिए साध्य-साधनभाव तो आपको मानना ही चाहिए; अन्यथा सद्दोष-

कम्बनियम आदि हेतुओंसे अद्वयसिद्धि कैसे करोगे ? सहोपलम्बनियम—अर्थ और ज्ञान दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं अतः अर्थ और ज्ञान अभिन्न है, जैसे द्विचन्द्रज्ञानमें प्रतिभासित होनेवाले दो चन्द्र वस्तुतः पृथक् सत्ता नहीं रखते, किन्तु एक ही हैं। यह अनुमान भी संवेदनाद्वैतकी सिद्धि करनेमें असमर्थ है। अतः सहोपलम्ब हेतु विरुद्ध है—'धिष्यते साथ गुरु आया' इस प्रयोगमें सहोपलम्बनियम भेद होनेपर ही देखा गया है। ज्ञान अन्तरंगमें चेतनाकारतया तथा अर्थ बाह्य देशमें जडरूपसे देखा जाता है अतः उनका सहोपलम्बनियम असिद्ध है। बाह्यसत् एकचन्द्रके स्वीकार किए बिना द्विचन्द्र दृष्टान्त भी नहीं बन सकता। सहोपलम्बनियमका भेदके साथ कोई विरोध नहीं होनेके कारण वह अनैकान्तिक भी है।

ज्ञानाद्वैतवादी बाह्यपदार्थके अस्तित्वमें निम्न बाधक उपस्थित करते हैं कि—एक परमाणु अन्य-परमाणुओंसे एकदोसरे संयोग करेगा, या सर्वात्मना ? एकदोसरे संयोग माननेपर छह परमाणुओंसे संयोग करनेवाले परमाणुके छह देश हो जायेंगे। सर्वात्मना संयोग माननेपर परमाणुओंका पिण्ड एकपरमाणुरूप हो जायगा। इसी तरह अवयवी अपने अवयवोंमें एकदोसरे रहेगा, या सर्वात्मना ? एकदोसरे रहनेपर अवयवीके उतने ही देश मानने होंगे जितने कि अवयव हैं। सर्वात्मना प्रत्येक अवयवमें रहनेपर जितने अवयव हैं उतने ही अवयवी हो जायेंगे। अवयवी यदि निरंश है, तो रक्ताणु, चलाचल आदि विरुद्धपदोंका अध्यास होनेसे उसमें भेद ही जायगा। इत्यादि।

अकलकदेवने इनका समाधान संक्षेपमें यह किया है कि—जिस तरह एक ज्ञान अपने प्राण, प्राणिक और सविदाकारसे तादात्म्य रखकर भी एक रहता है, उसी तरह अवयवी अपने अवयवोंमें कश्चित्तादात्म्य सम्बन्धसे रहनेपर भी एक ही रहेगा। अवयवोंसे संबंधा भिन्न अवयवी तो जैन भी नहीं मानते। परमाणुओंमें परस्पर स्निग्धता और रूक्षताके कारण एक ऐसा विलक्षण सम्बन्ध होता है जिससे स्कन्ध बनता है। अतः ज्ञानके अतिरिक्त बाह्यपदार्थकी सत्ता मानना ही चाहिए, क्योंकि संसारके समस्त व्यवहार बाह्यसत् पदार्थोंसे चलते हैं, केवल ज्ञानमात्रसे नहीं।

परमाणुसंचयवाद निरास—सौत्रान्तिक ज्ञानसे अतिरिक्त बाह्यार्थ मानते हैं, पर वे बाह्यार्थको स्थिर, स्थूलरूप नहीं मानकर क्षणिक परमाणुरूप मानते हैं। परमाणुओंका पुंज ही अत्यन्त आमन्न होनेके कारण स्थूलरूपसे मालूम होता है। जैसे पृथक् स्थित अनेक वृक्ष दूरसे एक स्थूलरूपमें प्रतिभासित होते हैं। अकलकदेव इसका खंडन करते हुए लिखते हैं कि—जब प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है और वह अपने परमाणुत्वको छोड़कर स्कन्ध अवस्थामें नहीं आता तब उनका समुदाय प्रत्यक्षका विषय कैसे हो सकेगा ? अतीन्द्रिय वस्तुओंका समुदाय भी अपनी अतीन्द्रियता-मूढमता छोड़कर स्थूलता धारण किए बिना इन्द्रियगम्य नहीं हो सकता।

भिन्नअवयवविवाद निरास—नैयायिक अवयवीको अवयवोंसे भिन्न मानकर भी उसकी अवयवोंमें समवायसम्बन्धसे वृत्ति मानते हैं। वे अवयवीको निरंश एव नित्य स्वीकार करते हैं। अकलकदेव कहते हैं कि—अवयवोंसे भिन्न कोई अवयवी प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय नहीं होता। 'वृक्षमें शाखाएँ हैं' यह प्रतिभास तो होता है पर 'शाखाओंमें वृक्ष हैं' यह एक निराली हों कल्पना है। यदि अवयवी अतिरिक्त हो; तो एक-एक छटाक वजनवाले चार अवयवोंसे बने हुए स्कन्धमें अवयवोंके चार छटाक वजनके अतिरिक्त कुछ अवयवीका भी वजन जाना चाहिये। अवयव तथा अवयवीका रूप भी पृथक्-पृथक् विज्ञाना चाहिए। निरंश अवयवीके एक देशको रेंगनेपर पूरा अवयवी रेंगा जाना चाहिए। उसके एक देशमें क्रिया होनेपर समस्त अवयवीमें क्रिया होना चाहिये। उसके एक देशका आवरण होनेपर पूरे अवयवीको आवृत हो जाना

चाहिए। इस तरह विरुद्ध धर्मोंका अध्यास होनेसे उसमें एकत्व नहीं रह सकता। अत अवयवोत्ति सर्वथा भिन्न अवयवी किसी भी तरह प्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकता। इसलिये प्रतीतिके अनुसार अवयवोत्ति कश्चिद्भिन्न—अवयवरूप ही अवयवी मानना चाहिए।

इस तरह गुण-पर्यायबाला, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक पदार्थ ही प्रमाणका विषय होता है। गुण सह-भाषी तथा पर्यायों क्रमभाषी होते हैं। जैसे भेदज्ञानसे वस्तुके उत्पाद और व्ययकी प्रतीति होती है उसी तरह अभेदज्ञानसे स्थिति भी प्रतिभासित होती ही है। जिस प्रकार सर्प अपनी सीधी, टेडी, उत्पण, विफण आदि अवस्थाओंमें अनुस्यूत एक सत् है उसी तरह उत्पन्न और विलीन होनेवाली पर्यायोमें द्रव्य अनुगत रहता है। अभिन्न प्रतिभास होनेसे वस्तु एक है। विरुद्ध धर्मोंका अध्यास होनेसे अनेक है। वस्तु अमूक स्थूल अंशसे प्रत्यक्ष होनेपर भी अपनी सूक्ष्मपर्यायोकी अपेक्षासे अप्रत्यक्ष रहती है। वस्तु के ध्रौव्य अंशके कारण ही 'स एवाधम' यह प्रत्यभिज्ञान होता है। उपादानोपादेयभाव भी ध्रौव्याशके माननेपर ही बन सकता है। वस्तु जिस रूपसे उत्तरपर्यायोमें अन्वित होगी उसी रूपसे उसमें उपादानताका निश्चय होता है। यद्यपि शब्दादिका उपादान तथा आगे होनेवाला उपादेयमूल कार्य प्रत्यक्षगोचर नहीं है, तथापि उसकी अन्वेषणवर्ती सत्ता ही उसके उपादानका तथा आगे होनेवाले उपादेयरूप कार्यका अनुमान कराती है; क्योंकि उपादानके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तथा मध्यक्षण यदि आगे कोई कार्य न करेगा, तो वह अर्थक्रियाकारित्वके अभावमें अवस्तु ही हो जायगा। अत द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु ही प्रमाणाका विषय हो सकती है।

सामान्य—नैयायिक-बौद्धिक नित्य, एक, सर्वगत सामान्य मानते हैं, जो स्वतन्त्र पदार्थ होकर भी द्रव्य, गुण और कर्ममें समवायसम्बन्धसे रहता है। भीमासक ऐसे ही सामान्यका व्यक्तित्वे तादात्म्य मानते हैं। बौद्ध सामान्यको वस्तुभूत न मानकर उसे अतद्द्रवावृत्ति या अन्यापोहरूप स्वीकार करते हैं। जैन सदृश परिणमनको सामान्य कहते हैं। वे उसे अनेकानुगत न कहकर व्यक्तित्वरूप मानते हैं। वह व्यक्तिकी तरह अनित्य तथा असर्वगत है। अकलकदेवने सामान्यका स्वरूप वर्णन करते हुए इतर मतोंकी आलोचना इस प्रकार की है—

नित्य-सामान्यनिरास—नित्य, एक, निरक्ष सामान्य यदि सर्वगत है; तो उसे प्रत्येक व्यक्तित्वे खंडित रहना होगा; क्योंकि एक ही वस्तु अनेक जगह युगपत् सर्वात्मना नहीं रह सकती। नित्य निरक्ष सामान्य जिस समय एक व्यक्तित्वे प्रकट होता है, उसी समय उसे सर्वत्र-व्यक्तित्वे अन्तरालमें भी प्रकट होना चाहिये। अन्यथा व्यक्त और अव्यक्तरूपसे स्वरूपभेद होनेपर अनित्यत्व एवं मांशात्वका प्रसंग होगा। जिस तरह सामान्य, विशेष और समवाय भिन्न सत्ताके समवायके बिना भी स्वत. सत् है उसी तरह द्रव्य, गुण और कर्म भी स्वत सत् होकर 'सत् सत्' ऐसा अनुगत व्यवहार भी करा सकते हैं। अत द्रव्यादिके स्वरूपसे अतिरिक्त सामान्य न मानकर सदृशपरिणामरूप ही सामान्य मानना चाहिए।

अन्यापोह निरास—बौद्ध सामान्यको अन्यापोहरूप मानते हैं। इनके मतसे कोई भी एक वस्तु अनेक आधारोंमें वृत्ति ही नहीं रख सकती, अत अनेक आधारोंमें वृत्ति रखनेवाला सामान्य असत् है। सामान्य अनुगत व्यवहारके लिए माना जाता है। उनका कहना है कि—हमलोगोंको परस्पर विभिन्न वस्तुओंके देखनेके बाद जो बुद्धिमें अभेदका भाव होता है, उसी बुद्धिमें प्रतिबिम्बित अभेदका नाम सामान्य है। यह बुद्धिप्रतिबिम्बित अभेद भी कोई बिध्यात्मक धर्म नहीं है, किन्तु अतद्द्रवावृत्तिरूप है। जिन व्यक्तियोंमें अमनुष्यव्यावृत्ति पाई जाती है उनमें 'मनुष्य मनुष्य' व्यक्तित्व किया जाता है। जैसे बस्तु, आलोक और रूप आदि पदार्थ परस्परमें अत्यन्त भिन्न होकर भी अल्पज्ञानजननव्यावृत्ति होनेके कारण रूपज्ञानजनकरूपसे

समान व्यवहारों का कारण हो जाते हैं, उन्हीं तरह परस्परमें अखन्त भिन्न मनुष्यव्यक्तियाँ भी अमनुष्यव्यावृत्तिके कारण 'मनुष्य मनुष्य' ऐसा समान व्यवहार कर सकेंगी। इसी तरह अतत्कार्य-कारणव्यावृत्तिते अनुगत व्यवहार होता है। प्रकृत मनुष्यव्यक्तियाँ मनुष्यके कारणोंसे उत्पन्न हुई हैं तथा मनुष्यके कार्योंको करती हैं, अतः उनमें अमनुष्यकारणव्यावृत्ति तथा अमनुष्यकार्यव्यावृत्ति बाई जाती है, इसीसे उनमें किसी वस्तुभूत सामान्यके बिना भी सदृश व्यवहार हो जाता है।

अकलंकदेव इसका लंडन करते हैं कि—सदृशपरिणामरूप विध्यात्मक सामान्यके माने बिना अपोह-का नियम ही नहीं हो सकता। जब एक शाबलेय गौव्यक्ति दूसरी बाहुलेय गौव्यक्ति से उतनी ही भिन्न है जितनी कि एक अश्वव्यक्तिते, तब क्या कारण है कि अश्वव्यावृत्ति शाबलेय और बाहुलेयमें ही 'गौ गौ' ऐसा अनुगत व्यवहार करती है अश्व में नहीं? अतः यह जानना होगा कि शाबलेय गौ बाहुलेय गौसे उतनी भिन्न नहीं है जितनी अश्वसे, अर्थात् शाबलेय और बाहुलेयमें कोई ऐसा सादृश्य है जो अश्वमें नहीं पाया जाता। इसलिए सदृश परिणाम ही समान व्यवहारका नियामक हो सकता है। यह तो हम प्रत्यक्षसे ही देखते हैं कि—कोई वस्तु किसीसे समान है तथा किसीसे विलक्षण। बुद्धि समानधर्मोंकी अपेक्षासे अनुगत व्यवहार कराती है, तथा विलक्षण धर्मोंकी अपेक्षासे विसदृश व्यवहार। पर वह समानधर्म विध्यात्मक है निषेधात्मक नहीं। बौद्ध जब स्वयं अपरापरअणोमें सादृश्यके कारण ही एकत्वका भान मानते हैं, शुक्तिा और चाँदीमें सादृश्यके कारण ही भ्रमोत्पत्ति स्वीकार करते हैं; तब अनुगत व्यवहारके लिए अतदव्यावृत्ति जैसी निषेधमूली कल्पनासे क्या लाभ? क्योंकि उसका निर्बाह भी आखिर सदृश-परिणामके ही आधोन आ पडता है। बुद्धिमें अभेदका प्रतिबिम्ब वस्तुगत सदृश धर्मके माने बिना यथार्थता नहीं पा सकता। अतः सदृशपरिणामरूप ही सामान्य मानना चाहिए। इस तरह अकलंकदेवने सदृशपरिणामरूप तिर्यक्सामान्य, एकद्रव्यरूप उच्चतासामान्य, भिन्नद्रव्योमें विलक्षण व्यवहारका प्रयोजक विशेष और एक द्रव्यकी दो पर्यायो-में भेद व्यवहार करानेवाले पर्याय इन द्रव्य, पर्याय, सामान्य और विशेष चार पदोका उपादान करके प्रमाण-के विषयभूत पदार्थकी सम्पूर्णताका प्रतिपादन किया है।

भूतचैतन्यवाद निराम—बाबाकका सिद्धान्त है कि—जीव कोई स्वतन्त्र मौलिक तत्त्व नहीं है किन्तु पृथिवी, जल, अग्नि और वायुके अमुक प्रमाणमें विलक्षण रासायनिक मिश्रणसे ही उन्हीं पृथिव्यादिमें चैतन्यशक्ति आविर्भूत हो जाती है। इसी ज्ञानशक्तिविशिष्ट भूत-शरीरमें जीव व्यवहार होता है। जिस प्रकार कोबो, महुआ आदिमें जलादिका मिश्रण होनेसे मविरा तैयार हो जाती है उसी तरह जीव एक रासायनिक मिश्रणसे बना हुआ संयुक्त-द्रव्य है स्वतन्त्र अखण्ड मूल-द्रव्य नहीं है। उस मिश्रणमेंसे अमुक तत्त्वकी कमी होने-पर जीवनीशक्तिके नष्ट होनेपर मृत्यु हो जाती है। अतः जीव गर्भसे लेकर मृत्युपर्यन्त ही रहता है, परलोक तक जानेवाला नहीं है। उसको शरीरके साथ ही साथ क्या शरीरके पहिले ही इतिथी हो जाती है, शरीर तो मृत्युके बाद भी पड़ा रहता है। "जलदुग्धदवज्जीवा., मवशक्तिवद्विज्ञानम्"—जलके बुद्बुदोकी तरह जीव तथा महुआ आदिमें मायकशक्तिकी तरह ज्ञान उत्पन्न होता है—वे उनके मूल सिद्धान्तसूत्र हैं।

अकलंकदेव इसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं कि—यदि आत्मा-जीव स्वतन्त्र मूल-तत्त्व न हो तो संसार और मोक्ष किसे होया? शरीरावस्थाको प्राप्य पृथिव्यादि भूत तो इस लोकमें ही भस्मीभूत हो जाते हैं, परलोक तक कौन जायगा? परलोकका अभाव तो नहीं किया जा सकता; क्योंकि आज भी बहुत लोग आतिस्मरण होनेसे अपने पूर्वभवकी तथ्यस्थितिका आँसोवेला हाल वर्णन करते हुए देखे जाते हैं। यज्ञ, राक्षस, भूत पिशाचादि पर्यायोंमें कहुँके हुए व्यक्ति अपनी वर्तमान तथा अतीतकालीन पूर्वपर्यायका समस्त

वृत्तात् सुनाते हैं। जन्म लेते ही नवजातशिशुको मत्ति दूध पीनेकी अभिलाषा होती है। यह अभिलाषा पूर्वानुभावके बिना नहीं हो सकती; क्योंकि अभिलाषा पूर्वदृष्ट पदार्थकी सुखसाधनताका स्मरण करके होती है। अतः पूर्वानुभवका स्थान परलोक मानना चाहिये। "गर्भमे मत्ति द्वारा उपभूक्त भोजनादिसे बने हुए अमृक विलक्षण रसविशेषके ग्रहण करनेसे नवजातशिशुको जन्म लेते ही दुग्धपानकी ओर प्रवृत्ति होती है" यह कल्पना नितान्त युक्तिविरुद्ध है; क्योंकि गर्भमें रसविशेषके ग्रहण करनेसे ही यदि अभिलाषा होती है तो गर्भमें एक मास रहनेवाले, एक साध ही रसविशेषको ग्रहण करनेवाले युगल पुत्रोंमें परस्पर प्रत्यभिज्ञान एव अभिलाषा होनी चाहिए, एकके द्वारा अनुभूत वस्तुका दूसरेको स्मरण होना चाहिए। प्रत्येक पृथिवी आदि भूतमें तो श्वेतव्यशक्तिका आविर्भाव नहीं देखा जाता अतः समस्तभूतोंके अमृक मिश्रणमें ही जब एक विलक्षण अतीन्द्रिय स्वभावसिद्ध शक्ति माननी पड़ती है तब ऐसे विलक्षणशक्तिशाली अतीन्द्रिय आत्मतत्त्वके माननेमें ही क्या बाधा है? ज्ञान प्राणयुक्त शरीरका भी धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अन्धकारमें शरीरका प्रत्यक्ष न होनेपर भी 'अहं ज्ञानवान्' इस प्रकारसे ज्ञानका अन्त मानसप्रत्यक्ष होता है। यदि ज्ञानरूपसे शरीरका ग्रहण होता; तो कदाचित् ज्ञान शरीरका धर्म माना जाता। दूसरा व्यक्ति अपने नेत्रोंसे हमारे शरीरका ज्ञान कर लेता है पर शरीरके रूपादिकी तरह वह हमारे ज्ञानका ज्ञान नहीं कर सकता। शरीरमें विकार होनेपर भी बुद्धिमें विकार नहीं देखा जाता, शरीरकी पुष्टि या कमजोरीमें ज्ञानकी पुष्टि या कमजोरी नहीं देखी जाती, शरीरके अतिशय बलवान् होनेके साथ ही साथ बुद्धिबल बढ़ता हुआ नहीं देखा जाता, इत्यादि कारणोंसे यह सुनिश्चित है कि—ज्ञान शरीरका गुण नहीं है। ज्ञान, सुख आदि इन्द्रियोंके भी धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियोंकी अनुपयुक्त दशामें मनसे ही 'मैं सुखी हूँ' मैं 'दुःखी हूँ' यह मानस प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है। चक्षुरादि इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट हो जानेपर भी मानस स्मरणज्ञान देखा जाता है। अतः जीवनशक्ति या शाश्वत भूतका गुण या पर्याय नहीं हो सकती, वह तो आत्माकी ही पर्याय है। यह जीव ज्ञान-दर्शनादि उपयोगवाला है। सुषुप्तादि अवस्थाओंमें भी इसका ज्ञान नष्ट नहीं होता। अकलकदेवने 'सुषुप्तादौ बुद्ध' इस पदका उपादान करके प्रज्ञाकरगुप्त आदिके 'सुषुप्तावस्थामें ज्ञान नष्ट या तिरोहित हो जाता है' इस सिद्धान्तका खडन किया है। यह आत्मा प्राणादिको धारण करके जीता है इसलिए जीव कहलाता है। जीव स्वयं अपने कर्मोंका कर्ता तथा भोक्ता है। वही रागादिभावोंसे कर्मबन्धन करता है तथा बीतराग-परिणामोंसे कर्मबन्धन तोड़कर मुक्त हो जाता है। यह न तो सर्वव्यापी है और न बटदीजकी तरह अणुरूप ही, किन्तु अपने उपातशरीरके परिमाणानुसार मध्यम-परिमाणवाला है। कर्मसम्बन्धके कारण प्रदेशोंके संकोच-विस्तार होनेसे छोटे-बड़े शरीरके परिमाण होता रहता है।

गुण—इसी प्रसंगमें गुण और गुणिके सर्वथा भेदका खण्डन करते हुए लिखा कि—अर्थात् अनेकधर्मरूपक है। उसका अखण्डरूपसे ग्रहण करना कदाचित् संभव है, पर कथन या व्यवहार तो उसके किसी खास रूप-धर्मसे ही होता है। इसी व्यवहाराध्य भेदरूपसे विवक्षित धर्मको गुण कहते हैं। गुण द्रव्यका ही परिणामन है, वह स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। चूंकि गुण पदार्थके धर्म हैं अतः ये स्वयं निर्गुण-गुणशून्य होते हैं। यदि गुण स्वतन्त्र पदार्थ माना जाय और वह भी द्रव्यसे सर्वथा भिन्न, तो 'अमृकगुण-ज्ञान अमृकगुणी-आत्मा'में ही रहता है पृथिव्यादिमें नहीं। इसका नियामक कौन होगा? इसका नियामक तो यही है कि—ज्ञानका आत्मासे ही कर्षचित्तादात्म्य है अतः वह आत्मामें ही रहता है पृथिव्यादिमें नहीं। वैशेषिकके मतमें 'एक गन्ध, दो रूप' आदि प्रयोग नहीं हो सकेंगे, क्योंकि गन्ध, रूप तथा सख्या आदि सभी गुण हैं, और गुण स्वयं निर्गुण होते हैं। यदि आश्रयभूत द्रव्यकी संख्याका एकार्थममवाय सम्बन्धके कारण रूपादिमें उपचार करके 'एक गन्ध'

इम प्रयोगका निर्वाह किया जायगा; 'तो एक द्रव्यमे रूपादि बहुत गुण है' यह प्रयोग असंभव हो जायगा; क्योंकि रूपादि बहुत गुणोंके आश्रयभूत द्रव्यमें तो एकत्वसंख्या है बहुत्वसंख्या नहीं। अतः गुणको स्वतन्त्र पदार्थ न मानकर द्रव्यका ही धर्म मानना चाहिए। धर्म अपने आश्रयभूत धर्मोंकी अपेक्षामें धर्म होनेपर भी अपनेमें रहनेवाले अन्य धर्मोंकी अपेक्षासे धर्मों भी हो जाता है। जैसे रूपगुण आश्रयभूत घटकी अपेक्षासे यद्यपि धर्म है पर अपनेमें पाये जानेवाले एकत्व, प्रमेयत्व आदि धर्मोंकी अपेक्षा धर्मों हैं। अतः जैन सिद्धान्तमें धर्म-धर्मिभावके अनियत होनेके कारण 'एक गन्ध दो रूप' आदि प्रयोग बड़ी आसानीसे बच जाते हैं। इति।

३. नयनिरूपण

जैनदृष्टिका आधार और स्थान—भारतीय सस्कृति मुख्यत दो भागोंमें बाँटी जा सकती है—एक वैदिक सस्कृति और दूसरी उसके मुकाबिलेमें खड़ी हुई श्रमणसस्कृति। वैदिकसस्कृतिके आधारभूत वेदको प्रमाण माननेवाले न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, पूर्वमीमांसा तथा औपनिषद आदि दर्शन हैं। श्रमणसस्कृतिके शिलाधार वेदको प्रमाणनाका विरोध करनेवाले बौद्ध और जैनदर्शन हैं। वैदिकदर्शन तथा वैदिकसस्कृतिके प्राणप्रतिष्ठानमें विचारोंकी प्रधानता है। श्रमणसस्कृति एवं अवैदिक दर्शनोंकी उत्पत्ति आचारशोधनके प्रामुख्यसे हुई है। सभी दर्शनोंका अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है, और गौण या मुख्यरूपसे तत्त्वज्ञानकी मोक्षका साधन भी मन्वने माना ही है। वैदिक संस्कृति तथा वैदिकदर्शनोंकी प्राणप्रतिष्ठा, सबद्धन एवं प्रौढीकरणमें बुद्धिजीवी ब्राह्मणवर्गने पुस्तैनी प्रयत्न किया है जो आजतक न्यूनाधिक रूपमें चालू है। यही कारण है कि वैदिकदर्शनका कोषागार, उनकी सूक्ष्मता, तलस्पर्शिता, भावप्राहिता एवं पराकाष्ठाको प्राप्त कल्पनाओंका कोटिकम अपनी सानो कम रखना है। परम्परागत-बुद्धिजीवित्वशाली ब्राह्मणवर्गने अपनी सारी शक्ति कल्पना-जालका विकास करके वेदप्रामाण्यके समर्थन में लगाई और वैदिकक्रियाकाण्डोंके द्वारा गर्भसे लेकर मरण पर्यन्तके जीवनके प्रत्येकक्षणको इनना ओतप्रोत कर दिया जिससे मुकाबिलेमें खड़ी होनेवाली बौद्ध और जैनसंस्कृति भी पीछे जाकर इन क्रियाकाण्डोंसे अज्ञत पराभूत हो गई।

श्रमणसस्कृति वैदिक क्रियाकाण्ड, खासकर धर्मके नामपर होनेवाले अजामेध, अश्वमेध, नरमेध आदि हिमाकाण्डका तात्त्विक एवं क्रियात्मक विरोध करनेके लिए उद्भूत हुई, और उसने इस क्षेत्रमें पर्याप्त सफलता भी पाई। श्रमणसस्कृतिका आधार पूर्णरूपसे अहिंसा रही है। अहिंसाका वास्तविक रूप तो सचमुच आचारगत ही है। अहिंसाका विचार तो वैदिकदर्शनोंमें भी काफी किया है पर विशिष्ट अषडादोंके साथ। श्रमणसस्कृति अहिंसाका सक्रिय रूप थी। इस अहिंसाकी साधना तथा पूर्णताके लिए ही इसमें तत्त्वज्ञानका उपयोग हुआ, जब कि वैदिक सस्कृतिमें तत्त्वज्ञान साध्यरूपमें रहा है।

बौद्धदृष्टि—बुद्ध अहिंसाकी साधनाके लिए प्रारम्भमें छह वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। जब उनका भावुक चित्त तपस्याकी उपातसे ऊब जाता है, तब वे विचार करते हैं कि—इतनी दीर्घतपस्याके बाद भी मुझे बोधिलाम क्यों नहीं हुआ? यही उनकी तीक्ष्णदृष्टि 'मध्यम प्रतिपदा' को पकड़ लेनी है। वे निश्चय करते हैं कि—यदि एक ओर वैदिक हिंसा तथा विषय भोग आदिके द्वारा शरीरके पोषणका बोलबाला है तो इस ओर भी अव्यवहार्य अहिंसा तथा भीषण कामक्लेशके द्वारा होनेवाला शरीरका शोषण हृदयकी कोमलभावनाओंके स्रोतको ही बन्द किए देता है। अतः इन दोनोंके मध्यका ही मार्ग सर्वसाधारणको व्यवहार्य हो सकता है। आन्तरिक शुद्धिके लिए ही बाह्य उग्रतपस्याका उपयोग होना चाहिए, जिससे बाह्यतप ही हमारा साध्य न बन जाय। दयालु बुद्ध इस मध्यममार्ग द्वारा अपने आचारकों मुहु बनाते हैं और बोधिलाम कर जगत्में मूहु-अहिंसाका सन्देश फैलाने हैं। तात्पर्य यह कि—बुद्धने अपने आचारकी मूहुता-

के सभाषानके लिए 'मध्यमप्रतिपदा' का उपयोग किया। इस तत्त्वका उपयोग बुद्धने आखिर तक आचारके ही क्षेत्र तक सीमित रखा, उसे विचारके क्षेत्रमें दाखिल करनेका प्रयत्न नहीं हुआ। जब बोधिलाम करनेके बाद संघरचनका प्रश्न आया, शिष्यपरिवार दीक्षित होने लगा तथा उपदेशपरम्परा चालू हुई, तब भी बुद्धने किसी आत्मादि अतीन्द्रिय पदार्थका तात्त्विक विवेचन नहीं किया, किन्तु अपने द्वारा अनुभूत दुःख निवृत्तिके मार्गका ही उपदेश दिया। जब कोई शिष्य उनसे आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थके विषयमें प्रश्न करता था तो वे स्पष्ट कह देते थे कि—'आवुस! तुम इन आत्मा आदिको जानकर क्या करोगे? इनके जाननेसे कोई फायदा नहीं है। तुम्हें तो दुःखसे छूटना है, अतः दुःख, समुदय—दुःखके कारण निरोध-दुःखनिवृत्ति और मार्ग—दुःखनिवृत्तिका उपाय इन चार आयंसत्योको जानना चाहिए तथा आचरण कर बोधिलाम करना चाहिए।' उन्हें बुद्धिजोवी ब्राह्मण वर्गकी तरह बँटेठाले अनन्त कल्पनाजाल रचके दर्शनशास्त्र बनानेके बजाय अहिंसाकी आशिक साधना ही श्रेयस्कर मालूम होती थी। यही कारण है कि—बं दशनशास्त्रीय आत्मादि पदार्थोंके तत्त्वविवेचनके झगड़ेको निरूपयोगी समझकर उसमें नहीं पड़े। और उन्होंने अपनी मध्यम-प्रतिपदाका उपयोग उस समयके प्रचलितवादोके समन्वयमें नहीं किया। उस समय आत्मादि पदार्थोंके विषयमें अनेको वाद प्रचलित थे। कोई उसे कूटस्थ नित्य मानता था तो कोई उसे भूतविकारमात्र, कोई व्यापक कहना था तो कोई अणुरूप। पर बुद्ध इन सब वादोके खंडन-मडनसे कोई सरोकार ही न रखते थे, वे तो केवल अहिंसाकी साधनाकी ही रट लगाए हुए थे।

पर जब कोई शिष्य अपने आचरण तथा संघके नियमोंमें मृदुता लानेके लिए उनके मामले अपनी कठिनाइयाँ पेश करता था कि—'भन्ते! आजकल वर्षाकाल है, एक सघाटक-चीवर रखनेसे तो वह पानीमें भीग जाता है, और उससे शीतकी बाधा होती है। अतः दो चीवर रखनेकी अनुज्ञा दी जाय। हमें बाहिर स्नान करते हुए लोक-लाजका अनुभव होता है, अतः जन्ताघर (स्नानगृह) बनानेकी अनुज्ञा दी जाय इत्यादि' तब बुद्धका मातृहृदय अपने प्यारे बच्चेकी कठिनाइयाँ सुनकर तुरन्त पमीज जाता था। वे यहाँ अपनी 'मध्यमप्रतिपदा' का उपयोग करते हैं और उनकी कठिनाइयाँ हल करनेके लिए उन्हें अनुज्ञा दे देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि—बुद्धकी मध्यमप्रतिपदा केवल आचारकी समाधानीके लिए उपयुक्त होती थी, वह आचारका व्यवहारसे व्यवहार्य मार्ग हूँदती थी। उसने विचारके अपरिमित क्षेत्रमें अपना कार्य बहुत कम किया।

जब बुद्धने स्वयं 'मध्यमप्रतिपदा' विचारके क्षेत्रमें दाखिल नहीं किया तब उत्तरकालीन बौद्धाचार्योंसे तो इसकी आशा ही नहीं की जा सकती थी। बुद्धके उपदेशोंमें आए हुए क्षणिक, निरात्मक, विभ्रम, परमाणुपुञ्ज, विज्ञान, शून्य आदि एक-एक शब्दको लेकर उत्तरकालीन बौद्धाचार्योंने अनन्त कल्पनाजालसे क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, विभ्रमवाद, विज्ञानवान, शून्यवाद आदि वादोको जन्म देकर दर्शनक्षेत्रमें बड़ा भारी तूफान मचा दिया। यह तूफान मामूली नहीं था, इससे वैदिक दर्शनोकी चिरकालीन परम्परा काँप उठी थी। बुद्धने तो मार-काम विजयके लिए, विषय-कषायोको शान्तकर चित्त बोधनके लिए जगत्को जलबुद्बुदकी तरह क्षणिक-विनाशशील कहा था। निरात्मक शब्दका प्रयोग तो इसलिए था कि—'यह जगत् आत्मस्वरूपसे भिन्न है, नित्य कूटस्थ कोई आत्मा नहीं है जिसमें राग किया जाय, जगत्में आत्माका हितकारक कुछ नहीं है' आदि समझकर जगत्से विरक्ति हो। संसारको स्वप्नकी तरह विभ्रम एव शून्य भी इसीलिए कहा था कि—उससे चित्तको हटाकर चित्तको विशुद्ध किया जाय। स्त्री आदि रागके साधन पदार्थोंको एक, नित्य, स्थूल, अमृक संस्थानवाली, वस्तु समझकर उसके मुख आदि अवयवोका दर्शन-स्पर्शनकर रागद्वेषादिकी अमरवेले फूलती है। यदि उन्हें स्थूल अवयवी न समझकर परमाणुओका पुञ्ज ही समझा जायगा तो जैसे

मिट्टीके डेल्लेमे हूमे राग नही होता उसी तरह स्त्री आदिसे विरक्त होनेमे चित्तको मदद मिलेगी। इन्ही पवित्र मुमुक्षुभावनाओको सुभावित करनेके लिए कश्गामय बुद्धके हृदयप्राही उपदेश होते थे। उत्तरकालमे इन मुमुक्षुभावनाओका लक्ष्य यद्यपि वही रहा पर समर्थनका ढंग बदला। उसमे परपक्षका जोरोसे खडन शुरू हुआ तथा बुद्धिकल्पित विकल्पजालोसे बहुविध पन्थो और ग्रन्थोका निर्माण हुआ। इन बुद्धिवाच्यभवशाली आचार्योंने बुद्धकी उम मध्यमप्रतिपदाका इस नए क्षेत्रमे जरा भी उपयोग नही किया। मध्यमप्रतिपदा शब्दका अपने ढंगसे शाब्दिक आदर ता किया पर उसके प्राणभूत समन्वयके तत्वका बुरी तरह कचूरम निकाल डाला। विज्ञानवादियोने मध्यमप्रतिपदाको विज्ञानस्वरूप कहा तो विभ्रमवादियोने उसे विभ्रमरूप। शून्यवादियोने तो मध्यमप्रतिपदाको शून्यताका पर्यायवाची ही लिख दिया है—

“मध्यमा प्रतिपत् सैव सर्वधर्मनिरात्मता। भूतकोटिश्च सैवैव तथता सर्वशून्यता।”

—अर्थात् सर्वशून्यताको ही सर्वधर्मनैरात्म्य तथा मध्यमा प्रतिपत् कहते हैं। यही वास्तविक तथा तथ्यरूप है।

इन अहिंसाके पुजारियोने मध्यमप्रतिपदाके द्वारा वैदिक सस्कृतिका समन्वय न करके उसपर ऐकान्तिक प्रहार कर पारस्परिक मनोमालिन्य-रहितताको ही उत्तेजन दिया। इससे वैदिक सस्कृति तथा बौद्ध सस्कृतिके बीच एक ऐसी अमेध दीवार खड़ी हो गई जिसने केवल दार्शनिक क्षेत्रमें ही नहीं किन्तु राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रमें भी दोनोंको सदाके लिए आत्यन्तिक विभक्त कर दिया। इसके फलस्वरूप प्राणोंकी वागो लगाकर अनेकों शास्त्रार्थ हुए तथा राजनैतिक जीवनमें इस कालकूटने प्रवेशकर अनेको राजवंशोका मत्यानाश किया। उत्तरकालमे बौद्धाचार्योंने मन्त्र-तन्त्रोकी साधना इसी हिसाके उत्तेजनके लिए की और आखिर इमी हिमाज्वालासे भारतवर्षमें बौद्धोका अस्तित्व लाकमे मिल गया। यदि मध्यमा प्रतिपदने इन दार्शनिक क्षेत्रमें भी अपना पुनीत प्रकाश फैलाया होता तो आज उसकी अहिंसक किरणोसे दर्शनशास्त्रका कुछ दूसरा ही रूप हुआ होता, और भारतवर्षका मध्यकालीन इतिहास सचमुच स्वर्णाक्षरोमे लिखा जाने लायक होता।

जैनदृष्टि—भगवान् महावीर अत्यन्त कठिन तपस्या करनेवाले तप शूर थे। इन्होंने अपनी उग्र तपस्यामे कैवल्य प्राप्त किया। ये इनने दृढ़तपस्वी तथा कष्टसहिष्णु व्यक्ति थे कि इन्हे बुद्धकी तरह अपनी व्यक्तिगत तपस्यामे मुदुता लानेके लिए मध्यममार्गके उपयोगकी आवश्यकता ही नहीं हुई। इनकी साधना कायिक अहिंसाके मूकमपालनके माध ही माध बाचनिक और खामकर मानस अहिंसाकी पूर्णताकी दिशामे थी। भगवान् महावीर पितृचेतस्क व्यक्ति थे, अतः उनका आचारके नियमोमे अत्यन्त दृढ़ एवं अनुशासनप्रिय होना स्वाभाविक था। पर संघमे तो पंचमेल व्यक्ति दीक्षित होते थे। सभी तो उपमार्गके द्वारा साधना करनेमें समर्थ नही हो सकते थे अतः इन्होंने अपनी अनेकान्तदृष्टिसे आचारके दर्जे निश्चित कर चतुर्विधसघका निर्माण किया। और प्रत्येक कक्षाके योग्य आचारके नियम स्थिरकर उनके पालन करानेमें डिलाई नही की। भग० महावीरकी अनेकान्तदृष्टिने इस तरह आचारके क्षेत्रमें सुदृढ़ संघनिर्माण करके तत्त्वज्ञानके क्षेत्रमें भी अपना पुनीत प्रकाश फैलाया।

अनेकान्तदृष्टिका आधार—भगवान् महावीरने बुद्धकी तरह आत्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोंके स्वरूप-निरूपणमे मौन धारण नही किया; किन्तु उस समयके प्रचलित वादोंका समन्वय करनेवाला वस्तुस्वरूपस्पर्शी उत्तर दिया कि—आत्मा है भी, नहीं भी, नित्य भी, अनित्य भी, आदि। यह अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन

उनकी मानसी अहिंसाका प्रतिफल है। अन्यथा वे बुद्धकी तरह इन चर्चाको अनुपयोगी कह सकने थे। कायिक अहिंसाके लिए जिस तरह व्यक्तिगत सम्भ्याचार आवश्यक हैं, उसी तरह वाचनिक और खासकर मानस अहिंसाके लिए अनेकान्तदृष्टि विशेषरूपसे उपामनीय है। जब तक दो विभिन्न विचारोका अनेकान्तदृष्टिसे वस्तुस्थितिके आधारपर समीकरण न होगा तब तक हृदयमें उनका अन्तर्द्वन्द्व चलता ही रहेगा, और उन विचारोके प्रयोजकोके प्रति राग-द्वेषका भाव जाग्रत् हुए बिना न रहेगा। इस मानस अहिंसाके बिना केवल बाह्य अहिंसा याचितकमडनरूप ही है। यह तो और भी कठिन है कि—'किंगी वस्तुके विषयमें दो मनुष्य दो विरुद्ध धारणाएँ रखते हो, और उनका अपने-अपने ढंगमें समर्थन ही नहीं उमकी मिट्टिके लिए वाद-विवाद भी करते हो, फिर भी वे एक दूसरेके प्रति समताभाव-मानस अहिंसा रख सकें।' भगवान् महावीरने इसी मानसशुद्धिके लिए, अनिर्वचनीय अखण्ड अनन्तधर्मा वस्तुके एक-एक अशको ग्रहण करके भी पूर्णताका अभिमान करनेके कारण विरुद्धरूपसे भासमान अनेक दृष्टियोका समन्वय करनेवाली, विचारोका वास्तविक समझौता करानेवाली, पुण्यरूपा अनेकान्तदृष्टिको मानने रखा। जिसमें एक वादी उतरवादियोकी दृष्टिका तत्त्व समझकर उनका उचित अश तक आदर करे, उमके विचारोके प्रति महिष्णताका परिचय दे, और राग-द्वेषविहीन हो शान्त चित्तसे वस्तुके पूर्णस्वरूप तक पहुँचनेकी दिशामें प्रयत्न करे। समाजरचना या सघनिर्माणमें तो इस तत्त्वकी खास आवश्यकता थी। मघमें तो विभिन्न मध्प्रदाय एव विचारोके चित्रविचित्र व्यक्ति दीक्षित होते थे। उनका समीकरण इम यथार्थदृष्टिके बिना कर सकना अत्यन्त कठिन था, और समन्वय किए बिना उनके चित्तकी स्थिरता मभव ही नहीं थी। ऊपरी एकीकरणमें तो कभी भी विस्फोट हो सकता था और इम तरह अनेको सघ छिन-भिन्न हुए भी।

अनेकान्तदृष्टिके मूलमें यह तत्त्व है कि—वस्तु स्वरूपत अनिर्वचनीय है, अनन्तधर्मोका एक अखण्ड पिण्ड है। वचन उसके पूर्ण स्वरूपकी ओर इशारा तो कर सकने है, पर उमें पूर्णरूपसे कह नहीं सकते। लिहाजा एक ही वस्तुको विभिन्न व्यक्ति अपने-अपने दृष्टिकोणोसे देखते हैं तथा उनका निरूपण करते हैं। इसलिये यदि विरोध भासित हो सकता है तो एक-एक अशको ग्रहण करके भी अपनेमें पूर्णताका अभिमान करनेवाली दृष्टियों ही। जब हम एक अशको जाननेवाली अपनी दृष्टिमें णताका अभिमान कर बैठेगे तो सहज ही द्वितीय अशको जानकर भी पूर्णताभिमानिनी दूसरी दृष्टि उमसे टकराएगी। यदि अनेकान्तदृष्टिसे हमें यह मालूम हो जाय कि—ये सब दृष्टियाँ वस्तुके एक-एक धर्मोको ग्रहण करनेवाली है, इनमें पूर्णताका अभिमान मिथ्या है तब स्वरमत द्वितीय दृष्टिको, जो अभी तक विरुद्ध भासित होती थी, उचित स्थान एव आदर मिल जायगा। इसीको आचार्योंने शास्त्रीय शब्दोमें कहा है कि—'एकान्त वस्तुगत धर्म नहीं है, किन्तु बुद्धिगत है। अत बुद्धिके गुड होते ही एकान्तका नामोनिशान भी नहीं रहेगा।' इसी मन्मव्यात्मक दृष्टिसे होनेवाला वचनव्यवहार स्याद्वाद कहलाता है। यह अनेकान्त-वाहिणी दृष्टि प्रमाण कही जाती है। जो दृष्टि वस्तुके एक धर्मको ग्रहण करके भी इतरधर्मवाहिणी दृष्टियोका प्रतिक्षेप नहीं करके उन्हें उचित स्थान दे वह नय कहलाती है। इस तरह मानस अहिंसाके कार्य-कारणभूत अनेकान्तदृष्टिके निर्वाह एव विस्तारके लिए स्याद्वाद, नयवाद, सप्तभगी आदि विविध रूपोमें उत्तरकालीन आचार्योंने खूब लिखा। उन्होने उदारतापूर्वक यहाँ तक लिखा है कि—'समस्त मिथ्यकान्तोका समूह ही अनेकान्त है, समस्त पाखण्डोके समुदाय अनेकान्तकी जय हो।' यद्यपि पातञ्जलदर्शन, भास्कोरीयवेदान्त, भाट्ट आदि दर्शनोमें भी इस समन्वयदृष्टिका उपयोग हुआ है, पर स्याद्वादके ऊपर ही संख्याबद्ध शास्त्रोकी रचना जैनाचार्योंने ही की है। उत्तरकालीन जैनाचार्योंने यद्यपि भगवान् महावीरकी उनी पुनीत अनेकान्तदृष्टिके अनुसार ही शास्त्ररचना की है, पर वह मध्यस्थभाव अशत परपक्षलडनमें बदल गया। यद्यपि यह आवश्यक था कि—प्रत्येक एकान्तमें

दोष दिखाकर अनेकान्तकी सिद्धि की जाय, फिर भी उसका सूक्ष्म पर्यवेक्षण हमें इस नतीजेपर पहुँचाता है कि भगवान् महावीरकी यह मानस अहिंसा ठीक शत-प्रतिशत उसी रूपमें तो नहीं ही रही ।

विचार विकासकी चरमरेखा—भारतीय दर्शनशास्त्रोमें अनेकान्तदृष्टिके आधारसे वस्तुके स्वरूपके प्ररूपक जैनदर्शनको हम विचारविकासकी चरमरेखा कह सकते हैं । चरमरेखासे मेरा तात्पर्य यह है कि—दो विरुद्ध बादोमें तब तक शुष्कतर्कजन्म कल्पनाओंका विस्तार होता जायगा जब तक कि उनका कोई वस्तु-स्पर्शी हल-समाधान न हो जाय । जब अनेकान्तदृष्टि उनमें सामञ्जस्य स्थापित कर देगी तब झगडा किस और शुष्क तर्कजाल किसलिए ? तात्पर्य यह है कि जब तक वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक विवाद बातका बराबर बढना ही जाता है । जब वह वस्तु अनेकान्तदृष्टिसे अत्यन्त स्पष्ट हो जायगी तब बादोका अन्त अपने आप सूख जायगा ।

स्वतःसिद्ध न्यायाधीश—इसलिए हम अनेकान्तदृष्टिको न्यायाधीशके पदपर अनायास ही बैठा सकते हैं । यह दृष्टि न्यायाधीशकी तरह उभयपक्षको समुचित रूपसे समझकर भी अपक्षपातिनी है । यह मौजूदा यावत् विरोधी वादरूपी मुद्दई मुद्दाहल्लोका फँसला करनेवाली है । यह हो सकता है कि—कदाचित् इस दृष्टिके उचित उपयोग न होनेसे किसी फँसलेमें अपीलको अवसर मिल सके । पर इसके समुचित उपयोगमें होनेवाले फँसलेमें अपीलकी कोई गुजाइश नहीं रहती । उदाहरणार्थ—देवदत्त और यज्ञदत्त मामा-फुआके भाई हैं । रामचन्द्र देवदत्तका पिता है तथा यज्ञदत्तका मामा । यज्ञदत्त और देवदत्त दोनो ही बड़े बुद्धिशाही लडके हैं । देवदत्त जब रामचन्द्रको पिता कहता है तब यज्ञदत्त देवदत्तसे छडता है और कहता है कि—रामचन्द्र तो मामा हैं तू उसे पिता क्यों कहना है ? इसी तरह देवदत्त भी यज्ञदत्तसे कहता है कि—वाह ! रामचन्द्र तो पिता हैं उसे मामा नहीं कह सकते । दोनो शास्त्रार्थ करने बैठ जाते हैं । यज्ञदत्त कहता है कि—देखो, रामचन्द्र मामा हैं, क्योंकि वे हमारी माँके भाई हैं, हमारे बडेभाई भी उसे मामा ही तो कहते हैं आदि । देवदत्त कहता है—वाह ! रामचन्द्र तो पिता हैं, क्योंकि उसके भाई हमारे चाचा होते हैं, हमारी माँ उसे स्वामी कहती है आदि । इतना ही नहीं, दोनोमें इसके फलस्वरूप हाथापाई हो जाती है । एक दूसरेका कट्टर शत्रु बन जाता है । अनेकान्तदृष्टिवाला रामचन्द्र पासके कमरेसे अपने होनहार लडकोकी कल्पनाशक्ति एव बुद्धिपटुतासे प्रसन्न होकर भी उसके फलस्वरूप होनेवाली हिंसा-भारपीटसे खिन्न हो जाता है । वह उन दोनोकी गलती समझ जाता है और उन्हें बुलाकर धीरेसे समझाना है—बेटा देवदत्त, यह ठीक है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पर केवल तुम्हारा पिता ही तो नहीं हूँ, इसका मामा भी तो हूँ । इसी तरह यज्ञदत्तको समझाता है कि—बेटा यज्ञदत्त, तुम भी ठीक कहते हो, मैं तुम्हारा तो मामा ही हूँ, पर यज्ञदत्तका पिता भी तो हूँ । यह सुनते ही दोनो भाइयोकी दृष्टि खुल जाती है । वे झगडना छोडकर आपसमें बडे हेलमेलसे रहने लगते हैं । इस तरह हम ममज्ञ सकते हैं कि—एक-एक धर्मके समर्थनमें वस्त्वशको लेकर गडी गई दलीले तब तक बराबर चालू रहेंगी और एक-दूसरेका खडन ही नहीं किन्तु उससे होनेवाले रागद्वेष—हिंसाकी परम्परा बराबर चलेगी जब तक कि अनेकान्तदृष्टि उनकी चरमरेखा बनाकर समन्वय न कर देगी । इसके बाद तो मस्तिष्कके व्यायामस्वरूप दलीलोका दलदल अपने आप सूख जायगा ।

प्रत्येक पक्षके बकीलो द्वारा अपने पक्षसमर्थनके लिए सङ्कलित दलीलोकी फाइलकी तरह न्यायाधीशका फँसला भले ही आकार में बडा न हो; पर उसमें वस्तुस्पर्श, व्यावहारिकता एवं सूक्ष्मताके साथ ही साथ निष्पक्षपातिता अवश्य ही रहती है । उमी तरह एकान्तके समर्थनमें प्रयुक्त दलीलोंके भण्डारभूत एकान्तवादी दर्शनोकी तरह जैनदर्शनमें कल्पनाओंका चरम विकास न हो और न उसका परिमाण ही

अधिक ही; पर उसकी वस्तुस्थिति, व्यावहारिकता, तटस्थवृत्ति एवं अहिंसाधारतामें तो मन्देह किया ही नहीं जा सकता। हो सकता है कि उत्तरकालमें मध्यकालीन आचार्यों द्वारा अशत परपक्ष खडनमें पड़नेके कारण उस मध्यस्थताका उसरूपमें निर्वाह न हुआ हो; पर वह दृष्टि उनके पाम मदा जायत् रही, और उसीके श्रेय प्रकाशमें उन्होंने परपक्षको भी नयदृष्टिसे उचित स्थान दिया। जिस तरह न्यायाधीशके फंसलेके उपक्रममें उभयपक्षीय वकीलकी दलीलके बलाबलकी जाँचमें एक दूसरेकी दलीलका यथा-संभव उपयोग होकर अन्तमें उनके निःसार भागकी समालोचनापूर्वक व्यवहार्य फंसला होता है। उसी तरह जैनदर्शनमें एक एकान्तके खण्डनार्थ या उसके बलाबलकी जाँचके लिए द्वितीय एकान्तवादीकी दलीलका पर्याप्त उपयोग देखा जाता है। अन्तमें उनकी समालोचना होकर उनका समन्वयात्मक फंसला दिया गया है। एकान्तवादी दर्शनोंके समन्वयात्मक फंसलेकी ये मिसले ही जैनदर्शनशास्त्र हैं।

बत यह है कि—भगवान् महावीर कार्यशील अहिंसक व्यक्ति थे। वे वादी नहीं थे किन्तु सन्त थे। उन्हें वाबकी अपेक्षा कार्य-सदाचरण अधिक पसन्द था, और जब तक हवाई बातोंसे कार्योपयोगी व्यवहार्य मार्ग न निकाला जाय तब तक कार्य होना ही कठिन था। मानस-अहिंसाके सवर्द्धन, परिपोषणके लिए अनेकान्तदृष्टिरूपी संजीवनीकी आवश्यकता थी। वे बुद्धिजीवी या कल्पनालोकमें विचरण करनेवाले नहीं थे। उन्हें तो सर्वाङ्गीण अहिंसाप्रचारका सुलभ रास्ता निकाल कर जगत्को गान्तिका सहज सन्देश देना था। उन्हें मस्तिष्कके शुष्क कल्पनात्मक न्यायामकी अपेक्षा हृदयसे निकली हुई व्यवहार्य अहिंसाकी छोटी-सी आवाज ही अधिक कारगर मालूम होती थी। यह ठीक है कि—बुद्धिजीवीवर्ग जिसका आचरणसे विशिष्ट सम्पर्क न हो, बैठेठाले अन्तकल्पना जाणसे ग्रन्थ गुंथा करे और यही कारण है कि—बुद्धिजीवीवर्ग द्वारा वैदिक दर्शनोंका पर्याप्त प्रसार हुआ। पर कार्यक्षेत्रमें तो केवल कल्पनाओंसे ही निर्वाह नहीं हो सकता था, वही तो व्यवहार्य मार्ग निकाले बिना चारा ही नहीं था। भग० महावीर ने अनेकान्तदृष्टि रूप, जिसे हम जैनदर्शनकी जान कहते हैं, एक वह व्यवहार्यमार्ग निकाला जिसके समुचित उपयोगसे मानसिक, वाचिक तथा कायिक अहिंसा पूर्णरूपसे पाली जा सकती है। इस तरह भग० महावीरकी यह अहिंसास्वरूपा अनेकान्तदृष्टि ही जैनदर्शनके भाव्य प्रासादका मध्यस्तम्भ है। इसीसे जैनदर्शनकी प्राणप्रतिष्ठा है। भारतीय दर्शनशास्त्र सचमुच इस अतुलसत्यको पाये बिना अपूर्ण रहता। जैनदर्शनने इस अनेकान्तदृष्टिके आधारसे बनी हुए महत्त्वपूर्ण ग्रन्थराशि देकर भारतीय दर्शनशास्त्रके कोषागारमें अपनी ठोस और पर्याप्त पूंजी जमा की है। पूर्वकालीन युगप्रधान समन्तभद्र, सिद्धसेन आदि दार्शनिकोंने इसी दृष्टिके समर्थन द्वारा सत्-अमत्, नित्यत्वानित्यत्व, भेदाभेद, पुण्य-पापप्रकार, अद्वैत-द्वैत, भाग्य-पुरुषार्थ, आदि विविध-वादोंमें पूर्ण सामञ्जस्य स्थापित किया। मध्यकालीन अकलक, हरिभद्र आदि तार्किकोंने अशत परपक्षका खण्डन करके भी उसी दृष्टि को, प्रौढ़ किया। इसी दृष्टिके विविध प्रकारसे उपयोगके लिए सत्-तमगो, नय, निक्षेप आदिका निरूपण हुआ। इस तरह भग० महावीरने अपनी अहिंसाकी पूर्णसाधनाके लिए अनेकान्तदृष्टिका आविर्भाव करके जगत्को वह द्रुवबीजमन्त्र दिया जिसका समुचित उपयोग ससारको पूर्ण सुख-शान्तिका लाभ करा सकता है।

नय—जब भग० महावीरने मानस अहिंसाकी पूर्णताके लिए अनेकान्तदृष्टिका सिद्धान्त निकाला, तब उसको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए कुछ तफमीली बाने सोचना आवश्यक हो गया कि कैसे इस दृष्टिसे प्रचलित वादोंका उचित ममीकरण हों? इस अनेकान्तदृष्टिकी कामयाबीके लिए किए गए मोटे-मोटे नियमोंका नाम नय है। साधारणतया विचार-व्यवहार तीन प्रकार के होते हैं—१. ज्ञानाश्रयी, २. अर्थाश्रयी,

३. शब्दाश्रयो । कोई व्यक्ति ज्ञानकी सीमामे ही अपने विचारोंको दौडाता है उसे अर्थकी स्थितिकी कोई परवाह ही नहीं रहती । ऐसे मनसूबा बाँधनेवाले, हवाई किले बनानेवाले, शेरखिल्लीकी तरह विचारोंकी धुनमें ही मस्त रहनेवाले लोग अपने विचारोंको ज्ञान ही ज्ञान - कल्पनाक्षेत्रमे ही दौडाते रहते हैं । दूसरे प्रकारके लोग अर्थानुसारी विचार करते हैं । अर्थमें एक ओर एक, नित्य और व्यापिरूपसे चरम अनेकत्व कल्पना की जा सकती है, तो दूसरी ओर क्षणिकत्व, परमाणुत्व और निरशत्वकी दृष्टिसे अन्तिम भेदकी कल्पना । तीसरी कल्पना इन दोनों चरम कोटियोंके मध्यकी है । पहिली प्रकारकी कोटिमे सर्वथा अनेक-एकत्व स्वीकार करनेवाले औपनिषद अद्वैतवादी हैं, तो दूसरी ओर वस्तुकी सूक्ष्मतम वर्तमानक्षणवर्ती अर्थपर्यायके ऊपर दृष्टि रखनेवाले क्षणिक, निरश परमाणुवादी बौद्ध हैं । तीसरी कोटिमे पर्यायको नानारूपसे व्यवहारमे लानेवाले नैयायिक, वैशेषिक आदि हैं । तीसरे प्रकारके व्यक्ति हैं भाषाशास्त्री, जिन्हें शब्दोंके वालकी खाल स्वीचनेमे ही मजा आता है । ये लोग एक अर्थको हर एक हालतमे विभिन्न शब्दोंके प्रयोगको मानते हैं । इनका तात्पर्य है कि—भिन्नकालवाचक, भिन्न कारकोमे निष्पन्न, भिन्न वचनवाले, भिन्नपर्यायवाचक, भिन्नक्रियावाचक शब्द एक अर्थको नहीं कह सकते । शब्दभेदसे अर्थ भेद होना ही चाहिए । उपयुक्त ज्ञान, अर्थ और शब्दका आश्रय लेकर होनेवाले विचारोंके समन्वयके लिए किए गए स्थूल मूल नियमोंको नय कहते हैं ।

इनमे ज्ञानाश्रित व्यवहारका सकल्प-विचारमात्रको ग्रहण करनेवाले नैगमनयमें समावेश हुआ । अर्थाश्रित अभेदव्यवहारका, जो "आत्मभेद सर्वम्, एकस्मिन् वा विज्ञाते सर्वं विज्ञातम्" आदि उपनिषद्वाक्योंसे प्रकट होना है, संग्रहनयमे अन्तर्भाव किया गया । इसके आगे तथा एकपरमाणुकी वर्तमानकालीन एक अर्थपर्यायसे पहिले होनेवाले यावद मध्यवर्ती भेदोंका जिनमे न्याय वैशेषिकादि वंशन शामिल हैं, व्यवहारनयमे समावेश किया । अर्थकी आखिरी देशकोटि परमाणुरूपता तथा कालकोटि क्षणमात्रस्थायितताको ग्रहण करनेवाली बौद्धदृष्टि ऋजुसूत्रनयमे शामिल हुई । यहाँ तक अर्थको सामने रखकर भेदाभेद कल्पित हुए हैं । अब शब्दशास्त्रयोका नम्बर आया । काल, कारक, सख्या तथा धातुके साथ लगनेवाले भिन्न-भिन्न उपसर्ग आविकी दृष्टिसे प्रयुक्त होनेवाले शब्दोंके वाच्य अर्थ भिन्न-भिन्न है, इस कालकारकादिवाचक शब्दभेदसे अर्थभेद ग्रहण करनेवाली दृष्टिका शब्दनयमे समावेश हुआ । एक ही साधनमें निष्पन्न तथा एककालवाचक भी अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, इन पर्यायवाची शब्दोंसे भी अर्थभेद माननेवाली समसिद्धनयकी दृष्टि है । एवंभूतनय कहता है कि जिस समय जो अर्थ जिस क्रियामे परिणत हो उसी समय उसमें तत्क्रियासे निष्पन्न शब्दका प्रयोग होना चाहिए । इसकी दृष्टिसे सभी शब्द क्रियासे निष्पन्न हैं । गुणवाचक शुक्ल शब्द भी शुचिभवनरूप क्रियासे, जातिवाचक अश्वशब्द आशुगमनरूप क्रियासे, क्रियावाचक चञ्चित शब्द चलने रूप क्रियासे, नामवाचक यदृच्छा शब्द देवदत्त आदि भी 'देवने इसको दिया' इस क्रियासे निष्पन्न हुए हैं । इस तरह ज्ञान, अर्थ और शब्दरूपसे होनेवाले यावदव्यवहारोंका समन्वय इन नयोंमे किया गया है । पर यह समन्वय एक खास शर्तपर हुआ है । वह शर्त यह है कि—कोई भी दृष्टि अपनी प्रतिपक्षी दृष्टिका निराकरण नहीं कर सकती । इतना ही सक्ता है कि एक-अभेद अशकी मुख्यता होनेपर दूसरी-भेददृष्टि गौण हो जाय । यही सापेक्षभाव नयका प्राण है । इस सापेक्षताके अभावमे नयदृष्टि सुनयरूप न रहकर दुर्नय बन जाती है । "सापेक्षो नय, निरपेक्षो दुर्नय" यह स्पष्ट ही कहा है ।

इस संक्षिप्त कथनमें यदि सूक्ष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दृष्टियाँ ही मुख्यरूपसे कार्य करती हैं—एक अनेकदृष्टि और दूसरी भेददृष्टि । इन दृष्टियोंका आचार चाहे ज्ञान हो या अर्थ वचन शब्द, पर

६४ : डॉ० महेंद्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

कल्पना अभेद या भेद दो ही रूपसे की जा सकती है। उस कल्पनाका प्रकार चाहे कालिक, दैशिक या स्वा-
रूपिक कुछ भी क्यों न हो। इन दो मूल आधारोंको द्रव्यनय और पर्यायनय नामसे व्यवहृत किया है। देश,
काल तथा आकार जिस किसी भी रूपसे अभेद ग्रहण करनेवाला द्रव्याधिक नय है तथा भेदघ्राही पर्यायाधिक
नय है। इन्हें मूलनय कहते हैं, क्योंकि मयस्त्र विचारोंका मूल आधार यही दो नय होने हैं। नैगमादि नय
तो इन्हींकी शाखा-प्रशाखाएँ हैं। द्रव्यास्तिक-पर्यायास्तिक, निश्चय-व्यवहार, शुद्धनय-अशुद्धनय आदि शब्द
इन्हींके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं।

चूँकि नैगमनय सकल्पमात्रघ्राही है, तथा संकल्प या तो अर्थके अभेद अंशको विषय करता है या भेद
अंशको। इसीलिए अभेदसकल्पी नैगमका स ग्रहणनयमे तथा भेदसकल्पी नैगमका व्यवहारनयमे अन्तर्भाव करके
आचार्य सिद्धसेनने नैगमनयको स्वतन्त्र नय नहीं माना है। इनके मनमे मंगहादि सह ही नय है।

अकलंकदेवने नैगमनयको अर्थनय मानकर ऋजुसूत्र पर्यन्त चार नयोंका अर्थनयरूपमे तथा शब्द आदि
तीन नयोंका शब्दनयरूपसे विभाग किया है। नय तथा दुर्नयका निम्न लक्षण समझना चाहिए—भेदाभेदा-
त्मक, उत्पादव्ययश्रौष्यरूप, समान्यविशेषात्मक पदार्थ अक्षण्डरूपसे प्रमाणका विषय होता है। उसके किसी
एक धर्मको मुख्य तथा इतरधर्मोंको गौणरूपमे विषय करनेवाला ज्ञानाका अभिप्राय नय कहलाता है। जब
वही अभिप्राय इतरधर्मोंको गौण नहीं करके उनका निरास करने लगता है तब वह दुर्नय कहलाता है।
तात्पर्य यह कि—प्रमाणमे अनेकधर्मवाली पूर्ण वस्तु विषय होती है, नयमे एक धर्म मुख्यरूपसे विषय होकर
भी इतरधर्मोंके प्रति उपेक्षा-गोणता रहती है, जबकि दुर्नय इतरधर्मोंका ऐकान्तिक निरास कर देता है।

नैगम-नैगमाभास—यद्यपि अकलंकदेवने राजवार्तिकमे सर्वाथसिद्धिके अनुसार नैगमनयका 'सङ्कल्प-
मात्रघ्राही' यह ज्ञानाश्रितव्यवहारका समन्वय करनेवाला लक्षण किया है, पर लघोयस्त्रयमे वे नैगमनयको
अर्थकी परिधिमे लाकर उसका यह लक्षण करते हैं—'गुण-गुणी या धर्म-धर्मिमे किसी एकको गौण तथा
दूसरेको मुख्यतासे ग्रहण करनेवाला नैगमनय है। जैसे जीवके स्वरूपनिरूपणमे जानादिगुण गौण होते हैं
तथा जानादिगुणोंके ही वर्णनमे जीव।' गुण-गुणी, अवयव-अवयवी, क्रिया-क्रियावान् तथा सामान्य-विशेषमे
सर्वथा भेद मानना नैगमाभास है; क्योंकि—गुण-गुणीसे अपनी पृथक् सत्ता नहीं रखता और न गुणोंकी
उपेक्षा करके गुणी अपना अस्तित्व रख सकता है। अतः इनमे कथञ्चित्तादात्म्य सम्बन्ध मानना ही समुचित
है। इसी तरह अवयव-अवयवी, क्रिया-क्रियावान्, तथा सामान्य-विशेषमे भी कथञ्चित्तादात्म्य ही सम्बन्ध
है। यदि गुण आदि गुणी आदिमे बिल्कुल भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ हो, तो उनमे नियम सम्बन्ध न होनेके
कारण गुण-गुण्यादिभाव नहीं बन सकेगा। अवयवी यदि अवयवोंसे सर्वथा पृथक् है, तो उसकी अपने अवयवों-
में वृत्ति—सम्बन्ध माननेमे अनेकों दूषण आते हैं। यथा—अवयवों अपने प्रत्येक अवयवोंमे यदि पूर्णरूपसे
रहता है; तो जितने अवयव हैं उतने ही स्वतन्त्र अवयवी सिद्ध होंगे। यदि एकदेश से रहेगा, तो जितने
अवयव हैं अवयवोंके उतने ही देश मानना होगा, उन देशोंमे भी वह 'सर्वान्तिना रहेगा या एक देशसे' इत्यादि
विकल्प होनेसे अनवस्था दूषण आता है।

सत्तासामान्यका अपनी व्यक्तिव्योसे सर्वथा भेद माननेपर, सत्तासम्बन्धसे पहिले द्रव्य, गुण और कर्म
व्यक्तियोंको सत् माना जाय, या असत्? यदि वे असत् हैं, तो उनमे सत्तासम्बन्ध नहीं हो सकता। सत्ता
सर्वथा असत् खरविधाणादिमे तो नहीं रहती। यदि वे सत् हैं, तो जिस प्रकार स्वरूपसत् द्रव्यादिमे सत्ता-
सम्बन्ध मानते हो उसी तरह स्वरूपसत् सामान्यादिमे भी सत्तासम्बन्ध स्वीकार करना चाहिये। अथवा
जिस प्रकार सामान्यादि स्वरूपसत् हैं उनमे किसी अन्य सत्ताके सम्बन्धकी आवश्यकता नहीं है, उसी तरह

द्रव्य, गुण, कर्मको भी स्वरूपसत् ही मानना चाहिए। स्वरूपसत्में अतिरिक्त सत्ताका समवाय मानना तो बिलकुल ही निरर्थक है। इसी तरह गोत्वादि जातियोंको शाब्दिकेयादि व्यक्तियोंसे संबंधा भिन्न माननेसे अनेकों दूषण आते हैं। यथा—जब एक गौ उत्पन्न हुई, तब उसमें गोत्व कहाँसे आयगा? उत्पन्न होनेके पहिले गोरव उस देशमें तो नहीं रह सकता; क्योंकि गोत्वसामान्य गोविशेषमें ही रहता है गोशून्य देशमें नहीं। निष्क्रिय होनेसे गोत्व अन्य देशसे आ नहीं सकता। यदि अन्य देशसे आवे भी, तो पूर्वपिण्डको एकदेशसे छोडेगा या बिलकुल ही छोड देगा? निरस होनेके कारण एकदेशसे पूर्वपिण्डको छोडना युक्तिसंगत नहीं है। यदि गोत्व पूर्णरूपसे पूर्व गोपिण्डको छोडकर नूतन गौमें आता है; तब तो पूर्वपिण्ड अगोत्वशून्य हो आयगा, उसमें गौ व्यवहार नहीं हो सकेगा। यदि गोत्वसामान्य संबंधत है; तो गोव्यक्तियोंकी तरह अस्वादिभ्यक्तियोंके भी गोव्यवहार होना चाहिए।

अवयव और अवयवीके सम्बन्धमें एक बड़ी बिचित्र बात यह है कि—संसार तो यह मानता है कि पटसे तन्तु, वृक्षमें शाखा तथा गौमें सींग रहते हैं, पर 'तन्तुओमें पट, शाखाओमें वृक्ष तथा सींगमें गौ' का मानना तो सचमुच एक अलौकिक ही बात है। अतः गुण आदिका गुणी आदिसे कथञ्चित्तादात्म्य सम्बन्ध मानना ही युक्तिसंगत है। कथञ्चित्तादात्म्यका तात्पर्य यह है कि—गुण आदि गुणों आदि रूप ही हैं उनसे भिन्न नहीं हैं। जो ज्ञानस्वरूप नहीं है वह ज्ञानके समवायसे भी कैसे 'ज्ञ' बन सकता है? यदि अज्ञ वस्तु भी ज्ञानके समवायसे 'ज्ञ' हो जाय; तो समवाय स्वयं 'ज्ञ' बन जायगा, क्योंकि समवाय आत्मामें ज्ञानका सम्बन्ध तभी करा सकता है जब वह स्वयं ज्ञान और आत्मामें सम्बन्ध रखे। कोई भी सम्बन्ध अपने सम्बन्धियोमें असम्बद्ध रहकर सम्बन्धबुद्धि नहीं करा सकता। अतः यह मानना ही चाहिये कि—ज्ञानपर्यायवाली वस्तु ही ज्ञानके सम्बन्धको पा सकती है। अतः वैशेषिकका गुण आदिका गुणी आदिसे निरपेक्ष-संबंधा भेद मानना नैगमाभास है।

इसी तरह साक्ष्यका ज्ञान सुखादिको आत्मामें भिन्न मानना नैगमाभास है। वह मानता है कि—सत्त्वरजस्तमोक्ष-त्रिगुणात्मक प्रकृतिके ही सुख-ज्ञानादिक धर्म हैं, वे उसीमें आविर्भूत तथा तिरोहित होते हैं। इसी प्रकृतिके समर्गसे पुरुषमें ज्ञानादिकी प्रतीति होती है। प्रकृति इस ज्ञानसुखादिरूप व्यक्त-कार्यकी दृष्टिसे दृश्य है तथा अपने कारणरूप-अव्यक्तस्वरूपसे अदृश्य है। पुरुष चेतनरूप तथा कूटस्थ-अपरिणामी नित्य है। इस तरह वह चैतन्यसे बुद्धिको भिन्न समझकर उसे पुरुषसे भी भिन्न मानता है। उसका यह ज्ञान और आत्मका संबंधा भेद मानना भी नैगमाभास है; क्योंकि चैतन्य तथा ज्ञानमें कोई भेद नहीं है। बुद्धि, उपलब्धि, चैतन्य, ज्ञान आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। यदि चैतन्य पुरुषका धर्म हो सकता है; तो ज्ञानको भी उसीका ही धर्म होना चाहिये। प्रकृतिकी तरह पुरुष भी ज्ञानादिरूपसे दृश्य होता है। 'सुख-ज्ञानादिक संबंधा अनित्य है, चैतन्य संबंधा नित्य है' यह भी प्रमाणसिद्ध नहीं है, क्योंकि पर्यायदृष्टिसं उनमें अनित्यता रहनेपर भी चैतन्यसामान्यकी अपेक्षा नित्यता भी है। इस तरह वैशेषिकका गुण-गुण्यादिसं संबंधा भेद मानना तथा साक्ष्यका पुरुषसे बुद्ध्यादिका भेद मानना नैगमाभास है; क्योंकि इनमें अभेद अज्ञाका निराकरण ही हो गया है।

संग्रह-संग्रहाभास—समस्त पदार्थोंको अभेदरूपसे ग्रहण करनेवाला नय संग्रहनय है। यह परसंग्रह तथा अपरसंग्रहके भेदसे दो प्रकारका है। परसंग्रहमें सत् रूपसे समस्त पदार्थोंका संग्रह किया जाता है, तथा अपरसंग्रहमें द्रव्यरूपसे समस्त द्रव्योंका, गुणरूपसे समस्त गुणोंका, गोत्वरूपसे समस्त गौओंका आदि। यह अपरसंग्रह तब तक चलता है जब तक कि भेद अपनी वरम कोडि तक नहीं पहुँच जाता। अर्थात् जब द्रव्य-

हारलय भेद करते-करते ऋजुतृण नयके विषयभूत एक वर्तमान कालीन अर्थापर्याय तक पहुँचता है तब अपर-संग्रहकी मर्यादा समाप्त हो जाती है। अपरसंग्रह और व्यवहारनयका क्षेत्र तो समान है पर दृष्टिमें भेद है। जब अपरसंग्रहमें तद्गत अभेदाशके द्वारा संग्रहकी दृष्टि है तब व्यवहारनयमें भेदकी ही प्रधानता है। परसंग्रहनयकी दृष्टिमें संग्रहसे सभी पदार्थ एक हैं उनमें कोई भेद नहीं है। जीव, अजीव आदि सभी सद्रूपसे अभिन्न हैं। जिस प्रकार एक चित्रज्ञान अपने नीलादि अनेक आकारोंमें व्याप्त है उसी तरह सम्मात्रतत्त्व सभी पदार्थोंमें व्याप्त है, जीव, अजीव आदि सब उसीके भेद है। कोई भी ज्ञान सम्मात्र द्रव्यको बिना जाने भेदको नहीं जान सकता। कोई भी भेद सम्मात्रसे बाहिर अर्थात् असत् नहीं है। प्रत्यक्ष चाहे चेतन सुखादिमें प्रवृत्ति करे या बाह्य नीलादि अचेतन पदार्थोंमें, वह सद्रूपसे अभेदाशको विषय करता ही है। संग्रहनयकी इस अभेददृष्टिसे सीधी टक्कर लेनेवाली बौद्धकी भेद दृष्टि है। जिसमें अभेदको कल्पनात्मक कहकर वस्तुमें कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। इस संबंधा भेददृष्टिके कारण ही बौद्ध अवयवी, स्थूल, नित्य आदि अभेददृष्टिके विषयभूत पदार्थोंकी सत्ता ही नहीं मानते। नित्याश कालिक-अभेदके आधारपर स्थिर है, क्योंकि जब वही एक वस्तु त्रिकालानुयायी होगी तभी वह नित्य कही जा सकती है। अवयवी तथा स्थूलाश दैशिक-अभेदके आधारसे माने जाते हैं; जब एक वस्तु अनेक अवयवोंमें कथञ्चित्तादात्म्यरूपसे व्याप्त रखे तभी अवयवी व्यपदेश पा सकती है। स्थूलतामें भी अनेकप्रदेशाभापित्वरूप दैशिक अभेददृष्टि ही अपेक्षणीय होती है।

अकलङ्कदेव कहते हैं कि—बौद्ध संबंधा भेदात्मक स्वलक्षणका जैसा वर्णन करते हैं वैसा संबंधा क्षणिक पदार्थ न तो किसी ज्ञानका विषय ही हो सकता है और न कोई अर्थक्रिया ही कर सकता है। जिस प्रकार एक क्षणिक ज्ञान अनेक आकारोंमें युगपद् व्याप्त रहता है उसी तरह एकद्रव्यको अपनी क्रमसे होने-वाली पर्यायोमें व्याप्त होनेमें क्या बाधा है? इमी अनादिनिघन द्रव्यकी अपेक्षासे वस्तुओंमें अभेदाशकी प्रतीति होती है। क्षणिक पदार्थमें कार्य-कारणभाव सिद्ध न होनेके कारण अर्थक्रियाकी भी बात ही नहीं करनी चाहिये। 'कारणके होनेपर कार्य होता है' यह नियम तो पदार्थको एकक्षणस्थायी माननेवालोंके मतमें स्वप्नकी ही चीज है; क्योंकि एक क्षणस्थायी पदार्थके सत्ताक्षणमें ही यदि कार्यकी सत्ता स्वीकार की जाय, तब तो कारण और कार्य एकक्षणवर्ती हो जायेंगे और इस तरह वे कार्य-कारणभावको असंभव बना देगे। यदि कारण-भूत प्रथमक्षण कार्यभूत द्वितीयक्षण तक ठहरे तब तो क्षणभगवाद कहाँ रहा? क्योंकि कारणक्षणकी सत्ता कम-से-कम दो क्षण मानना पड़ी। इस तरह कार्यकारणभावके अभावसे जब क्षणिक पदार्थमें अर्थक्रिया ही नहीं बनती तब उसकी सत्ताकी आशा करना मृगतृष्णा जैसी ही है। और जब वह सत् ही सिद्ध नहीं होता तब प्रमाणका विषय कैसे माना जाय? जिस तरह बौद्धमतमें कारण अपने देशमें रहकर भी भिन्नदेशवर्ती कार्यको व्यवस्थित रूपसे उत्पन्न कर सकता है उसी तरह जब अभिन्न नित्य पदार्थ भी अपने समयमें रहकर कार्यको कार्यकालमें ही उत्पन्न कर सकता है, तब अभेदको असत् क्यों माना जाय? जिस तरह चित्रज्ञान अपने आकारोंमें, गुणी गुणोंमें तथा अवयवी अपने अवयवोंमें व्याप्त रहता है उसी तरह द्रव्य अपनी क्रमिक पर्यायोको भी व्याप्त कर सकता है। द्रव्यदृष्टिसे पर्यायोमें कोई भेद नहीं है। इमी तरह सम्मात्रकी दृष्टिसे समस्त पदार्थ अभिन्न हैं। इस तरह अभेददृष्टिसे पदार्थोंका संग्रह करनेवाला संग्रहनय है। इस नयकी दृष्टिसे कह सकते हैं कि—विषय एक है, अद्वैत है; क्योंकि सम्मात्रतत्त्व सर्वत्र व्याप्त है। यह ध्यान रहे कि—इस नयमें शुद्ध सम्मात्र विषय होनेपर भी भेदका निराकरण नहीं है, भेद गौण अवश्य हो जाता है। यद्यपि अद्वयब्रह्मवाद भी सम्मात्रतत्त्व-को विषय करता है पर वह भेदका निराकरण करनेके कारण संग्रहाभास है। नय सापेक्ष-प्रतिपक्षी धर्मकी अपेक्षा रखनेवाला, तथा दुर्गम निरपेक्ष-परपक्षका निराकरण करनेवाला होता है।

व्यवहार-व्यवहाराभास—संघनयने के द्वारा गृहीत अर्थमें विधिपूर्वक अविस्वादी-वस्तुस्थितिमूलक भेद करनेवाला व्यवहारनय है। यह व्यवहारनय लोकप्रसिद्ध व्यवहारका अविरोधी होता है। लोकव्यवहार-विरुद्ध, वस्तुस्थितिकी अपेक्षा न करनेवाली भेदकल्पना व्यवहाराभास है। लोकव्यवहार अर्थ, शब्द तथा ज्ञानरूपसे चलता है। जैसे जीवव्यवहार जीव अर्थ, जीवशब्द तथा जीवविषयक ज्ञान इन तीनों प्रकारोंसे ही सकता है। 'वस्तु उत्पादव्ययध्रौव्याली है, द्रव्य गुणपर्यायवाला है, जीव चैतन्यरूप है' इत्यादि वाक्य प्रमाण-से अविरोधी होनेके कारण तथा लोकव्यवहारमें अविस्वादी होनेसे प्रमाण है, एव पूर्वापरके अविरोधी होनेसे ये सद्व्यवहारके विषय हैं। प्रमाणविरुद्ध कल्पनाएँ व्यवहाराभास हैं; जैसे सौत्रान्तिकका जडया श्वेतन सभी पदार्थोंको क्षणिक, निरश, परमाणुरूप मानना, योगाचारका क्षणिक अविभागी विशानादित मानना, तथा माध्यमिकका सर्वशून्यता स्वीकार करना। ये सब व्यवहाराभास प्रमाणविरोधी तथा लोकव्यवहारमें विसवादाक होते हैं। जो भेदव्यवहार अभेदकी अपेक्षा रखेगा वही व्यवहारनयकी परिधिमें आयगा, तथा जो अभेदका निराकरण करेगा वह दुर्व्यवहार—व्यवहाराभास कहलायगा।

श्रुजुसूत्र-तदाभास—श्रुजुसूत्र नय पदार्थकी एक क्षणरूप शब्द वर्तमानकालवर्ती अर्थपर्यायको विषय करनेवाला है। इसकी दृष्टिमें अभेद कोई वास्तविक नहीं है। चिन्तन भी एक न होकर अनेक ज्ञानोंका समुदायमान है। इस तरह समस्त जगत् एक-दूसरेसे बिलकुल भिन्न है, एक पर्याय दूसरी पर्यायसे भिन्न है। यह भेद इतना सूक्ष्म है कि स्थूलदृष्टिवाले लोगोंको मालूम नहीं होता। जैसे परस्परमें विभिन्न भी वृक्ष दूरसे सघन तथा एकाकार रूपसे प्रतिभासित होते हैं, ठीक इसी तरह अभेद एक प्रातिभासिक वस्तु है। इस नयकी दृष्टिमें एक या नित्य कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि भेद और अभेदका परस्परमें विरोध है। इस तरह यह श्रुजुसूत्र नय यद्यपि भेदको मुख्यरूपसे विषय करता है परं वह अभेदका प्रतिक्षेप नहीं करता। यह अभेदका प्रतिक्षेप कर दे तो बौद्धाभिमत क्षणिकतत्त्वकी तरह श्रुजुसूत्राभास हो जायगा। सापेक्ष ही नय होता है। निरपेक्ष तो दुर्नय कहलाता है। जिस प्रकार भेदका प्रतिभास होनेसे वस्तुमें भेदको व्यवस्था है उसी तरह जब अभेदका भी प्रतिभास होता है तो उसकी भी व्यवस्था होनी ही चाहिए। भेद और अभेद दोनों ही सापेक्ष हैं। एकका लोप करनेसे दूसरेका लोप होना अवश्यम्भावी है।

शब्द—काल, कारक, लिय तथा सख्याके भेदसे शब्दभेद द्वारा भिन्न अर्थोंको ग्रहण करनेवाला शब्दनय है। शब्दनय के अभिप्रायसे अतीत, अनागत एव वर्तमानकालीन क्रियाओंके साथ प्रयुक्त होनेवाला एक ही देवदत्त भिन्न हो जाता है। 'करोति क्रियते' आदि कर्तृ-कर्मसाधनमें प्रयुक्त भी देवदत्त भिन्न-भिन्न है। 'देवदत्त देवदत्ता' आदि लिंगभेदसे प्रयोगमें आनेवाला देवदत्त भी एक नहीं है। एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचनमें प्रयुक्त देवदत्त भी पृथक्-पृथक् है। इसकी दृष्टिसे भिन्नकालीन, भिन्नकारकनिष्पन्न, भिन्न-लिंगक एव भिन्नसख्याक शब्द एक अर्थके वाचक नहीं हो सकते। शब्दभेदसे अर्थभेद होना ही चाहिए। वर्तना-परिणमन करनेवाला तथा स्वतः परिणमनशील द्रव्योंके परिणमनमें सहायक होनेवाला काल द्रव्य है। इसके भूत, भविष्यत् और वर्तमान, ये तीन भेद हैं। केवल द्रव्य, केवल शक्ति, तथा अनपेक्ष द्रव्य और शक्तिको कारक नहीं कहते; किन्तु शक्तिविशिष्ट द्रव्यको कारक कहते हैं। लिंग चिह्नको कहते हैं। जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री, जो पुत्राधिकी उत्पादक सामर्थ्य रखे वह पुरुष, तथा जिसमें ये दोनों सामर्थ्य न हो वह नपुंसक कहा जाता है। कालादिके ये लक्षण अनेकान्तात्मक अर्थमें ही बन सकते हैं। एक ही वस्तु विभिन्न मासद्वीके मिलनेपर शट्कारक रूपसे परिणमन कर सकती है। कालादिभेदसे एक द्रव्यकी नाता पर्याय हो सकती है। एकरूप—सर्वथा नित्य या अनित्य वस्तुमें ऐसा परिणमन नहीं हो सकता; क्योंकि—सर्वथा

विश्वमें उत्पाद और व्यय तथा सर्वथा क्षणिकमे स्वीयं नहीं है। इस तरह कारकव्यवस्था न होनेसे विभिन्न कारकोंमें निष्पन्न स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग आदिकी व्यवस्था भी एकान्त पक्षमें नहीं हो सकती। इस तरह कालाधिक भेदसे अर्थभेद मानकर शब्द नय उनमें विभिन्न शब्दोंका प्रयोग मानता है। कालादि भेदसे शब्द-भेद होनेपर भी अर्थभेद नहीं मानना शब्दनयाभास है।

समभिरूढ—एक कालवाचक, एक लिङ्गक तथा एक सख्याक भी अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। समभिरूढ नय उन प्रत्येक पर्यायवाची शब्दोंके द्वारा अर्थमें भेद मानता है। इस नयके अभिप्रायसे एक लिङ्ग-वाले इन्द्र, शक्र तथा पुरन्दर इन तीन शब्दोंमें प्रवृत्तिनिमित्तकी विभिन्नता होनेसे विभिन्नार्थवाचकता है। शक्रशब्दका प्रवृत्तिनिमित्त शासनक्रिया, इन्द्रशब्दका प्रवृत्तिनिमित्त इन्द्रनक्रिया तथा पुरन्दरशब्दका प्रवृत्ति-निमित्त पुरंदरक्रिया है। अतः तीनों शब्द विभिन्न अवस्थाओंके वाचक हैं। शब्दनयमें एकलिंगवाले पर्याय-वाची शब्दोंमें अर्थभेद नहीं था, पर समभिरूढ नयमें विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्त होनेसे एकलिङ्गक पर्यायवाची शब्दोंमें भी अर्थभेद होना अनिवार्य है। पर्यायवाची शब्दोंकी दृष्टिसे अर्थमें भेद नहीं मानना समभिरूढा-भास है।

एवंभूतनय—क्रियाके भेदसे भी अर्थभेद माननेवाला एवंभूतनय है। यह नय क्रियाकालमें ही तत्क्रियानिमित्तक शब्दके प्रयोगको साधु मानता है। जब इन्द्र इन्द्रन-क्रिया कर रहा हो उमी समय उसे इन्द्र कह सकते हैं दूसरे समयमें नहीं। समभिरूढ नय उस समय क्रिया हो या न हो, पर अतीत-अनागत क्रिया या उस क्रियाकी योग्यता होनेके कारण तच्छब्दका प्रयोग मान लेता है। पर एवंभूतनय क्रियाकी मौजूदगी-नै ही तत्क्रियासे निष्पन्न शब्दके प्रयोगको साधु मानता है। इस नयकी दृष्टिसे जब कार्य कर रहा है तभी कारक कहा जायगा, कार्य न करनेकी अवस्थामें कारक नहीं कहा जा सकता। क्रियाभेद होनेपर भी अर्थ-को अभिन्न मानना एवंभूताभास है।

इन नयोंमें उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एवं अल्पविषयता है। नैगमनय मकल्पग्राही होनेसे सन् अमत् दोनोको विषय करता था इसलिए मन्मात्रग्राही मग्रह नय उससे सूक्ष्म एवं अल्पविषयक होता है। मन्मात्रग्राही मग्रह-नयसे मद्रिशेषग्राही व्यवहार अल्पविषयक एवं सूक्ष्म हुआ। त्रिकालवर्ती सदृशेषग्राही व्यवहारनयमें वर्तमान-कालीन सदृशेष-अर्थपर्यायग्राही ऋजुसूत्र सूक्ष्म है। शब्दभेद होनेपर भी अभिन्नार्थग्राही ऋजुसूत्रसे कान्तादि-भेदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाला शब्दनय सूक्ष्म है। पर्यायभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाले शब्दनयसे पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे अर्थभेदग्राही समभिरूढ अल्पविषयक एवं सूक्ष्म-तर हुआ। क्रियाभेदसे अर्थभेद नहीं माननेवाले समभिरूढसे क्रियाभेद होनेपर अर्थभेदग्राही एवंभूत परमसूक्ष्म एवं अत्यल्पविषयक होता है।

४. निक्षेपनिरूपण

निक्षेप—अखण्ड एवं अनिर्वचनीय वस्तुको व्यवहारमें लानेके लिए उसमें भेद कल्पना करनेको निक्षेप कहते हैं। व्यवहार ज्ञान, शब्द तथा अर्थरूपसे तीन प्रकारका होता है। शब्दात्मक व्यवहारके लिए ही वस्तुका शैवदत आदि नाम रखा जाना है। अतः शब्दव्यवहारके निर्वाहके लिए नाम निक्षेपकी सार्थकता है। ज्ञानात्मक-व्यवहारके लिए स्वापना निक्षेप तथा अर्थात्मक व्यवहारके लिए द्रव्य और भाव निक्षेप सार्थक हैं। शब्दका प्रयोग जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया आदि निमित्तोंकी अपेक्षासे होता है। जाति, द्रव्य, गुण आदि निमित्तोंकी अपेक्षा न करके इच्छानुसार सजा रखनेको नामनिक्षेप कहते हैं। जैसे किसी बालककी गजराज संज्ञामात्र इच्छानुसार ही की गई है, उसमें गजत्ववाप्ति, गजके गुण, गजकी क्रिया आदिकी अपेक्षा नहीं है।

विसका नामकरण हो चुका है उसकी उसी आकारवाची प्रतिमा या चित्रमे स्थापना करना सद्भाव या तदाकार स्थापना कहलाती है। तथा भिन्न आकारवाची वस्तुमे स्थापना करना असद्भाव या अतदाकार स्थापना कहलाती है, जैसे शतरजके मुहुरोमें घोड़े आदिकी स्थापना। भविष्यत्कालीन राजपर्यायकी योग्यताके कारण या बीबी हुई राजपर्यायका निमित्त लेकर वर्तमानमें किसीको राजा कहना द्रव्य निक्षेप है। तत्पर्यायप्राप्त वस्तुमें तत्त्वबह्वारको भावनिक्षेप कहते हैं, जैसे वर्तमान राजपर्यायवाले राजाको ही राजा कहना। अप्रस्तुत अर्थका निराकरण, प्रस्तुत अर्थका प्ररूपण एव संशयविनाशनके लिए निक्षेपकी सार्थकता है। अव्युत्पन्न श्रोताकी अपेक्षा अप्रस्तुतका निराकरण करनेके लिए, व्युत्पन्नकी अपेक्षा यदि वह सशयित है तो संशयविनाशके लिए और यदि विपर्यस्त है तो प्रस्तुत अर्थके प्ररूपणके लिए निक्षेपकी सार्थकता है।

५. सप्तभंगीनिरूपण

सप्तभंगी—प्रश्नके अनुसार वस्तुमे प्रमाणाविरोधी विधि-प्रतिषेधकी कल्पनाको सप्तभंगी कहते हैं। विचार करके देखा जाय तो सप्तभंगीमें मूल भग तो तीन ही हैं, बाकी भग संयोज है। आगम ग्रन्थोंमें 'सिय अस्थि, सिय णत्थि, सिय अवत्तब्बा' रूपसे तीन ही भंगोका निर्देश है। सर्वप्रथम आचार्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें हमें सात भंगोंके दर्शन होने हैं। अनेकान्तदृष्टिका उद्देश्य परस्पर विरोधी धर्मोंका समन्वय करना है। वस्तुतः विरोध तो दोमे ही होता है जैसे नित्यत्वका अनित्यत्वसे, भेदका अभेदसे इत्यादि। अतः पहिले तो परस्पर विरोधी दो धर्मोंके समन्वय करनेकी ही बात उठती है। ऐसे अनेक विरोधी युगल वस्तुमें रह सकते हैं अतः वस्तु अनेकान्तात्मक एव अनन्तधर्मा कही जाती है। अवक्तव्य धर्म तो वस्तुकी वास्तविक स्थिति बतानेवाला है कि वस्तुका अखण्डआत्मरूप शब्दोका विषय नहीं हो सकता। कोई ज्ञानी अनिर्वचनीय, अखण्ड वस्तु को कहना चाहता है, वह पहिले उसका अस्तिरूपसे वर्णन करता है पर वस्तुके पूर्ण वर्णन करनेमें असमर्थ होनेपर नास्तिरूपसे वर्णन करता है। पर इस समय भी वस्तुकी अनन्तधर्मात्मकताकी सीमा तक नहीं पहुँच पाता। लिहाजा कोशिश करनेपर भी अन्तमें उसे अवक्तव्य कहता है। शब्दोंमें वस्तुतः इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह समग्रवस्तुका पूर्णरूपसे प्रतिपादन करे। इसी अनिर्वचनीय तत्त्वका उपनिषदोंमें 'अस्ति अस्ति' रूपसे तथा 'नेति नेति' रूपसे भी वर्णन करनेका प्रयत्न किया गया है। पर वर्णन करनेवाला अपनी तथा शब्दकी असामर्थ्यपर सौज उठता है और अन्तमें वरवस कह उठता है कि—'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह'—जिसके वास्तविक स्वरूपकी प्राप्ति वचन तथा मन भी नहीं कर सकते अतः वे भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा है वह वचन तथा मनका अगोचर अखण्ड, अनिर्वचनीय, अनन्तधर्मा वस्तुतत्त्व। इसी स्थितिमें अनुसार अस्ति, नास्ति तथा अवक्तव्य ये तीन ही मूल भंग हो सकते हैं। आगेके भग तो वस्तुतः कोई स्वतन्त्र भग नहीं हैं। कामिक भगजालकी तरह द्विसंयोगीरूपसे तृतीय, पञ्चम तथा षष्ठ भगका आविर्भाव हुआ तथा सप्तभंगका त्रिसंयोगीके रूपमें। तीन मूल भंगोंके अपुनस्कृत भग सात ही हो सकते हैं। कही-कही अवक्तव्य भगका नंबर तीसरा है और कही उभय भगका। वस्तुतः अवक्तव्य मूल भंग है। अतः उसीका नंबर तीसरा होना चाहिये।

प्रथम भगमे स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे वस्तुका अस्तित्व विवक्षित होता है। द्वितीय भगमे परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्तित्वकी विवक्षा होती है। यदि वस्तुमें स्वद्रव्यादिकी अपेक्षासे अस्तित्व न माना जाय तो वस्तु निःस्वरूप ही जायगी। और यदि परका नास्तित्व न माना जाय तो वस्तु साकार्य हो जायगा; क्योंकि घटमें पटका नास्तित्व न रहनेके कारण घट और पट एक हो जाना अनिर्वाच्य ही है। यद्यपि आपाततः यह मालूम होता है कि स्वसत्त्व ही परासत्त्व है; पर विचार करनेसे मालूम हो जाता है कि ये दोनों

एक दूसरेसे फलित न होकर स्वतन्त्र धर्म है; क्योंकि इनकी प्रवृत्तिकी अपेक्षाएँ भिन्न-भिन्न हैं तथा कार्य भी भिन्न हैं ।

जब हम युगपद् अनन्तधर्मवाली वस्तुको कहना चाहते हैं तो ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता जो ऐसी वस्तुके सभी धर्मोंका या विवक्षित दो धर्मोंका युगपत् प्रधान भावसे कथन कर सके । अतः कहनेकी अर्थात् होनेके कारण वस्तु अवक्तव्य है । वस्तुतः पदार्थ स्वरूपसे ही अनिर्वचनीय है और पदार्थकी उसी स्वरूपनिष्ठ अनिर्वच्यताका धोतन यह अवक्तव्य नामका तीसरा भग करता है । सकेतके बलपर ऐसे किसी शब्दकी कल्पना तो की ही जा सकती है जो दो धर्मोंका भी एकरससे कथन कर सकता हो । अतः यह भङ्ग वस्तुके मौलिक बचनातीत पूर्णरूपका धोतन करता है ।

चौथा अस्ति-नास्ति भग—दोनो धर्मोंकी क्रमसे विवक्षा होनेपर बनता है । क्रमसे यहाँ कालिकक्रम ही समझना चाहिये । अर्थात् प्रथम समयमें अस्तिकी विवक्षा तथा दूसरे समयमें नास्तिकी विवक्षा हो और दोनों समयोंकी विवक्षाको मोटी दृष्टिसे देखनेपर इस तृतीय भगका उदय होता है । और यह क्रमसे अस्तित्व और नास्तित्व दोनो धर्मों का प्रधानरूपसे कथन करता है ।

पाँचवाँ अस्ति-अवक्तव्य भग—अस्तित्व और अवक्तव्यकी क्रमिक विवक्षामें, अर्थात् प्रथम समयमें अस्तित्वकी विवक्षा तथा दूसरे समयमें अवक्तव्यकी विवक्षा होनेपर तथा दानो समयकी विवक्षाओपर स्थूलदृष्टिसे विचार करनेपर अस्ति-अवक्तव्य भग माना जाता है । यह क्रमसे अस्तित्व और अवक्तव्यत्वका प्रधानभावसे कथन करता है ।

छठवाँ नास्ति-अवक्तव्य भग—नास्तित्व और अवक्तव्यकी क्रमिक विवक्षामें । अर्थात् प्रथम समयमें नास्तित्वकी विवक्षा तथा दूसरे समयमें अवक्तव्यकी विवक्षा होनेपर तथा दोनो समयोंकी विवक्षाओपर व्यापकदृष्टि रखनेपर नास्ति-अवक्तव्य भगकी प्रवृत्ति होती है । यह क्रमसे नास्तित्व और अवक्तव्यत्वका प्रधानभावसे कथन करता है ।

सातवाँ अस्ति-नास्ति-अवक्तव्यभग—अस्ति, नास्ति और अवक्तव्यकी क्रमिक विवक्षामें, अर्थात् प्रथम समयमें अस्तित्वकी विवक्षा, दूसरे समयमें नास्तित्वकी विवक्षासे अस्तित्वनास्ति भग बना, इसीके अनन्तर तृतीय समयमें अवक्तव्यकी विवक्षा होनेपर तथा तीनों समयोंकी विवक्षाओपर स्थूलदृष्टिसे विचार करनेपर अस्ति नास्ति-अवक्तव्य भगकी सृष्टि होती है । यह क्रमसे अस्तित्व, नास्तित्व तथा अवक्तव्यत्व धर्मोंका प्रधानरूपसे कथन करता है ।

यहाँ यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि—प्रत्येक भगमें अपने धर्मकी मुख्यता रहती है तथा शेष धर्मोंकी गौणता । इसी मुख्य-गौणभावके सूचनार्थ 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया जाता है । 'स्यात्' का अर्थ है कथञ्चित्, अर्थात् अमुक अपेक्षासे वस्तु इस रूप है । इससे दूसरे धर्मोंका निषेध नहीं किया जाता । प्रत्येक भगकी स्थिति सापेक्ष है और इसी सापेक्षताका सूचक 'स्यात्' शब्द होता है । सापेक्षताके इस सिद्धान्तको नहीं समझनेवालोंके लिए प्रत्येक भगके साथ स्यात् शब्दके प्रयोगका नियम है, क्योंकि स्यात् शब्दके प्रयोग किए बिना उन्हें सन्देह हो सकता है । पर यदि वक्ता या श्रोता कुशल है तब इसके प्रयोगका नियम नहीं है, क्योंकि बिना प्रयोगके ही वे स्याच्छब्दके सापेक्षत्व अर्थको बुद्धिगत कर सकते हैं । अथवा स्पष्टताके लिए इसका प्रयोग होना ही चाहिए । जैसे 'अहम् अस्मि' इन दो पदोंमेंसे किसी एकका प्रयोग करनेसे दूसरेका मतलब निकल आता है, पर स्पष्टताके लिए दोनोका प्रयोग किया जाता है । सप्ताहमें समझदारोंकी अपेक्षा कमसमझ या नासमझोंकी संख्या औसत दर्जे अधिक रहती आई है । अतः सर्वत्र स्यात् शब्दका प्रयोग करना ही राजमार्ग है ।

स्यादस्ति-अवक्तव्य आदि तीन भंग परमनकी अपेक्षा भी इस तरह लगाये जाते हैं कि—अद्वैत-वादिभोका सम्नात्र तत्व अस्ति होकर भी अवक्तव्य है, क्योंकि केवल सामान्यमे वचनकी प्रवृत्ति नहीं होती। बौद्धोंका अन्यापोह नास्तिरूप होकर भी अवक्तव्य है, क्योंकि शब्दके द्वारा मात्र अन्यका अपोह करनेसे किसी विशिष्ट वस्तुका बोध नहीं हो सकेगा। बौध्दिकके स्वतन्त्र सामान्य और विशेष अस्ति-नास्ति रूप—सामान्य विशेष रूप होकर भी अवक्तव्य—शब्दके वाच्य नहीं हो सकते, क्योंकि दोनोंको स्वतन्त्र माननेसे उनमें सामान्य-विशेषभाव नहीं हो सकेगा। सर्वथा भिन्न सामान्य और विशेषमे शब्दकी प्रवृत्ति नहीं होती और न वैसी हालतमें कोई अर्थक्रिया ही हो सकती है।

सकलादेश-विकलादेश—इन भगोका प्रयोग दो दृष्टियोंसे होता है—१-सकलादेशदृष्टि, जिसे स्याद्वाचशब्दसे भी म्यवहृत किया गया है और यही प्रमाणरूप होती है। २-विकलादेशदृष्टि, इसे नय शब्दसे कहते हैं। एक धर्मके द्वारा समस्त वस्तुको अखण्डरूपसे ग्रहण करनेवाला सकलादेश है तथा उसी धर्मको प्रदान तथा शेष धर्मोंको गौण करनेवाला विकलादेश है। स्याद्वाच अनेकान्तात्मक अर्थको ग्रहण करता है, जैसे 'जीव.' कहनेसे ज्ञानदर्शनादि असाधारण गुणवाले, सत्व-प्रमेयत्वादि साधारण स्वभाववाले तथा अमूर्तत्व-असख्यातप्रदेशित्व आदि साधारणमाधारण-धर्मशाली जीवका समग्र भावसे ग्रहण हो जाता है। इसमें सभी धर्म एकरूपसे गृहीत होते हैं अत यहाँ गौण-मुख्यविवक्षा अन्तर्लीन हो जाती है।

विकलादेश—नय एक धर्मका मुख्यतया कथन करता है। जैसे 'जीव' कहनेसे जीवके ज्ञानगुण-का मुख्यतया बोध होगा तथा शेषधर्म गौणरूपसे उसीके गर्भमे प्रतिभासित होंगे। एक धर्मका मुख्यतया बोध करानेके कारण ही वह वाक्य विकलादेश या नय कहा जाता है। नयमें भी स्यात् पदका प्रयोग किया जाता है और वह इसलिए कि-शेषधर्मोंकी गौणता उसमे सूचित होती रहे, उनका निराकरण न हो जाय। इसीलिए स्यात्पदलाञ्छित नय सम्यक् नय कहलाता है। 'स्याज्जीव एव' यह वाक्य अनन्तधर्मात्मक जीव-का अखण्डभावसे बोध कराता है, अत यह सकलादेशवाक्य है। 'स्यादस्त्येव जीव.' इस वाक्यमे जीवके अस्तित्व धर्मका मुख्यतया कथन होता है अत यह विकलादेशात्मक नयवाक्य है। तात्पर्य यह कि सकलादेशमें धर्मिवाचक शब्दके साथ एवकारका प्रयोग होता है और विकलादेशमे धर्मवाचक शब्दके साथ।

अकलकदेवने राजवार्तिकमे दोनो वाक्योंका 'स्यादस्त्येव जीव' यही उदाहरण दिया है और उनकी सकल-विकलादेशता समझाने हुए लिखा है कि—जहाँ अस्ति शब्दके द्वारा सारी वस्तु समग्रभावसे पकड़ ली जाय वहाँ सकलादेश, तथा जहाँ अस्तिके द्वारा अस्तित्वधर्ममुख्यक एव शेषानन्तधर्मगौणक वस्तु कही जाय वह विकलादेश समझना चाहिए। इस तरह दोनो वाक्योंमे यद्यपि समग्र वस्तु गृहीत हुई पर सकलादेशमें सभी धर्म मुख्यरूपसे गृहीत हुए हैं जब कि विकलादेशमे एक ही धर्म मुख्यरूपसे गृहीत हुआ है। यहाँ यह प्रश्न सहज ही उठ सकता है कि—'जब सकलादेशका प्रत्येक भग समग्र वस्तुका ग्रहण करता है तब सकलादेशके सातो भगोमे परस्पर भेद क्या हुआ?' इसका उत्तर यह है कि—यद्यपि सभी धर्मोंमे पूरी वस्तु गृहीत होती है सही, पर स्यादस्ति भगमे अस्तित्व धर्मके द्वारा तथा स्यान्नास्ति भगमे नास्तित्व धर्मके द्वारा। उनमे मुख्य-गौणभाव भी इतना ही है कि—जहाँ अस्ति शब्दका प्रयोग है वहाँ मात्र 'अस्ति' इस शाब्दिक प्रयोग हीकी मुख्यता है धर्मकी नहीं। शेषधर्मोंकी गौणताका तात्पर्य है उनका शाब्दिक अप्रयोग।

इस तरह अकलकदेवने सातो ही भगोंको सकलादेश तथा विकलादेश कहा है। सिद्धसेतनगणि आदि अस्ति, नास्ति तथा अवक्तव्य इन तीन भंगोंको एकधर्मवाली वस्तुको ग्रहण करनेके कारण विकलादेश तथा शेष भंगोंको अनेकधर्मवाली वस्तु ग्रहण करनेके कारण सकलादेश कहते हैं।

मलयगिरि आचार्यकी दृष्टिसे सब ही नय मिथ्यारूप हैं। इनका कहना है कि—यदि नयवाक्यमें स्यात् शब्दका प्रयोग किया जायगा तो वे स्याच्छब्दके द्वारा सूचित अनन्तधर्मके प्राहक हो जानेके कारण प्रमाणरूप ही हो जायेंगे। अन प्रमाणवाक्यमें ही स्याच्छब्दका प्रयोग उनके मतसे ठीक है नय वाक्यमें नहीं। इसी आशयसे उन्होने अकलकके मतकी ममालोचना की है। उपा० यशोविजयजीने इसका समाधान करते हुए लिखा है कि—मान स्यात् पदके प्रयोगसे ही नयवाक्यमें प्रमाणता नहीं आ सकती, क्योंकि प्रमाणमें तो अनन्तधर्मोंका मुख्यनया ग्रहण होता है जबकि मुनयमें स्याच्छब्द-सूचित बाकी धर्म गौण रहते हैं आदि। अतः समन्तभद्र, सिद्धसेन आदि द्वारा उपज्ञात यही व्यवस्था ठीक है कि—सापेक्ष नय सत्यम्, तथा निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं।

सहायादि दूषण—अनेकात्मक वस्तुमें सहायादि दूषणोंके शिकार जैन ही नहीं बने किन्तु इतर लोग भी हुए हैं। जैनकी तरह पानञ्जलमहाभाष्यमें वस्तुको उत्पादादिधर्मशाली कहा है। व्यासभाष्यमें परिणामका लक्षण करते हुए स्पष्ट लिखा है कि—‘अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्ती धर्मान्नरोत्पत्ति परिणाम’ अर्थात् स्थिर द्रव्यकी एक अवस्थाका नाश होना तथा दूसरीका उत्पन्न होना ही परिणाम है। इसी भाष्यमें ‘सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य’ प्रयोग करके अर्थकी सामान्यविशेषात्मकता भी द्योतित की है। भट्टकुमारिलने मीमांसाश्लोकावार्तिकमें अर्थकी सामान्यविशेषात्मकता तथा भेदाभेदान्मकताका इतर-दूषणोंका परिहार करके प्रबल समर्थन किया है। उन्होने समन्तभद्रकी “घटमीलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्” (आप्तमी० का० ५९) जैसी—“वर्षमानकभगेन रुचक क्रियते यदा। तथा पूर्वाधिन शोक प्रीतिश्चाप्युत्तराधिन ॥ हेमाधिनेस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्दस्तु त्रयात्मकम् ॥” इत्यादि कारिकाएँ लिखकर बहुत स्पष्टरूपसे वस्तुके त्रयात्मकत्वका समर्थन किया है। भास्कराचार्यने भास्करभाष्यमें ब्रह्मसे अवस्थाओका भेदाभेद समर्थन बहुत विस्तारमें किया है। कुमारिलानुयायी पार्थसारथिमिश्र भी अवयव-अवयवी, धर्म-धर्मों आदिमें कथञ्चित् भेदाभेदका समर्थन करते हैं। साख्यके मतसे प्रधान एक होते हुए भी त्रिगुणात्मक, नित्य होकर भी अनित्य, अव्यक्त होकर भी व्यक्त आदि रूपसे परिणामी नित्य माना गया है। व्यासभाष्यमें ‘त्रैलोक्यं व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषेधात्, अपेतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्’ लिखकर वस्तुकी नित्यानित्यात्मकता द्योतित की है। इस संक्षिप्त यादीसे इनका ध्यानमें आ जाता है कि जैनकी तरह कुमारिलादि मीमांसक तथा साख्य भेदाभेदवादी एव नित्यानित्यवादी थे।

दूषण उद्भावित करनेवालोंमें हम सबसे प्राचीन बादरायण आचार्यको कह सकते हैं। उन्होने ब्रह्म-सूत्रमें ‘नैकस्मिन्ननगमवात्’—एकमें अनेकता अमम्भव है—लिखकर सामान्यरूपसे एकानेकवादियोंका खण्डन किया है। उपलब्ध बौद्ध ग्रन्थोंमें धर्मकीति प्रमाणवार्तिकमें साख्यके भेदाभेदमें विरोध उद्भावन करके ‘एतेनैव यदह्लीका’ आदि लिखते हैं। तात्पर्य यह कि धर्मकीतिका मुख्य आक्षेप साख्यके ऊपर है तथा उन्ही बोधोंका उपसंहार जैनका खण्डन करते हुए किया गया है। धर्मकीतिके टीकाकार कर्णकगोत्रि जहाँ भी भेदाभेदात्मकताका खण्डन करते हैं वहाँ ‘एतेन जैनजैमिनीयं यदुक्तम्’ आदि शब्द लिखकर जैन और जैमिनिके ऊपर एक ही साथ प्रहार करते हैं। एक स्थानपर तो ‘तदुक्तं जैनजैमिनीयं’ लिखकर समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाका ‘सर्वात्मक तदेकं स्यादश्यापोहव्यतिक्रमे’ यह कारिकाश उद्धृत किया है। एक जगह विगम्बरका खण्डन करते हुए ‘तदाह’ करके समन्तभद्रकी ‘घटमीलिसुवर्णार्थी, पयोव्रतो न दप्यत्ति, न सामान्यात्मनोदेति’ इन तीन कारिकाओंके बीचमें कुमारिलकी “न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्। स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तस्माद्दस्तु त्रयात्मकम् ॥” यह कारिका भी उद्धृत की है। इससे मालूम होता है कि बौद्ध ग्रन्थकारोंका

प्रहार भेदाभेदात्मक अंशमें सांख्यके साथ ही साथ जैन और जैमिनिपर समानरूपसे होता था। उनका जैनके नामसे कुमारिलकी कारिकाको उद्धृत करना तथा समन्तभद्रकी कारिकाके ऊपर जैनके साथ जैमिनिका भी प्रयोग करना इस बातको स्पष्ट बतलाता है कि उनकी दृष्टिमें जैन और जैमिनिमें भेदाभेदात्मक माननेवालोंके रूपसे भेद नहीं था। तत्त्वसंग्रहकारने तो 'विप्रनिर्ग्रन्थकापिल' लिखकर इस बातको अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है।

संशयादि आठ दूषण अभी तक किसी ग्रन्थमें एक साथ नहीं देखे गए हैं। शाकरभाष्यमें विरोध और सशय इन दो दूषणोंका स्पष्ट उल्लेख है, तत्त्वसंग्रहमें साक्यं दूषण भी दिया गया है। बाकी प्रसाधा-वास्तिक आदिमें मुख्यरूपसे विरोध दूषण ही दिया गया है। वस्तुतः समस्त दूषणोंका मूल आचार तो विरोध ही है। हाँ, स्यादादरत्नाकर (पृ० ७३८) में नैयायिककी एक कारिका 'तदुक्तम्' करके उद्धृत की है—

“संशयविरोधवैयधिकरण्यसकरमधोभय दोषः। अनवस्था व्यतिकरमपि जैनमते सप्त दोषाः स्तुः ॥”

इस कारिकामें एक साथ सात दूषण गिनाए गए हैं। आठ दूषणोंका परिहार भी सर्वप्रथम अफलकने ही किया है। उन्होने लिखा है कि—जैसे मेघकरत्न एक हीकर भी अनेक विरोधी रंगोंको युग्मत् कारण करता है, उसी तरह प्रत्येक वस्तु विरोधी अनेक धर्मोंको धारण कर सकती है। इसी मेघकरत्नके दृष्टान्तसे संशयादि दोषोंका परिहार भी किया है। सामान्य-विशेषका दृष्टान्त भी इसी प्रसंगमें दिया है—जैसे पृथिवीत्व जाति पृथिवीव्यक्तियोंमें अनुगत होनेसे सामान्यरूप होकर भी जलादिसे भ्वावर्तक होनेके कारण विशेषरत्नक है और इस तरह परस्पर विरोधी सामान्य-विशेष उभय रूपोंको धारण करती है, उसी तरह समस्त पदार्थ एक हीकर भी अनेकात्मक हो सकते हैं। प्रमाणसिद्ध वस्तुमें विरोधादि दोषोंको कोई स्थान ही नहीं है। जिस प्रकार एक वृक्ष अवयवविशेषमें चलात्मक तथा अवयवविशेषकी दृष्टिसे अचलात्मक होता है, एक ही घडा एकदेशेन लालरंगका तथा दूसरे देशमें अन्य रंगका, एकदेशेन ठंडा हुआ तथा अन्यदेशसे अनावृत, एकदेशेन नष्ट तथा दूसरे देशसे अनष्ट रह सकता है, उसी तरह एक वस्तु भी अनेकधर्मवाली हो सकती है।



न्यायविनिश्चय और उसका विषय विवेचन

दर्शन

संसारके यावत् चर-अचर प्राणियोंमें मनुष्यकी चेतना सविशेष विक्रमिण है। उसका जीवन अन्य प्राणियोंकी तरह केवल आहार, निद्रा, रक्षण और प्रजननमें ही नहीं बीतता किन्तु वह अपने स्वरूप, मरणोत्तर जीवन, जड़ जगत्, उससे अपने सम्बन्ध आदिके विषयमें सहज गतिसे मनन-विचार करनेका अभ्यासी है। सामान्यतः उसके प्रश्नोंका दार्शनिक रूप इस प्रकार है—आत्मा क्या है? परलोक है या नहीं? यह जड़ जगत् क्या है? इससे आत्माका क्या सम्बन्ध है? यह जगत् स्वयं सिद्ध है या किसी चेतन शक्तिसे समुत्पन्न है? इसकी गतिविधि किसी चेतनसे नियन्त्रित है या प्राकृतिक साधारण नियमोंसे आबद्ध? क्या असत्से सत् उत्पन्न हुआ? क्या किसी सत्का विनाश हो सकता है? इत्यादि प्रश्न मानव जातिके आदिकालसे बराबर उत्पन्न होते रहे हैं और प्रत्येक दार्शनिक मानस इसके समाधानका प्रयास करता रहा है। ऋग्वेद तथा उपनिषत्-कालीन प्रश्नोंका अध्ययन इस बातका साक्षी है। दर्शनशास्त्र ऐसे ही प्रश्नोंके सम्बन्धमें उद्घोषा करता आया है। प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थकी व्याख्यामें मतभेद हो सकता है पर स्वरूप उसका विवादासे परे है किन्तु परोक्ष पदार्थकी व्याख्या और स्वरूप दोनों ही विवादके विषय हैं। यह ठीक है कि दर्शनका क्षेत्र इन्द्रियगम्य और इन्द्रियातीत दोनों प्रकारके पदार्थ है। पर मुख्य विचार यह है कि—दर्शनको परिभाषा क्या है? उसका वास्तविक अर्थ क्या है? जैसे साधारणतया दर्शनका मुख्य अर्थ साक्षात्कार करना होता है। वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान ही दर्शनका मुख्य अभिषेय है। यदि दर्शनका यही मुख्य अर्थ हो तो दर्शनोंमें भेद कैसा? किसी भी पदार्थका वास्तविक पूर्ण प्रत्यक्ष दो प्रकारका नहीं हो सकता। अर्थात् प्रत्यक्ष गरम और ठण्डके रूपमें दो तरहसे न अनुभवगम्य है और न विद्वासयोग्य ही। फिर दर्शनोंमें तो पय-पयपर परस्पर विरोध विद्यमान है। ऐसी दशामें किसी भी जिज्ञासुको यह सन्देह स्वभावतः होता है कि—जब सभी दर्शन-प्रणेता ऋषियोंने तत्त्वका साक्षाद्दर्शन करके निरूपण किया है तो उनमें इतना मतभेद क्यों है? या तो दर्शन शब्दका साक्षात्कार अर्थ नहीं है या यदि यही अर्थ है तो वस्तुके पूर्ण स्वरूपका वह दर्शन नहीं है या वस्तुके पूर्ण स्वरूपका दर्शन भी हुआ हो तो उसके प्रतिपादनकी प्रक्रियामें अन्तर है? दर्शनके परस्पर विरोधका कोई-न-कोई ऐसा ही हेतु हीना चाहिये। दूर न जाइये, सर्वतः मणिकट आत्माके स्वरूपपर ही दर्शनकारोंके साक्षात्कारपर विचार कीजिये—साध्य आत्माको कूटस्थ नित्य मानते हैं। इनके मतसे आत्माका स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी नित्य है। बौद्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवर्तित ज्ञान-क्षणरूप ही आत्मा मानते हैं। नैयायिक-बैशेषिक परिवर्तन तो मानते हैं, पर वह गुणो तक ही सीमित है। मीमांसकने आत्मामें अवस्थाभेदकृत परिवर्तन स्वीकार करके भी द्रव्य नित्य स्वीकार किया है। योगदर्शनका भी यही अभिप्राय है। जैनोंने अवस्थाभेदकृत परिवर्तनके मूल आधार द्रव्यमें परिवर्तनकालमें किसी भी अपरिवर्तिष्णु अणुको स्वीकार नहीं किया, किन्तु अविच्छिन्न पर्याय-परम्पराके चालू रहनेको ही द्रव्यस्वरूप माना है। बावकि इन सब पक्षोंसे भिन्न भूतचतुष्टयरूप ही आत्मा मानता है। उसे आत्माके स्वतन्त्र द्रव्यके रूपमें दर्शन नहीं हुए। यह तो हुई आत्माके स्वरूपकी बात। उसकी आकृतिपर विचार कीजिये तो ऐसे ही अनेक दर्शन मिलते हैं। आत्मा अमूर्त है या मूर्त होकर भी इतना सूक्ष्म है कि वह हमारे चर्मचक्षुओंसे नहीं दिखाई दे सकता इसमें किसीको विवाद नहीं है। इसलिए अतीन्द्रियदर्शनों कुछ ऋषियोंने अपने दर्शनसे बताया कि आत्मा सर्वव्यापक है। दूसरे ऋषियोंको दिला कि आत्मा अणुरूप है, बटबीजके समान अति सूक्ष्म है। कुछ को दिला कि देहरूप ही आत्मा है तो किन्हींने छोटे-बड़े शरीर-प्रमाण संकोच-

विकासशील आत्माका आकार बताया। विचारा जिज्ञासु अनेक पगडण्डियोंवाले इस शतराहेपर लडा होकर विग्भ्रान्त हुआ या तो दर्शन शब्दके अर्थपर ही शका करता है या फिर दर्शनकी पूर्णतामें ही अविश्वास करनेको उसका मन होता है। प्रत्येक दर्शनकार यही दावा करता है कि उसका दर्शन पूर्ण और यथार्थ है। एक ओर मानवकी मननशक्तिमूलक तर्कको जगाया जाता है और जब तर्क अपने यौवनपर आता है तभी रोक दिया जाता है और 'तर्कप्रतिष्ठ' 'तर्कप्रतिष्ठानात्' जैसे बन्धनोसे उसे जकड दिया जाता है। 'तर्क-से कुछ होने जानेवाला नहीं है' इस प्रकारके तर्कनिरास्यवादका प्रचार किया जाता है। आचार्य हरिभद्र अपने लोकतत्त्वनिर्णयमें स्पष्टरूपसे अतीन्द्रिय पदार्थोंमें तर्ककी निरर्थकता बताते हैं—

“ज्ञायेत् हेतुवादेन पदार्था यच्चतोन्द्रियाः।

कालेनेतावता तेषां कृतः स्यादर्शनर्णयः॥”

अर्थात्—यदि तर्कवादसे अतीन्द्रिय पदार्थोंके स्वरूप-निर्णयकी समस्या हल हो सकती होती, तो इतना समय बीत गया, बड़े-बड़े तर्कशास्त्री तर्केशरी हुए, आज तक उनमें इनका निर्णय कर दिया होता। पर अतीन्द्रिय पदार्थोंके स्वरूपज्ञानकी पफली पहिले से अधिक उलझी हुई है। जय हो उस विज्ञानकी जिसने भौतिक तत्त्वोंके स्वरूपनिर्णयकी दिशामें पर्याप्त प्रकाश दिया है।

दूसरी ओर यह घोषणा की जाती है कि—

“तापात् छेदात् निकषात् सुवर्णमिव पण्डितैः।

परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्ब्रूवो न त्वादरात्॥”

अर्थात्—जैसे सोनेको तपाकर, काटकर, कमीटीपर कसकर उसके सोटे-खरेका निश्चय किया जाता है उमी तरह हमारे बचनोको अच्छी तरह कमीटीपर कसकर उनका बिल्लेधणकर उन्हें ज्ञानान्निमें तपाकर ही स्वीकार करना केवल अन्वध्रष्टासे नहीं। अन्धी श्रद्धा जितनी सस्ती है उतनी शीघ्र प्रतिपातिनी भी।

तब दर्शन शब्दका अर्थ क्या हो सकता है? इस प्रश्नके उत्तरमें पहिले ये विचार आवश्यक है कि—ज्ञान^१ वस्तुके पूर्णरूपको जान सकता है या नहीं? यदि जान सकता है तो इन दर्शन-प्रणेतार्योंको पूर्ण ज्ञान था या नहीं? यदि पूर्ण ज्ञान था तो मतभेदका कारण क्या है?

१ ज्ञान—जीव चैतन्यशक्तिवाला है। यह चैतन्यशक्ति जब बाह्य वस्तुके स्वरूपको जानती है तब ज्ञान कहलाती है। इसीलिए शास्त्रोंमें ज्ञानको साकार बनाया है। जब चैतन्यशक्ति ज्ञेयको न जानकर स्व-चैतन्याकार रहती है तब उस निराकार अवस्थामें दर्शन कहलाती है। अर्थात् चैतन्यशक्तिके दो आकार हुए एक ज्ञेयाकार और दूसरा चैतन्याकार। ज्ञेयाकार दशाका नाम ज्ञान और चैतन्याकार दशाका नाम दर्शन है। चैतन्यशक्ति काँचके समान स्वच्छ और निर्विकार है। जब उस काँचको पीछे पारेकी कलई करके इस योग्य बना दिया जाता है कि उसमें प्रतिबिम्ब पड सके तब उसे दर्पण कहने लगते हैं। जब तक काँचमें कलई लगी हुई है तब तक उसमें किसी न किसी पदार्थके प्रतिबिम्बकी सम्भावना है। यद्यपि प्रतिबिम्बाकार परिणमन काँचका ही हुआ है पर वह परिणमन उसका निमित्तजन्य है। उसी तरह निर्विकार चित्तशक्तिके ज्ञेयाकार परिणमन जिसे हम ज्ञान कहते हैं मन, शरीर, इन्द्रिय आदि निमित्तोंके आधीन है या धों कहिये कि जब तक उसकी बद्ध दशा है तब तक बाह्य निमित्तोंके अनुसार उसका ज्ञेयाकार परिणमन होता रहता है। जब अशरीरी मिद्ध अवस्थामें जीव पहुँच जाता है तब सकल उपाधियोंसे शून्य होनेके कारण उसका ज्ञेयाकार परिणमन न होकर शुद्ध चिन्ताकार परिणमन रहता है। इस विवेचनका संक्षिप्त तात्पर्य यह है—

- | | |
|---|---|
| १. शुद्ध काँच | १. मुक्त जीवका चैतन्य, शुद्ध चिन्मात्र |
| २. कलई लगा हुआ काँच-दर्पण (प्रतिबिम्ब रहित) . | २. सशरीरी समारी जीवका चैतन्य, पर ज्ञेयाकार शून्य, दर्शनावस्था निराकार |
| ३. सप्रतिबिम्ब दर्पण | ३. ज्ञेयाकार, साकार, ज्ञानावस्था |

इस तरह चैतन्यके दो परिणमन—एक निर्विकार अव्यक्त अनन्त शुद्ध चैतन्यरूप मोक्षावस्थाभावी और दूसरा शरीर कर्म आदिसे बद्ध सत्कारि सोपाधिक ससारावस्थाभावी । ससारावस्थाभावी चैतन्यके दो परिणमन एक सप्रतिबिम्ब दर्पणकी तरह ज्ञेयाकार और दूसरा निष्प्रतिबिम्ब दर्पणकी तरह निराकार । ज्ञेयाकार परिणमनका नाम ज्ञान तथा निराकार परिणमनका नाम दर्शन । तत्त्वार्थराजवार्तिकमें—जीवका लक्षण उपयोग किमा है और उपयोगका लक्षण इस प्रकार दिया है—

“बाह्याभ्यन्तरहेतुद्वयसन्निधाने यथासम्भवमुपलब्धुश्चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः ।” (तं वा० २।८) अर्थात्—उपलब्धको (जिस चैतन्यमें पदार्थोंके उपलब्ध अर्थात् ज्ञान करनेकी योग्यता हो) दो प्रकारके बाह्य तथा दो प्रकारके अभ्यन्तर हेतुओंके मिलनेपर जो चैतन्यका अनुविधान करनेवाला परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं । इस लक्षणमें आए हुए ‘उपलब्धु’ और ‘चैतन्यानुविधायी’ ये दो पद विशेष ध्यान देने योग्य हैं । चैतन्यानुविधायी पद यह सूचना दे रहा है कि जो ज्ञान और दर्शन परिणमन बाह्याभ्यन्तर हेतुओंके निमित्तसे ही रहते हैं वे स्वभावभूत चैतन्यका अनुविधान करनेवाले हैं अर्थात् चैतन्य एक अनुविधाता द्रव्यश है और उसके वे बाह्याभ्यन्तर हेत्वधीन परिणमन हैं । चैतन्य इनसे भी परे शुद्ध अवस्थाके शुद्ध परिणमन करनेवाला है । ‘उपलब्धु’ पद चैतन्यकी उस दशाको सूचित करता है जबसे चैतन्यमें बाह्याभ्यन्तर हेतुओंसे निराकार या साकार होनेकी योग्यता होती है और वह अवस्था अनादिकालसे कर्मबद्ध होनेके कारण अनादिसे ही है । तात्पर्य यह कि अनादिसे कर्मबद्ध होनेके कारण चैतन्य-काँचमें वह कलई लगी है जिससे वह दर्पण बना है इसीमें बाह्याभ्यन्तर हेतुओंके अधीन निराकार और साकार परिणमन होते रहते हैं जिन्हें क्रमशः दर्शन और ज्ञान कहते हैं । पर अन्तमें मुक्त अवस्थामें जब सारी कलई घुल जाती है विशुद्ध निर्विकार निर्विकल्प अनन्त अखण्ड चैतन्यमात्र रह जाता है तब उसका शुद्ध चित्रप ही परिणमन होता है । ज्ञान और दर्शन परिणमन बाह्याधीन हैं । उसमें ज्ञान और दर्शनका विभाग ही विलीन हो जाता है ।

तत्त्वार्थराजवार्तिक (१।६) में घटके स्वपरचतुष्टयका विचार करते हुए अन्तमें घटज्ञानगत ज्ञेयाकारके घटका स्वात्मा बताया है और निष्प्रतिबिम्ब ज्ञानाकारको परात्मा । यथा—

“चैतन्यशक्तोर्द्धो ज्ञाकारी ज्ञानाकारो ज्ञेयाकारश्च । अनुपयुक्तप्रतिबिम्बाकारादर्शतल्लब्ध्वा ज्ञानाकारः, प्रतिबिम्बाकारपरिणतादर्शतल्लब्ध्वा ज्ञेयाकारः” इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि चैतन्यशक्तिके दो परिणमन होते हैं—ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार । राजवार्तिकमें ज्ञेयाकार परिणमन उसका साकार परिणमन है तथा ज्ञानाकार परिणमन निराकार । जब तक ज्ञेयाकार परिणमन है तब तक वह वास्तविक अर्थमें ज्ञान-पदशक्तिके धारण करता है और निर्विज्ञेयाकार दृष्टामें दर्शन पर्यायको । जबला टीका (पृ० १, पृ० १४८) और शुद्धव्यवग्रह (पृ० ८१-८२) में सौदामिनिक दृष्टिसे जो दर्शनकी व्याख्या की है उसका तात्पर्य भी यही है कि—विषय और विषयिके सन्निपत्तके पहिले जो चैतन्यकी निराकार परिणति या स्वाकार परिणति है उसे दर्शन कहते हैं । राजवार्तिकमें चैतन्यशक्तिके जिस ज्ञानाकारकी चरचा है वह वास्तविकमें दर्शन ही है । इस विवेचनसे इतना ही स्पष्ट बात हो जाता है कि—चैतन्यकी एक धारा है जिसमें प्रतिक्षण उत्पन्न, व्यव-

संसारके समस्त पदार्थ ज्ञेय अर्थात् ज्ञानके विषय होने शक्य हैं तथा ज्ञान पर्यायमें ज्ञेयके जाननेकी योग्यता है, प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कर्म जब हट जाता है तब वस्तुके पूर्ण स्वरूपका भाग ज्ञान पर्यायके द्वारा अवश्यम्भावी है। ज्ञान पर्यायकी उत्पत्तिका जो क्रम टिप्पणीमें दिया है उसके अनुसार भी जिस-किसी वस्तुके पूर्णरूप तक ज्ञानपर्याय पहुँच सकती है यह निर्विबाध है। जब ज्ञान वस्तुके अनन्तधर्मात्मक विराट् स्वरूपका यथार्थ ज्ञान कर सकता है और यह भी असम्भव नहीं है कि किसी आत्माने ऐसी ज्ञान पर्यायका विकास ही सकता है, तब वस्तुके पूर्णरूपके साक्षात्कारविषयकप्रश्नका समाधान हो ही जाता है। अर्थात् विशुद्ध ज्ञानमें वस्तुके विराट् स्वरूपकी शक्ती आ सकती है। और ऐसा विशुद्ध ज्ञान तत्त्वद्रष्टा ऋषियोका रहा होगा। परन्तु वस्तुका जो स्वरूप ज्ञानमें क्षलकता है उस सबका शब्दोंसे कथन करना असम्भव है क्योंकि शब्दोंमें वह शक्ति नहीं है जो अनुभवको अपने द्वारा जता सके।

सामान्यतया यह तो निश्चित है कि वस्तुका स्वरूप ज्ञान ज्ञेय तो है। जो भिन्न-भिन्न ज्ञाताओंके द्वारा जाना जा सकता है वह एक ज्ञाताके द्वारा भी निर्मल ज्ञानके द्वारा जाना जा सकता है। तात्पर्य यह कि वस्तुका अखण्ड अनन्तधर्मात्मक विराट्स्वरूप अखण्ड रूपसे ज्ञानका विषय तो बन जाता है और तत्त्वज्ञ ऋषियोने अपने मानसज्ञान और योगिज्ञानसे उसे जाना भी होगा। परन्तु शब्दोंकी सामर्थ्य इतनी अत्यल्प है कि जाने हुए वस्तुके धर्मोंमें अनन्त बहुभाग तो अनभिधेय है अर्थात् शब्दसे कहे ही नहीं जा सकते। जो कहे जा सकते हैं उनका अनन्तवाँ भाग ही प्रज्ञापनीय अर्थात् दूसरोंके लिए समझाने लायक होता है। जितना

धौव्यात्मक परिणमन होता रहता है और जो अनादि-अनन्तकाल तक प्रबाहित रहनेवाली है। इस धारणे कर्मबन्धन शरीर-मन्मन्ध्व मन, इन्द्रिय आदिके सन्निधानसे ऐसी कलई लग गई है जिसके कारण इसका ज्ञेयाकार-अर्थात् पदार्थोंके जानने रूप परिणमन होता है। इसका ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमानुसार विकास होता है। सामान्यतः शरीर सम्पर्कके साथ ही इस चैतन्यशक्तिका कलईवाले कौचकी तरह दर्पणवत् परिणमन हो गया है। इस दर्पणवत् परिणमनवाले समयमें जितने समय तक वह चैतन्य-दर्पण किसी ज्ञेयके प्रतिबिम्ब-को लेता है अर्थात् उसे जानता है तब तक उसकी वह साकार दशा ज्ञान कहलाती है और जितने समय उसकी निराकार दशा रहती है, वह दर्शन कही जाती है। इस परिणामी चैतन्यका साक्ष्यके चैतन्यसे भेद स्पष्ट है। साक्ष्यका चैतन्य सदा अविकारी परिणमनसून्य और कूटस्थ नित्य है जब कि जैनका चैतन्य परिणमन करनेवाला परिणामी नित्य है। साक्ष्यके यहाँ बुद्धि या ज्ञान प्रकृतिका धर्म है जब कि जैनसम्मत ज्ञान चैतन्यकी ही पर्याय है। साक्ष्यका चैतन्य ससार दशामे भी ज्ञेयाकार परिच्छेद नहीं करता जब कि जैनका चैतन्य उपाधि दशामे ज्ञेयाकार परिणत होता है, जन्में जानता है। स्थूल भेद तो यह है कि ज्ञान जैनके यहाँ चैतन्यकी पर्याय है जब कि साक्ष्यके यहाँ प्रकृति की। इस तरह ज्ञान चैतन्यकी औषाधिक पर्याय है और यह ससार दशामे बराबर चालू रहती है जब दर्शन अबस्था होती है, तब ज्ञान अबस्था नहीं होती और जब ज्ञान पर्याय होती है, तब दर्शन पर्याय नहीं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म इन्हीं पर्यायोंको हीनाधिक रूपसे आवृत करते हैं और इनके क्षयोपशम और क्षयके अनुसार इनका अपूर्ण और पूर्ण विकास होता है। ससारावस्थामे जब ज्ञानावरणका पूर्ण क्षय हो जाता है तब चैतन्य शक्तिकी साकार पर्याय ज्ञान अपने पूर्ण रूपमें विकासको प्राप्त होती है।

१. "पणवणिज्जा भावा, अणतभागो दु अणभिलप्प्याणं ।
पणवणिज्जाणं पुण, अणतभागो सुदणिवद्धो ॥"

प्रज्ञानीय है उसका अनन्तवा भाग शब्द-श्रुतनिबद्ध होता है। अतः कदाचित् दर्शनप्रणेता ऋषियोने वस्तु-तत्त्वको अपने निर्मल ज्ञानसे अखण्डरूप जाना भी हो तो भी एक ही वस्तुके जाननेके भी दृष्टिकोण जुदे-जुदे हो सकते हैं। एक ही पुष्पको वैज्ञानिक, साहित्यिक, आधुनिक तथा जनसाधारण आँखोंसे समग्र भावसे देखते हैं पर वैज्ञानिक उसके सौन्दर्यपर मुग्ध न होकर उसके रासायनिक संयोगपर ही विचार करता है। कविको उसके रासायनिक मिश्रणकी कोई चिन्ता नहीं, कल्पना भी नहीं, वह तो केवल उसके सौन्दर्यपर मुग्ध है और वह किसी कमनीय कामिनीके उपमालकारमे गूँघनेकी कोमल कल्पनासे आकलित हो उठता है। जब कि वैद्यजी उसके गुणदोषोके विवेचनमें अपने मनको केन्द्रित कर देते हैं। पर सामान्यजन उसकी रोमी-टीमी मोहक सुवाससे वासित होकर ही अपने पुष्पज्ञानकी परिसमाप्ति कर देता है। तात्पर्य यह कि वस्तुके अनन्तधर्मात्मक विराटस्वरूपका अखण्ड भावसे ज्ञानके द्वारा प्रतिभास होनेपर भी उसके विवेचक अभि-प्राय भ्यक्तितभेदसे अनन्त हो सकते हैं। फिर अपने-अपने अभिप्रायसे वस्तुविवेचन करनेवाले शब्द भी अनन्त है। एक वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोणको ही पूर्ण सत्य मानकर कवि या वैद्यके दृष्टिकोण या अभिप्रायको वस्तुतत्त्वका अप्राहृक या असत्य टहराता है तो वह यथार्थद्रष्टा नहीं है, क्योंकि पुष्प तो अखण्ड भावसे सभीके दर्शनका विषय हो रहा है और उस पुष्पमें अनन्त अभिप्रायो या दृष्टिकोणोंसे देखे जानेकी योग्यता है पर दृष्टिकोण और तत्प्रयुक्त शब्द तो जुदे-जुदे हैं और वे आपसमें टकरा भी सकते हैं। इसी टकराहटसे दर्शन-भेद उत्पन्न हुआ है। तब दर्शन शब्दका क्या अर्थ फलित होता है जिसे हरएक दर्शनवादियोने अपने मतके साथ जोडा और जिसके नामपर अपने अभिप्रायोको एक दूसरेसे टकराकर उसके नामको कलंकित किया ? एक शब्द जब लोकमें प्रसिद्धि पा लेता है तो उसका लेबिल तदाभासमिथ्या वस्तुओपर भी लोग लगाकर उसके नामसे स्वार्थ साधनेका प्रयत्न करते हैं। जब जनताको ठगनेके लिए खोली गई दुकाने भी 'राष्ट्रीय-भण्डार' और 'जनता-भण्डार'का नाम धारण कर सकती है और गान्धीछाप शराब भी ब्यक्साइयोने बना ढाली है तो दर्शनके नामपर यदि पुराने जमानेमे तदाभास चल पड़े हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। सभी दार्शनिकोने यह दावा किया है कि उनके ऋषिने दर्शन करके तत्त्वका प्रतिपादन किया है। ठीक है, किया होगा ?

दर्शनका एक अर्थ है—सामान्यावलोकन। इन्द्रिय और पदार्थके सम्पर्कके बाद जो एक बार ही वस्तुके पूर्ण रूपका अखण्ड या सामान्य भावसे प्रतिभास होता है उसे शास्त्रकारोने निर्विकल्प दर्शन माना है। इस सामान्य दर्शनके अनन्तर समस्त क्षणोंका मल विकल्प जाता है जो उस सामान्य प्रतिभासको अपनी कल्पनाके अनुसार चित्रित करता है।

धर्मकीर्ति आचार्य ने प्रमाणवातिक (३।४४) मे लिखा है कि—

“तस्माद् दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः।

भ्रान्तेर्निश्चीयते नेति साधनं सम्प्रवर्तते ॥”

अर्थात् दर्शनके द्वारा दृष्टपदार्थके सभी गुण दृष्ट हो जाते हैं, उनका सामान्यावलोकन हो जाता है। पर भ्रान्तिके कारण उनका निश्चय नहीं हो पाता इसलिए साधनोंका प्रयोग करके तत्तद्धर्मोंका निर्णय किया जाता है।

तात्पर्य यह कि—दर्शन एक ही बारमे वस्तुके अखण्ड स्वरूपका अवलोकन कर लेता है और इसी अर्थमे यदि दर्शनशास्त्रके दर्शन शब्दका प्रयोग है तो मतभेदकी गुंजाइश रह सकती है, क्योंकि यह सामान्याव-लोकन प्रतिनियत अर्थक्रियाका साधक नहीं होता। अर्थक्रियाके लिए तो तत्पदशोके निश्चयकी आवश्यकता

है। अतः असली कार्यकारी तो दर्शनके बाद होनेवाले शब्दप्रयोगवाले विकल्प हैं। जिन विकल्पोंको दर्शनका पृष्ठबल प्राप्त है वे प्रमाण हैं तथा जिन्हें दर्शनका पृष्ठबल प्राप्त नहीं है अर्थात् जो दर्शनके बिना मात्र कल्पनाप्रसूत है वे अप्रमाण हैं। अतः यदि दर्शन शब्दको आत्मा आदि पदार्थोंके सामान्यावलोकन अर्थमें लिया जाता है तो भी मतभेदकी गुजाहश कम है। मतभेद तो उस सामान्यावलोकनकी व्याख्या और निरूपण करनेमें है। एक सुन्दर स्त्रीका मृत शरीर देखकर विरामी भिक्षुको ससारकी असार दशाकी भावना होती है। कामी पुरुष उसे देखकर सोचता है कि कदाचित् यह जीबित होती'। तो कुता अपना भय समझकर प्रसन्न होता है। यद्यपि दर्शन तीनोंको हुआ है, पर व्याख्याएँ जुदी-जुदी हैं। जहाँतक वस्तुके दर्शनकी बात है वह विवादसे परे है। वाद तो शब्दोंसे शुरू होता है। यद्यपि दर्शन वस्तुके बिना नहीं होता और वही दर्शन प्रमाण माना जा सकता है जिसे अर्थका बल प्राप्त हो अर्थात् जो पदार्थसे उत्पन्न हुआ हो। पर यहाँ भी वही विवाद उपस्थित होता है कि कौन दर्शन पदार्थकी सत्ताका अविनाशनी है तथा कौन पदार्थके बिना केवल काल्पनिक है? प्रत्येक यही कहता है कि हमारे दर्शनने आत्माको उसी प्रकार देखा है जैसा हम कहते हैं, तब यह निर्णय कैसे हो कि यह दर्शन वास्तविक अर्थसमुद्भूत है और यह दर्शन मात्र कपोलकल्पित? निविकल्प दर्शनको प्रमाण मानने बालोने भी उसी निविकल्पको प्रमाण माना है जिसकी उत्पत्ति पदार्थसे हुई है। अतः प्रश्न ज्योका त्यो है कि दर्शन शब्दका वास्तविक क्या अर्थ हो सकता है?

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि अनन्तघर्मवाले पदार्थको ज्ञान करनेके दृष्टिकोणोंको शब्दके द्वारा कहनेके प्रकार अनन्त होने हैं। इनमें जो दृष्टियाँ वस्तुका स्पर्श करती हैं तथा अन्य वस्तुस्पर्शा दृष्टियोंका समादर करती हैं वे सत्योन्मुख हैं। जिनमें यह आग्रह है कि मेरे द्वारा देखा गया ही वस्तुतत्त्व सच्चा और अन्य मिथ्या वे वस्तुस्वरूपसे पराङ्मुख होनेके कारण विसंवादिनी हो जाती है। इस तरह वस्तुके स्वरूपके आधारसे दर्शन शब्दके अर्थको बैठानेका प्रयास कथमपि सार्थक हो जाता है। जब वस्तु स्वयं नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भाव-अभाव, आदि विरोधी द्वन्द्वोंका अविरोधी क्रीडास्थल है, उसमें उन सबको मिलकर रहनेमें कोई विरोध नहीं है; तब इन देखनेवालों (दृष्टिकोणों) को क्यों खुराफात सूझता है जो उन्हें एक साथ नहीं रहने देते। प्रत्येक दर्शनके ऋषि अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार वस्तुस्वरूपको देखकर उसका चिन्तन करते हैं और उसी आधारसे विश्वव्यवस्था बैठानेका प्रयास करते हैं उनकी मनन-चिन्तनधारा इतनी तीव्र होती है कि उन्हें भावनावश उस वस्तुका साक्षात्कार-जैसा होने लगता है। और इस भावनात्मक साक्षात्कारको ही दर्शन संज्ञा मिल जाती है।

सम्यग्दर्शनमें भी एक दर्शन शब्द है। जिसका लक्षण तत्त्वार्थसूत्रमें तत्त्वार्थश्रद्धान किया गया है। यहाँ दर्शन शब्दका अर्थ स्पष्टता श्रद्धान ही है। अर्थात् तत्त्वोंमें दृढ़ श्रद्धा या श्रद्धानका होना सम्यग्दर्शन कहलाता है। इस अर्थसे जिनकी जिसपर दृढ़ श्रद्धा अर्थात् तीव्र विश्वास है वही उसका दर्शन है। और यह अर्थ जो को लगता भी है कि अमुक-अमुक दर्शनप्रणेता ऋषियोंको अपने द्वारा प्रणीत तत्त्वपर दृढ़ विश्वास था। विश्वासकी भूमिकाएँ तो जुदी-जुदी होती हैं। अतः जब दर्शन विश्वासकी भूमिकापर आकर प्रतिष्ठित हुआ तब उसमें मतभेदका होना स्वाभाविक बात है। और इसी मतभेदके कारण मूम्बे-मूम्बे, मूर्तिभिन्नाके जीवित रूपमें अनेक दर्शनोंकी सृष्टि हुई और सभी दर्शनोंने विश्वासकी भूमिमें उत्पन्न होकर भी अपनेमें पूर्णता और साक्षात्कारका स्वाँग भरा और अनेक अपरिहार्य मतभेदोंकी सृष्टि की। जिनके समर्थनके लिए शास्त्रार्थ हुए, संघर्ष हुए और दर्शनशास्त्रके इतिहासके पृष्ठ रक्तरंजित किए गए।

सभी दर्शन विश्वासकी भूमिमें पनपकर भी अपने प्रणेताओंमें साक्षात्कार और पूर्ण ज्ञानकी भावना-को फैलाते रहे फलतः जिज्ञासु सन्दिग्धके चौराहेपर पहुँचकर दिग्भ्रान्त होता गया। इस तरह दर्शनोंने अपने-

८० : डॉ० महेश्वरकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

अपने विश्वासके अनुसार जिज्ञासुको सत्य साक्षात्कार या तत्त्व साक्षात्कारका पूरा भरोसा तो दिया पर तत्त्व-ज्ञानके स्थानमें सशय ही उसके पल्ले पड़ा ।

जैनदर्शनकी देन

जैनदर्शनमें इस दिशामें उल्लेखयोग्य मार्ग-प्रदर्शन किया है । उसने श्रद्धाकी भूमिकापर जन्म लेकर भी वह वस्तुस्वरूपस्यर्षी विचार प्रस्तुत किया है जिससे वह श्रद्धाकी भूमिकासे निकलकर तत्त्वसाक्षात्कारके रङ्गमंचपर पहुँचा है । उसने बताया कि जगत्का प्रत्येक पदार्थ मूलतः एक रूपमें सत् है । प्रत्येक सत् पर्याय-दृष्टिसे उत्पन्न-विनष्ट होकर भी द्रव्यकी अनाद्यनन्त धारामें प्रवाहित रहता है अर्थात् न वह कूटस्थनित्य है, न सातिशय नित्य न, अनित्य । किन्तु परिणामीनित्य है । जगत्के किसी सत्का विनाश नहीं हो सकता और न किसी अमत्की उत्पत्ति । इस तरह स्वरूपतः पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रुव्यात्मक है । प्रत्येक पदार्थ नित्य-अनित्य, एक-अनेक, मत्-असत् जैसे अनेक विरोधी द्वन्द्वोका अवरोधी आधार है । वह अनन्त शक्तियोका अखण्ड मौलिक है । उसका परिणमन प्रतिक्षण होता रहता है पर उसकी मूलधाराका प्रवाह न तो कहीं सूखता है और न किसी दूसरी धारामें विलीन ही होता है । जगत्में अनन्त-चेतन द्रव्य, अनन्त अचेतन द्रव्य, एक धर्म-द्रव्य, एक आकाशद्रव्य, और असंख्यकालद्रव्य अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं । वे कभी एक दूसरेमें विलीन नहीं हो सकते और अपना मूलद्रव्यत्व नहीं छोड़ सकते । प्रत्येक प्रतिक्षण परिणामी है । उसका परिणमन सद्गुण भी होता है बिसद्गुण भी । द्रव्यान्तरसंक्रान्ति इनमें कदापि नहीं हो सकती । इस तरह प्रत्येक चेतन अचेतन-द्रव्य अनन्त धर्मोका अखण्ड अविभागी मौलिक तत्त्व है । इसी अनेकान्त-अनन्तधर्मा पदार्थको प्रत्येक दार्शनिकने अपने-अपने दृष्टिकोणसे देखनेका प्रयास किया है ।

कोई दार्शनिक वस्तुकी सीमाको भी अपनी कल्पनादृष्टिसे लौंघ गए है । यथा, वेदान्त दर्शन जगत्में एक ही सत्-ब्रह्मका अस्तित्व मानता है । उसके मतसे अनेक सत् प्रातिभासिक है । एक सत्का चेतन-अचेतन, मूर्त-अमूर्त, निष्क्रिय-सक्रिय आदि विरुद्ध रूपसे मायाबन्ध प्रतिभास होता रहता है । इसी प्रकार विज्ञानवाद या धून्यवादने बाह्य घट-पटादि पदार्थोका लोप करके उनके प्रतिभासको वासनाजन्य बताया है । जहाँ तक जैन दार्शनिकोंने जगत्का अवलोकन किया है वस्तुकी स्थितिको अनेकधर्मात्मक पाया, और इसीलिए अनेकान्तात्मक तत्त्वका उनमें निरूपण किया । वस्तुके पूर्णरूपको अनिर्वचनीय बाह्यमानसागोचर या अवक्तव्य सभी दार्शनिकोंने कहा है । इसी वस्तुरूपको विभिन्न दृष्टिकोणोंसे जानने और कथन करनेका प्रयास भिन्न-भिन्न दार्शनिकोंने किया है । जैनदर्शनमें वस्तुमात्रको परिणामीनित्य स्वीकार किया । कोई भी सत् पर्याय रूपसे उत्पन्न और विनष्ट होकर भी द्रव्यरूपसे अविच्छिन्न रहता है, अपनी असङ्गीय सत्ता रखता है ।

साध्य दर्शनमें यह परिणामिनित्यता प्रकृति तक ही सीमित है । पुरुष तत्त्व इनके मतमें कूटस्थ नित्य है । उसका विद्य-व्यवस्थामें कोई हाथ नहीं है । प्रकृति परिणामिनी होकर भी एक है । एक ही प्रकृतिका घटपटादि मूर्त रूपमें और आकाशादि अमूर्तरूपमें परिणमन होता है । यही प्रकृति बुद्धि अहङ्कार जैसे चेतन भावो रूपसे परिणत होती है और यही प्रकृति स्वरस गन्ध आदि जडभाव रूपमें । परन्तु इस प्रकारके विरुद्ध परिणमन एक ही साथ एक ही तत्त्वमें कैसे सम्भव है ? यह तो हो सकता है कि ससारमें जितने चेतनभिन्न पदार्थ हैं वे एक जातिके हो पर एक तो नहीं हो सकते । वेदान्तीने जहाँ चेतन-भिन्न कोई दूसरा तत्त्व स्वीकार न करके एक सत्का चेतन और अचेतन, मूर्त-अमूर्त, निष्क्रिय-सक्रिय, आन्तर-बाह्य आदि अनेकधा प्रतिभास माना और दृश्य जगत्की परमार्थ सत्ता न मानकर प्रातिभासिक सत्ता ही स्वीकार की वहाँ साध्य चेतनतत्त्वको अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मानकर भी, प्रकृतिको एक स्वीकार करता है और उसमें विरुद्ध परिण-

मनोंकी वास्तविक स्थिति मानना चाहता है। वेदान्तीकी विरुद्ध-प्रतिभास वाली बात कदाचित् समझमें आ भी जाय पर साक्ष्यकी विरुद्धपरिणमनोंकी वास्तविक स्थिति स्पष्टतः बाधित है।

वेदान्तकी इस असङ्गतिका परिहार तो साक्ष्यने अनेक चेतन और जड़प्रकृति मानकर किया कि— 'अद्वैत ब्रह्म तत्त्वमे बद्ध और मुक्त चैतन्य जुदा-जुदा कैसे हो सकते हैं ? एक ही ब्रह्मतत्त्व चेतन और जड़ इन दो महाविरोधी परिणमनोंका आधार कैसे बन सकता है ?' अनेक चेतन माननेसे कोई बद्ध और कोई मुक्त रह सकता है। जड़ प्रकृति माननेसे जहात्मक परिणमन प्रकृतिके हो सकते हैं ? परन्तु एक अक्षण्ड-मत्ताक प्रकृति अमूर्त आकाश भी बन जाय और मूर्त घडा भी बन जाय। बुद्धि अहंकार भी बने और रूप-रस भी बने, सो भी परमार्थतः; यह महान् विरोध सर्वथा अपरिहार्य है। एक सेर वजनके घडेको फोडकर आधा-आधा सेरके दो वजनदार ठोस टुकडे किये जाते हैं जो अपनी पृथक् ठोस मत्ता रखते हैं। यह विभाजन एकमत्ताक प्रकृतिमें कैसे हो सकता है। संसारके यावत् जडोंमें मत्त्व रजस्तमम इन तीन गुणोंका अन्वय देखकर एकजातीयता तो मानी जा सकती है, एकमत्ता नहीं। इस तरह साक्ष्यकी विरुद्धव्यवस्थामें अपरिहार्य असंगति बनी रहती है।

न्यायवैशेषिकोंने जड़तत्त्वका पृथक्-पृथक् विभाजन किया। मूर्तद्रव्य जुदा माने, अमूर्त जुदा। पृथिवी आदिके अनन्त परमाणु स्वीकार किए। पर ये इतने भेदपर उतरे कि क्रिया गुण सम्बन्ध सामान्य आदि परिणमनोंको भी स्वतन्त्र पदार्थ मानने लगे, यद्यपि गुण क्रिया सामान्य आदिकी पृथक् उपलब्धि नहीं होती और न ये पृथक्मिद्ध ही हैं। वैशेषिकोंको सप्रत्योपाध्याय कहा है। इसकी प्रकृति है—जितने प्रत्यय हो उतने पदार्थ स्वीकार कर लेना। 'गुण गुण प्रत्यय' हुआ तो गुण पदार्थ मान लिया। 'कर्म कर्म' प्रत्यय हुआ एक स्वतन्त्र कर्म पदार्थ माना गया। फिर इन पदार्थोंका द्रव्यके साथ सम्बन्ध स्थापितकरनेके लिए समवाय नामका स्वतन्त्र पदार्थ मानना पडा। जलमे गन्धकी, अग्निमें रसकी और वायुमें रूपकी अनुद्भूति देखकर पृथक् पृथक् द्रव्य माने। पर वस्तुतः वैशेषिकका प्रत्ययके आधारसे स्वतन्त्र पदार्थ माननेका सिद्धान्त ही गलत है। प्रत्ययके आधारसे उसके विषयमूल धर्म तो जुदा-जुदा किसी तरह माने जा सकते हैं, पर स्वतन्त्र पदार्थ मानना किमी तरह युक्तिसंगत नहीं है। इस तरह एक ओर वेदान्ती या साक्ष्यने क्रमशः जगत्में और प्रकृतिमें अमेदकी कल्पना की वहाँ वैशेषिकने आत्यन्तिक भेदको अपने दर्शनका आधार बनाया। उपनिषत्में जहाँ वस्तुके कूटस्थनित्यत्वको स्वीकार किया गया है वहाँ अजित केशकम्बलि जैसे उच्छेदवादी भी विद्यमान थे। बुद्धने आत्माके मरणोत्तर जीवन और शरीरसे उसके भेदाभेदको अव्याकरणिय बताया है। बुद्धको डर था कि यदि हम आत्माके अस्तित्वको मानते हैं तो नित्यात्मवादका प्रसङ्ग आता है और यदि आत्माका नास्तित्व कहते हैं तो उच्छेदवादकी आपत्ति आती है। अतः उनने इन दोनों वादोंके डरसे उसे अव्याकरणिय कहा है। अन्यथा उनका सारा उपदेश भूतवाचके विरुद्ध आत्मवादकी भित्तिपर है ही।

चैतन्यदर्शन वास्तवमें बहुत्ववादी है। वह अनन्त चैतन्यतत्त्व, अनन्त पुद्गलद्रव्य-परमाणु, एक धर्म-द्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्य कालाणुद्रव्य इसप्रकार अनन्त वास्तविक मौलिक अक्षण्ड द्रव्योंको स्वीकार करता है। द्रव्य सत्-स्वरूप है। प्रत्येक सत् चाहे वह चेतन हो या चेतनतर परिणामी-नित्य है। उसका पर्यायरूपसे परिणमन प्रतिभ्रज होता ही रहता है। यह परिणमन अर्थपर्याय कहलाता है। अर्थपर्याय सद्वा भी होती है और विसद्वा भी। बुद्ध द्रव्योंकी अर्थपर्याय सदा एकसी सद्वा होती है, पर होती है अवश्य। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, आकाशद्रव्य, बुद्धजीवद्रव्य इनका परिणमन सदा सद्वा होता है। पुद्गलका परिणमन सद्वा भी होता है विसद्वा भी।

जीव और पदगल इन दो द्रव्योंमें वैभाषिक शक्ति है और इस शक्तिके कारण इनका विसदृश परिणमन भी होता है। जब जीव शुद्ध हो जाता है तब बिलक्षण परिणमन नहीं होता। इस वैभाषिक शक्तिका स्वाभाविक ही परिणमन होता है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक सत् उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यशाली होनेसे परिणामीनित्य है। दो स्वतन्त्र सत्में रहनेवाला एक कोई सामान्य पदार्थ नहीं है। केवल अनेक जीवोंको जीवत्व नामक साक्ष्यसे संबद्ध करके उनमें एक जीवद्रव्य व्यवहार कर दिया जाता है। इसी तरह चेतन और अचेतन दो भिन्नजातीय द्रव्योंमें 'सत्' नामका कोई स्वतन्त्रसत्ताक पदार्थ नहीं है। परन्तु सभी द्रव्योंमें परिणामिनित्यत्व नामकी सदृशताके कारण 'सत्, सत्' यह व्यवहार कर लिया जाता है। अनेक द्रव्योंमें रहनेवाला कोई स्वतन्त्र सत् नामका कोई वस्तुभूत तत्त्व नहीं है। ज्ञान, रूपादि गुण, उल्लेपण आदि क्रियाएँ सामान्य विशेष आदि सभी द्रव्योंको अवस्थाएँ हैं पृथक्सत्ताक पदार्थ नहीं। यदि बुद्ध इस वस्तुस्थितिपर गहराईसे विचार करते तो इस निरूपणमें न उन्हें उच्छेदवादाका भय होता और न शास्त्रवादका। और जिस प्रकार उनमें आचारके लोभमें मध्यमप्रतिपक्षाको उपादेय बताया है उसी तरह वे इस अनन्तधर्मा वस्तुतत्त्वके निरूपणको भी परिणामिनित्यतामें ढाल देते।

स्याद्वाद—जैनदर्शनमें इस तरह सामान्यरूपसे यावत् सत्को परिणामीनित्य माना है। प्रत्येक सत् अनन्तधर्मात्मक है। उसका पूर्णरूप वचनोके अगोचर है। अनेकान्त अर्थका निर्दुष्टरूपसे कथन करनेवाली भाषा स्याद्वाद रूप होती है। उसमें जिस धर्मका निरूपण होता है उसके साथ 'स्यात्' शब्द इसलिए लगा दिया जाता है जिससे पूरी वस्तु उसी धर्म रूप न समझ ली जाय। अविबक्षित शेषधर्मोंका अस्तित्व भी उसमें है यह प्रतिपादन 'स्यात्' शब्दसे होता है।

स्याद्वादका अर्थ है—स्यात्-अमुक निश्चित अपेक्षासे। अमुक निश्चित अपेक्षासे घट अस्ति ही है और अमुक निश्चित अपेक्षासे घट नास्ति ही है। स्यात्का अर्थ न तो शायद है न संभवत और न कदाचित् ही। 'स्यात्' शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोणका प्रतीक है। इस शब्दके अर्थको पुराने मतवादी दार्शनिकोंने ईमानदारीसे समझनेका प्रयास तो नहीं ही किया था किन्तु आज भी वैज्ञानिक दृष्टिको दुहाई देनेवाले दर्शनलेखक उसी भ्रान्त परम्पराका पोषण करते आते हैं।

स्याद्वाद—सुनयका निरूपण करनेवाली भाषा-पद्धति है। 'स्यात्' शब्द यह निश्चित रूपसे बताता है कि वस्तु केवल धर्मवाली ही नहीं है उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान है। तात्पर्य यह कि—अविबक्षित शेष धर्मोंका प्रतिनिधित्व स्यात् शब्द करता है। 'रूपवान् घट' यह वाक्य भी अपने भीतर 'स्यात्' शब्दको छिपाये हुए है। इसका अर्थ है कि 'स्यात् रूपवान् घट' अर्थात् षड् इन्द्रियके द्वारा ग्राह्य होनेसे या रूप गुणकी सत्ता होनेसे घटा रूपवान् है, पर रूपवान् ही नहीं है उसमें रस, गन्ध, स्पर्श आदि अनेक गुण, छोटा बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान हैं। इन अविबक्षित गुणधर्मोंके अस्तित्वकी रक्षा करने-वाला 'स्यात्' शब्द है। 'स्यात्'का अर्थ शायद या सम्भावना नहीं है किन्तु निश्चय है। अर्थात् घडेमें रूपके अस्तित्वकी सूचना तो 'रूपवान्' शब्द वे ही रहा है पर उन उपेक्षित शेष धर्मोंके अस्तित्वकी सूचना 'स्यात्' शब्दसे होती है। साराण यह कि 'स्यात्' शब्द 'रूपवान्' के साथ नहीं जुटता है, किन्तु अविबक्षित धर्मोंके साथ। वह 'रूपवान्' को पूरी वस्तुपर अधिकार जमानेसे रोकता है और कह देता है कि वस्तु बहुत बड़ी है उसमें रूप भी एक है। ऐसे अनन्त गुणधर्म वस्तुमें लहरा रहे हैं। अभी रूपकी विवक्षा या वृष्टि होनेसे वह सामने है या शब्दसे उच्चरित हो रहा है सो वह मुख्य हो सकती है पर वही सब कुछ नहीं है। दूसरे क्षणमें रसकी मुख्यता होनेपर रूप गौण हो जायगा और वह अविबक्षित शेष धर्मोंकी राशिमें शामिल हो जायगा।

'स्वात्' शब्द एक प्रहरी है, जो उच्चरित धर्मको इधर-उधर नहीं जाने देता। वह उन अविबक्षित धर्मोंका सुरक्षक है। इसलिए 'रूपवान्' के साथ 'स्वात्' शब्दका अन्यत्र करने जो लोग बड़ेमें रूपकी भी स्थितिको स्वात्का शायद या संभावना अर्थ करके संदिग्ध बनाना चाहते हैं वे भ्रममें हैं। इसी तरह 'स्वादस्ति घट' वाक्यमें 'घट अस्ति' यह अस्तित्व अंश घटमें मुनिदिचित रूपसे विद्यमान है। स्वात् शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नहीं बनाता, किन्तु उसकी वास्तविक स्थितिकी सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मोंके सद्भावका प्रतिनिधित्व करता है। सारांश यह कि 'स्वात्' पद एक स्वतन्त्र पद है जो वस्तुके घोषाशका प्रतिनिधित्व करता है। उसे डर है कि कहीं 'अस्ति' नामका धर्म जिसे शब्दसे उच्चरित होनेके कारण प्रमुखता मिली है पूरी वस्तुको न हड़प जाय, अपने अन्य नास्ति आदि सहेतुगियोंके स्थानको समाप्त न कर जाय। इसलिए वह प्रतिवाक्यमें चेतावनी देता रहता है कि हे भाई अस्ति, तुम वस्तुके एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयोंके हकको हड़पनेकी चेष्टा नहीं करना। इस भयका कारण है—'नित्य ही है, अनित्य ही है' आदि अशवाक्योंने अपना पूर्ण अधिकार वस्तुपर जमाकर अनधिकार चेष्टा की है और जगत्में अनेक तरहसे वितण्डा और सचर्च उत्पन्न किये हैं। इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्याय हुआ ही है, पर इस वाद-प्रतिवादाने अनेक मतवादोंकी सृष्टि करके अहंकार हिंसा सचर्च अनुदारता परमतासहिष्णुता आदिसे विद्वको अशान्त और आकुलामय बना दिया है। 'स्वात्' शब्द वाक्यके उस जहूरको निकाल देता है जिनमें अहंकारका सर्जन होता है और वस्तुके अन्य धर्मोंके अस्तित्वसे इनकार करके पदार्थके साथ अन्याय होता है।

'स्वात्' शब्द एक निदिचित अपेक्षाको द्योतन करके जहाँ 'अस्तित्व' धर्मकी स्थिति सुवृद्ध सहेतुक बनाता है, वहाँ वह उसको उस सर्वहारा प्रवृत्तिको भी नष्ट करता है जिससे वह पूरी वस्तुका मालिक बनना चाहता है। वह न्यायाधीशकी तरह तुरन्त कह देता है कि—हे अस्ति, तुम अपने अधिकारकी सीमाको समझो। स्वभाव-क्षेत्र-काल-भावकी दृष्टिसे जिस प्रकार तुम घटमें रहते हो, उसी तरह परब्रह्मादिकी अपेक्षा 'नास्ति' नामका तुम्हारा भाई भी उसी घटमें है। इसी प्रकार घटका परिवार बहुत बड़ा है। अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है इसका इतना ही अर्थ है कि इस समय तुमसे काम है, तुम्हारा प्रयोजन है, तुम्हारी विवक्षा है। अतः इस समय तुम मुख्य हो। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है जो तुम अपने समानाधिकारी भाइयोंके सद्भावको भी नष्ट करनेका दुष्प्रयास करो। वास्तविक बात तो यह है कि यदि परकी अपेक्षा 'नास्ति' धर्म न हो तो जिस घटमें तुम रहते हो वह घटा घटा ही न रहेगा कपडा आदि पररूप हो जायगा। अतः जैसी तुम्हारी स्थिति है वैसी ही पर रूपकी अपेक्षा 'नास्ति' धर्मकी भी स्थिति है। तुम उनकी हिंसा न कर सको इसके लिए अहिंसाका प्रतीक 'स्वात्' शब्द तुमसे पहले ही वाक्यमें लगा दिया जाता है। भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम तो बराबर अपने नास्ति आदि अनन्य भाइयोंको वस्तुमें रहने देते हो और बड़े प्रेमसे सबके सब अनन्त धर्मभाई रहते हो, पर इन वस्तुदशियोंकी दृष्टिको क्या कहा जाय। इनकी दृष्टि ही एकाङ्गी है। ये शब्दके द्वारा तुममेंसे किसी एक 'अस्ति' आदिको मुख्य करने उसकी स्थिति इतनी अहंकारपूर्ण कर देना चाहते हैं जिससे वह 'अस्ति' अन्यका निराकरण करने लग जाय। बस, 'स्वात्' शब्द एक अञ्जन है जो उनकी दृष्टिको विभूत नहीं होने देता और उसे निर्मल तथा पूर्णदर्शी बनाता है। इस अविबक्षितसुरक्षक, दृष्टिविषहारी, शब्दको सुधारण बनानेवाले, सञ्चेतक प्रहरी, अहिंसक भावनाके प्रतीक, जीवन्त न्यायरूप, मुनिदिचित-अपेक्षाद्योतक 'स्वात्' शब्दके स्वरूपके साथ हमारे दार्शनिकोंने न्याय तो किया ही नहीं किन्तु उसके स्वरूपको 'शायद, संभव है, कदाचित्' जैसे भ्रष्ट पर्यायोंसे विभूत करनेका दुष्ट प्रयत्न अवश्य किया है तथा किया जा रहा है।

सबसे धोया तर्क तो यह दिया जाता है कि 'घडा जब 'अस्ति' है तो 'नास्ति' कैसे हो सकता है, घडा जब एक है तो अनेक कैसे हो सकता है, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है' पर विचार तो करो घडा घडा ही है, कपडा नहीं, कुरसी नहीं, टेबिल नहीं, गाय नहीं, घोडा नहीं, तात्पर्य यह कि वह घटभिन्न अनन्त पदार्थ-रूप नहीं है। तो यह कहनेमें आपको क्यों सकोच होता है कि 'घडा अपने स्वरूपसे अस्ति है, घटभिन्न परस्पोसे नास्ति है। इस घडेमें अनन्त पररूपोकी अपेक्षा 'नास्तित्व' धर्म है, नहीं तो दुनियामें कोई शक्ति षडेको कपडा आदि बननेसे नहीं रोक सकती। यह 'नास्ति' धर्म ही घडेको घडे रूपमें कायम रखनेका हेतु है। इसी 'नास्ति' धर्मकी सूचना 'अस्ति' के प्रयोगके समय 'स्यात्' शब्द दे देना है। इसी तरह घडा एक है। पर वही घडा रूप रम गन्ध स्पर्श छोटा बडा हलका भारी आदि अनन्त शक्तियोकी दृष्टिसे अनेकरूपमें दिखाई देता है या नहीं? यह आप स्वयं बतावे। यदि अनेक रूपमें दिखाई देता है तो आपको यह कहनेमें क्या कष्ट होता है कि घडा द्रव्य एक है, पर अपने गुण धर्म शक्ति आदिकी दृष्टिसे अनेक है। कृपाकर सोचिए कि वस्तुमें जब अनेक विरोधी धर्मोका प्रत्यक्ष हो ही रहा है और स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोका अविरोधी क्रीडास्थल है तब हमें उसके स्वरूपको विकृत रूपमें देखनेकी दुर्दृष्टि तो नहीं करनी चाहिए। जो 'स्यात्' शब्द वस्तुके डम पूर्ण रूप-दशनकी याद दिलाता है उसे ही हम 'विरोध, संशय'—जैसी गालियोसे दुरदुराते हैं, किमाश्चर्यमत. परम्। यहाँ धर्मकीर्तिका यह श्लोकाश ध्यानमें आ जाता है कि—

'यदीय स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्।'

अर्थात्—यदि यह अनेक धर्मरूपता वस्तुको स्वयं पसन्द है, उममें है, वस्तु स्वयं राजी है, तो हम बीचमें काजी बननेवाले कौन? जगत्का एक-एक कण इस अनन्तधर्मताका आकार है। हमें अपनी दृष्टि निर्मल और विशाल बनानेकी आवश्यकता है। वस्तुमें कोई विरोध नहीं है। विरोध हमारी दृष्टिमें है। और इस दृष्टिविरोधकी अमूर्तोषधि 'स्यात्' शब्द है, जो रोगीको कटु तो जरूर मालूम होती है, पर इसके बिना यह दृष्टि विषमञ्जर उतर भी नहीं सकता।

प्रो० बलदेव उपाध्यायने भारतीय दर्शन (पृ० १५५) में स्यादादका अर्थ बताते हुए लिखा है कि—'स्यात् (शायद, सम्भवत) शब्द अस् धातुके विधिलिङ्के रूपका तिङन्त प्रतिरूपक अव्यय माना जाता है। घडेके विषयमें हमारा परामर्श 'स्यादस्ति = सम्भवत यह विद्यमान है' इमी रूपमें होना चाहिए।' यहाँ 'स्यात्' शब्दको शायदका पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए वे शायद शब्दको कोष्ठकमें लिखकर भी आगे 'सम्भवत' शब्दका समर्थन करते हैं। वैदिक आचार्योंमें शकराचार्यने शकरभाष्यमें स्यादादको मशयरूप लिखा है, इसका संस्कार आज भी कुछ विद्वानोंके माथेमें पडा हुआ है और वे उस संस्कारवश स्यात्का अर्थ 'शायद' लिख ही जाते हैं। जब यह स्पष्ट रूपसे अवधारण करके कहा जाता है कि—'घट स्यादस्ति' अर्थात् घडा अपने स्वरूपसे है ही। घट. स्यान्नास्ति—घट स्वभिन्न स्वरूपसे नहीं ही है' तब संशयको स्थान कहाँ है? स्यात् शब्दसे जिस धर्मका प्रतिपादन किया जा रहा है उससे भिन्न अन्य धर्मोंके मद्भावको सूचित करता है। वह प्रति समय श्रोताको यह सूचना देना चाहता है कि वक्ताके शब्दोंसे वस्तुके जिम स्वरूपका निरूपण हो रहा है वस्तु उतनी ही नहीं है उनमें अन्य धर्म भी विद्यमान हैं। जब कि संशय और शायदमें एक भी धर्म निश्चित नहीं होता। जैनके अनेकान्तमें अनन्त धर्म निश्चित है, उनके दृष्टिकोण निश्चित है तब संशय और शायदकी उस भ्रान्त परम्पराको आज भी अपनेको तटस्थ माननेवाले विद्वान् भी चलाए जाने हैं यह रुढ़िवादका ही माहात्म्य है।

इसी संस्कारवश प्रो० बलदेवजी स्यात्के पर्यायवाचियोंमें शायद शब्दको लिखकर (पृ० १७३) जैन-दर्शनकी समीक्षा करते समय शकराचार्यकी बकालत इन शब्दोंमें करते हैं कि—'यह निश्चित ही है कि

इसी समन्वय दृष्टिसे वह पदार्थोंके विभिन्न रूपोंका समीकरण करता जाता तां समग्र विश्वमें अनुस्यूत परम तत्त्व तक अवश्य ही पहुँच जाता। इसी दृष्टिको ध्यानमें रखकर शंकराचार्यने इस 'स्याद्वाद' का मार्मिक खण्डन अपने शारीरक भाष्य (२, २, ३३) में प्रबल युक्तियोंके सहारे किया है।" पर उपाध्यायजी, जब आप स्यात्का अर्थ निश्चित रूपसे 'संशय' नहीं मानते, तब शंकराचार्यके खण्डनका मार्मिकत्व क्या रह जाता है ? आप कृपाकर स्व० महामहोपाध्याय डॉ० गगानाथ झाके इन वाक्योंको देखें—“जबसे मैंने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धान्तका खंडन पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ है कि इस सिद्धान्तमें बहुत कुछ है जिसे वेदान्तके आचार्योंने नहीं समझा।” श्री फणिभूषण अधिकारी तो और स्पष्ट लिखते हैं कि—“जैनधर्मके स्याद्वाद सिद्धान्तको जितना गलत समझा गया है उतना किसी अन्य सिद्धान्तको नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोषसे मुक्त नहीं हैं। उन्होंने भी इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्पज्ञ पुरुषोंके लिए क्षम्य हो सकती थी। किन्तु यदि मुझे कहनेका अधिकार है तो मैं भारतके इस महान् विद्वान्के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि मैं इस महर्षिको अतीव आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है उन्होंने इस धर्मके दर्शनशास्त्रके मूल ग्रन्थोंके अध्ययनकी परवाह नहीं की।”

जैनदर्शन स्याद्वाद सिद्धान्तके अनुसार वस्तुस्थितिके आधारसे समन्वय करता है। जो धर्म वस्तुमें विद्यमान है उन्हींका समन्वय हो सकता है। जैनदर्शनको आप वास्तव बहुत्ववादी लिख आये हैं। अनेक स्वतन्त्र सत् व्यवहारके लिए सद्रूपसे एक कहे जायें, पर वह काल्पनिक एकत्व वस्तु नहीं हो सकता ? यह कैसे सम्भव है कि चेतन और अचेतन दोनों ही एक सत्के प्रतिभासिक विवर्त हो।

जिस काल्पनिक समन्वयकी ओर उपाध्यायजी संकेत करते हैं उस ओर भी जैन दार्शनिकोंने प्रारम्भसे ही दृष्टिपात किया है। परम सग्रहनयकी दृष्टिसे सद्रूपसे यावत् चेतन-अचेतन द्वयोंका सग्रह करके 'एक सत्' इस शब्दव्यवहारके होनेमें जैन दार्शनिकोंको कोई आपत्ति नहीं है। सैकड़ों काल्पनिक व्यवहार होते हैं, पर इससे मौलिक तत्त्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक राष्ट्र अपनेमें क्या वस्तु है ? समय-समयपर होनेवाली बुद्धिगत दैशिक एकताके सिवाय एकदेश या एकराष्ट्रका स्वतन्त्र अस्तित्व ही क्या है ? अस्तित्व जुदा-जुदा भूखण्डोंका अपना है। उसमें व्यवहारकी-सुविधाके लिए प्रान्त और देश सम्राट्ट जैसे काल्पनिक हैं, व्यवहारसत्य है, उसी तरह एक सत् या एक ब्रह्म काल्पनिकसत् होकर व्यवहारसत्य बन सकता है और कल्पनाकी दौडका चरम बिन्दु भी हो सकता है पर उसका तत्त्वसत् या परमार्थसत् होना नितान्त असम्भव है। आज विज्ञान एटम तकका विश्लेषण कर चुका है और सब मौलिक अणुओंकी पृथक् सत्ता स्वीकार करता है। उनमें अभेद और इतना बड़ा अभेद जिसमें चेतन-अचेतन, मूर्त-अमूर्त आदि सभी लीन हो जायें कल्पनासाम्राज्यकी अन्तिम कोटि है। और इस कल्पनाकीटिको परमार्थसत् न माननेके कारण यदि जैनदर्शनका स्याद्वाद सिद्धान्त आपको मूलभूत तत्त्वके स्वरूप समझानेमें नितान्त असमर्थ प्रतीत होता है तो ही, पर वह वस्तुसीमाका उल्लंघन नहीं कर सकता और न कल्पनालोककी लम्बी दौड ही लगा सकता है।

स्यात् शब्दको उपाध्यायजी सहायका पर्यायवाची नहीं मानते यह तो प्रायः निश्चित है क्योंकि आप स्वयं लिखते हैं (पृ० १७३) कि—“यह अनेकान्तवाद सहायवादका रूपान्तर नहीं है,” पर आप उसे संभववाद अवश्य कहना चाहते हैं। परन्तु स्यात्का अर्थ 'संभवत' करना भी न्यायसगत नहीं है, क्योंकि संभावना संशयमें जो कोटियाँ उपस्थित होती हैं उनकी 'अर्धनिश्चितता' की ओर संकेतमात्र है, निश्चय उससे भिन्न ही है। उपाध्यायजी स्याद्वादको संशयवाद और निश्चयवादके बीच संभावनावादकी जगह रखना

चाहते हैं जो एक अनन्वयसावात्मक अनिश्चयके समान है। परन्तु जब स्याद्वाद स्पष्ट रूपसे ठकेकी चोट यह कह रहा है कि—'बड़ा 'स्यादस्ति' अर्थात् अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने आकार इस स्वचलुष्टबकी अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण है। घडा सबसे भिन्न यावत् पर पदार्थोंकी दृष्टिसे नहीं ही है यह भी निश्चित अवधारण है। इस तरह जब दोनों धर्मोंका अपने-अपने दृष्टिकोणसे घडा अविरोधी आधार है तब घडेको हम उभयदृष्टिसे अस्ति-नास्ति रूप भी निश्चित ही कहते हैं। पर शब्दमें यह सामर्थ्य नहीं है कि घटके पूर्णरूपको—जिसमें 'अस्ति-नास्ति' जैसे एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि अनेको युगल-धर्म लहरा रहे हैं—कह सके अतः समग्रभावसे घडा अवक्तव्य है। इस प्रकार जब स्याद्वाद मुनिश्चित दृष्टिकोणों-से तत्तत् धर्मोंके वास्तविक निश्चयकी घोषणा करता है तब इसे सम्भावनावादमें कैसे रखा जा सकता है ? स्वात् शब्दके साथ ही एककार भी लगा रहता है जो निदिष्ट धर्मका अवधारण सूचित करता है तथा स्यात् शब्द उस निदिष्ट धर्मसे अतिरिक्त अन्य धर्मोंकी निश्चित स्थितिकी सूचना देता है। जिससे श्रोता यह न समझ ले कि वस्तु इसी धर्मरूप है। यह स्याद्वाद कल्पित धर्मोंतक व्यवहारके लिए भले ही पहुँच जाय, पर वस्तुव्यवस्थाके लिए वस्तुकी सीमाको नहीं लाँघता। अतः न यह सशयवाद है, न अनिश्चयवाद और न संभावनावाद ही, किन्तु खरा अपेक्षाप्रयुक्त निश्चयवाद है।

इसी तरह डॉ० देवराजजी का पूर्वी और पश्चिमी दर्शन (पृष्ठ ६५) में किया गया स्यात् शब्दका 'कदाचित्' अनुवाद भी भ्रामक है। कदाचित् शब्द कालापेक्ष है। इसका सीधा अर्थ है किसी समय। और प्रचलित अर्थमें यह संशयकी ओर ही झुकाता है। स्यात्का प्राचीन अर्थ है कथञ्चित्—अर्थात् किसी निश्चित प्रकारसे, स्पष्ट शब्दोंमें अनुक्त निश्चित दृष्टिकोणसे। इस प्रकार अपेक्षाप्रयुक्त निश्चयवाद ही स्याद्वादका अभ्रान्त वाच्यार्थ है।

महापंडित राहुल सांकृत्यायनने तथा इत पूर्व प्रो० जैकोबी आदिने स्याद्वादको उत्पत्तिको सजय बेलट्टिउत्तके मतसे बतानेका प्रयत्न किया है। राहुलजीने 'दर्शन दिग्दर्शन (पृ० ४९६)' में लिखा है कि— "आधुनिक जैनदर्शनका आधार स्याद्वाद है। जो मालूम होता है सजय बेलट्टिउत्तके चार अगवाले अनेकान्तवादको लेकर उसे सात अगवाला किया गया है। सजयने तत्त्वों (परलोक देवता) के बारेमें कुछ भी निश्चयात्मक रूपसे कहनेसे इन्कार करते हुए उस इन्कारको चार प्रकार कहा है—

- १—है ? नहीं कह सकता।
- २—नहीं है ? नहीं कह सकता।
- ३—है भी और नहीं भी ? नहीं कह सकता।
- ४—न है और न नहीं है ? नहीं कह सकता।

इसकी तुलना कौजिये जैनोंके सात प्रकारके स्याद्वादसे—

- १—है ? हो सकता है (स्यादस्ति)
- २—नहीं है ? नहीं भी हो सकता है (स्यान्नास्ति)
- ३—है भी और नहीं भी ? है भी और नहीं भी हो सकता (स्यादस्ति च नास्ति च)

उक्त तीनों उत्तर क्या कहे जा सकते हैं (= वक्तव्य हैं) ? इसका उत्तर जैन 'नहीं' में देते हैं—

- ४—स्याद् (हो सकता है) क्या यह कहा जा सकता (= वक्तव्य) है ? नहीं, स्याद् अ-वक्तव्य है।
- ५—'स्यादस्ति' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्याद् अस्ति' अवक्तव्य है।

६—‘स्याद् नास्ति’ क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, ‘स्याद् नास्ति’ अवक्तव्य है ।

७—‘स्याद् अस्ति च नास्ति च’ क्या यह वक्तव्य है ? नहीं ‘स्यादस्ति च नास्ति च’ अवक्तव्य है ।

दोनोंके मिलानेसे मालूम होगा कि जैनेने संजयके पहिलेवाले तीन वाक्यों (प्रश्न और उत्तर दोनों) को अलग करके अपने स्याद्वादकी छह मंगियाँ बनाई हैं और उसके चौथे वाक्य ‘न है और न नहीं है’ को जोड़कर ‘स्याद्’ भी अवक्तव्य है, यह सातवाँ भंग तैयारकर अपनी सप्तभंगी पूरी की ।.....

इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (= वाद) की स्थापना न करना जो कि संजयका वाद था, उसीको संजयके अनुयायियोंके लुप्त हो जानेपर जैनेने अपना लिया और उसको चतुर्भंगी न्यायको सप्तभंगीमें परिणत कर दिया ।”

राहुलजी ने उक्त सन्दर्भमें सप्तभंगी और स्याद्वादके स्वरूपको न समझकर केवल शब्दसाम्यसे एक नये मतकी सृष्टि की है । यह तो ऐसा हो है जैसे कि चोरसे “क्या तुम अमुक जगह गये थे ? यह पूछनेपर वह कहे कि मैं नहीं कह सकता कि गया था” और जज अन्य प्रमाणोंसे यह सिद्ध कर दे कि चोर अमुक जगह गया था । तब शब्दसाम्य देखकर यह कहना कि बजका फँसला चोरके बयानसे निकला है ।

संजयवेलट्टिपुत्तके दर्शनका विवेचन स्वयं राहुलजीने (पृ० ४९१) इन शब्दोंमें किया है—“यदि आप पूछे—‘क्या परलोक है ?’ तो यदि मैं समझता होऊँ कि परलोक है तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है । मैं ऐसा भी नहीं कहता, बँसा भी नहीं कहता, दूसरी तरहसे भी नहीं कहता । मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं है । मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं नहीं है । परलोक नहीं है । परलोक नहीं नहीं है । परलोक है भी और नहीं भी है । परलोक न है और न नहीं है ।”

संजयके परलोक, देवता, कर्मफल और मुक्तिके सम्बन्धके ये विचार शतप्रतिशत अनिश्चयवादके हैं । वह स्पष्ट कहता है कि—“यदि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ ।” संजयको परलोक मुक्ति आदिके स्वरूपका कुछ भी निश्चय नहीं था इसलिए उसका दर्शन बकील राहुलजीके मानवकी सहजबुद्धिको भ्रममें नहीं डालना चाहता और न कुछ निश्चयकर भ्रान्त धारणाओकी पुष्टि ही करना चाहता है । तात्पर्य यह कि संजय घोर अनिश्चयवादी था ।

बुद्ध और संजय—बुद्धने “लोक नित्य है”, अनित्य है,^१ नित्य-अनित्य है^२, न नित्य, न अनित्य है^३; लोक अन्तवान् है^४, नहीं है^५, है-नहीं है^६, न है न नहीं है^७; निर्वाणके बाव तथामत होते हैं^८, नहीं होते^९, होते-नहीं होते^{१०}, न होते न नहीं होते^{११}; जीव शरीरसे भिन्न है^{१२}, जीव शरीरसे भिन्न नहीं है^{१३} ।” (माध्यमिक वृत्ति पृ० ४४६) इन चौदह वस्तुओको अव्याकृत कहा है । मज्झिमनिकाय (२।२।३) में इनकी सख्या दश है । इसमें आदिके दो प्रश्नोंमें तीमरा और चौथा बिकल्प नहीं गिना गया है । इनके अव्याकृत होनेका कारण बुद्धने बताया है कि इनके बारेमें कहना साबक नहीं, भिक्षुचर्याके लिये उपयोगी नहीं, न यह निर्बोध निरोध शान्ति या परमज्ञान निर्वाणके लिये आवश्यक है । तात्पर्य यह कि बुद्धकी दृष्टिमें इनका जानना मुमुक्षुके लिए आवश्यक नहीं था । दूसरे शब्दोंमें बुद्ध भी संजयकी तरह, इनके बारेमें कुछ कहकर मानवकी सहज बुद्धिको भ्रममें नहीं डालना चाहते थे और न भ्रान्त धारणाओं को पुष्टि ही करना चाहते थे । हाँ, संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्चयको साफ-साफ शब्दोंमें कह देता है कि यदि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ, तब बुद्ध अपने जानने-न जाननेका उल्लेख न करके उस रहस्यको शिष्योंके लिए अनुपयोगी बताकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं । किसी भी तार्किकका यह प्रश्न अभी तक असमाहित हो रह जाता है कि इस

अव्याकृतता और संजयके अनिश्चयवादमें क्या अन्तर है ? सिवाय इसके कि संजय फक्कड़की तरह खरी-खरी बात कह देता है और बुद्ध बड़े आदमियोंकी शाकीनताका निर्बाह करते हैं ।

बुद्ध और संजय ही क्या, उस समयके वातावरणमें आत्मा लोक परलोक और मुक्तिके स्वरूपके सम्बन्धमें—‘हे (सत्), नही (असत्), है-नही (सदसत् उभय), न है न नही है (अवक्तव्य या अनुभय) ।’ ये चार कोटियाँ गूँज रही थीं । कोई भी प्राक्नि क किसी भी तीर्थंकर या आचार्यसे बिना किसी संकोचके अपने प्रश्नको एक सौममें ही उक्त चार कोटियोंमें विभाजित करके ही पूछता था । जिस प्रकार आज कोई भी प्रश्न भजदूर और पूंजीपति शोषक और शोष्यके द्वन्द्वकी छायामें ही सामने आता है, उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंके प्रश्न सत् असत् उभय और अनुभय-अनिर्वचनीय इस चतुष्कोटिमें आविष्टित रहते थे । उपनिषद् या ऋग्वेदमें इस चतुष्कोटिके दर्शन होते हैं । विश्वके स्वरूपके सम्बन्धमें असत्से सत् हुआ ? या सत्से सत् हुआ ? या मदसत् दोनों रूपसे अनिर्वचनीय है ? इत्यादि प्रश्न उपनिषद् और वेदमें बराबर उपलब्ध होते हैं ? ऐसी दशामें राहुलजीका स्याद्वादके विषयमें यह फनवा दे देना कि संजयके प्रश्नोके शब्दोंसे या उसकी चतुर्भङ्गीको तोडमरोडकर सप्तभङ्गी बनी—कहाँ तक उचित है, यह वे स्वयं विचारें । बुद्धके समकालीन जो छह तीर्थिक थे उनमें महावीर निगण्ठ नाथपुत्रकी, मर्वज और सर्ववर्षाके रूपमें प्रसिद्धि थी । वे मर्वज और सर्ववर्षा थे या नही यह इन समयकी चरचाका विषय नही है, पर वे विशिष्ट तत्त्वविचारक थे और किसी भी प्रश्नको संजयकी तरह अनिश्चय कोटि या विशेष^१ कोटिमें या बुद्धकी तरह अव्याकृत कोटिमें डालनेवाले नही थे और न शिष्योंकी सहज जिज्ञासाको अनुपयोगिताके भयप्रद चक्करमें डुबा देना चाहते थे । उनका विश्वास था कि सचके पैचमेल व्यक्ति जब तक वस्तुतत्त्वका ठीक निर्णय नही कर लेते तब तक उनमें बौद्धिक दृढता और मानसबल नही आ सकता । वे सदा अपने समानशील अन्य सचके भिक्षुओंके सामने अपनी बौद्धिक दीनताके कारण हतप्रभ रहेंगे और इसका असर उसके जीवन और आचारपर आय बिना नही रहेगा । वे अपने शिष्योंको पदबन्ध पद्मनियोंकी तरह जगत्के स्वरूप-विचारकी बाह्य हवासे अपरिचित नही रखना चाहते थे, किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक प्राणी अपनी सहज जिज्ञासा और मननशक्तिका वस्तुके यथार्थ स्वरूपके विचारकी ओर लगावे । न उन्हे बुद्धकी तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्माके सम्बन्धमें ‘है’ कहते हैं तो शाश्वतवाद अर्थात् उपनिषद्वादियोंकी तरह लीग नित्यत्वकी ओर झुक जायेंगे और नही कहनेसे उच्छेदवाद अर्थात् चार्वाककी तरह नास्तित्वका प्रसंग प्राप्त होगा । अतः इस प्रश्नको अव्याकृत रखना ही श्रेष्ठ है । वे चाहते थे कि मौजूद तर्कोंका और सहायको समाधान वस्तुस्थितिके आधारसे होना ही चाहिये । अतः उन्होंने वस्तुस्वरूपका अनुभवकर यह बताया कि जगत्का प्रत्येक सत् चाहे वह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय, परिवर्तनशील है । वह निरसंगत, प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, उसकी पर्याय बदलती रहती है, उसका परिणमन कभी सद्श भी होता है, कभी विसद्श भी । पर परिणमनसामान्यके प्रभावसे कोई भी अछूना नही रहता । यह एक मौलिक नियम है कि किसी भी सत्का विश्वसे सर्वथा उच्छेद नही हो सकता, यह परिवर्तित होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ताको नही खो सकता । एक परमाणु है वह हाइड्रोजन बन जाय, जल बन जाय, भाप बन जाय, फिर पानी हो जाय, पृथिवी बन जाय, और अनन्त आकृतियों या पर्यायोंको धारण कर ले, पर अपने द्रव्यत्व या मौलिकत्वको नही खो सकता । किसीकी ताकत नही जो उस परमाणुकी हस्ती या अस्तित्वको भिटा सके । तात्पर्य यह कि जगत्में जितने ‘सत्’ हैं उतने बने रहेंगे । उनमेंसे एक भी कम नही हो सकता, एक-दूसरेमें विलीन नही

१. प्रो० धर्मानन्द कोसाम्बीने संजयके वादको विशेषवाद संज्ञा दी है । देखो—भारतीय संस्कृति और अधिसा,

हो सकता है। इसी तरह न कोई नया 'सत्' उत्पन्न हो सकता है। जितने हैं उनका ही आपसी संयोग-वियोगोंके आचारमे यह विश्व जगत् ('गच्छतीति जगत्' अर्थात् नाना रूपोंका प्राप्त होना) बनता रहता है।

तात्पर्य यह कि—विद्यमे जितने मत् हैं उनमेंसे न तो एक कम हो सकता है और न एक बढ़ सकता है। अनन्त जड़ परमाणु, अनन्त आत्माएँ, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश, और असंख्य कालाणु इतने सत् हैं। इनमें अर्म अधर्म आकाश और काल अपने स्वाभाविक रूपमें सदा विद्यमान रहने हैं, उनका विलक्षण परिणमन नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कूटस्थ नित्य हैं, किन्तु इनका प्रतिक्षण जो परिणमन होना है वह मद्युग स्वाभाविक परिणमन ही होता है। आत्मा और पुद्गल ये दो द्रव्य एक-दूसरे-को प्रभावित करने हैं। जिस समय आत्मा शुद्ध हो जाता है उस समय वह भी अपने प्रतिक्षणभावी स्वाभाविक परिणमनका ही स्वामी रहता है, उसमें विलक्षण परिणति नहीं होती। जब तक आत्मा अशुद्ध है तब तक ही इसके परिणमनपर सजातीय जीवान्तरका और विजातीय पुद्गलका प्रभाव आनेसे विलक्षणता जाती है। इसकी नानारूपता प्रत्येकको स्वानुभवमिद्ध है। जड़ पुद्गल ही एक ऐसा विलक्षण द्रव्य है जो मदा सजातीय-से भी प्रभावित होता है और विजातीय चेतनसे भी। इसी पुद्गल द्रव्यका चमत्कार आज विज्ञानके द्वारा हम सबके सामने प्रस्तुत है। इसीके हीनाधिक संयोग-वियोगोंके फलस्वरूप असंख्य आविष्कार हो रहे हैं। विशुत् शब्द आदि इसीके रूपान्तर हैं, इसीकी शक्तियाँ हैं। जीवकी अशुद्ध दशा इसीके सपक्षसे होती है। अनादिसे जीव और पुद्गलका ऐसा संयोग है जो पर्यायान्तर लेनेपर भी जीव इसके मयोगसे मुक्त नहीं हो पाता और उसमें विभाव परिणमन—राग द्वेष मोह अज्ञानरूप दशाएँ होती रहती है। जब यह जीव अपनी चारित्रसाधना द्वारा इनना ममर्थ और स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता है कि उसपर बाह्य जगत्का कोई भी प्रभाव न पड़ सके तो वह मुक्त हो जाता है और अपने अनन्त चैतन्यमे स्थिर हो जाता है। यह मुक्त जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चैतन्यमे लीन रहता है। फिर उसमें अशुद्ध दशा नहीं होती। अन्ततः पुद्गल परमाणु ही ऐसे हैं जिनमे शुद्ध या अशुद्ध किसी भी दशामे दूसरे संयोगके आधारसे नाना आकृतियाँ और अनेक परिणमन संभव हैं तथा होते रहने हैं। इस जगत्-अवस्थामे किसी एक ईश्वर-जैसे नियन्ताका कोई स्थान नहीं है, यह तो अपने-अपने संयोग-वियोगोंसे परिणमनशील है। प्रत्येक पदार्थका अपना सहज स्वभाव-जन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चालू है। यदि कोई दूसरा संयोग आ पड़ा और उस द्रव्यमे इसके प्रभाव-को आत्मसात् किया तो परिणमन तत्प्रभावित हो जायगा, अन्यथा वह अपनी गतिसे बदलता चला जायगा। हाइड्रोजनका एक अणु अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाइड्रोजन रूपमे बदल रहा है। यदि आक्सीजनका अणु उसमे आ जुड़, तो दोनोंका जलरूप परिणमन हो जायगा। वे एक 'बिन्दु' रूपसे सदृश समुक्त परिणमन कर लगे। यदि किसी वैज्ञानिकके विश्लेषणप्रयोगका निमित्त मिला तो वे दोनो फिर जुदा-जुदा भी हो सकते हैं। यदि अन्निका संयोग मिल गया भाफ बन जायेंगे। यदि साँपके मुल्लाका संयोग मिला विषबिन्दु हो जायेंगे। तात्पर्य यह कि यह विश्व साधारणतया पुद्गल और अशुद्ध जीवके निमित्त-निमित्तिक सम्बन्धका वास्तविक उदाहरण है। परिणमनचक्रपर प्रत्येक द्रव्य चढ़ा हुआ है। वह अपनी अनन्त योग्यताओंके अनुसार अनन्त परिणमनोंको क्रम, धारण करता है। समस्त 'सत्' के समुदायका नाम लोक या विश्व है। इस दृष्टिसे अब आप लोकके शाश्वत और अशाश्वतवाले प्रश्नको विचारिए—

१—क्या लोक शाश्वत है? हाँ, लोक शाश्वत है। द्रव्योंकी संख्याको दृष्टिसे, अर्थात् जितने सत् इसमे हैं उनमेंका एक भी सत् कम नहीं हो सकता और न उनमें किसी नये सत्की वृद्धि ही हो सकती है।

९० : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

न एक सत् दूसरमें विलीन ही हो सकता है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जो इसके अंगभूत द्रव्यों-का लोप हो जाय या वे समाप्त हो जायें।

२-क्या लोक अशाश्वत है ? हाँ, लोक अशाश्वत है, अङ्गभूत द्रव्योंके प्रतिक्षणभावी परिणमनोंकी दृष्टिसे ? अर्थात् जितने सत् हैं वे प्रतिक्षण सदुद्य या विसदुद्य परिणमन करने रहते हैं। इसमें दो क्षण तक ठहरनेवाला कोई परिणमन नहीं है। जो हमें अनेक क्षण ठहरनेवाला परिणमन दिखाई देता है वह प्रतिक्षण-भावी सदुद्य परिणमनका स्थूल दृष्टिसे अवलोकनमात्र है। इस तरह सतत परिवर्तनशील सयोग-वियोगोकी दृष्टिसे विचार कीजिये तो लोक अशाश्वत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है।

३-क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप है ? हाँ, क्रमशः उपर्युक्त दोनों दृष्टियोंसे विचार कीजिए तो लोक शाश्वत भी है (द्रव्यदृष्टिसे), अशाश्वत भी है (पर्यायदृष्टिसे)। दोनों दृष्टिकोणोंको क्रमशः प्रयुक्त करनेपर और उन दोनोंपर स्थूल दृष्टिसे विचार करनेपर जगत् उभयरूप ही प्रतिभासित होता है।

४-क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप नहीं है ? आखिर उसका पूर्ण रूप क्या है ? हाँ, लोकका पूर्णरूप अवक्तव्य है, नहीं कहा जा सकता। कोई शब्द ऐसा नहीं जो एक साथ शाश्वत और अशाश्वत इन दोनों स्वरूपोंको तथा उसमें विद्यमान अन्य अनन्त धर्मोंको युगपत् कह सके। अतः शब्दको असामर्थ्यके कारण जगत्का पूर्णरूप अवक्तव्य है, अनुभय है, वचनातीत है।

इस निरूपणमें आप देखेंगे कि वस्तुका पूर्णरूप वचनोंके अगोचर है, अनिर्वचनीय या अवक्तव्य है। यह चौथा उत्तर वस्तुके पूर्ण रूपको युगपत् कहनेकी दृष्टिसे है। पर वही जगत् शाश्वत कहा जाता है द्रव्य-दृष्टिसे, अशाश्वत कहा जाता है पर्यायदृष्टिसे। इस तरह मूलतः चौथा, पहला और दूसरा ये तीन ही प्रश्न मौलिक हैं। तीसरा उभयरूपताका प्रश्न तो प्रथम और द्वितीयके सयोगरूप है। अब आप विचारें कि सजयने जब लोकके शाश्वत और अशाश्वत आदिके बारेमें स्पष्ट कह दिया कि मैं जानता हूँऊँ तो बताऊँ और बुढ़ने कह दिया कि इनके चक्करमें न पड़ो, इसका जानना उपयोगी नहीं तब महावीरने उन प्रश्नोंका वस्तुस्थिति-के अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और शिष्योंकी जिज्ञासाका समाधान कर उनको बौद्धिक दीनतासे त्राण दिया। इन प्रश्नोंका स्वरूप इस प्रकार है—

प्रश्न	सजय	बुढ़	महावीर
१-क्या लोक शाश्वत है ?	मैं जानता हूँऊँ तो बताऊँ, (अनिश्चय, विषये)	इसका जानना अनु-पयोगी है (अव्याकृत, अकथनीय)	हाँ, लोक द्रव्य-दृष्टिसे शाश्वत है, इसके किसी भी सत्का सर्वथा नाश नहीं हो सकता।
२-क्या लोक अशाश्वत है ?	„	„	हाँ, लोक अपने प्रतिक्षण भावी परिवर्तनोंकी दृष्टिसे अशाश्वत है, कोई भी पदार्थ दो क्षणस्थायी नहीं।
३-क्या लोक शाश्वत और अशा- श्वत है ?	„	„	हाँ, दोनों दृष्टिकोणोंसे क्रमशः विचार करनेपर लोकको शाश्वत भी कहते हैं और अशाश्वत भी।

४—क्या लोक दोनों रूप नहीं है
अनुभव है ?

..

..

हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो लोकके परिपूर्ण स्वरूपको एक साथ समग्र भावसे कह सके। उसमें शास्वत, अशास्वतके सिवाय भी अनन्त रूप विद्यमान हैं अतः समग्र भावसे वस्तु अनुभव है, अवकलव्य है, अनिर्वचनीय है।

सजय और बुद्ध जिन प्रदोका समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चय या अव्याकृत कहकर अपना पिण्ड छुड़ा लेते हैं, महावीर उन्हींका वास्तविक युक्तिसंगत समाधान करते हैं। इसपर भी राहुलजी और धर्मानन्द कोसाम्भी आदि यह कहनेका साहस करते हैं कि 'संजयके अनुयायियोंके लुप्त हो जानेपर सजयके बादको ही जैनियोने अपना लिया'। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि भारतमें रही परतन्त्रताको ही परतन्त्रताविधायक अग्नेजोके चले जानेपर भारतीयोंने उसे अपरतन्त्रता (स्वतन्त्रता) रूपसे अपना लिया है, क्योंकि अपरतन्त्रता भी 'परतन्त्रता' ये पाँच अक्षर तो मौजूद हैं ही। या हिंसाको ही बुद्ध और महावीरने उसके अनुयायियोंके लुप्त होनेपर अहिंसारूपसे अपना लिया है, क्योंकि अहिंसामें भी 'हिंसा' ये दो अक्षर हैं ही। यह देखकर तो और भी आश्चर्य होता है कि—आप (पृ० ४८४) अनिश्चिततावादियोंकी सूचीमें सजयके साथ निम्न नाथपुत्र (महावीर) का नाम भी लिख जाते हैं, तथा (पृ० ४९१) संजयको अनेकान्तावादी। क्या इसे धर्मकीर्तिके शब्दोंमें 'चिग्न व्यापकं तम.' नहीं कहा जा सकता ?

'स्यात्' शब्दके प्रयोगसे साधारणतया लोगोको सशय अनिश्चय या संभावनाका भ्रम होता है। पर यह तो भाषाकी पुरानी शैली है उस प्रसङ्गकी, जहाँ एक बादका स्थापन नहीं होता। एकाधिक भेद या विकल्पकी सूचना जहाँ करनी होती है वहाँ 'स्यात्' पदका प्रयोग भाषाकी शैलीका एक रूप रहा है जैसा कि मज्झिमनिकायके महाराहुलवाद सुत्तके निम्नलिखित अवतरणसे ज्ञात होता है—“कतमा च राहुल तेजोधातु ? तेजोधातु सिया अज्झात्तिका सिया बाहिरा।” अर्थात् तेजो धातु स्यात् आध्यात्मिक है, स्यात् बाह्य है। यहाँ सिया (स्यात्) शब्दका प्रयोग तेजो धातुके निश्चित भेदोंकी सूचना देता है, न कि उन भेदोंका सशय अनिश्चय या सम्भावना बताता है। आध्यात्मिक भेदके साथ प्रयुक्त होनेवाला स्यात् शब्द इस बातका द्योतन करता है कि तेजो धातु मात्र आध्यात्मिक ही नहीं है किन्तु उससे व्यतिरिक्त बाह्य भी है। इसी तरह 'स्यादस्ति' में अस्तिके साथ लगा हुआ 'स्यात्' शब्द सूचित करता है कि 'अस्तिके सिद्ध धर्म भी वस्तुमें है केवल 'अस्ति' धर्मरूप ही वस्तु नहीं है। इस तरह 'स्यात्' शब्द न 'शायद' का न 'अनिश्चय' का और न सम्भावनाका सूचक है किन्तु निश्चित धर्मके सिवाय अन्य अशेष धर्मोंकी सूचना देता है जिससे श्रोता वस्तुको निश्चित धर्ममात्र रूप ही न समझ बैठे।

सप्तभंगो—वस्तु मूलतः अनन्तधर्मात्मक है। उसमें विभिन्न दृष्टियोंसे विभिन्न विवक्षाओंसे अनन्त धर्म है। प्रत्येक धर्मका विरोधी धर्म भी दृष्टिभेदसे वस्तुमें सम्भव है। जैसे 'घट स्यादस्ति' में घट है ही अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावकी मर्यादासे। जिस प्रकार घटमें स्वचतुष्टयकी अपेक्षा 'अस्तित्व' धर्म है, उसी तरह घटव्यतिरिक्त अन्य पदार्थोंका 'नास्तित्व' भी घटमें है। यदि घटमिन्न पदार्थोंका नास्तित्व घटमें न पाया जाय तो घट और पदार्थ मिलकर एक हो जायेंगे। अतः घट स्यादस्ति और स्यान्नास्ति रूप है। इसी तरह वस्तुमें

ब्रह्मदृष्टिसे नित्यत्व, पर्यायदृष्टिसे अनित्यत्व आदि अनेको विरोधी धर्मयुगल रहने हैं। एक वस्तुमें अनन्त स्वभाव भ्रम बसते हैं। जब हम घटके अस्तित्वका विचार करते हैं तो अस्तित्वविषयक सात भ्रम हो सकते हैं। जैसे संबन्धके प्रश्नोत्तर या बुद्धके अभ्याकृत प्रश्नोत्तरमें हम चार कोटि तो निश्चित रूपमें देखते हैं—मत्, अस्त, उभय और अनुभव। उनी तरह गणितके हिसाबसे तीन मूल भगोको मिलानेपर अधिकमें अधिक सात अक्षयवत् भंग हो सकते हैं। जैसे घंटेके अस्तित्वका विचार प्रस्तुत है तो पहिला अस्तित्व धर्म, दूसरा तद्विरोधी नास्तित्व धर्म और तीसरा धर्म होगा अवक्तव्य जो वस्तुके पूर्ण रूपकी सूचना देता है कि वस्तु पूर्ण रूपसे वक्तव्यके अगोचर है। उसके विराट् रूपको शब्द नहीं छू सकते। अवक्तव्य धर्म इन अपेक्षासे है कि दोनो धर्मोंको युगपत् कहनेवाला शब्द ससारमें नहीं है अतः वस्तु यथार्थ वचनार्तात ह, अवक्तव्य है। इस तरह मूलमें तीन भ्रम हैं—

१—स्यावस्ति घट.

२—स्यान्नास्ति घट

३—स्यादवक्तव्यो घट.

अवक्तव्यके साथ स्यात् पद लगानेका भी अर्थ है कि वस्तु युगपत् पूर्ण रूपमें यदि अवक्तव्य है तो क्रमशः अपने अपूर्ण रूपमें वक्तव्य भी है और वह अस्ति-नास्ति आदि रूपसे वचनोंका विषय भी होती है। अतः वस्तु स्याद् वक्तव्य है। जब मूल भग तीन हैं तब इनके द्विमयागी भग भी तीन होंगे तथा त्रिसयौगी भंग एक होगा। जिस तरह चतुष्कोटिमें सन् और असत्को मिलाकर प्रश्न होता है कि 'क्या सत् होकर भी वस्तु अस्त है?' उनी तरह ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि—१ क्या सत् होकर भी वस्तु अवक्तव्य है? २ क्या अस्त होकर भी वस्तु अवक्तव्य है? ३ क्या सत्-असत् होकर भी वस्तु अवक्तव्य है? इन तीनों प्रश्नोंका समाधान त्रिसयौगी चार भगोमें है। अर्थात्—

४—अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु है—स्वचतुष्टय और परचतुष्टयपर क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहनेपर।

५—अस्ति अवक्तव्य वस्तु है—प्रथम समयमें स्वचतुष्टय और द्वितीय समयमें युगपत् स्वपर चतुष्टयपर क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहनेपर।

६—नास्ति अवक्तव्य वस्तु है—प्रथम समयमें परचतुष्टय और द्वितीय समयमें युगपत् स्वपर चतुष्टयको क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहनेपर।

७—अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु है—प्रथम समयमें स्वचतुष्टय, द्वितीय समयमें परचतुष्टय तथा तृतीय समयमें युगपत् स्वपर चतुष्टयपर क्रमशः दृष्टि रखनेपर और तीनोंकी सामूहिक विवक्षा रहनेपर।

जब अस्ति और नास्तिकी तरह अवक्तव्य भी वस्तुका धर्म है तब जैसे अस्ति और नास्तिकी मिलाकर चौथा भग बन जाना है वैसे ही अवक्तव्यके साथ भी अस्ति, नास्ति और अस्ति-नास्ति मिलकर पाँचवें, छठवें और सातवें भगकी सृष्टि हो जाती है।

इस तरह गणितके सिद्धान्तके अनुसार तीन मूल वस्तुओंके अधिक-से-अधिक अपुनवत् सात ही भंग हो सकते हैं। तात्पर्य यह कि वस्तुके प्रत्येक धर्मको लेकर सात प्रकारकी जिज्ञासा हो सकती है, सात प्रकारके प्रश्न हो सकते हैं अतः उनके उत्तर भी सात प्रकारके ही होते हैं।

दर्शनचिन्तनमें श्री राहुलजीने पाँचवें छठवें और सातवें भगोको जिस ऋष्ट तरीकेसे तोड़ा-मरोड़ा है वह उनकी अपनी निराल कल्पना और अतिसाहस है। जब वे दर्शनोको व्यापक नहीं और वैज्ञानिक दृष्टिसे देखना चाहते हैं तो किसी भी दर्शनकी समीक्षा उसके स्वरूपको ठीक समझकर ही करनी चाहिए। वे अवक्तव्य नामक धर्मको जो कि सत्के साथ स्वतन्त्रभावसे त्रिसयौगी हुआ है, तोड़कर अवक्तव्य करके

संज्ञके 'नही' के साथ मेल बैठे देते हैं और 'संज्ञके घोर अनिश्चयवादको ही अनेकान्तवाद कह देते हैं ।
किमाश्चर्यमलः परम् ?

श्री सम्पूर्णानन्दजी 'जैनधर्म' पुस्तककी प्रस्तावना (पृ० ३) में अनेकान्तवादकी ग्राह्यता स्वीकार करके भी सप्तमगी न्यायको बालकी साल निकालनेके समान आवश्यकतासे अधिक बारीकीमें जाना समझते हैं । पर सप्तमगीको आजसे अढ़ाई हजार वर्ष पहिलेके वातावरणमें देखनेपर वे स्वयं उसे समयकी भाँग कहे बिना नहीं रह सकते । अढ़ाई हजार वर्ष पहिले आबाल-गोपाल प्रत्येक प्रश्नको सहज तरीकेसे 'सत् असत् उभय और अनुभय' इन चार कोटियोंमें सूँबकर ही उपस्थित करते थे और उस समयके भारतीय आचार्य उत्तर भी चतुष्कोटिका ही, हाँ या ना में देते थे तब जैन तीर्थंकर महावीरने मूल तीन भगोंके गणितके नियमानुसार अधिक-से-अधिक सात प्रश्न बनाकर उनका समाधान सप्तमगी द्वारा किया जो निश्चितरूपसे वस्तुकी सीमाके भीतर ही रही है । अनेकान्तवादने जगत्के वास्तविक अनेक सत्का अपलाप नहीं किया और न वह केवल कल्पनाके क्षेत्रमें विचरा है ।

मेरा उन दार्शनिकोंसे निवेदन है कि भारतीय परम्परामें जो सत्यकी धारा है उसे 'दर्शनप्रश्न' लिखने समय भी कायम रखें और समीक्षाका स्तम्भ तो बहुत सावधानी और उत्तरदायित्वके साथ लिखनेकी कृपा करें जिससे दर्शन केवल विवाद और भ्रान्त परम्पराओंका अजायबघर न बने । वह जीवनमें संवाद लाये और दर्शनप्रणेताओंकी समृद्धि न्याय दे सके ।

इस तरह जैनदर्शनमें 'दर्शन' शब्दकी काल्पनिक भूमिकासे निकलकर वस्तु-सीमापर खड़े होकर जगत्में वस्तु-स्थितिके आधारसे संवाद समीकरण और यथार्थत्वज्ञानकी दृष्टि दी । जिसकी उपासनासे विश्व अपने वास्तविक रूपको समझकर निरर्थक विवादसे बचकर सच्चा सवादी बन सकता है ।

अनेकान्तदर्शनका सांस्कृतिक आधार

भारतीय विचार परम्परामें स्पष्टतः दो धाराएँ हैं । एक धारा वेदको प्रमाण माननेवाले वैदिक दर्शनोकी है और दूसरी वेदको प्रमाण न मानकर पुरुषानुभव या पुरुषासाक्षात्कारको प्रमाण माननेवाले श्रमण सन्ताकी । यद्यपि चार्वाक दर्शन भी वेदको प्रमाण नहीं मानता, किन्तु उसने आत्माका अस्तित्व जन्मसे मरण पर्यन्त ही स्वीकार किया है । उसने परलोक, पुण्य, पाप और मोक्ष जैसे आत्मप्रतिष्ठित तत्त्वोंको तथा आत्मसशोधक चारित्र्य आदि की उपयोगिताको स्वीकृत नहीं किया है । अतः अवैदिक होकर भी वह श्रमण-धारामें सम्मिलित नहीं किया जा सकता । श्रमणधारा वैदिक परम्पराको न मानकर भी आत्मा, जडभिन्न ज्ञान-सन्तान, पुण्य-पाप, परलोक, निर्वाण आदिमें विश्वास रखती है, अतः पाणिनिकी परिभाषाके अनुसार आस्तिक है । वेदको या ईश्वरको जगत्कर्ता न माननेके कारण श्रमणधाराको नास्तिक कहना उचित नहीं है । क्योंकि अपनी अमुक परम्पराको न माननेके कारण यदि श्रमण नास्तिक कहे जाते हैं तो श्रमण-परम्पराको न माननेके कारण वैदिक भी मिथ्यादृष्टि आदि विशेषणोंसे पुकारे गये हैं ।

श्रमणधाराका सारा तत्त्वज्ञान या दर्शनविस्तार जीवन-शोधन या चारित्र्य-बुद्धिके लिए हुआ था । वैदिक परम्परामें तत्त्वज्ञानको मुक्तिका साधन माना है, जब कि श्रमणधारामें चारित्रिको । वैदिक-परम्परा वैराग्य आदिसे ज्ञानको पुष्ट करती है, विचारशुद्धि करके मोक्ष मान लेती है, जबकि श्रमण परम्परा कहती

१. जैन कथाग्रन्थोंमें महावीरके बालजीवनकी एक घटनाका वर्णन आता है कि—'संज्ञय और विजय नामके दो साधुओंका सक्षय महावीरको देखते ही नष्ट हो गया था, इसलिए इनका नाम सम्मति रखा गया था ।' सम्भव है यह संज्ञय-विजय संज्ञयवेलटिठुपुत्र ही हों और इसीके संज्ञय या अनिश्चयका नाश महावीरके सप्तमगी न्यायसे हुआ हो और बेलटिठुपुत्र विशेषण ही छूट होकर विजय नामका दूसरा साधु बन गया हो ।

है कि उस ज्ञान या उस विचारका कोई मूल्य नहीं जो जीवन में न उतरे। जिसकी सुवाससे जीवनशोधन न हो वह ज्ञान या विचार मस्तिष्कके व्यायामसे अधिक कुछ भी महत्त्व नहीं रखते। जैन परम्परामें तत्त्वार्थसूत्रका आद्यसूत्र है—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं” (तत्त्वार्थसूत्र १।१) अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी आत्मपरिणति मोक्षका मार्ग है। यहाँ मोक्षका साक्षात् कारण चारित्र है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान तो उस चारित्रके परिपोषक है। बौद्ध परम्पराका अष्टांग मार्ग भी चारित्रका ही विस्तार है। तात्पर्य यह कि श्रमणधारामें ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रका ही अन्तिम महत्त्व रहा है और प्रत्येक विचार और ज्ञानका उपयोग चारित्र अर्थात् आत्मशोधन या जीवनमें सामञ्जस्य स्थापित करनेके लिए किया गया है। श्रमण सन्तोंने तप और साधनाके द्वारा वीतरागता प्राप्त की और उसी परम वीतरागता, समता या अहिंसाकी उत्कृष्ट ज्योतिको विश्वमें प्रचारित करनेके लिए विश्वतत्त्वोका साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार नहीं आधार था, ज्ञान नहीं चारित्र्य था, वाग्विलास या शास्त्रार्थ नहीं, जीवन-शुद्धि और संवाद था। अहिंसाका अन्तिम अर्थ है—जीवमात्रमें (चाहे वह स्थावर हो या जगम, पशु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र, गोरु हो या काला, एतद्देशीय हो या विदेशी) देश, काल, शरीरकारके आवरणोंसे परे होकर समत्व-दर्शन। प्रत्येक जीव स्वरूपसे चैतन्य शक्तिका अखण्ड शाश्वत आधार है। वह कर्म या वासनाओंके कारण वृद्ध, कीटा-मकोडा, पशु और मनुष्य आदि शरीरोंको धारण करता है, पर अखण्ड चैतन्यका एक भी अंश उसका नष्ट नहीं होता। वह वासना या रागद्वेषादिके द्वारा विकृत अवश्य हो जाता है। मनुष्य अपने देश, काल आदि निमित्तोंसे गुरे या काले किसी भी शरीरको धारण किए हो, अपनी वृत्ति या कर्मके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी भी श्रेणीमें उसको गणना व्यवहारत की जाती हो, किसी भी देशमें उत्पन्न हुआ हो, किसी भी सन्तका उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तोंसे ऊँच या नीच नहीं हो सकता। किसी वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण ही वह धर्मका ठेकेदार नहीं बन सकता। मानवमात्रके मूलतः समान अधिकार है, इतना ही नहीं, किन्तु पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष आदि प्राणियोंके भी। अमुक प्रकारकी आजीविका या व्यापारके कारण कोई भी मनुष्य किसी मानवाधिकारसे वंचित नहीं हो सकता। यह मानवसमत्व-भावना, प्राणिमात्रमें समता और उत्कृष्ट सत्त्वमैत्री अहिंसाके विकसित रूप है। श्रमणसन्तोंने यही कहा है कि—एक मनुष्य किसी भूखण्डपर या अन्य भौतिक साधनोंपर अधिकार कर लेनेके कारण जगत्में महान् बनकर दूसरोंके निर्दलनका जन्मसिद्ध अधिकारी नहीं हो सकता। किसी वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण दूसरोंका शासक या धर्मका ठेकेदार नहीं हो सकता। भौतिक साधनोंकी प्रतिष्ठा ब्राह्मणोंमें कदाचित् हो भी पर धर्मक्षेत्रमें प्राणिमात्रको एक ही भूमिपर बैठना होगा। हर एक प्राणोको धर्मकी शीतल छायामें समानभावेसे सन्तोषकी साँस लेनेका सुअवसर है। आत्म-समत्व, वीतरागत्व या अहिंसाके विकाससे ही कोई महान् हो सकता है न कि जगत्में विषमता फैलानेवाले हिंसक परिग्रहके संग्रहसे। आदर्श त्याग है न कि संग्रह। इस प्रकार जाति, वर्ण, रङ्ग, देश, आकार, परिग्रहसंग्रह आदि विषमता और संघर्षके कारणोंसे परे होकर प्राणिमात्रको समत्व, अहिंसा और वीतरागताका पावन सन्देश इन श्रमणसन्तोंने उस समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक वर्णविशेषकी जीविकाके साधन बने हुए थे, कुछ गाय, सोना और स्त्रियोंकी दक्षिणासे स्वर्गके टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धर्मके नामपर गोमेष, अजामेष क्वचित् नरमेष तकका खुला बाजार था, जातिगत उच्चत्व-नीचत्वका विष समाज-शरीरको दग्ध कर रहा था, अनेक प्रकारसे सत्ताको हथियानेके षडयन्त्र चालू थे। उस बर्बर युग में मानवसमत्व और प्राणिमैत्रीका उदारतम सन्देश इन युगधर्मी सन्तोंने नास्तिकताका मिथ्या लालन सही ही दिया और अन्त जन्मताको सच्ची समाजरचनाका मूलमन्त्र बताया।

पर, यह अनुभवसिद्ध बात है। अहिंसाकी स्थायी प्रतिष्ठा मन शुद्धि और वचनशुद्धिके बिना नहीं हो सकती। हम भले ही शरीरसे दूसरे प्राणियोंकी हिंसा न करे, पर यदि वचन-व्यवहार और चित्तगत-विचार विषम और विसवादी हैं तो कायिक अहिंसा पल ही नहीं सकती। अपने मनके विचार अर्थात् मत्तको पुष्ट करनेके लिए ऊँच नीच शब्द बोले जायें और फलतः हाथापाईका अवसर आए बिना न रहेगा। भारतीय शास्त्रार्थोका इतिहास अनेक हिंसा-कांडोके रक्तरीजित पन्नोसे भरा हुआ है। अतः यह आवश्यक था कि अहिंसाकी सर्वाङ्गीण प्रतिष्ठाके लिए विश्वका यथार्थ तत्त्वज्ञान हो और विचार-शुद्धिमूलक वचन-शुद्धिकी जीवन-व्यवहारमें प्रतिष्ठा हो। यह सम्भव ही नहीं है कि एक ही वस्तुके विषयमें परस्पर-विरोधी मतबाद चलते रहें, अपने पक्षके समर्थनके लिए उचित-अनुचित शास्त्रार्थ होते रहें, पक्ष-प्रतिपक्षोका संगठन हो, शास्त्रार्थमें हारनेवालेको तैलकी जलती कड़ाहीमें जीवित तल देने-जैसी हिंसक होठे भी लगे, फिर भी परस्पर अहिंसा बनी रहे।

भगवान् महावीर एक परम अहिंसक सन्त थे। उनने देखा कि आजका सारा राजकारण धर्म और मतवादियोंके हाथमें है। जब तक इन मतवादोका वस्तु-स्थितिके आधारसे समन्वय न होगा तब तक हिंसा की जड़ नहीं कट सकती। उनने विश्वके तत्त्वोका साक्षात्कार किया और बताया कि विश्वका प्रत्येक चेतन और जड़ तत्त्व अनन्त धर्मोका भण्डार है। उसके विराट् स्वरूपको साधारण मानव परिपूर्णरूपमें नहीं जान सकता। उसका क्षुद्र ज्ञान वस्तुके एक-एक अंशका जानकर अपनेमें पूर्णताका दुरभिमान कर बैठा है। विवाद वस्तुमें नहीं है। विवाद तो देखनेवालोकी दृष्टिमें है। काश, ये वस्तुके विराट् अनन्त-धर्मात्मक या अनेकाल्पक स्वरूपकी झाँकी पा सके। उनने इस अनेकान्तात्मक तत्त्वज्ञानकी ओर मतवादियोंका ध्यान खींचा और बताया कि—देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण पर्याय और धर्मोका अलखण्ड पिण्ड है। यह अपनी अनाद्य-नन्त सन्तान-स्थितिकी दृष्टिमें नित्य है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जब विश्वके रगमञ्चसे एक कणका भी समूल विनाश हो जाय। याव ही प्रतिक्षण उसकी पर्यायें बदल रही हैं, उसके गुण-धर्मोंमें भी सदृश या विसदृश परिवर्तन हो रहा है, अतः वह अनित्य भी है। इसी तरह अनन्तगुण, शक्ति, पर्याय और धर्म प्रत्येक वस्तुकी निजी सम्पत्ति हैं। इनमेंसे हमारा स्वल्प ज्ञानलव एक-एक अंशको विषय करके क्षुद्र मत-वादोकी सृष्टि कर रहा है। आत्माको नित्य सिद्ध करनेवालोका पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्माको अनित्य सिद्ध करनेवालोकी उखाड़-पछाड़में लगा रहा है तो अनित्यवादियोंका गुट नित्यवादियोंको भला-बुरा कह रहा है।

महावीरको इन मतवादियोंकी बुद्धि और प्रवृत्तिपर तरस आता था। वे बुद्धकी तरह आत्म-नित्यत्व और अनित्यत्व, परलोक और निर्वाण आदिको अभ्याकृत (अकथनीय) कहकर बौद्धिक तमकी सृष्टि नहीं करना चाहते थे। उनने इन सभी तत्त्वोका यथार्थ स्वरूप बताकर शिष्योंको प्रकाशमें लाकर उन्हें मानस समताकी समभूमि पर ला दिया। उनने बताया कि वस्तुको तुम जिस दृष्टिकोणसे देख रहे हो वस्तु उतनी ही नहीं है, उसमें ऐसे अनन्त दृष्टिकोणोंसे देखे जानेकी क्षमता है, उसका विराट् स्वरूप अनन्तधर्मात्मक है। तुम्हें जो दृष्टिकोण विरोधी मालूम होता है उसका ईमानदारीसे विचार करो, वह भी वस्तुमें विद्यमान है। चित्तसे पक्षपातकी दुरभिसन्धि निकालो और दूसरेके दृष्टिकोणको भी उतनी ही प्रामाणिकतासे वस्तुमें खोजो, वह बड़ी लहारा रहा है। हाँ, वस्तुकी सीमा और मर्यादाका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तुम चाहो कि जड़में चेतनत्व खोजा जाय या चेतनमें जड़त्व, तो नहीं मिल सकता। क्योंकि प्रत्येक पदार्थके अपने-अपने निजी धर्म निश्चित हैं। मैं प्रत्येक वस्तुको अनन्त धर्मात्मक कह रहा हूँ, सर्वधर्मात्मक नहीं। अनन्त धर्मोंमें चेतनके

सम्भव अनन्त धर्म चेतनमें मिलने तथा अचेतनगत सम्भव धर्म अचेतनमें। चेतनके गुण-धर्म अचेतनमें नहीं पाये जा सकते और न अचेतनके चेतनमें। हाँ, कुछ ऐसे सामान्य धर्म भी हैं जो चेतन और अचेतन दोनोंमें साधारण रूपसे पाए जाते हैं। तात्पर्य यह कि वस्तुमें बहुत गुञ्जाइश है। वह इतनी विराट् है जो हमारे तुम्हारे अनन्त दृष्टिकोणोंमें देखी जा सकती है। एक क्षुद्र-दृष्टिका आग्रह करके दूसरेकी दृष्टिका तिरस्कार करना या अपनी दृष्टिका अहंकार करना वस्तुके स्वरूपकी नासमझीका परिणाम है। हरिभद्र-सूरिने लिखा है कि—

“आग्रही वत निनीपति युक्ति तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा ।

पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्यत्र तत्र मतिरेति निवेशम् ॥” —लोकतत्त्वनिर्णय

अर्थात्—आग्रही व्यक्ति अपने मतपोषणके लिए युक्तियाँ ढूँढता है, युक्तियोंको अपने मतकी ओर ले जाता है, पर पक्षपातरहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिमिद्ध वस्तुस्वरूपको स्वीकार करनेमें अपनी मतिकी सफलता मानता है।

अनेकान्त दर्शन भी यही सिखाता है कि युक्तिमिद्ध वस्तुस्वरूपकी ओर अपने मतको लगाओ न कि अपने निश्चित मनकी ओर वस्तु और युक्तिकी खींचातानी करके उन्हें बिगाड़नेका दुष्टप्रयास करो, और न कल्पनाकी उड़ान इतनी लम्बी लो जो वस्तुको सीमाको ही लाँच जाय। तात्पर्य यह है कि मानससमताके लिए यह वस्तुस्थितिमूलक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावश्यक है। इसके द्वारा हम नरतनधारीको ज्ञात हो सकेगा कि वह कितने पानीमें है, उसका ज्ञान कितना स्वल्प है। और वह किस दुरभिमानसे हिंसक मतवादका सर्जन करके मानवसमाजका अहित कर रहा है। इस मानस-अहिमात्मक अनेकान्त-दर्शनसे विचारोंमें या दृष्टिकोणोंमें कामचलाऊ समन्वय या डीलाढाला समझौता नहीं होता, किन्तु वस्तुस्वरूपके आधारसे यथार्थ तत्त्वज्ञानमूलक समन्वय-दृष्टि प्राप्त होती है।

डॉ० सर राधाकृष्णन् इण्डियन फिलासफी (जिल्द १, पृ० ३०५-६) में स्याद्वादके ऊपर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि—“इसमें हमें केवल आपेक्षिक अथवा अर्धसत्यका ही ज्ञान हो सकता है, स्याद्वादसे हम पूर्ण सत्यको नहीं जान सकते। दूसरे शब्दोंमें—स्याद्वाद हमें अर्धसत्यको पास लाकर पटक देता है और इन्हीं अर्धसत्यको पूर्ण सत्य मान लेनेकी प्रेरणा करता है। परन्तु केवल निश्चित-अनिश्चित अर्ध-सत्यको मिलाकर एक साथ रख देनेसे वह पूर्णसत्य नहीं कहा जा सकता।” आदि।

क्या सर राधाकृष्णन् बतानेकी कृपा करेगे कि स्याद्वादने निश्चित-अनिश्चित अर्धसत्यको पूर्ण सत्य माननेकी प्रेरणा कैसे की है? हाँ, वह वेदान्तकी तरह चेतन और अचेतनके काल्पनिक अभेदको दिमागी बौद्धमें अवश्य शामिल नहीं हुआ। और न वह किसी ऐसे सिद्धान्तका समन्वय करनेकी मलाह देता है जिसमें वस्तुस्थितिकी उपेक्षा की गई हो। सर राधाकृष्णन्को पूर्णसत्य रूपसे वह काल्पनिक अभेद या ब्रह्म इष्ट है जिसमें चेतन-अचेतन मूर्त-अमूर्त सभी काल्पनिक रीतिसे समा जाते हैं। वे स्याद्वादकी ममन्वयदृष्टिको अर्ध-सत्यको पास लाकर पटकना समझते हैं, पर जब प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः अनन्तधर्मात्मक है तब उस वास्तविक नतीजेपर पहुँचनेको अर्धसत्य कैसे कह सकते हैं? हाँ, स्याद्वाद उस प्रमाणविरुद्ध काल्पनिक अभेदकी ओर वस्तुस्थितिमूलक दृष्टिसे नहीं जा सकता। जैसे, सप्रहृतयकी एक चरम अभेदकी कल्पना जैनदर्शनकारोंने भी की है और उस परम सप्रहृतयकी अभेद दृष्टिसे बताया है कि—“सर्वमेक मदविशेषत्” अर्थात्—जगत् एक है, सब्रूपसे चेतन और अचेतनमें कोई भेद नहीं है। पर यह एक कल्पना है, क्योंकि ऐसा एक सत् नहीं है जो प्रत्येक मौलिक द्रव्यमें अनुगत रहता हो। अतः यदि सर राधाकृष्णन्को चरम अभेदको कल्पना ही देखनी हो

तो वे परमसंग्रहणयके दृष्टिकोणमें देख सकते हैं, पर वह केवल कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नहीं। पूर्ण-सत्य तो वस्तुका अनेकान्तात्मक रूपसे दर्शन ही है, न कि काल्पनिक अभेदका दर्शन।

इसी तरह प्रो० बलदेव उपाध्याय इस स्याद्वादसे प्रभावित होकर भी सर राधाकृष्णन्का अनुसरण-कर स्याद्वादकी मूलभूतत्व (एक ब्रह्म ?) के स्वरूपके समझनेमें नितान्त असमर्थ बतानेका साहस करते हैं। इनने तो यहाँ तक लिख दिया है कि—'इसी कारण यह व्यवहार तथा परमार्थके बीचोबीच तत्त्व-विचारकी कतिपय क्षणके लिए विस्मय तथा विराम देनेवाले विश्रामगृहसे बढ़कर अधिक महत्त्व नहीं रखता।' (भारतीय दर्शन, पृ० १७३)। आप चाहते हैं कि प्रत्येक दर्शनको उस काल्पनिक अभेद तक पहुँचना चाहिए। पर स्याद्वाद जब वस्तुविचार कर रहा है तब वह परमार्थ सत् वस्तुकी सीमाको कैसे लाँच सकता है ? ब्रह्मिकवाद न केवल युक्तिविरुद्ध ही है पर आजके विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्तविक मूल्य सिद्ध नहीं होता। विज्ञानने एटम तकका विरलेषण किया है और प्रत्येककी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की है। अत यदि स्याद्वाद वस्तुकी अनेकान्तात्मक सीमापर पहुँचाकर बुद्धिको विराम देता है तो यह उसका भूषण ही है। दिमागी अभेदसे वास्तविक स्थितिकी उपेक्षा करना भनोरञ्जनसे अधिक महत्त्वको बात नहीं हो सकती।

इसी तरह श्रीयुत् हनुमन्तराव एम. ए. ने अपने "Jain Instrumental theory of Knowledge" नामक लेखमें लिखा है कि—'स्याद्वाद सरल समझौतेका मार्ग उपस्थित करता है, वह पूर्ण सत्य तक नहीं ले जाता।' आदि। ये सब एक ही प्रकारके विचार हैं जो स्याद्वादके स्वरूपको न समझनेके या वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करनेके परिणाम हैं। मैं पहिले लिख चुका हूँ कि—महावीरने देखा कि—वस्तु तो अपने स्थानपर अपने विराट् रूपमें प्रतिष्ठित है, उसमें अनन्त धर्म, जो हमें परस्पर विरोधी मालूम होते हैं, अविरोध भावसे विद्यमान हैं, पर हमारी दृष्टिमें विरोध होनेसे हम उसकी यथार्थ स्थितिको नहीं समझ पा रहे हैं। जैनदर्शन वास्तव-बहुत्ववादी है। वह दो पृथक्सत्ताक वस्तुओंको व्यवहारके लिए कल्पनासे अभिन्न कह भी दे, पर वस्तुकी निजी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करना चाहता। जैनदर्शन एक व्यक्तिका अपने गुण-मर्यादोसे वास्तविक अभेद तो मानता है, पर दो व्यक्तियोंमें अवास्तविक अभेदको नहीं मानता। इस दर्शनकी यही विशेषता है, जो यह परमार्थ सत् वस्तुकी परिधिको न लाँचकर उसकी सीमामें ही विचार करता है और मनुष्योंको कल्पनाकी उडानसे बिरलकर वस्तुकी ओर देखनेको बाध्य करता है। जिस चरम अभेद तक न पहुँचनेके कारण अनेकान्त दर्शनको सर राधाकृष्णन्-जैसे विचारक अर्थसंश्लोका समुदाय कहते हैं उस चरम अभेदको भी अनेकान्त दर्शन एक व्यक्तिका एक धर्म मानता है। वह उन अभेदकल्पकोको कहता है कि वस्तु इससे भी बड़ी है, अभेद तो उसका एक धर्म है। दृष्टिको और उदार तथा विशाल करके वस्तुके पूर्ण रूपको देखो, उसमें अभेद एक कोनेमें पडा होगा और अभेदके अनन्तो भाई-बन्धु उसमें तादात्म्य ही रहें होंगे। अत इन ज्ञानलवधारियोंको उदारदृष्टि देनेवाले तथा वस्तुकी शांति दिखानेवाले अनेकान्तदर्शनने वास्तविक विचारकी अन्तिम रेखा खींची है, और यह सब हुआ है मानस-समतामूलक तत्त्व-ज्ञानकी खोजसे। जब इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्तधर्मालिका है तब सहज ही मनुष्य यह सोचने लगता है कि दूसरा वादी जो कह रहा है उसकी सहानुभूतिसे समीक्षा होनी चाहिये और वस्तु-स्थितिमूलक समीकरण होना चाहिये। इस स्वीयस्वल्पता और वस्तु-अनन्तधर्मताके वातावरणसे निरर्थक कल्पनाओका जाल टूटगा और अहंकारका विनाश होकर मानससमताकी सृष्टि होगी। जो कि अहिंसाका संजीवन बीज है। इस तरह मानस-समतताके लिए अनेकान्त दर्शन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता है। जब अनेकान्त दर्शनसे विचारशुद्धि हो जाती है तब स्वभावतः नाश्रीमें नम्रता और परसमन्वयकी वृत्ति उत्पन्न

हो जाती है। वह वस्तुस्थितिको उल्लंघन करनेवाले शब्दका प्रयोग ही नहीं कर सकता। इसीलिए जैनाचार्यों ने वस्तुकी अनेकधर्मात्मकताका द्योतन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता बताई है। शब्दोमें यह सामर्थ्य नहीं जो कि वस्तुके पूर्णरूपको युगपत् कह सके। वह एक समयमें एक ही धर्मको कह सकता है। अतः उसी समय वस्तुमें बिद्यमान शेष धर्मोंकी सत्ताका सूचन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया जाता है। 'स्यात्' का 'सुनिश्चित दृष्टिकोण' या 'निर्णय अपेक्षा' ही अर्थ है 'शायद', 'सम्भव' 'कदाचित्' आदि नहीं। 'स्यावस्ति' का वाक्यार्थ है—'स्वरूपादिकी अपेक्षासे वस्तु है ही' न कि 'शायद है', 'सम्भव है', 'कदाचित् है' आदि। संक्षेपत जहाँ अनेकान्तदर्शन चित्तमें समता, मध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षताका उदय करता है, वहाँ स्याद्वाच्य धारणामें निर्दोषता आनेका पूरा अवसर देता है।

इस प्रकार अहिंसाकी परिपूर्णता और स्थायित्वकी प्रेरणामें मानसशुद्धिके लिए अनेकान्तदर्शन और वचन-शुद्धिके लिए स्याद्वाच्य-जैसी निधियोंको भारतीय संस्कृतिके कोषागारमें दिया है। बोलते समय वक्तव्यको सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि वह जो बोल रहा है उसी ही वस्तु नहीं है, किन्तु बहुत बड़ी है, उसके पूर्णरूप तक शब्द नहीं पहुँच सकते। इसी भावको जतानेके लिए वक्तव्य 'स्यात्' शब्दका प्रयोग करता है। 'स्यात्' शब्द विधिलिङ्में निष्पन्न होता है, जो अपने वक्तव्यको निश्चित रूपमें उपस्थित करता है न कि संशय रूपमें। जैन तीर्थंकरोंने इस तरह सर्वाङ्गीण अहिंसाकी साधनाका वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकारका प्रत्यक्षानुभूत मार्ग बताया है। उनमें पदार्थिक स्वरूपका यथार्थ निरूपण तो किया ही, माय ही पदार्थिक देखनेका, उनके ज्ञान करनेका और उनके स्वरूपको वचनसे कहनेका नया वस्तुसपर्श मार्ग बताया। इस अहिंसक दृष्टिसे यदि भारतीय दर्शनकारोंने वस्तुका निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथाका इतिहास रत्नरजित न हुआ होता और धर्म तथा दर्शनके नामपर मानवताका निर्दलन नहीं होता। पर अहंकार और शासन-भावना मानवको दानव बना देती है। उसपर भी धर्म और मत्तका 'अहम्' तो अति दुर्निवार होता है। परन्तु युग-युगमें ऐसे ही दानवोंको मानव बनानेके लिए अहिंसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता भाव और इसी सर्वाङ्गीण अहिंसाका संदेश देते आए हैं। यह जैनदर्शनकी ही विशेषता है जो वह अहिंसाकी तह तक पहुँचनेके लिए केवल धार्मिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु वास्तविक स्थितिके आधारसे दार्शनिक युक्तियोंको सुलझानेकी मौलिक दृष्टि भी खोज सका। न केवल दृष्टि ही किन्तु मन, वचन और काय इन तीनों द्वारोंसे होनेवाली हिंसाको रोकनेका प्रशस्ततम मार्ग भी उपस्थित कर सका।

डॉ० भगवानदास जैसे मनीषी समन्वय और सब धर्मोंकी मौलिक एकताकी आवाज बुलन्द कर रहे हैं। वे बर्षोंसे कह रहे हैं कि समन्वय दृष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नहीं हो सकता, मानव मानव नहीं रह सकता। उन्होंने अपने 'समन्वय' और 'दर्शनका प्रयोजन' आदि ग्रन्थोंमें इसी समन्वय तत्त्वका भूरि-भूरि प्रतिपादन किया है। जैन ऋषियोंने इस समन्वय (स्याद्वाच्य) निदानतपर ही सख्याबद्ध ग्रन्थ लिखे हैं। इनका विश्वास है कि जब तक दृष्टिमें समीचीनता नहीं आयगी तब तक मतभेद और सघर्ष बना ही रहेगा। नए दृष्टिकोणसे वस्तुस्थिति तक पहुँचना ही विमवादिसे हटाकर जीवनको सवादी बना सकता है। जैनदर्शनकी भारतीय संस्कृतिको यही देन है। आज हमें जो स्वातन्त्र्यके दर्शन हुए हैं वह इसी अहिंसाका पुष्पफल है। कोई यदि विश्वमें भारतका मस्तक ऊँचा रख सकता है तो यह निरुपाधि वर्ण, जाति, रङ्ग, देश आदिकी उपाधियोंसे रहित अहिंसा भावना ही है।

इस प्रकार सामान्यतः दर्शन शब्दका अर्थ और उनकी सीमा तथा जैनदर्शनकी भारतीय दर्शनको देनका सामान्य वर्णन करनेके बाद इस भागमें आए हुए पन्थगत प्रमेयका वर्णन संक्षेपमें किया जाता है—

विषयपरिचय

ग्रन्थका बाह्यस्वरूप

नाम—आचार्य मिद्धसेन दिवाकरने जैन न्यायका अवतार करनेवाला न्यायावतार ग्रन्थ लिखा है। न्यायावतारमें प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुत इन तीन प्रमाणोका विवेचन किया गया है। अकलकदेवने प्रकृत ग्रन्थ न्यायविनिश्चयमें भी प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन ये तीन ही प्रस्ताव रखे हैं। धर्मकीतिके प्रमाणवातिकमें प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान इन तीनका विवेचन है। परार्थानुमान और शब्द प्रमाणकी प्रक्रिया लगभग एकसी है। धर्मकीतिका एक प्रमाणविनिश्चय ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ गद्यपद्यमय रहा है। वादिदेवसूरिने स्याद्वाद रत्नाकर (पृ० २३) में 'धर्मकीतिरपि न्यायविनिश्चयस्य' यह उल्लेख करके लिखा है कि न्यायविनिश्चयके तीन परिच्छेदोंमें क्रमशः प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमानका वर्णन है। यदि धर्मकीतिका प्रमाणविनिश्चयके अतिरिक्त न्यायविनिश्चय नामका भी कोई ग्रन्थ रहा है तो अकलकदेवने नामकी पमन्दगीमें इसका उपयोग कर लिया होगा। अभी तकके अनुसन्धानसे धर्मकीतिके न्यायविनिश्चय ग्रन्थका तो पता नहीं चला है। हो सकता है कि वादिदेवसूरिने प्रमाणविनिश्चयका ही 'न्यायविनिश्चयके' नामसे उल्लेख कर दिया हो क्योंकि उसके प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान परिच्छेद प्रमाणके ही भेदोंके विवेचक हैं। अतः प्रमाणवातिककी तरह प्रमाणविनिश्चय नामकी ही अधिक सम्भावना है। अकलकदेवने न्यायको कलिदोषसे मलिन हुआ देखकर उसके विनिश्चयार्थ न्यायावतार और प्रमाणविनिश्चयके आद्यन्त पदोंसे ग्रन्थका न्यायविनिश्चय नामकरण किया होगा।

न्यायविनिश्चयको अकलककर्तृकता—अकलकदेव अपने ग्रन्थोंमें कहीं-न-कहीं 'अकलक' नामका प्रयोग अवश्य करते हैं। यह प्रयोग कहीं जिनेन्द्रके रूपमें, कहीं ग्रन्थके विशेषणके रूपमें और कहीं लक्षणघटक विशेषणके रूपमें दृष्टिगोचर होता है। न्यायविनिश्चय ग्रन्थ (कारिका न० २८६) में 'विस्मयवैरकलकरत्ननिचयन्यायो विनिश्चीयते' इस कारिकाशके द्वारा अकलक और न्यायविनिश्चय दोनोंकी हृदयहारिणी रीतिसे स्पष्ट सूचना दे दी है। वादिराजसूरिके पुष्पिका वाक्य, अनन्तबीर्यकी सिद्धिविनिश्चय टीका (पृ० २०८ B) का उल्लेख, विद्यानन्दिका आप्तपरीक्षा (पृ० ४९) गत 'तदुक्तमकलकदेवै' कहकर उद्धृत की गई न्यायविनिश्चयकी 'इन्द्रजालादिषु' आदि कारिका, न्यायदीपिकाकार धर्मभूषणयति द्वारा 'तदुक्त भगवद्भिरकलकदेवै न्यायविनिश्चयै' लिखकर 'प्रत्यक्षलक्षण प्राहु' इस तीसरी कारिकाका उद्धृत किया जाना इस ग्रन्थकी अकलककर्तृकताके प्रबल पोषक प्रमाण हैं।

ग्रन्थगतप्रमेय—न्यायविनिश्चयमें तीन प्रस्ताव हैं—१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. प्रवचन। इन प्रस्तावोंमें स्थूल रूपसे जिन विषयोंपर प्रकाश डाला गया है—उनका परिचय इस स्मृतिग्रन्थके खण्ड चारमें 'अकलक ग्रन्थत्रय और उसके कर्ता' लेखमें दिया गया है।

प्रस्तुत न्यायविनिश्चयमें तीन प्रकारके श्लोकोका संग्रह है—१—वार्तिक २—अन्तरश्लोक ३—संग्रहश्लोक। इस भागमें 'प्रत्यक्षलक्षण प्राहु' आदि तीसरा श्लोक मूलवार्तिक है, क्योंकि आगे इसी श्लोकगत पदोंका विस्तृत विवेचन है। वृत्तिके मध्यमें यत्र-तत्र आनेवाले अन्तरश्लोक हैं। तथा वृत्तिके द्वारा प्रदत्त मूलवार्तिकके अर्थका संग्रह करानेवाले संग्रहश्लोक हैं। वादिराजसूरिने (पृ० २२९) स्वयं 'निराकारेत्यादय अन्तरश्लोका. वृत्तिमध्यवर्तित्वात्' विमुखेत्यादि वार्तिकव्याख्यानवृत्तिग्रन्थमध्यवर्तित खल्वमी श्लोका. । 'संग्रहश्लोकास्तु वृत्त्युपदेशितस्य वार्तिकार्थस्य संग्रहपरा इति विशेषे ।' इन शब्दोंमें अन्तरश्लोक और संग्रहश्लोककी विशेषता बताई है। वादिराजसूरिकी व्याख्या गद्यभागपर तो नहीं ही है। पद्योंमें भी सम्भवतः कुछ पद्य अव्याख्यात छूट गए हैं।

कारिका संख्या—न्यायविनिश्चयकी मूलकारिकाएँ पृथक्-पृथक् पूर्णरूपसे लिखी हुई नहीं मिलती । इनका उद्धार विवरणगत कारिकाशोको जोड़कर किया गया है । अतः जहाँ ये कारिकाएँ पूरी नहीं मिलती वहाँ उद्धृत अथवाको [] इस ब्रैकेटमें दे दिया है । अकलङ्कग्रन्थत्रयमें न्यायविनिश्चय मूल प्रकाशित हो चुका है । उसमें प्रथम प्रस्तावमें १६९॥ कारिकाएँ मुद्रित हैं, पर वस्तुतः इस प्रस्तावकी कारिकाओंकी अप्रामात संख्या १६८॥ है । अकलङ्कग्रन्थत्रयगत न्यायविनिश्चयमें 'हिताहिताति' (कारिका नं० ४) कारिका मूलकी समझकर छापी गई है, पर अब यह कारिका वादिराजकी स्वकृत ज्ञात होती है । न्यायविनिश्चयविवरण (पृ० ११५) में लिखा है कि—“करिष्यते हि सदसज्ज्ञान इत्यादिना इन्द्रिय-प्रत्यक्षस्य, परोक्षज्ञान इत्यादिना अनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, लक्षण सममित्यादिना चातीन्द्रियप्रत्यक्षसमर्थ-नम्” इस उल्लेखसे ज्ञात होता है कि तीनों प्रत्यक्षोका प्रकारान्तरसे समर्थन कारिकाओंमें किया गया है लक्षण नहीं । मूल कारिकाओंमें न तो अनिन्द्रिय प्रत्यक्षका लक्षण है और न अतीन्द्रिय प्रत्यक्षका, तब केवल इन्द्रियप्रत्यक्षका लक्षण क्यों किया होगा ? दूसरे पक्षमें इस श्लोककी व्याख्या (पृ० १०५, १११) विवरणमें मौजूद है और व्याख्याके आधारोंसे ही उक्त श्लोकको मैंने पहले मूलका माना था । हो सकता है कि वादिराजने स्वकृत श्लोकका ही तात्पर्योद्घाटन किया हो । अथवा वृत्तिमें ही गद्यमें उक्त लक्षण हो और वादिराजने उसे पद्यबद्ध कर दिया हो । जैसा कि लघीयस्त्रय स्ववृत्ति (पृ० २१) में “इन्द्रियार्थज्ञान स्पष्ट हिताहित-प्राप्तिपरिहारसमर्थं प्रादेशिक प्रत्यक्षम्” यह इन्द्रियप्रत्यक्षका लक्षण मिलता है । अथवा, इसे ही वादिराजने पद्यबद्ध कर दिया हो । फलतः हमने इस श्लोकको इस विवरणमें वादिराजकृत ही मानकर छोटे टाइपमें छापा है । अकलङ्कग्रन्थत्रयकी प्रस्तावनामें इस श्लोकके सम्बन्धमें मैंने पं० कलाशचन्द्रजीके मतकी चरचा की थी । अनुसन्धानसे उनका मत इस समय उचित मालूम होता है ।

अकलङ्कग्रन्थत्रयमें मुद्रित कारिका नं० ३८ का “ग्राह्यभेदो न संवित्ति भिनत्पयाकारभङ्गयपि” यह उत्तरार्थ मूलका नहीं है । कारिका नं० १२९ के पूर्वार्थके बाद “तथा सुनिश्चितस्तस्तु तत्त्वतो विप्रशसतः” यह उत्तरार्थ मूलका होना चाहिए । इस तरह इस परिच्छेदकी कारिकाओंकी संख्या १६८॥ रह जाती है । प्रस्तुत विवरणमें छापते समय कारिकाओंके नम्बर देनेमें गड़बड़ी हो गई है ।

ताष्टपत्रीय प्रतिमें प्रायः मूल श्लोकके पहिले ॐ इसप्रकारका चिह्न बना हुआ है, जहाँ पूरे श्लोक आए है । कारिका नं० ४ पर यह चिह्न नहीं बना है । अकलङ्कग्रन्थत्रयमें मुद्रित प्रथम परिच्छेदकी कारिकाओंमें निम्नलिखित संशोधन होना चाहिए—

कारिका नं० १६	—शब्दो	—शक्तो ।
कारिका नं० २४	—व्यये	—वन्त्यये— ।
कारिका नं० ३१	न विज्ञाना-	न हि ज्ञाना- ।
कारिका नं० ७०	—मेष निश्चय-	—मेष विनिश्चय ।
कारिका नं० ७८	कथन तत्	कथं तत् ।
कारिका नं० १०२	द्रुमेष्व-	द्रुवेष्व- ।
कारिका नं० १४०	अतदारम्भ-	अतदाभ-

द्वितीय और तृतीय परिच्छेदमें मुद्रित कारिकाओंमें निम्नलिखित कारिकापरिवर्तनादि हैं—कारिका नं० १९४ की रचना—“अतद्वेतुफलापोहः सामान्य चेदपोहिनाम् । सन्दश्यते तथा बुद्धया न तथाऽ प्रतिपत्तितः ।” इसप्रकार होनी चाहिए ।

कारिका नं० २८३ के ५ पूर्वार्धके बाद "चित्रचैतविचित्रामदृष्टमङ्गप्रसङ्गतः। स नैकः सर्वथा श्लेषात् नानेको भेदरूपतः।" यह कारिका और होनी चाहिए। कारिका नं० ३७२ का "पूर्वपक्षमविज्ञाय दूषकोऽपि विदूषकः" यह उत्तरार्ध मूलका नहीं है। कारिका नं० ४३१ के बाद "ततः शब्दार्थयानांस्ति सम्बन्धोऽपीरुषेयकः" यह कारिकाई और होना चाहिए। कारिका नं० ४७५ के बाद "प्रमा प्रमितिहेतुत्वात् प्रामाण्यमुपगम्यते" यह कारिकाई और होना चाहिए। अतः अकलङ्कन्यायव्ययगत न्यायविनिश्चयके अङ्कोके अनुसार सपूर्ण ग्रन्थमे ४८०॥ कारिकाएँ फलित होती हैं।

न्यायविनिश्चयविवरण—न्यायविनिश्चयके षष्ठ भागपर प्रबलताकिक श्याद्वादविद्यापति वादिराज-सूरिकृत तात्पर्यविद्योतिनी व्याख्यानरत्नमाला उपलब्ध है। जिसका नाम 'न्यायविनिश्चय-विवरण है, जैसा कि वादिराजकृत इस श्लोकसे प्रकट है—

“प्रणिपत्य स्थिरभक्त्या गुरुन् परानप्युदारबुद्धिगुणान्।

न्यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीयं मया क्रियते ॥”

लघीयस्त्रयकी तरह न्यायविनिश्चयविवरण (प्रथमभाग पृ० २२९) मे आए हुए 'वृत्तिमध्यवर्तित्वात्', 'वृत्तिचूर्णीना तु विस्तारभयान्नास्माभिर्व्याख्यानमुपवश्यते' इन अवतरणोंसे स्पष्ट है कि न्यायविनिश्चय-पर अकलङ्कदेवकी स्ववृत्ति अवश्य रही है। वृत्तिके मध्यमे भी श्लोक थे जो अन्तरश्लोकके नामसे प्रसिद्ध थे। इसके सिवाय वृत्तिके द्वारा प्रदर्शन मूलवातिकके अर्थको संहत करनेवाले सग्रहश्लोक भी थे। वादिराज-सूरिने जिन ४८०॥ श्लोकोंका व्याख्यान विवरणमें किया है उनमें अन्तरश्लोक और सग्रहश्लोक भी शामिल हैं। किन्तु संहतश्लोक हैं और कितने अन्तरश्लोक, इसका ठीक निर्णय बादमें हो सकेगा। पर वादिराज-सूरिने वृत्ति या जूणिगत सभी श्लोकोंका व्याख्यान नहीं किया। पृ० ३०१ में 'तथा च सूक्त चूर्णो देवस्य वचनम्' इस उक्तान-वाक्यके साथ 'समारोपव्यवच्छेदात्' आदि श्लोक उद्धृत हैं। यदि वादिराजसूरि न्यायविनिश्चयकी स्ववृत्तिको ही जूणिगताइसे कहते हैं तो कहना होगा कि आपने वृत्ति या जूणिगत सभी श्लोकोंका व्याख्यान नहीं किया, क्योंकि 'समारोपव्यवच्छेदात्' श्लोक मूलमें शामिल नहीं किया गया है।

१ परम्परागत प्रसिद्धिके अनुसार इसका नाम न्यायकुमुदचन्द्रके न्यायकुमुदचन्द्रोदयकी तरह न्यायविनिश्चयालङ्कार रूढ हो गया है। परन्तु वस्तुतः वादिराजके उक्त श्लोकगत उल्लेखानुसार इसका मुख्य आख्यान न्यायविनिश्चयविवरण है; दूसरे शब्दोंमें इसे तात्पर्यविद्योतिनी व्याख्यानरत्नमाला भी कह सकते हैं। पर न्यायविनिश्चयालङ्कार नामका समर्थन किसी भी प्रमाणसे नहीं होता। ५० परमानन्दजी शास्त्री, सरसाबाजे इसका न्यायविनिश्चयालङ्कार नाम भी मानकर इसके 'प्रमाणनिर्णय'से पहिले रूखे जानेके सम्बन्धमें प्रमाणनिर्णय (पृ० १६) गत यह अवतरण एकीभावस्तोत्रकी प्रस्तावना (पृ० १५) में उपस्थित किया है—

“अत एव परामर्शात्मकत्वं स्पष्टाद्यमेव मानसप्रत्यक्षस्य प्रतिपादितमलङ्कारे—इदमित्यादि यज्ज्ञान-मन्यासात् पुरतः स्थिते। साक्षात्करणतस्तत्र प्रत्यक्ष मानसं मतम् ॥”

परन्तु इस अवतरणमें 'अलङ्कार' शब्दसे न्यायविनिश्चयालङ्कार इष्ट नहीं है, क्योंकि यह श्लोक वादिराजसूरिके न्यायविनिश्चयविवरणका नहीं है, किन्तु प्रज्ञाकरगुप्तकृत प्रमाणवातिकालङ्कार (लिखित पृ० ४) का है, और इसे वादिराजने न्यायविनिश्चयविवरण (पृ० ११९) में पूर्वपक्षरूपसे उद्धृत किया है। वादिराज ने स्वयं न्यायविनिश्चयविवरणमें बीसों जगह प्रमाणवातिकालङ्कारका 'अलङ्कार' नामसे उल्लेख किया है। अतः न्यायविनिश्चयविवरणका न्यायविनिश्चयालङ्कार नाम निर्मूल है और मात्र श्रुतिमाधुर्यनिमित्त ही प्रचलित हो गया है।

इस तरह वृत्तिके यावत् गद्यभागकी तो व्याख्या की ही नहीं गई, सम्भवतः कुछ पद्य भी छूट गए हैं। जैसा कि सिद्धिविनिश्चयटीका (पृ० १२० A) के निम्नलिखित उल्लेखोंसे स्पष्ट है—

“तदुक्तं न्यायविनिश्चये—न चैतद् बहिरैव । किं तर्हि ? बहिर्बहिरिव प्रतिभासते । कुत एतत् ? भ्रान्तेः । तदन्यत्र समानम् । इति ।”

सिद्धिविनिश्चयटीका (पृ० ६९ A) में ही न्यायविनिश्चयके नामसे ‘सुखमाल्लाहदानाकार’ श्लोक उद्धृत है—

“कथमन्यथा न्यायविनिश्चये सहभुवो गुणा इत्यस्य
सुखमाल्लाहदानाकारं विज्ञानं मेयबोधनम् ।

शक्तिः क्रियानुमेया स्यात् यूनः कान्तासमागमे ॥ इति निदर्शनं स्यात् ।”

यह श्लोक सिद्धिविनिश्चयटीकाके उल्लेखानुसार न्यायविनिश्चय स्ववृत्तिका होना चाहिए। क्योंकि वह ‘गुणपर्ययवद्द्रव्य ते सहकर्मवृत्तयः’ (श्लो० १११) के गुण शब्दकी वृत्तिमें उदाहरणरूपसे दिया गया होगा। यह भी सम्भव है कि अकलङ्कदेवने स्वयं इस श्लोकको वृत्तिमें उद्धृत किया हो क्योंकि बादिराज इसे स्याद्वादमहार्णव ग्रन्थका बताते हैं। यह भी चिन्तको लगना है कि न्यायविनिश्चयकी उक्त वृत्ति ही सम्भवतः स्याद्वादमहार्णवके नामसे प्रख्यात रही हो। जो हो, पर अभी यह सब साधक प्रमाणोंका अभाव होनेसे सम्भावनाकीटिमें ही है।

न्यायविनिश्चयविवरणकी रचना अन्यन्त प्रमत्त तथा मौलिक है। तत्तत् पूर्वपक्षोंको ममूढ और प्रामाणिक बनानेके लिए अगणित ग्रन्थोंके प्रमाण उद्धृत किये गये हैं। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है बादिराजसूरिके ऊपर किसी भी दार्शनिक आचार्यका सीधा प्रभाव नहीं है। वे हरएक विषयको स्वयं आत्मसात् करके ही व्यवस्थित ढंगसे युक्तियोंका जाल बिछाते हैं जिससे प्रतिवादीको निकलनेका अवसर ही नहीं मिल पाता।

साध्यके पूर्वपक्षमें (पृ० २२१) योगभाष्यका उल्लेख ‘विन्यवानिनी भाष्यम्’ शब्दसे किया है। साध्यकारिकाके एक प्राचीन निबन्धसे (पृ० २२४) भोगकी परिभाषा उद्धृत की है।

बौद्धमतममीधामे धर्मकीतिके प्रमाणवार्तिक और प्रज्ञाकरके वार्तिकालङ्कारकी इतनी गहरी और विस्तृत आलोचना अन्यत्र देखनेमें नहीं आई। वार्तिकालङ्कारका तो आधा-ना भाग इसमें आलोचित है। धर्मोत्तर, शान्तभद्र, अर्चट आदि प्रमुख बौद्ध ग्रन्थकार इनकी तीसरी आलोचनासे नहीं छूटे हैं।

मीमांसादर्शनकी समालोचनामें शबर, उम्बेक, प्रभाकर, मण्डन, कुमारिल आदिका शम्भरी पर्यालोचन है। इसी तरह न्यायवैशेषिक मतमें व्योमशिव, आश्रय, भामर्बज, विश्वरूप आदि प्राचीन आचार्योंके मत उनके ग्रन्थोंसे उद्धृत करके आलोचित हुए हैं। उपनिषदोंका ‘वेदमस्तक’ शब्दसे उल्लेख किया गया है। इस तरह जितना परपक्षसमीक्षणका भाग है वह उन-उन मतोंके प्राचीनतम ग्रन्थोंसे लेकर ही पूर्वपक्षमें स्थापित करके आलोचित किया गया है।

स्वपक्षसंस्थापनमें समन्तब्रह्मादि आचार्योंके प्रमाणवाक्योंसे पक्षका समर्थन परिपुष्ट रीतिसे किया है। जब बादिराज कारिकाओंका व्याख्यान करते हैं तो उनको अपूर्व वैयाकरणबुञ्चुता चिन्तको विस्मित कर देती हैं। किसी-किसी कारिकाके पाँच-पाँच अर्थ तक इन्होंने किए हैं। दो अर्थ तो साधारणतया अनेक कारिकाओंके दृष्टिगोचर होते हैं। काव्यछटा और साहित्यमर्जना तो इनकी पद-पदपर अपनी आभासे न्याय-भारतीको समुज्ज्वल बनाती हुईं सहृदयोंके हृदयको आह्लादित करती हैं। सारे विवरणमें करीब २०००—

२५०० पद्य स्वयं वादिराजके ही द्वारा रचे गए हैं जो इनकी काव्य-चातुरीको प्रत्येक पृष्ठपर मूर्त किए हुए हैं। इनकी तर्कशाक्ति अपनी मौलिक है। क्या पूर्वपक्ष और क्या उत्तरपक्ष, बीनोका बन्धान प्रसाद ओज और माधुर्यसे समलङ्कृत होकर तर्कप्रवणताका उच्च अधिष्ठान है। इस श्लोकमें कितने ओजके साथ यमकमे अचटका उपहास किया है—

“अर्चतचटक, तदस्मादुपरम दुस्तर्कपक्षबलचलनात् ।
स्याद्वादाचलविदलनचञ्चुर्न तवास्ति नयचञ्चुः ॥” (पृ० ४४९)

इस तरह समग्र ग्रन्थका कोई भी पृष्ठ वादिराजकी साहित्यप्रवणता, शब्दनिष्णातता और दार्शनिकताकी युगपत् प्रतीति करा सकता है। एकीभावस्तोत्रके अन्तमें पाया जानेवाला यह पद्य वादिराजका भूतगुणोद्भावक है मात्र स्तुतिपरक नहीं—

“वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः ।
वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः ॥”

वादिराजका ‘एकीभावस्तोत्र’ उन निष्ठावान् और भक्ति-विभोरमानसका परिस्पन्द है जिसकी माधनासे भव्य अपना चरम लक्ष्य पा सकता है। इस तरह वादिराज तार्किक होकर भी भक्त थे, वैयाकरण-चरण होकर भी काव्यकलाके हृदयाह्लादक लीलामय थे और वे अकलङ्कन्यायके सफल व्याख्याकार। जैन-दर्शनके ग्रन्थागारमें वादिराजका न्यायविनिश्चयविवरण अपनी मौलिकता, गम्भीरता, अनुच्छिद्यता, युक्ति-प्रवणता, प्रमाणसंग्रहता आदिका अद्वितीय उदाहरण है। इसके प्रथम प्रत्यक्ष प्रस्तावका मक्षिण विषयपरिचय इस प्रकार है—

प्रत्यक्ष परिच्छेद

न्यायविनिश्चय ग्रन्थके तीन परिच्छेद हैं—१-प्रत्यक्ष २-अनुमान और ३-प्रवचन। इस ग्रन्थमें अकलकदेवने न्यायके विनिश्चय करनेकी प्रतिज्ञा की है। वे न्याय अर्थात् स्याद्वादमद्राजित जैन आम्नायको कल्किल दोषसे गुणद्वेषी व्यक्तियों द्वारा मलिन किया हुआ देखकर विचलित हो उठते हैं और भव्य पुरुषोंकी हितकामनासे सम्बन्धान-वचन रूपी जलसे उस न्यायपर आए हुए मलको दूर करके उसको निर्मल बनानेके लिए कृतमंकल्प होते हैं। जिसके द्वारा वस्तु-स्वरूपका निर्णय किया जाय उसे न्याय कहते हैं। अर्थात् न्याय उन उपायोंको कहते हैं जिनसे वस्तु-तत्त्वका निश्चय हो। ऐसे उपाय तर्कबार्थसूत्र (१६) में प्रमाण और नय दो ही निर्दिष्ट हैं। आम्नायके अनन्त गुणोंमें उपयोग ही एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा आत्माको लक्षित किया जा सकता है। उपयोग अर्थात् चितिशक्ति। उपयोग दो प्रकारका है, एक ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग। एक ही उपयोग जब परपदार्थोंके जाननेके कारण साकार बनता है तब ज्ञान कहलाता है। वही उपयोग जब बाह्यपदार्थोंमें उपयुक्त न रहकर मात्र चैतन्यरूप रहता है तब निराकार अवस्थामें दर्शन कहलाता है। यद्यपि दार्शनिकक्षेत्रमें दर्शनकी व्याख्या बदली है और वह चैतन्याकारकी परिधिमें लींचकर पदार्थोंके सामान्यावलोकन तक जा पहुँची है परन्तु सिद्धान्त ग्रन्थोंमें दर्शनका ‘अनुपयुक्त आदर्शतत्त्वत्’ ही वर्णन है। सिद्धान्त ग्रंथोंमें स्पष्टतया विषय और विषयीके सन्निपातके पहिले ‘दर्शन’ का काल बताया है। जब तक आत्मा एकपदार्थविषयज्ञानोपयोगसे च्युत होकर दूसरे पदार्थविषयक उपयोगमें प्रवृत्त नहीं हुआ तब तक बीचकी निराकार अवस्था दर्शन कही जाती है। इस अवस्थामें चैतन्य निराकार या चैतन्याकार रहता है। दार्शनिक ग्रन्थोंमें ‘दर्शन’ विषयविषयीके सन्निपातके अनन्तर वस्तुके सामान्यावलोकन रूपमें वर्णित है। और वह है बौद्धसम्मत निर्बिकल्पज्ञान और नैयायिकादिसम्मत सन्निकर्ष ज्ञानकी प्रमाणताका निराकरण

करनेके लिए । इसका यही तात्पर्य है कि बौद्धादि जिस निर्विकल्पकको प्रमाण मानते हैं जैन उसे दर्शनकोटि-में गिनते हैं और वह प्रमाणकी सीमासे बहिर्भूत है । अस्तु ।

उपायतत्त्वमे ज्ञान ही आता है । जब ज्ञान वस्तुके पूर्णरूपको जानता है तब प्रमाण कहा जाता है तथा जब देशको जानता है तब नय । प्रमाणका लक्षण साधारणतया 'प्रमाकरण प्रमाणम्' यह सर्व-स्वीकृत है । विवाद यह है कि करण कौन हो ? नैयायिक सन्निकर्ष और ज्ञान दोनोंका करण रूपसे निर्देश करते हैं । परन्तु जैन परम्परामे अज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमितिका करण ज्ञानको मानते हैं । आचार्य ममन्तभद्र और सिद्धसेनने प्रमाणके लक्षणमें 'स्वपरावभासक' पदका समावेश किया है । इस पदका तात्पर्य है कि प्रमाणको 'स्व' और 'पर' दोनोंका निश्चय करनेवाला होना चाहिए । यद्यपि अकलकदेव और भाणिक्यनन्दीने प्रमाण-के लक्षणमें 'अनधिगतार्थग्राही' और 'अपूर्वार्थव्यवभासात्मक' पदोका निवेश किया है, पर यह सर्वस्वीकृत नहीं हुआ । आचार्य हेमचन्द्रने तो 'स्वावभासक' पद भी प्रमाणके लक्षणमें अनावश्यक समझा है । उनका कहना है कि स्वावभासकत्व ज्ञानसामान्यका धर्म है । ज्ञान चाहे प्रमाण हो या अप्रमाण, वह स्वमवेदी होगा ही । तात्पर्य यह है कि जैन परम्परामे ऐसा स्वसवेदी ज्ञान प्रमाण होगा जो पर-पदार्थ-निर्णय करनेवाला हो । प्रमाण सकलादेशी होता है, वह एक गुणके द्वारा भी पूरी वस्तुको विषय करता है । नय विकलादेशी होता है, क्योंकि वह जिस धर्मका स्पर्श करता है उसे ही मुख्य भावसे विषय करता है ।

प्रमाणके भेद—सामान्यतया प्राचीन कालसे जैन परम्परामे प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद निर्विवाद रूपसे स्वीकृत चले आ रहे हैं । आत्मज्ञान-सापेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं तथा जिस ज्ञानमे इन्द्रिय मन प्रकाश आदि परसाधनोंकी अपेक्षा हो वह ज्ञान परोक्ष कहा जाता है । प्रत्यक्ष और परोक्षकी यह परिभाषा जैन परम्पराकी अपनी है । जैन परम्परामे प्रत्येक वस्तु अपने परिणमनमे स्वयं उपादान होती है । जितने परनिमित्तक परिणमन है, सब व्यवहारमूलक हैं । जितने मात्र स्वनिमित्तक परिणमन है वे परमार्थ हैं, निश्चयनयके विषय हैं । प्रत्यक्ष और परोक्षके लक्षणमें भी वही स्वाभिमुख दृष्टि कार्य कर रही है । और उसके निर्वाहके लिए अक्ष शब्दका अर्थ (अक्षोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा) आत्मा किया गया । प्रत्यक्षके लोकप्रसिद्ध अर्थके निर्वाहके लिए इन्द्रियजन्य ज्ञानको साव्यवहारिक सजा दी । यद्यपि शास्त्रीय परमार्थ व्याख्याके अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान परसापेक्ष होनेसे परोक्ष है किन्तु लोकव्यवहारमे इनको प्रत्यक्ष-रूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण इन्हे सव्यवहार प्रत्यक्ष कह दिया जाता है । जैनदृष्टिमे उपादानयोग्यतापर ही विशेष भार दिया गया है, निमित्तसे यद्यपि उपादान-योग्यता विकसित होती है, पर निमित्ताधीन परिणमन उत्कृष्ट या शुद्ध नहीं समझे जाते । इसीलिए प्रत्यक्ष-जैसे उत्कृष्ट ज्ञानमे इन्द्रिय और मन-जैसे निकटतम साधनोंकी अपेक्षा भी स्वीकार नहो की गई । प्रत्यक्ष व्यवहारका कारण भी आत्मज्ञानसापेक्षता ही निरूपित-की गई है और परोक्ष व्यवहारके लिए इन्द्रिय मन आदि परपदार्थोंकी अपेक्षा रखना । यह तो जैनदृष्टिका अपना आध्यात्मिक निरूपण है । उस प्रत्यक्षज्ञानकी परिभाषा करते हुए अकलकदेवने कहा है कि—

“प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टः साकारमञ्जसा ।

द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम् ॥”

अर्थात्—जो ज्ञान परमार्थतः स्पष्ट हो, साकार हो, द्रव्यपर्यायात्मक और सामान्यविशेषात्मक अर्थ-को विषय करनेवाला हो और आत्मवेदी हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । इस लक्षणमे अकलकदेवने निम्नलिखित मुद्दे विचारकोटिके लायक रखे हैं—

१-ज्ञान आत्मवेदी होता है ।

२-ज्ञान साकार होता है ।

३-ज्ञान अर्थको जानता है ।

४-अर्थ सामान्यविशेषात्मक है ।

५-अर्थ द्रव्यपर्यायात्मक है ।

६-वह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा जो परमार्थतः स्पष्ट हो ।

ज्ञानका आत्मवेदित्व—'ज्ञान आत्माका गुण है या नहीं' यह प्रश्न भी चार्वाकियोंकी चर्चाका विषय रहा है। भूतचैतन्यवादी चार्वाक ज्ञानको पृथ्वी आदि भूतोंका ही धर्म मानता है। वह स्थूल वा सूक्ष्म भूतोंका धर्म स्वीकार न करके सूक्ष्म और अदृश्य भूतोंके विलक्षणसंयोगसे उत्पन्न होनेवाले अवस्थाविशेषको ज्ञान कहता है। साध्य चैतन्यको पुरुषधर्म स्वीकार करके भी ज्ञान या बुद्धिकी प्रकृतिका धर्म मानता है। साध्यके मतसे चैतन्य और ज्ञान जुदा-जुदा हैं। पुरुषगत चैतन्य बाह्यपदार्थोंको नहीं जानना। बाह्यपदार्थोंको जाननेवाला बुद्धितत्त्व जिसे 'महत्त्व भी कहते हैं प्रकृतिका ही परिणाम है। यह बुद्धि उभयतः प्रतिबिम्बी दर्शकके समान है। इसमें एक ओर पुरुषगत चैतन्य प्रतिफलित होता है और दूसरी ओर पदार्थोंके आकार। इस बुद्धि मध्यमके द्वारा ही पुरुषको 'मैं घटको जानता हूँ' यह मिथ्या अहंकार होने लगता है।

न्याय-वैशेषिक—ज्ञानको आत्माका गुण मानते अवश्य हैं, पर इनके मतमें आत्मा द्रव्यपदार्थ पृथक है तथा ज्ञान गुणपदार्थ जुदा। यह आत्माका यावद्द्रव्यभावी अर्थात् जब तक आत्मा है तब तक उसमें अवश्य रहनेवाला—गुण नहीं है किन्तु आत्मनःसंयोग, मन-इन्द्रिय-पदार्थ सन्निकर्ष आदि कारणोंसे उत्पन्न होनेवाला विशेष गुण है। जब तक ये निमित्त मिले, ज्ञान उत्पन्न होगा, न मिले न होगा। मुक्त अवस्थामें मन इन्द्रिय आदिका सम्बन्ध न रहनेके कारण ज्ञानकी धारा उच्छिन्न हो जाती है। इस अवस्थामें आत्मा स्वल्पमात्रमग्न रहता है। तात्पर्य यह कि बुद्धि सुख दुःख आदि विशेष गुण औपाधिक है, स्वभावतः आत्मा ज्ञानशून्य है। ईश्वर नामकी एक आत्मा ऐसी है जो अनाद्यनन्त नित्यज्ञानवाली है। परमात्माके सिवाय अन्य सभी जीवात्माएँ स्वभावतः ज्ञानशून्य हैं।

वेदान्तो ज्ञान और चैतन्यको जुदा-जुदा मानकर चैतन्यका आश्रय ब्रह्मको तथा ज्ञानका आश्रय अन्त करणको मानते हैं। शुद्ध ब्रह्ममें विषयपरिच्छेदक ज्ञानका कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता।

मीमांसक ज्ञानको आत्माका ही गुण मानते हैं। इनके यहाँ ज्ञान और आत्मामें तादात्म्य माना गया है।

बौद्ध परम्परामें ज्ञान नाम या चित्तकल्प है। मुक्त अवस्था में चित्तसन्तति निरास्रव हो जाती है। इस अवस्थामें यह चित्तसन्तति घटपटादि बाह्यपदार्थोंको नहीं जानती।

जैनपरम्परा ज्ञानको अनाद्यनन्त स्वाभाविक गुण मानती है जो मोक्ष दशामें अपनी पूर्ण अवस्थामें रहता है।

'संसार दशामें ज्ञान आत्यन्त धर्म है' इस विषयमें चार्वाक और सायकके निवाय प्रायः सभी दार्ष्टी एकमत हैं। पर विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह दीपककी तरह स्वपरप्रकाशी उत्पन्न होता है या नहीं? इस सम्बन्धमें अनेक मन हैं—? मीमांसक ज्ञानको परोक्ष कहते हैं। उसका कहना है कि ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता है। जब उसके द्वारा पदार्थका बोध हो जाता है तब अनुमानके ज्ञानको जाना जाता है—चूँकि पदार्थका बोध हुआ है और क्रिया बिना करणके हो नहीं सकती अतः करणभूत ज्ञान होना चाहिए। मीमांसकको ज्ञानको परोक्ष माननेका बड़ी कारण है कि—इसने अतीन्द्रिय पदार्थका ज्ञान वेदके द्वारा ही माना है। धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंका प्रत्यक्ष किसी अग्निविशेषको नहीं हो सकता। उसका ज्ञान वेदके द्वारा ही हो सकता है। फलतः ज्ञान जब अतीन्द्रिय है तब उसे परोक्ष होना ही चाहिए।

दूसरा मत नैयायिकोंका है। इनके मतसे भी ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता है और उसका ज्ञान द्वितीय ज्ञानसे होता है और द्वितीयका तृतीयसे। अनवस्था दूषणका परिहार जब ज्ञान विषयान्तरको जानने लगता है तब इस ज्ञानकी धारा रुक जानेके कारण हो जाता है। इनका मत ज्ञानान्तरवेदज्ञानवादके नामसे प्रसिद्ध है। नैयायिकके मतसे ज्ञानका प्रत्यक्ष संयुक्तसमवायसन्निकर्षसे होता है। मन आत्मासे संयुक्त होता है और आत्मासे ज्ञानका समवाय होता है। इस प्रकार ज्ञानके उत्पन्न होनेपर सन्निकर्षजन्य द्वितीय मानसज्ञान प्रथम ज्ञानका प्रत्यक्ष करता है।

सांख्य ने पुरुषको स्वसंभेतक स्वीकार किया है। इसके मतमें बुद्धि या ज्ञान प्रकृतिका विकार है। इसे महत्त्व कहते हैं। यह स्वयं अचेतन है। बुद्धि उभयमुखप्रतिबिम्बी दर्पणके समान है। इसमें एक ओर पुरुष प्रतिफलित होता है तथा दूसरी ओर पदार्थ। इस बुद्धि-प्रतिबिम्बित पुरुषके द्वारा ही बुद्धिका प्रत्यक्ष होता है, स्वयं नहीं।

वेदान्ती के मतमें ब्रह्म स्वप्रकाश है अतः स्वभावतः ब्रह्मका विवर्तन ज्ञान स्वप्रकाशी होना ही चाहिए।

प्रभाकर के मतमें सविन स्वप्रकाशिनी है, वह सवित्त रूपमें स्वयं जानी जाती है।

इस तरह ज्ञानको अनात्मवेदी या अस्वमबेदी माननेवाले मुख्यतया मीमांसक और नैयायिक ही हैं।

अकलकदेवने इसकी मीमांसा करते हुए लिखा है कि—यदि ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष हो अर्थात् अपने स्वरूपको न जानता हो तो उसके द्वारा पदार्थका ज्ञान हमें नहीं हो सकता। देवदत्त अपने ज्ञानके द्वारा ही पदार्थोंको क्यों जानता है, यज्ञदत्तके ज्ञानके द्वारा क्यों नहीं जानता? या प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञानके द्वारा ही अर्थ परिज्ञान करते हैं आत्मान्तरके ज्ञानसे नहीं। इसका मीमांसा और स्पष्ट कारण यही है कि देवदत्तका ज्ञान स्वयं अपनेको जानता है और इमलिये तदभिन्न देवदत्तकी आत्माको ज्ञात है कि अमुक ज्ञान मुझमें उत्पन्न हुआ है। यज्ञदत्तमें ज्ञान उत्पन्न हो जाय पर देवदत्तको उसका पता ही नहीं चलता। अतः यज्ञदत्तके ज्ञानके द्वारा देवदत्त अर्थबोध नहीं कर पाता। यदि जैसे यज्ञदत्तका ज्ञान उत्पन्न होनेपर भी देवदत्तको परोक्ष रहता है, उसी प्रकार देवदत्तको स्वयं अपना ज्ञान परोक्ष हो अर्थात् उत्पन्न होनेपर भी स्वयं अपना परिज्ञान न करता हो तो देवदत्तके लिए अपना ज्ञान यज्ञदत्तके ज्ञानको तरह ही पराया हो गया और उससे अर्थबोध नहीं होना चाहिए। वह ज्ञान हमारे आत्मासे सम्बन्ध रखता है इनमें मात्रसे हम उसके द्वारा पदार्थबोधके अधिकारी नहीं हो सकते जब तक कि वह स्वयं हमारे प्रत्यक्ष अर्थात् स्वयं अपने ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। अपने ही द्वितीय ज्ञानके द्वारा उसका प्रत्यक्ष मानकर उससे अर्थबोध करनेकी कल्पना इमलिए उचित नहीं है कि कोई भी योगी अपने योगज प्रत्यक्षके द्वारा हमारे ज्ञानको प्रत्यक्ष कर सकता है जैसे कि हम स्वयं अपने द्वितीय ज्ञानके द्वारा प्रथम ज्ञानका, पर इतने मात्रमें वह योगी हमारे ज्ञानसे पदार्थोंका बोध नहीं कर लेता। उसे तो जो भी बोध होगा स्वयं अपने ही ज्ञान द्वारा होगा। तात्पर्य यह कि—हमारे ज्ञानमें यही स्वकीयत्व है जो वह स्वयं अपना बोध करता है और अपने आधारभूत आत्मासे तादात्म्य रखता है। यह मभव ही नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न हो जाय अर्थात् अपनी उपयोग दशामें आ जाय और आत्माको या स्वयं उसे ज्ञानका ही पता न चले। वह तो दोषक या सूर्यकी तरह स्वयंप्रकाश ही उत्पन्न होता है। वह पदार्थके बोधके साथ ही साथ अपना सबेदन स्वयं करता है। इन्में न तो क्षणभेद है और न परोक्षता ही। ज्ञानके स्वप्रकाशी होनेमें यह बाधा भी कि—वह घटादि पदार्थोंकी तरह ज्ञेय हो जायगा—नहीं हो सकती; क्योंकि ज्ञान घटको ज्ञेयत्वेन जानता है तथा अपने स्वरूपको ज्ञानरूपसे। अतः उसमें ज्ञेयरूपताका प्रगटन नहीं आ सकता। इसके लिए

दीपकसे बढ़कर समदृष्टान्त दूसरा नहीं हो सकता। दीपकके देखनेके लिए दूसरे दीपककी आवश्यकता नहीं होती, भले ही वह पदार्थोंको मन्द या अस्पष्ट दिखावे पर अपने रूपको तो जैसेका तैसा प्रकाशित करता ही है। ज्ञान चाहे सशयरूप हो या विपर्ययरूप या अनध्यवसायात्मक स्वयं अपने ज्ञानरूपका प्रकाशक होता ही है। ज्ञानमें सशयरूपता, विपर्ययरूपता या प्रमाणताका निश्चय बाह्यपदार्थके यथार्थप्रकाशकत्व और अयथार्थप्रकाशकत्वके अधीन है पर ज्ञानरूपता या प्रकाशरूपताका निश्चय तो उगका स्वाधीन ही है उसमें ज्ञानान्तरकी आवश्यकता नहीं होती और न वह अज्ञान रह सकता है। तात्पर्य यह कि—कोई भी ज्ञान जब उपयोग अवस्थामें आता है तब अज्ञात होकर नहीं रह सकता। हाँ, लब्धि वा शक्ति रूपमें वह ज्ञान न हो यह जुदी बात है क्योंकि शक्तिका परिज्ञान करना विशिष्टज्ञानका कार्य है। पर यहाँ तो प्रश्न उपयोगात्मक ज्ञानका है। कोई भी उपयोगात्मक ज्ञान अज्ञात नहीं रह सकता, वह तो जगता हुआ ही उत्पन्न होता है, उसे अपना ज्ञान करनेके लिए किसी ज्ञानान्तरकी अपेक्षा नहीं है।

यदि ज्ञानको परोक्ष माना जाय तो उसका सद्भाव सिद्ध करना कठिन हो जायगा। 'अर्थप्रकाश' रूप हेतुसे उसकी सिद्ध करनेमें निम्नलिखित बाधाएँ हैं—पहिले तो अर्थप्रकाश स्वयं ज्ञान है, अन जब तक अर्थप्रकाश अज्ञात है तब तक उसके द्वारा मूलज्ञानकी सिद्धि नहीं हो सकती। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि—“अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थसिद्धिः प्रसिध्यति”—अर्थात् अप्रत्यक्ष-अज्ञात ज्ञानके द्वारा अर्थसिद्धि नहीं होती। “नाज्ञानं ज्ञापकं नाम”—स्वयं अज्ञात दूसरेका ज्ञापक नहीं हो सकता, यह भी सर्वसम्मत न्याय है। फलतः यह आवश्यक है कि पहिले अर्थप्रकाशका ज्ञान हो जाय। यदि अर्थप्रकाशके ज्ञानके लिये अन्यज्ञान अपेक्षित हो तो उम अन्यज्ञानके लिए तदव्यञ्जान इस तरह अनवस्था नामका दूषण आता है और इस अनव्यञ्जानपरम्पराकी कल्पना करते रहनेमें आद्यज्ञान अज्ञान ही बना रहेगा। यदि अर्थप्रकाश स्ववेदी है तो प्रथम-ज्ञानको स्ववेदी माननेमें क्या बाधा है? स्ववेदी अर्थप्रकाशसे ही अर्थबोध ही जानेपर मूल ज्ञानकी कल्पना ही निरर्थक हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब तक ज्ञान और अर्थप्रकाशका अविनाभाव सम्बन्ध गृहीत नहीं होगा तब तक उससे ज्ञानका अनुमान नहीं किया जा सकता। यह अविनाभाव ग्रहण अपनी आत्मामें तो इसलिए नहीं बन सकता कि अभी तक ज्ञान ही अज्ञात है तथा अन्य आत्मिक ज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः अविनाभावका ग्रहण न होनेके कारण अनुमानसे भी ज्ञानकी सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती। इसी तरह पदार्थ, इन्द्रियाँ, मानसिक उपयोग आदिसे भी मूलज्ञानका अनुमान नहीं हो सकता। कारण—इनका ज्ञानके साथ कोई अविनाभाव नहीं है। पदार्थ आदि रहते हैं पर कभी-कभी ज्ञान नहीं होता। कदाचित् अविनाभाव ही भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता।

आह्लादनाकार परिणत ज्ञानको ही सुख कहते हैं। सातसंवेदनको सुख और असातसंवेदनको दुःख सभी वादियोमें माना है। यदि ज्ञानको स्वसंवेदी नहीं मानकर परोक्ष मानते हैं, तो परोक्ष सुख दुःखसे आत्माको हर्ष विषादादि नहीं होना चाहिए। यदि अपने सुखको अनुमानप्राप्त या ज्ञानान्तरप्राप्त माना जाय और उससे आत्मामें हर्षविषादादिकी सम्भावना की जाय, तो अन्य सुखी आत्मिक सुखका अनुमान करके हमें हर्ष होना चाहिए। अथवा केवलीको, जिसे सभी जीवोंके सुखदुःखादिका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, हमारे सुखदुःखसे हर्ष विषादादि उत्पन्न होने चाहिए। चूँकि हमारे सुखदुःखसे हमें ही हर्षविषादादि होते हैं, अन्य किसी अनुमान करनेवाले या प्रत्यक्ष करनेवाले आत्मान्तरको नहीं, अतः यह मानना ही होगा कि वे हमारे स्वयंप्रत्यक्ष हैं अर्थात् वे स्वप्रकाशी हैं।

यदि ज्ञानको परोक्ष माना जाता है तो आत्मान्तरकी बुद्धिका अनुमान नहीं किया जा सकता। पहिले हम स्वयं अपनी आत्मामें ही जब तक बुद्धि और बचनादि व्यापारोंका अविनाभाव ग्रहण नहीं करेंगे तब तक

वचनादि चेष्टाओसे अन्यत्र बुद्धिका अनुमान कैसे कर सकने हैं और अपनी आत्मामें जब तक बुद्धिका स्वयं साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक अविनाभावका ग्रहण असम्भव ही है। अन्य आत्माओमें तो बुद्धि अभी असिद्ध ही है। आत्मान्तरमें बुद्धिका अनुमान नहीं होनेपर समस्त गुह्य-शिष्य्य देनलेन आदि व्यवस्थाओका जोष हो जायगा।

यदि अज्ञात या अप्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा अर्थ-बोध माना जाता है, तो सर्वज्ञके ज्ञानके द्वारा हमें सर्वार्थ-ज्ञान होना चाहिए। हमें ही क्यों, सबको सबके ज्ञानके द्वारा अर्थबोध हो जाना चाहिये। अतः ज्ञानको स्व-संबेदी माने बिना ज्ञानका सद्भाव तथा उसके द्वारा प्रतिनियत अर्थबोध नहीं हो सकता। अतः यह आवश्यक है कि उसमें अनुभवसिद्ध आत्मसंबेदित्व स्वीकार किया जाय।

२-नैयायिकका ज्ञानको ज्ञानान्तरवेद्य मानना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें अनवस्था नामका महान् दूषण आता है। जबतक एक भी ज्ञान स्वसंबेदी नहीं माना जाता तब तक पूर्व-पूर्व ज्ञानोंका बोध करने लिये उत्तर-उत्तर ज्ञानोंकी कल्पना करना ही होगी। क्योंकि जो भी ज्ञानव्यक्ति अज्ञात रहेंगे वह स्वपूर्व ज्ञानव्यक्तिकी वेदिका नहीं हो सकती। और इस तरह प्रथम ज्ञानके अज्ञात रहनेपर उसके द्वारा पदार्थका बोध नहीं हो सकेगा। एक ज्ञानके जाननेके लिए ही जब इस तरह अनन्त ज्ञानप्रवाह चलेगा तब अन्य पदार्थोंका ज्ञान कब उत्पन्न होगा? बक करके या अहर्षिसे या अन्य पदार्थके सम्बन्धसे पहिली ज्ञानाधाराको अमूर्ती छोड़कर अनवस्थाका धारण करना हमलिये युक्तियुक्त नहीं है कि—जो दशा प्रथम ज्ञानकी हुई है और जैसे वह बीचमें ही अज्ञात दशामें लटक रहा है वही दशा अन्य ज्ञानोंकी भी होगी। ईश्वरका ज्ञान यदि स्वसंबेदी माना जाता है तो उसमें सर्वज्ञान सिद्ध नहीं हो सकेगी, क्योंकि एक तो उसने अपने स्वरूपको ही स्वयं नहीं जाना दूसरे अप्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा वह जगत्का परिज्ञान नहीं कर सकता। ईश्वरके दो नित्य ज्ञान इसलिये मानना कि—एकसे वह जगत्को जानेगा तथा दूसरेसे ज्ञानको—निरर्बक है, क्योंकि दो ज्ञान एक साथ उपयोग दशामें नहीं रह सकते। दूसरे यदि वह ज्ञानको जाननेवाला द्वितीय ज्ञान स्वयं अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष नहीं करता तो उससे प्रथम अर्थज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। यदि प्रत्यक्ष किसी तृतीय ज्ञानसे माना जाय तो अनवस्था दूषण होगा। यदि द्वितीय ज्ञानको स्वसंबेदी मानते हैं तो प्रथम ज्ञानको ही स्वसंबेदी माननेमें क्या बाधा है?

३-सारूप्यके मतमें यदि ज्ञान प्रकृतिका विकार होनेसे अचेतन है, वह अपने स्वरूपको नहीं जानता, उसका अनुभव पुरुषके सचेतनके द्वारा होता है तो ऐसे अचेतन ज्ञानकी कल्पनाका क्या प्रयोजन है? जो पुरुषका सचेतन ज्ञानके स्वरूपका संबन्ध करता है वही पदार्थोंको भी जान सकता है। पुरुषका सचेतन यदि स्वसंबेदी नहीं है तो इस अर्कचित्कर ज्ञानको सत्ता भी किससे सिद्ध की जायगी? अतः स्वार्थमवेदक पुरुषानुभवसे भिन्न किसी प्रकृतिविकारत्वात्क अचेतन ज्ञानकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कारण या माध्यमके लिए इन्द्रियाँ और मन मौजूद हैं। वस्तुतः 'ज्ञान और पुरुषगतसचेतन' ये दो जुदा हैं ही नहीं। पुरुष, जिसे सांख्य कूटस्थ नित्य मानता है, स्वयं परिणामी है, पूर्वपर्यायको छोड़कर उत्तरपर्यायको धारण करता है। सचेतना ऐसे परिणामीनित्य पुरुषका ही धर्म हो सकता है। इससे पृथक् किमो अचेतन ज्ञानकी आवश्यकता ही नहीं है। अतः ज्ञानमात्र स्वसंबेदी है। वह अपने जाननेके लिए किसी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता।

ज्ञानकी साकारता—ज्ञानकी साकारताका साधारण अर्थ यह समझ लिया जाता है कि जैसे दर्पणमें घट-पट आदि पदार्थोंका प्रतिबिम्ब आता है और दर्पणका अमुक भाग घटछायाकांत हो जाता है उसी तरह ज्ञान भी घटाकार हो जाता है अर्थात् घटाका प्रतिबिम्ब ज्ञानमें पहुँच जाता है। पर वास्तव बात ऐसी

नहीं है। घट और वर्पण दोनों मूर्त और जब पदार्थ हैं, उनमें एकका प्रतिबिम्ब दूसरेमें पड़ सकता है, किन्तु वेतन और अमूर्त ज्ञानमें मूर्त जब पदार्थका प्रतिबिम्ब नहीं आ सकता और न अन्य चेतनान्तरका ही। ज्ञानके घटाकार होनेका अर्थ है—ज्ञानका घटकी जाननेके लिए उपयुक्त होना अर्थात् उसका निश्चय करना। तत्पदार्थबोधक (१६) में घटके स्वचतुष्टयका विचार करते हुए लिखा है कि—घट शब्द सुननेके बाद उत्पन्न होनेवाले घट-ज्ञानमें जो घटविषयक उपयोगाकार है वह घटका स्वात्मा है और बाह्यघटाकार परात्मा। यहाँ जो उपयोगाकार है उसका अर्थ घटकी ओर ज्ञानके व्यापारका होना है न कि ज्ञानका घट-जैसा लम्बा चौड़ा या बजनदार होना। आगे फिर लिखा है कि—“चैतन्यशक्तेर्द्वाकारौ ज्ञानाकारौ ज्ञेयाकारश्च। अनुप-युक्तप्रतिबिम्बाकारादर्शतलवत् ज्ञानाकारः, प्रतिबिम्बाकारपरिजतादर्शतलवत् ज्ञेयाकारः। तत्र ज्ञेयाकार-स्वात्मा।” अर्थात् चैतन्यशक्तिके दो आकार होते हैं एक ज्ञानाकार और दूसरा ज्ञेयाकार। ज्ञानाकार प्रति-बिम्बशून्य शुद्ध दर्पणके समान पदार्थविषयक व्यापारसे रहित होता है। ज्ञेयाकार सप्रतिबिम्ब दर्पणकी तरह पदार्थविषयक व्यापारसे सहित होता है। साकारताके सम्बन्धमें जो दर्पणका दृष्टान्त दिया जाता है उसीसे यह भ्रम हो जाता है कि—ज्ञानमें दर्पणके समान लम्बा चौड़ा काला प्रतिबिम्ब पदार्थका आता है और इसी कारण ज्ञान साकार कहलाता है। दृष्टान्त जिस अशको समझानेके लिए दिया जाता है उसको उसी अंशके लिए लागू करना चाहिए। यहाँ 'दर्पण' दृष्टान्तका इतना ही प्रयोजन है कि चैतन्यघाटा ज्ञेयको जाननेके समय ज्ञेयाकार होती है, शेष समयमें ज्ञानाकार।

ध्वला (प्र० पु० पृ० ३८०) तथा जयध्वला (प्र० पु० पृ० ३३७) में दर्शन और ज्ञानमें निरा-कारता और साकारता-प्रयुक्त भेद बताते हुए स्पष्ट लिखा है कि—जहाँ ज्ञानसे पृथक् वस्तु कर्म अर्थात् विषय हो वह साकार है और जहाँ अन्तरङ्ग वस्तु अर्थात् चैतन्य स्वयं चैतन्य रूप ही हो वह निराकार। निरा-कार दर्शन, इन्द्रिय और पदार्थके सम्पर्कके पहिले होता है जब कि साकार ज्ञान इन्द्रियार्थसन्निपातके बाद। अन्तरङ्ग विषयक अर्थात् स्वावभासी उपयोगकी अनाकार तथा बाह्यावभासी अर्थात् स्वसे भिन्न अर्थको विषय करनेवाला उपयोग साकार कहलाता है। उपयोगकी ज्ञानसंज्ञा वहसि प्रारम्भ होती है जहसि वह स्वव्यति-रिक्त अन्य पदार्थको विषय करता है। जब तक वह मात्र स्वप्रकाश-निमग्न है तब तक वह दर्शन-निराकार कहलाता है। इसीलिए ज्ञानमें ही सम्यक्त्व और मिथ्यात्व प्रमाणत्व और अप्रमाणत्व ये दो विभाग होते हैं। जो ज्ञान पदार्थकी यथार्थ उपलब्धि कराता है वह प्रमाण है अन्य अप्रमाण। पर दर्शन सदा एकबिध रहता है उसमें कोई दर्शन प्रमाण कोई दर्शन अप्रमाण ऐसा जातिभेद नहीं होता। चक्षुदर्शन, अक्षुदर्शन आदि भेद तो आगे होनेवाली तत्तत् ज्ञानपर्यायोंकी अपेक्षा हैं। स्वरूपकी अपेक्षा उनमें इतना ही भेद है कि एक उपयोग अपने चाक्षुषज्ञानोत्पादकव्यक्तिक रूप स्वरूपमें मग्न है तो दूसरा अन्य स्पर्शन आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानके जनक स्वरूपमें लीन है, तो अन्य अवधिज्ञानोत्पादक स्वरूपमें और अन्य केवलज्ञानसहभावी स्वरूपमें निमग्न है। तात्पर्य यह कि—उपयोगका स्वसे भिन्न किसी भी पदार्थको विषय करना ही साकार होना है, न कि दर्पणकी तरह प्रतिबिम्बाकार होना।

निराकार और साकार या ज्ञान और दर्शनका यह सैद्धान्तिक स्वरूपविक्षेपण दार्शनिक युगमें अपनी उस सीमाको लाँचकर 'बाह्यपदार्थके सामान्यावलोकनका नाम दर्शन और विशेष परिज्ञानकका नाम ज्ञान' इस बाह्यपरिधिमें आ गया। इस सीमोल्लंघनका दार्शनिक प्रयोजन बौद्धादि-सम्मत निबिकल्पककी प्रमाणताका निराकरण करना ही है।

अकलङ्कवेदने विशद ज्ञानको प्रत्यक्ष बताते हुए जो शब्दका 'साकार' विशेषण दिया है यह उपर्युक्त अर्थको द्योतन करनेके ही लिए।

११० : डॉ० महेंद्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

बौद्ध सांख्य परमाणु रूप चित्त या जड-अणुको स्वलक्षण मानते हैं। यही उनके मतमें परमार्थसत् है, यही वास्तविक अर्थ है। यह स्वलक्षण शब्दशून्य है, शब्दके अगोचर है। शब्दका वाच्य इनके मतसे बुद्धिगत अभेदांश ही होता है। इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धके अनन्तर निविकल्पक दर्शन उत्पन्न होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अनन्तर शब्दसकेत और विकल्पवासना आदिका सङ्कार पाकर शब्द-संस्पर्श सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। शब्दसमर्ग न होनेपर भी शब्दसंस्पर्शकी योग्यता जिस ज्ञानमें आ जाय उसे विकल्प कहते हैं। किसी भी पदार्थको देखनेके बाद पूर्वदृष्ट तत्सदृश पदार्थका स्मरण होता है, तदनन्तर तद्वाचक शब्दका स्मरण, फिर उस शब्दके माथ वस्तुका योजन, तब यह 'घट' है इत्यादि शब्दका प्रयोग। वस्तु-दर्शनके बाद होनेवाले—पूर्वदृष्ट-स्मरण आदि सभी व्यापार सविकल्पककी सीमामें आते हैं। तात्पर्य यह कि—निविकल्पक दर्शन वस्तुके यथार्थ स्वरूपका अवभासक होनेसे प्रमाण है।

सविकल्पक ज्ञान शब्दवामानसे उत्पन्न होनेके कारण, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको स्पर्श नहीं करता, अतएव अप्रमाण है। इस निविकल्पकके द्वारा वस्तुके ममग्ररूपका दर्शन हो जाता है, परन्तु निश्चय यथा-सम्भव सविकल्पक ज्ञान और अनुमानके द्वारा ही होता है।

अकलकदेव इनका खण्डन करते हुए लिखते हैं कि किसी भी ऐसे निविकल्पक ज्ञानका अनुभव नहीं होता जो निश्चयात्मक न हो।

सौत्रान्तिक बाह्यार्थवादी है। इनका कहना है कि यदि ज्ञान पदार्थ के आकार न हो तो प्रतिकर्म-व्यवस्था अर्थात् घटाज्ञान का विषय घट ही होता है घट नहीं—नही हो सकेगी। सभी पदार्थ एक ज्ञानके विषय या सभी ज्ञान सभी पदार्थोंको विषय करनेवाले हो जायेंगे। अतः ज्ञानको साकार मानना आवश्यक है। यदि साकारता नहीं मानी जाती तो विषयज्ञान और विषयज्ञानज्ञानमें कोई भेद नहीं रहेगा। इनमें यही भेद है कि एक मात्रविषयके आकार है तथा दूसरा विषय और विषयज्ञान दोके आकार है। विषयकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए ज्ञानको साकार मानना निवृत्त आवश्यक है।

अकलकदेवने साकारताके इस प्रयोजनका खण्डन किया है। उन्होंने लिखा है कि विषय-प्रतिनियम ज्ञानकी अपनी शक्ति या क्षयोपशमके अनुसार होता है। जिस ज्ञानमें पदार्थको जाननेकी जैसी योग्यता है वह उसके अनुसार पदार्थको जानता है। तदाकारता माननेपर भी यह प्रश्न ज्यो-का-न्यो बना रहता है कि ज्ञान अमुक पदार्थके ही आकारको क्यों ग्रहण करता है ? अन्य पदार्थोंके आकारको क्यों नहीं ? अनन्य ज्ञान-गत शक्ति ही विषयप्रतिनियम करा सकती है, तदाकारता आदि नहीं।

'जो ज्ञान जिस पदार्थसे उत्पन्न हुआ है वह उसके आकार होता है' इस प्रकार तदुत्पत्तिसे भी आकारनियम नहीं बन सकता; क्योंकि ज्ञान जिस प्रकार पदार्थमें उत्पन्न होता है उसी तरह प्रकाश और इन्द्रियोंसे भी। यदि तदुत्पत्तिसे साकारता आती है तो जिस प्रकार ज्ञान घटाकार होता है उसी प्रकार उसे इन्द्रिय तथा प्रकाशके आकार भी होना चाहिये। अपने उपादानमूल पूर्वज्ञानके आकारको तो उसे अवश्य ही धारण करना चाहिये। जिस प्रकार ज्ञान घट के घटाकारको धारण करता है उसी प्रकार वह उसकी जड़ता को क्यों नहीं धारण करता ? यदि घटके आकारको धारण करनेपर भी जड़ता अग्रहीत रहती है तो घट और उसके जड़त्वमें भेद हो जायगा। यदि घटकी जड़ता अदत्ताकार ज्ञानमें जानी जाती है तो उसी प्रकार घट भी अदत्ताकार ज्ञानसे जाना जाय। वस्तुमात्रको निरश माननेवाले बौद्धके मतमें वस्तुका खण्डन भाग तो नहीं ही होना चाहिये। समानकालीन पदार्थ कदाचित् ज्ञानमें अपना आकार अर्पित भी कर दें, पर अतीत और अनागत आदि अविद्यमान अर्थ ज्ञानमें अपना आकार कैसे दे सकते हैं ?

विषयज्ञान और विषयज्ञानज्ञानमे भी अन्तर ज्ञानकी अपनी योग्यतासे ही हो सकता है। आकार माननेपर भी अन्ततः स्वयोग्यता स्वीकार करनी ही पडती है। अतः बौद्धपरिकल्पित साकारता अनेक दूषणोंसे दूषित होनेके कारण ज्ञानका धर्म नहीं हो सकती। ज्ञानकी साकारताका अर्थ है ज्ञानका उस पदार्थका निश्चय करना या उस पदार्थकी ओर उपयुक्त होना। निर्विकल्पक अर्थात् शब्द-संसर्गकी योग्यतासे भी रहित कोई ज्ञान हो सकता है यह अनुभवमिद्ध नहीं है।

ज्ञान अर्थको जानता है—मुष्पतया दो विचारधाराएँ इस सम्बन्धमे है। एक यह कि—ज्ञान अपनेसे भिन्न सत्ता रखनेवाले जड़ और चेतन पदार्थोंको जानता है। इस विचारधाराके अनुसार जगत्में अनन्त चेतन और अनन्त अचेतन पदार्थोंकी स्वतन्त्र सत्ता है। दूसरी विचारधारा बाह्य जड़ पदार्थोंकी पारमाथिक सत्ता नहीं मानती, किन्तु उनका प्रातिभासिक अस्तित्व स्वीकार करती है। इनका मत है कि घटपटादि बाह्य पदार्थ अनादिकालीन विचित्र वासनाओंके कारण या माया अविद्या आदिके कारण विचित्र रूपमे प्रतिभासित होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न या इन्द्रजालमें बाह्य पदार्थोंका अस्तित्व न होनेपर भी अनेकविध अर्थक्रियाकारी पदार्थोंका सत्यवत् प्रतिभास होता है, उसी तरह अविद्यावासनाके कारण नानाविध विचित्र अर्थोंका प्रतिभास हो जाता है। इनके मनसे मात्र चेतनतत्त्वकी ही पारमाथिक सत्ता है। इसमे भी अनेक मतभेद है। वेदान्ती एक नित्य व्यापक ब्रह्मका ही पारमाथिक अस्तित्व स्वीकार करते हैं। यही ब्रह्म नानाविध जीवात्माओ और अनेक प्रकारके घटपटादिरूप बाह्य अर्थोंके रूपमें प्रतिभासित होता है। सर्वदेना-ईतवादी क्षणिक परमाणुरूप अनेक ज्ञानक्षणोंका पारमाथिक अस्तित्व मानते हैं। इनके मतसे अनेक ज्ञान-सन्तानें पृथक्-पृथक् पारमाथिक अस्तित्व रखती हैं। अपनी-अपनी वासनाओंके अनुसार ज्ञानत्रय नाना पदार्थोंके रूपमे भासित होता है। पहिली विचारधाराका अनेकविध विस्तार न्यायवैशेषिक, माक्ययोग, जैन, सौत्रान्तिक बौद्ध आदि दर्शनोमे देखा जाता है।

बाह्यार्थछोपकी दूसरी विचारधाराका आधार यह मालूम होता है कि—प्रत्येक व्यक्ति अपनी कल्पनाके अनुसार पदार्थोंमें संकेत करके व्यवहार करता है। जैसे एक पुस्तकको देखकर उस धर्मका अनुयायी उसे धर्मग्रन्थ समझकर पूज्य मानता है। पुस्तकालयाध्यक्ष उसे अन्य पुस्तकोंकी तरह सामान्य पुस्तक समझता है, तो दुकानदार उसे रद्दीके भाव खरीदकर पुट्टिया बाँधता है। भगी उसे कूडा-कचरा मानकर झाड़ सकता है। गाय-भैस आदि पशुमात्र उसे पुद्गल्लोका पुंज समझकर घासकी तरह खा सकते हैं तो बीमक आदि कीड़ोको उसमें पुस्तक यह कल्पना ही नहीं होगी। अब आप विचार कीजिए कि पुस्तकमें, धर्मग्रन्थ, पुस्तक, रद्दी, कचरा, घासकी तरह स्याद आदि सशाएँ तत्त्वव्यक्तियोंके ज्ञानसे ही आई हैं अर्थात् धर्मग्रन्थ पुस्तक आदिका सद्भाव उन व्यक्तियोंके ज्ञानमे है, बाहिर नहीं। इस तरह धर्मग्रन्थ पुस्तक आदिकी व्यवहारसत्ता है, परमार्थसत्ता नहीं। यदि धर्मग्रन्थ पुस्तक आदिकी परमार्थ सत्ता होती तो वह प्राणिमात्र-गाय, भैसको भी धर्मग्रन्थ या पुस्तक दिसनी चाहिये थी। अत जगत् केवल कल्पनामात्र है, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं।

इसी तरह घट एक है या अनेक। परमाणुओंका संयोग एकदेशसे होता है या सर्वदेशसे। यदि एक-देशसे, तो छह परमाणुओंसे संयोग करनेवाले मध्य परमाणुमें छह अंश मानने पड़ेंगे। यदि दो परमाणुओंका सर्वदेशसे संयोग होता है, तो अणुओंका पिंड अणुमात्र हो जायगा। इस तरह जैसे-जैसे बाह्य पदार्थोंका विचार करते हैं वैसे-वैसे उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। बाह्य पदार्थोंका अस्तित्व तदाकार ज्ञानसे सिद्ध किया जाता है। यदि नीलाकार ज्ञान है तो नील नामके बाह्य पदार्थकी क्या आवश्यकता? यदि नीलाकार ज्ञान

नहीं तो नीलकी सत्ता ही कैसे सिद्ध की जा सकती है ? अतः ज्ञान ही बाह्य और आन्तर प्राज्ञ और प्राज्ञिक रूपमें स्वयं प्रकाशमान है, कोई बाह्यार्थ नहीं। पदार्थ और ज्ञानका सहोपलम्भ नियम है, अतः दोनों अभिन्न हैं।

अकलङ्कदेवने इसकी असंशयता करते हुए लिखा है कि—अद्वय तत्त्व स्वतः प्रतिभासित होता है या परत ? यदि स्वतः, तो किमीको विवाद नहीं होना चाहिए। नित्य ब्रह्मवादीकी तरह क्षणिक विज्ञानवादी भी अपने तत्त्वका स्वतः प्रतिभास कहते हैं। इनमें कौन सत्य समझा जाय ? परत प्रतिभासपरके बिना नहीं हो सकता। परकी स्वीकार करनेपर अद्वैत तत्त्व नहीं रह सकता। विज्ञानवादी इन्द्रजाल या स्वप्नका दृष्टान्त देकर बाह्य पदार्थका लोप करना चाहते हैं। किन्तु इन्द्रजालप्रतिभासित घट और बाह्य सत् घटमें अन्तर तो स्त्री बाल गोपाल आदि भी कर लेते हैं। वे घट-घट आदि बाह्य पदार्थोंमें अपनी दृष्ट अर्थक्रियाके द्वारा आकाशाशोको शान्त कर सन्तोषका अनुभव करते हैं जब कि इन्द्रजाल या मायादृष्ट पदार्थोंसे न तो अर्थक्रिया ही होती है और न तज्जन्य सन्तोषानुभव ही। उनका कल्पनिकपना तो प्रतिभास कालमें ही ज्ञात हो जाता है। धर्मग्रन्थ, पुस्तक, रव्दी आदि सजाएँ मनुष्यकृत और कल्पनिक हो सकती हैं पर जिस वजन-वाले रूपरसगन्धस्पर्शवाले स्थूल पदार्थमें ये सजाएँ की जाती हैं वह तो कल्पनिक नहीं है। वह तो ठोस, वजनदार, सप्रतिध, रूपरसादिगुणोका आधार परमार्थसत् पदार्थ है। उस पदार्थको अपने-अपने संकेतके अनुसार कोई धर्मग्रन्थ कहे, कोई पुस्तक, कोई बुक, कोई किताब या अन्य कुछ कहे। ये संकेत व्यवहारके लिए अपनी परम्परा और वासनाओंके अनुसार होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दृष्टिसृष्टिका अर्थ भी यही है कि—सामने रखे हुए परमार्थसत् ठोस पदार्थमें अपनी दृष्टिके अनुसार जगत् व्यवहार करता है। उसकी व्यवहारसजाएँ प्रतिभासिक हो सकती हैं पर वह पदार्थ जिसमें वे सजाएँ की जाती हैं, ब्रह्म या विज्ञान की तरह ही परमार्थसत् है। नीलाकार जानसे तो कपडा नहीं रंगा जा सकता ? कपडा रंगनेके लिए ठोस परमार्थसत् जड़ नील चाहिए जो ऐसे ही कपडेके प्रत्येकतन्तुको नीला बनायगा। यदि कोई परमार्थसत् 'नील' अर्थ न हो, तो नीलाकार वासना कहसि उदयन्त हुई ? वासना तो पूर्वानुभवकी उत्तर दशा है। यदि जगत्में नील अर्थ नहीं है तो ज्ञानमें नीलाकार कहसि आया ? वासना नीलाकार कैसे बन गई ? तात्पर्य यह कि व्यवहारके लिए की जानेवाली सजाएँ, दृष्ट-अनिष्ट, सुन्दर-असुन्दर, आदि कल्पनाएँ भले ही विकल्पकल्पित हो और दृष्टिसृष्टिकी सीमामें हो, पर जिस आधारपर ये सब कल्पनाएँ कल्पित होती हैं वह आधार ठोस और सत्य है। विषके ज्ञानसे मरण नहीं हो सकता। विषका खानेवाला और विष दोनों ही परमार्थसत् है तथा विषके सयोगसे होनेवाले शारीरगत रासायनिक परिणमन भी। पर्वत, मकान, नदी आदि पदार्थ यदि ज्ञानात्मक ही हैं तो उनमें मूर्त्तत्व, स्थूलत्व, सप्रतिघत्व आदि धर्म कैसे आ सकते हैं ? ज्ञानस्वरूप नदीमें स्नान या ज्ञानात्मक जलसे तृषासान्ति अथवा ज्ञानात्मक पत्थरसे सिर तो नहीं फूट सकता ? यदि अद्वयज्ञान ही है तो शास्त्रोपदेश आदि निरर्थक हो जायेंगे। परप्रतिपत्तिके लिए ज्ञानसे अतिरिक्त वचनकी सत्ता आवश्यक है। अद्वयज्ञानमें प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार आदि प्रतिभासकी सामग्री तो माननी ही पड़ेगी, अन्यथा प्रतिभास कैसे होगा ? अद्वयज्ञानमें अर्थ-अनर्थ, तत्त्व-अतत्त्व आदिकी व्यवस्था न होनेसे तद्ग्राही जानोमें प्रमाणता या अप्रमाणताका निश्चय कैसे किया जा सकेगा ? ज्ञानार्थकी सिद्धिके लिए अनुमानके अग्रभूत साध्य, साधन, दृष्टान्त आदि तो स्वीकार करने ही होंगे, अन्यथा अनुमान कैसे हो सकेगा ? सहोपलम्भ—एक साध उपलब्ध होना—से अर्थ सिद्ध नहीं किया जा सकता; कारण, दो भिन्नसत्ताक पदार्थोंमें ही एक साध उपलब्ध होना कहा जा सकता है। ज्ञान अन्तरगमें चेतन रूपसे तथा अर्थ बहिरंगमें जड़रूपसे अनुभवमें आता है, अतः इनका सहोपलम्भ असिद्ध भी है। अर्थात् ज्ञान स्वाकारतया तथा ज्ञानशून्य अर्थ अपने अर्थरूपमें अस्तित्व

रखते ही हैं, भले ही हमें वे अज्ञात हों। यदि हम बाह्यपदार्थोंका दृष्टमित्यंरूप निरूपण या निर्वचन नहीं कर सकते तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन पदार्थोंका अस्तित्व ही नहीं है। अनन्तधर्मात्मक पदार्थका पूर्ण निरूपण तो सम्भव ही नहीं है। शब्द या ज्ञानकी अशक्तिके कारण पदार्थोंका लोप नहीं किया जा सकता। नीलाकारज्ञान रहनेपर भी कपडा रंगनेको नीलपदार्थ की नितान्त आवश्यकता है। ज्ञानमें नीलाकार भी बिना नीलके नहीं आ सकता। अनेक परमाणुओंमें जो स्कन्ध ऋजता है उस स्कन्धका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है, उन्हीं परमाणुओंका कथन्विस्ताराल्प सम्बन्ध अर्थात् रासायनिक मिश्रण होनेपर परस्पर बन्ध ही जाता है और वह स्कन्ध स्थूल और इन्द्रियग्राह्य होता है। यही अनुभवसिद्ध है। न तो उसका एकदेशसे सम्बन्ध होता है और न सर्वदेशसे, किन्तु जड पदार्थोंका स्निग्ध और रूजताके कारण कियत्काल स्थायी विलक्षणबन्ध ही जाता है। जिम प्रकार एक ज्ञान स्वयं ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार और ज्ञानस्वरूप अनुभवमें आता है, उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ अनेक धर्मोंका आधार होना है इसमें विरोध आदि दूषणोंका कोई प्रमाञ्ज नहीं है। इस तरह अन्तर-ज्ञानने पृथक्, स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाले बाह्य जडपदार्थ हैं। इन्हीं ज्ञेयोंको ज्ञान जानता है। अतः अकलच्छेदेवने प्रत्यक्षके स्वरूपनिरूपणमें ज्ञानका अर्थवेदन विशेषण दिया है जो ज्ञानको आत्मवेदिके साथ ही साथ अर्थवेदी सिद्ध करता है। इस तरह ज्ञान स्वभावसे स्वपरवेदी है, स्वार्थसंवेदक है।

५. अर्थ-सामान्यविशेषात्मक और द्रव्यपर्यायात्मक है

ज्ञान अर्थको विषय करता है यह विवेचन ही चरुनेपर विचारणीय मुद्दा यह है कि अर्थका क्या स्वरूप है? जैन दृष्टिसे प्रत्येक पदार्थ अनन्तधर्मात्मक है या सभ्रपेसे सामान्यविशेषात्मक है। वस्तुमें दो प्रकारके अस्तित्व हैं—एक स्वरूपास्तित्व और दूसरा सादृश्यास्तित्व। एक द्रव्यको अन्य सजानीय या विजानीय किसी भी द्रव्यसे अनच्छीर्ण रखनेवाला स्वरूपास्तित्व है। इसके कारण एक द्रव्यकी पर्यायें दूसरे सजानीय या विजानीय द्रव्यसे अनच्छीर्ण पृथक् अस्तित्व रखती हैं। यह स्वरूपास्तित्व जहाँ इतरद्रव्योसे व्यावृत्ति करता है वहाँ अपनी पर्यायोंमें अनुगत भी रहता है। अतः इस स्वरूपास्तित्वसे अपनी पर्यायोंमें अनुगत प्रत्यय उत्पन्न होना है और इतरद्रव्योसे व्यावृत्त प्रत्यय। इस स्वरूपास्तित्वको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। इसे ही द्रव्य कहने हैं। क्योंकि यही अपनी क्रमिक पर्यायोंमें द्रवित होता है, क्रमशः प्राप्त होता है। दूसरा सादृश्यास्तित्व है जो विभिन्न अनेक द्रव्योमें गौ-गौ इत्यादि प्रकारका अनुगत व्यवहार करता है। इसे तिर्यक्सामान्य कहते हैं। तात्पर्य यह कि अपनी दो पर्यायोंमें अनुगत व्यवहार करानेवाला स्वरूपास्तित्व होता है। इसे ही ऊर्ध्वतासामान्य और द्रव्य कहने हैं। तथा विभिन्न दो द्रव्योमें अनुगत व्यवहार करानेवाला सादृश्यास्तित्व होता है। इसे तिर्यक्सामान्य या सादृश्यासामान्य कहते हैं। इसी तरह, दो द्रव्योमें व्यावृत्त प्रत्यय करानेवाला व्यतिरेक जातिका विशेष होता है तथा अपनी ही दो पर्यायोंमें विलक्षण प्रत्यय करानेवाला पर्याय नामका विशेष होता है। निष्कर्ष यह कि एकद्रव्यकी पर्यायोंमें अनुगत प्रत्यय ऊर्ध्वता-सामान्य या द्रव्यसे होता है तथा व्यावृत्तप्रत्यय पर्याय-विशेषसे होता है। दो विभिन्न द्रव्योमें अनुगतप्रत्यय सादृश्यसामान्य या तिर्यक्सामान्यसे होता है और व्यावृत्तप्रत्यय व्यतिरेकविशेषसे होता है। इस तरह प्रत्येक पदार्थ सामान्यविशेषात्मक और द्रव्यपर्यायात्मक होता है।

यद्यपि सामान्यविशेषात्मक कहनेसे द्रव्यपर्यायात्मकत्वका बोध हो जाता, पर द्रव्यपर्यायात्मकके पृथक् कहनेका प्रयोजन यह है कि पदार्थ न केवल द्रव्यरूप है और न पर्यायरूप, किन्तु प्रत्येक सत् उत्पाद-व्यव-ध्रीव्यवाला है। इनमें उत्पाद और व्यय पर्यायका प्रतिनिधित्व करने है तथा ध्रीव्य द्रव्यका। पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक तो उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक सत् न होकर भी हो सकता है, अतः उसके निज स्वरूपका पृथक् ज्ञान करानेके लिए द्रव्यपर्यायात्मक विशेषण दिया है।

सामान्यविशेषात्मक विशेषण धर्मरूप है, जो अनुगतप्रत्यय और व्यावृत्तप्रत्ययका विषय होता है। प्रत्य-
 पर्यायात्मक विशेषण परिणमनसे सम्बन्ध रखता है। प्रत्येक वस्तु अपनी पर्यायधारामे परिणत होती हुई भविष्य
 वर्तमान और वर्तमानसे अतीत क्षणको प्राप्त करती है। वह वर्तमानको अतीत और भविष्यको वर्तमान बनाती
 रहती है। प्रतिक्षण परिणमन करनेपर भी अतीतके यावत् सस्कारपुंज इसके वर्तमानको प्रभावित करने है
 या भौं कहिए कि इसका वर्तमान अतीतसंस्कारपुंजका कार्य है और वर्तमान कारणके अनुसार भविष्य प्रभावित
 होता है। इस तरह यद्यपि परिणमन करनेपर कोई अपरिवर्तित या कूटस्थ नित्य अंश वस्तुमें शेष नहीं रहता जो
 विकलावस्थायी हो, पर इतना विच्छिन्न परिणमन भी नहीं होता कि अतीत, वर्तमान और भविष्य बिल्कुल
 असम्बद्ध और अतिविच्छिन्न हो। वर्तमानके प्रति अतीतका उपादान कारण होना और वर्तमानका भविष्यके
 प्रति, यह सिद्ध करता है कि तीनों क्षणोंकी अविच्छिन्न कार्यकारणपरम्परा है। न तो वस्तुका स्वरूप सदा
 स्थायी नित्य ही है और न इतना विलक्षण परिणमन करनेवाला जिससे पूर्व और उत्तर भिन्नसन्तानकी तरह
 अतिविच्छिन्न हों।

भदन्त नागसेनने 'मिलिन्द प्रश्न'में जो कर्म और पुनर्जन्मका विवेचन किया है (दर्शनदिग्दर्शन,
 पृ० ५५१) उसका तात्पर्य यही है कि पूर्वक्षणको 'प्रतीत्य' अर्थात् उपादान कारण बनाकर उत्तरक्षणका
 'समुत्पाद' होना है। मज्झिमनिकाय में "अस्मिन् सति इदं भवति" इसके होनेपर यह होता है, जो इस
 आधारका वाक्य है उसका स्पष्ट अर्थ यही हो सकता है कि क्षणमन्तति प्रवाहित है, जममें पूर्वक्षण उत्तरक्षण
 बनता जाता है। जैसे वर्तमान अतीतसस्कारपुंजका फल है वैसे ही भविष्यक्षणका कारण भी।

श्री राहुल साकृत्यायनने दर्शन-दिग्दर्शन (पृ० ५१२) में प्रतीत्यसमुत्पादका विवेचन करते हुए
 लिखा है कि— "प्रतीत्यसमुत्पाद कार्यकारण नियमको अविच्छिन्न नहीं, विच्छिन्न प्रवाह बतलाता है।
 प्रतीत्यसमुत्पादके इसी विच्छिन्न प्रवाहको लेकर आगे नागार्जुनने अपने शून्यवादको विकसित किया।"
 इनके मतसे प्रतीत्यसमुत्पाद विच्छिन्न प्रवाहरूप है और पूर्वक्षणका उत्तरक्षणसे कोई सम्बन्ध नहीं है। पर
 ये प्रतीत्य शब्दके 'हेतु कृत्वा' अर्थात् पूर्वक्षणको कारण बनाकर इस सहज अर्थको भूल जाते हैं। पूर्वक्षणको
 हेतु बनाए बिना यदि उत्तरका नया ही उत्पाद होता है तो भदन्त नागसेनकी कर्म और पुनर्जन्मकी मारी
 व्याख्या आधारशून्य हो जाती है। क्या द्वादशाङ्ग प्रतीत्यसमुत्पादमें विच्छिन्नप्रवाह युक्तमिदं है? यदि
 अविद्याके कारण सस्कार उत्पन्न होता है और सस्कारके कारण विज्ञान आदि, तो पूर्व और उत्तरका प्रवाह
 विच्छिन्न कहाँ हुआ? एक चित्तक्षणकी अविद्या उमी चित्तक्षणमें ही संस्कार उत्पन्न करती है अन्य चित्त-
 क्षणमें नहीं, इसका नियामक वही प्रतीत्य है। जिसको प्रतीत्य जिसका समुत्पाद हुआ है उन दोनोंमें अति-
 विच्छेद कहाँ हुआ?

राहुलजी वही (पृ० ५१२) अनित्यवादकी "बुद्धका अनित्यवाद भी 'दमरा ही उत्पन्न होता है।
 दूसरा ही मष्ट होता है' के कहे अनुसार किमी एक मौलिक तत्त्वका बाहरी परिवर्तनमात्र नहीं, बल्कि
 एकका बिल्कुल नाश और दूसरेका बिल्कुल नया उत्पाद है। बुद्ध कार्यकारणकी निरन्तर या अविच्छिन्न
 सन्ततिको नहीं मानते।" इन शब्दोंमें व्याख्या करने हैं। राहुलजी यहाँ भी केवल समुत्पादको ही ध्यानमें
 रखते हैं, उनके मूलरूप 'प्रतीत्य'को सर्वथा भुला देने हैं। कर्म और पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त
 "महाराज, यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया; किन्तु चूँकि वह फिर भी अन्य ग्रहण
 करता है इसलिए (मुक्त) नहीं हुआ।" इस मन्दमें 'वह फिर भी' शब्द क्या अविच्छिन्न प्रवाहकी
 सिद्ध नहीं कर रहे हैं। बौद्धदर्शनका 'अभौतिक अनात्मवादी' नामकरण केवल भौतिकवादी धार्मिक और
 आत्मनित्यवादी औपनिषदोंके निराकरणके लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिये, पर वस्तुतः बुद्ध क्षणिक-

चित्तवादी थे। सांणकचित्तको भी अविच्छिन्न सन्तति मानते थे न कि विच्छिन्नप्रवाह। आचार्य कमलशील-ने तत्त्वसंग्रहपत्रिका (पृ० ८२) में कर्तृकर्मसम्बन्धपरीक्षा करते हुए इस प्राचीन श्लोकके भावको उद्धृत किया है—

“यस्मिन्नेव तु सन्ताने आहिता कर्मवासना ।
फल तत्रैव सन्धत्ते कार्पासि रवतता यथा ॥”

अर्थात्—जिस सन्तानमें कर्मवासना प्राप्त हुई है उसका फल भी उसी सन्तानमें होता है। जो लाख-के रङ्ग से रंगा गया है उसी कपास-बीजमें उत्पन्न होनेवाली रूई लाल होती है, अन्य नहीं। राहुलजी इस परम्पराका विचार करें और फिर बुद्धको विच्छिन्नप्रवाही बतानेका प्रयास करें ! हाँ, यह अवश्य था कि—वे अनन्त क्षणोंमें शाश्वत सत्ता रखनेवाला कूटस्थ नित्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते थे। पर वर्तमान क्षण अनन्त अतीतके संस्कारोंका परिवर्तित पुत्र स्वर्गमें लिए हैं और उपादेय भविष्यक्षण उससे प्रभावित होता है, इस प्रकारके त्रैकालिक सम्बन्धको वे मानते थे। यह बात बौद्ध दर्शनके कार्यकारणभावके अम्यासीको सहज ही समझमें आ सकती है।

निर्वाणके सम्बन्ध में राहुलजी सर राधाकृष्णन्की आलोचना करते समय (पृ० ५२९) बड़े आत्मविश्वासके साथ लिख जाते हैं कि—“किन्तु बौद्ध-निर्वाणको अभावात्मक छोड़ भावात्मक माना ही नहीं जा सकता।” कृपाकर वे आचार्य कमलशीलके द्वारा तत्त्वसंग्रहपत्रिका (पृ० १०४) में उद्धृत इस प्राचीनश्लोकके अर्थका मनन करें—

“चित्तमेव हि संसारो रागादिवल्लेशवासितम् ।
तदेव तैविनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥”

अर्थात्—चित्त जब रागादिदोष और क्लेश संस्कार से संयुक्त रहता है तब संसार कहा जाता है और जब तदेव—वही चित्त रागादिक्लेश वासनाओंसे रहित होकर निराश्रयचित्त बन जाता है तब उसे भवान्त अर्थात् निर्वाण कहते हैं। शान्तरहित तो (तत्त्वस० पृ० १८४) बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि “मुक्तिर्निर्मलता धिय” अर्थात्—चित्तकी निर्मलताको मुक्ति कहते हैं। इस श्लोकमें किस निर्वाणकी सूचना है ? वही चित्त रागादिप्रवाहसे वासित रहकर संसार बना और वही रागादिसे शून्य होकर मोक्ष बन गया। राहुलजी माध्यमिकवृत्ति (पृ० ५१९) गत इस निर्वाणके पूर्वपक्षको भी ध्यानसे देखें—

“इह हि उपितब्रह्मचर्याणां तथागतस्नासनप्रतिपन्नानां धर्मानुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां पुद्गलानां द्विविध-निर्वाणमुपवर्णितम्—सोपधिषोषं निरुपधिषोषं च। तत्र निरवधोषस्य अविद्यारारागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रहाणत् सोपधिषोषं निर्वाणमिष्यते। तत्र उपधीयते अस्मिन् आत्मस्नेह इत्युपधिः। उपधिषब्देन आत्मप्रज्ञ-प्तिनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते। शिष्यते इति शेष, उपधिरेव शेष उपधिषोष—सह उपधिषोषेण वर्तत इति सोपधिषोषम्। किं तत् ? निर्वाणम्। तच्च स्कन्धमात्रकमेव केवलं सत्कायदृष्ट्यादि-क्लेशातस्कर-रहितमवशिष्यते निहताक्षीवचौरगणघ्नममात्रावस्थानसाधर्म्येण तत् सोपधिषोषं निर्वाणम्। यत्र तु निर्वाणै स्कन्धमात्रकमपि नास्ति तन्निरुपधिषोषं निर्वाणम्। निर्गत उपधिषोषोऽस्मिन्निति कृत्वा। निहताक्षीव-चौरगणस्यघ्नममात्रस्यापि विनाशासाधर्म्येण।”

अर्थात् निर्वाण दो प्रकारका है—१-सोपधिषोष २-निरुपधिषोष। सोपधिषोषमें रागादिका नाश होकर जिन्हे आत्मा कहते हैं ऐसे पाँचस्कन्ध निराश्रय दशामें रहते हैं। दूसरे निरुपधिषोष निर्वाणमें स्कन्ध भी नष्ट हो जाते हैं।

बौद्ध परम्परा में इस सोपचिह्नेष निर्वाणको भावात्मक स्वीकार किया ही गया है। यह जीवमनुष्य वसाका वर्णन नहीं है किन्तु निर्वाणावस्थाका।

आखिर बौद्धदर्शनमें ये दो परम्पराएँ निर्वाणके सम्बन्धमें क्यों प्रचलित हुईं ? इसका उत्तर हमें बुद्धकी अव्याकृत सूचीसे मिल जाता है। बुद्धने निर्वाणके बादकी अवस्था सम्बन्धी इन चार प्रश्नोंको अव्याकरणीय अर्थात् उत्तर देनेके अयोग्य बताया। "१-क्या मरनेके बाद तथागत (बुद्ध) होते हैं ? २-क्या मरनेके बाद तथागत नहीं होते ? ३-क्या मरनेके बाद तथागत होते भी हैं नहीं भी होते हैं ? ४-क्या मरनेके बाद तथागत न होते हैं न नहीं होते हैं ?" मालुव्यपुत्रके प्रश्नपर बुद्धने कहा कि इनका जानना सार्थक नहीं है क्योंकि इनके बारेमें कहना भिक्षुचर्या निर्वेद या परमज्ञानके लिए उपयोगी नहीं है। यदि बुद्ध स्वयं निर्वाणके स्वरूपके सम्बन्धमें अपना सुनिश्चित मत रखते होते तो वे अन्य नैकदो लौकिक अलौकिक प्रश्नोंकी तरह इस प्रश्नको अव्याकृत कोटिमें न डालते। और यही कारण है जो निर्वाणके विषयमें दो धाराएँ बौद्ध दर्शनमें प्रचलित हो गई हैं।

इसी तरह बुद्धने जीव और शरीरकी भिन्नता और अभिन्नताको अव्याकृत कोटिमें डालकर श्री राहुलजीको बौद्धदर्शनके 'अभौतिक अनात्मवाद' जैसे उभयप्रतिषेधक नामकरणका अवसर दिया। बुद्ध अपने जीवनमें देह और आत्माके जुदापन और निर्वाणोत्तर जीवन आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंके शतराहोंपर अपने शिष्यको सख्ताकर लक्ष्यच्युत नहीं करना चाहते थे। इसलिए लोक क्या है ? आत्मा क्या है ? और निर्वाणोत्तर जीवन कैसा है ? इन जीवन प्रश्नोंको भी उनने अव्याकरणीय करार दिया। उनकी विचारधारा और साधनाका केन्द्रबिन्दु वर्तमान दुःखकी निवृत्ति ही रहा है। राहुलजों एक ओर तो विच्छिन्न प्रवाह मानते हैं और दूसरी ओर पुनर्जन्म। वे इतनी बड़ी असङ्गतिकी कैसे पी जाते हैं कि यदि पूर्व और उत्तर क्षण विच्छिन्न हैं तो पुनर्जन्म कैसा और किसका ? क्या बुद्धवाच्यकी ऐसी असगत व्याख्याको समझालेनाका प्रयत्न शान्तरक्षित और कमलशील-जैसे दार्शनिकोंने किया है, जो एक अविच्छिन्न कार्यकारण प्रवाह मानते हैं ? अविच्छिन्नका अर्थ है कार्यकारणभाववाला।

जैन दर्शनकी दृष्टिमें प्रत्येक सत् परिणामी है और वह परिणमन प्रतिक्षणभावी स्वाभाविक है। उसमें किसी अन्य हेतुकी आवश्यकता नहीं है। यदि अन्य कारण मिले तो वे उस परिणमनको प्रभावित कर सकते हैं पर उपादान कारण तो पूर्वपर्याय ही होगी और उसमें जो कुछ है सब अलक्षणरूप ही है। अतः द्वितीय क्षणमें वह अलक्षका अलक्ष उत्तरपर्याय बन जाता है। चूँकि पुराना क्षण ही वर्तमान बना है और भविष्यको अपनेमें शक्ति या उपादान रूपसे छिपाएँ है अतः स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि व्यवहार मोपपत्तिक और समूल बन जाते हैं। परिणामीका अर्थ है उत्पाद और व्यय होते हुए भी प्रौढ्य रहना। आपातत यह मालूम होता है कि जो उत्पादविनाशवाला है वह भ्रूव कैसे रह सकता है ? पर प्रौढ्यका अर्थ सदा स्थायी कृत्स्थ नित्य नहीं है और न यह विवक्षित है कि वस्तुके कुछ अंश उत्पाद-विनाशके कारण परिवर्तित होते हैं तथा कुछ अंश उस परिवर्तनसे अछूते भ्रूव बने रहते हैं, और न परिवर्तनका यह स्थूल अर्थ ही है कि जो प्रथमक्षणमें है, दूसरे क्षणमें वह बिलकुल बदल जाता है या विलक्षण हो जाता है। परिवर्तन सदा भी होता है, विसदा भी। शुद्ध क्लेशनद्रव्य मुक्त अवस्थामें प्रतिक्षण परिवर्तित रहनेपर भी कभी विलक्षण परिवर्तन नहीं करता, उसका सदा सदा परिवर्तन ही होता रहता है। इसी तरह आकाश, काल, धर्म और अधर्मद्रव्य सदा स्वभावपरिणमन करते हैं। उनमें परिवर्तन करते रहनेपर भी कहने लायक कोई विलक्षणता नहीं आता। यो समझानेके लिए परब्रह्मके परिवर्तनके अनुसार इनमें भी परप्रत्यय विलक्षणता दिखाई जा सकती है पर न तो इनमें वेशभेद होता है न आकारभेद और न स्वरूपविलक्षणता ही। इनका स्वाभाविक परिणमन तो अगुहकचु-

गुणकृत ही है। यह जाता है पुद्गलद्रव्य, जिसका शुद्ध परिणमन कोई निश्चित नहीं है। कारण यह है कि शुद्ध जीवको न तो जीवान्तरका सम्पर्क विकारी बना सकता है और न किसी पुद्गलद्रव्यका संयोग ही, पर पुद्गलमें तो पुद्गल और जीव दोनोंके निमित्तसे विकृति उत्पन्न होनी है। लोकमें ऐसा कोई प्रदेश भी नहीं है जहाँ अन्य पुद्गल या जीवके सम्पर्कसे विवक्षित पुद्गलाणु अछूता रह सकता हो। अतः कदाचित् पुद्गल अपनी शुद्ध-अणु अवस्थामें भी पहुँच जाय, पर उसके गुण और धर्म शुद्ध होने या द्वितीयक्षणमें शुद्ध रह सकते हैं, इसका कोई नियामक नहीं है। अनेक पुद्गलद्रव्य मिलकर स्कन्ध दशामें एक सयुक्त बद्ध पर्याय भी बनाते हैं, पर अनेक जीव मिलकर एक सयुक्तपर्याय नहीं बना सकते। सबका परिणमन अपना जुबा-जुबा है। स्कन्धगत परमाणुओमें भी प्रत्येक अपना सद्गुण या विसद्गुण परिणमन होता रहता है और उन सब परिणमनोकी औसतसे ही स्कन्धका वजन, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श व्यवहारमें आता है। स्कन्धगत परमाणुओमें क्षेत्रकृत और आकारकृत सादृश्य होनेपर भी उनका मौलिकत्व सुरक्षित रहता है। लोकेसे एक भी परमाणु अनन्त परिवर्तन करनेपर भी निःसत्त्व-सत्ताशून्य अर्थात् असत् नहीं हो सकता। अतः परिणमनमें विलक्षणता अनुभूत न होनेपर भी स्वभावभूत परिवर्तन प्रतिक्षण होता ही रहता है।

द्रव्य एक नदीके समान अतीत वर्तमान और भविष्य पर्यायोंका कल्पित प्रवाह नहीं है। क्योंकि नदी विभिन्नसत्ताक जलकणोका एकत्र समुदाय है जो क्षेत्रभेद करके आगे बढ़ता जाता है। किन्तु भविष्य, पर्याय एक-एक क्षणमें क्रमशः वर्तमान होती हुई इस समय एकक्षणवर्ती वर्तमानके रूपमें है। अतीत पर्यायोंका कोई पर्याय-अस्तित्व नहीं है पर जो वर्तमान है वह अतीतका कार्य है, और यही भविष्यका कारण है। सत्ता एकसमयमात्र वर्तमानपर्यायकी है। भविष्य और अतीत क्रमशः अनुत्पन्न और विनष्ट है। अन्ततः द्रव्य इतना ही है कि एक द्रव्यकी पूर्वपर्याय द्रव्यान्तरको उत्तर-पर्याय नहीं बनती और न वही समाप्त होती है। इस तरह द्रव्यान्तरसे असाङ्ग्यका नियामक ही द्रव्य है। इसके कारण प्रत्येक द्रव्यकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रहती है और नियत कारणकार्य परम्परा चालू रहती है। वह न विच्छिन्न होती है और न संकर ही। यह भी अतिमुनिश्चित है कि किसी भी नये द्रव्यका उत्पाद नहीं होता और न मौजूबका अत्यन्त विनाश हो। केवल परिवर्तन, सो भी प्रतिक्षण निराबाध गतिसे।

इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है। वह अनन्त गुण और अनन्त शक्तियोंका धनी है। पर्यायानुसार कुछ शक्तियाँ आविर्भूत होती हैं कुछ तिरोभूत। जैनदर्शनमें इस सत्का एक लक्षण तो है "उत्पादव्ययद्रव्ययुक्त सत्", दूसरा है "सद् द्रव्यलक्षणम्"। इन दोनों लक्षणोंका मथितार्थ यही है कि द्रव्यको सत् कहना चाहिए और वह द्रव्य प्रतिक्षण उत्पाद, व्ययके साथ-ही-साथ अपने अविच्छिन्नता रूप द्रव्यको धारण करता है। द्रव्यका लक्षण है—'गुणपर्यायवद् द्रव्यम्' अर्थात् गुण और पर्यायवाला द्रव्य होता है। गुण सहभावी और अनेक शक्तियोंके प्रतिरूप होते हैं जब कि पर्याय क्रमभावी और एक होती है। द्रव्यका प्रतिक्षण परिणमन एक होता है। उस परिणमनका हम उन-उन गुणोंके द्वारा अनेक रूपसे वर्णन कर सकते हैं। एक पुद्गलाणु द्वितीय समयमें परिवर्तित हुआ तो उस एक परिणमनका विभिन्न रूपरसादि गुणोंके द्वारा अनेक रूपमें वर्णन हो सकता है। विभिन्न गुणोंकी द्रव्यमें स्वतन्त्र सत्ता न होनेसे स्वतन्त्र परिणमन नहीं माने जा सकते। अकलकदेवने प्रत्यक्षके ग्राह्य अर्थका वर्णन करते समय द्रव्य-पर्याय-सामान्य-विशेष इस प्रकार जो चार विशेषण दिए हैं वे पदार्थकी उपयुक्त स्थितिको सूचित करनेके लिए ही हैं। द्रव्य और पर्याय पदार्थकी परिणतिको सूचित करते हैं तथा सामान्य और विशेष अनुगत और व्यावृत्त व्यवहारके विषयभूत धर्मोंकी सूचना देते हैं।

नैयायिक वैशेषिक प्रत्ययके अनुसार वस्तुकी व्यवस्था करते हैं। इन्होंने जितने प्रकारके ज्ञान

जीर शब्द-व्यवहार होते हैं उनका वर्गीकरण करके असाक्ष्यभावसे उतने पदार्थ माननेका प्रयत्न किया है। इसीलिए इन्हें 'संप्रत्ययोपाध्याय' कहा जाता है। पर प्रत्यय अर्थात् ज्ञान और शब्द-व्यवहार इतने अपरिपूर्ण जीर शब्द हैं कि इनपर पूरा-पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो वस्तुस्वरूपकी और इशाराभाज हो कर सकते हैं। 'द्रव्यम् द्रव्यम्' ऐसा प्रत्यय हुआ एक द्रव्य पदार्थ मान लिया। 'गुण गुण' प्रत्यय हुआ गुण पदार्थ मान लिया। 'कर्म कर्म' ऐसा प्रत्यय हुआ कर्म पदार्थ मान लिया। इस तरह इनके सात पदार्थोंकी स्थिति प्रत्ययके आधीन है। परन्तु प्रत्ययसे मौलिक पदार्थकी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पदार्थ तो अपना अखण्ड ठोस स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, वह अपने परिणमनके अनुसार अनेक प्रत्ययोका विषय हो सकता है। गुण क्रिया सम्बन्ध आदि स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं, ये तो द्रव्यकी अवस्थाओंके विभिन्न व्यवहार हैं। इसी तरह सामान्य कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है जो नित्य और एक होकर अनेक स्वतन्त्रसत्ताक व्यक्तियोंमें श्रेणियोंमें सूतकी तरह विरोधा गया हो। पदार्थोंके परिणमन कुछ सदृश भी होते हैं और कुछ बिसदृश भी। दो विभिन्नसत्ताक व्यक्तियोंमें भूय साम्य देखकर अनुगत व्यवहार होने लगता है। अनेक आत्माएँ अपने विभिन्न शरीरोंमें वर्तमान हैं, पर जिनकी अवयवरचना अमूक प्रकारकी सदृश है उनमें 'मनुष्य मनुष्य' ऐसा सामान्य व्यवहार किया जाता है तथा जिनकी घोड़ो-जैसी उनमें 'अध्व अध्व' यह व्यवहार। जिन आत्माओंमें सादृश्यके आधारसे मनुष्य-व्यवहार हुआ है उनमें मनुष्यत्व नामका कोई सामान्य पदार्थ, जो कि अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है, आकर समवायनात्मक सम्बन्ध पदार्थसे रहता है यह कल्पना पदार्थस्थितिके विरुद्ध है। 'सत् सत्' 'द्रव्यम् द्रव्यम्' इत्यादि प्रकारके सभी अनुगत व्यवहार सादृश्यके आधारसे ही होते हैं। शब्द्व्यय भी उभयनिष्ठ कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। किन्तु वह बहुत अवयवोंकी समानता रूप ही है। तत्त्वं अन्वय जन-जन व्यक्तियोंमें रहते ही हैं। उनमें समानता देखकर द्रष्टा उस रूपसे अनुगत व्यवहार करने लगता है। वह सामान्य नित्य एक और निरस होकर यदि सर्वगत है तो उसे विभिन्न देशस्थ स्वव्यक्तियोंमें शब्द्व्यय रहना होगा, क्योंकि एक वस्तु एक साथ भिन्न देशमें पूर्णरूपसे नहीं रह सकती। नित्य निरस सामान्य जिस समय एक व्यक्तिके प्रकट होता है उसी समय उसे सर्वत्र-व्याप्तियोंके अन्तरालमें भी प्रकट होना चाहिए। अन्यथा 'क्वचित् व्यक्त' और 'क्वचित् अव्यक्त' रूपसे स्वरूपभेद होनेपर अनित्यत्व और साक्षात्कार प्रसङ्ग प्राप्त होगा। यदि सामान्य पदार्थ अन्य किसी सत्तासम्बन्धके अभावमें भी स्वतः सत् है तो उसी तरह द्रव्य गुण आदि पदार्थ भी स्वतः सत् ही क्यों न माने जायें? अतः सामान्य स्वतन्त्र पदार्थ न होकर द्रव्योंके सदृश परिणमनरूप ही है।

बौद्धिक तुल्य आकृति तुल्य गुणवाले सम परमाणुओंमें परस्पर भेद प्रत्यय करानेके निमित्त स्वतो विभिन्न विशेष पदार्थकी सत्ता मानते हैं। वे मुक्त आत्माओंमें मुक्त आत्माके मनोमें विशेष प्रत्ययके निमित्त विशेष पदार्थ मानना आवश्यक समझते हैं। परन्तु प्रत्ययके आधारसे पदार्थ व्यवस्था माननेका सिद्धान्त ही गलत है। जितने प्रकारके प्रत्यय होते जायें उतने स्वतन्त्र पदार्थ यदि माने जायें तो पदार्थोंकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। जिस प्रकार विशेष पदार्थ स्वतः परस्पर भिन्न हो सकते हैं उसी तरह परमाणु आदि भी स्वस्वरूपसे ही परस्पर भिन्न हो सकते हैं। इसके लिए किसी स्वतन्त्र 'विशेष' पदार्थकी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तियों स्वयं ही विशेष हैं। प्रमाणका कार्य है स्वतः सिद्ध पदार्थकी अमकर व्याख्या करना।

बौद्ध सदृशपरिणमनरूप समानधर्म स्वीकार न करके सामान्यको अन्यायोह रूप मानते हैं। उनका अभिप्राय है कि—परस्पर-भिन्न वस्तुओंको देखनेके बाद जो बुद्धिमें अभेदमान होता है उस बुद्धिप्रतिबिम्बित अभेदको ही सामान्य कहते हैं। यह अभेद भी विध्यात्मक न होकर अतद्ग्यावृत्तिरूप है। सभी पदार्थ किसी-न-किसी कारणसे उत्पन्न होते हैं तथा कोई-न-कोई कार्य उत्पन्न भी करते हैं। तो जिन पदार्थोंमें अतत्कारण-

व्यावृत्ति और अतत्कार्यव्यावृत्ति पाई जाती है उनमें अनुगत व्यवहार कर दिया जाता है। जैसे जो व्यक्तिपूर्ण मनुष्यरूप कारणसे उत्पन्न हुई है और जाने मनुष्यरूप कार्य उत्पन्न करेंगी उनमें अमनुष्यकारण-कार्यव्यावृत्तिको निमित्त लेकर 'मनुष्य मनुष्य' ऐसा अनुगत व्यवहार कर दिया जाता है। कोई वास्तविक मनुष्यत्व विध्यात्मक नहीं है। जिस प्रकार चञ्चु आलोक और रूप आदि परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थ भी अरूपज्ञान-जननव्यावृत्तिके कारण 'रूपज्ञानजनक' व्यपदेशको प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र अतद्व्यावृत्तिसे ही समानाकार प्रत्यय हो सकता है। ये शब्दका वाच्य इसी अपोहरूप सामान्यको ही स्वीकार करते हैं। विकल्प-ज्ञानका विषय भी यही अपोहरूप सामान्य है।

अकलकूदेवने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि—सादृश्य माने बिना अयुक्त व्यक्तियोंमें ही अपोहका नियम कैसे बन सकता है? यदि शाबलेय गौव्यक्ति बाहुलेय गौव्यक्तिसे उतनी ही भिन्न है जितनी कि किसी अश्वविद्यव्यक्तिसे, तो क्या कारण है कि शाबलेय और बाहुलेयमें ही अतद्व्यावृत्ति मानी जाय, अश्वमें नहीं। यदि अश्वसे कुछ कम बिलक्षणता है तो यह अर्थात् ही मानना होगा कि उनमें ऐसी समानता है जो अश्वके साथ नहीं है। अतः सादृश्य ही व्यवहारका सीधा नियामक हो सकता है। यह तो प्रत्यथसिद्ध है कि वस्तु समान और असमान उभयविध धर्मोंका आधार होती है। समानधर्मोंके आधारसे अनुगत व्यवहार किया जाता है और असमान धर्मके आधारसे व्यावृत्त व्यवहार। अन्य नहीं, 'अतद्व्यावृत्ति' यही एक समान धर्म तत्सद्व्यक्तियोंमें स्वीकार करना होगा। बौद्ध जब स्वयं अपरापर क्षणोंमें सादृश्यके कारण एकत्वबोध तथा सीपमें सादृश्यके ही कारण रजतभ्रम स्वीकार करते हैं तब अनुगत व्यवहारके लिए सादृश्यको स्वीकार करनेमें उन्हें क्या बाधा है? अतद्व्यावृत्ति और बुद्धिगत अमेद प्रतिबिम्बका निर्वाह भी सादृश्यके बिना नहीं हो सकता। अतः सदृश परिणामरूप ही सामान्य मानना चाहिए। शब्द और विकल्पज्ञान भी सामान्य-विशेषात्मक वस्तुको ही विषय करते हैं, न केवल सामान्यात्मकको और न केवल विशेषात्मकको ही।

सामान्यतया कल्पनाओंका लक्ष्य त्रिमुखी होता है—एक तो अमेदकी ओर दूसरा मेदकी ओर। अमत्-में अमेदकी ओर चरम कल्पना वेदान्त दर्शनने की है। वह इतना अमेदकी ओर बढ़ा कि वास्तविक स्थितिको लौचकर कल्पनालोकमें ही जा पहुँचा। चेतन-अचेतनका स्थूल भेद भी मायारूप बन गया। एक ही तत्त्वका प्रतिभास चेतन और अचेतन रूपमें माना गया। इस तरह देश काल और स्वरूप, हर प्रकारसे चरम अमेदकी कोटि वेदान्त दर्शन है। बौद्धदर्शन प्रत्येक चित्त-अचित्त स्वलक्षणोंकी वास्तव स्वतन्त्र सत्ता मानकर ही चुप नहीं रहता। वह उनमें कालिक भेद भी क्षणपर्याय तक स्वीकार करता है। यहाँ तक तो उसका पारमार्थिक भेद है। जो प्रथमक्षणमें है वह द्वितीयमें नहीं, जो जहाँ जिस समय जैसे है वह वही उसी समय जैसे ही है, द्वितीयक्षणमें नहीं। दो देशोंमें रहनेवाली दो जगहोंमें रहनेवाली कोई वस्तु नहीं है। इस तरह देश काल और स्वरूपकी दृष्टिसे अन्तिम भेद बौद्धदर्शनका लक्ष्य है। पर अमेदकी तरफ वेदान्त दर्शन और अमेदकी ओर बौद्धदर्शन वास्तववाचसे काल्पनिकता या अवास्तववाचकी ओर पहुँच जाते हैं। बौद्धदर्शनमें विज्ञानवादी, विभ्रमवादी, शून्यवादी सभी काल्पनिक भेदके उपासक हैं। उनमें बाह्यजगत्का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया। किसीने उसे सायुत कहा तो किसीने उसे अविद्यानिमित्त कहा, तो किसीने उसे प्रत्ययमात्र।

जैनदर्शनमें भेद और अमेदका अन्तिम विचार तो किया, पर वास्तवसीमाको लौचा नहीं है। उसने दो प्रकारके अमेदप्रयोजक सामान्य धर्म माने तथा दो प्रकारके विशेष, जो भेद-कल्पनाके विषय होते हैं। दो विभिन्नसत्ताक द्वयोंमें अमेद-व्यवहार सादृश्यसे ही हो सकता है, एकत्वसे नहीं। इसलिए परम संग्रहणय यद्यपि वेदान्तकी परसत्ताको विषय करता है और कह देता है कि 'सद्रूपेण चेतनाचेतनाना भेदाभावात् अर्थात् सद्रूपसे चेतन और अचेतनमें कोई भेद नहीं है' पर वह व्यवहारनभके विषयभूत वास्तव भेदका लौच नहीं

करता। वह स्पष्ट घोषणा करता है कि चेतन और अचेतनमे सत्-सादृश्य रूपसे अनुगतव्यवहार ही सकता है, पर कोई ऐसा एक सत् नहीं जो दोनोंमे वास्तव अनुगत सत्ता रखता हो, सिद्धाय इसके कि दोनोंमें 'सत् सत्' ऐसा समान प्रत्यय होता है और 'सत् सत्' ऐसा शब्द-प्रयोग होता है। एक द्रव्यकी कालक्रमसे होनेवाली पर्यायोंमें जो अनुगतव्यवहार होना है वह परमार्थसत् एकद्रव्यमूलक है। यद्यपि द्वितीयक्षणमे भविष्यतद्रव्य अक्षण्डका अक्षण्ड बदलता है—परिवर्तित होना है पर उम सत्का, जो कि परिवर्तित हुआ है अस्तित्व दुनियासे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो वर्तमानक्षणमे अमुक दशामे है वही अक्षण्डका अक्षण्ड पूर्वक्षणमे अतीतदशामे था, वही बदलकर आगेके क्षणमे तीसरा रूप लेगा, पर अपने स्वरूपसत्त्वको नहीं छोड़ सकता, सर्वथा महाबिनाशके गतमे प्रलीन नहीं हो सकता। इसका यह तात्पर्य बिलकुल नहीं है कि उसमे कोई शाश्वत कटस्थ अंश है, किन्तु बदलनेपर भी उसका सन्तानप्रवाह चालू रहता है, कभी भी उच्छिन्न नहीं होता और न दूसरेमे विलीन होता है। अत एक द्रव्यकी अपनी पर्यायोंमे होनेवाला अनुगत व्यवहार ऊर्ध्वतासामान्य या द्रव्यमूलक है। यह अपनेमे वस्तुसत् है। पूर्व पर्यायका अक्षण्ड निचोड़ उत्तर-पर्याय है और उत्तरपर्याय अपने निचोड़भूत आगेकी पर्यायको जन्म देती है। इस तरह जैसे अतीत और वर्तमानका उपादानोपादेय सम्बन्ध है उसी तरह वर्तमान और भविष्यका भी। परन्तु सत्ता वर्तमान क्षणमात्रकी है। पर यह वर्तमान परम्परासे अनन्त अतीतका उत्तराधिकारी है और परम्परासे अनन्त भविष्यका उपादान भी बनेगा। इसी दृष्टिसे द्रव्यको कालत्रयवर्ती कहते हैं। शब्द इतने लचर होते हैं कि वस्तुके शत-प्रतिशत स्वरूपको अज्ञान रूपसे उपस्थित करनेमे सर्वत्र समर्थ नहीं होते। यदि वर्तमानका अतीतसे बिलकुल सम्बन्ध न हो तभी निरन्वय क्षणिकत्वका प्रसङ्ग हो सकता है, परन्तु जब वर्तमान अतीतका ही परिवर्तित रूप है तब वह एक दृष्टिसे सान्वय ही हुआ। वह केवल पंक्ति और सेमाकी तरह व्यवहारार्थ किया जा-वाला संकेत नहीं है किन्तु कार्यकारणभूत और खासकर उपादानोपादेयमूलक तत्त्व है। वर्तमान जलबिन्दु एक ऑक्सिजन और एक हाइड्रोजनके परमाणुओंका परिवर्तनमात्र है, अर्थात् ऑक्सिजनको निमित्त पाकर हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजनको निमित्त पाकर ऑक्सिजन परमाणु दोनोंमे ही जल पर्याय प्राप्त कर ली है। इस द्विपरमाणुक जलबिन्दुके प्रत्येक जलाणुका विश्लेषण कीजिए तो ज्ञात होगा कि जो एटम ऑक्सिजन अवस्थाको धारण किए था वह सम्भ्रमा बदलकर जल बन गया है। उसका और पूर्व ऑक्सिजनका यही सम्बन्ध है कि यह उसका परिणाम है। वह जिस समय जल नहीं बनता और ऑक्सिजनका ऑक्मिजन ही रहता है उस समय भी प्रतिक्षण परिवर्तन सजातीय रूप होता ही रहता है। यही विश्वके समस्त चेतन और अचेतन द्रव्योकी स्थिति है। इस तरह एक धाराकी पर्यायोंमे अनुगत व्यवहारका कारण सादृश्य-सामान्य न होकर ऊर्ध्वतासामान्य द्रव्य सन्तान या द्रव्य होता है। इसी तरह विभिन्न द्रव्योंमें भेदका प्रयोजक भ्यतिरेक विशेष होता है जो तद्द्रव्यस्वित्व रूप है। एक द्रव्यकी दा पर्यायोंमे भेद व्यवहार कराने वाला पर्याय नामक विशेष है।

जैनदर्शनमे उन सभी कल्पनाओंके ग्राहक नय तो बताए हैं जो वस्तुसोमाको लांघकर अधारतवादकी ओर जाती है। पर साथ ही स्पष्ट कह दिया है कि ये सब वक्तोंके अभिप्राय है, उसके सकल्पके प्रकार है, वस्तुस्थितिके ग्राहक नहीं है।

गुण और धर्म—वस्तुमें गुण भी होते हैं और धर्म भी। गुण स्वभावभूत हैं और इनकी प्रतीति परनिरपेक्ष होती है। धर्मोंकी प्रतीति परसापेक्ष हांती है और व्यवहारार्थ इनकी अभिव्यक्ति वस्तुकी योग्यताके अनुसार होती रहती है। धर्म अनन्त होते हैं। गुण गिने हुए हैं। यथा-जीवके असाधारण गुण-ज्ञान,

दर्शन, सुख, वीर्य आदि है। साधारण गुण वस्तुत्व प्रमेयत्व सत्त्व आदि। पुद्गलके रूप रस गन्ध स्पर्श आदि असाधारण गुण हैं। धर्मद्रव्यका गतिहेतुत्व, अधर्मद्रव्यका स्थितिहेतुत्व, आकाशका अवगाहननिमित्तत्व और कालका बर्तनाहेतुत्व असाधारण गुण हैं। साधारण गुण वस्तुत्व सत्त्व अभिधेयत्व प्रमेयत्व आदि। जीवमें ज्ञानादि गुणोंकी सत्ता और प्रतीति निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। पर छोटा बड़ा, पितृत्व, पुत्रत्व, गुरुत्व, शिष्यत्व आदि धर्म सापेक्ष हैं। यद्यपि इनकी योग्यता जीवमें है, पर ज्ञानादिके समान ये स्वरसतः गुण नहीं हैं। इसी तरह पुद्गलधर्म रूप रस गन्ध और स्पर्श में तो स्वाभाविक परनिरपेक्ष गुण हैं परन्तु छोटा बड़ा, एक दो तीन आदि संख्या, सनेतके अनुसार होनेवाली बाध्यता आदि ऐसे धर्म हैं जिनकी अभिव्यक्ति व्यवहारार्थ होती है। गुण परनिरपेक्ष स्वतः प्रतीति होते हैं तथा धर्म परापेक्ष होकर। वस्तुमें योग्यता दोनोंकी है। सामान्य-विवक्षासे सभी वस्तुके स्वभाव माने जाते हैं। सप्तभङ्गीमें धर्मोंकी कल्पना ब्रह्माके प्रदनोंके अनुसार की जाती है। एक धर्मको केन्द्रमें माननेपर उसका प्रतिपक्षी धर्म आ जाता है। फिर दोनों रूपको एकसाथ शब्दसे कहनेका प्रयत्न सम्भव नहीं है, अतः वस्तुका निजरूप अवकल्य उपस्थित हो जाता है। इस तरह सत् असत् और अवकल्य इन तीन धर्मोंको लेकर अधिकसे अधिक मात ही प्रश्न हो सकते हैं। अतः सप्त-भङ्गीका निरूपण अधिक-से-अधिक सात प्रश्नोंकी सम्भावनाका उत्तर है। प्रश्न मात ही सकते हैं इसका कारण सात प्रकार की जिज्ञासाका होना है। जिज्ञासाका सात प्रकारका होना सात प्रकारके संशयोके अधीन है। तथा संशय सात इसलिए होते हैं कि वस्तुके धर्म ही सात प्रकारके हैं।

६. विशदज्ञान प्रत्यक्ष—इस तरह ज्ञान द्रव्यपर्यायात्मक और सामान्यविशेषात्मक अर्थको विषय करता है। केवल सामान्यात्मक या विशेषात्मक कोई पदार्थ नहीं है और न केवल द्रव्यात्मक या पर्यायात्मक ही। इसीलिए अकलङ्कदेवने प्रत्यक्षका लक्षण करते समय बार्तिकमें द्रव्य पर्याय सामान्य और विशेष ये चार विशेषण अर्थके दिए हैं। इनकी सार्थकता उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट हो जाती है। ज्ञानके लिए उनमें लिखा है कि उसे साकार और स्वसंबेदी होना चाहिए। यहाँ तक साकार स्वसंबेदी और द्रव्यपर्याय-सामान्यविशेष-पार्यवेदी ज्ञानका निरूपण हुआ। ऐसा ज्ञान जब 'अजसा स्पष्ट' अर्थात् परमार्थतः विशद हो तब उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। साधारणतया दर्शनान्तरामे तथा लोकव्यवहारमें इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष माना गया है। तथा इन्द्रियके परे रहनेवाले पदार्थका बोध परोक्ष कहा जाता है। पर जैनदर्शनका प्रत्यक्ष और परोक्षका अपना स्वोपेक्ष विचार है। वह इन्द्रिय आदि पर पदार्थोंकी अपेक्षा रखनेवाले ज्ञानको परोक्ष अर्थात् परतन्त्र ज्ञान मानता है, तथा इन्द्रियादि-निरपेक्ष आत्ममात्रोत्पन्न ज्ञानको प्रत्यक्ष। यह प्रत्यक्षका कारणमूलक विवेचन है। पर स्वरूपमें जो ज्ञान विशद हो वह प्रत्यक्ष कहलाता है। यह विशदना व्यवहारमें अंशतः इन्द्रियजन्य ज्ञानमें भी पाई जाती है, अतः इन्द्रियजन्य ज्ञानको संभवव्यवहार प्रत्यक्ष कहने हैं। यद्यपि आगमोंमें इन्द्रियजन्य मतिको परोक्ष कहा है और वह आगमिक परिभाषामें उचित भी है पर लोकव्यवहारके निवारिणार्थ वैशदासका सद्भाव होनेसे उसे संभवव्यवहार प्रत्यक्ष भी कहा गया है। वैशदासका लक्षण अकलङ्कदेवने स्वयं लघीयस्वयं (कारिका नं० ४) में यह किया है—

“अनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम् ।

तद्वैशर्द्यं मतं बुद्धेरवैशद्यमतः परम् ॥”

अर्थात्—अनुमान आदिकेसे अधिक, निश्चय देश काल और आकार रूपसे प्रचुरतर विशेषोंके प्रति-भासनको वैशद्य कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें जिस ज्ञानमें अन्य किसी ज्ञानकी सहायता अपेक्षित न हो वह ज्ञान विशद कहलाता है। जिस तरह अनुमान आदि ज्ञान अपनी उत्पत्तिमें लिङ्गाज्ञान आदि ज्ञानान्तरकी अपेक्षा

करते हैं उस तरह प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्तिमें किसी अन्य ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रखता। यही अनुमानादिसे प्रत्यक्षमें अतिरेक-अधिकता है। यद्यपि आगमिक दृष्टिसे इन्द्रिय आलोक या ज्ञानान्तर किसी भी कारणकी अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान परोक्ष है और आत्ममानसापेक्ष ही ज्ञान प्रत्यक्ष, पर दार्शनिक क्षेत्रमें अकलंकदेवके सामने प्रमाणविभागकी समस्या थी जिसे उन्होंने बड़ी व्यवस्थित रीतिसे सुलझाया है। तत्त्वार्थसूत्रमें मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानोंको परोक्ष कहा है और वही मति स्मृति सजा चिन्ता और अभिनिबोधको अनर्धान्तर बताया है। अनर्धान्तर कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि ये सब मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होते हैं। मतिमें इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले अवग्रह ईहा अबाय और धारणा ज्ञान सम्मिलित है। अकलंकदेवने मति-को सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर लोकप्रसिद्ध इन्द्रियज्ञानकी प्रत्यक्षताका निर्वाह किया और स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और श्रुति इन सबको परोक्ष प्रमाण रूपसे परिगणित किया। आगममें मति और श्रुत परोक्ष थे ही। स्मृति आदि मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेके कारण मतिज्ञान थे ही, इसलिए इनका परोक्षत्व भी सिद्ध था। मात्र इन्द्रिय और मनोजन्म मतिको सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष बना देनेसे ममस्त प्रमाण-व्यवस्था जम गई और लोक प्रगतिद्विका निर्वाह भी हो गया। यद्यपि अकलंकदेवने लघोपस्रयमें स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क और अनुमानको भी मनोमति कहा है और सम्भवत वे इन्हें भी प्रादेशिक प्रत्यक्षकोटिमें खाना चाहते थे, पर यह प्रयास आगेके आचार्योंके द्वारा समर्थित नहीं हुआ।

इस तरह अकलंकदेवने विशदज्ञानको प्रत्यक्ष कहकर श्रीसिद्धसेन दिवाकरके 'अपरोक्ष ग्राहक प्रत्यक्ष' इस प्रत्यक्ष-लक्षणकी कमीको दूर कर दिया। उत्तरकालीन ममस्त जैनाचार्योंने अकलकोपज्ञ इस लक्षण और प्रमाणव्यवस्थाको स्वीकार किया है।

यद्यपि बौद्ध भी विशदज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं फिर भी प्रत्यक्षके लक्षणमें अकलंकदेवके द्वारा विशद पक्षके साथ ही प्रयुक्त 'साकार' और 'अजमा' पद खाम महुत्त्व रखते हैं। बौद्ध निर्विकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। यह निर्विकल्पक ज्ञान जैनदार्शनिक परम्परामें प्रसिद्ध विषयविषयीसन्निपातके बाद होनेवाले सामान्यावभासी अनाकार दर्शनके समान है। अकलंकदेवकी दृष्टिमें जब निर्विकल्पक दर्शन प्रमाणकोटिसे ही बहिर्भूत है तब उसे प्रत्यक्ष तो कहा ही नहीं जा सकता था। इसी वानकी सूचनाके लिए उन्होंने प्रत्यक्षके लक्षणमें साकार पद दिया है, जो निराकार दर्शन तथा बौद्धसम्मत निर्विकल्पक-प्रत्यक्षका निराकरण कर निश्चयात्मक विशदज्ञानको ही प्रत्यक्षकोटिमें रखता है। बौद्ध निर्विकल्पक प्रत्यक्षके बाद होनेवाले 'नील-मिदम्' इत्यादि प्रत्यक्षज विकल्पोको भी सव्यवहारसे प्रमाण मान लेते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्षके-विषयभूत दृश्य स्वलक्षणमें विकल्पके विषयभूत विकल्प सामान्यका एकत्वाध्यवसाय करके प्रवृत्ति करनेपर स्वलक्षण ही प्राप्त होता है, अतः विकल्प ज्ञान भी सव्यवहारसे प्रमाण बन जाता है। इन विकल्पमें निर्विकल्पककी ही विशदता आती है। इसका कारण है निर्विकल्पक और सविकल्पकका अतिशीघ्र उत्पन्न होना या एक साथ होना। तात्पर्य यह कि बौद्धके मतसे सविकल्पकमें न तो अपना वैशद्य है और न प्रमाणत्व। इसका निरास करनेके लिए अकलंकदेवने अजसा विशेषण दिया है और सूचित किया है कि विकल्पज्ञान अजसा विशद है, संख्यव्यवहारसे नहीं।

परपरिकल्पित प्रत्यक्ष लक्षण निरास

बौद्ध निर्विकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्ष मानते हैं। कल्पनापोड और अभ्रान्तज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष इष्ट है। शब्दससृष्ट ज्ञान 'विकल्प' कहलाता है। निर्विकल्पक शब्दससगसि शून्य होता है। निर्विकल्पक परमाशंसत् स्वलक्षण अर्थसे उत्पन्न होता है। इसके चार भेद होते हैं—इन्द्रियप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष

निविकल्पक स्वयं व्यवहारसाधक नहीं होता, व्यवहार निविकल्पकजन्य सविकल्पकसे होता है। सविकल्पक ज्ञान निर्मल नहीं होता। विकल्प ज्ञानकी विघादता सविकल्पमे झलकती है। ज्ञात होता है कि वेदकी प्रमा-
कताका क्षण्डन करनेके विचारसे बौद्धोंने शब्दका अर्थके माथ वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं माना और यावत्
शब्दससर्गी ज्ञानोको, जिनका समर्थन निविकल्पकसे नहीं होता, अप्रमाण घोषित कर दिया है। इनने उन्हीं
ज्ञानोको प्रमाण माना जो साक्षात् या परम्परासे अर्थसामर्थ्यजन्य है। निविकल्पक प्रत्यक्षके द्वारा यद्यपि अर्थ-
मे रहनेवाले क्षणिकत्व आदि सभी धर्मोंका अनुभव हो जाता है, पर उनका निश्चय यथानुभव विकल्पकज्ञान
और अनुमानसे ही होता है। नील निविकल्पक नीलागका 'नीलमिदम्' इस विकल्पज्ञान द्वारा निश्चय
करता है और व्यवहारसाधक होता है तथा क्षणिकाशका 'सर्वं क्षणिक सत्वात्' इस अनुमानके द्वारा। चूँकि
निविकल्पक 'नीलमिदम्' आदि विकल्पोका उत्पादक है और अर्थस्वलक्षणसे उत्पन्न हुआ है अतः प्रमाण है।
विकल्पज्ञान अस्पष्ट है, क्योंकि वह परमार्थसत् स्वरूपसे उत्पन्न नहीं हुआ है। सर्वप्रथम अर्थसे निविकल्पक
ही उत्पन्न होता है। उस निविकल्पावस्थामे किसी विकल्पका अनुभव नहीं होता। विकल्प कल्पितसामान्य-
को विषय करनेके कारण तथा निविकल्पकके द्वारा गृहीत अर्थको ग्रहण करनेके कारण प्रत्यक्षाभास है।

अकलंकदेव इसकी आलोचना इस प्रकार करते हैं—अर्थक्रियाधीं पुरुष प्रमाणका अन्वेषण करते हैं।
जब व्यवहारमे साक्षात् अर्थक्रियासाधकता सविकल्पकमे ही है तब क्यों न उसे ही प्रमाण माना जाय ?
निविकल्पकमे प्रमाणात् लानेको आखिर आपको सविकल्पक ज्ञान तो मानना ही पड़ता है। यदि निविकल्पके
द्वारा गृहीत नीलाशकको विषय करनेसे विकल्पज्ञान अप्रमाण है; तब तो अनुमान भी प्रत्यक्षके द्वारा गृहीत
क्षणिकत्वाविको विषय करनेके कारण प्रमाण नहीं हो सकेगा। निविकल्पसे जिस प्रकार नीलाशकमे 'नील-
मिदम्' इत्यादि विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार क्षणिकत्वादि अशोमे भी 'क्षणिकमिदम्' इत्यादि
विकल्पज्ञान उत्पन्न होना चाहिये। अतः व्यवहारसाधक सविकल्पज्ञान ही प्रत्यक्ष कहा जाने योग्य है।
विकल्पज्ञान ही विशदरूपसे प्रत्येक प्राणीके अनुभवमे आता है, जब कि निविकल्पज्ञान अनुभवसिद्ध नहीं है।
प्रत्यक्षसे तो स्थिर स्थूल अर्थ ही अनुभवमे आते हैं, अतः क्षणिक परमाणुका प्रतिभास कहना प्रत्यक्षविरोध
है। निविकल्पकको स्पष्ट होनेसे तथा सविकल्पकको अस्पष्ट होनेसे विषयभेद भी मानना ठीक नहीं है,
क्योंकि एक ही वृक्ष दूरवर्ती पुरुषको अस्पष्ट तथा समीपवर्तीको स्पष्ट दीखता है। आद्य-प्रत्यक्षकालमे भी
कल्पनाएँ बराबर उत्पन्न तथा विनष्ट तो होती ही रहती हैं, भले ही वे अनुपलक्षित रहें। निविकल्पसे सवि-
कल्पकी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है; क्योंकि यदि अशब्द निविकल्पकसे शब्द विकल्पज्ञान उत्पन्न हो
सकता है तो शब्दशून्य अर्थमे ही विकल्पककी उत्पत्ति माननेमें क्या बाधा है ? अतः मति, स्मृति, सज्ञा,
चिन्तादि यावद्विकल्पज्ञान संवादी होनेसे प्रमाण है। जहाँ ये विस्वादी हों वही इन्हें अप्रमाण कह सकते हैं।
निविकल्पक प्रत्यक्षमे अर्थक्रियास्थिति अर्थात् अर्थक्रियासाधकत्व रूप अविस्वादाका लक्षण भी नहीं पाया
जाता, अतः उसे प्रमाण कैसे कह सकते हैं ? शब्दसंसृष्ट ज्ञानको विकल्प मानकर अप्रमाण कहनेसे शास्त्रीपदेशसे
क्षणिकत्वाविकी सिद्ध नहीं हो सकेगी।

मानस प्रत्यक्ष निरास—बौद्ध इन्द्रियज्ञानके अनन्तर उत्पन्न होनेवाले विघादज्ञानको, जो कि उसी
इन्द्रियज्ञानके द्वारा प्राप्य अर्थके अनन्तरमाथी द्वितीयक्षणको जानता है, मानस प्रत्यक्ष कहने हैं। अकलंकदेव
कहते हैं कि—एक ही निश्चयात्मक अर्थसाक्षात्कारी ज्ञान अनुभवमें आता है। आपके द्वारा बताये गये मानस
प्रत्यक्षका तो प्रतिभास ही नहीं होता। 'नीलमिदम्' यह विकल्प ज्ञान भी मानस प्रत्यक्षका असाधक है;
क्योंकि ऐसा विकल्प ज्ञान तो इन्द्रिय प्रत्यक्षसे ही उत्पन्न हो सकता है, इसके लिये मानस प्रत्यक्ष माननेकी
कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी और गरम जलेकी छाते समय जितनी इन्द्रियबुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं उतने

ही तदनन्तरभावी अर्थको विषय करनेवाले मानस प्रत्यक्ष मानना होगा; क्योंकि बावमें उतने ही प्रकारके विकल्पज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस तरह अनेक मानस प्रत्यक्ष माननेपर सन्तानभेद ही जानेके कारण 'जो मैं खाने वाला हूँ वही मैं सूँघ रहा हूँ' यह प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा। यदि समस्त रूपादिको विषय करने-वाला एक ही मानस प्रत्यक्ष माना जाय; तब तो उसीसे रूपादिका परिज्ञान भी हो ही जायगा, फिर इन्द्रिय-बुद्धियाँ किसलिये स्वीकार की जायँ? घर्षोत्तरने मानस प्रत्यक्षको 'आगमप्रसिद्ध' कहा है। अकलकदेवने उसकी भी आलोचना की है कि—जब वह मात्र आगमप्रसिद्ध ही है, तब उसके लक्षणका परोक्षण ही निरर्थक है।

स्वसंवेदन प्रत्यक्ष खण्डन—यदि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्पक है तो निद्रा तथा मूर्च्छादि अवस्थाओंमें ऐसे निर्विकल्पक प्रत्यक्षको माननेमें क्या बाधा है? सुषुप्तादि अवस्थाओंमें अनुभवसिद्ध ज्ञानका निषेध तो किया ही नहीं जा सकता। यदि उक्त अवस्थाओंमें ज्ञानका अभाव हो तो उस समय योगियोंको चतुःसत्यविषयक भावनाओका भी विच्छेद मानना पड़ेगा।

बौद्ध इन्द्रिय विकल्पके लक्षणका निरास—बौद्ध 'अभिलाषवती प्रतीति कल्पना' अर्थात् जो ज्ञान शब्दसंसर्गके योग्य हो उस ज्ञानको कल्पना या विकल्प ज्ञान कहते हैं। अकलकदेवने उनके इस लक्षणका खण्डन करने हुए लिखा है कि—यदि शब्दके द्वारा कहे जाने लायक ज्ञानका नाम कल्पना है तथा बिना शब्दसंश्रयके कोई भी विकल्पज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता, तब शब्द तथा शब्दाशोक स्मरणात्मक विकल्पके लिये तद्वाचक अन्य शब्दोंका प्रयोग मानना होगा, उन अन्य शब्दोंके स्मरणके लिए भी तद्वाचक अन्य शब्द स्वीकार करना होगा, इस तरह दूसरे-दूसरे शब्दोंकी कल्पना करनेसे अनवस्था नामका दूषण आता है। अतः जब विकल्पज्ञान ही सिद्ध नहीं हो पाता तब विकल्पज्ञानरूप साधकके अभावमें निर्विकल्पक भी असिद्ध ही रह जायगा और निर्विकल्पक तथा सविकल्पकरूप प्रमाणद्वयके अभाव में साधक प्रमाण न होनेसे सकल प्रमेयका भी अभाव ही प्राप्त होगा। यदि शब्द तथा शब्दाशोका स्मरणात्मक विकल्प तद्वाचक शब्दप्रयोगके बिना ही होता है तो विकल्पका अभिलाषवत्त्व लक्षण अव्याप्त हो जायगा और जिस तरह शब्द तथा शब्दाशोका स्मरणरूपक विकल्प तद्वाचक अन्य शब्दके प्रयोगके बिना ही हो जाता है उसी तरह 'नीलमिदम्' इत्यादि विकल्प भी शब्दप्रयोगकी योग्यताके बिना ही हो जायँगे, तथा चक्षुरादिबुद्धियाँ शब्द प्रयोगके बिना ही नीलपीतादि पदार्थोंका निश्चय करनेके कारण स्वन व्यवसायात्मक सिद्ध हो जायँगी। अतः विकल्पका अभिलाषवत्त्व लक्षण दूषित है। विकल्पका निर्दोष लक्षण है—समारोपविरोधी ग्रहण या निश्चयात्मकत्व।

सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। अकलकदेवने कहते हैं कि—श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ तो तैमिरिक रोगीको होनेवाले द्विचन्द्रज्ञान तथा अन्य सवायादिज्ञानोंमें भी प्रयोजक होती हैं, पर वे सभी ज्ञान प्रमाण तो नहीं है।

नैयायिक इन्द्रियों और अर्थ के सन्निकर्षको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसे भी अकलकदेवने सर्वज्ञके ज्ञानमें अव्याप्त बताते हुये लिखा है कि—त्रिकाल-त्रिलोकवर्ती यावत् पदार्थोंको विषय करनेवाला सर्वज्ञका ज्ञान प्रतिनियत शक्तिवाली इन्द्रियोंसे तो उत्पन्न नहीं हो सकता, पर प्रत्यक्ष तो अवश्य है। अतः सन्निकर्ष अव्याप्त है। चक्षुके द्वारा रूपका प्रत्यक्ष सन्निकर्षके बिना ही हो जाता है। चाक्षुष प्रत्यक्षमें सन्निकर्षकी आवश्यकता नहीं है। कौष आदिसे व्यवहित पदार्थका ज्ञान सन्निकर्षकी अनावश्यकता सिद्ध कर ही देता है।

प्रत्यक्षके भेद—अकलकदेवने प्रत्यक्षके तीन भेद किये हैं—१-इन्द्रिय प्रत्यक्ष २-अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष

३-अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। चक्षु आदि इन्द्रियोँसे स्वादिकका स्वष्ट ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। मनके द्वारा सुख आदिकी अनुभूति मानस प्रत्यक्ष है। अकलंकदेवने लघीयस्त्रयस्वभूतिमें स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिबोधको अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा है। इसका अभिप्राय हतना ही है कि—मति स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिबोध ये सब मतिज्ञान हैं, मतिज्ञानावरणके क्षयोपक्षयसे इनकी उत्पत्ति होती है। मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है। इन्द्रियजन्य मतिज्ञानको जब संब्यवहारसे प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्धि होनेके कारण इन्द्रियप्रत्यक्ष मान लिया, तब उसी तरह मनोमति रूप स्मरण प्रत्यभिज्ञान तक और अनुमानको भी प्रत्यक्ष ही कहना चाहिये। परन्तु संब्यवहार इन्द्रियजन्य मतिको ही प्रत्यक्ष मानता है, पर स्मरण आदिको नहीं। अतः अकलङ्ककी स्मरण आदिको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष माननेकी व्याख्या उन्ही तक सीमित रही। वे शब्दयोजनाके पहिले स्मरण आदिको मतिज्ञान और शब्दयोजनाके बाद इन्हीको श्रुतज्ञान भी कहते हैं। पर उत्तरकालमें असकीर्ण प्रमाण विभागके लिए—'इन्द्रिय और मनोमति साव्यवहारिक प्रत्यक्ष, स्मृति आदि परोक्ष, श्रुत परोक्ष और अर्थात् मन पर्यय तथा केवलज्ञान ये तीन ज्ञान परमार्थप्रत्यक्ष' गद्दी व्यवस्था सर्वस्वीकृत हुई।

परमार्थप्रत्यक्ष आत्ममात्रसे उत्पन्न होता है। अर्थात् और मन पर्ययज्ञान सीमित विषयवाले है तथा केवलज्ञान सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट आदि समस्त पदार्थको जानता है। परमार्थप्रत्यक्षकी सिद्धिके लिए अकलंकदेवका निम्नलिखित युक्तिवाद अन्तिम है—

“ज्ञस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किमवशिष्यते।

अप्राप्यकारिणस्तस्मात् सर्वार्थानवलोकते ॥” —न्यायवि० श्लो० ४६५-६६।

अर्थात्—ज्ञस्वभाव आत्माके ज्ञानावरण कर्मके सर्वाथा नष्ट हो जानेपर कोई ज्ञेय क्षेप नहीं रह जाता जो उम ज्ञानका विषय न हो सके। चूँकि ज्ञान स्वभावतः अप्राप्यकारी है अतः उसे पदार्थके पास या पदार्थोंको ज्ञानके पास आनेकी भी आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसे निरावरण अप्राप्यकारी पूर्णज्ञानसे समस्त पदार्थोंका बोध होना ही चाहिए। सबसे बड़ी बाधा ज्ञानावरणकी थी, सो जब वह समूल नष्ट हो गया तो निरावरण ज्ञान स्वज्ञेयको जानेगा ही।

इस तरह इस प्रत्यक्ष प्रस्तावमें प्रत्यक्षका साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है।

भट्टाकलंकदेव

न्यायविनिश्चय मूलग्रन्थके प्रणेता जैनन्यायवाङ्मयके अमर प्रतिष्ठापक, उद्भटवादी, जैनशासनके चिरस्मरणीय प्रभावक, अनेकान्तवादके उपस्तोता आचार्यवर भट्टाकलंकदेव हैं। जिनके पुण्यगुणोंका स्मरण, जिनके त्यागको पूतगाथा आज भी जीवनमें प्रेरणा और स्फूर्ति देती है। जो न केवल जैन सम्प्रदायके ही अमररत्न थे, किन्तु भारतमाताका मुकुट जिन इनेगिने नररत्नोंसे आलोकित है उनमें अग्रणी थे। वे भारतीयके भालकी शोभा थे। शास्त्रार्थोंमें जिन्हें दैवीबल भी परास्त नहीं कर सकता था उन शब्द-अर्थके धनी, पर अकिञ्चन अकलंकब्रह्मके मुख्य ग्रन्थ न्यायविनिश्चयका तदनु रूप व्याख्याकार वादिराजसूरिके विवरणके साथ प्रथमवार प्रकाशन किया जाता है। ग्रन्थके प्रत्यक्ष प्रस्तावका संक्षिप्त विषयपरिचय पहिले लिखा जा चुका है। ग्रन्थकारोंके विषयमें, सासकर उनके समय आदिका, ज्ञात परिचय कराना अवसरप्राप्त है।

अकलंकदेवके समय आदिके विषयमें 'अकलंकग्रन्थत्रय और उसके कर्ता' लेखमें विस्तारसे प्रकाश डाला गया है। यह लेख इसी स्मृति ग्रंथके खण्ड ४ में प्रकाशित है उसमें ग्रन्थोंके आन्तर परोक्षणके

१२६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

आधारसे इनका समय सन् ७२० से ७८० तक निश्चित किया है। धर्मकीर्ति तथा उनके शिष्यपरिवारके सम्बन्धी अबधिसे जो बख्त निश्चित किए गए हैं, श्री राहुल साङ्कृत्यायनकी सूचनानुसार उनमें सशोधनकी गंवाहक है। निशीथचूर्णिमें दर्शनप्रभावक ग्रन्थोमें जो सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख पाया जाता है, वह सिद्धिविनिश्चय निश्चयतः अकलंककृत ही है और निशीथचूर्णिके कर्ता वे ही जिनदासयणि महत्तर हैं जिनने शकलं० ५९८ अर्थात् सन् ६७६ मे नन्दीचूर्णिकी रचना की थी। ऐसी वशामे सन् ६७६ के आसपास रची गई निशीथचूर्णिमें अकलंकके सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख एक ऐसा मूल प्रमाण बन सकता है जिसके आधारसे न केवल अकलंकका ही समय निश्चित किया जा सकता है, अपितु इस युगके अनेक बौद्धाचार्य और वैदिक आचार्योंके समयपर भी मौलिक प्रकाश डाला जा सकता है।

बाहिराजसूरिका समय सुनिश्चित है। उनने अपना पार्श्वनाथचरित्र शक १०१७ कार्तिक सुदी ३ को बनाया था। ये उस समय चौलुक्य-भक्तवर्ती जयसिंहदेवकी राजधानीमें निवास करते थे। उनके इस समयकी पुष्टि अन्य ऐतिहासिक प्रमाणोंसे भी होती है। अतः सन् १०२५ के आसपास ही इस ग्रन्थकी रचना हुई होगी। जैन समाजके सुप्रसिद्ध इतिवृत्तज्ञ पं० नाथूराम जी प्रेमीने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास' ग्रन्थमें बाहिराजसूरिपर साङ्गोपाङ्ग लिखा है जो दृष्टव्य है।

इस तरह ग्रन्थ और ग्रथकारके सम्बन्धमें कुछ खास ज्ञातव्य मुद्दोंका निर्देश किया गया है।



आचार्य प्रभाचन्द्र और उनका प्रमेयकमलमार्तण्ड

सूत्रकार माणिक्यनन्दि

जैनन्यायशास्त्रमें माणिक्यनन्दि आचार्यका परीक्षामुखसूत्र आद्य सूत्रग्रन्थ है। प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीर्याचार्य लिखते हैं कि—

“अकलङ्कवचोम्भोधेः उद्ग्रे येन धीमता ।
न्यायविद्यामुत् तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ॥”

अर्थात्—जिस धीमान्ने अकलङ्कके वचनसागरका मयन करके न्यायविद्यामुत् निकाला उस माणिक्यनन्दिको नमस्कार हो। इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि माणिक्यनन्दिने अकलङ्कन्यायका मन्थनकर अपना सूत्रग्रन्थ बनाया है। अकलङ्कदेवने जैनन्यायशास्त्रकी रूपरेखा बाँधकर तबनुसार दार्शनिकपदाद्योंका विवेचन किया है। उनके लघीयस्त्रय, न्यायबिनिश्चय, सिद्धिबिनिश्चय, प्रमाणसंग्रह आदि न्यायप्रकरणोंके आधारसे माणिक्यनन्दिने परीक्षामुखसूत्रकी रचना की है। बौद्धदर्शनमें हेतुमुख, न्यायमुख जैसे ग्रन्थ थे। माणिक्यनन्दि जैनन्यायके कोषागारमें अपना एकमात्र परीक्षामुखरूपी माणिक्यकी ही जमा करके अपना अमरस्थान बना गए हैं। इस सूत्रग्रन्थकी संक्षिप्त पर विद्यासारवाली निर्दोष शैली अपना अनोखा स्थान रखती है। इसमें सूत्रका यह लक्षण—

“अत्याक्षरमसन्दिग्धं सारवद्धिस्वतो मुखम् ।

अस्तोभमनबद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥”

सर्वाक्षर पाया जाता है। अकलङ्कके ग्रन्थोंके साथही साथ विन्नागके न्यायप्रवेश और धर्मकीतिके न्यायबिन्दुका भी परीक्षामुखपर प्रभाव है। उत्तरकालीन वादिवेवसूरिके प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार और हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमांसापर परीक्षामुख सूत्र अपना अमिट प्रभाव रखता है। वादिवेवसूरिने तो अपने सूत्र ग्रन्थके बहु भागमें परीक्षामुखको अपना आदर्श रखा है। उन्होंने प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारमें नय, सप्तभंगी और वादका विवेचन बढ़ाकर उसके आठ परिच्छेद बनाए हैं जबकि परीक्षामुखमें मात्र प्रमाणके परिकर ही वर्णन होनेसे ६ परिच्छेद ही हैं। परीक्षामुखमें प्रज्ञाकरगुणके भाविकारणवाद और अतीतकारणवादकी समालोचना की गई है। प्रज्ञाकर गुणके वातिकालङ्कारका भिक्षुवर राहुलसाङ्ख्यायनके अट्ट साहस परिश्रमके फलस्वरूप उद्धार हुआ है। उनकी प्रेसकापीमें भाविकारणवाद और भूतकारणवादका निम्नलिखित शब्दोंमें समर्थन किया गया है—

“भाविद्यमानस्य करणमिति कोऽयं ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदानन्तर्यमुभयापेक्षया समानम्—यथैव भूतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि। नचानन्तर्यमेव तत्त्वे निबन्धनम्, व्यवहितस्य कारणत्वात्—

गाढमुत्तस्य विज्ञानं प्रबोधे पूर्ववैदनात् ।

जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम् ॥

तस्मादन्वयव्यतिरेकानुविधाभिस्त्वं निबन्धनम् ।

कार्यकारणभावस्य तद् भाविन्यपि विद्यते ॥

भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव । मत्पुप्रमुक्तमरिष्टमिति लोके व्यवहारः, यदि मृत्युर्न भविष्यन् भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति ।” —प्रमाणवातिकालङ्कार, पृ० १७६ । परीक्षामुखके निम्नलिखित सूत्रमें प्रज्ञाकरगुणके इन दोनो सिद्धान्तोंका खंडन किया गया है—

“भाष्यदीप्तयो मरणजाप्रद्वोचयोरपि नारिष्टोद्बोधी प्रति हेतुत्वम् । तद्व्यापाराभित हि तद्भाव-
भावित्वम् ।”—परीक्षामु० ३।६२, ६३ ।

छठे अध्यायके ५७वें सूत्रमे प्रभाकरकी प्रमाणसंख्याका खंडन किया है । प्रभाकर गुहका समय ईसा-
की ८ वी सदीका प्रारम्भिक भाग है ।

माणिक्यनन्दिका समय—प्रमेयरत्नमालाकारके उल्लेखानुसार माणिक्यनन्दि आचार्य अकलंकदेवके
अनन्तरवर्ती है । गीने अकलङ्कग्रन्थचय और उसके कर्ता लेखमें अकलंकदेवका समय ई० ७२० से ७८० तक सिद्ध
किया है । अकलङ्कदेवके लघीयस्त्रय और न्यायविनिश्चय आदि तर्कग्रन्थोका परीक्षामुखपर पर्याप्त प्रभाव
है, अत माणिक्यनन्दिके समयकी पूर्वावधि ई० ८०० निर्वाध मानी जा सकनो हे । प्रज्ञाकरगुप्त (ई० ७२५
तक) प्रभाकर (८वी सदीका पूर्वभाग) आदिके मतोंका खंडन परीक्षामुखमे हे, इससे भी माणिक्यनन्दिकी
उक्त पूर्वावधिका समर्थन होता है । आ० प्रभाचन्द्रने परीक्षामुखपर प्रमेयकमलमार्तण्डनामक व्याख्या लिखी
है । प्रभाचन्द्रका समय ई० की ११ वी शताब्दी है । अत इनकी उत्तरावधि ईसाकी १०वी शताब्दी सम-
झना चाहिए । इस लम्बी अवधिको संकुचिन करनेका कोई निश्चित प्रमाण अभी दृष्टिमे नहीं आया ।
अधिक संभव यही है कि ये विद्यानन्दके समकालीन हो और इसलिए इनका समय ई० ९वी शताब्दी
होना चाहिए ।

आ० प्रभाचन्द्र

आ० प्रभाचन्द्रके समयविषयक इस भिन्नत्वको वर्गीकरणके ध्यानसे तीन स्थूल भागोमे बाँट दिया
है—१ प्रभाचन्द्रकी इतर आचार्योसे तुलना, २ समय विचार, ३ प्रभाचन्द्रके ग्रन्थ ।

प्रभाचन्द्रकी इतर आचार्योसे तुलना

इस तुलनात्मक भागको प्रत्येक परम्पराके अपने क्रमविकासको लक्ष्यमे रखकर निम्नलिखित उपभागोमे
क्रमशः विभाजित कर दिया है । १ वैदिक दर्शन—वेद, उपनिषद्, स्मृति, पुराण, महाभारत, वैयाकरण,
सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा । २ अवैदिक दर्शन—बौद्ध, जैन-दिगम्बर, श्वेताम्बर ।

वैदिकदर्शन

वेद और प्रभाचन्द्र—आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्डमे पुरातनवेद ऋग्वेदसे “पुरुष एवेदं
यद्भूतं” “हिरण्यगर्भं समवर्तताम्रे” आदि अनेक वाक्य उद्धृत किये हैं । कुछ अन्य वेदवाक्य भी न्याय-
कुमुदचन्द्र (पृ० ७२६) मे उद्धृत है—“प्रजापतिः सोमं राजानमन्वसृजत्, ततस्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त”
“रुद्र वेदकर्तारम्” आदि । न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ७७०) में “आदौ ब्रह्मा मुखनो ब्राह्मण ससर्ज, बाहुभ्या
क्षत्रियमुकुम्भा वैश्वं पद्भ्या शूद्रम्” यह वाक्य उद्धृत है । यह ऋग्वेदके “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्” आदि
सूक्तकी छाया रूप ही है ।

उपनिषत् और प्रभाचन्द्र—आ० प्रभाचन्द्रने अपने दोनो न्यायग्रन्थोमे ब्रह्माद्वैतवाद तथा अन्य
प्रकरणोमें अनेको उपनिषदोके वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धृत किये हैं । इनमें बृहदारण्यकोपनिषद्, छान्दोग्योपनिषद्,
कठोपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद्, तैत्तिर्यूपनिषद्, ब्रह्मविन्दूपनिषद्, रामतापिन्युपनिषद्, जाबालोपनिषद्
आदि उपनिषत् मुख्य हैं । इनके अवतरण अवतरणसूचीमें देkhना चाहिये ।

स्मृतिकार और प्रभाचन्द्र—सहिषि मनुकी मनुस्मृति और जायवल्क्यकी याज्ञवल्क्यस्मृति प्रसिद्ध है ।
आ० प्रभाचन्द्रने कारकसाकल्यवादके पूर्वपक्ष (प्रमेयक० पृ० ८) मे याज्ञवल्क्यस्मृति (२।२२) का

“लिखित साक्षिणो भुक्तिः” वाक्य कुछ शान्दिक परिवर्तनके साथ उद्धृत किया है। न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ५७५) में मनुस्मृतिका “अकुर्वन् विहितं कर्म” श्लोक उद्धृत है। न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ६३४) में मनुस्मृतिके “यजार्थं पशवः सृष्टाः” श्लोकका “न हिंस्यात् सर्वा भूतानि” इस कूर्मपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया है।

पुराण और प्रभाचन्द्र—प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रमें मत्स्यपुराणका “प्रतिमन्वतरश्चैव श्रुतिरन्या विधीयते।” यह श्लोकांश उद्धृत मिला है। न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ६३४) में कूर्मपुराण (अ० १६) का “न हिंस्यात् सर्वा भूतानि” वाक्य प्रभाकरूपसे उद्धृत किया गया है।

व्यास और प्रभाचन्द्र—महाभारत तथा गीताके प्रणेता महर्षि व्यास माने जाते हैं। प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० ५८०) में महाभारत बनपर्व (अ० ३०।२८) से “अत्रो जन्तुरनीधोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः” श्लोक उद्धृत किया है। प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० ३६८ तथा ३०९) में भगवद्गीताके निम्नलिखित श्लोक ‘व्यासवचन’ के नामसे उद्धृत हैं—“यदेवास्मि समिद्धोऽस्मि” [गीता ४।३७] “द्विषिमी पुरुषी लोके, उत्तमपुरुषस्त्वन्य” (गीता १५।१६, १७) इसी तरह न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ३५८) में गीता (२।१९) का “नाभावो विद्यते सत” अथ प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है।

पातञ्जलि और प्रभाचन्द्र—पाणिनिसूत्रके अमर महाभाष्य लिखनेवाले ऋषि पातञ्जलिका का अर्थ इतिहासकारोंने ईसवी सन्से पहिले माना है। आ० प्रभाचन्द्रने जैनेन्द्रव्याकरणके साथ ही पाणिनिव्याकरण और उसके महाभाष्यका गम्भीर परिशीलन और अध्ययन किया था। वे अन्वयभेदभङ्गकारके प्रारम्भमें स्वयं ही लिखते हैं कि—

‘शब्दानामनुसासनाच्चि विशिष्टान्वाध्यायताऽह्निसम्’

आ० प्रभाचन्द्रका पातञ्जलमहाभाष्यका तलस्पर्शी अध्ययन उनके शब्दान्मोजभास्करने वद पदपर अनुभूत होता है। न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० २७५) में वैयाकरणोंके मतसे गुण शब्दका अर्थ बताते हुये पातञ्जलमहाभाष्य (५।१।११९) से “यस्य हि गुणस्य भावात् शब्दे द्रव्यविनिवेश” इत्यादि वाक्य उद्धृत किया गया है। शब्दोंके साधुत्वासाधुत्व-विचारमें व्याकरणकी उपयोगिताका समर्थन भी महाभाष्यकी ही शैलीमें किया है।

भर्तृहर और प्रभाचन्द्र—ईसाकी ७वीं शताब्दीमें भर्तृहर नामके प्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैं। इनका वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्ध है। ये शब्दाद्वैतदर्शनके प्रतिष्ठाता माने जाते हैं। आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें शब्दाद्वैतवादके पूर्वपक्षकी वाक्यपदीयकी अनेक कारिकाओंको उद्धृत करके ही परिपुष्ट किया है। शब्दोंके साधुत्व-असाधुत्व विचारमें पूर्वपक्षका सुलासा करनेके लिए वाक्यपदीयकी सखीका पर्याप्त सहारा लिया है। वाक्यपदीयके द्वितीयकाण्डमें आए हुए “आख्यातशब्दः” आदि दशविध या अष्टविध वाक्यलक्षणोंका सविस्तार खण्डन किया है। इसी तरह प्रभाचन्द्रकी कृति जैनेन्द्रन्यासके अनेक प्रकरणोंमें वाक्यपदीयके अनेक श्लोक उद्धृत मिलते हैं। शब्दाद्वैतवादके पूर्वपक्षमें कैशरी आदि चतुर्विधवाणीके स्वरूपका निरूपण करते समय प्रभाचन्द्रने जो “स्थानेषु चिकृते वाची” आदि तीन श्लोक उद्धृत किये हैं वे मुद्रित वाक्यपदीयमें नहीं हैं। टीकामें उद्धृत है।

व्यासभाष्यकार और प्रभाचन्द्र—योगसूत्रपर व्यासश्रुतिका व्यासभङ्ग प्रसिद्ध है। इन्का नाम ईसाकी पञ्चम शताब्दी तक समझा जाता है। आ० प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० १०९) में योगसूत्रके आधारसे ईश्वरवादका पूर्वपक्ष करते समय योगसूत्रोंके अनेक उद्धरण किए हैं। इनके विवेचनमें व्यास

भाष्यकी पर्याप्त सहायता ली गई है। अग्निमादि अष्टविध ऐश्वर्यका वर्णन योगभाष्यसे मिलता जुलता है। न्यायकुमुदचन्द्रमें योगभाष्यसे "चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम्" "चिच्छक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसङ्क्रामा" आदि वाक्य उद्धृत किये गये हैं।

ईश्वरकृष्ण और प्रभाचन्द्र—ईश्वरकृष्णकी सांख्यसप्तति या सांख्यकारिका प्रसिद्ध है। इनका समय ईसाकी दूसरी शताब्दी समझा जाता है। सांख्यदर्शनके मूलसिद्धांतोंका सांख्यकारिकामें सक्षिप्त और स्पष्ट विवेचन है। आ० प्रभाचन्द्रने सांख्यदर्शनके पूर्वपक्षमें सर्वत्र सांख्यकारिकाओंका ही विशेष उपयोग किया है। न्यायकुमुदचन्द्रमें सांख्योके कुछ वाक्य ऐसे भी उद्धृत हैं जो उपलब्ध सांख्यग्रन्थोंमें नहीं पाये जाते। यथा— "बुद्धव्यवसितमर्षं पुरुषश्चेतयते" "आसर्ग-प्रलयादेका बुद्धिः" "प्रतिनियतदेशा वृत्तिरभिव्यज्यते" "प्रकृति-परिणाम. शुक्लं कृष्णञ्च कर्म" आदि। इससे ज्ञात होता है कि ईश्वरकृष्णकी कारिकाओंके सिवाय कोई अन्य प्राचीन सांख्य ग्रन्थ प्रभाचन्द्रके सामने था जिससे ये वाक्य उद्धृत किये गए हैं।

माठराचार्य और प्रभाचन्द्र—सांख्यकारिकाकी पुरातन टीका माठरावृत्ति है। इनके रचयिता माठराचार्य ईसाकी चौथी शताब्दीके विद्वान् समझे जाते हैं। प्रभाचन्द्रने सांख्यदर्शनके पूर्वपक्षमें सांख्यकारिकाओंके साथ ही साथ माठरावृत्तिको भी उद्धृत किया है। जहाँ कहीं सांख्यकारिकाओंकी व्याख्याका प्रसंग आया है, माठरावृत्तिके ही आधारसे व्याख्या की गई है।

प्रशस्तपाद और प्रभाचन्द्र—कणादसूत्रपर प्रशस्तपाद आचार्यका प्रशस्तपादभाष्य उपलब्ध है। इनका समय ईसाकी पाँचवीं शताब्दी माना जाता है। आ० प्रभाचन्द्रने प्रशस्तपादभाष्यकी "एवं घर्मविना घर्मिणामेव निर्देशः कृतः" इस पंक्तिको प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० ५३१) में 'प्रदायप्रवेशकग्रन्थ' के नामसे उद्धृत किया है। न्यायकुमुदचन्द्र तथा प्रमेयकमलमार्तण्ड दोनोंकी षट्पदार्थपरीक्षाका यावत् पूर्वपक्ष प्रशस्तपादभाष्य और उसकी पुरातनटीका व्योमवतीसे ही स्पष्ट किया गया है। प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० २७०) के ईश्वरवादके पूर्वपक्षमें 'प्रशस्तमतिना च' लिखकर "सर्गादी पुरुषाणा व्यवहारो" इत्यादि अनुमान उद्धृत है। यह अनुमान प्रशस्तपादभाष्यमें नहीं है। तत्त्वसंग्रहकी पंजिका (पृ० ४३) में भी यह अनुमान प्रशस्तमतिके नामसे उद्धृत है। ये प्रशस्तमति, प्रशस्तपादभाष्यकारसे भिन्न मालूम होते हैं, पर इनका कोई ग्रन्थ अद्यावधि उपलब्ध नहीं है।

व्योमशिव और प्रभाचन्द्र—प्रशस्तपादभाष्यके पुरातन टीकाकार आ० व्योमशिवकी व्योमवती टीका उपलब्ध है। आ० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों ग्रन्थोंमें, न केवल वैशेषिकमतके पूर्वपक्षमें ही व्योमवतीको अपनाया है किन्तु अनेक मतोंके लङ्घनमें भी इसका पर्याप्त अनुसरण किया है। यह टीका उनके विशिष्ट अध्ययनकी वस्तु थी। इस टीकाके तुलनात्मक अंशोंको न्यायकुमुदचन्द्रकी टिप्पणीमें देखना चाहिए। आ० व्योमशिवके समयके विषयमें विद्वानोंका मतभेद चला आ रहा है। डॉ० कीप इन्हें नवमशताब्दीका कहते हैं तो डॉ० दासगुप्ता इन्हें छठवीं शताब्दीका। मैं इनके समयका कुछ विस्तारसे विचार करता हूँ—

राजशेखरने प्रशस्तपादभाष्यकी 'कन्दली' टीकाकी 'पंजिका' में प्रशस्तपादभाष्यकी चार टीकाओंका इस क्रमसे निर्देश किया है—सर्वप्रथम 'व्योमवती' (व्योमशिवाचार्य), तत्पश्चात् 'न्यायकन्दली' (श्रीधर), तदनन्तर 'किरणवली' (उदयन) और उसके बाद 'लीलावती' (श्रीवत्साचार्य)। ऐतिहासपर्यालोचनसे भी राजशेखरका यह निर्देशक्रम संगत जान पड़ता है। यहाँ हम व्योमवतीके रचयिता व्योमशिवाचार्यके विषयमें कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं।

व्योमशिवाचार्य शैव थे। अपनी गुरु-परम्परा तथा व्यक्तित्वके विषयमें स्वयं उन्होंने कुछ भी नहीं

लिखा। पर रणिपद्रपुर रानोद, वर्तमान नारोद ग्रामकी एक बापी प्रशस्ति^१ से इनकी गुल्परम्भरा तथा व्यक्तित्व-विषयक बहुत-सी बातें मालूम होती हैं, जिनका कुछ सार इस प्रकार है—

“कदम्बगुहाधिवासी भूनीन्द्रके संक्षमठिकाधिपति नामक शिष्य थे, उनके तेरम्बिपाल, तेरम्बिपालके आमर्दकतीर्थनाथ और आमर्दकतीर्थनाथके पुरन्दरगुरु नामके अनिश्चय प्रतिभाशाली तार्किक शिष्य हुए। पुरन्दरगुरुने कोई ग्रन्थ अवश्य लिखा है; क्योंकि उसी प्रशस्ति-शिलालेखमें अत्यन्त स्पष्टतासे यह उल्लेख है कि—‘इनके षचनोक। षण्डन आज भी बड़े-बड़े नैयायिक नहीं कर सकते।’^२ स्याद्वाचरत्नाकर आदि ग्रंथोंमें पुरन्दरके नामसे कुछ वाक्य उद्धृत मिलते हैं, सम्भव है वे पुरन्दर थे ही हों। इन पुरन्दरगुरुको अवन्ति-वर्मा उपेन्द्रपुरसे अपने देशको ले गया। अवन्तिवर्माने इन्हें अपना राज्यभार सौंपकर शैबदीक्षा धारण की और इस तरह अपना जन्म सफल किया। पुरन्दरगुरुने मत्तमयूरमें एक बड़ा मठ स्थापित किया। दूधरा मठ रणिपद्रपुरमें भी इन्होंने स्थापित किया था। पुरन्दरगुरुका कवचशिव और कवचशिवका सदाशिव नामक शिष्य हुआ, जो कि रणिपद्रपुरके तापसाधनमें तप-साधन करता था। सदाशिवका शिष्य हृदयेश और हृदय-येशका शिष्य श्योमशिव हुआ, जो कि अच्छा प्रभावशाली, उत्कट प्रतिभासम्पन्न और समर्थ विद्वान् था।^३ श्योमशिवाचार्यके प्रभावशाली होनेका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इनके नामसे ही श्योममन्त्र प्रचलित हुए थे।^३ ये सदनुष्ठानपरायण, मृदु-मितभाषी, विनय-नय-सयमके अद्भुत स्थान तथा अप्रतिम प्रतापशाली थे। इन्होंने रणिपद्रपुरका तथा रणिपद्रमठका उद्धार एवं सुचारु किया था और वही एक शिवमन्दिर तथा बापीका भी निर्माण कराया था। इसी बापीपर उक्त प्रशस्ति खुदी है।

इनकी विद्वत्ताके विषयमें शिलालेखके ये श्लोक पर्याप्त हैं—

“सिद्धान्तेषु महेश एष नियतो न्यायेऽसपादो मुनिः।
गम्भीरे च कणाशिनस्तु कणभुक्शास्त्रे श्रुतो जैमिनिः ॥
साख्येऽनल्पमतिः स्वयं स कपिलो लोकायते सद्गुरुः।
बुद्धो बुद्धमते जिनोक्तिषु जिनः को वाय नार्यं कृती ॥
यद्भूत यदनागतं यदधुना किञ्चित्स्वचिद्धर्मं (तं) ते।
सम्यग्दर्शनसम्पदा तदखिलं पश्यन् प्रमेयं महत् ॥
सर्वज्ञः स्फुटमेध कोपि भगवानन्यः क्षितो स (ध) करः।
धत्ते किन्तु न शान्तधीविषमदुद्रौघं वपुः केवलम् ॥”

इन श्लोकोंमें बतलाया है कि ‘श्योमशिवाचार्य’ शैवसिद्धान्तमें स्वयं शिव, न्यायमें असपाद, वैशेषिक शास्त्रमें कणाद, भीमासामं जैमिनि, साख्यमें कपिल, कार्वाकशास्त्रमें बृहस्पति, बुद्धमतमें बुद्ध तथा जिनमतमें स्वयं जिनदेवके समान थे। अधिक क्या; अतीतानागतवर्तमानवर्ती यावत् प्रमेयोंको अपनी सम्यग्दर्शनसम्पत्तिसे स्पष्ट देखने जाननेवाले सर्वज्ञ थे। और ऐसा मालूम होता था कि मात्र विषमनेत्र (तृतीय-नेत्र) तथा रौद्रशरीरको धारण किए बिना वे पृथ्वीपर दूंसरे शकर भगवान् ही अक्षरते थे। इनके गगनेश, श्योमशम्भु, श्योमेश, गगनशशिनीकि आदि भी नाम थे।

शिलालेखके आचारसे सम्य—श्योमशिवके पूर्ववर्ती चतुर्थगुरु पुरन्दरको अवन्तिवर्मा राजा अपने

१. प्राचीन लेखमाला, द्वि० भाग, शिलालेख न० १०८।

२. “यस्याधुनापि विबुधैरतिक्लेशयसि व्याहृत्यते न वचनं नयमार्गविदिभः ॥”

३. “अस्य श्योमपदादिमन्त्ररचनाख्या ताभिधानस्य च।”—बापीप्रशस्तिः।

नगरमें ले गया था। अवन्तिवर्माके चाँदीके सिक्कोंपर "विजितावनिरवनिपति श्री अवन्तिवर्मा दिवं जयति" लिखा रहता है तथा संवत् २५० पढ़ा गया है।^१ यह संवत् सम्रवत गुप्त-संवत् है। डॉ० फ्लीट्के मतानुसार गुप्त संवत् ई० सन् ३२० की २६ फरवरीको प्रारम्भ होता है।^२ अतः ५७० ई० में अवन्तिवर्माका अपनी मूर्दाकी प्रचलित करना इतिहाससिद्ध है। इस समय अवन्तिवर्मा राज्य कर रहे होंगे। तथा ५७० ई० के आसपास ही वे पुरन्दरगुल्फको अपने राज्यमें लाए होंगे। ये अवन्तिवर्मा मोखरीवशोय राजा थे। शीव होनेके कारण शिवोपासक पुरन्दरगुल्फको अपने यहाँ लाना भी इनका ठीक ही था। इनके समयके सम्बन्धमें दूसरा प्रमाण यह है कि—वैसवशीय राजा हर्षवर्द्धनकी छोटी बहिन राज्यश्री, अवन्तिवर्माके पुत्र ग्रहवर्माको विवाही गई थी। हर्षका जन्म ई० ५९० में हुआ था। राज्यश्री उससे १ या २ वर्ष छोटी थी। ग्रहवर्मा हर्षसे ५-६ वर्ष बड़ा जरूर होगा। अतः उसका जन्म ५८४ ई० के करीब मानना चाहिए। इसका राज्य-काल ई० ६०० से ६०६ तक रहा है। अवन्तिवर्माका यह इकलौता लड़का था। अतः मालूम होता है कि ई० ५८४ में अर्थात् अवन्तिवर्माकी ठलती अवस्थामें यह पैदा हुआ होगा। अस्तु, यहाँ तो इतना ही प्रयोजन है कि ५७० ई० के आसपास ही अवन्तिवर्मा पुरन्दरको अपने यहाँ ले गए थे।

यद्यपि सन्यासियोंमें शिष्य-परम्पराके लिए प्रत्येक पीढ़ीका समय २५ वर्ष मानना आवश्यक नहीं है; क्योंकि कभी-कभी २० वर्षमें ही शिष्य-प्रशिक्षणकी परम्परा चल जाती है। फिर भी यदि प्रत्येक पीढ़ीका समय २५ वर्ष ही मान लिया जाय तो पुरन्दरसे तीन पीढ़ीके बाद हुए व्योमशिवका समय सन् ६७० के आसपास सिद्ध होता है।

दार्शनिक ग्रन्थोंके आधारसे समय—व्योमशिव स्वयं ही अपनी व्योमवती टीका (पृ० ३९२) में श्रीहर्षका एक महत्त्वपूर्ण ढंगसे उल्लेख करते हैं। यथा—

"अन एव मदीय शरीरमित्यादिप्रत्ययव्यात्मानुरागसद्भावेऽपि आत्मनोऽवच्छेदकत्वम् श्रीहर्षं देवकुलमिति ज्ञाने श्रीहर्षस्यैव उभयत्रापि बाधकसद्भावात्, यत्र ह्यनुरागसद्भावेऽपि विशेषणत्व बाधकमजित् तत्रावच्छेदकत्वमेव कल्पते इति। अस्ति च श्रीहर्षस्य विद्यमानत्वम्। आत्मनि कर्तृत्वकरणत्वयोरसम्भव इति बाधकम्।"

यद्यपि इस सन्दर्भका पाठ कुछ छूटा हुआ मालूम होता है फिर भी 'अस्ति च श्रीहर्षस्य विद्यमानत्वम्' यह वाक्य खाम तौरसे ध्यान देने योग्य है। इससे साफ मालूम होता है कि श्रीहर्ष (606-647 A. D. राज्य) व्योमशिवके समयमें विद्यमान थे। यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है कि व्योमशिव श्रीहर्षके बहुत बाद होकर भी ऐसा उल्लेख कर सकते हैं, परन्तु जब शिलालेखसे उनका समय ई० सन् ६७० के आसपास है तथा श्रीहर्षकी विद्यमानताका वे इस तरह बोर देकर उल्लेख करते हैं तब उक्त कल्पनाकी स्थान ही नहीं मिलता।

व्योमवतीका अन्तःपरीक्षण—व्योमवती (पृ० ३०६, ३०७, ६८०) में धर्मकीतिके प्रमाणवाचिक (२-११, १२ तथा १-६८, ७२) के कारिकाएँ उद्धृत की गई हैं। इसी तरह व्योमवती (पृ० ६१७) में धर्मकीतिके हेतुबिन्दु प्रथमपरिच्छेदके "द्विण्डिकराग परिपश्य अज्ञानो निर्मोन्ध" इस वाक्यका प्रयोग पाया जाया है। इसके अतिरिक्त प्रमाणवाचिककी ओर भी बहुत-सी कारिकाएँ उद्धृत देखी जाती हैं।

१. देखो, भारतके प्राचीन राजवंश, द्वि० भाग, पृ० ३७५।

२. देखो, भारतके प्राचीन राजवंश, द्वितीय भाग, पृ० २२९।

व्योमवती (पृ० ५९१, ५९२) में कुमारिके शीलाशास्त्रोक्तवातिककी अनेक कारिकाएँ उद्धृत हैं। व्योमवती (पृ० १२९) में उद्योतकरका नाम लिया है, मर्तुहरिके शब्दाईतदर्शनका (पृ० २० ब) सम्बन्ध किया है और प्रभाकरके स्मृतिप्रमोषवादका भौ (पृ० ५४०) खंडन किया गया है।

इनमें मर्तुहरि, घर्षकीर्ति, कुमारिक तथा प्रभाकर ये सब प्रायः समसामयिक और ईसाकी सातवीं शताब्दीके विद्वान् हैं। उद्योतकर छठी शताब्दीके विद्वान् हैं। अतः व्योमशिवके द्वारा इन समसामयिक एवं किञ्चित्पूर्ववर्ती विद्वानोंका उल्लेख तथा समालोचनका होना सगत ही है। व्योमवती (पृ० १५) में बाणकी कादम्बरीका उल्लेख है। बाण हर्षकी सभाके विद्वान् थे, अतः इसका उल्लेख भी होना ठीक ही है।

व्योमवती टीकाका उल्लेख करनेवाले परवर्ती ग्रन्थकारोंमें शान्तरक्षित, विद्यानन्द, जयन्त, वाचस्पति, सिद्धाधि, श्रीधर, उदयन, प्रभाचन्द्र, वाचिराज, वाचिदेवसूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरत्न, विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं।

शान्तरक्षितने वैशेषिक-सम्मत षट्पदाथोंकी परीक्षा की है। उसमें वे प्रशस्तपादके साथ ही साध शंकरस्वामी नामक नैयायिकका मत भी पूर्वपक्षरूपसे उपस्थित करते हैं। परन्तु जब हम व्यानसे देखते हैं तो उनके पूर्वपक्षमें प्रशस्तपादव्योमवतीके शब्द स्पष्टतया अपनी छाप मारते हुए नजर आते हैं। (तुलना-तत्त्वसंग्रह, पृ० २०६ तथा व्योमवती, पृ० ३४३।) तत्त्वसंग्रहकी पंजिका (पृ० २०६) में व्योमवती (पृ० १२९) के स्वकारणसमवाय तथा सत्तासमवायरूप उत्पत्तिके लक्षणका उल्लेख है। शान्तरक्षित तथा उनके शिष्य कमलशीलका समय ई० की आठवीं शताब्दिका पूर्वार्द्ध है। (देखो, तत्त्वसंग्रहकी भूमिका, पृ० xcvi)

विद्यानन्द आचार्यने अपनी आप्तपरीक्षा (पृ० २६) में व्योमवती टीका (पृ० १०७) से समवायके लक्षणकी समस्त पदकृत्य उद्धृत की है। 'द्रव्यत्वोपलक्षित समवाय द्रव्यका लक्षण है' व्योमवती (पृ० १४९) के इस मन्तव्यकी समालोचना भी आप्तपरीक्षा (पृ० ६) में की गई है। विद्यानन्द ईसाकी नवम-शताब्दीके पूर्वार्द्धवर्ती हैं।

जयन्तकी न्यायमञ्जरी (पृ० २३) में व्योमवती (पृ० ६२१) के अनर्घजत्वात् स्मृतिको अप्रमाद्य माननेके सिद्धान्तका समर्थन किया है, साथ ही पृ० ६५ पर व्योमवती (पृ० ५५६) के फलविशेषणपक्षको स्वीकार कर कारकसामग्रीको प्रमाणमाननेके सिद्धान्तका अनुसरण किया है। जयन्तका समय हम आगे ईसाकी ९वीं शताब्दीका पूर्वभाग सिद्ध करेंगे।

वाचस्पति मिश्र अपनी तात्पर्यटीकामें (पृ० १०८) प्रत्यक्षलक्षणसूत्रमें 'यत्.' पदका अप्याहार करते हैं तथा (पृ० १०२) लिंगपरामर्श ज्ञानको उपादानबुद्धि कहते हैं। व्योमवतीटीकामें (पृ० ५५६) 'यत्:' पदका प्रयोग प्रत्यक्षलक्षणमें किया है तथा (पृ० ५६१) लिंगपरामर्शज्ञानको उपादानबुद्धि भी कहा है। वाचस्पति मिश्रका समय ८४१ A.D. है।

प्रभाचन्द्र आचार्यने मोक्षनिरूपण (प्रमेयकमलमार्तण्ड, पृ० ३०७) आत्मस्वरूपनिरूपण (न्याय-कुमुदचन्द्र, पृ० ३४९, प्रमेयकमलमण्ड, पृ० ११०) समवायलक्षण (न्यायकुमुद, पृ० २९५, प्रमेयकमलमण्ड, पृ० ६०४) आदिमें व्योमवती (पृ० २०, ३९३, १०७) का पर्याप्त सहारा लिया है। स्वसंबेदनसिद्धिमें व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवाचका खण्डन भी किया है।

श्रीधर तथा उदयनआचार्यने अपनी कण्वली (पृ० ४) तथा किरणावलीमें व्योमवती (पृ० २० क)

१३४ : डॉ० महेश्वरकुमार और न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

के "नवानामात्मविशेषगुणानां सन्तानोऽप्यन्तमुच्छ्रद्यते सन्तानत्वात्" "यथा प्रदीपसन्तान ।" इस अनुमान-को 'ताकिकाः' तथा 'आचार्याः' शब्दके साथ उद्धृत किया है। कन्दली (पृ० २०) में व्योमवती (पृ० १४९) के 'द्रव्यत्वोपलक्षितः समवायः द्रव्यत्वेन योग' इस मतकी आलोचना की गई है। इसी तरह कन्दली (पृ० १८) में व्योमवती (पृ० १२९) के 'अनित्यत्व तु प्रागभावाप्रवृत्त्याभावोपलक्षिता वस्तुसत्ता' इस अनित्यत्वके लक्षणका खण्डन किया है। कन्दली (पृ० २००) में व्योमवती (पृ० ५९३) के 'अनुमान-लक्षणमे विद्याके सामान्यलक्षणकी अनुवृत्ति करके सहायादिका व्यवच्छेद करना' तथा स्मरणके व्यवच्छेदके लिये 'द्रव्यादिव्युत्पद्यते' इस पदका अनुवर्त्तन करना' इन दो मतोंका समालोचन किया है। कन्दलीकार श्रीधरका समय कन्दलीके अन्तमें दिए गए "व्यधिकदशोत्तरनवशतशकान्दे" पदके अनुसार ९१३ शक अर्थात् ९९१ ई० है। और उदयनाचार्यका समय ९८४ ई० है।

बादिराज अपने न्यायविनिश्चय-विवरण (लिखित पृ० १११ B. तथा १११ A) में व्योमवतीसे पूर्वपक्ष करते हैं। बादिदेवसूरि अपने स्याद्वाचरत्नाकर (पृ० ३१८ तथा ४१८) में पूर्वपक्षरूपसे व्योमवतीका उद्धरण देते हैं।

सिद्धिभि न्यायावतारवृत्ति (पृ० ९) में, हेमचन्द्र प्रमाणमीमासा (पृ० ७) में तथा गुणरत्न अपनी षड्दर्शनसमुच्चयकी वृत्ति (पृ० ११४ A) में व्योमवतीके प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम रूप प्रमाणत्रित्वकी-बैधेयिकपरम्पराका पूर्वपक्ष करते हैं। इस तरह व्योमवतीकी सक्षिप्त तुलनासे ज्ञात हो सकता है कि व्योमवतीका जैनग्रन्थोंसे विशिष्ट सम्बन्ध है।

इस प्रकार हम व्योमशिवका समय शिलालेख तथा उनके ग्रन्थके उल्लेखोंके आधारसे ईस्वी सातवीं शताब्दीका उत्तर भाग अनुमान करते हैं। यदि ये आठवीं या नवमीं शताब्दीके विद्वान् होते तो अपने सम-सामयिक शांकराचार्य और शान्तरक्षित जैसे विद्वानोंका उल्लेख अवश्य करते। हम देखते हैं कि—व्योमशिव शांकरवेदान्तका उल्लेख भी नहीं करते तथा विपर्यय ज्ञानके विषयमें अलौकिकार्थस्याति, स्मृतिप्रमोष आदिका खण्डन करतेपर भी शांकरके अनिर्वचनीयार्थस्यातिवादका नाम भी नहीं लेते। व्योमशिव जैसे बहुश्रुत एवं सैकड़ों मतमतान्तरोंका उल्लेख करनेवाले आचार्यके द्वारा किसी भी अष्टमशताब्दी या नवम शताब्दीवर्षों आचार्यके मतका उल्लेख न किया जाना ही उनके सप्तमशताब्दीवर्षों होनेका प्रमाण है।

अतः डॉ० कीचका इन्हें नवमीं शताब्दीका विद्वान् लिखना तथा डॉ० एस० एन० दासगुप्ताका इन्हें छठीं शताब्दीका विद्वान् बतलाना ठीक नहीं अँचता।

श्रीधर और प्रभाचन्द्र—प्रास्तपाद भाष्यकी टीकाओंमें न्यायकन्दली टीकाका भी अपना अच्छा स्थान है। इसकी रचना श्रीधरने शक ९१३ (ई० ९९१) में की थी। श्रीधराचार्य अपने पूर्व टीकाकार व्योमशिवका शब्दानुसरण करते हुए भी उनसे मतभेद प्रदर्शित करनेमें नहीं चूकते। व्योमशिव बुद्ध्यादि विशेष गुणोंकी सन्ततिके अत्यन्तोच्छेदको मोक्ष कहते हैं और उसकी सिद्धिके लिए 'सन्तानत्वात्' हेतुका प्रयोग करते हैं (प्रश० व्यो०, पृ० २० क)। श्रीधर आत्यन्तिक अहितनिवृत्तिको मोक्ष मानकर भी उसकी सिद्धिके लिए प्रयुक्त हीमेवाले 'सन्तानत्वात्' हेतुको पाण्डित्यपरमाणुकी रूपाविसन्तानसे व्यभिचारी बताते हैं (कन्दली, पृ० ४)। आ० प्रभाचन्द्रने भी वैधेयिकोंकी मुक्तिका खण्डन करते समय न्यायकुमुद० (पृ० ८२६) और प्रमेयकमल० (पृ० ३१८) में 'सन्तानत्वात्' हेतुको पाण्डित्यपरमाणुओंकी रूपाविसन्तानसे व्यभिचारी बताया है। इसी तरह और भी एकाधिकत्वलोमें हम कन्दलीको आभा प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोंपर देखते हैं।

वात्सायन और प्रभाचन्द्र—न्यायसूत्रके ऊपर वात्सायनकृत न्यायभाष्य उपलब्ध है। इनका समय

ईसाकी तीसरी-चौथी शताब्दी समझा जाता है।^१ भा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रमें इनके न्यायभाष्यका कहीं न्यायभाष्य और कहीं भाष्य शब्दसे उल्लेख किया है। वास्तव्यका नाम न लेकर सर्वत्र न्यायभाष्यकार और भाष्यकार शब्दोंसे ही इनका निर्देश किया गया है।

उद्योतकर और प्रभाचन्द्र—न्यायसूत्रके ऊपर न्यायवार्तिक ग्रन्थके रचयिता भा० उद्योतकर ई० ६वीं सदी, अन्ततः सततबी सदीके पूर्वपादके विद्वान् हैं। इन्होंने विद्वानागके प्रमाणसमुच्चयके लखनके लिए न्यायवार्तिक बनाया था। इनके न्यायवार्तिकका लक्षण धर्मकीर्ति (ई० ६३५ के बाद) ने अपने प्रमाणवार्तिकमें किया है। भा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्डके सृष्टिकर्तृत्व प्रकरणके पूर्वपक्षमें (पृ० २६८) उद्योतकरके अनुमानोंको 'वार्तिककारेणापि' शब्दके साथ उद्धृत किया है। प्रमेयकमलमार्तण्डमें एकाधिकस्थानोंमें 'उद्योतकर' का नामोल्लेख करके न्यायवार्तिकसे पूर्वपक्ष किए गए हैं। न्यायकुमुदचन्द्रके बोधोपवाचवादाका पूर्वपक्ष भी उद्योतकरके न्यायवार्तिकसे पर्याप्त पृष्टि पाया है। "पूर्वबन्धेवत्" आदि अनुमानसूत्रकी वार्तिककारकृत विविध व्याख्याएँ भी प्रमेयकमलमार्तण्डमें खंडित हुई हैं। वार्तिककारकृत साधकतमत्वका "भावाभावयोस्तद्वत्ता" यह लक्षण प्रमेयकमलमार्तण्डमें प्रमाणरूपसे उद्धृत है।

भट्ट जयन्त और प्रभाचन्द्र—भट्ट जयन्त जरनैयायिकके नामसे प्रसिद्ध थे। इन्होंने न्यायसूत्रोंके आधारसे न्यायकलिका और न्यायमञ्जरी ग्रन्थ लिखे हैं। न्यायमञ्जरी तो कतिपय न्यायसूत्रोंकी विषय व्याख्या है। अब हम भट्ट जयन्तके समयका विचार करते हैं—

जयन्तकी न्यायमञ्जरीका प्रथम संस्करण विजयनगर सीरीजमें सन् १८९५ में प्रकाशित हुआ है। इसके सपादक म० म० गंगाधर शास्त्री मानवल्ली हैं। उन्होंने भूमिकामें लिखा है कि—“जयन्तभट्टका गंगेशोपाध्यायने उपमान-चिन्तामणि (पृ० ६१) में जरनैयायिक शब्दसे उल्लेख किया है, तथा जयन्तभट्टने न्यायमञ्जरी (पृ० ३१२) में वाचस्पति मिश्रकी ताल्य-टीकासे “जातं च भम्बद्धं चेत्येकं कालः” यह वाक्य 'आचार्यः' करके उद्धृत किया है। अतः जयन्तका समय वाचस्पति (841 A. D.) से उत्तर तथा गंगेश (1175 A. D.) से पूर्व होना चाहिये। इन्हींका अनुसरण करके न्यायमञ्जरीके द्वितीय संस्करणके सम्पादक प० सूर्यनारायणजी शुक्लने, तथा 'संस्कृतसाहित्यका संक्षिप्त इतिहास'के लेखकोंने भी जयन्तको वाचस्पतिका परवर्ती लिखा है। स्व० डॉ० क्षतीशचन्द्र विद्याभूषण भी उक्त वाक्यके आधारपर इनका समय ९वींसे ११वीं शताब्दी तक मानते थे।^२ अतः जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकालीन माननेकी परम्पराका आधार म० म० गंगाधर शास्त्री-द्वारा “जातं च भम्बद्धं चेत्येकं कालः” इस वाक्यको वाचस्पति मिश्रका लिख देना ही मालूम होता है। वाचस्पति मिश्रने अपना समय 'न्यायसूची निबन्ध'के अन्तमें स्वयं दिया है। यथा—

“न्यायसूचीनिबन्धोऽयमकारि सुधियां मुदे।

श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वकवसुवत्सरे ॥”

इस श्लोकमें ८९८ वत्सर लिखा है।

म० म० विन्धोस्वरीप्रसादजीने 'वत्सर' शब्दसे शकसंवत् लिया है।^३ डॉ० क्षतीशचन्द्र विद्याभूषण विक्रम संवत् लेते हैं।^४ म० म० गोपीनाथ कविराज लिखते हैं^५ कि 'तालयटीकाकी परिशुद्धिटीका बनानेवाले

१. हिस्ट्री ऑफ़ वि इण्डियन लॉजिक, पृ० १४६।

२. न्यायवार्तिक-भूमिका, पृ० १४५।

३. हिस्ट्री ऑफ़ वि इण्डियन लॉजिक, पृ० १३३।

४. हिस्ट्री एंड बिब्लोग्राफी ऑफ़ न्यायवैशेषिक लिटरेचर, Vol. III, पृ० १०१।

वाचस्पति उदयनने अपनी 'लक्षणावली' शक सं० ९०६ (984 A. D) में समाप्त की है। यदि वाचस्पतिक समय शक सं० ८९८ माना जाता है तो इतनी जल्दी उसपर परिशुद्धि जैसी टीकाका बन जाना संभव मालूम नहीं होता।

अतः वाचस्पतिमिश्रका समय विक्रम संवत् ८९८ (841 A. D.) प्रायः सर्वसम्मत है। वाचस्पति-मिश्रने वैशेषिकदर्शनको छोड़कर प्रायः सभी दर्शनोंपर टीकाएँ लिखी हैं। सर्वप्रथम इन्होंने मठनमिषके विधि-विशेषपर 'न्यायकणिका' नामकी टीका लिखी है, क्योंकि इनके दूसरे ग्रन्थोंमें प्रायः इसका निर्देश है। उसके बाद मंडनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिकी व्याख्या 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा' तथा 'तत्त्वबिन्दु'; इन दोनों ग्रन्थोंका निर्देश तात्पर्य-टीकामें मिलता है, अतः उनके बाद 'तात्पर्य-टीका' लिखी गई। तात्पर्य टीकाके साथ ही 'न्यायसूची-निबन्ध' लिखा होगा, क्योंकि न्यायसूत्रोंका निर्णय तात्पर्य-टीकामें अत्यन्त अपेक्षित है। 'साख्यतत्त्वकौमुदी' में तात्पर्य-टीका उद्धृत है, अतः तात्पर्य-टीकाके बाद 'साख्यतत्त्वकौमुदी'की रचना हुई। योगभाष्यकी तत्त्ववैशारदी टीका में 'साख्यतत्त्वकौमुदी' का निर्देश है, अतः निर्दिष्ट कौमुदीके बाद 'तत्त्ववैशारदी' रची गई। और इन सभी ग्रन्थोंका 'भामती' टीकामें निर्देश होनेसे 'भामती' टीका सबके अन्तमें लिखी गई है।

जयन्त वाचस्पति मिश्रके समकालीन वृद्ध हैं—वाचस्पतिमिश्र अपनी आठकृति 'न्यायकणिका'के मङ्गलाचरणमें न्यायमञ्जरीकारकी बड़े महत्त्वपूर्ण शब्दोंमें गुरुरूपसे स्मरण करते हैं। यथा—

“अज्ञानतिमिरशमनी परदमनीं न्यायमञ्जरी रुचिराम्।

प्रसवित्रे प्रभवित्रे विद्यातरवे नमो गुरवे ॥”

अर्थात्—जिनने अज्ञानतिमिरका नाश करनेवाली, प्रतिवादियोका दमन करनेवाली, रुचिर न्याय-संज्ञाकी जन्म दिया उन समय विद्यातरु गुरुको नमस्कार हो।

इस श्लोकमें स्मृत 'न्यायमञ्जरी' भट्ट जयन्तकृत न्यायमञ्जरी जैसी प्रसिद्ध 'न्यायमञ्जरी' ही होनी चाहिये। अभी तक कोई दूसरी न्यायमञ्जरी तो सुननेमें भी नहीं आई। जब वाचस्पति जयन्तको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं तब जयन्त वाचस्पतिके उत्तरकालीन ही हो सकते हैं। यद्यपि वाचस्पतिने तात्पर्य-टीकामें 'त्रिलोचनगुरुनीत' इत्यादि पद देकर अपने गुरुरूपसे 'त्रिलोचन' का उल्लेख किया है, फिर भी जबन्तको उनके गुरु अथवा गुरुसम होनेमें कोई बाधा नहीं है; क्योंकि एक व्यक्तिके अनेक गुरु भी हो सकते हैं।

अभी तक 'जातञ्च सम्बद्ध चेत्येक कालः' इस बचनके आधारपर ही जयन्तको वाचस्पतिक उत्तरकालीन माना जाता है। पर, यह बचन वाचस्पतिकी तात्पर्य-टीकाका नहीं है, किन्तु न्यायवातिककार श्री उद्योतकरका है (न्यायवातिक, पृ० २३६), जिस न्यायवातिकपर वाचस्पतिकी तात्पर्य-टीका है। इनका समय धर्मकोटिसे पूर्व होना निर्विवाद है।

म० म० गोपीनाथ कविराज अपनी 'हिस्ट्री एण्ड बिब्लोग्राफी ऑफ न्याय वैशेषिक लिटरेचर' में लिखते हैं कि—“वाचस्पति और जयन्त समकालीन होने चाहिए, क्योंकि जयन्तके ग्रन्थोंपर वाचस्पतिकी कोई असर देखनेमें नहीं आता।” 'जातञ्च' इत्यादि वाक्यके विषयमें भी उन्होंने सन्देह प्रकट करते हुए लिखा है कि—“यह वाक्य किसी पूर्वाचार्यका होना चाहिये।” वाचस्पतिके पहले भी शंकरस्वामी आदि नैयायिक हुए हैं, जिनका उल्लेख तत्त्वसंग्रह आदि ग्रन्थोंमें पाया जाता है।

म० म० गङ्गाधर शास्त्रीने जयन्तको वाचस्पतिक उत्तरकालीन मानकर न्यायमञ्जरी (पृ० १२०)

में उद्भूत 'यत्नेनानुमितोऽप्यर्थ' इस वचको टिप्पणीमें 'भामिनी' टीकाका लिल दिया है। पर वस्तुतः यह पद्य वाच्यपदीय (१-३४) का है और न्यायमञ्जरीकी तरह भामिनी टीकामें भी उद्भूत ही है, मूलका नहीं है।

न्यायसूत्रके प्रत्यक्ष-लक्षणसूत्र (१-१-४) की व्याख्यामें वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि—'व्यव-मायात्मक' पदसे सविकल्पक प्रत्यक्षका ग्रहण करना चाहिये तथा 'अव्यपदेश्य' पदसे निविकल्पक ज्ञानका। संशयज्ञानका निराकरण तो 'अव्यभिचारी' पदमें हो ही जाता है, इसलिये संशयज्ञानका निराकरण करना 'व्यवसायात्मक' पदका मुख्य कार्य नहीं है। यह बात मैं 'गुरुनीत मार्ग' का अनुगमन करके कह रहा हूँ। इसी तरह कोई व्याख्याकार 'अयमस्व' इत्यादि शब्दसमुष्ट ज्ञानकी उभयजज्ञान कहकर उसकी प्रत्यक्षताका निराकरण करनेके लिये अव्यपदेश्य पदकी सार्थकता बताते हैं। वाचस्पति 'अयमस्व' इस ज्ञानकी उभयज-ज्ञान न मानकर ऐन्द्रियक कहते हैं। और वह भी अपने गुरुके द्वारा उर्षिष्ट इस गाथाके आचार्यपर—

शब्दजत्वेन शब्दश्चेत् प्रत्यक्षं चाक्षजत्वतः।

स्पष्टग्रहरूपत्वात् युक्तमैन्द्रियकं हि तत् ॥

इसलिये वे 'अव्यपदेश्य' पदका प्रयोजन निविकल्पका संग्रह करना ही बतलाते हैं।

न्यायमञ्जरी (पृ० ७८) में 'उभयजज्ञानका व्यवच्छेद करना अव्यपदेश्यपदका कार्य है' इस मतका 'आचार्य' इस शब्दके साथ उल्लेख किया गया है। उसपर व्याख्याकारकी अनुपपत्ति दिखाकर न्याय-मञ्जरीकारने उभयजज्ञानका खण्डन किया है।

म० म० गङ्गाधर शास्त्रीने इस 'आचार्य' पदके नीचे 'तात्पर्यटीकायां वाचस्पतिमिश्राः' यह टिप्पणी की है। यहाँ यह विचारणीय है कि—यह मत वाचस्पति मिश्रका है या अन्य किसी पूर्वाचार्यका? तात्पर्य-टीका (पृ० १४८) में तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नहीं मानकर उसे ऐन्द्रियक कहा है। इसलिये वह मत वाचस्पतिका तो नहीं है। व्योमवती' टीका (पृ० ५५५) में उभयजज्ञानका स्पष्ट समर्थन है, अतः यह मत व्योमशिवाचार्यका हो सकता है। व्योमवतीमें न केवल उभयजज्ञानका समर्थन ही है किन्तु उसका व्यवच्छेद भी अव्यपदेश्य पदसे किया है। हाँ, उसपर जो व्याख्याकारकी अनुपपत्ति है वह कदाचित् वाच-स्पतिकी तरफ लग सकती है; सो भी ठीक नहीं; क्योंकि वाचस्पतिने अपने गुरुकी जिस गाथाके अनुसार उभयजज्ञानको ऐन्द्रियक माना है, उससे साफ मालूम होता है कि वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयजज्ञानको माननेवाले आचार्य (सम्भवतः व्योमशिवाचार्य) की परम्परा थी, जिसका खण्डन वाचस्पतिके गुरुने किया। और जिम खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरुकी गाथाका प्रमाण देकर तात्पर्य-टीकामें स्थान दिया है।

इसी तरह तात्पर्य-टीकामें (पृ० १०२) 'यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेक्षाबुद्ध्य फलम्' इस भाष्यका व्याख्यान करते हुए वाचस्पति मिश्रने उपादेयताज्ञानको 'उपादान' पदसे लिया है और उसका क्रम

१ "न, इन्द्रियसङ्कारिणा शब्देन यज्जन्त्ये तस्य व्यवच्छेदार्थत्वात्, तथा ह्युक्तममयो रूप पश्यन्पि चक्षुषा रूपमिति न आनीते रूपमितिशब्दोच्चारणानन्तरं प्रतिपद्यत इत्युभयज ज्ञानम्; ननु च शब्देन्द्रिययोरे-कस्मिन् काले व्यापाराऽसम्भवादयुक्तमेतत्। तथाहि—मनसाऽधिष्ठित न श्रोत्रं शब्दं गृह्णाति पुनः क्रियाक्रमेण चक्षुषा सम्बन्धे सति रूपग्रहणम्। न च शब्दज्ञानस्यैतावत्कारुण्यवस्थानं सम्भवतीति कथम्-भयजं ज्ञानम्? अत्रैका श्रोत्रसम्बद्धे मनसि क्रियोत्सन्ना विभागमारभते ततः स्वज्ञानसहायकशब्दसङ्-कारिणा चक्षुषा रूपज्ञानमूल्यत्वे इत्युभयजं ज्ञानम्। यदि वा "भवत्येवोभयजं ज्ञानम्"—प्रश्न० व्यो०, पृ० ५५५।

भी 'तोयाञ्चन, तोयविकल्प, दृष्टतज्जातीयसकारोद्बोध, स्मरण, 'तज्जातीय चेदम्' इत्याकारकपरामर्श' इत्यादि बतत्वा है ।

न्यायमञ्जरी (पृ० ६६) में इसी प्रकरणमें शङ्का की है कि—'प्रथम आलोचनज्ञानका फल उपादानाविबुद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि उसमें कई क्षणोका व्यवधान पड़ जाता है' ? इसका उत्तर देते हुए मञ्जरीकारने 'आचार्या' शब्द लिखकर 'उपादेयताज्ञानको उपादानबुद्धि कहते हैं' इस मतका उल्लेख किया है । इस 'आचार्या' पद पर भी म० म० गङ्गाधर शास्त्रीने 'न्यायवार्त्तिक-तात्पर्यटीकायां वाचस्पतिमिश्राः' ऐसा टिप्पण किया है । न्यायमञ्जरीके द्वितीय संस्करणके सम्पादक पं० सूर्यनारायणजी न्यायाचार्यने भी उन्हीका अनुसरण करके उसे बड़े टाइपमें हेडिंग देकर छपाया है । मञ्जरीकारने इस मतके बाव भी एक व्याख्याताका मत दिया है । जो इस परामर्शात्मक उपादेयताज्ञानको नहीं मानता । यहाँ भी यह विचारणीय है कि—यह मत स्वयं वाचस्पतिका है या उनके पूर्ववर्ती उनके गुरुका ? यद्यपि यहाँ उन्हीने अपने गुरुका नाम नहीं लिया है, तथापि जब व्योमवती^१ जैसी प्रशस्तपादकी प्राचीन टीका (पृ० ५६१) में इसका स्पष्ट समर्थन है, तब इस मतकी परम्परा भी प्राचीन ही मानना होगी और 'आचार्या' पदमें वाचस्पति न लिए जाकर व्योमशिव जैसे कोई प्राचीन आचार्य लेना हीमें । मालूम होता है म० म० गङ्गाधर शास्त्रीने "जातञ्च सम्बद्ध चेत्येकः कालः" इस वचनको वाचस्पतिका माननेके कारण ही उक्त दो स्थलोंमें 'आचार्याः' पदपर 'वाचस्पतिमिश्राः' ऐसी टिप्पणी कर दी है, जिनकी परम्परा चलती रही । हाँ, म० म० गोपीनाथ कविराजने अवश्य ही उसे सन्देह कोटिमें रखा है ।

भट्ट जयन्तकी समयावधि—जयन्त मञ्जरीमें धर्मकीतिके मतकी समालोचनाके साथ ही साथ उनके टीकाकार धर्मोत्तरकी आदिवाक्यकी चर्चाके स्थान देते हैं । तथा प्रशाकरगुप्तके 'एकमेवेदं हर्षविषादाद्यनेकाकारविवर्त्तं पश्यामः तत्र यथेष्टं संज्ञा क्रियन्ताम्' (भिक्षु राहुलजीकी वातिकालकारकी प्रेसकापी, पृ० ४४९) इस वचनका खडन करते हैं, (न्यायमञ्जरी, पृ० ७४) ।

भिक्षु राहुलजीने टिबेटियन गुरुपरम्पराके अनुसार धर्मकीतिका समय ई० ६०५, प्रशाकरगुप्तका ७००, धर्मोत्तर और रविगुप्तका ७२५ ईस्वी लिखा है । जयन्तने एक जगह रविगुप्तका भी नाम लिखा है । अतः जयन्तकी पूर्वावधि ७६० A. D तथा उत्तरावधि ८४० A. D. होनी चाहिए । क्योंकि वाचस्पतिका न्यायसूचोनिबन्ध ८४१ A. D में बनाया गया है, इसके पहिले भी वे ब्रह्मसिद्धि, तत्त्वबिन्दु और तात्पर्यटीका लिख चुके हैं । संभव है कि वाचस्पतिने अपनी आद्यकृति न्यायकणिका ८१५ ई० के आसपास लिखी हो । इस न्यायकणिकामें जयन्तकी न्यायमञ्जरीका उल्लेख होनेसे जयन्तकी उत्तरावधि ८४० A. D. ही मानना समुचित ज्ञात होना है । यह ममय जयन्तके पुत्र अभिनन्द द्वारा दी गई जयन्तकी पूर्वजावलीसे भी सगत बैठता है । अभिनन्द अपने कादम्बरीकथासारमें लिखते हैं कि—

"भारद्वाज कुलमें शक्ति नामका गौड ब्राह्मण था । उसका पुत्र मित्र, मित्रका पुत्र क्षणितस्वामी हुआ । यह क्षणितस्वामी कर्कोटवंशके राजा मुक्तापीड ललितादित्यके मंत्री थे । क्षणितस्वामीके पुत्र कल्याणस्वामी, कल्याणस्वामीके पुत्र चन्द्र तथा चन्द्रके पुत्र जयन्त हुए, जो नववृत्तिकारके नामसे मशहूर थे । जयन्तके अभिनन्द नामका पुत्र हुआ ।"

१ "द्रव्यादिजातीयस्य पूर्वं सुखदुःखसाधनत्वोपलम्बः तज्ज्ञानानन्तरं मद्यत् द्रव्यादिजातीयं तत्तत्सुखसाधनमित्यविनाभावस्मरणम्, तथा चेत् द्रव्यादिजातीयमिति परामर्शाज्ञानम्, तस्मात् सुखसाधनमिति विनिश्चयः तत् उपादेयज्ञानम्" —प्रश्न० व्यो०, पृ० ५६१ ।

काश्मीरके कर्कट नशीय राजा मुक्तापीड ललितावित्तिका राज्य काल ७३३ से ७६८ A. D तक रहा है । शक्तिस्वामीके, जो अपनी प्रौढ़ अवस्थामें मन्त्री होंगे, अपने मन्त्रित्वकालके पहिले ही ई० ७२० में कल्याणस्वामी उत्पन्न हो चुके होंगे । इसके अनन्तर यदि प्रत्येक पीढ़ीका समय २० वर्ष भी मान लिया जाय तो कल्याणस्वामीके ईस्वी सन् ७४० में चन्द्र, चन्द्रके ई० ७६० में अग्रत उत्पन्न हुए और उन्होंने ईस्वी ८०० तकमें अपनी 'न्यायमंजरी' बनाई होगी । इसलिए वाचस्पतिके समयमें जयन्त वृद्ध होंगे और वाचस्पति इन्हें आधरकी दृष्टिसे देखते होंगे । यही कारण है कि उन्होंने अपनी आद्यकृतमें न्यायमंजरी-कारका स्मरण किया है ।

जयन्तके इस समयका समर्थक एक प्रबल प्रमाण यह है कि-हरिभद्रसूरिने अपने षडदर्शनसमुच्चय (श्लो० २०) में न्यायमंजरी (विजयानगरं सं०, पृ० १२९) के—

“गम्भीरगजितारम्भानिभन्नगिरिगङ्गाराः ।
रोलम्बगवलव्यालतमालमलिनत्विवः ॥

स्वङ्गतडिल्लतासङ्गपिशाङ्गोत्तुङ्गविग्रहाः ।
वृष्टि व्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोमुचः ॥”

इन दो श्लोकोंके द्वितीय पादोंको जैसाका तैसा शामिल कर लिया है । प्रसिद्ध इतिवृत्तज्ञ मुनि जिन-विजयजीने 'जैन माहिर्यसंशोधक' (भाग १ अंक १,) में अनेक प्रमाणोंसे, खामकर उद्योतनसूरिकी कुवलयमाला कथामें हरिभद्रका गुरुरूपसे उल्लेख होनेके कारण हरिभद्रका समय ई० ७०० से ७७० तक निर्धारित किया है । कुवलयमाला कथाकी समाप्ति शक ७०० (ई० ७७८) में हुई थी । मेरा इस विषयमें इतना संशोधन है कि उस समयकी आयु-स्थिति देखते हुए हरिभद्रकी निर्धारित आयु स्वल्प मालूम होती है । उनके समयकी उत्तरावधि ई० ८१० तक माननेसे वे न्यायमंजरीको देख सकेंगे । हरिभद्र जैसे सैकड़ों प्रकरणोंके रचयिता विद्वान्के लिए १०० वर्ष जीना अस्वाभाविक नहीं हो सकता । उन ई० ७१० से ८१० तक समयवाले हरिभद्रसूरिके द्वारा न्यायमंजरीके श्लोकोंका अपने ग्रन्थमें शामिल किया जाना जयन्तके ७६० से ८४० ई० तकके समयका प्रबल साधकप्रमाण है ।

आ० प्रभाचन्द्रने वात्सायनभाष्य एवं न्यायवार्तिकको अपेक्षा जयन्तको न्यायमंजरी एवं न्यायकलिकाका ही अधिक परिशीलन एवं समुचित उपयोग किया है । षोडशपदायंके निरूपणमें जयन्तकी न्यायमंजरीके ही शब्द अपनी आभा दिखते हैं । प्रभाचन्द्रको न्यायमंजरी स्वम्यस्त थी । वे कही-कही मंजरीके ही शब्दोंको 'तथा चाह भाष्यकार' लिखकर उद्धृत करते हैं । भूतचैतन्यवाक्यके पूर्वपक्षमें न्यायमंजरीमें 'अपि च' करके उद्धृत की गई १७ कारिकाएँ न्यायकुमुदचन्द्रमें भी ज्योंकी त्यों उद्धृत की गई हैं । जयन्तके कारकसाक्यका सर्वप्रथम खण्डन । प्रभाचन्द्रने ही किया है । न्यायमंजरीकी निम्नलिखित तीन कारिकाएँ भी न्यायकुमुदचन्द्रमें उद्धृत की गई हैं ।

(न्यायकुमुद० पृ० ३३६) “ज्ञातं सम्यगसम्बन्धा यन्मोक्षाय भवाय वा ।

तत्प्रमेयमिहामीष्टं न प्रमाणार्थमात्रकम् ॥” [न्यायमं० पृ० ४४७]

(न्यायकुमुद० पृ० ४९१) “भूयोऽवयवसामान्ययोगो यद्यपि मन्थते ।

सायुष्यं तस्य तु क्षतिः गृहीते प्रतिबोधिनि ॥ [न्यायमं० पृ० १४६]

(न्यायकुमुद० पृ० ५११) “नवस्त्येव गृहद्वारवतिनः संगतिग्रहः ।

भाषेनाभाषविद्धौ तु कथमेतद्भवविध्यति ॥” [न्यायमं० पृ० ३८]

इस तरह न्यायकुमुदचन्द्रके आधारभूत ग्रन्थोमें न्यायमजरीका नाम लिखा जा सकता है।

वाचस्पति और प्रभाचन्द्र—षड्दर्शनटीकाकार वाचस्पतिने अपना न्यायसूचीनिबन्ध ई० ८४१में समाप्त किया था। इनमें अपनी तात्पर्यटीका (पृ० १६५) में साक्ष्योके अनुमानके मात्रामात्रिक आदि सात भेद गिनाए हैं और उनका खंडन किया है। न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ४६२) में भा साक्ष्योके अनुमानके इन्हीं सात भेदोके नाम निदिष्ट हैं। वाचस्पतिने शाकरभाष्यकी भामती टीकामें अविद्यासे अविद्याके उच्छेद करनेके लिए 'यथा पय पयोऽन्तर जरयति स्वय च जीर्यति, विष विधान्तर घमयति स्वय च शाम्यति, यथा वा कतकरजो रजोऽन्तराविले पायसि प्रक्षिप्त रजोन्तराणि भिन्दत् स्वयमपि भिद्यमानमनाविल पाष. करोति ...' इत्यादि दृष्टान्त दिए हैं। प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड (पृ० ६६) में इन्हीं दृष्टान्तोकी पूर्वपक्षमें उपस्थित किया है। न्यायकुमुदचन्द्रके विधिवादके पूर्वपक्षमें विधिविवेकके साथही साथ उसकी वाचस्पतिकृत न्यायकणिका टीकाका भी पर्याप्त सादृश्य पाया जाता है। वाचस्पतिके उन ई० ८४१ समयका साथक एक प्रमाण यह भी है कि इन्होंने तात्पर्यटीका (पृ० २१७) में शान्तरक्षितके तत्त्वसग्रह (श्लो० २००) से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है—'नसंकीभ्रूलाशोषो न ह्येक पारमाथिक। अनेकाणुसमूहत्वात् एकत्व तस्य कल्पितम् ॥' शान्तरक्षितका समय ई० ७६२ है।

शाबर ऋषि और प्रभाचन्द्र—जैमिनिसूत्रपर शाबरभाष्य लिखनेवाले महर्षि शाबरका समय ईसाकी तीसरी सदी तक समझा जाता है। शाबरभाष्यके ऊपर ही कुमारिल और प्रभाकरने व्याख्याएँ लिखी हैं। आ० प्रभाचन्द्रने शब्द-नित्यत्ववाद, वेदापौरुषेयत्ववाद आदिमें कुमारिलके श्लोकवार्तिकके साथ ही साथ शाबरभाष्यकी दलीलोको भी पूर्वपक्षमें रखा है। शाबरभाष्यसे ही "गौरित्यत्र क शब्द. ? गकारोकार-विसर्जनीया इति भगवानुपवर्ष" यह उपवर्ष ऋषिका मत प्रमेयकमलमात्तण्ड (पृ० ४६४) में उद्धृत किया गया है। न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० २७९) में शब्दको वायवीय माननेवाले शिक्षाकार मीमांसकोका मत भी शाबरभाष्यसे ही उद्धृत हुआ है। इसके सिवाय न्यायकुमुदचन्द्रमें शाबरभाष्यके कई वाक्य प्रमाणरूपमें और पूर्वपक्षमें उद्धृत किए गए हैं।

कुमारिल और प्रभाचन्द्र—भट्ट कुमारिलने शाबरभाष्यपर मीमांसाश्लोकवार्तिक, तन्त्रवार्तिक और दुपटीका नामकी व्याख्या लिखी है। कुमारिलने अपने तन्त्रवार्तिक (पृ० २५१-२५२) में वाक्यपदीयके निम्नलिखित श्लोककी समालोचना की है—

"अस्त्यर्थः सर्वशब्दानामिति प्रत्याख्यलक्षणम्।

अपूर्वदेवतास्वर्गः सममाहुर्यवादिषु

॥" —वाक्यप० २।१२१

इसी तरह तन्त्रवार्तिक (पृ० २०९-१०) में वाक्यपदीय (१।७) के "एतवावबोध. शब्दाना नास्ति व्याकरणादृते" अर्थ उद्धृत होकर खंडित हुआ है। मीमांसाश्लोकवार्तिक (वाक्याधिकरण श्लो० ५१) में वाक्यपदीय (२।१-२) में निदिष्ट दशविध या अष्टविध वाक्यलक्षणोका समालोचना किया गया है। भर्तृहरिके स्फोटवादकी आलोचना भी कुमारिलने मीमांसाश्लोकवार्तिकके स्फोटवादमें बड़ी प्रखरतासे की है। चीनी यात्री इत्सिंगने अपने यात्राविवरणमें भर्तृहरिका मृत्युसमय ई० ६५० बताया है अतः भर्तृहरिके समालोचक कुमारिलका समय ईस्वी ७वां शताब्दीका उत्तर भाग मानना समुचित है। आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें सर्वशब्दवाद, शब्दनित्यत्ववाद, वेदापौरुषेयत्ववाद, आद्यमादिप्रमाणोंका विचार, प्रामाण्यवाद आदि प्रकारोंमें कुमारिलके श्लोकवार्तिकसे पचासों कारिकाएँ उद्धृत की हैं। शब्दनित्यत्ववाद आदि प्रकारोंमें कुमारिलकी युक्तियोंका सिलसिलेवार सप्रमाण उत्तर दिया गया है। कुमारिलने आत्माको व्यावृत्त्यनुगमात्मक या नित्यानित्यात्मक माना है। प्रभाचन्द्रने आत्माकी नित्यानित्यात्मकताका समर्थन करते

समय कुमारिलकी "तस्मादुभवहानेन व्यावृत्त्यनुगमात्मकः" आदि कारिकाएँ अपने पक्षके समर्थनमें भी उद्धृत की हैं। इसी तरह सृष्टिकर्तृत्वखंडन, ब्रह्मवादखंडन आदिमें प्रभाचन्द्र कुमारिलके साथ-साथ चलते हैं। सारांश यह है कि प्रभाचन्द्रके सामने कुमारिलका मीमांसाशैलीकवातिक एक विशिष्ट ग्रन्थके रूपमें रखा है। इसीलिए इसकी आलोचना भी जमकर की गई है। श्लोकवातिककी भट्ट उम्बेककृत तात्पर्यटीका अभी ही प्रकाशित हुई है। इस टीकाका आलोचन भी प्रभाचन्द्रने खूब किया है। सर्वज्ञवादमें कुछ कारिकाएँ ऐसी उद्धृत हैं जो कुमारिलके मौजूदा श्लोकवातिकमें नहीं पाई जाती। संभव है ये कारिकाएँ कुमारिलकी बृहद्टीका या अन्य किसी ग्रंथ की हों।

मंडनमिश्र और प्रभाचन्द्र—आ० मंडनमिश्रके मीमांसानुक्रमणी, विधिविवेक, भावनाविवेक, नैष्कर्म्यसिद्धि, ब्रह्मसिद्धि, स्फोटसिद्धि आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनका समय ईसाकी ८वीं शताब्दीका पूर्व-भाग है। आचार्य विश्वानन्दने (ई० ९वीं शताब्दीका पूर्वभाग) अपनी अष्टसहस्रीमें मण्डनमिश्रका नाम लिया है। यत मण्डनमिश्र अपने ग्रन्थोंमें सप्तमशतकवर्ती कुमारिलका नामोल्लेख करते हैं। अत इनका समय ई०की सप्तमशताब्दीका अन्तिमभाग तथा ८वीं सदीका पूर्वार्ध मुनिश्चित होता है। आ० प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० १४९) में मंडनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिका "आहुविचातु प्रत्यक्ष" श्लोक उद्धृत किया है। न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ५७२) में विधिवाचके पूर्वपक्षमें मंडनमिश्रके विधिविवेकमें वणिन अनेक विधिवादियोंका निर्देश किया गया है। उनके मतनिरूपण तथा समालोचनमें विधिविवेक ही आधारभूत मालूम होता है।

प्रभाकर और प्रभाचन्द्र—शाबरभाष्यकी बृहती टीकाके रचयिता प्रभाकरकरीब-करीब कुमारिलके समकालीन थे। भट्ट कुमारिलका शिष्य परिवार भाट्टके नामसे ख्यात हुआ तथा प्रभाकरके शिष्य प्रभाकर या गुहमतानुयायी कहलाए। प्रभाकर विपर्ययज्ञानको स्मृतिप्रमोष या विवेकाख्याति रूप मानते हैं। ये अभावको स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते। वेदवाक्योंका अर्थ नियोगपरत करते हैं। प्रभाचन्द्रने अपने ग्रन्थोंमें प्रभाकरके स्मृतिप्रमोष, नियोगवाद आदि सभी सिद्धान्तोंका विस्तृत खंडन किया है।

शालिकनाथ और प्रभाचन्द्र—प्रभाकरके शिष्योंमें शालिकनाथका अपना विशिष्ट स्थान है। इनका समय ईसाकी ८वीं शताब्दी है। इन्होंने बृहतीके ऊपर ऋजुविमला नामकी पञ्जिका लिखी है। प्रभाकरगुरुके सिद्धान्तोंका विवेचन करनेके लिए इन्होंने प्रकरणपञ्जिका नामका स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखा है। ये अन्धकारको स्वतन्त्र पदार्थ नहीं मानते किन्तु ज्ञानानुत्पत्तिको ही अन्धकार कहते हैं। आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमालाखंड (पृ० २३८) तथा न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ६६६) में शालिकनाथके इस मतकी विस्तृत समीक्षा की है।

शाङ्कराचार्य और प्रभाचन्द्र—आद्य शाङ्कराचार्यके ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य, गीताभाष्य, उपनिषद्भाष्य आदि अनेकों ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनका समय ई० ७८८ से ८२० तक माना जाता है। शाङ्करभाष्यमें धर्मकीतिके 'सहोपलम्भनियमात्' हेतुका खण्डन होनेसे यह समय समर्थित होता है। आ० प्रभाचन्द्रने शाङ्करके अनिर्बन्धनीयार्थख्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमलमालाखंड तथा न्यायकुमुदचन्द्रमें की है। न्यायकुमुदचन्द्रके परमब्रह्मवादके पूर्वपक्षमें शाङ्करभाष्यके आधारते ही वैषम्य नैर्धुंय आदि दोषोंका परिहार किया गया है।

सुरेस्वर और प्रभाचन्द्र—शाङ्कराचार्यके शिष्योंमें सुरेस्वरआचार्यका नाम उल्लेखनीय है। इनका

१. वेदों बृहती द्वि० भागकी प्रस्तावना।

२. ब्रह्मस्य—अभ्युत्पन्न वर्ष ३, अङ्क ४ में म० म० गोपीनाथ कविराजका लेख।

१४२ : डॉ० बलेश्वरकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

भाष विचरन्त्य भी था। इन्होंने तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्तिक, बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिक, मानसोत्पत्ति, पञ्चीकरणवार्तिक, काशीमतिमोक्षविचार, नैषधस्यसिद्धि आदि ग्रन्थ बनाए हैं। आ० विश्वानन्द (ईसाकी ९वीं शताब्दी) में अ० सहस्री (पृ० १६२) में बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिकसे 'ब्रह्माविद्यावद्विष्ट चेन्ननु' इत्यादि कारिकाएँ उद्धृत की हैं। अत इनका समय भी ईसाकी ९वीं शताब्दीका पूर्वभाग होना चाहिए।
 डॉ० केशवराचार्य (ई० ७८८ से ८२० के साक्षात् शिष्य थे। आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमासंघ (पृ० ४४-४५) तथा न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० १४१) में ब्रह्मवादके पूर्ववक्षमे इनके बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिक (३।५।४३-४४) से "यथा विशुद्धमाकाश" आदि दो कारिकाएँ उद्धृत की हैं।

भामह और प्रभाचन्द्र—भामहका काव्यालङ्कार ग्रन्थ उपलब्ध है। शान्तरक्षितने तत्त्वमयह (पृ० २९०) में भामहके काव्यालङ्कारकी अपोहलण्डन वाली "यदि गौरित्यप शब्द" आदि तीन कारिकाओंकी समालोचना की है। ये कारिकाएँ काव्यालङ्कारके ६वे परिच्छेद (श्लोक० १७-१९) में पाई जाती हैं। तत्त्वसंग्रहकारका समय ई० ७०५-७६२ तक मुनिर्णीत है। बौद्धसम्मत प्रत्यक्षके लक्षणका सङ्घन करने समय भामहने (काव्यालङ्कार ५।६) दिङ्नागके मातृ 'कल्पनापोढ' पदवाले लक्षणका सङ्घन किया है, धर्मकीर्ति के 'कल्पनापोढ और अभ्रान्त' उभयविशेषणवाले लक्षणका नहीं। इससे ज्ञात होता है कि भामह दिङ्नागके उत्तरवर्ती तथा धर्मकीर्तिके पूर्ववर्ती हैं। अन्तत इनका समय ईसाकी ७वीं शताब्दीका पूर्वभाग है। आ० प्रभाचन्द्रने अपोहवादका सङ्घन करते समय भामहकी अपोहलण्डनविषयक "यदि गौरित्यप" आदि तीनो कारिकाये प्रमेयकमलमासंघ (पृ० ४३२) में उद्धृत की हैं। यह भी समभव है कि ये कारिकाय भी प्रभाचन्द्रके ग्रन्थसे उद्धृत न होकर तत्त्वसंग्रहके द्वारा उद्धृत हुई हों।

बाण और प्रभाचन्द्र—प्रसिद्ध गद्यकाव्य कादम्बरीके रचयिता बाणभट्ट, सम्राट् हर्षवर्धन (राज्य ६०६ से ६४८ ई०) की सभाके कविरत्न थे। इन्होंने हर्षचरितकी भी रचना की थी। बाण, कादम्बरी और हर्षचरित दोनों ही ग्रन्थोको पूर्ण नहीं कर सके। इनकी कादम्बरीका आद्यश्लोक "रजोयुगे जन्मनि सत्त्ववृत्तये" प्रमेयकमलमासंघ (पृ २९८) में उद्धृत है। आ० प्रभाचन्द्रने वेदापौरुषेयत्वप्रकरणमें (प्रमेयक० पृ० ३९३) कादम्बरीके कर्तृत्वके विषयमें सन्देहात्मक उल्लेख किया है—"कादम्बर्यादीना कर्तृत्वेषु विप्रतिपत्ते"—अर्थात् कादम्बरी आदिके कर्ताके विषयमें विवाद है। इस उल्लेखसे ज्ञात होता है कि प्रभाचन्द्रके समयमें कादम्बरी आदि ग्रन्थोके कर्ता विवादग्रस्त थे। हम प्रभाचन्द्रका समय आगे ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध करेंगे।

माघ और प्रभाचन्द्र—शिशुपालवध काव्यके रचयिता माघ कविका समय ई० ६६०-६७५ के लगभग है।^१ माघकविके पितामह सुभद्रदेव राजा वर्मलातके मन्त्री थे। राजा वर्मलातका उल्लेख ई० ६२५ के एक शिलालेखमें विद्यमान है अत इनके नानी माघ कविका समय ई० ६७५ तक मानना समुचित है। प्रभाचन्द्रने माघकाव्य (१।२३) का "युगान्तकालप्रतिमहूतात्मनो" श्लोक प्रमेयकमलमासंघ (पृ० ६८८) में उद्धृत किया है। इससे ज्ञात होता है कि प्रभाचन्द्रने माघकाव्यको देखा था।

अधैविकदर्शन

अश्वघोष और प्रभाचन्द्र—अश्वघोषका समय ईसाका द्वितीय शतक माना जाता है। इनके बुद्धचरित और सौन्दरनन्द दो महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। सौन्दरनन्दमें अश्वघोषने प्रसङ्गत बौद्धदर्शनके कुछ पद्यांशों

१. देखो, संस्कृत साहित्यका इतिहास, पृ० १४३।

का भी सारगर्भ विवेचन किया है। आ० प्रभाचन्द्रने शून्यनिर्वाणवादका खंडन करते समय पूर्वपक्षमें (प्रमेयक० पृ० ९८७) सौन्दरनन्दकाम्यसे निम्नलिखित दो श्लोक उद्धृत किए हैं—

“दीपो यथा निर्वृण्णिमभ्युपेतो नैवावर्ति गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिशं न काञ्चिद् विदिशं काञ्चित् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥
जीवस्तथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावर्ति गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित्त्वलेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥”

—सौन्दरनन्द १६।२८, २९.

नागार्जुन और प्रभाचन्द्र—नागार्जुनकी माध्यमिककारिका और विग्रहव्यावृत्तिनी दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। ये ईसाकी तीसरी शताब्दीके विद्वान् हैं। इन्होंने शून्यवादके प्रस्थापक होनेका श्रेय प्राप्त है। माध्यमिक-कारिकामें इन्होंने विस्तृत परीक्षाएँ लिखकर शून्यवादको दार्शनिक रूप दिया है। विग्रहव्यावृत्तिनी भी इसी तरह शून्यवादका समर्थन करनेवाला छोटा प्रकरण है। प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० १३२) में माध्यमिकके शून्यवादका खंडन करने समय पूर्वपक्षमें प्रमाणवाकिककी कारिकाओंके साथ ही साथ माध्यमिक-कारिकासे भी 'न स्वतो नापि परत' और 'यथा मया यथा स्वप्नो' ' ये दो कारिकाएँ उद्धृत की हैं।

वसुवन्धु और प्रभाचन्द्र—वसुवन्धुका अभिधर्मकोश ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इनका समय ई० ४०० के करीब माना जाता है। अभिधर्मकोश बहुत अशोमें बौद्धदर्शनके सूत्रग्रन्थका कार्य करता है। प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ३९०) में वैश्विक समस्त द्वादशाङ्ग प्रतीत्यसमुत्पादका खंडन करने समय प्रतीत्य-समुत्पादका पूर्वपक्ष वसुवन्धुके अभिधर्मकोशके आधारसे ही लिखा है। उगमें यथावत् अभिधर्मकोशसे २-३ कारिकाएँ भी उद्धृत की हैं। देखो न्यायकुमुदचन्द्र पृ० ३९५।

दिङ्नाग और प्रभाचन्द्र—आ० दिङ्नागका स्थान बौद्धदर्शनमें विशिष्ट सस्थापकोमें है। इनके न्यायप्रवेश और प्रमाणसमुच्चय प्रकरण मूद्रित है। इनका समय ई० ४२५ के आसपास माना जाता है। प्रमाणसमुच्चयमें प्रत्यक्षका कल्पनापेक्ष लक्षण किया है। इगमें अघ्नान्तपद धर्मकीर्तिने जोड़ा है। इन्हींके प्रमाणसमुच्चय पर धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिक रचा है। भिक्षु राहुलजीने 'दिङ्नागके आलम्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्षा और हेतुचक्रबद्ध आदि ग्रन्थोंका भी उल्लेख किया है। आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० ८०) में 'स्तुतश्च अद्वैतादिप्रकरणानामादौ दिङ्नागादिभि मदिभ.' लिखकर प्रमाणसमुच्चयका 'प्रमाणभूताय' इत्यादि मंगलश्लोकका उद्धृत किया है। इसी तरह अपरोक्षवादके पूर्वपक्ष (प्रमेयक० पृ० ४३६) में दिङ्नागके नामसे निम्नलिखित गद्यांश भी उद्धृत किया है—'दिङ्नागेन विशेषणविशेष्यभावसमर्थनार्थम् 'नीलोत्पलादिशब्दा अर्थान्तरनिवृत्तिविशिष्टानर्थानाहु' इत्युक्तम्।

धर्मकीर्ति और प्रभाचन्द्र—बौद्धदर्शनके युगप्रधान आचार्य धर्मकीर्ति ईसाकी ७वीं शताब्दीके मालन्दाके बौद्धविद्यापीठके भावाय थे। इनकी लेखनीने भारतीय दर्शनशास्त्रोंमें एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था। धर्मकीर्तिने वैदिक-स्कृतिपर दृढ़ प्रहार किए हैं। यद्यपि इनका उद्धार करनेके लिए व्योमसिंह, जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, उदयन आदि आचार्योंने कुछ उठा नहीं रखा। पर बौद्धोंके लडगने जितनी कुसलता तथा सतर्कतासे वैनाचार्योंने लक्ष्य दिया है उतना अन्यने नहीं। यही कारण है कि अकलङ्क, हरिभद्र, अनन्तवीर्य, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र, अभयदेव, वादिदेवसूरि आदिके जैनन्यायशास्त्रके ग्रन्थोंका बहुभाग बौद्धोंके लडगने ही रोक रखा है। धर्मकीर्तिके समयके विषयमें मैं विशेष ऊहापोह "अकलङ्कग्रन्थ" की प्रस्तावना

१. वाचन्याय परिशिष्ट पृ० VI.

१४४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

(पृ० १८) में कर आया है। इनके प्रमाणवातिक, हेतुबिन्दु, न्यायबिन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय, सम्बन्धपरीक्षा आदि ग्रन्थोंका प्रभावग्रन्थो गहुरा अभ्यास था। इन ग्रन्थोंकी अनेको कारिकाएँ खालकर प्रमाणवातिककी कारिकाएँ प्रभावग्रन्थोमे उद्धृत हैं। मालूम होता है कि सम्बन्धपरीक्षाकी अथ से इति तक २३ कारिकाएँ प्रमेयकमलमार्त्तण्डके सम्बन्धवादके पूर्वपत्रमें ज्योकी त्यो रखी गई है, और खण्डित हुई है। विद्यानन्दके तत्त्वार्थश्लोकवातिकमें इसकी कुछ कारिकाएँ ही उद्धृत हैं। वादन्यायका 'हमति हमति स्वामिनि' आदि श्लोक प्रमेयकमलमार्त्तण्डमे उद्धृत हैं। मवेदनश्रुतिके पूर्वपत्रमे धर्मकीर्तिके 'महोपलम्भनियमात्' आदि हेतुओका निर्देशकर बहुविध विकल्पजालोसे खण्डन किया गया है। वादन्यायकी 'अमाधनाङ्गवचन-मदोषोद्भावन द्वयो' कारिकाका और इसके विविध व्याख्यानोका समुक्त उत्तर प्रमेयकमलमार्त्तण्डमे दिया गया है। इन सब ग्रन्थोके अवतरण और उनसे की गई तुलना न्यायकुमुदचन्द्रके टिप्पणीमे देखनी चाहिए।

प्रज्ञाकरगुप्त और प्रभावग्रन्थ—धर्मकीर्तिके व्याख्याकारोमे प्रज्ञाकरगुप्तका अपना खाम स्थान है। उन्होने प्रमाणवातिकपर प्रमाणवातिकालङ्कार नामकी विस्तृत व्याख्या लिखी है इनका समय भी ईसाकी ७वीं शताब्दीका अन्तिम भाग और आठवींका प्रारम्भिक भाग है। इनकी प्रमाणवातिकालङ्कार टीका वातिकालङ्कार और अलकारके नामसे भी प्रख्यात रही है। इन्हीके वातिकालङ्कारसे भावना विधि नियोगकी विस्तृत चर्चा विद्यानन्दके ग्रन्थो द्वारा प्रभावग्रन्थो न्यायकुमुदचन्द्रमे अथनोण हुई है। इतना विशेष है कि—विद्यानन्द और प्रभावग्रन्थोमे प्रज्ञाकरगुप्तके भावना विधि आदिके खण्डनका भी स्थान-स्थानपर विशेष समालोचन किया है। प्रमेयकमलमार्त्तण्ड (पृ० ३८०) मे प्रज्ञाकरके भाविकारणवाद और भूतकारणवादका उन्हेस प्रज्ञाकरका नाम देकर किया गया है। प्रज्ञाकरगुप्तने अपने इस मतका प्रतिपादन प्रमाणवातिकालङ्कारमें किया है।^१ भिक्षु राहुल साकृत्यायनके पास इसकी हस्तलिखित कापी है। प्रभावग्रन्थोमे धर्मकीर्तिके प्रमाणवातिककी तरह उनके शिष्य प्रज्ञाकरके वातिकालङ्कारका भी आलोचन किया है।

प्रभावग्रन्थोमे जो ब्राह्मणत्वजातिका खण्डन लिखा है, उसमे शान्तरक्षिनके नत्वमग्रहके साथ ही साथ प्रज्ञाकरगुप्तके वातिकालङ्कारका भी प्रभाव मालूम होता है। ये बौद्धाचार्य अपनी सस्कृतिके अनुसार सदेव जातिवादपर खड्गहस्त रहने थे। धर्मकीर्तिने प्रमाणवातिकके निम्नलिखित श्लोकमे जातिवादके मतको जडना-का चिह्न बताया है—

“वेदप्रामाण्य कस्यचित्कतुंवादः स्नाने धर्मोच्छा जतिवादावलेप ।
सन्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पञ्च लिङ्गानि जाड्ये ॥”

उत्तराध्ययनसूत्रमे 'कम्मुणा बम्हणो होइ कम्मुणा होइ सत्तिओ' लिखकर कर्मणा जातिका स्पष्ट समर्थन किया गया है।

वि० जैनाचार्योमे^२ बराङ्गचरित्रके कर्ता जटासिंहन्दिने बराङ्गचरित्रके २५वें अध्यायमे ब्राह्मणत्व-जातिका निरास किया है। और भी रविषेण, अमितगति आदिने जातिवादके खिलाफ थोडा बहुत लिखा है पर तर्कग्रन्थोमे सर्वप्रथम हम प्रभावग्रन्थो ही ग्रन्थोमे जन्मना जातिका समुक्त खण्डन यद्येष्ट विस्तारके साथ पाते हैं।

१. इसके अवतरण अकलंकग्रन्थत्रयकी प्रस्तावना, पृ० २७ मे देखना चाहिए।

२. इन आचार्योके ग्रन्थोके अवतरणके लिए देखो न्यायकुमुदचन्द्र, पृ० ७७८, टि० ९।

कर्णकगोमि और प्रभाचन्द्र—प्रमाणवातिकके तृतीयपरिच्छेदपर धर्मकीतिकी स्वोपनवृत्ति भी उपलब्ध है। इस वृत्तिपर कर्णकगोमिकी विस्तृत टीका है। इस टीकामें प्रज्ञाकर गुप्तके प्रमाणवातिकालङ्कारका 'अलङ्कार' शब्दसे उल्लेख है। इसमें मण्डनमिश्रकी ब्रह्ममिथिका 'आहुविधात्' श्लोक उद्धृत है। अतः इनका समय ई० ८वीं शताब्दीका पूर्वार्ध संभव है। न्यायकुमुदचन्द्रके शब्दनित्यत्ववाद, वेदापीत्येयत्ववाद, स्फोटवाद आदि प्रकरणोंपर कर्णकगोमिकी स्ववृत्तिटीका अपना पूरा असर रखती है। इसके अवतरण इन प्रकरणोंके टिप्पणोंमें देखना चाहिये।

शान्तरक्षित, कमलशील और प्रभाचन्द्र—तत्त्वसंग्रहकार^१ शान्तरक्षित तथा तत्त्वसंग्रहपञ्जिकके रचयिता कमलशील नालन्दाविश्वविद्यालयके आचार्य थे। शान्तरक्षितका समय ई० ७०५ से ७६२ तथा कमलशीलका समय ई० ७१३ से ७६३ है। शान्तरक्षितकी अपेक्षा कमलशीलकी प्रावाहिक प्रसादगुणमयी भाषाने प्रभाचन्द्रको अत्यधिक आकृष्ट किया है। यों तो प्रभाचन्द्रके प्रायः प्रत्येक प्रकरणपर कमलशीलकी पञ्जिका अपना उन्मुक्त प्रभाव रखती है पर इसके लिए षट्पदार्थपरीक्षा, शब्दब्रह्मपरीक्षा, ईश्वर-परीक्षा, प्रकृतिपरीक्षा, शब्दनित्यत्वपरीक्षा आदि परीक्षाएँ खासतौरसे ब्रह्म्य हैं। तत्त्वसंग्रहकी सर्वज्ञपरीक्षा-में कुमारिलकी पंचमो कारिकाएँ उद्धृत कर पूर्वापक्ष किया गया है। इनसे आगेकी कारिकाएँ ऐसी हैं जो कुमारिलके श्लोकवार्तिकमें नहीं पाई जाती। कुछ ऐसी ही कारिकाएँ प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें भी उद्धृत हैं। मभव है कि ये कारिकाएँ कुमारिलके ग्रन्थसे न लेकर तत्त्वसंग्रहसे ही ली गई हों। नास्त्यं यह कि प्रभाचन्द्रके आधारभूत ग्रन्थोंमें तत्त्वसंग्रह और उसकी पञ्जिका अग्रस्थान पाने-के योग्य है।

अर्चट और प्रभाचन्द्र—धर्मकीतिके हेतुबिन्दुपर अर्चटकृत टीका उपलब्ध है। इसका उल्लेख अनन्त-वीर्यने अपनी सिद्धिविनिश्चयटीकाओं अनेको स्थलोंमें किया है। 'हेतुलक्षणसिद्धि' में तो धर्मकीतिके हेतुबिन्दुके माधवी साय अर्चटकृत विवरणका भी उल्लेख है। अर्चटका समय भी करीब ईसाकी ९वीं शताब्दी होना चाहिये। अर्चटने अपने हेतुबिन्दुविवरणमें सहकारित्व दो प्रकारका बताया है—१ एकार्यकारित्व, २ पर-स्परानिश्चयाभावकत्व। आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० १०) में कारकसाकत्ववादकी समीक्षा करते समय सहकारित्वके यही दो विकल्प किये हैं।

धर्मोत्तर और प्रभाचन्द्र—धर्मकीतिके न्यायबिन्दुपर आ० धर्मोत्तरने टीका रची है। भिन्न राहुज-जी द्वारा लिखित टिबेटियन गुरुपरम्परा^२के अनुसार इनका समय ई० ७२५ के आसपास है। आ० प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० २) तथा न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० २०) में सम्बन्ध, अभिधेय, शक्यानुष्ठानेष्ट-प्रयोजनरूप अनुबन्धत्रयकी चर्चामें, जो उन्मत्तवाक्य, काकदन्तपरीक्षा, मातृविवाहोपदेश तथा सर्वज्वरहर-तलाकचूडारलाङ्कारोपदेशके उदाहरण दिए हैं वे धर्मोत्तरकी न्यायबिन्दुटीका (पृ० २) के प्रभावसे अछूते नहीं हैं। इनकी शब्दरचना करीब-करीब एक जैसी है। इसी तरह न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० २६) में प्रत्यक्ष शब्दकी व्याख्या करने समय अज्ञाप्रितत्वकी प्रत्यक्षशब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त बताया है और अज्ञाप्रितत्वोप-कृत अर्थसाक्षात्कारित्वकी प्रवृत्तिनिमित्त। ये प्रकार भी न्यायबिन्दुटीका (पृ० ११) से अक्षरशः मिलते हैं।

ज्ञानश्री और प्रभाचन्द्र—ज्ञानश्रीने सप्तमंशाध्याय आदि अनेक प्रकरण लिखे हैं। उदयनाचार्यने

१. देखो, तत्त्वसंग्रहकी प्रस्तावना, पृ० Xov

२. देखो, वादन्यायका परिशिष्ट।

अपने आत्मतत्त्वविवेकमे ज्ञानश्रीके क्षणभंगाध्यायका नामोल्लेखपूर्वक आनुपूर्वीसे खण्डन किया है। उदयनाचार्यने अपनी लक्षणावली तकम्बराक (९०६) शक, ई० ९८४ मे समाप्त की थी। अत ज्ञानश्रीक समय ई० ९८४ से पहिले तो होना ही चाहिये। भिक्षु राहुल साकृत्यायनजीके नोट्स देखनेसे ज्ञात हुआ है कि—ज्ञानश्रीके क्षणभंगाध्याय या अपोहसिद्धि(?)के प्रारम्भमे यह कारिका है—

“अपोह-शब्दलिङ्गाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते।”

विद्यानन्दकी अष्टसहस्रीमे भी यह कारिका उद्धृत है। आ० प्रभाचन्द्रने भी अपोहवादके पूर्वपक्षमे “अपोहः शब्दलिङ्गाम्या” कारिका उद्धृत की है। वाचस्पतिमिश्र (ई० ८४१) के ग्रन्थोंमें ज्ञानश्रीकी समालोचना नहीं है पर उदयनाचार्य (ई० ९८४) के ग्रन्थोमे है, इसलिए भी ज्ञानश्रीका समय ईसाकी १०वीं शताब्दीके बाद तो नहीं आ सकता।

जयसिंहराशिभट्ट और प्रभाचन्द्र—भट्ट श्री जयसिंहराशिका तत्त्वोपप्लवसिंह नामक ग्रन्थ गायकवाड सीरीजमें प्रकाशित हुआ है। इनका समय ईसाकी ८वीं शताब्दी है। तत्त्वोपप्लवग्रन्थमे प्रमाण-प्रमेय आदि सभी तत्त्वोका बहुविध विकल्पजालसे खण्डन किया गया है। आ० विद्यानन्दके ग्रन्थोमे सर्वप्रथम तत्त्वोपप्लववादीका पूर्वपक्ष देखा जाता है। प्रभाचन्द्रने मशयज्ञानका पूर्वपक्ष तथा बाधकज्ञानका पूर्वपक्ष तत्त्वोपप्लव ग्रन्थसे ही किया है और उसका उत्तने ही विकल्पों द्वारा खण्डन किया है। प्रमेयकमलमार्त्तण्ड (पृ० ६४८) मे ‘तत्त्वोपप्लववादि’ का दृष्टान्त भी दिया गया है। ग्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ३३९) मे भी तत्त्वोपप्लववादिका दृष्टान्त पाया जाता है। तात्पर्य यह कि परमतके खण्डनमे क्वचित् तत्त्वोपप्लववादिकृत विकल्पोका उपयोग कर लेनेपर भी प्रभाचन्द्रने स्थान-स्थानपर तत्त्वोपप्लववादिके विकल्पोकी भी समीक्षा की है।

कुन्दकुन्द और प्रभाचन्द्र—दिगम्बर आचार्योंमे आ० कुन्दकुन्दका विशिष्ट स्थान है। इनके सारत्रय-प्रवचनसार, पञ्चास्तिकायसमयसार और समयमार—के सिवाय वारमण्यवेषला अष्टपाहुड आदि ग्रन्थ उपलब्ध हैं। प्रो० ए० एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामे इनका समय ईसाकी प्रथमशताब्दी सिद्ध किया है। कुन्दकुन्दाचार्यने बोधपाहुड (गा० ३७) मे केवलीको आहार और निहारसे रहित बतकर कबलाहारका निषेध किया है। सूत्रप्रभृत (गा० २३-३६) मे स्त्रीको प्रव्रज्याका निषेध करके स्त्रीमुक्तिका निरास किया है। कुन्दकुन्दके इस मूलमार्गका दार्शनिकरूप हम प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोमे केवलिकवलाहारवाद तथा स्त्रीमुक्तिवादके रूपमे पाते हैं। यद्यपि शाकटायनने अपने केवलमुक्ति और स्त्रीमुक्ति प्रकरणोमे दिगम्बरोंकी मान्यताका विस्तृत खण्डन किया है, जिससे ज्ञात होता है कि शाकटायनके सामने दिगम्बराचार्योंका उक्त सिद्धान्तद्वयका समर्थक विकर्मित साहित्य रहा है। पर आज हमारे सामने प्रभाचन्द्रके ग्रन्थ ही इन दोनों मान्यताओके समर्थकरूपमें समुपस्थित हैं। आ० प्रभाचन्द्रने ग्यायकुमुदचन्द्रमे प्रवचनसारकी ‘जियदु य मरदु य’ गाथा, भावपाहुडकी ‘एगो मे सस्गदो’ गाथा, तथा प्रा० सिद्धभक्तिकी ‘पुबेद वेदन्ता’ गाथा उद्धृत की है। प्राकृत दशभिन्नियां भी कुन्दकुन्दाचार्यके नामसे प्रसिद्ध है।

समन्तभद्र और प्रभाचन्द्र—आद्यस्नुतिकार स्वामि समन्तभद्राचार्यके बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र, आप्त-मीमांसा, युक्त्यनुशासन आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दी माना जाता है। किन्ही विद्वानोका विचार है कि इनका समय विक्रमकी पाँचवी या छठवी शताब्दी होना चाहिये। प्रभाचन्द्रने ग्यायकुमुदचन्द्रमे बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रसे “अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः” “मानुषी प्रकृतिमभ्यतीक्षवात्” “तदेव च स्यान्न तदेव” इत्यादि श्लोक उद्धृत किए हैं।

आ० विद्यानन्दने आप्तपरीक्षाका उपसंहार करते हुए यह श्लोक लिखा है कि—

“श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्राद्भुतसलिलनिधेरिद्धरत्नोद्भवस्य,
प्रोत्थानारम्भकाले सकलमलभिदे शास्त्रकारैः कृतं यत् ।
स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितपुधुपथं स्वामिमीमांसितं तत्,
विद्यानन्दे स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धये ॥ १२३ ॥”

अर्थात् तत्त्वार्थशास्त्ररूपी अद्भुत समुद्रसे दीप्तरत्नोके उद्भवके प्रोत्थानारम्भकाल—प्रारम्भिक समयमें, शास्त्रकारने, पापोंका नाश करनेके लिए, मोक्षके पथको बतानेवाला, तीर्थस्वरूप जो स्तवन किया था और जिस स्तवनकी स्वामीने मीमांसा की है, उसीका विद्यानन्दने अपनी स्वल्पशक्तिके अनुसार सत्यवाक्य और सत्यार्थको सिद्धिके लिए विवेचन किया है। अथवा, जो दीप्तरत्नोके उद्भव—उत्पत्तिका स्थान है उस अद्भुत सलिलनिधिके समान तत्त्वार्थशास्त्रके प्रोत्थानारम्भकाल—उत्पत्तिका निमित्त बताते समय या प्रोत्थान-उत्थानिका भूमिका बौध्नेके प्रारम्भिक समयमें शास्त्रकारने जो मगलस्तोत्र रचा और जिस स्तोत्रमें वर्णित आप्तकी स्वामीने मीमांसा की उसीकी मैं (विद्यानन्द) परीक्षा कर रहा हूँ।

वे इस श्लोकमें स्पष्ट सूचित करते हैं कि स्वामी समन्तभद्रने ‘माक्षमार्गस्य नतारम्’ मगलश्लोकमें वर्णित जिस आप्तकी मीमांसा की है उसी आप्तकी मैंने परीक्षा की है। वह मगलस्तोत्र तत्त्वार्थशास्त्ररूपी समुद्रसे दीप्त रत्नोके उद्भवके प्रारम्भिक समयमें या तत्त्वार्थशास्त्रकी उत्पत्तिका निमित्त बताते समय शास्त्रकारने बनाया था। यह तत्त्वार्थशास्त्र यदि तत्त्वार्थसूत्र है तो उसका मथन करके रत्नोके निकालने-वाले या उसकी उत्थानिका बौध्नेवाले—उसकी उत्पत्तिका निमित्त बतानेवाले आचार्य पूज्यपाद हैं। यह ‘मोक्षमार्गस्य नतारम्’ श्लोक स्वयं सूत्रकारका तो नहीं मालूम होता, क्योंकि पूज्यपाद, भट्टाकलङ्कदेव और विद्यानन्दने सर्वाथसिद्धि, राजवार्तिक और श्लोकवार्तिकमें इसका व्याख्यान नहीं किया है। यदि विद्यानन्द इसे सूत्रकारकृत हूँ मानते होते तो वे अवश्य ही श्लोकवार्तिकमें उसका व्याख्यान करते। परन्तु यही विद्यानन्द आप्तपरीक्षा (पृ० ३) के प्रारम्भमें इसी श्लोकको सूत्रकारकृत भी लिखते हैं। यथा—

“किं पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्रं शास्त्रादीं सूत्रकारैः प्राहुरिति निगद्यते—मोक्षमार्गस्य नेतारम्” इस पंक्तिमें यही श्लोक सूत्रकारकृत कहा गया है। किन्तु विद्यानन्दकी शैलीका ध्यानसे समीक्षण करनेपर यह स्पष्टरूपसे सिद्ध हो जाता है कि वे अपने ग्रन्थोंमें किसी भी पूर्वाचार्यको सूत्रकार और किसी भी पूर्वग्रन्थको सूत्र लिखते हैं। तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक (पृ० १८४) में वे अकलकदेवका सूत्रकार शब्दसे तथा राजवार्तिकका सूत्र शब्दसे उल्लेख करते हैं—“तेन इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीतव्यभिचार साकारग्रहणम् इत्येतत्सूत्रोपात्तमुक्तं भवति । ततः, प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा । द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषार्थात्म-वेदनम् ॥ ४ ॥ सूत्रकारा इति श्रेयमाकलकावबोधने” इस अवतरणमें ‘इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्ष’ वाक्य राज-वार्तिक (पृ० ३८) का है तथा ‘प्रत्यक्षलक्षण’ श्लोक न्यायविनिश्चय (श्लो० ३) का है। अतः मात्र सूत्रकारके नामसे ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ श्लोकको उद्धृत करनेके कारण हम ‘विद्यानन्दका झुकाव इसे मूल सूत्रकारकृत माननेकी ओर है’ यह नहीं समझ सकते। अन्यथा वे इसका व्याख्यान श्लोकवार्तिकमें अवश्य करते। अतः इस पंक्तिमें सूत्रकार शब्दसे भी इन्द्ररत्नोके उद्भवकर्ता या तत्त्वार्थशास्त्रकी भूमिका बौध्नेवाले आचार्यका ही ग्रहण करना चाहिए। आप्तपरीक्षाके—

“इति तत्त्वार्थशास्त्रादीं मुनीन्द्रस्तोत्रगोचरा ।
प्रणीताप्तपरीक्षायं कुविवादिनवृत्तये ॥”

इस अनुष्टुप् श्लोकमें तत्त्वार्थशास्त्रादौ पद 'प्रोत्वानारम्भकाले' पदके अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है । ३२ अक्षरवाले इस संक्षिप्त श्लोकमें इससे अधिककी गुजाइश ही नहीं है । 'मोक्षमार्गस्य नेतार' श्लोक वस्तुतः सर्वार्थसिद्धिका ही मगल-श्लोक है । यदि पूज्यपाद स्वयं भी इसे सूत्रकारकृत मानते होते तो उनके द्वारा उसका व्याख्यान सर्वार्थसिद्धिमें अवश्य किया जाता । और जब समन्तभद्रने इसी श्लोकके ऊपर अपनी आप्त-मीमांसा बनाई है, जैसा कि विद्यानन्दका उल्लेख है, तो समन्तभद्र कमसे कम पूज्यपादके समकालीन तो सिद्ध होते ही हैं । प० सुखलालजीका यह तर्क कि—'यदि समन्तभद्र पूज्यपादके प्राक्कालीन होते तो वे अपने इस युगप्रधान आचार्यकी आप्तमीमांसा जैसी अनूठी कृतिका उल्लेख किए बिना नहीं रहते' हृदयको लमता है । यद्यपि ऐसे नकारात्मक प्रमाणोंसे किसी आचार्यके समयका स्वतन्त्र भावसे साधन बाधन नहीं होता फिर भी विचारको एक स्पष्ट कोटि तो उपास्थित हो ही जाती है । और जब विद्यानन्दके उल्लेखोंके प्रकाशमें इसका विचार करते हैं तब यह पर्याप्त पुष्ट मालूम होता है । समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाके चौथे परिच्छेदमें वर्णित "विस्फुकार्यारम्भाय" आदि कारिकाओंके पूर्वपक्षोंकी समाधा करनेसे ज्ञात होता है कि समन्तभद्रके सामने संभवतः दिनागके ग्रन्थ भी रहे हैं । बौद्धदर्शनको इतनी स्पष्ट विचारधाराकी सम्भावना दिनागसे पहिले नहीं की जा सकती ।

हेतुविन्दुके अर्चटकृत विवरणमें समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाकी "द्रव्यपर्याययोरैक्य तयोरव्यतिरेकत" कारिकाके खडन करनेवाले ३०-३५ श्लोक उद्धृत किए गए हैं । ये श्लोक दुर्वैकमिश्रकी हेतुविन्दुटीकानु-टीकाके लेखानुसार स्वयं अर्चटने ही बनाए हैं । अर्चटका समय ९वीं सदी है । कुमारिकके मीमांसाश्लोक-वार्तिकमें समन्तभद्रकी "घटमौलिमुवर्णार्थी" कारिकासे समानता रखनेवाले निम्न श्लोक पाये जाते हैं—

“वर्धमानकभङ्गे च रुचकः क्रियते यदा ।
तदा पूर्वाधि न शोक प्रीतिश्चाप्युत्तराधि न ॥
हेमाधि नस्तु माध्यस्थ्य तस्माद्भस्तु त्रयात्मकम् ।
न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम् ॥
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्वान्तव्यता ॥”

—मी० श्लो०, पृ० ६१९

कुमारिकका समय ईसाकी ७वीं सदी है । अतः समन्तभद्रकी उत्तराधिसातवीं सदी मानी जा सकती है । पूर्वाधिका नियामक प्रमाण दिनागका समय होना चाहिए । इस तरह समन्तभद्रका समय ईसाकी ५वीं और सातवीं शताब्दीका मध्यभाग अधिक संभव है । यदि विद्यानन्दके उल्लेखमें ऐतिहासिक दृष्टि भी निविष्ट है तो समन्तभद्रकी स्थिति पूज्यपादके बाद या समसमयमें होनी चाहिए ।

पूज्यपादके जैनेन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्मत प्राचीनसूत्रपाठमें "चतुष्टय समन्तभद्रस्य" सूत्र पाया जाता है । इस सूत्रमें यदि इन्होंने समन्तभद्रका निदर्श है तो इसका निर्वहण समन्तभद्रको पूज्यपादका समकालीन-वृद्ध मानकर भी किया जा सकता है ।

१. आ० विद्यानन्द अष्टसहस्रीके मगलश्लोकमें भी लिखते हैं कि—

“शास्त्रावताररचितस्तुतिगाराराममीमांसिन कृतिरलङ्कियेन मयाज्यम् ॥

अर्थात्—शास्त्र तत्त्वार्थशास्त्रके अवतार-अवतरणिका-भूमिकाके समय रची गई स्तुतिमें वर्णित आप्तकी मीमांसा करनेवाले आप्तमीमांसा नामक ग्रन्थका व्याख्यान किया जाता है । यहाँ 'शास्त्रावतार-रचितस्तुति' पद आप्तपरीक्षाके 'प्रोत्वानारम्भकाल' पदका समानार्थक है ।

पूज्यपाद और प्रभाचन्द्र—आ० देवनन्दिका अपर नाम पूज्यपाद था। ये विक्रमकी पाँचवीं और छठी सदीके क्पात आचार्य थे। आ० प्रभाचन्द्रने पूज्यपादकी सर्वाधिकारित्वापर 'तत्त्वार्थवृत्तिपदविवरण' नामकी लघुवृत्ति लिखी है। इसके सिवाय इन्होंने जैनेन्द्रव्याकरणपर शब्दाभोजभास्कर नामका न्यास लिखा है। पूज्यपादकी संस्कृत सिद्धभक्तिसे 'सिद्ध स्वात्मोपलब्धिः' पद भी न्यायकुमुदचन्द्रमें प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है। प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रमें जहाँ कहीं भी व्याकरणके सूत्रोंके उद्धरण देनेकी आवश्यकता हुई है वहाँ प्रायः जैनेन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठसे ही सूत्र उद्धृत किए गए हैं।

धनञ्जय और प्रभाचन्द्र—'संस्कृतसाहित्यकः संक्षिप्त इतिहास' के लेखकद्वयने धनञ्जयका समय ई० १२वें शतकका मध्य निर्धारित किया है (पृ० १७३)। और अपने इस मतकी पुष्टिके लिए के० बी० पाठक महाशयका यह मत भी उद्धृत किया है कि—'धनञ्जयने द्विसन्धानमहाकाव्यकी रचना ई० ११२३ और ११४० के मध्यमे की है।' डॉ० पाठक और उक्त इतिहासके लेखकद्वय अन्य कई जैन कवियोंके समय निर्धारणकी भाँति धनञ्जयके समयमें भी भ्रान्ति कर बैठे हैं। क्योंकि विचार करनेसे धनञ्जयका समय ईसाकी ८वीं सदीका अन्त और नवीका प्रारम्भिक भाग सिद्ध होता है—

१-जल्हण (ई० द्वादशशतक) विरचित सूक्तिमुक्तावलीमें राजशेखरके नामसे धनञ्जयकी प्रशंसामें निम्नलिखित पद्य उद्धृत हैं—

“द्विसन्धाने निपुणता सतां चक्रे धनञ्जयः।

यया जातं फल तस्य स तां चक्रे धनञ्जयः ॥”

इस पद्यमें राजशेखरने धनञ्जयके द्विसन्धानकाव्यका मनोमुग्धकर सरणिसे निर्देश किया है। संस्कृत साहित्यके इतिहासके लेखकद्वय लिखते हैं कि—'यह राजशेखर प्रबन्धकोशका कर्ता जैन राजशेखर है। यह राजशेखर ई० १३४८ मे विद्यमान था।' आश्चर्य है कि १२वीं शताब्दीके विद्वान् जल्हणके द्वारा विरचित ग्रन्थमें उल्लिखित होनेवाले राजशेखरको लेखकद्वय १४वीं शताब्दीका जैन राजशेखर बताते हैं। यह तो मोटी बात है कि १२वीं शताब्दीके जल्हणने १४वीं शताब्दीके जैन राजशेखरका उल्लेख न करके १०वीं शताब्दीके प्रसिद्ध काव्यमीमासाकार राजशेखरका ही उल्लेख किया है। इस उल्लेखसे धनञ्जयका समय ९वीं शताब्दीके अन्तिम भागके बाद तो किसी भी तरह नहीं जाता। ई० ९६० में विरचित सोयदेवके यशस्तिलक चम्पूमें राजशेखरका उल्लेख हानेसे इनका समय करीब ई० ९१० ठहरता है।

२-वाटिराजसूरि अपने पादर्वनाथचरित (पृ० ४) में धनञ्जयकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं—

“अनेकभेदसन्धानाः खनन्तो हृदये मुहुः।

बाणा धनञ्जयोन्मुक्ताः कर्णस्येव प्रियाः कथम् ॥”

इस श्लोकमें 'अनेकभेदसन्धानाः' पदसे धनञ्जयके 'द्विसन्धानकाव्य' का उल्लेख बड़ी कुशलतासे किया गया है। वाटिराजसूरिने पादर्वनाथचरित ९४७ शक (ई० १०२५) में समाप्त किया था। अतः धनञ्जयका समय ई० १०वीं शताब्दीके बाद तो किसी भी तरह नहीं जा सकता।

३-आ० धीरसेनने अपनी धवलटोका^३ (अमरावतीकी प्रति, पृ० ३८७) में धनञ्जयकी अनेकार्थ-नाममाळाका निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है—

१ देखो, अनेकान्त वर्ष १, पृ० १९७। प्रेमिजी सूचित करते हैं कि इसकी प्रति बंबईके ऐल्क पन्नालाल-सरस्वती भवनमें मौजूद है।

२. देखो, धवलटोका प्रथम भागकी प्रस्तावना, पृ० ६२।

“हेतावेकं प्रकाराशौ व्यवच्छेदे विपर्यये ।
प्रादुर्भावे समाप्ती च इतिशब्दं विदुर्बुधाः ॥”

आ० बीरसेखने धनञ्जयटीकाको समाप्ति शक ७३८ (ई० ८१६) में की थी । श्रोमान् प्रेमीजीने बनभद्रव्याख्याको उत्पानिकामे लिखा है कि “ध्वन्यालोकके कर्ता आनन्दवर्धन, हरचरित्रके कर्ता रत्नाकर जी, जल्लघने धनञ्जयकी स्तुति की है ।” सकुट साहित्यके सक्षिप्त इतिहासमें आनन्दवर्धनका समय ई० ८४०-७०, एव रत्नाकरका समय ई० ८५० तक निर्धारित किया है । अत धनञ्जयका समय ८वीं शताब्दीका उत्तरार्ध और नवीं शताब्दीका पूर्वभाग मुनिश्चित होता है । धनञ्जयने अपनी नाममात्रके—

“प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणम् ।
धनञ्जयकवे काव्य रत्नत्रयमपरिचमम् ॥”

इस श्लोकमे अकलङ्कदेवका नाम लिया है । अकलङ्कदेव ईसाकी ८वीं सदीके आचार्य है अत धनञ्जयका समय ८वीं सदीका उत्तरार्ध और नवींका पूर्वार्ध मानना सुसंगत है । आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० ४०२) मे धनञ्जयके द्विसन्धानकाव्यका उल्लेख किया है । न्यायकुमुदचन्द्रमे इसी स्थलपर द्विसन्धानकी जगह त्रिसन्धान नाम लिया गया है ।

रविभद्रशिष्य अनन्तवीर्य और प्रभावंद्र—रविभद्रपादापजीवि अनन्तवीर्याचार्यकी मिद्विविनिश्चयटीका सम्पुलब्ध है । ये अकलङ्कके प्रकरणके तलद्रष्टा, विवेचयिता, व्याख्याता और मर्मज्ञ थे । प्रभाचन्द्रने इनकी उक्तिथेसे ही दुरवागह अकलङ्कवाङ्मयका सुष्ठु अम्भाम और विवेचन किया था । प्रभाचन्द्र अनन्तवीर्यके प्रति अपनी कृतज्ञताका भाव न्यायकुमुदचन्द्रमे एकाधिक बार प्रदर्शित करते हैं । इनकी मिद्विविनिश्चयटीका अकलङ्कवाङ्मयके टीकासाहित्यका शिरोरत्न है । उसमें नैकडो मनमतान्नरोका उल्लेख करके उनका सविस्तर निरूपण किया गया है । इस टीकामें धर्मकीर्ति, अचट धर्मोत्तर, प्रज्ञाकरमुत्त, आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध धर्मकीर्तिमाहित्यके व्याख्याकाराके मन उनके ग्रन्थोंके लम्बे-लम्बे अवतरण देकर उद्धृत किए गए हैं । यह टीका प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोपर अपना विचित्र प्रभाव रखती है । शान्तिनृपिने अपनी जैननर्कवातिकवृत्ति (पृ० ९८) मे ‘एके अनन्तवीर्याख्य’ पदसे सम्भवत इन्हीं अनन्तवीर्यके मतका उल्लेख किया है ।

विद्यानन्द और प्रभाचन्द्र—आ० विद्यानन्दका जैनतात्त्विकोमे अपना विशिष्ट स्थान है । इनकी श्लोकात्मिक, अष्टसहस्री, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरोक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशानमपरीक्षा, युक्त्यनुशासनटीका आदि तात्त्विककृतियाँ उनके अतुल तलस्पर्शी पाण्डित्य और मर्वन्तांमुख अव्ययनका पदे-पदे अनुभव कराती हैं । इन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थमे अपना समय आदि नहीं दिया है । आ० प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र दोनों ही प्रमुखग्रन्थोपर विद्यानन्दकी कृतियोंकी सुविश्चित अमिट छाप है । प्रभाचन्द्रको विद्यानन्दके ग्रन्थोका अनूठा अम्भस था । उनकी शब्दरचना भी विद्यानन्दकी शब्दभंगीमे पुरो तरह प्रभाजित है । प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्डके प्रथमपरिच्छेदके अन्तमे—

“विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतो नित्य मनोनन्दनम्”

इस श्लोकाशमे श्लिष्टरूपसे विद्यानन्दका नाम लिया है । प्रमेयकमलमार्तण्डमे पत्रपरीक्षासे पत्रका लक्षण तथा अन्य एक श्लोक भी उद्धृत किया गया है । अत विद्यानन्दके ग्रन्थ प्रभाचन्द्रके लिए उपजीव्य निर्विवादरूपसे सिद्ध हो जाते हैं ।

आ० विद्यानन्द अपने आप्तपरोक्षा आदि ग्रन्थोमें ‘सत्यवाक्यार्थसिद्धयै’ ‘सत्यवाक्याधिपा.’ विशेषणसे तत्कालीन राजाका नाम भी प्रकारान्तरसे सूचन करते हैं । बाबू कामताप्रसादजी (जैनसिद्धान्तमास्कर

भाग ३, किरण ३, पृ० ८७) लिखते हैं कि—“बहुत गमय है कि उन्होंने गंगवाडि प्रदेशमें बहुवास किया ही, क्योंकि गंगवाडि प्रदेशके राजा राजमल्लने भी गंगवंशमें होनेवाले राजाओंमें सर्वप्रथम 'सत्यवाक्य' उपाधि था अपरनाम धारण किया था। उपर्युक्त श्लोकमें यह संभव है कि विद्यानन्दीने अपने समयके इस राजाके 'सत्यवाक्याधिप' नामको ध्वनित किया हो। युक्त्यनुशासनालङ्कारमें उपर्युक्त श्लोक प्रशस्ति रूप है और उसमें रचयिता द्वारा अपना नाम और समय सूचित होना ही चाहिए। समयके लिए तत्कालीन राजाका नाम ध्वनित करना पर्याप्त है। राममल्ल सत्यवाक्य विजयादित्यका लडका था और वंश सन् ८१६ के लगभग राज्याधिकारी हुआ था। उनका समय भी विद्यानन्दके अनुकूल है। युक्त्यनुशासनालङ्कारके अन्तिम श्लोकके 'प्रोक्त युक्त्यनुशासन विजयिभि श्रीसत्यवाक्याधिप' इस अंशमें सत्यवाक्याधिप और विजय दोनो शब्द हैं, जिनसे गंगराज सत्यवाक्य और उसके पिता विजयादित्यका नाम ध्वनित होता है।" इस अवतरणसे यह सुनिश्चित हो जाता है कि विद्यानन्दने अपनी कृतिमें राजमल्ल सत्यवाक्य (८१६ ई०) के राज्यकालमें बनाई है। आ० विद्यानन्दने सर्वप्रथम अपना तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक ग्रन्थ बनाया है, तत्पुत्रान्त अष्टसहस्री और विद्यानन्दमहोदय, इसके अनन्तर अपने आप्तपरीक्षा आदि परीक्षान्तनामवाले लघु प्रकरण तथा युक्त्यनुशासनटीका; क्योंकि अष्टसहस्रीमें तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकका तथा आप्तपरीक्षा आदिमें अष्टसहस्री और विद्यानन्दमहोदयका उल्लेख पाया जाता है। विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक और अष्टसहस्रीमें, जो उनकी वाद्य रचनाएँ हैं, 'सत्यवाक्य' नाम नहीं लिया है, पर आप्तपरीक्षा आदिमें 'सत्यवाक्य' नाम लिया है। अतः मालूम होता है कि विद्यानन्द श्लोकवार्तिक और अष्टसहस्रीको सत्यवाक्यके राज्यसिंहामनासोने होनेके पहिले ही बना चुके होंगे। विद्यानन्दके ग्रन्थोंमें मडनमिश्रके मतका खडन है और अष्टसहस्रीमें सुरेश्वरके सम्बन्धवार्तिकसे ३४ कारिकाएँ भी उद्धृत की गई हैं। मडनमिश्र और सुरेश्वरका समय ईसाकी ८वीं शताब्दीका पूर्वभाग माना जाता है। अतः विद्यानन्दका समय ईसाकी ८वीं शताब्दीका उत्तरार्ध और नवीका पूर्वार्ध मानना समुचित मालूम होता है। प्रभाचन्द्रके मामने इनकी ममस्त रचनाएँ रही हैं। तत्त्वोपलब्धवादका खडन तो विद्यानन्दकी अष्टसहस्रीमें ही विस्तारमें मिलता है, जिसे प्रभाचन्द्रने अपने ग्रन्थोंमें स्थान दिया है। इसी तरह अष्टसहस्री और श्लोकवार्तिकमें पाई जानेवाली भावना विधि नियोगके विचारकी दुरवगह चर्चा प्रभाचन्द्रके न्यायकुमुदचन्द्रमें प्रमत्नरूपसे अवतीर्ण हुई है। आ० विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक (पृ० २०६) में न्यायदर्शनके 'पूर्ववन' आदि अनुमानसूत्रका निराम करने समय केवल भाष्यकार और वार्तिककारका ही मन पूर्वपक्ष रूपमें उपस्थित किया है। वे न्यायवार्तिकनात्ययटीकाकारके अभिप्रायको अपने पूर्वपक्षमें शामिल नहीं करते। वाचस्पतिमिश्रने नात्ययटीका ई० ८४१ के लगभग बनाई थी। इससे भी विद्यानन्दके उक्त समयकी पट्टि होती है। यदि विद्यानन्दका ग्रन्थरचनाकाल ई० ८४१ के अन्त होता तो वे नात्ययटीका उल्लेख किये बिना न रहते।

अनन्तकीर्ति और प्रभाचन्द्र—लघुव्यस्तत्रयादि संग्रहमें अनन्तकीर्तिकृत लघुसर्वज्ञसिद्धि और बृहत्सर्वज्ञसिद्धि प्रकार मश्रित है। लघुव्यस्तत्रयादिसंग्रहकी प्रस्तावनामें पं० नाष्टरामजी प्रेमीने इन अनन्तकीर्तिके समयकी उत्तरार्धवि विक्रम संवत् १०८२ के पहिले निर्धारित की है, और इस समयके समर्थनमें बाहिराजके पाषाणनामचरितका यह श्लोक उद्धृत किया है—

“आरमनैषाद्वितीयेन जीवसिद्धि निबन्धन्तं ।
अनन्तकीर्तिना मुक्तिराजिभागेन लक्ष्यते ॥”

बाहिराजने पाषाणनामचरितकी रचना विक्रम संवत् १०८२ में की थी। संभव तो यह है कि इन्हीं

अनन्तकीर्तिने जीवसिद्धिकी तरह लघुसर्वज्ञसिद्धि और बृहत्सर्वज्ञसिद्धि ग्रन्थ बनाये हैं। सिद्धि विनिश्चय-टीकामें अनन्तवीर्यने भी एक अनन्तकीर्तिका उल्लेख किया है। यदि पार्ष्वनाथचरितमें स्मृत अनन्तकीर्ति और सिद्धिविनिश्चयटीकामें उल्लिखित अनन्तकीर्ति एक ही व्यक्ति है तो मानना होगा कि इनका समय प्रभा-चन्द्रके समयसे पहिले है; क्योंकि प्रभाचन्द्रने अपने ग्रन्थमें सिद्धिविनिश्चयटीकाकार अनन्तवीर्यका सबहुमान स्मरण किया है। अस्तु। अनन्तकीर्तिके लघुसर्वज्ञसिद्धि तथा बृहत्सर्वज्ञसिद्धि ग्रन्थोंका और प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रके सर्वज्ञसिद्धि प्रकरणोंका आभ्यन्तर परीक्षण यह स्पष्ट बताता है कि इन ग्रन्थोंमें एक-का दूसरेके ऊपर पूरा-पूरा प्रभाव है।

बृहत्सर्वज्ञसिद्धि—(पृ० १८१ से २०४ तक) के अन्तिम पृष्ठ तो कुछ थोड़ेसे हेरफेरसे न्यायकुमुद-चन्द्र (पृ० ८३८ से ८४७) के मुक्तिवाद प्रकरणके साथ अपूर्व सादृश्य रखते हैं। इन्हें पढ़कर कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता है कि इन दोनोंमेंसे किसी एकने दूसरेका पुस्तक सामने रखकर अनुसरण किया है। मेरा तो यह विश्वास है कि अनन्तकीर्तिकृत बृहत्सर्वज्ञसिद्धिका ही न्यायकुमुदचन्द्रपर प्रभाव है। उदाहरणार्थ—

किन्तु अज्ञो जन दुःखानुषक्तसुखसाधनमपश्यन् आत्मस्नेहात् सासारिवेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवर्तते। हित्साहितविवेकज्ञस्तु तादात्विकसुखसाधनं स्थ्यादिकं परित्यज्य आत्मस्नेहात् आत्यन्तिकसुखसाधने मुक्तिमार्गं प्रवर्तते। यथा पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुर तादात्विकसुखसाधनं व्याधिविवृद्धिनिमित्तं दध्यादिकमुपावसते, पथ्यापथ्यविवेकज्ञस्तु तत्परित्यज्य पेयाद्यौ आरोग्यसाधने प्रवर्तते। उक्तञ्च—तादात्विकसुखसंज्ञेषु भावे-ष्वज्ञोऽनुरज्यते। हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षका ॥—न्यायकुमुदचन्द्र, पृ० ८४७।

“किन्त्वजज्ञो जनो दुःखानुषक्तसुखसाधनमपश्यन् आत्मस्नेहात् समारान्त पतितेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवर्तते। हित्साहितविवेकज्ञस्तु तादात्विकसुखसाधनं स्थ्यादिकं परित्यज्य आत्मस्नेहादात्यन्तिकसुखसाधने मुक्तिमार्गं प्रवर्तते। यथा पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरः तादात्विकसुखसाधनं व्याधिविवृद्धिनिमित्तं दध्यादिकमुपावसते, पथ्यापथ्यविवेकज्ञस्तु आतुरस्तादात्विकसुखसाधनं दध्यादिकं परित्यज्य पेयादावाारोग्यसाधने प्रवर्तते। तथा च कस्यचिद्विदुष सुभाषितम्—तादात्विकसुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते। हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परी-क्षका ॥”—बृहत्सर्वज्ञसिद्धि, पृ० १८१।

इस तरह यह समूचा ही प्रकारके शब्दानुसरणमें ओतप्रोत है।

शाकटायन और प्रभाचन्द्र—राष्ट्रकूटवर्षीय राजा अमोघवर्षके राज्यकाल (ईस्वी ८१४-८७७) में शाकटायन नामके प्रसिद्ध वैयाकरण हो गए हैं। ये यूपानीय सघके आचार्य थे। यूपानीयसघका वास्तु आचार बहूत कुछ दिग्मन्त्रोंमें मिलता जुलता था। ये नग्न रहते थे। श्वेताम्बर आगमोंको आदरकी दृष्टिसे देखते थे। आ० शाकटायनने अमोघवर्षके नामसे अपने शाकटायनव्याकरणपर ‘अमोघवृत्ति’ नामकी टीका बनाई थी। अत इनका समय भी लगभग ई० ८०० से ८७५ तक समझना चाहिए। यूपानीयसंघके अनुयायी दिग्म्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंको कुछ-कुछ बानोंको स्वीकार करते थे। एक तरहसे यह सघ दोनों सम्प्रदायोंके जोड़नेके लिए शृङ्खलाका कार्य करता था। आचार्य मलयगिरिने अपनी नन्दोसूत्रकी टीका (पृ० १५) में शाकटायनको ‘यूपानीयतिग्रामाग्रणी’ लिखा है—“शाकटायनोऽपि यूपानीयतिग्रामाग्रणी स्वोपज्ञाशब्दानु-शासनवृत्तौ”। शाकटायन आचार्यने अपनी अमोघवृत्तिमें छेवसूत्र नियुक्ति कालिकसूत्र आदि श्वे० ग्रन्थोंका

१ देखो—पं० नाथूरामप्रेमीका ‘यूपानीय साहित्यकी खोज’ (अनेकान्त वर्ष ३, किरण १) तथा प्रो० ए० ए० लपाध्यायका ‘यूपानीयसंघ’ (जैनदर्शन वर्ष ४, अंक ७) लेख।

बड़े आधारसे उल्लेख किया है। आचार्य शाकटायनने केवलिकवलाहार तथा स्त्रीमुक्तिके समर्थनके लिए स्त्री-मुक्ति और केवलिमुक्ति नामके दो प्रकरण बनाए हैं^१। दिग्म्बर और श्वेताम्बरोंके परस्पर झिझावमें ये दोनों सिद्धान्त ही मुख्य माने जाते हैं। यों तो दिग्म्बर ग्रन्थोंमें कुम्भकुम्भाचार्य, पूज्यपाद आदिके ग्रन्थोंमें स्त्री-मुक्ति और केवलिमुक्तिका मूलरूपसे निरसन किया गया है, परन्तु इन्हीं विषयोंके पूर्वोत्तरपक्ष स्थापित करके शास्त्रार्थका रूप आ० प्रभाचन्द्रने ही अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रमें किया है। श्वेताम्बरोंके तर्कसाहित्यमें हम सर्वप्रथम हरिभद्रसूरिकी कलितविस्तरामें स्त्रीमुक्तिका संक्षिप्त समर्थन देखते हैं, परन्तु इन विषयोंकी शास्त्रार्थका रूप सन्मतिटीकाकार अभयदेव, उत्तराध्ययन पादयटीकाके रचयिता शान्तिमूर्ति तथा स्यादादरत्नाकरकार बार्हिदेवसूरिने ही दिया है। पीछे तो यशोविजय उपाध्याय तथा श्रेष्ठविजयगणि आदिके पर्याप्त साम्प्रदायिक रूपसे इनका विस्तार किया है। इन विवादग्रस्त विषयोंपर लिखे गए उक्तवचनीय साहित्यका ऐतिहासिक तथा तात्त्विक दृष्टिसे सूक्ष्म अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि स्त्री-मुक्ति और केवलिमुक्ति विषयोंके समर्थनका प्रारम्भ श्वेताम्बर आचार्योंकी अपेक्षा यापनीयसचवालोंने ही पहिले तथा दिलचस्पीके साथ किया है। इन विषयोंकी शास्त्रार्थका रूप देनेवाले प्रभाचन्द्र, अभयदेव तथा शान्तिमूर्ति करीब-करीब समकालीन तथा समदेशीय थे। परन्तु इन आचार्योंने अप. पत्रके समर्थनमें एक दूसरेका उल्लेख या एक दूसरेकी दलीलका साक्षात् खडन नहीं किया। प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुद-चन्द्रमें स्त्रीमुक्ति और केवलिमुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष लिखा गया है वह किसी श्वेताम्बर आचार्यके ग्रन्थ-का न होकर यापनीयाग्रणी शाकटायनके केवलिमुक्ति और स्त्रीमुक्ति प्रकरणोंसे ही लिया गया है। इन ग्रन्थोंके उत्तरपक्षमें शाकटायनके उक्त दोनों प्रकरणोंकी एक-एक दलीलका शब्ध्वाः पूर्वपक्ष करके समुचित निरास किया गया है। इसी तरह अभयदेवकी सन्मतिकटीका और शान्तिमूर्तिकी उत्तराध्ययन पादयटीका और जैनतर्कवातिकमें शाकटायनके इन्हीं प्रकरणोंके आधारसे ही उक्त बातोंका समर्थन किया गया है। हाँ, बार्हिदेवसूरिके रत्नाकरमें इन मतभेदोंमें दिग्म्बर और श्वेताम्बर दोनों सामने-सामने आते हैं। रत्नाकरमें प्रभाचन्द्रकी दलील पूर्वपक्ष रूपमें पाई जाती है। तात्पर्य यह कि—प्रभाचन्द्रने स्त्रीमुक्तिवाद तथा केवलिकवलाहारवादमें श्वेताम्बर आचार्योंकी बजाय शाकटायनके केवलिमुक्ति और स्त्रीमुक्ति प्रकरणोंको ही अपने खडनका प्रधान लक्ष्य बनाया है। न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ८६९) के पूर्वपक्षमें शाकटायनके स्त्रीमुक्ति प्रकरणकी यह कारिका भी प्रमाण रूपसे उद्धृत की गई है—

“गार्हस्थ्येऽपि सुमत्त्वा विख्याताः शोलवत्तया जगति ।

सीतादयः कथं तास्तपसि विशोला विसत्त्वाश्च ॥—स्त्रीमु० श्लो० ३१

अभयनन्दि और प्रभाचन्द्र—जैनेन्द्रव्याकरणपर आ० अभयनन्दिकृत महावृत्ति उपलब्ध है। इसी महावृत्तिके आधारसे प्रभाचन्द्रने ‘शब्दाभ्योञ्जभास्कर’ नामका जैनेन्द्रव्याकरणका महान्यास बनाया है। पं० नाथूरामजी प्रेमोने अपने ‘जैनेन्द्रव्याकरण और आचार्य देवनन्दी’ नामक लेखमें^३ जैनेन्द्रव्याकरणके प्रचलित दो सूत्र पाठोंमेंसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठकी ही प्राचीन और पूज्यपादकृत सिद्ध किया है। इसी पुरातनसूत्रपाठ पर प्रभाचन्द्रने अपना न्यास बनाया है। प्रेमोजीने अपने उक्त गणेशवापूणं लेखमें महावृत्तिकार अभयनन्दिकी चन्द्रप्रभञ्जितकारा वीरनन्दिका युद्ध बताया है और उनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीका पूर्वभाग

१. ये प्रकरण जैनसाहित्यसंशोधक खंड २, अंक ३-४ में मुद्रित हुए हैं।

२. इसका परिचय ‘प्रभाचन्द्रके ग्रंथ’ शीर्षक स्तम्भमें देखना चाहिए।

३. जैन साहित्यसंशोधक भाग १, अंक २।

१५४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

निर्धारित किया है। आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरु भी यही अभयनन्दि थे। गोम्मतसार कर्मकाण्ड (पा० ४३६) की निम्नलिखित गाथासे भी यही बात पुष्ट होती है—

“जस्स य पायपसाएणणतससारजलहिमुत्तिण्णो ।
वीरिदवदिवच्छो णमामि तं अभयणदिगुरु ॥”

इस गाथासे तथा कर्मकाण्डकी गाथा न० ७८४, ८९६ तथा लघिसार गाथा ६४८से यह सुनिश्चित हो जाता है कि वीरनन्दिके गुरु अभयनन्दि ही नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरु थे। आ० नेमिचन्द्रने तो वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि और इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि तकका गुरुरूपसे स्मरण किया है। इन सब उल्लेखोंसे सात होता है कि अभयनन्दि, उनके शिष्य वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि, तथा इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि सभी प्रायः नेमिचन्द्रके समकालीन बूढ़ थे।

बाहिराजसूरिने अपने पार्श्वचरितमे चन्द्रप्रभाचरित्रकार वीरनन्दिका स्मरण किया है। पार्श्वचरित शकसंवत् ९४७, ई० १०२५ मे पूर्ण हुआ था। अत वीरनन्दिकी उत्तरावधि ई० १०२५ तो सुनिश्चित है। नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीने गोम्मतसार ग्रन्थ चामुण्डरायके सम्बोधनार्थ बनाया था। चामुण्डराय गंगवशीय महाराज मारसिंह द्वितीय (९७५ ई०) तथा उनके उत्तराधिकारी राजमल्ल द्वितीयके मन्त्री थे। चामुण्डरायने श्रवणवेल्लुलस्थ बाहुवलि गोम्मटेश्वरकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा ई० ९८१ मे कराई थी, तथा अपना चामुण्डपुराण ई० ९७८ में समाप्त किया था। अत आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका समय ई० ९८० के आसपास सुनिश्चित किया जा सकता है। और लगभग यही समय आचार्य अभयनन्दि आदिका होना चाहिए। इन्होंने अपनी महावृत्ति (लिखित पृ० २२१) मे भर्तृहरि (ई० ६५०) की वाक्यपदीयका उल्लेख किया है। पृ० ३९३ मे माघ (ई० ७वीं सदी) काव्यसे ‘सटाच्छटामिन्न’ श्लोक उद्धृत किया है तथा ३१२।५५ की वृत्तिमे ‘तत्पार्थवार्तिकमधीयते’ प्रयोगसे अकलकदेव (ई० ८वीं सदी) के तत्पार्थराजवातिकका उल्लेख किया है। अत इनका समय ९वीं शताब्दीसे पहिले तो नहीं ही है। यदि यही अभयनन्दि जैनेन्द्र महावृत्तिके रचयिता हैं तो कहना होगा कि उन्होंने ई० ९६० के लगभग अपनी महावृत्ति बनाई होगी। इसी महावृत्तिपर ई० १०६० के लगभग आ० प्रभाचन्द्रने अपना शब्दाभोजभास्कर न्यास बनाया है, क्योंकि इसकी रचना न्यायकुमुदचन्द्रके बाद की गई है और न्यायकुमुदचन्द्र जयसिंहदेव (राज्य १०५६ से) के राज्यके प्रारम्भकालमे बनाया गया है।

मूलाचारकार और प्रभाचन्द्र—मूलाचार ग्रन्थके कर्ताके विषयमे विद्वान् मतभेद रखते हैं। कोई उसे कुम्भकुम्भकृत कहते हैं तो कोई बट्टकेरिक्त। जो हो, पर इतना निश्चित है कि मूलाचारकी सभी गाथाएँ स्वयं उसके कर्ताने नहीं रची हैं। उममे अनेको ऐसी प्राचीन गाथाएँ हैं, जो कुम्भकुम्भके ग्रन्थोमे, भगवती आराधनामे तथा आवश्यकनिर्युक्ति, पिण्डनिर्युक्ति और सम्मनितक आदिमे भी पाई जाती हैं। सभव है कि गोम्मतसारकी तरह यह भी एक संग्रह ग्रन्थ हो। ऐसे संग्रहग्रन्थोमे प्राचीन गाथाओंके साथ कुछ सग्रहकार रचित गाथाएँ भी होती हैं। गोम्मतसारमें बहुभाग स्वरचित है जबकि मूलाचारमे स्वरचित गाथाओंका बहुभाग नहीं मालूम होता। आ० प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ८४५) मे “एगो मे सस्मदो” “संजोगमल जीवेन” ये दो गाथाएँ उद्धृत की हैं। ये गाथाएँ मूलाचारमे (२।४८, ४९) दर्ज हैं। इनमें पहिली गाथा कुम्भकुम्भके भावपाहुड तथा नियमसारमे भी पाई जाती है। इसी तरह प्रमेयकमलमात्तण्ड (पृ० ३३१) में “आचैलककुददेसिय” आदि गाथांश दशविध स्थितिकल्पका निर्देश करनेके लिए उद्धृत है। यह गाथा मूल-

१. देखो, त्रिलोकसारकी प्रस्तावना।

धार (गाथा नं० ९०९) में तथा भगवतीआराधनामें (गाथा ४२१) विद्यमान है। यहाँ यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रभाचन्द्रने इस गाथाको श्वेताम्बर आगममें आचेलकवके समर्थनका प्रमाण बतानेके लिए श्वेताम्बर आगमके रूपमें उद्धृत किया है। यह गाथा औत्कल्यमाध्य (गा० १९७२) में पाई जाती है। गाथाबोकी इस सक्रान्त स्थितिको देखते हुए यह सहज ही कहा जा सकता है कि—कुछ प्राचीन गाथाएँ परम्परासे चली आई हैं, जिन्हे दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें स्थान दिया है।

नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती और प्रभाचन्द्र—आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती वीरसेनापति श्री चामुण्डरायके समकालीन थे। चामुण्डराय गंगवंशीय महाराज मारसिंह द्वितीय (९७५ ई०) तथा उनके उत्तराधिकारी राजमल्ल द्वितीयके मन्त्री थे। इन्हींके राज्यकालमें चामुण्डरायने गोम्मटेश्वरकी प्रतिष्ठा (सन् ९८१) कराई थी। आ० नेमिचन्द्रने इन्हीं चामुण्डरायको सिद्धान्त परिज्ञान करानेके लिए गोम्मटसार ग्रन्थ बनाया था। यह ग्रन्थ प्राचीन सिद्धान्तग्रन्थोंका संक्षिप्त संस्करण है। न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० २५४) में 'लोग्यायासपक्षे' गाथा उद्धृत है। यह गाथा जीवकाड तथा द्रव्यसंग्रहमें पाई जाती है। अत आपातत यही निष्कर्ष निकल सकता है कि यह गाथा प्रभाचन्द्रने जीवकाड या द्रव्यसंग्रहसे उद्धृत की होगी; परन्तु अन्वेषण करनेपर मालूम हुआ कि यह गाथा बहुत प्राचीन है और सर्वाथसिद्धि (५।३९) तथा श्लोकवार्तिक (पृ० ३९९) में भी यह उद्धृत की गई है। इसी तरह प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० ३००) में 'विग्रहणश्रमावष्णा' गाथा उद्धृत की गई है। यह गाथा भी जीवकाडमें है। परन्तु यह गाथा भी वस्तुतः प्राचीन है और धवलाटीका तथा उमास्वास्तिकृत आवकप्रशस्तिमें भी उद्धृत है।

प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीर्य और प्रभाचन्द्र—रविभद्रके शिष्य अनन्तवीर्य आचार्य, अकलंकके प्रकरणोंके श्रयात टीकाकार विद्वान् थे। प्रमेयरत्नमालाके टीकाकार अनन्तवीर्य उनसे पुषक व्यक्ति हैं; क्योंकि प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रमें प्रथम अनन्तवीर्यका स्मरण किया है, और द्वितीय अनन्तवीर्य अपनी प्रमेयरत्नमालामें इन्हीं प्रभाचन्द्रका स्मरण करते हैं। वे लिखते हैं^२ कि प्रभाचन्द्रके वचनको ही संक्षिप्त करके यह प्रमेयरत्नमाला बनाई जा रही है। प्रो० ए० एन० उपाध्यायने^३ प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीर्यके समथका अनुमान ग्यारहवीं सदी किया है, जो उपयुक्त है। क्योंकि आ० हेमचन्द्र (१०८८-११७३ ई०) की प्रमाणमीमासापर शब्द और अर्थ दोनों दृष्टिसे प्रमेयरत्नमालाका पूरा-पूरा प्रभाव है। तथा प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रका प्रभाव प्रमेयरत्नमालापर है। आ० हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमासाने प्रायः प्रमेयरत्नमालाके द्वारा ही प्रमेयकमलमार्तण्डको पाया है।

नसेन और प्रभाचन्द्र—^४देवसेन श्रीविमलसेन गणिके शिष्य थे। इन्होंने धारानगरीके पार्ल्वनाथ मन्दिरमें माघ सुदी दशमी विक्रमसंवत् ९९० (ई० ९३३) में अपना दर्शनसार ग्रन्थ बनाया था। दर्शन-

१ प्रमेयकमलमार्तण्डके प्रथम संस्करणके संपादक प० बशीधरजी शास्त्री, सोलापुरने प्रमेयक० की प्रस्तावनामें यही निष्कर्ष निकाला भी है।

२ "प्रमेन्दुवचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति ।
मादृशा. क्व नु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्गणसन्निभाः ॥
तथापि तद्बोधोऽपूर्वरचनावचिरं सताम् ।
चेतोहरं भूतं यद्वल्लभा नववधते जलम् ॥"

३. देखो, जीवनदर्शन वर्ष ४, अंक ९।

४. नयचक्रकी प्रस्तावना, पृ० ११।

धारके बाद इन्होंने ब्राह्मणग्रह ग्रथकी रचना की थी; क्योंकि उनमें दर्शनसारकी अनेको गाथाएँ उद्धृत मिलती हैं। इनके आराधनासार, तत्त्वसार, नयचक्रग्रह तथा आलापपद्धति ग्रन्थ भी हैं। आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेय-कवलयसंज्ञ (पृ० ३००) तथा न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ८५६) के कवलाहारवादमें देवसेनके भावसंग्रह (या० ११०) की यह गाथा उद्धृत की है—

“णोकम्मकम्महारो कवलाहारो य लेप्पमाहारो ।
आज मणोवि य कमसो आहारो छव्विहो गेयो ॥”

यद्यपि देवसेनसूरिने दर्शनसार ग्रन्थके अन्तमें लिखा है—

“पुब्बायरियकयाई गाहाई सच्चिऊण एयत्थ ।
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसतेण ॥
रइयो दंसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवए ।
सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धं माहमुद्धदसमोए ॥”

अर्थात् पूर्वाचार्यकृत गाथाओका संचय करके यह दर्शनसार ग्रन्थ बनाया गया है। तथापि बहुत खोज करनेपर भी यह गाथा किसी प्राचीन ग्रंथमें नहीं मिल सकी है। देवसेन धारानगरीमें ही रहते थे, अतः धारानिवासी प्रभाचन्द्रके द्वारा भावसंग्रहसे भी उक्त गाथाका उद्धृत किया जाना असंभव नहीं है। चूँकि दर्शनसारके बाद भावसंग्रह बनाया गया है, अतः इसका रचनाकाल संभवतः विक्रम संवत् ९९७ (ई० ९४०) के आसपास ही होगा।

श्रुतकीर्ति और प्रभाचन्द्र—जैनेन्द्रके प्राचीन सूत्रपाठपर आचार्य श्रुतकीर्तिकृत पञ्चवस्तुप्रक्रिया उचलव्य है। श्रुतकीर्तिने अपनी प्रक्रियाके अन्तमें श्रीमद्वृत्तिशब्दमें अभयनग्विद्धृत महावृत्ति और न्यासशब्दसे संभवतः प्रभाचन्द्रकृत न्यास, दोनोका ही उल्लेख किया है। यदि न्यासशब्द पूज्यपादके जैनेन्द्रन्यासका निर्देशक ही तो ‘टीकामाल’ शब्दसे तो प्रभाचन्द्रकी टीकाका उल्लेख किया ही गया है। यथा—

“सूत्रस्तम्भसमुद्धृत प्रविलसन्न्यासोहरत्नञ्जिति,
श्रीमद्वृत्तिकपाटसपुटयुत भाष्यौघशय्यातलम् ।
टीकामालमिहारुरुक्षुर्गचित जैनेन्द्रशब्दागमम्,
प्रासादं पृथुपञ्चवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात् ॥”

कनही भाषाके चन्द्रप्रभचरित्रके कर्ता अगलकविने श्रुतकीर्तिको अपना गुरु बताया है—

“इति परमपुरुनाथकुलभूम्भसमुद्भूतप्रवचनसरित्सरिन्नाथश्रुतकीर्तित्रैविद्यचक्रवर्तिपदपदमनिधानदी-
पवर्तिश्रीमदगलदेवविरचिते चन्द्रप्रभचरिते”। यह चरित्र शक संवत् १०११, ई० १०८९ में बनकर समाप्त हुआ था। अतः श्रुतकीर्तिका समय लगभग १०८० ई० मानना युक्तिसंगत है। इन श्रुतकीर्तिने न्यासको जैनेन्द्र व्यक्तीकरण रूपी प्रासादकी रत्नभूमि की उपमा दी है। इससे शब्दाम्भोजभास्करका रचना समय लगभग ई० १०६० समर्थित होता है।

इसे० आगमसाहित्य और प्रभाचन्द्र—अ० महावीरकी अर्धभागशी दिव्यध्वनिको गणधरोने द्वादशांगी रूपमें गूँया था। उस समय उन अर्धभागशी भाषामय द्वादशांग आगमोकी परम्परा श्रुत और स्मृत रूपमें रही, लिपिबद्ध नहीं थी। इन आगमोका आखरी सकलन वीर सं० ९८० (वि० ५१०) में इषेता-

स्वराचार्य देवद्विगणि क्षमाश्रयणने किया था। अंगव्रंथोके सिवाय कुछ अगवाह्य या अर्नगात्मक श्रुत भी हैं। छेबसूत्र अर्नगश्रुतने शामिल है। आ० प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ८६८) के स्त्रीयुक्तिवादके पूर्वपक्षमें कल्पसूत्र (५।२०) से "नो कल्प इ णिगंधीए अन्धेआए होत्ए" यह सूत्रवाक्य उद्धृत किया है।

तत्त्वार्थभाष्यकार और प्रभाचन्द्र—तत्त्वार्थसूत्रके दो सूत्रपाठ प्रचलित हैं। एक तो वह, जिसपर स्वर्ध वाचक उमास्वातिका स्तोपज्ञभाष्य प्रसिद्ध है, और दूसरा वह जिसपर पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धि है। बिगम्बर परम्पराने पूज्यपादसम्मत सूत्रपाठ और श्वेताम्बरपरम्परामें भाष्यसम्मत सूत्रपाठ प्रचलित है। उमास्वातिके स्तोपज्ञभाष्यके कर्तृत्वके विषयमें आजकल विवाद चल रहा है। मुस्तारसा० आदि कुछ विद्वान् भाष्यकी उमास्वातिकर्तृकताके विषयमें सन्दिग्ध हैं। आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रमें दिगम्बरसूत्रपाठसे ही सूत्र उद्धृत किए हैं। उन्होंने न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ८५९) के स्त्रीयुक्तिवादके पूर्वपक्षमें तत्त्वार्थभाष्यका सम्बन्धकारिकज्योमसे "श्रूयन्ते चानन्ता सामायिकमात्रसिद्धा." कारिकाश उद्धृत किया है। तत्त्वार्थराजवातिक (पृ० १०) में भी "अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धाः" वाक्य उद्धृत मिलता है। इसी तरह तत्त्वार्थभाष्यके अन्तमें पाई जानेवाली ३२ कारिकाएँ राजवातिकके अन्तमें 'उक्तञ्च' लिखकर उद्धृत हैं। पृ० ३६८ में भाष्यकी 'दग्धे बीजे' कारिका उद्धृत की गई है। इत्यादि प्रमाणोंके आधारसे यह निःसङ्कोच कहा जा सकता है कि प्रस्तुत भाष्य अकलकूदेवके सामने भी था। उनमें इसके कुछ मन्तव्योंकी समीक्षा भी की है।

सिद्धसेन और प्रभाचन्द्र—आ० सिद्धसेनके सन्मतितर्क, न्यायावतार, द्वाविंशत् द्वात्रिंशतिका ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इनके सन्मतितर्कपर अमयदेवसूरिने विस्तृत व्याख्या लिखी है। डॉ० जैकोबी न्यायावतारके प्रत्यक्ष लक्षणमें अन्नान्त पद देखकर इनको धर्मकीतिका समकालीन, अर्थात् ईसाकी ७वीं शताब्दीका विद्वान् मानते हैं। प० मुखलाल जी इन्हें विक्रमकी पाँचवीं सदीका विद्वान् सिद्ध करते थे। पर अब उनका विश्वास है कि "सिद्धसेन ईसाकी छठी या सातवीं सदीमें हुए हो और उन्होंने सभवतः धर्मकीतिके ग्रन्थोंको देखा हो"। न्यायावतारकी रचनाने न्यायप्रवेशके साथ ही साथ न्यायविन्दु भी अपना यत्किञ्चित् स्थान रक्षता ही है। आ० प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ४३७) में पञ्चप्रयोगका समर्थन करते समय 'धानुष्क' का दृष्टान्त दिया है। इसकी तुलना न्यायावतारके श्लोक १४-१६ से भलीभाँति की जा सकती है। न केवल मूलश्लोक से ही, किन्तु इन श्लोकोंकी सिद्धाधिकृत व्याख्या भी न्यायकुमुदचन्द्रकी शब्दरचनासे तुलनीय है।

धर्मदासगणि और प्रभाचन्द्र—श्वे० आचार्य धर्मदासगणिका उपदेशमाला ग्रन्थ प्राकृतगाथानिबद्ध है। प्रसिद्धि तो यह रही है कि ये महावीरस्वामीके दीक्षित शिष्य थे। पर यह इतिहासविरुद्ध है; क्योंकि इन्होंने अपनी उपदेशमालामें वज्रसूरि आदिके नाम लिए हैं। अस्तु। उपदेशमालापर सिद्धाधिकृत प्राचीन टीका उपलब्ध है।^३ सिद्धाधिके उपमितिभवप्रपञ्चाकथा वि० सं० ९६२ ज्येष्ठ शुद्ध पंचमीके दिन समाप्त की थी। अतः धर्मदासगणिकी उत्तरावधि विक्रमकी ९वीं शताब्दी माननेमें कोई बाधा नहीं है। प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० ३३०) में उपदेशमाला (गा० १५) की 'वरिससयदिक्लयाए अज्जाए अज्ज चिक्खिओ साहू' इत्यादि गाथा प्रमाणरूपसे उद्धृत की है।

हरिभद्र और प्रभाचन्द्र—आ० हरिभद्र श्वे० सम्प्रदायके युगप्रधान आचार्योंमेंसे हैं। कहा जाता

१. देखो, गुजराती सन्मतितर्क, पृ० ४०।
२. इच्छिवा सन्मतितर्ककी प्रस्तावना।
३. जैनसाहित्यनो इतिहास, पृ० १८६।

है कि इन्होंने १४०० के करीब ग्रन्थोंकी रचना की थी। मुनि श्री जिनविजयजीने अनेक प्रबल प्रमाणोंसे इनका समय ई० ७०० से ७७० तक निर्धारित किया है। मेरा इसमें इतना सशोधन है—कि इनके समयकी उत्तरावधि ई० ८१० तक होनी चाहिए, क्योंकि जयन्त भट्टकी न्यायमञ्जरीका 'गम्भीरनाजितारम्भ' श्लोक षट्दर्शनसमुच्चयमें शामिल हुआ है। मैं बिस्तारसे लिख चुका हूँ कि जयन्तने अपनी मजरी ई० ८०० के करीब बनाई है अतः हरिभद्रके समयकी उत्तरावधि कुछ और लम्बानी चाहिए। उस युगमें १०० वर्षकी आयु तो साधारणतया अनेक आचार्योंको देखी गई है। हरिभद्रसूरिके दार्शनिक ग्रन्थमें 'षट्दर्शनसमुच्चय' एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसका—

“प्रत्यक्षमनुमानञ्च शब्दश्चोपमया सह।

अर्थात्तिरभावश्च षट् प्रमाणानि जैमिनेः ॥ ७३ ॥”

यह श्लोक न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ५०५) में उद्धृत है। यद्यपि इसी भावका एक श्लोक—“प्रत्यक्ष-मनुमानश्च शाब्दश्चोपमया सह। अर्थात्तिरभावश्च षट्ते साध्यसाधकाः ॥” इस शब्दावलीके साथ कमल-शीलकी तत्त्वसंग्रहपञ्जिका (पृ० ४५०) में मिलता है और उससे सभावना की जा सकती है कि जैमिनीकी षट्प्रमाणसंख्याका निदर्शक यह श्लोक किसी जैमिनिमतानुयायी आचार्यके ग्रन्थसे लिया गया होगा। यह संभावना हृदयको लगती भी है। परन्तु जबतक इसका प्रसाधक कोई समर्थ प्रमाण नहीं मिलता तबतक उसे हरिभद्रकृत माननेमें ही लाघव है। और बहुत कुछ संभव है कि प्रभाचन्द्रने इसे षट्दर्शनसमुच्चयसे ही उद्धृत किया हो। हरिभद्रने अपने ग्रन्थमें पूर्वपक्षके पल्लवन और उत्तरपक्षके पोषणके लिए अन्यग्रन्थकारोंकी कारिकाएँ, पर्याप्त मात्रामें, कही उन आचार्योंके नामके साथ और कही विना नाम लिए ही शामिल की है। अतः कारिकाओंके विषयमें यह निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है कि ये कारिकाएँ हरिभद्रकी स्वरचित हैं या अन्यरचित होकर सगृहीत हैं ? इसका एक और उदाहरण यह है कि—

“विज्ञान वेदना सज्ञा संस्कारां रूपमेव च।

समुदेति यतो लोके रागादीना गणोऽखिलः ॥

आत्मात्मीयस्वभावाख्यः समुदायः स सम्मतः ।

क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येव वासना यका ॥

स मार्ग इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ।

पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम् ॥

धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥”

ये चार श्लोक षट्दर्शनसमुच्चयके बौद्धदर्शनमें मौजूद हैं। इसी आनुपूर्वमें ये ही श्लोक किञ्चित् शब्दभेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण (पर्व ५, श्लोक ४२-४५) में भी विद्यमान हैं। रचनासे तो ज्ञात होता है कि ये श्लोक किसी बौद्धाचार्यने बनाए होंगे, और उसी बौद्धग्रन्थसे षट्दर्शनसमुच्चय और आदि-पुराणमें पहुँचे हों। हरिभद्र और जिनसेन प्रायः समकालीन हैं, अतः यदि ये श्लोक हरिभद्रके होकर आदि-पुराणमें आए हैं तो इसे उस समयके असाम्प्रदायिक भावकी महत्त्वपूर्ण घटना समझनी चाहिए। हरिभद्रने तो शास्त्रवातासमुच्चयमें समन्तभद्रकी आप्तमीमासाके श्लोक उद्धृतकर अपनी षट्दर्शनसमुच्चयायक बुद्धिके प्रेरणा बोजको ही मूर्तरूपमें अकुरित किया है। यदि न्यायप्रवेशवृत्तिकार हरिभद्र ये ही हरिभद्र हैं तो उस वृत्ति (पृ० १३) में पाई जानेवाली पक्षशब्दकी 'पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽर्धः सः पक्षः' इस व्युत्पत्तिकी अस्पष्ट छाया न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ४३८) में की गई पक्षकी व्युत्पत्तिपर आभासित होती है।

सिद्धि और प्रभाचन्द्र—श्रीसिद्धविगणि श्वे० आचार्य दुर्गस्वामीके शिष्य थे। इन्होंने ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, विक्रम संवत् १६२ (१ मई १०६ ई०) के दिन उपमितिभवप्रपञ्चा कथा को समाप्त की थी। सिद्ध-सेन विचारकरके न्यायावतारपर भी इनकी एक टीका उपलब्ध है। न्यायावतार (१श्लो० १६) में पक्षप्रयोगके समर्थनके प्रसंगमें लिखा है कि—“जिस तरह लक्ष्यनिर्देशके बिना अपनी धनुर्विद्याका प्रदर्शन करनेवाले धनुर्चारीके गुण-दोषोंका यथावत् निर्णय नहीं हो सकता, गुण भी दोषरूपसे तथा दोष भी गुणरूपसे प्रति-भासित हो सकते हैं, उसी तरह पक्षका प्रयोग किए बिना साधनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष भी विप-रीत रूपमें प्रतिभासित हो सकते हैं, प्राशनक तथा प्रतिवादी आदिको उनका यथावत् निर्णय नहीं हो सकता।” न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ४३७) के ‘पक्षप्रयोगविचार’ प्रकरणमें भी पक्षप्रयोगके समर्थनमें धनु-र्चारीका वृष्टान्त दिया गया है। उसकी शब्दरचना तथा भावव्यञ्जनामें न्यायावतारके मूलश्लोकके साथ ही साथ सिद्धविष्णु व्याख्याका भी पर्याप्त शब्दसादृश्य पाया जाता है। अवतरणोंके लिए देखो—न्यायकुमुद-चन्द्र, पृ० ४३७, टि० १।

अभयदेव और प्रभाचन्द्र—चन्द्रगच्छमे प्रद्युम्नसूरि बड़े ख्यात आचार्य थे। अभयदेवसूरि इन्होंने प्रद्युम्नसूरिके शिष्य थे। न्यायवनसिंह और तर्कपञ्चानन इनके विरुद्ध थे। मम्मणितर्ककी गुजराती प्रस्तावना (पृ० ८३) में श्रीमान् प० सुखलालजी और पं० बेचरदासजीने इनका समय विक्रमकी दशवी सदीका उत्त-रार्ध और ग्यारहवीका पूर्वार्ध निश्चित किया है। उत्तराध्ययनकी पाइयटीकाके रचयिता शान्तिस्वरिने उत्तरा-ध्ययनटीकाकी प्रशस्तिकमें एक अभयदेवको प्रमाणविद्याका गुण लिखा है। पं० सुखलालजीने शान्तिस्वरिके गुरु-रूपमें इन्हीं अभयदेवसूरिकी सभावना की है। प्रभावकर्त्तरिके उल्लेखानुसार शान्तिस्वरिका स्वर्गवास वि० सं० १०९६में हुआ था। इन्हीं शान्तिस्वरिने धनपालकविकी तिलकमञ्जरी जाख्यायिकाका सशोधन किया था, और उमपर एक टिप्पण लिखा था। धनपाल कवि मूर्ख तथा भोज दोनोंकी राजसभाओंमें सम्मानित हुए थे। इन सब घटनाओंको मद्देनजर रखते हुए अभयदेवसूरिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीके अन्तिम भाग तक मान लेनेमें कोई बाधा प्रतीत नहीं होती। अभयदेवसूरिकी प्रामाणिकप्रकाण्डताका जीवन्त रूप उनको सम्मतिटीकामें पद-पदपर मिलता है। इस मुबिस्तृत टीकाको ‘बादमहाणव’ के नामसे भी प्रसिद्ध रही है।

प्रभाचन्द्रके न्यायकुमुदचन्द्रकी अपेक्षा प्रमेयकमलमार्त्तण्डका अकल्पित सादृश्य इस टीकामें पाया जाता है। अभयदेवसूरिने सम्मतिटीकामें स्त्रीमुक्ति और केवलिकबलाहारका समर्थन किया है। इसमें वी गई दलीलोंमें तथा प्रभाचन्द्रके द्वारा किए गए उक्त वादोंके खण्डनकी युक्तियोंमें परस्पर कोई पूर्वोत्तरपक्षता नहीं देखी जाती। अभयदेव, शान्तिस्वरि और प्रभाचन्द्र करीब-करीब समकालीन और समदेशीय थे। इसलिए यह अधिक सम्भव था कि स्त्रीमुक्ति और केवलिभुक्ति जैसे साम्प्रदायिक प्रकरणोंमें एक दूसरेका सडन करते। पर हम इनके ग्रन्थोंमें परस्पर खंडन नहीं देखने। इसका कारण मेरी समझमें तो यही आता है कि उस समय विगम्बर आचार्य यापनीयोंके साव शी इस विषयकी चर्चा करते होंगे। यही कारण है कि जब प्रभाचन्द्रने शाकटायनके स्त्रीमुक्ति और केवलिभुक्ति प्रकरणोंका ही शब्दख. खंडन किया है तब दशैताम्बरआचार्य अभयदेव और शान्तिस्वरिने शाकटायनकी दलीलके आधारसे ही अपने ग्रन्थोंके उक्त प्रकरण पुष्ट किए हैं। वादिदेव-सूरिने अवश्य ही प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोंके उक्त प्रकरणोंको पूर्वपक्षमें प्रभाचन्द्रका नाम लेकर उपस्थित किया है।

सम्मतिवर्कके सम्पादक श्रीमान् पं० सुखलालजी और बेचरदासजीने सम्मतिवर्क प्रथम भाग (पृ० १३) की ‘गुजराती प्रस्तावनामें लिखा है कि—‘आ के आ टीकामें सैकड़ों वाक्यिकग्रन्थों नु दोहन जथाय छे,

छाती सामान्यरीति भीमासककुमारिलभट्टन्तु श्लोकवातिक, नालन्दाविश्वविद्यालयना आचार्य शान्तरक्षितकृत तत्त्वसंग्रह उपरनी कमलश्रीलकृत पत्रिका अने विगम्बराचार्य प्रभाचन्द्रना प्रमेयकमलमार्तण्ड अने न्यायकुमुद-चन्द्रोदय विगेरे ग्रन्थोंनुं प्रतिविम्ब मुख्यपणे आ टोकामाँ छे ।" अर्थात् सम्मतितकंठीकापर भीमासाश्लोक-वातिक, तत्त्वसंग्रहपत्रिका, प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र आवि ग्रन्थोका प्रतिविम्ब पडा है । सम्मतित-तर्कके बिहद्रूप सम्पादकोंकी उक्त बातसे सहमति रखते हुए भी मैं उममे इतना परिवर्धन और कर देना चाहता हूँ कि—“प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रका सम्मतितर्कसे शब्दसादृश्य मात्र साक्षात् विम्ब-प्रतिविम्बभाव होनेके कारण ही नहीं हैं, किन्तु तीनों ग्रन्थोके बहुभागमे जो अकल्पित सादृश्य पाया जाता है वह तृतीयराशिमूलक भी है । ये तृतीय राशिसे ग्रन्थ है—भट्टजयसिहराशिका तन्वोपल्लवमिह, व्योमशिवको व्योमवती, जयन्तकी न्यायमञ्जरी, शान्तरक्षित और कमलश्रीलकृत तत्त्वसंग्रह और उमकी पत्रिका तथा विद्यानन्दके अष्टसहस्री, तत्त्वार्थश्लोकवातिक, प्रमाणपरीक्षा, आप्तपरीक्षा आवि प्रकरण । इन्ही तृतीयराशि-के ग्रन्थोका प्रतिविम्ब सम्मतितोका और प्रमेयकमलमार्तण्डमे आया है ।" सम्मतितर्कटोका, प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि सम्मतितर्कका प्रमेयकमल-मार्तण्डके साथ ही अधिक शब्दसादृश्य है । न्यायकुमुदचन्द्रमे जहाँ भी यत्किञ्चित् सादृश्य देखा जाता है वह प्रमेयकमलमार्तण्डप्रयुक्त हो है साक्षात् नहीं । अर्थात् प्रमेयकमलमार्तण्डके जिन प्रकरणोके जिस सन्दर्भसे सम्मतितर्कका सादृश्य है उन्हीं प्रकरणोंमें न्यायकुमुदचन्द्रसे भी शब्दसादृश्य पाया जाता है । इससे यह तर्कना की जा सकती है कि—सम्मतितर्ककी रचनाके समय न्यायकुमुदचन्द्रकी रचना नहीं हो सकी थी । न्यायकुमुद-चन्द्र जयसिहदेवके राज्यमे सन् १०५७ के आसपास रचा गया था जैसा कि उसकी अन्तिम प्रशस्तिसे विदित है । सम्मतितर्कटोका, प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रकी तुलनाके लिए देखो प्रमेयकमलमार्तण्ड प्रथम अध्यायके टिप्पण तथा न्यायकुमुदचन्द्रके टिप्पणोंमे दिए गए सम्मतितर्ककोके अवतरण ।

वादि देवसूरि और प्रभाचन्द्र—“देवसूरि श्रीमनिचन्द्रसूरिके शिष्य थे । प्रभावकरित्रके लेखानु-सार मुनिचन्द्रने शान्तिसूरिमे प्रमाणविद्याका अध्ययन किया था । ये प्राक्वाटवशके रत्न थे । इन्होंने वि० सं० ११४३मे गुर्जर देशको अपने जन्मसे पूत किया था । ये भडोच नगरमे ९ वर्षकी अल्पवयमे वि० सं० ११५२मे दीक्षित हुए थे तथा वि० सं० ११७४मे इन्होंने आचार्यपद पाया था । राजवि कुमारपालके राज्य-कालमे वि० सं० १२२६मे इनका स्वर्गवास हुआ । प्रसिद्ध है कि—वि० सं० ११८१ वैशाख शुद्ध पूर्णिमाके दिन सिद्धराजकी सभामे इनका विगम्बरवादी कुमुदचन्द्रसे वाद हुआ था और इसी वादमे विजय पानेके कारण देवसूरि वादि देवसूरि कहे जाने लगे थे । इन्होंने प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार नामक सूत्र ग्रन्थ तथा इसी सूत्रकी स्याद्वादरत्नाकर नामक विस्तृत व्याख्या लिखी है । इनका प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार माणिक्यनन्दि-कृत परीक्षामुलसूत्रका अपने उगसे किया गया दूसरा संस्करण ही है । इन्होंने परीक्षामुलके ६ परिच्छेदोका विषय ठीक उसी क्रमसे अपने सूत्रके आद्य ६ परिच्छेदोमे यत्किञ्चित् शब्दभेद तथा अर्थभेदके साथ ग्रथित किया है । परीक्षामुलके अतिरिक्त इसमें नयपरिच्छेद नामक दो परिच्छेद और जोड़े गए हैं । माणिक्यनन्दि-के सूत्रोंके सिवाय अकलंकके स्वविवृतियुक्त लघीयस्त्रय, न्यायविनिश्चय तथा विद्यानन्दके तत्त्वार्थश्लोक-वातिकका भी पर्याप्त साहाय्य इस सूत्रग्रन्थमें लिया गया है । इस तरह भिन्न-भिन्न ग्रन्थोंमे विशकलित जैन-वदाचारोंका शब्द एवं अर्थदृष्टिसे सुन्दर संकलन इस सूत्रग्रन्थमें हुआ है ।

परीक्षामुलसूत्रपर प्रभाचन्द्रकृत प्रमेयकमलमार्तण्ड नामकी विस्तृत व्याख्या है तथा अकलंकदेवके लघीयस्त्रयपर इन्ही प्रभाचन्द्रका न्यायकुमुदचन्द्र नामका बहुक्ताय टीकाग्रन्थ है । प्रभाचन्द्रने इन मूल ग्रंथोंकी

व्याख्याको साथ ही साथ मूलग्रन्थसे सम्बद्ध विषयोंपर विस्तृत लेख भी लिखे हैं। इन लेखोंमें विविध विकल्प-जालोंसे परपक्षका खंडन किया गया है। प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रके तीव्र एवं आह्लाषक प्रकाशने जब हम स्याद्वादरत्नाकरको तुलनात्मक दृष्टिसे देखते हैं तब वादिदेवसूरिकी गुणग्राहिणी सग्रहदृष्टिकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। इनकी सग्राहक बीजबुद्धि प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रसे अर्बं शब्द और भावोंको इतने श्वेतचम्पत्कारक ढंगसे धुन लेती है कि अकेले स्याद्वादरत्नाकरके पक्ष लेनेसे न्यायकुमुदचन्द्र तथा प्रमेयकमलमार्तण्डका वावद्विषय विषय रीतिले अवगत हो जाता है। वस्तुतः यह रत्नाकर उक्त दोनों ग्रंथोंके शब्द-अर्थरत्नोका सुंदर आकर ही है। यह रत्नाकर मार्तण्डकी अपेक्षा चन्द्र (न्यायकुमुदचन्द्र) से ही अधिक उद्वेलित हुआ है। प्रकरणोंके क्रम और पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षके जमानेकी पद्धतिमें कहीं-कहीं तो न्यायकुमुदचन्द्रका इतना अधिक शब्दसावधान है कि दोनों ग्रन्थोंकी पाठ्युद्धिमें एक दूसरेका मूलप्रतिकी तरह उपयोग किया जा सकता है।

प्रतिबिम्बवाद नामक प्रकरणमें वादि देवसूरिने अपने रत्नाकर (पृ० ८६५) में न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ४५५) में निविष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खंडन करनेका प्रयास किया है। प्रभाचन्द्रका मत है कि—प्रतिबिम्बकी उत्पत्तिमें जल आदि द्रव्य उपादान कारण हैं तथा चन्द्र आदि बिम्ब निमित्तकारण। चन्द्रादि बिम्बोका निमित्त पाकर जल आदिके परमाणु प्रतिबिम्बाकारसे परिणत हो जाते हैं।

वादि देवसूरि कहते हैं कि—मुखादिबिम्बोंसे छायापुद्गल निकलते हैं और वे जाकर दर्पण आदिमें प्रतिबिम्ब उत्पन्न करते हैं। यहाँ छायापुद्गलोका मुखादि बिम्बोंसे निकलनेका मिद्धान्त देवसूरिने अपने पूर्वोक्त श्रीहरिभद्रसूरिके धर्मसारप्रकरणका अनुसरण करके लिखा है। वे इस समय यह मूल जाते हैं कि हम अपने ही ग्रन्थमें नैयायिकोंके चक्षुसे रश्मियोंके निकलनेके सिद्धान्तका खंडन कर चुके हैं। जब हम मासुर-रूपवाली आँखसे भी रश्मियोंका निकलना युक्ति एवं अनुभवसे विच्छेद बताते हैं तब मूल आदि मलिन बिम्बोंसे छायापुद्गलोके निकलनेका समर्थन किस तरह किया जा सकता है? मन्वेदार बात तो यह है कि इस प्रकरणमें भी वादि देवसूरि न्यायकुमुदचन्द्रके साथही साथ प्रमेयकमलमार्तण्डका भी शब्दश अनुसरण करते हैं, और न्यायकुमुदचन्द्रमें निविष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खंडनकी धुनमें स्वयं ही प्रमेयकमलमार्तण्डके उसी आशयके शब्दोंको मिद्धान्त मान बैठते हैं। वे रत्नाकरमें (पृ० ६९८) ही प्रमेयकमलमार्तण्डका शब्दानुसरण करते हुए लिख जाते हैं कि—“स्वच्छताविशेषाद्वा जलदर्पणादयो मुखादित्यादिप्रतिबिम्बाकारविकारधारिण सम्पद्यन्ते।”—अर्थात् विशेष स्वच्छताके कारण जल और दर्पण आदि ही मूल और सूर्य आदि बिम्बोंके आकारवाली पर्यायी को धारण करते हैं। कबलाहारके प्रकरणमें इन्होंने प्रभाचन्द्रके न्यायकुमुदचन्द्र और प्रमेयकमलमार्तण्डमें दो गई दलीलोका नामोल्लेख पूर्वक पूर्वपक्षमें निर्देश किया है और उनका अपनी दृष्टिसे खंडन भी किया है। इस तरह वादि देवसूरिने जब रत्नाकर लिखना प्रारम्भ किया होगा तब उनकी आँखोंके सामने प्रभाचन्द्रके ये दोनों ग्रन्थ बराबर नाचते रहे हैं।

हेमचन्द्र और प्रभाचन्द्र—विक्रमकी १२वीं शताब्दीमें आ० हेमचन्द्रसे जैनसाहित्यके हेमचन्द्रका प्रारम्भ होता है। हेमचन्द्रने व्याकरण, काव्य, छन्द, योग, न्याय आदि साहित्यके सभी विभागोंपर अपनी प्रौढ़ संग्राहक लेखनी बलाकर भारतीय साहित्यके भंडारको खूब समृद्ध किया है। अपने बहुमूल पाण्डित्यके कारण ये ‘कलिकालसर्वज्ञ’ के नामसे भी ख्यात हैं। इनका जन्म-समय कातिकी पूर्णिमा विक्रमसंवत् ११४५ है। वि० सं० ११५४ (ई० सन् १०९७) में ८ वर्षकी लघुवयमें इन्होंने बीसा धारण की थी। विक्रमसंवत् ११६६ (ई० सन् १११०) में २१ वर्षकी अवस्थामें सूरिपद पर प्रतिष्ठित हुए। वे महाराज अर्थात्

शिखराज तथा राजर्षि कुमारपालकी राजमभाओंमें सबहुमान लब्धप्रतिष्ठ थे। वि० सं० १२२९ (ई० ११७३) में ८४ वर्षकी आयुमें ये विवगत हुए। इनकी न्यायविषयक रचना प्रमाणमीमासा जैनन्यायके ग्रन्थोंमें अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। प्रमाणमीमासाके निग्रहस्थानके निरूपण और खडनके समूचे प्रकरणमें तथा अनेकान्त्योंमें दिए गए आठ दोषोक्तोंके परिहारके प्रसंगमें प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमासत्तण्डका शब्दसे अनुसरण किया गया है। प्रमाणमीमासाके अन्य स्थलोंमें प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमासत्तण्डकी छाप साक्षात् न पढ़कर प्रमेयरलमालाके द्वारा पडी है। प्रमेयरलमालाकार अनन्तबीर्यने प्रमेयकमलमासत्तण्डको ही सतिपा-कर प्रमेयरलमालाकी रचना की है। अत मध्यकदवाली प्रमाणमीमासामें बृहत्काय प्रमेयकमलमासत्तण्डका सीधा अनुसरण न होकर अपने समान परिमाणवाली प्रमेयरलमालाका अनुसरण होना ही अधिक संगत मालूम होता है। प्रमाणमीमासाके प्रायः प्रत्येक प्रकरणपर प्रमेयरलमालाकी शब्दरचनाने अपनी स्पष्ट छाप लगाई है। इस तरह आ० हेमचन्द्रने कही साक्षात् और कही परम्परया प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमासत्तण्डकी अपनी प्रमाणमीमासा बनाने समय मद्देनजर रखा है। प्रमेयरलमाला और प्रमाणमीमासाके स्थलोकी तुलना के लिए सिंधी सीरिजसे प्रकाशित प्रमाणमीमासाके भाषा टिप्पण देखना चाहिए।

मलयगिरि और प्रभाचन्द्र—विक्रमकी १२वीं शताब्दीका उत्तरार्ध तथा तेरहवीं शताब्दीका प्रारम्भ जैनसाहित्यका हेमयुग कहा जाता है। इस युगमें आ० हेमचन्द्रके सहबिहारी, प्रख्यात टीकाकार आचार्य मलयगिरि हुए थे। मलयगिरिने आवश्यकनिर्मूक्त, ओषनिर्मूक्त, नन्दीसूत्र आदि अनेको आगमिकग्रन्थोंपर संस्कृत टीकाएँ लिखी हैं। आवश्यकनिर्मूक्तकी टीका (पृ० ३७१ A.) में वे अकलकदेवके 'नयवाक्यमें भी स्वात्पदका प्रयोग करना चाहिए' इस मतसे असहमत जाहिर करते हैं। इसी प्रसंगमें वे पूर्वपक्षरूपसे लघीय-स्वयस्वविवृति (का० ६२) का 'नयोऽपि तथैव सम्यगेकान्तविषय स्यात्' यह वाक्य उद्धृत करते हैं। और इस वाक्यके साथ ही साथ प्रभाचन्द्रकृत न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ६९१) से उक्त वाक्यकी व्याख्या भी उद्धृत करते हैं। व्याख्याका उद्धरण इस प्रकारसे लिया गया है—'अत्र टीकाकारेण व्याख्या कृता नयोऽपि नय-प्रतिपादकमपि वाक्यं न केवलं प्रमाणवाक्यमित्यपिशब्दार्थः, तथैव स्यात्प्रयोगप्रकारेणैव सम्यगेकान्तविषय स्यात्, यथा स्यादस्यैव जीव इति स्यात्प्रयोगाभावे तु मिथ्यैकान्तगोचरतया दुर्नय एव स्यादिति।'—इस अवतरणसे यह निश्चित हो जाता है कि मलयगिरिके नामने लघीयस्ववकी न्यायकुमुदचन्द्र नामकी व्याख्या की।

अकलकदेवने प्रमाण, नय और दुर्नयकी निम्नलिखित परिभाषाएँ की हैं—अनन्तधर्मत्मक वस्तुको अखंडभावसे ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है। एकधर्मको मुख्य तथा अन्यधर्मोंको गौण करनेवाला, उनको अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान नय है। एकधर्मको ही ग्रहण करके जो अन्य धर्मोंका निषेध करता है—उनकी अपेक्षा नहीं रखता वह दुर्नय कहलाता है। अकलकने प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमें भी नयान्तरसेपक्षता बिलाने के लिए 'स्यात्' पदके प्रयोगका विधान किया है।

आ० मलयगिरि कहते हैं कि—जब नयवाक्यमें स्यात्पदका प्रयोग किया जाता है तब 'स्यात्' शब्दसे सूचित होनेवाले अन्य अशेषधर्मोंको भी विषय करनेके कारण नयवाक्य नयरूप न होकर प्रमाणरूप ही हो जायगा। इनके मतसे जो नय एक धर्मको अवधारणपूर्वक विषय करके इतरनयसे निरपेक्ष रहता है वही नय कहा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने सभी नयोंको मिथ्यावाद कहा है। मलयगिरिके कोषमें सुनय नामका कोई शब्द ही नहीं है। जब स्यात्पदका प्रयोग किया जाता है तब वह प्रमाणकोटिमें पहुँचेगा तथा जब नयान्तरनिरपेक्ष रहेगा तब वह नयकोटिमें जाकर मिथ्यावाद हो जायगा। इन्होंने अकलकदेवके इस तत्त्वको मद्दे-

नजर नहीं रखा कि—नयवाक्यमें स्यात् शब्दसे सूचित होनेवाले अशेषधर्मोंका मात्र सद्भाव ही जाना जाता है, सो भी इसलिए कि कोई वादी उनका ऐकान्तिक निबन्ध न समझ ले। प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमें स्यात्-शब्दसे सूचित होनेवाले अशेषधर्म प्रधानभावसे विषय नहीं होते। यही तो प्रमाण और नयमें भेद है कि—जहाँ प्रमाणमें अशेष ही धर्म एकरूपसे—अखण्डभावसे विषय होते हैं वहाँ नयमें एकधर्म मुख्य होकर अन्य अशेषधर्म गौण हो जाते हैं, 'स्यात्' शब्दसे मात्र उनका सद्भाव सूचित होता रहता है। दुर्नयमें एकधर्म ही विषय होकर अन्य अशेषधर्मोंका तिरस्कार ही जाता है। अतः दुर्नयसे सुनयका पाथंभय करनेके लिए सुनयवाक्यमें स्यात्पदका प्रयोग आवश्यक है। मलयगिरिके द्वारा की गई अकलंककी यह समालोचना उन्हीं तक सीमित रही। हेमचन्द्र आदि सभी आचार्य अकलंकके उक्त प्रमाण, नय और दुर्नयके विभागको निर्विवादरूपसे मानते आए हैं। इतना ही नहीं, उपाध्याय यशोविजयने मलगिरिकी इस समालोचनाका सयुक्तिक उत्तर गुह्यत्वविनिश्चय (पृ० १७ B) में दे ही दिया है। उपाध्यायजी लिखते हैं कि यदि नयान्तरमापेक्ष नयका प्रमाणमें अन्तर्भाव किया जायगा तो व्यवहारनय तथा शब्दनय भी प्रमाण ही हो जायेंगे। नयवाक्यमें होनेवाला स्यात्पदका प्रयोग तो अनेक धर्मोंका मात्र द्योतन करता है, वह उन्हें विवक्षितधर्मकी तरह नयवाक्यका विषय नहीं बनाता। इसलिए नयवाक्यमें मात्र स्यात्पदका प्रयोग होनेसे वह प्रमाण कोटिमें नहीं पहुँच सकता।

देवभद्र और प्रभाचन्द्र—देवभद्रसूरि मलधारिणशब्दके श्रीचन्द्रसूरिके शिष्य थे। इन्होंने न्यायावतारटीकापर एक टिप्पण लिखा है। श्रीचन्द्रसूरिने वि० मवत् ११९३ (सन् ११२६) के दिवालीके दिन 'मुनिसुव्रतचरित्र' पूर्ण किया था^१। अतः इनके साक्षात् शिष्य देवभद्रका समय भी करीब सन् ११५० से १२०० तक सुनिश्चित होता है। देवभद्रने अपने न्यायावतार टिप्पणमें प्रभाचन्द्रकृत न्यायकुमुदचन्द्रके निम्नलिखित दो अवतरण लिए हैं—

१—'परिमण्डला परमाणव. तेषा भाव. ...पारिमण्डल्य वर्तुल्लम्बम्, न्यायकुमुदचन्द्रे प्रभाचन्द्रेणाप्येवं व्याख्यातत्वात्।' (पृ० २५)

२—'प्रभाचन्द्रस्तु न्यायकुमुदचन्द्रे विभाषा सद्ब्रह्मप्रतिपादको ग्रन्थविशेष ता विदन्ति अधीयते वा वैभाषिका. इत्युवाच।' (पृ० ७९)

ये दोनों अवतरण न्यायकुमुदचन्द्रमें क्रमशः पृ० ४३८ पं० १३ तथा पृ० ३९० पं० १ में पाए जाते हैं। इसके सिवाय न्यायावतारटिप्पणमें अनेक स्थानोंपर न्यायकुमुदचन्द्रका प्रतिबिम्ब स्पष्टरूपसे मिलता है।

मल्लिषेण और प्रभाचन्द्र—आ० हेमचन्द्रकी अन्ययोगव्यवच्छेदिकाके ऊपर मल्लिषेणकी स्याद्वाद-मंजरी नामकी टीका मुद्रित है। ये स्वतन्त्रम्बर सम्प्रदायके नागेंद्रगच्छीय श्रीउदयप्रभसूरिके शिष्य थे। स्याद्वादमंजरीके अन्तमें दी हुई प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि—इन्होंने शक संवत् १२१४ (ई० १२९३) में दीप-मालिकाका शनिवारके दिन जिनप्रभसूरिकी सहायतासे स्याद्वादमंजरी पूर्ण की थी। स्याद्वादमंजरीकी शब्द-रचनापर न्यायकुमुदचन्द्रका एक विलक्षण प्रभाव है। मल्लिषेणने का० १४की व्याख्यामें विधिविवादी चर्चा की है। इसमें उन्होंने विधिविवादीके आठ मतोंका निर्देश किया है। साबही साथ अपनी ग्रन्थमर्यादाके विचारसे इन मतोंके पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षोंके विशेष परिज्ञानके लिए न्यायकुमुदचन्द्र ग्रन्थ देखनेका अनुरोध निम्नलिखित शब्दोंमें किया है—'एतेषा निराकरण सपूर्वोत्तरपक्षं न्यायकुमुदचन्द्रावसेसयम्।' इस वाक्यसे स्पष्ट हो जाता है कि मल्लिषेण न केवल न्यायकुमुदचन्द्रके विशिष्ट अभ्यासी ही थे किन्तु वे स्याद्वादमंजरीमें

१६४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

अर्थात् या अल्पार्थित विषयोके ज्ञानके लिए न्यायकुमुदचन्द्रको प्रमाणभूत आकरग्रन्थ मानने थे। न्याय-कुमुदचन्द्रमे विधिवादकी विस्तृत चरचा पृ० ५७३ से ५९८ तक है।

गुणरत्न और प्रभाचन्द्र—विक्रमकी १५वीं शताब्दीके उत्तरार्धमे तपागच्छमे ीदिवसुन्दरसूरि एक प्रभावक आचार्य हुए थे। इनके पट्टशिष्य गुणरत्नसूरिने हरिभद्रकृत 'बृहदर्शनसमुच्चय' पर तर्करहस्य-दीपिका नामकी बृहदवृत्ति लिखी है। गुणरत्नसूरिने अपने क्रियारत्नसमुच्चय ग्रन्थकी प्रतियोका लेखनकाल विक्रम सवत् १४६८ दिया है। अतः इनका समय भी विक्रमकी १५वीं सदीका उत्तरार्ध सुनिश्चित है। गुण-रत्नसूरिने बृहदर्शनसमुच्चय टीकाके जैनमत निरूपणमें मोक्षतत्त्वका भविस्तर विशद विवेचन किया है। इस प्रकरणमे इन्होंने स्वामित्त मोक्षस्वरूपके समर्थनके साथही साथ वैशेषिक, सांख्य, वंदात्ती तथा बौद्धोके द्वारा माने गए मोक्षस्वरूपका बड़े विस्तारसे निराकरण भी किया है। इस परस्मडनके भागम न्यायकुमुदचन्द्रका मात्र अर्थ और भावकी दृष्टिसे ही नहीं, किन्तु शब्दरचना तथा युक्तियोंके कोटिक्रमकी दृष्टिसे भी पर्याप्त अनु-सरण किया गया है। इस प्रकरणमे न्यायकुमुदचन्द्रका इतना अधिक शब्दमादृश्य है कि इससे न्यायकुमुद-चन्द्रके पाठकी शब्दशुद्धि करनेमे भी पर्याप्त सहायता मिली है। इसके सिवाय इस वृत्तिके अन्य स्थलोपर सासकर परपक्ष खंडनके भागोपर न्यायकुमुदचन्द्रकी शुभ्रज्योत्सना जहाँ-तहाँ छिटक रही है।

यशोविजय और प्रभाचन्द्र—उपाध्याय यशोविजयजी विक्रमको १८वीं सदीके युगप्रवर्तक विद्वान् थे। इन्होंने विक्रम सवत् १६८८ (ईस्वो १६३१) मे प० नयविजयजीके पाम दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने काशीमे नव्यन्यायका अध्ययनकर बादमे किसी विद्वान्पर विजय पानेसे 'न्यायविदारद' पद प्राप्त किया था। श्रीविजयप्रभसूरिने वि० स० १७१८ मे इन्हें 'वाचक-उपाध्याय' का सम्मानित पद दिया था। उपा-ध्याय यशोविजय वि० स० १७४३ (सन् १६८६) मे अनशन पूर्वक स्वर्गस्थ हुए थे। दशवीं शताब्दीसे ही नव्यन्यायके विकासने भारतीय दर्शनशास्त्रमे एक अपूर्व क्रान्ति उत्पन्न कर दा थी। यद्यपि दसवीं सदीके बाद अनेको बुद्धिशाली जेनाचार्य हुए पर कोई भी उन नव्यन्यायके शब्दजालके जटिल अध्ययनमे नहो पडा। उपाध्याय यशोविजय ही एकमात्र जेनाचार्य है जिन्होंने नव्यन्यायका समग्र अध्ययनकर उमो नव्यपद्धतिसे जैनपदाथोका निरूपण किया है। इन्होंने सैकडो ग्रन्थ बनाए हैं। उनका अध्ययन अत्यन्त तलस्पर्शा तथा बहुमुखी था। सभी पूर्ववर्ती जेनाचार्योंके ग्रन्थोका इन्होंने विभिन्न पारायण किया। इनकी तांक्ष्य दृष्टिसे धर्मभूषणयतिकी छोटीसी पर सुविशद रचनावाली न्यायदीपिका भी नहो छूटी। जैनतर्कभाषामे अनेक जगह न्यायदीपिकाके शब्द आनुपूर्वसे ले लिए गए ह। इनके शास्त्रवातागिमुच्चयटीका आदि बृहदग्रन्थोके परपक्ष खंडनवाले अशोमे प्रभाचन्द्रके विधि विकल्पजाल स्पष्टरूपसे प्रतिभविम्बित हैं। इन्होंने प्रभाचन्द्रका केवल अनुसरण ही नहो किया है किन्तु साम्प्रदायिक स्त्रीमुक्ति और कवलहार जैम प्रकरणोम प्रभाचन्द्रके मन्तव्यो-की समालोचना भी की है।

उपरिलिखित वैदिक-अद्वैतिकदर्शनोकी तुलनासे प्रभाचन्द्रके अगाध, तस्पशी, सूक्ष्म दार्शनिक अध्य-यनका यत्किञ्चित् आभास हो जाता है। बिना इस प्रकारके बहुभूत अवलोकनके प्रमेयकमलमात्संख और न्यायकुमुदचन्द्र जैसे जैनदर्शनके प्रतिनिधि ग्रन्थोके प्रथमनका उल्लास ही नहो सकता था। जैनदर्शनके मध्ययुगीन ग्रन्थोमे प्रभाचन्द्रके ग्रन्थ अपना विशिष्ट स्थान रखते ह। ये पूर्वयुगीन ग्रन्थोका प्रतिबिम्ब लेकर भी पारदर्शी वर्णनकी तरह उत्तरकालीन ग्रन्थोके लिए आधारभूत हुए हैं, और यही इनकी अपनी विशेषता है। बिना इस आदान-प्रदानके दार्शनिक साहित्यका विकास इन रूपमे तो ही नहो सकता।

१. देखो—न्यायकुमुदचन्द्र पृ० ८१६ मे ८४७ तकके टिप्पण।

प्रभाचन्द्रक। आयुर्वेदज्ञान—प्रभाचन्द्र सुष्क तार्किक ही नहीं थे, किन्तु उन्हें जीवनोपयोगी आयुर्वेदका भी परिज्ञान था। प्रमेयकमलमासंख (पृ० ४२४) में वे बचिरता तथा अन्य कर्णरोगोंके लिए बलातलका उल्लेख करते हैं। न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ६६९) में छाया आदिको पीद्गलिक सिद्ध करते समय उनमें गुणोका सद्भाव दिखानेके लिए उनमें वैद्यकशास्त्रका निम्नलिखित श्लोक प्रमाणरूपसे उद्धृत किया है—

“आतपः कटुको रुखः छाया मधुरशोतला ।
कषायमधुरा ज्योत्स्ना सर्वव्याधिहृरं (करं) तमः ॥

यह श्लोक राजनिषण्टु आदिमें कुछ पाठभेदके साथ पाया जाता है। इसी तरह वैशेषिकोंके गुण-पदार्थका खडन करने समय (न्यायकु०, पृ० २७५) वैद्यकतन्त्रमें प्रसिद्ध विषाद, स्थिर, सर, पिच्छलत्व आदि गुणोंके नाम लिए हैं। प्रमेयकमलमासंख (पृ० ८) में नद्वलोदक—तृणविशेषके जलसे पादरोगकी उत्पत्ति बताई है।

प्रभाचन्द्रकी कल्पनाशक्ति—सामान्यतः वस्तुकी अनन्तात्मकता या अनेकधर्माधारताकी सिद्धिके लिए अकलक आदि आचार्योंने चित्रज्ञान, सामान्यविशेष, मेचकज्ञान और नरसिंह आदिके दृष्टान्त दिए हैं। पर प्रभाचन्द्रने एक ही वस्तुकी अनेकरूपताके समर्थनके लिए न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ३६९) में ‘उमेश्वर’ का दृष्टान्त भी दिया है। वे लिखते हैं कि जैसे एक ही शिव वामाङ्ग में उमा-पार्वतीरूप होकर भी दक्षिणाङ्गमें विरोधी शिवरूपको धारण करते हैं और अपने अर्धनारीश्वररूपको दिखाते हुए अक्षड बने रहते हैं उसी तरह एक ही वस्तु विरोधी दो या अनेक आकारोंको धारण कर सकती है। इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए।

उदारविचार—आ० प्रभाचन्द्र सम्बन्धे तार्किक थे। उनकी तर्कनाशक्ति और उदार विचारोंका स्पष्ट परिचय ब्राह्मणत्व जातिके खण्डनके प्रसङ्गमें मिला है। इस प्रकरणमें उन्होंने ब्राह्मणत्व जातिके नित्यत्व और एकत्वका खण्डन करके उसे सदृशपरिणमन रूप ही सिद्ध किया है। वे जन्मना जातिका खण्डन बहुविध विकल्पोसे करते हैं और स्पष्ट शब्दोंमें उसे गुणकर्मानुसारिणी मानते हैं। वे ब्राह्मणत्वजातिनिमित्तक वर्णाश्रमव्यवस्था और तप दान आदिके व्यवहारको भी क्रियाविशेष और यज्ञोपवीत आदि चिह्नोंसे उपलक्षित व्यक्ति-विशेषमें ही करनेकी सलाह देते हैं—

“ननु ब्राह्मणत्वादिमामान्यान्म्युपगमे कथं भवता वर्णाश्रमव्यवस्था तन्निबन्धनो वा तपोदानादिव्यवहार स्यात् ? इत्यप्यचोक्षम्; क्रियाविशेषयज्ञोपवीतादिचिह्नोपलक्षिते व्यक्तिविशेषे तद्व्यवस्थाया तद्व्यवहारस्य चोपपत्तेः। तन्न भवत्कल्पित नित्यादिस्वभावं ब्राह्मण्यं कुतश्चिदपि प्रमाणात् प्रसिद्ध्यतीति क्रियाविशेषनिबन्धन एवायं ब्राह्मणादिव्यवहारो युक्तः ॥”

—न्यायकुमुदचन्द्र, पृ० ७७८। प्रमेयकमलमासंख, पृ० ४८६

“प्रथम—यदि ब्राह्मणत्व आदि जातियाँ नहीं हैं तब जैनमतमें वर्णाश्रमव्यवस्था और ब्राह्मणत्व आदि जातियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला तप दान आदि व्यवहार कैसे होगा ? उत्तर—जो व्यक्ति यज्ञोपवीत आदि चिह्नोंको धारण करें तथा ब्राह्मणोंके योग्य विशिष्ट क्रियाओंका आचरण करें उनमें ब्राह्मणत्व जातिसे सम्बन्ध रखनेवाली वर्णाश्रमव्यवस्था और तप दान आदि व्यवहार भलीभाँति किये जा सकते हैं। अतः आपके द्वारा माना गया नित्य आदि स्वभाववाला ब्राह्मणत्व किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता, इसलिये ब्राह्मण आदि व्यवहारोंको क्रियानुसार ही मानना युक्तिसंगत है।”

वे प्रमेयकमलमार्त्तण्ड (पृ० ४८७) में और भी स्पष्टतासे लिखते हैं कि—“तत' सद्बुद्धक्रियापरि-
णात्प्रादिनिबन्धनीवेयं ब्राह्मणभक्तियादिव्यवस्था—इसलिये यह समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि व्यवस्था सद्बुद्ध
क्रिया रूप सद्बुद्ध परिणामन आदिके निमित्तसे ही होती है।”

बौद्धोंके धम्मपद और श्वेताम्बर आगम उत्तराध्ययनसूत्रमें स्पष्ट शब्दोंमें ब्राह्मणत्व जातिको गुण और
कर्मके अनुसार बताकर उसका जन्मना माननेके सिद्धान्तका खण्डन किया है—

“न जटाहिं न गोत्तं हि न जञ्चा होति ब्राह्मणो ।
जम्हि सच्छं च धम्मो च सो सुचो सो च ब्राह्मणो ॥
न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिज मत्तिसंभवं ।” — धम्मपद गाथा ३९३
“कम्मूणा बंभणो होइ कम्मूणा होइ खत्तिओ ।
वईसो कम्मूणा होइ सुट्ठो हवइ कम्मूणा ॥” — उत्तरा० २५।३३

दिगम्बर आचार्योंमें बराङ्गचरित्रके कर्ता श्री जटासिहनन्द कितने स्पष्ट शब्दोंमें जातिको क्रिया-
निमित्तक लिखते हैं—

“क्रियाविशेषाद् व्यवहारमात्रात् दयाभिरक्षाकृषिशिल्पमेदात् ।
शिष्टाश्च वर्णाश्चतुरो वदन्ति न चान्यथा वर्णचतुष्टय स्यात् ॥”

— बराङ्गचरित २५।११

“शिष्टजन इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंको ‘अहिंसा आदि द्रव्योका पालन, रक्षा करना, खेती आदि
करना, तथा शिल्पवृत्ति’ इन चार प्रकारकी क्रियाओंसे ही मानते हैं। यह सब वर्णव्यवस्था व्यवहारमात्र
है। क्रियाके सिवाय और कोई वर्णव्यवस्थाका हेतु नहीं है।”

ऐसे ही विचार तथा उद्गार पद्मपुराणकार रविषेण, आदिपुराणकार जिनसेन, तथा धर्मपरीक्षा-
कार अमितगति आदि आचार्योंके पाए जाने हैं^१। आ० प्रभाचन्द्रने, इन्हीं वैदिक सस्कृति द्वारा अनभिभूत,
परम्परागत जैनसंस्कृतिके विद्वद्ध विचारोका, अपनी प्रखर तर्कधारासे परिचितकर पोषण किया है। यद्यपि
ब्राह्मणत्वजातिके खण्डन करते समय प्रभाचन्द्रने प्रचानतया उनके निस्थत्व और ब्रह्मप्रभवत्व आदि अर्थोंके
खण्डनके लिए इस प्रकारणको लिखा है और इसके लिखनेमें प्रजाकर गुणके प्रमाणवार्तिकालङ्कार तथा शान्त-
रक्षितके तत्त्वसंग्रहने पर्याप्त प्रेरणा दी है परन्तु इससे प्रभाचन्द्रकी अपनी जातिविषयक स्वतन्त्र चिन्तनवृत्तिमें
कोई कमी नहीं आती। उन्होंने उसके हर एक पहलूपर विचार करके ही अपने उक्त विचार स्थिर किए।

प्रभाचन्द्रका समय

कार्यक्षेत्र और गुरुकुल—आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्त्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र आदिको प्रयासिने
‘पद्मनन्दि सिद्धान्त’ को अपना गुरु लिखा है।^२ श्रवणबेलगोलाके शिलालेख (न० ४०) में गोल्लाचार्यके
शिष्य पद्मनन्दि सैदान्तिकका उल्लेख है। और इसी शिलालेखमें आगे चलकर प्रथिततर्कग्रन्थकार, शब्दा-
म्भोच्छ्रमास्कर प्रभाचन्द्रका शिष्यरूपसे वर्णन किया गया है। प्रभाचन्द्रके प्रथिततर्कग्रन्थकार और शब्दाम्भो-
च्छ्रमास्कर ये दोनों विशेषण यह स्पष्ट बतला रहे हैं कि ये प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्र और प्रमेयकमलमार्त्तण्ड

१. देखो—न्यायकुमुदचन्द्र, पृ० ७७८, टि० ९।

२. जैनशिलालेखसंग्रह माणिकचन्द्रग्रन्थमाला।

जैसे प्रथित लक्ष्मणयोके रचयिता थे तथा शब्दाम्भोजनात्. राम. जन्मन्वात्मके कर्त्ता भी थे। इसी शिलालेखमें पद्मनन्दि ईशान्तिकको अविद्वक्त्यादिक और कौमारदेवकी लिखा है। इन विशेषणोंसे ज्ञात होता है कि—पद्मनन्दि ईशान्तिकने कर्णबोध होनेके पहिले ही वीणा वारण की होगी और इसीलिए ये कौमारदेवकी कहे जाते थे। ये मूलसघान्तगत नन्दिगणके प्रमेदरूप देशीगणके श्रीगोत्राचार्यके शिष्य थे। प्रभाचन्द्रके लक्ष्मण श्रीकुलभूषणमुनि थे। कुलभूषण मुनि भी गिज्ञान्त शास्त्रोके पारगामी और चारित्र्यमानर थे। इस शिलालेखमें कुलभूषणमुनिकी शिष्यपरम्पराका वर्णन है, जो दक्षिणदेशमें हुई थी। तात्पर्य यह कि आ० प्रभाचन्द्र मूलसघान्तगत नन्दिगणको आचार्यपरम्परामें हुए थे। इनके गुरु पद्मनन्दिईशान्त थे और मन्वर्मा ये कुलभूषणमुनि। मालूम होता है कि प्रभाचन्द्र पद्मनन्दिसे शिक्षा-दीक्षा लेकर धारानगरीमें चले आए, और यही उन्होंने अपने ग्रन्थोंकी रचना की। ये धाराधीन भोजके मान्य विद्वान् थे। प्रमेयकमलमार्त्तण्डकी “श्रीभोज-देवराज्ये धारानिवामिना” आदि अन्तिम प्रशस्तितसे स्पष्ट है कि—यह ग्रन्थ धारानगरीमें भोजदेवके राज्यमें बनाया गया है। न्यायकुमुदचन्द्र, आरावनागशकयाकोश और महापुराणटिप्पणकी अन्तिम प्रशस्तियोके “श्रीश्रयमिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवामिना” शब्दोंसे इन ग्रन्थोंकी रचना भोजके उत्तराधिकारी जयसिंहदेवके राज्यमें हुई ज्ञात होती है। इसीलिए प्रभाचन्द्रका कार्यक्षेत्र धारानगरी ही मालूम होता है। संभव है कि इनकी शिक्षा-दीक्षा दक्षिणमें हुई हो।

श्रवणवेन्गोलाके शिलालेख न० ५५ में मूलसघके देशीगणके देवेन्द्रईशान्तदेवका उल्लेख है। इनके शिष्य चतुर्मुखदेव और चतुर्मुखदेवके शिष्य गोपनन्दि थे। इसी शिलालेखमें इन गोपनन्दिके लक्ष्मण एक प्रभाचन्द्रका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

“अवर सघर्मरु-

श्रीधारार्धपभोजराजमुकुटप्रोताश्मरश्मिच्छटा-

च्छायाकुङ्कुमपङ्कलिप्तचरणाम्भोजातलक्ष्मीधरः।

न्यायाब्जाकरमण्डने दिनमणिश्शब्दाब्जरोदोमणिः,

स्येयात्पण्डितपुण्डरीकतरणिः श्रीमान् प्रभाचन्द्रमाः ॥ १७ ॥

श्रोचतुर्मुखदेवानां शिष्योऽपुष्यः प्रवादिभिः।

पण्डितश्रीप्रभाचन्द्रो रुद्रवादिगजाङ्कुसः ॥ १८ ॥”

इन श्लोकोंमें बणित प्रभाचन्द्र भी धाराधीन भोजराजके द्वारा पूज्य थे, न्यायरूप कमलसमूह (प्रमेय-कमल) के दिनमणि (मार्त्तण्ड) थे, शब्दरूप अब्ज (शब्दाम्भोज) के विकास करनेको रोदोमणि (भास्कर) के समान थे। पण्डित रूपी कमलोंके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य थे, रुद्रवादि गणोंको वश करनेके लिए अकुशाके समान थे तथा चतुर्मुखदेवके शिष्य थे। क्या इन शिलालेखमें बणित प्रभाचन्द्र और पद्मनन्दि ईशान्तके शिष्य, प्रथितकर्णधरकार एवं शब्दाम्भोजभास्कर प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति हैं ? इस प्रश्नका उत्तर ‘हाँ’ में दिया जा सकता है, पर इसमें एक ही बात नमी है। वह है—गुरुरूपसे चतुर्मुखदेवके उल्लेख होनेकी। मैं समझता हूँ कि—यदि प्रभाचन्द्र धारामें आनेके बाद अपने ही देशीयगणके श्री चतुर्मुखदेवको आदर और गुरुकी दृष्टिसे देखते हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। पर यह सुनिश्चित है कि प्रभाचन्द्रके आद्य और परमादरणीय उपास्य गुरु पद्मनन्दि ईशान्त ही थे। चतुर्मुखदेव द्वितीय गुरु या गुरुसम हो सकते हैं। यदि इस शिलालेखके प्रभाचन्द्र और प्रमेयकमलमार्त्तण्ड आदिके रचयिता एक ही व्यक्ति हैं तो यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि प्रभाचन्द्र धाराधीन भोजके समकालीन थे। इस शिलालेखमें प्रभाचन्द्रको गोपनन्दिका लक्ष्मण कहा

१६८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

गया है। हुलेबेलोलके एक शिलालेख (न० ४९२, जैनशिलालेखसंग्रह) में होम्लनरेश एरेयङ्ग द्वारा गोप-नन्दि पण्डितदेवको दिए गए दानका उल्लेख है। यह दान पीष शुद्ध १३, सवत् १०१५ में दिया गया था। इस तरह सन् १०९४ में प्रभाचन्द्रके सधर्मा गोपनन्दिकी स्थिति होनेसे प्रभाचन्द्रका समय सन् १०६५ तक माननेका पूर्ण समर्थन होता है।

समयविचार—आचार्य प्रभाचन्द्रके समयके विषयमें डॉ० पाठक, प्रेमीजी^१ तथा मुस्तार सा० आदिका प्रायः सर्वसम्मत् मत यह रहा है कि आचार्य प्रभाचन्द्र ईसाकी ८वीं शताब्दीके उत्तरार्ध एव नवीं शताब्दीके पूर्वार्धवर्ती विद्वान् थे। और इसका मुख्य आधार है जिनसेनकृत आदिपुराणका यह श्लोक—

“चन्द्रांशुशुभ्रयशसं प्रभाचन्द्रकवि स्तुवे।
कृत्वा चन्द्रोदयं येन शश्वदाह्लादितं जगत् ॥”

अर्थात्—‘जिनका यश चन्द्रमाकी किरणोंके समान घबल है उन प्रभाचन्द्रकविकी स्तुति करता हूँ। जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना करके जगत्को आह्लादित किया था।’ इस श्लोकमें चन्द्रोदयसे न्यायकुमुद-चन्द्रोदय (न्यायकुमुदचन्द्र) ग्रन्थका सूचन समझ गया है। आ० जिनसेनने अपने गुरु वीरसेनकी अधूरी जयघवला टीकाको शक स० ७५९ (ईसवी ८३७) की फाल्गुन शुक्ला दशमी तिथिको पूर्ण किया था। इस समय अमोघवर्षका राज्य था। जयघवलाकी समाप्तिके अनन्तर ही आ० जिनसेनने आदिपुराणकी रचना की थी। आदिपुराण जिनसेनकी अन्तिम कृति है। वे इसे अपने जीवनमें पूर्ण नहीं कर सके थे। उसे इनके शिष्य गुणभद्रने पूर्ण किया था। तात्पर्य यह कि जिनसेन आचार्यने ईसवी ८४० के लगभग आदिपुराणकी रचना प्रारम्भ की होगी। इसमें प्रभाचन्द्र तथा उनके न्यायकुमुदचन्द्रका उल्लेख मानकर डॉ० पाठक आदिने निविवादरूपसे प्रभाचन्द्रका समय ईसाकी ८वीं शताब्दीका उत्तरार्ध तथा नवींका पूर्वार्ध निश्चित किया है।

सुहृद्भर प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने न्यायकुमुदचन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना (पृ० १२३) में डॉ० पाठक आदिके मतका निरास करते हुए प्रभाचन्द्रका समय ई० ९५० से १०२० तक निर्धारित किया है। इस निर्धारित समयकी शताब्दियाँ तो ठीक हैं पर दशकोंमें अन्तर है। तथा जिन आधारोंसे यह समय

१. श्रीमान् प्रेमीजीका विचार अब बदल गया है। वे अपने “श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र” लेख (अनेकाल्न वर्ष ४ अंक, १) में महापुराणटिप्पणकार प्रभाचन्द्र तथा प्रमेयकमलमार्तण्ड और गद्यकथाकोश आदिके कर्ता प्रभाचन्द्रका एक ही व्यक्ति होना सूचित करते हैं। वे अपने एक पत्रमें मुझे लिखते हैं कि—हम समझते हैं कि प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्र ही महापुराणटिप्पणके कर्ता हैं। और तत्त्वार्थवृत्तिपद (सर्वार्थसिद्धिके पदोका प्रकटीकरण), समाहित षटीका, आत्मानुशासनतिलक, क्रियाकलापटीका, प्रवचनसारसरोजभास्कर (प्रवचनसारकी टीका) आदिके कर्ता, और शायद रत्नकरण्ड-टीकाके कर्ता भी वही हैं।”

२ प० कैलाशचन्द्रजीने आदिपुराणके ‘चन्द्रांशुशुभ्रयशसं’ श्लोकमें चन्द्रोदयकार किसी अन्य प्रभाचन्द्रकविका उल्लेख बताया है, जो ठीक है। पर उन्होंने आदिपुराणकार जिनसेनके द्वारा न्यायकुमुदचन्द्रकार प्रभाचन्द्रके स्मृत होनेमें बाधक जो अन्य तीन हेतु दिए हैं वे बलवत् नहीं मालूम होते। यतः (१) आदिपुराणकार इसके लिए बाध्य नहीं माने जा सकते कि यदि वे प्रभाचन्द्रका स्मरण करते हैं तो उन्हें प्रभाचन्द्रके द्वारा स्मृत अनन्तवीर्य और विद्यानन्दका स्मरण करना ही चाहिए। विद्यानन्द और अनन्तवीर्यका समय ईसाकी नवीं शताब्दीका पूर्वार्ध है, और इसलिए वे आदिपुराणकारके समकालीन होते

निश्चित किया गया है वे भी अज्ञान नहीं है। ५० जीने प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोंमें व्योमशिवाचार्यकी व्योमवती टीकाका प्रभाव देखकर प्रभाचन्द्रकी पूर्वाविधि ९५० ई० और पुष्पदन्तकृत महापुराणके प्रभाचन्द्रकृत टिप्पणकी वि० सं० १०८० (ई० १०२३) में समाप्त मानकर उत्तराविधि १०२० ई० निश्चित की है। मैं 'व्योमशिव और प्रभाचन्द्र' की तुलना करने समय व्योमशिवका समय ईसाकी सातवीं शताब्दीका उत्तरार्ध निर्धारित कर आया है। इसलिए मात्र व्योमशिवके प्रभावे कारण ही प्रभाचन्द्रका समय ई० ९५० के बाद नहीं जा सकता। महापुराणके टिप्पणकी वस्तुस्थिति तो यह है कि—पुष्पदन्तके महापुराणपर श्रीचन्द्र आचार्यका भी टिप्पण है और प्रभाचन्द्र आचार्यका भी। बलात्कारणके श्रीचन्द्रका टिप्पण भोज-देवके राज्यमें बनाया गया है। इसकी प्रशस्ति निम्नलिखित है—

“श्री विक्रमादित्यमवंसरे वर्षाणामधीत्यधिकसहस्रे महापुराणविषमपदविवरण सागरसेनसैदान्तान्

है। यदि प्रभाचन्द्र भी ईसाकी नवीं शताब्दीके विद्वान् होते, तो भी वे अपने समकालीन विद्यानन्द आदि आचार्योंका स्मरण करते भी आदिपुराणकार द्वारा स्मृत हो सकते थे। (२) 'जयन्त और प्रभाचन्द्र' की तुलना करते समय मैं जयन्तका समय ई० ७५० से ८४० तक सिद्ध कर आया हूँ। अतः समकालीन-वृद्ध जयन्तसे प्रभावित होकर भी प्रभाचन्द्र आदिपुराणमें उल्लेख्य हो सकते हैं। (३) गुणभद्रके आत्मानुशासनसे 'अन्धादयं महानन्धः' श्लोक उद्धृत किया जाना अवश्य ऐसी बात है जो प्रभाचन्द्रका आदिपुराणमें उल्लेख होनेकी वाचक हो सकती है। क्योंकि आत्मानुशासनके “जिनसेनाचार्यपाद-स्मरणाधो नचेतसाम्। गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम्॥” इस अन्तिमश्लोकसे ध्वनित होगा है कि यह ग्रन्थ जिनसेन स्वामीकी मृत्युके बाद बनाया गया है; क्योंकि वही समय जिनसेनके पादोके स्मरणके लिए ठीक जँचता है। अतः आत्मानुशासनका रचनाकाल सन् ८५० के करीब मालूम होता है। आत्मानुशासनपर प्रभाचन्द्रकी एक टीका उपलब्ध है। उसमें प्रथम श्लोकका उल्लेख वाक्य इस प्रकार है—“बृहद्धर्मभ्रातुर्लोकसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धेः सम्बोधनव्याजेन सर्वसत्त्वोप-कारक सन्मार्गमुपदर्शयितुकामो गुणभद्रदेवः” अर्थात्—गुणभद्र स्वामीने विषयोकी ओर चंचल चित्तवृत्तिवाले बड़े धर्ममाई (?) लोकसेनको समझानेके बहाने आत्मानुशासन ग्रन्थ बनाया है। ये लोकसेन गुणभद्रके प्रियशिष्य थे। उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें इन्हीं लोकसेनको स्वयं गुणभद्रने 'वदितसकलशास्त्र, मुनीश, कवि अविचलवृत्त' आदि विशेषण दिए हैं। इससे इतना अनुमान तो सहज ही किया जा सकता है कि आत्मानुशासन उत्तरपुराणके बाद तो नहीं बनाया गया; क्योंकि उस समय लोकसेन मुनि विषयव्यामुग्धबुद्धि न होकर वदितसकलशास्त्र एवं अविचलवृत्त हो गए थे। अतः लोकसेनकी प्रारम्भिक अवस्थामें, उत्तरपुराणकी रचनाके पहिले ही आत्मानुशासनका रचा जाना अधिक संभव है। ५० नाथूरामजी प्रेमीने विद्वद्वलमाळा (पृ० ७५) में यही सभावना की है। आत्मानुशासन गुणभद्रकी प्रारम्भिक कृति ही मालूम होती है। और गुणभद्रने इसे उत्तरपुराणके पहिले जिनसेनकी मृत्युके बाद बनाया होगा। परन्तु आत्मानुशासनकी आन्तरिक जाँच करनेमें हम इस परिणामपर पहुँचे हैं कि इसमें अन्य कवियोंके सुभाषितोका भी यथावसर समावेश किया गया है। उदाहरणार्थ—आत्मानुशासनका ३२ वाँ पद्य 'नेता यस्य बृहस्पतिः' भर्तृहरिके नोतिघातकका ८८वाँ श्लोक है, आत्मानुशासनका ६७ वाँ पद्य 'यदेतस्त्वच्छन्दः' वैराग्यशासनका ५०वाँ श्लोक है। ऐसी स्थितिमें 'अन्धादयं महानन्धः' सुभाषित पद्य भी गुणभद्रका स्वरचित ही है यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते। तथापि किसी अन्य प्रबल प्रमाणके अभावमें अभी इस विषयमें अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता।

परिज्ञाय मूलटिप्पणिकाञ्चालोक्य कृतमिदं समुच्चयटिप्पणम् अज्ञपातभीतेन श्रीमद्बला (त्कार) गणश्री-
मंथाचार्यसत्कविसिध्दयेण श्रीचन्द्रमुनिना निजदोषंघटाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य ॥ १०२ ॥
इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचन्द्राचार्य (?) विरचितं समाप्तम् ।”

प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण जयसिंहदेवके राज्यमे लिखा गया है । इसकी प्रशस्तिके श्लोक रत्नकरण्डश्रावका-
धारकी प्रस्तावनासे न्यायकुमुदचन्द्र प्रथम भागकी प्रस्तावना (पृ० १२०) में उद्धृत किये गये हैं । श्लोकों-
के अनन्तर—“श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामोपाजितामलपुष्पनिराकृताखिल-
मलकलङ्केन श्रीप्रभाचन्द्रपण्डितेन महापुराणटिप्पणके शतश्र्यधिकसहस्रत्रयपरिमाण कृतमिति” यह पुष्पिकालेख
है । इस तरह महापुराणपर दोनो आचार्योंके पृथक्-पृथक् टिप्पण है । इसका खुलासा प्रेमीजीके लेख^१से
स्पष्ट हो ही जाता है । पर टिप्पण-लेखकने श्रीचन्द्रकृत टिप्पणके ‘श्रीविक्रमादित्य’ वाले प्रशस्तिलेखके अन्तमें
भ्रमवश ‘इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचन्द्राचार्यविरचितं समाप्तम्’ लिख दिया है । इसीलिए डॉ० पी०
एल० बैब^२, प्रो० हीरालालजी तथा प० कैलाशचन्द्रजीने भ्रमवश प्रभाचन्द्रकृत टिप्पणका रचनाकाल संवत्
१०८० समझ लिया है । अत इस भ्रान्त आधारसे प्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरावधि सन् १०२० नहीं ठहराई
जा सकती । अब हम प्रभाचन्द्रके समयकी निश्चित अवधिके साधक कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१-प्रभाचन्द्रने पहिले प्रमेयकमलमात्तण्ड बनाकर ही न्यायकुमुदचन्द्रकी रचना की है । मुद्रित
प्रमेयकमलमात्तण्डके अन्तमें “श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामोपाजितामल-
पुष्पनिराकृतनिखिलमकङ्केन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतिपरीक्षामूलपदमिदं वि-
त्तमिति” यह पुष्पिकालेख पाया जाता है । न्यायकुमुदचन्द्रकी कुछ प्रतियोंमें उक्त पुष्पिकालेख ‘श्रीभोजदेव-
राज्ये’ की जगह ‘श्रीजयसिंहदेवराज्ये’ पदके साथ जैसाका तैसा उपलब्ध है । अत इस स्पष्ट लेखसे प्रभाचन्द्र-
का समय जयसिंहदेवके राज्यके कुछ वर्षों तक, अन्ततः सन् १०६५ तक माना जा सकता है । और यदि
प्रभाचन्द्रने ८५ वर्षकी आयु पाई हो तो उनकी पूर्वावधि सन् ९८० मानी जानी चाहिए ।

श्रीमान् मुस्तारसा^३ तथा प० कैलाशचन्द्रजी^४ प्रमेयकमल^५ और न्यायकुमुदचन्द्रके अन्तमें पाए जाने-
वाले उक्त ‘श्रीभोजदेवराज्ये और जयसिंहदेवराज्ये’ आदि प्रशस्तिलेखश्लोकों स्वयं प्रभाचन्द्रकृत नहीं मानते ।
मुस्तारसा० इस प्रशस्तिवाक्यको टीकाटिप्पणकार द्वितीय प्रभाचन्द्रका मानते हैं तथा प० कैलाशचन्द्रजी
इसे पीछेके किसी व्यक्तिकी करतूत बताते हैं । पर प्रशस्तिवाक्यको प्रभाचन्द्रकृत नहीं माननेमें दोनोंके आधार
जुदे-जुदे हैं । मुस्तारसा० प्रभाचन्द्रको जिनसेनके पहिलेका विद्वान् मानते हैं, इसलिए ‘भोजदेवराज्ये’ आदि-
वाक्य वं स्वयं उन्हीं प्रभाचन्द्रका नहीं मानते । प० कैलाशचन्द्रजी प्रभाचन्द्रको ईसाकी १०वीं और ११वीं
शताब्दीका विद्वान् मानकर भी महापुराणके टिप्पणकार श्रीचन्द्रके टिप्पणके अन्तिमवाक्यको भ्रमवश प्रभा-
चन्द्रकृत टिप्पणका अन्तिमवाक्य समझ लेनेके कारण उक्त प्रशस्तिवाक्यको प्रभाचन्द्रकृत नहीं मानना चाहते ।
मुस्तारसा० ने एक हेतु यह भी दिया है^६ कि—प्रमेयकमलमात्तण्डकी कुछ प्रतियोंमें यह अन्तिमवाक्य नहीं
पाया जाता । और इसके लिए भाण्डारकर इन्स्टीट्यूटकी प्राचीन प्रतियोंका हवाला दिया है । मैंने भी इस

१. देखो प० नाथूरामजी प्रेमो लिखित ‘श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र’ शीर्षक लेख अनेकान्त वर्ष ४, किरण १ ।

२. महापुराणकी प्रस्तावना, पृ० XIV ।

३. रत्नकरण्ड-प्रस्तावना, पृ० ५९-६० ।

४. न्यायकुमुदचन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना, पृ० १२२ ।

५. रत्नकरण्ड० प्रस्तावना, पृ० ६० ।

ग्रन्थका पुनः सम्पादन करने समय जैनसिद्धान्तभवन, आराकी प्रतिका पाठान्तर लिए है। इसमें भी उक्त 'भोज-देवराज्ये' वाला वाक्य नहीं है। इसी तरह न्यायकुमुदचन्द्रके सम्पादनमें जिन आ०, ब०, अ०, और भा० 'प्रतियोंका उपयोग किया है, उनमें आ० और ब० प्रतिमें 'श्रीजयसिंहदेवराज्ये' वाला प्रशस्ति लेख नहीं है। हाँ, भा० और अ० प्रतियाँ, जो ताडपत्रपर लिखी हैं, उनमें 'श्रीजयसिंहदेवराज्ये' वाला प्रशस्तिवाक्य है। इनमें भा० प्रति शालिवाहनशक १७६४ की लिखी हुई है। इस तरह प्रमेयकमलमार्त्ण्डकी किन्ही प्रतियोंमें उक्त प्रशस्तिवाक्य नहीं है, किन्हीमें 'श्रीपद्मनन्दि' श्लोक नहीं है तथा कुछ प्रतियोंमें सभी श्लोक और प्रशस्ति वाक्य हैं। न्यायकुमुदचन्द्रकी कुछ प्रतियोंमें 'जयसिंहदेवराज्ये' प्रशस्तिवाक्य नहीं है। श्रीमान् मुस्तारसा० प्रायः इसीसे उक्त प्रशस्तिवाक्योंको प्रभाचन्द्रकृत नहीं मानते।

इसके विषयमें मेरा यह वक्तव्य है कि—लेखक प्रमादवश प्रायः मौजूद पाठ तो छोड़ देने है पर किसी अन्यकी प्रशस्ति अन्यग्रन्थमें लगानेका प्रयत्न कम करते हैं। लेखक आखिर नकल करनेवाले लेखक हो तो हैं, उनमें इतनी बुद्धिमानीकी भी कम सभावना है कि वे 'श्री भोजदेवराज्ये' जैसी सुन्दर गद्य प्रशस्तिको स्वकपोल-कल्पित करके उसमें जोड़ दें। जिन प्रतियोंमें उक्त प्रशस्ति नहीं है तो समझना चाहिए कि लेखकोके प्रमादसे उनमें वह प्रशस्ति लिखी ही नहीं गई। जब अन्य अनेक प्रमाणोंसे प्रभाचन्द्रका समय करीब-करीब भोजदेव और जयसिंहके राज्यकाल तक पहुँचता है तब इन प्रशस्तिवाक्योंको टिप्पणकारकृत या किसी पीछे होनेवाले व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं टाला जा सकता। मेरा यह विश्वास है कि 'श्रीभोजदेवराज्ये' या श्री जयसिंह-देवराज्ये' प्रशस्तियाँ सर्वप्रथम प्रमेयकमलमार्त्ण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रके रचयिता प्रभाचन्द्रने ही बनाई हैं। और जिन-जिन ग्रन्थोंमें ये प्रशस्तियाँ पाई जाती हैं वे प्रसिद्ध तर्कग्रन्थकार प्रभाचन्द्रके ही ग्रन्थ होने चाहिए।

२—यापनीयसषाप्रणी शाकटायनाचार्याने शाकटायन व्याकरण और अमोघवृत्तिके सिवाय केवलमुक्ति और स्त्रीमुक्ति प्रकरण लिखे हैं। शाकटायनने अमोघवृत्ति, महाराज अमोघवर्षके राज्यकाल (ई० ८१४से ८७७) में रची थी। आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्त्ण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें शाकटायनके इन दोनों प्रकरणोंका सङ्ग आनुपूर्वसे किया है। न्यायकुमुदचन्द्रमें स्त्रीमुक्तिप्रकरणसे एक कारिका भी उद्धृत की है। अतः प्रभाचन्द्रका समय ई० ९००से पहिले नहीं माना जा सकता।

१ देखो, इनका परिचय न्यायकु० प्र० भागके सम्पादकीयमें।

२ प० नाथूरामजी प्रेमी अपनी नोटबुकके आधारसे सूचित करते हैं कि—“भाण्डारकर इन्स्टीट्यूटकी नं० ८३६ (सन् १८७५-७६) की प्रतिमें प्रशस्तिका 'श्रीपद्मनन्दि' वाला श्लोक और 'भोजदेवराज्ये' वाक्य नहीं। वहीकी नं० ६३८ (सन् १८७५-७६) वाली प्रतिमें 'श्री पद्मनन्दि' श्लोक है पर 'भोज-देवराज्ये' वाक्य नहीं है। पहिली प्रति संवत् १४८९ तथा दूसरी संवत् १७५५ की लिखी हुई है।” बीरवाणीबिलास भवनके अध्यक्ष पं० लोकनाथ पाश्चर्याणशास्त्री अपने यहाँकी ताडपत्रकी दो पूर्ण प्रतियोंको देखकर लिखते हैं कि—“प्रतियोंकी अन्तिम प्रशस्तिमें मुद्रितपुस्तकानुसार प्रशस्ति श्लोक पूरे हैं और 'श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना' आदि वाक्य हैं। प्रमेयकमलमार्त्ण्डकी प्रतियोंमें बहुत सीषिष्य है, परन्तु करीब ६०० वर्ष पहिले लिखित होगी। उन दोनों प्रतियोंमें शकसंवत् नहीं है।” सोलापुरकी प्रतिमें “श्रीभोजदेवराज्ये” प्रशस्ति नहीं है। बिल्लीकी धार्मिक प्रतिमें भी उक्तवाक्य नहीं है। अनेक प्रतियोंमें प्रथम अध्यायके अन्तमें पाए जानेवाले “सिद्ध सर्वजनप्रबोध” श्लोककी व्याख्या नहीं है। इन्दौरकी तुकोगंजवाली प्रतिमें प्रशस्तिवाक्य है और उक्त श्लोककी व्याख्या भी है। बुरईकी प्रतिमें ‘भोजदेवराज्ये’ प्रशस्ति नहीं है, पर चारों प्रशस्ति श्लोक हैं।

३-सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिद्धधिगणिकी एक वृत्ति उपलब्ध है। हम 'सिद्धधि और प्रभाचन्द्र' की तुलनामें बता आए हैं कि प्रभाचन्द्रने न्यायावतारके साथही साथ इस वृत्तिको भी देखा है। सिद्धधिनने ई० ९०६ मे अपनी उपमितभ्रवप्रश्नकाकथा बनाई थी। अत न्यायावतारवृत्तिके द्रष्टा प्रभाचन्द्रका समय सन् ९१० के पहिले नही माना जा सकता।

४-भासवर्जका न्यायसार ग्रंथ उपलब्ध है। कहा जाता है कि इसपर भासवर्जकी स्वपोष न्यायभूषणा नामकी वृत्ति थी। इस वृत्तिके नामसे उत्तरकालमे इनकी भी 'भूषण' रूपमे प्रसिद्धि हो गई थी। न्याय-लीलावतीकारके कथनसे^१ ज्ञात होता है कि भूषण क्रियाको सयोग रूप मानते थे। प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुद-चन्द्र (पृ० २८२) मे भासवर्जके इस मतका खंडन किया है। प्रमेयकमलमासंघके छठवे अध्यायमे जिन विशोष्यासिद्ध आदि हेत्वाभासोका निरूपण है वे सब न्यायसारसे ही लिए गए है। स्व० डॉ० क्षतीशचन्द्र^२ विश्वाभूषण इनका समय ई० ९०० के लगभग मानते है। अतः प्रभाचन्द्रका समय भी ई० ९०० के बाद ही होना चाहिए।

५-आ० देवसेनने अपने दर्शनसार ग्रन्थ (रचनासमय ९९० वि० ९३३ ई०) के बाद भासवर्जह ग्रन्थ बनाया है। इसकी रचना सभवतः सन् ९४० के आसपास हुई होगी। इसकी एक 'नोकम्मकम्महारो' गाथा प्रमेयकमलमासंघ तथा न्यायकुमुदचन्द्रमे उद्धृत है। यदि यह गाथा स्वयं देवसेनकी है तो प्रभाचन्द्रका समय सन् ९४० के बाद होना चाहिए।

६-आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमल० और न्यायकुमुद० बनानेके बाद शब्दाम्भोजभास्कर नामका जैन-न्यास रचा था। यह न्यास जैनन्द्रमहावृत्तिके बाद इसीके आधारसे बनाया गया है। मे 'अभयनन्दि और प्रभाचन्द्र' की तुलना करते हुए लिख आया है कि नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरु अभयनन्दिने ही यदि महावृत्ति बनाई है तो इसका रचनाकाल अनुमानत ९६० ई० होना चाहिए। अत प्रभाचन्द्रका समय ई० ९६० से पहिले नही माना जा सकता।

७-पुष्पदन्तकृत अपभ्रंशभाषाके महापुराणपर प्रभाचन्द्रने एक टिप्पण रचा है। इसकी प्रशस्ति रत्न-करुण्डभावकाचारकी प्रस्तावना (पृ० ६१) मे दी गई है। यह टिप्पण जयसिंहदेवके राज्यकालमे लिखा गया है। पुष्पदन्तने अपना महापुराण सन् ९६५ ई० मे समाप्त किया था^३। टिप्पणकी प्रशस्तिसे तो यही मालूम होता है कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र ही इस टिप्पणकर्ता हैं। यदि यही प्रभाचन्द्र इसके रचयिता है, तो कहना होगा कि प्रभाचन्द्रका समय ई० ९६५ के बाद ही होना चाहिए। यह टिप्पण इन्होंने न्यायकुमुदचन्द्रकी रचना करके लिखा होगा। यदि यह टिप्पण प्रसिद्ध तर्कग्रन्थकार प्रभाचन्द्रका न माना जाय तब भी इसकी प्रशस्तिके श्लोक और पुष्पिकालेख, जिनमे प्रमेयकमलमासंघ और न्यायकुमुदचन्द्रके प्रशस्तिश्लोकोका एवं पुष्पिकालेखका पूरा-पूरा अनुकरण किया गया है, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि जयसिंहके राज्यकाल तक निश्चित करनेमे साधक तो ही हो सकते है।

८-श्रीधर और प्रभाचन्द्रकी तुलना करते समय हम बता आए है कि प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोपर श्रीधरकी कन्दली भी अपनी आभा दे रही है। श्रीधरने कन्दली टीका ई० सन् ९९१ मे समाप्त की थी। अतः

१. देखो, न्यायकुमुदचन्द्र, पृ० २८२, टि० ५।

२. न्यायसार प्रस्तावना, पृ० ५।

३. देखो, महापुराणकी प्रस्तावना।

प्रभाचन्द्रकी पूर्वाधि ई० १९० के करीब मानना और उनका कार्यकाल ई० १०२० के लगभग मानना संगत मालूम होता है ।

१-श्वषणवेल्लोलाके लेख नं० ४० (६४) में एक पद्मनन्दसिद्धान्तिकका उल्लेख है और इन्हींके शिष्य कुलभूषणके सधर्मा प्रभाचन्द्रको शब्दाम्भोरुहभास्कर और प्रथिततर्कग्रन्थकार लिखा है—

“अविद्वकणादिकपद्मनन्दसिद्धान्तिकाश्वयोऽजनि यस्य लाके ।

कौमारदेवव्रतितप्रसिद्धिर्जीयात्तु सो ज्ञाननिधिस्स घोरः ॥ १५ ॥

तच्छिष्यः कूलभूषणाख्ययतिपदचारित्रवारानिधि,
सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तस्सधर्मा महान् ।

शब्दाम्भोरुहभास्करः प्रथिततर्कग्रन्थकारः प्रभा-

चन्द्राख्यो मुनिराजपण्डितवरः श्रीकुन्दकुन्दान्वयः ॥ १६ ॥”

उस लेखमें वर्णित प्रभाचन्द्र, शब्दाम्भोरुहभास्कर और प्रथिततर्कग्रन्थकार विशेषणोंके बलसे शब्दाम्भोजभास्कर नामक जैनग्रन्थयास और प्रमेयकमलमार्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र आदि ग्रन्थोंके कर्ता प्रस्तुत प्रभाचन्द्र ही है । धवलटीका, पु० २ की प्रस्तावनामें ताडपत्रीय प्रतिका इतिहास बताते हुए प्रो० हीरालालजीने इस शिलालेखमें वर्णित प्रभाचन्द्रके समयपर समुचित ऐतिहासिक प्रकाश डाला है । उसका माराश यह है—“उक्त शिलालेखमें कुलभूषणसे आगेकी शिष्यपरम्परा इस प्रकार है—कुलभूषणके सिद्धान्तवारानिधि सद्वृत्त कुलचन्द्र नामके शिष्य हुए, कुलचन्द्रदेवके शिष्य माघनन्दि मुनि हुए, जिन्होंने कोल्लापुरमें तीर्थ स्थापन किया । इनके श्रावक शिष्य थे—सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त निम्बदेव और सामन्त कामदेव । माघनन्दिके शिष्य हुए—गण्डविमुक्तदेव, जिनके एक छात्र सेनापति भरत थे, व दूसरे शिष्य भानुकीर्ति और देवकीर्ति, आदि । इस शिलालेखमें बताया है कि महामण्डलाचार्य देवकीर्ति पण्डितदेवने कोल्लापुरकी रूपनारायण वसतिके अधीन कौल्लगरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया था, तथा जिननाथपुरमें एक दानशाला स्थापित की थी । उन्हीं अपने गुरुकी परोक्ष विनयके लिए महाप्रधान सर्वाधिकारि हिरिय भडारी, अभिनवगङ्गदंडनायक श्री हूल्लराजने उनकी निषद्या निर्माण कराई, तथा गुरुके अन्य शिष्य लक्ष्मनन्दि, माघव और त्रिभुवनदेवने महादान व पूजाभिषेक करके प्रतिष्ठा की । देवकीर्तिके समयपर प्रकाश डालनेवाला शिलालेख नं० ३९ है । इसमें देवकीर्तिकी प्रशस्तिके अतिरिक्त उनके स्वर्गवासका समय शक १०८५ सुभानु सवत्सर आषाढ शुक्ल ९ बुधवार सूर्योदयकाल बतलाया गया है । और कहा गया है कि उनके शिष्य लक्ष्मनन्दि माघवचन्द्र और त्रिभुवनमल्लने गुरुभक्तिसे उनकी निषद्याकी प्रतिष्ठा कराई । देवकीर्ति पद्मनन्दसे पाँच पीढी तथा कुलभूषण और प्रभाचन्द्रसे चार पीढी बाद हुए हैं । अतः इन आचार्योंको देवकीर्तिके समयसे १००-१२५ वर्ष अर्थात् शक ९५० (ई० १०२८) के लगभग हुए मानना अनुचित न होगा । उक्त आचार्योंके कालनिर्णयमें सहायक एक और प्रमाण मिलता है—कुलचन्द्र मुनिके उत्तराधिकारी माघनन्दि कोल्लापुरीय कहे गए हैं । उनके गृहस्थ शिष्य निम्बदेव सामन्तका उल्लेख मिलता है जो शिलाहारनरेश गडरादित्यदेवके एक सामन्त थे । शिलाहार गडरादित्यदेवके उल्लेख शक स० १०३० से १०५८ तकके लेखोंमें पाए जाते हैं । इससे भी पूर्वोक्त कालनिर्णयकी पुष्टि होती है ।”

यह विवेचन शक सं० १०८५ में लिखे गए शिलालेखोंके आधारसे किया गया है । शिलालेखकी वस्तुओंका ध्यानसे समीक्षण करनेपर यह प्रसन्न होता है कि जिस तरह प्रभाचन्द्रके सधर्मा कुलभूषणकी शिष्यपरम्परा दक्षिण प्रान्तमें चली उस तरह प्रभाचन्द्रकी शिष्य परम्पराका कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता ? मुझे तो इसका संभाव्य कारण यही मालूम होता है कि पद्मनन्दिके एक शिष्य कुलभूषण तो दक्षिणमें ही रहे और

१७४ : डॉ० महेंद्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

दूसरे प्रभाचन्द्र उत्तर प्रातमें आकर चारा नगरीके आसपास रहे हैं। यही कारण है कि दक्षिणमें उनकी शिष्य परम्पराका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस शिलालेखीय अकगणनासे निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रभाचन्द्र भोजदेव और जयसिंह दोनोंके समयमें विद्यमान थे। अतः उनकी पूर्वाविधि सन् ९९० के आसपास माननेमें कोई बाधक नहीं है।

१०—बादिराजसूरिने अपने पादबंधरितमें अनेकों पूर्वाचार्योंका स्मरण किया है। पादबंधरित शक सं० ९४७ (ई० १०२५) में बनकर समाप्त हुआ था। इन्होंने अकलंकदेवके न्यायविनिश्चय प्रकरणपर न्यायविनिश्चयविवरण या न्यायविनिश्चयतात्पर्यविद्योतनी व्याख्यानरत्नमाला नामकी विस्तृत टीका लिखी है। इस टीकामें पचासों जैन-जैनेतर आचार्योंके ग्रन्थोंसे प्रमाण उद्धृत किए गए हैं। सभ्य है कि बादिराजके समयमें प्रभाचन्द्रकी प्रसिद्धि न हो पाई हो, अन्यथा तत्कालीन रसिक बादिराज अपने इस यशस्वी ग्रन्थ-कारका नामोल्लेख किए बिना न रहते। यद्यपि ऐसे नकारात्मक प्रमाण स्वतन्त्रभावसे किसी आचार्यके समयके साधक या बाधक नहीं होते फिर भी अन्य प्रबल प्रमाणोंके प्रकाशमें इन्हे प्रसङ्गसाधनके रूपमें तो उपस्थित किया ही जा सकता है। यही अधिक सभ्य है कि बादिराज और प्रभाचन्द्र समकालीन और सम-व्यक्तित्व-शास्त्री रहे हैं अतः बादिराजने अन्य आचार्योंके साथ प्रभाचन्द्रका उल्लेख नहीं किया है।

अब हम प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधिके नियामक कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१—ईसाकी चौदहवीं शताब्दीके विद्वान् अभिनवधर्मभूषणने न्यायदीपिका (पृ० १६) में प्रमेय-कमलमात्तण्डका उल्लेख किया है। इन्होंने अपनी न्यायदीपिका वि० सं० १४४२ (ई० १३८५) में बनाई थी^१। ईसाकी १३वीं शताब्दीके विद्वान् मल्लिषणने अपनी स्याद्वादमञ्जरी (रचना समय ई० १२९३) में न्यायकुमुदचन्द्रका उल्लेख किया है। ईसाकी १२वीं शताब्दीके विद्वान् आ० मलयगिरिने आवश्यकनिर्युक्ति-टीका (पृ० ३७१ A) में लघीयस्त्रयकी एक कारिकाका व्याख्यान करते हुए 'टीकाकारके' नामसे न्याय-कुमुदचन्द्रमें की गई उक्त कारिकाकी व्याख्या उद्धृत की है। ईसाकी १२वीं शताब्दीके विद्वान् देवमद्रने न्यायावतारटीकाटिप्पण (पृ० २१, ७६) में तथा माणिक्यचन्द्रने काव्यप्रकाशकी टीका (पृ० १४) में प्रभाचन्द्र और उनके न्यायकुमुदचन्द्रका नामोल्लेख किया है। अतः इन १२वीं शताब्दी तकके विद्वानोंके उल्लेखोंके आधारसे यह प्रामाणिकरूपसे कहा जा सकता है कि प्रभाचन्द्र ई० १२वीं शताब्दीके बावके विद्वान् नहीं है।

२—रत्नकरण्डभाबकाचार और समाधितन्त्रपर प्रभाचन्द्रकृत टीकाएँ उपलब्ध हैं। प० जुगलकिशोर जी मुस्तार^२ ने इन दोनों टीकाओंको एक ही प्रभाचन्द्रके द्वारा रची हुई सिद्ध किया है। आपके मतसे ये प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमात्तण्ड आदिके रचयितासे भिन्न हैं। रत्नकरण्डटीकाका उल्लेख प० आशाधरजी द्वारा अनागारधर्माभूत टीका (अ० ८, ६६० १३) में किये जानेके कारण इस टीकाका रचनाकाल वि० सं० १३०० से पहिलेका अनुमान किया गया है, क्योंकि अनागारधर्माभूत टीका वि० सं० १३०० में बनकर समाप्त हुई थी। अन्ततः मुस्तारमा० इस टीकाका रचनाकाल विक्रमकी १३वीं शताब्दीका मध्यभाग मानते हैं। अन्तु, फिलहाल मुस्तारसा० के निर्णयके अनुसार इसका रचनाकाल वि० १२५० (ई० ११९३) ही मानकर प्रस्तुत विचार करते हैं।

१. स्वामी, समस्तभद्र, पृ० २२७।

२. रत्नकरण्डभाबकाचार भूमिका, पृ० ६६ से।

रत्नकरणश्रावण (पृ० ६) में केवलकवलाहारके खंडनमें न्यायकुमुदचन्द्रगत शब्दावलीका पूरा-पूरा अनुसरण करके लिखा है कि—“तदलमतिप्रसङ्गं प्रमेयकमलमार्तण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे प्रपञ्चतः प्रकृपयात् ।” इसी तरह समाचित्पत्र टीका (पृ० १५) में लिखा है कि—“यै पुनर्योगसाख्यैः मुक्तौ तत्प्रपञ्चतिरात्मनोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमार्तण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे च भोशविचारे विस्तरत प्र-याख्याताः ।” इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र ग्रन्थ इन टीकाओंसे पहिले रचे गए हैं । अतः प्रभाचन्द्र ईसाकी १२वीं शताब्दीके बादके विद्वान् नहीं हैं ।

३—वादिदेवसूरिका जन्म वि० सं० ११४३ तथा स्वर्गवास वि० सं० १२२२ में हुआ था । ये वि० सं० ११७४ में आचार्यपदपर प्रतिष्ठित हुए थे । संभव है इन्होंने वि० सं० ११७५ (ई० १११८) के लगभग अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ स्याद्वादरत्नाकरकी रचना की होगी । स्याद्वादरत्नाकरमें प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रका न केवल शब्दार्थानुसरण ही किया गया है किन्तु कवलाहारसमर्थन प्रकरणमें तथा प्रतिबिम्ब चर्चामें प्रभाचन्द्र और प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्डका नामोल्लेख करके खंडन भी किया गया है । अतः प्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरावधि अन्ततः ई० ११०० सुनिश्चित हो जाती है ।

४—जैनेन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठपर श्रुतकीर्तिने पचवस्तुप्रक्रिया बनाई है । श्रुतकीर्ति कनडीचन्द्रप्रभचरित्रके कर्ता अगलकविने शक १०११ ई० १०८९ में चन्द्रप्रभचरित पूर्ण किया था । अतः श्रुतकीर्तिका समय भी लगभग ई० १०७५ हीना चाहिए । इन्होंने अपनी प्रक्रियामें एक न्यास ग्रन्थका उल्लेख किया है । संभव है कि यह प्रभाचन्द्रकृत शब्दाभोजमास्कर नामका ही न्यास हो । यदि ऐसा है तो प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि ई० १०७५ मानी जा सकती है । शिमोगा जिल्लेके शिलालेख नं० ४६ से ज्ञात होता है कि पूज्यपादने भी जैनेन्द्र न्यासकी रचना की थी । यदि श्रुतकीर्तिने न्यास पदसे पूज्यपादकृत न्यासका निर्देश किया है तब ‘टीकामाल’ शब्दसे सूचित होनेवाली टीकाकी मालामें तो प्रभाचन्द्रकृत शब्दाभोजमास्करकी पिरिया ही जा सकता है । इस तरह प्रभाचन्द्रके पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती उल्लेखोंके आधारसे हम प्रभाचन्द्रका समय सन् ९८० से १०६५ तक निश्चित कर सकते हैं । इन्हीं उल्लेखोंके प्रकाशमें जब हम प्रमेयकमलमार्तण्डके ‘श्री भोजदेवराज्ये’ आदि प्रशस्तिलेख तथा न्यायकुमुदचन्द्रके ‘श्री जयसिंहदेवराज्ये’ आदि प्रशस्तिलेखको देखते हैं तो वे अत्यन्त प्रामाणिक मालूम होते हैं । उन्हें किसी टीका टिप्पणकारका या किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं टाला जा सकता ।

उपर्युक्त विवेचनसे प्रभाचन्द्रके समयकी पूर्वावधि और उत्तरावधि करीब-करीब भोजदेव और जयसिंह देवके समय तक ही आती है । अतः प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें पाए जानेवाले प्रशस्ति लेखोंकी प्रामाणिकता और प्रभाचन्द्रकर्तृतामें सन्देहको कोई स्थान नहीं रहता । इसलिए प्रभाचन्द्रका समय ई० ९८० से १०६५ तक माननेमें कोई बाधा नहीं है ।

१. देखो, इसी लेखका “श्रुतकीर्ति और प्रभाचन्द्र” अंश ।

२. प्रमेयकमलमार्तण्डके प्रथमसंस्करणके सम्पादक पं० बशीधरजी शास्त्री, सोलापुरने उक्त संस्करणके उपोद्घातमें श्रीभोजदेवराज्ये प्रशस्तिके अनुसार प्रभाचन्द्रका समय ईसाकी स्यारहवीं शताब्दी सूचित किया है । और आपने इसके समर्थनके लिए ‘नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकी गाथाओका प्रमेयकमलमार्तण्डमें उद्धृत होना’ यह प्रमाण उपस्थित किया है । पर आपका यह प्रमाण अद्यतन नहीं है; प्रमेयकमलमार्तण्डमें ‘विन्हाहाइमावण्या’ और ‘लोयायामपसे’ गाथाएँ उद्धृत हैं । पर ये गाथाएँ नेमिचन्द्रकृत नहीं हैं । पहिली गाथा धवलाटीका (रचनाकाल ई० ८१६) में उद्धृत है और उमास्वातिकृत श्रावणप्रकरणमें भी

प्रभाचन्द्रके ग्रन्थ

आ० प्रभाचन्द्रके जितने ग्रन्थोका अभी तक अन्वेषण किया गया है उनमें कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं तथा कुछ व्याख्यात्मक । उनके प्रमेयकमलमार्तण्ड (परीक्षामुखव्याख्या), न्यायकुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रय व्याख्या), तत्पार्थिवृत्तिपदविवरण (सर्वार्थसिद्धि व्याख्या), और शाकटायनन्यास (शाकटायनव्याकरणव्याख्या) इन चार ग्रन्थोका परिचय न्यायकुमुदचन्द्रके प्रथमभागीकी प्रस्तावनामें दिया जा चुका है । यहाँ उनके शब्दाभोज-भास्कर (जैनेन्द्रव्याकरण महान्यास); प्रवचनमारसरोजभास्कर (प्रवचनसारटीका) और गद्यकथाकोशका परिचय दिया जाता है । महापुराणटिप्पण आदि भी इन्हीके ग्रन्थ हैं । इस परिचयके पहिले हम 'शाकटायनन्यास' के कर्तृत्वपर विचार करते हैं—

भाई ५० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने शिलालेख तथा किंवदन्तियोंके आधारसे शाकटायनन्यासको प्रभाचन्द्रकृत लिखा है^१ । धिमोगा जिलेके नगरताल्लुकेके शिलालेख नं० ४६ (एपि० कर्ना० पु० ८, भा० २, पु० २६६-२७३) में प्रभाचन्द्रकी प्रशंसापरक ये दो श्लोक हैं—

“माणिक्यनन्दिजनराजवाणोप्राणाधिनाथः परवादिमर्दी ।
चित्र प्रभाचन्द्र इह क्षमायां मार्तण्डवृद्धी नितरा व्यदीपित ॥
सुखि...न्यायकुमुदचन्द्रोदयकृते नमः ।
शाकटायनकृतसूत्रन्यासकर्त्रे श्रुतीन्दवे ॥”

जैनमिद्धान्तभवन, आरामे वर्धमानमुनिकृत दशभक्त्यादिमहाशास्त्र है । उसमें भी ये श्लोक हैं । उनमें 'सुखि....' की जगह 'सुखीसे' तथा 'श्रुतीन्दवे' के स्थानमें 'प्रमेन्दवे' पाठ है । यह शिलालेख १६वीं शताब्दीका

पाई जाती है । दूसरी गाथा पूज्यपाद (ई० ६वीं) कृत सर्वार्थसिद्धिमें उद्धृत है । अतः इन प्राचीन गाथाओंको नेमिचन्द्रकृत नहीं माना जा सकता । अवश्य ही इन्हें नेमिचन्द्रने जीवकाण्ड और द्रव्यसंग्रहमें संगृहीत किया है । अतः इन गाथाओंका उद्धृत होना ही प्रभाचन्द्रके समयको ११वीं सदी नहीं साध सकता ।

१. न्यायकुमुदचन्द्र प्रथमभागीकी प्रस्तावना, पृ० १२५ ।
२. इस शिलालेखके अनुवादमें राइस सा० ने आ० पूज्यपादको ही न्यायकुमुदचन्द्रोदय और शाकटायनन्यासका कर्ता लिख दिया है । यह गलती आपसे इसलिये हुई कि इस श्लोकके बाद ही पूज्यपादकी प्रशंसा करनेवाला एक श्लोक है, उसका अन्वय आपने भूलसे "सुखि" इत्यादि श्लोकके साथ कर दिया है । वह श्लोक यह है—

“न्यासं जैनेन्द्रसंज्ञं सकलबुधनुत्तं पाणिनीयस्य भूयो,
न्यासं शब्दावतारं मनुजततिहिस वैद्यशास्त्रं च कृत्वा ।
यस्तत्पार्थस्य टोकां व्यरचयदिह तां भात्यसौ पूज्यपाद,
स्वामी भूपालबन्धः स्वपरहितवचः पूर्णदुग्बोधवृत्तः ॥”

थोड़ी-सी सावधानीसे विचार करनेपर यह स्पष्ट मालूम होता है कि 'सुखि' इत्यादि श्लोकके चतुर्थ्यन्त पदोंका 'न्यास' वाले श्लोकसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । डॉ० शीतलप्रसादजीने 'मद्रास और मैसूरप्रान्तके स्मारक' में तथा प्रो० हीरालालजीने 'जैनशिलालेख संग्रह' की भूमिका (पृ० १४१) में भी राइस सा० का अनुसरण करके इसी गलतीको पुहराया है ।

है और वर्षमानमुनिका समय भी १६वीं शताब्दी ही है। शाकटायनव्यासके प्रथम दो अध्यायोंकी प्रतिकृति पञ्चसप्तविद्यालयके सरस्वतीधनमे मीबूच है। उसको सरसरी तौरसे कलनेपर मुझे इसके प्रथमकालके होनेमें निम्नलिखित कारणसे सन्देह उत्पन्न हुआ है—

१—इस ग्रन्थमें मंगलश्लोक नहीं है जब कि प्रभाचन्द्र अपने प्रत्येक ग्रन्थमें मंगलश्लोक लिखित करने करते हैं^१।

२—सन्धिओंके अन्तमे तथा ग्रन्थमें कहीं भी प्रभाचन्द्रका नामोल्लेख नहीं है जब कि प्रभाचन्द्र अपने प्रत्येक ग्रन्थमें 'इति प्रभाचन्द्रविरचिते' आदि मुद्रिकालेख या 'प्रवेन्दुमिन.' आदि रूपसे अपना नामोल्लेख करनेमें कहीं चूकते।

३—प्रभाचन्द्र अपनी टीकाओंके प्रमेयकमलमार्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, शब्दान्मोजभास्कर आदि नाम रखते हैं जब कि इस ग्रन्थके इन श्लोकोंमें इसका कोई खाल नाम सूचित नहीं होता—

“शब्दानां शासनाख्यस्य शास्त्रस्यान्वर्थनामतः ।
प्रसिद्धस्य महामोषवृत्तेरपि विशेषतः ॥
सूत्राणां च विवृत्तिलिख्यते च यथामति ।
ग्रन्थस्यास्य च न्यासिति (?) क्रियते नामनामत ॥”

४—शाकटायन यापनीयसचके आचार्य ये और प्रभाचन्द्र ये कट्टर दिग्गम्बर। इन्होंने शाकटायनके स्त्रीमुक्ति और कौटिल्यमुक्तिप्रकरणोंका खंडन भी किया है। अतः शाकटायनके व्याकरणपर प्रभाचन्द्रकी द्वारा न्यास लिखा जाना कुछ समझमें नहीं आता।

५—इस न्यासमें शाकटायनके लिए प्रयुक्त 'संघाधिपति, महाश्रमणसंघप' आदि विशेषणोंका समर्थन है। यापनीय आचार्यके इन विशेषणोंके समर्थनकी आशा प्रभाचन्द्र द्वारा नहीं की जा सकती। यथा—

“एवमूतमिदं शास्त्रं चतुरध्यायरूपतः, संघाधिपतिः श्रीमानाचार्यः शाकटायनः ।
महत्तारभते तत्र महाश्रमणसंघपः, श्रमेण शब्दतत्त्वं च विशदं च विशेषतः ॥

महाश्रमणसंघाधिपतिरित्यनेन मनः समाधानमाख्यायते । विषयैषु विद्वित्पत्तौ न मनः समाधि - असमाहितचेतसश्च किं नाम शास्त्रकरणम्, आचार्य इति तु शब्दविधायया मुत्सवं शाकटायन इति अन्वयबुद्धि-प्रकर्षः, विद्युद्धान्ययी हि शिष्टीरूपलीयते । महाश्रमणसंघाधिपते समागानुशासनं युक्तमेव ॥”

६—प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें जैनैन्द्रव्याकरणसे ही सूत्रोंके उद्धरण किए हैं जिसपर उनका शब्दान्मोजभास्कर न्यास है। यदि शाकटायनपर भी उनका न्यास होता तो वे एकत्र स्थानपर तो शाकटायनव्याकरणके सूत्र उद्धृत करते।

१. मैसूर ग्रन्थि० में न्यासग्रन्थकी दूसरे अध्यायके चौथे पाठके १२४ सूत्र लक्ष्मी कापी है (नं० A 605) । उसमें निम्नलिखित मंगलश्लोक है—

“प्रकथ्य जमिनः प्राप्तविषयव्याकरणभाषियः । शब्दानुशासनसम्बन्धं वृत्तिविवरणोद्यमः ॥
अस्मिन्नु शब्दभाषि धारयन्ते वृत्तयो बुद्धिभाषिताः । न्यासा न्यस्ता कृता टीकाः पारं पारप्रधाचन्द्रः ॥
सर्व वृत्ता (त्या) धारयं मंगलश्लोकः श्रीश्रीरत्नसुतसिद्धादि ॥”

बल्कुल इन श्लोकोंकी रचनाशैली प्रभाचन्द्रकृत न्यायकुमुदचन्द्र आदिके संवत्समयके शब्दकल्प विशालण है।

७-प्रभाचन्द्र अपने पूर्वग्रन्थोंका उत्तरग्रन्थोमे प्राय उल्लेख करते है। यथा न्यायकुमुदचन्द्रमें तत्पूर्व-
कालीन प्रमेयकमलमार्तण्डका तथा शब्दाम्भोजभास्करमे न्यायकुमुदचन्द्र और प्रमेयकमलमार्तण्ड दोनोंका उल्लेख
पाया जाता है। यदि शाकटायनन्यास उन्होंने प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके पहिले बनाया होता तो प्रमेयकमल-
मार्तण्ड आदिमें शाकटायनव्याकरणके सूत्रोंके उद्धरण होते और इस न्यासका उल्लेख भी होता। यदि यह
उत्तरकालीन रचना है तो इसमे प्रमेयकमल आदिका उल्लेख होना चाहिए या जैसा कि शब्दाम्भोजभास्करमे
देखा जाता है।

८-शब्दाम्भोजभास्करमे प्रभाचन्द्रकी भाषाकी जो प्रसन्नता तथा प्रावाहिकता है वह इस दुस्सह न्यासमें
नहीं देखी जाती। इस शैलीवैचित्र्यसे भी इसके प्रभाचन्द्रकृत होनेमे सन्देह होता है। प्रभाचन्द्रमे शब्दाम्भोज-
भास्कर नामका न्यास बनाया था और इसलिये उनकी न्यासकारके रूपसे भी प्रसिद्ध रही है। मालूम होता
कि वर्षमानमुनिने प्रभाचन्द्रकी इसी प्रसिद्धिके आधारेसे इन्हें शाकटायनन्यासका कर्ता लिख दिया है। मुझे
तो ऐसा लगता है कि यह न्यास स्वयं शाकटायनने ही बनाया होगा। अनेक वैयाकरणोंने अपने ही व्याकरण-
पर न्यास लिखे है।

शब्दाम्भोजभास्कर—अवणवेत्सोलोके शिलालेख न० ४० (६४) में प्रभाचन्द्रके लिये 'शब्दा-
म्भोजविवाकर.' विशेषण भी दिया गया है। इस अर्थगर्भ विशेषणसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रमेयकमल-
मार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र जैसे प्रथिततर्क ग्रन्थोके कर्ता प्रथिततर्कग्रन्थकार प्रभाचन्द्र ही शब्दाम्भोजभास्कर
नामक जैनैन्द्रव्याकरण महुन्यासके रचयिता है। ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वतीभवनकी अग्रणी प्रतिके
आधारेसे इसका टूक परिचय यहाँ दिया जाता है। यह प्रति संवत् १९८० मे वेदुलीकी प्रतिसे लिखाई गई है।
इसमें जैनैन्द्रव्याकरणके मात्र तीन अध्यायका ही न्यास है सो भी बीचमे जगह-जगह नुटित है। ३९ से ६७
नं० के पत्र इस प्रतिमें नहीं है। प्रारम्भके २८ पत्र किसी दूसरे लेखकने लिखे है। पत्रसंख्या २२८ है। एक
पत्रमें १३ से १५ तक पक्षितयौ और एक पक्षितमे ३९ से ४३ तक अक्षर है। पत्र बड़ी साइजके हैं। मगला-
चरण—

“श्रीपूज्यपादमकलङ्कमनन्तबोधम्, शब्दार्थसशयहरं निखिलेषु बोधम् ।

सञ्चल्लक्षणमशेषमतः प्रसिद्ध वक्ष्ये परिस्फुटमलं प्रणिपत्य सिद्धम् ॥ १ ॥

सविस्तरं यद् गुरुभिः प्रकाशितं महामतीनामभिधानलक्षणम् ।

मनोहरैः स्वल्पपदैः प्रकाश्यते महद्भिन्नरूपदिष्टि याति सर्वापिमार्गं (?)

...तदुक्तं कृतशिक्ष (?) श्लाघ्यते तद्धि तस्य ।

किमुक्तमखिलज्ञैर्भीषमाणे गणैन्द्रो विविक्तमखिलार्थं श्लाघ्यतेऽतो मुनीन्द्रैः ॥ ३ ॥

शब्दानामनुशासनानि निखिलान्याध्यायतार्हनिशाम्,

यो यः सारतरो विचारचतुरस्तल्लक्षणशो गतः ।

तं स्वीकृत्य तिलोत्तमेव विदुषा चेतश्चमत्कारकः,

सुख्यक्तैरसमै प्रसन्नवचनैर्यासि. समारभ्यते ॥ ४ ॥

श्रीपूज्यपादस्वामि (श्री) विनेयानां शब्दसाधुत्वासाधुत्वविवेकप्रतिपत्त्यर्थं शब्दलक्षणप्रणयनं कुर्वानो
निदिग्धतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकमभिलषन्निष्टदेवतास्तुतिविषयं नमस्कुर्वन्नाह—लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य ...”
यह न्यास अमयनचिह्नकृत जैनैन्द्रमहावृत्तिके बाद बनाया गया है। इसमें महावृत्तिके शब्द आमुपूर्वसि
के लिए गए हैं और कहीं उनका व्याख्यान भी किया है। यथा—

“सिद्धिरनेकान्तात्—प्रकृत्यादिविभागेन व्यवहाररूपा श्रोत्रग्राह्यतया परमार्थतोपेता प्रकृत्यादिविभागेन च शब्दाना सिद्धिरनेकान्ताद् भवतीत्यर्थाधिकार आशास्त्रपरिसमाप्तेर्बैवितव्यः । अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्व-सामान्यसामानाधिकरण्यविशेषणविशेष्यादिकोऽनेकः अन्तः स्वभावो यस्मिन् भावे सोऽयमनेकान्तः अनेकान्ता इत्यर्थः” —महावृत्ति, पृ० २ ।

“द्विविधा च शब्दाना सिद्धिः व्यवहाररूपा परमार्थरूपा चेति । तत्र प्रकृतीय (?) विकारागमादिविभागेन रूपा तस्सिद्धिः तद्भेदस्यात्र प्राधान्यात् । श्रोत्रग्राह्यौ (ह्याः) परमार्थतो ये प्रकृत्यादिविभागा प्रमाद्यनयादिभिरभिगमोपायौ शब्दाना तत्त्वप्रतिपत्ति परमार्थरूपा सिद्धि तद्भेदस्यात्र प्राधान्यात्, सामयितेषां सिद्धिरनेकान्ताद्भवतीत्येवोऽधिकार आशास्त्रपरिसमाप्तेर्बैवितव्य । अथ कोऽयमनेकान्तो नामेत्याह— अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वसामान्यसामानाधिकरण्यविशेषणविशेष्यादिकोऽनेकान्तः स्वभावो यस्यार्थस्यासावनेकान्तः अनेकान्तात्मक इत्यर्थः —शब्दाम्भोजभास्कर, पृ० २ A ।

इस तुलनासे तथा तृतीयाध्यायके अन्तमे लिल्ले गये इस श्लोकसे अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि यह न्यास जैनेन्द्रमहावृत्तिके बाद बनाया गया है—

“नमः श्रीवर्धमानाय महते देवनान्दने । प्रभाचन्द्राय गुरुवे तस्मै चाभयनन्दने ॥”

इस श्लोकमे अभयनन्दिको नमस्कार किया गया है । प्रत्येक पादकी समाप्तिमे “इति प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जैनेन्द्रव्याकरणमहान्यासे द्वितीयाध्यायस्य तृतीय पादः” इसी प्रकारके पुष्पिकाके लक्ष है । तृतीय अध्यायके अन्तमें निम्नलिखित पुष्पिका तथा श्लोक है—

“इति प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जैनेन्द्रव्याकरणमहान्यासे तृतीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ श्रीवर्धमानाय नमः ॥

सन्मार्गप्रतिबोधको बुधजनैः संस्तूयमानो हृडात् ।

अज्ञानान्धतमोपहृः क्षितितले श्रोपूज्यपादो महान् ॥

सार्वं सन्ततसन्निसन्धिनियतः पूर्वापरानुक्रमः ।

शब्दाम्भोजदिबाकरोऽस्तु सहसा न श्रेयसे यं च वै ॥

नमः श्रीवर्धमानाय महते देवनान्दने ।

प्रभाचन्द्राय गुरुवे तस्मै चाभयनन्दने ॥ छ ॥

श्री वासुपुज्याय नमः । श्री नृपतिविक्रमादित्यराज्येन सवत् १९८० मासोत्तममासे चैत्रशुक्लपक्षे एकादश्या ११ श्री महावीर संवत् २४४९ । हस्ताक्षर छाजुराम जैन विजेश्वरी लेखक पालम (सूबा देहली)।

जैनेन्द्रव्याकरणके दो सूत्रपाठ प्रचलित हैं—एक तो वह जिसपर अभयनन्दने महावृत्ति, तथा श्रुतकीर्तिने पञ्चवस्तु नामकी प्रक्रिया बनाई है, और दूसरा वह जिसपर सोमदेवसूरिकृत शब्दार्णवचन्द्रिका है । पं० नाथूरामजी प्रेमीने^१ अनेक पुष्ट प्रमाणोंसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठको ही प्राचीन तथा पूज्यपाठकृत मूलसूत्रपाठ सिद्ध किया है । प्रभाचन्द्रने इसी अभयनन्दिसम्मत प्राचीन सूत्रपाठपर ही अपना यह शब्दाम्भोजभास्कर^२ नामका महान्यास बनाया है ।

१. देखो—‘जैनेन्द्रव्याकरण और आचार्य देवनान्दी’ लेख, जैनसाहित्य संशोधक भाग १, अंक २ ।

२. पंडित नाथूलालजी शास्त्री, इन्दौर सूचित करते हैं कि तुकोगंज, इन्दौरके धन्यभण्डारमें भी शब्दाम्भोजभास्करके तीन ही अध्याय हैं । उसका मंगलाचरण तथा अन्तिम प्रकृतिलेख बम्बईकी प्रतिके ही समान

१८७ : डॉ० बंकिमचन्द्रचरण वैद्य न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

बोध प्रभाचन्द्रमे इत्य ग्रन्थको प्रमेयकमलमासंख्य और न्यायकुमुदचन्द्रकी रचनाके बाद बनाया है किन्तु इनके निम्नलिखित भागसे सूचित होता है—

“उवाचकालं चार्यस्य अध्वलातो जुमानादेश्च यथा सिद्धयति तथा प्रपञ्चत प्रमेयकमलमासंख्ये व्याख्य-
कुमुदचन्द्रे च प्रकृतिमिह द्रष्टव्यम् ।”

प्रभाचन्द्र अपने न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० ३२९) में प्रमेयकमलमासंख्ये ग्रन्थ देखनेका अनुरोध इसी रूपसे करनेमें करते हैं—“एतच्च प्रमेयकमलमासंख्ये सप्रपञ्च प्रपञ्चितमिह द्रष्टव्यम् ।”

व्याकरण जैसे शुष्क शब्दविषयक इस ग्रन्थमें प्रभाचन्द्रकी प्रसन्न लेखनीसे प्रसूत वर्णनशास्त्रकी कल्पित् अर्थप्रधान चर्चा इस ग्रन्थके गौरवकी असाधारणतया बढ़ा रही है। इसमें विधिविचार, कारक-
विचार, लिंगविचार जैसे अनूठे प्रकरण हैं जो इस ग्रन्थकी किसी भी दर्शनग्रन्थकी कीटिमें रख सकते हैं। इसमें समन्तभद्रके युक्तयनुशासन तथा अन्य अनेक आचार्योंके पद्योंको प्रमाण रूपसे उद्धृत किया है। पृ० ११ में ‘विसववृषवाञ्च पुनो जनिता’ प्रयोगका हृष्यग्राही व्याख्यान किया है। इस तरह क्या भाषा, क्या विषय और क्या प्रसन्नशैली, हर एक दृष्टिसे प्रभाचन्द्रका निर्मल और प्रौढ़ पाण्डित्य इस ग्रन्थमें उदात्ताभासे निहित है।

प्रवचनसारसरोजभास्कर—यह प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलको विकसित करनेके लिए मासंख्ये बना-
के पहुँचे प्रवचनसारसरोजके विकाराद्य भास्करका उदय किया हो तो कोई अनहोनी बात न होकर अधिक संभव और निश्चित बात मालूम होती है। (प्रमेय) कमलमासंख्ये, (न्याय) कुमुदचन्द्र, (शब्द) अम्भोज-
भास्कर जैसे सुन्दर नामोंकी कल्पिका प्रभाचन्द्रीय बुद्धिने ही (प्रवचनसार) सरोजभास्करका उदय किया है। इसी ग्रन्थकी संवत् १५५५ की लिखी हुई जीर्ण प्रति हमारे सामने है। यह प्रति ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन, बम्बईकी है। इसका परिचय संक्षेपमें इस प्रकार है—

पत्रसंख्या ५३, श्लोकसंख्या १७४६, साठज १३ × ६। एक पत्रमें १२ पक्तियाँ तथा एक पक्तिमें ४२-४३ अक्षर हैं। लिखावट अच्छी और शुद्ध प्रायः है। प्रारम्भ—

“ओ नम सर्वज्ञाय शिष्याशय ।

वीरं प्रवचनमारं निखिलार्थं निर्मलजाननन्दम् ।

वक्ष्ये सुखावबोधं निर्वाणपदं प्रणम्यात्तम् ॥

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य सकललोकोपकारक मोक्षमार्गसम्भयनरुचिर्विनेवाशयवशेनोपदर्शयितुकामो निर्विघ्न-
शास्त्रविशिसमाप्त्याधिकं फलमशिलवनिष्टदेवताविशेष शास्त्रस्यादौ नमस्कुर्वन्नाह ॥ छ ॥ एम सुरामुर ॥”

अन्त—“इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोजभास्करे शुभोपयोगाधिकार समाप्तः ॥ छ ॥
संवत् १५५५ वर्षे माघमासे शुक्लपक्षे पून्य (णि) माया तिथौ गुरुवासने गिरिपुरे व्या० पुरुषोत्तम लि० ग्रन्थ-
रक्षणा चट्टकत्वारिण्यदिकानि सप्तदशशतानि ॥ १७४६ ॥”

मध्यकी लघियोंका पुष्पिकलिख—“इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोजभास्करे...” है।

इस टीकामें जगह-जगह उद्धृत दार्शनिक अवतरण, दार्शनिक व्याख्यापद्धति एवं सरल प्रसन्नशैली

है। पं० भुजबलीजी शास्त्रीके पत्रसे ज्ञान हुआ है कि कारकलके मठमें भी इसकी प्रति है। इस प्रसिद्धिमें भी तीन अध्यायका न्यास है। प्रेमीजी सूचित करते हैं कि बम्बईके भवनमें इसकी एक प्राचीन प्रति है उसमें चतुर्थ अध्यायके तीसरे पाक्षके २११वें सूत्र तकका न्यास है, आगे नहीं है। हो सकता है कि यह प्रभाचन्द्रकी अन्तिम कृति ही हो और इसलिए पूर्ण न हो सकी हो।

इसे न्यायकुमुदचन्द्रादिके रचयिता प्रभाचन्द्रकी कृति सिद्ध करनेके लिए वर्णित है। अवतरण—(गा० २।१०) 'नाद्योत्पादो यमं यद्वन्मात्रोलासी तुल्यतन्वीः' (गा० २।२८) 'स्वोपासकर्मवशाद् भवाद् भवान्तरावापिः संसारः' इत्यर्थे ब्रूयता अवतरण राजवातिका तथा प्रथम किञ्ची बीड ग्रन्थका है। वे दोनों अवतरण प्रमेयकण्ठ० और न्यायकुमुद०में भी पाए जाते हैं। इस व्याख्याकी दार्शनिक सीलके मन्ने—

(गा० २।१३) 'यदि हि द्रव्यं स्वयं सदात्मकं न स्वात् तथा स्वयमसदात्मकं सत्तातः पुत्रत्वा ? तथाच्चः कसो न भवति; यदि सत् सद्रूपं द्रव्यं तदा असद्रूपं द्रुवं निश्चयैव न तं सत् भवति। कथं केन प्रकरो- रणं द्रव्यं स्वविधावत् । ह्यविपुणी अर्णं वा। अथ सत्तातः पुनरन्यद्वा पुत्रन्मृतं द्रव्यं भवति तथा अतः पुत्रन्मृतत्वापि सत्त्वे सत्ताकल्पना स्वर्था । सत्तासम्बन्धात्सत्त्वे चान्धीन्याग्रयः सिद्धे हि तत्सत्त्वे सत्तासम्बन्ध- सिद्धिः तस्याञ्च सम्बन्धसिद्धौ सत्यां तत्सत्त्वसिद्धिरिति। तत्सत्त्वसिद्धिर्नन्तराणि सत्तासम्बन्धे क्षुब्धादेरपि तत्प्रसङ्गः। तस्मात् द्रव्यं स्वयं सत्ता स्वयमेव सदभ्युपगमसम्यम् ।' (गा० २।१६) 'तथाहि—इति त्रैलोक्येषु प्रवचसांस्ताम् गुणपर्यायान् गुणपर्यायीष्वं त्रैलोक्ये द्रुतं वा द्रव्यमिति। गम्यते उपलभ्यते द्रव्यमनेनेति गुणः। द्रव्यं वा द्रव्यान्तरात् येन विशिष्यते स गुणः। इत्येतस्मादर्थविशेषात् यद् द्रव्यस्य गुणरूपे गुणरूपेण गुणरूपं वा द्रव्यरूपेणानवर्णं एतौ एव हि अतद्भावः ।' इन गाथाओंकी जम्बूतन्त्री और जयसेनीय टीकाओं- से इस टीकाकी तुलना करनेपर इसकी दार्शनिक प्रसूतता अपने आप झलक मारती है। इस टीकाका जय- सेनीयटीकापर प्रभाव है और जयसेनीयटीकासे यह निश्चय ही पूर्वकालीन है।

अमृतचन्द्राचार्यने प्रवचनसारकी जिन ३६ गाथाओंकी व्याख्या नहीं की है प्रायः वे गाथाएँ प्रवचनसार- सरोजभास्करमें यथास्थान व्याख्यात हैं। जयसेनीय टीकामे प्रभाचन्द्रका अनुसरण करते हुए इन गाथाओंकी व्याख्या की गई है। हाँ, जयसेनीयटीकामे दो-तीन गाथाएँ अति रिक्त भी हैं। इस टीकाका कथ्यहै गाथा- ओका संक्षेपसे खुलासा करना। परन्तु प्रभाचन्द्र प्रारम्भसे ही दर्शनशास्त्रके विशिष्ट अन्वयासी रहे हैं इसलिये जहाँ शास अवसर आया वहाँ उन्होंने संक्षेपसे दार्शनिक मुद्दोंका भी निर्देश किया है।

प्र० ए० एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामे भावविभंगीकार धृतमुनिके 'सारत्रयनिपुण प्रभा- चन्द्र' के उल्लेखसे प्रवचनसारसरोजभास्करके कर्ताका समय १४वीं सदीका प्रारम्भिक भाग सूचित किया है। परन्तु यह संभवना किञ्ची बृह आधारे नहीं की गई है।

जयसेनीय टीकापर इसका प्रभाव होनेसे वे उनसे प्राक्कालीन तो हैं ही। आ० जयसेन अपनी टीका- मे (पृ० २९) केवलिकवशाहृत्के सङ्गका उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि—'अनेपि पिच्छसुद्धिकथिता बहुभो बोधाः से चान्यत्र तर्कशास्त्रे ज्ञातव्या अत्र चास्तत्सम्बन्धत्वान्मोष्यते ।' सम्भव है यहाँ तर्कशास्त्रसे प्रभाचन्द्रके प्रमेयकण्ठसारतर्क आधिकी विचक्षा हो। अस्तु, मुझे तो यह संशय पर विवाद टीका प्रभाचन्द्रा- प्रारंभकी प्रारम्भिककृति मालूम होती है।

राक्षसोंकीध—यह ग्रन्थ भी इन्हीं प्रभाचन्द्रका मालूम होता है। इसकी प्रतिमें ८९वीं कथके बाद 'जीवयसिद्धेश्वरतन्वी' प्रवृत्ति है। इसके प्रवृत्ति दशकोंका प्रभाचन्द्रकृत न्यायकुमुदचन्द्र आधिक प्रवृत्ति- शकीकीसे पूरा-पूरा साव्य है। इसका मंगललोक यह है—

१. न्यायकुमुदचन्द्र प्रथम भागकी प्रतीकना, पृ० १२२ —
"द्वैतारण्यं चतुर्विधात्मनुपमांशाराधनां निर्मलाम् ।
प्रार्थ्यं सर्वसुखात्पथं निश्चयं स्वर्गावर्गव्रथा (?) ।

प्रथम्य मोक्षप्रदमस्तदोषं प्रकृष्टपुण्यप्रभव जिनेन्द्रम् ।

वक्ष्येऽत्र भव्यप्रतिबोधनार्थंमाराधनामत्सुकथाप्रबन्धः ॥”

८९वी कथाके अनन्तर “जयसिंहदेवराज्ये” प्रयासि लिखकर ग्रन्थ समाप्त कर दिया है। इसके अनन्तर भी कुछ कथाएँ लिखी हैं। और अन्तमे “सुकोमलं सर्वसुखावबोधै” श्लोक तथा “इति भट्टारक-प्रभाचन्द्रकृतः कथाकोशः समाप्तः” यह पुष्पिकालेख है। इस तरह इसमे दो स्थलोपर ग्रन्थसमाप्तिकी सूचना है जो सासतौरसे विचारणीय है। हो सकता है कि प्रभाचन्द्रने प्रारम्भकी ८९ कथाएँ ही बनाई हो और बादकी कथाएँ किसी दूसरे भट्टारकप्रभाचन्द्रने। अथवा लेखकने भूलसे ८९वी कथाके बाद ही ग्रन्थसमाप्ति-सूचक पुष्पिकालेख लिख दिया हो। इसको सासतौरसे जीचे बिना अभी विशेष कुछ कहना शक्य नहीं है।

मेरे विचारसे प्रभाचन्द्रने तत्त्वार्थवृत्तिपदविवरण और प्रवचनसारसरोजभास्कर भोजदेवके राज्यसे पहिले अपनी प्रारम्भिक अवस्थामे बनाएँ होये यही कारण है कि उनमे ‘भोजदेवराज्ये’ या ‘जयसिंहदेवराज्ये’ कोई प्रयासि नहीं पाई जाती और न उन ग्रन्थोमे प्रमेयकमलमात्तण्ड आदिका उल्लेख ही पाया जाता है। इस तरह हम प्रभाचन्द्रकी ग्रन्थरचनाका क्रम इस प्रकार समझते हैं—तत्त्वार्थवृत्तिपदविवरण, प्रवचनसार-सरोजभास्कर, ‘प्रमेयकमलमात्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, शब्दाम्भोजभास्कर, महापुराणटिप्पण और गद्यकथा-कोश। श्रीमान् प्रेमीजीने रत्नकरण्डटीका, समाधितन्त्रटीका क्रियाकलापटीका^३, आत्मानुशासनतिलका^४

तेषां धर्मकथाप्रपञ्चरचनास्वाराधना सस्थिता ।

स्येयात् कर्मविशुद्धिहेतुरमला चन्द्रार्कतागवधि ॥ १ ॥

सुकोमलं सर्वसुखावबोधै पदं प्रभाचन्द्रकृत प्रबन्ध ।

कल्याणकालेऽयं जिनेश्वराणां सुरेन्द्रदन्तीव विराजतेऽसौ ॥ २ ॥

श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्भारानिवासिना परारपञ्चपरमेष्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्यनिराकृतनिलिखित-मलकलङ्कन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन आराधनासत्कथाप्रबन्ध कृत ।”

1. योगसूत्रपर भोजदेवकी राजमात्तण्ड नामक टीका पाई जाती है। सभव है प्रमेयकमलमात्तण्ड और राज-मात्तण्ड नाम परस्पर प्रभावित हो।
2. प० जुगलकिशोरजी मुस्तारने रत्नकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनामें रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीका और समाधितन्त्रटीकाको एकही प्रभाचन्द्र द्वारा रचित सिद्ध किया है; जो ठीक है। पर आपने इन प्रभाचन्द्रकी प्रमेयकमलमात्तण्ड आदिके रचयिता तर्कग्रन्थकार प्रभाचन्द्रसे भिन्न सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया है वह वस्तुतः दृढ़ प्रमाणोपर अवलम्बित नहीं है। आपके मुख्यप्रमाण है कि—‘प्रभाचन्द्रका आदि-पुराणकारने स्मरण किया है इसलिए ये ईसाकी नवमशताब्दीके विद्वान् हैं, और इस टोकामे यशस्ति-लकचम्पू (ई० ९५९), वसुनन्दिश्रावकाचार (अनुमानत वि० की १३वीं शताब्दीका पूर्व भाग) तथा पद्मनन्दि उपासकाचार (अनुमानत. वि० सं० ११८०) के श्लोक उद्धृत पाए जाते हैं, इसलिए यह टीका प्रमेयकमलमात्तण्ड आदिके रचयिता प्रभाचन्द्रकी नहीं हो सकती।’ इनके विषयमें मेरा यह वक्तव्य है कि—जब प्रभाचन्द्रका समय अन्य अनेक पृष्ठ प्रमाणोसे ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध होता है तब यदि ये टोकार्हे भी उन्हीं प्रभाचन्द्रकी ही हो तो भी इसमे यशस्ति-लकचम्पू और नीतिवाक्यामृतके वाक्योका उद्धृत होना अस्वाभाविक एव अनेतिहासिक नहीं है। वसुनन्दि और पद्मनन्दिका समय भी विक्रमकी १२ वीं और तेरहवीं सदी अनुमानमात्र है, कोई दृढ़ प्रमाण इसके साधक नहीं दिए गए हैं। पद्मनन्दि शुभचन्द्रके शिष्य थे यह बात पद्मनन्दिके ग्रन्थसे तो नहीं मालूम होती। वसुनन्दिकी ‘पठिगह-

आदि ग्रन्थोंकी भी प्रभाचन्द्रकृत होनेकी सभावना की है, वह खास तौरसे विचारणीय है।

मुञ्चदृष्टाणं' गाथा स्वयं उन्हीकी बनाई है या अन्य किसी आचार्यकी यह भी अभी निश्चित नहीं है। पद्यनन्दिध्रावकाचारके 'अध्रुवाशरणे' आदि श्लोक भी रत्नकरण्डटीकामें पद्यनन्दिका नाम लेकर उद्धृत नहीं है और न इन श्लोकोंके पहिले 'उक्तं च, तथा चोक्तम्' आदि कोई पद ही दिया गया है जिससे इन्हें उद्धृत ही माना जाय। तात्पर्य यह कि मुस्तार सा० ने इन टीकाओंके प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रकृत न होने में जो प्रमाण दिए हैं वे बूढ़ नहीं हैं। रत्नकरण्डटीका तथा समाधितन्त्रटीकामें प्रमेयकमलमात्तंष्व और न्यायकुमुदचन्द्रका एक साथ विशिष्टशैलीसे उल्लेख होना इसकी सूचना करता है कि ये टीकाएँ भी प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रकी ही होनी चाहिए। वे उल्लेख इस प्रकार हैं—

"तदलभतिप्रसङ्गेन प्रमेयकमलमात्तंष्वे न्यायकुमुदचन्द्रे प्रपञ्चतः प्ररूपणात्"—रत्नक० टी०, पृ० ६।

"यैः पुनर्योगसांख्यैर्मुक्तौ तत्प्रभृतिरात्मनोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमात्तंष्वे न्यायकुमुदचन्द्रे च मोक्षविधारे विस्तरतः प्रत्याख्याताः।"—समाधितन्त्रटी०, पृ० १५।

इन दोनों अवतरणोंकी प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्करके निम्नलिखित अवतरणसे तुलना करनेपर स्पष्ट मालूम हो जाता है कि शब्दाम्भोजभास्करके कर्तानि ही उक्त टीकाओंको बनाया है—

"तदात्मकत्वं चार्थस्य अध्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिद्धपति तथा प्रमेयकमलमात्तंष्वे न्यायकुमुदचन्द्रे च प्ररूपितमिह द्रष्टव्यम्।"—शब्दाम्भोजभास्कर।

प्रभाचन्द्रकृत गद्यकथाकोशमें पाई जानेवाली अञ्जनचौर आदिकी कथाओंसे रत्नकरण्डटीकामत कथाओंका अक्षरशः सादृश्य है। इति।

३. क्रियाकलापटीकाकी एक लिखित प्रति बम्बईके सरस्वती भवनमें है। उसके मंगल और प्रशस्ति श्लोक निम्नलिखित हैं—

मंगल— "जिनेन्द्रमुन्मूलितकर्मबन्धं प्रणम्य सन्मार्गकृतस्वरूपम्।

अनन्तबोधोदभव गुणीषं क्रियाकलापं प्रकटं प्रवक्ष्ये ॥"

प्रशस्ति— "वन्दे मोहतमोविनाशनपट्टस्त्रैलोक्यदीपप्रभुः,

संसृष्टतिसमन्वितस्य निखिलस्नेहस्य संशोषकः।

सिद्धान्तादिसमस्तशास्त्रकिरणः श्रीपद्मनन्दिप्रभुः,

तच्छिष्यात्प्रकटार्थतां स्तुतिपदं प्राप्तं प्रभाचन्द्रतः ॥ १ ॥

यो रात्रौ दिवसे पृथि प्रयतां (?) दोषा यतीनां कुतो प्योपाताः (?)

प्रलयं तु रमलस्तेषां महार्दाशितः।

श्रीमद्गौतमनाभिभिर्गणधरेलोकत्रयोद्बोधोतकैः, सव्यङ्ग (?)

सकलोऽप्यसौ यतिपूतेर्जातः प्रभाचन्द्रतः ॥ २ ॥

यः (यत्) सर्वात्महितं न वर्षसहितं न स्पन्दितोष्ठद्वयम्,

नो वाञ्छाकलितन्न दोषमलिनं न श्वासतुद (चद) क्रमम्।

शान्तामर्थविषयैः (मर्षविषयैः) समं परशु (पशु) गणैराकणितं कर्णतः,

तद्वत् सर्वविद प्रणष्टविपदः पायादपूर्वं वकः ॥ ३ ॥"

इन प्रशस्तिश्लोकोंसे ज्ञात होता है कि जिन प्रभाचन्द्रने क्रियाकलापटीका रची है वे पद्यनन्दि-शैदान्तिकके शिष्य थे। न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कर्ता प्रभाचन्द्र भी पद्यनन्दिशैदान्तिकके ही शिष्य थे, अतः

क्रियाकलापटीका और प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके कर्ता एक ही प्रभाचन्द्र हैं इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। प्रशस्तिश्लोकोंकी रचवाशैली भी प्रमेयकमल० आदिकी प्रशस्तियोंसे मिलती-जुलती है।

४. आत्मानुशासनतिलककी प्रति श्री प्रेमीजीने भेजी है। उसका मंगल और प्रशस्ति इस प्रकार है—

मंगल— “वीरं प्रणम्य भववा रनिधिप्रपोतमुद्द्योतिताखिलपदार्थमनल्पपुण्यम् ।

निर्दण्डमार्गमनवद्यगुणप्रबन्धमात्मानुशासनमहं प्रवरं प्रवक्ष्ये ॥”

प्रशस्ति— “मोक्षोपायमनल्पपुण्यममलज्ञानोदयं निर्मलम्,

भव्यार्थं परमं प्रमेन्दुकृतिना व्यक्तैः प्रसन्ने वदैः ।

व्याख्यानं वरमात्मशासनमिदं व्यामोहविच्छेदतः, ।

सूक्तार्थेषु कृतादरैरहरहश्चेतस्यलं चिन्त्यताम् ॥ १ ॥

इतिश्री आत्मानुशासन (नं) सतिलक (कं) प्रभाचन्द्राचार्यविरचित (त) सम्पूर्णम् ।”



तत्त्वार्थवृत्ति और श्रुतसागर सूत्रि

१ ग्रन्थविभाग

तत्त्व और तत्त्वविभागके उपाय

आजसे २५००-२६०० वर्ष पूर्व इस भारतभूमिके बिहार प्रदेशमें दो महान् नक्षत्रोंका उदय हुआ था, जिनकी प्रभासे न केवल भारत ही आलोकित हुआ था किन्तु सद्दूर एशियाके चीन, जापान, तिब्बत आदि देश भी प्रकाशित हुए थे। आज भी विश्वमें जिनके कारण भारतका मस्तक गर्वोन्नत है, वे थे निर्गठनाद्युत वर्षमान और शौद्धोदनि-गीतम बुद्ध। इनके उदयके २५० वर्ष पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथने काशी देशमें जन्म लिया था और श्रमणपरंपराके चातुर्व्याम संबंरका जगत्को उपदेश दिया था। बुद्धने बौध्दधर्मके पहिले पार्श्वनाथकी परंपराके केशलुच, आदि उपतपोंको तपा था, पर वे इस मार्गमें सफल न हो सके और उनने मध्यम मार्ग निकाला। निर्गठनाद्युत साधनोकी पवित्रता और कठोर आत्मानुशासनके पक्षपाती थे। वे मन्म रहते थे, किसी भी प्रकारके परिग्रहका संग्रह उन्हें हिसाका कारण मालूम होता था। मात्र लोकसंग्रहके लिए आचारके नियमोंको मृदु करना उन्हें इष्ट नहीं था। सलेपमें बुद्ध मातृहृदय दयामूर्ति थे और निर्गठनाद्युत पितृभेत्सक साधनामय संशोधक योगी थे। बुद्धके पास जब उनके शिष्य आकर कहते थे—'भन्ते, जन्ताधरकी अनुज्ञा दीजिए, या तीन चीवरकी अनुज्ञा दीजिए' तो दयालु बुद्ध शिष्यसंग्रहके लिए उनकी सुविधाओंका ध्यान रखकर आचारको मृदु कर उन्हें अनुज्ञा देते थे। महावीरकी जीवनचर्या इतनी अनुशासित थी कि उनके मघके शिष्योंके मनमें यह कल्पना ही नहीं आती थी कि आचारके नियमोंको मृदु करनेका प्रस्ताव भी महावीरसे किया जा सकता है। इस तरह महावीरकी सधपरम्परामें चुने हुए अनुशासित दीर्घ तपस्वी थे, जब कि बुद्धका मध मृदु, मध्यम, सुकुमार सभी प्रकारके भिक्षुओंका संग्रहक था। यद्यपि महावीरकी तपस्याके नियम अत्यन्त अहिंसक, अनुशासनबद्ध और स्वावलंबी थे फिर भी उस समय उनका सध काफी बड़ा था। उसकी आचारनिष्ठा दीर्घ तपस्या और अनुशासनकी साक्षी पाली साहित्यमें पद्य-म्यपर मिलती है।

महावीर कालमें ६ प्रमुख संघनायकोकी चर्चा पिटक साहित्य और आगम साहित्यमें आती है। बौद्धोंके पाली ग्रन्थोंमें उनकी जो चर्चा है उस आधारसे उनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं—

- १-अजितकेशकम्बलि—भौतिकवादी, उच्छेद्यवादी।
- २-मक्खलिगोशाल—नियतिवादी, संसारशुद्धिवादी।
- ३-पूरण कश्यप—अक्रियावादी।
- ४-अक्रुध कात्यायन—शास्वतार्थवादी, अन्योन्यवादी।
- ५-संजयवेलट्ठिपुल—संशयवादी, अनिश्चयवादी या विक्षेपवादी।
- ६-बुद्ध—अभ्याकृतवादी, चतुरासत्यवादी, अभीतिक क्षणिक अनात्मवादी।
- ७-निर्गठनाद्युत—स्याद्वादी, चातुर्व्यामसंबंरवादी।

अजितकेशकम्बलिका कहना था कि—'दान, मज तथा होम सब कुछ नहीं है। भले गुरे कर्मोंका हल नहीं मिलता। न इहलोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज (अविष्वात्मिक देव) सत्य है, और न इहलोकमें बैसे शाली और समर्थश्रमण या ब्राह्मण हैं जो हल्लोक और परलोकको स्वयं जानकर और साक्षात्कारकर कहेंगे। मनुष्य पाँच महाभूतोंसे मिलकर बना है। मनुष्य जब मरता है सब पृथ्वी

महापृथ्वीमें, जल-जलमें, तेज-तेजमें, वायु-वायुमें और इन्द्रियाँ आकाशमें लीन हो जाती हैं। लोग मरे हुए मनुष्यको खाटपर रखकर ले जाते हैं, उसकी निन्दा प्रशंसा करते हैं। हड्डियाँ उजली हो बिखर जाती हैं और सब कुछ भस्म हो जाता है। मूर्ख लोग जो धाम देते हैं उसका कोई फल नहीं होता। आस्तिकवाद्य झूठा है। मूर्ख और पंडित सभी शरीरके नष्ट होते ही उच्छेदको प्राप्त हो जाते हैं। मरनेके बाद कोई नहीं रहता।”

इस तरह अजितका मत उच्छेद या भौतिकवादका प्रख्यापक था।

२-मकल्लिगोशालका मत—“सत्त्वोके क्लेशका कोई हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं है। बिना हेतुके और बिना प्रत्ययके ही सत्त्व क्लेश पाते हैं। सत्त्वोकी शुद्धिका कोई हेतु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। बिना हेतुके और बिना प्रत्ययके सत्त्व शुद्ध होते हैं। अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, परायें भी कुछ नहीं कर सकते हैं, (कोई) पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है, बल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुषका कोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव अपने वशमें नहीं हैं, निर्बल, निर्वीर्य, भाष्य और संयोगके फेरसे छे जातियोंमें उत्पन्न हो सुख और दुःख भोगने हैं। वे प्रमुख योनियाँ चौदह लाख छियासठ सौ हैं। पाँच सौ पाँच कर्म, तीन अर्ध कर्म (केवल मनसे शरीरने नहीं), बासठ प्रतिपदाएँ (मार्ग), बासठ अन्तरकल्प, छे अनिजातियाँ, आठ पुरुषभूमियाँ, उन्नीस सौ आजोवक, उनवास सौ परिव्राजक, उनवास सौ नाग-आवास, बीस सौ इन्द्रियाँ, तीस सौ नरक, छत्तीस रजोधानु, मात मञ्जी (होशवाले) गर्भ सात, असञ्जी गर्भ, सात निर्यन्त्र गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ मात गाँठ, सात सौ सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न, और अस्सी लाख छोटे बड़े कल्प हैं, जिन्हें मूर्ख और पंडित जानकर और अनुगमनकर दुःखोंका अंत कर सकते हैं। वहाँ यह नहीं है—इस शील या व्रत या तप, ब्रह्मचर्यसे मैं अपरिपक्व कर्मको परिपक्व करूँगा। परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूँगा। सुख दुःख द्रोण (—नाप) से तुले हुए हैं, संसारने घटना-बढ़ना उत्कर्ष, अपकर्ष नहीं होता। जैसे कि सूतकी गोली फेंकनेपर उछलती हुई गिरती है, वैसे ही मूर्ख और पंडित दीडकर—आवागमनमें पडकर, दुःखका अन्त करेगे।”

गोशालक पूर्ण भ्राम्यवादी था। स्वर्ग, नरक आदि मानकर भी उनकी प्राप्ति नियत समझता था, उसके लिए पुरुषार्थ कोई आवश्यक या कार्यकारी नहीं था। मनुष्य अपने नियत कार्यक्रमके अनुसार सभी योनियोंमें पहुँच जाता है। यह मत पूर्ण नियतिवादका प्रचारक था।

३-पूरण कश्यप—“करते कराते, छेदन करने, छेदन कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, परेशान होते, परेशान कराते, चलते चलाते, प्राण मारते, बिना दिये लेते, संघ काटते, गाँव लूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता। छुरेसे तंज चक्र द्वारा जो इस पृथ्वीके प्राणियोका (कोई) एक मासका खलियान, एक मासका पुञ्ज बना दे; तो इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। यदि घात करते कराते, काटते, कटाते, पकाते पकवाते, गंगाके दक्षिण तीरपर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा। वान देते, दान विच्छाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते, यदि गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होगा। वान दम समयसे, सत्य बोलनेसे न पुण्य है, न पुण्यका आगम है।”

पूरण कश्यप परलोकमें जिनका फल मिलता है ऐसे किसी भी कर्मको पुण्य या पापरूप नहीं समझता था। इस तरह पूरण कश्यप पूर्ण अक्रियावादी था।

४-प्रकृषु कात्यायनना मन था—“यह सात काय (सबूह) अकृत-अकृतविध-अनिर्मित-निर्वाण-रहित, अवध्य-कूटस्थ, स्तम्भवत् (अचल) है। यह चल नहीं होते, चिकारको प्राप्ता नहीं होते; न एक-दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक-दूसरेके सुख, दुःख या सुख-दुःखके लिए पर्याप्त है। कौनसे सात ? पृथिवी-काय, अपकाय, तेज काय, वायु-काय, सुख, दुःख और जीवन यह सात काय अकृत० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं। यहाँ न हस्ता (—भारनेवाला) है, न चातयिता (—हजन करनेवाला), न सुननेवाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला, न जतलानेवाला। जो तीव्र शस्त्रसे शीश भी काटे (तो भी) कोई किसीको प्राणसे नहीं मारता। सातों कार्योसि अलग, विवर (—स्लापी जगह) में शस्त्र (—हथियार) गिरता है।”

यह मत अन्योन्यवाद या शापवतवाद कहलाता था।

५-सजय वेलट्टि पुस्तका मत था—“यदि आप पूछे, क्या परलोक है ? और यदि मैं समझूँ कि परलोक है, तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता, मैं दूसरी तरहमें भी नहीं कहता, मैं यह भी नहीं कहता कि ‘यह नहीं है’, मैं यह भी नहीं कहता कि ‘यह नहीं नहीं है’। परलोक नहीं है०। परलोक है भी और नहीं भी०, परलोक न है और न नहीं है०। अयोनिज (—अप-पातिक) प्राणी है०। अयोनिज प्राणी नहीं है, है भी और नहीं भी, न है और न नहीं है०। अच्छे बुरे काम के फल हैं, नहीं हैं, है भी और नहीं भी, न है और न नहीं है०। तथागत मरनेके बाद होते हैं, नहीं होते हैं०। यदि मुझे ऐसा पूछे और मैं ऐसा समझूँ कि मरनेके बाद तथागत न रहते हैं और न नहीं रहते हैं तो मैं ऐसा आपको कहूँ। मैं ऐसा भी नहीं कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता।”

सजय स्पष्टतः सहायालु क्या घोर अनिश्चयवादी या आज्ञानिक था। उसे तत्त्वकी प्रचलित चतु-ष्कोटियोसे एकका भी निर्णय नहीं था। पालीपिटकमें इसे ‘अमराविक्षेपवाद’ नाम दिया है। भले ही हमलोगोंकी समझमें यह विक्षेपवादी ही हो पर संजय अपने अनिश्चयमें निश्चित था।

६-बुद्ध—अव्याकृतवादी थे। उनमें इन दस बातोंको अव्याकृत^१ बतलाया है। १-लोक शाश्वत है ? २-लोक अशाश्वत है ? ३-लोक अन्तवान् है ? ४-लोक अनन्त है ? ५-वही जीव वही शरीर है ? ६-जीव अन्य और शरीर अन्य है ? ७-मरनेके बाद तथागत रहते हैं ? ८-मरनेके बाद तथागत नहीं रहते ? ९-मरनेके बाद तथागत होते भी हैं नहीं भी होते ? १०-मरनेके बाद तथागत नहीं होते, नहीं नहीं होते ?

इन प्रश्नोंमें लोक आत्मा और परलोक या निर्वाण इन तीन मुख्य विवादग्रस्त पदावधियों बुद्धने अव्याकृत कहा। दीर्घनिकायके गोटठवादसुत्तमें इन्हीं प्रश्नोंको अव्याकृत कहकर^२ अनेकाशिक कहा है। जो व्याकर-णोय है उन्हें ‘ऐकाशिक’ अर्थात् एक मुनिश्चितरूपमें जिनका उत्तर हो सकता है कहा है। जैसे दुःख आर्यसत्य है ही ? उसका उत्तर हो ‘है ही’ इस एक अंशरूपमें दिया जा सकता है। परन्तु लोक आत्मा और निर्वाण-

१. “सस्सत्तो लोको इतिपि, असस्सतो लोको इतिपि, अन्तवा लोको इतिपि, अनन्तवा लोको इतिपि, तं जीवं तं सरीरं इतिपि, अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं इतिपि, होत्ति तथागतो परम्भरणा इतिपि, होत्ति च न च होति च तथागतो परम्भरणा इतिपि, नेव होति न न्होति तथागतो परम्भरणा इतिपि।” —मज्झिमनिक० बुलमालुक्कयसुत्त।

२. “कतमे च ते पीट्ठपाद मया अनेकसिका धम्मा देसिता पञ्जता ? सस्सतो लोको ति वा पीट्ठपाद मया अनेकसिको धम्मो देसितो पञ्जतो। असस्सतो लोको ति च्छी पीट्ठपाद मया अनेकसिको.” —दीर्घनि० पीट्ठपादसुत्त।

संबन्धी प्रश्न अनेकांशिक है अर्थात् इनका उत्तर हाँ या न इनमेंसे किसी एकके द्वारा नहीं दिया जा सकता। कारण बुद्धने स्वयं बताया है कि यदि वही जीव वही शरीर कहने हैं तो उच्छेदवाद अर्थात् भौतिकवादका प्रसंग आता है जो बुद्धको दृष्ट नहीं और यदि अन्य जीव और अन्य शरीर कहने हैं तो नित्य आत्मवादका प्रसंग आता है जो भी बुद्धको दृष्ट नहीं था। बुद्धने प्रश्नव्याकरण चार प्रकारका बताया है—(१) एकाश (है या नहीं एकमे) व्याकरण, प्रतिपुच्छाव्याकरणोय प्रश्न, विभज्य व्याकरणोय प्रश्न और स्थानोय प्रश्न। जिन प्रश्नोंको बुद्धने अव्याकृत कहा है उन्हें अनेकांशिक भी कहा है अर्थात् उनका उत्तर एक है या नहीं में नहीं दिया जा सकता। फिर इन प्रश्नोंके बारेमें कुछ कहना सार्थक नहीं, भिक्षुचर्याके लिए उपयोगी नहीं और न निर्वेद, निरोध, शांति, परमज्ञान या निर्वाणके लिए आवश्यक है।

इस तरह बुद्ध जब आत्मा, लोक और निर्वाणके सम्बन्धमें कुछ भी कहनेको अनुपयोगी बताते हैं तो उसका सीधा अर्थ यही ज्ञात होता है कि वे इन तत्त्वोंके सम्बन्धमें अपना निश्चित मत नहीं बना सके थे। शिष्योंके तत्त्वज्ञानके क्षणभेदे न डालनेकी बात तो इसलिए समझमें नहीं आती कि जब उस समयका प्रत्येक मतप्रचारक इनके विषयमें अपने मतका प्रतिपादन करता था, उसका समर्थन करता था, जगह-जगह इन्हींके विषयमें वाद रोपे जाते थे, तब उस हवासे शिष्योंकी बुद्धिको अचलित रखना दुःशक ही नहीं अशक्य ही था। बल्कि इन अव्याकृत कोटिकी सृष्टि ही उन्हें बौद्धिक होनाका कारण बनती होगी।

बुद्धका इन्हें अनेकांशिक कहना भी अर्थपूर्ण हो सकता है। अर्थात् वे एकान्त न मानकर अनेकाश मानते तो थे पर चूँकि निर्मलनाशपुत्रने इस अनेकाशताका प्रतिपादन सियावाद अर्थात् स्याद्वादसे करना प्रारम्भ कर दिया था, अतः विलक्षणशीली स्थापनके लिए उनने इन्हें अव्याकृत कह दिया हो। अन्यथा अनेकांशिक और अनेकान्तवादमें कोई खास अन्तर नहीं मालूम होता। यद्यपि सजयवेलट्ठिपुत्र, बुद्ध और निर्मलनाशपुत्र इन तीनोंका मत अनेकाशको लिए हुए है, पर सजय उन अनेक अशोक सम्बन्धमें स्पष्ट अनिश्चयवादी है। वह साफ-साफ कहता है कि "यदि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ कि परलोक है या नहीं है आदि"। बुद्ध कहते हैं यह अव्याकृत है। इस अव्याकृति और सजयकी अनिश्चितिमें क्या सूक्ष्म अन्तर है सो तो बुद्ध ही जानें, पर व्यवहारतः शिष्योंके पल्ले न तो सजय ही कुछ दे सके और न बुद्ध ही। बल्कि सजयके शिष्य अपना यह मत बना भी सके होंगे कि—इन आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंका निश्चय नहीं हो सकता, किन्तु बुद्धशिष्योंका इन पदार्थोंके विषयमें बुद्धिभेद आज तक बना हुआ है। आज श्री राहुल साकुर्याथन बुद्धके मतको अभीतिक अनात्मवाद जैसा उभयप्रतिषेधी नाम देते हैं। इधर आत्मा शब्दसे नित्यत्वका डर है उधर भौतिक कहनेसे उच्छेदवादका भय है। किन्तु यदि निर्वाणदशामे दीपनिर्वाणकी तरह चित्तसन्ततिका निरोध हो जाता है तो भौतिकवादसे क्या विशेषता रह जाती है ? चार्वाक हर एक जन्ममें आत्माकी भूतोंसे उत्पत्ति मानकर उनका भूतबिलय मरणकालमें मान लेता है। बुद्धने इस चित्तसन्ततिको पंचस्कवरूप मानकर उसका विलय हर एक मरणके समय न मानकर ससारके अन्तमें माना। जिस प्रकार रूप एक मौलिक तत्त्व अनादि अनन्त वारारूप है उस प्रकार चित्तधारा न रही, अर्थात् चार्वाकका भौतिकत्व एक जन्मका है जब कि बुद्धका भौतिकत्व एक ससारका। इस प्रकार बुद्ध तत्त्वज्ञानकी दिशामें सजय या भौतिकवादी अजितके विचारोंमेंही दोलान्दोलित रहे और अपनी इस दशामे भिक्षुओंको न डालनेकी शुभेच्छासे उनने इनका अव्याकृत रूपसे उपदेश दिया। उनने शिष्योंको समझा दिया कि इस वाद-प्रतिवादासे निर्वाण नहीं मिलेगा, निर्वाणके लिए चार आर्यसत्त्वोंका ज्ञान ही आवश्यक है। बुद्धने कहा कि दुःख, दुःखके कारण, दुःखनिरोध और दुःखनिरोधका मार्ग इन चार आर्यसत्त्वोंको जानो। इनके यथार्थ ज्ञानसे दुःखनिरोध होकर मुक्ति हो जायगी। अन्य किसी ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है।

निर्गमनाथपुस्त—निर्गम्य ज्ञातपुत्र महावीर स्याद्वादी और सप्ततत्त्वप्रतिपादक थे। उनके विषयमें यह प्रवाद था कि निर्गमठनाथपुस्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, उन्हें सोते जागते हर समय ज्ञानदर्शन उपस्थित रहता है। ज्ञातपुत्र वर्धमानने उस समयके प्रत्येक तीर्थंकरकी अपेक्षा वस्तुतत्त्वका सर्वांगीण साक्षात्कार किया था। वे न सजयकी तरह अनिश्चयवादी थे और न बुद्धकी तरह अव्याकृतवादी और न गोशालक आदिकी तरह भूतवादी ही। उनमें प्रत्येक वस्तुको परिणामीनित्य बताया। आजतक उस समयके प्रचलित मतवादियोंके तत्त्वोंका स्पष्ट पता नहीं मिलता। बुद्धने स्वयं कितने तत्व या पदार्थ माने थे यह आजभी विवादप्रस्त है। पर महावीरके तत्व आजतक निर्विवाद चले आए हैं। महावीरने वस्तुतत्त्वका एक स्पष्टदर्शन प्रस्तुत किया उनमें कहा कि—इस जगत्में कोई द्रव्य या सत् नया उत्पन्न नहीं होता और जो द्रव्य या सत् विद्यमान है उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपरभी उनका अत्यंत विनाश नहीं हो सकता। पर कोई भी पदार्थ जो अजतक एक पर्यायमें नहीं रहता, प्रतिक्षण नूतन पर्याय उत्पन्न होती है पूर्व पर्याय विनष्ट होती है पर उस मौलिक तत्त्वका आत्यन्तिक उच्छेद नहीं होता, उसकी धारा प्रवाहित रहती है। चित्त सन्तति निर्वाणवस्थामें क्षुब्ध हो जाती है पर दीपककी तरह बुझकर अस्तित्वविहीन नहीं होती। रूपान्तर तो हो सकता है पदार्थान्तर नहीं और न अपदार्थ ही या पदार्थविलय ही। इस ससारमें अनन्त चेतन आत्माएं अनन्त पुद्गल परमाणु, एक आकाश द्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य और असंख्य कालपरमाणु इतने मौलिक द्रव्य हैं। इनकी संख्यामें कमी नहीं हो सकती और न एक भी नूतन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी संख्यामें एककी भी वृद्धि कर सकता है। प्रतिक्षण परिवर्तन प्रत्येक द्रव्यका होता रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता, यह उसका स्वभाव है।

महावीरकी जो मातृकात्रिपदी समस्त द्वादशांगका आधार बनी, वह यह है—“उप्यन्नेह वा विषमेह वा ध्रुवेद वा” अर्थात् प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, और ध्रुव है। उत्पाद और विनाशसे पदार्थ रूपान्तरको प्राप्त होता है पर ध्रुवसे अपना मौलिक अस्तित्व नहीं खोता। जगत्से किसी भी ‘सत्’ का समूल विनाश नहीं होता। इतनी ही ध्रुवता है। इसमें न कूटस्वनित्यत्व जैसे शाश्वतवादका प्रसंग है और न सर्वथा उच्छेदवादका ही। मूलतः प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रुव्यरूप है। उसमें यही अनेकाशता या अनेकान्तता या अनेकधर्मात्मिकता है। इसके प्रतिपादनके लिए महावीरने एक खास प्रकारकी भाषा-शैली बनाई थी। उस भाषाशैलीका नाम स्याद्वाद है। अर्थात् अमुक निश्चित अपेक्षासे वस्तु ध्रुव है और अमुक निश्चित अपेक्षासे उत्पादव्ययवाली। अपने मौलिक सत्त्वसे च्युत न होनेके कारण उसे ध्रुव कहते हैं तथा प्रतिक्षण रूपान्तर होनेके कारण उत्पादव्ययवाली या अध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहने समय अध्रुव अशका लोप न हो जाय और अध्रुव कहते समय ध्रुव अशका उच्छेद न समझा जाय इसलिए ‘सिया’ या ‘स्यात्’ शब्दका प्रयोग करना चाहिए। अर्थात् ‘स्यात् ध्रुव है’ इसका अर्थ है कि अपने मौलिक अस्तित्वकी अपेक्षा वस्तु ध्रुव है, पर ध्रुवमात्र ही नहीं है इसमें ध्रुवत्वके सिवाय अन्य धर्म भी हैं इसकी सूचनाके लिए ‘स्यात्’ शब्दका प्रयोग आवश्यक है। इसी तरह रूपान्तरकी दृष्टिसे वस्तुमें अध्रुवत्व ही है पर वस्तु अध्रुवमात्र ही नहीं है उसमें अध्रुवत्वके सिवाय अन्य धर्म भी विद्यमान हैं इसकी सूचना ‘स्यात्’ पद देता है। तात्पर्य यह कि ‘स्यात्’ शब्द वस्तुमें विद्यमान अविश्रित शेष धर्मोंकी सूचना देता है। बुद्ध जिस भाषाके सहज प्रकारको नहीं पा सके या प्रयोगमें नहीं लाये और जिसके कारण उन्हें अनेकाशिक प्रश्नोंको अव्याकृत कहना पड़ा उस भाषाके सहज प्रकारको महावीरने दृढ़ताके साथ व्यवहारमें लिया। पाली साहित्यमें ‘स्यात्’ ‘सिया’ शब्द का प्रयोग इसी निश्चित प्रकारकी सूचनाके लिए हुआ है। यथा भिज्जममिकायके महाराहुलोवाद्सुत्तमें आपोषातुका वर्णन करते हुए लिखा है कि—“कतमा च राहुल आपोषातु ? आपोषातु सिया अज्जत्तिक

सिवा वरिहरा।" अर्थात् आपोषातु कितने प्रकारकी है। एक आभ्यन्तर और दूसरी बाह्य। यहाँ आभ्यन्तर वातुके साथ 'सिया'—स्याद् शब्दका प्रयोग आपोषातुके आभ्यन्तरके सिवाय द्वितीय प्रकारकी सूचनाके लिए है। इसी तरह बाह्यके साथ 'सिया' शब्दका प्रयोग बाह्यके सिवाय आभ्यन्तर भेदकी सूचना केस है। तात्पर्य यह कि न तो तेजोषातु बाह्यरूप ही है और न आभ्यन्तर रूप ही। इस उभयस्वताकी सूचना 'सिया'—स्यात् शब्द देता है। यहाँ न तो स्यात् शब्दका शायद अर्थ है और न सभवतः और न कदाचित् ही, क्योंकि तेजोषातु शायद आभ्यन्तर और शायद बाह्य नहीं है और न सभवतः आभ्यन्तर और बाह्य और न कदाचित् आभ्यन्तर और कदाचित् बाह्य, किन्तु सुनिश्चित रूपसे आभ्यन्तर और बाह्य उभय अंशवाली है। इसी तरह महावीरने प्रत्येक धर्मके साथ सिया-स्यात् शब्द जोड़कर अविश्वित शेष धर्मोंकी सूचना दी है। 'स्यात्' शब्दको शायद सभव या कदाचित्का पर्यायवाची कहना सिद्धान्त भ्रमपूर्ण है।

महावीरने वस्तुतत्त्वकी अनन्तधर्मोत्पत्त देखा और जाना। प्रत्येक पदार्थ अनन्त ही गुण पर्यायोका अक्षण्ड आधार है। उसका विराट् रूप पूर्णतया ज्ञानका विषय हो भी जाय पर शब्दोके द्वारा तो नहीं ही कहा जा सकता। कोई ऐसा शब्द नहीं जो उसके पूर्ण रूपको स्पष्ट कर सके। शब्द एक निश्चित दृष्टिकोणसे प्रयुक्त होते हैं और वस्तुके एक ही धर्मका कथन करते हैं। इस तरह जब स्वभावतः विश्वज्ञानमार अत्युक्त धर्मका प्रतिपादन करते हैं तब अविश्वित धर्मोंकी सूचनाके लिए एक ऐसा शब्द अवश्य ही रखना चाहिए जो वक्ता या श्रोताको मूलने न दे। 'स्यात्' शब्दका यही कार्य है, वह श्रोताको वस्तुके अनेकान्त स्वरूपका धीतक करा देता है। यद्यपि बुद्धने इस अनेकाशिक सत्यके प्रकाशनकी स्याद्वादवाणीको न अपनाकर उन्हें अव्याकृत कोटिमें डाला है, पर उनका चित्त वस्तुकी अनेकाशिकताको स्वीकार अवश्य करता था।

निर्गमनाथपुत्र महावीर ने वैदिक क्रियाकाण्डको उतना ही निरर्थक और श्रेय प्रतिरोधी मानते थे जितना कि बुद्ध, और आचार अर्थात् चरित्रको वे मोक्षका अन्तिम साधन मानते थे। पर उनने यह साक्षात् अनुभव किया कि जबतक विश्वव्यवस्था और खासकर उस आत्माके स्वरूपके सम्बन्धमें शिष्य निश्चित विचार नहीं बना लेता है जिस आत्माको दुःख होता है और जिसे दुःखकी निवृत्ति करके निर्वाण पाना है तबतक वह मानसविचिकित्सासे मुक्त होकर साधना कर ही नहीं सकता। जब बाह्यजगत्के प्रत्येक शोकमें यह आवाज गूँज रही हो कि—“आत्मा देहरूप है या देहसे भिन्न ? परलोक क्या है ? निर्वाण क्या है ?” और अन्यतीर्थिक अपना मत प्रचारित कर रहे हो, इसीको लेकर वाद रोपे जाते हो उस समय शिष्योंको यह कहकर तत्काल चुप तो किया जा सकता है कि 'क्या रखा है इस विवादेसे कि आत्मा है, हमें तो दुःखनिवृत्तिके लिए प्रयास करना चाहिए' परन्तु उनकी मानसशल्य और बुद्धिविचिकित्सा नहीं निकल सकती और वे इस बौद्धिकहीनता और विचाररहीनताके हीनतर भावसे अपने चित्तकी रक्षा नहीं कर सकते। संघमें इन्हीं अन्यतीर्थिकोंके शिष्य और खासकर वैदिक ब्राह्मण भी दीक्षित होते थे। जब ये सब पंचमेल व्यक्ति जो मूल आत्माके विषयमें विभिन्न मत रखते हो और चर्चा भी करते हो तो मानस अहिंसक कैसे रह सकते हैं ? जबतक उनका समाधान वस्तुस्थिति मूलक न हो जाय तब तक वे कैसे परस्पर समता और अहिंसाका वातावरण बना सकते होंगे ?

महावीरने तत्त्वका साक्षात्कार किया और उनने धर्मकी सीधी परिभाषा बताई वस्तुका स्वरूपस्थित होना—“वस्तुस्वभावो धर्मो”—जिस वस्तुका जो स्वरूप है उसका उस पूर्णस्वरूपमें स्थिर होना ही धर्म है। अर्जुन यदि अपनी उष्णताको लिए हुए है तो वह धर्मस्थित है। यदि वह वायुके झोकोसे स्पन्दित हो रही है तो कहना होगा कि वह बचल है अतः अपने निश्चलस्वरूपसे च्युत होनेके कारण उतने अंशमें धर्मस्थित नहीं

है। जल जबतक अपने स्वामाजिक धीतस्पर्शमें है तबतक वह धर्मस्थित है। यदि वह अग्नि के संसर्गसे स्वरूप-भ्युत् हो जाता है तो वह अधर्मरूप हो जाता है और इस परसंयोगजन्य बिभावपरिणतिको हटा देना ही जल-की मुक्ति है उसकी धर्मप्राप्ति है। रोगी के यदि अपने आरोग्यस्वरूपका भान न कराया जाय तो वह रोगको विकार क्यों मानेगा और क्यों उसकी निवृत्तिके लिए चिकित्सामें प्रवृत्ति करेगा? जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा तो स्वरूप आरोग्य है। इस अपेक्ष्य आदिसे मेरा स्वामाजिक आरोग्य विकृत हो गया है, तभी वह उस आरोग्य प्राप्तिके लिए चिकित्सा कराता है। भारतकी राष्ट्रीय कार्यसने प्रत्येक भारतवासीको जब यह स्वरूप-बोध कराया कि—“तुम्हें भी अपने देशमें स्वतंत्र रहनेका अधिकार है इन परदेशियोंने तुम्हारी स्वतन्त्रता विकृत कर दी है, तुम्हारा इस प्रकार शोषण करने के पददलित कर रहे हैं। भारत मन्तानो, उठो, अपने स्वातन्त्र्य-स्वरूपका भान करो” तभी भारतने अँगड़ाई ली और परतंत्रताका बन्धन तोड़ स्वातन्त्र्य प्राप्त किया। स्वातन्त्र्यस्वरूपका भान किए बिना उसके मुखदरूपकी झंझकी पाए बिना केवल परतन्त्रता तोड़नेके लिए वह उत्साह और सन्नद्धता नहीं आ सकती थी। अतः उस आधारभूत आत्माके मूलस्वरूपका ज्ञान प्रत्येक मुमुक्षुको सर्वप्रथम होना ही चाहिए जिसे बन्धनमुक्त होना है।

भगवान् महावीरने मुमुक्षुके लिए दुःख अर्थात् बन्ध, दुःखके कारण अर्थात् मिथ्यात्व आदि आस्रव, मोक्ष अर्थात् बुद्धिनिवृत्तिपूर्वक स्वरूपप्राप्ति और मोक्षके कारण संवर अर्थात् नूतन बन्धके कारणोका अभाव और निर्जरा अर्थात् पूर्वसंचित दुःखकारणोका क्रमशः विनाश, इस तरहके चतुरार्यासत्यकी तरह बन्ध, मोक्ष, आस्रव, संवर और निर्जरा इन पाँच तत्त्वोके ज्ञानके साथ ही साथ जिस जीवको यह सब बन्ध मोक्ष होना है उस जीवका ज्ञान भी आवश्यक बताया है। शुद्ध जीवको बन्ध नहीं हो सकता। बन्ध दोमे होता है। अतः जिस कर्म-पुद्गलसे यह जीव बँधता है उस अजीव तत्त्वको भी जानना चाहिए जिससे उसमें राग-द्वेष आदिकी धारा आगे न चले। अतः मुमुक्षुके लिए जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोका ज्ञान आवश्यक है।

जीव—आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है। अनन्त है। अमूर्त है। चैतन्यशक्तिवाला है। ज्ञानादि पर्यायोका कर्ता है। कर्मफलका भोक्ता है। स्वयंप्रभु है। अपने शरीरके आकारवाला है। मुक्त होते ही ऊर्ध्वगमनकर लोकान्तमें पहुँच जाता है।

भारतीय दर्शनोंमें प्रत्येकने कोई न कोई पदार्थ अनादि माने हैं। परम नास्तिक चार्वाक भी पृथ्वी आदि महाभूतोको अनादि मानता है। ऐसे किसी क्षणकी कल्पना नहीं आती जिसके पहले कोई क्षण न रहा हो। समय कबसे प्रारम्भ हुआ इसका निर्देश असंभव है। इसी तरह समय कब तक रहेगा यह उत्तरावधि बताया भी असंभव है। जिस प्रकार काल अनादि अनन्त है उसकी पूर्वावधि और उत्तरावधि निश्चित नहीं की जा सकती उसी तरह आकाशको कोई क्षेत्रकृत मर्यादा नहीं बनाई जा सकती। ‘सर्वतो ह्यनन्तं सत्’ सभी ओरसे वह अनन्त है। आकाश और कालकी तरह हम प्रत्येक सत्के विषयमें यह कह सकते हैं कि उसका न किसी खास क्षणमें नूतन उत्पाद हुआ है और न किसी समय उसका समूल विनाश ही होगा। “नाऽसतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः” अर्थात् किसी असत्का सत्रूपसे उत्पाद नहीं होता और न किसी सत्का समूल विनाश ही हो सकता है। जितने गिने हुए सत् हैं उनकी संख्यामें वृद्धि नहीं हो सकती और उनकी संख्यामेंसे किसी एककी भी एक ही हो सकती है। रूपान्तर प्रत्येकका होता रहता है। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। इस सिद्धान्तके अनुसार आत्मा एक स्वतंत्र सत् है तथा पुद्गल परमाणु स्वतन्त्र सत्। अनादिसे यह आत्मा पुद्गलसे सम्बद्ध ही मिलता जाया है।

अनादिबद्ध माननेका कारण—आज आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म कर्मशरीरसे बद्ध मिलता है। आज इसका ज्ञान और सुख यहाँ तक कि जीवन भी शरीराधीन है। शरीरमें विकार होनेसे ज्ञानतन्तुओंमें क्षीणता आते ही स्मृतिभ्रंश आदि देखे ही जाते हैं। अतः आज संसारो आत्मा शरीरबद्ध होकर ही अपनी गतिविधि करता है। यदि आत्मा शुद्ध होता तो शरीरसम्बन्धका कोई हेतु ही नहीं था। शरीरसम्बन्ध या पुनर्जन्मके कारण है—राग, द्वेष, मोह और कषायादिभाव। शुद्ध आत्मामें ये विभावभाव ही नहीं सकते। चूँकि आज ये विभाव और उनका फल शरीरसम्बन्ध प्रत्यक्ष अनुभवमें आ रहा है अतः मानना होगा कि आज तक इनकी अशुद्ध परम्परा चली आई है।

भारतीय दर्शनोंमें यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर विविधमुखसे नहीं दिया जा सकता। ब्रह्ममें अविद्याका कब उत्पन्न हुई? प्रकृति और पुरुषका सयोग कब हुआ? आत्मसे शरीरसम्बन्ध कब हुआ? इसका एकमात्र उत्तर है—अनादिसे। दूसरा प्रकार है कि—यदि ये शुद्ध होते तो इनका सयोग ही ही नहीं सकता था। शुद्ध होनेके बाद कोई ऐसा हेतु नहीं रह जाता जो प्रकृतिसमर्ग या अविद्योत्पत्ति होने दे। उसी तरह आत्मा यदि शुद्ध हो जाता है तो कोई कारण उसके अशुद्ध होनेका या पुद्गलसयोगका नहीं रह जाता। जब दो स्वतंत्र सत्ताक द्रव्य है तब उनका सयोग चाहे जितना भी पुराना क्यों न हो नष्ट किया जा सकता है और दोनोंको पृथक्-पृथक् किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—खानिसे सर्वप्रथम निकाले गये सोनेमें कीट असह्य कालसे लगी होगी पर प्रयोगसे चूँकि वह पृथक् की जाती है, अतः यह निश्चय किया जाता है कि सुवर्ण अपने शुद्धरूपमें इस प्रकार है तथा कीट इस प्रकार। सारांश यह कि जीव और पुद्गलका बंध अनादि है। चूँकि वह दो द्रव्योका बन्ध है अतः स्वरूपबोध हो जानेपर वह पृथक् किया जा सकता है।

आज जीवका ज्ञान दर्शन सुख राग द्वेष आदि सभी भाव बहुत कुछ इस जीवन पर्यायके अधीन है। एक मनुष्य जीवन भर अपने ज्ञानका उपयोग विज्ञान या धर्मके अध्ययनमें लगाता है। जवानीमें उसके मस्तिष्कमें भौतिक उपादान अच्छे थे, प्रचुर मात्रामें थे, तो वे ज्ञानतन्तु चैतन्यको जगाए रखते थे। बुढ़ापे आनेपर उसका मस्तिष्क क्षिणिल पड़ जाता है। विचारशक्ति लुप्त होने लगती है। स्मरण नहीं रहता। बड़ी व्यक्ति अपनी जवानीमें लिखे गये लेखको को बुढ़ापेमें पढता है तो उसे स्वयं आश्चर्य होता है। वह विश्वास नहीं करता कि यह उमीने लिखा होगा। मस्तिष्ककी यदि कोई भौतिक ग्रन्थ बिगड़ जाती है तो मनुष्य पागल हो जाता है। दिमागका यदि कोई पेच कस गया या डीला हो गया तो उन्माद, सन्देह आदि अनेक प्रकारकी धारार्यें जीवनको ही बदल देती हैं। मुझे एक ऐसे योगीका प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे शरीरकी नसोंका विशिष्ट ज्ञान था। वह मस्तिष्ककी एक किसी खाल नसको दबाता था तो मनुष्यको हिंसा और क्रोधके भाव उत्पन्न हो जाते थे। दूसरे ही क्षण दूसरी नसके दबाने ही अत्यन्त दया और कृष्णाके भाव होते थे और वह रोने लगता था। एक तीसरी नसके दबाने ही लोभका तीव्र उदय होता था और यह इच्छा होती थी कि चोरी कर ले। एक नसके दबाने ही परमात्मभक्तिकी ओर मनकी गति होने लगती थी। इन सब घटनाओंसे एक इस निश्चित परिणामपर तो पहुँच ही सकते हैं कि हमारी सारी शक्तियाँ जिनमें ज्ञान दर्शन सुख राग द्वेष कषाय आदि हैं, इस शरीर पर्यायके अधीन हैं। शरीरके नष्ट होते ही जीवन भरमें उपार्जित ज्ञान आदि पर्यायशक्तियाँ बहुत कुछ नष्ट हो जाती हैं। परलोक तक इनके कुछ सूक्ष्म संस्कार जाते हैं।

आज इस अशुद्ध आत्माकी दशा अर्धभौतिक जैसी हो रही है। इन्द्रियाँ यदि नहीं तो ज्ञानकी शक्ति बनी रहनेपर भी ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मामें सुननेकी और देखनेकी शक्ति मौजूद है पर यदि अर्धे फूट जार्यें और कान फट जार्यें तो वह शक्ति रखी रह जायगी और देखना-सुनना नहीं हो सकेगा। विचारशक्ति

बिद्यमान है पर मन यदि ठीक नहीं है तो विचार नहीं किमे जा सकते। पक्षाघात यदि हो जाय तो शरीर देखनेमें बैसा ही मालूम होता है पर सब शून्य। निष्कर्ष यह कि अशुद्ध आत्माकी दशा और इसका सारा विकास पुद्गलके अधीन हो रहा है। जीवननिमित्त भी खान-पान श्वासोच्छ्वास आदि सभी साधन भौतिक ही अपेक्षित होते हैं। इस समय यह जीव जो भी विचार करता है, देखा है, जानता है या क्रिया करता है उसका एक जातिका संस्कार आत्मापर पड़ता है और उस संस्कारकी प्रतीक एक भौतिक रेखा मस्तिष्कमें लिख जाती है। दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी विचार या क्रियाएँ होती हैं उन सबके संस्कारोंको यह आत्मा धारण करता है और उनकी प्रतीक टेढ़ी-सीधी, गहरी-उथली, छोटी-बड़ी नामा प्रकारकी रेखाएँ मस्तिष्कमें भरे हुए मस्त्रन जैसे भौतिक पदार्थपर लिखती चली जाती हैं। जो रेखा जितनी गहरी होगी वह उतने ही अधिक विनो तक उस विचार या क्रियाकी स्मृति करा देती है। तात्पर्य यह कि आजका ज्ञान शक्ति और सुख आदि सभी पर्याय शक्तियाँ हैं जो इस शरीर-पर्याय तक ही रहती हैं।

व्यवहारनयसे जीवको भूतिक माननेका अर्थ यही है कि अनादिसे यह जीव शरीरसम्बद्ध ही मिला आया है। स्थूल शरीर छोड़नेपर भी सूक्ष्म कर्म शरीर सदा इसके साथ रहता है। इसी सूक्ष्म कर्म शरीरके नाशको ही मुक्ति कहते हैं। जीव पुद्गल दो द्रव्य ही ऐसे हैं जिनमें क्रिया होती है तथा विभाव या अशुद्ध परिणमन होता है। पुद्गलका अशुद्ध परिणमन पुद्गल और जीव दोनोंके निमित्तसे होता है जबकि जीवका अशुद्ध परिणमन यदि होगा तो पुद्गलके ही निमित्तसे। शुद्ध जीवमें अशुद्ध परिणमन न तो जीवके निमित्तसे हो सकता है और न पुद्गलके निमित्तसे। अशुद्ध जीवके अशुद्ध परिणमनको धारामें पुद्गल या पुद्गलसम्बद्ध जीव निमित्त होता है। जैन सिद्धान्तने जीवको देहप्रमाण माना है। यह अनुभवसिद्ध भी है। शरीरके बाहर उस आत्माके अस्तित्व माननेका कोई सास प्रयोजन नहीं रह जाता और न यह तर्कगम्य ही है। जीवके ज्ञानदर्शन धार्मिक गुण उसके शरीरमें ही उपलब्ध होते हैं शरीरके बाहर नहीं। छोटे बड़े शरीरके अनुसार असव्यातप्रदेशी आत्मा सकोच-विकोच करता रहता है। चार्वाकका देहात्मवाद तो देहको ही आत्मा मानता है तथा देहकी परिस्थितिके साथ आत्माकी भी विनाश आदि स्वीकार करता है। जैनका देहपरिमाण-आत्मवाद पुद्गलदेहसे आत्मद्रव्यकी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता है। न तो देहकी उत्पत्तिसे आत्माकी उत्पत्ति होती है और न देहके विनाशसे आत्मविनाश। जब कर्मशरीरकी शृंखलासे यह आत्मा मुक्त हो जाता है तब अपनी शुद्ध चैतन्य दशामे अनन्तकाल तक स्थिर रहता है। प्रत्येक द्रव्यमें एक अगुल्लघुगुण हीना है जिसके कारण उसमें प्रसिद्ध परिणमन होते रहनेपर भी न तो उसमें गुल्ल हो जाता है और न लघुत्व ही। द्रव्य अपने स्वरूपमें सदा परिवर्तन करते रहते भी अपनी अखण्ड मौलिकताको भी नहीं खोता।

आजका विज्ञान भी हमें बताता है कि जीव जो भी विचार करता है उसकी टेढ़ी-सीधी, उथली-गहरी रेखाएँ मस्तिष्कमें भरे हुए मस्त्रन जैसे स्पष्ट पदार्थमें लिखती जाती हैं और उन्हींके अनुसार स्मृति तथा वासनारें उद्बुद्ध होती हैं। जैन कर्म सिद्धान्त भी यही है कि—रागद्वेष प्रवृत्तिके कारण केवल संस्कार ही आत्मापर नहीं पड़ता किन्तु उस संस्कारकी यथासमय उद्बुद्ध करानेवाले कर्मद्रव्यका संबन्ध भी होता जाता है। यह कर्मद्रव्य पुद्गल द्रव्य ही है। मन, वचन, कायकी प्रत्येक क्रियाके अनुसार शुभ या कृष्ण कर्म पुद्गल आत्मासे सम्बन्धकी प्राप्त हो जाते हैं। ये विशेष प्रकारके कर्मपुद्गल बहुत कुछ तो स्थूल शरीरके भीतर ही पड़े रहते हैं जो मनोभावोंके अनुसार आत्माके सूक्ष्म कर्मशरीरमें शामिल होते जाते हैं, कुछ बाहिरसे भी आते हैं। जैसे तपे हुए लोहेके गोलेको पानीसे भरे हुए बर्तनमें छोड़िये तो वह गोला जलके भरे हुए बहुतेसे परमाणुओंको जिस तरह अपने भीतर सोख लेता है उसी तरह अपनी गरमी और भापसे बाहिरके परमाणुओंको भी खींचता है। लोहेका

गोला जब तक गरम रहता है, पानीमें उबल-पुचल पैदा करता रहता है, कुछ परमाणुओंको लेगा, कुछको निकालेगा, कुछको भाप बनाएगा, एक अजीबसी परिस्थिति समस्त वातावरणमें उपस्थित कर देता है। उसी तरह जब यह आत्मा रागद्वेषादिसे उत्पन्न होता है तब शरीरमें एक अद्भुत हलनचलन उपस्थित करता है। क्रोध आते ही आँखें काल हो जाती हैं, खूनकी गति बढ़ जाती है, मुँह सूखने लगता है, नधुने फड़कने लगते हैं। कामवासनाका उदय होते ही सारे शरीरमें एक विलक्षण प्रकारका मन्थन शुरू होता है। और जब तक वह कषाय या वासना शांत नहीं हो लेती, यह चहल-पहल-मन्थन आदि नहीं रुकता। आत्माके विचारोके अनुसार पुद्गल द्रव्योंमें परिणमन होता है और विचारोके उत्तेजक पुद्गल द्रव्य आत्माके वासनामय सूक्ष्म कर्मशरीरमें शामिल होते जाते हैं। जब-जब उन कर्मपुद्गलोपर दबाव पड़ता है तब-तब वे कर्मपुद्गल फिर उन्हीं रागादि भावोको आराममें उत्पन्न कर देते हैं। इसी तरह रागादि भावोसे नए कर्मपुद्गल कर्मशरीरमें शामिल होते हैं तथा उन कर्मपुद्गलोके परिपाकके अनुसार नूतन रागादि भावोकी सृष्टि होती है। फिर नए कर्मपुद्गल बँधते हैं फिर उनके परिपाकके समय रागादिभाव होने हैं। इस तरह रागादिभाव और कर्म पुद्गलबन्धका चक्र बराबर चलता रहता है जबतक कि चरित्रके द्वारा रागादि भावोकी रोक नहीं दिया जाता। इस बन्ध परम्पराका वर्णन आचार्य अमृतचन्द्रसूरिने पुरुषार्थसिद्धयुपायमें इस प्रकार किया है—

“जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।
स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥ १२ ॥
परिणममानस्य चित्तश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः ।
भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥ १३ ॥”

अर्थात् जीवके द्वारा किये गए राग-द्वेष-मोह आदि परिणामोको निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु स्वतः ही कर्मरूपसे परिणत हो जाते हैं। आत्मा अपने चिदात्मक भावोसे स्वयं परिणत होता है, पुद्गल कर्म तो उसमें निमित्तमात्र है। जीव और पुद्गल एक-दूसरेके परिणमनमें परस्पर निमित्त होते हैं।

सारास यह कि जीवको वासनाओ राग-द्वेष-मोह आदिकी और पुद्गल कर्मबन्धकी धारा बीजवृक्ष-सन्ततिकी तरह अनदिसे चालू है। पूर्वबद्ध कर्मके उदयसे इस समय राग-द्वेष आदि उत्पन्न हुए हैं, इनमें जो जीवकी आसक्ति और लगन होती है वह नूतन कर्मबन्ध करती है। उस बद्धकर्मके परिपाकके समय फिर राग-द्वेष होते हैं, फिर उनमें आसक्ति और मोह होनेसे नया कर्म बँधता है। यहाँ इस शकाको कोई स्थान नहीं है कि—‘जब पूर्वकर्मसे रागद्वेषादि तथा रागद्वेषादिसे नूतन कर्मबन्ध होता है तब इस बद्धका उच्छेद ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक कर्म रागद्वेष आदि उत्पन्न करेगा और हर एक राग-द्वेष कर्मबन्धन करेगा।’ कारण यह है कि पूर्वकर्मके उदयसे होनेवाले कर्मफलभूत रागद्वेष वासना आदिका भोगना कर्मबन्धक नहीं होता किन्तु भोगकालमें जो नूतन राग-द्वेषरूप अध्यवसान भाव होते हैं वे बन्धक होते हैं। यही कारण है कि सम्यग्दृष्टिका कर्मभोग निजराका कारण होता है और मिथ्यादृष्टिका बन्धका कारण। सम्यग्दृष्टि जीव पूर्वकर्मके उदयकालमें होनेवाले राग-द्वेष आदिको विवेकपूर्वक शान्त तो करता है, पर उनमें नूतन अध्यवसान नहीं करता, अतः पुराने कर्म तो अपना फल देकर निर्जिण हो जाते हैं और नूतन आसक्ति न होनेके कारण नवीन बन्ध होता नहीं अतः सम्यग्दृष्टि तो दोनों तरफसे हलका हो चलता है जब कि मिथ्यादृष्टि कर्मफलके समय होनेवाले राग, द्वेष, वासना आदिके समय उनमें की गई नित नई आसक्ति और लगनके परिणामस्वरूप नूतन कर्मोंको और भी दृढ़तासे बाँधता है, और इस तरह मिथ्यादृष्टिका

कर्मक और भी तेजीसे चालू रहता है। जिस प्रकार हमारे भौतिक मस्तिष्कपर अनुभवकी अस्थायी सीधी-टेंडी, गहरी-उथली रेखाएँ पडती रहनी हैं, एक प्रबल रेखा आई तो उसने पहिलेकी निबल रेखाको साफ कर दिया और अपना गहरा प्रभाव कायम कर दिया, दूसरी रेखा पहिलेकी रेखाको या तो गहरा कर देनी है या साफ कर देती है और इस तरह अन्तमे कुछ ही अनुभव रेखाएँ अपना अस्थिर कायम रखती हैं, उसी तरह आज कुछ राग-द्वेषादि जन्य संस्कार उत्पन्न हुए कर्मबन्धन हुआ, पर दूसरे ही क्षण शील, व्रत, संयम और श्रुत आदिकी पूत भावनाओका निमित्त मिला तो पुराने संस्कार धुल जायेंगे या क्षीण हो जायेंगे, यदि दुबारा और भी तीव्र रागादि भाव हुए तो प्रथमबद्ध कर्म पुद्गलमें और भी तीव्र कलदायी अनुभागशक्ति पड़ जायगी। इस तरह जीवनके अन्तमे कर्मोका बन्ध, निर्जरा, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि होने-होते जो रोकड़ बाकी रहती है वही सूक्ष्म कर्मशरीरके रूपमे परलोक तक जाती है। जैसे तेज अग्नि-पर उबलनी हुई बटलोईमें दाढ़, चावल, शाक जो भी डालिए उमका ऊपर-नीचे जाकर उफान लेकर नीचे बैठकर अन्तमे एक पाक बन जाता है, उसी तरह प्रतिक्षण बँधनेवाले अच्छे या बुरे कर्मोंमें शुभभावसे शुभकर्मोंमे रसप्रकर्ष और स्थितिवृद्धि होकर अशुभकर्मोंमे रसापकर्ष और स्थितिहानि होकर अनेक प्रकारके अँचनीच परिवर्तन होने-होते अन्तमे एक जातिका पाकयोग्य स्कन्ध बन जाता है, जिसके क्रमोदयसे रामादि मुखदुःखादि भाव उत्पन्न होते हैं। अथवा, जैसे उदरमे जाकर आहारका मल-मूत्र, स्वेद आदि रूपसे कुछ भाग बाहर निकल जाता है कुछ वही हजम होकर रक्तादि धातु रूपसे परिणत होता है और आगे जाकर वीर्यादिरूप बन जाता है, बीचमे चूरन-चटनी आदिके योगसे लघुपाक दीर्घपाक आदि अवस्थाएँ भी होती हैं पर अन्तमे हानेवाले परिपाकके अनुसार ही भोजनमे सुपाकी दुष्पाकी आदि व्यवहार होता है, उसी तरह कर्मका भी प्रतिसमय होनेवाले शुभ-अशुभ विचारोके अनुसार तीव्र मन्द मध्यम मृदु मदुर आदि रूपसे परिवर्तन बराबर होता रहना है। कुछ कर्म संस्कार ऐसे हैं जिनमे परिवर्तन नहीं होता और उनका फल भोगना ही पडता है, पर ऐसे कम बहुत कम हैं जिनमें किमी जातिका परिवर्तन न हो। अधिकांश कर्मोंमें अच्छे-बुरे विचारके अनुसार उत्कर्षण (स्थिति और अनुभागकी वृद्धि), अपकर्षण (स्थिति और अनुभागकी हानि), सक्रमण (एकका दूसरे रूपमें परिवर्तन), उदीरणा (नियत समयसे पहिले उदयमे ले आना) आदि होते रहते हैं और अन्तमे शेष कर्मबन्धका एक नियत परिपाकक्रम बनता है। उसमे भी प्रतिसमय परिवर्तनादि होते हैं। तात्पर्य यह कि यह आत्मा अपने भले-बुरे विचारो और आचारोसे स्वयं बन्धनमे पड़ता है और ऐसे संस्कारोको अपनेमे डाल लेता है जिनसे छुटकारा पाना सहज नहीं होता। जैन सिद्धान्तने उन विचारोके प्रतिनिधि-भूत कर्मद्रव्यका इस आत्मासे बंध माना है जिससे उस कर्मद्रव्यपर भार पडते ही या उसका उदय आते ह वे भाव आत्माके उचित होते हैं।

जगत भौतिक है। वह पुद्गल और आत्मा दोनोसे प्रभावित होता है। कर्मका एक भौतिक किण्व, जो विशिष्ट शक्तिका नेत्र है, आत्मासे सम्बद्ध हो गया तब उसकी सूक्ष्म पर तीव्र शक्तिके अनुसार बाह्य पदार्थ भी प्रभावित होते हैं। बाह्य पदार्थोंके समवधानके अनुसार कर्मोंका यथासम्भव प्रवेक्षोदय या कलोदय रूपसे परिपाक होता रहता है। उदयकालमें होनेवाले तीव्र मन्द मध्यम शुभ-अशुभ भावोंके अनुसार आगे उदय आनेवाले कर्मोंके रमदानमें अन्तर पड़ जाता है। तात्पर्य यह है कि बहुत कुछ कर्मोंका फल देना या अन्य रूपमें देना या न देना हमारे पुष्पार्थके ऊपर निर्भर है।

इस तरह जैनदर्शनमें यह आत्मा अनादिसे अशुद्ध माना गया है और प्रयोगसे शुद्ध हो सकता है। शुद्ध होनेके बाद फिर कोई कारण अशुद्ध होनेका नहीं रह जाता। आत्माके प्रवेशोंमें संकोच विस्तार भी

कर्मके निमित्तसे भी होता है। अतः कर्म निमित्तके हट जानेपर आत्मा अपने अन्तिम आकारमे रह जाता है और ऊर्ध्व लोकांश्रमणमें स्थिर हो अपने अनन्त चैतन्यमे प्रतिष्ठित हो जाता है।

इस आत्माका स्वरूप उपयोग है। आत्माकी चैतन्यशक्तिको उपयोग कहते हैं। यह चित्ति शक्ति बाह्य अभ्यन्तर कारणोसे यथासंभव ज्ञानाकार पर्यायिको और दर्शनाकार पर्यायिको धारण करती है। जिस समय यह चैतन्यशक्ति ज्ञेयको जानती है उस समय साकार होकर ज्ञान कहलाती है तथा जिस समय मात्र चैतन्याकार रहकर निराकार रहती है तब दर्शन कहलाती है। ज्ञान और दर्शन क्रमसे होनेवाली पर्याएँ हैं। निराकारण दशामे चैतन्य अपने शुद्ध चैतन्य रूपमे लीन रहता है। इस अनिर्वचनीय स्वरूपमात्र प्रतिष्ठित आत्ममात्र दशको ही निर्वाण कहते हैं। निर्वाण अर्थात् वासनाओका निर्वाण। स्वरूपसे अमूर्तिक होकर भी यह आत्मा अनादि कर्मबन्धनबद्ध होनेके कारण मूर्तिक हो रहा है और कर्मबन्धन हटते ही फिर अपनी शुद्ध अमूर्तिक दशामे पहुँच जाता है। यह आत्मा अपनी शुभ-अशुभ परिणतियोका कर्ता है। और उनके फलोका भोक्ता है। उसमे स्वय परिणमन होता है। उपादान रूपसे यही आत्मा रागद्वेष मोह अज्ञान क्रोध आदि विकार परिणामोको धारण करता है और उसके फलोको भोगता है। ससार दशामे कर्मके अनुसार नानाविध योनियोमे शरीरोका धारण करता है पर मुक्त होते ही स्वभावत ऊर्ध्वगमन करता है और लोकांश्रमणमे सिद्धलोकमे स्वरूपप्रतिष्ठित हो जाता है।

अतः महावीरने बन्ध मोक्ष और उसके कारणभूत तत्त्वोके सिवाय इस आत्माका भी ज्ञान आवश्यक बताया जिसे शुद्ध होना है तथा जो अशुद्ध हो रहा है। आत्माकी अशुद्ध दशा स्वरूपप्रच्युतिरूप है और यह स्वरूपको भूलकर परपदार्थोमे ममकार और अहंकार करनेके कारण डुई है। अतः इस अशुद्ध दशका अन्त भी स्वरूपज्ञानसे ही हो सकता है। जब इस आत्माको यह तत्त्वज्ञानहोता है कि—“मेरा स्वरूप तो अनन्त चैतन्यमय वीतराग निर्मोह निष्कषाय शान्त निश्चल अप्रमत्त ज्ञानरूप है। इस स्वरूपको भूलकर पर पदार्थोमे ममकार तथा शरीरको अपना माननेके कारण रागद्वेष मोह कषाय प्रमाद मिथ्यात्व आदि विकाररूप मेरा परिणमन हो गया है और इन कषायोकी ज्वालामे मेरा रूप समल और चंचल हो रहा है। यदि पर पदार्थो से ममकार और रागादिभावोसे अहंकार हट जाय तथा आत्मपरविवेक हो जाय तो यह अशुद्ध दशा ये वासनाएँ अपने आप क्षीण हो जायेंगी।” तो यह विकारोको क्षीण करता हुआ निर्विकार चैतन्यरूप होता जाता है। इसी शुद्धिकरणको मोक्ष कहते हैं। यह मोक्ष जबतक शुद्ध आत्मस्वरूपका बोध न हो तबतक कैसे हो सकता है ?

बुद्धके तत्त्वज्ञानका प्रारम्भ दुःखसे होता है और उसकी समाप्ति दुःखनिवृत्तिमे होनी है। पर महावीर बन्ध और मोक्षके आधारभूत आत्माको ही मूलतः तत्त्वज्ञानका आधार बनाते हैं। बुद्धको आत्मा शब्दसे ही चिह्न है। वे समझते हैं कि आत्मा अर्थात् उपनिषद्वादियोका नित्य आत्मा। और नित्य आत्मामे स्नेह होनेके कारण स्वबुद्धि और दूसरे पदार्थोमे परबुद्धि होने लगती है। स्व-पर विभागसे रागद्वेष और रागद्वेषसे यह ससार बन जाता है। अतः सर्वानर्थमूल यह आत्मदृष्टि है। पर वे इस ओर ध्यान नहीं देते कि ‘आत्मा’ की नित्यता या अनित्यता राग और विरागका कारण नहीं है। राग और विराग तो स्वरूपानवबोध और स्वरूपबोधसे होते हैं। रागका कारणपर पदार्थोमे ममकार करना है। जब इस आत्माको समझाया जायगा कि “मूर्ख, तेरा स्वरूप तो निर्विकार अखण्ड चैतन्य है। तेरा इन स्त्री-पुत्र शरीराधिमे ममत्व करना विभाव है, स्वभाव नहीं।” तब यह सहज ही अपने निर्विकार सहज स्वभावकी ओर दृष्टि डालेगा और इसी विवेक दृष्टि या सम्यग्दर्शनसे पर पदार्थोसे रागद्वेष हटाकर स्वरूपमे लीन होने लगेगा। इसीके कारण आत्मव शक्तें हैं और चित्त निरास्रव होता है।

आत्मदृष्टि ही बन्धोच्छेदिका—विश्वका प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और पदार्थोंका स्वामी है। जिस तरह अनन्त चेतन अपना पृथक् अस्तित्व रखते हैं उसी तरह अनन्त पुद्गल परमाणु एक धर्म द्रव्य (गति सहायक), एक अधर्म द्रव्य (स्थिति सहकारी), एक आकाशद्रव्य (क्षेत्र) असंख्य कालाणु अपना पृथक् अस्तित्व रखते हैं। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिवर्तित होता है। परिवर्तनका अर्थ विलक्षण परिणमन ही नहीं होता। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश और काळद्रव्य इनका विभाव परिणमन नहीं होता, ये सदा सद्दृश परिणमन ही करते हैं। प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपर भी एक जैसे बने रहते हैं। इनका शुद्ध परिणमन ही रहता है। रूप, रस, गन्ध और स्पर्शवाले पुद्गल परमाणु प्रतिक्षण शुद्ध परिणमन भी करते हैं। इनका अशुद्ध परिणमन है स्कन्ध बनना। जिस समय ये शुद्ध परमाणुकी घशामे रहते हैं उस समय इनका शुद्ध परिणमन होता है और जब ये दो या अधिक मिलकर स्कन्ध बन जाते हैं तब अशुद्ध परिणमन होता है। जीव जबतक संसार घशामे है और अनेकविध सूक्ष्म कर्मशरीरसे बद्ध होनेके कारण अनेक स्थूल शरीरोंको धारण करता है तब तक इसका विभाव या विकारी परिणमन है। जब स्वरूप-बोधके द्वारा पर पदार्थोंसे मोह हटाकर स्वरूपमान-मन होता है तब स्थूल शरीरके साथ ही सूक्ष्म कर्मशरीरका भी उच्छेद होनेपर निर्विकार शुद्ध चैतन्य भाव हो जाता है और अनन्त कालतक अपनी शुद्ध चिन्मान दशामें बना रहता है। फिर इसका विभाव या अशुद्ध परिणमन नहीं होता क्योंकि विभाव परिणमनकी उपादानभूत रागादि सन्तति उच्छिन्न हो चुकी है। इस प्रकार द्रव्य स्थिति है। जो पर्याय प्रथमक्षणमें है वह दूसरे क्षणमें नहीं रहती है। कोई भी पर्याय दो क्षण ठहरनेवाली नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायका उपादान है। दूसरा द्रव्य चाहे वह सजातीय हो या विजातीय, निमित्त ही हो सकता है, उपादान नहीं। पुद्गलमे अपनी योग्यता ऐसी है जो दूसरे परमाणुसे सम्बन्ध करके स्वभावतः अशुद्ध बन जाता है पर आत्मा स्वभावसे अशुद्ध नहीं बनता। एक बार शुद्ध होनेपर वह कभी भी फिर अशुद्ध नहीं होगा।

इस तरह इस प्रतिक्षण परिवर्तनशील अनन्तद्रव्यमय लोकमे मैं एक आत्मा हूँ। मेरा किसी दूसरे आत्मा या पुद्गल आदि द्रव्योसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं अपने चैतन्यका स्वामी हूँ, मात्र चैतन्यरूप हूँ। यह शरीर अनन्त पुद्गल परमाणुओंका एक पिण्ड है, इसका मैं स्वामी नहीं हूँ। यह सब पर द्रव्य है। इसके लिए पर पदार्थोंमें इष्ट अनिष्ट बृद्धि करना हो ससार है। मैं एक व्यक्ति हूँ। आजतक मैंने पर पदार्थोंको अपने अनुकूल परिणमन करानेकी अनधिकार चेष्टा की। मैंने यह भी अनधिकार चेष्टा की कि ससारके अधिकसे अधिक पदार्थ मेरे अधीन हो, जैसा मैं चाहूँ वैसा परिणमन करूँ। उनकी वृत्ति मेरे अनुकूल हो। पर मूख, तू तो एक व्यक्ति है। अपने परिणमन पर अर्थात् अपने विचारोंपर और अपनी क्रियापर ही अधिकार रख सकता है, पर पदार्थोंपर तेरा वास्तविक अधिकार क्या है? यह अनधिकार चेष्टा ही रागद्वेषको उत्पन्न करती है। तू चाहता है कि—शरीर प्रकृति स्त्री पुत्र परिजन आदि सब तेरे इशारेपर चलें, ससारके समस्त पदार्थ तेरे अधीन हों, तू त्रैलोक्यको इशारेपर नचानेवाला एकमात्र ईश्वर बन जाय। पर यह सब तेरी निरधिकार चेष्टाएँ हैं। तू जिस तरह ससारके अधिकतम पदार्थोंको अपने अनुकूल परिणमन कराके अपने अधीन करना चाहता है उसी तरह तेरे जैसे अनन्त मूढ़ चेतन भी यही दुर्वासना लिए है और दूसरे द्रव्योको अपने अधीन करना चाहते हैं। इसी छीनाझपटीमे सघर्ष होता है, हिंसा होती है, रागद्वेष होता है और अन्ततः दुःख। सुख और दुःखकी स्थूल परिभाषा यह है कि 'जो चाहे सो होवे' इसे कहते हैं सुख और 'चाहे कुछ और होवे कुछ, या जो चाहे सो न हो' यही है दुःख। मनुष्यकी चाह सदा यही रहती है कि मुझे सदा इष्टका संयोग रहे, अनिष्टका संयोग न हो, चाहके अनुसार समस्त भौतिक जगत् और चेतन परिणत होते रहें,

शरीर चिर धीबन रहे, स्त्री स्थिरधीबना हो, मृत्यु न हो, अमरत्व प्राप्त हो, धन-धान्य हों, प्रकृति अनुकूल रहे, और न जाने कितनी प्रकारकी 'बाह' इस श्रेष्ठचिह्नी मानवको होती रहती है। उन सबका निश्चय यह है कि जिन्हें हम चाहें उनका परिणमन हमारे इशारेपर हो, तब इस मूढ़ मानवको क्षणिक सुखका आभास हो सकता है। बुद्धने जिस दुःख को सर्वानुभूत बताया वह सब अभावकृत ही तो है। महावीरने इस तृष्णाका कारण बताया—स्वरूपरूपकी मर्यादाका अज्ञान। यदि मनुष्यको यह पता हो कि जिनकी मैं बाह करता हूँ, जिनकी तृष्णा करता हूँ वे पदार्थ मेरे नहीं हैं, मैं तो एक चिन्मात्र हूँ, तो उसे अनुचित तृष्णा ही उत्पन्न न होगी।

इस मानवने अपने आत्माके स्वरूप और उसके अधिकारकी सीमाको न जानकर सदा मिथ्या आचरण किया और पर पदार्थोंके निमित्तसे जगत्में अनेक कल्पित ऊँच-नीच भावोंकी सृष्टि कर मिथ्या अहंकारका पोषण किया। शरीरान्वित या जीविकाश्रित ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णोंको लेकर ऊँच-नीच व्यवहारकी भेदक भित्ति खड़ीकर मानवको मानवसे इतना जुदा कर दिया जो एक उच्छाभिमानी मासपिंड दूसरेकी छायासे या दूसरेको छूनेसे अपनेको अपवित्र मानने लगा। बाह्य परपदार्थोंके सग्रही और परिग्रहीको सम्राट् राजा आदि सजाएँ देकर तृष्णाकी पूजा की। इस जगत्में जितने सघर्ष और हिंसाएँ हुई हैं वे सब पर पदार्थोंकी छीनाझपटीके कारण ही हुई हैं। अतः जब तक मुमुक्षु अपने वास्तविक रूपको तथा तृष्णाके मूल कारण 'परत्र आत्मबुद्धि'को नहीं समझ लेता तब तक दुःखनिवृत्तिकी समुचित भूमिका ही तैयार नहीं हो सकती। बुद्धने सक्षेपमें पंच स्क्वधोंको दुःख कहा है, पर महावीरने उसके भीतरी तत्त्वज्ञानको बताया—चूँकि ये स्क्वध आत्मरूप नहीं हैं अतः इनका ससर्ग ही अनेक रागादिभावोंका सर्जन है, अतः ये दुःखस्वरूप हैं। अतः निराकुल सुखका उपाय आत्ममात्र-निष्ठा और पर पदार्थोंसे ममत्वका हटाना ही है। इसके लिए आत्मदृष्टि ही आवश्यक है। आत्मदर्शनका उपर्युक्त प्रकार परपदार्थोंमें द्वेष करना नहीं सिखाता किन्तु यह बताता है कि इनमें जो तुम्हारी तृष्णा फील रही है वह अनधिकार चेषटा है। वास्तविक अधिकार तो तुम्हारा अपने विचार और अपनी प्रवृत्तिपर ही है। इस तरह आत्माके वास्तविक स्वरूपका परिज्ञान हुए बिना दुःखनिवृत्ति या मुक्तिकी सभावना ही नहीं की जा सकती। अतः धर्मकीतिकी यह आशका भी निर्मूल है कि—

“आत्मनि सति परसज्ञा स्वपरविभागात् परिग्रहद्वेषौ।

अनयो संप्रतिबद्धाः सर्वे दोषा प्रजायन्ते ॥”—प्रमाण वा० १२२१

अर्थात् आत्माको माननेपर दूसरोको पर मानना होगा। स्व और पर विभाग होते ही स्वका परिग्रह और परसे द्वेष होगा। परिग्रह और द्वेष होनेसे रागद्वेषमूलक सैकड़ो अन्य दोष उत्पन्न होते हैं।

यहाँ तक तो ठीक है कि कोई व्यक्ति आत्माको स्व और आत्मेतरको पर मानेगा। पर स्व-परविभागसे परिग्रह और द्वेष कैसे होंगे? आत्मस्वरूपका परिग्रह कैसा? परिग्रह तो शरीर आदि पर पदार्थोंका और उसके सुखसाधनोका होता है जिन्हें आत्मदर्शी व्यक्ति छोड़ेगा ही, ग्रहण नहीं करेगा। उसे तो जैसे स्त्री आदि सुखसाधनपर हैं वैसे शरीर भी। राग और द्वेष भी शरीरादिके सुखसाधनो और असाधनोसे होने हैं सो आत्मदर्शीको क्यों होंगे? उल्टे आत्मदृष्टा शरीरादिनिमित्तक यावत् रागद्वेष द्वन्द्वोंके त्यागका ही स्थिर प्रयत्न करेगा। हाँ, जिसने शरीरस्क्वधको ही आत्मा माना है उसे अवश्य आत्मदर्शनसे शरीरदर्शन प्राप्त होगा और शरीरके इष्टानिष्टनिमित्तक पदार्थोंमें परिग्रह और द्वेष हो सकते हैं, किन्तु जो शरीरको भी पर ही मान रहा है तथा दुःखका कारण समझ रहा है वह क्यों उसमें तथा उसके इष्टानिष्ट साधनोंमें रागद्वेष करेगा?

अतः शरीरादिसे भिन्न आत्मस्वरूपका परिज्ञान ही रागद्वेषकी अडकी काट सकता है और बीतरामताको प्राप्त करा सकता है ।

आत्मदर्शी व्यक्ति जहाँ अपने आत्मस्वरूपको उपादेय समझता है वहाँ यह भी तो समझता है कि शरीरादि पर पदार्थ आत्माके द्वितकारक नहीं हैं । इनमें रागद्वेष करना ही आत्माको बन्धमें डालनेवाला है । आत्माको स्वरूपमात्रप्रतिष्ठापन सुखके लिए किसी साधनके प्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन शरीरादि परपदार्थोंमें सुखसाधनत्वकी मिथ्याबुद्धि कर रही है वह मिथ्याबुद्धि ही छोडना है । आत्मगुणका दर्शन आत्ममात्रमें लीनताका कारण होगा न कि बन्धनकारक पर पदार्थोंके प्रहणका । शरीरादि पर पदार्थोंमें होनेवाला आत्माभिनवेश अवश्य रागादिका सर्जक हो सकता है किन्तु शरीरादिसे भिन्न आत्मनत्वका दर्शन क्यों शरीरादिमें रागादि उत्पन्न करेगा ? यह तो धर्मकीति तथा उनके अनुयायियोंका आत्मतत्त्वके अव्याकृत होनेके कारण दृष्टिभ्यामोह है जो वे अंधेरेमें उसका शरीरस्कन्धस्वरूप ही स्वरूप टटोल रहे हैं और आत्म-दृष्टिको मिथ्यादृष्टि कहनेका दुःसाहस कर रहे हैं । एक ओर वे पृथिवी आवि भूतोंसे आत्माको उत्पत्तिका खंडन भी करते हैं दूसरी ओर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पाँच स्कन्धोंसे व्यतिरिक्त किसी आत्माको मानना भी नहीं चाहते । इनमें वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये चार स्कन्ध चेतनात्मक हो सकते हैं पर रूपस्कन्धको चेतन कहना चार्वाकके भूतात्मवादसे कोई विशेषता नहीं रखता । जब बुद्ध स्वयं आत्माको अव्याकृतकोटिमें डाल गए तो उनके शिष्योंका युक्तिमूलक दार्शनिक क्षेत्रोंमें भी आत्माके विषयमें परस्पर विरोधी दो विचारोंमें दौलित रहना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । आज राहुल सांकृत्यायन बुद्धके इन विचारोंको 'अभौतिकअनात्मवाद' जैसे उभयप्रतिषेधक नामसे पुकारते हैं । वे यह नहीं बता सकते कि आक्षिप्त फिर आत्माका स्वरूप है क्या ? क्या उसको रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्र सत्ता है ? क्या वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये स्कन्ध भी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्र सत् हैं ? और यदि निर्वाणमें चित्तसत्तति निरुद्ध हो जाती है तो चार्वाकके एकजन्म तक सीमित देहात्मवादसे इस अनेकजन्म-सीमित देहात्मवादमें क्या मौलिक विशेषता रहती है ? अन्तमें तो उसका निरोध हुआ ही ।

महावीर इस असर्गजालमें न तो स्वयं पड़े और न शिष्योंको ही उनमें इसमें डाला । यही कारण है जो उन्होंने आत्माका पूरा-पूरा निरूपण किया और उसे स्वतन्त्र द्रव्य माना । जैसा कि मैं पहिले लिख आया है कि धर्मका लक्षण है वस्तुका स्व-स्वभावमें स्थिर होना । आत्माका खालिस आत्मरूपमें लीन होना ही धर्म है और मोक्ष है । यह मोक्ष आत्मतत्त्वकी जिज्ञासाके बिना ही ही नहीं सकता ।

आत्मा तीन प्रकारके हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । जो आत्माएँ शरीरादिको ही अपना रूप मानकर उनकी ही प्रिय साधनामें लगे रहने हैं वे बहिर्मुख बहिरात्मा हैं । जिन्हें स्वपरिवेक या भेदविज्ञान उत्पन्न हो गया है, शरीरादि बहिर्पदार्थोंसे आत्मदृष्टि हट गई है वे सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा हैं । जो समस्त कर्ममूल कलकोसे रहित होकर शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपमें मग्न हैं वे परमात्मा हैं । एक ही आत्मा अपने स्वरूपका यथाथं परिज्ञानकर अन्तर्दृष्टि हो क्रमशः परमात्मा बन जाता है । अतः आत्मधर्मकी प्राप्तिके लिए या बन्धमोक्षके लिए आत्मतत्त्वका परिज्ञान नितान्त आवश्यक है ।

जिस प्रकार आत्मतत्त्वका ज्ञान आवश्यक है उसी प्रकार जिन अजीबोंके सम्बन्धसे आत्मा विकृत होता है, उसमें विभावपरिणति होती है उस अजीबतत्त्वके ज्ञानकी भी आवश्यकता है । जब तक इस अजीबतत्त्वको नहीं जानेंगे तब तक किन दोमें बन्ध हुआ यह मूल बात ही अज्ञात रह जाती है । अतः अजीबतत्त्वका ज्ञान जरूरी है । अजीबतत्त्वमें चाहे धर्म, अधर्म, आकाश और कालका सामान्य ज्ञान ही हो पर पुद्गलका किंचित्

विशेष ज्ञान अनेकित है। शरीर स्वयं पुद्गलपिंड है। यह चेतनके संसर्गसे चेतनायमान हो रहा है। अगत्में रूप, रस, गन्ध और स्पर्शवाले यावत् पदार्थ पौद्गलिक हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु सभी पौद्गलिक हैं। इनमें किसीमें कोई गुण उद्भूत रहता है किसीमें कोई गुण। अग्निमें रस अनुद्भूत है, वायुमें रूप अनुद्भूत है जलमें गन्ध अनुद्भूत है। पर, ये सब विभिन्न जातीय द्रव्य नहीं हैं किन्तु एक पुद्गलद्रव्य ही हैं। शब्द, प्रकाश, छाया, अन्वकार आदि पुद्गल स्कन्धकी पर्यायें हैं। विशेषतः मनुष्यके लिए यह जानना जरूरी है कि शरीर पुद्गल है और आत्मा इनसे पृथक् है। यद्यपि आज अशुद्ध दशामे आत्माका ९९ प्रतिशत विकास और प्रकाश शरीराधीन है। शरीरके पुर्जोके बिगड़ते ही वर्तमान ज्ञानविकास रुक जाता है और शरीरके नाश होनेपर वर्तमानशक्तियाँ प्रायः समाप्त हो जाती हैं फिर भी आत्मा स्वतन्त्र और शरीरके अतिरिक्त भी उसका अस्तित्व परलोकके कारण सिद्ध है। आत्मा अपने सूक्ष्म कर्मण शरीरके अनुसार वर्तमान स्थूल शरीरके नष्ट हो जानेपर भी दूसरे स्थूल शरीरको धारण कर लेता है। आज आत्माके सात्त्विक, राजस या तामस सभी प्रकारके विचार या संस्कार शरीरकी स्थितिके अनुसार विकसित होते हैं। अतः मनुष्यके लिए इस शरीर पुद्गलकी प्रकृतिका परिज्ञान नितान्त आवश्यक है जिससे वह इसका उपयोग आत्मविकासमें कर सके, ह्रासमें नही। यदि उत्तेजक या अपेक्ष्य आहार-विहार होता है तो कितना ही पवित्र विचार करनेका प्रयत्न किया जाय पर सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए बुरे संस्कार और विचारोका शमन करनेके लिए या क्षीण करनेके लिए उनके प्रबल निमित्तभूत शरीरकी स्थिति आविष्कार परिज्ञान करना ही होगा। जिन पर पदार्थोंसे आत्माको विरक्त होना है या उन्हें पर समझकर उनके परिणमनपर जो अनधिकृत स्वामित्वके दुर्भाव आरोपित हैं उन्हें नष्ट करना है उस परका कुछ विशेष ज्ञान तो होना ही चाहिए, अन्यथा विरक्ति किससे होगी? सारांश यह कि जिसे बंधन होता है और जिससे बंधता है उन दोनों तत्त्वोंका यथार्थ दर्शन हुए बिना बन्ध परम्परा कट नहीं सकती। इस तत्त्वज्ञानके बिना चारित्रकी ओर उत्साह ही नहीं हो सकता। चारित्रकी प्रेरणा विचारोंसे ही मिलती है।

बन्ध-बन्ध दो पदार्थोंके विशिष्ट सम्बन्धको कहते हैं। बन्ध दो प्रकारका है—एक भावबन्ध और दूसरा द्रव्यबन्ध। जिन राग-द्वेष, मोह आदि विभावोंसे कर्मवर्णनाओका बंध होता है उन रागादिभावोंको भावबंध कहते हैं और कर्मवर्णनाओका आत्मप्रदेशोंसे सम्बन्ध होना द्रव्यबन्ध कहलाता है। द्रव्यबन्ध आत्मा और पुद्गलका है। यह निश्चित है कि दो द्रव्योंका संयोग ही हो सकता है तादात्म्य नहीं। पुद्गलद्रव्य परस्परमें बन्धको प्राप्त होते हैं तो एक विशेष प्रकारके संयोगको ही प्राप्त करते हैं। उनमें स्निग्धता और रूक्षताके कारण एक रासायनिक मिश्रण होता है जिससे उस स्कन्धके अन्तर्गत सभी परमाणुओंकी पर्याय बदलती है और वे ऐसी स्थितिमें आ जाते हैं कि अमुक समय तक उन सबकी एक जैसी ही पर्यायें होती रहती हैं। स्कन्धके रूप रसादिका व्यवहार तदन्तर्गत परमाणुओंके रूपरसादिपरिणमनकी औसतसे होता है। कभी-कभी एक ही स्कन्धके अमुक अणुमें रूप रसादि अमुक प्रकारके हो जाते हैं और दूसरी ओर दूसरे प्रकारके। एक ही आम स्कन्ध एक ओर पककर पीला मीठा और सुगन्धित हो जाता है तो दूसरी ओर हरा सट्टा और बिलक्षण गन्धवाला बना रहता है। इससे स्पष्ट है कि स्कन्धमें शिथिल या दृढ़ बन्धके अनुसार तदन्तर्गत परमाणुओंके परिणमनकी औसतसे रूपरसादि व्यवहार होते हैं। स्कन्ध अपनेमें स्वतन्त्र कोई द्रव्य नहीं है। किन्तु वह अमुक परमाणुओंकी विशेष अवस्था ही है। और अपने आधारभूत परमाणुओंके अधीन ही उसकी वशा रहती है। पुद्गलके बन्धमें यही रासायनिकता है कि उस अवस्थामें उनका स्वतन्त्र बिलक्षण परिणमन नहीं हो सकता किन्तु एक जैसा परिणमन होता रहता है। परन्तु आत्मा और कर्मपुद्गलोंका ऐसा रासायनिक मिश्रण ही नहीं सकता। यह बात जुबा है कि कर्मस्कन्धके आ जानेसे आत्माके परिणमनमें

विलक्षणता आ जाय और आत्माके निमित्तसे कर्मस्कन्धकी परिणति विलक्षण हो जाय पर इससे आत्मा और पुद्गलकर्मके बन्धको रासायनिक मिश्रण नहीं कह सकते। क्योंकि जीव और कर्मके बन्धमें दोनोंकी एक जैसी पर्याय नहीं होती। जीवकी पर्याय चेतन रूप होगी, पुद्गलकी अचेतनरूप। पुद्गलका परिणमन रूप, रस गन्धादिरूप होगा, जीवका चैतन्यके विकाररूप। हाँ, यह वास्तविक स्थिति है कि नूतन कर्मपुद्गलोंका पुराने बँधे हुए कर्मशरीरके साथ रासायनिक मिश्रण हो और वह उस पुराने कर्मपुद्गलके साथ बँधकर उसी स्कन्धमें शामिल हो जाय। होता भी यही है। पुराने कर्मशरीरसे प्रतिक्षण अमुक परमाणु झरते हैं और दूसरे कुछ नए शामिल होते हैं। परन्तु आत्मप्रदेशोंसे उनका बन्ध रासायनिक बिलकुल नहीं है। वह तो मात्र संयोग है। प्रदेशबन्धकी व्याख्या तत्त्वार्थसूत्रकारने यही की है—“नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैव क्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः।” (तत्त्वार्थसूत्र ८।२४) अर्थात् योगके कारण समस्त आत्मप्रदेशोंपर सूक्ष्म पुद्गल आकर एकक्षेत्रावगाही हो जाते हैं। इसीका नाम प्रदेशबन्ध है। इन्द्रियबन्ध भी यही है। अत आत्मा और कर्मशरीरका एकक्षेत्रावगाहके सिवाय अन्य कोई रासायनिक मिश्रण नहीं होता। रासायनिक मिश्रण नवीन कर्मपुद्गलोंका प्राचीन कर्मपुद्गलोंसे ही हो सकता है, आत्म-प्रदेशोंसे नहीं।

जीवके रागादिभावोंसे जो योगक्रिया अर्थात् आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द होता है उससे कर्मवर्गणाएँ लिखती हैं। वे शरीरके भीतरसे भी लिखती हैं बाहिरसे भी। लिखकर आत्मप्रदेशोंपर या प्राक्बद्ध कर्म-शरीरसे बन्धको प्राप्त होती हैं। इस योगसे उन कर्मवर्गणाओंमें प्रकृति अर्थात् स्वभाव पड़ता है। यदि वे कर्मपुद्गल किमीके ज्ञानमें बाधा डालने रूप क्रियासे लिखे हैं तो उनमें ज्ञानावरणका स्वभाव पड़ेगा और यदि रागादि कषायासे तो उनमें चारित्रावरणका। आदि। तात्पर्य यह कि आए हुए कर्म पुद्गलोंको आत्म-प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाही कर देना और उनमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि स्वभावोंका पठ जाना योगसे होता है। इन्हें प्रदेशबन्ध और प्रकृतिबन्ध कहते हैं। कषायोंकी तीव्रता और मन्दताके अनुसार उस कर्मपुद्गलमें स्थिति और फल देनेकी क्षमति पड़ती है यह स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कहलाता है। ये दोनों बन्ध कषायासे होते हैं। केवली अर्थात् जीबन्धुक्त व्यक्तिको रागादि कषाय नहीं होती अत उनके योगके द्वारा जो कर्मपुद्गल आते हैं वे द्वितीय समयमें झड़ जाते हैं, उनका स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध नहीं होता। बन्ध प्रतिक्षण होता रहता है और जैसा कि मैं पहिले लिख आया हूँ कि उसमें अनेक प्रकारका परिवर्तन प्रतिक्षण-भावी कषायादिके अनुसार होता रहता है। अन्तमें कर्मशरीरकी जो स्थिति रहती है उसके अनुसार फल मिलता है। उन कर्मनिषेकोके उदयसे वातावरणपर बैसा-बैसा असर पड़ता है। अन्तरगमें बैसे-बैसे भाव होते हैं। आयुर्बन्धके अनुसार स्थूल शरीर छोड़नेपर उन-उन योनियोंमें जीवको नया स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। इस तरह यह बन्धचक्र जबतक राग-द्वेष, मोह, वासनाएँ आदि विभाव भाव है बराबर चलता रहता है।

बन्धहेतु आश्रय—मिथ्यात्व, अचिरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच बन्धके कारण हैं। इन्हें आश्रय-प्रत्यय भी कहते हैं। जिन भावोंके द्वारा कर्मोंका आश्रय होता है उन्हें भावाश्रय कहते हैं और कर्म-द्रव्यका ज्ञान इन्द्रियाश्रय कहलाता है। पुद्गलोंमें कर्मत्व प्राप्त हो जाना भी इन्द्रियाश्रय कहलाता है। आत्मप्रदेश-तक उनका ज्ञान इन्द्रियाश्रय है। जिन भावोंसे वे कर्म लिखते हैं उन्हें भावाश्रय कहते हैं। प्रथमक्षणभावी भावोंको भावाश्रय कहते हैं और अग्रिम क्षणभावी भावोंको भावबन्ध। भावाश्रय जैसा तीव्र मन्द मध्यमात्मक होगा तज्जन्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्दके बैसे कर्म जायेंगे और आत्मप्रदेशोंसे बँधेंगे। भावबन्धके अनुसार उक्त

स्वप्नमें स्थिति और अनुभाग पड़ेगा। इन आत्मबोमें मुख्य अनन्तकर्मबन्धक आत्मव है मिथ्यात्व अर्थात् मिथ्या-दृष्टि। यह जीव अपने आत्मस्वरूपको भूलकर शरीरादि पर द्रव्योंमें आत्मबुद्धि करता है और इसके समस्त चिन्तार और क्रियाएँ उन्हीं शरीराश्रित व्यवहारोंमें उलझी रहती हैं। लौकिक यशोलाभ आदिकी दृष्टिसे ही यह धर्म वैसी क्रियाओंका आचरण करता है। स्व-पर विवेक नहीं रहता। पदार्थोंके स्वरूपमें भ्रान्ति बनी रहती है। तात्पर्य यह कि लक्ष्यभूत कल्याणमार्गमें ही इसकी मस्य्क श्रद्धा नहीं होती। वह सहज और बुद्धिगत दोनों प्रकारकी मिथ्यादृष्टियोंके कारण तत्स्वरूपि नहीं कर पाता। अनेक प्रकारकी देवगुरु तथा लोकमूढ-छात्रोंको धर्म सम्मत्ता है। शरीर और शरीराश्रित स्त्री-पुत्र-कुटुम्बादिके मोहमें उचित, अनुचितका विवेक किए बिना भीषण अनर्थ परम्पराओंका सुजन करता है। तुच्छ स्वार्थके लिए मनुष्य जीवनको अर्थ ही लो देता है। अनेक प्रकारके ऊँच-नीच श्रेयोकी सृष्टि करके मिथ्या अहंकारका पोषण करता है। जिस किसी भी देवकी, जिस किसी भी वेधधारी गुरुको, जिस किसी भी शास्त्रको भय आशा स्नेह और लोभसे माननेको तैयार हो जाता है। न उसका अपना कोई सिद्धान्त है और न व्यवहार। थोड़ेसे प्रलोभनसे वह सब अनर्थ करनेको प्रस्तुत हो जाता है। जाति, ज्ञान, पूजा, कुल, बल, ऋद्धि, तप और शरीर आदिके कारण मदमत्त होता है और अन्यको तुच्छ समझकर उनका तिरस्कार करता है। भय, आकाशा, घृणा, अन्यदोषप्रकाशन आदि दुर्गुणोंका केन्द्र होता है। इसकी प्रवृत्तिके मूलमें एक ही बात है और वह स्व-स्वरूपविघ्नम। उसे आत्मस्वरूपका कोई श्रद्धान नहीं। अतः वह बाह्य पदार्थोंमें लुभाया रहता है। यही मिथ्यादृष्टि सब दोषोंकी जननी है, इसीसे अनन्त ससारका बन्ध होता है। दर्शनमोहनीय नामक कर्मके उदयमें यह दृष्टिमूढता होती है।

अविरति—चारित्र्यमोह नामक कर्मके उदयसे मनुष्यको चारित्र्य धारण करनेके परिणाम नहीं हो पाते। वह चाहता भी है तो भी कषायोंका ऐसा तीव्र उदय रहता है जिससे न तो सकलचारित्र्य धारण कर पाता है और न देशचारित्र्य। कषाएँ चार प्रकारकी हैं—

१-अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ-अनन्त ससारका बंध करानेवाली, स्वरूपाचरणचारित्र्यका प्रतिबन्ध करनेवाली, प्राय मिथ्यात्वसहचारिणी कषाय। पथरकी रेखाके समान।

२-अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ-देशचारित्र्य-अणुव्रतोंको धारण करनेके भावोंको न होने देनेवाली कषाय। इसके उदयसे जीव श्रावकके व्रतोंको भी ग्रहण नहीं कर पाता। मिट्टीके रेखाके समान।

३-प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ-सम्पूर्ण चारित्र्यकी प्रतिबन्धिका कषाय। इसके उदयसे जीव सकल त्याग करके सम्पूर्ण व्रतोंको धारण नहीं कर पाता। धूल रेखाके समान।

४-संज्वलन क्रोध मान माया लोभ-पूर्ण चारित्र्यमें किञ्चिन्मात्र दोष उत्पन्न करनेवाली कषाय। यथा-ख्यातचारित्र्यकी प्रतिबन्धिका। जलरेखाके समान।

इस तरह इन्द्रियोंके विषयोंमें तथा प्राणसयममें निरगल प्रवृत्ति होनेसे कर्मोंका आत्मव होता है। अविरतिका निरोधकर विरतिभाव आनेपर कर्मोंका आत्मव नहीं होता।

प्रमाद-असावधानीको प्रमाद कहते हैं। कुशल कर्मोंमें अनादरका भाव होना प्रमाद है। पाँचो इन्द्रियोंके विषयोंमें लीन होनेके कारण, राजकषा, चोरकषा, स्त्रीकषा और भोजनकषा इन चार विकषाओंमें रक्ष लेनेके कारण, क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंमें क्लिप्त रहनेके कारण, निद्रा और प्रषयसम्पन्न होनेके कारण कर्तव्यपथमें अनादरका भाव होता है। इस असावधानीसे कुशलकर्मके प्रति अनास्था तो होती

ही है, साथही साथ हिंसाकी भूमिका भी तैयार होने लगती है। हिंसाके मुख्य हेतुओंमें प्रभावका स्थान ही प्रमुख है। बाह्यमें जीवका घात हो या न हो किन्तु असावधान और प्रमादी व्यक्तिको हिंसाका दोष मुनिस्थित है। प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले अप्रमत्त साधकके द्वारा बाह्य हिंसा होनेपर भी वह अहिंसक है। अतः प्रभाव आस्रवका मुख्य द्वार है। इसीलिए भ० महावीरने बारबार गौतम गणधरको चेताया है कि "समर्थ गौतम मा पमादए ।" अर्थात् गौतम, किसी भी समय प्रभाव न करो।

कषाय—आत्माका स्वरूप स्वभावतः शान्त और निर्विकारी है। परन्तु क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाएँ आत्माको कम देनी हैं और इमे स्वरूपच्युत कर देती हैं। ये चारों आत्माकी विभाव दशाएँ हैं। क्रोधकषाय द्वेष रूप है यह द्वेषका कार्य और द्वेषको उत्पन्न करती है। मान यदि क्रोधको उत्पन्न करता है तो द्वेष रूप है। लोभ रागरूप है। माया यदि लोभको जागृत करती है तो रागरूप है। तात्पर्य यह कि राग, द्वेष, मोहकी दोषत्रिपुटीमें कषायका भाग ही मुख्य है। मोहरूप मिथ्यात्व दूर हो जानेपर भी सम्यग्दृष्टिको राग-द्वेष रूप कषायें बनी रहती हैं। जिसमें लोभ कषाय तो पदप्रतिष्ठा और बशोलिप्ताके रूपमें बड़े-बड़े मुनियोंको भी स्वरूपस्थित नहीं होने देती। यह रागद्वेष रूप द्वन्द्व ही समस्त अनर्थाका मूल हेतु है। यही प्रमुख आस्रव है। न्यायसूत्र, गीता और पात्कीपिटकोमें भी इसी द्वन्द्वको ही पापमूल बताया है। जैनशास्त्रोका प्रत्येक वाक्य कषायशमनका ही उपदेश देता है। इसीलिए जैनमूर्तियाँ वीतरागता और अकिञ्चनताकी प्रतीक होती हैं। उसमें न द्वेषका साधन आयुध है और न रागका आहार स्त्री आदिका साहचर्य ही। वे तो परम वीतरागता और अकिञ्चनताका पावन सन्देश देती हैं।

इन कषायोंके मित्राद्य-हास्य, रति, अरति, शोक, भव, जुगुप्सा (ज्वालि) स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद यो ९ नोकषायें हैं। इनके कारण भी आत्मामें विकार परिणत उत्पन्न होती है। अतः ये भी आस्रव हैं।

योग—मन, वचन और कायके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पन्द अर्थात् क्रिया होती है उसे योग कहते हैं। योगकी साधारण प्रसिद्धि चित्तवृत्तिनिरोध रूप ध्यानके अर्थमें है पर जैन परम्परामें बौद्धिक मन, वचन और कायसे होनेवाली आत्माकी क्रिया कर्मपरमाणुओंसे योग अर्थात् सम्बन्ध करानेमें कारण होती है अतः इसे योग कहते हैं और योगनिरोधको ध्यान कहते हैं। आत्मा सक्रिय है। उसके प्रदेशोंमें परिस्पन्द होता है। मन, वचन और कायके निमित्तसे सदा उसमें क्रिया होती रहती है। यह क्रिया जीवन्मुक्तको भी बराबर होती है। परमुक्तसे कुछ समय पहिले अयोगकेवली अवस्थामें मन, वचन, कायकी क्रियाका निरोध होता है और आत्मा निर्मल और निदल बन जाता है। सिद्ध अवस्थामें आत्माके पूर्ण शुद्धरूपका आविर्भाव होता है न उनमें कर्मजन्य मलिनता रहती और न योगजन्य चञ्चलता ही। प्रधानरूपसे आस्रव तो योग ही है। इसीके द्वारा कर्मोंका आगमन होता है। शुभ योग पुण्यकर्मका आस्रव कराता है तथा अशुभ योग पाप-कर्मके आस्रवका कारण होता है। सबका शुभचिन्तन तथा अहिंसक विचारधारा शुभ मनोयोग है। क्षिप्त चित्त प्रिय सम्भाषण शुभ वचनयोग है। परको बाधा न देनेवाली यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति शुभ कामयोग है। इस तरह इस आस्रव तत्त्वका ज्ञान मुमुक्षुको अवश्य ही होना चाहिए। साधारण रूपसे यह तो उसे ज्ञात कर ही लेना चाहिए कि हमारी अमुक प्रवृत्तियोसे शुभास्रव होता है और अमुक प्रवृत्तियोसे अशुभास्रव, तभी यह अनिष्ट प्रवृत्तियोसे अपनी रक्षा कर सकेगा।

सामान्यतया आस्रव दो प्रकारका होता है—एक तो कषायानुरजित योगसे होनेवाला साम्प्रतिक आस्रव जो बन्धका हेतु होकर संसारकी वृद्धि करता है तथा दूसरा केवल योगसे होनेवाला ईर्ष्यायुक्त आस्रव

जो कषाय न होनेसे आगे बन्धनका कारण नहीं होता। यह आस्रव जीवन्मुक्त महात्माओंके वर्तमान शरीर-सम्बन्ध तक होता रहता है। यह जीवस्वरूपका विघातक नहीं होता।

प्रथम साम्प्रदायिक आस्रव कषायानुरंजित योगसे होनेके कारण बन्धक होता है। कषाय और योग प्रवृत्ति शुभरूप भी होती है और अशुभरूप भी। अतः शुभ और अशुभ योगके अनुसार आस्रव भी शुभास्रव या पुण्यास्रव और अशुभास्रव अर्थात् पापास्रवके भेदसे दो प्रकारका हो जाता है। साधारणतया सातावेधनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पृथक् कर्म हैं और क्षेप ज्ञानावरण आदि घातिया और अधातियाँ कर्मप्रकृतियाँ पापरूप हैं। इस आस्रवमें कषायोंके तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, आधार और शक्ति आदिकी दृष्टिसे तारतम्य होता है। सरम्भ (सकल्प), सामारभ (सामग्री जुटना), आरम्भ (कार्यकी शुरुआत, कृत (स्वयं करना), कारित (दूसरोसे करना), अनुमत (कार्यकी अनुमोदना करना) मन, वचन, काय, योग और क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषायों परस्पर मिलकर ३ × ३ × ३ × ४ × १०८ प्रकारके हो जाते हैं। इनसे आस्रव होता है। आगे ज्ञानावरण आदि कर्मोंमें प्रत्येकके आस्रव कारण बताते हैं—

ज्ञानावरण, दर्शनावरण—ज्ञानी और दर्शनयुक्त पुरुषकी या ज्ञान और दर्शनकी प्रशंसा सुनकर भीतरों द्वेषवश उनकी प्रशंसा नहीं करना तथा मनमें दुष्टभावोका लाना (प्रदोष) ज्ञानका और ज्ञानके साधनोका अपलाप करना (निह्वं) योग्य पात्रको भी मात्सर्ववश ज्ञान नहीं देना, ज्ञानमें विघ्न डालना, दूसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानकी अविनय करना, ज्ञानका गुण कीर्तन न करना, सम्यग्ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहकर ज्ञानके नाशका अभिप्राय रखना आदि यदि ज्ञानके सम्बन्धमें है तो ज्ञानावरणके आस्रवके कारण होते हैं और यदि दर्शनके सम्बन्धमें है तो दर्शनावरणके आस्रवके कारण हो जाते हैं। इसी तरह आचार्य और उपाध्यायसे शत्रुता रखना, अकाल अध्ययन, अरुचिपूर्वक पढ़ना, पढ़नेमें आलस करना, व्याख्यानको अनादरपूर्वक सुनना, तीर्थोपरोध, बहुश्रुतके समक्ष भी ज्ञानका गर्व करना, मिथ्या उपदेश देकर दूसरेके मिथ्या ज्ञानमें कारण बनना, बहुश्रुतका अपमान करना, लोभादिबश तत्त्वज्ञानके पक्षका त्याग करके अनन्वज्ज्ञानीय पक्षको ग्रहण करना, असम्बद्ध प्रलाप, सूत्र विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानार्जन करना, शास्त्र विक्रय आदि जितने ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञानके साधनमें विघ्न और द्वेषोत्पादक भाव और क्रियाएँ होती हैं उन सबसे आत्मापर ऐसा संस्कार पड़ता है जो ज्ञानावरण कर्मके आस्रवका हेतु होता है।

देव, गुरु आदिके दर्शनमें मात्सर्य करना, दर्शनमें अन्तराय करना, किसीकी आँख फोड़ देना, इन्द्रियोका अभिमान करना, नेत्रोका अहंकार करना, दीर्घ निद्रा, अतिनिद्रा, आलस्य, सम्यग्दृष्टिमें दोषोद्भावन, कुशास्त्र प्रशंसा, गुरुजुगुप्सा आदि दर्शनके विघातक भाव और क्रियाएँ दर्शनावरणका आस्रव कराती हैं।

आसातावेदनीय—अपनेमें परमें और दोनोमें दुःख शोक आदि उत्पन्न करनेसे आसातावेदनीयका आस्रव होता है। स्व पर या उभयमें दुःख उत्पन्न करना, इष्टवियोगमें अत्यधिक विकल्पा और शोक करना, निन्दा, मानभंग या कर्कशवचन आदिसे भीतर ही भीतर त्रलना, परितापके कारण अश्रुपातपूर्वक बहु विलाप करना, छाती कूटकर या सिर फोड़कर आक्रन्दन करना, दुःखसे आँखें फोड़ लेना या आत्महत्या कर लेना, इस प्रकार रोना-बिल्लाना कि सुननेवाले भी रो पड़े, शोक आदिसे लघन करना, अशुभ प्रयोग, पर-निन्दा, पिशुनता, अदया, अण-उपागोका छेदन भेदन ताड़न, त्रास, अँगुली आदिसे तर्जन करना, वचनोंसे भर्त्सना करना, रोषण, वधन, दमन, आत्म प्रशंसा, क्लेशोत्पादन, बहुपरिग्रह, आकुलता, मन, वचन, कायकी कुटिलता, पाप कार्योंसे आजीविका करना, अनर्थादृष्ट, विषमिश्रण, बाण जाल पिंजरा आदिका बनाना इत्यादि

चितने कार्य स्वयं परमं या दौर्गमं बुद्ध आदिके उत्पादक है वे सब असातावेदनीय कर्मके आस्रवमें कारण होते हैं ।

सातावेदनीय—प्राणिमात्रपर दयाका भाव, मुनि और श्रावकके व्रत धारण करनेवाले व्रतियोंपर अनुकम्पाके भाव, परोपकारार्थ दान देना, प्राणिरक्षा, इन्द्रियजय, शान्ति अर्थात् क्रोध, मान, मायाका त्याग, शीघ्र अर्थात् लोभका त्याग, रागपूर्वक संयम धारण करना, अकामनिर्जरा अर्थात् शान्तिसे कर्मके फलका भोगना, कायक्लेश रूप कठिन बाह्यतप, अर्हत्पूजा आदि शुभ राग, मुनि आदिकी सेवा आदि स्व पर तथा उभयमें निराकुलता सुखके उत्पादक विचार और क्रियाएँ सातावेदनीयके आस्रवका कारण होती हैं ।

दर्शनमोहनीय—जीवन्मुक्त केवली शास्त्र संघ धर्म और देवोकी निन्दा करना, इनमें अवर्णवाद अर्थात् अविद्यमान दोषोंका कथन करना दर्शनमोहनीय अर्थात् मिथ्यात्व कर्मका आस्रव करता है । केवलो रो गी होते हैं, कवलाहारी होते हैं, नन्द रहते हैं पर बस्त्रयुक्त दिखाई देते हैं, इत्यादि केवलीका अवर्णवाद है । शास्त्रमें मासाहाय आदिका समर्थन करना श्रुतका अवर्णवाद है । शास्त्र मुनि आदि भलिन हैं, स्नान नहीं करते, कलिकालके साधु हैं इत्यादि सषका अवर्णवाद है । धर्म करना व्यर्थ है, अहिंसा कायरता है आदि धर्मका अवर्णवाद है । देव मद्यपायी और मासभक्षी होते हैं आदि देवोका अवर्णवाद है । साराश यह कि देव, गुरु, धर्म, सच और श्रुतके सम्बन्धमें अन्यथा विचार और मिथ्या धारणाएँ मिथ्यात्वको पोषण करती हैं और इससे दर्शनमोहका आस्रव होता है जिससे यथार्थ तत्त्वदर्शि नहीं हो पाती ।

चारित्रमोहनीय—स्वय और परमं कषाय उत्पन्न करना, व्रतशीलवान् पुरुषोंमें दूषण लगाना, धर्मका नाश करना, धर्ममें अन्तराय करना, देश संयमियोसे व्रत और शीलका त्याग कराना, मात्सर्यादिसे रहित सज्जन पुरुषोंमें मतिविध्वंस उत्पन्न करना, आर्त और रौद्र परिणाम आदि कषायकी तीव्रताके साधन कषाय चारित्रमोहनीयके आस्रवके कारण हैं । समीचीन धामिकोकी हँसी करना, दीनजनोंको देखकर हँसना, काम विकारके भावों पूर्वक हँसना, बहु प्रलाप तथा निरन्तर भाँडो जैसी हँसी प्रवृत्तिसे हास्य नोकषायका आस्रव होता है । नाना प्रकार क्रीडा, विचित्र क्रीडा, देशाधिके प्रति अनौत्सुक्य, व्रत शील आदिमें अशुचि आदि रति नोकषाय आस्रवके हेतु हैं । दूसरोंमें अरति उत्पन्न करना, रतिका विनाश करना, पापशीलजनोंका ससर्ग, पाप क्रियाओंको प्रोत्साहन देना आदि अरति नोकषायके आस्रवके कारण हैं । अपने और दूसरोंमें शोक उत्पन्न करना, शोकयुक्तका अभिनन्दन, शोकके वातारवणमें रुचि आदि शोक नोकषायके कारण हैं । स्व और परको भय उत्पन्न करना, निन्दयता, दूसरोंको प्राप्त देना, आदि भयके आस्रवके कारण हैं । पुण्य-क्रियाओंमें जुगुप्सा करना, पर निन्दा आदि जुगुप्साके आस्रवके कारण हैं । परस्त्रीगमन, स्त्रीके स्वरूपको धारण करना, असत्य वचन, परबञ्चना, परदोष दर्शन, बृद्ध होकर भी युवको जैसी प्रवृत्ति करना आदि स्त्रीवेदके आस्रवके हेतु हैं । अल्पक्रोध, मायाका अभाव, गर्वका अभाव, स्त्रियोंमें अल्प आसक्ति, ईर्ष्याका न होना, रागवर्षक वस्तुओंमें अनादर, स्वदारसन्तोष, परस्त्रीत्याग आदि पुत्रवेदके आस्रवके कारण हैं । प्रचुर कषाय, गुह्येन्द्रियोंका विनाश, परागनाका अपमान, स्त्री या पुरुषोंमें अनगक्रीडा, व्रतशीलयुक्त पुरुषोंको कष्ट उत्पन्न करना, तीव्रराग आदि नपुंसक वेदनीय नोकषायके आस्रवके हेतु हैं ।

नरकायु—बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह नरकायुका आस्रव कराते हैं । मिथ्यादर्शन, तीव्रराग, मिथ्याभाषण, परब्रह्महृषण, निःशीलता, तीव्र बैर, परोपकार न करना, यतिविरोध, शास्त्र विरोध, कृष्णलेख्या रूप अतितामसपरिणाम, विषयोंमें अतितृष्णा, रौद्र ध्यान, हिंसादि क्रूर कार्योंमें प्रवृत्ति, बाल बृद्ध स्त्री हत्या आदि क्रूरकर्म नरकायुके आस्रवके कारण होते हैं ।

तिर्यंचायु—छल कपट आदि मायाचार, मिथ्या अभिप्रायसे धर्मोपदेश देना, अधिक आरम्भ, अधिक परिग्रह, निःशीलता, परबन्धकता, नील लेख्या और कपोत लेख्या रूप तामस परिणाम । मरणकालमें अस्तीभ्यान, क्रूरकर्म, श्रेय करना, अनर्थाद्भावना, सोना-चादी आदिको खोटा करना, कृत्रिम चन्दनादि बनाना, जाति कुल शीलमें दूषण लगाना, सद्गुणोका लोप, दोष दर्शन आदि पाषाण भाव तिर्यंचायुके आस्रवके कारण होते हैं ।

मनुष्यायु—अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रह, विनय, भद्र स्वभाव, निष्कपट व्यवहार, अल्पकषाय, मरण-कालमें संकलेश न होना, मिथ्यात्वी व्यक्तियों में भी नम्रभाव, सुखबोधयता, अहिंसकभाव, अल्पक्रोध, दोषरहितता, क्रूरकर्मोंमें अरुचि, अतिविस्वागततत्परता, मधुर वचन, जगत्में अल्प आसक्ति, अनसूया, अस्पर्सकलेश, गुरु आदिकी पूजा, कापोत और पीतलेख्याके राजस और अल्प सात्त्विक भाव, निराकुलता आदि मानवभाव मनुष्यायुके आस्रवके कारण होते हैं । स्वाभाविक मृदुता और निरभिमान वृत्ति मनुष्यायुके आस्रवके असा-धारण हेतु हैं ।

देवायु—सराग समय अर्थात् अभ्युदयकी कामना रहते हुए समय धारण करना, श्रावकके व्रत, समता पूर्वक कर्मोका फल भोगनारूप अकामनिर्जरा, सन्यासी, एकदण्डी, त्रिदण्डी, परमहंस आदि तापसोका बालतप और सम्यक्त्व आदि सात्त्विक परिणाम देवायुके कारण होते हैं ।

नाम कर्म—मन वचन, कायकी कुटिलता, विस्वादान अर्थात् श्रेयोमार्गमें अश्रद्धा उत्पन्न करके उससे प्युत करना, मिथ्यादर्शन, पैशुन्य, अस्थिरचित्तता, झूठे बाँट तराजू गज आदि रखना, मिथ्या साक्षी देना, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, परद्रव्य ग्रहण, असत्यभाषण, अधिक परिग्रह, सदा विलासीवेश धारण करना, रूपमद, कठोरभाषण, असम्य भाषण, आक्रोश, जान बूझकर छील छबीला वेश धारण करना, वशीकरण वृण आदिका प्रयोग, मन्त्र आदिके प्रयोगसे दूसरोंमें कुतूहल उत्पन्न करना, देवगुरु पूजाके बहाने गन्ध माला धूप आदि लाकर अपने रागकी पुष्टि करना, पर विडम्बना, परोपहास, हँटीके भट्टे लगाना, दावानल प्रज्वलित कराना, प्रतिमा तोडना, मन्दिर च्वंस, उद्यान उजाडना, तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, पापजीविका आदि कार्योंसे अशुभ शरीर आदिके उत्पादक अशुभ नामकर्मका आस्रव होता है ।

इनसे विपरीत मन, वचन, कायकी सरलता, ऋजु प्रवृत्ति आदिसे सुन्दर शरीरोत्पादक शुभनाम कर्मका आस्रव होता है ।

तीर्थंकर नाम—निर्मल सम्यग्दर्शन, जगद्धितैषिता, जगत्के तारनेकी प्रकृष्ट भावना, विनयसम्पन्नता, निरतिचार शीलव्रतपालन, निरन्तर ज्ञानोपयोग, संसार दुःखभोक्ता, यथाशक्ति तप, यथाशक्ति त्याग, समाधि, साधु सेवा, अर्हन्त आचार्य बहुश्रुत और प्रवचनमें भक्ति, आवश्यक क्रियाओंमें सश्रद्ध निरालस्य प्रवृत्ति, शासन प्रभावना, प्रवचन वास्तव्य आदि सोलह भावनाएँ जगदुद्धारक तीर्थंकर प्रकृतिके आव्रवका कारण होती हैं । इनमें सम्यग्दर्शनके साथ होनेवाली जगदुद्धारकी तीव्र भावना ही मुख्य है ।

नीचगोत्र—परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, परगुणविलोप, अपनेमें अविद्यमान गुणोका प्रख्यापन, जाति-मद, कुलमद, बलमद, रूपमद, श्रुतमद, ज्ञानमद, ऐश्वर्यमद, तपोमद, परापमान, परहास्यकरण, परपरि-बाधन, गुहतिरस्कार, गुरुओंसे टकराकर चलना, गुरु दोषोद्भावना, गुरु विभेदन, गुरुओंको स्थान न देना, भस्त्रना करना, स्तुति न करना, विनय न करना, उनका अपमान करना, आदि नीचगोत्रके आस्रवके कारण है ।

उच्चगोत्र—पर प्रशंसा, आत्मनिन्दा, पर सद्गुणोद्भावना, स्वसद्गुणाच्छादन, नीचवृत्ति—नम्रभाव,

निर्मल भाव रूप अनुत्प्रेक, परका अपमान, हास परिहास न करना, मृदुभाषण आदि उच्चगोत्रके आश्रयके कारण होते हैं।

अन्तराय—दूसरोंके दान, लाभ, भोग, उपभोग और भीषमें विघ्न करना, दानकी निन्दा करना, देवब्रह्मका भक्षण, परवीरपिहरण, धर्मोच्छेद, अवर्माचरण, परनिरोध, बन्धन, कर्णछेदन, गुहाछेदन, इन्द्रिय विनाश आदि विघ्नकारक विचार और क्रियाएँ अन्तराय कर्मका आश्रय करती हैं।

सारांश यह कि इन भावोंसे उन उन कर्मोंको स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध विशेष रूपसे होता है। वैसे आयुके सिवाय अन्य सात कर्मोंका आश्रय न्यूनाधिक भावसे प्रतिसमय होता रहता है। आयुका आश्रय आयुके विभागमें होता है।

मोक्ष—बन्धनमुक्तिको मोक्ष कहते हैं। बन्धके कारणोंका अभाव होनेपर तथा संचित कर्मोंकी निर्जरा होनेपर समस्त कर्मोंका सकल उच्छेद होना मोक्ष है। आत्माकी वैभाविकी शक्तिका ससार अवस्थामें विभाव परिणमन हो रहा था। विभाव परिणमनके निमित्त हट जानेसे मोक्षदशामें उसका स्वभाव परिणमन हो जाता है। जो आत्माके गुण विकृत हो रहे थे वे ही स्वाभाविक दशामें आ जाते हैं। मिथ्यादर्शन सम्म्यग्दर्शन बन जाता है, अज्ञान ज्ञान और अचारित्र चारित्र। तात्पर्य यह कि आत्माका सारा नक्शा ही बदल जाता है। जो आत्मा मिथ्यादर्शनादि रूपसे अनादिकालसे अशुद्धिका पुंज बना हुआ था वही निर्मल निश्चल और अनन्त चैतन्यमय हो जाता है। उसका आगे सदा शुद्ध परिणमन ही होता है। वह चैतन्य निर्विकल्प है। वह निस्तरंग समुद्रकी तरह निर्विकल्प निश्चल और निर्मल है। न तो निर्वाण दशामें आत्माका अभाव होता है और न वह अचेतन ही हो जाता है। जब आत्मा एक स्वतन्त्र मौलिक ब्रह्म है तब उसका अभाव ही ही नहीं सकता। उसमें परिवर्तन कितने ही हो जायें पर अभाव नहीं हो सकता। किसीकी भी यह सामर्थ्य नहीं जो जगत्के किसी भी एक सत्का समूल उच्छेद कर सके।

बुद्धसे जब प्रश्न किया गया कि—‘मरनेके बाद तयागत होते हैं या नहीं तो उनसे इस प्रश्नको अव्याकृत कोटिमें शल दिया था। यही कारण हुआ कि बुद्धके शिष्योंने निर्वाणके विषयमें दो तरहकी कल्पनाएँ कर डाली। एक निर्वाण वह जिसमें चित्त सन्तति निरास्रव हो जाती है और दूसरा निर्वाण वह जिसमें दीपकके समान चित्त सन्तति भी बुझ जाती है अर्थात् उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा और संस्कार इन पाँच स्कन्ध रूप ही आत्माको माननेका यह सहज परिणाम था कि निर्वाण दशामें उसका अस्तित्व न रहे। आश्चर्य है कि बुद्ध निर्वाण और आत्माके परलोकगामित्वका निर्णय बताए बिना कही दुःख निवृत्तिके उपदेशके सर्वांगीण औचित्यका समर्थन करते रहे। यदि निर्वाणमें चित्तसन्ततिका निरोध हो जाता है, वह दीपककी तरह बुझ जाती है अर्थात् अस्तित्वहीन हो जाती है तो उच्छेदवादके दोषसे बुद्ध कैसे बचे? आत्माके नास्तित्वसे इनकार तो इसी भयसे करते थे कि यदि आत्माको नास्ति कहते हैं तो उच्छेदवादका प्रसंग आता है और अस्ति कहते हैं तो शाश्वतवादका प्रसंग आता है। निर्वाणभावस्थामें उच्छेद मानने और मरणके बाद उच्छेद माननेमें तत्त्वदृष्टिसे कोई विशेष अन्तर नहीं है। बल्कि चार्वाकका सहज उच्छेद सबको सुकर क्या अयलसाध्य होनेसे सहजग्राह्य होगा और बुद्धका निर्वाणोत्तर उच्छेद अनेक प्रकारके ब्रह्मचर्यवास ध्यान आदिसे साध्य होनेके कारण दुर्ग्राह्य होगा। अतः मोक्ष अवस्थामें बुद्ध चित्त सन्ततिकी सत्ता मानना ही उचित है।

मोक्षके कारण—१ संवर—संवर रोकनेको कहते हैं। सुरलाका नाम संवर है। जिन द्वारोंसे कर्मोंका आश्रय होना था उन द्वारोंका, निरोध कर देना संवर कहलसता है। आश्रयका मूल कारण योग है। अतः

योगनिवृत्ति ही मूलतः संवरके पदपर प्रतिष्ठित हो सकती है। पर, मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको संबधा रोकना संभव नहीं है। शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए आहार करना, मलमूत्रका विसर्जन करना चलना फिरना, बोलना, रखना, उठाना आदि क्रियाएँ करनी ही पडती हैं। अतः जितने अंशोंमें मन, वचन, कायकी क्रियाओंका निरोध है उतने अंशको गुप्ति कहते हैं। गुप्ति अर्थात् रखा। मन, वचन और कायकी अकुशल प्रवृत्तियोंसे रखा करना। यह गुप्ति ही संवरका प्रमुख कारण है। गुप्तिके अतिरिक्त समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र्य आदिसे संवर होता है। समिति आदिमें जितना निवृत्तिका भाग है उतना संवरका कारण होता है और प्रवृत्तिका अशुभभावका हेतु होता है।

समिति—सम्यक् प्रवृत्ति, सावधानीसे कार्य करना। ईर्ष्या समिति—देखकर चलना। भाषा समिति—द्विजित मिल प्रिय वचन बोलना। एषणा समिति—विषयपूर्वक निर्दोष आहार लेना। आदान-निक्षेपण समिति—देख शोधकर किसी भी वस्तुका रखना उठाना। उत्सर्ग समिति—निर्जन्तु स्थानपर मलमूत्रका विसर्जन करना।

धर्म—आत्मस्वरूपमें धारण करानेवाले विचार और प्रवृत्तियाँ धर्म हैं। उत्तम क्षमा—क्रोधका त्याग करना। क्रोधके कारण उपस्थित होनेपर भी विवेकवारिसे उन्हें शान्त करना। कायरता दोष है और क्षमा गुण। जो क्षमा आत्मामें दीनता उत्पन्न करे वह धर्म नहीं। उत्तम मार्दव—मुहुता, कोमलता, विनयभाव, मानका त्याग। ज्ञान पूजा कुल जाति बल ऋद्धि तप और शरीर आदिकी किंचित् विशिष्टताके कारण आत्मस्वरूपको न भूलना, इनका अहंकार न करना। अहंकार दोष है, स्वमान गुण है। उत्तम आर्जव—ऋजुता, सरलता, मन वचन कायमें कुटिलता न होकर सरलभाव होना। जो मनमें हो, तदनुसारी ही वचन और जीवन व्यवहारका होना। मायाका त्याग-सरलता गुण है। भोदूपन दोष है। उत्तम शौच—शुचिता, पवित्रता, निर्लोभ वृत्ति, प्रलोभनमें नहीं फँसना। लोभ कषायका त्यागकर मनमें पवित्रता लाना। शौच गुण है पर बाह्य सोला और चौकापन्य आदिके कारण छू-छू करके दूसरोसे घृणा करना दोष है। उत्तम सत्य—प्रामाणिकता, विश्वास परिपालन, तथ्य स्पष्ट भाषण। सच बोलना धर्म है परन्तु परनिन्द्याके लिए दूसरोके दोषोका बिडोरा पीटना दोष है। पर बाधाकारी सत्य भी दोष हो सकता है। उत्तम संयम—इन्द्रिय विजय, प्राणि रक्षण। पाँचो इन्द्रियोंकी विषय प्रवृत्तिपर अकुश रखना, निरर्गल प्रवृत्तिको रोकना, वश्येन्द्रिय होना। प्राणियोंकी रक्षाका ध्यान रखते हुए खान-पान जीवन व्यवहारको अहिंसाकी भूमिकापर चलाना। संयम गुण है पर भावशून्य बाह्य-क्रियाकाण्डमेका अत्यधिक आग्रह दोष है। उत्तम तप—इच्छानिरोध। मनकी आशा तृष्णाओंको रोककर प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य (सेवाभाव) स्वाध्याय और व्युत्सर्ग (परिग्रह-त्याग) में चित्तवृत्ति लगाना। ध्यान—चित्तकी एकाग्रता। उपवास, एकाशन, रमत्याग, एकान्तसेवन, मीन, शरीरको सुकुमार न होने देना आदि बाह्यतप हैं। इच्छानिवृत्ति रूप तप गुण है और मात्र बाह्य कायक्लेश, पंचानि तपना, हठयोगी कठिन क्रियायें बालतप हैं। उत्तमत्याग—दान देना, त्यागकी भूमिकापर जाना। शक्यनुसार भूखोको भोजन, रोगीको औषधि, अज्ञाननिवृत्तिके लिए ज्ञानके साधन जुटाना और प्राणिमात्रको अभय देना। समाज और देशके निर्माणके लिए तन धन आदि साधनोका त्याग। लाभ पूजा नाम आदिके लिए किया जानेवाला दान उत्तम दान नहीं है। उत्तम आर्किचन्य—अकिञ्चनभाव, बाह्यपदार्थोंमें ममत्व भावका त्याग। धन-धान्य आदि बाह्यपरिग्रह तथा शरीरमें 'यह मेरा स्वरूप नहीं है, आत्माका धन तो उसका शुद्ध चैतन्यरूप है' 'नास्तिमे किञ्चन'—मेरा कुछ नहीं है आदि भावनाएँ आकिञ्चन्य हैं। कर्तव्यनिष्ठ रहकर भौतिकतासे दृष्टि हटाकर विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करना। उत्तम ब्रह्मचर्य—ब्रह्म अर्थात् आत्मस्वरूपमें विचरण करना। स्त्रीसुखसे विरक्त होकर समस्त शारीरिक मानसिक आत्मिक शक्तिबोको

आत्मविकासोन्मुख करना। मनःशुद्धिके बिना केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य न ही शरीरको ही लाभ पहुँचाता है और न मन और आत्मा में ही पवित्रता लता है।

अनुप्रेक्षा—सद्भावनाएँ आत्मविचार। ऐसी भावनाओंको सदा चित्तमें भाते रहना चाहिये। इन विचारोंसे सुमंस्कृत चित्त समय आनेपर विचलित नहीं हो सकता, नमी इन्द्रियों समताभाव रख सकता है और कर्मोंके आस्रवको रोककर संवरकी ओर ले जा सकता है।

परीषहजय—साधकको भूख प्यास ठंड गरमी बरसात हास मच्छर चलने फिरने सोनेमें आनेवाली कंकड़ आदि बाधाएँ, वध आक्रोश मल रोग आदिकी बाधाओंको शान्तिसे सहना चाहिए। नग्न रहते हुए भी स्त्री आदिको देखकर अविकृत बने रहना चाहिए। चिरतपस्या करनेपर भी यदि कोई ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त न हो तो भी तपस्याके प्रति अनादर नहीं होना चाहिए। कोई सत्कार-पुरस्कार करे तो हर्ष न करे तो खेद नहीं करना चाहिए। यदि तपस्यासे कोई विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो अहंकार और प्राप्त न हुआ हो तो खेद नहीं करना चाहिए। भिक्षाभूषितसे भोजन करते हुए भी दीनताका भाव आत्मासे नहीं आने देना चाहिए। इस तरह परीषहजयसे चारित्र्यमे दृढ़ निष्ठा होती है और इससे आस्रव रुककर संवर होता है।

चारित्र्य—चारित्र्य अनेक प्रकारका है। इसमें पूर्ण चारित्र्य मुनियोंका होता है तथा देशचारित्र्य श्रावकोंका। मुनि अहिंसा, सत्य, अचोर्ष, ब्रह्मचर्य और अर्परिग्रह इन त्रयोंका पूर्णरूपमें पालन करता है तथा श्रावक इनको एक अंशसे। मुनियोंके महाव्रत होते हैं तथा श्रावकोंके अणुव्रत। इनके सिवाय सामायिक आदि चारित्र्य भी होते हैं। सामायिक—समस्त पापक्रियाओंका त्याग, समताभावकी आराधना। छेदोपस्थापना—यदि क्रमसे दूषण आ गया हो तो फिरसे उसमें स्थिर होना। परिहारविशुद्धि—इस चारित्र्यवाले व्यक्तिके शरीरमें इतना हलकापन आ जाता है जो सर्वत्र गमन करते हुए भी इसके शरीरसे हिंसा नहीं होती। सूक्ष्मसाम्पराय—अन्य सब कर्मायोंका उपशम या अर्थ होनेपर जिसके मात्र सूक्ष्म लोभकषाय रह जाती है उसके सूक्ष्मसाम्परायचारित्र्य होता है। यथाख्यातचारित्र्य—जीवन्मुक्त व्यक्तिके समस्त कर्मायोंके क्षय होनेपर होता है। जैसा आत्माका स्वरूप है वैसा ही उसका प्राप्त हो जाना यथाख्यात है। इस तरह गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र्य आदिकी किलेबन्दी होनेपर कर्मशत्रुके प्रवेशका कोई अवसर नहीं रहता और पूर्णसंवर हो जाता है।

निर्जरा—गुप्ति आदिसे सर्वतः संवृत व्यक्ति आगामी कर्मोंके आस्रवको तो रोक ही देता है साथ ही साथ पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा करके क्रमशः मोक्षको प्राप्त करता है। निर्जरा झड़नेको कहते हैं। यह दो प्रकारकी होती है—(१) औपक्रमिक या अविपाक निर्जरा (२) अनौपक्रमिक या सविपाक निर्जरा। तप आदि साधनाओंके द्वारा कर्मोंको बलात् उदयमे लाकर बिना फल दिये ही झडा देना अविपाक निर्जरा है। स्वाभाविक क्रमसे प्रति समय कर्मोंका फल देकर झडा जाना सविपाक निर्जरा है। यह सविपाक निर्जरा ऋद्धि-समय हार एक प्राणीके होती ही रहती है और नूतन कर्म बँधते जाते हैं। गुप्ति, समिति और सासकर तपस्वी अग्निके द्वारा कर्मोंको उदयकालके पहिले ही भस्म कर देना अविपाक निर्जरा या औपक्रमिक निर्जरा है। सम्यग्दृष्टि, श्रावक, मुनि, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेवाला, दर्शनमोहका क्षय करनेवाला, उपशान्तमोह गुणस्वानवाका, क्षापकश्रेणीवाले, क्षीणमोही और जीवन्मुक्त व्यक्ति क्रमशः असख्यातगुणी कर्मोंकी निर्जरा करते हैं। 'कर्मोंकी गति टल नहीं सकती' यह एकान्त मंत्री है। यदि आत्मामें पुरुषार्थ हो और वह संशयों करे तो समस्त कर्मोंको अन्तर्मुहूर्तमें ही नष्ट कर सकता है। "नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशास्ते-र्षिणि"। अर्थात् एकदो कल्पकाल बीत जानेपर भी बिना भोगे कर्मोंका क्षय नहीं हो सकता—यह मत जैनोंको

वाच्य नहीं। जैन ती यह कहते हैं कि “ध्यानाग्नि सर्वकर्मणि भस्मसात्कुरुते क्षणात्।” अर्थात् ध्यान-रूपी अग्नि सभी कर्मोंको क्षण भरमें भस्म कर सकती है। ऐसे अनेक दृष्टान्त मौजूब हैं—जिनमें अपनी प्राम्सावनाका इतना बल प्राप्त कर लिया था कि साधुदीक्षा लेते ही उन्हें कैवल्य लाभ हो गया। पुरानी बासनाओंको और राग, द्वेष आदि कुसंस्कारोंको नष्ट करनेका एकमात्र मुख्य साधन है ध्यान अर्थात् चित्त-वृत्तियोंका निरोध करके उसे एकाग्र करना।

इस प्रकार भगवान् महावीरने बन्ध (दुःख) बन्धके कारण (आश्रय) मोक्ष और मोक्षके कारण-संबंध, निर्जरा इन पाँच तत्त्वोंके साथ ही साथ आत्मतत्त्वके ज्ञानकी भी खास आवश्यकता बताई जिसे बन्धन और मोक्ष होता है तथा उस अजीब तत्त्वके ज्ञानकी जिसके कारण अनादिसे यह जीव बन्धनबद्ध हो रहा है।

मोक्षके साधन—वैदिक संस्कृति विचार या ज्ञानसे मोक्ष मानती है जब कि श्रमण मस्कृति आचार अर्थात् चारित्रिको मोक्षका साधन स्वीकार करती है। यद्यपि वैदिक संस्कृतिमें तत्त्वज्ञानके साथ ही साथ वैराग्य और संन्यासको भी मुक्तिका अंग माना है पर वैराग्य आदिका उपयोग तत्त्वज्ञानकी पुष्टिमें होता है अर्थात् वैराग्यसे तत्त्वज्ञान परिपूर्ण होता है और फिर मुक्ति। जैन तीर्थंकरोंने “सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः” (तत्त्वार्थसूत्र १।१) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्रको मोक्षका मार्ग कहा है। ऐसा सम्यग्ज्ञान जो सम्यक्चरित्रका पोषक या वर्द्धक नहीं है मोक्षका साधन नहीं हो सकता। जो ज्ञान जीवनमें उतरकर आत्मबोधन करे वही मोक्षका कारण है। अन्ततः सच्ची श्रद्धा और ज्ञानका फल चारित्रशुद्धि है। ज्ञान थोडा भी हो पर यदि उसने जीवनशुद्धिमें प्रेरणा दी है तो वह सम्यग्ज्ञान है। अहिंसा, सयम और तप साधनात्मक वस्तुएँ हैं, ज्ञानात्मक नहीं। अतः जैनसंस्कृतिने कोरे ज्ञानको भार ही बताया है। तत्त्वोंकी सच्ची श्रद्धा खासकर धर्मकी श्रद्धा मोक्ष-प्रासादका प्रथम सोपान है। आत्मधर्म अर्थात् आत्मस्वभावका और आत्मा तथा शरीरादि परपदार्थका स्वरूपज्ञान होना—इनमें भेदविज्ञान होना ही सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन अर्थात् आत्मस्वरूपका स्पष्ट दर्शन, अपने लक्ष्य और कल्याण-मार्गकी दृढ़ प्रतीति। भय, आशा, स्नेह और लोभादि किसी भी कारणसे जो श्रद्धा चल और मलिन न हो सके, कोई साथ दे या न दे पर भीतरसे जिसके प्रति जीवनकी भी बाजी लगानेवाला परमावगाढ़ सकल्प हो वह जीवन्त श्रद्धा सम्यग्दर्शन है। इस ज्योति-के जगते ही साधकको अपने तत्त्वका स्पष्ट दर्शन होने लगता है। उसे स्वानुभूति—अर्थात् आत्मानुभव प्रतिक्षण होता है। वह समझता है कि धर्म आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें है, बाह्य पदार्थाश्रित क्रियाकारणमें नहीं। इसी-लिए उसकी परिणति एक बिलक्षण प्रकारकी हो जाती है। उसे आत्मकल्याण, मानवजातिका कल्याण, देश और समाजके कल्याणके मार्गका स्पष्ट भान ही जाता है। अपने आत्मासे भिन्न किसी भी परपदार्थकी अपेक्षा ही दुःखका कारण है। सुख स्वाधीन वृत्तिमें है। अहिंसा भी अन्ततः यही है कि हमारा परपदार्थसे स्वाध-साधनका भाव कम हो। जैसे स्वयं जीवित रहनेकी इच्छा है उसी तरह प्राणिमात्रका भी जीवित रहनेका अधिकार स्वीकार करें।

स्वरूपज्ञान और स्वाधिकार मर्यादाका ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा सम्यग्दर्शन है और तद्रूप होनेके यावत् प्रयत्न सम्यक्चरित्र है। यथा—प्रत्येक आत्मा चैतन्यका धनी है। प्रतिक्षण पर्याय बदलते हुए भी उसकी अविच्छिन्न धारा अनन्तकाल तक चलती रहेगी। उसका कभी ममूल नाश न होगा। एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यपर कोई अधिकार नहीं है। रागादि कषायों और बासनाएँ आत्माका निजरूप नहीं हैं, विकारभाव हैं। शरीर भी पर है। हमारा स्वरूप तो चैतन्यमात्र है। हमारा अधिकार अपनी गुणपर्यायोंपर है। अपने विचार और अपनी क्रियाओंको हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। दूसरेको बनाना बिगाड़ना

हमारा स्वाभाविक अधिकार नहीं है। यह अवश्य है कि दूसरा हमारे बनने बिगड़नेमें निमित्त होता है पर निमित्त उपादानकी योग्यताका ही विकास करता है। यदि उपादान कमजोर है तो निमित्तके द्वारा अत्यधिक प्रभावित हो सकता। अतः बनना बिगड़ना बहुत कुछ अपने भीतरी योग्यतापर ही निर्भर है। इस तरह अपने आत्माके स्वरूप और स्वाधिकारपर अटल श्रद्धा होना और आचार व्यवहारमें इसका उल्लंघन न करनेकी दृढ़ प्रतीति होना सम्यग्दर्शन है।

सम्यग्दर्शनका सम्यग्दर्शन

सम्यग्दर्शनका अर्थ मात्र यथार्थ देखना या वास्तविक पहिचान ही नहीं है, किन्तु उस दर्शनके पीछे होनेवाली दृढ़ प्रतीति, जीवन्त श्रद्धा और उसको कायम रखनेके लिए प्राणोंकी भी बाजी लगा देनेका अटूट विश्वास ही वस्तुतः सम्यग्दर्शनका स्वरूपार्थ है।

सम्यग्दर्शनमें दो शब्द हैं सम्यक् और दर्शन। सम्यक् शब्द सापेक्ष है, उसमें विवाद हो सकता है। एक मत जिसे सम्यक् समझता है दूसरा मत उसे सम्यक् नहीं मानकर मिथ्या मानता है। एक ही वस्तु परिस्थिति विशेषमें एकको सम्यक् और दूसरोको मिथ्या ही सकती है। दर्शनका अर्थ देखना या निश्चय करना है। हममें भी भ्रान्तिकी सम्भावना है। सभी मत अपने-अपने धर्मको दर्शन अर्थात् मालात्कार किया हुआ बताते हैं, अतः कौन सम्यक् और कौन असम्यक् तथा कौन दर्शन और कौन जड़दर्शन ये प्रश्न मानव भस्तिष्कको आन्दोलित करने रहते हैं। इन्हीं प्रश्नोंके समाधानमें जीवनका स्रष्टा क्या है? धर्मकी आवश्यकता क्यों है? आदि प्रश्नोंका समाधान निहित है।

सम्यक्दर्शन एक क्रियात्मक शब्द है, अर्थात् सम्यक्-अच्छी तरह दर्शन-देखना। प्रश्न यह है कि— 'क्यों देखना, किसको देखना और कैसे देखना।' 'क्यों देखना' तो इसलिए कि मनुष्य स्वभावतः मननशील और दर्शनशील प्राणी होने है। उनका मन यह तो विचारता ही है कि—यह जीवन क्या है? क्या जन्मसे मरण तक ही इसकी धारा है या आगे भी? जिन्दगी भर जो अनेक द्वन्द्वों और संघर्षोंसे जूझना है वह किस-लिए? अतः जब इसका स्वभाव ही मननशील है तथा संसारमें सैकड़ों मत प्रचारक मनुष्योंके बलात् वस्तु-स्वरूप बिसाते हुए चारों ओर घूम रहे हैं, 'धर्म डूबा, सस्कृति डूबी, धर्मकी रक्षा करो, सस्कृतिको बचाओ' आदि धर्म प्रचारकोंके नारे मनुष्योंके कानके पर्व फाड़ रहे हैं तब मनुष्यको न चाहनेपर भी देखना तो पड़ेगा ही। यह तो करीब-करीब निश्चित ही है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने लिए ही सब कुछ करता है, उसे सर्वप्रिय वस्तु अपनी ही आत्मा है। उपनिषदोंमें आता है कि "आत्मनो वै कामाय सर्वं प्रियं भवति।" कुटुम्ब स्त्री पुत्र तथा शरीरका भी ग्रहण अपनी आत्माकी तुष्टिके लिए किया जाता है। अतः 'किसको देखना' इस प्रश्नका उत्तर है कि सर्वप्रथम उस आत्माको ही देखना चाहिए जिसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है, और जिसके न रहनेपर यह सब कुछ व्यर्थ है, वही आत्मा द्रष्टव्य है, उसीका सम्यक्दर्शन हमें करना चाहिए। 'कैसे देखना' इस प्रश्नका उत्तर धर्म और सम्यग्दर्शनका निरूपण है।

जैनाचार्योंने 'वस्तुस्वभावो धर्मो' यह धर्मकी अन्तिम परिभाषा की है। प्रत्येक वस्तुका अपना निज स्वभाव ही धर्म है तथा स्वभावसे अज्ञान होना अधर्म है। मनुष्यका मनुष्य रहना धर्म है पशु बनना अधर्म है। आत्मा जब तक अपने स्वरूपमें है धर्मात्मा है, जहाँ स्वरूपसे अज्ञान हुआ अधर्मात्मा बना। अतः जब स्वरूपस्थिति ही धर्म है तब धर्मके लिए भी स्वरूपका ज्ञान नितांत आवश्यक है। यह भी ज्ञान चाहिए कि आत्मा स्वरूपअज्ञान क्यों होता है? यद्यपि जलका गरम होना उसकी स्वरूपअज्ञान है, एवावस्था वह अधर्म है पर जल बुँक जड़ है, अतः उसे यह ज्ञान ही नहीं होता कि जेरा स्वरूप नष्ट ही गया

है। जैन तत्त्वज्ञान तो यह कहता है कि जिस प्रकार अपने स्वरूपसे ध्युत होना अधर्म है उसी प्रकार दूसरेको स्वरूपसे ध्युत करना भी अधर्म है। स्वयं क्रोध करके शान्तस्वरूपसे ध्युत होना जितना अधर्म है उतना ही दूसरेके शान्तस्वरूपमें विघ्न करके उसे स्वरूपध्युत करना भी अधर्म है। अतः ऐसी प्रत्येक विचारधारा, बधनप्रयोग और शारीरिक प्रवृत्ति अधर्म है जो अपनेको स्वरूपध्युत करती हो या दूसरेकी स्वरूपध्युतिका कारण होती हो।

आत्माके स्वरूपध्युत होनेका मुख्य कारण है—स्वरूप और स्वाधिकारकी भ्रमादाका अज्ञान। संसारमें अनन्त अचेतन और अनन्त चेतन द्रव्य अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। प्रत्येक अपने स्वरूपमें परिपूर्ण है। इन सबका परिणामन मूलतः अपने उपादानके अनुसार होकर भी दूसरेके निमित्तसे प्रभावित होता है। अनन्त अचेतन द्रव्योका यद्यपि समोद्योगके आधारसे स्वरसतः परिणमन होता रहता है। पर जब होनेके कारण उनमें बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं हो सकती। जैसी-जैसी सामग्री जुटती जाती है वैसा-वैसा उनका परिणमन होता रहता है। मिट्टीमें यदि बिष पड़ जाय तो उसका विषरूप परिणमन हो जायगा यदि क्षार पड़ जाय तो क्षारा परिणमन हो जायगा। चेतन द्रव्य ही ऐसे है जिनमें बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति होती है। ये अपनी प्रवृत्ति तो बुद्धिपूर्वक करते ही हैं साथ ही साथ अपनी बुद्धिके अनधिकार उपयोगके कारण दूसरे द्रव्योको अपने अधीन करनेकी कृच्छेत्ता भी करते हैं। यह सही है कि जबतक आत्मा अशुद्ध या शरीर परतन्त्र है तब तक उसे परपदाद्योकी आवश्यकता होगी और वह परपदाद्योके बिना जीवित भी नहीं रह सकता। पर इस अनिवार्य स्थितिमें भी उसे यह सम्यक्दर्शन तो होना ही चाहिए कि—‘यद्यपि आज मेरी अशुद्ध दशाम शरीरादिके परतन्त्र होनेके कारण नितान्त परवश स्थिति है और इसके लिए यत्किञ्चित् परमग्रह आवश्यक है पर मेरा निमग्न परद्रव्योपर कोई अधिकार नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपना-अपना स्वामी है।’ इस परम व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी उद्घोषणा जैनतत्त्वज्ञानियोंने अत्यन्त निर्भयतासे की है। और इसके पीछे हजारों राजकुमार राजपाट छोड़कर इस व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी उपासनामें लगे आये हैं। यही सम्यग्दर्शनकी ज्योति है।

प्रत्येक आत्मा अपनी तरह जगत्में विद्यमान अनन्त आत्माओका भी यदि समान-आत्माधिकार स्वीकार कर ले और अचेतन द्रव्योके संग्रह या परिग्रहकी पाप और अनधिकार चेष्टा मान ले तो जगत्में युद्ध सधर्व हिसा द्वेष आदि क्यों हो ? आत्माके स्वरूपध्युत होनेका मुख्य कारण है परमग्रहाभिलाषा और परपरिग्रहेच्छा। प्रत्येक मिथ्यादर्शो आत्मा यह चाहता है कि ससारके समस्त जीवधारी उसके इशारेपर चलें, उसके अधीन रहे, उसकी उच्चता स्वीकार करे। इसी व्यक्तिगत अनधिकार चेष्टाके फलस्वरूप जगत्में जाति वर्ण रंग आदिप्रयुक्त वैषम्यकी सृष्टि हुई है। एक जातिमें उच्चत्वका अभिमान होनेपर उसने दूसरी जातियोको नीचा रखनेका प्रयत्न किया। मानवजातिके काफी बड़े भागको अस्पृश्य घोषित किया गया। गोरदगडालोकी शासक जाति बनी। इस जाति वर्ण और रंगके आधारसे गुट बने और इन गिरोहोंने अपने वर्गकी उच्चता और लिप्साकी पुष्टिके लिए दूसरे मनुष्योंपर अवर्णनीय अत्याचार किए। स्त्रीभात्र भोगकी वस्तु रही। स्त्री और शूद्रका दर्जा अत्यन्त पतित समझा गया। जैन तीर्थंकरोंने इन अनधिकार चेष्टाको मिथ्यादर्शन कहा और बताया कि इस अनधिकार चेष्टाको समाप्त किये बिना सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः मूलतः सम्यग्दर्शन-आत्मस्वरूपदर्शन और आत्माधिकारके ज्ञानमें ही परितमाम्त है। शास्त्रोंमें इसका ही स्वानुभव, स्वानुभूति, स्वरूपानुभव जैसे शब्दोंसे वर्णन किया गया है। जैन परम्परामें सम्यक्-दर्शनके विविधरूप पाए जाते हैं। १-तत्त्वार्थश्रद्धान २-जिनदेव शास्त्र गुफका श्रद्धान ३-आत्मा और परका शेषज्ञान आदि।

जैनदेव, जैनशास्त्र और जैनगुरुकी श्रद्धाके पीछे भी वही आत्मसमानाधिकारकी बात है। जैनदेव परम वीतरागताके प्रतीक हैं। उस वीतरागता और आत्ममात्रत्वके प्रति सम्पूर्ण निष्ठा रखे बिना शास्त्र और गुरुभक्ति भी अशुभरी है। अतः जैनदेव शास्त्र और गुरुकी श्रद्धाका वास्तविक अर्थ किसी व्यक्तिविशेषकी श्रद्धा न होकर उन गुणोंके प्रति अटूट श्रद्धा है जिन गुणोंके वे प्रतीक हैं।

आत्मा और पदार्थोंका विवेकज्ञान भी उसी आत्मदर्शनकी ओर इशारा करता है। इसी तरह तत्त्वार्थ-श्रद्धानमें उन्हीं आत्माको वन्द्य करनेवाले और आत्माकी मुक्तिमें कारणभूत तत्त्वोंकी श्रद्धा ही अपेक्षित है। इस विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि सम्यग्दर्शन आत्मस्वरूपदर्शन और आत्माधिकारका परिज्ञान तथा उसके प्रति अटूट वीर्यता श्रद्धारूप ही है। सम्यग्दर्शकके जीवनमें परिग्रहसंग्रह और हिंसाका कोई स्थान नहीं रह सकता। वह तो मात्र अपनी आत्मापर ही अपना अधिकार समझकर जितनी दूसरी आत्माओंको या अन्य जड़द्रव्योंको अधीन करनेकी चेष्टाएँ हैं उन सभीको अधम ही मानता है। इस तरह यदि प्रत्येक मानवको यह आत्मस्वरूप और आत्माधिकारका परिज्ञान हो जाय और वह जीवनमें इसके प्रति निष्ठावान हो जाय तो ससारमें परम शान्ति और सहयोगका साम्राज्य स्थापित हो सकता है।

सम्यग्दर्शनके इस अन्तरस्वरूपकी जगह बाहरी पूजा-पाठने ले ली है। अमुक पद्धतिसे पूजन और अमुक प्रकारकी द्रव्यसे पूजा आज सम्भवत्व समझी जाती है। जो महावीर और पद्मप्रभु वीतरागताके प्रतीक थे, आज उनकी पूजा व्यापारलग्न, पुत्रप्राप्ति, भूतबाधाशान्ति जैसी क्षुद्र कामनाओंकी प्रतिके लिए ही की जाने लगी है। इतना ही नहीं, इन तीर्थंकरोंका 'सच्चा दरबार' कलहाता है। इनके मन्त्रिरोमें शासन-देवता स्थापित हुए हैं और उनकी पूजा और भक्तिने ही मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है। और यह सब हो रहा है सम्यग्दर्शनके पवित्र नामपर।

जिस सम्यग्दर्शनसे सम्पूर्ण चाण्डालको स्वामी समन्तभद्रने देवके समान बताया उसी सम्यग्दर्शनकी ओटमें और शास्त्रोंकी ओटमें जातिगत उच्चत्व नीचत्वके भावका प्रचार किया जा रहा है। जिस बाह्य-पदार्थाश्रित या शरीराश्रित भावोंके विनाशके लिए आत्मदर्शनरूप सम्यग्दर्शनका उपदेश दिया गया था उन्हीं शरीराश्रित पिण्डबुद्धि आदिके नामपर बाह्यधर्मकी बर्णाश्रमव्यवस्थाको चिपटाया जा रहा है। इस तरह जबतक हमें सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं होगा तबतक न जाने क्या-क्या अलाय-बलाय उसके पवित्र नामसे मानव-जातिका पतन करती रहेगी। अतः आत्मस्वरूप और आत्माधिकारको मर्यादाकी पोषण करनेवाली धारा ही सम्यग्दर्शन है अन्य नहीं। यही धर्म है।

जिस प्रकार मिथ्यादर्शन दो प्रकारका उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके भी निसर्गज-अर्थात् बुद्धिपूर्वक प्रयत्नके बिना अनायास प्राप्त होनेवाला और अधिगमज अर्थात् बुद्धिपूर्वक-परोपदेशसे सीखा हुआ, इस प्रकार दो जेव हैं। जन्मान्तरसे आये हुए सम्यग्दर्शन सस्कारका निसर्गजमे ही समावेश है। अतः जबतक मैं भय, शिंशक, समाजके नेता, धर्मगुरु और धर्मप्रचारक आदिको सम्यग्दर्शनका सम्यग्दर्शन न होगा तबतक वे अनेक निरर्थक क्रियाकाण्डों और विचाररतून्य रुद्धियोंकी शरणा धर्म और सम्यग्दर्शनके नामपर नूतनपीढ़ी-को पकते जायेंगे और निसर्गमिथ्यादृष्टियोंकी सृष्टि करते जायेंगे। अतः नई पीढ़ीके सुधारके लिए व्यक्ति को सम्यग्दर्शन प्राप्त करना होगा। हमें उस मूलभूत तत्व-आत्मस्वरूप और आत्माधिकारको इन नेताओंको सम्झाना होगा और इनके कर्तव्य प्रवर्धन करने हीगी कि इन कर्णवे बच्चोंपर दया करो, इन्हें सम्यग्दर्शन और धर्मके नामपर बाह्यगत उच्चत्वनीचत्व शरीराश्रित पिण्डबुद्धि आदिमें न उल्लासो, धोड़ा-धोड़ा आत्म-दर्शन करने दो। परम्परागत रुद्धियोंकी धर्मज्ञा ज्ञान मत्त पहिनाओ। बुद्धि और विवेकको जाग्रत होवे दो।

श्रद्धाके नामपर बुद्धि और विवेककी ज्योतिकी मत बुझावो। अपनी प्रतिष्ठा स्वीर रखनेके लिए पीढ़ीके विकासको मत रोको। स्वयं समझो जिससे तुम्हारे संपर्कमें आनेवाले लोगोंमें समझदारी आवे। रुढ़िचक्रका अस्मान्य परम्परा आदिके नामपर औस मूँदकर अनुसरण न करो। तुम्हारा यह पाप नई पीढ़ीको भोगना पड़ेगा। भारतकी परम्परा हमारे पूर्वजोंकी ही गलती या सङ्कुचित दृष्टिका परिणाम थी, और आज जो स्वतन्त्रता मिली वह गान्धीयुगके सम्यग्दर्शनोंके पुष्पार्थका फल है। इस विचारधाराको प्राचीनता, हिन्दुत्व, धर्म और संस्कृतिके नामपर फिर तम-छन्ना मत करो।

सारांश यह कि आत्मस्वरूप और आत्माधिकारके पोषक उपबृंहक परिवर्षक और सशोषक कर्तव्योंका प्रचार करो जिससे सम्यग्दर्शनकी परम्परा चले। व्यक्तिका पाप व्यक्तिको भोगना ही साधनों की सत्ता है।

अध्यात्म और नियतिवादका सम्यग्दर्शन

परार्थस्थिति—“नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते मतः”—जगतमें जो सत् है उसका सर्वथा विनाश नहीं हो सकता और सर्वथा नष्ट किमी असत्का सद्रूपमें उत्पाद नहीं हो सकता। जितने मौलिक द्रव्य इस जगतमें अनादिसे विद्यमान हैं अपनी अवस्थाओंमें परिवर्तित होने रहते हैं। अनन्त जीव, अनन्तान्त पुद्गल अणु, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाश और असंख्य कालाणु इनसे यह लोक व्याप्त है। ये छह जातिके द्रव्य मौलिक हैं, इनमेंसे न तो एक भी द्रव्य कम हो सकता है और न कोई नया उत्पन्न होकर इनकी संख्यामें बृद्धि ही कर सकता है। कोई भी द्रव्य अन्यद्रव्यरूपमें परिणमन नहीं कर सकता। जीव जीव ही रहेगा पुद्गल नहीं हो सकता। जिस तरह विजातीय द्रव्यरूपमें किसी भी द्रव्यका परिणमन नहीं होता उसी तरह एक जीव दूसरे सजातीय जीवद्रव्यरूप या एक पुद्गल दूसरे सजातीय पुद्गलद्रव्यरूपमें परिणमन भी नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायो-अवस्थाओंकी धारामें प्रवाहित है। वह किमी भी विजातीय या सजातीय द्रव्यान्तरकी धारामें नहीं मिल सकता। यह सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तरमें असक्रान्ति ही प्रत्येक द्रव्यकी मौलिकता है। इन द्रव्योंमें धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और कालद्रव्योका परिणमन सदा शुद्ध ही रहता है, इनमें विकार नहीं होता, एक जैसा परिणमन प्रतिसमय होता रहता है। जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें शुद्धपरिणमन भी होता है तथा अशुद्ध परिणमन भी। इन दो द्रव्योंमें क्रियाशक्ति भी है जिससे इनमें हलन-चलन, आना-जाना आदि क्रियाएँ होती हैं। शेष द्रव्य निष्क्रिय हैं, वे जहाँ हैं वहाँ रहते हैं। आकाश सर्वव्यापी है। धर्म और अधर्म लोकाकाशके बराबर हैं। पुद्गल और काल अणुरूप हैं। जीव असंख्यातप्रदेशी हैं और अपने शरीरप्रमाण विविध आकारोंमें मिलता है। एक पुद्गलद्रव्य ही ऐसा है जो सजातीय अन्य पुद्गलद्रव्योंसे मिलकर स्कन्ध बन जाता है और कभी-कभी इनमें इतना रासायनिक मिश्रण हो जाता है कि उसके अणुओंकी पृथक् सत्ताका भान करना भी कठिन होता है। तात्पर्य यह कि जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्योंमें अशुद्ध परिणमन होता है और वह एक दूसरेके निमित्तसे। पुद्गलमें इतनी विशेषता है कि उसकी अन्य सजातीय पुद्गलसे मिलकर स्कन्ध-पर्याय भी होती है पर जीवकी दूसरे जीवसे मिलकर स्कन्ध पर्याय नहीं होती। दो विजातीय द्रव्य बँधकर एक पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते। इन दो द्रव्योंके विविध परिणमनोंका स्थूलरूप यह दृश्य जगत् है।

द्रव्य-परिणमन—प्रत्येक द्रव्य परिणामी नित्य है। पूर्वपर्याय नष्ट होती है उत्तर उत्पन्न होती है पर मूलद्रव्यकी धारा अविच्छिन्न चल्ली है। यही उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मकता प्रत्येक द्रव्यका निजी स्वरूप है। धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्योंका सदा शुद्ध परिणमन ही होता है। जीवद्रव्योंमें जो भुक्त जीव हैं उनका

परिणमन शुद्ध ही होता है कभी भी अशुद्ध नहीं होता। संसारी जीव और अनन्त पुद्गलद्रव्यका शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही प्रकारका परिणमन होता है। इतनी विशेषता है कि जो संसारी जीव एकबार मुक्त होकर शुद्ध परिणमनका अधिकारी हुआ वह फिर कभी भी अशुद्ध नहीं होगा, पर पुद्गलद्रव्यका कोई नियम नहीं है। वे कभी स्कन्ध बनकर अशुद्ध परिणमन करते हैं तो परिमाणरूप होकर अपनी शुद्ध अवस्थामें आ जाते हैं फिर स्कन्ध बन जाते हैं। इस तरह उनका विविध परिणमन होता रहता है। जीव और पुद्गलरूपे वैभक्ति शक्ति है, उनके कारण विभाव परिणमनको भी प्राप्त होते हैं।

द्रव्यगतशक्ति—धर्म, अधर्म, आकाश ये तीन द्रव्य एक एक एक हैं। कालाणु असंख्यात है। प्रत्येक कालाणुमें एक-जैसी शक्तियाँ हैं। वर्तना करनेकी जितने अविभागप्रतिच्छेदवाली शक्ति एक कालाणुमें है वैसी ही दूसरे कालाणुमें। इस तरह कालाणुओंमें परस्पर शक्ति-विभिन्नता या परिणमनविभिन्नता नहीं है। पुद्गलद्रव्यके एक अणुमें जितनी शक्तियाँ हैं उतनी ही और वैसी ही शक्तियाँ परिणमनयोग्यताएँ अन्य पुद्गलाणुओंमें हैं। मूलतः पुद्गल-अणुद्रव्योंमें शक्तिभेद, योग्यताभेद या स्वभावभेद नहीं है। यह तो सम्भव है कि कुछ पुद्गलाणु मूलतः स्निग्ध स्पर्शवाले हों और दूसरे मूलतः रूक्ष, कुछ शीत और कुछ उष्ण, पर उनके ये गुण भी नियत नहीं हैं, रूक्षगुणवाला भी अणु स्निग्धगुणवाला बन सकता है तथा स्निग्धगुणवाला भी रूक्ष, शीत भी उष्ण बन सकता है उष्ण भी शीत। तात्पर्य यह कि पुद्गलाणुओंमें ऐसा कोई जातिभेद नहीं है जिससे किसी भी पुद्गलाणुका पुद्गलसम्बन्धी कोई परिणमन न हो सकता हो। पुद्गल-द्रव्यके जितने भी परिणमन हो सकते हैं उन सबकी योग्यता और शक्ति प्रत्येक पुद्गलाणुमें स्वभावतः है। यही द्रव्यशक्ति कहलाती है। स्कन्ध अवस्थामें पर्यायशक्तियाँ विभिन्न हो सकती हैं। जैसे किसी अग्निस्कन्धमें सम्मिलित परमाणुका उष्णस्पर्श तेजोरूप था, पर यदि वह अग्निस्कन्धसे जुदा हो जाय तो उसका शीतस्पर्श तथा कृष्णरूप हो सकता है, और यदि वह स्कन्ध ही भस्म बन जाय तो सभी परमाणुओंका रूप और स्पर्श आदि बदल सकते हैं।

सभी जीवद्रव्योंकी मूल स्वभावशक्तियाँ एक जैसी हैं, ज्ञानादि अनन्तगुण और अनन्त चैतन्यपरिणमनकी शक्ति मूलतः प्रत्येक जीवद्रव्यमें है। हाँ, अनादिकाहीन अशुद्धताके कारण उनका विकास विभिन्न प्रकारसे होता है। चाहे भ्रम्य हों या अभ्रम्य दोनों ही प्रकारके प्रत्येक जीव एक-जैसी शक्तियोगे आधार हैं। शुद्ध दशामें सभी एक जैसी शक्तियोंके स्वामी बन जाते हैं और प्रतिसमय अक्षुद्ध शुद्ध परिणमनमें लीन रहते हैं। संसारी जीवोंमें भी मूलतः सभी शक्तियाँ हैं। इतना विशेष है कि अभ्रम्यजीवोंमें केवलज्ञानादि शक्तियोगे आविर्भावकी शक्ति नहीं मानी जाती। उपर्युक्त विवेचनसे एक बात निर्विवादरूपसे स्पष्ट हो जाती है कि चाहे द्रव्य चैतन्य ही या अचेतन, प्रत्येक मूलतः अपनी-अपनी चैतन्य-अचेतन शक्तियोंका धनी है उनमें कहीं कुछ भी न्यूनधिकता नहीं है। अशुद्ध दशामें अन्य पर्यायशक्तियाँ भी उत्पन्न होती हैं और विलीन होती रहती हैं।

परिणमनके नियतत्वकी सीमा—उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि द्रव्योंमें परिणमन होनेपर भी कोई भी द्रव्य सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तररूपमें परिणमन नहीं कर सकता। अपनी धारामें सधा उसका परिणमन होता रहता है। द्रव्यगत मूल स्वभावकी अपेक्षा प्रत्येक द्रव्यके अपने परिणमन नियत हैं। किसी भी पुद्गलाणुके वे सभी पुद्गलसम्बन्धी परिणमन यथासमय हो सकते हैं और किसी भी जीवके जीव-सम्बन्धी अनन्त परिणमन। यह तो सम्भव है कि कुछ पर्यायशक्तियोंसे सीधा सम्बन्ध रखनेवाले परिणमन कारणभूत पर्यायशक्तिके न होनेपर न हों। जैसे प्रत्येक पुद्गलपरमाणु यद्यपि घट बन सकता है फिर भी

जबतक अमुक परमाणु मिट्टी स्कन्धरूप पर्यायको प्राप्त न होंगे तब तक उनमें मिट्टीरूप पर्यायव्यक्तिके विकाससे होनेवाली घटपर्याय नहीं हो सकती। परन्तु मिट्टी पर्यायसे होनेवाली घट, सकोरा आदि जितनी पर्यायों सम्मिलित हैं वे निमित्तके अनुसार कोई भी हो सकती हैं। जैसे जीवमें मनुष्यपर्यायमें आँखसे देखनेकी योग्यता विकसित है तो वह अमुक समयमें जो भी सामने आवेगा उसे देखेगा। यह कदापि नियत नहीं है कि अमुक समयमें अमुक पदार्थको ही देखनेकी उसमें योग्यता है शेषकी नहीं, या अमुक पदार्थमें उस समय उसके द्वारा ही देखे जानेकी योग्यता है अन्यके द्वारा नहीं। मतलब यह कि परिस्थितिवश जिस पर्यायव्यक्तिका द्रव्यमें विकास हुआ है उस शक्तिसे होनेवाले यावत्कार्योंमेंसे जिस कार्यकी सामग्री या बलवान् निमित्त मिलेगा उसके अनुसार उसका वंसा परिणमन होता जायगा। एक मनुष्य गद्दीपर बैठा है उस समय उसमें हँसना-रोना, आश्चर्य करना, गम्भीरतासे सोचना आदि अनेक कार्योंकी योग्यता है। यदि बहुरूपिया सामने आजाय और उसकी उसमें विलचस्पी हो तो हँसनेरूप पर्याय हो जायगी। कोई शोकका निमित्त मिल जाय तो रो भी सकता है। अकस्मात् बात सुनकर आश्चर्यमें डूब सकता है और तत्त्वचर्चा सुनकर गम्भीरतापूर्वक सोच भी सकता है। इसलिए यह समझना कि 'प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है उसमें कुछ भी हेर-फेर नहीं हो सकता और न कोई हेर-फेर कर सकता है' द्रव्यके परिणमनस्वभावको गम्भीरतासे न सोचनेके कारण भ्रमात्मक है। द्रव्यगत परिणमन नियत है। अमुक स्थूलपर्यायगत शक्तियोंके परिणमन भी नियत हो सकते हैं, जो उस पर्यायव्यक्तिके सम्भावनीय परिणमनोंमेंसे किसी एकरूपमें निमित्तानुसार सामने आते हैं। जैसे एक अगुली अगले समय टेढ़ी हो सकती है, सीधी रह सकती है, टूट सकती है, घूम सकती है, जैसी सामग्री और कारण-कलाप मिलेगे उसमें विद्यमान इन सभी योग्यताओंमेंसे अनुकूल योग्यताका विकास हो जायगा। उस कारणशक्तिके वह अमुक परिणमन भी नियत कराया जा सकता है जिसकी पूरी सामग्री अविकल हो और प्रतिबन्धक कारणकी सम्भावना न हो, ऐसी अन्तिमक्षणप्राप्त शक्तिके वह कार्य नियत ही होगा, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिलक्षणका परिणमन सुनिश्चित है उसमें जिसे जो निमित्त होता है नियतचक्रके पेटमें पटक कर ही वह उसका निमित्त बनेगा ही। यह अति-सुनिश्चित है कि हर एक द्रव्यका प्रतिसमय कोई न कोई परिणमन होना ही चाहिए। पुराने संस्कारोंके परिणामस्वरूप कुछ ऐसे निश्चित कार्यकारणभाव बनाए जा सकते हैं जिनसे यह नियत किया जा सकता है कि अमुक समयमें इस द्रव्यका ऐसा परिणमन होना ही, पर इस कारणताकी अवश्यभाविता सामग्रीकी अविकलता तथा प्रतिबन्धक-कारणकी शून्यतापर ही निर्भर है। जैसे हल्दी और चूना दोनो एक जलपात्रमें डाले गये तो यह अवश्यभावी है कि उनका लालरंगका परिणमन हो। एक बात यहाँ यह खासतौरसे ध्यानमें रखने की है कि अचेतन परमाणुओंमें बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं हो सकती। उनमें अपने सयोगोंके आधारसे ही क्रिया होती है, भले ही वे सयोग चेतन द्वारा मिलाए गए हों या प्राकृतिक कारणोंसे मिले हों। जैसे पृथिवीमें कोई बीज पड़ा हो तो सरदी गरमीका निमित्त पाकर उसमें अंकुर आ जायगा और वह पल्लवित पुष्पित होकर पुन बीजको उत्पन्न कर देगा। गरमीका निमित्त पाकर जल भाप बन जायगा। पुनः सरदीको निमित्त पाकर भाप जलके रूपमें बरसकर पृथिवीकी शस्यक्षयामल बना देगा। कुछ ऐसे भी अचेतन द्रव्योंके परिणमन हैं जो चेतन निमित्तसे होते हैं जैसे मिट्टीका बड़ा बनना या रुईका कपड़ा बनना। तात्पर्य यह कि अतीतके संस्कारवश वर्तमान क्षणमें जितनी और जैसी योग्यताएँ विकसित होगी और जिनके विकासके अनुकूल निमित्त मिलेंगे द्रव्योंका वंसा-वंसा परिणमन होता जायगा। भविष्यका कोई निश्चित कार्यक्रम द्रव्योंका बना हुआ हो और उसी सुनिश्चित अनन्त क्रमपर यह जगत चल रहा हो यह धारणा ही भ्रम-पूर्ण है।

नियताऽनियतरथबाध—जैनदृष्टिसे इन्द्रियगत शक्तियाँ नियत हैं पर उनके प्रतिक्षणके परिणमन अनिर्धार्य होकर भी अनियत हैं। एक इन्द्रियकी उस समयकी योग्यतासे जितने प्रकारके परिणमन हो सकते हैं उनमेंसे कोई भी परिणमन जिसके निमित्त और अनुकूल सामग्री मिल जायगी हो जायगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इन्द्रियकी शक्तियाँ तथा उनसे होनेवाले परिणमनोंकी जाति सुनिश्चित है। कभी भी पुद्गलके परिणमन जीवमे तथा जीवके परिणमन पुद्गलमें नहीं हो सकते। पर प्रतिसमय कौनसा परिणमन होगा यह अनियत है। जिस समय जो शक्ति विकसित होगी तथा अनुकूल निमित्त मिल जायगा उसके बाद वही परिणमन हो जायगा। अतः नियतत्व और अनियतत्व दोनों धर्म सापेक्ष हैं, अपेक्षा भेदसे सम्भव हैं।

जीवइन्द्रिय और पुद्गल इन्द्रियका ही श्रेष्ठ यह जगत है। इनकी अपनी इन्द्रियशक्तियाँ नियत हैं। संसारमें किसीकी शक्ति नहीं जो इन्द्रियशक्तियोंमेंसे एकको भी कम कर सके या एकको बढ़ा सके। इनका आविर्भाव और निरोभाव पर्यायके कारण होता रहता है। जैसे मिट्टी पर्यायको प्राप्त पुद्गलमे तेल नहीं निकल सकता, वह सोना नहीं बन सकती, यद्यपि तेल और सोना भी पुद्गल ही बनता है, क्योंकि मिट्टी पर्यायवाले पुद्गलको वह योग्यता निरोधित है, उसमें घट आदि बननेकी, अंकुरको उत्पन्न करनेकी, बर्तनोंके शुद्ध करनेकी, प्राकृतिक चिकित्सामे उपयोग आनेकी आदि पचासों पर्याय योग्यताएँ विद्यमान हैं। जिनकी सामग्री मिलेनी अगले क्षणमे वही पर्याय उत्पन्न होगी। रेत भी पुद्गल है पर इस पर्यायमे घडा बननेकी योग्यता तिरोधित है, अप्रकट है, उसमे सीमेंटके साथ मिलकर दीवालपर पुष्ट लेप करनेकी योग्यता प्रकट है, वह काँच बन सकती है या बही पर लिखी जानेवाली काली स्याहीका शोषण कर सकती है। मिट्टी पर्यायमे ये योग्यताएँ अप्रकट हैं। तात्पर्य यह कि—

(१) प्रत्येक इन्द्रियकी मूलइन्द्रियशक्तियाँ नियत हैं उनकी संख्यामें न्यूनताविकता कोई नहीं कर सकता। पर्यायके अनुसार कुछ शक्तियाँ प्रकट रहती हैं और कुछ अप्रकट। इन्हे पर्याय योग्यता कहते हैं। (२) यह नियत है कि चेतन का अचेतनरूपमे तथा अचेतनका चेतनरूपमे परिणमन नहीं हो सकता। (३) यह भी नियत है कि एक चेतन या अचेतन इन्द्रियका दूसरे सजातीय चेतन या अचेतन इन्द्रिय रूपसे परिणमन नहीं हो सकता। (४) यह भी नियत है कि दो चेतन मिलकर एक संयुक्त सदृश पर्याय उत्पन्न नहीं कर सकते जैसे कि अनेक अचेतन परमाणु मिलकर अपनी संयुक्त सदृश घट पर्याय उत्पन्न कर लेते हैं। (५) यह भी नियत है कि इन्द्रियमे उस समय जितनी पर्याय योग्यताएँ हैं उनमें जिनके अनुकूल निमित्त मिलेंगे वही परिणमन आगे होगा, शेष योग्यताएँ केवल सद्भावमें रहेंगी। (६) यह भी नियत है कि प्रत्येक इन्द्रियका कोई न कोई परिणमन अगले क्षणमें अवश्य होगा। यह परिणमन इन्द्रियगत मूल योग्यताओं और पर्यायगत प्रकट योग्यताओंकी सीमाके भीतर ही होगा, बाहर कदापि नहीं। (७) यह भी नियत है कि निमित्त उपादान इन्द्रियकी योग्यताका ही विकास करता है, उसमे जूनन सर्वथा असम्भूत परिणमन उपस्थित नहीं कर सकता। (८) यह भी नियत है कि प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने परिणमनका उपादान होता है। उस समयकी पर्याययोग्यतारूप उपादानशक्तिकी सीमाके बाहिरका कोई परिणमन निमित्त नहीं ला सकता। परन्तु—

(१) यही एक बात अनियत है कि 'अमुक समयमें अमुक परिणमन ही होगा।' मिट्टीकी पिंडपर्यायमें घडा, मकोरा, घुराई, दिवा आदि अनेक पर्यायोंके प्रकटानेकी योग्यता है। कुम्हारकी इच्छा और क्रिया आदि का निमित्त मिलनेपर उनमेंसे जिसकी अनुकूलता होगी वह पर्याय अगले क्षणमें उत्पन्न हो जायगी। यह कहना कि 'जब समय मिट्टीकी यही पर्याय होनी थी, उनका मेल भी सद्भाव रूपसे होता था, पानीकी यही पर्याय होनी थी' इन्द्रिय और पर्यायगत योग्यताके अज्ञानका फल है।

नियतिवाद नहीं—जो होता होगा वह होगा ही, हमारा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, इस प्रकारके निष्क्रिय नियतिवादके विचार जैनतत्त्वस्थितिके प्रतिकूल हैं। जो द्रव्यगत शक्तियाँ नियत हैं उनमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, हमारा पुरुषार्थ तो कोयलेकी होरापर्यायके विकास करानेमें है। यदि कोयलेके लिए उसकी होरापर्यायके विकासके लिए आवश्यक सामग्री न मिले तो या तो वह जलकर भस्म बनेगा या फिर खानिमें ही पड़े-पड़े समाप्त हो जायगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसमें उपादान शक्ति नहीं है उसका परिणमन भी निमित्तसे हो सकता है या निमित्तमें यह शक्ति है जो निरुपादानको परिणमन करा सके।

नियतिवाद-दृष्टिविषय—एकबार 'ईश्वरवाद'के विरुद्ध छात्रोंने एक प्रहमन खेला था। उममें एक ईश्वरवादी राजा था, जिसे यह विश्वास था कि ईश्वरने समस्त दुनियाके पदार्थोंका कार्यक्रम निश्चित कर दिया है। प्रत्येक पदार्थकी अमुक ममयमें यह दशा होगी इसके बाद यह इस प्रकार मब मुनिश्चित है। कोई अकार्य होता तो राजा सदा यह कहता था कि—'हम क्या कर सकते हैं? ईश्वरने ऐसा ही नियत किया था। ईश्वरके नियतिचक्रमें हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं 'ईश्वरकी मर्जी'। एकबार कुछ गुण्डोंने राजाके सामने ही रानीका अपहरण किया। जब रानोंने रक्षार्थ चिल्लाहट शुरू की और राजाको क्रोध आया तब गुण्डोंके भरदारने जोरसे कहा—'ईश्वरकी मर्जी'। राजाके हाथ ढीले पड़ने हैं और वे गुण्डे रानांको उमके सामने ही उठा ले जाते हैं। गुण्डे रानीको भी समझाते हैं कि 'ईश्वरकी मर्जी यही थी' रानी भी 'विधिविधान'में अटल विश्वास रखती थी और उन्हें आत्म समर्पण कर देती है। राज्यमें अव्यवस्था फैलती है और परचक्रका आक्रमण होता है और राजाकी छातीमें दुश्मनकी जो तलवार धुमती है वह भी 'ईश्वरकी मर्जी' इस जहुरीले विश्वासविषसे बुझी हुई थी और जिसे राजाने विधिविधान मानकर ही स्वीकार किया था। राजा और रानी, गुण्डो और शत्रुओंके आक्रमणके समय 'ईश्वरकी मर्जी' 'विधिकाविधान' इन्होंने ईश्वरास्त्रोंका प्रयोग करते थे और ईश्वरसे ही रक्षाकी प्रार्थना करने थे। पर न मालूम उस समय ईश्वर क्या कर रहा था? ईश्वर भी क्या करता? गुण्डे और शत्रुओंका कार्यक्रम भी उमीने बनाया था और वे भी 'ईश्वरकी मर्जी' और 'विधिविधान'की दुहाई दे रहे थे। इस ईश्वरवादमें इनकी गुंजाइश थी कि यदि ईश्वर चाहता तो अपने विधानमें कुछ परिवर्तन कर देता। आज श्री कानजी स्वामीकी 'वस्तुविज्ञानमात्र' पुस्तकको पलटने समय उम प्रहसनकी याद आ गई और ज्ञात हुआ कि यह नियतिवादका कालकूट 'ईश्वरवाद'से भी भयकर है। ईश्वरवादमें इतना अवकाश है कि यदि ईश्वर को भक्तिकी जाय या मन्कार्य किया जाय तो ईश्वरके विधानमें हेर-फेर हो जाता है। ईश्वर भी हमारे सत्कर्म और दुष्कर्मोंके अनुसार ही फलका विधान करता है। पर यह नियतिवाद असेष है। आश्चर्य तो यह है कि इने 'अनन्त पुरुषार्थ'का नाम दिया जाता है। यह कालकूट कुन्दकुन्द, अध्यात्म, सर्वज्ञ, साम्यदर्शन और धर्मकी शक्करमें लपेट कर दिया जा रहा है। ईश्वरवादी सौंपके जहरका एक उपाय (ईश्वर) तो है पर इस नियतिवादी कालकूटका, इस भीषण दृष्टिविषयका कोई उपाय नहीं; क्योंकि हर एक द्रव्यकी हर समयकी पर्याय नियत है।

मर्यान्त वेदना तो तब हीनी है जब इस मिथ्या एकान्त विषयो अनेकान्त अमृतके नामसे कोम-रुमति नई पीढ़ीको पिलाकर उन्हें अनन्त पुरुषार्थी कहकर सदाके लिए पुरुषार्थमें विमूख किया जा रहा है।

पुण्य और पाप क्यों?—जब प्रत्येक जीवका प्रतिममयका कार्यक्रम निश्चित है, अर्थात् परकर्तृत्व तो है ही नहीं, साथ ही स्वकर्तृत्व भी नहीं है, तब क्या पुण्य और क्या पाप? किसी मुसलमानने जैनप्रतिमा तोड़ी, तो जब मुसलमानको उस समय प्रतिमाको तोड़ना ही था, प्रतिमाको उम समय टूटना ही था, सब कुछ नियत था तो विचारे मुसलमान का क्या अपराध? वह तो नियतिचक्रका शम था। एक याज्ञिक ब्राह्मण

बकरेकी बलि चढ़ाना है तो क्यों उसे हिमक कहा जाय—'देवीकी ऐसी ही पर्याय होनी थी, बकरेके गलेको कटना ही था, छुरेको उसका गर्दनके भोतर घुसना ही था, ब्राह्मणके मुँहमें मास जाना ही था, बेदमें ऐसा लिखा ही जाना था ।' इस तरह पूर्वनिश्चित योजनानुसार जब घटनाएँ घट रही हैं तब उस विचारेको क्यों हृत्पारा कहा जाय ? हृत्पाकाण्डरूपी घटना अनेक द्रव्योंके सुनिश्चित परिणमनका फल है । जिस प्रकार ब्राह्मणके छुरेका परिणमन बकरेके गलेके भीतर घुसनेका नियत था उसी प्रकार बकरेके गलेका परिणमन भी अपने भीतर छुरा घुसवानेका निश्चिन था । जब इन दोनों नियत घटनाओंका परिणाम बकरेका बलिदान है तो इसमें क्यों ब्राह्मणको हृत्पारा कहा जाय ? किमी स्त्रीका शील भ्रष्ट करनेवाला व्यक्ति क्यों दुराचारी गुण्डा कहा जाय ? स्त्रीका परिणमन ऐसा ही होना । था और पुरुषका भी ऐसा ही, दोनों के नियत परिणमनोका नियत मेलरूप दुराचार भी नियत ही था फिर उसे गुण्डा और दुराचारी क्यों कहा जाय ? इस तरह इस श्रौत्र विषयक जिनके सुननेसे ही हम तो एक महानियति चक्रके अंश हैं और उसके परिचलनके अनुसार प्रतिसाग चल रहे हैं । यदि हिंगा करने है तो नियत है, व्यभिचार करते हैं तो नियत है, खोरी करते हैं तो नियत है, पापचिन्ता करते हैं तो नियत है । हमारा पुरुषार्थ कहाँ होगा ? कोई भी क्षण इस नियतिभूतकी मौजूदगीसे रहिन नहीं है, जब हम मौम लेकर कुछ अपना भविष्य निर्माण कर सके ।

भविष्य निर्माण कहाँ ? इस नियतिवादमे भविष्य निर्माणकी मारी योजनाएँ हवा हैं । जिसे हम भविष्य कहते हैं वह भी नियतिचक्रमे सुनिश्चित है और होगा ही । जैन दृष्टि तो यह कहती है कि—'तुममें उपादान योग्यता प्रति समय अच्छे और बुरे बनने की, मत् और असत् होने की है, जैसा पुरुषार्थ करोगे, जैसी सामग्री जुटाओगे अच्छे बुरे भविष्यका निर्माण स्वयं कर सकोगे ।' पर जब नियतिचक्र निर्माण करनेकी बातपर ही कुठाराघात करके उसे नियत या सुनिश्चित कहना है तब हम क्या पुरुषार्थ करे ? हमारा हमारे ही परिणमनपर अधिकार नहीं है क्योंकि वह नियत है । पुरुषार्थभ्रष्टताका इससे व्यापक उपदेश दूसरा नहीं हो सकता । इस नियतिचक्रमे सबका सब कुछ नियत है उसमे अच्छा क्या ? बुरा क्या ? हिंसा और अहिंसा क्या ?

मबमे बड़ा अस्त्र सर्वज्ञस्व—नियतिवादी या तथोक्त अध्यात्मवादियोंका सबसे बड़ा तर्क है कि—'सर्वज्ञ ह या नहीं ? यदि सर्वज्ञ है तो वह विकालत होगा अर्थात् भविष्यज्ञ भी होगा । फलतः वह प्रत्येक पदायंका अनन्तकाल तक प्रतिसाग जो होना है उसे ठीक रूपमें जानता है । इस तरह प्रत्येक परमाणुकी प्रतिमयकी पर्याय सुनिश्चित है उनका परस्पर जो निमित्तनैमित्तिकजाल है वह भी उसके ज्ञानके बाहिर नहीं है ।' सर्वज्ञ माननेका दूसरा अर्थ है नियतिबाधो होना । पर, आज जो सर्वज्ञ नहीं मानते उनके सामने हम नियतिचक्रकी कैसे सिद्ध कर सकते हैं ? जिस अध्यात्मवादके मूलमे हम नियतिवादको पनपाते हैं उस अध्यात्मदृष्टिसे सर्वज्ञता व्यवहारनयकी ओझासे है । निश्चयनयसे तो आत्मज्ञतामे ही उसका पर्यवसान होता है, जैसा कि स्वयं आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार (गा. १५८) मे लिखा है—

“जाणदि पस्सदि सर्व्वं व्यवहारणण केवली भगव ।

केवलपाणी जाणदि पस्सदि गियमेण अप्पाण ॥”

अर्थात्—केवली भगवान् व्यवहारनयसे सब पदार्थोंको जानते देखते हैं । निश्चयसे केवलज्ञानी अपनी आत्माको ही जानता देखता है ।

अध्यात्मशास्त्रगत निश्चयनयकी भूतार्थता और परमार्थता तथा व्यवहारनयकी अमूर्तार्थता और

अपरमार्थता पर विचार करनेसे तो अद्यात्मशास्त्रमें पूर्णज्ञानका पर्यवसान अन्तत आत्मज्ञानमें ही होता है। अतः सर्वज्ञत्वकी उल्लेखका अद्यात्मचिन्तनमूलक पदार्थव्यवस्थामें उपयोग करना उचित नहीं है।

सामग्र और अप्रतिबद्ध कारण ही हेतु—अकलंकदेवने उम कारण को हेतु स्वीकार किया है जिसके द्वितीयक्षणमें नियमसे कार्य उत्पन्न हो जाय। उसमें भी यह शर्त है कि जब उसकी शक्ति में कोई प्रतिबन्ध उपस्थित न हो तथा सामग्रघातनगत अन्य कारणोंकी विकलता न हो। जैसे अग्नि धूमकी उत्पत्तिमें अनुकूल कारण है पर यह तभी कारण हो सकती है जब इसकी शक्ति किसी भन्ध आदि प्रतिबन्धकने न रोकी हो तथा धूमोत्पादक सामग्री-गीला ईंधन आदि पूरे रूपसे विद्यमान हो। यदि कारणका अमृक कार्यरूपमें परिणमन नियत हो तो प्रत्येक कारण को हेतु बनाया जा सकता था। पर कारण तबतक कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक उसकी सामग्री पूर्ण न हो और शक्ति अप्रतिबद्ध न हो। इसका स्पष्ट अर्थ है कि शक्तिकी अप्रतिबद्धता और सामग्री की पूर्णता जबतक नहीं होगी तबतक अमृक अनुकूल भी कारण अपना अमृक परिणमन नहीं कर सकता। अग्निमें यदि गीला ईंधन डाला जाय तो ही धूम उत्पन्न होगा अन्यथा वह धीरे-धीरे राख बन जायगी। यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि उभे उस समय राख बनना ही है या धूम पैदा करना ही है। यह तो अनुकूल सामग्री जुटाने की बात है। त्रिम परिणमनकी सामग्री जुटेगी वही परिणमन उसका होगा।

निश्चय और व्यवहार का सम्पर्कदर्शन

“यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः” अर्थात् भावशून्य क्रियाएँ मफल नहीं होती। यह भाव क्या है जिसके बिना ममस्त क्रियाएँ निष्फल हो जानी हैं? यह भाव है निश्चयदृष्टि। निश्चयनय परनिरपेक्ष आत्मस्वरूपको कहता है। परमवीतरागता पर उसकी दृष्टि रहती है। जो क्रियाएँ इस परम-वीतरागताकी साधक और पोषक हो वे ही सफल हैं। पुरुषार्थमिद्धधुपायमें बताया है कि “निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम्।” अर्थात् निश्चयनय भूतार्थ है और व्यवहारतय अभूतार्थ। इस भूतार्थता और अभूतार्थताका क्या अर्थ है? जब आत्मांम इस समय राग, द्वेष, मोह आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आत्मा इन भावों रूपमें परिणमन कर रहा है, तब परनिरपेक्ष मिद्धवत् स्वरूपके दर्शन उसमें कैसे किए जा सकते हैं? यह शका व्यवहार्य है, और इसका समाधान भी सीधा और स्पष्ट है कि—प्रत्येक आत्मांम मिद्धके ममान अनन्त चेतन्य है, एक भी अविभाग प्रतिच्छेदकी न्यूनता किसी आत्माके चैतन्यमें नहीं है। सबकी आत्मा असंख्यातप्रदेशवाली है, अखण्ड द्रव्य है। मूल द्रव्यदृष्टिंम सभी आत्मांमोंकी स्थिति एक प्रकारकी है। विभाव परिणमनके कारण गुणोंके विकासमें न्यूनार्थिकता आ गई है। मसारा आत्माएँ विभाव पर्यायोंको धारण कर नानारूपमें परिणत हो रही हैं। इस परिणमनमें मूल द्रव्यकी स्थिति जिननी सत्य और भूतार्थ है उतनी ही उनकी विभावपरिणतिरूप व्यवहार स्थिति भी सत्य और भूतार्थ है। पदार्थपरिणमनकी दृष्टिसे निश्चय और व्यवहार दोनों भूतार्थ और सत्य है। निश्चय जहाँ मूल द्रव्यस्वभावको विषय करता है, वहाँ व्यवहार परमापेक्ष पर्यायको विषय करता है, निविषय कोई नहीं है। व्यवहारको अभूतार्थता इतनी ही है कि वह जिन विभाव पर्यायोंको विषय करता है वे विभाव पर्यायें हेय हैं, उपादेय नहीं, शुद्ध द्रव्य-स्वरूप उपादेय है, यही निश्चयकी भूतार्थता है। जिस प्रकार निश्चय द्रव्यके मूल स्वभावको विषय करता है उसी प्रकार शुद्ध मिद्ध पर्याय भी निश्चय का विषय है। तात्पर्य यह कि परनिरपेक्ष द्रव्य स्वरूप और परनिरपेक्ष पर्यायें निश्चयका विषय हैं और परमापेक्ष परिणमन व्यवहारके विषय हैं। व्यवहारकी अभूतार्थता वहाँ है जहाँ आत्मा कहता है कि “मै राजा हूँ, मैं विद्वान् हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, यह मोक्ष है, मेरा

धर्माधिकार है, इसका धर्माधिकार नहीं है आदि"। तब अन्तर्वृष्टि कहता है कि राजा, विद्वान्, स्वस्थ, ऊँच, नीच आदि बाह्यापेक्ष होनेसे हेय है, इन रूप तुम्हारा मूलस्वरूप नहीं है, वह तो सिद्धके समान शूद्र है उसमें न कोई राजा है न रंक, न कोई ऊँच न नीच, न कोई रूपवान् न कुस्त्री। उसकी दृष्टिमें सब अक्षण्ड चैतन्यमय समस्वरूप समानाधिकार है। इस व्यवहारमें अहंकारको उत्पन्न करनेका जो जहर है, भेद खड़ा करनेकी जो कुटेव है, निश्चय उसीको नष्ट करता है और अमेव अर्थात् समत्वकी ओर दृष्टिको ले जाता है और कहता है कि—मुख, क्या सोच रहा है, जिसे तू नीच और तुच्छ समझ रहा है वह भी अनन्त चैतन्यका अक्षण्ड मौलिक द्रव्य है, परकृत भेदसे तू अहंकारकी सृष्टि कर रहा है और भेदका पोषण कर रहा है, शरीराश्रित ऊँच-नीचभावकी कल्पनासे धर्माधिकार जैसे भोषण अहंकारकी बात बोलता है ? इस अनन्त विभिन्नतामय अहंकारपूर्ण व्यवहारसंसारमें निश्चय ही एक अमृतशलाका है जो दृष्टिमें व्यवहारका भेदविष नहीं चढ़ने देती।

पर ये निश्चयकी चर्चा करने वाले ही जोवनमें अनन्त भेदोंको कायम रखना चाहते हैं। व्यवहार-लोपका भय पग-पगपर दिखाने हैं। यदि वस्त्रा भंदिरेमें आकर पूजा कर लेता है तो इन्हें व्यवहारलोपका भय व्याप्त हो जाता है। भाई, व्यवहारका विष दूर करना ही तो निश्चयका कार्य है। जब निश्चयके प्रसारका अवसर आता है तो क्यों व्यवहारलोपसे डरते हो ? कबतक इस हेय व्यवहारसे चिपटे रहोगे और धर्मके नामपर भी अहंकारका पोषण करने रहोगे ? अहंकारके लिए और क्षेत्र पड़े हुए हैं, उन क्षेत्रोंमें तो अहंकार कर ही रहे हो ? बाह्य विभूतिके प्रदर्शनसे अन्य व्यवहारोंमें दूसरोंसे श्रेष्ठ बनने का अभिमान पुष्ट कर ही लेते हो, इस धर्मक्षेत्रको तो समताकी भूमि बनने दो। धर्मके क्षेत्रको तो धनके प्रभुत्वसे अछूता रहने दो। आखिर यह अहंकारको विषबेल कहाँ तक फीलाओगे ? आज विश्व इस अहंकारकी भोषण ज्वालाओंमें भस्मसात हुआ जा रहा है। गोरू कालेका अहंकार, हिन्दू मुसलमानका अहंकार, धनी निर्धनका अहंकार, सत्ताका अहंकार, ऊँच-नीचका अहंकार, छूत-अछूतका अहंकार आदि इस सहस्रजिह्व अहंकारनागकी नागदमनी औषधि निश्चय दृष्टि ही है। यह आत्ममात्रको समभूमिपर लाकर उसकी आँखें खोलती है कि—देखो, मूलमें तुम सब कहाँ भिन्न हो ? और अन्तिम लक्ष्य भो तुम्हारा वही ममस्वरूपस्थिति प्राप्त करना है। तब क्यों बीचके पडावोंमें अहंकारका सर्जन करके उच्चत्वकी मिथ्या प्रतिष्ठाके लिए एक दूसरेके खूनके प्यासे हो रहे हो ? धर्मका क्षेत्र तो कर्मसे कम ऐसा रहने दो जहाँ तुम्हें स्वयं अपनी मूलदशाका भान हो और दूसरे भी उसी समदशाका भान कर सकें। "मम्मोलने नयनयोः न हि किंचिदस्ति"—जोख मुँदजाने पर यह सब भेद तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। परलोकमें तुम्हारे साथ वह अहंकारविष तो चला जायगा पर यह जो भेदसृष्टि कर जाओगे उसका पाप मानवसमाजको भोगना पड़ेगा। यह मूढ़ मानव अपने पुराने पुरुषों द्वारा किये गये पापको भी बापके नामपर पोषता रहना चाहता है। अतः मानवसमाजकी हितकामनासे भी निश्चय-दृष्टि—आत्मसमत्वकी दृष्टि को ग्रहण करो और पराश्रित व्यवहारको नष्ट करके स्वयं शान्तिलाम करो और दूसरोंको उसका मार्ग निष्कण्टक कर दो।

समस्यारका सार यही है। कुन्दकुन्दकी आत्मा समयसारके गुणगानमें, उसके ऊपर अर्ध चढ़ानेसे, उसे चांदी सोनेमें मढ़ानेसे सन्तुष्ट नहीं हो सकती। वह तो समयसारको जोवनमें उतारनेसे ही प्रसन्न हो सकती है। यह जातिगत ऊँचनीच भाव, यह धर्मसंशयोमें किसीका अधिकार किसीका अनधिकार इन सब विषयोंका समयसारके अमृतके साथ क्या मेल ? यह निश्चयमिथ्यात्वी निश्चयको उपादेय और भूतार्थ तो कहेगा पर जीवनमें निश्चयकी उपेक्षाके हो कार्य करेगा, उसकी जड़ खोदने का ही प्रयास करेगा।

निश्चयनयका वर्णन तो कागजपर लिखकर सामने टांग लो । जिससे मदा तुम्हें अपने ध्येयका भान रहे । सब पूछो तो भगवान् जिनेन्द्रको प्रतिमा उभी निश्चयनयकी प्रतिकृति है । जो निपट वीतराग होकर हमें आत्ममात्रसत्यता, सर्वात्मसमत्व और परमवीतरागताका पावन मन्देश देती है । पर व्यवहारमूढ मानव उसका मात्र अभिषेक कर बाह्यपूजा करके ही कर्त्तव्यकी इतिथ्री समझ लेता है । उलटे अपनेमे मिथ्या धर्मात्मत्वके अहकारका पोषण कर मविरमे भी चौका लगानेका दुष्प्रयत्न करता है । 'अमुक मन्दिरमें आ सकता है अमुक नहीं' इन विधिनियंथोकी कल्पित अहकारपोषक दोबारे खड़ी करके धर्म, शास्त्र और परम्पराके नामपर तथा संस्कृतिरक्षाके नामपर सिरफुडौबल और मुकदमेवाजीकी स्थिति उत्पन्न की जाती है और इस तरह रौद्रानन्दी रूपका नग्न प्रदर्शन इन धर्मस्यानोमे आये दिन होता रहता है ।

इसी धारणावश निश्चयमूढ 'मैं सिद्ध हूँ' निर्विकार हूँ, कर्मबन्धनमुक्त हूँ' आदि वर्तमानकालीन प्रयोग करने लगते हैं । और उसका समर्थन उपर्युक्त भ्रान्तधारणाके कारण करने लगते हैं । पर कोई भी समझदार आजकी नितान्त अशुद्ध दशामे अपनेको गुद्ध माननेका भ्रान्त साहम भी नहीं कर सकता । यह कहना तो उचित है कि मुझमे सिद्ध होनेकी योग्यता है, मैं सिद्ध हो सकना हूँ, या सिद्धका मूल द्रव्य जितने प्रदेशवाला, जितने गुणधर्मवाला है, उतने ही प्रदेशवाला, उतने ही गुणधर्मवाला मेरा भी है । अन्तर इतना ही है कि सिद्धके सब गुण निरावरण है और मेरे आवरण । इस तरह शक्ति प्रदेश और अविभाग प्रतिच्छेदोकी दृष्टिसे समत्व कहना जुदी बात है । वह समानता तो सिद्धके ममान निगोदियामे भी है । पर इससे मात्र द्रव्योकी मौलिक एकजातीयताका निरूपण होता है न कि वर्तमान कालीन पर्यायिका । वर्तमान पर्यायोमें तो अन्तर महदन्तरम् है ।

इसीतरह निश्चयनय केवल द्रव्योकी विषय करता है यह धारणा भी मिथ्या है । वह तो पर निरपेक्ष स्वभावको विषय करनेवाला है चाहे वह द्रव्य हो या पर्याय । सिद्ध पर्याय परनिरपेक्ष स्वभावभूत है, उसे निश्चयनय अवश्य विषय करेगा । त्रिम प्रकार द्रव्यके मूलस्वरूप पर दृष्टि रखनेसे आत्मस्वरूपकी प्रेरणा मिलती है उसी तरह सिद्ध पर्यायपर भी दृष्टि रखनेसे आत्मोन्मुखता होती है । अतः निश्चय और व्यवहारका सम्यग्दर्शन करके हमें निश्चयनयके लक्ष्य-आत्मनमत्वको जीवनव्यवहारमे उन्नारनेका प्रयत्न करना चाहिए । धर्म-अधर्मकी भी यही कमीटी हो सकनी है । जो क्रियाएँ आत्मस्वभावकी मायक हो परमवीतरागता और आत्मममताकी ओर ले जाँव वे धर्म है, शेष अधर्म ।

परलोक का सम्यग्दर्शन

धर्मक्षेत्रमे सब ओरमे 'परलोक सुधारो' की आवाज सुनाई देती है । परलोकका अर्थ है मरणोत्तर जीवन । हर एक धर्म यह दावा करता है कि उसके बताए हुए मार्गपर चलनेसे परलोक सुखी और समृद्ध होगा । जैनधर्ममे भी परलोकके सुखोका मोहक वर्णन मिलता है । स्वर्ग और नरकका सागोपाग विवेचन सर्वत्र पाया जाता है । समारमे चार गणियाँ हैं—मनुष्यगति, नियच्छगति, नरकगति और देवगति । नरक अत्यन्त दुःखके स्थान है और स्वर्ग सासारिक अम्युदयके स्थान । इनमे सुधार करना मानवशक्तिके बाहरकी बात है । इनकी जो रचना जहाँ है मदा बँधी रहनेवाली है । स्वर्गमे एक देवकी कम्से कम मदावीचना बत्तौस देवियाँ अवश्य मिलनी हैं । शरीर कभो रोगी नहीं होता । खाने-पीनेकी चिन्ता नहीं । सब मन-कामना होते ही समुपस्थित हो जाता है । नरकमे सब दुःख ही दुःखकी सामग्री है ।

यह निश्चित है कि एक स्थूल शरीरको छोडकर आत्मा अल्प स्थूल शरीरको धारण करता है । यही परलोक कहलाता है । मैं यह पहिले बिस्तारसे बता आया हूँ कि आत्मा अपने पूर्वशरीरके साथ ही साथ

उस पर्यायमें उपाजित किये गए ज्ञान विज्ञान शक्ति आदिको वही छोड़ देता है, मात्र कुछ सूक्ष्म संस्कारोंके साथ परलोकमें प्रवेश करता है। जिस योनिमें जाता है वही वातावरणके अनुसार विकसित होकर बढ़ता है। अब यह विचारनेकी बात है कि मनुष्यके लिए मरकर उत्पन्न होनेके दो स्थान तो ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य इसी जन्ममें सुधार सकता है, अर्थात् मनुष्य योनि और पशु योनि इन दो जन्मस्थानोंके संस्कार और वातावरणको सुधारना तो मनुष्यके हाथमें है ही। अपने स्वार्थकी दृष्टिसे भी आधे परलोकका सुधारना हमारी रचनात्मक प्रवृत्तिकी मर्यादामें है। बीज कितना ही परिपुष्ट क्यों न हो यदि खेत ऊबड़-खाबड़ है, उसमें कास आदि है, साप, चूहे, छछू दर आदि रहने हैं तो उस बीजकी आधी अच्छाई तो खेतकी खराबी और गन्दे वातावरणसे समाप्त हो जाता है। अतः जिस प्रकार चतुर किसान बीजकी उत्तमताकी चिन्ता करता है उसी प्रकार खेतको जोगने बखरने, उसे जीवजन्तुरहित करने, घास फूस उखाड़ने आदिकी भी पूरी-पूरी कोशिश करता ही है, तभी उसकी खेती समृद्ध और आशातीत फलप्रसूत होती है। इसी तरह हमें भी अपने परलोकके मनुष्यसमाज और पशुसमाज रूप दो खेतोंको हम योग्य बना लेना चाहिए कि कदाचित् इनमें पुनः शरीर धारण करना पडा तो अनुकूल सामग्री और सुन्दर वातावरण तो मिल जाय। यदि प्रत्येक मनुष्यको यह दृढ़ प्रतीति हो जाय कि हमारा परलोक यही मनुष्य समाज है और परलोक सुधारनेका अर्थ इसी मानव समाजको सुधारना है तो इस मानवसमाजका नक्शा ही बदल जाय। इसी तरह पशुसमाजके प्रति भी सद्भावना उत्पन्न हो सकती है और उनके खानेपीने रहने आदिका समुचित प्रबन्ध हो सकता है। अमेरिकाकी गाएँ रेडियो मुनती है। और गिनेमा देखती है। वहाँकी गोघालाएँ यहाँके मानव घोंसलोसे अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित हैं।

परलोक अर्थात् दूसरे लोग, परलोकका सुधार अर्थात् दूसरे लोगोंका—मानवसमाजका सुधार। जब यह निश्चित है कि मरकर इन्हीं पशुओं और मनुष्योंमें भी जन्म लेनेकी सम्भावना है तो समझदारों और मध्यदर्शनकी बात तो यह है कि इस मानव और पशु समाजमें आए हुए दोषोंको निकालकर इन्हें निर्दोष बनाया जाय। यदि मनुष्य अपने कुकृत्योंसे मानवजातिमें क्षय, सुजाक, कोढ़, मृगी आदि रोगोंकी सृष्टि करता है, इसे नीतिभ्रष्ट, आचारविहीन, कलह केन्द्र और शराबखोर आदि बना देता है तो वह कैसे अपने मानव परलोकको सुखी कर सकेगा। आखिर उसे भी इसी नरकभूत समाजमें जन्म लेना पड़ेगा। इसी तरह गाय, भैंस आदि पशुओंकी वधा यदि मात्र मनुष्यके ऐहिक स्वार्थके ही आधारपर चली तो उनका कोई सुधार नहीं हो सकता। उनके प्रति सद्भाव हो। यह समझे कि कदाचित् हमें इन योनियोंमें जन्म लेना पडा तो यही भोग हमें भोगना पड़ेगा। जो परम्पराएँ हम इनमें डाल रहे हैं उन्हींके चक्रमें हमें भी पिसना पड़ेगा। जैसा करोधे वैसा भरोगे, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि यदि अपने कुकृत्योंसे इस मानव समाज और पशु समाजको कलंकित करोगे तो परलोकन कदाचित् इन्हीं समाजोंमें जाना पडा तो उन अपने कुकृत्योंका भोग भोगना ही पड़ेगा।

मानव समाजका सुख दुःख तत्कालीन समाज व्यवस्थाका परिणाम है। अतः परलोकका सम्यग्दर्शन यही है कि जिस आधे परलोकका सुधार हमारे हाथमें है उसका सुचारु ऐसी सर्वोदयकारिणी व्यवस्था करके करें जिससे स्वर्गमें उत्पन्न होनेकी इच्छा ही न हो। यही मानवलोकसे भी अधिक सर्वोदयकारक बन जाय। हमारे जीवनके असदाचार असयम कुटुंब बीमारी आदि सीधे हमारे वीर्यकणको प्रभावित करते हैं और उससे जन्म लेनेवाली सन्ततिके द्वारा मानवसमाजमें वे सब बीमारियाँ और चरित्रभ्रष्टताएँ फैल जाती हैं अतः इनसे परलोक बिराड़ता है। इसका सात्यय यही है कि लोटे संस्कार सन्तति द्वारा उस मानवजातिमें भर कर

लेते हैं जो मानवजाति कभी हमारा पुनः परलोक बन सकती है। हमारे कुकृत्योंसे नरक बना हुआ यही मानवसमाज हमारे पुनर्जन्मका स्थान हो सकता है। यदि हमारा जीवन मानव-समाज और पशुजातिके सुधार और उद्धारमें लग जाता है तो नरकमें जन्म लेनेका मौका ही नहीं आ सकता। कदाचित् नरकमें पहुँच भी गए तो अपने पूर्व सस्कारवश नारकियोंको भी सुधारनेका प्रयत्न किया जा सकता है। तात्पर्य यह कि हमारा परलोक यही हमसे भिन्न अखिल मनुष्य समाज और पशुजाति है जिनका सुधार हमारे परलोकका आधा सुधार है।

हमारा परलोक है—हमारी सन्तति। हमारे इस शरीरमें होनेवाले यावत् मत्कर्म और दुष्कर्मोंके रक्तद्वारा जीवित सस्कार हमारी सन्ततिमें आने हैं। यदि हममें कोढ़, क्षय या मुजाक जैसी संक्रामक बीमारियाँ हैं तो इसका फल हमारी सन्ततिको भोगना पड़ेगा। अनदाचार और शराबखोरी आदिसे होनेवाले पापसस्कार रक्तद्वारा हमारी सन्ततिमें अकुरित होंगे तथा बालकके जन्म लेनेके बाद वे प्लग्वित पुषित और फलित होकर मानवजातिको नरक बनायेंगे। अतः परलोकको सुधारनेका अर्थ है सन्ततिको सुधारना और सन्ततिको सुधारनेका अर्थ है अपनेको सुधारना। जब तक हमारे इस प्रकारकी अन्तमुँहों दृष्टि न होगी तब तक हम मानव जातिके भावी प्रतिनिधियोंके जीवनमें उन असह्य काली रेखाओंको अंकित करने जायेंगे जो सीधे हमारे असंयम और पापाचारका फल है।

एक परलोक है—शिष्य परम्परा। जिस प्रकार मनुष्यका पुनर्जन्म रक्तद्वारा अपनी सन्ततिमें होता है उसी तरह विचारों द्वारा मनुष्यका पुनर्जन्म अपने शिष्योंमें या आसपासके लोगोंमें होता है। हमारे जैसे आचार-विचार होंगे, स्वभावतः शिष्योंके जीवनमें उनका असर होगा ही। मनुष्य इतना सामाजिक प्राणी है कि वह जान या अनजानमें अपने आसपासके लोगोंको अवश्य ही प्रभावित करता है। बापको बीड़ी पीता देखकर छोटे बच्चोंको झूठे ही लकड़ीकी बीड़ी पीनेका शौक होना है और यह खेल आगे जाकर व्यसनका रूप ले लेता है। शिष्य परिवार मोमका पिंड है। उसे जैसे सचिमें ढाला जायगा ढल जायगा। अतः मनुष्यके ऊपर अपने सुधार-विगाडकों जबाबदारी तो है ही साथ ही साथ मानव समाजके उत्थान और पतनमें भी उसका नाशान्त और परम्पराया खाम हाथ है। रक्तजन्य सन्तति तो अपने पुरुषार्थद्वारा कदाचित् पितृजन्य कुसस्कारोंसे मुक्त भी हो सकती है पर यह विचारसन्तति यदि जहरीली विचारधारासे बेहोश हुई तो इसे होशमें लाना बड़ा दुष्कर कार्य है। आजका प्रत्येक व्यक्ति इस नूतनपीढ़ी पर ही आँस गड़ाए हुए है। कोई उसे मजहबकी शराब पिलाना चाहता है तो कोई हिन्दुत्वकी, तो कोई जाति की तो कोई अपनी कुल परम्परा की। न जाने कितने प्रकारकी विचारधाराओंकी रग बिरगो शराब मनुष्यकी दुबुद्धिमें तैयार की है और अपने वर्गका उच्चत्व, स्वसत्ता स्थायित्व और स्थिर स्वाधीनकी सरक्षाके लिए विविध प्रकारके धार्मिक मासकृतिक सामाजिक और राष्ट्रीय आदि सुन्दर मोहक पानोंमें ढाल-ढालकर भोली नूतन पीढीको पिलाकर उन्हें स्वरूपच्युत किया जा रहा है। वे इसके नशेमें उस मानवसमत्वाधिकारको भूलकर अपने भाइयोंका खून बहानेमें भी नहीं हिचकिचाते। इस मानवसद्धारयुगमें पशुओंके सुधार और उनकी सुरक्षाकी बात तो सुनता ही कौन है? अतः परलोक सुधारके लिए हमें परलोकके सम्यग्दर्शनकी आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि हमारा पुरुषार्थ किस प्रकार उस परलोकको सुधार सकता है।

परलोकमें स्वर्गके मुखाधिके लोमसे इस जन्ममें कुछ चारित्र्य या तपश्चरणको करना तो लम्बा व्यापार है। यदि ३२ देवियोंके महासुलकी तीव्रकामनासे इस जन्ममें एक बूढ़ी स्त्रीको छोड़कर ब्रह्मचर्य धारण किया जाता है तो यह केवल प्रवञ्चना है। न यह चारित्र्यका सम्यग्दर्शन है और न परलोकका। यह तो कामना-

का अनुचित पोषण है, कवायकी पूर्तिका दुष्प्रयत्न है। अतः परलोक सम्बन्धी सम्यग्दर्शन साधकके लिए अत्यावश्यक है।

कर्मसिद्धान्तका सम्यग्दर्शन

जैन सिद्धान्तमें सर्वप्राप्ती ईश्वरसे जिस किसी तरह मुक्ति विलाकर यह घोषणा की थी कि प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है। यह स्वयं अपने भाग्यका विधाता है। अपने कर्मका कर्ता और उसके फलका भोक्ता है। परन्तु जिस पक्षीकी चिरकाळेसे पिंजरेमें परतन्त्र रहनेके कारण सहज उड़नेकी शक्ति कुण्ठित ही गई है उसे पिंजड़ेसे बाहर भी निकाल दीजिए तो वह पिंजड़ेकी ओर ही झपटना है। इसी तरह यह जीव अनादिते परतन्त्र होनेके कारण अपने मूल स्वातन्त्र्य-आत्ममानाधिकारको भूला हुआ है। उसे इसकी याद दिलाते हैं तो कभी वह भगवान्का नाम लेता है, तो कभी किसी देवी देवताका। और कुछ नहीं तो 'करमगति टालो नाहिं टले' का नारा किसीने छीन ही नहीं लिया। 'विधिका विधान' 'भक्तिव्यता अमिट है' आदि नारे बच्चेसे बड़े तक सभीकी जवानपर बड़े हुए हैं। ईश्वरकी गुलामीसे हटे तो यह कर्मकी गुलामी गले आ पड़ी।

मैंने बन्धतत्त्वके विवेचनमें कर्मका स्वरूप विस्तारसे लिखा है। हमारे विचार, वचन व्यवहार और शारीरिक क्रियाओंके संस्कार हमारी आत्मापर प्रतिक्षण पड़ने हैं और उन संस्कारोंको प्रबोध देनेवाले पुद्गल स्कन्ध आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त हो जाते हैं। आजका किया हुआ हमारा कर्म कल देव बन जाता है। पुराकृत कर्मको ही देव विधि भाग्य आदि शब्दोंसे कहते हैं। जो कर्म हमने किया है, जिसे हमने बोया है उसे चाहे तो दूसरे क्षण ही उखाड़कर फेंक सकते हैं। हमारे हाथमें कर्मोंकी सत्ता है। उनकी उदीरणा-समयसे पहिले उदयमें लाकर छाड़ा देना, सक्रमण-साताको अमाता और अमाताको साता बना देना, उत्कर्षण-स्थिति और फल देनेकी शक्तिमें वृद्धि कर देना, अपकर्षण-स्थिति और फलदानशक्ति ह्रास कर देना, उपशम-उदयमें न आने देना, क्षय-नाश करना, उद्वेलन-क्षयोपशम आदि विविध दशायें हमारे पुण्यार्थके अधीन हैं। अमुक कोई कर्म बंधा इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वह बन्धलेप हो गया। बंधनेके बाद भी हमारे अच्छे-बुरे विचार और प्रवृत्तियोंसे उसकी अवस्थामें सँकड़ो प्रकारके परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, कुछ कर्म ऐसे जरूर बंध जाते हैं जिन्हें टालना कठिन होना है उनका फल उन्नी रूपमें भोगना पड़ता है। पर ऐसा कर्म सौ में एक ही शायद होता है।

सीपीसी बात है—पुराना संस्कार और पुरानी बासना हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई थी। यदि आज हमारे आचार-व्यवहारमें श्रद्धा आती है तो पुराने संस्कार धीरे-धीरे या एक ही झटकेमें समाप्त हो ही जायेंगे। यह तो बलाबलकी बात है। यदि आजकी नैपारी अच्छी है तो प्राचीनकी नष्ट किया जा सकता है, यदि कमजोरी है तो पुराने संस्कार अपना प्रभाव दिखायेंगे ही। ऐसी स्वतन्त्र स्थितिमें 'कर्मगति टालो नाहो टले' जैसे क्लीबविचारोंका क्या स्थान है? ये विचार तो उस समय शांति देनेके लिए हैं जब पुण्यार्थ करनेपर भी कोई प्रबल आघात आ जावे, उस समय मान्दबना और सांस लेनेके लिए इनका उपयोग है। कर्म बलवान् था, पुण्यार्थ उतना प्रबल नहीं हो सका अतः फिर पुण्यार्थ कीजिए। जो अवस्थामात्रो बातें हैं उनके द्वारा कर्मकी शक्तिको अटल बताना उचित नहीं है। एक शरीर चारण किया है, समयानुसार वह जीर्ण शीर्ण होगा ही। अब यहाँ यह कहना कि 'कितना भी पुण्यार्थ कर लो मृत्युसे बच नहीं सकते और इसलिए कर्म-गति अटल है' बस्तुस्वरूपके अज्ञानका फल है। जब वह किञ्चित्काल स्थायी पर्याय है तो आगे पीछे उसे जीर्ण शीर्ण होना ही पड़ेगा। इसमें पुण्यार्थ इतना ही है कि यदि युक्त आहार-बिहार और संयमपूर्वक चला जायगा तो शिष्टगी लम्बी और सुखपूर्वक चलेगी। यदि असदाचार और असंयम करोगे तो शरीर क्षय आदि रोगों-

का घर होकर जल्दी क्षीण हो जायगा। इसमें कर्मकी क्या अटलता है? यदि कर्म वस्तु 'अटल होता तो ज्ञानी जीव त्रिगुणित आदि साधनाओं द्वारा उसे क्षणभरमें काटकर सिद्ध नहीं हो सकेंगे। पर इस आशयकी पुरुषार्थप्रवण घोषणार्थ मूलतः शास्त्रोंमें मिलती ही है।

स्पष्ट बात है कि कर्म हमारी क्रियाओं और विचारोंके परिणाम है। प्रतिकूल विचारोंके द्वारा पूर्व-संस्कार हटाए जा सकते हैं। कर्मकी दशाओंमें विविध परिवर्तन जीवके भावोंके अनुसार प्रतिक्षण होते ही रहते हैं। इसमें अटलपना क्या है। कमजोरके लिए कर्मही क्या, कुत्ता भी अटल है, पर सबके लिए कोई भी अटल नहीं है। परन्तु कर्मको टालनेके लिए शारीरिक बलकी आवश्यकता नहीं है, इसके लिये चाहिए आत्मबल। चूंकि कर्मोंके बन्धन आत्माके ही विकारों भावोंसे, आत्माकी ही कमजोरीसे हुए थे अत उमकी निवृत्ति भी आत्माके ही स्वभावोंसे, स्वसंशोधनसे ही हो सकती है। यही आत्मबल यदि है तो फिर किसी कर्मकी ताकत नहीं जो पुन्हें प्रभावित कर सके।

श्री पंडित टोडरमलजीने मोक्षमार्गप्रकाशमें काललब्धि और भवितव्यके सम्बन्धमें स्पष्ट लिखा है कि—'काललब्धि और होनहार तो किछू वस्तु नाही। जिस काल विषय कार्य वने सोई काललब्धि और जो कार्य भया सो होनहार।' में अध्यात्मके विवेचनमें बता आया है कि प्रतिक्षण वस्तुमें अनेक परिणमनोंकी तरतमभूत योग्यताएँ रहती हैं। जैसे निमित्त और जैसी सामग्री नूट जायगी तदनुकूल योग्यताका परिणमन होकर उसका विकास हो जायगा। इसमें स्वपुरुषार्थ और स्वशक्तिको पहिचानेकी आवश्यकता है। जिस जैनधर्मने ईश्वर जैसी दुइमल समर्थ और बहुप्रचलित कपनाका उच्छेद करके जीवस्वानन्धका स्वावलम्बी उपदेश दिया उसमें कर्म अमित और विधिविधान अटल कैमें हो सकता है? जो हमारी गलती है उसे हम कभी भी सुधार सकते है। यह अवश्य है कि जितनी पुरानी भूलें और आदने होगी उन्हें हटानेके लिए उतना ही प्रबल पुरुषार्थ करना होगा। इसके लिए समय भी अपेक्षित हो सकता है। इसका अर्थ पुरुषार्थमें अविश्राम कदापि नहीं करना चाहिए।

कर्मके सम्बन्धमें एक धम यह भी है कि कर्मके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। समारके अनेको कार्य अपने-अपने अनुकूल-प्रतिकूल संयोगोंमें होते रहते है। उन-उन पदार्थोंके सन्निधानमें जीवके माना और असाता का परिपाक होता है। जैसे ठंडी हवा अपने कारणोंसे चल रहा है। स्वस्थ पुरुषको मातामें वह नोकर्म हो जाती है और निमोनियाँ रोगीके असातामें नोकर्म बन जाती है। यह कहना कि 'हमारे सानाके उदयने हवाको चला दिया और रोगीके असाताके उदयने, भूल है। ये तो नोकर्म है। इनकी समुत्पत्ति अपने कारणोंसे होती है। और ये उन कर्मोंके उदयकी सामग्री बन जाने है। यह भी ठीक है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाषकी सामग्रीके अनुसार कर्मोंके उदयमें-उसकी फलदान शक्तिमें तारतम्य हो जाता है। 'लाभान्तरायका उदय लाभको रोकना है और उसका क्षयोपशम लाभका कारण है' इसका आन्तरिक अर्थ तो यही है कि जीवमें उसके क्षयोपशमसे उस लाभको अनुभवनकी योग्यता हाती है। बाह्य पदार्थोंका मिलना आदि उस योग्यता-जन्म पुरुषार्थ आदिके फल है।

यह भी निश्चित है कि आत्मा भौतिक जगत्को प्रभावित करता है। आत्माके प्रभावके साक्षी मीस्-रेजिम, हिनाटिपम आदि है। अत आत्मपरिणामोंके अनुसार भौतिक जगत्में भी परिवर्तन प्रायः हुआ करते है। पर नैयायिकोंकी तरह जैनकर्म अमेरिकामें उत्पन्न होनेवाली हमारी भोग्य साधुनमें कारण नहीं हो सकता। कर्म अपनी आसपासकी सामग्रीको प्रभावित करता है। अमेरिकामें उत्पन्न साधुन अपने कारणोंसे उत्पन्न हुई है। हाँ, जिससमय वह हमारे संपर्कमें आ जाती है तबसे हमारी सातामें नोकर्म हो जाती है।

रस्तेमें पड़ा हुआ एक पत्थर सैकड़ों बीबोंके सैकड़ों प्रकारके परिणमनमें तत्काल निमित्त बन जाता है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उस पत्थर को उत्पन्न करनेमें उन सैकड़ों जीवोंके पुण्य-पापमें कोई कार्य किया है। संसारके पदार्थोंकी उत्पत्ति अपने-अपने कारणोंसे होती है। उत्पन्न पदार्थ एक दूसरेकी साता असाताके लिए कारण हो जाते हैं। एक ही पदार्थ समयभेदसे एकजीव या नानाजीवोंके राग-द्वेष और उपयोगका निमित्त होता रहता है। किमीका त्रिकालिक रूप सदा एकसा नहीं रहता। अतः कर्मका सम्बन्धदर्शन करके हमें अपने पुरुषार्थको पहिचान कर स्वात्मदृष्टि हो तदनुकूल सत्युपार्थमें लगना चाहिए। बही पुरुषार्थ सत् है जो आत्मस्वरूप का साधक हो और आत्माधिकारकी मर्यादाको न लांघता हो।

संसारके अनन्त अचैनन पदार्थोंका परिणमन यद्यपि उनकी उपादान योग्यताके अनुसार होता है पर उनका विकास पुरुष निमित्तसे अत्यधिक प्रभावित होता है। प्रत्येक परमाणुमें पुद्गलकी वं सब शक्तियाँ हैं जो किसी भी एक पुद्गलानु इत्येव हो सकती है अतः उपादान योग्यताकी कमी तो किसीमें भी नहीं है। रह जाती है पर्याययोग्यता, सो पर्याययोग्यता, परिणमनको अनुसार बदल जायगी। रेत पर्यायसे मामूली कुम्हार आदि निमित्तसे घटरूप परिणमनका विकाम नहीं हो सकता जैसे कि मिट्टीका हो जाता है पर काँचकी भट्टीमें या चीनी मिट्टीके कारखानेमें उसी रेत पर्यायका काचके घडे रूपसे और चीनी मिट्टीके घडे रूपसे स्विचरनर सुन्दर परिणमन विकसित हो जाता है। अचेतन पदार्थोंके परिणमन जैसे स्वतः बुद्धिगम्य होनेके कारण सयोगाधीन है वैसे चेतन पदार्थोंके परिणमन मात्र सयोगाधीन ही नहीं है। जबतक यह आत्मा परन्तु है तत्रतक उसे कुछ सयोगाधीन परिणमन करना भी पडते हो फिर भी वह उन संयोगोंसे मुक्त होकर उन परिणमनोंसे मुक्ति पा सकते हैं। चेतन अपनी स्वशक्तिकी तरतमताके अनुसार अपने परिणमनमें स्वाधीन बन सकता है। उसमें कर्म अर्थात् हमारे पुराने संस्कार तभी तक बाधक हो सकते हैं जबतक हम अपने प्रयोगो द्वारा उनपर विजय नहीं पा लेते। उन पुराने संस्कार और विकारोंसे जो पुद्गलद्रव्य हमारी आत्मासे बंधा था, उसको अपनी स्वतः सामर्थ्य कुछ नहीं है उसे बल तो हमारे संस्कार और हमारी वासनाओंसे ही प्राप्त होता है।

इसके सम्बन्धमें साख्यकारिकामें बहुत उपयुक्त दृष्टान्त वेद्या का दिया है। जिस प्रकार वेद्या हमारी वासनाओंका बल पाकर ही हमें नानाप्रकारसे तृचाती है, हम उसके इशारेपर चलते हैं, उसे ही अपना सर्वस्व मानते हैं, चूमते हैं, चाँटते हैं, जैसा वह कहती है वैसे करते हैं। पर जिस समय हम स्वयं वासनानिर्मुक्त होकर स्वरूपदर्शी होते हैं उस समय वेद्या का बल समाप्त हो जाता है और वह हमारी गुलाम होकर हमें रिशानेकी चेष्टा करती है, पुनः वासना जाग्रत करनेका प्रयत्न करती है। यदि हम पक्के रहे तो वह स्वयं असफल प्रयत्न होकर हमें छोड़ देती है, और समझती है कि अब इनपर रग नहीं जम सकता। यही हालत कर्मपुद्गलकी है। वह तो हमारी वासनाओंका बल पाकर ही सस्पन्द होता है। बंधा भी हमारी वासनाओंके कारण ही था और छूटेगा या निःसार होगा तो हमारी वासनानिर्मुक्त परिणतिले ही। कर्मका बल हमारी वासना ही और वह यदि निर्बल होगा तो हमारी बीतरागतसे ही। शास्त्रोंमें मोहनोयको कर्मोंका राजा कहा है और ममकार तथा अहंकारको मोहराजका मन्त्री। मोह अर्थात् मिथ्यादर्शन, राग और द्वेष। बाह्य पदार्थोंमें ये 'मेरे हैं' इस ममकारसे तथा 'मैं जानी हूँ' 'रूपवान्' हूँ इत्यादि अहंकारसे राग द्वेषकी सृष्टि होती है और मोहराज की सेना तैयार हो जाती है। जिस समय इस मोहराजका पतन हो जाता है उस समय सेना अपने आप निर्बीर्य होकर तितर-बितर हो जाती है। साथ रह गया इन कुमाओंके साथ बंधने वाला पुत्रबल। मो वह तो विचारा पर द्रव्य है। वह यदि आत्मामें पडा भी रहा तो भी हानिकारक नहीं। सिद्धशिलापर भी सिद्धोंके पास अनन्त पुद्गलानु पड़े होंगे पर वे उनमें रागादि उत्पन्न नहीं कर सकते

क्योंकि उनमें भीतरसे वे कुभाव नहीं हैं। अतः मोहनीयके नष्ट होते ही, वीतरागता आने ही वह बंधा हुआ इन्द्र भी झड़ जायगा, या न भी झडा वहाँ ही बना रहा तो भी उसमें जो कर्मपना आया है वह समाप्त हो जायगा, वह मात्र पुद्गलपिंड रह जायगा। कर्मपना तो हमारी ही वासनासे उनमें आया था तो समाप्त हो जायगा। "कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अगिन सहे घनघान लोउकी संगति पाई।" यह स्तुति हम रोज पढते हैं। इसमें कर्मशास्त्रका सारा तत्व भरा हुआ है। तात्पर्य यह कि-कर्म हमारी रूपाई हुई खेती है उसे हमी सीचते हैं। चाहे तो उसे निर्जोव कर दे, चाहे तो मजोव। पर पुरानी परत्पन्नता के कारण आत्मा इतना निर्बल हो गया है कि उगकी अपनी कोई आवाज ही नहीं रह गई है। आत्मामें जितना सम्यग्दर्शन और स्वरूप-स्थितिका बल आयगा उनता ही वह मबल होगा और पुरानी वामनाएँ समाप्त होती जायगी। इन तरह कर्मके यथार्थ रूपको समझ कर हमें अपनी गणिकी पहिचान करनी चाहिए और उन सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियोंका मवधन तथा पोषण करना चाहिए जिसमें पुरानी कुवासनाएँ नष्ट होकर वीतराग चिन्मय स्वरूपको पुनः प्रतिष्ठा हो।

शास्त्रका सम्यग्दर्शन

वैदिक परम्परा और जैनपरम्परामें महत्त्वका मौलिक भेद यह है कि वैदिक परम्परा धर्म-अधर्म-व्यवस्थाके लिए वेदोंको प्रमाण मानती है जब कि जैन परम्परामें वेद या किमो शास्त्रकी केवल शास्त्र होनेके ही कारण प्रमाणता स्वीकार नहीं की है। धर्म-अधर्मकी व्यवस्थाके लिए पुरुषके तत्त्वज्ञानमूलक अनुभवको प्रमाण माना है। वैदिक परम्परामें स्पष्ट घोषणा कि—'धर्मं चोदनेव प्रमाणम्' अर्थात् धर्मव्यवस्थामें अन्तिम प्रमाण वेद है। इसीलिए वेदपक्षवादी मीमांसकने पुरुषकी सर्वज्ञतासे ही इनकार कर दिया है। वह धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोंके सिवाय अन्य पदार्थोंका यथासभव प्रत्यक्षानुभव प्रमाणसे ज्ञान मानता है, पर धर्मका ज्ञान वेदके ही द्वारा मानता है। जब कि जैन परम्परा प्रारम्भमें ही वीतरागी पुरुषके तत्त्वज्ञानमूलक बचनोंको धर्मादिमें प्रमाण मानती आई है। इसीलिए इन परम्परामें पुरुषकी सर्वज्ञता स्वीकृत हुई है। इस विवेचनसे इतना स्पष्ट है कि कोई भी शास्त्र मात्र शास्त्र होनेके कारण ही जैन परम्पराको स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक कि उसके वीतराग-यथार्थवेदिप्रणीतत्वका निश्चय न हो जाय। माध्यान् सर्वज्ञतत्त्वके निश्चय या सर्वज्ञप्रणीत मूल-परम्परागतत्वके निश्चयके बिना कोई भी शास्त्र धर्मके विषयमें प्रमाणकोटिमें उपस्थित नहीं किया जा सकता।

वेदकी गुलाभीको जैन तत्त्वज्ञानियोंने हमारे ऊपरमें उतारकर हमें पुग्धानुभवमूलक पीरुखेय बचनोंको परीक्षापूर्वक माननेकी राय दी है। पर शास्त्रोंके नामपर अनेक मूल परम्परामें अनिश्चित विषयोंके सद्ग्राहक भी शास्त्र नैवार हो गये हैं। अतः हमें यह विवेक तो करना ही होगा कि इन शास्त्रके द्वारा प्रतिपाद्य विषय मूल अहिंसापरम्परासे मेल खाते हैं या नहीं? अथवा तत्कालीन ब्राह्मणधर्मके प्रभावमें प्रभावित हुए हैं। श्री पंडित जगन्नाथशेखरजी मुस्तारने ग्रन्थपरीक्षाके तीन भागोंमें अनेक ऐसे ही ग्रन्थोंको आलोचना की है जो उमास्वामी और पूज्यपाद जैसे युगनिर्माता आचार्योंके नामपर बनाए गए हैं। जिस जन्मना जातिव्यवस्थाका जैन सस्कृतिने अस्वीकार किया था कुछ पुराणग्रन्थोंमें वही अनेक संस्कार और परिकरोंके साथ विराजमान हैं। जैनसस्कृति ब्राह्मण आडम्बरोते ग्रन्थ अध्यात्म-अहिंसक सस्कृति है। उसमें प्राणिमात्रका अधिकार है। ब्राह्मणधर्ममें धर्मका उच्चवाचिकारी ब्राह्मण है जब कि जैन सस्कृतिने धर्मका प्रत्येक द्वार मानवमात्रके लिए उन्मुक्त रखा है। किमी भी जातिका किसी भी वर्णका मानव धर्मके उच्च स्तर तक बिना किसी शकावटके पहुँच सकता है। पर कालक्रमसे यह सस्कृति ब्राह्मणधर्मसे परामृत हो गई है और इसमें ही वर्णभ्यवस्था और

जातिगत उच्चनीच भाव आदि शामिल हो गये हैं। तर्पण श्राद्ध उपाध्यायप्रथा आदि इसमें भी प्रचलित हुए हैं। यज्ञोपवीतादि संस्कारोंने जोर पकड़ा है। दक्षिणमें तो जैन और ब्राह्मणमें फर्क करना भी कठिन हो गया है। तबनुसार ही अनेक ग्रन्थोंकी रचनाएँ हुईं और सभी शास्त्रके नामपर प्रचलित हैं। त्रिवर्णाचार और चर्चसागर जैसे ग्रन्थ भी शास्त्रके खातेमें खतपाए हुए हैं। शासन देवताओंकी पूजा प्रतिष्ठा दायमत्त आदिके शास्त्र भी बने हैं। कहनेका तात्पर्य यह कि मात्र शास्त्र होनेके कारण ही हर एक पुस्तक प्रमाण और ग्राह्य नहीं कही जा सकती। अनेक टीकाकारोंने भी मूलग्रन्थका अभिप्राय समझनेमें मूर्ख की है। अस्तु।

हमें यह तो मानना ही होगा कि शास्त्र पुरुषकृत है। यद्यपि वे महापुरुष विशिष्ट ज्ञानी और लोक कल्याणकी मद्भावनावाले थे पर शायोपशमिकज्ञानवश या परम्परावश मतभेदकी गुंजायस तो ही हो सकती है। ऐसे अनेक मतभेद गोम्भटसार आदिमें स्वयं उल्लिखित हैं। अतः शास्त्र विषयक सम्यग्दर्शन भी प्राप्त करना होगा कि शास्त्रमें किस युगमें किस पात्रके लिए किस विषयासे क्या बात लिखी गई है? उनका ऐतिहासिक पर्यवेक्षण भी करना होगा। दर्शनशास्त्रके ग्रन्थोंमें स्वप्न मण्डनके प्रसंगमें तत्कालीन या पूर्वकालीन ग्रन्थोंका परस्परमें आदान-प्रदान पर्याप्त रूपसे हुआ है। अतः आत्म-सशोधकको जैन सस्कृतिकी शास्त्र विषयक दृष्टि भी प्राप्त करनी होगी। हमारे यहाँ गुणकृत प्रमाणता है। गुणवान् वक्ताके द्वारा कहा गया वह शास्त्र जिनमें हमारी मूलधारसे विरोध न आना हो, प्रमाण है।

इसीतरह हमें मन्दिर, संस्था, समाज, शरीर, जीवन, विवाह आदिका सम्यग्दर्शन करके सभी प्रवृत्तियोंको पुनः रचना आत्मसमत्वके आधारसे करनी चाहिए तभी मानव जातिका कल्याण और व्यक्तिकी मुक्ति हो सकेगी।

तत्त्वाधिगम के उपाय

“ज्ञान प्रमाणमात्मादेखपायो न्यास इष्ट्यते।

नयो ज्ञातुरभिप्रायो मुक्तितोऽर्जपरिग्रहः॥” —लघीय०

अकलकदेवने लघीयस्त्रय स्ववृत्तिमें बताया है कि जोवादि तत्त्वोंका सर्वप्रथम निक्षेपोंके द्वारा न्यास करना चाहिए, तभी प्रमाण और नयसे उनका यथावत् सम्यग्ज्ञान होता है। ज्ञान प्रमाण होता है। आत्मादिको रखनेका उपाय न्यास है। ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं। प्रमाण और नय ज्ञानात्मक उपाय है और निक्षेप वस्तुरूप है। इसीलिए निक्षेपोंमें नययोजना कषायपाहुञ्चर्चुण आदिमें की गई है कि अमुक नय अमुक निक्षेपको विषय करता है।

निक्षेप—निक्षेपका अर्थ है रखना अर्थात् वस्तुका विरूपण कर उसकी स्थितिकी जितने प्रकारकी संभावनाएँ हो सकती हैं उनको सामने रखना। जैसे ‘राजाको बुलाओ’ यहाँ राजा और बुलाना इन दो पदोंका अर्थबोध करना है। राजा अनेक प्रकारके होते हैं यथा ‘राजा’ इस शब्दको भी राजा कहते हैं, पट्टीपर लिखे हुए ‘राजा’ इन अक्षरोंको भी राजा कहते हैं, जिन व्यक्तिकका नाम राजा है उसे भी राजा कहते हैं, राजाके चित्रको या मूर्तिको भी राजा कहते हैं, शतरंजके मुहुरोंमें भी एक राजा होता है, जो आगे राजा होनेवाला है उसे भी लीज आगसे ही राजा कहने लगते हैं, राजाके ज्ञानको भी राजा कहते हैं, जो वर्तमानमें शासनाधिकारी है उसे भी राजा कहते हैं। अतः हमें कौन राजा विवक्षित है? बच्चा यदि राजा मानता है तो उस समय किस राजाकी आवश्यकता होगी, शतरंजके समय कौन राजा अपेक्षित होता है। अनेक प्रकारके राजाओंसे अप्रस्तुतका निराकरण करके विवक्षित राजाका ज्ञान करा देना निक्षेपका प्रयोजन

है। राजाविषयक संशयका निराकरण कर विवक्षित राजाविषयक यथार्थबोध करा देना ही निक्षेपका कार्य है। इसी तरह बुलाना भी अनेक प्रकारका होता है। तो 'राजाको बुलाओ' इम वाक्यमें जो वर्तमान शासनाधिकारी है वह भावराजा विवक्षित है, न शब्दराजा, न ज्ञानराजा, न लिपिराजा, न मूर्तिराजा, न भावीराजा आदि। पुरानी परम्परामें अपने विवक्षित अर्थका सटीक ज्ञान करानेके लिए प्रत्येक शब्दके संभावित वाक्यार्थोंको सामने रखकर उनका विश्लेषण करनेकी परिपाटी थी। आगमोंमें प्रत्येक शब्दका निक्षेप किया गया है। यहाँ तक कि 'शेष' शब्द और 'च' शब्द भी निक्षेप विधिमें मूलाये नहीं गये हैं। शब्द, ज्ञान और अर्थ तीन प्रकारसे व्यवहार चलते हैं। कही शब्दव्यवहारसे कार्य चलता है तो कही ज्ञानसे, तो कही अर्थसे। अर्थको धरानेके लिए शेर शब्द पर्याप्त है। शेरका ध्यान करनेके लिए शेरका ज्ञान भी पर्याप्त है। पर सरकसमें तो शेर पदार्थ ही चिंथाइ सकता है।

विवेचनीय पदार्थ जितने प्रकारका हो सकता है उतने मत्र सभावित प्रकार सामने रखकर अप्रस्तुतका निराकरण करके विवक्षित पदार्थको पकड़ना निक्षेप है। तत्त्वाथसूत्रकारने इस निक्षेपको चार भागोंमें बाँटा है—शब्दात्मक व्यवहारका प्रयोजक नामनिक्षेप है, इममें वस्तुमें उस प्रकारके गुण, जाति, क्रिया आदिका होना आवश्यक नहीं है जैसा उसे नाम दिया जा रहा है। किसी अन्वेषक नाम भी नयनमुख हो सकता है और किसी सूत्रकार कौटा हुए दुबल व्यक्तिको भी महावीर कहा जा सकता है। ज्ञानात्मक व्यवहारका प्रयोजक स्थापना निक्षेप है। इस निक्षेपमें ज्ञानके द्वारा तदाकार या अतदाकारमें विवक्षित वस्तुकी स्थापना कर ली जाती है और संकेत ज्ञानके द्वारा उसका बोध करा दिया जाता है। अर्थात्मक निक्षेप द्रव्य और भावरूप होता है। जो पर्याय आगे होनेवाली है उसमें योग्यताके बलपर आज भी वह व्यवहार करना अथवा जो पर्याय हो चुकी है उसका व्यवहार वर्तमानमें भी करना द्रव्यनिक्षेप है जैसे युवराजको राजा कहना और राजपदका जिसने त्याग कर दिया है उसको भी राजा कहना। वर्तमानमें उन पर्यायवाले व्यक्तिमें ही वह व्यवहार करना भावनिक्षेप है, जैसे सिंहासन स्थित शासनाधिकारीको राजा कहना। आगमामें द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिको मिलाकर यथासमय पाँच, छह और सात निक्षेप भी उपलब्ध होते हैं परन्तु इस निक्षेपका प्रयोजन इतना ही है कि शिष्यको अपने विवक्षित पदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय। बबला टीकामें (पृ० ३१) निक्षेपके प्रयोजनका समग्र करनेवाली यह प्राचीन गाथा उद्धृत है—

“अवगयनिवारणट्ठ पयदस्स पल्लवणाणिमित्तं च ।
संसयविणासणट्ठं तच्चत्थवधारणट्ठं च ॥”

अर्थात्—अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए, प्रकृतका निरूपण करनेके लिए, संशयका विनाश करनेके लिए और तत्त्वार्थका निर्णय करनेके लिए निक्षेपकी उपयोगिता है।

प्रमाण, नय और स्याद्वाद—निक्षेप विधिसे वस्तुको फँलाकर अर्थात् उसका विश्लेषण कर प्रमाण और नयके द्वारा उसका अधिगम करनेका क्रम शास्त्रसम्मत और व्यवहारोपयोगी है। ज्ञानको गति दो प्रकारसे वस्तुको जाननेकी होती है। एक तो अमुक अंशके द्वारा पूरी वस्तुको जाननेकी और दूसरी उसी अमुक अंशको जाननेकी। जब ज्ञान पूरी वस्तुको ग्रहण करता है तब वह प्रमाण कहा जाता है तथा जब वह एक अंशको जानता है तब नय। पर्वतके एक भागके द्वारा पूरे पर्वतका अलखण्ड भावसे ज्ञान प्रमाण है और उसी अंशका ज्ञान नय है। सिद्धान्तमें प्रमाणको सकलादेशी तथा नयको विकलादेशी कहा है उसका यही तात्पर्य है कि प्रमाण ज्ञात वस्तुभागके द्वारा सकल वस्तुका ही ग्रहण करता है जब कि नय उसी विकल अर्थात् एक अंशको

ही ग्रहण करता है। जैसे आँसू से घटके रूपको देखकर रूपमुखेन पूर्ण घटका ग्रहण करना सकलादेश है और घटमें रूप है इस रूपाशको जानना विकलादेश अर्थात् नय है। अनन्तचर्मत्सिक वस्तुका यावत् विशेषको साथ सम्पूर्ण रूपसे ग्रहण करना तो अल्पज्ञानियोके वशकी बात नहीं है वह तो पूर्ण ज्ञानका कार्य हो सकता है। पर प्रमाणज्ञान तो अल्पज्ञानियोका भी कहा जाता है। अतः प्रमाण और नयकी भेदक रेखा यही है कि जब ज्ञान अलक्ष्य वस्तु पर दृष्टि रखे तब प्रमाण तथा जब अंशपर दृष्टि रखे तब नय। वस्तुमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकारके बर्म पाए जाते हैं। प्रमाण ज्ञान सामान्यविशेषात्मक पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है जब कि नय केवल सामान्य अंशको या विशेष अंशको। यद्यपि केवल सामान्य और केवल विशेषरूप वस्तु नहीं है पर नय वस्तुको अंशभेद करके ग्रहण करता है। वक्तोके अभिप्रायविशेषको ही नय कहते हैं। नय जब विवक्षित अंशको ग्रहण करके भी इतर अंशोका निराकरण नहीं करता उनके प्रति तटस्थ रहता है तब सुनय क्लृप्ताता है और जब बही एक अंशका आग्रह करके दूसरे अंशोका निराकरण करने लगता है तब दुर्नय कहलाता है।

नय—विचार व्यवहार माधारणतया तीन भागोंमें बाँटे जा सकते हैं—१—ज्ञानाश्रयी, २—अर्थाश्रयी ३—शब्दाश्रयी। अनेक ग्राम्य व्यवहार या लौकिक व्यवहार संकल्पके आधारसे हो चलते हैं। जैसे रोटी बनाने या कपडा बुननेकी तैयारीके समय रोटी बनाना है, कपडा बुनना है, इत्यादि व्यवहारोमें संकल्पमात्रमें ही रोटी या कपडा व्यवहार किया गया है। इसी प्रकार अनेक प्रकारके औपचारिक व्यवहार अपने ज्ञान या संकल्पके अनुसार हुआ करते हैं। दूसरे प्रकारके व्यवहार अर्थाश्रयी होते हैं—अर्थमें एक ओर एक नित्य व्यापी और सम्भाररूपसे चरम अभेद की कल्पना की जा सकती है तो दूसरी ओर क्षणिकत्व, परमाणुत्व और निरक्षत्वी दृष्टिसे अन्तिम भेद को। इन दोनों अन्तोंके बीच अनेक अवांतर भेद और अभेदोंका स्थान है। अभेद कोटि औपनिषद अद्वैतवादियों की है। दूसरी कोटि वस्तुकी सूक्ष्मतम वर्तमानस्रणवर्ती अर्थपर्यायिके ऊपर दृष्टि रखनेवाले क्षणिकनिराश-परमाणुवादी बौद्धों की है। तीसरी कोटिमें पदार्थको अनेक प्रकारसे व्यवहारमें लानेवाले नैयायिक वैशेषिक आदि दर्शन हैं। तीसरे प्रकारके शब्दाश्रित व्यवहारोमें भिन्न कालवाचक, भिन्न कारकोमें निष्पन्न, भिन्न वचनवाले, भिन्न पर्यायवाले और विभिन्न क्रियावाचक शब्द एक अर्थको या अर्थकी एक पर्यायको नहीं कह सकते। शब्दभेदसे अर्थभेद होना ही चाहिए। इस तरह इन ज्ञान, अर्थ और शब्दका आश्रय लेकर होनेवाले विचारोंके समन्वयके लिए नयदृष्टियोंका उपयोग है।

इसमें संकल्पाधीन यावत् ज्ञानाश्रित व्यवहारोके ग्राहक नैगमनयको संकल्पमात्रग्राही बताया है। तत्त्वार्थभाष्यमें अनेक ग्राम्य व्यवहारोका तथा औपचारिक लौकिकव्यवहारोका स्थान इसी नयकी विषयमर्वादा में निश्चित किया है।

आ० सिद्धसेनने अभेदग्राही नैगमका संग्रहनयमें तथा भेदग्राही नैगमका व्यवहार नयमें अन्तर्भाव किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे नैगमको संकल्पमात्रग्राही मानकर अर्थग्राही स्वीकार करते हैं। अक्षयकवेदने यद्यपि राजवातिकमें पूज्यपादका अनुसरण करके नैगमनयको संकल्पमात्रग्राही लिखा है फिर भी लघीयस्त्रय (का० ३९) में उन्होंने नैगमनयको अर्थके भेदको या अभेदको ग्रहण करनेवाला भी बताया है। इसीलिए इन्होंने स्पष्ट रूपसे नैगम आदि ऋजुसूत्रान् चार नयोको अर्थनय माना है।

अर्थाश्रित अभेदव्यवहारका, जो "आत्मैवेदं सर्वम्" आदि उपनिषद्वाक्योंसे व्यक्त होता है, पर-संग्रहनयमें अन्तर्भाव होता है। यहाँ एक बात विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है कि अन्तर्दानमें दो या अधिक ब्रह्मोंमें अनुस्यूत सत्ता रखनेवाला कोई सत् नामका सामान्यपदार्थ नहीं है। अनेक ब्रह्मोंका सद्रूपसे जो संग्रह किया जाता है वह सत्सापेक्षके निमित्तसे ही किया जाता है न कि सदैकत्वकी दृष्टिसे। हाँ, सदैकत्वकी दृष्टि-

से प्रत्येक सत्की अपनी क्रमवर्ती पर्यायोका और सहभावी गुणोंका अवश्य संग्रह हो सकता है, पर दो सत्में अनुस्यूत कोई एक सत्त्व नहीं है। इस परसंग्रहके आगे तथा एक परमाणुकी वर्तमानकालीन एक अर्थपर्यायसे पहिले होनेवाले यावत् मध्यवर्ती भेदोंका व्यवहारनयमें समावेश होता है। इन अवांतर भेदोंको न्यायवैशेषिक आदि दर्शन ग्रहण करने हैं। अर्थको अन्तिम देशकोटि परमाणुरूपता तथा चरमकालकोटि क्षणमात्रस्थाधिताको ग्रहण करनेवाली बौद्ध दृष्टि ऋजुसूत्रकी परिधिमें आती है। यहाँतक अर्थको सामने रखकर भेद तथा अभेद ग्रहण करनेवाले अभिप्राय बताये गये हैं। इसके आगे शब्दाश्रित विचारोका निरूपण किया जाता है।

काल, कारक, संख्या धातुके साथ लगनेवाले भिन्न-भिन्न उपसर्ग आदिकी दृष्टिसे प्रयुक्त होनेवाले शब्दोंके वाच्य अर्थ भी भिन्न-भिन्न है, इन कालादिभेदसे शब्दभेद मानकर अर्थभेद माननेवाली दृष्टिका शब्दनयमें समावेश होता है। एक ही माधनमें निष्पन्न तथा एक कालवाचक भी अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं; इन पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे अर्थभेद माननेवाला समभिरूढनय है। एवमभूतनय कहना है कि जिस समय जो अर्थ जिस क्रियामें परिणत हो उसी समय उसमें तत्क्रियासे निष्पन्न शब्दका प्रयोग होना चाहिए। इसकी दृष्टिसे सभी शब्द क्रियावाची हैं। गुणवाचक शकलशब्द भी शक्तिभवनरूप क्रियासे, जातिवाचक अक्षयशब्द आशुगमनरूप क्रियासे, क्रियावाचक चकति शब्द चलनरूप क्रियासे, नामवाचक यदुच्छाशब्द देवदत्त आदि भी 'देवने इसको दिया' इस क्रियासे निष्पन्न हुए हैं। इस तरह ज्ञान, अर्थ और शब्दको आश्रय लेकर होनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायोका समन्वय इन नयोंमें किया गया है। यह समन्वय एक खास शतपर हुआ है। वह शत यह है कि कोई भी दृष्टि या अभिप्राय अपने प्रतिपक्षी अभिप्रायका निराकरण नहीं कर सकेगा। इतना हो सकता है कि जहाँ एक अभिप्रायकी मुख्यता रहे वहाँ दूसरा अभिप्राय गौण हो जाय। यही सापेक्ष-भाव नयका प्राण है, इसीसे नय सुनय कहलाता है। आ० समन्तभद्र आदिने सापेक्षको सुनय तथा निरपेक्षको दुर्नय बतलाया है।

इस संक्षिप्त कथनमें सूक्ष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दृष्टियाँ ही मुख्यरूपमें कार्य करती हैं एक अभेददृष्टि और दूसरी भेददृष्टि। इन दृष्टियोंका अवलम्बन चाहे ज्ञान हो या अथ अथवा शब्द, पर कल्पना भेद या अभेद दो ही रूपसे की जा सकती है। उस कल्पनाका प्रकार चाहे कालिक, दैशिक या स्वारूपिक कुछ भी क्यों न हो। इन दो मूल आधारभूत दृष्टियोंको द्रव्यनय और पर्यायनय कहने हैं। अभेदको ग्रहण करनेवाला द्रव्याधिकनय है तथा भेदप्राही पर्यायाधिकनय है। इन्हे मूलनय कहते हैं, क्योंकि समस्त नयोंके मूल आधार यही दो नय होते हैं। नैगमादिनय तो इन्हींकी शाखा-प्रशाखाएँ हैं। द्रव्यास्तिक, मातृका-पदास्तिक, निदचयनय, शूद्रनय आदि शब्द द्रव्याधिकके अर्थमें तथा उत्पन्नास्तिक, पर्यायास्तिक, व्यवहारनय, अशूद्रनय आदि पर्यायाधिकके अर्थमें व्यवहृत होते हैं।

इन नयोंमें उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एव अल्पविषयता है। नैगमनय मकल्पप्राही होनेसे सत् असत् दोनोंको विषय करता या इसलिए सन्मात्रप्राही संग्रहनय उससे सूक्ष्म एवं अल्पविषयक होता है। सन्मात्रप्राही संग्रहनयसे सद्दिशेषप्राही व्यवहार अल्पविषयक एव सूक्ष्म हुआ। त्रिकालवर्ती सद्दिशेषप्राही व्यवहारनयसे वर्तमानकालीन सद्दिशेष-अर्थपर्यायप्राही ऋजुसूत्र सूक्ष्म है। शब्दभेद होनेपर भी अभिन्नार्थप्राही ऋजुसूत्रसे कालादि भेदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाला शब्दनय सूक्ष्म है। पर्यायभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाले शब्दनयसे पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे अर्थभेदप्राही समभिरूढ अल्पविषयक एवं सूक्ष्मतर हुआ। क्रियाभेदसे अर्थभेद नहीं माननेवाले समभिरूढ़से क्रियाभेद होनेपर भी अर्थभेदप्राही एवमभूतनय परम-सूक्ष्म एवं अल्पविषयक है।

नय-दुर्नय—नय वस्तुके एक अंशको ग्रहण करने के भी अन्य धर्मोंका निराकरण नहीं करता उन्हें गौण करता है। दुर्नय अन्यधर्मोंका निराकरण करता है। नय साक्षेप होता है दुर्नय निरपेक्ष। प्रमाण उभयधर्म-प्राप्ति है। अकलङ्कदेवने बहुत सुन्दर लिखा है—“धर्मान्तरादानोपेक्षान्निष्प्रशङ्कान्त्वा प्रमाणनयदुर्नयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च, प्रमाणात् तदतस्त्वभावप्रतिपत्ते तत्प्रतिपत्ते तदव्यनिराकरोश्च” (अष्टाशो० अष्टसह० प० २९०) अर्थात् प्रमाण तत् और अतत् सभी अंशोंसे पूर्ण वस्तुको जानना है नयमे केवल तत्-विवक्षित अंशकी प्रतिपत्ति होती है और दुर्नय अपने अविषय अंशोंका निराकरण करता है। नय धर्मान्तरोकी लपेक्षा करता है जबकि दुर्नय धर्मान्तरोकी हानि अर्थात् निराकरण करनेकी दृष्टिना करता है। प्रमाण सकलादेशी और नय विकलादेशी होता है। यद्यपि दोनोंका कथन शब्दमे होता है फिर भी दृष्टिमेव होनेमे यह अन्तर हो जाता है। यथा, 'स्यावस्ति घट' यह वाक्य जब सकलादेशी होगा तब अस्तिके द्वारा पूर्ण वस्तुको ग्रहण कर लेगा। जब यह विकलादेशी होगा तब अस्तिको मुख्यतया शेषधर्मोंको गौण करेगा। विकलादेशी नय विवक्षित एक धर्मको मुख्यरूपसे तथा शेषको गौणरूपसे ग्रहण करने है जबकि सकलादेशी प्रमाणका प्रत्येक वाक्य पूर्ण वस्तुको समाप्तभावसे ग्रहण करता है। सकलादेशी वाक्योंमे भिन्नताका कारण है—शब्दोच्चारणकी मुख्यता। जिस प्रकार एक पूरे चौकोण कागजको क्रमशः चारों कोने पकड़ कर पूराका पूरा उठाया जा सकता है उसी प्रकार अनन्तधर्म वस्तुके किसी भी धर्मके द्वारा पूरीकी पूरी वस्तु ग्रहण की जा सकती है। इसमे वाक्योंमे परस्पर भिन्नता इतनी ही है कि उस धर्मके द्वारा या तद्वाचक शब्दप्रयोग करके वस्तुको ग्रहण कर रहे है। इसी शब्दप्रयोगकी मुख्यता से प्रमाणसप्तभगीका प्रत्येक वाक्य भिन्न हो जाता है। नयसप्तभगीमे एक धर्मप्रधान होता है तथा अन्यधर्म गौण। इसमें मुख्यधर्म ही गृहीत होता है, शेषका निराकरण तो नहीं होता पर ग्रहण भी नहीं होता। यही सकलादेश और विकलादेशका पार्थक्य है। 'स्यान्' शब्दका प्रयोग दोनोंमे होता है। सकलादेशमे प्रयुक्त होनेवाला स्यात् शब्द यह बताता है कि जैसे अस्तिसूत्रमे सकल वस्तुका ग्रहण किया गया है वैसे 'नास्ति' आदि अनन्त मूलोंमे भी ग्रहण हो सकता है। विकलादेशका स्यान् शब्द विवक्षित धर्मके अतिरिक्त अन्य शेष धर्मोंका वस्तुमें अस्तित्व सूचित करता है।

स्याद्वाच्य का कथन प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ के अष्ट ४ मे पृष्ठ ८२, ८३ ८४ मे दिया चुका है।

संजयने जब लोकके शाश्वत और अशाश्वत आदिके बारेमें स्पष्ट कह दिया कि मैं जानता हूँ तब तो बताऊँ और बुद्धने कह दिया कि इनके चक्करमे न पडो, इसका जानना उपयोगी नहीं है, तब महावीरने उन प्रश्नोंका वस्तुस्थितिके अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और शिष्योंको निजामा का ममाधान कर उनकी बौद्धिक दीनतासे राहत दिया। इन प्रश्नोंका विस्तृत स्वरूप विवेचन प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थके इसी अष्ट के पृष्ठ ९० से ९६ पर दिया जा चुका है।

सदादि अनुयोग—प्रमाण और नयके द्वारा जाने गए तथा निक्षेपके द्वारा अनेक संभवित रूपोंमें सामने रखे गए पदार्थोंसे ही तत्त्वज्ञानोपयोगी प्रकृत अर्थका यथार्थ बोध हो सकता है। उन निक्षेपके विषय-भूत पदार्थोंमें दुर्ज्ञाती परीक्षाके लिए या पदार्थके अन्य विविध रूपोंके परिज्ञानके लिए अनुयोग अर्थात् अनुकूल प्रश्न या पश्चाद्भावी प्रश्न होते हैं। जिनसे प्रकृत पदार्थकी वास्तविक अवस्थाका पता लग जाता है। प्रमाण और नय सामान्यतया तत्त्वका ज्ञान कराते हैं। निक्षेप विधिसे अप्रकृतका निराकरण कर प्रस्तुतको छांट लिखा जाता है। फिर छटी हुई प्रस्तुत वस्तुका निर्देशादि और मदादि द्वारा सविवरण पूरी अवस्थाओंका ज्ञान किया जाता है। निक्षेपसे छटी हुई वस्तुका क्या नाम है? (निर्देश) कौन उसका स्वामी है? (स्वामित्व) कैसे उत्पन्न होती है? (साधन) कहाँ रहती है? (अधिकरण), कितने काल तक रहती है?

(स्थिति) कितने प्रकारकी है ? (विधान), उसकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदिसे क्या स्थिति है। अस्तित्स्का ज्ञान 'सत्' है। उसके भेदोकी गिनती सख्या है। वर्तमान निवास क्षेत्र है। भौकालिक निवासपरिधि स्पर्शन है। स्मरणेकी मर्यादा काल है। अमुक अवस्थाको छोड़कर पुन उस अवस्थामें प्राप्त होने तकके विरह-कालको अन्तर कहते हैं। औपशमिक आदि भाव हैं। परस्पर सख्याकृत तारतम्यका विचार अल्पबहुत्व है। सारास्य यह कि निश्चित पदाधिका निर्देशादि और सदादि अनुयोगोके द्वारा यथावत् सविवरण ज्ञान प्राप्त करना मनुष्यकी अहिंसा आदि साधनाओंके लिए आवश्यक है। जीवव्रता करनेके लिए जीवकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदिकी दृष्टिसे परिपूर्ण स्थितिका ज्ञान अहिंसकको जरूरी ही है।

इस तरह प्रमाण नय निक्षेप और अनुयोगोके द्वारा तत्त्वोका यथार्थ अधिगम करके उनकी दृढ़ प्रतीति और अहिंसादि चारित्रको परिपूर्णता होनेपर यह आत्मा बन्धनमुक्त होकर स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो आगा है। यही मुक्ति है।

‘श्रुतादर्थमनेकान्तमधिगम्याभितन्धिभिः ।
परीक्ष्य तास्तान् तद्वर्तमानेकान् व्यावहारिकान् ॥ ७३ ॥
नयानुगतनिक्षेपरूपायैर्भेदवेदने ।
विरचम्यार्थवाक्प्रत्ययात्मभेदान् श्रुतापितान् ॥ ५४ ॥
अनुयुज्यानुयोगैश्च निर्देशादिभिदा गतैः ।
द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा विवृद्धाभिनवेशान् ॥ ७५ ॥
जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानतत्त्ववित् ।
तपोनिर्जीकमयि विमुक्तः सुखमृच्छति ॥ ७६ ॥

अर्थात्—अनेकान्तरूप जीवादि पदार्थोको श्रुत-शास्त्रोसे मुनकर प्रमाण और अनेक नयोके द्वारा उनका यथार्थ परिज्ञान करना चाहिए। उन पदार्थोके अनेक व्यावहारिक और पारमार्थिक गुण-धर्मोकी परीक्षा नय दृष्टियोसे की जाती है। नयदृष्टियोके विषयभूत निक्षेपोके द्वारा वस्तुका अर्थ ज्ञान और शब्द आदि रूपसे विश्लेषण कर उसे फलकर उनमेंसे अक्रतको छान प्रकृतको ग्रहण कर लेना चाहिए। उस छँटे हुए प्रकृत अंशका निर्देश आदि अनुयोगोसे अच्छी तरह बारबार पूछकर सविवरण पूर्णज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इस तरह जीवादि पदार्थोका सासकर आत्मतत्त्वका जीवस्थान, गुणस्थान और मार्गणा स्थानोमें दृक्तर ज्ञान करके उनपर गाढ़ विश्वास रूप मन्मयदर्शनकी वृद्धि करनी चाहिए। इस तत्त्वश्रद्धा और तत्त्वज्ञानके हीनेपर परपदार्थोसे विरक्ति इच्छानिरोधरूप तप और चारित्र आदिसे ममस्त कुमकारोका विनाश कर पूर्व कर्मोकी निर्जरा कर, यह आत्मा विमुक्त होकर अनन्त चैतन्यमय स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो आगा है।

ग्रन्थका बाह्य स्वरूप

तत्त्वार्थाधिगमसूत्र जैनपरस्वरा की गीता, बाइबिल, कुरान या जो कहिए एक पवित्र ग्रन्थ है। इसमें बन्धनमुक्तिके कारणोका सागोपाग विवेचन है। जैनधर्म और जैनदर्शनके ममस्त मूल आधारोंकी संक्षिप्त सूचना इस सूत्र ग्रन्थसे मिल जाती है। भ० महावीरके उपदेश अर्धमागधी भाषामें होते थे जो उस समय मगध और बिहारकी जनबोली थी। शास्त्रोमें बताया है कि यह अर्धमागधी भाषा अठारह महाभाषा और सत्सही लघुभाषाओंके शब्दोसे समृद्ध थी। एक कहावत है—“कोस-कोस पर पानी बबले चारकोस पर पर बानी।” सो यदि मगध देश काशीदेश और बिहार देशमें चार-चार कोसपर बदलनेवाली बोलियोकी वास्तविक गणना की जाय तो वे ७१८ से कहीं अधिक हो सकती होगी। अठारह महाभाषाएँ मुख्य-मुख्य अठारह जन-

पर्वोंकी राजभाषाएँ कही जाती थी। इनमें नाममात्रका ही अन्तर था। अल्लुकभाषाजोका अन्तर तो उच्चारण की टोन्का ही समझना चाहिए। जो हो, पर महावीरका उपदेश उस समयकी लोकभाषामें होता था जिसमें संस्कृत जैसी वर्गभाषाका कोई स्थान नहीं था। बुद्धकी पात्रीभाषा और महावीरकी अर्धमागधी भाषा करीब-करीब एक जैसी भाषाएँ हैं। इनमें बहो चारकोनकी बानी वाला भेद है। अर्धमागधीको सर्वाधिकमूलकी भाषा भी कहते हैं और इसका विवेचन करते हुए लिखा है—

‘अर्ध भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकसु अर्ध च सर्वदेशभावात्मकम्’ अर्थात्—भगवान्की भाषामें आधे शब्द तो मगध देसकी भाषा मागधीके थे और आधे शब्द सभी देशोंकी भाषाजोके थे। तात्पर्य यह कि अर्धमागधी भाषा वह लोकभाषा थी जिसे प्रायः सभी देशके लोग समझ सकते थे। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि महावीरकी जन्मभूमि मगध देश थी, अतः मागधी उनकी मातृभाषा थी और उन्हें अपना विवक्षान्तिका अहिंसा सन्देश सब देशोंकी कोटि-कोटि उपेक्षित और पतित जनता तक भेजना आवश्यकान्तिका अहिंसा सन्देश सब देशोंकी कोटि-कोटि उपेक्षित और पतित जनता तक भेजना था अतः उनकी बोलीमें सभी देशोंकी बोलीके शब्द शामिल थे और यह भाषा उस समयकी सर्वाधिक जनताकी अपनी बोली थी अर्थात् सबकी बोली थी।

जनबोलीमें उपदेश देनेका कारण बतानेवाला एक प्राचीन श्लोक मिलता है—

‘बालस्त्रीमन्दमूर्खाणां नृणा चारिष्यकाक्षिणाम् ।
प्रतिबोधनाय तत्त्वज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥’

अर्थात्—बालक, स्त्री या मूर्खसे मूर्ख लोगोंको, जो अपने चारिष्यको समुन्नत करना चाहते हैं, प्रतिबोध देनेके लिए भगवान्का उपदेश प्राकृत अर्थात् स्वाभाविक जनबोलीमें होता था न कि संस्कृत अर्थात् बनी हुई बोली—कृत्रिम वर्गभाषामें। इन जनबोलीके उपदेशोंका सकलन ‘आगम’ कहा जाता है। इसका बड़ा विस्तार था। उस समय लेखनका प्रचार नहीं हुआ था। सब उपदेश कण्ठपरम्परा से सुरक्षित रहते थे। एक दूसरेसे सुनकर इनकी धारा चलती थी अतः ये ‘श्रुत’ कहे जाते थे। महावीरके निर्वाणके बाद यह श्रुत परम्परा लुप्त होने लगी और ६८३ वर्ष बाद एक अंगका पूर्ण ज्ञान भी शेष न रहा। अगरे एक देशका ज्ञान रहा। श्वेताम्बर परम्परामें बौद्ध मनीषियोंकी तरह वाचनाएँ हुईं और अन्तिम वाचना देवधिगणि क्षमाश्रमणके तत्त्वावधानमें वीर भवन् ९८० वि० स० ५१० में बलभीमें हुई। इसमें आगमोका नुटित-अनुटित जो रूप उपलब्ध था संकलित हुआ। विगम्बर परम्परामें ऐसा कोई प्रयत्न हुआ या नहीं इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है। विगम्बर परम्परामें विक्रमकी द्वितीय-तृतीय शताब्दीमें आचार्य भूतबलि, पुण्यदन्त और पुण्यवर्णे पद्महागम और कसायपाहुडकी रचना आगमाश्रित साहित्यके आधारसे की। पीछे कुन्दकुन्द आदि आचार्योंने आगम परम्पराको केन्द्रमें रखकर तदनुसार स्वतन्त्र ग्रन्थ रचना की।

अनुमान है कि विक्रमकी तीसरी-चौथी शताब्दीमें उमास्वामी मट्टारकने इस तत्त्वावधानकी रचना की थी। इसीसे जैन परम्परामें संस्कृतग्रन्थनिर्माणयुग प्रारम्भ होता है। इस तत्त्वावधानकी रचना इतने मूल-मूल तत्त्वोंको संग्रह करनेकी असाध्यव्यक्तिक दृष्टिसे हुई है कि इसे दोनों जैन सम्प्रदाय छोड़े बहुत पाठभेदसे प्रमाण मानते जाएँ हैं। श्वे० परम्परामें जो पाठ प्रचलित है उसमें और विगम्बर पाठमें कोई विशिष्ट सांस्कृतिक अन्तर्भेद नहीं है। दोनों परम्पराओंके आचार्योंने इसपर दोनों टीका ग्रन्थ लिखे हैं। इस सूत्र ग्रन्थकी दोनों परम्पराओंमें एकता स्थापना का मूल आधार बनाया जा सकता है।

इसे मोक्षशास्त्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें मोक्षके मार्ग और तदुपयोगी जीवाधि तत्त्वोंका ही सविस्तार निरूपण है। इसमें दश अध्याय हैं। प्रथमके चार अध्यायोंमें ज्ञीयका, पांचवेंमें अजीव का, छठवें और

सातवें अध्यायमें आत्मवका, आठवें अध्यायमें बन्धका, नौवें में संवरका तथा दशवें अध्यायमें मोक्षका वर्णन है। प्रथम अध्यायमें मोक्षकामार्गं सम्यग्दर्शनं, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको बतारकर जीवादि सात तत्त्वोंके अधिगमके उपाय प्रमाण, नय, निक्षेप और निर्देशादि सदादि अनुयोगोंका वर्णन है। पाँच ज्ञान उनका विषय आदिका निरूपण करके उनमें प्रत्यक्ष, परोक्ष विभाग उनका सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और नयोंका विवेचन, किया गया है। द्वितीय अध्यायमें जीवके औपशमिक आदि भाव, जीवका लक्षण, शरीर, इन्द्रियाँ, योनि, जन्म आदिका सविस्तार निरूपण है। तृतीय अध्यायमें जीवके निवासभूत-जघोलोक और मध्यलोक गत भूगोलका उमके निवासियोंकी आसु कायस्थिति आदिका पूरा-पूरा वर्णन है। चौथे अध्यायमें ऊर्ध्वलोकका, देवोंके भेद, लेख्याएँ, आयु, काय, परिवार आदिका वर्णन है। पाचवें अध्यायमें अजीवतत्त्व अर्थात् पुद्गल धर्म, अयमं, आकाश, और काल द्रव्योक्त नमत्र वर्णन है। द्रव्योंकी प्रवेश सख्या, उनके उपकार, सम्बादिका पुद्गल पर्यायत्व, स्कन्ध बननेको प्रक्रिया आदि पुद्गल द्रव्यका मवागीण विवेचन है। छठवें अध्यायमें ज्ञानावरणादि कर्मोंके आत्मवका सविस्तार निरूपण है। किन्-किन् वृत्तियों और प्रवृत्तियोंसे किम्-किम् कर्मका आत्मव होता है, कौन आत्मवमें विशेषता होती है, कौन कर्म पुण्य है, और कौन पाप आदिका विशद विवेचन है। सातवें अध्यायमें शुभ आत्मवके कारण, पुण्यरूप अहिंसादि व्रतोंका वर्णन है। इसमें वनोंकी भावनाएँ उनके लक्षण, अतिचार आदिका स्वरूप बताया गया है। आठवें अध्यायमें प्रकृतिबन्ध आदि चारों बन्धोंका, कर्म-प्रकृतियोंका उनकी स्थिति आदिका निरूपण है। नौवें अध्यायमें मवर तत्त्वका पूरा-पूरा निरूपण है। इसमें गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा परिपङ्गवा, चारित्र, तप, ध्यान आदिका मभेदप्रभेद निरूपण है। दशवें अध्यायमें मोक्षका वर्णन है। मिद्वामं भेद किन् निमित्तोंसे हो सकता है। जीव ऊर्ध्वगमन क्यों करता है ? मिद्व अवस्था में कौन-कौन भाव अवशिष्ट रह जाते हैं आदिका निरूपण है।

यह अकेला तत्त्वार्थसूत्र जैन ज्ञान, जैन भूमोल, लगोल, जैनतत्त्व, कर्मसिद्धान्त, जैन चारित्र आदि समस्त मुख्य-मुख्य विषयोंका अर्थात् आकर है।

मंगल श्लोक—'मोक्ष मार्गं जेतास्म श्लोक तत्त्वार्थसूत्रका मंगल श्लोक है या नहीं यह विषय विवादमें पडा हुआ है। यह श्लोक उमास्वामि कृतक है इसका स्पष्ट उल्लेख श्रुतसागरसूत्रिने तत्त्वार्थ-वृत्तमें किया है। वे इसकी उत्पत्तिकामें लिखते हैं कि-द्वैयाक नामक भयंके प्रश्नका उत्तर देनेके लिए उमास्वामि भद्रशरकरने यह मंगल श्लोक बनाया। द्वैयाकका प्रश्न है—'भगवन्, आत्माका हित क्या है?' उमास्वामी उनका उत्तर सम्यग्दर्शनं ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं सूत्रमें देने हैं। पर उन्हें उत्तर देनेके पहिले मंगलाचरण करनेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। श्रुतसागरके पहिले विद्यानन्दि आचार्यने आप्त-परीक्षा (पृ० ३) में भी इस श्लोकको सूत्रकारके नाममें उद्धृत किया है। पर यहाँ विद्यानन्द 'तत्त्वार्थ-सूत्रकारे उमास्वामिप्रभृतिभि' जैसे वाक्य भी आप्त परीक्षा (पृ० ५४) में लिखते हैं जो उमास्वामिके साथ ही साथ प्रभृति शब्दसे सूचित होनेवाले आचार्योंको भी तत्त्वार्थसूत्रकार माननेका या सूत्र शब्दकी गोणार्थताका प्रसंग उपस्थित करने हैं। यद्यपि अभयनन्दि श्रुतसागर जैसे पश्चाद्दर्शी ग्रन्थकारोंने इस श्लोकको तत्त्वार्थ-सूत्रका मंगल श्लोक विद्या है पर इनके इस लेखमें निम्नलिखित अनुपपत्तियाँ हैं जो इस श्लोकको पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धिका मंगल श्लोक माननेको बाध्य करती हैं—

१-पूज्यपादने इस मंगलश्लोककी न तो उत्पत्तिकालिका लिखी और न व्याख्या की। इस मंगलश्लोकके बाद ही प्रथमसूत्रकी उत्पत्तिकालिका शुरू होती है।

२-अकलंकदेव तत्त्वार्थवार्तिकमें न इस श्लोककी व्याख्या करते हैं और न इसके पदोंपर कुछ ऊहा-पौह ही करते हैं ।

३-विद्यानन्द स्वयं तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमें इसकी व्याख्या नहीं करते । इनने प्रसंगत. इस श्लोकके प्रतिपाद्य अर्थका समर्थन अवश्य किया है । यदि विद्यानन्द स्वयं ऐतिहासिक दृष्टिसे इसके कर्तृत्वके सम्बन्धमें असंदिग्ध होते तो वे इसकी यथावद् व्याख्या भी करते ।

४ तत्त्वार्थसूत्रके व्याख्याकार समस्त स्वैताम्बरीय आचार्योंने इस श्लोककी व्याख्या नहीं की और न तत्त्वार्थसूत्रके प्रारम्भमें इस श्लोककी चर्चा ही की है ।

यह श्लोक इतना असाह्यप्रदायिक और जैन आप्त स्वरूपका प्रतिनिधित्व करनेवाला है कि इसे सूत्र-कारकृत होनेपर कोई भी कितना भी कट्टर दवे० आचार्य छोड़ नहीं सकता था ।

अनेकान्त पत्रके पाचवें वर्षके अंकोंमें इस श्लोकके ऊपर अनुकूल-प्रतिकूल चरचा चल चुकी है । फिर भी मेरा मत उपर्युक्त कारणोंके आधारसे इस श्लोकको मूलसूत्रकारकृत माननेका नहीं है । यह श्लोक पूज्य-पाद ने सर्वाथसिद्धि टोकाके प्रारम्भमें बनाया है इस निश्चयकी बदलनेका कोई प्रबल हेतु अभीतक मेरी समझमें नहीं आया ।

लोकवर्णन और भूगोल—जैनधर्म और जैनदर्शन जिस प्रकार अपने सिद्धान्तोंके स्वतन्त्र प्रतिपाद्य होनेसे अपना मौलिक और स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं उस प्रकार जैन गणित या जैन भूगोल आदिका स्वतन्त्र स्थान नहीं है । कोई भी गणित ही, वह दो और दो चार हो कहेगा । आजके भूगोलको चाहे जैन लिखे या अजैन जैसा देखेगा या सुनेगा वैसा ही लिखेगा । उत्तरमें हिमालय और दक्षिणमें कन्याकुमारी ही जैन भूगोल में रहेगी । तथ्य यह है कि धर्म और दर्शन जहाँ अनुभवके आधारपर परिवर्तित और संशोधित होते रहते हैं वहाँ भूगोल अनुभवके अनुसार नहीं किन्तु वस्तुगत परिवर्तनके अनुसार बदलता है । एक नदी जो पहिले अमुक गाँवसे बहती थी कालक्रमसे उसकी धारा मीली दूर चली जाती है । भूकम्प, ज्वालामुखी और बाढ़ आदि प्राकृतिक परिवर्तनकारणोंसे भूगोलमें इतने बड़े परिवर्तन हो जाते हैं जिसकी कल्पना भी मनुष्यको नहीं हो सकती । हिमालयके अमुक भागोंमें भगर और बड़ी-बड़ी मछलियोंके अस्थि-पंजरोका मिलना इस बातका अनुमापक है कि वहाँ कभी जलीय भाग था । पुरातत्त्वके अन्वेषणोंने ध्वसावशेषोंसे यह सिद्ध कर दिया है कि भूगोल कभी स्थिर नहीं रहता वह कालक्रमसे बदलता जाता है । राज्य परिवर्तन भी अन्त-भौगोलिक सीमाओंको बदलनेमें कारण होते हैं । पर समग्र भूगोलका परिवर्तन मुख्यतया जलका स्थल और स्थलका जलभाग होनेके कारण ही होता है । गाँवों और नदियोंके नाम भी उत्तरोत्तर अपभ्रष्ट होते जाते हैं और कुछके कुछ बन जाते हैं । इस तरह कालचक्रका ध्रुवमावी प्रभाव भूगोलका परिवर्तन बराबर करता रहता है । जैन शास्त्रोंमें जो भूगोल और जलगोलका वर्णन मिलना है उसकी परम्परा करीब तीन हजार वर्ष पुरानी है । आजके भूगोलसे उसका मेल भले ही न बैठे पर इतने मात्रसे उस परम्पराकी स्थिति संबंधा सन्दिग्ध नहीं कही जा सकती । आजसे २१-३ हजार वर्ष पहिले सभी सम्प्रदायोंमें भूगोल और जलगोलके विषयमें प्रायः यही परम्परा प्रचलित थी जो जैन परम्परामें प्रचलित थी जो जैन परम्परामें निबद्ध है । बौद्ध, बौद्ध और जैन तीनों परम्पराके भूगोल और जलगोल सम्बन्धी वर्णन करीब-करीब एक जैसे हैं । वही जम्बू-द्वीप, बिन्दु, सुमेरु, देवकुण्ड, उत्तरकुण्ड, हिमवान् आदि नाम और बैसीही लाखों योजनाकी गिनती । इनका तुलनात्मक अध्ययन हमें इस निष्कर्षपर पहुँचाता है कि उस समय भूगोल और जलगोलकी जो परम्परा श्रुतानु-सृत परिपाटीसे जैनाचार्योंको मिली उसे उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया है । उस समय भूगोलका यही रूप रहा

रेखा : डॉ० नरेन्द्रकुमार शैव न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

होना पता कि कौन प्रश्न: भारतभर परम्पराओं में मिलता है। आज हमें जिस रूपमें मिलता है उसे उसी रूपमें माननेमें क्या आपत्ति है? भूगोलका रूप सदा शाश्वत तो रहता नहीं। जैन परम्परा इस ग्रन्थके तीसरे और चौथे अध्यायके पृथक्से ज्ञात हो सकती है। बौद्ध और बौद्धिक परम्पराके भूगोल और खगोलका वर्णन इस प्रकार है—

बौद्ध परम्परा अभिघर्मकोशके आधारसे

असंख्यात वायुमण्डल हैं जो कि नीचेके भागमें सोलह लाख योजन गम्भीर हैं। जयमण्डल ११२०००० योजन गहुरा है। जयमण्डलमें ऊपर ८००००० योजन भागकी छोटकर नीचेका भाग ३२०००० योजन भाग सुवर्णमण्डल है। जलमण्डल और काम्बजमण्डलका व्यास १२०२३४० योजन है और परिधि ३६४०३५० योजन है।

काञ्चनमण्डलमें मेरु, युगन्धर, ईषाधर, लदिरक, सुदर्शन, अश्वकर्ण, वितनक और निमिन्धर ये ८ पर्वत हैं। ये पर्वत एक दूसरेकी घेरे हुए हैं। निमिन्धर पर्वतकी घेरकर जम्बूद्वीप, पूर्वविदेह, अवरगोवानीय और उत्तरकुरु ये चार द्वीप हैं। सबसे बाहुर चक्रवाल पर्वत हैं। सात पर्वत सुवर्णमण्डल हैं। चक्रवाल कोहमय है। मेरुके ४ रंग हैं। उत्तरमें सुवर्णमय, पूर्वमें रजतमय, दक्षिणमें नीलमणिमय और पश्चिममें श्वेतमय है। मेरु पर्वत ८००० क्षोञ्चन जलके मोर्चे है और इतना ही जलके ऊपर है। मेरु पर्वतकी ऊँचाईसे षष्ठ पर्वतकी ऊँचाई क्रमशः आधी-आधी होती गई है। इस प्रकार चक्रवाल पर्वतकी ऊँचाई ३१२। योजन है। षष्ठ पर्वतका आधा भाग जलके ऊपर है। इन पर्वतोंके बीचमें सात सीता (समुद्र) हैं। प्रथम समुद्रका विस्तार ८००० क्षोञ्चन है। अन्त्य समुद्रका विस्तार क्रमशः आधा-आधा होता गया है। अन्तिम समुद्रका विस्तार ३३०००० योजन है।

मेरु दक्षिण भागमें जम्बूद्वीप शकटके समान अवस्थित है। मेरुके पूर्व भागमें पूर्वविदेह अर्घचन्द्राकार है। मेरुके पश्चिम भागमें अवरगोवानीय मण्डलाकार है। इसकी परिधि ७५०० योजन है। और व्यास २५०० योजन है। मेरुके उत्तरभागमें उत्तर कुरुद्वीप चतुष्कोण है। इसकी सीमाका मान ८००० योजन है। चारो द्वीपोंके मध्यमें आठ अन्तर द्वीप हैं। उनके नाम ये हैं—वेह, विदेह, पूर्वविदेह, कुरु कौरव, चामर अवर चामर, शाठ और उत्तरमन्त्री। मार द्वीपमें राक्षस रहते हैं। आन्य द्वीपोंमें मनुष्य रहते हैं।

जम्बूद्वीपके उत्तर भागमें पहले तीन फिर तीन और फिर तीन इस प्रकार ९ बीटाई है। इसके बाद द्विमाक्य है। द्विमाक्यके उत्तरमें पचास योजन विस्तृत अनवतप्त नामका सरोवर है। इसके बाद गन्धमादन पर्वत है। अनवतप्त सरोवरमें श्यावा, सिंधु, यमु और सीता ये चार नदियाँ निकली हैं। अनवतप्तके समीपमें जम्बूद्वीप है जिससे इस द्वीपका नाम जम्बूद्वीप पड़ा।

जम्बूद्वीपके नीचे षोडश योजन परिमाण अर्धचन्द्राकार है। इसके बाद प्रतापन, तपन, महारौरव रौरव, लम्बव, कालसूत्र और संजोन्नक-ये सात नरक हैं। इस प्रकार कुल आठ नरक हैं। नरकोंमें चारो पादवर्षों अक्षिपत्रवन, स्वामन्त्रलक्ष्मणस्थान, अय शाल्मलीवन और वैतरणी नदी ये चार उत्सव (अधिक पीडाके स्थान) हैं। जम्बूद्वीपके अर्धोत्तरमें तथा महानरकोंके धरानलमें आठ शीतलनरक भी हैं। उनके नाम निम्न प्रकार हैं—अर्बुद, निरर्बुद, ब्रह्मट, लूब, उत्पलपद्म और महापद्म।

मेरु पर्वतके अर्धोत्तरमें (अर्थात् युगन्धर पर्वतके समनन्धे) चन्द्रमा और सूर्य भ्रमण करते हैं। चन्द्रमाके विस्तार ५० योजन है तथा सूर्यमण्डलका विस्तार ५१ योजन है। चारो द्वीपोंमें एक षष्ठ द्वीप

अर्धरात्रि, सूर्यास्त, मध्याह्न और सूर्योदय होते हैं, अर्थात् जिस समय जम्बूद्वीपमें मध्याह्न होता है उसी समय उत्तरकुशमें अर्धरात्रि, पूर्वविदेहमें सूर्यास्त और अवरगोदावीयमें सूर्योदय होता है। चन्द्रमाकी विकलात्मकता वर्षानुसृत्य सूर्यके समीप होनेसे तथा अपनी छायासे आश्रित होनेके कारण होता है।

मेरुके चार विभाग हैं। ये चारों विभाग क्रमशः दस हजार योजनके अन्तरालसे ऊपर हैं। पूर्वमें पहिले विभागमें करोटपाणि देव रहते हैं। इनका राजा भूतराष्ट्र है। दक्षिणमें द्वितीय भागमें मालाधर देव रहते हैं। इनका राजा किरुवक है। पश्चिममें तीसरे भागमें सवानन्द देव रहते हैं। इनका राजा विक्रमाक्ष है। उत्तरमें चौथे भागमें चातुर्मुहाराजिक देव रहते हैं। इनका राजा वैशम्पय है। मेरुके समान अन्य सात पर्वतोंमें भी देव रहते हैं।

त्रायस्त्रिंश स्वर्गलोकका विस्तार ८०००० योजन है। यहाँ चारों दिशाओंके बीचमें वषट्पाणिदेव रहते हैं। त्रायस्त्रिंशलोकके मध्यभागमें सुदर्शन नामका सुवर्णमय नगर है। इस नगरके मध्यमें वैश्वानर नामका इन्द्रका प्रासाद है। यह नगर बाह्य भागमें चार उद्यानोंसे सुशोभित है। इन उद्यानोंकी चारों दिशाओंमें बीस योजनके अन्तरालसे देवोंके क्रीडास्थल हैं। पूर्वोत्तर दिशावर्षमें पारिजात देवद्रुम है। दक्षिण-पश्चिम भागमें सुधर्मा नामकी देव समा है। त्रायस्त्रिंश लोकसे ऊपर याम, दुषित, निर्माणरति, और परनिमित्त-वशवर्ती देव विमानोंमें रहते हैं। महाराजिक और त्रायस्त्रिंशदेव मनुष्योंके समान कामसेवन करते हैं। याम आलिंगनसे, दुषित पाणिबंधनसे, निर्माणरति हास्यसे और परनिमित्तवशवर्ती देव अवलोकनसे कामयुक्तका अनुभव करते हैं। कामघातुमें देव पंच या दस वर्षके बालक जैसे उत्पन्न होते हैं। रूपघातुमें पूर्ण शरीरधारी और वस्त्र सहित उत्पन्न होते हैं। ऋद्धिबल अथवा अन्य देवोंकी सहायताके बिना देव अपने ऊपर देवलोकको नहीं देख सकते।

जम्बूद्वीपवासी मनुष्योंका परिमाण (शरीरकी ऊँचाई) ३। या ४ हाथ है। पूर्वविदेहवासी मनुष्योंका परिमाण ७ या ८ हाथ है। गोदावीयवासियोंका परिमाण १४ या १६ हाथ है। और उत्तर कुशासी मनुष्योंका परिमाण २८ या ३२ हाथ है। चातुर्मुहाराजिक देवोंका परिमाण पावकोश, त्रायस्त्रिंशदेवोंका आधाकोश, यामोका पौनकोश, दुषितोंका एक कोश, निर्माणरतियोंका सवाकोश और परनिमित्तवशवर्ती देवोंका परिमाण डेढ़ कोश है।

उत्तरकुशमें मनुष्योंकी आयु एक हजार वर्ष है। पूर्व विदेहमें ५०० वर्ष आयु है। गोदावीयमें २५० वर्ष आयु है। लेकिन जम्बूद्वीपमें मनुष्योंकी आयु निश्चित नहीं है। कल्पके अन्तमें दस वर्षकी आयु रह जाती है। उत्तरकुशमें आयुके बीच मृत्यु नहीं होती है। अन्य पूर्वविदेह आदि द्वीपोंमें तथा देवलोकमें बीचमें मृत्यु होती है।

वैदिक परम्परा योगदर्शन-व्यासभाष्यके आधारसे

भुवन विन्यास—लोक सात होने हैं। प्रथम लोकका नाम भूलोक है। अन्तिम अवीचि नरकके लेकर मेरुपर्वत तक भूलोक है। द्वितीय लोकका नाम अन्तरिक्ष लोक है। मेरुपर्वतसे लेकर द्रुप तक अन्तरिक्ष लोक है। अन्तरिक्षलोकमें ब्रह्म, नक्षत्र और तारा हैं। इसके ऊपर स्वर्लोक है। स्वर्लोकके भेद हैं—माहेन्द्र-कोक, प्राजापत्यमहर्लोक और ब्रह्मलोक आदि। ब्रह्मलोकके तीन भेद हैं—ननलोक, तपलोक और उत्पलोक। इस प्रकार स्वर्लोकके पाँच भेद होते हैं।

अवीचिनरकसे ऊपर छह महानरक हैं। उनके नाम निम्न प्रकार हैं—महाकाल, अम्बरी, रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अन्धतामिस। ये नरक क्रमशः धन (शिलासकल आदि पार्थिव पदार्थ), क्षणिक,

अनल, अनिल, आकाश और तमके आचार (आश्रय) हैं । महानरकोंके अतिरिक्त कुम्भीपाक आदि अनन्त उपनरक भी हैं । इन नरकोंमें अपने-अपने कर्मोंके अनुसार वीर्घायुवाले प्राणी उत्पन्न होकर दुःख भोगते हैं । अवीचिनरकसे नीचे सात पाताललोक हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं—महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल ।

भूलोकका विस्तार—इस पृथ्वीपर सात द्वीप हैं । भूलोकके मध्यमें सुमेरु नामक स्वर्णमय पर्वतराज है जिसके शिखर रजत, बँडूय, स्फटिक, हेम और मणिमय है । सुमेरु पर्वतके दक्षिणपूर्वमें जम्बू नामका वृक्ष है जिसके कारण लवणोदधिसे वेष्टित द्वीपका नाम जम्बूद्वीप है । सूर्य निरन्तर मेरुकी प्रदक्षिणा करता रहता है । मेरुसे उत्तरदिशामें नील, श्वेत और शृंगवान् ये तीन पर्वत हैं । प्रत्येक पर्वतका विस्तार दो हजार योजन है । इन पर्वतोंके बीचमें रमणक, हिरण्यमय और उत्तरकुरु ये तीन क्षेत्र हैं । प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ योजन है । नीलगिरि मेरुसे लगा हुआ है । नीलगिरिके उत्तरमें रमणक क्षेत्र है । श्वेतपर्वतके उत्तरमें हिरण्यमय क्षेत्र है । शृंगवान् पर्वतके उत्तरमें उत्तरकुरु है । मेरुसे दक्षिण दिशामें भी निषध, हेमकूट और हिम नामक दो-दो हजार योजन विस्तारवाले तीन पर्वत हैं । इन पर्वतोंके बीचमें हरिवर्ष, किम्बुल्व और भारत ये तीन क्षेत्र हैं । प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ हजार योजन है ।

मेरुसे पूर्वमें मात्यवान् पर्वत है । मात्यवान् पर्वतसे समुद्रपर्यन्त भद्राश्व नामक देश है—इस देशमें भद्राश्वनामक क्षेत्र है । मेरुसे पश्चिममें गन्धमादन पर्वत है । गन्धमादन पर्वतसे समुद्रपर्यन्त केतुमाल नामक देश है—क्षेत्रका नाम भी केतुमाल है । मेरुके अधोभागमें इलावृत्त नामक क्षेत्र है । इसका विस्तार पचास हजार योजन है । इस प्रकार जम्बूद्वीपमें नौ क्षेत्र हैं । एक लाख योजन विस्तारवाला यह जम्बूद्वीप दो लाख योजन विस्तारवाले लवण समुद्रसे घिरा हुआ है । जम्बूद्वीपके विस्तारसे क्रमशः दूने-दूने विस्तार वाले छह द्वीप और हैं—शाक, कुश, औञ्च, शाल्मल, मगध और पुष्करद्वीप । सातों द्वीपोंको घेरे हुए सात समुद्र हैं । जिनके पानीका स्वाद क्रमशः इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, माड, दूध और मोठा जैसा है । सातों द्वीप तथा सातों समुद्रों का परिमाण पचास करोड़ योजन है ।

पातालमें, समुद्रोंमें और पर्वतोंपर असुर, गन्धर्व, किन्नर, किम्बुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि देव रहते हैं । सम्पूर्ण द्वीपोंमें पुण्यात्मा देव और मनुष्य रहते हैं । मेरु पर्वत देवोंकी उद्यानभूमि है । बह्नी मिश्रवन, नन्दन, चैत्ररथ, सुमानस इत्यादि उद्यान हैं । सुपर्मा नामकी देवसभा है । सुदर्शन नगर है तथा इस नगरमें वैजयन्त प्रासाद है । ग्रह, नक्षत्र और तारा ध्रुव (ज्योतिर्विशेष) मेरुके ऊपर स्थित हैं । इनका भ्रमण वायुके विक्षेपसे होता है ।

स्वर्लोकका वर्णन—माहेन्द्रलोकमें छह देवनिकाय हैं—त्रिदश, अग्निष्वात्तायाम्य, तुषित, अपरि-निमित्तवर्षावर्ति और परिनिमित्तवर्षावर्ति । ये देव सकल्पमिद्ध (संकल्पमात्रसे सब कुछ करनेवाले) अणिमा आदि ऋद्धि तथा ऐश्वर्यसे सम्पन्न, एक कल्पकी आयु वाले, औपपादिक (माता-पिताके संयोगके बिना लक्षण-मात्रमें जिनका शरीर उत्पन्न हो जाता है) तथा उत्तमोत्तम अप्सराओंसे युक्त होते हैं । महर्लोकमें पाँच देव-निकाय हैं—कुमुद, ऋभुव, प्रतर्दन, अञ्जनाभ और प्रचित्ताभ । ये देव महाभूतोंकी वषामे रखनेमें स्वतन्त्र होते हैं तथा ध्यानमात्रसे तृप्त हो जाते हैं । इनकी आयु एक हजार कल्पकी है । प्रथम ब्रह्मलोक (जनलोक में) नार देवनिकाय है—ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, प्रब्रह्ममहाकायिक और अवर । ये देव भूत और इन्द्रियों की वषामे रखनेवाले होते हैं । ब्रह्मपुरस्थित देवोंकी आयु दो हजार कल्पकी है । अन्य देवनिकायोंमें आयु क्रमशः दूनी-दूनी है । द्वितीय ब्रह्मलोकमें (तपोलोकमें) तीन देवनिकाय हैं—आभास्वर, महाभास्वर और

सत्यमहाभास्वर । ये देव भूल और इन्द्रिय और अन्तःकरणकी वशमें रखनेवाले होते हैं । इनकी आयु पहले निकायकी अपेक्षा क्रमशः द्विती है । ये देव ऊर्ध्वरेतस् होने हैं तथा ध्यानमात्रसे तृप्त हो जाते हैं । इनका ज्ञान ऊर्ध्वलोक तथा अधोलोकमें अपरिहृत होता है । तृतीय ब्रह्मलोक (सत्यलोक) में चार देवनिकाय हैं—अभ्युत, शुद्धनिवास, सत्याम और संज्ञा-संज्ञि । इन देवोंके घर नहीं होने । इनका निवास अपनी आत्मामें ही होता है । क्रमशः ये ऊपर स्थित हैं । प्रधान (प्रकृति) की वशमें रखनेवाले तथा एक सर्गकी आयुवाले हैं । अभ्युतदेव सवितर्कं ध्यानसे सुखी रहते हैं । शुद्धनिवासदेव सविचार ध्यानसे सुखी रहते हैं । सत्यामदेव आनन्दमात्र ध्यानसे सुखी रहते हैं । संज्ञासंज्ञि देव अस्मितामात्र ध्यानसे सुखी रहते हैं । ये सात लोक तथा अर्धान्तर सात लोक सब ब्रह्मलोक (ब्रह्माण्ड) के अन्तर्गत हैं ।

वैदिक परम्परा श्रीमद्भागवतके आधारसे

भूलोकका वर्णन—यह भूलोक सात द्वीपोंमें विभाजित है । जिनमें प्रथम जम्बूद्वीप है । इसका विस्तार एक लाख योजन है तथा यह कमलपत्रके समान गोलकार है ।

इस द्वीपमें आठ पर्वतोंसे विभक्त नौ क्षेत्र हैं । प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ हजार योजन है । मध्यमें इलावृण नामका क्षेत्र है । इन क्षेत्रके मध्यमें सुवर्णमय मेरु पर्वत है । मेरुकी ऊँचाई नियुतयोजन प्रमाण है । मूलमें मेरु पर्वत सोलह हजार योजन पृथ्वीके अन्दर है तथा सिन्धु पर बत्तीस हजार योजन फीला हुआ है । मेरुके उत्तरमें नील, श्वेत तथा शृंगवान् ये तीन मर्यादागिरि हैं जिनके कारण रम्यक, हिरण्यमय और कुक्कोनोका विभाग होता है । इसी प्रकार मेरुसे दक्षिणमें निषध, हेमकूट, हिमालय ये तीन पर्वत हैं जिनके द्वारा हरिवर्ष, किम्बुलव और भारत इन तीन ओरका विभाग होता है । इलावृत्त क्षेत्रसे पश्चिममें माल्यवान् पर्वत है जो केतुमाल देशकी सीमाका कारण है । इलावृत्तसे पूर्वमें गन्धमावन पर्वत है जिससे भद्राक्ष्व देशका विभाग होता है । मेरुके चारों दिशाओंमें मन्दर, मेरुमन्दर, सुपादर्ब और कुमुद ये चार अवष्टम्भ पर्वत हैं । चारों पर्वतोंपर आन्न, जम्बू, कदम्ब और न्यग्रोध ये चार विशालवृक्ष हैं । चारो पर्वतोंपर चार तालाब हैं जिनका जल दूध, मधु, इक्षुरस तथा मिठाई जैसे स्वादका है । नन्दन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोन्नद ये चार देवोद्यान हैं । इन उद्योनोंमें देव देवागनाओं सहित विहार करते हैं । मन्दर पर्वतके ऊपर ११ सौ योजन ऊँचे आन्न वृक्षसे पर्वतके सिन्धु जैसे स्थूल और अमृतके समान रसवाले फल गिरते हैं । मन्दर पर्वतसे अरुणोद्या नदी निकलकर पूर्वमें इलावृत्त क्षेत्रमें बहती है । अरुणोद्या नदीका जल आन्न वृक्षके फलोंके कारण अरुण रहता है । इसी प्रकार मेरुमन्दर पर्वतके ऊपर जम्बूद्वीप पृथ्वीके फल गिरते हैं मेरुमन्दरपर्वतसे जम्बू नामकी नदी निकलकर दक्षिणमें इलावृत्त क्षेत्रमें बहती है । जम्बूवृक्षके फलोंके रससे युक्त होनेके कारण इस नदीका नाम जम्बू नदी है । सुपादर्ब पर्वतपर कदम्ब वृक्ष है । सुपादर्ब पर्वतसे पाँच नदियाँ निकलकर पश्चिम में इलावृत्त क्षेत्रमें बहती हैं । कुमुद पर्वतपर शातवल्था नामका बट वृक्ष है । कुमुद पर्वतसे पयोनदी, दधिपनदी, मधुपनदी, वृत्तनदी, गुडनदी, अन्ननदी, अम्बरनदी, सप्त्यासननदी, आभरणनदी आदि सब कामोंको तृप्त करने वाली नदियाँ निकलकर उत्तरमें इलावृत्त क्षेत्रमें बहती हैं । इन नदियोंके जलके सेवन करनेसे कभी भी जरा, रोग, मृत्यु, उपसर्ग आदि नहीं होते हैं । मेरुके मूलमें कुरंग, कुरर, कुसुम्भ आदि बीस पर्वत हैं । मेरुसे पूर्वमें अठर और देवकूट, पश्चिममें पवन और परिपात्र, दक्षिणमें क्रीलाश और करवीर, उत्तरमें त्रिशुंभ और मकर इस प्रकार आठ पर्वत हैं । मेरुके सिन्धुपर भगवानकी शातकौम्भी नामकी चतुष्कोण नदी है । इस नदीके चारों ओर आठ लोकपालोंके आठ नगर हैं ।

सीता, अलकनन्दा, यमु और भद्रा इस प्रकार चार नदियाँ चारों दिशाओंमें बहती हुई समुद्रमें

प्रवेश करती हैं। सीत नदी ब्रह्मसवनकेसर, अक्षय ब्रह्मि पर्वतके सिखरोंसे नीचे-नीचे होकर गन्धमादन पर्वतके शिखरपर गिरकर भद्राक्षय क्षेत्रमें बहती हुई पूर्वमें क्षार समुद्रमें मिलती है। इसी प्रकार चक्षु नदी मात्यवान् पर्वतके शिखरसे निकलकर केतुवाल क्षेत्रमें बहती हुई समुद्रमें मिलती है। भद्रा नदी मेरुके शिखर से निकलकर श्रुगवान् पर्वतके शिखरसे होकर उत्तरकुक्षमें बहती हुई उत्तरके समुद्रमें मिलती है। अलकनन्दा नदी ब्रह्मसवन पर्वतसे निकलकर भास्त्वक्षेत्रमें बहती हुई दक्षिणके समुद्रमें मिलती है। इसी प्रकार अनेक नद और नदियाँ प्रत्येक क्षेत्रमें बहती हैं। भारतवर्ष ही कर्मक्षेत्र है। क्षेत्र आठ क्षेत्र स्वर्णवासी पुरुषोके स्वर्णभोगसे बचे हुए पुरुषोंके भोजनेके स्थान हैं।

अन्य द्वीपोंका वर्णन—जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीपसे घिरा हुआ है उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तारवाले छारे जलके समुद्रसे परिवेष्टित है। क्षार समुद्र भी अपनेसे दूने प्लक्षद्वीपसे घिरा हुआ है। जम्बूद्वीपमें जितना बड़ा जामुनका पेड़ है उतने ही विस्तारवाला यहाँ प्लक्ष, (पाकर) का वृक्ष है। इसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। इस द्वीपमें शिव, यम, मुभद्र, शान्त, क्षेम, अमृत और अभय ये सात क्षेत्र हैं। मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्, सुपर्ण, हिरण्यवृष्टीव और मेखमाल ये सात पर्वत हैं। अरुण, नृग्न, आर्गिरसी, सावित्री, सुप्रभ्राता, ऋत्तममरा और सत्यभरा ये सात नदियाँ हैं।

प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्षुरसे समुद्रसे घिरा हुआ है। उससे आगे उससे दूगुने परिमाणवाला शाल्मली द्वीप है जो उतने ही परिमाणवाले मधिराके मागरसे घिरा हुआ है। इस द्वीपमें शाल्मली (सेमर) का वृक्ष है जिसके कारण इस द्वीपका नाम शाल्मलीद्वीप हुआ। इस द्वीपमें सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिमद्र और अविज्ञात ये सात क्षेत्र हैं। स्वरम, शतशृंग, वामदेव, कुन्द, मुकुन्द, पुण्यवर्ष और सहस्रश्रुति ये सात पर्वत हैं। अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुड्ड, रजनी, नन्दा और राका ये नदियाँ हैं।

मधिराके समुद्रसे आगे उसके दूने विस्तारवाला कुशद्वीप है। यह द्वीप अपने ही परिमाणवाले घृतके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें एक कुशोका झाड़ है इसीसे इस द्वीपका नाम कुशद्वीप है। इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र हैं, चक्र, चतुःशृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण ये सात पर्वत हैं। रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृन्दा, देवगर्मा, घृतच्युता, और मन्त्रमाला ये सात नदियाँ हैं।

घृत समुद्रसे आगे उससे द्विगुण परिमाणवाला कौञ्चद्वीप है। यह द्वीप भी अपने समान विस्तारवाले दूषके समुद्रसे घिरा हुआ है। यहाँ कौञ्च नामका एक बहुत बड़ा पर्वत है उसीके कारण इसका नाम कौञ्चद्वीप हुआ। इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र हैं। शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबह्णिण, नन्द, नन्दन और सर्वतोभद्र ये सात पर्वत हैं। तथा अमया, अमृतीघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्तिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला ये सात नदियाँ हैं।

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर बत्तीस लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप है जो अपने ही समान परिमाणवाले मठेके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष है वही इस द्वीपके नामका कारण है। इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र, सात पर्वत तथा सात नदियाँ हैं।

इसी प्रकार मठेके समुद्रसे आगे उससे दूने विस्तारवाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर अपने समान विस्तारवाले मीठे जलके समुद्रसे घिरा हुआ है। वहाँ एक बहुत बड़ा पुष्कर (कमल) है जो इस द्वीपके नामका कारण है। इस द्वीपके बीचोंबीच इसके पूर्वोय और पश्चिमोय विभागोंकी मर्यादा निश्चित करने-

बाला भानसोत्तर नामका एक पर्वत है। यह दस हजार योजन ऊँचा और इतना ही लम्बा है।

इस द्वीपके काग्रे लोकोलोक नामका एक पर्वत है। लोकोलोक पर्वत सूर्यसे प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागोंके बीचमें स्थित है इसीसे इसका यह नाम पडा। यह इतना ऊँचा और इतना लम्बा है कि इसके एक ओरसे तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाली सूर्यसे लेकर ध्रुव पर्वत सम्मत्त ज्योतिषमण्डली किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती।

समस्त भूगोल पचास करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग (१२॥ करोड़ योजन) यह लोकोलोक पर्वत है।

इस प्रकार भूलोकका परिमाण समझना चाहिए। भूलोकके परिमाणके समान ही ध्रुलोकका भी परिमाण है। इन दोनों लोकोंके बीचमें अन्तरिक्ष लोक है, जिसमें सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और ताराओंका निवास है। सूर्यमण्डलका विस्तार दस हजार योजन है और चन्द्रमण्डलका विस्तार बारह हजार योजन है।

अतल आदि नीचेके लोकोंका वर्णन—भूलोकके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पातालके नामके सात भू-विबर (बिल) हैं। ये क्रमश नीचे-नीचे दस दस हजार योजनकी दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक बिलकी लम्बाई चौड़ाई भी दस दस हजार योजन की है। ये भूमिके बिल भी एक प्रकारके स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्गसे भी अधिक विषयमीग, ऐश्वर्य, आनन्द, सन्तानसुख और धन-संपत्ति है।

नरकोंका वर्णन—समस्त नरक अट्ठाइस हैं। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं—तामिस्र, अन्वतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिसत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, कुम्भिभाजन, सन्दश, तप्तसूमि, बज्रकण्ठशाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विससन, लालामक्ष, सारमेयादन, अवीचि, अय पान, क्षार-कर्दम, रक्षोगणभोजन, झूलप्रोत, बन्द्युक, अवटरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख।

जो पुरुष दूसरोंके धन, सन्तान अथवा स्त्रियोंका हरण करता है उसे अत्यन्त भयानक यमदूत काल-पाशमे बांधकर बलात्कारसे तामिस्र नरकमें गिरा देता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरेको धोखा देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता है वह अन्वतामिस्र नरकमें पड़ता है। जो पुरुष इस लोकमें यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री, घनादि मेरे हैं ऐसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियोंसे झोह करके अपने कुटुम्बके पालन-पोषणमें ही लगा रहना है वह रौरव नरकमें गिरता है। जो क्रूर मनुष्य इस लोकमें अपना पेट पालनेके लिए जीवित पशु या पक्षियोंको राँधता है उसे यमदूत कुम्भीपाक नरकमें ले जाकर झूलते हुए तेलमें राँधते हैं। जो पुरुष इस लोकमें झलम आदि जीवोंकी हिसा करता है वह अन्धकूप नरकमें गिरता है। इस लोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुषसे व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्तसूमि नरकमें ले जाकर कोढ़से पीटते हैं। तथा पुरुषको तपाए हुए लोहेकी स्त्री-भूँतसे और स्त्रीको तपायी हुई पुरुष-भूँतसे आँकलन कराते हैं। जो पुरुष इस लोकमें पशु आदि सभीके साथ व्यभिचार करता है उसे यमदूत बज्रकण्ठशाल्मली नरकमें ले जाकर बज्रके समान कठोर काँटोवाली सेमरके वृक्षपर बड़ाकर फिर नीचेकी ओर झींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोकमें श्रेष्ठकुलमें जन्म पाकर भी धर्मकी मर्यादाको उल्लंघन करते हैं वे उस मर्यादातिक्रमके कारण मरने पर वैतरणी नदीमें पड़े जाते हैं। यह नदी नरकोंकी साईके समान है। यह नदी मल, मूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि अव्यभिचार पदार्थोंसे भरी हुई है। जो पुरुष इस लोकमें नरमेघाधिके द्वारा औरव, यक्ष, राक्षस, आदिका यजन करते हैं उन्हें वे पशुओंकी तरह मारे गये पुरुष धमलोकमें राक्षस होकर तरह-तरहकी यातनाएँ देते हैं तथा रक्षोगण-भोजन नामक नरकमें कसाइयोंके समान कुल्हाड़ीसे काट काटकर उसका कोह पीते हैं तथा जिस प्रकार वे

मासभोजी पुरुष इस लोकमें उनका मास भक्षण करके आनन्दित होते थे उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपाण करते और आनन्दित होकर नाचते-गाते हैं।

इसी प्रकार अन्य नरकोमें भी प्राणी अपने-अपने क्रमके अनुसार दुःख भोगते हैं।

वैदिक परम्परा (विष्णुपुराणके आधारसे)

भूलोकका वर्णन—इस पृथ्वीपर सात द्वीप हैं जिनके नाम ये हैं—जम्बू, प्लक्ष, शात्मलि, कुष, क्रीञ्च, शाक और प्लकर। ये द्वीप लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल इन सात समुद्रोंसे घिरे हुए हैं।

सब द्वीपोंके मध्यमें जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीपके मध्यमें सुवर्णमय मेरु पर्वत है जो ८४ हजार योजन ऊँचा है। मेरुके दक्षिणमें हिमवान्, हेमकूट और निषध पर्वत हैं तथा उत्तरमें नील, श्वेत और श्रुगी पर्वत हैं। मेरुके दक्षिणमें भारत, किम्पुरुष और हरिवर्ष ये तीन क्षेत्र हैं तथा उत्तरमें रम्यक, हिरण्यमय और उत्तरकुक्ष ये तीन क्षेत्र हैं। मेरुके पूर्वमें भद्रापूर्व क्षेत्र है तथा पश्चिममें केतुमाल क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रोंके बीचमें इलावृत क्षेत्र है। इलावृत क्षेत्रके पूर्वमें मन्दर, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें विपुल, उत्तरमें सुपासर्व पर्वत हैं। मेरुके पूर्वमें शीतान्त, चक्रमुञ्च, कुररी, माल्यवान्, वैकञ्छा आदि पर्वत हैं। दक्षिणमें त्रिकूट, शिशिर, पतञ्ज, रुचक, निषध आदि पर्वत हैं, पश्चिममें शिखिवास, वैदूर्य, कपिल, गन्धमादन आदि पर्वत हैं और उत्तरमें शालकूट, ऋषध, हंस, नाग आदि पर्वत हैं।

मेरुके पूर्वमें वैश्रथ, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें वैभ्राज और उत्तरमें नन्दनवन हैं। अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस ये सरोवर हैं।

मेरुके ऊपर जो ब्रह्मपुरी है उसके पासगं गगानदी चारों दिशाओंमें बहती है। सीता नदी भद्रापूर्व-क्षेत्रसे होकर पूर्व समुद्रमें मिलती है। अलकनन्दा नदी भरतक्षेत्रसे होकर समुद्रमें प्रवेश करती है। चक्षु-नदी केतुमाल क्षेत्रमें बहती हुई समुद्रमें मिलती है और भद्रानदी उत्तरकुक्षमें बहती हुई समुद्रमें प्रवेश करती है।

इलावृतक्षेत्रके पूर्वमें जठर और देवकूट, दक्षिणमें गन्धमादन और कौलाश और पश्चिममें निषध और पारिपात्र और उत्तरमें त्रिश्रुग और जाशधि पर्वत हैं। पर्वतोंके बीचमें सिद्धचारण देवोंसे सेवित खाई हैं और उनमें मनोहर नगर तथा वन हैं।

समुद्रके उत्तरमें तथा हिमालयके दक्षिणमें भारत क्षेत्र है। इसमें भरतकी मन्तति रहती है। इसका विस्तार नौ हजार योजन है। इस क्षेत्रमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्, ऋष, विष्य और पारिपात्र ये सात क्षेत्र हैं।

इस क्षेत्रमें इन्द्रद्वीप, कशेरुमान्, ताम्रवण, गंधहस्तिमान्, नागद्वीप, सीम्य, गन्धर्व, वारुण और सागर-सकृत ये नव द्वीप हैं। हिमवान् पर्वतमें शतद्रु, चन्द्रभागा आदि नदियाँ निकली हैं। पारिपात्र पर्वतसे वेदमुञ्च, स्मृतिमुख आदि नदियाँ निकली हैं। विष्य पर्वतसे नर्मदा, सुरसा आदि नदियाँ निकली हैं। ऋषि पर्वतसे तापी, पयोष्णि, निर्विण्ड्या आदि नदियाँ निकली हैं। सह्य पर्वतसे गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी आदि नदियाँ निकली हैं। मलय पर्वतसे कृतमात्र, ताम्रपर्णी आदि नदियाँ निकली हैं। महेंद्र पर्वतसे त्रिसाभा, आयकुल्या, आदि नदियाँ निकली हैं। शुक्तिमान् पर्वतसे त्रिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ निकली हैं।

प्लक्षद्वीप—इस द्वीपमें शान्तिमय, शिशिर, सुहृद, आनन्द, शिव, ज्येष्ठा और ध्रुव ये सात क्षेत्र हैं। तथा गोमिंद्र, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सामक, सुमन और वैभ्राज ये सात पर्वत हैं। अनुत्पत्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुकृता ये सात नदियाँ हैं।

शात्मलिङ्गीप—इस द्वीपमें श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैश्वत, मानस और सुप्रभ ये सात क्षेत्र हैं। कुमुद, उन्नत, बलाहक, व्रीण, कङ्क, महिव और ककुद्म ये सात पर्वत हैं। योनि, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, शुक्ला, विमोक्षनी और निवृत्ति ये सात नदियाँ हैं।

कुशद्वीप—इस द्वीपमें उद्भिद्, वेणुमत्, बँरष, लम्बन, श्रुति, प्रभाकर और कपिल ये सात क्षेत्र हैं, विद्रुम, हेमशैल, श्रुतिमान्, पुष्यवान्, ह्यय और मन्दराचल ये सात पर्वत हैं। भूतपापा, सिखा, पवित्रा, संमति, विशुद्धभा, मही आदि सात नदियाँ हैं।

क्रौञ्च द्वीप—इस द्वीपमें कुशल, मन्वक, उष्ण, पीबर, अन्वकारक, मृनि और दुन्दुभि ये सात क्षेत्र हैं। क्रौञ्च, वामन, अन्वकारक, देवान्त, पुण्डरीकवान्, दुन्दुभि और म्हाशील ये सात पर्वत हैं। गौरी, कुमुदती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका ये सात नदियाँ हैं।

शाक द्वीप—इस द्वीपमें जलद, कुमार, सुकुमार, मनीचक, कुसुमोद, मीदाकि और महाद्रुम ये सात क्षेत्र हैं। उदयगिरि, जलाघर, वतक, क्ष्याम, अस्तगिरि, अश्विकेय और केसरी ये सात पर्वत हैं। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गमस्ती ये सात नदियाँ हैं।

पुष्कर द्वीप—इस द्वीपमें महावीर और घातकीलक्ष्य ये दो क्षेत्र हैं। मानुषोत्तर पर्वत पुष्करद्वीपके बीचमें स्थित है। अन्य पर्वत तथा नदियाँ इस द्वीपमें नहीं हैं।

भूगोलकी इन परम्पराओंका तुलनात्मक अध्ययन हमें इस नतीजे पर पहुँचाता है कि आजसे दो ड़ाई हजार वर्ष पहिले भूगोल और लोक वर्णनकी करीब-करीब एक जैसी अनुश्रुतियाँ प्रचलित थी। जैन अनुश्रुतिको प्रकृत तत्त्वार्थसूत्रके तृतीय और चतुर्थ अध्यायमें निबद्ध किया गया है। लोकका पुरुषाकार वर्णन भी योगभाष्यमें पाया जाता है। अतः ऐतिहासिक और उस समयकी साधनसामग्रीकी दृष्टिसे भारतीय परम्पराओंका लोकवर्णन अपनी खास विशेषता रखता है। आजके उपलब्ध भूगोलमें प्राचीन स्थानोंकी खोज करनेपर बहुत कुछ तथ्य सामने आ सकता है।

प्रस्तुतवृत्ति—इस वृत्तिका नाम तत्त्वार्थवृत्ति है जैसा कि स्वयं श्रुतिसागरसूरिने ही प्रारम्भमें लिखा है—“अथे तत्त्वार्थवृत्ति निजविभवतयाऽहं श्रुतोदन्वयात्”। अर्थात् मैं श्रुतसागर अपनी शक्तिके अनुसार तत्त्वार्थवृत्तिको कहूँगा। अध्यायोके अन्तमें आनेवाली पुष्पिकाओंमें इसके ‘तत्त्वार्थटीकायाम्’, ‘तात्पर्यसंज्ञायाम् तत्त्वार्थवृत्तौ’ ये दो प्रकारके उल्लेख मिलते हैं। यद्यपि द्वितीय उल्लेखमें इसका ‘तात्पर्य’ यह नाम सूचित किया गया है, परन्तु स्वयं श्रुतसागरसूरिको तत्त्वार्थवृत्ति मही नाम प्रचारित करना इष्ट था। ये इस ग्रन्थके अन्तमें इसे तत्त्वार्थवृत्ति ही लिखते हैं। यथा—“एषा तत्त्वार्थवृत्तिः यैर्विचार्यते” आदि। तत्त्वार्थटीका यह एक साधारण नाम है, जो कदाचित् पुष्पिकाओंमें लिखा भी गया हो, पर प्रारम्भ श्लोक और अन्तिम उपसंहारवाक्यमें ‘तत्त्वार्थवृत्ति’ इन समुल्लेखोंके बलसे इसका ‘तत्त्वार्थवृत्ति’ नाम ही फलित होता है।

इस तत्त्वार्थवृत्तिको श्रुतसागरसूरिने स्वतन्त्रवृत्तिके रूपमें बनाया है। परन्तु ग्रन्थके पढ़ते ही यह भाव होता है कि यह पूज्यपादकृत सर्वाथसिद्धिकी ही व्याख्या है। इसमें सर्वाथसिद्धि ग्रन्थ तो प्रायः पूराका पूरा ही समा गया है। कहीं सर्वाथसिद्धिकी पंक्तियोंको दो बार शब्द नए जोड़कर अपना लिया है, कहीं उनकी व्याख्या की है, कहीं विशेषार्थ दिया है और कहीं उसके पदोंको सार्थकता दिखाई है। अतः प्रस्तुतवृत्तिकी सर्वाथसिद्धिकी अविकल व्याख्या तो नहीं कह सकते। हाँ, सर्वाथसिद्धि को लगानेमें इससे सहायता पूरी-पूरी मिल जाती है।

श्रुतसागरसूरि अनेक शास्त्रोंके पण्डित थे। उनने स्वयं ही अपना परिचय प्रथम अध्याय को पुष्पिका में दिया है। उसका भाव यह है—'अनवद्य गद्य पद्य विद्याके विनोदसे जिनकी मति पवित्र है, उन मतिसागर यतिराजकी प्रार्थनाको पूरा करनेमें समर्थ, तर्क, व्याकरण, छन्द, अलङ्कार साहित्यादिशास्त्रमें जिनकी बुद्धि अक्षय्यत सीसण है, वेवेन्द्रकीर्ति भट्टारकके प्रशिष्य और विद्यानन्दिदेवके शिष्य श्रुतसागरसूरिके द्वारा रचित तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, राजवार्तिक, सर्वार्थसिद्धि, न्यायकुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलमात्तण्ड, प्रचण्ड-अष्टसहस्री आदि ग्रन्थोंके पाण्डित्यका प्रवर्धन करानेवाली तत्त्वार्थटीकाका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।'

इन्होंने अपनेकी स्वयं कलिकालसंज्ञन, कलिकालगीतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, ताकिका शिरोमणि, धरमायमप्रवीण आदि विशेषणोंसे भी अलङ्कृत किया है।

इन्होंने सर्वार्थसिद्धिके अभिप्रायके उद्घाटनका पूरा-पूरा प्रयत्न किया है। सत्त्वस्थ्यासूत्रमें सर्वार्थसिद्धिके सूत्रात्मक वाक्योंकी उपपत्तियाँ इसका अच्छा उदाहरण है। जैसे—

१—सर्वार्थसिद्धिमें क्षेत्रप्ररूपणामे सयोगकेबलीका क्षेत्र लोकका असंख्येय भाग, असंख्येय बहुभाग और सर्वलोक बताया है। इसका अभिप्राय इस प्रकार बताया है—'लोकका असंख्येय भाग दण्ड, कपाट, समुद्घातकी अपेक्षा है। सो कैसे ? यदि केवली कायोत्मगसे स्थित है तो दण्ड समुद्घातको प्रथम ममयमें बारह अंगुल प्रमाण समवृत्त या मूलशरीर प्रमाण समवृत्त रूपसे करने है। यदि बँटे हुए है तो शरीरसे तिगुना या वान-धक्यसे कम पूर्ण लोक प्रमाण दण्ड समुद्घात करने है। यदि पूर्वाभिमुख है तो कपाट समुद्घातको उत्तर-दक्षिण धक्य धनुषप्रमाण प्रथम समयमें करने है। यदि उत्तराभिमुख है तो पूर्व-पश्चिम करने है। इन प्रकार लोकका असंख्यातैकभाग होता है। प्रतर अवस्थामे केवली तीन वातवलयकम पूर्णलोकको निरन्तर आत्म-प्रदेशोंसे व्याप्त करते है। अतः लोकका असंख्यात बहुभाग क्षेत्र हो जाता है। पूरण अवस्थामे सर्वलोक क्षेत्र हो जाता है।

२—वेदकसम्यक्त्वकी छायासठ सागर स्थिति—सौधर्मस्वर्गमें २ सागर, द्वाकस्वर्गमें १६ सागर, शतारमें १८ सागर, अष्टम ईवेयकमें ३० सागर, इन प्रकार छायासठ सागर हो जाते हैं। अथवा सौधर्ममें दो बार उत्पन्न होनेपर ४ सागर, सनत्कुमारमें ७ सागर, ब्रह्म स्वर्गमें १० सागर, लान्तवमें १४ सागर, नवम ईवेयकमें ३१ सागर, इन प्रकार ६६ सागर स्थिति होती है। अन्तिम ईवेयककी स्थितिमें मनुष्यायुओका जितना काल होगा उतना कम समझना चाहिये।

३—सामादन सम्यग्दृष्टिका लोकका देशोन ८ भाग या १२ भाग स्पर्शन-परस्वान विह्वारकी अपेक्षा सासादन सम्यग्दृष्टि देव नीचे तीसरे नरक तक जाते है तथा ऊपर अश्व्युत स्वर्ग तक। सो नीचे दो राजू और ऊपर ६ राजू, इस प्रकार आठ राजू हो जाते है। छठवे नरकका सासादन मारणान्तिक समुद्घात मध्यलोक तक ५ राजू और लोकान्तवर्ती बादरजलकाय या वनस्पतिकायमें उत्पन्न होनेके कारण ७ राजू, इस प्रकार १२ राजू हो जाते है। कुछ प्रदेश सासादनके स्पर्शयोग्य नहीं होते अत देशोन समझ लेना चाहिए।

इस प्रकार समस्त सूत्रमें सर्वार्थसिद्धिके अभिप्रायको खोलनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है। न केवल इसी सूत्रको ही, किन्तु समग्र ग्रन्थको ही लगानेका विद्वत्सापूर्ण प्रयास किया गया है।

परन्तु शास्त्रसमुद्र इतना अग्राव और विविध भग तरंगोंसे युक्त है कि उसमें कितना भी कुशल अवगाहक क्यों न ही चक्करमें आ ही जाता है। इसीलिए बड़े-बड़े आचार्योंने अपने छद्मस्वयंज्ञान और चञ्चल

सांख्यवैशेषिक उपयोगपर विवकाश न करके स्वयं लिख दिया है कि—“को न किमुह्यति शास्त्रसमुद्गे” श्रुतसागरसूरि भी इसके अपवाद नहीं हैं। यथा—

१—सर्वार्थसिद्धिमें “द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः” (५।४१) सूत्रकी व्याख्यामें ‘निर्गुण’ इस विशेषणकी साधकता बताते हुए लिखा है कि—“निर्गुण इति विशेषण द्रघणुकादिनिवृत्त्यर्थम्, तावपि हि कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयाणि गुणवन्ति तु तस्मात् ‘निर्गुणाः’ इति विशेषणत्तानि निवर्तितानि भवन्ति।” अर्थात् द्रघणुकादि स्कन्ध नैयायिकोंको दृष्टिसे परमाणुरूप कारणद्रव्यमें आश्रित होनेसे द्रव्याश्रित हैं और रूपादि गुणवाले होनेसे गुणवाले भी हैं अतः इनमें भी उक्त गुणका लक्षणा अतिव्याप्त हो जायगा। इसलिए इनकी निवृत्तिके लिए ‘निर्गुणाः’ यह विशेषण दिया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरि लिखते हैं कि—

“निर्गुणाः इति विशेषणं द्रघणुकद्रघणुकादिस्कन्धानिवेषार्थम्, तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते। कस्मात्? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वात्, तस्मात् कारणात् निर्गुणा इति विशेषणान् स्कन्धगुणा गुणा न भवन्ति पर्यायाश्रयत्वात्।” अर्थात्—‘निर्गुणाः’ यह विशेषण द्रघणुक, त्रघणुकादि स्कन्धके निवेद्यके लिए है। इससे स्कन्धमें रहनेवाले गुण गुण नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे कारणभूत परमाणुद्रव्यमें रहते हैं। इनलिए स्कन्धके गुण गुण नहीं हो सकते क्योंकि वे पर्यायमें रहते हैं। यह द्वेषुवाद बड़ा विचित्र है और जैन सिद्धान्तके प्रतिकूल भी। जैनसिद्धान्तमें रूपादि चाहे षटादिस्कन्धोंमें रहनेवाले हों या परमाणुमें, सभी गुण कहे जाते हैं। ये स्कन्धके गुणोंको गुण ही नहीं कहना चाहते क्योंकि वे पर्यायाश्रित हैं। यदि वे यह कहते कि कारणपरमाणुओंको छोड़कर स्कन्धकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और इसलिए स्कन्धाश्रित गुण स्वतंत्र नहीं हैं तो कदाचित् संगत भी था। पर इस कथनका प्रकृत ‘निर्गुण’ पदकी साधकतासे कोई मेल नहीं बैठता। इस असंगतिके कारण आपके शंकासमाधानमें भी असंगति हो गई है। यथा—सर्वार्थसिद्धिमें है कि—घटकी मस्थान-आकार आदि पर्याय भी द्रव्याश्रित हैं और स्वयं गुणरहित है अतः उन्हें भी गुण कहना चाहिए। इसका समाधान यह कर चिखा गया है कि जो हमेशा द्रव्याश्रित हों, रूपादि गुण सदा द्रव्याश्रित रहने हैं, जब कि घटके संस्थानादि सदा द्रव्याश्रित नहीं हैं। इन शंका-समाधानका सर्वार्थसिद्धिका पाठ यह है—

“ननु पर्याया अपि षटसंस्थानादयो द्रव्याश्रया निर्गुणाश्च, तेषामपि गुणत्वं प्राप्नोति। द्रव्याश्रया इति वचनान्नित्यं द्रव्यमाश्रित्य वर्तन्ते, गुणा इति विशेषणात् पर्यायाश्च निवर्तितानि भवन्ति, ते हि कावाचित्का इति।”

इस शंकासमाधानको श्रुतसागरसूरि इस रूपमें उपस्थित करते हैं—

“ननु षटादिपर्यायाश्रिता संस्थानादयो ये गुणा वर्तन्ते, तेषामपि संस्थानादीना गुणत्वमास्कन्धादि द्रव्याश्रयत्वात्, सतो षट्पटादयोऽपि द्रव्याणोऽप्युच्यन्ते। सांख्यमपि भवता। ये नित्यं द्रव्यमाश्रित्य कर्तव्ये त एव गुणा भवन्ति न तु पर्यायाश्रया गुणा भवन्ति, पर्यायाश्रिता गुणाः कदाचित्का। कदाचिद्भवा वर्तन्ते इति।”

इस अवतरणमें श्रुतसागरसूरि संस्थानादिको षटादिका गुण कह रहे हैं, और उनका कावाचित्क होनेका उल्लेख है फिर भी उसका अन्यथा अर्थ किया गया है।

२—सर्वार्थसिद्धि (८।२) में जीव शब्दकी साधकता बताते हुए लिखा है कि “अमूर्तिव्यस्तं वात्मा कर्षं कर्मावस्थे” इति चोक्तिः सन् जीव इत्याह। जीवनाम्बीयः प्राणव्यवस्थास्यः अन्वयः प्राणव्यवस्थास्यः अन्वयः प्राणव्यवस्थास्यः

दिति ।" अर्थात्—'हाथरहित अर्ध्वं आत्मा कैते कर्म ग्रहण करता है' इस शंकाका उत्तर है 'जीव' पक्षका ग्रहण । प्राणधारण और आयुसंबन्धके कारण जीव बना हुआ आत्मा कर्म ग्रहण करता है, आयुसम्बन्धसे रहित होकर सिद्ध अवस्थामें नहीं । यहाँ श्रुतसागरसूरि 'नायुविरहात्' वाले अंशको इस रूपमें लिखते हैं—“आयुः सम्बन्धविरहे जीवस्थानाहारकत्वात् एकद्वित्रिसमयपर्यन्त कर्म नादत्ते जीव एक द्वौ त्रीन् वाजानाहारक इति वचनात् ।" अर्थात् आयुसम्बन्धके बिना जीव अनाहारक रहना है और वह एक दो तीन समय तक कर्मको ग्रहण नहीं करता क्योंकि एक दो तीन समय तक अनाहारक रहता है ऐसा कथन है । यहाँ कर्मग्रहणकी बात है, पर श्रुतसागरसूरि उसे नोकर्म ग्रहरूप आहारमें लगा रहे हैं, जिसका कि आयुसम्बन्धविरहसे कोई मेल नहीं है । ससार अवस्थामें कभी भी जीव आयुसंबन्धसे शून्य नहीं होता । विग्रहगतिमें उसके आयुसम्बन्ध होता ही है ।

३—सर्वार्थसिद्धि (८१२) में ही 'स.' शब्दकी सार्थकता इसलिए बताई गई है कि इससे गुणगुणि-बन्धकी निवृत्ति हो जाती है । नैयायिकादि शुभ-अशुभ क्रियाओसे आत्मानमें ही 'अदृष्ट' नामके गुणकी उत्पत्ति मानते हैं उसीसे आगे फल मिलता है । इसे ही बन्ध कहते हैं । दूसरे शब्दोंमें यही गुणगुणिबन्ध कहलाता है । आत्मा गुणीमें अदृष्ट नामके उसीके गुणका सम्बन्ध हो गया । इसका व्याख्यान श्रुतसागरसूरि इस प्रकार करते हैं—

“तेन गुणगुणिबन्धो न भवति । यस्मिन्नेव प्रदेशे जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलज्ञानादिकं न भवति किंतु अपरत्रापि प्रसरति ।" अर्थात्—इसलिए गुणगुणिबन्ध—गुणका गुणिके प्रदेशों तक सीमित रहना नहीं होता । जिन प्रदेशमें जीव है उसी प्रदेशमें ही केवलज्ञानादि नहीं रहने किन्तु वह अन्यत्र भी फैलता है । यहाँ, गुणगुणिबन्धका अनोखा ही अर्थ किया है, और यह दिखानेका प्रयत्न किया है कि गुणी चाहे अल्पदेशोंमें रहे पर गुण उसके साथ बद्ध नहीं है वह अन्यत्र भो जा सकता है । जो स्पष्टतः मिथ्यातममार्थित नहीं है ।

४—पृ० २७० पृ० ११ में एकेन्द्रियके भी असंप्राप्तानुपाटिका सहननका विधान किया है ।

५—२७५ में सर्व मूलप्रकृतियोंके अनुभागको स्वमुखसे विपाक मानकर भी 'मतिशानावरणका मति शानावरणरूपसे ही विपाक होता है' यह उत्तरप्रकृतिका दृष्टान्त उपस्थित किया गया है ।

६—पृ० २८१ में गुणस्थानोका वर्णन करते समय लिखा है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पहुँचनेवाला जीव प्रथम प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें ही दर्शनमोहनीयकी तीन, अनन्तानुबन्धी चार इन सात प्रकृतियोंका उपशम करता है । जो सिद्धान्तविरुद्ध है क्योंकि प्रथमोपशमसम्यक्त्वमें दर्शनमोहनीयकी केवल एक प्रकृति मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार इस तरह पाँच प्रकृतियोंके उपशमसे ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व बताया गया है । मानका उपशम तो जिनके एकवार सम्यक्त्व हो चुकना है उन जीवोंके दुबारा प्रथमोपशमके समय होता है ।

७—आदाननिक्षेपसमितियों—मयूरपिच्छके अभावमें वस्त्रादिके द्वारा प्रतिलेखनका विधान किया गया है, यह दिगम्बर परम्पराके अनुकूल नहीं है ।

८—सूत्र ८१४७ में द्रव्यालिंगकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरिने असमर्थ मुनियोंको अपवादरूपसे वस्त्रादिग्रहण इन शब्दोंमें स्वीकार किया है—

“केचिदसमर्था महर्षयः शीतकालादी कम्बलशब्दवाच्य कौशेयादिकं गृह्णन्ति, न तत् प्रक्षालयन्ति, न तत् सीव्यन्ति, न प्रयत्नादिकं कुर्वन्ति, अपरकाले परिहृन्ति । केचिच्छरीरे उत्पन्नदोषा लज्जितत्वात् तथा

कुर्वन्तीति व्याख्यानाकारावनाभगवतीश्रोक्तान्निप्रयेण अपवादस्त्वन् ज्ञातव्यम् । 'उत्सर्गापवादवोरपवादी विधि-
बन्धान्' इत्युत्सर्गेण तावद् यद्योक्तमात्रेण प्रोक्तमस्ति, आर्यासमर्षदोषबन्धरीराद्यपेक्षया अपवादव्याख्याने
न दोषः ।'

अर्थात् भगवती आराधनाके अनिप्रायानुसार असमर्ष या दोषयुक्त शरीरबान्धे साधु शीतकालमें वस्त्र
ले लेते हैं, पर वे न तो उसे धोते हैं न सीते हैं और न उसके लिए प्रयत्न ही करते हैं, दूसरे ममयमें उसे
छोड़ देते हैं । उत्सर्गांग तो अपेक्षकता है पर आर्या असमर्ष और दोषयुक्त शरीरबालोंकी अपेक्षा अपवाद-
लिममें भी दोष नहीं है ।

भगवती आराधना (गा० ४२१) की अपराजितसूरिकृत विजयोदया टीकामें कारणपेक्ष यह अपवाद-
मार्ग स्वीकार किया गया है । इसका कारण स्पष्ट है कि अपराजितसूरि यापनोपसंभके आचार्य थे और याप-
नीय आगमवाचनाओंको प्रमाण मानते थे । उन आगमोंमें आए हुए उल्लेखोंके समन्वयके लिए अपराजितसूरिने
यह व्यवस्था स्वीकार की है । परन्तु श्रुतसागरसूरि तो कष्टर विगम्बर थे, वे कैसे इस चक्करमें आ गये ?

भाषा और शैली—तत्त्वार्थवृत्तिकी शैली सरल और सुबोध है । प्रत्येक स्थानमें नूतन पर सुमिल
शब्दोंका प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । सैद्धान्तिक बातोंका खुलासा और दर्शनगुणियोंके सुलझानेका प्रयत्न
स्थान-स्थानपर किया गया है । भाषाके ऊपर तो श्रुतसागरसूरिका अद्भुत अधिकार है । जो क्रिया एक जगह
प्रयुक्त है वही दूसरे भागमें नहीं मिल सकती । प्रमाणोंकी उद्धृत करनेमें तो इनके श्रुतसागरत्वका पूरा
पूरा परिचय मिल जाता है । इस वृत्तिमें निम्नलिखित ग्रन्थों और ग्रन्थकारोंका उल्लेख नाम लेकर किया
गया है । अनिविष्टकर्तृक गाथाएँ और श्लोक भी हम वृत्तिमें पर्याप्त रूपमें संगृहीत हैं । इस वृत्तिमें उमा-
स्वामी (उमास्वाति भी) समन्तभद्र, पूष्यपाद, अकलंकदेव, विद्यानन्दि, प्रभाचन्द्र, नेमिचन्द्रदेव, योगीन्द्रदेव,
मनिसागर, देवेन्द्रकोटिमट्टारक आदि ग्रन्थकारोंके तथा सर्वार्थमिद्धि, राजवातिक, अष्टसहस्री, भगवतीआरा-
धना, संस्कृतमहापुराणपत्रिका, प्रमेयकमलमालांशु, न्यायकुमुदचन्द्र आदि ग्रन्थोंके नामोल्लेख है । इनके अति-
रिक्त सोमदेवके यशस्तिलकचम्पू, आशाधरके प्रतिष्ठापाठ, वसुनन्दिश्रावकाचार, आत्मानुशासन, आदिपुराण,
विष्णोक्तसार, पंचास्त्रिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, पंचसंग्रह, प्रमेयकमलमालांशु, बारसअणुवेक्त्रा, परमात्म-
प्रकाश, आराधनासार, गोम्भटसार, बहुत्वर्थयभूस्तोत्र, रत्नकरश्रावकाचार, श्रुतभक्ति, पुल्वार्थसिद्धपुपाय,
नीतिसार, इष्यसंग्रह, कातत्रसूत्र, निष्ठभक्ति, हरिबंधपुराण, षडदशानसमुच्चय, पाणिनिसूत्र, इष्टोपदेश,
न्यायसंग्रह ज्ञानार्थव, अष्टांगहृदय, द्वाविंशद्वाविंशतिका, शाकटायनव्याकरण, तत्त्वसार, सागारचर्मास्त आदि
ग्रन्थोंके श्लोक गाथा आदि उद्धृत किये गये हैं ।

इस प्रकार यह वृत्ति अतिशयपाण्डित्यपूर्ण और प्रमाणसंग्रहा है । श्रुतसागरसूरिने इसे सर्वोपयोगी
बनानेका पूरा प्रयत्न किया है ।

इस विभागमें सूत्रकार उमास्वामी और वृत्तिकारके समय आदिका परिचय कराना अबसर प्राप्त
है । सूत्रकार उमास्वामीके संबंधमें अनेक विवाद हैं—वे किस आम्नायके थे ? क्या तत्त्वार्थभाष्यके अन्तमें
पाई जानेवाले प्रशस्ति उनको लिखी है ? क्या तत्त्वार्थभाष्य श्लोपत्र नहीं है ? मूल सूत्रपाठ कौन हैं ? वे
कब हुए थे ? आदि । इन संबंधमें श्रीमान् पं० सुखलालजीने अपने तत्त्वार्थसूत्रकी प्रस्तावनामें पश्चात् विवेचन
किया है और उमास्वामीको श्लो० परम्पराका बताया है, तत्त्वार्थभाष्य श्लोपत्र है और उसकी प्रशस्तिमें
सन्देश करनेका कोई कारण नहीं है । इनने उमास्वामीके समयकी अवधि विक्रमकी दूसरीसे पाँचवीं सदी तक
निर्धारित की है ।

श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने भारतीय विद्याके सिधी स्मृति अंकमें 'उमास्वातिका तत्त्वार्थसूत्र और उनका सम्प्रदाय' शीर्षक लेखमें उमास्वातिको यापनीय संघका आचार्य सिद्ध किया है। इसके प्रमाणमें उनने मैसूरके नगरतालुके ४६ नं० के शिलालेखमें आया हुआ यह श्लोक उद्धृत किया है—

“तत्त्वार्थसूत्रकर्तारिम् उमास्वामिमुनीश्वरम् ।
श्रुतिकेवल्लिदेशीयं वन्देऽह् गुणमन्दिरम् ॥”

इस श्लोकमें उमास्वामीको 'श्रुतिकेवल्लिदेशीय' विशेषण दिया है और यही विशेषण यापनीय-संघाप्रणी शाकटायन आचार्यको भी लगाया जाता है। अत उमास्वामी यापनीयसंघकी परम्परामें हुए है। इधर पं० जुगलकिशोरजी मुस्तार उमास्वामीको दिगम्बर परम्पराका स्वीकार करने हैं तथा भाष्यको स्वोपज्ञ नहीं मानते। यद्यपि यह भाष्य अकलकदेवसे पुराना है क्योंकि इनने राजवातिकमें भाष्यगत कारिकाएँ उद्धृत की हैं और भाष्यमान्य सूत्रपाठकी खालीचना की है तथा भाष्यकी पक्तियोंको वातिक भी बनाया है।

इस तरह तत्त्वार्थसूत्र, भाष्य और उमास्वामीके सम्बन्धके अनेक विवाद हैं जो गहरी छानबीन और स्थिर गवेषणाकी अपेक्षा रखते हैं।

वृत्तिकर्ता श्रुतसागरसूरि वि० १६वीं शताब्दीके विद्वान् हैं। इनके समय आदिके सम्बन्धमें श्रीमान् प्रेमीजीने 'जैन साहित्य और इतिहास'में सागोपाग विवेचन किया है। उनका वह लेख यहाँ माभार उद्धृत किया जाता है।

श्रुतसागरसूरि

ये मूलसंघ, सरस्वतीगण्ड, बलात्कारगणमें हुए हैं और इनके गुस्का नाम विद्यानन्दि था। विद्यानन्दि-देवेन्द्रकीतिके और देवेन्द्रकीर्तिके पद्मनन्दिके शिष्य और उत्तराधिकारी थे। विद्यानन्दिके बाद मल्लिभूषण और उनके बाद लक्ष्मीचन्द्र भट्टारक-पदपर आसीन हुए थे। श्रुतसागर शायद गद्दीपर बैठे ही नहीं, फिर भी वे भारी विद्वान् थे। मल्लिभूषणको उन्होंने अपना गुरुभाई लिखा है।

विद्यानन्दिका भट्टारक-पद पर गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहाँ पर था, इसका उल्लेख नहीं मिला।^१

श्रुतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे, जिनमें एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी बनाई हुई वैराग्यमणिमाला उपलब्ध है। आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि ग्रन्थोंके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तने भी जो मल्लिभूषणके शिष्य थे—श्रुतसागरको गुरुभावसे स्मरण किया है और मल्लिभूषणकी वही गुरुपम्परा दी है जो श्रुतसागरके ग्रन्थोंमें मिलती है। उन्होंने सिद्धनन्दिका भी उल्लेख किया है जो मालवाकी गद्दीके भट्टारक थे और जिनकी प्रार्थनासे श्रुतसागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी।

श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसर्वज्ञ, कलिकालगौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, व्याकरणकमलमार्तण्ड,

१. ये पद्मनन्दि वही मालूम होते हैं जिनके विषयमें कहा जाता है कि गिरिनार पर सरस्वती देवीसे उन्होंने कहला दिया था कि दिगम्बर पन्थ ही सच्चा है। इन्हींकी एक शिष्य शास्त्रामे सकलकीर्ति, विजयकीर्ति और क्षुमचन्द्र भट्टारक हुए हैं।

२. इनकी गद्दी सूरतमें थी। देखो 'दानवीर भाणिकचन्द्र' पृ० ३७।

ताकिकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहावादिबिबेता आदि विशेषणोंसे अलंकृत किया है। ये विशेषण उनकी अहम्मन्यताको खूब अच्छी तरह प्रकट करते हैं।

वे कट्टर तो थे ही, असहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे। अन्य मतोंका खण्डन और विरोध तो औरोंने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियाँ भी दी हैं। सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होंने मूर्ति-पूजा न करनेवाले लोकागच्छ (ईद्वियों) पर किया है। ...

अधिकतर टीकाग्रन्थ ही श्रुतसागरने रचे हैं, परन्तु उन टीकाओंमें मूल ग्रन्थकतानि अभिप्रायोकी अपेक्षा उन्होने अपने अभिप्रायोंको ही प्रधानता दी है। दर्शनपाहुडकी २४वीं गाथाकी टीकामे उन्होने जो अपवाद वेधकी व्याख्या की है, वह यही बतलाती है। वे कहते हैं कि विगम्बर मुनि चयनके समय चटाई आदिसे अपने नमस्वकी ढाँक लेता है। परन्तु यह उनका खूबका ही अभिप्राय है, मूलका नहीं। इसी तरह तत्त्वार्थटीका (मयमभ्रुतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीका) मे जो द्रव्यलिगी मुनिको कम्बलादि ग्रहणका विधान किया है वह भी उन्हीका अभिप्राय है, मूल ग्रन्थकताना नहीं।

श्रुतसागरके ग्रन्थ

१-यथास्तिलकचन्द्रिका—आचार्य सोमदेवके प्रसिद्ध यथास्तिलक चम्पूकी यह टीका है और निर्णय-सागर प्रेमकी काव्यमालामे प्रकाशित हो चुकी है। यह अपूर्ण है। पाचवे आवासके दोहसे अंशकी टीका नहीं है। जान पड़ता है, यही उनकी अन्तिम रचना है। इसकी प्रतियाँ अन्य अनेक भण्डारोंमें उपलब्ध हैं, परन्तु सभी अपूर्ण हैं।

२-तत्त्वार्थवृत्ति—यह श्रुतसागरटीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी एक प्रति बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती भवनमे मौजूद है जो वि० सं० १८४२ की लिखी हुई है। दलोकसंख्या नौ हजार है। इसकी एक भाषावचनिका भी हो चुकी है।

३-तत्त्वत्रयप्रकाशिका—श्री शुभचन्द्राचार्यके ज्ञानार्णव या योगप्रवीणके अन्तर्गत जो गद्यभाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थसंग्रहमें है।

४-जिनसहस्रनामटीका—यह पं० आशाधरकुत सहस्रनामको विस्तृत टीका है। इसकी भी एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसंग्रहमें है। पं० आशाधरने अपने सहस्रनामकी स्वयं भी एक टीका लिखी है जो उपलब्ध है।

५-औदार्य चिन्तामणि—यह प्राकृतव्याकरण है और हेमचन्द्र तथा त्रिविक्रमके व्याकरणोंसे बड़ा है। इसकी प्रति बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती भवनमे है (४६८ क), जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वोपज्ञवृत्तियुक्त है।

६-महानिषेक टीका—पं० आशाधरके नित्यमहोद्योतकी यह टीका है। यह उस समय बनाई गई है जबकि श्रुतसागर देशव्रती या ब्रह्मचारी थे।

७-प्रतकथाकीश—इसमें आकाशपञ्चमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनचण्डी, अष्टाङ्गिका आदि व्रतोंकी कथाएँ हैं। इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वती भवनमें है और यह भी उनकी देशव्रती या ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना है।

८-श्रुतस्कन्धपूजा—यह छोटी-सी नौ पनोंकी पुस्तक है। इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वती-भवनमें है।

२५२ : डॉ० महेंद्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

इसके सिवाय श्रुतसागरके और भी कई ग्रन्थोंके^१ नाम ग्रन्थसूचियोंमें मिलते हैं। परन्तु उनके विषयमें जबतक वे देख न लिये जायें, निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

समय विषार

इन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थमें रचनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह प्रायः निश्चित है कि वे विक्रमकी १३वीं शताब्दीमें हुए हैं। क्योंकि—

१-महाभियेककी टीकाकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आगे दी गई है वह विक्रम संवत् १५८२ की लिखी हुई है और वह भट्टारक मल्लिभूषणके उत्तराधिकारी लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके पढ़नेके लिये दान की गई है और इन लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरमें स्वयं अपने टीका ग्रन्थोंमें कई जगह किया है।

२-ड० नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५में की थी और वे मल्लिभूषणके शिष्य थे। आराधनाकथाकोशकी प्रशस्तिमें उन्होंने मल्लिभूषणका^२ गुरु रूपमें उल्लेख किया है और साथ ही श्रुतसागरका भी जपकार^३ किया है, अर्थात् कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद थे।

३-स्व० बाबा हुलीचन्द्रजीकी सं० १९५४में लिखी गई ग्रन्थसूचीमें श्रुतसागरका समय वि० सं० १५५० लिखा हुआ है।

४-षट्प्राप्तमूटीकामें लोकागच्छपर तीव्र आक्रमण किये गये हैं और यह गच्छ वि० सं० १५३०के लगभग स्थापित हुआ था। अतएव उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होंगे। सम्भव है, वे लोकाशाहके समकालीन ही हों।^४

१ प० परमानन्दजीने अपने लेखमें सिद्धमन्त्रि टीका, सिद्धचक्राष्टक पूजा टीका, श्रीपालचरित, यशोवर्चरित ग्रन्थोंके भी नाम दिए हैं। इन्होंने व्रतकथाकोशके अन्तर्गत २४ कथाओंको स्वतन्त्र ग्रन्थ मानकर ग्रन्थ सख्या ३६ कर दी है। इसका कारण बताया है कि—चूँकि भिन्न-भिन्न कथाएँ भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके लिए विभिन्न व्यक्तियोंके अनुरोधसे बनाई हैं अतः वे सब स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं। यथा पत्यविधान व्रतकथा ईडरके राठौर बशी राजा भानुभूपति (समय वि० सं० १५५२ के बाद) के राज्यकालमें मल्लिभूषण गुरुके उपदेशसे रची गई है।

२. श्री भट्टारक मल्लिभूषणगुरुभूयास्तदा धर्मणे ॥ ६ ॥

३. जीयान्मे सूरिवर्यो ब्रतिनिचयलस्युष्यपण्यः श्रुताग्निः ॥ ७ ॥

४. प० परमानन्दजी सरसावाने अपने ब्रह्मश्रुतसागर और उनका साहित्य लेखमें लिखा है कि—भट्टारक विद्यानन्दके वि० सं० १४९९ से वि० १५२३ तकके ऐसे मूल लेख पाए जाते हैं जिनकी प्रतिष्ठाएँ विद्यानन्दने स्वयं की हैं अथवा जिनमें आ० विद्यानन्दके उपदेशसे प्रतिष्ठित होनेका समुल्लेख पाया जाता है आदि। श्रीमान् प्रेमीजीकी सूचनानुसार मैंने मूल लेखोंकी खोज की तो नाहरजी कृत जैनलेख-संग्रह लेख न० १८० में संवत् १५३३ में विद्यानन्द भट्टारकका उल्लेख है तथा लेख न० २८६ में संवत् १५३५ में विद्यानन्द गुरुका उल्लेख है। इसी तरह 'दानवीर माणिकचन्द' पुस्तक पृ० ४ पर एक धातुकी प्रतिमाका लेख सं० १४२९ का है जिसमें विद्यानन्द गुरुका उल्लेख है। यदि यह संवत् ठीक है तो भट्टारक विद्यानन्दका समय १४२९ से १५३४ तक मानना होगा और इनके शिष्य श्रुतसागरका समय भी १६वीं सदी।

ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ

१— श्री विद्यानन्दिगुरोर्बुद्धिगुरोः पापपङ्कजघ्नवर ।
श्री श्रुतसागर इति देशकृती तिलकम्पीकृते स्मेरम् ॥

इति ब्रह्मभीष्मृतसागर कृता महाभियेक टीका समाप्ता ।

२— संवत् १५५२ वर्षे वैश्रमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्या तिथौ रवौ श्रीजातिजिनचैत्यालय श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारकश्रीपद्मनन्दिदेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीदेवन्द्रीति-
देवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीविद्यानन्दिदेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीमल्लिमूषणदेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्र-
देवास्तेषां शिष्यवरब्रह्मश्रीज्ञानसागरपठनाय आर्याश्रीविमलशैली भट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रबीक्षिता विनयश्रिया
स्वयं लिखित्वा प्रदत्त महाभियेकमाल्यम् । शुभं भवतु । कल्याण भूयात् श्रीरस्तु ॥

—आशाधरकृतमहाभियेकटीका

३— इति श्रीपद्मनन्द-देवेन्द्रकीर्ति-विद्यानन्दि-मल्लिमूषणाम्नायेन भट्टारकश्रीमल्लिमूषणगुह्यरमा-
भोष्टगुरुभद्रा गुर्जरदेशसिंहासनस्थभट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रकामिमतेन मालवदेशभट्टारकश्रीसिंहनन्दिप्रार्थनया
यतिश्रीसिद्धान्तसागरव्याख्याकृतिनिमित्तं नवनवतिमहाभादिस्याद्वादलम्बविजयेन तर्क-व्याकरणछन्दोलकार-
सिद्धान्तसाहित्यादिशास्त्रनिपुणमतिना व्याकरणशास्त्रनेकशास्त्रबुद्धानां सूत्रिश्रीश्रुतसागरं विरचिताया यशस्ति-
कचन्द्रिकाभिधानाया यशोधरमहाराजचरितचम्पूमहाकाव्यटीकाया यशोधरमहाराजराजलक्ष्मीविनोदवर्णनं
नाम तृतीयाध्यासचन्द्रिका परिसमाप्ता ।

—यशस्तिरकटीका

४— श्रीपद्मनन्दिपरमात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीर्तिरथ साधुजनाभिवन्द्यः ।
विद्यादिनन्दिवरसूरिरनल्पबोधः श्रीमल्लिमूषण इतोऽस्तु च मङ्गलं मे ॥

अथ पट्टे भट्टादिकमतघटापट्टनपट्ट-

घटद्वयंभ्याप्तः स्फुटपरमभट्टारकपद ।

प्रभापुञ्ज सयद्विजितवरवीरस्मरनर

सुधीलक्ष्मीचन्द्रश्चरणचतुरोऽती विजयते ॥ ३ ॥

आलम्बनं सुविदुषा हृदयाम्युज्जानामानन्दन मुनिजनस्व विमुक्तिसेतोः ।

सट्टीकनं विविधशास्त्रविचारचारुशैलेश्चमत्कृतं श्रुतसागरेण ॥ ४ ॥

श्रुतसागरकृतिवरवचनामूलपानमत्र यैर्विहितम् ।

जन्मजराभरणहर्षनिरन्तरं तैः शिष्यैः श्लथम् ॥ ५ ॥

अस्ति स्वस्ति समस्तसङ्घतिकर्कं श्रीमूलसङ्घोजनधं,

वृत्त मत्र म्मुक्षुवर्गशिबधं ससिहितं साधुभिः ।

विद्यानन्दिगुरुस्त्विहास्ति गुणबद्धगच्छे गिरः साम्प्रतं,

तच्छिष्यश्रुतसागरेण रचिता टीका चिरं नन्दतु ॥ ६ ॥

इति सूत्रिश्रीश्रुतसागरविरचितायां जिननामसहस्रटीकायाम् तद्वृत्तविवरणो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

श्रीविद्यानन्दिगुरुसम्यो नमः ।

—जिनसहस्रनामटीका

१. स्व० सेठ नाथिकचन्द्रजी जीहरीके भण्डारकी प्रति ।

२५४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

- ५— जाचार्यैरिह शुद्धतत्त्वमतिभि श्रीसिंहनन्दाह्वयै.
सम्प्राध्यै श्रु तसागर कृतिवर भाष्य शुभ कारितम् ।
गद्याना गुणवात्प्रिय विनयतो ज्ञानाणवस्यान्तरे
विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयावमेय सुखम् ॥
इति श्री ज्ञानाणवस्थितगद्यटीका तत्त्वत्रयप्रकाशिका समाप्ता ।

—तत्त्वत्रयप्रकाशिका

- ६— इत्युभयभाषाकविचक्रवर्तिव्याकरणकमलमानंण्डताकिकिगिरोमणि-परमागमप्रवीण-सूरिश्च्रीदेवेन्द्रकीर्ति-
प्रशिष्यमुमुक्षुविद्यानन्दिभट्टारकान्तेवासिश्रीमूलसंघपरमात्मविदुष (?) सूरिश्च्रीश्रु तसागरविरचिते औदार्य-
चिन्तामणिनाम्नि स्वोपज्ञवृत्तिनि प्राकृतव्याकरणे सयुक्ताभ्ययनिरूपणो नाम द्वितीयोऽध्याय ।

—औदार्य चिन्तामणि

- ७— सुदेवेन्द्रकीर्तिश्च विद्यादिन्दी गरीयान् गुरुर्मोऽहंदादिप्रवन्दी ।
तयोर्विद्धि मा मूलसङ्घे कुमार श्रु तस्कन्धमीडे त्रिलोकैकसारम् ॥
सम्यक्त्वसुरल्ल सकलजन्तुकर्षणाकरणम् ।
श्रु तसागरमेतं भजत समेत निखिलजने परित शरणम् ॥

—इति श्रु तस्कन्धपूजाविधि ।



जैनदर्शन और विश्वशान्ति

विश्वशान्तिके लिए जिन विचारसहिष्णुता, समझौतेकी भावना, बर्ण, जाति, रंग और देश आदिके भेदके बिना सबके समानाधिकारकी स्वीकृति, व्यक्तिस्वातन्त्र्य और दूसरेके मान्त्रिक मामलोंमें हस्तक्षेप न करना आदि मूलभूत आधारोंकी अपेक्षा है उन्हें दार्शनिक भूमिकापर प्रस्तुत करनेका कार्य जैनदर्शनने बहुत पहलेसे किया है। उसने अपनी अनेकान्तदृष्टिसे विचारनेकी दिशामें उदारता, व्यापकता और सहिष्णुताका ऐसा पल्लवन किया है, जिससे व्यक्ति दूसरेके दृष्टिकोणको भी वास्तविक और तथ्यपूर्ण मान सकता है। इसका स्वाभाविक फल है कि समझौतेकी भावना उत्पन्न होती है। जब तक हम अपने ही विचार और दृष्टिकोणको वास्तविक और तथ्य मानते हैं तब तक दूसरेके प्रति आदर और प्रामाणिकताका भाव ही नहीं हो पाता। अतः अनेकान्तदृष्टि दूसरेके दृष्टिकोणके प्रति सहिष्णुता, वास्तविकता और समादरका भाव उत्पन्न करती है।

जैनदर्शन अनन्त आत्मवादी है। वह प्रत्येक आत्माको मूलमें समानस्वभाव और समानधर्मवाला मानता है। उनमें जन्मना किसी जातिभेद या अधिकारभेदको नहीं मानता। वह अनन्त जड़पदार्थोंका भी स्वतन्त्र अस्तित्व मानता है। इस दर्शनने वास्तव बहुत्वको मानकर व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी माधुर्य स्वीकृति दी है। वह एक द्रव्यके परिणामनपर दूसरे द्रव्यका अधिकार नहीं मानता। अतः किसी भी प्राणीके द्वारा दूसरे प्राणीका शोषण, निर्दलन या स्वायत्तीकरण ही अन्याय है। किसी चेतनका अन्य जड़ पदार्थोंको अपने अधीन करने की चेष्टा करना भी अनधिकार चेष्टा है। इसी तरह किसी देश या राष्ट्रका दूसरे देश या राष्ट्रको अपने अधीन करना, उसे अपना उपनिवेश बनाना ही मूलतः अनधिकार चेष्टा है, अतएव हिंसा और अन्याय है।

वास्तविक स्थिति ऐसी होनेपर भी जब आत्माका शरीरसधारण और समाजनिर्माण जड़पदार्थोंके बिना संभव नहीं है; तब यह सोचना आवश्यक हो जाता है कि आखिर शरीरपाना, समाजनिर्माण और राष्ट्रसंरक्षा आदि कैसे किए जायें? जब अनिवार्य स्थितिमें जड़पदार्थोंका समूह और उनका यथोचित विनियोग आवश्यक हो गया, तब यह उन सभी आत्माओंको ही समान भूमिका और समान अधिकारसे चादरपर बैठकर सोचना चाहिये कि 'जगत्के उपलब्ध साधनोंका कैसे विनियोग हो?' जिससे प्रत्येक आत्माका अधिकार सुरक्षित रहे और ऐसी समाजका निर्माण संभव हो सके, जिसमें सबको समान अवसर और सबकी समानरूपसे प्रारम्भिक आवश्यकतनोंकी पूर्ति हो सके। यह व्यवस्था ईश्वरनिर्मित होकर या जन्मजात वर्ग-सरक्षणके आधारसे कभी नहीं जम सकती, किन्तु उन सभी समाजके घटक अंगोंकी जाति, बर्ण, रंग और देश आदिके भेदके बिना निरुपाधि समानस्थितिके आधारसे ही बन सकती है। समाजव्यवस्था ऊपरसे बदलनी नहीं चाहिये, किन्तु उसका विकास सहयोगपद्धतिसे सामाजिक भावनाकी भूमिपर होना चाहिये, तभी सर्वो-भयी समाज-रचना हो सकती है। जैनदर्शनने व्यक्तिस्वातन्त्र्यको मूलरूपमें मानकर सहयोगमूलक समाजरचना का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया है। इसमें जब प्रत्येक व्यक्ति परिग्रहके समूहको अनधिकारवृत्ति मानकर ही अनिवार्य या अत्यावश्यक साधनोंके संग्रहमें प्रवृत्ति करेगा, तो भी समाजके घटक अन्य व्यक्तियोंको समानाधिकारी समझकर उनको भी मुक्तिका विचार करके ही; तभी सर्वो-भयी समाजका स्वस्थ निर्माण संभव हो सकेगा।

निहित स्वार्थवाले व्यक्तिजोने जाति, बंध और रंग आदिके नामपर जो अधिकारोंका संरक्षण के रखा है तथा जिन व्यवस्थाओंने वर्गविशेषको संरक्षण दिये हैं, वे मूलतः अनधिकार चेष्टाएँ हैं। उन्हें मानव-

हित और नवसमाज रचनाके लिए स्वयं समाप्त होना ही चाहिए और समान अवसरवाली परम्पराका सर्वाभ्युदयकी दृष्टिसे विकास होना चाहिए ।

इस तरह अनेकानन्ददृष्टिसे विचारमहिष्णुता और परसन्मानकी वृत्ति जग जानेपर मन दूसरेके स्वार्थ को अपना स्वार्थ माननेकी ओर प्रवृत्त होकर समझौतेकी ओर मदा झुकने लगता है । जब उसके स्वार्थिकार के साथ ही-साथ स्वकर्त्तव्यका भी भाव उदित होता है; तब वह दूसरेके आन्तरिक मामलोमें जबरबस्ती डाल नहीं बढाता । इस तरह विश्वशान्तिके लिए अपेक्षित विचारमहिष्णुता, समानाधिकारकी स्वीकृति और आन्तरिक मामलोमें बहुस्तअपे आदि सभी आधार एक व्यक्तिस्वातन्त्र्यके मान लेनेसे ही प्रस्तुत हो जाते हैं । और जब तक इन सर्वसमानमूलक अहिंसक आधारोंपर समाज रचनाका प्रयत्न न होगा, तब तक विश्वशान्ति स्थापित नहीं हो सकती । आज मानवका दृष्टिकोण इतना विस्तृत उदार और व्यापक हो गया है जो वह विश्वशान्तिकी बात सोचने लगा है । जिस दिन व्यक्तिस्वातन्त्र्य और समानाधिकारकी बिना किसी विशेष-संरक्षणके सर्वसामान्यप्रतिष्ठा होगी, वह दिन मानवताके मंगलप्रभातका पुष्यक्षण होगा । जैनदर्शनने इन आधारोंको सैद्धान्तिक रूप देकर मानवकल्याण और जीवनकी मंगलमय निर्वाहपद्धतिके विकासमें अपना पूरा भाग अर्पित किया है । और कभी भी स्थायी विश्वशान्ति यदि संभव होगी, तो इन्हीं मूल आधारोंपर ही वह प्रतिष्ठित हो सकती है ।

भारत राष्ट्रके प्राण प० जवाहरलाल नेहरूने विश्वशान्तिके लिए जिन पंचशोल या पंचशिलाओका उद्घोष किया था और बाङ्ग सभेलेनमें जिन्हें सर्वमानिसे स्वीकृति मिली, उन पंचशिलोकी बुनियाद अनेकानन्ददृष्टि—समझौतेकी वृत्ति, महत्वअस्तित्वको भावना, समन्वयके प्रति निष्ठा और वर्ण, जाति, रंग आदिके भेदोंसे ऊपर उठकर मानवमात्रके सम-अभ्युदयकी कामनापर ही तो रखी गई है । और इन सबके पीछे है मानवका सम्मान और अहिंसामूलक आत्मोपम्यकी हाविक श्रद्धा । आज नवोदित भारतकी इम सर्वोदयी परराष्ट्रनीतिने विश्वको हिमा, सघर्ष और युद्धके दावानलसे मोड़कर महत्वअस्तित्व, भाईचारा और समझौते की सद्भावनारूप अहिंसकी शीतल छायामें लाकर खड़ा कर दिया है । वह सोचने लगा है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी जगह जीवित रहनेका अधिकार है, उसका अस्तित्व है, परन्तु शोषणका उसे गुलाम बनानेका कोई अधिकार नहीं है, परन्तु उसका अस्तित्व नहीं है । यह परन्तु मामलोमें अहस्तअपे और स्वास्तित्वकी स्वीकृति ही विश्वशान्तिका मूलमन्त्र है । यह सिद्ध हो सकती है—अहिंसा, अनेकानन्ददृष्टि और जीवनमें भौतिक साधनोंकी अपेक्षा मानवके सम्मानके प्रति निष्ठा होनेसे । भारत राष्ट्रने तीर्थङ्कर महावीर और बोधिसत्त्व गौतमबुद्ध आदि मन्तोंकी अहिंसाको अपने मविधान और परराष्ट्रनीतिका आधार बनाकर विश्वको एक बार फिर भारतकी आध्यात्मिकताकी झाँकी दिखा दी है । आज उन तीर्थङ्करोंकी साधना और तपस्या सफल हुई है कि समस्त विश्व सह-अस्तित्व और समझौतेकी वृत्तिकी ओर झुककर अहिंसकभावनासे मानवताकी रक्षाके लिए सन्नद्ध हो गया है ।

व्यक्तिकी मुक्ति, सर्वोदयी समाजका निर्माण और विश्वकी शान्तिके लिए जैनदर्शनके पुरस्कृतार्थोने यही निधियाँ भारतीय सस्कृतिके आध्यात्मिक कोषागारमें आरमोत्सर्ग और निरङ्गनाकी तिल-तिल साधना करके सजोई हैं । आज वह धन्य हो गया कि उसकी उस अहिंसा, अनेकानन्ददृष्टि और अपरिग्रहभावनाकी ज्योतिसे विश्वका हिंसात्मककार समाप्त होता जा रहा है और सब सबके उदयमें अपना उदय मानने लगे हैं ।

राष्ट्रपिता पूज्य बापुकी आत्मा इस अंशमें मन्तोषकी साँस ले रही होगी कि उनमें अहिंसा सजीवन

का व्यक्ति और समाजसे आगे राजनैतिक क्षेत्रमें उपयोग करनेका जो प्रचस्त मार्ग सुझाया था और जिसकी अटूट श्रद्धामें उनने अपने प्राणोंका उत्सर्ग किया, आज भास्करने वृद्धतासे उसपर अपनी निष्ठा ही व्यक्त नहीं की, किन्तु उसका प्रयोग नव एशियाके जागरण और विश्वशान्तिके क्षेत्रमें भी किया है। और भारतीय 'मा' इसीमें है कि वह अकेला भी इस आध्यात्मिक दीपको सजाता चले, उसे स्नेह दान देता हुआ उसीमें जलता चले और प्रकाशकी किरणें बखीरता चले। जीवनका सामंजस्य, नवधमाजनिर्माण और विश्वशान्तिके यही मूलमन्त्र है। इनका नाम लिये बिना कोई विश्वशान्तिकी बात भी नहीं कर सकता।



तत्त्व-निरूपण

तत्त्वव्यवस्थाका प्रयोजन

पदार्थव्यवस्थाकी दृष्टिसे वह विषय घटद्रव्यमय है, परन्तु मनुष्योंको जिनके तत्त्वज्ञानकी आवश्यकता मुक्तिके लिए है, वे तत्त्व सात हैं। जिस प्रकार रोगीको रोग-मुक्तिके लिए रोग, रोगके कारण, रोगमुक्ति और रोगमुक्तिका उपाय इन चार बातोंका जानना चिकित्साशास्त्रमें आवश्यक बताया है, उसी तरह मोक्षकी प्राप्तिके लिए संसार, संसारके कारण, मोक्ष और मोक्षके उपाय इस मूलभूत चतुर्व्यूहका जानना नितान्त आवश्यक है। विश्वव्यवस्था और तत्त्वनिरूपणके जुड़े-जुड़े प्रयोजन हैं। विश्वव्यवस्थाका ज्ञान न होनेपर भी तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी साधना की जा सकती है, पर तत्त्वज्ञान न होनेपर विश्वव्यवस्थाका समग्र ज्ञान भी निरर्थक और अनर्थक हो सकता है।

रोगीके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि वह अपनेको रोगी समझे। जब तक उसे अपने रोगका भान नहीं होता, तब तक वह चिकित्साके लिए प्रवृत्त ही नहीं हो सकता। रोगके ज्ञानके बाद रोगीको यह जानना भी आवश्यक है कि उसका रोग नष्ट हो सकता है। रोगको साध्यताका ज्ञान ही उसे चिकित्सामें प्रवृत्ति कराता है। रोगीको यह जानना भी आवश्यक है कि यह रोग अमुक कारणोंसे उत्पन्न हुआ है, जिससे वह भविष्यमें उन अपथ्य आहार-विहारोंसे बचा रहकर अपनेको नीरोग रख सके। रोगको नष्ट करनेके उपायभूत औषधोपचारका ज्ञान तो आवश्यक है ही; तभी तो मौजूदा रोगका औषधोपचारसे समूल नाश करनेके वह स्थिर आरोग्यको पा सकता है। इसी तरह 'आत्मा बैधा है, इन कारणोंसे बैधा है, वह बन्धन टूट सकता है और इन उपायोंसे टूट सकता है।' इन मूलभूत चार मुद्दोंमें तत्त्वज्ञानकी परिसमाप्ति भारतीय ब्रह्मज्ञानोंकी है।

बौद्धोंके चार आर्यसत्य

म० बुद्धने भी निर्वाणके लिए चिकित्साशास्त्रकी तरह दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग इन चार आर्यसत्योंका^१ उपदेश दिया है। वे कभी भी 'आत्मा क्या है, परलोक क्या है' आदिके दार्शनिक विवादोंमें न तो स्वयं गये और न शिष्योंको ही जाने दिया। इस सम्बन्धका बहुत उपयुक्त उदाहरण मिलिन्द प्रश्नमें दिया गया है कि 'जैसे किसी व्यक्तिको विषसे बुझा हुआ तीर लगा हो और जब बन्धुजन उस तीरको निकालनेके लिए विषबैद्यको बुलाते हैं, तो उम ममय उमको यह सीमासा करना जिग प्रकार निरर्थक है कि 'यह तीर किस लोहेसे बना है ? किमने इसे बनाया ? कब बनाया यह कबतक स्थिर रहेगा ? यह विषबैद्य किस मोत्रका है ?' उसी तरह आत्माकी नित्यता और परलोक आदिका विचार निरर्थक है, वह न तो बोधिके लिए और न निर्वाणके लिए ही उपयोगी है।

इन आर्यसत्योंका वर्णन इस प्रकार है। दुःख-सत्य—जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है, मरण भी दुःख है, शोक, परिवेदन, विकलता, इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, इष्टाप्राप्ति आदि सभी दुःख हैं। संक्षेपमें पाँचो उपादान स्कन्ध ही दुःखरूप हैं। समुदय-सत्य—कामकी तृष्णा, भवकी तृष्णा और विभवकी तृष्णा दुःखको उत्पन्न करनेके कारण समुदय कही जाती है। जितने इन्द्रियोंके प्रिय विषय हैं, इष्ट रूपादि हैं, इनका

१ "सत्याम्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा।

निरोधो मार्ग एतेषा यथामिसमयं क्रमः ॥"—अभिष० की० ६।२

वियोग न हो, वे सदा बने रहें, इस तरह उनसे संयोगके लिए चित्तकी अभिनविधनी वृत्तिको तुष्णा कहते हैं। यही तुष्णा समस्त दुःखोका कारण है। निरोध-सत्य—तुष्णाके अत्यन्त निरोध या विनाशको निरोध-आत्मसत्य कहते हैं। दुःख-निरोधका मार्ग है—आष्टांगिक मार्ग। सम्यग्दृष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यक्चन, सम्यक्कर्म, सम्यक् आजीवन, सम्यक् प्रयत्न, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। नैरात्म्य-भावना ही मुख्य-रूपसे मार्ग है। बुद्धने आत्मदृष्टि या सत्त्वदृष्टिको ही मिथ्यादर्शन कहा है। उनका कहना है कि एक आत्माको शाश्वत या स्थायी समझकर ही व्यक्ति स्नेहवश उसके सुखमें तुष्णा करता है। तुष्णाके कारण उसे दोष नहीं दिखाई देते और गुणदर्शन कर पुनः तुष्णावश सुखसाधनोंमें मग्न करता है। उन्हें प्रहण करता है। तात्पर्य यह कि जब तक 'आत्माभिनिवेश' है तब तक वह संसारमें रहता है। इस एक आत्माके माननेसे वह अपनेको स्व और अन्यको पर समझता है। स्व-परविभागसे राग और द्वेष होते हैं, और ये राग-द्वेष ही ममस्त संसार परम्पराके मूल स्रोत हैं। अतः इस सर्वानर्भमूल आत्मदृष्टिका नाश कर नैरात्म्य-भावनासे दुःख-निरोध होता है।

बुद्धका दृष्टिकोण

उपनिषद्का तत्त्वज्ञान जहाँ आत्मदर्शनपर और देता है और आत्मदर्शनको ही मोक्षका परम साधन मानता है और मुमुक्षुके लिए आत्मज्ञानको ही जीवनका सर्वोच्च साध्य समझता है, वहाँ बुद्धने इस आत्मदर्शनको ही मसारक मूल कारण माना है। आत्मदृष्टि, सत्त्वदृष्टि, सत्कायदृष्टि, ये सब मिथ्यादृष्टियाँ हैं। औपनिषद तत्त्वज्ञानको ओटमें, याज्ञिक क्रियाकाण्डको जो प्रथम मिल रहा था उसीकी यह प्रतिक्रिया थी कि बुद्धको 'आत्मा' शब्दसे ही बचना हो गई थी। आत्माको स्थिर मानकर उसे स्वर्गप्राप्ति आदिके प्रलोभन से अनेक क्रूर यज्ञों में होनेवाली हिंसाके लिए उकसाया जाना था। इस शाश्वत आत्मवादसे ही राग और द्वेषकी अमरबोले फँसती हैं। मजा तो यह है कि बुद्ध और उपनिषद्वादी दोनों ही राग, द्वेष और मोक्षका अभाव कर वीतरागता और भासनानिर्मुक्तिके अपना चरम लक्ष्य मानते थे, पर साधन दोनोंके इतने जुड़े थे कि एक जिस आत्मदर्शनको मोक्षका कारण मानता था, दूसरा उसे संसारका मूलबीज। इसका एक कारण और भी था कि बुद्धका मानस दार्शनिककी अपेक्षा सन्त ही अधिक था। वे ऐसे गोलगोल शब्दोंको बिलकुल हटा देना चाहते थे, जिनका निर्णय न हो सके या जिनकी ओटमें मिथ्या धारणाओं और अन्वविश्वासोंकी सृष्टि होती हो। 'आत्मा' शब्द उन्हें ऐसा ही लगा। बुद्धकी नैरात्म्य-भावनाका उद्देश्य 'बोधिचर्यावतार' (पृ० ४४९) में इस प्रकार बताया है—

'यतस्ततो वाज्जु भयं यद्यहं नाम किंचन ।
अहमेव न किञ्चिज्जेत् कस्य भोतिर्भविष्यति ।'

१. 'यः पश्यत्यामानं तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः ।
स्नेहात् सुखेषु तुष्यति तुष्णा बोधास्तिरस्कुर्वते ॥
गुणदर्शी परितुष्यन् प्रमेति तत्साधनाप्युपावसे ।
तेनात्माभिनिवेशो यावत् तावत्स संसारे ॥
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात् परिग्रहद्वेषो ।
अनयो सम्प्रतिबद्धः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥'

—प्र० बा० १।२१९-२१

२. 'तस्मादनाशिसन्तानतुल्यजातीयबीजिकाम् ।
उत्पातमूर्च्छां कुर्वन् सत्त्वदृष्टिं मुमुक्षवः ॥'

—प्रमाणवा० १।२५८

बर्नात्—यदि 'मैं' नामका कोई पदार्थ होता तो उसे इससे या उससे भय हो सकता था, परन्तु जब 'मैं' ही नहीं है, तब भय किसे होगा ?

बुद्ध जिस प्रकार इस 'शाश्वत आत्मवाद' रूपो एक अनलको खतरा मानते थे, उन्ही तरह वे भौतिक-वायको भी दूसरा अन्त समझकर उसे खतरा ही मानते थे। उन्होंने न तो भौतिकवादियोंके उच्छेदवादको ही माना और न उपनिषद्वादियोंके शाश्वतवादको ही। इसीलिए उनका मत 'अशाश्वतानुच्छेदवाद' के रूपमें व्यवहृत होता है। उन्होंने आत्मसम्बन्धी प्रश्नको अव्याकृत कोटिमें डाल दिया था और भिन्न-भिन्नोके स्पष्ट रूपसे कह दिया था कि 'आत्माके सम्बन्धमें कुछ भी कहना या सुनना न बोधिके लिए, न ब्रह्मचर्यके लिए और न निर्वाणके लिए ही उपयोगी है।' इस तरह बुद्धने उस आत्माके ही सम्बन्धमें कोई भी निश्चित बात नहीं कही, जिसे दुःख होता है और जो दुःख-निवृत्तिकी साधना करना चाहता है।

१. आत्मतत्त्व :

जैनोंके सात तत्त्वोंका मूल आत्मा

निगूढ नाथपुत्र महाधम्मण महावीर भी वैदिक क्रियाकाण्डको निरखक और श्रेय-प्रतिरोधी मानते थे, जितना कि बुद्ध। वे आचार अपान्त् चारित्रिको ही मोक्षका अन्तिम साधन मानते थे। परन्तु उनमें यह साक्षात्कार किया कि जब तक विश्वव्यवस्था और खामकर उस आत्माके विषयमें शिष्य निश्चित विचार नहीं बना लेते, जिस आत्माको दुःख होना है और जिसे निर्वाण पाना है, तब तक वे मानससहायसे मुक्त होकर साधना कर ही नहीं सकते। जब मगध और विदेहके कोनेमें ये प्रश्न गूँज रहे हो कि—'आत्मा देह-रूप है या देहसे भिन्न ? परलोक क्या है ? निर्वाण क्या है ?' और अन्य नीचिक इन सबके सम्बन्धमें अपने मतोंका प्रचार कर रहे हो, और इन्हीं प्रश्नोंपर वाद रोपे जाते हो, तब शिष्योंको यह कहकर तत्काल भले ही चुप कर दिया जाय कि "क्या रखा है इम विवादमें कि आत्मा क्या है और कैसी है ? हमें तो दुःख-निवृत्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिये।" परन्तु इससे उनके मनकी घाम्य और बुद्धिकी विचिकित्सा नहीं निकल सकती थी, और वे इस बौद्धिक हीनता और विचार-दीनताके हीनतर भावसे अपने चित्तकी रक्षा नहीं कर सकते थे। सधमें तो विभिन्न मनवादियोंके शिष्य, विशेषकर वैदिक ब्राह्मण विद्वान् भी बीधित होते थे। जब तक इन सब पंचमेल व्यक्तियोंके, जो आत्माके विषयमें विभिन्न मत रखते थे और उसकी चर्चा भी करते थे; सहायका वस्तुस्थितिमूलक समाधान न हो जाता, तब तक वे परस्पर समता और मानस अहिंसाका वातावरण नहीं बना सकते थे। कोई भा धर्म अपने सुस्थिर और सुदृढ़ दर्शनके बिना परीक्षक-शिष्योंको अपना अनुयायी नहीं बना सकता। श्रद्धामूलक भावना तत्काल कितना ही समर्पण क्यों न करा ले पर उसका स्थायित्व विचारशुद्धिके बिना कथमपि संभव नहीं है।

यही कारण है कि भगवान् महावीरने उन मूलभूत आत्मतत्त्वके स्वरूपके विषयमें मौन नहीं रखा और अपने शिष्योंको यह बताया कि धम वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्ति ही है। जिस वस्तुका जो स्वरूप है, उसका उस पूर्ण स्वरूपमें स्थिर होना ही धर्म है। अग्नि जब तक अपना उष्णताको कायम रखती है, तबतक वह धर्मस्थित है। यदि दीपशिखा वायुके झोकोसे स्पन्दित हो रही है और बचल होनेके कारण अपने निश्चल स्वरूपसे ध्युत हो रही है, तो कहना होगा कि वह अपने अंशमें धर्मस्थित नहीं है। जब जब तक स्वाभाविक शीतल है, तभी तक धर्म-स्थित है। यदि वह श्मिकके संसर्गसे स्वरूपध्युत होकर गर्म हो जाता है, तो वह धर्म-स्थित नहीं है। इन परसंयोगजन्य विकार-परिणतिको हटा देना ही जलकी धर्म-प्राप्ति है। उसी तरह आत्माका वीतरागत्व, अनन्तचैतन्य, अनन्तसुख आदि स्वरूप परसंयोगसे राग, द्वेष, तुष्या, दुःख

आदि विकाररूपसे परिणत होकर अघर्म बन रहा है। जबतक आत्माके यथार्थ स्वरूपका निश्चय और वर्णन न किया जाय तब तक यह विकारी आत्मा कैसे अपने स्वतन्त्र स्वरूपको पानेके लिए उच्छ्वास मी ले सकता है ? रोगीको जब तक अपने मूलभूत आरोग्य स्वरूपका ज्ञान न हो तब तक उसे यही निश्चय नहीं हो सकता कि मेरी यह अस्वस्थ अवस्था रोग है। वह उस रोगको विकार तो तभी मानेगा जब उसे अपनी आरोग्य अवस्थाका यथार्थ दर्शन हो, और जब तक वह रोगको विकार नहीं मानता तब तक वह रोग-निवृत्तिके लिए चिकित्सामें क्यों प्रवृत्ति करेगा ? जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा स्वस्थ तो आरोग्य है, अपथ्यसेवन आदि कारणोंसे मेरा मूल स्वरूप विकृत हो गया है, तभी वह उस स्वरूपभूत आरोग्यकी प्राप्तिके लिए चिकित्सा कराता है। रोगनिवृत्ति स्वयं साध्य नहीं है, साध्य है स्वरूपभूत आरोग्यकी प्राप्ति। उसी तरह जब तक उस मूल-भूत आत्माके स्वरूपका यथार्थ परिज्ञान नहीं होगा और परसयोगसे होनेवाले विकारोंको आगन्तुक होनेसे बिनाशी न माना जायगा, तब तक दुःखनिवृत्तिके लिए प्रयत्न ही नहीं बन सकता।

यह ठीक है कि जिसे बाण लगा है, उसे तत्काल प्राथमिक सहायता (First aid) के रूपमें आवश्यक है कि वह पहले तीरको निकलवा ले; किन्तु इतनेमें ही उसके कर्त्तव्यकी समाप्ति नहीं हो जाती। बँधको यह अवश्य देखना होगा कि वह तीर किस विषसे बुझा हुआ है और किस वस्तुका बना हुआ है। यह इसलिए कि शरीरमें उसने किनना विकार पैदा किया होगा और उस घावको भरनेके लिए कौन-सी मरुहम आवश्यक होगी। फिर यह जानना भी आवश्यक है कि वह तीर अचानक लग गया या किसीने दुस्मनीसे मारा है और ऐसे कौन उपाय हो सकते हैं, जिनसे आगे तीर लगनेका अवसर न आवे। यही कारण है कि तीरकी भी परीक्षाकी जाती है, तीर भारनेवालेकी भी तलाशकी जाती है और घावकी गहराई आदि भी देखी जाती है। इसीलिये यह जानना और समझना मुमुक्षुके लिए नितान्त आवश्यक है कि आखिर मोक्ष है क्या वस्तु ? जिसकी प्राप्तिके लिए मैं प्राप्त सुखका परित्याग करके स्वेच्छासे साधनाके कष्ट श्लेष्मके लिए तैयार होऊँ ? अपने स्वातन्त्र्य स्वरूपका भान किये बिना और उसके सुखद रूपकी झाँकी पाये बिना केवल परतन्त्रता तोड़नेके लिए वह उत्साह और सन्नद्धता नहीं आ सकती, जिसके बलपर मुमुक्षु तपस्या और साधनाके घोर कष्टोंको स्वेच्छासे श्लेष्मता है। अतः उस आधारभूत आत्माके मूल स्वरूपका ज्ञान मुमुक्षुको सर्वप्रथम होना ही चाहिए, जो कि बँध है और जिसे छूटना है। इसीलिए भगवान् महावीरने बंध (दुःख), आस्रव (दुःखके कारण), मोक्ष (निरोध), संवर और निर्जरा (निरोध-मार्ग) इन पाँच तत्त्वोंके साथ ही साथ उस जीव तत्त्वका ज्ञान करना भी आवश्यक बताया, जिस जीवको यह संसार होता है और जो बन्धन काटकर मोक्ष पाना चाहता है।

बंध दो वस्तुओंका होता है। अतः जिस अजीबके सम्पर्कसे इसकी बिभ्रवपरिणति ही रही है और जिसमें राग-द्वेष करनेके कारण उसकी धारा चल रही है और जिन कर्मपुद्गलकोसे बद्ध होनेके कारण यह जीव स्वस्वरूपसे अमृत है उस अजीबतत्त्वका ज्ञान भी आवश्यक है। तात्पर्य यह कि जीव, अजीब, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व मुमुक्षुके लिए सर्वप्रथम ज्ञातव्य हैं।

तत्त्वोंके दो रूप

आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तत्त्व दो-दो प्रकारके होते हैं। एक द्रव्यरूप और दूसरे भावरूप। जिन मिथ्यात्व, अद्विरति, प्रमाद, कषाय और योगरूप आत्मपरिणामोंसे कर्मपुद्गलका आना होता है, वे भाव भावात्मक कहे जाते हैं और पुद्गलोंमें कर्मत्वका या ज्ञाना द्रव्यात्मक है; अर्थात् भावात्मक जीवमत

पर्याय है और द्रव्यासव पुद्गलगत । जिन कषायोंसे कर्म बँधते हैं वे जीवगत कषायादि भाव भावबंध हैं और पुद्गलकर्मका आत्मासे सम्बन्ध हो जाना द्रव्यबन्ध है । भावबन्ध जीवरूप है और द्रव्यबन्ध पुद्गलरूप । जिन क्षमा आदि धर्म, समिति, गुप्ति और चारित्र्योसे नये कर्मोंका जाना सकता है वे भाव भावसवर हैं और कर्मोंका रुक जाना द्रव्यसंवर है । इसी तरह पूर्वसंचित कर्मोंका निर्जरण जिन तप आदि भावोसे होता है वे भाव भावनिर्जरा हैं और कर्मोंका श्रद्धना द्रव्यनिर्जरा है । जिन ध्यान आदि साधनोसे मुक्ति प्राप्त होती है वे भाव भावमोक्ष हैं और कर्मपुद्गलोका आत्मासे सम्बन्ध टूट जाना द्रव्यमोक्ष है ।

तात्पर्य यह कि आसव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये पाँच तत्त्व भावरूपमे जीवकी पर्याय हैं और द्रव्यरूपमें पुद्गल की । जिस भेदविज्ञानसे—आत्मा और परके विवेकज्ञानसे—कैवल्यकी प्राप्ति होती है उस आत्मा और परमें ये सातों तत्त्व समा जाते हैं । वस्तुतः जिस परकी परतन्त्रताको हटाना है और जिस स्वको स्वतन्त्र होना है उन स्व और परके ज्ञानमे ही तत्त्वज्ञानकी पूर्णता हो जाती है । इसीलिए सक्षेपमे मुक्तिका मूल साधन 'स्वपर-विवेकज्ञान' को बताया गया है ।

तत्त्वोंकी अनादिता

भारतीय दर्शनमें सबने कोई-न-कोई पदार्थ अनादि माने ही हैं । नास्तिक चार्वाक भी पृथ्वी आदि महाभूतोंको अनादि मानता है । ऐसे किसी क्षणकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके पहले कोई अन्य क्षण न रहा हो । समय कबसे प्रारम्भ हुआ और कब तक रहेगा, यह बतलाना सम्भव नहीं है । जिस प्रकार काल अनादि और अनन्त है और उसकी पूर्वावधि निश्चित नहीं की जा सकती, उसी तरह आकाशकी भी कोई क्षेत्रगत मर्यादा नहीं बताई जा सकती—“सर्वतो हि अनन्त तत्” आदि अन्न सभी ओरसे आकाश अनन्त है । आकाश और कालकी तरह हम प्रत्येक सत्के विषयमें यह कह सकते हैं कि उसका न किसी क्षास क्षणमें नूतन उत्पाद हुआ है और न किसी समय उसका समूल विनाश ही होगा ।

“भावस्व णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादो ।”

—पंचास्तिकाय गा० १५

“नाऽसतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते मतः ।”

—भगवद्गीता २।१६

अर्थात्—किसी असत्का सत् रूपसे उत्पाद नहीं होता और न किसी सत्का अत्यन्त विनाश ही होता है । जितने गिने हुए सत् हैं, उनकी संख्यामे न एककी वृद्धि हो सकती है और न एककी हानि । ह्राँ, रूपान्तर प्रत्येकका होता रहता है, यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तके अनुसार आत्मा एक स्वसन्न सत् है और पुद्गलपरमाणु भी स्वतन्त्र सत् । अनादिकास्से यह आत्मा पुद्गलसे उसी तरह सम्बद्ध मिलता है जैसे कि खानिसे निकाला गया सोना मैलसे संयुक्त मिलता है ।

आत्माको अनादिबद्ध माननेका कारण

आज आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म कर्मशरीरसे बद्ध मिलता है । इसका ज्ञान संवेदन, सुख, दुःख और यहाँ तक कि जीवन-शक्ति भी शरीराधीन है । शरीरमे विकार होनेसे ज्ञानतंतुओमें क्षीणता आ जाती है और स्मृतिभ्रंश तथा पागलपन आदि देखे जाते हैं । संसारी आत्मा शरीरबद्ध होकर ही अपनी गतिविधि करता है । यदि आत्मा शुद्ध होता तो शरीरसम्बन्धका कोई कारण नहीं था । शरीरसम्बन्ध या पुनर्जन्मके कारण हैं—राग, द्वेष, मोह और कषायादिभाव । शुद्ध आत्मामें ये विभाव परिणाम ही नहीं सकते ।

चूँकि आज ये विभाव और उनका कष्ट—शरीरसम्बन्ध प्रत्यक्षसे अनुभवमें आ रहा है, अतः मानना होगा कि आज तक इनकी अशुद्ध परम्परा ही चली आई है ।

भारतीय दर्शनोंमें यही एक ऐसा प्रश्न है, जिसका उत्तर विविमुखसे नहीं दिया जा सकता । ब्रह्ममें अविद्या कब उत्पन्न हुई ? प्रकृति और पुरुषका संयोग कब हुआ ? आत्मासे शरीरसम्बन्ध कब हुआ ? इन सब प्रश्नोंका एक मात्र उत्तर है—‘अनादि’ से । किसी भी दर्शनमें ऐसे समयकी कल्पना नहीं की है जिस समय समग्र भावसे ये समस्त संयोग नष्ट होंगे और संसार समाप्त हो जायगा । व्यक्तिगत, अमुक आत्माओंसे पुद्गलसंसर्ग या प्रकृतिसंसर्गका वह रूप समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे संसरण करना पड़ता है । इस प्रश्नका दूसरा उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि यदि ये शुद्ध होते तो इनका संयोग ही नहीं हो सकता था । शुद्ध होनेके बाद कोई ऐसा हेतु नहीं रह जाता जो प्रकृतिसंसर्ग, पुद्गलसम्बन्ध या अविद्योत्पत्ति होने दे । इसके अनुसार यदि आत्मा शुद्ध होता तो कोई कारण उसके अशुद्ध होनेका या शरीरसम्बन्धका नहीं था । जब ये दो स्वतन्त्रसत्ताक द्रव्य हैं तब उनका संयोग चाहे वह जितना ही पुराना क्यों न हो; नष्ट किया जा सकता है और दोनोंको पृथक्-पृथक् किया जा सकता है । उदाहरणार्थ—सवानसे सर्वप्रथम निकाले गये सोनेमें कीट आदि मील कितना ही पुराना या असंख्य कालसे लगा हुआ क्यों न हो, शोषक प्रयोगसे अवश्य पृथक् किया जा सकता है और सुवर्ण अपने शुद्ध रूपमें लाया जा सकता है । तब यह निश्चय हो जाता है कि सोनेका शुद्ध रूप यह है तथा मील यह है । साधारण यह कि जीव और पुद्गलका बन्ध अनादिसे है और वह बन्ध जीवके अपने राग-द्वेष आदि भावोंके कारण उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । जब ये रागादिभाव क्षीण होते हैं, तब वह बन्ध आत्मामें नये विभाव उत्पन्न नहीं कर सकता और धीरे-धीरे या एक झटकेमें ही समाप्त हो सकता है । चूँकि यह बन्ध दो स्वतन्त्र द्रव्योंका है, अतः टूट सकता है या उस अवस्थामें तो अवश्य पृथक् सकता है जब साधारण संयोग बना रहनेपर भी आत्मा उससे निस्सर्ग और निर्लेप बन जाता है ।

आज इस अशुद्ध आत्माकी दशा अर्धभौतिक जैसी हो रही है । इन्द्रियाँ यदि न हों तो सुनने और देखने आदिकी शक्ति रहनेपर भी वह शक्ति जैमी-की-तैसी रह जाती है और देखना और सुनना नहीं होता । विचारशक्ति होनेपर भी यदि मस्तिष्क ठीक नहीं है तो विचार और चिन्तन नहीं किये जा सकते । यदि पलायन हो जाय तो शरीर देखनेमें वैसा ही मालूम होता है पर सब शून्य हो जाता है । निष्कर्ष यह कि अशुद्ध आत्माकी दशा और इसका सारा विकास बहुत कुछ पुद्गलके अधीन हो रहा है । और तो जाने दीजिए, जीभके अमुक-अमुक हिस्सोंमें अमुक-अमुक रसोंके चखनेकी निमित्तता देखी जाती है । यदि जीभके आधे हिस्सेमें लकवा मार जाय तो शेष हिस्सेसे कुछ रसोंका ज्ञान ही पाता है, कुछका नहीं । इस जीवनके ज्ञान, दर्शन, सुख, राग, द्वेष, कलाविज्ञान आदि सभी भाव बहुत कुछ इसी जीवनपर्यायिक अधीन है ।

एक मनुष्य जीवन भर अपने ज्ञानका उपयोग विज्ञान या धर्मके अध्ययनमें लगाता है, जबानीमें उसके मस्तिष्कमें भौतिक उपादान अच्छे और प्रचुर मात्रामे थे, तो उसके तन्तु चैतन्यको जगामे रखते थे । बुढ़ापा आनेपर जब उसका मस्तिष्क शिथिल पड़ जाता है तो विचारशक्ति लुप्त होने लगती है और स्मरण मन्त्र पड़ जाता है । बड़ी व्यक्ति अपनी जबानीमें लिखे गए लेखको यदि बुढ़ापेमें पढ़ता है तो उसे स्वयं आश्चर्य होता है । कभी-कभी तो उसे यह विश्वास ही नहीं होता कि यह उसीने लिखा होगा । मस्तिष्ककी यदि कोई प्रमिष्ठ बिन्दु जाती है तो मनुष्य पागल हो जाता है । विद्याका यदि कोई पुरजा कष्ट गया, क्षीण हो गया

ती उन्माद, सन्देश, विशेष और उद्वेग आदि अनेक प्रकारकी घाराएँ जीवनको ही बदल देती हैं। मस्तिष्कके विभिन्न भागोंमें विभिन्न प्रकारके चेतनभावोंको जागृत करनेके विशेष उपादान रहते हैं।

सूत्रे एक ऐसे योगीका अनुभव है जिसे शरीरके नमोका विशिष्ट ज्ञान था। वह मस्तिष्ककी किसी खास नसको दबाता था तो मनुष्यको हिंसा और क्रोधके भाव उत्पन्न हो जाते थे। दूसरे ही क्षण किसी अन्य नसके दबाते ही दया और करुणाके भाव जागृत होते थे और वह व्यक्ति रोने लगता था, तीसरी नसके दबाते ही श्लोकका तीव्र उदय होता था और यह इच्छा होती थी कि चोरी कर ले। इन सब घटनाओंसे हम एक इस निश्चित परिणामपर तो पहुँच ही सकते हैं कि हमारी शारी पर्यायशक्तियाँ, जिनमें ज्ञान, दर्शन, सुख, धर्म, राग, द्वेष और क्रुधा आदि शामिल हैं, इस शारीरपर्यायके निमित्तसे विकसित होती हैं। शरीरके नष्ट होते ही समस्त जीवन भरमें उपाजित ज्ञानादि पर्यायशक्तियाँ प्रायः बहुत कुछ नष्ट हो जाती हैं। पर-लोक तक इनके कुछ सूक्ष्म संस्कार हो जाते हैं।

व्यवहारसे जीव मूर्तिक भी है

जैनदर्शनमें व्यवहारसे जीवको मूर्तिक माननेका अर्थ है कि अनादिसे यह जीव शरीरसम्बद्ध ही मिलता आया है। सूक्ष्म शरीर छोड़नेपर भी सूक्ष्म कर्मशरीर सदा इसके साथ रहता है। इसी सूक्ष्म कर्मशरीरके नाशको ही मूर्तिक कहते हैं। चार्वाकिका देहात्मवाद देहके साथ ही आत्माकी समाप्ति मानता है जब कि जैनके देहपरिभाषा-आत्मवादमें आत्माकी स्वतन्त्र सत्ता होकर भी उसका विकास अशुद्ध वशामे देहाश्रित यानी देह-विमित्तिक माना गया है।

आत्माकी दशा

आजका विज्ञान हमें बताता है कि जीव जो भी विचार करता है उसकी टेढ़ी-सीधी; और उथली-गहरी रेशायें मस्तिष्कमें भरे हुए मक्खन जैसे द्रव्य पदार्थमें स्थित होती हैं, और उन्हींके अनुसार स्मृति तथा वासनाएँ उद्बुद्ध होती हैं। जैसे अग्निसे तपे हुए लोहेके गोलेको पानीमें छोड़नेपर वह गोला जलके बहुतसे परमाणुओंको अपने भीतर सोख लेता है और भाप बनाकर कुछ परमाणुओंको बाहर निकालता है। जब तक वह गर्म रहता है, पानीमें उथल-पुथल पैदा करता है। कुछ परमाणुओंको लेता है, कुछको निकालता है, कुछको भाग बनाता, याना एक अजीब ही परिस्थिति आस-पासके वातावरणमें उपस्थित कर देता है। उसी तरह जब यह आत्मा राग-द्वेष आदिसे उत्पन्न होता है; तब शरीरमें एक अद्भुत हलन-चलन उत्पन्न करता है। क्रोध आते ही आँसू लाल हो जाती हैं, खूनकी गति बढ़ जाती है, मूँह सूखने लगता है, और नयने फटकने लगते हैं। जब कामवासना जागृत होती है तो सारे शरीरमें एक विशेष प्रकारका मन्थन शुरू होता है, और जब तक वह कयाय या वासना शान्त नहीं हो लेती; तब तक यह चहल-पहल और मन्थन आदि नहीं सकता। आत्माके विचारोंके अनुसार पुद्गलद्रव्योंमें भी परिणमन होता है और उन विचारोंके उत्तेजक पुद्गल आत्माके वासनामय सूक्ष्म कर्मशरीरमें शामिल होने जाते हैं। जब-जब उन कर्मपुद्गलोंपर दबाव पड़ता है तब-तब वे फिर रागादि भावोंको जगाने हैं। फिर नये कर्मपुद्गल आते हैं और उन कर्म-पुद्गलोंके परिपाकके अनुसार नूतन रागादि भावोंको सृष्टि होती है। इस तरह रागादि भाव और कर्म-पुद्गलोंके सम्बन्धका चक्र तब तक बराबर चालू रहता है, जब तक कि अपने विवेक और चारित्र्यसे रागादि भावोंको नष्ट नहीं कर दिया जाता।

सारंश यह कि जीवकी ये राग-द्वेषादि वासनाएँ और पुद्गलकर्मबन्धकी घारा जीव-वृक्षसन्ततिकी तरह अनादिसे चालू हैं। पूर्व संवित कर्मके उदयसे इस समय राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं और लक्ष्मणमें

जो जीवकी आसक्ति या लग्न होती है, वही नूनन कर्मबन्ध करानो है। यह मासका करना कि 'जब पूर्वकर्मसे रागादि और रागादिसे नये कर्मका बन्ध होता है तब इस चक्रका उच्छेद कैसे हो सकता है?' उचित नहीं है; कारण यह है कि केवल पूर्वकर्मके फलका भोगना ही नये कर्मका बन्धन नहीं होता, किन्तु उस भोगकालमें जो नूतन रागादि भाव उत्पन्न होने हैं, उनसे बन्ध होता है। यही कारण है कि सम्यग्दृष्टिके पूर्वकर्मके भोग नूतन रागादिभावोंको नहीं करनेकी बजहसे निर्जराके कारण होते हैं जबकि मिथ्यादृष्टि नूतन रागादिसे बंध ही बंध करता है। सम्यग्दृष्टि पूर्वकर्मके उदयसे होनेवाले रागादिभावोंको अपने विवेकसे शान्त करता है और उनमें नई आसक्ति नहीं होने देता। यही कारण है कि उनके पुराने कर्म अपना फल देकर झड़ जाते हैं और किसी नये कर्मका उनकी जगह बन्ध नहीं होता। अतः सम्यग्दृष्टि तो हर तरफसे हलका हो चलता है; जब कि मिथ्यादृष्टि नित नयी वासना और आसक्तिके कारण तेजसे कर्मबन्धनोंमें जकड़ता जाता है।

जिस प्रकार हमारे भौतिक मस्तिष्कपर अनुभवोंकी मीठी, टेढ़ी, गहरी, उथली आदि असंख्य रेखाएँ पडती रहती हैं, जब एक प्रबल रेखा आती है तो वह पहलेकी निर्बल रेखाको माफकर उस जगह अपना गहरा प्रभाव कायम कर देती है। यानी यदि वह रेखा सजातीय संस्कारकी है तो उसे और गहरा कर देती है और यदि विजातीय संस्कारकी है तो उसे पोछ देती है। अन्तमें कुछ ही अनुभव-रेखाएँ अपना गहरा या उथला अस्तित्व कायम रखती हैं। इसी तरह आज जो रागद्वेषादिजन्य संस्कार उत्पन्न होते हैं और कर्मबन्धन करते हैं; वे दूसरे ही क्षण शील, द्रत और संयम आदिकी पवित्र भावनाओंमें धुल जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं। यदि दूसरे ही क्षण अन्य रागादिभावोंका निमित्त मिलता है, तो प्रथमवश पुद्गलोंमें और भी कान्ते पुद्गलका संयोग तीव्रतासे होता जाता है। इस तरह जीवनके अन्तमें कर्मोंका बन्ध, निर्जरा, अपकर्षण (घटती), उत्कर्षण (बढ़ती), संक्रमण (एक दूसरेके रूपमें बदलना) आदि होने-होते जो रोकड बाकी रहती हैं वही सूक्ष्म कर्म-शरीरके रूपमें परलोक तक जाती हैं। जैसे तेज अग्निपर उबलती हुई बटलोईमें दाल, चावल, शाक आदि जो भी डाला जाता है उसकी ऊपर-नीचे अगल-वगलमें उफान लेकर अन्तमें एक सिलिंडी-सी बन जाती है, उसी तरह प्रतिक्षण बंधनेवाले अच्छे या बुरे कर्मोंमें, शुभभावोंसे शुभकर्मोंमें रस-प्रकर्ष और स्थितिबुद्धि होकर अशुभ कर्मोंमें रसहीनता और स्थितिच्छेद हो जाता है। अन्तमें एक पाकयोग्य स्कन्ध बच रहता है, जिसके क्रमिक उदयसे रागादि भाव और सुखादि उत्पन्न होते हैं।

अथवा जैसे पेटमें जठराग्निसे आहारका मल, मूत्र, रूंद आदिके रूपसे कुछ भाग बाहर निकल जाता है, कुछ वही हजम होकर रक्तादि रूपसे परिणत होता है और आगे जाकर वीर्यादिरूप बन जाता है। बीचमें पुरण-चटनी आदिके संयोगसे उसकी लघुपाक, दोषपाक आदि अवस्थाएँ भी हानी हैं, पर अन्तमें होनेवाले परिपाकके अनुसार ही भोजनको शुषक या दुष्पक कहा जाता है उन्हीं तरह कर्मोंका भी प्रतिममय होनेवाले अच्छे और बुरे भावोंके अनुसार तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मध्यम, मृदुतर और मृदुतम आदि रूपसे परिवर्तन बराबर होता रहना है और अन्तमें जो स्थिति होता है, उसके अनुसार उन कर्मोंको शुभ या अशुभ कहा जाता है।

यह भौतिक जगत् पुद्गल और आत्मा दोनोंसे प्रभावित होता है। जब कर्मका एक भौतिक पिण्ड, जो विशिष्ट शक्तिका स्रोत है, आत्मासे सम्बद्ध होता है, तो उसकी सूक्ष्म और तीव्रशक्तिके अनुसार बाह्य

पदार्थ भी प्रभावित होते हैं और प्राप्तमास्यग्रीके अनुसार उस संचित कर्मका तीव्र, मन्द और मध्यम बाधि फल मिलता है। इस तरह यह कर्मचक्र अनादिकालसे चल रहा है और तब तक चालू रहेगा जब तक कि बन्धकारक मूलरागादिवासनाओंका नाश नहीं कर दिया जाता।

बाह्य पदार्थोंके—नोकर्मोंके समबधानके अनुसार कर्मोंका यथासम्भव प्रवेशोदय या फलोदय रूपसे परिपाक होता रहता है। उदयकालमें होनेवाले तीव्र, मध्यम और मन्द शुभाशुभ भावोंके अनुसार आगे उदयमें आनेवाले कर्मोंके रसदानमें भी अन्तर पड़ जाता है। तात्पर्य यह कि कर्मोंका फल देना, अन्य रूपमें देना या न देना, बहुत कुछ हमारे पुरुषार्थके ऊपर निर्भर करता है।

इस तरह जैन दर्शनमें यह आत्मा अनाविसे अशुद्ध माना गया है और प्रयोगसे यह शुद्ध हो सकता है। एक बार शुद्ध होनेके बाद फिर अशुद्ध होनेका कोई कारण नहीं रह जाता। आत्माके प्रवेशोमें सकोच और विस्तार भी कर्मोंके निमित्तसे ही होता है। अतः कर्मनिमित्तके हट जानेपर आत्मा अपने अन्तिम आकारमें रह जाता है और ऊर्ध्वलोकके अग्र भागमें स्थिर हो अपने चैतन्यमें प्रतिष्ठित हो जाता है।

अतः भ० महावीरने बन्ध-मोक्ष और उसके कारणभूत तत्त्वोंके निवाय उस आत्माका ज्ञान भी आवश्यक बताया जिसे शुद्ध होना है और जो वर्तमानमें अशुद्ध हो रहा है। आत्माकी अशुद्ध दशा स्वरूप-प्रच्युतिरूप है। चूँकि यह दशा स्वस्वरूपको भूलकर परपदार्थोंमें ममकार और अहङ्कार करनेके कारण हुई है, अतः इस अशुद्ध दशाका अन्त भी स्वरूपके ज्ञानसे ही हो सकता है। इस आत्माको यह तत्त्वज्ञान होता है कि मेरा स्वरूप तो अनन्त चैतन्य, बीतराग, निर्मोह, निष्कषाय, शान्त, निश्चल, अप्रमत्त और ज्ञानरूप है। इस स्वरूपको भुलाकर परपदार्थोंमें ममकार और शरीरको अपना माननेके कारण, राग, द्वेष, मोह, कषाय, प्रमाद और मिथ्यात्व आदि विकाररूप मेरी दशा हो गयी है। इन कषायोंको ज्वालाले मेरा स्वरूप समल और योगके कारण चञ्चल हो गया है। यदि परपदार्थोंमें ममकार और रागादि भावोंसे अहङ्कार हट जाय तथा आत्मपरविवेक हो जाय तो यह अशुद्ध दशा और ये रागादि वासनाएँ अपने आप क्षीण हो जायगी। इस तत्त्वज्ञानसे आत्मा विकारोंको क्षीण करता हुआ निर्विकार चैतन्यरूप हो जाता है। इसी शुद्धिको मोक्ष कहते हैं। यह मोक्ष जब तक शुद्ध आत्मस्वरूपका बोध न हो, तब तक कैसे हो सकता है ?

आत्मदृष्टि ही सम्यग्दृष्टि

बुद्धके तत्त्वज्ञानका प्रारम्भ दुःखसे होता है और उसकी समाप्ति होती है दुःखनिवृत्तिमें। वे समझते हैं कि आत्मा अर्थात् उपनिषद्वादियोंका नित्य आत्मा और नित्य आत्मामें स्वबुद्धि और दूसरे पदार्थोंमें परबुद्धि होने लगती है। स्वपर विभागसे राग-द्वेषसे यह ससार बन जाता है। अतः समस्त अनर्थाकी जब आत्मदृष्टि है। वे इस ओर ध्यान नहीं देने कि आत्माकी नित्यता और अनित्यता राग और विरागका कारण नहीं है। राग और विराग तो स्वरूपके अज्ञान और स्वरूपके सम्यग्ज्ञानसे होने हैं। रागका कारण है परपदार्थोंमें ममकार करना। जब इस आत्माको समझाया जाता है कि मूल्य तेरा स्वरूप तो निर्विकार, अलक्ष्य चैतन्य है, तेरा इन स्त्री-पुत्रादि तथा शरीरमें ममत्व करना विभाव है, स्वभाव नहीं, तब यह महज ही अपने निर्विकार स्वभावकी ओर दृष्टि डालने लगता है और इसी विवेकदृष्टि या सम्यग्दर्शनसे परपदार्थोंसे रागद्वेष हट कर स्वरूपमें लीन होने लगता है। इसीके कारण आसव रुकते हैं और चित्त निरास्रव होने लगता है। इस प्रतिक्षण परिवर्तनशील अनन्त द्रव्यमय लोकमें मैं एक आत्मा हूँ, मेरा किसी दूसरे आत्मा या पुद्गलद्रव्योंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं अपने चैतन्यका स्वामी हूँ। मात्र चैतन्यरूप हूँ। यह शरीर अनन्त पुद्गलपरमाणुओंका एक पिण्ड है। इसका मैं स्वामी नहीं हूँ। यह सब पर द्रव्य है। परपदार्थोंमें इष्टानिष्ट बुद्धि करना ही ससार है। आजतक मैंने परपदार्थोंको अपने अनुकूल परिणामन करानेकी अनधिकार क्येत्

ही की है। मैंने यह भी अनधिकार चेष्टा की है कि संसारके अधिक-से-अधिक पदार्थ मेरे अधीन हो, जैसा मैं चाहूँ, वैसे वे परिणमन करें। उनको वृत्ति मेरे अनुकूल हो। पर मूर्ख, तू तो एक व्यक्ति है। तू तो केवल अपने परिणमनपर अर्थात् अपने विचारों और क्रियापर ही अधिकार रख सकता है। परपदार्थोंपर तेरा वास्तविक अधिकार क्या है? तेरी यह अनधिकार चेष्टा ही राग और द्वेषको उत्पन्न करती है। तू चाहता है कि शरीर, स्त्री, पुत्र, परिजन आदि सब तेरे इशारेपर चलें। संसारके समस्त पदार्थ तेरे अधीन हो, तू जैलोक्यको अपने इशारेपर नचानेवाला एकमात्र ईश्वर बन जाय। यह सब तेरी निरधिकार चेष्टाएँ हैं। तू जिस तरह संसारके अधिकतम पदार्थोंको अपने अनुकूल परिणमन करके अपने अधीन करना चाहता है उसी तरह तेरे जैसे अनन्त मूढ चेतन भी यही दुर्वासना लिये हुए हैं और दूसरे द्रव्योंको अपने अधीन करना चाहते हैं। हमी छीना-मपटीमें संघर्ष होता है, हिमा हीनी है, राग-द्वेष होते हैं और होता है अन्ततः दुःख ही दुःख।

सुख और दुःखकी स्थूल परिभाषा यह है कि 'जो चाहे सो होवे, इसे कहते हैं सुख और चाहे कुछ और होवे कुछ या जो चाहें वह न होवे इसे कहते हैं दुःख।' मनुष्यकी चाह सदा यही रहनी है कि मुझे सदा इष्टका मयोग रहे और अनिष्टका संयोग न हो। समस्त भौतिक जगत् और अन्य चेतन मेरे अनुकूल परिणति करने रहें, शरीर नीरोग हो, मृत्यु न हो, धनधान्य हो, प्रकृति अनुकूल रहे आदि न जाने कितने प्रकारकी चाह इस श्रेष्ठचिन्ती मानवको होती रहती है। बुद्धने जिस दुःखको मर्वाभिभूत बताया है, वह सब अभावकृत ही तो है। महावीरने इस तृष्णाका कारण बताया है 'स्वरूपकी मर्यादाका अज्ञान', यदि मनुष्यको यह पता हो कि—'जिनकी मैं चाह करता हूँ, और जिनकी तृष्णा करता हूँ, वे पदार्थ मेरे नहीं हैं, मैं तो एक चिन्मात्र हूँ' तो उसे अनुचित तृष्णा ही उत्पन्न न होगी। साराश यह कि दुःखका कारण तृष्णा है, और तृष्णाकी उद्भूति स्वाधिकार एव स्वरूपके अज्ञान या मिथ्याज्ञानके कारण होती है, परपदार्थोंको अपना माननेके कारण होती है। अतः उसका उच्छेद भी स्वस्वरूपके सम्यग्ज्ञान यानि स्वपरिवेकसे ही हो सकता है। इस मानवने अपने स्वरूप और अधिकारकी सीमाको न जानकर सदा मिथ्याज्ञान किया है और परपदार्थोंके निमित्तसे जगत्में अनेक कल्पित ऊँच-नीच भावोंकी सृष्टि कर मिथ्या अहंकारका पोषण किया है। शरीराश्रित या जीविकाश्रित ब्राह्मण, क्षत्रियादि वर्णोंको लेकर ऊँच-नीच व्यवहारकी भेदक भित्ति खड़ी कर, मानवको मानवसे इतना जुदा कर दिया, जो एक उच्चाभिमानी मासपिण्ड दूसरेकी छायासे या दूसरेको छूनेसे अपनेको अपवित्र मानने लगा। बाह्य परपदार्थोंके सपही और परिग्रहीको महत्त्व देकर इसने तृष्णाकी पूजा की। जगत्में जितने सचर्ष और हिंसाएँ हुई हैं वे सब परपदार्थोंको छीना-मपटीके कारण हुई हैं। अतः जब तक मुमुक्षु अपने वास्तविक स्वरूपको तथा तृष्णाके मूल कारण 'परमे आत्मबुद्धि'को नहीं समझ लेता तब तक दुःख-निवृत्तिकी समुचित भूमिका ही तैयार नहीं हो सकती।

बुद्धने सक्षेपमे पाँच स्कन्धोंको दुःख कहा है। पर महावीरने उसके भीतरों नत्वज्ञानको भी बताया। बूँकिये स्कन्ध आत्मस्वरूप नहीं है, अतः इनका संसर्ग ही अनेक रागादिभावोंका सजक है और दुःखस्वरूप है। निराकुल सुखका उपाय आत्ममात्रनिष्ठा और परपदार्थोंसे ममत्वका हटाना ही है। इसके लिए आत्माकी यथार्थदृष्टि ही आवश्यक है। आत्मदर्शनका यह रूप परपदार्थोंमें द्वेष करना नहीं सिखाता, किन्तु यह बताता है कि इनमें जो तुम्हारी यह तृष्णा फैल रही है, वह अनधिकार चेष्टा है। वास्तविक अधिकार तो तुम्हारा मात्र अपने विचार अपने व्यवहारपर ही है। अतः आत्माके वास्तविक स्वरूपका परिज्ञान हुए बिना दुःखनिवृत्ति या मुक्तिकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती है।

नैरात्म्यवादकी असारता

अन आ० धर्मकीतिकी यह आश का भी निर्मूल है कि—

“आत्मनि सति परसजा स्वपरविभागात् परिग्रहद्वेषो ।
अनयो सप्रतिबद्धाः सर्वे दोषा प्रजायन्ते ॥”

—प्रमाणवा० १।२२१

अर्थात्—आत्माको 'स्व' माननेमें दूसरोको 'पर' मानना होगा । स्व और पर विभाग होते ही स्वका परिग्रह और परसे द्वेष होगा । परिग्रह और द्वेष होनेसे रागद्वेषमूलक सैकड़ो अन्य दोष उत्पन्न होने हैं ।

यहाँ तक तो ठीक है कि कोई व्यक्ति आत्माको स्व माननेसे आत्मेतरकोपर मानेगा । पर स्वपर-विभागसे परिग्रह और द्वेष कैसे होगा ? आत्मस्वरूपका परिग्रह कैसा ? परिग्रह तो शरीर आदि परपदाधोका और उसके सुखमाधनोका होना है, जिन्हे आत्मदर्शी व्यक्ति छोड़ेगा ही, ग्रहण नहीं करेगा । उसे तो जैसे स्त्री आदि सुखमाधन 'पर' हूँ वैसे शरीर भी । राग और द्वेष भी शरीरादिके सुख-माधनो और अमाधनोमें होते हैं, सो आत्मदर्शीको क्यों होगा ? उन्हे आत्मदृष्टि शरीरादिनिमित्तक रागद्वेष आदि द्वन्द्वोके त्यागका ही स्थिर प्रयत्न करेगा । हाँ, जिनमें शरीरस्करूपकी ही आत्मा माना है उसे अवश्य आत्मदर्शनसे शरीरदर्शन प्राप्त होगा और शरीरके उष्टानिष्टनिमित्तक पदाधोमें परिग्रह और द्वेष हो सकते हैं, किन्तु जो शरीरको भी 'पर' ही मान रहा है तथा दुःखका कारण गमय रहा है वह क्यों उसमें तथा उसके इष्टानिष्ट साधनोमें रागद्वेष करेगा ? अन शरीरादिसे भिन्न आत्मस्वरूपका परिज्ञान ही रागद्वेषकी जड़को काट सकता है और बीनरागताको प्राप्त करा सकता है । अत धर्मकीतिका आत्मदर्शनकी बुराइयोंका यह वर्णन भी नितान्त भ्रमपूर्ण है—

“यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वत स्नेह ।
स्नेहात् सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषास्तिरस्कुष्ठे ॥
गुणदर्शी परितृष्यन् ममेति तत्साधनान्युपादत्ते ।
तेनात्माभिनिवेश यावत् तावत् स ससारे ॥”

—प्रमाणवातिक १।२।१९-२०

अर्थात्—जो आत्माको देखना है, उसे यह मेरा आत्मा है ऐसा नित्य स्नेह होता है । स्नेहसे आत्म-सुखमें तृष्णा होती है । तृष्णासे आत्माके अन्य दोषोपर दृष्टि नहीं जाती, गुण-ही-गुण दिखाई देते हैं । आत्म-सुखमें गुण दखनेसे उसके माधनोमें ममकार उत्पन्न होता है, उन्हे वह ग्रहण करता है । इस तरह जब तक आत्माका अभिनिवेश है तब तक ममार ही है ।

क्योंकि आत्मदर्शी व्यक्ति जहाँ अपने आत्मस्वरूपको उपादेय समझता है वहाँ यह भी समझता है कि शरीरादि परपदार्थ आत्माके हितकारक नहीं हैं । इनमें रागद्वेष करना ही आत्माको बधमे डालनेवाला है । आत्माके स्वरूपभूत सुखके लिए किसी अन्य माधनके ग्रहणकी आवश्यकता नहीं है किन्तु जिन शरीरादि पर-पदाधोमें मिथ्यावृद्धि कर रखी है । उस मिथ्यावृद्धिका ही छोड़ना और आत्मगुणका दर्शन, आत्ममात्रमें लीनता-का कारण होगा न कि बन्धनकारक परपदाधोके ग्रहणका । शरीरादि परपदाधोमें होनेवाला आत्माभिनिवेश अवश्य रागादिका मंत्रक होता है, किन्तु शरीरादिसे भिन्न आत्म-तत्त्वका दर्शन शरीरादिमें रागादि क्यों उत्पन्न करेगा ?

पञ्चस्कन्ध रूप आत्मा नहीं ।

यह तो धर्मकीति तथा उनके अनुयायियोंका आत्मतत्त्वके अभ्यास होनेका कारण दृष्टिव्याप्तोहू ही है, जो वे उसका मात्र शरीरस्करूप हो स्वरूप मान रहे हैं और आत्मदृष्टिकी मिथ्यादृष्टि कह रहे हैं । एक

और वे पृथिव्यादि महाभूतोंसे आत्माकी उत्पत्तिका लक्षण भी करते हैं और दूसरी ओर रूप, बेचना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पाँच स्कन्धोंसे भिन्न किसी आत्माकी मानना भी नहीं चाहते । इनमें बेचना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये चार स्कन्ध बेतनात्मक हो सकते हैं पर, रूपस्कन्धकी बेतन कहना चार्वाकके भूतात्मवादसे कोई विशेषता नहीं रखता है । जब बुद्ध स्वयं आत्माको अब्याकृत कोटिमें डाल गए हैं तो उनके शिष्योंका दार्शनिक क्षेत्रमें भी आत्माके विषयमें परस्परविरोधी दो विचारोंमें दोलित रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । आज महापण्डित राहुल सांकृत्यायन बुद्धके इन विचारोंकी 'अभौतिक अनात्मवाद जैसे उभय प्रतिषेधक' नामसे पुकारते हैं । वे यह नहीं बता सकते कि आखिर आत्माका स्वरूप है क्या ? क्या बेचना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान स्कन्ध भी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्र सत् हैं ? क्या आत्माकी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्र सत्ता है ? और यदि निर्वाणमें चित्तसन्नि निरुद्ध हो जातो है तो चार्वाकके एक जन्म तक सीमित देहात्मवादसे इस अनेकजन्म-सीमित पर निर्वाणमें विनष्ट होनेवाले अभौतिक अनात्मवादमें क्या मौलिक विशेषता रह जाती है ? अन्तमें तो उसका निरोध ही हो जाता है ।

महावीर इस अमगतिके जालमें न तो स्वयं पड़े और न शिष्योंको ही उनमें इसमें डाला । यही कारण है जो उन्होंने आत्माका ममग्रभावमें निरूपण किया है और उसे स्वतन्त्र द्रव्य माना है ।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि धर्मका लक्षण है स्वभावमें स्थिर होना । आत्माका अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन होना ही धर्म है और इसकी निर्मल और निर्वचल शुद्ध परिणति ही मोक्ष है । यह मोक्ष आत्मतत्त्वकी जिज्ञासाके बिना हो ही नहीं सकता । परतन्त्रताके बन्धनको तोड़ना स्वातन्त्र्य सुखके लिए होता है । कोई वैद्य रोगीसे यह कहे कि 'तुम्हें इसमें क्या मतलब कि आगे क्या होगा, दवा खायें जाओ; तो रोगी तत्काल वैद्य पर विश्वास करके दवा भले ही खाता जाय, परन्तु आयुर्वेदकी कक्षामें विद्याधिष्योकी जिज्ञासाका ममाधान इतने मात्रमें नहीं किया जा सकता । रोगीकी पहचान भी स्वास्थ्यके स्वरूपको जाने बिना नहीं हो सकती । जिन जन्मरोगियोंको स्वास्थ्यके स्वरूपकी छाँकी ही नहीं मिली वे तो उस रोगको रोग ही नहीं मानते और न उसकी निवृत्तिकी चेष्टा ही करते हैं । अतः हर तरह मुमुक्षुके लिए आत्मतत्त्वका समग्र ज्ञान आवश्यक है ।

आत्माके तीन प्रकार

आत्मा तीन प्रकारके है—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । जो शरीर आदि परपदार्थोंको अपना रूप मानकर उनको ही प्रियभोगनामश्रीमें आसक्त है वे बहिर्मुख जीव बहिरात्मा हैं । जिन्हें स्वपरिवेक या भेदविज्ञान उत्पन्न हो गया है, जिनकी शरीर आदि बाह्यपदार्थोंसे आत्मदृष्टि हट गई है वे सम्मग्दृष्टि अन्तरात्मा हैं । जो ममस्त कर्ममल-कलकोसे रहित होकर शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपमें मग्न हैं वे परमात्मा हैं । यही संगारी आत्मा अपने स्वरूपका पदार्थ परिज्ञानकर अन्तर्दृष्टि ही क्रमशः परमात्मा बन जाता है । अतः आत्मधर्मकी प्राप्ति या बन्धन-मुक्तिके लिये आत्मतत्त्वका परिज्ञान नितान्त आवश्यक है ।

चारित्रका आधार

चारित्र अर्थात् अहिंसाकी साधनाका मुख्य आधार जीवतत्त्वके स्वरूप और उसके समान अधिकारकी मर्यादाका तत्त्वज्ञान ही बन सकता है । जब हम यह जानते और मानते हैं कि जगत्में वर्तमान सभी आत्माएँ अज्ञान और मूलतः एक-एक स्वतन्त्र समानशक्ति वाले द्रव्य हैं । जिस प्रकार हमें अपनी हिंसा दबिकर नहीं है, हम उससे बिकल होते हैं और अपने जीवनको प्रिय समझते हैं, सुख चाहते हैं, दुःखसे बचड़ाते हैं उसी तरह अन्य आत्माएँ भी यही चाहती हैं । यही हमारी आत्मा बनायिकालसे सूक्ष्म निगोद, वृक्ष, वनस्पति,

कीड़ा, मकोडा, पशु, पक्षी आदि अनेक घारीरोंको धारण करती है और न जाने इसे कौन-कौन घारीर धारण करना पड़ेंगे। मनुष्योमें जिन्हें हम नीच, अछूत आदि कहकर दुरदुराते हैं और अपनी स्वार्थपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं और बन्धनोसे उन समानाधिकारी मनुष्योंके अधिकारोंका निर्दलन करके उनके विकासको रोकते हैं, उन नीच और अछूतोंमें भी हम उत्पन्न हुए होंगे। आज मनमें दूसरोंके प्रति उन्ही कुत्सित भावोंको जाग्रत करके उस परिस्थितिका निर्माण अवश्य ही कर रहे हैं जिससे हमारी उन्हीमें उत्पन्न होनेकी अधिक सम्भावना है। उन मूलम निगोदसे लेकर मनुष्यों तकके हमारे सीधे सम्पर्कमें आनेवाले प्राणियोंके मूलभूत स्वरूप और अधिकारको समझे बिना हम उनपर कृपा, दया आदिके भाव ही नहीं ला सकते, और न समानाधिकारमूलक परम अहिंसाके भाव ही जाग्रत कर सकते हैं। चित्तमें जब उन समस्त प्राणियोंमें आत्मोपम्यकी पुण्य भावना लहर मारती है तभी हमारा प्रत्येक उच्छ्वास उनकी मंगलकामनामें भरा हुआ निकलता है और इस पवित्र धर्मको नही समझनेवाले सधर्षशील हिंसकोंके शोषण और निर्दलनमें पितृता हुई आत्माके उद्धारकी छटपटाहट उत्पन्न हो सकती है। इन तत्त्वज्ञानकी सुवाससे ही हमारी परिणति परपदार्थोंके सहज और परिग्रहकी दुष्प्रवृत्तिसे हटकर लोककल्याण और जीवसेवा की ओर झुकती है। अतः अहिंसाकी सर्वभूतमैत्रीकी उन्कूट माधनाके लिए सर्वभूतोंके स्वरूप और अधिकारका ज्ञान तो पहले चाहिये ही। न केवल ज्ञान ही, किन्तु चाहिये उसके प्रति दृढ़ निष्ठा।

इसी सर्वात्मसमत्वकी मूलज्योति महावीर बननेवाले क्षत्रिय राजकुमार वर्षमानके मनमें जगी थी और तभी वे प्राप्तराजविभूतिको बन्धन मानकर बाहर भीतरकी सभी गठि खोलकर परमनिर्घन्थ बने और जगत्में मानवजाको वर्णभेदको चक्कोमें पीसनेवाले तथोक्त उच्चाभिमानीयोंको झकझोरकर एक बार रूककर मोचनेका शीतल वातावरण उपस्थित कर सके। उनमें अपनं त्याग और तपस्याके मायक जीवनसे महत्ताका मापदण्ड ही बदल दिया और उन समस्त त्रासित, शोषित, अभिद्रावित और पीडित मनुष्यतन्त्रधारियोंको आत्मवत् समझ धर्मके क्षेत्रमें समानरूपसे अवसर देनेवाले सप्रवसरणकी रचना की। तात्पर्य यह कि अहिंसाकी विविध प्रकारकी मानवजाओंके लिए आत्माके स्वरूप और उसके मूल अधिकार-मर्यादाका ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि परपदार्थोंसे विवेक प्राप्त करनेके लिए 'पर' पुद्गलका ज्ञान। बिना इन दोनोंका वास्तविक ज्ञान हुए मग्यदर्शनकी वह अमरज्योति नही जल सकती, जिसके प्रकाशमें मानवता मुसकुराती है और सर्वात्मसमताका उदय होता है।

इस आत्मसमानाधिकारका ज्ञान और उसको जीवनमें उतारनेकी दृढ़निष्ठा ही सर्वोदयकी भूमिका हो सकती है। अतः वैयक्तिक दुःखकी निवृत्ति तथा जगत्में शान्ति स्थापित करनेके लिए जिन व्यक्तियोंसे यह जगत् बना है उन व्यक्तियोंके स्वरूप और अधिकारकी सीमाको हमें समझना ही होगा। हम उसकी तरफसे आँख मूंदकर तात्कालिक कृपा या दयाके अमृत बहा भी लें, पर उसका स्वाधीन इलाज नहीं कर सकते। अतः भगवान् महावीरने बन्धनमुक्तिके लिये जो 'बैधा है तथा जिससे बैधा है' इन दोनों तत्त्वोंका परिज्ञान आवश्यक बताया। बिना इसके बन्धपरम्पराके समूलोच्छेद करनेका सङ्कल्प ही नहीं हो सकता और चारित्रिक प्रति उन्साह ही हो सकता है। चारित्रिकी प्रेरणा तो विचारोसे ही मिलती है।

२. अजीवतत्त्व

जिस प्रकार आत्मनत्वका ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार जिस अजीवके सम्बन्धसे आत्मा चिह्नित होता है, उन्में विभावपरिणति होनी है उस अजीवतत्त्वके ज्ञानकी भी आवश्यकता है। जब तक हम इस अजीवतत्त्वको नहीं जानेंगे तब तक 'किन दोमें बन्ध हुआ है' यह मूल बात ही अज्ञात रह जाती है। अजीवतत्त्वमें धर्म, अधर्म, आकाश और कालका भेद ही सामान्यज्ञान है; क्योंकि इनसे आत्माका कोई भला बुरा

नहीं होता, परन्तु पुद्गल द्रव्यका किंचित् विशेषज्ञान अपेक्षित है। शरीर, मन, इन्द्रियाँ, स्वासोच्छ्वास और बन्धन आदि सब पुद्गलका ही हैं। जिसमें शरीर तो चेतनके संसर्गसे चेतनायमान हो रहा है। जगत्में रूप, रस, गन्ध और स्पर्शबाले यावत् पदार्थ पौद्गलिक हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सभी पौद्गलिक हैं। इनमें किसीमें कोई शुण प्रकट रहता है और कोई अनुद्भूत। यद्यपि अग्निमें रस, वायुमें रूप और जलमें गन्ध अनुद्भूत हैं फिर भी ये सब पुद्गलजातीय ही पदार्थ हैं। शब्द, प्रकाश, छाया, अन्धकार, सर्दों, गर्मी सभी पुद्गल स्कन्धोंकी अवस्थाएँ हैं। मुमुक्षुके लिए शरीरकी पौद्गलिकताका ज्ञान तो इसलिए अत्यन्त जरूरी है कि उसके जीवनकी आसन्निका मुख्य केन्द्र नहीं है। यद्यपि आज आत्माका ९९ प्रतिशत विकास और प्रकाश शरीराधीन है, शरीरके पुर्जोंके बिगड़ते ही वर्तमान ज्ञान-विकास रुक जाता है और शरीरके नाश होनेपर वर्तमान क्षणिकी प्रायः समाप्त हो जाती है, फिर भी आत्माका अपना स्वतंत्र अस्तित्व तेल-बत्तीसे भिन्न ज्योतिकी तरह है ही। शरीरका अनु-अणु जिसकी शक्तिसे संचालित और चेतनायमान हो रहा है वह अन्त-ज्योति दूसरी ही है। यह आत्मा अपने सूक्ष्म कार्मणशरीरके अनुसार वर्तमान स्थूल शरीरके नष्ट हो जानेपर दूसरे स्थूल शरीरको धारण करता है। आज तो आत्माके सात्त्विक, राजस और तामस सभी प्रकारके विचार और संस्कार कार्मणशरीर और प्राप्त स्थूल शरीरके अनुसार ही विकसित हो रहे हैं। अतः मुमुक्षु के लिए इस शरीर—पुद्गलकी प्रकृतिका परिज्ञान अत्यन्त आवश्यक है, जिससे वह इसका उपयोग आत्माके विकासमें कर सके, ह्रासमें नही। यदि आहार-विहार उत्तेजक होता है ता कितना हो पवित्र विचार करने-का प्रयास किया जाय, पर सफलता नहीं मिल सकती। इसलिये बुरे संस्कार और विचाराका शमन करनेके लिए या क्षीण करनेके लिए उनके प्रबल निमित्तभूत शरीरकी स्थिति आदिका परिज्ञान करना ही होगा। जिन परपदायोंसे आत्माको विकृत होना है और जिन्हें 'पर' समझकर उनकी छाना-अपटोंकी द्रव्यदशासे ऊपर उठना है और उनके परिग्रह और सग्रहमें ही जीवनका बहुभाग नहीं नष्ट करना है तो उस परकी 'पर' समझना ही होगा।

३. बन्धतत्त्व

दो पदार्थोंके विशिष्ट सम्बन्धको बन्ध कहते हैं। बन्ध दो प्रकारका है—एक भावबन्ध और दूसरा द्रव्यबन्ध। जिन राग-द्वेष और मोह आदि विकारी भावोंसे कर्मका बन्धन होता है उन भावोंको भावबन्ध कहते हैं। कर्मपुद्गलोंका आत्मप्रदेशोसे सम्बन्ध होना द्रव्यबन्ध कहलाता है। द्रव्यबन्ध आत्मा और पुद्गलका सम्बन्ध है। यह तो निश्चित है कि दो द्रव्योंका संयोग ही हो सकता है, तादात्म्य अर्थात् एकत्व नहीं। दो बिलकर एक देखें, पर, एककी सत्ता मिटकर एक बोध नहीं रह सकता। जब पुद्गलाणु परस्परमें बन्धको प्राप्त होने हैं तो भी वे एक विशेष प्रकारके संयोगको ही प्राप्त करते हैं। उनमें स्निग्धता और रूक्षताके कारण एक रासायनिक मिश्रण होता है, जिनमें उस स्कन्धके अन्तर्गत सभी परमाणुओंकी पर्याय बदलती है और वे ऐसी स्थितियों में आ जाते हैं कि अमुक समय तक उन सबकी एक जैसा पर्याय होती रहती है। स्कन्ध अपनेमें कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है किन्तु वह अमुक परमाणुओंकी विशेष अवस्था ही है और अपने आचारभूत परमाणुओंके अधीन ही उसकी दशा रहती है। पुद्गलोंके बन्धमें यही रासायनिकता है कि उस अवस्थामें उनका स्वतंत्र बिलक्षण परिचयन नहीं होकर प्रायः एक जैसा परिचयन होता है परन्तु आत्मा और कर्म-पुद्गलोंका ऐसा रासायनिक मिश्रण ही ही नहीं सकता। यह बात जुदा है कि कर्मस्कन्धके आ जानेसे आत्मा के परिचयमय बिलक्षणता आ जाती है और आत्माके निमित्तसे कर्मस्कन्धकी परिणति बिलक्षण हो जाती है; पर इन्होंने साक्ष्ये इन दोनोंके सम्बन्धको रासायनिकमिश्रण संज्ञा नहीं दी आ सकती; क्योंकि जीव और कर्मके

बन्धमे दोनोंकी एक जैसी पर्याय नहीं होती। जीवकी पर्याय चेतनरूप होती है और पुद्गलकी अचेतनरूप। पुद्गलका परिणामन रूप, रस, गन्ध और स्पर्शादिरूपसे होता है और जीव चैतन्यके विकासरूपसे।

चार बन्ध

यह वास्तविक स्थिति है कि नूतन कर्मपुद्गलको पुराने बँधे हुए कर्मशरीरके साथ रासायनिक मिश्रण हो जाय और वह नूतन कर्म उम पुराने कर्मपुद्गलके साथ बँधकर उमी स्कन्धमे शामिल हो जाय और होता भी यही है। पुराने कर्मशरीरसे प्रतिक्षण अमूक परमाणु खिरते हैं और उसमे कुछ दूसरे नये शामिल होते हैं। परन्तु आत्मप्रदेशोसे उनका बन्ध रासायनिक हृगिज नहीं है। वह तो मात्र सयोग है। यही प्रदेशबन्ध कहलाता है। प्रदेशबन्धकी व्याख्या तत्त्वायसूत्र (८१२४) मे इस प्रकारकी है—'नामप्रत्यया सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः गतिमप्रदेशोष्वनन्तानन्तप्रदेशाः।' अर्थात् योगके कारण समस्त आत्मप्रदेशोपर सभी ओरसे सूक्ष्म कर्मपुद्गल आकर एकक्षेत्रावगाही हो जाते हैं—जिस क्षेत्रमें आत्मप्रदेश है उमी क्षेत्रमे वे पुद्गल ठहर जाते हैं। इसीका नाम प्रदेशबन्ध है और द्रव्यबन्ध भी यही है। अत आत्मा और कर्मशरीरका एकक्षेत्रावगाहके सिवाय अन्य कोई रासायनिक मिश्रण नहीं हो सकता। रासायनिक मिश्रण यदि होता है तो प्राचीन कर्मपुद्गलसे ही नवीन कर्मपुद्गलको, आत्मप्रदेशोसे नहीं।

जीवके रागादिभावोंमे जो योग अर्थात् आत्मप्रदेशोमे हृगन-चलन होता है उनसे कर्मके योग्य पुद्गल लिखते हैं। वे स्थूल शरीरके भीतरमे भी लिखते हैं और बाहरमे भी। इग योगमे उन कर्मवर्गणाओंमे प्रकृति अर्थात् स्वभाव पडता है। यदि वे कर्मपुद्गल किमीके ज्ञानमे बाधा डालनेवाली क्रियामे लिखे हैं तो उनमे ज्ञानके आचरण करनेका स्वभाव पडेगा और यदि रागादि कषायोंमे लिखे हैं, तो चारित्रके नष्ट करनेका। तात्पर्य यह कि आए हुए कर्मपुद्गलको आत्मप्रदेशोमे एकक्षेत्रावगाही कर देना तथा उनमे ज्ञाना-वरण, वर्शानावरण आदि स्वभावोका पठ जाना योगमे होता है। इन्हे प्रदेशबन्ध और प्रकृतिबन्ध कहते हैं। कषायोंकी तीव्रता और मन्दताके अनुसार उम कर्मपुद्गलमे स्थिति और फल देनेकी शक्ति पडती है, यह स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कहलाता है। ये दोनो बन्ध कषायसे होते हैं। केवली अर्थात् जीवन्मुक्त ब्यक्तिको रागादि कषाय नहीं होती, अत उनके योगके द्वारा जो कर्मपुद्गल आते हैं वे द्वितीय समयमे शब्द जाते हैं। उनका स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध नहीं होता। यह बन्धचक्र, जबतक राग, द्वेष, मोह और वासनाएँ आदि विभाव भाव हैं, तब तक बराबर चलता रहता है।

४. आस्रव-तत्त्व

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच बन्धके कारण हैं। इन्हें आस्रव-प्रत्यय भी कहते हैं। जिन भावोंमे कर्मोंका आस्रव होता है उन्हे भावास्रव कहते हैं और कर्मद्रव्यका जाना द्रव्यास्रव कहलाता है। पुद्गलकोमे कर्मत्वपर्यायिका विकास होना भी द्रव्यास्रव कहा जाता है। आत्मप्रदेशो तक उनका जाना भी द्रव्यास्रव है। यद्यपि इन्ही मिथ्यात्व आदि भावोंको भावबन्ध कहा है, परन्तु प्रथमक्षणभावी ये भाव चूँकि कर्मोंकी खीचनेकी साक्षात् कारणभूत योगक्रियामे निमित्त होत हैं अत भावास्रव कहे जाते हैं और अग्रिमक्षणभावी भाव भावबन्ध। भावास्रव जैसा तीव्र, मन्द और मध्यम होता है, तज्जन्य आत्मप्रदेशोका परिस्पन्द अर्थात् योग क्रियासे कर्म भी जैसे ही आते हैं और आत्मप्रदेशोसे बँधते हैं।

मिथ्यात्व

इन आस्रवोंमें मुख्य अनन्तकर्मबन्धक है मिथ्यात्व अर्थात् मिथ्यादृष्टि। यह जीव अपने आत्मस्वरूपको भूलकर शरीरादि परद्रव्यमें आत्मबुद्धि करता है। इसके समस्त विचार और क्रियाएँ शरीराश्रित व्यवहारोंमें

उलझी रहती हैं। लौकिक यज्ञ, काम आदिकी दृष्टिसे यह धर्मका आचरण करता है। इसे स्वपरिवेषिक नहीं रहता। पदावर्षके स्वरूपमें भ्रान्ति बनी रहती है। तात्पर्य यह कि कल्याणमार्गमें इसकी सम्पत् श्रद्धा नहीं होती। यह मिथ्यात्व सहज और गृहीत दो प्रकारका होता है। इन दोनों मिथ्यादृष्टियोंसे इसे तत्त्वरश्मि जागृत नहीं होती। यह अनेक प्रकारकी देव, गुरु तथा लोकमुद्रताओंकी धर्म मानता है। अनेक प्रकारके ऊँच-नीच भेषोंकी मूर्ष्टि करके मिथ्या अहंकारका पोषण करता है। जिस किसी देवको, जिस किसी भी वेषधारी गुरुको, जिस किसी भी शास्त्रको भय, आशा, स्नेह और लोभसे माननेको तैयार हो जाता है। न उसका अपना कोई सिद्धान्त होता है और न व्यवहार। बोडेंसे प्रलोभनसे वह सभी अनर्थ करनेको प्रस्तुत हो जाता है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, श्रद्धा, तप और धारीके मदसे मत्त होता है और दूसरोको तुच्छ समझ उनका तिरस्कार करता है। भय, स्वार्थ, घृणा, परनिन्दा आदि दुर्गुणोका केन्द्र होता है। इसकी समस्त प्रवृत्तियोंके मूलमें एक ही कुटेव रहती है और वह है स्वस्वविभ्रम। उसे आत्मस्वरूपका कोई श्रद्धान नहीं होता, अतः वह बाह्यपदार्थोंमें लुभाया रहता है। यही मिथ्यादृष्टि समस्त दोषोकी जननी है, इसीसे अनन्त ससारका बन्ध होता है।

अविरति

सदाचार या चारित्र धारण करनेकी ओर रश्मि या प्रवृत्ति नहीं होना अविरति है। मनुष्य कदाचित् चाहे भी, पर कषायोंका ऐसा तीव्र उदय होगा है जिससे न तो वह सकलचारित्र धारण कर पाता है और न देशचारित्र ही।

क्रोधादि कषायोंके चार श्रेय चारित्रको रोकनेकी शक्तिकी अपेक्षासे भी होते हैं—

१. अनन्तानुबन्धी—अनन्त ससारका बन्ध करनेवाली, स्वरूपाचरणचारित्र न होने देनेवाली, पत्वारकी रेखाके समान कषाय। यह मिथ्यात्वके साथ रहती है।

२. अप्रत्यास्थानावरण—देशचारित्र अर्थात् श्रावकके अणुप्रतोको रोकनेवाली, मिट्टीकी रेखाके समान कषाय।

३. प्रत्यास्थानावरण—सकलचारित्रको न होने देनेवाली, धूलकी रेखाके समान कषाय।

४. संज्वलन कषाय—पूर्ण चारित्रमें किंचित् दोष उत्पन्न करनेवाली, जलरेखाके समान कषाय। इसके उदयसे यथास्थायतचारित्र नहीं हो पाता।

इस तरह इन्द्रियोंके विषयोंमें तथा प्राणिविषयक असंयममें निरगल प्रवृत्ति होनेसे कर्मोका आत्मव होता है।

प्रमाद

असाधधानीको प्रमाद कहते हैं। कुशल कर्मोंमें अनावर होना प्रमाद है। पाँचो इन्द्रियोंके विषयमें लीन होनेके कारण; रागकषा, चोरकषा, श्लोकषा और भोजनकषा आदि विकषाओंमें रस लेनेके कारण; क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंसे कल्पित होनेके कारण; तथा निद्रा और प्रणयमें मग्न होनेके कारण कुशल कर्मव्य मार्गमें अनावरका भाव उत्पन्न होता है। इस असाधधानीसे कुशलकर्मके प्रति अनास्था तो होती ही है साथ-ही-साथ हिंसाकी भूमिका भी तैयार होने लगती है। हिंसके मुख्य हेतुओंमें प्रमादका प्रमुख स्थान है। दूसरे ज्ञानीका चित्त ही या न हो, प्रमादी व्यक्तिनी हिंसाका दोष सुनिश्चित है। प्रपत्यपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले अश्रमत साधनके द्वारा बाह्य हिंसा होनेपर भी वह अहिंसक ही है। अतः प्रमाद हिंसाका मुख्य द्वार है। इसीलिए अकषाल् महावीरने बार-बार गीतम गणधरको चेताया था कि 'समर्थ योग्य मा पमादए" अर्थात् गीतम, अश्रमर भी प्रमाद न कर।

आत्माका स्वरूप स्वभावतः शान्त और निर्विकारी है। पर क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषायों उसे कस देती हैं और स्वरूपसे च्युत कर देती हैं। ये चारों आत्माकी विभाव दशाएँ हैं। क्रोध कषाय द्वेषरूप है। यह द्वेषका कारण और द्वेषका कार्य है। मान यदि क्रोधको उत्पन्न करता है तो द्वेषरूप है। लोभ रागरूप है। माया यदि लोभको जागृत करती है तो रागरूप है। तात्पर्य यह कि राग, द्वेष और मोहकी दोष-त्रिपुटीमें कषायका भाग ही मुख्य है। मोहरूपी मिथ्यात्वके दूर हो जानेपर सम्यग्दृष्टिको राग और द्वेष बने रहते हैं। इनमें लोभ कषाय तो पद, प्रतिष्ठा, यशकी लिप्सा और संघवृद्धि आदिके रूपमें बड़े-बड़े मुनियोंको भी स्वरूपस्थित नहीं होने देती। यह राग-द्वेषरूप द्वन्द्व ही समस्त अनर्थोंका मूल है। यही प्रमुख आस्रव है। न्यायसूत्र, गीता और पाली पिटकोंमें भी इस द्वन्द्वको पापका मूल बताया है। जैनागमोंका प्रत्येक वाक्य कषाय-शमनका ही उपदेश देता है। जैन उपागनाका आदर्श परम निर्ग्रन्थ दशा है। यही कारण है कि जैन मूर्तियाँ शीतरागता और अकिञ्चनताकी प्रतीक होती हैं। न उनमें द्वेषका साधन आयुध है और न रागका आघार स्त्री आदिका साहचर्य ही। वे सर्वथा निर्विकार होकर परमवीतरागता और अकिञ्चनताका पावन संवेद्य देती हैं।

इन कषायोंके सिवाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये नव नोकषायों हैं। इनके कारण भी आत्मामें विकारपरिणति उत्पन्न होती है। अतः ये भी आस्रव हैं।

योग

मन, वचन और कायके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पन्द अर्थात् क्रिया होती हैं उसे 'योग' कहते हैं। योगकी साधारण प्रसिद्धि योगभाष्य आदिमें यद्यपि चित्तवृत्तिके निरोधरूप ध्यानके अर्थमें है, परन्तु जैन परम्परामें चैतन्य मन, वचन और कायसे होनेवाली क्रिया कर्मपरमाणुओंसे आत्माका योग अर्थात् सम्बन्ध कराती है, इसलिए इसे ही योग कहते हैं और इसके निरोधको ध्यान कहते हैं। आत्मा सक्रिय है, उमके प्रदेशोंमें परिस्पन्द होता है। मन, वचन और कायके निमित्तसे सदा उममें क्रिया होती रहती है। यह क्रिया जीवन्मुक्तके बराबर होती है। परममुक्तिसे कुछ समय पहले अयोगकेबली अवस्थामें मन, वचन और कायकी क्रियाका निरोध होता है, और तब आत्मा निर्मल और निश्चल बन जाता है। सिद्ध अवस्थामें आत्माके पूर्ण शुद्ध रूपका आविर्भाव होता है। न तो उममें कर्मजन्य मलिनता ही रहती है और न योगकी चंचलता ही। सच पूछा जाय तो योग ही आस्रव है। इसीके द्वारा कर्मोंका आगमन होना है। शुभ योग पुण्यकर्मका आस्रव कराता है और अशुभयोग पापकर्मका। सबका शुभ चिन्तन यानो अहिंसक विचारधारा शुभ मनोयोग है। हिन, मित, प्रिय वचन बोलना शुभ वचनयोग है और परको बाधा न देनेवाली यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति शुभ-काय होता है। और इनसे विपरीत चिन्तन, वचन तथा काय-प्रवृत्ति अशुभ मन-वचन-काययोग है।

दो आस्रव

सामान्यतया आस्रव दो प्रकारका होता है। एक तो कषायानुरजित योगसे होनेवाला साम्प्रदायिक आस्रव—जो बन्धका हेतु होकर संसारकी वृद्धि करता है। दूसरा मात्र योगके होनेवाला ईर्ष्यापथ आस्रव—जो कषायका चैंप न होनेके कारण आगे बन्धन नहीं कराता। यह आस्रव जीवन्मुक्त महात्माओंके जब तक क्षीरिका सम्बन्ध है, तब तक होता है। इस तरह योग और कषाय, दूसरेके जानमें बाधा पहुँचाना, दूसरेको

कष्ट पहुँचाना, दूसरेकी निन्दा करना आदि जिस-जिस प्रकारके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय आदि क्रियाओंमें संलग्न होते हैं, उस-उस प्रकारसे उन-उन कर्मोंका आस्रव और बन्ध कराते हैं। जो क्रिया प्रचल होती है उससे उस कर्मका बन्ध विशेष रूपसे होता है, शेष कर्मोंका गौण। परन्तुबन्ध शरीरादिकी प्राप्तिके लिए आयु कर्मका आस्रव वर्तमान आयुके विभागमें होता है। शेष सात कर्मोंका आस्रव प्रतिसमय होता रहता है।

५. मोक्षतत्त्व

बन्धन-भुक्तिकी मोक्ष कहते हैं। बन्धके कारणोंका अभाव होनेपर तथा संघिन कर्मोंकी निर्जरा होनेसे समस्त कर्मोंका समूल उच्छेद होना मोक्ष है। आत्माकी वैभाविकी शक्तिका संसार अवस्थामें विभाव परिणमन होता है। विभाव परिणमनके निमित्त हट जानेसे मोक्ष दशामें उसका स्वाभाविक परिणमन हो जाता है। जो आत्माके गुण विकृत हो रहे थे वे ही स्वाभाविक दशामें आ जाते हैं। मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन बन जाता है, अज्ञान ज्ञान ज्ञान जाता है और अचारित्र चारित्र। इस दशामें आत्माका सारा नकशा ही बदल जाता है। जो आत्मा अनादिकालसे मिथ्यादर्शन आदि अणुद्वियों और कलुषनाशका पुञ्ज बना हुआ था, वही निर्मल, निश्चल और अनन्त चैतन्यमय हो जाता है। उसका आगे सदा शुद्ध परिणमन ही होता है। वह निस्तरंग समुद्रकी तरह निर्विकल्प, निश्चल और निर्मल हो जाता है। न तो निर्वाण दशामें आत्माका अभाव होता है और न वह अचैनन ही हो जाता है। जब आत्मा एक स्वदत्त मौलिक द्रव्य है, तब उसके अभावकी या उसके गुणोंके उच्छेदकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रतिक्षण कितने ही परिवर्तन होने जाँय, पर विश्वके रगमञ्चसे उसका समूल उच्छेद नहीं हो सकता।

दीपनिर्वाणकी तरह आत्मनिर्वाण नहीं होता।

बुद्धसे जब प्रश्न किया गया कि 'मरनेके बाद तथागत होते हैं या नहीं?' तो उन्होंने इस प्रश्नको अव्याकृत कौटिमं डाल दिया था। यही कारण हुआ कि बुद्धके शिष्योंने निर्वाणके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ कीं। एक निर्वाण वह जिसमें चित्तसन्तति निरास्रव हो जाती है, यानी चित्तका मूल धूल जाता है। इसे 'सोपधिषोष' निर्वाण कहते हैं। दूसरा निर्वाण वह, जिसमें दीपकके समान चित्तसतति भी बुझ जाती है अर्थात् उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यह 'निष्पधिषोष' निर्वाण कहलाता है। रूप, वेदना, विज्ञान, सज्ञा और सस्कार इन पंच स्कन्धरूप आत्मा माननेका यह सहज परिणाम था कि निर्वाण दशामें उसका अस्तित्व न रहे। आश्चर्य है कि बुद्ध निर्वाण और आत्माके परलोकगामित्वका निर्णय बताये बिना ही मात्र दुःखनिर्वातके सर्वाङ्गीण औचित्यका समर्थन करते रहे।

यदि निर्वाणमें चित्तसन्ततिका निरोध हो जाता है, वह दीपककी लौ को तरह बुझ जाती है, तो बुद्ध उच्छेदवादके दोषसे कैसे बच सके? आत्माके नास्तित्वसे इनकार तो वे इसी मयसे करते थे कि आत्माको नास्ति माना जाता है तो चार्वाककी तरह उच्छेदवादका प्रसंग आता है। निर्वाण अवस्थामें उच्छेद मानने और मरणके बाद उच्छेद माननेमें तात्त्विक दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है। बल्कि चार्वाकका सहज उच्छेद सबको सुकर क्या अनायाससाध्य होनेसे सुग्राह्य होगा और बुद्धका निर्वाणोत्तर उच्छेद अनेक प्रकारके ब्रह्म-चर्यवास और ध्यान आदिके कष्टसे साध्य होनेके कारण दुर्ग्राह्य होगा। जब चित्तसन्तति भौतिक नहीं है और उसकी संसार-कालमें प्रतिसंधि (परलोकगमन) होती है, तब निर्वाण अवस्थामें उसके समूलोच्छेदका कोई औचित्य समझमें नहीं आता। अतः मोक्ष अवस्थामें उस चित्तसंततिका सत्ता मानना ही चाहिए, जो कि अनादिकालसे आस्रवमल्लेंसे मलिन हो रही थी और जिसे साधनाके द्वारा निरास्रव अवस्थामें पहुँचाया

गया है। तत्त्वसंग्रहपञ्चिका (पृष्ठ १०४) में आचार्य कमलशोभने संसार और निर्वाणके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला यह प्राचीन श्लोक उद्धृत किया है—

“चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम् ।
तदेव तैविनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥”

अर्थात्—रागादि क्लेश और वासनामय चित्तको संसार कहते हैं और जब वही चित्त रागादि क्लेश और वासनाओंसे मुक्त हो जाता है, तब उसे भवान्त अर्थात् निर्वाण कहते हैं। इस श्लोकमें प्रतिपादित संसार और मोक्षका स्वरूप ही युक्तिसिद्ध और अनुभवगम्य है। चित्तकी रागादि अवस्था संसार है और उसीकी रागादिरहितता मोक्ष है। अतः समस्त कर्मोंके क्षयसे होनेवाला स्वरूपलाभ ही मोक्ष है। आत्माके अभाव या चैतन्यके उच्छेदको मोक्ष नहीं कह सकते। रोगकी निवृत्तिका नाम आरोग्य है, न कि रोगीकी निवृत्ति या समाप्ति। दूसरे शब्दोंमें स्वास्थ्यलाभको आरोग्य कहते हैं, न कि रोगके साथ-साथ रोगीकी मृत्यु या समाप्तिको।

निर्वाणमें ज्ञानादि गुणोंका सर्वथा उच्छेद नहीं होता

वैशेषिक बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार इन नव विशेषगुणोंके उच्छेदको मोक्ष कहते हैं। इनका मानना है कि इन विशेष गुणोंकी उत्पत्ति आत्मा और मनके सयोगसे होती है। मनके सयोगके हट जानेसे ये गुण मोक्ष अवस्थामें उत्पन्न नहीं होते और आत्मा उस दशामें निगुण हो जाता है। जहाँ तक इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार और सासारिक दुःख-सुखका प्रश्न है, ये सब कर्मजन्य अवस्थाये हैं, अतः मुक्तिमें इनकी मत्ता नहीं रहती। पर बुद्धिका अर्थात् ज्ञानका, जो कि आत्माका निज गुण है, उच्छेद सर्वथा नहीं माना जा सकता। हाँ, संसार अवस्थामें जो लब्धज्ञान मन और इन्द्रियके सयोगसे उत्पन्न होता था, वह अवश्य ही मोक्ष अवस्थामें नहीं रहता, पर जो इसका स्वरूपभूत चैतन्य है, जो इन्द्रिय और मनसे परे है, उनका उच्छेद किसी भी तरह नहीं हो सकता। आखिर निर्वाण अवस्थामें जब आत्माको स्वल्पस्थिति वैशेषिकको स्वीकृत ही है तब यह स्वरूप यदि कोई हो सकता है तो वह उसका इन्द्रियातीत चैतन्य ही हो सकता है। संसार अवस्थामें यही चैतन्य इन्द्रिय, मन और पदार्थ आदिके निमित्तसे मत्ताविव विधयाकार बुद्धियोंके रूपमें परिणति करता था। इन उपाधियोंके हट जानेपर उसका स्वस्वरूप-मग्न होना स्वाभाविक ही है। कर्मोंके क्षयोपशमसे होनेवाले क्षायोपशमिक ज्ञान तथा कर्मजन्य सुखदुःखादिका विनाश तो जैन भी मोक्ष अवस्थामें मानते हैं, पर उसके निज चैतन्यका विनाश तो स्वरूपोच्छेदक होनेसे कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मिलिन्द-प्रश्नके निर्वाण वर्णनका तात्पर्य

मिलिन्द-प्रश्नमें निर्वाणका जो वर्णन है उसके निम्नलिखित वाक्य ध्यान देने योग्य हैं। “तृष्णाके निरोध हो जानेसे उपादानका निरोध हो जाता है, उपादानके निरोधसे भवका निरोध हो जाता है, भवका निरोध होनेसे जन्म लेना बन्द हो जाता है, पुनर्जन्मके बन्द होनेसे क्लृप्ता होना, मरना, शोक, रोना,

१. ‘मुक्तिर्निर्मलता धियः ।’—तत्त्वसंग्रह पृष्ठ १८४

२. “आत्मलाभ विदुर्मोक्षं जीवस्यान्तर्मलसयात् ।

नाभावो नाप्यचैतन्यं न चैतन्यमनर्थकम् ॥”

—सिद्धिवि० पृ० ३८४

पीटना, दुःख, बेचैनी और परेशानी सभी दुःख एक जाते हैं। महाराज, इस तरह निरोध हो जाना ही निर्वाण है।" (पृ० ८५)

"निर्वाण न कर्मके कारण, न हेतुके कारण और न ऋतुके कारण उत्पन्न होता है।" (पृ० ३१९)

"हैं महाराज, निर्वाण निर्गुण है, किसीने इसे बनाया नहीं है। निर्वाणके साथ उत्पन्न होने और न उत्पन्न होनेका प्रश्न ही नहीं उठता। उत्पन्न किया जा सकता है बंधवा नहीं, इसका भी प्रश्न नहीं आता। निर्वाण वर्तमान, भूत और भविष्यत् तीनों कालोंके परे है। निर्वाण न आँसूसे देखा जा सकता है, न कानसे सुना जा सकता है, न नाकसे सूंघा जा सकता है, न जीभसे चखा जा सकता है और न शरीरसे छुआ जा सकता है। निर्वाण मनमें जाना जा सकता है। अहंत् पदको पाकर भिक्षु विशुद्ध, प्रजोत, ऋद्ध तथा आवरणों और सासारिक कामोंसे रहित मनसे निर्वाणको देखा है।" (पृ० ३३२)

"निर्वाणमें सुख ही सुख है, दुःखका लेश भी नहीं रहता" (पृ० ३८६)

"महाराज, निर्वाणमें ऐसी कोई भी बात नहीं है, उपमाएँ दिसा, व्याख्या कर, तर्क और कारणके साथ निर्वाणके रूप, स्थान, काल या डीलढील नहीं दिसाये जा सकते।" (पृ० ३८८)

"महाराज, जिंग तरह कमल पानीसे सर्वथा अल्पित रहता है उसी तरह निर्वाण सभी क्लेशोंसे अल्पित रहता है। निर्वाण भी लोगोंकी कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभवतृष्णाकी प्यासको दूर कर देता है।" (पृ० ३९१)

"निर्वाण बवाकी तरह क्लेशरूपी विषकी शान्त करता है, दुःखरूपी रोगोंका अन्त करता है और अमृतरूप है। वह महाममदकी तरह अपरम्पार है। वह आकाशकी तरह न पैदा होता है, न पुराना होता है, न मरता है, न आवागमन करता है, दुर्जय है, चोरोसे नहीं चुराया जा सकता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, स्वच्छन्द झुला और अनन्त है। वह मणिरत्नकी तरह सारी इच्छाओंको पूरा कर देता है, मनोहर है, प्रकाशमान है और बड़े कामका होता है। वह लाल चन्दनकी तरह दुर्लभ, निराली गंधवाला और सज्जनों द्वारा प्रशंसित है। वह पहाड़की चोटीकी तरह अत्यन्त ही ऊँचा, अबल, अगम्य, राग-द्वेषरहित और क्लेश बीजोंके उपजनेके अयोग्य है। वह जगह न तो पूर्व दिशाकी ओर है, न पश्चिम दिशाकी ओर, न उत्तर दिशाकी ओर और न दक्षिण दिशाकी ओर, न ऊपर, न नीचे और न टेढ़े। जहाँ कि निर्वाण छिपा है। निर्वाणके पाये जानेकी कोई जगह नहीं है, फिर भी निर्वाण है। सच्ची राह पर चल, मनको ठीक ओर लगा निर्वाणका साक्षात्कार किया जा सकता है।" (पृ० ३९२-४०३ तक हिन्दू अनुवाद का सार)

इन अवतरणोंसे यह मालूम होता है कि बुद्ध निर्वाणका कोई स्थान विशेष नहीं मानते थे और न किसी कालविशेषमें उत्पन्न या अनुत्पन्नकी चर्चा इसके सम्बन्धमें की जा सकती है। वैसे उसका जो स्वरूप "इन्द्रियातीत सुखमय, जन्म, जरा, मृत्यु आदिके क्लेशोंसे धून्य" इत्यादि शब्दोंके द्वारा वर्णित होता है, वह धून्य या अभावात्मक निर्वाणका न होकर सुखरूप निर्वाण का है।

निर्वाणको बुद्धने आकाशकी तरह असंस्कृत कहा है। असंस्कृतका अर्थ है जिसके उत्पाद, व्यय और प्रीत्य न हों। जिसकी उत्पत्ति या अनुत्पत्ति आदिका कोई विवेचन नहीं हो सकता हो, वह असंस्कृत पदार्थ है। माध्यमिक कारिकाकी संस्कृत-परिभाषामें उत्पाद, व्यय और प्रीत्यको संस्कृतका लक्षण बताया है। सो यदि असंस्कृतता निर्वाणके स्थानके सम्बन्धमें है तो उचित ही है, क्योंकि यदि निर्वाण किसी स्थानविशेषपर है, तो वह जगत्की तरह सन्ततिकी दृष्टिसे अनादि अनन्त ही होगा; उसके उत्पाद-अनुत्पादकी चर्चा ही व्यर्थ है। किन्तु उसका स्वरूप जन्म, जरा, मृत्यु आदि समस्त क्लेशोंसे रहित सुखमय ही हो सकता है।

अवबोधने सौन्दर्यनन्दमे (१६। २८, २९) निर्वाण प्राप्त आत्माके सम्बन्धमे जो यह लिखा है कि तेलके चुक जानेपर दीपक जिस तरह न किसी दिशाको, न किसी विदिशाको, न आकाशको और न पृथ्वीको जाता है किन्तु केवल बुझ जाता है, उसी तरह कृती क्लेशोका क्षय होनेपर किसी दिशा-विदिशा, आकाश या पातालको नहीं जाकर शान्त हो जाता है। यह वर्णन निर्वाणके स्थान विशेषकी तरफ ही लगता है न कि स्वरूपकी तरफ। जिस तरह ससारी आत्माका नाम, रूप और आकारादि बताया जा सकता है, उस तरह निर्वाण अवस्थाको प्राप्त व्यक्तिका स्वरूप नहीं समझाया जा सकता।

। वस्तुतः बुद्धने आत्माके स्वरूपके प्रश्नको ही जब अव्याकृत करार दिया, तब उसकी अवस्थाविशेष-निर्वाणके सम्बन्धमे विवाद होना स्वाभाविक ही था। भगवान् महावीरने मोक्षके स्वरूप और स्थान दोनोंके सम्बन्धमे समुक्तिक विवचन किया है। समस्त कर्मोंके विनाशके बाद आत्माके निर्मल और निश्चल अतन्त्र-स्वरूपकी प्राप्ति ही मोक्ष है और मोक्ष अवस्थामे यह जीव समस्त स्थूल और सूक्ष्म शारीरिक बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त होकर लोकके अग्रभागमे अन्तिम शरीरके आकार होकर ठहरता है। आगे गतिके सहायक परम-द्रव्यके न होनेसे गति नहीं होती।

मोक्ष न कि निर्वाण

जैन परम्परामे मोक्ष शब्द विशेष रूपसे व्यवहृत होता है उसका सीधा अर्थ है छूटना अर्थात् अनादिकालसे जिन कर्मबन्धनोंगे यह आत्मा जकड़ा हुआ था, उन बन्धनोंकी परतन्त्रताको काट देना। बन्धन कट जानेपर जो बँधा था, वह स्वतन्त्र हो जाता है। यही उसकी मुक्ति है किन्तु बौद्ध परम्परामे 'निर्वाण' अर्थात् दीपककी तरह बुझ जाना, इस शब्दका प्रयोग होनेसे उसके स्वरूपमे ही घुटाला हो गया है। क्लेशोंके बुझने की जगह आत्माका बुझना ही निर्वाण समझ लिया गया है। कर्मोंके नाश करनेका अर्थ भी इतना ही है कि कर्मपुद्गल जीवसे भिन्न हो जाते हैं उनका अत्यन्त विनाश नहीं होता^२। किसी भी सत्का अत्यन्त विनाश न कभी हुआ है और न होगा। पर्यायान्तर होना ही 'नाश' कहा जाता है। जो कर्मपुद्गल अमुक आत्माके साथ संयुक्त होनेके कारण उस आत्माके गुणोंका घात करनेकी वजहसे उसके लिए कर्मत्व पर्यायको धारण किये थे, मोक्षमे उसकी कर्मत्व पर्याय नष्ट हो जाती है। यानी जिस प्रकार आत्मा कर्मबन्धनसे छूटकर शुद्ध सिद्ध हो जाता है उसी तरह कर्मपुद्गल भी अपनी पर्यायसे उस समय मुक्त हो जाते हैं। यों तो सिद्ध स्थान पर रहनेवाली आत्माओंके साथ पुद्गलो या स्कन्धोका संयोग सम्बन्ध होता रहता है, पर उन पुद्गलोकी उनके प्रति कर्मत्व पर्याय नहीं होती, अतः वह बन्ध नहीं कहा जा सकता। अतः जैन परम्परामे आत्मा और कर्मपुद्गलका सम्बन्ध छूट जाना ही मोक्ष है। इस मोक्षमे दोनों द्रव्य अपने निज स्वरूपमे बने रहते हैं, न तो आत्मा दीपककी तरह बुझ जाता है और न कर्मपुद्गलका ही सर्वथा समूल नाश होगा है। दोनोंकी पर्यायान्तर हो जाती है। जीवको शुद्ध दशा ओर पुद्गलकी यथासंभव शुद्ध या अशुद्ध कोई भी अवस्था हो जाती है।

५ संवर-तत्त्व

सवर रोकनेको कहते हैं। सुरसाका नाम संवर है। जिन द्वारोंसे कर्मोंका आस्रव होता था, उन द्वारोंका निरोध कर देना संवर कहलाता है। आस्रव योगसे होता है, अतः योगकी निवृत्ति ही मूलतः संवरके

१. श्लोक पृ० १३९ पर देखो।

२. जीवाद् विश्लेषणं भेद. स तो नाशस्तसंशय." —आप्तप० श्लोक ११५।

पश्पर प्रतिष्ठित हो सकती है। किन्तु मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिकी सर्वथा रोकना संभव नहीं है। सारिरीक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए आहार करना, मलमूत्रका विसर्जन करना, चलना-फिरना, बोलना, रखना, उठाना आदि क्रियाएँ करनी ही पडती हैं। उन जितने अशोभे मन, वचन और कायकी क्रियाओंका निरोध है, उतने अंशको गुप्ति कहते हैं। गुप्ति अर्थात् रक्षा। मन वचन और कायकी अकुशल प्रवृत्तियोंसे रक्षा करना। यह गुप्ति ही संवरणका साक्षात् कारण है। गुप्तिके अतिरिक्त समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परी-वहजय और चारित्र आदिसे भी सबर होता है। समिति आदिमें जितना निवृत्तिका अंश है उनना सबरका कारण होता है और प्रवृत्तिका अंश शुभ बन्धका हेतु होता है।

समिति

समिति अर्थात् सम्यक् प्रवृत्ति, मावधानीसे कार्य करना। समिति पाँच प्रकार की है। ईयाँ समिति-चार हाथ आगे देखकर चलना। भाषा समिति—हित-मित-प्रिय वचन बोलना। एषणा समिति—विधिपूर्वक निर्दोष आहार लेना। आदान-निक्षेपण समिति—देख-शोधकर किसी वस्तुका रखना, उठाना। उत्सर्ग समिति—देख-शोधकर निर्जन्तु स्थानपर मलमूत्रादिका विसर्जन करना।

धर्म

आत्मस्वरूपकी ओर ले जानेवाले और समाजको संघारण करनेवाले विचार और प्रवृत्तियाँ धर्म हैं। धर्म दश हैं। उत्तम क्षमा—क्रोधका त्याग करना। क्रोधके कारण उपस्थित होनेपर वस्तुस्वरूपका विचारकर विवेकजलसे उसे शान्त करना। जो क्षमा कायरताके कारण हो और आत्मामें दीनता उत्पन्न करे वह धर्म नहीं है, वह क्षमाभास है, वृषण है। उत्तम मार्दव—मृदुता, कोमलता, विनयभाव, मानका त्याग। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीर आदिकी किञ्चित् विशिष्टताके कारण आत्मस्वरूपको न भूलना, इनका मद्य न चढ़ने देना। अहंकार दोष है और स्वाभिमान गुण। अहंकारसे दूसरेका तिरस्कार छिपा है और स्वाभिमानमें दूसरेके मानका सम्मान है। उत्तम आज्ञव—ऋजुता, सरलता, मायाचारका त्याग। मन, वचन और कायकी कुटिलताको छोडना। जो मनमें हो, वही वचनमें और तदनुसार ही कायकी चेष्टा हो, जीवन-व्यवहारमें एकरूपता हो। सरलता गुण है और मोदपन दोष। उत्तम शौच—शुचिता, पवित्रता, निर्लोभ वृत्ति, प्रलोभनमें नहो फैलना। लोभ कषायका त्यागकर मनमें पवित्रता लाना। शौच गुण है, परन्तु बाह्य सोला और लोकापय आदिके कारण छूछू करके दूसरोंमें घृणा करना दोष है। उत्तम सत्य—प्रामाणिकता, विश्वास-परिपालन, तथ्य और स्पष्ट भाषण। मद्य बोलना धर्म है, परन्तु परनिन्द्याके अभिप्रायसे दूसरोंके दोषोंका छिडोरा पीटना दोष है। परको बाधा पहुँचानेवाला सत्य भी कभी दोष हो सकता है। उत्तम सयम—इन्द्रिय-विजय और प्राणि-रक्षा। पाँचो इन्द्रियोंकी विषय-प्रवृत्तिपर अकुशल रखना, उनकी निरगल प्रवृत्तिको रोकना, इन्द्रियाँको वशमें करना। प्राणियोंकी रक्षाका ध्यान रखते हुए, क्षान-मान और जीवन-व्यवहारको अहिंसाकी भूमिकापर चलाना। सयम गुण है, पर भाव-शून्य बाह्य क्रियाकाष्ठका अत्यधिक आग्रह दोष है। उत्तम तप—इच्छानिरोध। मनकी आशा और तृष्णाओंको रोककर प्रायश्चित्त, विनय, वैषाकृत्य (सेवा), स्वाध्याय और व्युत्सर्ग (परिग्रहत्याग) की ओर वित्तवृत्तिका मोडना। ध्यान करना भी तप है। उपवास, एकाशन, रससत्य, एकान्तवास, मौन, कायकेश शरीरको सुकुमार न होने देना आदि बाह्य तप है। इच्छानिवृत्ति करके अकिंचन बनारूप तप गुण है और मात्र कायकेश करना, पंचाम्नि तपना, हठयोगकी कठिन क्रियाएँ आदि बालतप है। उत्तम त्याग—दान देना, त्यागकी भूमिकापर जाना। शक्त्यनुसार भूखोंको भोजन, रोमीको औषध, अज्ञाननिवृत्तिके लिए ज्ञानके साधन जुटाना और

प्राणिमात्रको ब्रह्म देना। वेश और समाजके निर्माणके लिए, तन, धन आदिका त्याग। लग्न, पूजा और स्वाति आदिके उद्देश्यसे किया जानेवाला त्याग या दान उत्तम त्याग नहीं है। उत्तम आकिञ्चन्य—अकिञ्चनमात्र, बाह्य पदार्थोंमें ममत्वका त्याग। धन-धान्य आदि बाह्य परिग्रह तथा शरीरमें यह भेरा नहीं है, आत्माका धन तो उसके चैतन्य आदि गुण है, 'नास्ति मे किञ्चन'—मेरा कुछ नहीं, आदि भावनाएँ आकिञ्चन्य हैं। भौतिकतासे हटकर विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करना। उनम ब्रह्मचर्य—ब्रह्म क्षर्त्त आत्मस्वरूपमें विचरण करना। स्त्री-सुखसे विरक्त होकर समस्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियोंको आत्मविकासोन्मुख करना। मनकी सूक्ष्मिके बिना केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य न तो शरीरको ही काम पहुँचाता है और न मन तथा आत्मामे ही पवित्रता लाता है।

अनुपेक्षा

सद्बिचार, उत्तम भावनाएँ और आत्मचिन्तन अनुपेक्षा है। जद्युकी अनिन्यता, अशरणाता, ससारका स्वरूप, आत्माका अकेला ही फल भोगना, देहकी भिन्नता और उसकी अपवित्रता, रागादि भावोंकी हेयता, सवाचारकी उपादेयता, लोकस्वरूपका चिन्तन और बोधिकी दुर्लभता आदिका बार-बार विचार करके चित्तको सुसंस्कारी बनाना, जिससे वह द्वन्द्व दशामे समताभाव रख सके। ये भावनाएँ चित्तको आलवकी ओरसे हटाकर सवरकी तरफ झुकाती हैं।

परीषहजय

साधकको भूख, प्यास, ठंडी, गरमी, डँस, मच्छर, चलने-फिरने-भोने आदिमें ककड, काँटे आदिकी बाधाएँ, बध, आक्रोश और म्ल आदिकी बाधाओंको शान्तिसे सहना चाहिए। तन्य रहकर भी स्त्री आदिको देखकर प्रकृतिस्थ बने रहना, चिरत्नपस्या करनेपर भी यदि ऋद्धि-मिद्धि नहीं होनी तो तपस्याके प्रति-बन्धावर नहीं होना और यदि कोई ऋद्धि प्राप्त हो जाय तो उसका गर्व नहीं करना। किमीके सत्कारना पुरस्कारमें हर्ष और अपमानमें श्लेद नहीं करना, भिक्षा-भोजन करने हुए भी आत्मामें दीनता नहीं आने दे इत्यादि परीषहोंके जयमे चारित्र्यमें दृढनिष्ठा होनी है और कर्मोंका आश्रय एक कर मवर होना है।

चारित्र्य

अहिंसा, सत्य, अर्चय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहका मपूर्ण परिपालन करना पूर्ण चारित्र्य है। चारित्र्यके सामायिक आदि अनेक भेद हैं। सामायिक—समस्त पापक्रियाओंका त्याग और समताभावकी आराधना। छेदोपस्थापना—ब्रतोंमें दूषण लग जानेपर दोषका परिहार कर पुन. ब्रतोंमें स्थिर होना। परिहारविशुद्धि—इस चारित्र्यके चारक ब्यक्तिके शरीरमें इतना हलकापन आ जाता है कि सर्वत्र गमन आदि प्रवृत्तियाँ करनेपर भी उसके शरीरसे जीवोंकी विराधना—हिंसा नहीं होनी। सूक्ष्मगाम्पराय—समस्त क्रोधादिकषायोंका नाश होनेपर बच्चे हुए सूक्ष्म लोभके नाशकी भी तैयारी करना। यथास्थान—समस्त कपायोंके क्षय होनेपर जीवन्मुक्त ब्यक्तिका पूर्ण आत्मस्वरूपमें विचरण करना। इस तरह गुप्ति, समिति, धम, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र्यसे कर्मक्षत्रके आनेके द्वार बन्द हो जाते हैं। यही मवर है।

६. निर्जरा तत्त्व

गुप्ति आदिसे सर्वतः सबूत—सुरक्षित ब्यक्ति आगे आनेवाले कर्मोंको तो रोक ही देना है, साथ ही पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा करके क्रमज मोक्षको प्राप्त करता है। निर्जरा झटनेको कहते हैं। यह दो प्रकार की है—एक औपक्रमिक या अविपाक निर्जरा और दूसरी अनौपक्रमिक या सविपाक निर्जरा। तप आदि

साधनाओंके द्वारा कर्मोंको बलान् उदयमें लाकर बिना फल दिये शब्दा देना अविषाक निर्जरा है। स्वाभाविक क्रमसे प्रतिसमय कर्मोंका फल देकर शब्दते जाना सविपाक निर्जरा है। यह सविपाक निर्जरा प्रतिसमय हर एक प्राणीके हीती हो रहती है। इसमें पुराने कर्मोंकी जगह नूतन कर्म लेते जाते हैं। युक्ति, सौम्य और शासकर तत्परणी अग्निसे कर्मोंको फल देनेके पहले ही भस्म कर देना अविपाक या औपक्रमिक निर्जरा है। 'कर्मोंकी गति टल ही नहीं सकती' यह एकात्म नियम नहीं है। आखिर कर्म हैं क्या ? अपने पुराने संस्कारों ही वस्तुतः कर्म हैं। यदि आत्मानमें पुरुषार्थ है और वह साधना करे, तो क्षणमात्रमें पुरानो बामनाएँ क्षीण हो सकती हैं।

“नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ।”

अर्थात् 'सैकड़ों कल्पकाल बीत जानेपर भी बिना भोगे कर्मोंका नाश नहीं हो सकता।' यह अथ प्रवाहपतित साधारण प्राणियोंको लागू होता है। पर जो आत्मपुरुषार्थी मायक है उनकी ध्यानरूपी अग्नि तो क्षणमात्रमें समस्त कर्मोंको भस्म कर सकती है—

“ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुण्ठते क्षणात् ।”

ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपनी साधनाका इतना बल प्राप्त कर लिया था कि साधु दीक्षा लेते ही उन्हें कैवल्यकी प्राप्ति हो गई थी। पुरानी बामनाओं और राग द्वेष तथा मोहके कुसस्कारोंको नष्ट करनेका एकमात्र मुख्य साधन है— ध्यान—अर्थात् चित्तकी वृत्तिभोका निरोध करके उसे एकाग्र करना।

इस प्रकार भगवान् महावीरने बन्ध (दुःख) बन्धके कारण (आत्म) मोक्ष और मोक्षके कारण (सत्त्व और निर्जरा) इन पाँच तत्त्वोंके माय-ही-साथ उच्च आत्मनस्त्वके ज्ञानकी क्षाम आवश्यकता बनाई जिससे बन्धन और मोक्ष होगा है। इसी तरह उस अजीव तत्त्वके ज्ञानकी भी आवश्यकता है जिससे बंधनक यह जीव अनादिकालसे स्वल्पभ्युत हो रहा है।

मोक्षके साधन

वैदिक मस्कृतिके विचार या तत्त्वज्ञानको मोक्षका साधन माना है जब कि श्रमणसंस्कृति चारित्र्य अर्थात् आचारको मोक्षका साधन स्वीकार करती है। यद्यपि वैदिक संस्कृतिके तत्त्वज्ञानके साथ-ही-साथ वैराग्य और सत्यानकी भी मुक्तिका अङ्ग माना है पर वैराग्यका उपयोग तत्त्वज्ञानकी पुष्टिके किया है अर्थात् वैराग्यसे तत्त्वज्ञान पुष्ट होता है और फिर उससे मुक्ति मिलती है। पर जैन तत्त्वज्ञानके मध्यवर्तनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग । (न० सू० १११) सम्यग्दर्शन, सम्यग्चिन्ता और सम्यक्चारित्र्यको मोक्षका मार्ग बताया है। ऐसा मध्यज्ञान जो सम्यक्चारित्र्यका पोषक भी वैश्वक नहीं है, मोक्षका साधन नहीं होता। जो ज्ञान जीवनमें उतरकर आत्मशोधन करे, वही मोक्षका साधन है। अज्ञानसे अज्ञान शब्दा और ज्ञानका फल चारित्र्य-सुद्धि ही है। ज्ञान छोड़ा भी हो पर यदि वह जीवितसुद्धिके प्रयत्नशील है तो मायक है। अहिंसा सयम और तप साधनाएँ हैं मात्र ज्ञानरूप नहीं है। कोरा ज्ञान और सुद्धि वह आत्मगोचर नहीं करता। तत्त्वोंकी वृद्धि शब्दा अर्थात् सम्यग्दर्शन मोक्षमहलकी पहिली सीढ़ी है। अहिंसा, आशा स्नेह और लोभसे जो शब्दा बल और मिलन हो जाती है वह शब्दा अन्धविश्वासकी सीमामें ही है। जीवन्त शब्दा वह है जिसमें प्राणों तककी बाजी लगाकर तत्त्वको कायम रखा जाता है। उस परम अवगाढ़ वृद्धि निष्ठाको दुनियाका कोई भी प्रलोभन विचलित नहीं कर सकता उसे हिला नहीं सकता। इस ज्योतिष्के जगते ही साधकको अपने लक्ष्यका स्पष्ट दर्शन होने लगता है। ज्ञेय प्रतिक्षण अवधिज्ञान और स्वानुभूति होता है। वः गन्तव्या है कि ज्ञेय आत्म-

२८२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

स्वरूपकी प्राप्तिमें है, न कि शुष्क बाह्य क्रियाकाण्डमें। इसलिये उमकी परिणति एक विलक्षण प्रकार की हो जाती है। आत्मकल्याण, समाजहित, देशनिर्माण और मानवताके उद्धारका स्पष्ट मार्ग उसकी आँसुओंमें झूलता है और वह उसके लिये प्राणोकी बाजी तक लगा देता है। स्वरूपज्ञान और स्वाधिकारकी मर्यादाका ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। और अपने अधिकार और स्वरूपकी सुरक्षाके अनुकूल जीवनव्यवहार बनाना सम्यक्-चारित्र्य है। तात्पर्य यह कि आत्माकी वह परिणति सम्यक्चारित्र्य है जिसमें केवल अपने गुण और पर्यायों तक ही अपना अधिकार माना जाता है और जीवन-व्यवहारमें तदनुकूल ही प्रवृत्ति होती है, दूसरेके अधिकारोंको हड़पनेकी भावना भी नहीं होती। यह व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी स्वावलम्बी चर्या ही परम सम्यक्चारित्र्य है। अतः श्रमणसंस्कृतिने जीवनसाधना अद्विषाके मौलिक समत्वपर प्रतिष्ठित की है, और प्राणिमात्रके अभय और जीवित रहनेका सतत विचार किया है। निष्कर्ष यह है कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे परिपुष्ट सम्यक्चारित्र्य ही मोक्षका साक्षात् साधन होता है।



षट्द्रव्य विवेचन

छह द्रव्य'

द्रव्यका सामान्य लक्षण यह है—जो मौलिक पदार्थ अपनी पर्यायोंको क्रमश प्राप्त हो वह द्रव्य है। द्रव्य उत्पाद, ध्वय और धौम्यसे युक्त होता है। उसके मूल छह भेद हैं—१. जीव, २. पुद्गल, ३ धर्म, ४. अधर्म, ५ आकाश और ६. काल। वे छहो द्रव्य प्रमेय होते हैं।

१. जीव द्रव्य

जीव द्रव्यको, जिसे आत्मा भी कहते हैं, जैनदर्शनमें एक स्वतंत्र मौलिक माना है। उसका सामान्य-लक्षण उपयोग है। उपयोग अर्थात् चैतन्यपरिणति। चैतन्य ही जीवका असाधारण गुण है जिससे वह समस्त जहद्रव्योसे अपना पृथक् अस्तित्व रखता है। बाह्य और आभ्यन्तर कारणोंसे इस चैतन्यके ज्ञान और दर्शन रूपमें दो परिणमन होने हैं। जिस समय चैतन्य 'स्व' से भिन्न किसी ज्ञेयको जानता है उस समय वह 'ज्ञान' कहलाता है और जब चैतन्यमात्र चैतन्याकार रहता है, तब वह 'दर्शन' कहलाता है। जीव असंख्यात् प्रदेशवाला है। चूंकि उसका अनादिकालसे सूक्ष्म कामंण शरीरसे सम्बन्ध है, अतः वह कर्मोदयसे प्राप्त शरीरके आकारके अनुसार छोटे-बड़े आकारको धारण करता है। इसका स्वरूप निम्नलिखित गायामे बहुत स्पष्ट बताया गया है—

“जीवो उवओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो ।
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्सओद्धगई ॥”

—द्रव्यसग्रह भाषा २

अर्थात्—जीव उपयोगरूप है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेहपरिमाण है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है और स्वभावसे ऊर्ध्वगमन करनेवाला है।

यद्यपि जीवमें रूप, रस, गंध और स्पर्श ये चार पुद्गलके धर्म नहीं पाये जाते, इसलिए वह स्वभावसे अमूर्तिक है। फिर भी प्रदेशोंमें सकोच और विस्तार होनेसे वह अपने छोटे-बड़े शरीरके परिमाण हो जाता है। आत्माके आकारके विषयमें भारतीय दर्शनोंमें मुख्यतया तीन मत पाये जाते हैं।^३ उपनिषद्में आत्माके सर्वगत और व्यापक होनेका जहाँ उल्लेख मिलता है, वहाँ उसके अणुष्ठमान तथा अणुरूप होनेका भी कथन है।

१. “अपरिचलमहान्गुप्यायव्यधुवत्तसंजुत ।

गुणवं च सपञ्चार्यं जं त दम्बं ति बुच्चति ॥३॥” —प्रवचनसार ।

“दवियदि गच्छदि ताहं ताहं सम्भावपञ्जयाह ।” —पंचा० गा० ९ ।

२. “उपयोगो लक्षणम्” —तत्त्वार्थसूच २।८ ।

३. “सर्वव्यापिनमात्मानम् ।” —स्वे० १।१६ ।

४. “अणुष्ठमान पुरुषः” —स्वे० ३।१३ । कठो० ४।१२ ।

“अणीयान् भीहेर्वा यवाद्वा” —छान्दो० ३।१४।३ ।

व्यापक आत्मवाद

वैदिक दर्शनोंमें प्रायः आत्माको अमूर्त और व्यापी स्वीकार किया है। व्यापक होनेपर भी शरीर और मनके सम्बन्धसे शरीरावच्छिन्न (शरीरके भीतरके) आत्मप्रदेशमें ज्ञानादि विशेष गुणोंकी उत्पत्ति होती है। अमूर्त होनेके कारण आत्मा निष्क्रिय भी है। उसमें गति नहीं होती। शरीर और मन चकता है, और अपनेसे सम्बद्ध आत्मप्रदेशमें ज्ञानादिकी अनुभूतिका संचन बनता जाता है।

इस व्यापक आत्मवादमें मस्से कडा प्रश्न यह है कि—एक अखण्ड द्रव्य कुछ भागमें सगुण और कुछ भागमें निर्गुण कैसे रह सकता है? फिर जब सब आत्माओंका सम्बन्ध सबके शरीरोंके साथ है, तब अपने-अपने सुख, दुःख और भोगका नियम बनना कठिन है। अदृष्ट भी नियामक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येकके अदृष्टका सम्बन्ध उसकी आत्माकी तरह अन्य शेष आत्माओंके साथ भी है। शरीरसे बाहर अपनी आत्माकी सत्ता सिद्ध करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। व्यापक-पक्षमें एकके भोजन करनेपर दूसरेकी तृप्ति होनी चाहिए, और इस तरह समस्त व्यवहारोंका मार्क्य हो जायगा। मन और शरीरके सम्बन्धकी विभिन्नतासे व्यवस्था बैठाना भी कठिन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें संसार और मोक्षकी व्यवस्थाएँ ही चीपट हो जाती हैं। यह सर्वसम्मत नियम है कि जहाँ गुण पाये जाते हैं, वहाँ उसके आधारभूत द्रव्यका सद्भाव माना जाता है। गुणोंके क्षेत्रसे गुणोंका क्षेत्र न तो बड़ा होता है, और न छोटा ही। सर्वत्र आकृतिमें गुणोंके बराबर ही गुण होते हैं। अब यदि हम विचार करने हैं तो जब ज्ञानदर्शनादि आत्माके गुण हमें शरीरके बाहर उपलब्ध नहीं होने तब गुणोंके बिना गुणोंका सद्भाव शरीरके बाहर कैसे माना जा सकता है?

अणु आत्मवाद

इसी तरह आत्माको अणुरूप माननेपर, अणुमें काँटा चुभनेसे सारे शरीरके आत्मप्रदेशोंमें कम्पन और दुःखका अनुभव होना असम्भव हो जाता है। अणुरूप आत्माकी सारे शरीरमें अतिशीघ्र गति माननेपर भी इस लक्षका उचित समाधान नहीं होता, क्योंकि क्रम अनुभवमें नहीं आता। जिस समय अणु आत्माका चक्षुके साथ सम्बन्ध होता है, उस समय भिन्नक्षेत्रवर्ती रसना आदि इन्द्रियोंके साथ युगपत् सम्बन्ध होना असम्भव है। किन्तु नीचुको आँखसे देखते ही त्रिह्वा इन्द्रियमें पानीका जाना यह सिद्ध करता है कि दोनों इन्द्रियोंके प्रदेशोंसे आत्मा युगपत् सम्बन्ध रखता है। सिरसे लेकर पैर तक अणुरूप आत्माके चक्कर लगानेमें कालत्रेय होना स्वाभाविक है जो कि सर्वांगीण रोमाञ्चवादि कार्यसे ज्ञात होनेवाली युगपत् सुखानुभूतिके विषय है। यही कारण है कि जैनदर्शनमें आत्माके प्रदेशोंमें संकोच और विस्तारकी शक्ति मानकर उसे शरीरपरिमाणवाला स्वीकार किया है। एक ही प्रश्न इस सम्बन्धमें उठता है कि—'अमूर्तिक आत्मा कैसे छोटे-बड़े शरीरमें भरा रह सकता है, उसे तो व्यापक ही होना चाहिए या फिर अणुरूप?' किन्तु जब अनादिकालसे इस आत्मानमें पौद्गलिक कर्मोंका सम्बन्ध है, तब उसके शूद्ध स्वभावका आश्रय लेकर किये जानेवाले तर्क कहाँ तक सगत है? 'इस प्रकारका एक अमूर्तिक द्रव्य है जिसमें कि स्वभावसे संकोच और विस्तार होता है।' यह माननेमें युक्तिका बल अधिक है; क्योंकि हमें अपने ज्ञान और सुखादि गुणोंका अनुभव अपने शरीरके भीतर ही होता है।

भूत-चैतन्यवाद

शार्वाक पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इस भूतचतुष्टयके विशिष्ट रासायनिक मिश्रणसे शरीरकी उत्पत्तिकी तरह आत्माकी भी उत्पत्ति मानते हैं। जिस प्रकार महुआ आदि पदार्थोंके सङ्घानेसे शराब बनती है और उसमें मादक शक्ति स्वयं आ जाती है उसी तरह भूतचतुष्टयके विशिष्ट संयोगसे चैतन्य शक्ति भी

उत्पन्न हो जाती है। अतः चैतन्य आत्माका धर्म न होकर शरीरका ही धर्म है और इसलिए जीवकी धारा धर्मसे लेकर मरणपर्यन्त ही चलती है। मरण-कालमें शरीरयन्त्रमें विकृति आ जानेसे जीवन-शक्ति समाप्त हो जाती है। यह देहात्मवाद बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित है और इसका उल्लेख उपनिषद्में भी देखा जाता है।

देहसे मिल्न आत्माकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए 'अहम्' प्रत्यय ही सबसे बड़ा प्रमाण है, जो 'अहं' सुखी, अहं दुःखी' आदिके रूपमें प्रत्येक प्राणीके अनुभवमें आता है। मनुष्योंके अपने-अपने जन्मान्तरीय संस्कार होते हैं, जिनके अनुसार वे इस जन्ममें अपना विकास करते हैं। जन्मान्तरस्मरणकी अनेकों घटनाएँ सुनी गई हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि इस वर्तमान शरीरको छोड़कर आत्मा नये शरीरको धारण करता है। यह ठीक है कि—इस कर्मपरतंत्र आत्माकी स्थिति बहुत कुछ शरीर और शरीरके अवयवोंके कधीन हो रही है। मस्तिष्कके किसी रोगसे विकृत हो जानेपर समस्त अजित ज्ञान विस्मृतिके गर्भमें चला जाता है। रक्तचापकी कमी-बेशी होनेपर उसका हृदयकी गति और मनोभावोंके ऊपर प्रभाव पड़ता है।

आधुनिक भूतवाद्यियोंमें भी थाइराइड और पिच्युयेटरी (Thyroid and Pituitary) ग्रन्थियोंसे उत्पन्न होनेवाले हार्मोन (Hormone) नामक द्रव्यके कम हो जानेपर जानादिगुणोंमें कमी आ जाती है, यह सिद्ध किया है। किन्तु यह सब देहपरिमाणवाले स्वतन्त्र आत्मतत्त्वके माननेपर ही संभव हो सकता है; क्योंकि संसारी दक्षामें आत्मा इनका परतन्त्र है कि उसके अपने निजी गुणोंका विकास भी बिना इन्द्रियादिके सहारे नहीं हो पाता। ये भौतिक द्रव्य उसके गुणविकासमें उसी तरह सहारा देते हैं, जैसे कि शरीरसे देखनेवाले पुरुषको देखनेमें झरोखा सहारा देता है। 'कहीं-कहीं जैन ग्रन्थोंमें जीवके स्वरूपका वर्णन करते समय पुद्गल विशेषण भी दिया है, यह एक नई बात है। वस्तुतः वहाँ उसका तात्पर्य इतना ही है कि जीवका वर्तमान विकास और जीवन जिन आहार, शरीर, इन्द्रिय, भावा और मन पर्याप्तियोंके सहारे होता है वे सब पुद्गलिक हैं। इस तरह निमित्तकी दृष्टिसे उसमें 'पुद्गल' विशेषण दिया गया है, स्वरूपको दृष्टिसे नहीं। आत्मवादके प्रसंगमें जैनदर्शनका उसे शरीररूप न मानकर पुद्गल द्रव्य स्वीकार करके भी शरीरपरिमाण मानना अपनी अनोखी सूझ है और इससे भौतिकवादियोंके द्वारा दिये जानेवाले आक्षेपोंका निराकरण हो जाता है।

इच्छा आदि स्वतन्त्र आत्माके धर्म है

इच्छा, सकल्पशक्ति और भावनाएँ केवल भौतिक मस्तिष्ककी उपज नहीं कही जा सकती, क्योंकि किसी भी भौतिक यन्त्रमें स्वयं चलने, अपने आपको टूटनेपर सुधारने और अपन सजातीयको उत्पन्न करनेकी क्षमता नहीं देखी जाती। अवस्थाके अनुसार बढ़ना, घावका अपने आप भर जाना, जीर्ण हो जाना इत्यादि ऐसे धर्म हैं, जिनका समाधान केवल भौतिकतासे नहीं हो सकता। हजारों प्रकारके छोटे-बड़े बन्नों का आबिष्कार, जगतके विभिन्न कार्य-कारणभावोंका स्थिर करना, गणितके आधारपर ज्योतिषविद्याका विकास, मनोरम कल्पनाओंसे साहित्याकाशको रंग-बिरंगा करना आदि बातें, एक स्वयं समर्थ, स्वयं चैतन्य-शाली द्रव्यका ही कार्य हो सकती हैं। प्रश्न उसके व्यापक, अणु-परिमाण या मध्यम परिमाणका हमारे सामने है। अनुभव-सिद्ध कार्यकारणभाव हमें उसे संकोच और विस्तार-स्वभाववाला स्वभावतः अमूर्तिक द्रव्य मानने को प्रेरित करता है। किसी असंयुक्त अलम्ब द्रव्यके गुणोंका विकास नियत प्रदेशोंमें नहीं हो सकता।

१. "जीवो कृता य वत्ता य पाथी भोत्ता य पोत्ताको ।"

२८६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

यह प्रश्न किया जा सकता है कि जिस प्रकार आत्माको शरीरपरिमाण माननेपर भी देखनेकी शक्ति बर्णनमें रहनेवाले आत्मप्रदेशोंमें ही मानी जाती है और सूँघनेकी शक्ति नाकमें रहनेवाले आत्मप्रदेशोंमें ही, उसी तरह आत्माको व्यापक मान करके शरीरान्तर्गत आत्मप्रदेशोंमें ज्ञानादि गुणोका विकास माना जा सकता है ? परन्तु शरीरप्रमाण आत्मामें देखने और सूँघनेकी शक्ति केवल उन-उन आत्मप्रदेशोंमें ही नहीं मानी गई है, अपितु सम्पूर्ण आत्मामें। वह आत्मा अपने पूर्ण शरीरमें सक्रिय रहता है, अतः वह उन-उन बधु, नाक आदि उपकरणोंके आरोहोसे रूप और गंध आदिका परिज्ञान करता है। अपनी वासनाओं और कर्म-संस्कारोंके कारण उसकी अनन्त शक्ति इसी प्रकार छिन्न-विच्छिन्न रूपसे प्रकट होती है। जब कर्मवासनाओं और सूक्ष्म कर्मशरीरका संपर्क छूट जाता है, तब यह अपने अनन्त चैतन्य स्वरूपमें लीन हो जाता है। उस समय इसके आत्मप्रदेश अन्तिम समयके आकार रह जाते हैं; क्योंकि उनके फँलने और सिकुड़नेका कारण जो कर्म था, वह नष्ट हो चुका है; इसलिए उनका अन्तिम शरीरके आकार रह जाना स्वाभाविक ही है।

संसार अवस्थामें उसकी इतनी परनत्र दशा हो गई है कि वह अपनी किसी भी शक्तिका विकास बिना शरीर और इन्द्रियोंके सहारे नहीं कर सकता है। और तो जाने दीजिए, यदि उपकरण नष्ट हो जाता है, तो वह अपनी जाग्रत शक्तिको भी उपयोगमें नहीं ला सकता। देखना, सूँघना, चलना, मुनना और स्पर्श करना ये क्रियायें जैसे इन्द्रियोंके बिना नहीं हो सकती, उसी प्रकार विचारना, संकल्प और इच्छा आदि भी बिना मनके नहीं हो पाते; और मनकी गति विधि समग्र शरीर-ग्रन्थके चालू रहनेपर निर्भर करती है। इसी अत्यन्त परनिर्भरताके कारण जगत्के अनेक विचारक इसकी स्वतंत्र मत्ता माननेको भी प्रस्तुत नहीं है। वर्तमान शरीरके नष्ट होते ही जीवनभारका उपाजित ज्ञान, कला-कौशल और चिरभावि भावनाएँ सब अपने स्थूलरूपमें समाप्त हो जाती हैं। इनके अतिमूढ संस्कार-बीज ही शेष रह जाते हैं। अतः प्रतीति, अनुभव और युक्ति हमें सहज ही इस नतीजेपर पहुँचा देती है, कि आत्मा केवल भूतचतुष्टयमय नहीं है, किन्तु उनसे भिन्न, पर उनके सहारे अपनी शक्तिको विकसित करनेवाला, स्वतंत्र, अलग और अमूर्तिक पदार्थ है। इसकी आनन्द और सोन्दर्यानुभूति स्वयं इसके स्वतंत्र अस्तित्वके खाते प्रमाण है। राग और द्वेषका होना तथा उनके कारण हिंसा आदिके आरम्भमें जुट जाना भौतिकयत्रका काम नहीं हो सकता। कोई भी यन्त्र अपने आप चले, स्वयं बिगड़ जाय और बिगड़ने पर अपनी मरम्मत भी स्वयं कर ले, स्वयं प्रेरणा ले, और समझ-बूझकर चले, यह असंभव है।

कर्त्ता और भोक्ता

आत्मा स्वयं कर्मोंका कर्त्ता है और उनके फलोंका भोक्ता है। साध्यकी तरह वह अकर्त्ता और अपरिणामी नहीं है और न प्रकृतिके द्वारा किये गए कर्मोंका भोक्ता ही। इस सर्वदा परिणामी जगत्में प्रत्येक पदार्थका परिणामन-वक्र प्राप्त सामग्रीसे प्रभावित होकर और अन्यको प्रभावित करके प्रतिक्षण चल रहा है। आत्माकी कोई भी क्रिया, चाहे वह मनसे विचारात्मक हो, या वचनव्यवहाररूप हो, या शरीरकी प्रवृत्तिरूप हो, अपने कार्मण शरीरमें और आसपासके वातावरणमें निश्चित असर डालती है। आज यह वस्तु सूक्ष्म कैमरा यन्त्रसे प्रमाणित की जा चुकी है। जिस कुर्सीपर एक व्यक्ति बैठता है, उस व्यक्तिके उठ जानेके बाद अमुक समय तक वहाँके वातावरणमें उस व्यक्तिका प्रतिबिम्ब कैमरसे लिया गया है। विभिन्न प्रकारके विचारों और भावनाओंकी प्रतिनिधिभूत रेखाएँ मस्तिष्कमें पड़ती हैं। यह भी प्रयोगसे सिद्ध किया जा चुका है।

चैतन्य इन्द्रियोंका धर्म भी नहीं हो सकता; क्योंकि इन्द्रियोंके बने रहनेपर चैतन्य नष्ट हो जाता है। यदि प्रत्येक इन्द्रियका धर्म चैतन्य माना जाता है; तो एक इन्द्रियके द्वारा जाने गये पदार्थका इन्द्रियान्तरे

अनुसन्धान नहीं होना चाहिए। पर इसलीको या आमकी फाँकको देखते ही जीभमें पानी आ जाता है। अतः ज्ञात होता है कि आँख और जीभ आदि इन्द्रियोका प्रयोगता कोई पृथक् सूत्र-संचालक है। जिस प्रकार शरीर अचेतन है उसी तरह इन्द्रियाँ भी अचेतन हैं, अतः अचेतनसे चैतन्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि हो; तो उसके रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदिका अन्वय चैतन्यमें उसी तरह होना चाहिए, जैसे कि मिट्टीके रूपादि-का अन्वय मिट्टीसे उत्पन्न षडेमें होता है।

दुरन्त उत्पन्न हुए बालकमें दूध पीने आदिकी चेष्टाएँ उसके पूर्वभवके संस्कारो को सूचित करती हैं। कहा भी है—

“तदहर्जस्तनेहातो रक्षोदृष्टेः भवस्मृतेः।
भूतानन्वयनात् सिद्धः प्रकृतिज्ञः सनातनः ॥”

—उद्धृत, प्रमेयरत्नमाला ४/८।

अर्थात्—तत्काल उत्पन्न हुए बालककी स्तनपानकी चेष्टासे, भूत, राक्षस आदिके सद्भावसे, परलोक-के स्मरणसे और भौतिक रूपादि गुणोंका चैतन्यमें अन्वय न होनेसे एक अनादि अनन्त आत्मा पृथक् द्रव्य सिद्ध होता है, जो सबका ज्ञाता है।

रागादि वातपित्तादिके धर्म नहीं

राग, द्वेष, क्रोध आदि विकार भी चैतन्यके ही होते हैं। वे वात, पित्त और कफ आदि भौतिक द्रव्योंके धर्म नहीं हैं, क्योंकि वातप्रकृतिवालेके भी पित्तजन्य द्वेष और पित्तप्रकृतिवालेके भी कफजन्य राग और कफ-प्रकृतिवालेके भी वातजन्य मोह आदि देखे जाते हैं। वातादिकी वृद्धिमें रागादिकी वृद्धि नहीं देखी जाती, अतः इन्हें वात, पित्त आदिका धर्म नहीं माना जा सकता। यदि ये रागादि वातादिजन्य हो तो सभी वातादि-प्रकृतिवालोंके समान रागादि होने चाहिये। पर ऐसा नहीं देखा जाता। फिर वैराग्य, क्षमा और शान्ति आदि प्रतिपक्षी भावनाओंसे रागादिका क्षय नहीं होना चाहिये।

विचार वातावरण बनाते हैं

इस तरह जब आत्मा और भौतिक पदार्थोंका स्वभाव ही प्रतिक्षण परिणमन करनेका है और वातावरणके अनुसार प्रभावित होनेका तथा वातावरणको भी प्रभावित करनेका है; तब इस बातके सिद्ध करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं रहती कि हमारे अमूर्त व्यापारोंका भौतिक जगत्पर क्या असर पड़ता है? हमारा छोटे-से छोटा शब्द ईश्वरकी तरंगोंमें अपने वेगके अनुसार, गहूरा या उभला कम्पन पैदा करता है। यह क्षणक्षणाहृत रेडियो-यन्त्रोंके द्वारा कानोंसे सुनी जा सकती है। और जहाँ प्रेषक रेडियो-यन्त्र मौजूद हैं, वहाँसे तो यथेच्छ शब्दोंको निश्चित स्थानोंपर भेजा जा सकता है। ये संस्कार वातावरणपर सूक्ष्म और स्थूल रूपमें बहुत कालतक बने रहते हैं। कालकी गति उन्हें धुँधला और नष्ट करती है। इसी तरह जब आत्मा कोई अच्छा या बुरा विचार करता है, तो उसकी इस क्रियासे आस-पासके वातावरणमें एक प्रकारकी सरुबली मच जाती है, और उन विचारकी शक्तिके अनुसार वातावरणमें क्रिया-प्रतिक्रिया होती है। जगत्के कल्याण और मंगल-कामनाके विचार चित्तको हलका और प्रसन्न रखते हैं। वे प्रकाशरूप होते हैं और उनके संस्कार वातावरणपर एक रोशनी डालने हैं, तथा अपने अनुस्यूत पदगल परमाणुओंको अपने शरीरके भीतरसे ही, या शरीरके बाहरसे खींच लेते हैं। उन विचारोंके संस्कारोंसे प्रभावित उन पदगल द्रव्योंका सम्बन्ध अमृक काल-

तक उस आत्माके साथ बना रहता है। इनके परिपाकसे आत्मा कालान्तरमें अच्छे और बुरे अनुभव और प्रेरणाओंको पाता है। जो पुद्गल द्रव्य एक बार किन्हीं विचारोंसे प्रभावित होकर खिचा या बँधा है, उसमें भी कालान्तरमें दूसरे-दूसरे विचारोंसे बराबर हेरफेर होता रहता है। अन्तमें जिस-जिस प्रकारके जितने संस्कार बचे रहने हैं; उस-उस प्रकारका वातावरण उस व्यक्तिको उपस्थित हो जाता है।

वातावरण और आत्मा इतने सूक्ष्म प्रतिबिम्बग्राही होते हैं कि ज्ञात या अज्ञात भावसे होनेवाले प्रत्येक स्पन्दनके संस्कारोंको वे प्रतिक्षण ग्रहण करते रहते हैं। इस परस्पर प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेकी क्रियाको हम 'प्रभाव' शब्दसे कहते हैं। हमें अपने समान स्वभाववाले व्यक्तिको देखते ही क्यों प्रमत्तता होती है? और क्यों अज्ञानक किसी व्यक्तिको देखकर जी घृणा और क्रोधके भावोंसे भर जाता है? इसका कारण चित्तकी वह प्रतिबिम्बग्राहिणी सूक्ष्म शक्ति है, जो आँसुकी दूरबीनसे शरीरकी स्थूल दीवारको पार करके सामने-वालेके मनोभावोंका बहुत कुछ आभास पा लेती है। इसीलिए तो एक प्रेमीने अपने मित्रके इस प्रश्नके उत्तरमें कि "तुम मुझे कितना चाहते हो?" कहा था कि "अपने हृदयमें देख लो।" कविश्रेष्ठ कालिदास तथा विश्वकवि टैगोरने प्रेमकी व्याख्या इन शब्दोंमें की है कि जिसको देखते ही हृदय किसी अनिर्बन्धीय भावोंसे बहने लगे वही प्रेम है और सौदर्य वह है जिसको देखते ही आँखें और हृदय कहने लगे कि 'न जाने तुम क्यों मुझे अच्छे लगते हो?' इसीलिए प्रेम और सौदर्यकी भावनाओंके कम्पन एकाकार होकर भी उनके बाह्य आपार परस्पर इतने भिन्न होते हैं कि स्थूल विचारमें उनका विश्लेषण कठिन हो जाता है। तात्पर्य यह कि प्रभावका परस्पर आदान-प्रदान प्रतिक्षण चालू है। इसमें देश, काल और आकारका भेद भी व्यवधान नहीं दे सकता। परदेशमें गये पतिके ऊपर आपत्ति आनेपर पतिपरायणा नारीका सहसा अनमना हो जाना इसी प्रभावसूचके कारण होता है।

इसीलिए जगत्के महापुरुषोंने प्रत्येक भयको एक ही बात कही है कि 'अच्छा वातावरण बनाओ, मंगलमय भावोंको चारों ओर बिखरो।' किसी प्रभावशाली योगीके अचिन्त्य प्रेम और आईंसाकी विश्ववैशी रूप सजीवन धारासे आसपासकी वनस्पतियोंका असमयमें पुष्पित हो जाना और जातिविरोधी साप-नेवला आदि प्राणियोंका अपना साधारण बैर भूलकर उनके अमृतपूत वातावरणमें परस्पर मैत्रीके क्षणोंका अनुभव करना कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है, यह तो प्रभावकी अचिन्त्य शक्तिका साधारण स्फुरण है।

जैसी करनी वैसी भरनी

निष्कर्ष यह है कि आत्मा अपनी मन, वचन और कायकी क्रियाओंके द्वारा वातावरणसे उन पुद्गल परमाणुओंको खींच लेता है, या प्रभावित करके कर्मरूप बना देता है, जिनके सम्पर्कमें आते ही वह फिर उसी प्रकारके भावोंको प्राप्त होता है। कल्पना कीजिए कि एक निर्जन स्थानमें किसी हत्यारेने दुष्टदृष्टिसे किसी निर्दोष व्यक्तिको हत्या की। मरने समय उसने जो शब्द कहे और चेष्टाएँ की वे यद्यपि किसी दूसरेने नहीं देखीं, फिर भी हत्यारंके मन और उस स्थानके वातावरणमें उनके फोटो बराबर अंकित हुए हैं। जब कभी भी वह हत्यारा शान्तिके क्षणोंमें बैठता है, तो उसके चित्तपर पडा हुआ वह प्रतिबिम्ब उसकी आँसुके सामने झुलता है, और वे शब्द उसके कानोंसे टकराते हैं। वह उस स्थानमें जानेंसे घबड़ाता है और स्वयं अपनेमें परेधान होता है। इसीको कहते हैं कि 'पाप सिरपर चढ़कर बोलता है।' इससे यह बात स्पष्ट सशक्तमें आ जाती है कि हर पदार्थ एक कैमरा है, जो दूसरेके प्रभावको स्थूल या सूक्ष्म रूपसे ग्रहण करता रहता है; और उन्हीं प्रभावोंकी औसतसे चित्र-विचित्र वातावरण और अनेक प्रकारके अच्छे-बुरे मनोभावोंका सृजन होता है। यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि हर पदार्थ अपने सजातीयमें घुल-मिल जाता है, और विजातीयसे संपर्क

करता है। जहाँ हमारे विचारोंके अनुकूल वातावरण होता है, यानी दूसरे लोग भी करीब-करीब हमारी विचार-बाराके होने हैं वहाँ हमारा चित्त उनमें रच-पच जाता है, किन्तु प्रतिकूल वातावरणमें चित्तको आकुलता-व्याकुलता होती है। हर चित्त इतनी पहचान रखना है। उसे भुलावेमें नहीं डाला जा सकता। यदि तुम्हारे चित्तमें दूसरेके प्रति घृणा है, तो तुम्हारा बेहूरा, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी चेष्टाएँ सामनेवाले व्यक्तिमें सद्भावका सञ्चार नहीं कर सकती और वातावरणको निर्मल नहीं बना सकती। इसके फलस्वरूप तुम्हें भी घृणा और तिरस्कार ही प्राप्त होता है। इसे कहते हैं—'जैसी करनी तैसी मरनी।'

हृदयसे अहिंसा और सद्भावनाका समूह कोई महात्मा अहिंसाका अमून लिये क्यों झूझार और बर्बरोके बीच छाली खोलकर चला जाता है? उसे इस सिद्धान्तपर विश्वास रहता है कि जब हमारे मनमें इनके प्रति लेशमात्र दुर्भाव नहीं है और हम इन्हें प्रेमका अमून पिलाना चाहते हैं तो ये कब तक हमारे सद्भावको टुक-रायेंगे। उसका महात्मत्व यही है कि वह सामनेवाले व्यक्तिके लगातार अनादर करनेपर भी सच्चे हृदयसे सदा उमकी हिन-चिन्तना ही करता है। हम सब ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ चारों ओर हमारे भीतर-बाहरके प्रभावको ग्रहण करनेवाले कीमरे लगे हैं, और हमारी प्रत्येक क्रियाका लेसा-जोसा प्रकृतिकी उस महावहीमें अंकित होता जाता है, जिसका हिसाब-किताब हमें हर समय भुगतना पड़ता है। वह भुगतान कभी गल्फाल हो जाता है और कभी कालान्तरमें। पापकर्मा ध्यनित स्वय अपनमें शक्ति रहना है, और अपने ही मनोभावसे परेशान रहना है। उसकी यह परेशानी ही बाहरी वातावरणसे उसकी इष्टसिद्धि नहीं करा पाती।

चार व्यक्ति एक ही प्रकारके व्यापारमें जुटते हैं, पर चारोंको अलग-अलग प्रकारका जो नफा-नुकसान होता है, वह अकारण ही नहीं है। कुछ पुराने और कुछ तत्कालीन भाव वातावरणका विचोड उन-उन व्यक्तियोके मफल, अमफल या अर्धसफल होनेमें कारण पड जाते हैं। पुरुषकी बुद्धिमानी और पुरुषार्थ यही है कि वह सद्भाव और प्रशस्त वातावरणका निर्माण करे। इसीके कारण वह जिनके सम्पर्कमें आता है उनकी सदबुद्धि और हृदयकी रक्षानको अपनी ओर खींच लेता है, जिनका परिणाम होता है—उसकी लौकिक कार्योंकी सिद्धिमें अनुकूलता मिलना। एक व्यक्तिके सदाचरण और सद्विचारोंकी शोहरत जब चारों ओर फैली है, तो वह अहाँ जाता है, जादर पाता है, उसे मन्मान मिलता और ऐसा वातावरण प्रस्तुत होता है, जिससे उसे अनुकूलता ही अनुकूलता प्राप्त होती जाती है। इस वातावरणसे जो बाह्य विभूति या अन्य सामग्रीका लाभ हुआ है उसमें यद्यपि परम्परासे व्यक्तिके पुराने संस्कारोंने काम लिया है; पर सीधे उन संस्कारोंने उन पदार्थोंको नहीं खींचा है। हाँ, उन पदार्थोंके जुटने और जुटानेमें पुराने संस्कार और उनके प्रतिनिधि पुद्गल द्रव्यके विपाकने वातावरण अवश्य बनाया है। उससे उन-उन पदार्थोंका संयोग और वियोग रहना है। यह तो बलाबलकी बात है। मनुष्य अपनी क्रियाओंसे जिनने गहरे या उचले संस्कार और प्रभाव, वातावरण और अपनी आत्मपर डालना है उसीके तारतम्यसे मनुष्योके इष्टानिष्टका चक्र चलता है। तत्काल किसी कार्यका ठीक कार्यकारणभाव हमारी ममज्ञने न भी आये, पर कोई भी कार्य अकारण नहीं हो सकता, यह एक अटल सिद्धान्त है। डगी तरह जीवन और मरणके क्रममें भी कुछ हमारे पुराने संस्कार और कुछ संस्कारप्रेरित प्रवृत्तियाँ तथा इह्लोकका जीवन-व्यापार सब मिश्रकर कारण बनते हैं।

नूतन शरीर धारणकी प्रक्रिया

जब कोई भी प्राणी अपने पूर्व शरीरको छोडता है, तो उसके जीवन भरके विचारों, बचन-व्यवहारों और शरीरकी क्रियाओंसे जिस-जिस प्रकारके संस्कार आत्मपर और आत्मासे चिरसंयुक्त कार्यण-शरीरपर

पके हैं, अर्थात् कामर्ण-शरीरके साथ उन संस्कारोके प्रतिनिधिभूत पुद्गल ब्रह्मोका जिस प्रकारके रूप, रस, रन्ध और स्पर्शादि परिणमनोसे युक्त होकर सम्बन्ध हुआ है, कुछ उसी प्रकारके अनुकूल परिणमनवाली परिस्थितिमें यह आत्मा नूतन जन्म ग्रहण करनेका अवसर खोज लेता है और वह पुराने शरीरके नष्ट होते ही अपने सूक्ष्म कामर्ण शरीरके साथ उस स्वान तक पहुँच जाता है। इस क्रियामें प्राणीके शरीर छोड़नेके समयके भाव और प्रेरणाएँ बहुत कुछ काम करती हैं। इसीलिए जैन परम्परामें समाधिमरणको जीवनकी अन्तिम परीक्षाका समय कहा है; क्योंकि एक बार नया शरीर धारण करनेके बाद उस शरीरकी स्थिति तक लगभग एक जैसी परिस्थितियाँ बनी रहनेकी सम्भावना रहती है। मरणकालकी इस उत्क्रान्तिको सम्हाल लेनेपर प्राप्त परिस्थितियोंके अनुसार बहुत कुछ पुराने संस्कार और बँधे हुए कर्मोंमें हीनाधिकता होनेकी सम्भावना भी उत्पन्न हो जाती है।

जैन शास्त्रोंमें एक मारणान्तिक समुद्घात नामकी क्रियाका वर्णन आता है। इस क्रियामें मरणकालके पहले इस आत्माके कुछ प्रदेश अपने वर्तमान शरीरको छोड़कर भी बाहर निकलने हैं और अपने अगले जन्मके योग्य क्षेत्रको स्पर्शकर बापिम आ जाते हैं। इन प्रदेशके साथ कामर्ण शरीर भी जाता है और उसमें जिस प्रकारके रूप, रस, गंध और स्पर्शादिके परिणमनोका तारतम्य है, उस प्रकारके अनुकूल क्षेत्रकी ओर ही उसका झुकाव होता है। जिसके जीवनमें मदा धर्म और मदाचारकी परम्परा रही है, उसके कामर्ण शरीरमें प्रकाशमय, लघु और स्वच्छ परमाणुओंकी बहुलता होती है। इसलिए उसका गमन लघु होनेके कारण स्वभावतः प्रकाशमय लोककी ओर होता है। और जिसके जीवनमें हत्या, पाप, छल, प्रपञ्च, माया, मूर्च्छा आदिके काले, गुरु और मूले परमाणुओंका सम्बन्ध विशेषरूपसे हुआ है, वह स्वभावतः अन्धकार-लोककी ओर नीचेकी तरफ जाता है। यही बात साख्य शास्त्रोंमें—

“धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्तात् भवत्यधर्मेण ।”

—साख्यका० ४४ ।

इस वाक्यके द्वारा कही गई है। तात्पर्य यह है कि आत्मा परिणामी होनेके कारण प्रतिसमय अपनी मन, बचन और कायकी क्रियाओंसे उन-उन प्रकारके शुभ और अशुभ संस्कारोंमें स्वयं परिणत होता जाता है, और वातावरणको भी उसी प्रकारसे प्रभावित करना है। ये आत्मसंस्कार अपने पूर्वबद्ध कामर्ण शरीरमें कुछ नये कर्मपरमाणुओंका सम्बन्ध करा देते हैं, जिनके परिपाकसे वे संस्कार आत्मामें अच्छे या बुरे भाव पैदा करते हैं। आत्मा स्वयं उन संस्कारोका कर्ता है और स्वयं ही उनके फलका भोक्ता है। जब यह अपने मूल स्वरूपकी ओर वृष्टि फेरता है, तब इस स्वरूपदर्शनके द्वारा धीरे-धीरे पुराने कुसंस्कारोको काटकर स्वरूपस्थितिरूप मुक्ति पा लेता है। कर्मो-कर्मो किन्ही विशेष आत्माओंमें स्वल्पज्ञानकी इतनी तीव्र ज्योति बग जाती है, कि उसके महाप्रकाशमें कुसंस्कारोका पिण्ड क्षणभरमें ही विलीन हो जाता है और वह आत्मा इस शरीरको धारण किये हुए भी पूर्ण वीतराग और पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। यह जीबन्मुक्त अवस्था है। इस अवस्थामें आत्मगुणोंके घातक संस्कारोका समूल नाश हो जाता है। मात्र शरीरको धारण करनेमें कारण-भूत कुछ अघातियाँ संस्कार शेष रहने हैं, जो शरीरके साथ ममाप्य हो जाते हैं; तब यह आत्मा पूर्णरूपसे सिद्ध होकर अपने स्वभावानुसार ऊर्ध्वगति करके लोकके ऊपरी छोरमें जा पहुँचता है। इस तरह यह आत्मा स्वयं कर्ता और स्वयं भोक्ता है, स्वयं अपने संस्कारो और बद्धकर्मोंके अनुसार असंख्य जीव-भोनियोंमें जन्म-मरणके भारको उठता रहता है। यह सर्वथा अपरिणामी और निरूपित नहीं है, किन्तु प्रतिक्षण परिणामी है और वैजाविक या स्वाभाविक किसी भी अवस्थामें स्वयं बदलनेवाला है। यह निश्चित है कि एक बार

स्वभाविक अवस्थामें पहुँचनेपर फिर वैभाविक परिणमन नहीं होता, सदा शुद्ध परिणमन ही होता रहता है। ये सिद्ध कृतकृत्य होते हैं। उन्हें सृष्टि-कर्तृत्व आदिका कोई कार्य शेष नहीं रहता।

सृष्टिचक्र स्वयं चालित है

ससारी जीव और पुद्गलोंके परस्पर प्रभावित करनेवाले संयोग-वियोगोंने इस सृष्टिका महाचक्र स्वयं चल रहा है। इसके लिए किसी नियंत्रक, व्यवस्थापक, सुयोगक और निर्देशककी आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत्का चेतन अगत् स्वयं अपने बलाबलके अनुसार निर्देशक और प्रभावक बन जाता है। फिर यह आवश्यक भी नहीं है कि प्रत्येक भौतिक परिणमनके लिए किसी चेतन अविच्छाताकी नितान्त आवश्यकता हो। चेतन अविच्छाताके बिना भी असंख्य भौतिक परिवर्तन स्वयमेव अपनी कारण-सामग्रिके अनुसार होने रहते हैं। इस स्वभावतः परिणामी द्रव्योंके महामुदायरूप जगत्को किसीने सर्व-प्रथम किमी गमय चलाया हो, ऐसे कालकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए उस जगत्को स्वयंसिद्ध और अनादि कहा जाता है। अतः न तो सर्वप्रथम इस जगत्-यन्त्रको चलानेके लिए किसी चालककी आवश्यकता है और न इसके अन्तर्गत जीवोंके पुण्य-पापका लेखा-जोखा रखनेवाले किसी महालेखककी, और अच्छे-बुरे कर्मोंका फल देनेवाले और स्वर्ग या नरक भेजनेवाले किसी महाप्रभुकी ही। जो व्यक्ति शराब पियेगा उसका नशा तीव्र या मन्द रूपमें उस व्यक्तिको अपने आप आयगा ही।

एक ईश्वर मसारके प्रत्येक अणु-परमाणुकी क्रियाका सचालक बने और प्रत्येक जीवके अच्छे बुरे कार्योंका भी स्वयं वही प्रेरक हो और फिर वही बैठकर संसारी जीवोंके अच्छे-बुरे कर्मोंका न्याय करके उन्हें भूमति और दुःखमें भेजे, उन्हें सुख-दुःख भोगनेको विवश करे यह कैसा क्रोडा है! दुराचारके लिए प्रेरणा भी वही दे, और दण्ड भी वही। यदि सचमुच कोई एक ऐसा नियन्ता है तो जगत्की विषमस्थितिके लिए मूलतः वही जबाबदेह है। अतः इस मूल-सूत्रोंके चक्रसे निकलकर हमें वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे ही जगत्का विवेचन करना होगा और उस आधारसे ही जब तक हम अपने ज्ञानकी सच्चे दर्शनकी भूमिपर नहीं पहुँचायेंगे, तब तक तत्त्वज्ञानकी दिसामें नहीं बढ़ सकते। यह कैसा अन्धेर है कि ईश्वर हत्या करनेवालेको भी प्रेरणा देता है, और जिनकी हत्या होनी है उसे भी, और जब हत्या हो जाती है, तो वही एकको हत्यारा ठहराकर दण्ड भी दिलाता है। उसकी यह कैसी विचित्र लीला है। जब व्यक्ति अपने कार्योंमें स्वतन्त्र ही नहीं है, तब वह हत्याका कर्ता कैसे? अतः प्रत्येक जीव अपने कार्योंका स्वयं प्रभु है, स्वयं कर्ता है और स्वयं भोक्ता है।

अतः जगत्-कल्याणकी दृष्टिसे और वस्तुके स्वभाविक परिणमनकी स्थितिपर गहरा विचार करनेसे यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि यह जगत् स्वयं अपने परिणामी स्वभावके कारण प्राप्त सामग्रीके अनुसार परिवर्तमान है। उसमें विभिन्न व्यक्तियोंकी अनुकूलता और प्रतिकूलतासे अच्छेपन और बुरेपनकी कल्पना होती रहती है। जगत् तो अपनी गतिसे चला जा रहा है। 'जो करेगा, वही भोगेगा। जो बोधेगा, वही काटेगा।' यह एक स्वभाविक व्यवस्था है। द्रव्योंके परिणमन कहीं चेतनसे प्रभावित होते हैं, कहीं अचेतनसे प्रभावित और कहीं परस्पर प्रभावित। इनका कोई निश्चित नियम नहीं है, जब जैसी सामग्री प्रस्तुत हो जाती है, तब वैसा परिणमन बन जाता है।

जीवोंके भेद संसारी और मुक्त

जैसा कि ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट होता है, कि यह जीव अपने संस्कारोंके कारण स्वयं वैसा है और अपने पुण्यापेसे स्वयं छूटकर मुक्त हो सकता है, उसीके अनुसार जीव दो श्रेणियोंमें विभाजित हो

जाते हैं। एक संसारी—जो अपने संस्कारोके कारण नाना धीनियोमे शरीरोको धारणकर जन्म-मरण रूपसे संमरण कर रहे हैं। (२) दूसरे मुक्त—जो समस्त कर्मसंस्कारोसे छूटकर अपने शुद्ध चैतन्यमे सदा परिबर्द्धमान हैं। जब जीव मुक्त होता है, तब वह दीपशिलाकी तरह अपने ऊर्ध्व-गमन स्वभावके कारण शरीरके बन्धनोंको तोड़कर लोकाग्रमे जा पहुँचता है, और वही अनन्तकाल तक शुद्धचैतन्यस्वरूपमे लीन रहता है। उसके आत्मप्रदेशोंका आकार अन्तिम शरीरके आकारके समान बना रहता है; क्योंकि आगे उसके विस्तारका कारण नामकर्म नहीं रहना। जीवोके प्रदेशोका संकोच और विस्तार दोनो ही कर्मनिमित्तसे होने हैं। निमित्तके हट जानेपर जो अन्तिम स्थिति है वही रह जाती है। यद्यपि जीवका स्वभाव ऊपरको गति करनेका है, किन्तु गति करनेमे सहायक घर्मद्रव्य चूँकि लोकके अन्तिम भाग तक हो है, अतः मुक्त जीवकी गति लोकाग्र तक हो हँती है, आगे नहीं। इसीलिए सिद्धोको 'लोकाग्रनिवासी' कहते हैं।

सिद्धात्माएँ चूँकि शुद्ध हो गई हैं, अतः उनपर किसी दूसरे द्रव्यका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और न वे परस्पर ही प्रभावित होती हैं। जिनका ससारचक्र एक बार रुक गया, फिर उन्हें समारंभे रल्लेका कोई कारण शेष नहीं रहता। इसीलिए इन्हें अनन्तसिद्ध कहते हैं। जीवकी 'ससार-यात्रा कबसे शुरू हुई, यह नहीं बताया जा सकता, पर 'कब समाप्त होगी' यह निश्चित बताया जा सकता है। अमस्य जीवोने अपनी संसारयात्रा समाप्त करके मूर्ति पाई भी है। इन सिद्धोके सभी गुणोका परिणमन सदा शुद्ध ही रहता है। ये कृतकृत्य हैं, निरजन हैं और केवल अपने शुद्धचित्परिणमनके स्वामी हैं। इनकी यह सिद्धावस्था नित्य इस अर्थमे है कि वह स्वाभाविक परिणमन करने रहनेपर भी कभी विकृत या नष्ट नहीं होती।

यह प्रश्न प्रायः उठता है कि 'यदि सिद्ध सदा एकसे रहते हैं, तो उनमें परिणमन माननेकी क्या आवश्यकता है?' परन्तु इसका उत्तर अत्यन्त सहज है। और वह यह है कि जब द्रव्यकी मूलस्थिति ही उत्पाद, व्यय और प्रोव्यरूप है, तब किसी भी द्रव्यको चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध, इन मूल स्वभावका अपवाद कैसे माना जा सकता है? उसे तो अपने मूल स्वभावके अनुसार परिणमन करना ही होगा। चूँकि उनके विभाव परिणमनका कोई हेतु नहीं है, अतः उनका सदा स्वभावरूपसे ही परिणमन होता रहता है। कोई भी द्रव्य कभी भी परिणमनचक्रसे बाहर नहीं जा सकता। 'तब परिणमनका क्या प्रयोजन?' इसका सीधा उत्तर है—'स्वभाव'। चूँकि प्रत्येक द्रव्यका यह निज स्वभाव है, अतः उसे अनन्तकाल तक अपने स्वभावमे रहना ही होगा। द्रव्य अपने अगुल्लघुगुणके कारण न कम होता है और न बढ़ता है। वह परिणमनकी तीव्र धारपर बढ़ा रहनेपर भी अपना द्रव्यत्व नष्ट नहीं होने देता। यही अनादि अनन्त अविच्छिन्नता द्रव्यत्व है, और यही उनकी अपनी मौलिक विशेषता है। अगुल्लघुगुणके कारण उसके न तो प्रदेशोमे हो न्यूनाधिकता होती है, और न गुणोमे ही। उसके आकार और प्रकार भी सन्तुलित रहते हैं।

सिद्धका स्वरूप निम्नलिखित पाद्यामे बहुत स्पष्ट रूपसे कहा गया है—

“णिवकम्मा अट्टगुणा किञ्चूणा चरमदेहदो सिद्धा ।
लोयग्ग-ठिदा णिच्चा उप्पादवएहि संजुत्ता ॥”

—नियमसार गा० ७२

अर्थात्—सिद्ध ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे रहित है। सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुल्लघुत्व और अव्याबाध इन आठ गुणोंसे युक्त है। अपने पूर्व अन्तिम शरीरसे कुछ न्यून आकारवाले हैं। नित्य हैं और उत्पाद-व्ययसे युक्त हैं, तथा लोकके अग्रभागमें स्थित हैं।

इस तरह जीवद्रव्य संसारी और मुक्त दो प्रकारोंमें विभाजित होकर भी मूल स्वभावसे समान गुण और समानशक्तिवाला है ।

पुद्गल द्रव्य

'पुद्गल' द्रव्यका सामान्य लक्षण^१ है—रूप, रस, गन्ध और स्पर्शसे युक्त होना । जो द्रव्य स्कन्ध अवस्थामे प्ररण अर्थात् अन्य-अन्य परमाणुओंसे मिलना और गलन अर्थात् कुछ परमाणुओंका बिछुड़ना, इस तरह उपचय और अपचयको प्राप्त होता है, वह 'पुद्गल' कहलाता है । समस्त द्रव्य जगत् इस 'पुद्गल' का ही विस्तार है । मूल दृष्टिसे पुद्गलद्रव्य परमाणुरूप ही है । अनेक परमाणुओंसे मिलकर जो स्कन्ध बनता है, वह सयुक्तद्रव्य (अनेकद्रव्य) है । स्कन्धपर्याय स्कन्धान्तर्गत सभी पुद्गल-परमाणुओंकी संयुक्त पर्याय है । वे पुद्गल-परमाणु जब तक अपनी बंधशक्तिसे शिथिल या निबिडरूपमे एक-दूसरेसे जुटे रहते हैं, तब तक स्कन्ध कहे जाते हैं । इन स्कन्धोंका बनाव और बिगाड परमाणुओंकी बंधशक्ति और भेदशक्तिके कारण होता है ।

प्रत्येक^२ परमाणुमे स्वभावसे एक रस, एक रूप, एक गन्ध और दो स्पर्श होते हैं । लाल, पीला, नीला, सफेद और काला इन पाँच रूपोंमेसे कोई एक रूप परमाणुमे होता है जो बदलता भी रहता है । तीता, कड़वा, कषायला, खट्टा और मीठा इन पाँच रसोंमेसे कोई एक रस परमाणुमे होता है, जो परिवर्तित भी होता रहता है । सुगन्ध और दुर्गन्ध इन दो गन्धोंमेसे कोई एक गन्ध परमाणुमे अवश्य होती है । शीत और उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, इन दो युगलोंमेसे कोई एक-एक स्पर्श अर्थात् शीत और उष्णमेसे एक और स्निग्ध तथा रुक्षमेसे एक, इस तरह दो स्पर्श प्रत्येक परमाणुमे अवश्य होते हैं । बाकी मृदु, कर्कश, गुह और लघु ये चार स्पर्श स्कन्ध-अवस्थाके हैं । परमाणु-अवस्थामे वे नहीं होते । यह एकप्रदेशी होता है । यह स्कन्धोंका कारण भी है और स्कन्धोंके भेदसे उत्पन्न होनेके कारण उनका कार्य भी है । पुद्गलकी परमाणु-अवस्था स्वाभाविक पर्याय है, और स्कन्ध-अवस्था विभाव-पर्याय है ।

स्कन्धोंके भेद

स्कन्ध अपने परिणमनोंकी अपेक्षा छह प्रकारके होते हैं^३ —

- (१) अतिस्थूल-स्थूल (बादर-बादर)—जो स्कन्ध छिन्न-भिन्न होनेपर स्वयं न मिल सके, वे लकड़ो, पत्थर, पर्वत, पृथ्वी आदि अतिस्थूल-स्थूल हैं ।
- (२) स्थूल (बादर)—जो स्कन्ध छिन्न-भिन्न होनेपर स्वयं आपसमें मिल जायें, वे स्थूल स्कन्ध हैं । जैसे कि दूध, घी, तेल, पानी आदि ।
- (३) स्थूल-सूक्ष्म (बादर-सूक्ष्म)—जो स्कन्ध दिखनेमे तो स्थूल हों, लेकिन छेदने-भेदने और ग्रहण करनेमे न जायें, वे छाया, प्रकाश, अन्धकार, चाँदनी आदि स्थूल-सूक्ष्म स्कन्ध हैं ।
- (४) सूक्ष्म-स्थूल (सूक्ष्म-बादर)—जो सूक्ष्म होकरके भी स्थूल रूपमे दिखें, वे पाँचो इन्द्रियोंके विषय—स्पर्श, रस, गन्ध, बर्ण और शब्द सूक्ष्म-स्थूल स्कन्ध हैं ।

१ "स्पर्शरसगन्धबर्णान्तः पुद्गलाः"—तत्त्वार्थसू० ५।२३ ।

२. "एयरसवष्णगंध दो फासं सद्वकारधमसद्वं ।" —पंचास्तिकाय गा० ८१ ।

३. "अद्रूपद्रूपद्रूपद्रूपं सुद्रुमं च सुद्रुमद्रुमं च ।
सुद्रुमं अद्रुमं इति वरादिगं होइ छब्धेयं ॥"

३९४ : डॉ० महेश्वरकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

(५) सूक्ष्म—जो सूक्ष्म होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण न किये जा सकते हों, वे कर्मवर्गवा आदि सूक्ष्म स्कन्ध हैं।

(६) अतिसूक्ष्म—कर्मवर्गवासे भी छोटे द्रव्यणुक स्कन्ध तक सूक्ष्मसूक्ष्म हैं।

परमाणु परमातिसूक्ष्म है। वह अविभागी है। शब्दका कारण होकर भी स्वयं अव्यव्य है, शादवत होकर भी उत्पन्न और भ्ययवाला है—यानी त्रयात्मक परिणमन करनेवाला है।

स्कन्ध आदि चार भेद

पुद्गल द्रव्यके स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश और परमाणु ये चार विभाग भी होते हैं। अनन्तानन्त परमाणुओंसे स्कन्ध बनता है, उससे आधा स्कन्धदेश और स्कन्धदेशका आधा स्कन्धप्रदेश होता है। परमाणु सर्वत्र अविभागी होता है। इन्द्रियाँ, शरीर, मन, इन्द्रियोंके विषय और द्वासोच्छ्वास आदि सब कुछ पुद्गल द्रव्यके ही विविध परिणमन^३ है।

बन्धकी प्रक्रिया

इन परमाणुओंमें स्वामाविक स्निग्धता और रूजता होनेके कारण परस्पर बन्ध^३ होता है, जिससे स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है। स्निग्ध और रूज गुणोंके शक्यताकी अपेक्षा अमक्य भेद होने है, और उनमें तारतम्य भी होता रहता है। एक शक्यंश (अधन्यगुण) वाले स्निग्ध और रूज परमाणुओका परस्पर बन्ध (रासायनिक मिश्रण) नहीं होता। स्निग्ध और स्निग्ध, रूज और रूज, स्निग्ध और रूज, तथा रूज और स्निग्ध परमाणुओंमें बन्ध तभी होगा, जब इनमें परस्पर गुणोंके शक्यता दो अधिक हो, अर्थात् दो गुणवाले स्निग्ध या रूज परमाणुका बन्ध चार गुणवाले स्निग्ध या रूज परमाणुसे होगा। बन्धकालमें जो अधिक गुणवाला परमाणु है, वह कम गुणवाले परमाणुका अपने रूप, रस, गन्ध और स्पर्श रूपसे परिणमन करा लेता है। इस तरह दो परमाणुओंसे द्रव्यणुक, तीन परमाणुओंसे त्र्यणुक और चार, पाँच आदि परमाणुओंसे चतुरणुक, पञ्चाणुक आदि स्कन्ध उत्पन्न होते रहते हैं। महास्कन्धोंके भेदसे भी दो अल्पस्कन्ध हो सकते हैं। यानी स्कन्ध, सघात और भेद दोनोंसे बनते हैं। स्कन्ध अवस्थामें परमाणुओका परस्पर इतना सूक्ष्म परिणमन हो जाता है कि थोड़ी-सी जगहमें असक्य परमाणु समा जाते हैं। एक सेर रूई और एक सेर लोहेमें साधारणतया परमाणुओकी संख्या बराबर होनेपर भी उनके निविड और शिथिल बन्धके कारण रूई गुलबन्दी है और लोहा ठोस। रूई अधिक स्थानको रोकती है और लोहा कम स्थानको। इन पुद्गलोंके इसी सूक्ष्म परिणमनके कारण असंख्यातप्रदेशो लोकमें अनन्तानन्त परमाणु समाए हुए हैं। जैसा कि पहले

१. 'संघ या संघदेसा संघपदेसा यं ह्येति परमाणु ।
इति ते चतुर्विधस्या पुष्कलकाया मुण्येयव्या ॥'

—पञ्चास्तिकाय गा० ७४-७५ ।

२. "शरीरवाह्यमनःप्राणानाः पुद्गलानाम् ।"

—तत्त्वार्थसूत्र ५/१९ ।

३. "स्निग्धरूजत्वाद् बन्धः । न अधन्यगुणानाम् । गुणसांख्ये सदृशात्तानाम् । द्रव्यधिकानिगुणाना तु । बन्धेऽधिकी पारिणामिकी च ।"

—तत्त्वार्थसूत्र ५।३३-३७ ।

सिखा जा चुका है कि प्रत्येक द्रव्य परिणामी है। उसी तरह ये पुद्गल द्रव्य भी उस परिचयनके अन्वय में नहीं हैं और प्रतिक्षण उपयुक्त स्थूल-बादरादि स्कन्धोंके रूपमें बनते-बिगड़ते रहते हैं।

शब्द आदि पुद्गलकी पर्याय हैं

शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, अन्वकार, छाया, प्रकाश, उद्योत और गर्मी आदि पुद्गल द्रव्यकी ही पर्यायें हैं। शब्दको वैशेषिक आदि आकाशका गुण मानते हैं, किन्तु आजके विज्ञानने अपने रेडियो और ग्रामोफोन आदि विविध यन्त्रोंसे शब्दको पकड़कर और उसे दृष्ट स्थानमें भेजकर उसकी पौद्गलिकता प्रयोगसे सिद्ध कर दी है। यह शब्द पुद्गलके द्वारा ग्रहण किया जाता है, पुद्गलसे वात्सव किया जाता है, पुद्गलसे रुकता है, पुद्गलोंको रोकता है, पुद्गल कान आदिके पर्बोंको फाड़ देता है और पौद्गलिक वातावरणमें अनुकम्पन पैदा करता है, अतः पौद्गलिक है। स्कन्धोंके परस्पर संयोग, संघर्षण और विभागसे शब्द उत्पन्न होता है। जिह्वा और तालु आदिके संयोगसे नाना प्रकारके भाषात्मक प्रायोगिक शब्द उत्पन्न होते हैं। इसके उत्पादक उपादान कारण तथा स्थूल निमित्त कारण दोनों ही पौद्गलिक हैं।

जब दो स्कन्धोंके संघर्षसे कोई एक शब्द उत्पन्न होता है, तो वह आस-पासके स्कन्धोंको अपनी शक्तिके अनुसार शब्दायमान कर देता है, अर्थात् उसके निमित्तसे उन स्कन्धोंमें भी शब्दपर्याय उत्पन्न हो जाती है। जैसे जलाशयमें एक कंकड़ डालने पर जो प्रथम लहर उत्पन्न होती है, वह अपनी गतिशक्तिके पासके जलको क्रमशः तरंगित करती जाती है और यह 'वैधीतरंगन्याय' किसी-न-किसी रूपमें अपने वेगके अनुसार काफी दूर तक चालू रहता है।

शब्द शक्तिरूप नहीं है

शब्द केवल शक्ति नहीं है, किन्तु शक्तिमान् पुद्गलद्रव्य-स्कन्ध है, जो बाहु स्कन्धके द्वारा देखांतरको जाता हुआ आसपासके वातावरणको झनझटा जाता है। यन्त्रोंसे उसकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है और उसकी सूक्ष्म लहरको सुदूर देशसे पकड़ा जा सकता है। वस्तुके तात्त्विक संयोगसे उत्पन्न हुआ एक शब्द मुख्यसे बाहर निकलते ही चारों तरफके वातावरणको उसी शब्दरूप कर देता है। वह स्वयं भी निवृत्त विद्यामें जाता है और जाते-जाते, शब्दसे शब्द पैदा करता जाता है। शब्दके जानेका अर्थ पर्यायवाले स्कन्धका जाना है और शब्दकी उत्पत्तिका भी अर्थ है आसपासके स्कन्धोंमें शब्दपर्यायका उत्पन्न होना। तात्पर्य यह कि शब्द स्वयं द्रव्यकी पर्याय है, और इस पर्यायके आधार है पुद्गल स्कन्ध। अमूर्तिक आकाशके गुणमें ये सब नाटक नहीं हो सकते। अमूर्त द्रव्यका गुण तो अमूर्त ही होगा, वह मूर्तके द्वारा गृहीत नहीं हो सकता।

विश्वका समस्त वातावरण गतिशील पुद्गलपरमाणु और स्कन्धोंसे नित्य है। उसीमें परस्पर संयोग आदि निमित्तोंसे गर्मी, सर्दी, प्रकाश, अन्वकार, छाया आदि पर्यायें उत्पन्न होती और नष्ट होती रहती हैं। गर्मी, प्रकाश और शब्द ये केवल शक्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि शक्तियाँ निराश्रय नहीं रह सकतीं। वे तो किसी-न-किसी आधारमें रहेंगी और उनका आधार है—यह पुद्गल द्रव्य। परमाणुकी गति एक सबबमें शोकान्त तक (चौदह राजु) हो सकती है, और वह गतिकालमें आसपासके वातावरणको प्रभावित करता है। प्रकाश और शब्दकी गतिका जो लेखा-जोखा आजके विज्ञानने लगाया है, वह परमाणुकी इस स्वाभाविक गतिका एक अल्प अंश है। प्रकाश और गर्मीके स्कन्ध एककेसेसे सुदूर देश तक जाते हुए अपने वेग (force)

१. "शब्दद्रव्यसौक्ष्म्यस्थानभेदतमद्वयमातपोऽवन्तश्च ।"

के अनुसार वातावरणकी प्रकाशमय और गर्मी पर्यायसे युक्त बनाते हुए जाते हैं। यह भी समझ है कि जो प्रकाश आदि स्कन्ध बिजलीके टाचं आदिसे निकलते हैं, वे बहुत दूर तक स्वयं चले जाते हैं और अन्य गति-शील पुद्गल स्कन्धोंको प्रकाश, गर्मी या शब्दरूप (पर्याय धारण कराके उन्हें आगे चला देते हैं। आम्बके वैज्ञानिकोंने बेतारका तार और बिना तारके टेलीफोनका भी आविष्कार कर लिया है। जिस तरह हम अमेरिकामें बोले गये शब्दोंको यहाँ सुन लेते हैं, उसी तरह अब बोलनेवालेके फोटोको भी सुनते समय देख सकेंगे।

पुद्गलके खेल

यह सब शब्द, आकृति, प्रकाश, गर्मी, छाया, अन्धकार आदिका परिवहन तीव्र गतिशील पुद्गल-स्कन्धोंके द्वारा ही हो रहा है। परमाणु-बमकी विनाशक शक्ति और हाँड्रोजन बमकी महाप्रलय शक्तिसे हम पुद्गलपरमाणुकी अनन्त शक्तियोंका कुछ अन्दाज लगा सकते हैं।

एक दूसरेके साथ बैधना, सूक्ष्मता, स्थूलता, चौकोण, षट्कोण आदि विविध आकृतियाँ, सुहावनी चाँदनी, मगलमय उषाकी लाली आदि सभी कुछ पुद्गल स्कन्धोंको पर्यायें हैं। निरन्तर गतिशील और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक परिणमनवाले अनन्तान्त परमाणुओंके परस्पर संयोग और विभागेसे कुछ नैसर्गिक और कुछ प्रायोगिक परिणमन इस विश्वके रगमञ्चपर प्रतिक्षण हो रहे हैं। ये सब माया या अविद्या नहीं हैं, ठोस सत्य हैं। स्वप्नकी तरह काल्पनिक नहीं हैं, किन्तु अपनेमे वास्तविक अस्तित्व रखनेवाले पदार्थ हैं। विज्ञानने एटममे जिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनको अद्विराम गतिसे चक्कर लगाते हुए देखा है, वह सूक्ष्म या अतिसूक्ष्म पुद्गल स्कन्धमे बँधे हुए परमाणुओंका ही गतिचक्र है। सब अपने-अपने क्रमसे जब जैसी कारण-शाम्यो पा लेते हैं, वैसा परिणमन करते हुए अपनी अनन्त यात्रा कर रहे हैं। पुरुषकी कितनी-सी शक्ति ! वह कहाँ तक इन द्रव्योंके परिणमनको प्रभावित कर सकता है ? हाँ, जहाँ तक अपनी सूक्ष्म-बुद्ध और शक्तिके अनुसार वह यन्त्रोंके द्वारा इन्हें प्रभावित और नियन्त्रित कर सकता था, वहाँ तक उमने किया भी है। पुद्गलका नियन्त्रण पौद्गलिक साधनोंसे ही हो सकता है और वे साधन भी परिणमनशील हैं। अतः हमें द्रव्यकी मूल स्थितिके आधारसे ही तत्त्वविचार करना चाहिये और विश्वव्यवस्थाका आधार ढूँढना चाहिए।

छाया पुद्गलकी ही पर्याय है

सूर्य आदि प्रकाशयुक्त द्रव्यके निमित्तसे आस-पास पुद्गलस्कन्ध भासरूपको धारणकर प्रकाशस्कन्ध बन जाते हैं। इसी प्रकाशको जितनी जगह कोई स्थूल स्कन्ध यदि रोक लेता है तो उतनी जगहके स्कन्ध काले रूपको धारण कर लेते हैं, यही छाया या अन्धकार है। ये सभी पुद्गल द्रव्यके खेल हैं। केवल मायाकी आँखमिचौनी नहीं है और न 'एकोऽहं बहु स्याम्' की छीला। ये तो ठोस वजनदार परमायसत् पुद्गल परमाणुओंकी अद्विराम गति और परिणतिके वास्तविक वृत्त हैं। यह आँसू मूँदकर की जानेवाली भावना नहीं है, किन्तु प्रयोगशालामें रासायनिक प्रक्रियामें किये जानेवाले प्रयोगमिद्ध पदार्थ हैं। यद्यपि पुद्गलानुओंमें समान अनन्त शक्ति है, फिर भी विभिन्न स्कन्धोंमें जाकर उनकी शक्तियोंके भी जुड़े-जुड़े अनन्त भेद हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक परमाणुमें सामान्यतः मादकशक्ति होनेपर भी उसकी प्रकृताकी योग्यता महुँबा, दाख और कोयों आदिके स्कन्धोंमें ही साक्षात् है, सो भी अमुक जलाधिके रासायनिक मिश्रणसे। ये पर्याययोग्यताएँ कहलाती हैं, जो उन-उन स्थूल पर्यायोंमें प्रकट होती हैं। और इन स्थूल पर्यायोंके घटक सूक्ष्म स्कन्ध भी अपनी उस अवस्थामें विशिष्ट शक्तिको धारण करते हैं।

एक ही पुद्गल मौलिक है

आधुनिक विज्ञानने पहले ९२ मौलिक तत्व (Elements) खोजे थे। उन्होंने इनके बजन और शक्तिके अंश निश्चित किये थे। मौलिक तत्वका अर्थ होता है—'एक तत्वका दूसरे रूप न होना।' परन्तु अब एक एटम (Atom) ही मूल तत्व बच गया है। यही एटम अपने-अपने चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनकी संख्याके भेदसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चाँदी, सोना, लोहा, ताँबा, यूरेनियम, रेडियम आदि अवस्थाओंको धारण कर लेता है। ऑक्सीजनके अमूक इलेक्ट्रॉन या प्रोटोनको तोड़ने या मिलानेपर वही हाइड्रोजन बन जाता है। इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो मौलिक न होकर एक तत्वकी अवस्था-विशेष ही सिद्ध होते हैं। मूलतत्त्व केवल अणु (Atom) है।

पृथिवी आदि स्वतन्त्र द्रव्य नहीं

नैयायिक-वैशेषिक पृथ्वीके परमाणुओंमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि चारों गुण, जलके परमाणुओंमें रूप, रस और स्पर्श ये तीन गुण; अग्निके परमाणुओंमें रूप और स्पर्श ये दो गुण और वायुमें केवल स्पर्श, इस तरह गुणभेद मानकर चारोंको स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं। किन्तु जब प्रत्यक्षसे सीपमे पड़ा हुआ जल, पार्थिव मोती बन जाता है, पार्थिव लकड़ी अग्नि बन जाती है, अग्नि ५.६३ बन जाती है, पार्थिव हिम पिघलकर जल हो जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों वायु मिलकर जल बन जाती हैं, तब इनमें परस्पर गुणभेदकृत जातिभेद मानकर पृथक् द्रव्यत्व कैसे सिद्ध हो सकता है? जैनदर्शनने पहलेसे ही समस्त पुद्गलपरमाणुओका परस्पर परिणमन देखकर एक ही पुद्गल द्रव्य स्वीकार किया है। यह तो हो सकता है कि अवस्थाविशेषमें कोई गुण प्रकट हों और कोई अप्रकट। अग्निमें रस अप्रकट रह सकता है, वायुमें रूप और जलमें गन्ध, किन्तु उक्त द्रव्योंमें उन गुणोंका अभाव नहीं माना जा सकता। यह एक सामान्य नियम है कि 'जहाँ स्पर्श होगा वहाँ रूप, रस और गन्ध अवश्य ही होंगे।' इसी तरह जिन दो पदार्थोंका एक-दूसरेके रूपसे परिणमन हो जाता है वे दोनों पृथक्-जातीय द्रव्य नहीं हो सकते। इसीलिए आजके विज्ञानको अपने प्रयोगसे उसी एकजातिक अणुवायुपर आना पड़ा है।

प्रकाश और गर्मी भी शक्तियाँ नहीं

यद्यपि विज्ञान प्रकाश, गर्मी और शब्दको धर्मी केवल (Energy) शक्ति मानता है। पर, वह शक्ति निराधार न होकर किसी-न-किसी ठोस आधारमे रहनेवाली ही सिद्ध होगी; क्योंकि शक्ति या गुण निराश्रय नहीं रह सकते। उन्हें किसी-न-किसी मौलिक द्रव्यके आश्रयमें रहना ही होगा। ये शक्तियाँ जिन माध्यमोंसे गति करती हैं, उन माध्यमोंको स्वयं उस रूपसे परिणत कराती हुई ही जाती हैं। अतः यह प्रश्न मनमें उठता है कि जिसे हम शक्तिकी गति कहते हैं वह आकाशमें निरन्तर प्रचिन परमाणुओंमे अविराम गतिसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिपरंपरा ही तो नहीं है? हम पहले बता आये हैं कि शब्द, गर्मी और प्रकाश किसी निश्चित दिशाकी गति भी कर सकते हैं और समीपके वातावरणको शब्दाव्ययमान, प्रकाशमान और गरम भी कर देते हैं। यो तो जब प्रत्येक परमाणु गतिशील है और उत्पाद-व्ययस्वभावके कारण प्रतिक्षण नूतन पर्यायोंको धारण कर रहा है, तब शब्द, प्रकाश और गर्मीको इन्हीं परमाणुओंकी पर्याय माननेमें ही बस्तुस्वरूपका संरक्षण रह पाता है।

जैन द्रव्योंमें पुद्गल द्रव्योंकी जिन—कर्मवर्गणा, लोकर्मवर्गणा, आहारवर्गणा, भाषावर्गणा, आदि रूपसे—२३ प्रकारको वर्गणाओंका वर्णन मिलता है,^१ वे स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं। एक ही पुद्गलजातीय

१. देखो, गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५९३-९४।

स्कन्धोमें ये विभिन्न प्रकारके परिणमन, विभिन्न सामग्रीके अनुसार विभिन्न परिस्थितियोंमें बन जाते हैं। यह नहीं है कि जो परमाणु एक बार कर्मवर्णारूप हुए हैं; वे सदा कर्मवर्णारूप ही रहेंगे, अन्यरूप नहीं होंगे, या अन्य-परमाणु कर्मवर्णारूप न हो सकेंगे। ये भेद तो विभिन्न स्कन्ध-अवस्थामें विकसित शक्तिभेदके कारण हैं। प्रत्येक द्रव्यमें अपनी-अपनी द्रव्यगत मूल योग्यताओंके अनुसार, जैसी-जैसी सामग्रीका जुटाव हो जाता है, वैसा-वैसा प्रत्येक परिणमन सम्भव है। जो परमाणु शरीर-अवस्थाके नोकर्मवर्णणा बनकर शामिल हुए थे, वही परमाणु मृत्युके बाद शरीरके ह्रास हो जानेपर अन्य विभिन्न अवस्थाओंको प्राप्त हो जाते हैं। एकजातीय द्रव्योंमें किसी भी द्रव्यशक्तिके परिणमनोका बन्धन नहीं लगाया जा सकता।

यह ठीक है कि कुछ परिणमन किसी स्थूलपर्यायको प्राप्त पुद्गलोसे प्राप्त हो सकते हैं, किसीसे नहीं। जैसे मिट्टी-अवस्थाको प्राप्त पुद्गल परमाणु ही घट-अवस्थाको धारण कर सकते हैं, अग्नि-अवस्थाको प्राप्त पुद्गल परमाणु नहीं, यद्यपि अग्नि और घट दोनों ही पुद्गलकी ही पर्यायें हैं। यह तो सम्भव है कि अग्निके परमाणु कालान्तरमें मिट्टी बन जायें और फिर घडा बने; पर सीधे अग्निसे घडा नहीं बनाया जा सकता। मूलतः पुद्गलपरमाणुओंमें न तो किसी प्रकारका जातिभेद है, न शक्तिभेद है और न आकार-भेद ही। ये सब भेद तो बीचकी स्कन्ध पर्यायोंमें होते हैं।

गतिशीलता

पुद्गल परमाणु स्वभावतः क्रियाशील है। उसकी गति तीव्र, मन्द और मध्यम अनेक प्रकारकी होती है। उसमें वजन भी होता है, किन्तु उसकी प्रकृता स्कन्ध अवस्थामें होती है। इन स्कन्धोमें अनेक प्रकारके स्थूल, सूक्ष्म, प्रतिघाती और अप्रतिघाती परिणमन अवस्थाभेदके कारण सम्भव होते हैं। इस तरह यह अणु-जगत् अपनी बाह्यान्तरके सामग्रीके अनुसार दृश्य और अदृश्य अनेक प्रकारकी अवस्थाओंको स्वयमेव धारण करता रहता है। उसमें जो कुछ भी नियतता या अनियतता, व्यवस्था या अव्यवस्था है, वह स्वयमेव है। बीचके पड़ावमें पुरुषका प्रयत्न इनके परिणमनोका कुछ कालतक किसी विशेष रूपमें प्रभावित और नियन्त्रित भी करता है। बीचमें होनेवाली अनेक अवस्थाओंका अध्ययन और दर्शन करके जो स्थूल कार्यकारणभाव नियत किये जाते हैं, वे भी इन द्रव्योंकी मूल-योग्यताओंके ही आधारसे किये जाते हैं।

धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य

अनन्त आकाशमें लोकके अमुक आकारको निश्चित करनेके लिए यह आवश्यक है कि कोई ऐसी विभाजक रेखा किसी वास्तविक आधारपर निश्चित हो, जिसके कारण जीव और पुद्गलोंका गमन वही तक हो सके; बाहर नहीं। आकाश एक अमूर्त, अक्षण्ड और अनन्तप्रदेशी द्रव्य है। उसकी अपनी सब जगह एक सामान्य सत्ता है। अतः उसके अमुक प्रदेशो तक पुद्गल और जीवोका गमन हो और जाने नहीं, यह नियन्त्रण स्वयं अक्षण्ड आकाशद्रव्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें प्रदेशभेद होकर भी स्वभावभेद नहीं है। जीव और पुद्गल स्वयं गतिस्वभाववाले हैं, अतः यदि वे गति करते हैं तो स्वयं स्कन्धोका प्रवृत्ति ही नहीं है; इसलिये जैन आचार्योंने लोक और अलोकके विभागके लिए लोकवर्षी आकाशके बराबर एक अमूर्तिक, निष्क्रिय और अक्षण्ड धर्मद्रव्य माना है, जो गतिशील जीव और पुद्गलोंको गमन करनेमें साधारण कारण होता है। यह किसी भी द्रव्यको प्रेरणा करके नहीं चलाता; किन्तु जो स्वयं गति करते हैं, उनको माध्यम बनकर सहारा देता है। इसका अस्तित्व लोकके भीतर तो साधारण है पर लोककी सीमाओंपर नियन्त्रणके रूपमें है। सीमाओंपर पता चलता है कि धर्मद्रव्य भी कोई अस्तित्वरहाती द्रव्य है; जिसके कारण समस्त जीव और पुद्गल अपनी यात्रा उसी सीमा तक समाप्त करनेको विवध हैं, उसके आगे नहीं जा सकते।

जिस प्रकार गतिके लिए एक साधारण कारण धर्मद्रव्य अपेक्षित है; उसी तरह जीव और पुद्गलोंकी स्थितिके लिए भी एक साधारण कारण होना चाहिए और वह है—अधर्म द्रव्य। यह भी लोकाकाशके बराबर है, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्दसे रहित—अमूर्तिक है; निष्क्रिय है और उत्पाद-व्ययरूपसे परिणमन करते हुए भी नित्य है। अपने स्वामाविक सन्तुलन रखनेवाले अनन्त अणुसमुच्चयोंसे उत्पाद-व्यय करता हुआ। ठहरनेवाले जीव-पुद्गलोंकी स्थितिमें साधारण कारण होता है। इसके अस्तित्वका पता भी लोककी सीमाओंपर ही चलता है। जब आगे धर्मद्रव्य न होनेके कारण जीव और पुद्गल द्रव्य गति नहीं कर सकते तब स्थितिके लिए इसकी गहकारिता अपेक्षित होती है। ये दोनों द्रव्य स्वयं गति नहीं करते; किन्तु गमन करनेवाले और ठहरनेवाले जीव और पुद्गलोंकी गति और स्थितिमें साधारण निमित्त होते हैं। लोक और अलोकका विभाग ही इनके सद्भावका अच्छा प्रमाण है।

यदि आकाशकी ही स्थितिका कारण मानते हैं, तो आकाश तो अलोकमें भी मौजूद है। वह भूँकि अक्षण्ड द्रव्य है, अतः यदि यह लोकके बाहरके पदार्थोंकी स्थितिमें कारण नहीं हो सकता; तो लोकके भीतर भी उसकी कारणता नहीं बन सकती। इसलिए स्थितिके साधारण कारणके रूपमें अधर्मद्रव्यका पृथक अस्तित्व है।

ये धर्म और अधर्म द्रव्य, पुण्य और पापके पर्यायवाची नहीं हैं—स्वतंत्र द्रव्य हैं। इनके असंख्यात प्रदेश हैं, अतः बहुप्रदेशी होनेके कारण इन्हें 'अस्तिकाय' कहते हैं और इसलिए इनका 'धर्मास्तिकाय' और 'अधर्मास्तिकाय' के रूपमें भी निर्देश होता है। इनका सदा शुद्ध परिणमन होता है। द्रव्यके मूल परिणामी-स्वभावके अनुसार पूर्व पर्यायको छोड़ने और उत्तर पर्यायको धारण करनेका क्रम अपने प्रवाही अस्तित्वको बनाये रखने हुए अनारिदिकालसे चला आ रहा है और अनन्त काल तक चालू रहेगा।

आकाश द्रव्य

समस्त जीव-अजीवादि द्रव्योंको जो जगह देता है अर्थात् जिसमें ये समस्त जीव-पुद्गलादि द्रव्य युगपत् अवकाश पाये हुए हैं, वह आकाश द्रव्य है। यद्यपि पुद्गलादि द्रव्योंमें भी परस्पर हीनाधिक रूपमें एक दूसरेको अवकाश देना देखा जाता है, जैसे कि टेबिल पर किताब या बर्तनमें पानी आदिका, फिर भी समस्त द्रव्योंको एक साथ अवकाश देनेवाला आकाश ही हो सकता है। इसके अनन्त प्रदेश हैं। इसके मध्य भागमें चौदह राजू ऊँचा पुरुषाकार लोक है, जिसके कारण आकाश लोकाकाश और अलोकाकाशके रूपमें विभाजित हो जाता है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशोंमें है, शेष अनन्त अलोक है, जहाँ केवल आकाश ही आकाश है। यह निष्क्रिय है और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्दादिसे रहित होनेके कारण अमूर्तिक है। 'अवकाश दान' ही इसका एक असाधारण गुण है, जिस प्रकार कि धर्मद्रव्यका गमनकारणत्व और अधर्मद्रव्यका स्थितिकारणत्व। यह सर्वव्यापक है और अक्षण्ड है।

विज्ञा स्वतन्त्र द्रव्य नहीं

इसी आकाशके प्रदेशोंमें सूर्योदयकी अपेक्षा पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओंकी कल्पना की जाती है। विज्ञा कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। आकाशके प्रदेशोंकी पंक्तिमें सब तरफ कपड़ेमें तन्तुकी तरह श्रेणीबद्ध है। एक परमाणु जितने आकाशको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। इस नापसे आकाशके अनन्त प्रदेश हैं। यदि पूर्व, पश्चिम आदि व्यवहार होनेके कारण विज्ञाको एक स्वतन्त्र द्रव्य माना जाता है, तो पूर्वदिश, पश्चिमदिश आदि व्यवहारोंसे 'द्वेष द्रव्य' भी स्वतन्त्र मानना पड़ेगा। फिर प्रायः, जिज्ञा, तहसील आदि बहुतसे स्वतन्त्र द्रव्योंकी कल्पना करनी पड़ेगी।

शब्द आकाशका गुण नहीं

आकाशमे शब्द गुणकी कल्पना भी आजके वैज्ञानिक प्रयोगोंने असत्य सिद्ध कर दी है। हम पुद्गल द्रव्यके वर्णनमें उसे पौद्गलिक सिद्ध कर आये हैं। यह तो मोटी-सी बात है कि जो शब्द पौद्गलिक इन्द्रियोंसे पृथीत होता है पुद्गलोंसे टकराता है, पुद्गलोंसे रोका जाता है, पुद्गलोंको रोकता है, पुद्गलोंमें भरा जाता है, वह पौद्गलिक ही हो सकता है। अतः शब्द गुणके आधारके रूपमें आकाशका अस्तित्व नहीं माना जा सकता। न 'पुद्गल द्रव्य' का ही परिणमन आकाश हो सकता है; क्योंकि एक ही द्रव्यके मूर्त और अमूर्त, व्यापक और अव्यापक आदि दो विरुद्ध परिणमन नहीं हो सकते।

आकाश प्रकृतिका विकार नहीं

साक्ष्य एक प्रकृति तत्त्व मानकर उसीके पृथिवी आदि भूत तथा आकाश ये दोनों परिणमन मानते हैं। परन्तु विचारणीय बात यह है कि—एक प्रकृतिका घट, पट, पृथिवी, जल, अग्नि और वायु आदि अनेक रूपी भौतिक कार्योंके आकारमें ही परिणमन करना युक्ति और अनुभव दोनोंसे विरुद्ध है, क्योंकि सप्तरके अनन्त रूपी भौतिक कार्योंकी अपनी पृथक्-पृथक् सत्ता देखी जाती है। सत्त्व रज और तम इन तीन गुणोंका सादृश्य देखकर इन सबको एकजातीय या समानजातीय तो कहा जा सकता है, पर एक नहीं। किञ्चित् समानता होनेके कारण कार्योंका एक कारणसे उत्पन्न होना भी आवश्यक नहीं है। भिन्न-भिन्न कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले सैकड़ों घट-पटादि कार्य कुछ-न-कुछ जडत्व आदिके रूपसे समानता रखते ही हैं। फिर भूतिक और अमूर्तिक, रूपी और अरूपी, व्यापक और अव्यापक, सक्रिय और निष्क्रिय आदि रूपसे विरुद्ध धर्मवाले पृथिवी आदि और आकाशको एक प्रकृतिका परिणमन मानना ब्रह्मवादकी मायामे ही एक अशसे समा जाना है। ब्रह्मवाद कुछ आगे बढ़कर चेतन और अचेतन सभी पदार्थोंको एक ब्रह्मका विवर्त मानता है, और ये साक्ष्य समस्त जडोंको एक जड प्रकृतिकी पर्याय।

यदि त्रिगुणात्मकत्वका अन्वय होनेसे सब एक त्रिगुणात्मक कारणसे समुत्पन्न है, तो आत्मत्वका अन्वय सभी आत्माओंमें पाया जाता है, और सत्ताका अन्वय सभी चेतन और अचेतन पदार्थोंमें पाया जाता है; तो इन सबको भी एक 'अद्वैतमत्' कारणसे उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा, जो कि प्रतीति और वैज्ञानिक प्रयोग दोनोंसे विरुद्ध है। अपने-अपने विभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले स्वतन्त्र जड़चेतन और मूर्त-अमूर्त आदि विविध पदार्थोंमें अनेक प्रकारके पर-अपर सामान्योका सादृश्य देखा जाता है, पर इतनेमात्रसे सब एक नहीं हो सकते। अतः आकाश प्रकृतिकी पर्याय न होकर एक स्वतन्त्र द्रव्य है, जो अमूर्त, निष्क्रिय, सर्वव्यापक और अनन्त है।

जल आदि पुद्गल द्रव्य अपनेमें जो अन्य पुद्गलादि द्रव्योंको अवकाश या स्थान देते हैं, वह उनके तरल परिणमन और विधिल बन्धके कारण बनता है। अन्ततः जलादिके भीतर रहनेवाला आकाश ही अवकाश देनेवाला सिद्ध होता है।

इस आकाशसे ही धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यका गति और स्थितिरूप काम नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यदि आकाश ही पुद्गलादि द्रव्योंकी गति और स्थितिमें निमित्त ही जाय तो लोक और अलोकका विभाग ही नहीं बन सकेगा, और मुक्त जीव, जो लोकान्तमें ऊहुरते हैं, वे सदा अनन्त आकाशमें ऊपरकी ओर उड़ते रहेंगे। अतः आकाशको यमन और स्थितिमें साधारण कारण नहीं माना जा सकता।

यह आकाश भी अन्य द्रव्योंकी भाँति 'उत्पाद, व्यय और धीव्य' इस सामान्य द्रव्यलक्षणसे युक्त

है, और इसमें प्रतिक्षण अपने अगुल-लघु गुणके कारण पूर्व पर्यायका विनाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद होते हुए भी सतत अविच्छिन्नता बनी रहती है। अतः यह भी परिणामीनित्य है।

आकाश विज्ञान प्रकाश और शब्दकी गतिके लिए जिस ईश्वररूप माध्यमकी कल्पना करता है, वह आकाश नहीं है। वह तो एक सूक्ष्म परिणमन करनेवाला लोकव्यापी पुद्गल-स्कन्ध ही है; क्योंकि मूर्त-द्रव्योंकी गतिका अन्तरंग आधार अमूर्त पदार्थ नहीं हो सकता। आकाशके अनन्त प्रदेश इसलिए माने जाते हैं कि जो आकाशका भाग काशीमें है, वही पटना आदिमें नहीं है, अन्यथा काशी और पटना एक ही क्षेत्रमें आ जायेंगे।

बौद्ध-परम्परामें आकाशका स्वरूप

बौद्ध-परम्परामें आकाशको असंस्कृत धर्ममें गिनाया है और उसका 'वर्णन' 'अनावृत्ति' (आवरण-भाव) रूपसे किया है। यह किसीको आवरण नहीं करता और न किसीसे आवृत होता है। संस्कृतका अर्थ है, जिसमें उत्पादविध धर्म पाये जायें। किन्तु सर्वक्षणिकवादी बौद्धका, आकाशको असंस्कृत अर्थात् उत्पादविध धर्मसे रहित मानना कुछ समझमें नहीं आता। इसका वर्णन भले ही अनावृत्ति रूपसे किया जाय, पर वह भावात्मक पदार्थ है, यह वैभाषिकोंके विवेचनसे सिद्ध होता है। कोई भी भावात्मक पदार्थ बौद्धके मतसे उत्पादविधरूप कैसे हो सकता है? यह तो हो सकता है कि उसमें होनेवाले उत्पादादिका ह्रम वर्णन न कर सकें, पर स्वरूपमृत उत्पादविधे इनकार नहीं किया जा सकता और न केवल वह आवरणभावरूप ही माना जा सकता है। 'अभिधम्मत्थसंगह' में आकाशघातुको परिच्छेदरूप माना है। वह चार महाभूतोंकी तरह निगमन नहीं होता, किन्तु अन्य पृथ्वी आदि घातुओंके परिच्छेद-दर्शनमात्रसे इसका ज्ञान होता है, इसलिए इसे परिच्छेदरूप कहते हैं; पर आकाश केवल परिच्छेदरूप नहीं हो सकता; क्योंकि वह अर्थक्रियाकारी है। अतः वह उत्पादविध लक्षणोंसे युक्त एक संस्कृत पदार्थ है।

कालद्रव्य

समस्त द्रव्योंके उत्पादविधरूप परिणमनमें सहकारी 'कालद्रव्य' होता है। इसका लक्षण है वर्तना। यह स्वयं परिवर्तन करने हुए अन्य द्रव्योंके परिवर्तनमें सहकारी होता है और समस्त लोकाकाशमें घड़ी, घंटा, पल, दिन, रात आदि व्यवहारोंमें निमित्त होता है। यह भी अन्य द्रव्योंकी तरह उत्पाद-व्यय-प्रौष्य लक्षणवाला है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदिसे रहित होनेके कारण अमूर्तिक है। प्रत्येक लोकाकाशके प्रदेश-पर एक-एक काल-द्रव्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है। धर्म और अधर्म द्रव्योंकी तरह वह लोकाकाशव्यापी एकद्रव्य नहीं है; क्योंकि प्रत्येक आकाश प्रदेशपर समयभेद इसे अनेकद्रव्य माने बिना नहीं बन सकता। लंका और कुशक्षेत्रमें दिन, रात आदिका पृथक्-पृथक् व्यवहार तत्तत्स्थानोंके कालभेदके कारण ही होता है। एक अक्षय्य द्रव्य माननेपर कालभेद नहीं हो सकता। द्रव्योंमें परत्व-अपरत्व (रुद्धरा-जैठ) आदि व्यवहार कालसे ही होते हैं। पुराणापन-नयापन भी कालकृत ही हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य ये व्यवहार भी कालकी क्रमिक पर्यायोंसे होते हैं। किसी भी पदार्थके परिणमनको अतीत, वर्तमान या भविष्य कहना कालकी अपेक्षासे ही हो सकता है।

१. "सत्राकाशमनावृत्तिः"—अभिधर्मकोश १। ५।

२. "छिद्राकाशघातात्स्वम् आलोकतमसी किल।"—अभिधर्मकोश १। २८।

वैशेषिककी मान्यता

वैशेषिक कालको एक और व्यापक द्रव्य मानते हैं, परन्तु नित्य और एक द्रव्यमें जब स्वयं अतीतादि भेद नहीं हैं, तब उसके निमित्तले अन्य पदार्थोंमें अतीतादि भेद कैसे नामे जा सकते हैं ? किसी भी द्रव्यका परिणमन किसी समयमें हो तो होता है । बिना समयके उस परिणमनको अतीत, अनागत या वर्तमान कैसे कहा जा सकता है ? तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आकाश-प्रदेशपर विभिन्न द्रव्योंके जो बिलक्षण परिणमन हो रहे हैं, उनमें एक साधारण निमित्त काल है, जो अणुरूप है और जिसकी समयपर्यायोके समुदायमें हम घडी, घंटा आदि स्थूल कालका नाप बनाते हैं । अलोकाकाशमें जो अतीतादि व्यवहार होता है, वह लोकाकाशवर्ती कालके कारण ही । चूँकि लोक और अलोकवर्ती आकाश, एक अलक्षण द्रव्य है, अतः लोकाकाशमें होनेवाला कोई भी परिणमन समूचे आकाशमें ही होता है । काल एकप्रदेशी होनेके कारण द्रव्य होकर भी 'अस्तिकाय' नहीं कहा जाता; क्योंकि बहुप्रदेशी द्रव्योंकी ही 'अस्तिकाय' संज्ञा है ।

श्वेताम्बर जैन परम्परामें कुछ आचार्य कालको स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते ।

बौद्ध-परम्परामें काल

बौद्ध-परम्परामें काल केवल व्यवहारके लिए कल्पित होता है । यह कोई स्वभावसिद्ध पदार्थ नहीं है, प्रकृतिमान है । (अट्टशालिनी १।३।१६) । किन्तु अतीत, अनागत और वर्तमान आदि व्यवहार मुख्य कालके बिना नहीं हो सकते । जैसे कि बालकमें शेरका उपचार मुख्य शेरके सद्भावमें ही होता है, उसी तरह समस्त कालिक व्यवहार मुख्य कालद्रव्यके बिना नहीं बन सकते ।

इस तरह जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छ द्रव्य अनादि-सिद्ध मौलिक हैं । सबका एक ही सामान्य लक्षण है—उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तता । इस लक्षणका अपवाद कोई भी द्रव्य कभी भी नहीं हो सकता । द्रव्य चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, वे इस सामान्य लक्षणसे हर समय समुक्त रहते हैं ।

वैशेषिककी द्रव्यमान्यताका विचार

वैशेषिक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य मानते हैं । इनमें पृथ्वी आदिक चार द्रव्य तो 'रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-वत्त्व' इस सामान्य लक्षणसे युक्त होनेके कारण पुद्गल द्रव्यमें अन्तर्भूत हैं । विशाका आकाशमें अन्तर्भाव होता है । मन स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है, वह यथासम्भव जीव और पुद्गलकी ही पर्याय है । मन दो प्रकारका होता है—एक द्रव्यमन और दूसरा भावमन । द्रव्यमन आत्माको विचार करनेमें सहायता देनेवाले पुद्गल-परमाणुआका स्कन्ध है । शरीरके जिस-जिस भागमें आत्माका उपयोग जाता है; वहाँ-वहाँके शरीरके परमाणु भी तत्काल मनरूपसे परिणत हो जाते हैं । अथवा, हृदय-प्रदेशमें अष्टदल कमलके आकारका द्रव्यमन होता है, जो हितहितके विचारमें आत्माका उपकरण बनता है । विचार-शक्ति आत्माकी है । अतः भावमन आत्मारूप ही होता है । जिस प्रकार भावेन्द्रियाँ आत्माकी ही विशेष शक्तियाँ हैं, उसी तरह भ्रममन भी नोइन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे प्रकट होनेवाली आत्माकी एक विशेष शक्ति है; अतिरिक्त द्रव्य नहीं ।

शवीय'

स्मृतिजुग्राहकाः पुद्गलः वीर्यविशोबावर्जनसमर्था मनस्त्वेन परिणता इति कृत्वा पीद्गलिकम्... 'मनस्त्वेन हि परिणताः पुद्गलाः गुणदोषविचारस्मरणादिकार्यं कृत्वा तथान्तरसमय एव मनस्त्वात् प्रथ्यन्ते ।'

बीज-परंपरामें हृदय-वस्तुको एक पृथक् धातु माना है^१, जो कि द्रव्यमनका स्थानीय हो सकता है। 'अभिधर्मकोष' में^२ छह ज्ञानोंके समानान्तर कारणभूत पूर्वज्ञानको मन कहा है। यह भावमनका स्थान ब्रह्मण कर सकता है, क्योंकि चेतनात्मक है। इन्द्रियां मनकी सहायताके बिना अपने विषयोंका ज्ञान नहीं कर सकतीं, परन्तु मन अकेला ही गुणदोषविचार आदि व्यापार कर सकता है। मनका कोई निश्चित विषय नहीं है, बल्कि वह सर्वविषयक होता है।

गुण आदि स्वतन्त्र पदार्थ नहीं

वैशेषिकने द्रव्यके सिवाय गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये छह पदार्थ और माने हैं। वैशेषिककी मान्यता प्रत्ययके आचारसे चलती है। चूंकि 'गुणः गुणः' इस प्रकारका प्रत्यय होता है, अतः गुण एक पदार्थ होना चाहिए। 'कर्म कर्म' इस प्रत्ययके कारण कर्म एक स्वतन्त्र पदार्थ माना गया है। 'अनुगताकार, प्रत्ययसे पर और अपर रूपसे अनेक प्रकारके सामान्य माने गये हैं। 'अपृथक्सिद्ध' पदार्थोंके सम्बन्ध स्थापनके लिए 'समवाय' की आवश्यकता हुई। नित्य परमाणुओंमें, शुद्ध आत्माओंमें, तथा मुक्त आत्माओंके मनोमें परस्पर विलक्षणताका बोध करानेके लिए प्रत्येक नित्य द्रव्यपर एक विशेष पदार्थ माना गया है। कार्योत्पत्तिके पहले वस्तुके अभावका नाम प्रागभाव है। उत्पत्तिके बाद होनेवाला विनाश प्रथ्वस्तभाव है। परस्पर पदार्थोंके स्वरूपका अभाव अन्योन्याभाव और त्रैकाङ्गिक संसर्गका निषेध करनेवाला अत्यन्ताभाव होता है। इस तरह जितने प्रकारके प्रत्यय पदार्थोंमें होते हैं, उतने प्रकारके पदार्थ वैशेषिकने माने हैं। वैशेषिकको 'मप्रत्ययोपाध्याय' कहा गया है। उसका यही अर्थ है कि वैशेषिक प्रत्ययके आचारसे पदार्थकी कल्पना करनेवाला उपाध्याय है।

परन्तु विचारकर देखा जाय तो गुण, क्रिया, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये सब द्रव्यकी पर्यायें ही हैं। द्रव्यके स्वरूपसे बाहर गुणाधिकी कोई शक्ती नहीं है। द्रव्यका लक्षण है^३ गुणपर्यायत्वात्त्व होना। ज्ञानादिगुणोका आत्मासे तथा रूपादि गुणोका पुद्गलसे पृथक् अस्तित्व न तो देखा ही जाता है, और न युक्तिसिद्ध ही है। गुण और गुणीको, क्रिया और क्रियावान्को, सामान्य और सामान्यवान्को, विशेष और नित्य द्रव्योंको स्वयं वैशेषिक अयुतसिद्ध मानते हैं, अर्थात् उक्त पदार्थ परस्पर पृथक् नहीं किये जा सकते। गुण आदिको छोड़कर द्रव्यकी अपनी पृथक् सत्ता क्या है? इसी तरह द्रव्यके बिना गुणादि निराधार कहाँ रहेंगे? इनका द्रव्यके साथ कथञ्चित् तादात्म्य सम्बन्ध है। इसीलिए कहीं "गुणसन्द्रावो द्रव्यम्" यह भी द्रव्यका लक्षण मिलता है^४।

एक ही द्रव्य जिस प्रकार अनेक गुणोका ब्रह्मण्ड पिण्ड है, उसी तरह जो द्रव्य सक्रिय है उनमें होनेवाली क्रिया भी उसी द्रव्यकी पर्याय है, स्वतंत्र नहीं है। क्रिया या कर्म क्रियावान्से भिन्न अपना अस्तित्व नहीं रखते।

इसी तरह पृथ्वीत्वादि भिन्न द्रव्यकर्तृ सामान्य सदृशपरिणात्मरूप ही हैं। कोई एक, मित्य और

१. "ताम्रपर्याया अपि हृदयवस्तु मनोविज्ञानधातोरुपाधय कल्पयन्ति ।"

—सुट्टार्थ अभि०, पृ० ४९।

२. "वृषामनन्तरातीत विज्ञानं यच्चि तन्मनः ।"—अभिधर्मकोष १। १७।

३. "गुणपर्यायत्वं द्रव्यम् ।"—तत्त्वार्थसूत्र ५। ३८।

४. "अजस्रं कल्पयि निर्बन्धं गुणसन्द्रावो द्रव्यमिति ।"—दास० ब्रह्मसूत्र ५। १। ११९।

व्यापक सामान्य अनेक द्रव्योंमें मोतियोंमें सूतकी तरह पिरोया हुआ नहीं है। जिन द्रव्योंमें जिस रूपसे सादृश्य प्रतीत होता है, उन द्रव्योंका वह सामान्य मान लिया जाता है। वह केवल बुद्धिकल्पित भी नहीं है, किन्तु सादृश्य रूपसे वस्तुनिष्ठ है; और वस्तुकी तरह ही उत्पादविनाशाद्यव्यशाली है।

ममवाय सम्बन्ध है। यह जिनमें होता है उन दोनों पदार्थोंकी ही पर्याय है। ज्ञानका सम्बन्ध आत्मामें माननेका यही अर्थ है कि ज्ञान और उसका सम्बन्ध आत्माकी ही सम्पत्ति है, आत्मासे भिन्न उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। कोई भी सम्बन्ध अपने सम्बन्धिपयोकी अवस्थारूप ही हो सकता है। वो स्वतन्त्र पदार्थमें होनेवाला संयोग भी दोमें न रहकर प्रत्येकमें रहता है, इसका संयोग उसमें और उसका संयोग इसमें। याने संयोग प्रत्येकनिष्ठ होकर भी दोके द्वारा अभिव्यक्त होता है।

विशेष पदार्थकी स्वतन्त्र माननेकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब सभी द्रव्योंका अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, तब उनमें विलक्षणप्रत्यय भी अपने निजी व्यक्तित्वके कारण ही हो सकता है। जिस प्रकार विशेष पदार्थमें विलक्षण प्रत्यय उत्पन्न करनेके लिए अन्य विशेष पदार्थोंकी आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं उनके स्वरूपसे ही हो जाता है, उसी तरह द्रव्योंके निजरूपसे ही विलक्षणप्रत्यय माननेमें कोई बाधा नहीं है।

इसी तरह प्रत्येक द्रव्यकी पूर्वपर्याय उसका प्रागभाव है, उत्तरपर्याय प्रवृत्तभाव है, प्रतिनियत निज-स्वरूप अन्योन्याभाव है और असंसर्गीयरूप अत्यन्ताभाव है। अभाव भावान्तरूप होता है, वह अपनेमें कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। एक द्रव्यका अपने स्वरूपमें स्थिर होना ही उसमें पररूपका अभाव है। एक ही द्रव्यकी दो भिन्न पर्यायोंमें परस्पर अभाव-व्यवहार कराना इतरेतराभावका कार्य है और दो द्रव्योंमें परस्पर अभाव अत्यन्ताभावसे होता है। अतः गुणादि पृथक् सत्ता रखनेवाले स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं, किन्तु द्रव्यकी ही पर्याय हैं। भिन्न प्रत्ययके आधारसे ही यदि पदार्थोंकी व्यवस्था की जाय; तो पदार्थोंकी गिनती करना ही कठिन है।

इसी तरह अवयवी द्रव्यकी अवयवोंसे जुदा मानना भी प्रतीतिविच्छेद है। तन्तु आदि अवयव ही अमूक आकारमें परिणत होकर पटसंज्ञा पा लेते हैं। कोई अलग पट नामका अवयवी तन्तु नामक अवयवोंमें समवाय-सम्बन्धसे रहता हो, यह अनुभवगम्य नहीं है; क्योंकि पट नामके अवयवीकी सत्ता तन्तुरूप अवयवोंसे भिन्न कही भी और कभी भी नहीं मालूम होती। स्कन्ध अवस्था पर्याय है, द्रव्य नहीं। जिन मिट्टीके परमाणुओंसे घड़ा बनता है, वे परमाणु स्वयं घड़ेके आकारको ग्रहण कर लेते हैं। घड़ा उन परमाणुओंकी सामुदायिक अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि घड़ा पृथक् अवयवी बनकर कहींसे आ जाता हो, किन्तु मिट्टीके परमाणुओंका अमूक आकार, अमूक पर्याय और अमूक प्रकारमें क्रमबद्ध परिणमनकी औसतसे ही घटके रूपमें हो जाता है और घटव्यवहारकी संगति बैठ जाती है। घट-अवस्थाको प्राप्त परमाणुद्रव्योंका अपना निजी स्वतन्त्र परिणमन भी उस अवस्थामें बराबर चालू रहता है। यही कारण है कि घटके अमूक-अमूक हिस्सोंमें रूप, स्पर्श और टिकाकूपन आदिका अन्तर देखा जाता है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक परमाणु अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और स्वतन्त्र परिणमन रखनेपर भी सामुदायिक समान परिणमनकी धारामें अपने व्यक्तित्व पर परिणमनको विलीन-सा कर देता है और जब तक यह समान परिणमनकी धारा अवयवभूत परमाणुओंमें चालू रहती है, तब तक उस पदार्थकी एक-जैसी स्थिति बनी रहती है। जैसे-जैसे उन परमाणुओंमें सामुदायिक धारासे असहयोग प्रारम्भ होता है, जैसे-जैसे उस सामुदायिक अभिव्यक्तित्वमें ग्युनता, शिथिलता और जीर्णता ज्ञाति रूपसे विविचिता आ चलती है। तात्पर्य यह कि मूलतः गुण और पर्यायोंका आधार औ होता है वही

द्रव्य कहलाता और उसीकी सत्ता द्रव्यरूपमें गिनी जाती है। अनेक द्रव्योंके समान या असमान परिणमनोंकी वीक्षतसे भी विभिन्न व्यवहार होते हैं, वे स्वतन्त्र द्रव्यकी संज्ञा नहीं पा सकते।

जिन परमाणुओंसे घट बनता है उन परमाणुओंमें घट नामके निरंश अवयवीको स्वीकार करनेमें अनेकों पृथक् आते हैं। यथा—निरंश अवयवी अपने अवयवोंमें एकदेशसे रहता है, या सर्वात्मना? यदि एकदेशसे रहता है; तो जितने अवयव हैं, उतने ही देश अवयवीके मानना होंगे। यदि सर्वात्मना प्रत्येक अवयवमें रहता है; तो जितने अवयव हैं उतने ही अवयवी हो जायेंगे। यदि अवयवी निरंश है; तो वस्त्रादिके एक हिस्सेको ठँकनेपर सम्पूर्ण वस्त्र ठँका जाला चाहिये और एक अवयवमें क्रिया होनेपर पूरे अवयवोंमें क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अवयवी निरंश है। यदि अवयवी अनिरंश है; तो बार छटीके सूतसे तैयार हुए वस्त्रका बजन बढ जाना चाहिये, पर ऐसा देखा नहीं जाता। वस्त्रके एक अंशके फट जानेपर फिर उतने परमाणुओंसे नये अवयवीकी उत्पत्ति माननेमें कल्पनागीरव और प्रतीतिबाधा है क्योंकि जब प्रतिममव कपडंका उपचय और अपचय होना है तब प्रतिक्षण नये अवयवीकी उत्पत्ति मानना पड़ेगी।

वैशेषिकका आठ, नव, दस आदि क्षणोंमें परमाणुकी क्रिया, संयोग आदि क्रमसे अवयवीकी उत्पत्ति और विनाशका वर्णन एक प्रक्रियामात्र है। वस्तुतः जैसे-जैसे कारणकलाप मिलने जाते हैं, वैसे-वैसे उन परमाणुओंके संयोग और वियोगसे उस-उस प्रकारके आकार और प्रकार बनते और बिगड़ते रहते हैं। परमाणुओंसे लेकर घट तक अनेक स्वतंत्र अवयवियोंकी उत्पत्ति और विनाशकी प्रक्रियासे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जो द्रव्य पहले नहीं है, वे उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, जबकि किसी नये द्रव्यका उत्पाद और उमका सदाके लिए विनाश वस्तुसिद्धान्तके प्रतिकूल है। यह तो सभव है और प्रतीतिसिद्ध है कि उन-उन परमाणुओंकी विभिन्न अवस्थाओंमें पिण्ड, स्थास, कोश, कुशूल आदि व्यवहार होते हुए पूर्ण कलश-अवस्थामें घटव्यवहार हो। इसमें किसी नये द्रव्यके उत्पाद बात नहीं है, और न बजन बढ़नेकी बात है।

यह ठीक है कि प्रत्येक परमाणु जलधारण नहीं कर सकता और घटमें जल भरा जा सकता है, पर हलने मात्रासे उसे पृथक् द्रव्य नहीं माना जा सकता। ये तो परमाणुओंके विशिष्ट संगठनके कार्य हैं; जो उस प्रकारके संगठन होनेपर स्वतः होते हैं। एक परमाणु आँखसे नहीं दिखाई देता, पर अमुक परमाणुका समुदाय जब विशिष्ट अवस्थाको प्राप्त हो जाता है, तो वह दिखाई देने लगता है। स्निग्धता और रूक्षताके कारण परमाणुओंके अनेक प्रकारके सम्बन्ध होते रहते हैं, जो अपनी दृढता और शिथिलताके अनुसार अधिक टिकाऊ या कम टिकाऊ होते हैं। स्कन्ध-अवस्थामें चूँकि परमाणुओका स्वतन्त्र द्रव्यत्व नष्ट नहीं होता, अतः उन-उन हिस्सोंके परमाणुओंमें पृथक् रूप और रसायिका परिणमन भी होता जाता है। यही कारण है कि एक कपड़ा किसी हिस्सेमें अधिक मिला, किसीमें कम मिला और किसीमें उबला बना रहता है।

यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि जो परमाणु किसी स्वरूप घट आदि कार्य रूपसे परिणत हुए हैं, वे अपनी परमाणु-अवस्थाको छोड़कर स्कन्ध-अवस्थाको प्राप्त हुए हैं। यह स्कन्ध-अवस्था किसी नये द्रव्यकी नहीं, किन्तु उन सभी परमाणुओंकी अवस्थाओंका योग है। यदि परमाणुओंको सर्वथा पृथक् और सदा परमाणुरूप ही स्वीकार किया जाता है, तो जिस प्रकार एक परमाणु आँखोंसे नहीं दिखाई देता उसी तरह सैकड़ों परमाणुओंके अति-समीप रखे रहनेपर भी, वे इन्द्रियोंके गोचर नहीं हो सकेंगे। अमुक स्कन्ध-अवस्थामें जानेपर उन्हें अपनी अदृश्यताको त्यागकर दृश्यता स्वीकार करनी ही चाहिए। किसी भी वस्तुकी मजबूती या कमजोरी उसके घटक अवयवोंके दृढ़ और शिथिल बंधके ऊपर निर्भर करती है। वे ही परमाणु ओहेंके स्कन्धकी अवस्थाको प्राप्तकर कठोर और चिरस्थायी बनते हैं, जबकि कई अवस्थामें मुकु और अचिर-

स्थावी रहती है। वह सब तो उनके बन्धके प्रकारसे होता रहता है। वह तो समझने जाता है कि प्रत्येक पुद्गल परमाणु-द्रव्यमें पुद्गलकी सभी शक्तियाँ हो, और विभिन्न स्कन्धोंमें उनका न्यूनाधिकत्वमें अनेक तरहका विकास हो। घटमें ही बल भरा जाता है कण्डेमें नहीं, यद्यपि परमाणु दोनोंमें ही हैं और परमाणुओं-से दोनों ही बने हैं। वही परमाणु चन्दन-अवस्थामें शीतल होते हैं और वं ही जब अग्निका निमित्त पाकर आग बन जाते हैं, तब अन्य लक्ष्णियोंकी आगकी तरह दाहक होते हैं। पुद्गलद्रव्योंके परस्पर न्यूनाधिक सम्बन्धसे होनेवाले परिणमनोंकी न कोई गिनती निर्धारित है और न आकार और प्रकार ही। किसी भी पर्यायिकी एकरूपता और विरस्थापिता उसके प्रतिषमबभावी समानपरिणमनोपर निर्भर करती है। जब तक उसके घटक परमाणुओंमें समानपर्याय होती रहेंगी, तब तक वह वस्तु एक-गो रहेंगी और ज्यों ही कुछ परमाणुओंमें परिस्थितिके अनुसार असमान परिणमन शुरु होगा; तैसे ही वस्तुके आकार-प्रकारमें विलक्षणता आवी आयगी। आजके विज्ञानसे जल्दी सङ्घनेवाले आलूको बरफमें या बद्धवायु (Airtile) में रखकर जल्दी सङ्घनेसे बचा लिया है।

तात्पर्य यह कि सतत गतिशील पुद्गल-परमाणुओंके आकार और प्रकारकी स्थिरता या अविपरतकी कोई निश्चित अबाधकारी नहीं की जा सकती। यह तो परिस्थिति और वानावरणपर निर्भर है कि वे कब, कहीं और कैसे रहें। किसी लम्बे-चौड़े स्कन्धके अमुक भागके कुछ परमाणु यदि विद्रोह करके स्कन्धत्वकी कायम रखनेवाली परिणतिकी स्वीकार नहीं करते हैं तो उस भागमें तुरन्त विलक्षणता आ जाती है। इसीलिए स्थायी स्कन्ध तैयार करनेके समय इस बातका विशेष ध्यान रखा जाता है कि उन परमाणुओंका परस्पर एकरस मिलाव हुआ है या नहीं। जैसा मात्रा तैयार होगा वैसा ही तो कागज बनेगा। अन न तो परमाणुओंको सर्वथा नित्य यानी अपरिवर्तनशील माना जा सकता है और न इतना स्वतन्त्र परिणमन करनेवाले कि जिससे एक समान पर्यायिका विकास ही न हो सके।

अवयवीका स्वरूप

यदि बौद्धिकी तरह अत्यन्त समीप रक्षे हुए किन्तु परस्पर असम्बद्ध परमाणुओंका पुञ्ज ही स्थूल घटादि रूपसे प्रतिभासित होता है, यह माना जाय, तो बिना सम्बन्धके तथा स्थूल आकारकी प्रातिके बिना ही वह अणुपुञ्ज स्कन्ध रूपसे कैसे प्रतिभासित हो सकता है? यह केवल भ्रम नहीं है किन्तु प्रकृतिकी प्रयोग-शालामें होनेवाला वास्तविक रासायनिक मिश्रण है, जिसमें सभी परमाणु बदलकर एक नई ही अवस्थाको धारण कर रहे हैं। यद्यपि 'तत्त्वसङ्घ' (पृ० १९५) में यह स्वीकार किया है कि परमाणुओंमें विशिष्ट अवस्थाकी प्राप्ति हो जानेसे वे स्थूलरूपमें इन्द्रियग्राह्य होते हैं, तो भी जब सम्बन्धका निवेश किया जाता है, तब इस 'विशिष्ट अवस्थाप्राप्ति' का क्या अर्थ हो सकता है? अन्तत उसका यही अर्थ सम्भव है कि जो परमाणु परस्पर विलग और अतीन्द्रिय थे वे ही परस्परबद्ध और इन्द्रियग्राह्य बन जाते हैं। इस प्रकारकी परिणतिके माने बिना बालूके पुञ्जने घटके परमाणुओंके सम्बन्धमें कोई विशेषता नहीं बताई जा सकती। परमाणुओंमें जब स्निग्धता और रूक्षताके कारण अमुक प्रकारके रासायनिक बन्धके रूपमें सम्बन्ध होता है, तभी वे परमाणु स्कन्ध-अवस्थाको धारण कर सकते हैं; केवल परस्पर गिरल्लर अवस्थित होनेके कारण ही नहीं। यह ठीक है कि उस प्रकारका बन्ध होनेपर भी कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, पर नई अवस्था तो उत्पन्न होती ही है, और वह ऐसी अवस्था है, जो केवल साधारण संयोगसे जन्म नहीं है, किन्तु विशेष प्रकारके उभयपारिणामिक रासायनिक बन्धसे उत्पन्न होती है। परमाणुओंके संयोग-सम्बन्ध अनेक प्रकारके होते हैं—कहीं मात्र प्रवेशसंयोग होता है, कहीं निश्चित, कहीं स्थितिक और कहीं रासायनिक बन्धरूप।

बन्ध-अवस्थामें ही स्कन्धकी उत्पत्ति होती है और अचाक्षुष स्कन्धको बाह्य बननेके लिए दूसरे स्कन्धके विशिष्ट संयोगकी उस रूपमें आवश्यकता है, जिस रूपसे वह उसकी सूक्ष्मताका विनाशकर स्थूलता का सके; यानी जो स्कन्ध या परमाणु अपनी सूक्ष्म अवस्थाका त्यागकर स्थूल अवस्थाको धारण करता है, वह इन्द्रियगम्य हो सकता है। प्रत्येक परमाणुमें असङ्ख्यता और अविभागिता होनेपर भी यह सुधी तो अवश्य है कि अपनी स्वाभाविक लक्षकके कारण वे एक दूसरेको स्थाय दे देते हैं, और असंख्य परमाणु मिलकर अपने सूक्ष्म परिणामरूप स्वभावके कारण बोधी-सी बगलने सभा आते हैं। परमाणुओकी संख्याका अधिक होना ही स्थूलताका कारण नहीं। बहुतेसे कणसंख्यावाले परमाणु भी अपने स्थूल परिणामके द्वारा स्थूल स्कन्ध बन जाते हैं, जब कि उनसे कई गुने परमाणु कार्यण शरीर आदिमें सूक्ष्म परिणामके द्वारा इन्द्रिय-अग्राह्य स्कन्धके रूपमें ही रह जाते हैं। तात्पर्य यह कि इन्द्रियग्राह्यताके लिए परमाणुओकी संख्या अपेक्षित नहीं है, किन्तु उनका अमूक रूपमें स्थूल परिणाम ही विशेषरूपसे अपेक्षणीय होता है। ये अनेक प्रकारके बन्ध परमाणुओंके अपने स्निग्ध और रूज स्वभावके कारण प्रतिक्षण होते रहते हैं, और परमाणुओंके अपने निजी परिणामोंके योगसे उस स्कन्धमें रूपादिका तारनम्य घटित हो जाता है।

एक स्थूल स्कन्धमें भेदको प्रकारके बन्धवाले छोटे-छोटे अवयव-स्कन्ध शामिल रहते हैं; और उनमें प्रतिमय किसी अवयवका टटना, नयेका जुड़ना तथा अनेक प्रकारके उपचय-अपचयरूप परिवर्तन होते हैं। यह निश्चित है कि स्कन्ध-अवस्था बिना रासायनिक बन्धके नहीं होती। यों साधारण संयोगके आधारसे भी एक स्थूल प्रतीति होती है और उसमें व्यवहारके लिए नई संज्ञा भी कर ली जाती है, पर इतनेमात्रसे स्कन्ध अवस्था नहीं बनती। इस रासायनिक बन्धके लिए पुरुषका प्रयत्न भी क्वचित् काम करता है और जिना प्रयत्नके भी अनेको बन्ध प्राप्त सामग्रीके अनुसार होते हैं। पुरुषका प्रयत्न उनमें स्थायिता और सुन्दरता तथा विशेष आकार उत्पन्न करता है। सैकड़ों प्रकारके भौतिक आविष्कार इसी प्रकारकी प्रक्रियाके फल हैं।

असंख्यान प्रदेसी लोकमें अनन्त पुद्गल परमाणुओंका समा जाना आकाशकी अवगाह्यशक्ति और पुद्गलाणुओंके सूक्ष्मपरिणामके कारण सम्भव हो जाता है। कितनी भी सुसम्बद्ध लक्षडोंमें कील ठोकी जा सकती है। पानीमें हाथीका डूब जाना हमारी प्रतीतिका विषय होता ही है। परमाणुओंकी अनन्त शक्तिसौ अचिन्त्य है। आजके एटम बमने उसकी भीषण संहारक शक्तिका कुछ अनुभव तो हम लोगोंको करा ही दिया है।

गुण आदि द्रव्यरूप ही है

प्रत्येक द्रव्य सामान्यनया यद्यपि असंख्य है, परन्तु वह अनेक सहभावी गुणोंका अभिन्न आधार होता है। अतः उसमें गुणकुल विभाष किया जा सकता है। एक पुद्गलपरमाणु बुगपत् रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि अनेक गुणोंका आधार होता है। प्रत्येक बुबका भी प्रतिमय परिणाम होता है। गुण और द्रव्यका कश्चित् तादात्म्य सम्बन्ध है। द्रव्यसे गुण बुबक् नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अभिन्न है; और सज्ञा, संख्या, प्रयोजन आदिके अदसे उसका विभिन्नरूपसे विरूपण किया जाता है; अतः वह भिन्न है। इस दृष्टिसे द्रव्यमें जितने गुण हैं, जतने उत्पन्न और ब्यय प्रतिमय होते हैं। हर गुण अपनी पूर्व पर्यायको छोड़कर उत्तर पर्यायको धारण करता है, पर वे सब हैं अपृथक्स्थलाक ही, उनकी द्रव्यसत्ता एक है। बारीकीसे देखा जाय तो पर्याय और गुणको छोड़कर द्रव्यका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है, यानी गुण और पर्याय ही द्रव्य है और पर्यायोंमें परिवर्तन होनेपर भी जो एक अविच्छिन्नताका नियामक अंश है, वही तो गुण

है। हाँ, गुण अपनी पर्यायोंमें सामान्य एकरूपताके प्रयोजक होते हैं। जिस समय पुद्गलाणमें रूप अपनी किसी नई पर्यायको लेता है, उसी समय रस, गन्ध और स्पर्श आदि भी बदलते हैं। इस तरह प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिसमय गुणरूप अनेक उत्पाद और भ्रम्य होते हैं। ये सब उस गुणकी सम्पत्ति (Property) या स्वरूप हैं।

रूपादि गुण प्रातिभासिक नहीं हैं

एक पक्ष यह भी है कि परमाणुमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि गुणोंकी सत्ता नहीं है। वह तो एक ऐसा अविभागी पदार्थ है, जो अखिली रूप, जीमसे रस, नाकसे गन्ध और हाथ आदिमें स्पर्शके रूपमें जाना जाता है, यानी विभिन्न इन्द्रियोंके द्वारा उसमें रूपादि गुणोंकी प्रतीति होती है, वस्तुतः उसमें इन गुणोंकी सत्ता नहीं है। किन्तु यह एक मोटा सिद्धान्त है कि इन्द्रियाँ जाननेवाली हैं, गुणोंकी उत्पादक नहीं। जिस समय हम किसी आमकी देख रहे हैं, उस समय उसमें रस, गन्ध या स्पर्श ही नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। हमारे न सूँघनेपर भी उसमें गन्ध है और न चखने और न छूनेपर भी उसमें रस और स्पर्श है यह बात प्रतिदिनके अनुभव की है इसे समझानेकी आवश्यकता नहीं है। इस तरह चेतन आत्मामें एक साथ ज्ञान, सुख, शक्ति, विश्वास, ईर्ष्य और साहस आदि अनेको गुणोंका युगपत् सद्भाव पाया जाता है, और इनका प्रतिक्षण परिवर्तन होने हुए भी उसमें एक अविच्छिन्नता बनी रहती है। चैतन्य इन्हीं अनेक रूपोंमें विकसित होता है। इसीलिये गुणोंको सहभावी और अन्वयो बताया है, पर्यायों व्यतिरेकी और क्रमभावी होती हैं। वे इन्हीं गुणोंके विकार या परिणाम होती हैं। एक चेतन द्रव्यमें जिस क्षण ज्ञानकी अमुक पर्याय हो रही है, उसी क्षण दर्शन, सुख और शक्ति आदि अनेक गुण अपनी-अपनी पर्यायोंके रूपसे बराबर परिणत हो रहे हैं। यद्यपि इन ममस्त गुणोंमें एक चैतन्य अनुस्यूत है; फिर भी यह नहीं है कि एक ही चैतन्य स्वयं निर्मूण होकर विविध गुणोंके रूपमें केवल प्रतिभासित ही जाता है। गुणोंकी अपनी स्थिति स्वयं है और यही एकसत्ताक गुण और पर्याय द्रव्य कहलाने हैं। द्रव्य इनसे जुदा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, किन्तु इन्हीं सबका तादात्म्य है।

गुण केवल दृष्टि-सृष्टि नहीं है कि अपनी-अपनी भावनाके अनुसार उस द्रव्यमें कभी प्रतिभासित हो जाते हैं और प्रतिभामके बाद या पहले अस्तित्व-विहीन हो। इस तरह प्रत्येक चेतन-अचेतन द्रव्यमें अपने सहभावी गुणोंके परिणमनके रूपमें अनेको उत्पाद और भ्रम्य स्वभावसे होने हैं और द्रव्य उन्हींमें अपनी अलक्ष्ण अनुस्यूत सत्ता रखता है, यानी अलक्ष्ण-सत्तावाले गुण-पर्याय ही द्रव्य हैं। गुण प्रतिसमय किसी-न-किसी पर्याय रूपसे परिणत होगा ही और ऐसे अनेक गुण अनन्तकाल तक जिस एक अलक्ष्ण सत्तासे अनुस्यूत रहने हैं, वह द्रव्य है। द्रव्यका अर्थ है, उन-उन क्रमभावी पर्यायोंको प्राप्त होना। और इस तरह प्रत्येक गुण भी द्रव्य कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपनी क्रमभावी पर्यायोंमें अनुस्यूत रहता ही है, किन्तु इस प्रकार गुणमें औपचारिक द्रव्यता हो बनती है, मुख्य नहीं। एक द्रव्यसे तादात्म्य रखनेके कारण सभी गुण एक तरहसे द्रव्य ही हैं, पर इगका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक गुण उत्पाद, भ्रम्य और श्रौष्य स्वरूप सत् होनेके कारण स्वयं एक परिपूर्ण द्रव्य होता है। अर्थात् गुण वस्तुतः द्रव्याक्ष कहे जा सकते हैं, द्रव्य नहीं। यह अक्षकल्पना भी वस्तुस्थितिपर प्रतिष्ठित है, केवल समझानेके लिए ही नहीं है। इस तरह द्रव्य गुण-पर्यायोंका एक अलक्ष्ण, तादात्म्य रखनेवाला और अपने हरेक प्रदेशमें सम्पूर्ण गुणोंकी सत्ताका आधार होता है।

इस विवेचनका यह फलितार्थ है कि एक द्रव्य अनेक उत्पाद और भ्रम्योक्त और गुणरूपसे श्रौष्यका गुण-पत् आधार होता है। यह अपने विभिन्न गुण और पर्यायोंमें जिस प्रकारका वास्तविक तादात्म्य रखता है,

उस प्रकारका तादात्म्य दो द्रव्योंमें नहीं हो सकता। अतः अनेक विभिन्न सत्ताके परमाणुओंके बन्ध-कालमें जो स्कन्ध-अवस्था होती है, वह उन्हीं परमाणुओंके सद्स परिणमनका योग है, उनमें कोई एक नया द्रव्य नहीं आता, अपितु विशिष्ट अवस्थाको प्राप्त वे परमाणु ही विभिन्न स्कन्धोंके रूपमें व्यवहृत होते हैं। यह विशिष्ट अवस्था उनकी कबचिन्वत् एकत्व-परिणतिरूप है।

कार्योत्पत्ति विचार

सांख्यका सत्कार्यवाद

कार्योत्पत्तिके सम्बन्धमें मुख्यतया तीन वाद हैं। पहला सत्कार्यवाद, दूसरा असत्कार्यवाद और तीसरा सत्-असत्कार्यवाद। सांख्य सत्कार्यवादी हैं। उनका यह आशय है कि प्रत्येक कारणमें उससे उत्पन्न होने-वाले कार्योकी सत्ता है क्योंकि सर्वथा असत् कार्योकी स्वरविषाणकी तरह उत्पत्ति नहीं हो सकती। गेहूँके अंकुर-के लिए गेहूँके बीजको ही ग्रहण किया जाता है, यवादिके बीजको नहीं। अतः ज्ञात होता है कि उपादानमें कार्यका सद्भाव है। जगत्में सब कारणोंसे सब कार्य पैदा नहीं होने, किन्तु प्रतिनियत कारणोंसे प्रतिनियत कार्य होते हैं। इसका सोचा अर्थ है कि जिन कारणोंमें जिन कार्योका सद्भाव है, वे ही उनसे पैदा होते हैं, अन्य नहीं। इसी तरह समर्थ भी कारण शक्य ही कार्योको पैदा करता है, अशक्यको नहीं। यह शक्यता कारणमें कार्यके सद्भावके निवाय और क्या हो सकती है? और यदि कारणमें कार्यका तादात्म्य स्वीकार न किया जाय तो संसारमें कोई किसीका कारण नहीं हो सकता। कार्यकारणभाव स्वयं ही कारणमें किसी रूपमें कार्यका सद्भाव सिद्ध कर देता है। सभी कार्य प्रलयकालमें किसी एक कारणमें लीन हो जाते हैं। वे जिसमें लीन होते हैं, उनमें उनका सद्भाव किमी रूपसे रखा जाता है। ये कारणोंमें कार्योकी सत्ता शक्ति-रूपसे मानते हैं, अभिव्यक्तिरूपसे नहीं। इनका कारणतत्त्व एक प्रधान—प्रकृति है उसीसे सत्ताके समस्त कार्यभेद उत्पन्न हो जाते हैं।

नैयायिकका असत्कार्यवाद

नैयायिकादि असत्कार्यवादी हैं। इनका यह मतलब है कि जो स्कन्ध परमाणुओंके संयोगसे उत्पन्न होता है वह एक नया ही अवयवी द्रव्य है। उन परमाणुओंके संयोगके विस्तर जानेपर वह नष्ट हो जाता है। उत्पत्तिके पहले उस अवयवी द्रव्यको कोई सत्ता नहीं थी। यदि कार्योकी सत्ता कारणमें स्वीकृत हो तो कार्योको अपने आकार-प्रकारमें उसी समय मिलना चाहिए था, पर ऐसा देखा नहीं जाता। अवयव द्रव्य और अवयवी द्रव्य यद्यपि भिन्न द्रव्य हैं, किन्तु उनका क्षेत्र पृथक् नहीं है, वे अयुनसिद्ध हैं। कहीं भी अवयवीकी उपलब्धि यदि होती है, तो वह केवल अवयवोंमें ही। अवयवोंसे भिन्न अर्थात् अवयवोंसे पृथक् अवयवीको जुदा निकालकर नहीं दिखाया जा सकता।

बौद्धोंका असत्कार्यवाद

बौद्ध प्रतिक्षण नया उत्पाद मानते हैं। उनकी दृष्टिमें पूर्व और उत्तरके साथ वर्तमानका कोई सम्बन्ध नहीं। जिस कालमें जहाँ जो है, वह वही और उसी कालमें नष्ट हो जाता है। सद्गता ही कार्य-कारण-भाव आदि व्यवहारोकी नियामिका है। वस्तुतः दो क्षणोका परस्पर कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है।

१. "असत्करणानुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।

कारणकार्यविभावादविभावात् वैश्वरूप्यस्य।"

जैनदर्शनका सदसत्कार्यबाध

जैनदर्शन 'सदसत्कार्यवादी' है। उसका सिद्धान्त है कि प्रत्येक पदार्थमें मूलभूत द्रव्ययोग्यताएँ होनेपर ही कुछ तत्पर्याययोग्यताएँ भी होती हैं। ये पर्याययोग्यताएँ मूल द्रव्ययोग्यताओंसे बाहरकी नहीं हैं, किन्तु उन्हींमेंसे विशेष अवस्थाओंमें साक्षात् विकासको प्राप्त होनेवाली हैं। जैसे मिट्टीरूप पुद्गलके परमाणुओंमें पुद्गलकी घट-पट आदिरूपसे परिणमन करनेकी सभी द्रव्ययोग्यताएँ हैं, पर मिट्टीकी तत्पर्याययोग्यता घटको ही साक्षात् उत्पन्न कर सकती है, पट आदिको नहीं। तात्पर्य यह है कि कार्य अपने कारणद्रव्यमें द्रव्ययोग्यताके साथ ही तत्पर्याययोग्यता या शक्तिके रूपमें रहता है। यानी उसका अस्तित्व योग्यता अर्थात् द्रव्यरूपसे ही है, पर्यायरूपसे नहीं है।

सांख्यके यहाँ कारणद्रव्य तो केवल एक 'प्रधान' ही है, जिसमें जगत्के समस्त कार्योंके उत्पादनकी शक्ति है। ऐसी दशामें जबकि उसमें शक्तिरूपसे सब कार्य मौजूद हैं, तब अमुक समयमें अमुक ही कार्य उत्पन्न हो यह व्यवस्था नहीं बन सकती। कारणके एक होनेपर परस्परविरोधी अनेक कार्योंकी युगपत् उत्पत्ति सम्भव ही नहीं है। अतः सांख्यके यह कहनेका कोई विशेष अर्थ नहीं रहता कि 'कारणमें कार्य शक्तिरूपसे है, व्यक्तिरूपसे नहीं', क्योंकि शक्तिरूपसे तो सब सब जगह मौजूद है। 'प्रधान' चूँकि व्यापक और निरक्ष है, अतः उसमें एक साथ विभिन्न देशोंमें परस्पर विरोधी अनेक कार्योंका आबिर्भाव होना प्रतीतिविषय है। सीधा प्रश्न तो यह है कि जब सर्वशक्तिमान् 'प्रधान' नामका कारण सर्वत्र मौजूद है, तो मिट्टीके पिण्डसे घटकी तरह कपडा और पुस्तक क्यों नहीं उत्पन्न होने ?

जैनदर्शनका उत्तर तो स्पष्ट है कि मिट्टीके परमाणुओंमें यद्यपि पुस्तक और पटरूपसे परिणमन करनेकी मूल द्रव्ययोग्यता है, किन्तु मिट्टीकी पिण्डरूप पर्यायमें साक्षात् कपडा और पुस्तक बनानेकी तत्पर्याययोग्यता नहीं है, इसलिए मिट्टीका पिण्ड पुस्तक या कपडा नहीं बन पाता। फिर कारण द्रव्य भी एक नहीं, अनेक है; अतः सामग्रीके अनुसार परस्पर विरुद्ध अनेक कार्योंका युगपत् उत्पाद बन जाता है। मृत्ता तत्पर्याययोग्यता की है। जिस क्षणमें कारणद्रव्यमें जितनी तत्पर्याययोग्यताएँ होंगी उतनेसे किसी एकका विकास प्राप्त कारणसामग्रीके अनुसार हो जाता है। पुरुषका प्रयत्न उसे इष्ट आकार और प्रकारमें परिणत करानेके लिए विशेष साधक होता है। उपादानव्यवस्था इसी तत्पर्याययोग्यताके आधारपर होती है, मान द्रव्ययोग्यताके आधारसे नहीं; क्योंकि द्रव्ययोग्यता तो गेहूँ और कोदो दोनों बीजोंके परमाणुओंमें सभी अंकुरोंको पैदा करनेकी समानरूपसे है परन्तु तत्पर्याययोग्यता कोदोके बीजमें कोदोके अंकुरकी ही उत्पन्न करने की है। तथा गेहूँके बीजमें गेहूँके अंकुरकी ही उत्पन्न करने की है। इसीलिए भिन्न-भिन्न कार्योंकी उत्पत्तिके लिए भिन्न-भिन्न उपादानोंका ग्रहण होता है।

धर्मकीतिके आक्षेपका समाधान

अतः बीडका^१ यह दूषण कि "दहीको साबो, यह कहुनेपर व्यक्तित ऊँटको क्यों नहीं खाने दीडता ? जबकि दही और ऊँटके पुद्गलमें पुद्गलद्रव्यरूपसे कोई भेद नहीं है।" उचित मालूम नहीं होता; क्योंकि जगत्का व्यवहारमात्र द्रव्ययोग्यतासे नहीं चलता, किन्तु तत्पर्याययोग्यतासे चलता है। ऊँटके सरीरके पुद्गल और

१. सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृते ।

चोदितो दधि खादेति किमुष्टं नाभिधावति ॥"

दहीके पुद्गल, द्रव्यरूपसे समान होनेपर भी 'एक' नहीं हैं और चूँकि वे स्थूल पर्यायरूपसे भी अपना परस्पर भेद रखते हैं तथा उनकी तत्पर्याययोग्यताएँ भी जुदी-जुदी हैं, अतः दही हो खाय जाता है, ऊँटका शरीर नहीं। साक्ष्यके भत्से यह समाधान नहीं हो सकता; क्योंकि जब एक ही प्रधान दहो और ऊँट दोनो रूपसे विकसित हुआ है, तब उनमें भेदका नियामक क्या है? एक तत्त्वमें एक ही समय विभिन्न देशोंमें विभिन्न प्रकारके परिणमन नहो हो सकते। इसी तरह यदि घट अवयवी और उसके उत्पादक मिट्टीके परमाणु परस्पर सर्वथा विभिन्न हैं; तो क्या नियामक है जो घटा वही उत्पन्न हो अन्वय नहीं? प्रतिनियत कार्य-कारण की व्यवस्थाके लिए कारणमें योग्यता या शक्तिरूपसे कार्यका सद्भाव मानना आवश्यक है। यानी कारणमें कार्योत्पादानकी योग्यता या शक्ति रहनी ही चाहिए। योग्यता, शक्ति और सामर्थ्य आदि एकजातीय मूल-द्रव्योंमें समान होनेपर भी विभिन्न अवस्थाओंमें उनकी सीमा नियत हो जाती है और इसी नियतताके कारण जगत्में अनेक प्रकारके कार्यकारणभाव बनते हैं। यह तो हुई अनेक पुद्गलद्रव्योंके संयुक्त स्कन्ध की बात।

एक द्रव्यकी अपनी क्रमिक अवस्थाओंमें अमुक उत्तर पर्यायका उत्पन्न होना केवल द्रव्ययोग्यतापर ही निर्भर नहीं करता, किन्तु कारणभूत पर्यायकी तत्पर्याय-योग्यतापर भी। प्रत्येक द्रव्यके प्रतिसमय स्वभावतः उत्पाद-व्यय-ध्रीय रूपसे परिणामी होनेके कारण सारी व्यवस्थाएँ सदसत्कार्यवादके आधारसे जम जाती हैं। विवक्षित कार्य अपने कारणमें कार्याकारसे असत् होकर भी योग्यता या शक्तिके रूपमें सत् है। यदि कारण-द्रव्यमें वह शक्ति न होती तो उससे वह कार्य उत्पन्न हो नहीं हो सकता था। एक अविच्छिन्न प्रवाहमें चलने-बाकी धाराबद्ध पर्यायोका परस्पर ऐसा कोई विशिष्ट सम्बन्ध तो होना ही चाहिए, जिसके कारण अपनी पूर्व पर्याय ही अपनी उत्तर पर्यायमें उपादान कारण हो सके, दूसरेकी उत्तर पर्यायमें नहीं। यह अनुभवसिद्ध व्यवस्था न तो साक्ष्यके सत्कार्यवादमें सम्भव है, और न बौद्ध तथा नैयायिक आदिके असत्कार्यवादमें ही। साक्ष्यके पक्षमें कारणके एक होनेसे इतनी अभिन्नता है कि कार्यभेदको सिद्ध करना असम्भव है, और बौद्धोंके यहाँ इतनी भिन्नता है कि अमुक अणके साथ अमुक अणका उपादान-उपादेयभाव बनना कठिन है।

इसी तरह नैयायिकोंके अवयवी द्रव्यका अमुक अवयवोंके ही साथ समवायसम्बन्ध सिद्ध करना इसलिए कठिन है कि उनमें परस्पर अत्यन्त भेद माना गया है।

इस तरह जैनदर्शनमें ये जीवादि छह द्रव्य प्रमाणके प्रमेय माने गये हैं। ये सामान्य-विशेषात्मक और गुणपर्यायात्मक हैं। गुण और पर्याय द्रव्यसे कथञ्चित्तादात्म्य सम्बन्ध रखनेके कारण सत् तो हैं, पर वे द्रव्य की तरह मौलिक नहीं हैं, किन्तु द्रव्याणु हैं। ये ही अनेकान्तात्मक पदार्थ प्रमेय हैं और इन्हींके एक-एक घर्षों-में नयोंकी प्रवृत्ति होती है। जैनदर्शनकी दृष्टिमें द्रव्य ही एकमात्र मौलिक पदार्थ है, शेष गुण, कर्म, सामान्य, समवाय आदि उसी द्रव्यकी पर्यायें हैं, स्वतंत्र पदार्थ नहीं हैं।



नय-विचार

नयका लक्षण

अधिममे उपायोंमें प्रमाणके साथ नयका भी निर्देश किया गया है। प्रमाण वस्तुके पूर्णरूपको ग्रहण करता है और नय प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तुके एक अंशको जानता है। ज्ञाताका वह अभिप्रायविशेष नय^१ है जो प्रमाणके द्वारा जानी गयी वस्तुके एकदेशको स्पर्श करता है। वस्तु अनन्तधर्मवाली है। प्रमाणज्ञान उसे समग्रभावसे ग्रहण करता है, उसमें अशविभाजन करनेकी ओर उसका लक्ष्य नहीं होता। जैसे 'यह घड़ा है' इन ज्ञानमें प्रमाण घड़ेको अखंड भावसे उसके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि अनन्त गुणधर्मोंका विभाग न करके पूर्णरूपमें जानता है, जब कि कोई भी नय उसका विभाजन करके 'रूपवान् घटः', 'रसवान् घटः' आदि रूपमें उसे अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार जानता है। एक बात ध्यानमें रखने की है कि प्रमाण और नय ज्ञानकी ही वृत्तियाँ हैं, दोनों ज्ञानात्मक पर्याय हैं। जब ज्ञाताकी सकलके ग्रहणकी दृष्टि होती है तब उसका ज्ञान प्रमाण होता है और जब उसी प्रमाणसे गृहीत वस्तुको खंडा ग्रहण करनेका अभिप्राय होता है तब वह अशराही अभिप्राय नय कहलाता है। प्रमाणज्ञान नयकी उत्पत्तिके लिये भूमि तैयार करता है।

यद्यपि छद्मस्वोंके सभी ज्ञान वस्तुके पूर्णरूपको नहीं जान पाते, फिर भी जितनेको वह जानते हैं उनमें भी उनकी यदि समग्रके ग्रहणकी दृष्टि है तो वे सकलग्राही ज्ञान प्रमाण है और अशराही विकल्पज्ञान नय। 'रूपवान् घट' यह ज्ञान भी यदि रूपमुखेन समस्त घटका ज्ञान अखंडभावसे करता है तो प्रमाणकी ही सीमाने पहुँचता है और घटके रूप, रस आदिका विभाजन कर यदि घटके रूपको मुख्यतया जानता है तो वह नय कहलाता है। प्रमाणके जाननेका क्रम एकदेशके द्वारा भी समग्रकी तरफ ही है, जब कि नय समग्र-वस्तुको विभाजित कर उसके अशविशेषकी ओर ही झुकता है। प्रमाण चक्षुके द्वारा रूपको देखकर भी उस द्वारसे पूरे घटके आत्मसात् करता है और नय उस घटका विश्लेषणकर उसके रूप आदि अंशोंके जाननेकी ओर प्रवृत्त होता है? इसीलिये प्रमाणको मकलादेशी और नयको विकलादेशी कहा है। प्रमाणके द्वारा जानी गई वस्तुको शब्दकी तरंगोंसे अभिव्यक्त करनेके लिये जो ज्ञानकी रक्षा होती है वह नय है।

नय प्रमाणका एकदेश है

'नय प्रमाण है या अप्रमाण?' इस प्रश्नका समाधान 'हाँ' और 'नहीं' में नहीं किया जा सकता है? जैसे कि घड़ेमें भरे हुए समुद्रके जलको न तो समुद्र कह सकते हैं और न असमुद्र ही^२। नय प्रमाणसे उत्पन्न होता है, अतः प्रमाणात्मक होकर भी अशराही होनेके कारण पूर्ण प्रमाण नहीं कहा जा सकता, और अप्रमाण तो वह ही ही नहीं सकता। अतः जैसे घटका जल समुद्रके अंश है असमुद्र नहीं, उसी तरह नय भी प्रमाणके अंश है, अप्रमाण नहीं। नयके द्वारा ग्रहण की जानेवाली वस्तु भी न तो पूर्ण वस्तु कहो जा सकती है और न अवस्तु; किन्तु वह 'वस्तुके अंश' ही हो सकती है। तात्पर्य यह कि प्रमाणसागरका वह अंश नय है जिसे

१. 'नयो ज्ञातुरभिप्रायः।'—लघो० श्लो० ५५।

'ज्ञातुणामभिसन्धय सल्लु नया।'—सिद्धिवि०, टी०, पृ० ५१७।

२. 'नायं वस्तु न चावस्तु वस्तुवशः कथ्यते यतः।

नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते ॥'—त० श्लो० ११६। नयविवरण श्लो० ६।

जाताने अपने अधिप्रायके पात्रमें भर लिया है। उसका उत्पत्तिस्थान समुद्र ही है पर उसमें वह विशालता और समग्रता नहीं है जिससे उसमें सब समा सकें। छोटे-बड़े पात्र अपनी मर्यादाके अनुसार ही तो जल ग्रहण करते हैं। प्रमाणकी रंगशालामें नय अनेक रूपों और बंधोंमें अपना नाटक रचता है।

सुनय, दुर्नय

यद्यपि अनेकान्तात्मक वस्तुके एक-एक अन्त अर्थात् धर्मोंकी विषय करनेवाले अधिप्रायविलेख प्रमाणकी ही सन्तान है, पर इनमें यदि मुनेज, परस्पर प्रीति और अज्ञा है तो ही वे मुनय हैं, अन्यथा दुर्नय। सुनय अनेकान्तात्मक वस्तुके अमुक अंशको मुख्यभावने ग्रहण करके भी अन्य अंशोंका निराकरण नहीं करता; उनको और तटस्थभात्र रखता है। जैसे बापकी जावदाधमें सभी सन्तानोंका समान हक होता है और सपूत वही कहा जाता है जो अपने अन्य भाइयोंके हकको ईमानदारीसे स्वीकार करता है, उनके हृदयके चेष्टा कभी भी नहीं करता, किन्तु सद्भाव ही उत्पन्न करना है, उसी तरह अनन्तधर्म वस्तुमें सभी नयोंका समान अधिकार है और सुनय वही कहा जायगा जो अपने अंशको मुख्य रूपसे ग्रहण करके भी अन्यके अंशोंको गौण तो करे पर उनका निराकरण न करे, उनका अपेक्षा करे अर्थात् उनके अस्तित्वको स्वीकार करे। जो दूसरेका निराकरण करता है और अपना ही अधिकार जमाता है वह कलहकारी कपूतकी तरह दुर्नय कहलाता है।

प्रमाणमें पूर्ण वस्तु समाती है। नय एक अंशको मुख्य रूपसे ग्रहण करके भी अन्य अंशोंको गौण करता है, पर उनकी अपेक्षा रखता है, तिरस्कार तो कभी भी नहीं करता। किन्तु दुर्नय अन्यनिरपेक्ष होकर अन्यका निराकरण करता है। प्रमाण^१ 'तत् और अतत्' सभीको जानता है, नयमें 'अतत्' या 'तत्' गौण रहता है और केवल 'तत्' या 'अतत्' की प्रतिपत्ति होती है, पर दुर्नय अन्यका निराकरण करता है।^२ प्रमाण 'सत्' को ग्रहण करता है, और नय 'स्यात् सत्' इस तरह सापेक्ष रूपसे जानता है जब कि दुर्नय 'सदेव' ऐसा अवधारणकर अन्यका तिरस्कार करता है। निष्कर्ष यह कि सापेक्षता ही नयका^३ प्राण है।

आचार्य सिद्धसेनने अपने सन्मत्तिसूत्र (११२१-२५) में कहा है कि—

"तम्हा सव्ये वि णया मिच्छादिट्ठी सपमसपडिबद्धा।
अण्णोण्णित्तिस्सजा उण ह्वन्ति सम्मत्तसम्भावा ॥"

—सन्मत्ति० ११२२

वे सभी नय मिथ्यादृष्टि हैं जो अपने ही पक्षका आग्रह करते हैं—परका निवेध करते हैं, किन्तु जब वे ही परस्पर सापेक्ष और अन्योन्याश्रित होते हैं तब सम्यक्त्वके सद्भाववाले होते हैं अर्थात् सम्यादृष्टि होते हैं। जैसे अनेक प्रकारके गुणवाली बीडूर्य आदि यन्त्रियां महामूल्यवाली होकर भी यदि एक सूत्रमें पिरोई हुई न हों, परस्पर घटक न हों, तो 'रत्नावली' संज्ञा नहीं पा सकतीं, उसी तरह अपने नियत बावोंका आग्रह रखनेवाले परस्पर-निरपेक्ष नय सम्यक्त्वपक्षके नहीं पा सकते, भले ही वे अपने-अपने पक्षके लिये कितने ही महत्त्वके क्यों न हों। जिस प्रकार वे ही शक्तियां एक सूत्रमें पिरोई जाकर 'रत्नावली' या 'रत्नाहार'

१. 'धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात् प्रमाणनय-दुर्नयानां प्रकारान्तरासम्भावाच्च। प्रमाणात्तत्तत्सम्भाव-प्रतिपत्तेः तत्प्रतिपत्तेः तदव्यनिराकृतैश्च।'—अष्टाङ्ग०, अष्टसह० पृ० २९०।

२. 'सदेव सत् स्यात् सचित्ति त्रिषाधो मीयेत् दुर्नीतिनयप्रमाणीः।'—अन्ययोग्य० श्लो० २८।

३. 'निरपेक्षा नया मिथ्याः सापेक्षा वस्तु तैर्ज्यैष्ठ्यत्।'—जातमी० श्लो० १०८।

बन जाती हैं उसी तरह सभी नय परस्परसापेक्ष होकर सम्यक्पनेको प्राप्त हो जाते हैं, वे सुनय बन जाते हैं । अन्तमें वे कहते हैं—

“जे वयणिलज्जवियप्पा संजुज्जतेसु होंति एएसु ।

सा ससमयपण्णवणा तित्थयरासायणा अण्णा ॥” —सम्मति० १।५३

जो बचनविकल्परूपी नय परस्पर सम्बद्ध होकर स्वविषयका प्रतिपादन करते हैं, वह उनकी स्वसमय-प्रज्ञापना है तथा अन्य—निरपेक्षवृत्ति तीर्थङ्करकी आसादना है ।

आचार्य कुन्दकुन्द इसी तत्त्वको बड़ी मार्मिक रीतिसे समझाते हैं—

“दोष्हृवि णयाण भणियं जाणइ णवरि तु समयपडिबद्धो ।

ण दु णयपक्खं गिण्हृदि किञ्चिवि णयपक्खपरिहोणो ॥”

—समयसार गाथा १४३

स्वसमयी व्यक्ति दोनों नयोंके वक्तव्यको जानता तो है, पर किसी एक नयका निरस्कार करके दूसरे नयके पक्षको ग्रहण नहीं करता । वह एक नयको द्वितीयसापेक्षरूपसे ही ग्रहण करना है ।

वस्तु जब अनन्तधर्मात्मक है तब स्वभावतः एक-एक धर्मको ग्रहण करनेवाले अभिप्राय भी अनन्त ही होंगे; भले ही उनके वाचक पृथक्-पृथक् शब्द न मिलें, पर जितने शब्द हैं उनके वाच्य धर्मोंको जाननेवाले उनमें अभिप्राय तो अवश्य ही होते हैं । यानी अभिप्रायोकी संख्याकी अपेक्षा हम नयोकी सीमा न बाँध सकें, पर यह तो सुनिश्चिनरूपसे कह ही सकते हैं कि जितने शब्द हैं उनमें तो नय अवश्य ही सकते हैं; क्योंकि कोई भी बचनमार्ग अभिप्रायके बिना हो ही नहीं सकता । ऐसे अनेक अभिप्राय तो संभव हैं जिनके वाचक शब्द न मिलें, पर ऐसा एक भी सार्थक शब्द नहीं हो सकता, जो बिना अभिप्रायके प्रयुक्त होता हो । अतः सामान्यतया जितने शब्द हैं उतने नय हैं ।

यह विधान यह मानकर किया जाता है कि प्रत्येक शब्द वस्तुके किसी-न-किसी धर्मका वाचक होता है । इसलिए तत्त्वार्थभाष्य (१।३४) में ‘ये नय कया एक वस्तुके विषयमें परस्पर विरोधी तन्त्रोंके मनवादा हैं या जैनाचार्योंके ही परस्पर मतभेद है ?’ इस प्रश्नका समाधान करने हुए स्पष्ट लिखा है कि ‘न तो ये तन्त्रान्तरीय मतवाद हैं और न आचार्योंके ही पारस्परिक मतभेद है ?’ किन्तु जेय अर्थको जाननेवाले नाना अर्थवसाय हैं । एक ही वस्तुको अपेक्षाभेदसे या अनेक दृष्टिकोणोंसे ग्रहण करनेवाले विकल्प हैं । वे हवाएँ कल्पनाएँ नहीं हैं । और न शेषशिल्लोंके विचार ही हैं, किन्तु अर्थको नाना प्रकारसे जाननेवाले अभिप्राय-विशेष हैं ।

ये निर्विषय न होकर ज्ञान, शब्द या अर्थ किसी-न-किसीको विषय अवश्य करने हैं । इसका विवेक करना ज्ञाताका कार्य है । जैसे एक ही लोक सत्की अपेक्षा एक है, जीव और अजीबके भेदसे दो, ऊर्ध्व, मध्य और अध के भेदसे तीन, चार प्रकारके द्रव्य, ज्ञेय, काल और भावरूप होनेसे चार; पाँच अस्तिकार्योंकी अपेक्षा पाँच और छह द्रव्योंकी अपेक्षा छह प्रकारका कहा जा सकता है । ये अपेक्षाभेदसे होनेवाले विकल्प हैं, मात्र मतभेद या विवाद नहीं हैं । उसी तरह नयवाद भी अपेक्षाभेदसे होनेवाले वस्तुके विभिन्न अर्थवसाय हैं ।

दो नय-द्रव्याधिक और पर्यायाधिक

इस तरह सामान्यतया अभिप्रायोकी अनन्तता होनेपर भी उन्हें दो विभागोंमें बाँटा जा सकता है— एक अभेदको ग्रहण करनेवाले और दूसरे भेदको ग्रहण करनेवाले। वस्तुमें स्वरूपनः अभेद है, वह अखंड है और अपनेमें एक मौलिक है। उसे अनेक गुण, पर्याय और धर्मोंके द्वारा अनेकरूपमें ग्रहण किया जाता है। अभेदघ्राहिणी दृष्टि द्रव्यदृष्टि कही जाती है और भेदघ्राहिणी दृष्टि पर्यायदृष्टि। द्रव्यको मुख्यरूपसे ग्रहण करनेवाला नय द्रव्यास्तिक या अभ्युच्छित नय कहलाता है और पर्यायको ग्रहण करनेवाला नय पर्यायास्तिक या व्युच्छित नय। अभेद अर्थात् सामान्य और भेद यानी विशेष। वस्तुओंमें अभेद और भेदकी कल्पनाके दो-बो प्रकार हैं। अभेदकी एक कल्पना तो एक असंख्य मौलिक द्रव्यमें अपनी द्रव्यशक्तिके कारण विवक्षित अभेद है, जो द्रव्य या ऊर्ध्वतासामान्य कहा जाता है। यह अपनी कालक्रमसे होनेवाली क्रमिक परिवर्तनोंमें ऊपरसे नीचे तक व्याप्त रहनेके कारण ऊर्ध्वतासामान्य कहलाता है। यह जिस प्रकार अपनी क्रमिक परिवर्तनोंके व्याप्त करता है उन्नी तरह अपने सहभावी गुण और धर्मोंको भी व्याप्त करता है। दूसरी अभेद-कल्पना विभिन्नसत्ताक अनेक द्रव्योंमें संग्रहकी दृष्टिसे की जाती है। यह कल्पना शब्दव्यवहारके निर्वाहके लिए सादृश्यकी अपेक्षामें की जाती है। अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मनुष्योंमें सादृश्यमूलक मनुष्यत्व आतकी अपेक्षा मनुष्यत्व सामान्यकी कल्पना तिर्यक्सामान्य कहलाती है। यह अनेक द्रव्योंमें तिरछी चलती है। एक द्रव्यकी पर्यायोंमें होनेवाली एक भेदकल्पना पर्यायविशेष कहलाती है तथा विभिन्न द्रव्योंमें प्रतीत होनेवाली दूसरी भेद कल्पना व्यतिरेकविशेष कही जाती है। इस प्रकार दोनों प्रकारके अभेदोंको विषय करनेवाली दृष्टि द्रव्यदृष्टि है और दोनों भेदोंको विषय करनेवाली दृष्टि पर्यायदृष्टि है।

परमार्थ और व्यवहार

परमार्थ प्रत्येक द्रव्यगत अभेदको ग्रहण करनेवाली दृष्टि ही द्रव्याधिक और प्रत्येक द्रव्यगत पर्याय-भेदको जाननेवाली दृष्टि ही पर्यायाधिक होती है। अनेक द्रव्यगत अभेद औपचारिक और व्यावहारिक हैं, अतः उनमें सादृश्यमूलक अभेद भी व्यावहारिक ही हैं, पारमार्थिक नहीं। अनेक द्रव्योंका भेद पारमार्थिक ही है। 'मनुष्यत्व' मात्र सादृश्यमूलक कल्पना है। कोई एक ऐसा मनुष्यत्व नामका पदार्थ नहीं है, जो अनेक मनुष्यद्रव्योंमें मोतियोंमें सूतकी तरह पिरोया गया हो। सादृश्य भी अनेकनिष्ठ धर्म नहीं है, किन्तु प्रत्येक व्यक्तिमें रहता है। उसका व्यवहार अवश्य परसापेक्ष है, पर स्वरूप तो प्रत्येकनिष्ठ ही है। अतः किन्हीं भी सजातीय या विजातीय अनेक द्रव्योंका सादृश्यमूलक अभेदसे संग्रह केवल व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं। अनन्त पुद्गलपरमाणुद्रव्योंको पुद्गलत्वेन एक कहना व्यवहारके लिए है। दो पृथक् परमाणुओंकी सत्ता कभी भी एक नहीं हो सकती। एक द्रव्यगत ऊर्ध्वतासामान्यको छोड़कर जितनी भी अभेद-कल्पनाएँ अवान्तरसामान्य या महासामान्यके नामसे की जाती हैं, वे सब व्यावहारिक हैं। उनका वस्तुस्थितिसे इतना ही सम्बन्ध है कि वे शब्दोंके द्वारा उन पृथक् वस्तुओंका संग्रह कर रही हैं। जिस प्रकार अनेकद्रव्यगत अभेद व्यावहारिक है उसी तरह एक द्रव्यमें कालिक पर्यायभेद वास्तविक होकर भी उनमें गुणभेद और धर्मभेद उस अखंड अनिर्वचनीय वस्तुको समझने-समझाने और कहनेके लिए किया जाता है। जिस प्रकार पृथक् सिद्ध द्रव्योंको हम विद्वेष्यकर अलग स्वतन्त्रभावेसे विभा सकते हैं उस तरह किसी एक द्रव्यके गुण और धर्मोंको नहीं बता सकते। अतः परमार्थद्रव्याधिकनय एकद्रव्यगत अभेदको विषय करता है, और व्यवहार पर्यायाधिक एकद्रव्यकी क्रमिक परिवर्तनोंके कल्पित भेदको। व्यवहारद्रव्याधिक अनेकद्रव्यगत कल्पित अभेदको जानता है और पर-

मार्थ पर्यायाधिक दो द्रव्योंके वास्तविक परस्पर भेदको जानता है। वस्तुतः व्यवहारपर्यायाधिककी सीमा एक द्रव्यगत गुणभेद और धर्मभेद तक ही है।

द्रव्यास्तिक और द्रव्याधिक

तत्त्वावर्वातिक (१।३३) में द्रव्याधिकके स्थानमें आनेवाला द्रव्यास्तिक और पर्यायाधिकके स्थानमें आनेवाला पर्यायास्तिक शब्द इसी सूक्ष्मभेदको सूचित करता है। द्रव्यास्तिकका तात्पर्य है कि जो एकद्रव्यके परमार्थ अस्तित्वको विषय करे और तन्मूलक ही अभेदका प्रस्थापन करे। पर्यायास्तिक एकद्रव्यकी वास्तविक क्रमिक पर्यायोके अस्तित्वको मानकर उन्हींके आधारसे भेदव्यवहार करता है। इन दृष्टिसे अनेकद्रव्यगत पर-मार्थ भेदको पर्यायाधिक विषय करके भी उनके भेदको किसी द्रव्यको पर्याय नहीं मानता। यहाँ पर्यायशब्दका प्रयोग व्यवहारार्थ है। तात्पर्य यह है कि एकद्रव्यगत अभेदको द्रव्यास्तिक और परमार्थ द्रव्याधिक, एक-द्रव्यगत पर्यायभेदको पर्यायास्तिक और व्यवहार पर्यायाधिक, अनेक-द्रव्योंके सादृश्यमूलक अभेदको व्यवहार द्रव्याधिक तथा अनेकद्रव्यगत भेदको परमार्थ पर्यायाधिक जानता है। अनेकद्रव्यगत भेदको हम 'पर्याय' शब्दसे व्यवहारके लिए ही कहते हैं। इस तरह भेदाभेदात्मक या अनन्तचरमात्मक ज्ञेयमें ज्ञाताके अभिप्रायानुसार भेद या अभेदको मुख्य और इतरको गौण करके द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयोकी प्रवृत्ति होनी है। कहीं, कौन-ना भेद या अभेद विवक्षित है, यह समझना वक्ता और श्रोताको कुशलतापर निर्भर करता है।

यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि परमार्थ अभेद एकद्रव्यमें ही होता है और परमार्थ भेद दो स्वतंत्र द्रव्योंमें। इसी तरह व्यावहारिक अभेद दो पृथक् द्रव्योंमें सादृश्यमूलक होता है और व्यावहारिक भेद एकद्रव्यके दो गुणों, धर्मों या पर्यायोंमें परस्पर होता है। द्रव्यका अपने गुण, धर्म और पर्यायोंसे व्यावहारिक भेद ही होता है, परमार्थतः तो उनको नत्ता अभिन्न ही है।

तीन प्रकारके पदार्थ और निक्षेप

तीर्थकरोंके द्वारा उपदिष्ट समस्त अर्थका संग्रह इन्हीं दो नयोंमें हो जाता है। उनका कथन या तो अभेदप्रधान होता है या भेदप्रधान। जयत्में ठोस और मौलिक अस्तित्व यद्यपि द्रव्यका है और परमार्थ अर्थ-सज्ञा भी इसी गुण-पर्यायवाले द्रव्यको दी जाती है। परन्तु व्यवहार केवल परमार्थ अर्थसे ही नहीं चलता। अन-व्यवहारके लिए पदार्थोंका निक्षेप शब्द, ज्ञान और अर्थ तीन प्रकारसे किया जाता है। ज्ञाति, द्रव्य, गुण, क्रिया आदि निमित्तोंकी अपेक्षा किये बिना ही इच्छानुसार सज्ञा रखना 'नाम' कहलाता है। जैसे—किसी सड़केका 'गजराज' यह नाम शब्दात्मक अर्थका आधार होता है। जिसका नामकरण हो चुका है उस पदार्थका उसीके आकारवाली वस्तुमें या अतदाकार वस्तुमें स्थापना करना 'स्थापना' निक्षेप है। जैसे—हाथीकी मूर्तिमें हाथीकी स्थापना या शतरजके मुहुरेको हाथी कहना। यह ज्ञानात्मक अर्थका आशय होता है। अतीत और अनागत पर्यायकी योग्यताकी दृष्टिसे पदार्थमें वह व्यवहार करना 'द्रव्य' निक्षेप है। जैसे—युवराजको राजा कहना या जिसने राजपद छोड़ दिया है उसे भी वर्तमानमें राजा कहना। वर्तमान पर्यायकी दृष्टिसे होनेवाला व्यवहार 'भाव' निक्षेप है जैसे—राज्य करनेवालेको राजा कहना।

इसमें परमार्थ अर्थ—द्रव्य और भाव हैं। ज्ञानात्मक अर्थ स्थापना निक्षेप और शब्दात्मक अर्थ नाम-निक्षेपमें शामिल है। यदि बच्चा घोरके किये रोता है तो उसे घोरका लथाकार सिलीना देकर ही व्यवहार निश्चया जा सकता है। जयत्के समस्त धार्मिक व्यवहार सम्बन्धे ही चल रहे हैं। द्रव्य और भाव पदार्थोंकी

वैकालिक पर्यायोंमें होनेवाले व्यवहारके आधार बनते हैं। 'गजराजको बुला लाओ' यह कहनेपर इस नामक शब्दलिखी बुलाया जाता है, न कि गजराज-हाथी। राज्याभिषेकके समय युवराज ही 'राजा साहिब' कहे जाते हैं और राज-सभामें वर्तमान राजा ही 'राजा' कहा जाता है। इत्यादि समस्त व्यवहार कही शब्द, कहीं अर्थ और कहीं स्थापना अर्थात् ज्ञानसे चलते हुए देखे जाते हैं।

अप्रस्तुतका निराकरण करके प्रस्तुतका बोध कराना, संशयको दूर करना और तत्सार्थका अवधारण करना निक्षेप-प्रक्रियाका प्रयोजन है। प्राचीन शैलीमें प्रत्येक शब्दके प्रयोगके समय निक्षेप करके समझानेकी प्रक्रिया देखी जाती है। जैसे—'घड़ा लाओ' इस वाक्यमें ममज्ञायेंगे कि 'घड़ा' शब्दसे नामघट, स्थापनाघट और द्रव्यघट विभजित नहीं, किन्तु 'भावघट' विभजित है। घेरके लिये रोनेवाले बालकको चुप करनेके लिये नामघेर, द्रव्यघेर और भावघेर नहीं चाहिये; किन्तु स्थापनाघेर चाहिये। 'गजराजको बुलाओ' यहाँ स्थापनागजराज, द्रव्यगजराज या भावगजराज नहीं बुलाया जाता किन्तु 'नाम गजराज' ही बुलाया जाता है। अतः अप्रस्तुतका निराकरण करके प्रस्तुतका ज्ञान करना निक्षेपका मुख्य प्रयोजन है।

तीन और सात नय

इस तरह जब हम प्रत्येक पदार्थको अर्थ, शब्द और ज्ञानके आकारोंमें बाँटते हैं तो इनके प्राहक ज्ञान भी स्वभावतः तीन श्रेणियोंमें बँट जाते हैं—ज्ञाननय, अर्थनय और शब्दनय। कुछ व्यवहार केवल ज्ञानाश्रयी होते हैं, उनमें अर्थके तथाभूत होनेकी चिन्ता नहीं होती, वे केवल संकल्पसे चलते हैं। जैसे—आज 'महावीर जयन्ती' है। अर्थके आधारसे चलनेवाले व्यवहारमें एक ओर नित्य, एक ओर व्यापी रूपमें चरम अभेदकी कल्पना की जा सकती है, जो दूसरी ओर क्षणिकत्व, परमाणुत्व और निरंशत्वकी दृष्टिसे अन्तिम भेदकी कल्पना। तीसरी कल्पना इन दोनों चरम कोटियोंके मध्य की है। पहली कोटिमें सर्वथा अभेद—एकत्व स्वीकार करनेवाले औपनिषद अद्वैतवादों में तो दूसरी ओर वस्तुकी सूक्ष्मतम वर्तमानक्षणवर्ती अर्थपर्यायके ऊपर दृष्टि रखनेवाले क्षणिक निरंश परमाणुवादी बौद्ध हैं। तीसरी कोटिमें पदार्थको नानारूपसे व्यवहारमें लानेवाले नैयायिक, वैशेषिक आदि हैं। चौथे प्रकारके व्यक्ति हैं भाषाशास्त्री। ये एक ही अर्थमें विभिन्न शब्दोंके प्रयोगको मानते हैं, परन्तु शब्दनय शब्दभेदसे अर्थभेदको अनिवार्य समझता है। इन सभी प्रकारके व्यवहारोंके समन्वयके लिये जैन परम्पराने 'नय-पद्धति' स्वीकार की है। नयका अर्थ है—अभिप्राय, दृष्टि, विषया या अपेक्षा।

ज्ञाननय, अर्थनय और शब्दनय

इनमें ज्ञानाश्रित व्यवहारका सकल्पमात्रप्राप्ति नैगमनयमें समावेश होता है। अर्थाश्रित अभेद व्यवहारका, जो "आत्मैवेदं सर्वम्" "एकस्मिन् वा विज्ञाते सर्वं विज्ञातम्" आदि उपनिषद्-वाक्योंसे प्रकट होता है, सञ्ज्ञानयमें अन्तर्भाव किया गया है। इससे नीचे तथा एक परमाणुकी वर्तमानकालीन एक अर्थपर्यायसे पहले होनेवाले वास्तव मध्यवर्ती भेदोंकी, जिनमें नैयायिक, वैशेषिकादि दर्शन हैं, व्यवहारनयमें शामिल किया गया है। अर्थकी आसिरी देश-कोटि परमाणुरूपता तथा अन्तिम काल-कोटिमें क्षणिकताको ग्रहण करनेवाली बौद्ध-दृष्टि ऋजुसूत्रनयमें स्थान पाती है। यहाँ तक अर्थको सामने रखकर भेद और अभेद कल्पित हुए हैं। अब शब्दशास्त्रियोंका नम्बर आता है। काल, कारक, संख्या तथा धातुके साथ लगनेवाले भिन्न-भिन्न उपसर्ग आदिसे प्रयुक्त होनेवाले शब्दोंके वाच्य अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। इस काल-कारकादिवाचक शब्दभेदसे अर्थभेद

१. "चक्रं हि—अवगयणिवारणटं पयदस्स पक्खणाणित्तं च ।

संसयविधासणटं तच्चत्थवधारणटं च ॥"

—धवका टी० वृत्त०

ग्रहण करनेवाली दृष्टिका शब्दनयमें समावेश होता है। एक ही साधनसे निष्पन्न तथा एककालवाचक भी अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। अतः इन पर्यायवाची शब्दोंसे भी अर्थभेद माननेवाली दृष्टि समभिरूढमे स्थान पाती है। एवम्भूत नय कहता है कि जिस समय, जो अर्थ, जिस क्रियामें परिणत हो, उसी समय, उसमे तत्क्रियासे निष्पन्न शब्दका प्रयोग होना चाहिये। इसकी दृष्टिसे सभी शब्द क्रियासे निष्पन्न हैं। गुणवाचक 'शुक्ल' शब्द शुचिभवनरूप क्रियासे, जातिवाचक 'अश्व' शब्द आशुगमनरूप क्रियासे, क्रियावाचक 'चलति' शब्द चलनेरूप क्रियासे और नामवाचक यदुच्छाशब्द 'देवयत' आदि भी 'देवने इसको दिया' आदि क्रियाओंसे निष्पन्न होते हैं। इस तरह ज्ञानाश्रयी, अर्थाश्रयी और शब्दाश्रयी समस्त व्यवहारोंका समन्वय इन नयोंमें किया गया है।

मूल नय सात

नयोके मूल भेद सात हैं—नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत। आचार्य सिद्धसेन (सन्मति० १।४-५) अभेदप्राप्ति नैगमका संग्रहमे तथा भेदप्राप्ति नैगमका व्यवहारनयमे अन्तर्भाव करके नयोके छह भेद ही मानते हैं। तत्त्वार्थभाष्यमें नयोके मूल भेद पाँच मानकर फिर शब्दनयके तीन भेद करके नयोके सात भेद गिनाये हैं। नैगमनयके देशपरिक्षेपी और सवंपरिक्षेपी भेद भी तत्त्वार्थभाष्य (१।३४-३५) में पाये जाते हैं। षट्संज्ञागममें नयोके नैगमादि शब्दान्त पाँच भेद गिनाये हैं, पर कसायपाड्डमे मूल पाँच भेद गिनाकर शब्दनयके तीन भेद कर दिये हैं और नैगमनयके सग्रहिक और असग्रहिक दो भेद भी किये हैं। इस तरह सात नय मानना प्रायः सर्वसम्मत है।

नैगमनय^१

संकल्पमात्रकी ग्रहण करनेवाला नैगमनय होता है। जैसे कोई पुरुष दरवाजा बनानेके लिये लकड़ी काटने उगल जा रहा है। पृष्ठनेपर वह कहता है कि 'दरवाजा लेने जा रहा हूँ।' यहाँ दरवाजा बनानेके सकल्पमें ही 'दरवाजा' व्यवहार किया गया है। सकल्प सत्मे भी होता है और असत्मे भी। इसी नैगमनयकी मर्यादामें अनेको औपचारिक व्यवहार भी आते हैं। 'आज महावीर जयन्ती है' इत्यादि व्यवहार इसी नयकी दृष्टिसे किये जाते हैं। निगम गाँवोंको कहते हैं, अतः गाँवमे जिस प्रकारके प्राणी व्यवहार चलते हैं वे सब इसी नयकी दृष्टिसे होते हैं।

^२अकल्पदेवने धर्म और धर्मो दोनोको गौण-मुख्यभावसे ग्रहण करना नैगमनयका कार्य बताया है। जैसे—'जीवः' कहनेसे ज्ञानादि गुण गौण होकर 'जीव इव्य' ही मुख्यरूपसे विवक्षित होता है और 'ज्ञानवान् जीव' कहनेमें ज्ञान-गुण मुख्य हो जाता है और जीव-इव्य गौण। यह न केवल धर्मको ही ग्रहण करता है और न केवल धर्मको ही। विवक्षानुसार दोनो ही इसके विषय होते हैं। भेद और अभेद दोनों ही इसके कार्य-क्षेत्रमें आते हैं। दो^३धर्मोंमें, दो धर्मियोंमें तथा धर्म और धर्मोंमें एकको प्रधान तथा अन्यको गौण करके ग्रहण करना नैगमनयका ही कार्य है, जबकि संग्रहनय केवल अभेदको ही विषय करता है और व्यवहारनय मात्र भेदको ही। यह किसी एकपर नियत नहीं रहता। अतः इसे (४^४नैक गमः) नैगम कहते हैं। कार्य-कारण और आधार-आधेय आदिकी दृष्टिसे होनेवाले सभी प्रकारके उपचारोंको भी यही विषय करता है।

१. "अनभिनिवृत्तार्थसकल्पमात्रप्राप्ति नैगमः ।" —सर्वासि० १।३३ ।

२. लघी० स्ववृ० श्लोक ३९ ।

३. त० श्लोकवा० श्लो० २६९ ।

४. धवलाटी० सप्र० ।

नैगमाभास

अवयव-अवयवी, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्, सामान्य और सामान्यवान् आदिमें सर्वथा भेद मानना नैगमाभास है; क्योंकि गुण गुणीसे पृथक् अपनी सत्ता नहीं रखता और न गुणीकी उपेक्षा करके गुणी ही अपना अस्तित्व रख सकता है। अतः इनमें कथंचित्साक्षात्कृत्य सम्बन्ध मानना ही उचित है। इसी तरह अवयव-अवयवी, क्रिया-क्रियावान् तथा सामान्य-विशेषमें भी कथंचित्साक्षात्कृत्य सम्बन्धको छोड़कर दूसरा सम्बन्ध नहीं है। यदि गुण आदि गुणी आदिसे सर्वथा भिन्न, स्वतन्त्र पदार्थ हों; तो उनमें नियत सम्बन्ध न होनेके कारण गुण-गुणीभाव आदि नहीं बन सकेंगे। कथंचित्साक्षात्कृत्यका अर्थ है कि गुण आदि गुणी आदि रूप ही हैं—उनसे भिन्न नहीं हैं। जो स्वयं ज्ञानरूप नहीं है वह ज्ञानके समवायसे भी 'ज' कैसे बन सकता है? अतः वैशेषिकका गुण आदिका गुणी आदिसे सर्वथा निरपेक्ष भेद मानना नैगमाभास है।^१

साक्ष्यका ज्ञान और सुख आदिको आत्मासे भिन्न मानना नैगमाभास है। साक्ष्यका कहना है कि त्रिगुणात्मक प्रकृतिके सुख-ज्ञानादिक धर्म हैं, वे उसीमें आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं। इसी प्रकृतिके संसर्गसे पुरुषमें ज्ञानादिकी प्रतीति होती है। प्रकृति इस ज्ञानसुखादिरूप 'व्यक्तकार्यको' दृष्टिसे दृश्य है तथा अपने कारणरूप 'अव्यक्त' स्वरूपसे अदृश्य है। चेतन पुरुष कूटस्थ—अपरिणामी नित्य है। चैतन्य बुद्धिसे भिन्न है। अतः चेतन पुरुषका धर्म बुद्धि नहीं है। इस तरह साक्ष्यका ज्ञान और आत्मासे सर्वथा भेद मानना नैगमाभास है, क्योंकि चैतन्य और ज्ञानमें कोई भेद नहीं है। बुद्धि उपलब्धि चैतन्य और ज्ञान आदि सभी पर्यायवाची हैं। सुख और ज्ञानादिको सर्वथा अनित्य और पुरुषको सर्वथा नित्य मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि कूटस्थ नित्य पुरुषमें प्रकृतिके संसर्गसे भी बन्ध, मोक्ष और भोग आदि नहीं बन सकते। अतः पुरुषको परिणामी-नित्य ही मानना चाहिये, तभी उसमें बन्ध-मोक्षादि व्यवहार घट सकते हैं। तात्पर्य यह कि अभेद-निरपेक्ष सर्वथा भेद मानना नैगमाभास है।

संग्रह और संग्रहाभास

अनेक पर्यायोको एकद्रव्यरूपसे या अनेक द्रव्योंको सादृश्य-मूलक एकत्वरूपसे अभेदप्राप्ति संग्रह^२नय होता है। इसकी दृष्टिमें विधि ही मुख्य है। द्रव्यको छोड़कर पर्यायों ही ही नहीं। यह दो प्रकारका होता है—एक परसंग्रह और दूसरा अपरसंग्रह। परसंग्रहमें सत् रूपसे समस्त पदार्थोंका संग्रह किया जाता है तथा अपरसंग्रहमें एक द्रव्यरूपसे समस्त पर्यायोका तथा द्रव्यरूपसे समस्त द्रव्योंका, गुणरूपसे समस्त गुणोंका, गोत्वरूपसे समस्त गोबोका, मनुष्यत्वरूपसे समस्त मनुष्योंका इत्यादि संग्रह किया जाता है।

यह अपरसंग्रह तब तक चलता है जब तक भेदमूलक व्यवहार अपनी चरमकोटि तक नहीं पहुँच जाता। अर्थात् जब व्यवहारनय भेद करते-करते ऋजुसूत्रनयकी विषयभूत एक वर्तमानकालीन क्षणवर्ती अर्थ-पर्याय तक पहुँचता है यानी संग्रह करनेके लिये वो रह ही नहीं जाते, तब अपरसंग्रहकी मर्यादा समाप्त हो जाती है। परसंग्रहके बाद और ऋजुसूत्रनयसे पहले अपरसंग्रह और व्यवहारनयका समान क्षेत्र है, पर दृष्टिमें भेद है। जब अपरसंग्रहमें सादृश्यमूलक या द्रव्यमूलक अभेददृष्टि मुख्य है और इसीलिये वह एकत्व लाकर संग्रह करता है तब व्यवहारनयमें भेदको ही प्रधानता है, वह पर्याय-पर्यायमें भी भेद डालता है। परसंग्रह-नयकी दृष्टिमें सद्रूपसे सभी पदार्थ एक हैं, उनमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। जीव, अजीव आदि सभी सद्रूपसे अभिन्न हैं। जिस प्रकार एक चित्रज्ञान अपने अनेक नौकादि आकारोंमें व्याप्त है उसी तरह सम्भाव

१. लघी० स्व० श्लो० ३९ ।

२. 'सुखं द्रव्यमभिप्रेति संग्रहस्तवभेदतः ।'—लघी० श्लो० ३२ ।

तत्त्व सभी पदार्थोंमें ध्यात है। जीव, अजीव आदि सभी उसीके भेद हैं। कोई भी ज्ञान सम्प्राप्तत्वको जाने बिना भेदको नहीं जान सकता। कोई भी भेद सम्प्राप्तसे बाहर अर्थात् असत् नहीं है। प्रत्यक्ष चाहे चेतन सुखादिमें प्रवृत्ति करे, या बाह्य अचेतन मीलादि पदार्थोंको जाने, वह सद्रूपसे अभेदाद्यको विषय करता ही है। इतना ध्यान रखनेकी बात है कि एक-द्रव्यमूलक पर्यायोंके सग्रहके सिवाय अन्य सभी प्रकारके संग्रह सादृश्यमूलक एकत्वका आरोप करनेकी ही होते हैं और वे केवल संक्षिप्त शब्दव्यवहारकी सुविधाके लिये हैं। दो स्वतन्त्र द्रव्योंमें चाहे वे सजातीय हो या, विजातीय, वास्तविक एकत्व आ ही नहीं सकता।

सग्रहनयकी इस अभेददृष्टिसे सीधी टक्कर लेनेवाली बौद्धकी भेददृष्टि है, जिसमें अभेदको कल्पनात्मक कहकर उमका वस्तुमें कोई स्थान ही नहीं रहने दिया है। इस आत्मलिक भेदके कारण ही बौद्ध अवयवी, स्थूल, नित्य आदि अभेददृष्टिके विषयभूत पदार्थोंकी सत्ता ही नहीं मानते। नित्यांश कालिक अभेदके आधारपर स्थिर है, क्योंकि जब वही एक द्रव्य त्रिकालानुयायी होता है तभी वह नित्य कहा जा सकता है। अवयवी और स्थूलता दैशिक अभेदके आधारसे माने जाते हैं। जब एक वस्तु अनेक अवयवोंमें कथंचित्तादात्म्यरूपसे व्यापित रखे, तभी वह अवयवीव्यपदेश पा सकता है। स्थूलतामें भी अनेकप्रदेशव्यापित्वरूप दैशिक अभेददृष्टि ही अपेक्षणीय होनी है।

इस नयकी दृष्टिसे कह सकते हैं विषय सम्प्राप्तरूप^१ है, एक है, अद्वैत है; क्योंकि सद्रूपसे चेतन और अचेतनमें कोई भेद नहीं है।

अद्वयब्रह्मवाद मगहाभास है, क्योंकि इसमें भेदका 'नेह नानास्ति किञ्चन' (कठोप० ४।११) कहकर सर्वथा निराकरण कर दिया है। सग्रहनयमें अभेद मुख्य होनेपर भी भेदका निराकरण नहीं किया जाता, वह गौण अवश्य हो जाता है, पर उसके अस्तित्वसे इनकार नहीं किया जा सकता। अद्वयब्रह्मवादमें कारक और क्रियाओंके प्रत्यक्षसिद्ध भेदका निराकरण हो जाता है। कर्मद्वैत, फलद्वैत, लोकद्वैत, विद्या-अविद्याद्वैत आदि सभीका लोप इस मतमें प्राप्त होता है। अतः सापेक्षिक व्यवहारके लिये अत्र ही परमग्रहनय जगत्के समस्त पदार्थोंको 'सत्' कह ले, पर इससे प्रत्येक द्रव्यके मौलिक अस्तित्वका लोप नहीं हो सकता। विज्ञानकी प्रयोगशाला प्रत्येक अणुका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करती है। अतः सग्रहनयकी उपयोगिता अभेदव्यवहारके लिये ही है, वस्तुस्थितिका लोप करनेके लिये नहीं।

इसी तरह शब्दाद्वैत भी मगहाभास है। यह इसलिये कि इसमें भेदका और द्रव्योंके उभौ मौलिक अस्तित्वका निराकरण कर दिया जाता है, जो, प्रमाणसे प्रसिद्ध तो है ही, विज्ञानने भी जिसे प्रत्यक्ष कर दिखाया है।

व्यवहार और अव्यवहाराभास

सग्रहनयके द्वारा संगृहीत अर्थमें विधिपूर्वक, अविसंवादी और वस्तुस्थितिमूलक भेद करनेवाला व्यवहारनय^२ है। यह व्यवहारनय लोकप्रसिद्ध व्यवहारका अविरोधी होता है। लोकव्यवहारविरुद्ध, विसंवादी और वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करनेवाली भेदकल्पना^३ व्यवहाराभास है। लोकव्यवहार अर्थ, शब्द और ज्ञान

१. 'सर्वमेकं सदविशेषात्'—तत्त्वार्थमा० १।३५।

२. सग्रहनयासिद्धान्तानामर्थानां विधिपूर्वकभवहरणं व्यवहारः ।' —सर्वांशसि० १।३३।

३. 'कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविभागभाक् ।

प्रमाणबाधितोज्यस्तु तदाभासोऽसंसीयताम् ॥'—स० श्लो० ५० २७१।

तीनोंसे चलता है। जीवव्यवहार जीव-अर्थ जीव-विषयक ज्ञान और जीव-शब्द तीनोंसे सघता है। 'वस्तु उत्पादव्यय-श्रीव्यवाली है, द्रव्य गुण-पर्यायवाला है, जीव चैतन्यरूप है' इत्यादि भेदक-वाक्य प्रमाणाविरोधी हैं तथा लोकव्यवहारमें अविसंवादी होनेसे प्रमाण हैं। ये वस्तुगत अभेदका निराकरण न करनेके कारण तथा पूर्वापराविरोधी होनेसे सत्त्व्यवहारके विषय है। सौत्रान्तिकका जड या चेतन सभी पदार्थोंको सर्वथा क्षणिक निरंश और परमाणुरूप मानना, योगाचारका क्षणिक अविभागी विज्ञानादित मानना, मान्यमिकका निराव-कम्बन ज्ञान या सर्वशून्यता स्वीकार करना प्रमाणाविरोधी और लोकव्यवहारमें विसंवादि होनेसे व्यवहारा-भास है।

जो भेद वस्तुके अपने निजी मौलिक एकरूपकी अपेक्षा रखता है, वह व्यवहार है और अभेदका सर्वथा निराकरण करनेवाला व्यवहाराभास है। दो स्वतंत्र द्रव्योंमें वास्तविक भेद है, उनमें सादृश्यके कारण अभेद आरोपित होता है, जब कि एकद्रव्यके गुण और पर्यायोंमें वास्तविक अभेद है, उनमें भेद उस अस्पष्ट वस्तुका विश्लेषणकर समझनेके लिए कल्पित होता है। इस मूल वस्तुस्थितिको लौकिक भेदकल्पना या अभेदकल्पना तदाभास होती है, पारमार्थिक नहीं। विश्वके अनन्त द्रव्योंका अपना व्यक्तित्व मौलिक भेदपर ही टिका हुआ है। एक द्रव्यके गुणादिका भेद वस्तुतः निष्पत्त्या कहा जा सकता है और उसे अविद्याकल्पित कहकर प्रत्येक द्रव्यके अद्वैत तक पहुँच सकते हैं, पर अतन्त अद्वैतोंमें तो क्या, दो अद्वैतोंमें भी अभेदकी कल्पना उसी तरह औपचारिक है, जैसे सेना, वन, प्राप्त और देश आदि की कल्पना। वैशेषिककी प्रतीतिविद्युत् श्रव्यादिभेद-कल्पना भी व्यवहाराभासमें आती है।

ऋजुसूत्र और तदाभास

व्यवहारनय तक भेद और अभेदकी कल्पना मुख्यतया अनेक द्रव्योंको सामने रखकर चलती है। 'एक द्रव्यमें भी कालक्रमसे पर्यायभेद होता है और वर्तमान क्षणका अतीत और अनागतसे कोई सम्बन्ध नहीं है' यह विचार ऋजुसूत्रनय प्रस्तुत करता है। यह नय^१ वर्तमानक्षणवर्ती शुद्ध अर्थपर्यायको ही विषय करता है। अतीत चूँकि विनष्ट है और अनागत अनुत्पन्न है, अतः उसमें पर्याय व्यवहार ही नहीं हो सकता। इसकी दृष्टिसे नित्य कोई वस्तु नहीं है और स्थूल भी कोई चीज नहीं है। सरल सूत्रकी तरह यह^२ केवल वर्तमान पर्यायको स्पर्श करता है।

यह नय पच्यमान वस्तुको भी अंशतः पक्व कहता है। क्रियमाणको भी अंशतः कृत, भुज्यमानको भी भुक्त और बद्धमानको भी बद्ध कहना इसकी सूक्ष्मदृष्टिमें शामिल है।

इस नयकी दृष्टिसे 'कुम्भकार' व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कुम्भार शिबिक, छत्रक आदि पर्यायोंको कर रहा है, तब तक तो कुम्भकार कहा नहीं जा सकता, और जब कुम्भ पर्यायका समय आता है, तब वह स्वयं अपने उपादानसे निष्पन्न हो जाती है। अब किसे करनेके कारण वह 'कुम्भकार' कहा जाय ?

जिस समय जो आकारके बीठा है, वह यह नहीं कह सकता कि 'अभी ही जा रहा हूँ' इस नयकी दृष्टिमें 'ग्रामनिवास', 'गृहनिवास' आदि व्यवहार नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थमस्थित होता है, वह न तो ग्राममें रहता है और न घरमें हो।

१. 'पञ्चव्युत्पन्नमाही उज्जुसुत्रो गद्यविही मुणोयव्वो।'—अनुयीम० ६।० ४।

प्रकलंकग्रन्थत्रय टि० पृ० १४६।

२. 'सूत्रपासवद् ऋजुसूत्रः।'—तत्पार्थवा० १।३३

सुरः डॉ० महेंद्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

'कौआ काला है' यह नहीं हो सकता; क्योंकि कौआ कौआ है और काला काला । यदि काला कौआ हो; तो समस्त भौरा आदि काले पदार्थ कौआ हो जाएंगे । यदि कौआ काला हो, तो सफेद कौआ नहीं हो सकेगा । फिर कौआके रक्त, मांस, पित्त, हृद्दी, चमड़ी आदि मिलकर पंचरंगी वस्तु होते हैं, अतः उसे केवल काला ही कैसे कह सकते हैं ?

इस नयकी दृष्टिमें पलालका दाह नहीं हो सकता; क्योंकि आगीका मुलगाना, घौंकना और जलाना आदि असंख्य समयकी क्रियाएँ वर्तमान क्षणमें नहीं हो सकती । जिस समय दाह है उस समय पलाल नहीं और जिस समय पलाल है उस समय दाह नहीं, तब पलालदाह कैसा ? 'जो पलाल है वह जलता है' यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि बहुत-सा पलाल बिना जला हुआ पड़ा है ।

इस नयकी सूक्ष्म विश्लेषक दृष्टिमें पान, भोजन आदि अनेक-समय-साध्य कोई भी क्रियाएँ नहीं बन सकती; क्योंकि एक क्षणमें तो क्रिया होती नहीं और वर्तमानका अतीत और अनागतसे कोई सम्बन्ध इसे स्वीकार नहीं है । जिस द्रव्यरूपी माध्यमसे पूर्व और उत्तर पर्यायोंमें सम्बन्ध जुड़ता है उस माध्यमका अस्तित्व ही इसे स्वीकार्य नहीं है ।

इस नयको लोकव्यवहारके विरोधकी कोई चिन्ता नहीं है ।^१ लोक व्यवहार तो यथायोग्य व्यवहार, नैगम आदि अन्य नयोंसे चलेगा ही । इतना सब क्षणपर्यायकी दृष्टिसे विश्लेषण करनेपर भी यह नय द्रव्यका लोप नहीं करता । वह पर्यायकी मुख्यता भले ही कर ले, पर द्रव्यकी परमार्थसत्ता उसे क्षणकी तरह ही स्वीकृत है । उसकी दृष्टिमें द्रव्यका अस्तित्व गौणरूपमें विद्यमान रहता ही है ।

बौद्धका सर्वथा क्षणिकवाद श्रुजुसूत्रनयामात्र है, क्योंकि उसमें द्रव्यका विलोप हो जाता है और जब निर्वाण अवस्थामें चित्तसन्तति दीपककी तरह बुझ जाती है, यानी अस्तित्वशून्य हो जाती है, तब उनके मतमें द्रव्यका सर्वथा लोप स्पष्ट हो जाता है ।

क्षणिक पक्षका समन्वय श्रुजुसूत्रनय तभी कर सकता है, जब उसमें द्रव्यका पारमार्थिक अस्तित्व विद्यमान रहे, भले ही वह गौण हो । परन्तु व्यवहार और स्वरूपभूत अर्थात्क्रियाके लिये उसकी नितान्त आवश्यकता है ।

शब्दनय और तदाभास

काल, कारक, लिंग तथा संख्याके भेदसे शब्दभेद होनेपर उनके भिन्न-भिन्न अर्थोंको ग्रहण करने-वाला शब्दनय^२ है । शब्दनयके अभिप्रायमें अतीत, अनागत और वर्तमानकालीन क्रियाओंके साथ प्रयुक्त होनेवाला एक ही देवदत्त भिन्न हो जाता है । 'करोति क्रियते' आदि भिन्न साधनोंके साथ प्रयुक्त देवदत्त भी भिन्न है । 'देवदत्त-देवदत्ता' इस लिंगभेदमें प्रयुक्त होनेवाला देवदत्त भी एक नहीं है । एकवचन, द्विवचन और बहुवचनमें प्रयुक्त होनेवाला देवदत्त भी भिन्न-भिन्न है । इसको दृष्टिमें भिन्नकालीन, भिन्नकारक-निष्पन्न, भिन्नलिंगक और भिन्नसंख्याक शब्द एक अर्थके साधक नहीं हो सकते । शब्दभेदसे अर्थभेद होना ही चाहिये । शब्दनय उन वैयाकरणोंके तरीकेको अन्याय्य समझता है जो शब्दभेद मानकर भी अर्थभेद नहीं मानना चाहते, अर्थात् जो एकान्तनित्य आदि रूप पदार्थ मानते हैं, उसमें पर्यायभेद स्वीकार नहीं करते ।

१. "ननु संव्यवहारलोपप्रसङ्ग इति चेत्; न; अस्य नयस्य विषयमात्रप्रदर्शनं क्रियते । सर्वनयसमूहसाध्यो हि लोकसंव्यवहारः ।" —सर्वार्थसि० १।३३ ।

२. "कालकारकलिंगादिभेदाच्छब्दोऽर्थभेदकृत् ।" —लघी० श्लो० ४५ । अकलङ्कग्रन्थवटि० पृ० १५६ ।

उनके मतमें कालकारकाभिभेद होनेपर भी अर्थ एकरूप बना रहता है। तब यह नय कहता है कि तुम्हारी मान्यता उचित नहीं है। एक ही देवदत्त कैसे विभिन्न लिंगक, भिन्नसंख्याक और भिन्नकालीन शब्दोंका वाच्य हो सकेगा ? उसमें भिन्न शब्दोंकी वाच्यभूत पर्यायों भिन्न-भिन्न स्वीकार करनी ही चाहिये, अन्यथा लिंगव्यभिचार, साधनव्यभिचार और कालव्यभिचार आदि बने रहेंगे। व्यभिचारका यहाँ अर्थ है शब्दभेद होनेपर अर्थभेद नहीं मानना, यानी एक ही अर्थका विभिन्न शब्दोंसे अनुचित सम्बन्ध। अनुचित इसलिये कि हर शब्दकी वाचकशक्ति जुदा-जुदा होती है; यदि वचनार्थमें तबनुकूल वाच्यव्यक्ति नहीं मानी जाती है तो अनौचित्य तो स्पष्ट ही है, उनका मेल कैसे बैठ सकता है ?

काल स्वयं परिणाम करनेवाले वर्तनाशील पदार्थोंके परिणाममें साधारण निमित्त होता है। इसके भूत, भविष्यत् और वर्तमान ये तीन भेद हैं। केवल शक्ति तथा अनपेक्ष द्रव्य और शक्तिको कारक नहीं कहने; किन्तु शक्तिविशिष्ट द्रव्यको कारक कहते हैं। लिंग चिह्नको कहते हैं। जो गर्भधारण करे वह स्त्री, जो पुत्रादिकी उत्पादक मातृव्य रखे वह पुरुष और जिसमें दोनों ही सामर्थ्य न हों वह नपुंसक कहलाता है। कालादिके ये लक्षण अनेकान्त अर्थमें ही बन सकते हैं। एक ही वस्तु विभिन्न सामग्रीके मिलनेपर घटकारकी रूपसे परिणति कर सकती है। कालादिके भेदमें एक ही द्रव्यकी नामा पर्यायें हो सकती हैं। सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य वस्तुमें ऐसे परिणामकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि सर्वथा नित्यमें उत्पाद और व्यय तथा सर्वथा अनित्यमें स्वयं—प्राप्य नहीं है। इस तरह कारकव्यवस्था न होनेसे विभिन्न कारकोंमें निवृत्त घटकारकी, स्त्रीलिङ्गादि लिंग और वचनभेद आदिकी व्यवस्था एकान्तपक्षमें सम्भव नहीं है।

यह शब्दनय ब्याकरणोंकी शब्दशास्त्रकी सिद्धिका दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, और बताता है कि गिद्धि अनेकान्तसे ही हो सकती है। जब तक वस्तुको अनेकान्तात्मक नहीं मानोगे, तब तक एक ही वर्तमान पर्यायमें विभिन्नलिंगक, विभिन्नसंख्याक शब्दोंका प्रयोग नहीं कर सकोगे, अन्यथा व्यभिचार बोध होगा। अत उम एक पर्यायमें भी शब्दभेदसे अर्थभेद मानना ही होया। जो ब्याकरण ऐसा नहीं मानते उनका शब्दभेद होनेपर भी अर्थभेद न मानना शब्दनयामास है। उनके मतमें उपसर्गभेद, अन्यपुरुषकी अचङ्ग मध्यमपुरुष आदि पुरुषभेद, भावि और वर्तमानक्रियाका एक कारकसे सम्बन्ध आदि समस्त ब्याकरणोंकी प्रक्रियाएँ निराधार एवं निर्विषयक हो जायेंगी। इसीलिये जैनेन्द्रव्याकरणके रचयिता आचार्यवर्य पूज्यपावने अपने जैनेन्द्रव्याकरणका प्रारम्भ "सिद्धिरनेकान्तात्" सूत्रसे और आचार्य हेमचन्द्रने हेमशब्दानुशासनका प्रारम्भ "सिद्धि स्याद्वादात्" सूत्रसे किया है। अत. अन्य ब्याकरणोंका प्रचलित क्रम शब्दनयामास है।

समभिरुद्ध और तदाभास

एककालवाचक, एकलिंगक तथा एकसंख्याक भी अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। समभिरुद्धनय उन प्रत्येक पर्यायवाची शब्दोंका भी अर्थभेद मानता है। इस नयके अतिप्रायसे एकलिंगवाले इन्द्र, शक्र और पुरन्दर इन तीन शब्दोंमें प्रवृत्तिनिमित्तकी भिन्नता होनेसे भिन्नार्थवाचकता है। शक्र शब्द शासनक्रियाकी अपेक्षासे, इन्द्र शब्द इन्द्र—ऐश्वर्यक्रियाकी अपेक्षासे और पुरन्दर शब्द पूर्वारण क्रियाकी अपेक्षासे, प्रवृत्त हुआ है। अतः तीनों शब्द विभिन्न अवस्थाओंके वाचक हैं। शब्दनयमें एकलिंगवाले पर्यायवाची शब्दोंमें अर्थ-नहीं था, पर समभिरुद्धनय प्रवृत्तिनिमित्तोंकी विभिन्नता होनेसे पर्यायवाची शब्दोंमें भी अर्थभेद मानता है। यह नय उन कोशकारोंको दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, जिनने एक ही राजा या पृथ्वीके अनेक नाम-

पर्यायवाची शब्द तो प्रस्तुत कर दिये हैं, पर उम पदार्थमें उन पर्यायशब्दोंकी वाच्यशक्ति जुदा-जुदा स्वीकार नहीं की। जिस प्रकार एक अर्थ अनेक शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक शब्द अनेक अर्थोंका वाचक भी नहीं हो सकता। एक गोशब्दके ग्यारह अर्थ नहीं हो सकते; उस शब्दमें ग्यारह प्रकारकी वाचक-शक्ति मानना ही होगी। अन्यथा यदि वह जिस शक्तितसे पृथिवीका वाचक है उसी शक्तितसे गायका भी वाचक हो; तो एकशक्तिक शब्दसे वाच्य होनेके कारण पृथिवी और गाय दोनों एक हो जायेंगे। अतः शब्दमें वाच्यभेदके हिसाबसे अनेक वाचकशक्तियोंकी तरह पदार्थमें भी वाचकभेदकी अपेक्षा अनेक वाचकशक्तियाँ माननी ही चाहिए। प्रत्येक शब्दके व्युत्पत्तिनिमित्त और प्रवृत्तिनिमित्त जुदे-जुदे होते हैं, उनके अनुसार वाच्य-भूत अर्थमें पर्यायभेद या शक्तिभेद मानना ही चाहिये। यदि एकरूप ही पदार्थ हो; तो उसमें विभिन्न क्रियाओंसे निष्पन्न अनेक शब्दोंका प्रयोग ही नहीं हो सकेगा। इस तरह समभिरुदनय पर्यायवाची शब्दोंकी अपेक्षा भी अर्थभेद स्वीकार करता है।

पर्यायवाची शब्दभेद मानकर भी अर्थभेद नहीं मानना समभिरुदनयामास है। जो मत पदार्थको एकारूप मानकर भी अनेक शब्दोंका प्रयोग करते हैं उनकी यह मान्यता तदाभास है।

एवम्भूत और तदाभास

एवम्भूतनय^१, पदार्थ जिस समय जिस क्रियामें परिणत हूँ उस समय उसी क्रियासे निष्पन्न शब्दको प्रवृत्ति स्वीकार करता है। जिस समय शासन कर रहा हूँ उसी समय उसे शाक कहेंगे, इन्दन-क्रियाके समय नहीं। जिस समय घटन-क्रिया हो रही हूँ, उसी समय उसे घट कहना चाहिये, अन्य समयमें नहीं। समभिरुदनय उस समय क्रिया ही या न हो। पर शक्तिकी अपेक्षा अन्य शब्दोंका प्रयोग भी स्वीकार कर लेता है, परन्तु एवम्भूतनय ऐसा नहीं करता। क्रियाक्षणमें ही कारक कहा जाय, अन्य क्षणमें नहीं। पूजा करते समय ही पुजारी कहा जाय, अन्य समयमें नहीं; और पूजा करते समय उसे अन्य शब्दसे भी नहीं कहा जाय। इस तरह समभिरुदनयके द्वारा वर्तमान पर्यायमें शक्तिभेद मानकर जो अनेक पर्यायशब्दोंके प्रयोगकी स्वीकृति थी, वह इसकी दृष्टिमें नहीं है। यह तो क्रियाका धनी है। वर्तमानमें शक्तिकी अभिव्यक्ति देखता है। तत्क्रियाकालमें अन्य शब्दका प्रयोग करना या उस शब्दका प्रयोग नहीं करना एवम्भूताभास है। इस नयको व्यवहारकी कोई चिन्ता नहीं है। हाँ, कभी-कभी इससे भी व्यवहारकी अनेक गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। न्यायाधीश जब न्यायकी कुरसीपर बैठता है तभी न्यायाधीश है। अन्य कालमें भी यदि उसके सिरपर न्यायाधीशत्व सवार हो, तो गृहस्वी चलना कठिन हो जाय। अतः व्यवहारको जो सर्वनयसाध्य कहा है, वह ठीक ही कहा है। नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म और अल्पविषयक है

इन नयोंमें^२ उत्तरोत्तर सूक्ष्मता और अल्पविषयता है। नैगमनय संकल्पग्राही होनेसे सत् और असत् दोनोंको विषय करता है, जबकि सग्रहनय 'सत्' तक ही सीमित है। नैगमनय भेद और अभेद दोनोंको गौण-मुख्यभावसे विषय करता है, जबकि सग्रहनयकी दृष्टि केवल अभेदपर है, अतः नैगमनय महाविषयक और स्थूल है, परन्तु सग्रहनय अल्पविषयक और सूक्ष्म है। सम्मानग्राही सग्रहनयसे सद्विषेयग्राही व्यवहार अल्प-विषयक है। सग्रहके द्वारा संगृहीत अर्थमें व्यवहार भेद करता है, अतः वह अल्पविषयक ही हो जाता है।

१. 'यैनात्मना भूतस्तेनैवाध्यवसाययति इत्येवम्भूत ।'

—सर्वाधिकारि १।३३। अकलंकग्रन्थत्रयटि० पृ० १४७।

२. 'एवमेने नया पूर्वपूर्वविरुद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानूकूलाल्पविषयाः ।'

—तत्त्वाचक्षां० १।३६।

व्यवहारनय द्रव्यग्राही और त्रिकालवर्ती सद्विशेषको विषय करता है, अतः वर्तमानकालीन पर्यायको ग्रहण करनेवाला ऋजुसूत्र उससे सूक्ष्म ही होता जाता है। शब्दभेदकी चिन्ता नहीं करनेवाले ऋजुसूत्रनयसे वर्तमानकालीन एक पर्यायमें भी शब्दभेदसे अर्थभेदकी चिन्ता करनेवाला शब्दनय सूक्ष्म है। पर्यायवाची शब्दोंमें भेद होनेपर भी अर्थभेद न माननेवाले शब्दनयसे पर्यायवाची शब्दों द्वारा पदार्थमें शक्तिभेद कल्पना करनेवाला समभिरूढनय सूक्ष्म है। शब्दप्रयोगमें क्रियाकी चिन्ता नहीं करनेवाले समभिरूढसे क्रियाकालमें ही उन शब्दका प्रयोग माननेवाला एवम्भूत सूक्ष्मतम और अल्पविषयक है।

अर्थनय, शब्दनय

इन सात नयोंमें ऋजुसूत्र पर्यन्त चार नय अर्थग्राही होनेसे अर्थनय^१ है। यद्यपि नैगमनय, संकल्पग्राही होनेसे अर्थकी सीमासे बाहिर हो जाता था, पर नैगमका विषय भेद और अभेद दोनोंको ही मानकर उसे अर्थग्राही कहा गया है। शब्द आदि तीन नय पदविद्या अर्थात् व्याकरणशास्त्र—शब्दशास्त्रकी सीमा और भूमिका वर्णन करते हैं, अतः ये शब्दनय हैं।

द्रव्याधिक-पर्यायाधिक विभाग

नैगम, सग्रह और व्यवहार ये तीन द्रव्याधिक नय हैं और ऋजुसूत्रादि चार नय पर्यायाधिक हैं। प्रथमके तीन नयोंकी द्रव्यपर दृष्टि रहती है, जबकि शेष चार नयोंका वर्तमानकालीन पर्यायपर ही विचार चालू होता है। यद्यपि व्यवहारनयमें भेद प्रधान है और भेदको भी कहीं-कहीं पर्याय कहा है, परन्तु व्यवहारनय एकद्रव्यनय ऊर्ध्वतासामान्यमें कालिक पर्यायोका अन्तिम भेद नहीं करता, उसका जैन अनेकद्रव्यमें भेद करनेका मुख्यरूपसे है। वह एकद्रव्यकी पर्यायोमें भेद करके भी अन्तिम एकक्षणवर्ती पर्याय तक नहीं पहुँच पाता, अतः इसे शुद्ध पर्यायाधिकमें शामिल नहीं किया है। जैसे कि नैगमनय कभी पर्यायको और कभी द्रव्यको विषय करनेके कारण उभयावलम्बी होनेसे द्रव्याधिकमें ही अन्तर्भूत है उसी तरह व्यवहारनय भी भेदप्रधान होकर भी द्रव्यको विषय करता है, अतः वह भी द्रव्याधिककी ही सीमामें है। ऋजुसूत्रादि चार नय तो स्पष्ट ही एकसमयवर्ती पर्यायको सामने रखकर विचार चलाते हैं, अतः पर्यायाधिक है। आ० जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ऋजुसूत्रको भी द्रव्याधिक मानते हैं^२।

निश्चय और व्यवहार

अध्यात्मवास्तवमें नयोंके निश्चय और व्यवहार ये दो भेद प्रसिद्ध हैं। निश्चयनयकी भूतार्थ और व्यवहारनयको अभूतार्थ भी वहीं^३ बताया है। जिस प्रकार अद्वैतवादमें पारमार्थिक और व्यावहारिक दो रूपोंमें और शून्यवाद या विज्ञानवादमें परमार्थ और साकृत दो रूपोंमें या उपनिषदोंमें सूक्ष्म और स्थूल दो रूपोंमें तत्त्वके वर्णनकी पद्धति देखी जाती है उसी तरह जैन अध्यात्ममें भी निश्चय और व्यवहार इन दो प्रकारोंको अपनाया है। अन्तर इतना है कि जैन अध्यात्मका निश्चयनय वास्तविक स्थितिको उपादानके आधारसे पकड़ता है; वह अन्य पदार्थोंके अस्तित्वका निषेध नहीं करता; जब कि वेदान्त या विज्ञानाद्वैतका परमार्थ अन्य

१. 'बत्वारोऽर्थाश्रयाः शेषास्त्रयं शब्दतः । —सिद्धिचि० । लबी० श्लो० ७२ ।

२. विशेषा० गा० ७५, ७७, २२६२ ।

३. समयसार गा० ११ ।

पदावलीके अस्तित्वको ही समाप्त कर देता है। मुठकी धर्मदेशनाको परमार्थसत्य और लोकसंबृतिगतसत्य इन दो रूपसे घटानेका भी प्रयत्न हुआ है।

निश्चयनय परनिरोध स्वभावका वर्णन करता है। जिन पर्यायोंमें 'पर' निमित्त पढ जाता है उन्हें वह शुद्ध स्वकीय नहीं कहना। परजन्म पर्यायोंको 'पर' मानता है। जैसे—जीवके रागादि भावोंमें यद्यपि आत्मा स्वयं उपादान होता है, वही रागरूपसे परिणत करता है, परन्तु चूंकि ये भाव कर्मनिमित्तक हैं, अतः इन्हें वह अपने आत्माके निश्चयन नहीं मानता। अन्य आत्माओं और जगत्के समस्त अजीवोंको तो वह अपना भान ही नहीं सकता, किन्तु जिन आत्मविकासके स्थानोंमें परका थोडा भी निमित्तत्व होता है उन्हें वह 'पर' के सातेमें ही खतया देता है। इसीलिये समयसारमें जब आत्माके वर्ण, रस, स्पर्श आदि प्रसिद्ध पररूपोंका निषेध किया है तो उसी ढोंकमें गुणस्थान आदि परनिमित्तक स्वधर्मोंका भी निषेध कर दिया गया है।^१ दूसरे शब्दोंमें निश्चयनय अपने मूल लक्ष्य या आदर्शका खालिस वर्णन करना चाहता है, जिससे साधकको भ्रम न हो और वह भटक न जाय। इसलिये आत्माका नैश्चयिक वर्णन करते समय शुद्ध ज्ञायक रूप ही आत्माका स्वरूप प्रकाशित किया गया है। बन्ध और रागादिको भी उसी एक 'पर' कोटिमें डाल दिया है जिसमें पुद्गल आदि प्रकट परपदार्थ पड़े हुए हैं। व्यवहारनय परसाक्षेप पर्यायोंको ग्रहण करनेवाला होता है। परब्रह्म तो स्वतन्त्र है, अतः उन्हें तो अपना कहनेका प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यात्मशास्त्रका उद्देश्य है कि वह साधकको यह स्पष्ट बता दे कि तुम्हारा गन्तव्य स्थान क्या है? तुम्हारा परम ध्येय और चरम लक्ष्य क्या हो सकता है? बीचके पडाव तुम्हारे साध्य नहीं हैं। तुम्हें तो उनसे बहुत ऊँचे उठकर परम स्वावलम्बी बनना है। लक्ष्यका दो टूक वर्णन किये बिना मोड़ी जीव भटक ही जाता है। साधकको उन स्वोपादानक, किन्तु परनिमित्तक विभूति या विकासोसे उसी तरह अलप्यत रहना है, उनसे ऊपर उठना है, जिस तरह कि वह स्त्री, पुत्रादि परभूतन तथा धन-धान्यादि पर अचेतन पदार्थोंसे नाता तोड़कर स्वावलम्बी मार्ग पकडता है। यद्यपि यह साधककी भावना मात्र है, पर इसे आ० कुन्दकुन्दने दार्शनिक आधार पकडाया है। वे उस लोकव्यवहारको हेय मानते हैं, जिसमें अशत-शो परावलम्बन हो। किन्तु यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि ये सत्यस्थितिका अपलाप नहीं करना चाहते। वे लिखते हैं^३ कि 'जीवके परिणामोंको निमित्त पाकर पुद्गलब्रह्म कर्मपर्यायोंको प्राप्त होते हैं और उन कर्मोंके निमित्तसे जीवमें रागादि परिणाम होते हैं, यद्यपि दोनों अपने-अपने परिणामोंमें उपादान होते हैं, पर वे परिणामन परस्पर-हेतुक—अन्योन्यनिमित्तक हैं।' उन्होंने "अण्णोण्णमिस्सेण" पदसे इसी भावका समर्थन किया है। यानी कार्य उपादान और निमित्त दोनों सामग्रीसे होता है।

इस तथ्यका वे अपलाप नहीं करके उसका विवेचन करते हैं और जगत्के उस अहंकारमूलक नैमित्तिक

१ 'द्वे समुपाश्रित्य मुठाना धर्मदेशना।

लोकसंबृतिगतसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥' —साध्यमिककारिका, आर्यसत्यपरीक्षा, श्लो०।

२. 'शेव य जीवट्टाणा ण मुणट्ठाणा य अत्थि जीवस्स।

जेण दु एदे सञ्जे पुग्गलद्वयस्स पज्जाया ॥ ५५ ॥ —समवसार।

३. 'जीववरिणामहेदु कम्मत्तं पुग्गला परिणमति।

पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवोवि परिणमइ ॥८०॥

ण वि कुब्बइ कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे।

अण्णोण्णमिस्सेण दु परिणामं जाण दोहं पि ॥८१॥' —समवसार

कस्तूरेका धारा विश्लेषण करके कहते हैं कि बताओ 'कुम्हारने घडा बनाया' इसमें कुम्हारने आखिर क्या किया ? यह सही है कि कुम्हारको घडा बनानेकी इच्छा हुई, उसने उपयोग लगाया और योग—अर्थात् हाथ-पीर हिलाये, किन्तु 'घट' पर्याय तो आखिर मिट्टीमें ही उत्पन्न हुई। यदि कुम्हारकी इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न ही घटके अन्तिम उत्पादक होते तो उनसे रेत या पत्थरमें भी घडा उत्पन्न हो जाना चाहिये था। आखिर वह मिट्टीकी उपादानबोध्यतापर ही निर्भर करता है, वही योग्यता घटाकार बन जाती है। यह ठीक है कि कुम्हारके ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नके निमित्त बने बिना मिट्टीकी योग्यता विकसित नहीं हो सकती थी, पर इतने निमित्तमात्रसे हम उपादानकी निजयोग्यताकी विभूतिकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इस निमित्तका अहंकार तो देखिए कि जिसमें रचमात्र भी इसका अंश नहीं जाता, अर्थात् न तो कुम्हारका ज्ञान मिट्टीमें बँसता है, न इच्छा और न प्रयत्न, फिर भी वह 'कुम्भकार' कहलाता है ! कुम्भके रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि मिट्टीसे ही उत्पन्न होते हैं, उसका एक भी गुण कुम्हारने उपजाया नहीं है। कुम्हारका एक भी गुण मिट्टीमें पहुँचा नहीं है, फिर भी वह सर्वाधिकारी बनकर 'कुम्भकार' होनेका पुरस्मान करता है !

राग, द्वेष आदिकी स्थिति यद्यपि विभिन्न प्रकारकी है; क्योंकि इसमें आत्मा स्वयं राग और द्वेष आदि पर्यायों रूपसे परिणत होता है; फिर भी यहाँ वे विश्लेषण करते हैं कि बताओ तो सही—क्या शुद्ध आत्मा इनमें उपादान बनता है ? यदि सिद्ध और शुद्ध आत्मा रागादिमें उपादान बनने लगे; तो मुक्तिका क्या स्वरूप रह जाता है ? अतः इनमें उपादान रागादिपर्यायसे विशिष्ट आत्मा ही बनता है, दूसरे शब्दोंमें रागादिसे ही रागादि होते हैं। निश्चयनव बोध और कर्मके अनादि बन्धनसे इनकार नहीं करता। पर उस बंधनका विश्लेषण करता है कि जब दो स्वतंत्र द्रव्य हैं तो इनका संयोग ही तो हो सकता है, तादात्म्य नहीं। केवल संयोग तो अनेक द्रव्योंसे इस आत्माका सदा हो रहनेवाला है, केवल वह हानिकारक नहीं होता। धर्म, अधर्म, आकाश और काल तथा अन्य अनेक आत्माओंसे इसका सम्बन्ध बराबर मौजूद है, पर उससे इसके स्वरूपमें कोई विकार नहीं होता। सिद्धशिलापर विद्यमान सिद्धात्माओंके साथ वहूँकि पुद्गल परमाणुओंका संयोग है ही, पर इतने मात्रसे उनमें बन्धन नहीं कहा जा सकता और न उस संयोगसे सिद्धोंमें रागादि ही उत्पन्न होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि शुद्ध आत्मा परसंयोगरूप निमित्तके रहनेपर भी रागादिमें उपादान नहीं होता और न पर निमित्त उसमें बलात् रागादि उत्पन्न हो कर सकते हैं। हमें सोचना ऊपरकी तरफसे है कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप बन सकता है, जो हम हो सकते हैं, वह स्वरूप क्या रागादिमें उपादान होता है ? नीचेकी ओरसे नहीं सोचना है; क्योंकि अनादिकालसे तो अशुद्ध आत्मा रागादिमें उपादान बन ही रहा है और उसमें रागादिकी परम्परा बराबर चालू है।

अतः निश्चयनवको यह कहनेके स्थानमें कि 'मैं शुद्ध हूँ, अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ; यह कहना चाहिये कि 'मैं शुद्ध, अबद्ध और अस्पृष्ट हो सकता हूँ।' क्योंकि आज तक तो उसने आत्माकी इस शुद्ध आदर्श दशाका अनुभव किया ही नहीं है। नल्कि अनादिकालसे रागादिपंकमें ही वह लिप्त रहा है ! यह निश्चित तो इस आधारपर किया जा रहा है कि जब दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं, तब उनका संयोग भले ही अनादि हो, पर वह टूट सकता है, और वह टूटेंगे तो अपने परमार्थ स्वरूपकी प्राप्तिकी ओर लक्ष्य करनेसे। इस शक्तिका निश्चय भी द्रव्यका स्वतन्त्र अस्तित्व मानकर ही तो किया जा सकता है। अनादि अशुद्ध आत्मामें शुद्ध होनेकी शक्ति है, वह शुद्ध हो सकता है। यह शक्यता—भविष्यत्का ही तो विचार है। हमारा भूत और वर्तमान अशुद्ध

१. जीवों में करेदि बंध जेव परं जेव तेसगे दब्धे ।

बौद्धबोधिया उपादाना य तेषि ह्यपि क्त्वा ॥१००॥'

—सम्बन्धवार ।

है, फिर भी निश्चयनय हमारे उज्ज्व : भविष्यकी ओर, कल्पनासे नहीं, वस्तुके आधारसे ध्यान दिलाता है । उसी तत्त्वको आचार्य कुन्द-कुन्द^१ बड़ी मुन्दरतासे कहते हैं कि 'काम, भोग और बन्धकी कथा सभीको श्रुत, परिचित और अनुभूत है, पर विभक्त—शुद्ध आत्माके एकत्वकी उपलब्धि सुलभ नहीं है ।' कारण यह है कि शुद्ध आत्माका स्वरूप संसारी जीवोको केवल श्रुतपूर्व है अर्थात् उसके सुननेमें ही कदाचित् आया हो, पर न तो उसने कभी इसका परिचय पाया है और न कभी 'इमने उरका अनुभव ही किया है । आ० कुन्द-कुन्द (समयसार गा० ५) अपने आत्मविश्वाससे भरोसा दिलाते हैं कि 'मैं अपनी समस्त सामर्थ्य और बुद्धिका विभव लगाकर उसे दिखाता हूँ ।' फिर भी वे थोड़ी कच्चाईका अनुभव करके यह भी कह देते हैं कि 'यदि ब्रूक जाऊँ, तो छल नहीं मानना ।'

द्रव्य का शुद्ध लक्षण

उनका एक ही दृष्टिकोण है कि द्रव्यका स्वरूप वही हो सकता है जो द्रव्यकी प्रत्येक पर्यायमें व्याप्त होता है । यद्यपि द्रव्य किसी-न-किसी पर्यायको प्राप्त होता है और होगा, पर एक पर्याय दूसरी पर्यायमें तो नहीं पाई जा सकती और इसलिये द्रव्यकी कोई भी पर्याय द्रव्यसे अभिन्न होकर भी द्रव्यका शुद्धरूप नहीं कही जा सकती । अब आप आत्माके स्वरूपपर क्रमशः विचार कीजिए । वर्ण, रस आदि तो स्पष्ट पुद्गलके गुण हैं वे पुद्गलकी ही पर्यायें हैं और उनमें पुद्गल ही उपादान होता है, अतः वे आत्माके स्वरूप नहीं हो सकते, यह बात निर्विवाद है । रागादि समस्त विकारोंमें यद्यपि अपने परिणामीस्वभावके कारण आत्मा ही उपादान होता है, उसकी विरागता ही विगडकर राग बनती है, उसीका सम्यक्त्व विगडकर मिथ्यात्वरूप हो जाता है, पर वे विरागता और सम्यक्त्व भी आत्माके त्रिकालानुयायी शुद्ध रूप नहीं हो सकते; क्योंकि वे निगोद आदि अवस्थामें तथा सिद्ध अवस्था में नहीं पाये जाते । सम्यग्दर्शन आदि गुणस्थान भी उन-उन पर्यायों के नाम हैं जो कि त्रिकालानुयायी नहीं है, उनकी मत्ता मिथ्यात्व आदि अवस्थाओंमें तथा सिद्ध अवस्था में नहीं रहती । इनमें परपदार्थ^२ निमित्त पडता है । किसी-न-किसी पर कर्मका उपशम, क्षय या अयोपशम उसमें निमित्त होना ही है । केवली अवस्थामें जो अनन्तज्ञानादि गुण प्रकट हुए हैं वे घातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुए हैं और अघातिया कर्मोंका उदय उनके जीवनपर्यन्त बना ही रहता है । योगजन्य चञ्चलता उनके आत्मप्रदेशोंमें है ही । अतः परनिमित्तक होनेसे ये भी शुद्ध द्रव्यका स्वरूप नहीं कहे जा सकते । चौदहवे गुणस्थानको पार करके जो सिद्ध अवस्था है वह शुद्ध द्रव्यका ऐसा स्वरूप तो है जो प्रथम-क्षणभावी सिद्ध अवस्थासे लेकर आगेके अनन्तकाल तकके समस्त भविष्यमें अनुयायी है, उसमें कोई भी पर-निमित्तक विकार नहीं आ सकता, किन्तु वह संसारी दशामें नहीं पाया जाता । एक त्रिकालानुयायी स्वरूप ही लक्षण हो सकता है, और वह है—शुद्ध ज्ञायक रूप, चैतन्य रूप । इनमें ज्ञायक रूप भी परपदार्थके जानने-रूप उपाधिकी अपेक्षा रखता है ।

त्रिकालव्यापी 'चित्' ही लक्षण हो सकती है

अतः केवल 'चित्' रूप ही ऐसा बचता है जो भविष्यत्में तो प्रकटरूपसे व्याप्त होता ही है, साथ ही अतीतकी प्रत्येक पर्यायमें, चाहे वह निगोद जैसी अत्यल्पज्ञानवाणी अवस्था हो और केवलज्ञान जैसी समग्र विकसित अवस्था हो, सबमें निर्विवादरूपसे पाया जाता है । 'चित्' रूपका अभाव कभी भी आत्मद्रव्यमें न रहा है, न है और न होगा । वही अंश द्रवणशील होनेसे द्रव्य कहा जा सकता है और अलक्ष्यसे व्यावर्तक

१. सुदपरिचिदाणुभूदा सब्बस्सवि कामभोगबंधकहा ।

एयत्तस्सुवल्लभो णवरि ण सुल्लहो विभत्तस्स ॥

—समयसार गा० ४ ।

होनेके कारण लक्षव्यापी लक्षण ही सकता है। यह शंका नहीं की जा सकती कि 'सिद्ध अवस्था भी अपनी पूर्वकी संसारी निगोद आदि अवस्थाओंमें नहीं पाई जाती, अतः वह शुद्धद्रव्यका लक्षण नहीं हो सकती', क्योंकि यहाँ सिद्धपर्यायको लक्षण नहीं बनाया जा रहा है, लक्षण तो वह द्रव्य है जो सिद्धपर्यायमें पहली बार विकसित हुआ है और चूँकि उस अवस्थासे लेकर आगेकी अनन्तकालमायी समस्त अवस्थाओंमें कभी भी परनिमित्तक किसी भी अन्य परिणमनकी संभावना नहीं है, अतः वह 'चित्' अंश ही द्रव्यका यथार्थ परिचायक होता है। शुद्ध और अशुद्ध विशेषण भी उसमें नहीं लगते, क्योंकि वे उस अलक्ष्य चित्का विभाग कर देते हैं। इसलिये कहा है कि मैं अर्थात् 'चित्' न तो प्रमत्त है और न अप्रमत्त, न तो अशुद्ध है और न शुद्ध, वह तो केवल 'ज्ञायक' है। हाँ, उस शुद्ध और व्यापक 'चित्' का प्रथम विकास मुक्त अवस्थाओं ही होता है। इसीलिये आत्माके विकारी रागादिभावोंकी तरह कर्मके उदय, उपशम, लोपोपशम और क्षयसे होनेवाले भावोंकी भी अनादि-अनन्त सम्पूर्ण द्रव्यव्यापी न होनेसे आत्माका स्वरूप या लक्षण नहीं माना गया और उन्हें भी वर्णादिकी तरह परभाव कह दिया गया है। न केवल उन अव्यापक परनिमित्तक रागादि विकारी भावोंको 'पर भाव' ही कहा गया है, किन्तु पुद्गलनिमित्तक होनेसे 'पुद्गलकी पर्याय' तक कह दिया गया है।

तात्पर्य इतना ही है कि—ये सब बीचकी मंजिलें हैं। आत्मा अपने अज्ञानके कारण उन-उन पर्यायोंकी धारण अवश्य करना है, पर ये सब शुद्ध और मूलभूत द्रव्य नहीं हैं। आत्माके इस त्रिकालव्यापी स्वरूपको आचार्योंने इसीलिये अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त विशेषणोंसे व्यक्त किया है^२। यानी एक ऐसी 'चित्' है जो अनादिकालसे अनन्तकाल तक अपनी प्रवृत्तमान मौलिक सत्ता रखती है। उस अलक्ष्य 'चित्' को हम न निगोदरूपमें, न नारकादि पर्यायोंमें, न प्रमत्त, अप्रमत्त आदि गुणस्थानोंमें, न केवलज्ञानादि क्षाधिक भावोंमें और न अयोगकेवली अवस्थामें ही सीमित कर सकते हैं। उसका यदि दर्शन कर सकते हैं तो निर्याधि, शुद्ध, सिद्ध अवस्थामें। वह मूलभूत 'चित्' अनादिकालसे अपने परिणामी स्वभावके कारण विकारी परिणमनमें पड़ी हुई है। यदि विकारका कारण परभावसंसर्ग हट जाय, तो वही निश्चरकर निर्मल, निर्लेप और खालिस शुद्ध बन सकती है।

तात्पर्य यह कि हम शुद्धनिश्चयनयसे उस 'चित्' का यदि रागादि अशुद्ध अवस्थामें या गुणस्थानोंकी शुद्धाशुद्ध अवस्थाओंमें दर्शन करना चाहते हैं तो इन सबसे दृष्टि हटाकर हमें उस महाव्यापक मूलद्रव्यपर दृष्टि लेनी होगी और उस समय कहना ही होगा कि 'ये रागादि भाव आत्माके यानी शुद्ध आत्माके नहीं हैं, ये तो विनाशी हैं, वह अविनाशी अनाद्यनन्त तत्त्व तो जुदा ही हैं।

समयसारका शुद्धनय इसी मूलतत्त्वपर दृष्टि रखता है। वह वस्तुके परिणमनका निषेध नहीं करता और न उस चित्के रागादि पर्यायोंमें रहनेका प्रतिषेधक ही है। किन्तु वह कहना चाहता है कि 'अनादि-कालीन अशुद्ध किट्ट-कालिमा आदिसे विकृत बने हुए इस सोनेमें भी उस १०० टंचके सोनेको शक्तिरूपसे विद्यमान आभापर एकबार दृष्टि तो दो, तुम्हें इस किट्ट-कालिमा आदिमें जो पूर्ण सुवर्णत्वकी बुद्धि हो रही है, वह अपने-आप हट जायगी। इस शुद्ध स्वरूपपर लक्ष्य दिये बिना कभी उसकी प्राप्तिकी विशामें प्रयत्न

१. "न वि ह्येति अप्यमत्तो न पमत्तो जाणो दु जो भावो।

एवं भणति सुद्धं भावो जो सो उ सो खेव ॥६॥" —समयसार।

२. "जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्ठे अण्णयं जियवं।

अप्पिसेमसंजुत्तं तं सुद्धणयं विधाणीहि ॥१४॥" —समयसार।

सही किया जा सकता। मे अन्वय और अस्पष्ट या असयुक्त विशेषणसे यही विद्वाना चाहते हैं कि आत्मकी तन्त्र, स्पष्ट और सम्युक्त अवस्थाएँ बीच की हैं, ये उनका त्रिकालव्यापी मूल स्वरूप नहीं है।

उस एक 'चित्' का ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूपसे विभाजन या उसका विशेषरूपसे कथन करना भी एक प्रकारका व्यवहार है, वह केवल समझने-समझानेके लिये है। आप ज्ञानकी या दर्शनकी या चारित्रकी भी शुद्ध आत्मका असाधारण लक्षण नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब उस 'चित्' के अंश हैं और उस अन्वय तत्त्वको खट-खट करनेवाले विशेष हैं। वह 'चित्' तो इन विशेषोंसे परे 'अविशेष' है, 'अनन्य' है और 'नियत' है। आचार्य आत्मविश्वाससे कहते हैं कि 'जिसने इसको जान लिया उसने समस्त जिनशासनकी जान लिया।'

निश्चयका वर्णन असाधारण लक्षणका कथन है

लक्षण उस असाधारण धर्मको कहते हैं जो समस्त लक्ष्योंमें व्याप्त हो तथा अलक्ष्यमें विकल्मुल न पस्या अस्य। जो लक्षण लक्ष्यमें नहीं पाया जाता वह असम्भवि लक्षणभास कहलाता है, जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनोंमें पाया जाता है वह अतिव्याप्त लक्षणभास है और जो लक्ष्यके एक देशमें रहता है वह अव्याप्त लक्षणभास कहला जाता है। आत्मद्रव्यका आत्मभूत लक्षण करते समय हम इन तीनों दोषों का परिहार करते जब निर्बंध लक्षण खोजते हैं तो केवल 'चित्' के सिवाय दूसरा कोई पकड़में नहीं आता। वर्णादि जो स्पष्टतम पुद्गलके धर्म हैं, अत वर्णादि से जोधमे असंभव है। रागादि विभावपर्यायों तथा केवलज्ञानादि स्वभावपर्यायों, जिनमें आत्मा स्वयं उपादान होता है समस्त आत्माओंमें व्यापक नहीं होवेसे अव्याप्त है। अत केवल 'चित्' ही ऐसा स्वरूप है जो पुद्गलादि अलक्ष्यमें नहीं पाया जाता और अक्षय्यशुद्ध सभी आत्माओंमें अवाच्यनन्त व्याप्त रहता है। इसलिये 'चित्' ही आत्म द्रव्यका स्वरूपभूत लक्षण हो सकती है।

यद्यपि यही 'चित्' प्रमत्त, अप्रमत्त, नर, नारकादि सभी अवस्थाओंको प्राप्त होती है, पर निश्चयसे ये पर्यायों आत्माका व्यापक लक्षण नहीं बन सकती। इसी व्यापकव्यापकभावको लक्ष्यमें रखकर अनेक अशुद्ध अवस्थाओंमें भी शुद्ध आत्मद्रव्यकी पहिचान करानेके लिये आचार्यने शुद्ध नयका अवलम्बन किया है। इसीलिये 'शुद्ध चित्' का सप्रत्यक्षदर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि रूपसे विभाग भी उन्हें दृष्ट नहीं है। वे एक इतिबंधनीय अखण्ड चित्को ही आत्मद्रव्यके स्थानमें रखते हैं। आचार्यने इस लक्षणभूत 'चित्' के सिवाय जितने भी वर्णादि और रागादि लक्षणभास हैं, उनका परभाव कहकर निवेश कर दिया है। इसी दृष्टिसे निश्चयसयको परमार्थ और व्यवहारनयको अमूर्तार्थ भी कहा है। अमूर्तार्थका यह अर्थ नहीं है कि आत्मामें रागादि है ही नहीं, किन्तु जिस त्रिकालव्यापी द्रव्यरूप चित्को हम लक्षण बना रहे हैं उसमें इन्हे शामिल नहीं किया जा सकता।

वर्णादि और रागादिको व्यवहारनयका नियम कहकर एक ही श्लोकमें निवेश कर देनेसे यह भ्रम सृष्टमें ही हो सकता है कि 'जिस प्रकार रूप, रस, गन्ध आदि पुद्गलके धर्म हैं उगी तरह रागादि भी पुद्गलके ही धर्म होंगे, और पुद्गलनिमित्तक होनेसे इन्हें पुद्गलकी पर्याय कहा भी है।' इस भ्रमके निवारण-

१. 'व्यवहारेणुवादिस्सह गाणिस्स चरित्त दसण गाण।

ण वि गाण च चरित्तं ण दसणं जाणगो शुद्धो ॥ ७ ॥'—समयगार।

के लिये निश्चयनयके दो भेद भी शास्त्रोंमें देखे जाते हैं—'एक शुद्धनिश्चयनय और दूसरा अशुद्धनिश्चयनय । शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें 'शुद्ध चित्त' ही जीवका स्वरूप है। अशुद्ध निश्चयनय आत्माके अशुद्ध रागादि-भावोंकी भी जीवके ही कहता है, पुद्गलके नहीं। व्यवहारनय सद्भूत और असद्भूत दोनोंमें उपचरित और अनुपचरित अनेक प्रकारसे प्रवृत्ति करता है। सम्बन्धकारके टीकाकारोंने अपनी टीकाओंमें वर्णादि और रागादिको व्यवहार और अशुद्धनिश्चयनयकी दृष्टिसे ही विचारनेका संकेत किया है^१ ।

पंचाध्यायीका नय-विभाग

पंचाध्यायीकार अमेदग्राहीको द्रव्याधिक और निश्चयनय कहते हैं तथा किसी भी प्रकारके भेदको ग्रहण करनेवाले नयको पर्यायाधिक और व्यवहारनय कहते हैं। इनके मतसे^२ निश्चयनयके शुद्ध और अशुद्ध भेद करना ही गलत है। ये वस्तुके सद्भूत भेदको व्यवहारनयका ही विषय मानते हैं। अखण्ड वस्तुमें किसी भी प्रकारका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आदिकी दृष्टिसे होनेवाला भेद पर्यायाधिक या व्यवहारनयका विषय होता है। इनकी दृष्टिमें समयवारगत परनिमित्तक—व्यवहार ही नहीं; किन्तु स्वगत भेद भी व्यवहार-नयकी सीमामें ही होता है।^३ व्यवहारनयके दो भेद हैं—एक सद्भूत व्यवहारनय और असद्भूत व्यवहारनय। वस्तुमें अपने गुणोंकी दृष्टिसे भेद करना सद्भूत व्यवहार है। अन्य द्रव्यके गुणोंकी बलपूर्वक अन्यत्र योजना करना असद्भूत व्यवहार है। जैसे वर्णादिवाले मूर्त पुद्गलकर्मद्रव्यके सयोगसे होनेवाले क्रोधादि मूर्तभावोंको जीवके कहना। यहाँ क्रोधादिमें जो पुद्गलद्रव्यके मूर्तत्वका आरोप किया गया है—यह असद्भूत है और गुण-गुणीका जो भेद विवक्षित है वह व्यवहार है। सद्भूत और असद्भूत व्यवहार दोनों ही उपचरित और अनुपचरितके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैं। 'ज्ञान जीवका है' यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय है तथा 'अर्थविकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है और बही जीवका गुण है' यह उपचरित सद्भूत व्यवहारनय है। इसमें ज्ञानमें अर्थविकल्पात्मकता उपचरित है और गुण-गुणीका भेद व्यवहार है।

अनगारधर्माभूत (अध्याय १ श्लो० १०४^{****}) आदिमें जो 'केवलज्ञान जीवका है' यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार तथा 'मितज्ञान जीवका है' यह उपचरित सद्भूत व्यवहारका उदाहरण दिया है; उसमें यह दृष्टि है कि शुद्ध गुणका कथन अनुपचरित तथा अशुद्ध गुणका कथन उपचरित है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय अनुद्धिपूर्वक होनेवाले क्रोधादि भावोंको जीवका कहता है और उपचरित सद्भूत व्यवहारनय उदयमें आये हुए अर्थात् प्रकट अनुभवमें आनेवाले क्रोधादिभावोंको जीवके कहता है। पहलेमें वैभाषिकी शक्तिका आत्मासे अमेद माना है। अनगारधर्माभूतमें 'शरीर मेरा है' यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहारका तथा 'दिश मेरा है' यह उपचरित असद्भूत व्यवहारनयका उदाहरण माना गया है।

पंचाध्यायीकार किसी दूसरे द्रव्यके गुणका दूसरे द्रव्यमें आरोप करना नयाभास मानते हैं। जैसे—वर्णादिको जीवके कहना, शरीरको जीवका कहना, मूर्तकर्म व्योका कर्ता और भोक्ता जीवको मानना, धन-

१. देखो,—द्रव्यसंग्रह गा० ४ ।

२. 'अशुद्धनिश्चयस्तु वस्तुतो यद्यपि द्रव्यकर्मपिज्ञया आभ्यन्तररागावयश्चेतना इति मत्वा निश्चयसंज्ञा लभते तथापि शुद्धनिश्चयनयपिज्ञया व्यवहार एव इति व्याख्यात्तं निश्चयव्यवहारनयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्यम् ।'—समवसार तात्पर्यवृत्ति गा० ७३ ।

३. पंचाध्यायी १।६५९-६१ । ४. पंचाध्यायी १।५२५ से ।

३३२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

धान्य, स्त्री आदिका भोक्ता और कर्ता जीवको मानना, ज्ञान और ज्ञेयमें बोध्यबोधक सम्बन्ध होनेसे ज्ञानको ज्ञेयगत मानना आदि ये सब नयाभास हैं ।

समयसारमें तो एक शुद्धद्रव्यको निश्चयनयका विषय मानकर बाकी परनिमित्तक स्वभाव या परभाव सभीको व्यवहारके गह्वरेमें डालकर उन्हें हेय और अभूतार्थ कहा है । एक बात ध्यानमें रखने की है कि नैगमादिनयोंका विवेचन वस्तुस्वरूपकी मीमांसा करनेकी दृष्टिसे है जब कि समयमारगत नयोंका वर्णन अध्यात्मभावनाको परिपुष्टकर हेय और उपादेयके विचारसे मोक्षमार्गमें लगानेके लक्ष्यसे है ।



अनेकान्त दर्शन की पृष्ठभूमि

ज्ञान सदाचारको जन्म दे सकता है यदि उसका उचित दिशामें उपयोग हो, अतः ज्ञान मात्र ज्ञान होनेसे ही सदाचार और शान्तिवाहकके पदपर नहीं पहुँच सकता। हाँ, जो ज्ञान-जीवन साधनासे फलित होता है उस स्वानुभवका तत्त्वज्ञानत्व और जीवनोन्नायक सर्वोदयी स्वरूप निर्विवाद रूपसे स्वतःसिद्ध है। पर प्रश्न यह है कि—तत्त्वज्ञानके बिना क्या केवल आचरणमात्रसे जीवनशुद्धि हो सकती है? क्या कोई भी धर्म या पन्थ समाज या संघमें बिना तत्त्वज्ञानके सदाचारमात्रसे, जो कि प्रायः सामान्य रूपसे सभी धर्मोंमें स्वीकृत है, अपनी उपयोगिता और विशेषता बता सकता है और अपने अनुयायियोंकी श्रद्धाको जीवित रख सकता है?

बुद्धका अव्याकृतवाद

बुद्ध और महावीर समकालीन समदेश और सम संस्कृतिके प्रतिनिधि थे। दार्शनिक प्रश्नोंके सम्बन्धमें बुद्धका दृष्टिकोण था कि आत्मा लोक-परलोक आदिके शाश्वत-अशाश्वत आदि विवाद निरर्थक है। वे न तो ब्रह्मचर्यके लिए उपयोगी हैं और न निर्वेद उपशम अभिज्ञा सम्बोध या निर्वाणके लिए ही।

मज्झिमनिकाय (२।२।३) के मूलमालुङ्क्य सूत्रका सवाद इस प्रकार है—

“एक बार मालुङ्क्यपुत्रके चित्तमें यह चिन्तक उत्पन्न हुआ कि भगवान्ने इन दृष्टियोंको अव्याकृत (अकथनीय) स्थापित (जिनका उत्तर रोक दिया जाय) प्रतिज्ञित (जिनका उत्तर देना अस्वीकृत हो गया) कर दिया है—१-लोक शाश्वत है? २-लोक अशाश्वत है? ३-लोक अन्तवान् है? ४-लोक अनन्त है? ५-जीव और शरीर एक है? ६-जीव दूसरा और शरीर दूसरा है? ७-मरनेके बाद तथागत होते हैं? ८-मरनेके बाद तथागत नहीं होते? ९-मरनेके बाद तथागत होते भी हैं नहीं भी होते हैं? १०-मरनेके बाद तथागत न होते हैं और न नहीं होते? इन दृष्टियोंको भगवान् मुझे नहीं बतलाते, यह मुझे नहीं रचता—मुझे नहीं समझता। सो मैं भगवान्के पास जाकर इस बातको पूछूँ। यदि मुझे भगवान् कहेंगे तो मैं भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करूँगा। यदि मुझे भगवान् न बतलाएँगे तो मैं भिक्षुशिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन (गृहस्थाश्रम) में लौट जाऊँगा।

मालुङ्क्यपुत्रने बुद्धसे कहा कि यदि भगवान् उक्त दृष्टियोंको जानते हैं तो मुझे बताएँ। यदि नहीं जानते तो न जानने समझनेके लिए यही सीधी (बात) है कि वह (साफ कह दे) मैं नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम।

बुद्धने कहा—

“क्या मालुङ्क्यपुत्र, मैंने तुझसे यह कहा था कि—आ मालुङ्क्यपुत्र, मेरे पास ब्रह्मचर्यवास कर, मैं तुझे बतलाऊँगा लोक शाश्वत है आदि।”

“नहीं भन्ते” मालुङ्क्यपुत्रने कहा।

“क्या तूने मुझसे यह कहा था—मैं भन्ते, भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करूँगा, भगवान् मुझे बतलायेंगे लोक शाश्वत है आदि” “नहीं भन्ते”।

“इस प्रकार मालुङ्क्यपुत्र, न मैंने तुझसे कहा था कि आ.....न तूने मुझसे कहा था कि भन्ते....। फिर मोक्ष पुरुष (फललूके आदमी) तू क्या होकर किसका प्रत्याख्यान करेगा ?

मालुङ्क्यपुत्र, जो ऐसा कहे—मैं तब तक भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास न करूँगा जबतक भगवान्

मुखे यह न बतलावे—लोक शाश्वत है आदि, फिर तथागतने तो उन्हें अव्याकृत किया है, और वह (बीचमें ही) मर जायगा। जैसा मालुक्यपुत्र कीर्ति पुरुष मणि लेखकलिं विषसे युक्त बाणसे विधा हो उसके हित-मित्र भार्हीचन्द चिकित्सकको ले आवे और वह (घायल) यह कहे कि मैं तबतक इस घाल्यको नहीं निकालने दूंगा जबतक अपने बेवनेवाले उस पुरुषको न जान लूँ कि वह ब्राह्मण है? क्षत्रिय है? वैश्य है? शूद्र है? अमुक नामका, अमुक गोत्रका है? लम्बा है, नाटा है, मैथोला है? आदि। जबतक कि उस बेवनेवाले धनुष-को न जान लूँ कि चाप है या कोदण्ड। ज्याको न जान लूँ कि वह अर्ककी है या सठेकी? '.....तो मालुक्य-पुत्र, वह तो अज्ञात ही रह जायेंगे और यह पुरुष मर जायगा। ऐसे ही मालुक्यपुत्र, जो ऐसा कहे मैं तब तक और वह मर जायगा। मालुक्यपुत्र, लोक शाश्वत है। इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा? ऐसा नहीं। लोक अशाश्वत है, इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्मचर्यवास होगा? ऐसा भी नहीं। मालुक्यपुत्र, चाहे लोक शाश्वत है यह दृष्टि रहे, चाहे लोक अशाश्वत है यह दृष्टि रहे, जन्म है ही, जरा है ही, मरण है ही, शोक रोना कादना दुःख दोर्मनस्य परेशानी है ही, जिनके इसी जन्ममें विधातको मैं बत-लाता हूँ।'.....

इसलिये मालुक्यपुत्र, मेरे अव्याकृतको अव्याकृतके तीरपर धारणकर और मेरे व्याकृतको व्याकृतके तीरपर धारण करें।^१

इस संवादसे निम्नलिखित बातें फलित होती हैं—

- १—बुद्धने आत्मा लोक परलोक आदि तत्त्वोंकी चरणांशों न अपनेको उल्लासाया और न शिष्यों को।
- २—लोकको चाहे शाश्वत माना जाय या अशाश्वत; उससे ब्रह्मचर्य धारण करनेमें कोई बाधा नहीं है।
- ३—बुद्धके उपदेशको धारण करनेकी यह शर्त भी नहीं है कि शिष्यको उक्त तत्त्वोंका ज्ञान कराया हो अथवा।
- ४—बुद्धने जिन्हें व्याकृत कहा उन्हें व्याकृत रूपसे और जिन्हें अव्याकृत कहा उन्हें अव्याकृत रूपसे ही धारण करना चाहिए।

उस समयका वातावरण

आजसे २५००-२६०० वर्ष पहिलेके धार्मिक वातावरणपर निगाह फेरें तो मालूम होगा कि उस समय लोक परलोक आत्मा आदिके विषयमें मनुष्यकी जिज्ञासा जग चुकी थी। वह अपनी जिज्ञासाको अनुप-योगिताके आवरणमें भीतर ही भीतर मानसिक हीनताका रूप नहीं लेने देना चाहता था। जिन इस प्रश्नको बुद्धने अव्याकृत रखा, उनका बताना अनुपयोगी कहा, सब पूछा जाय तो धर्म धारण करनेकी आधारभूत बातें वे ही हैं। यदि आत्माके स्वतन्त्र द्रव्य और परलोकगामित्यका विश्वास न हो तो धर्मका आधार ही बदल जाता है। प्रज्ञा पारमिताओंकी परिपूर्णताका क्या अर्थ रह जाता है। 'विश्वके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है? वह कैसा है? यह बोध हुए बिना हमारी चर्याका संयत रूप ही क्या हो सकता है। यह ठीक है कि इनके बाद-विवादमें मनुष्य न पड़े पर यदि जरा, मरण, बेवना, रोग आदिके आधारभूत आत्माकी ही प्रतीति न हो तो दुष्कर ब्रह्मचर्यवास कौन धारण करे? बुद्धके समयमें ६ परिज्ञाजक वे जिनके संघ थे और जिनको तीर्थकरके रूपमें प्रसिद्धि थी। सबका अपना तत्त्वज्ञान था। पूर्णकथ्यप अक्रियावादी, मन्वत्कि

नेसाल ईश्वरदी, अजितकेश कम्बल अठवारी, प्रकृष कल्पायन अकृततावादी और संजयवेलिट्टुपुत अनिषध-वादी थे ।

वेद और उपनिषद्के भी आत्मा परलोक आदिके सम्बन्धमें अपने विधिगत मतमें थे । फिर धमना-संघमें वीक्षित होनेवाले अनेक भिक्षु उठी औपनिषद् तत्त्वज्ञानके प्रतिनिधि वैदिक वर्गसे भी आए थे । अतः अकृतक उनकी जिज्ञासा तृप्त नहीं होगी तबतक वे कैसे अपने पुराने साधियोंके समुच्च उन्नतशिर होकर अपने नये धर्म धारणकी उपयोगिता सिद्ध कर सकेंगे ? अतः व्यावहारिक दृष्टिसे भी इनके स्वरूपका निरूपण करना उचित ही था । तीरसे घायल व्यक्तिका तत्काल तीर निकालना इसलिये प्रथम कर्तव्य है कि उसका असर सीधा शरीर और मनपर हो रहा था । यदि वह विरलीला तीर तत्काल नहीं निकाला जाता तो उसकी मृत्यु हो सकती है । पर दीक्षा लेनेके समय तो प्राणोंका अटकाव नहीं है । जब एक तरफ यह शोषणा की है—“मरीच्य भिक्षवो ग्राह्य मद्ब्रजे न त्वादरात्” अर्थात् भिक्षुओ, मेरे वचनोंको अच्छी तरह परोखा करके ही ग्रहण करना, मात्र मुझमें आदर होनेके कारण नहीं” तो दूसरी ओर मुद्दिके प्रपेनोको अभ्याकृत रखकर और कर्णें मात्र श्रद्धासे अभ्याकृत रूपमें ही ग्रहण करनेकी बात कहना सुसंगत तो नहीं मालूम होता ।

भगवान् महावीरकी मानस अहिंसा

भगवान् महावीरने यह अच्छी तरह समझा कि जब तक बुनियादी तत्त्वोका वस्तु स्थितिके आधारसे यथार्थ निरूपण नहीं होगा तब तक संघके पंचमेल व्यक्तियोंका मानस रागद्वेष आदि पक्ष भूमिकासे उठकर तटस्थ अहिंसाकी भूमिपर आ ही नहीं सकता और मानस संतुलनके बिना वचनोंमें तटस्थता और निर्दोषता आना सम्भव ही नहीं । कायिक आचार भले ही हमारा समत और अहिंसक बन जाय पर इससे आत्मशुद्धि तो ही नहीं सकती, उसके लिए तो मनके विचारोंको और वाणीकी वितण्डा प्रवृत्तिको रास्तेपर लाना ही होगा । इसी विचारसे अनेकान्तदर्शन तथा स्याद्वादका आविर्भाव हुआ । महावीर पूर्ण अहिंसक योगी थे । उनको परिपूर्ण तत्त्वज्ञान था । वे इस बातकी गंभीर आवश्यकता समझते थे कि तत्त्वज्ञानके पायेपर ही अहिंसक आचारका भव्य प्रासाद स्रष्टा किया जा सकता है । दृष्टान्तके लिये हम यज्ञहिंसा सम्बन्धी विचारको ही लें । याज्ञिकोंका यह बर्तन था कि—यज्ञुओकी सृष्टि स्वयम्भूने यज्ञके लिये ही की है, अतः यज्ञमें किया जाने-वाला वध वध नहीं है, अवध है । इसमें दो बातें हैं—१—ईश्वरने सृष्टि बनाई है और २—यज्ञु सृष्टियज्ञके लिये ही है । अतः यज्ञने किया जानेवाला यज्ञुवध विहित है ।

इस विचारके सामने जबतक यह सिद्ध नहीं किया जायगा कि सृष्टिकी रचना ईश्वरने नहीं की है किन्तु यह अनाधि है । जैसा हमारी आत्मा स्वयंसिद्ध है वैसी ही पशुकी आत्मा भी । जैसे हम जीना चाहते हैं, हमें अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही पशुकी भी । इस लोकमें लिये गये हिंसा कर्मसे परलोकमें आत्माको नरकादि गतियोंमें दुःख भोगने पडते हैं । हिंसासे आत्मा मलिन होती है । यह विष्व अनन्त जीवोंका अत्यास है । प्रत्येकका अपना स्वतःसिद्ध स्वातन्त्र्य है अतः मन, वचन, कायगत अहिंसक आचार ही विश्वमें शान्ति ला सकता है तब तक किसी समझदारको यज्ञवधकी निस्सारता, अस्वाभाविकता और पापरूपता कैसे समझमें आ सकती है ।

जब शापवत—आत्मवादी अपनी सभ्रामें यह उपदेश देता हो कि आत्मा कूटस्थ नित्य है, निर्लेप है, अप्रच्य है, कोई हिंसक नहीं, हिंसा नहीं । और अकृतवादी यह कहता हो कि मरनेपर यह जीव सुचिन्ती आदि भूतोंसे मिल जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता । न परलोक है, न मुक्ति ही । तब आत्मा और परलोकके सम्बन्धमें भीत रहना तथा अहिंसा और दुःख निवृत्तिका उपदेश देना सचमुच बिना नीचेके अज्ञान

बनानेके समान ही है। जिज्ञासु पहिले यह जानना चाहेगा कि वह आत्मा क्या है जिसे जन्म, जरा, मरण आदि दुःख है और जिसे ब्रह्मचर्यवासके द्वारा दुःखोका नाश करना है? यदि आत्माकी जन्मसे मरण तक ही सत्ता है तो इस जन्मकी चिन्ता ही मुख्य करनी है और यदि आत्मा एक शाश्वत द्रव्य है तो उसे निलिप्त मानने पर ये अज्ञात दुःख आदि कैसे आए?

यही वह पृष्ठभूमि है जिससे भ० महावीरको सर्वाङ्गीण अहिंसाकी साधनाके लिए मानस अहिंसाके औपन्यस्त रूप अनेकान्त दर्शन और वाचनिक अहिंसाके निर्दुष्ट रूप स्याद्वादकी विवेचनाके लिए प्रेरित किया।

अनेकान्त दर्शन

अनन्त स्वतन्त्र आत्माएँ, अनन्त पुद्गल परमाणु एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्य कालाणु द्रव्यके समूहको ही लोक या विश्व कहते हैं। हममें धर्म-अधर्म, आकाश और काल द्रव्योका विभाव परिणमन नहीं होता। वे अपने स्वाभाविक परिणमनमें लीन रहते हैं। आत्मा और पुद्गल द्रव्योके परस्पर मयोग विभागेसे ये पर्वत, नदी, पृथिवी आदि उत्पन्न होते रहते हैं। इनका नियन्ता कोई ईश्वर नहीं है। सब अपने उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य परिणमनमें अपने-अपने संयोग-वियोगोके आधारसे नाना आकारोको धारण करते रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अनन्त धर्मोका अविरोधी अक्षण्ड आधार है। उसके विराट रूपको शब्दोसे कहना असम्भव है। उम अनन्तधर्मा या अनेकान्त वस्तुके एक-एक धर्मको जानकर और उस अक्षय्यपूर्णताका भान करनेवाले ये मतग्रह हैं जो पक्षभेदकी सृष्टि करके राग-द्वेष, सधर्म, हिंसाको बढ़ा रहे हैं। अतः मानस अहिंसाके लिये वस्तुके 'अनेकान्त' स्वरूप दर्शनको आवश्यकता है। जब मनुष्य वस्तुके विराटरूप तथा अपने ज्ञानकी आशिक गतिकी निष्पक्ष भावसे देखेगा तो उसे सहज ही यह भान हुए बगैर नहीं रह सकता कि दूसरोके ज्ञान भी वस्तुके किसी एक अंशको देख रहे हैं अतः उनकी सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा होनी चाहिए। द्रव्य, अंतर काल, भावकी अपेक्षा प्रत्येक वस्तुके विचार करनेको पद्धति अनेकान्त दर्शनका ही फल है।

तात्पर्य यह कि प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने गुण और पर्याय रूपसे परिणमन करता हुआ अनन्त धर्मोका युगपत् आधार है। हमारा ज्ञान स्वल्प है। हम उसके एक-एक अंशको छूकर उसमें पूर्णताका अहंकार- 'ऐसा ही है' न करें, उसमें दूसरे धर्मोके 'भो' अस्तित्वको स्वीकार करें। यह है वह मानस उच्च भूमिका जिसपर आनेसे मानस राग-द्वेष, अहंकार, पक्षाभिनिवेश, साम्प्रदायिक मताग्रह, हठवाद वितण्डा, सधर्म, हिंसा, युद्ध आदि नष्ट होकर परसमादर तटस्थता, सहानुभूति, मध्यस्थ भाव, मैत्री-भावना, सहिष्णुता, वीतरागकथा, अन्ततः विनय कृतज्ञता, दया आदि सात्त्विक मानस अहिंसाका उदय होता है। यही अहिंसक तत्त्वज्ञानका फल है। आचार्योंने ज्ञानका उत्कृष्ट फल उपेक्षा-रागद्वेष न होकर मध्यस्थ अनामन्त भावका उदय ही बताया है। स्याद्वाद-अमृत भाषा

इस तरह जब मानस अहिंसाकी सात्त्विक भूमिकापर यह मानव आ जाता है तब पशुताका नाश हो जाता है, दानव मानवमें बदल जाता है। तब इसकी वाणोमें तरलता, स्नेह, समाधर, नम्रता और निरहंकारता आदि आ जाने हैं। स्पष्ट होकर भी विनम्र और हृदयपाही होता है। इसी निर्दोष भाषाको स्याद्वाद कहते हैं। स्यात् वाद अर्थात् यह बात स्यात् अमुक निश्चित दृष्टिकोणसे वाद-कही जा रही है। यह 'स्यात्' शब्द कुलमुल्यकीनी शायद संभवतः कदाचित् जैसे संशयके परिवारसे अत्यन्त दूर है। यह अंश निश्चयका प्रतीक है और भाषाके उस अंशको नष्ट करता है जिसके द्वारा अंशमें पूर्णताका बुराग्रह,

कषायह और हठाग्रह किया जाता है। यह उस सर्वहारा प्रवृत्तिको समाप्त करता है जो अपने हुकके सिवाय दूसरोंके श्रम और अस्तित्वको समाप्त करके संघर्ष और हिंसाको जन्म देती है। यह स्याद्वाद अमृत उस महान् अहंकार विषय उबरकी परमौषधि है जिसके आवेगमें मानव तनघारी तूफानके बबुलेकी तरह जमीनपर पैर ही नहीं टिकाता और जगत्में शास्त्रार्थवाद विवाद धर्मदिग्बिजय मतविस्तार जैसे आवरण लेता है। दूसरोंको बिना समझे ही नास्तिक पशु मिथ्यात्वी अपसव प्राकृत ग्राम्य बूष्ट आदि सम्म गालियोसे मन्थानित (?) करता है। 'स्याद्वाद' का 'स्यात्' अपनेमें सुनिश्चित है और महावीरने अपने सधके प्रत्येक सदस्यकी भाषाशुद्धि हमीके द्वारा की। इस तरह अनेकान्त दर्शनके द्वारा मानस शुद्धि और स्याद्वादके द्वारा वचन शुद्धि होनेपर ही अहिंसाके बाह्याचार, ब्रह्मचर्य आदि सजीव हुए, इनमें प्राण आए और मन, वचन और कायके यत्नाचारसे इनकी अप्रमाद परिणतिसे अहिंसा-मन्दिरकी प्राणप्रतिष्ठा हुई। महावीरने बार-बार चेतावनी दी कि—'समयं गोयम या पमायए'—गौतम, इस आत्ममन्दिरकी प्राणप्रतिष्ठामें क्षणमात्र भी प्रमाद न कर।

आचारकी परम्पराका मुख्य पाया तत्त्वज्ञान

इस तरह जब तक बुनियादी बातोंका तत्त्वज्ञान न हो तबतक तो केवल सवाचार और नैतिकताका उपदेश सुननेमें सुन्दर लगता है पर वह बुद्धि तर्क जिज्ञासा, मीमांसा समीक्षा और नमालोचनाकी तुष्टि नहीं कर सकता। जब तक संघके मानस विकल्प नहीं हटेंगे तब तक वे बौद्धिकहीनता, मानसदीनताके तामस भावसे प्राण नहीं पा सकते और चित्तमें यथार्थ निर्बेर वृत्तिका उदय नहीं कर सकते। जिस आत्माके यह सब होता है यदि उसके ही स्वरूपका भान न हो तो मात्र अनुपयोगिताका सामयिक समाधान शिष्योंके मूँहको बन्द नहीं रख सकता। आसिर मालुक्क्यपुत्रने बुद्धको साफ-साफ कह दिया कि आप यदि नहीं जानते तो साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम।

जिन प्रश्नोंको बुद्धने अव्याकृत रखा उनका महावीरने अनेकान्तदृष्टिसे स्याद्वाद भाषामें निरूपण किया। उनमें आत्माको इव्यदृष्टिसे शाश्वत, पर्यायदृष्टिसे अशाश्वत बताया। यदि आत्मा कूटस्थ नित्य सदा अपरिवर्तनशील माना जाता तो पुष्य-पाप सब व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि उनका असर आत्मापर तो पड़ेगा नहीं। यदि आत्मा क्षण विनस्वर और धाराविहीन नि सन्तान सर्वथा नवोत्पादवाना है तो भी कृत-कर्मकी निष्फलता होती है, परलोक नहीं बनता। अत इव्य-दृष्टिसे धारा-प्रवाही प्रतिक्षण परिश्रित सस्कार-याही आत्मामें ही पुष्य-पाप कर्तुल्य सदाचार ब्रह्मचर्यवास आदि गार्थक होते हैं। इसमें न औपनिषदोंकी तरह शाश्वतवादका प्रसंग है और न जहवायियोंकी तरह उच्छेदवादका डर है और न उसे उभयनिषेधक 'अशाश्वतानुच्छेदवाद' जैसे विधि-विहीन शब्दसे निवेश करनेकी ही आवश्यकता है।

यही सब विचारकर भगवान् महावीरने लोक-परलोक, आत्मा आदि सभी पदार्थोंका अनेकान्तदृष्टि-से पूर्ण विचार किया और स्याद्वादवाणीसे उसके निरूपणका निर्दोष प्रकार बताया। यह जैनदर्शनकी पूष्ट-भूमि है जिसपर उत्तरकालीन आचार्योंने शतावधि ग्रन्थोंकी रचना करके भारतीय साहित्यसारको आलो-कित किया। अकेले 'स्याद्वाद' पर ही बीसों छोटे-मोटे ग्रन्थ लिखे गये हैं। इन अनेकान्तके विशाल सागर में सब एकान्त समा जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकरके शब्दोंमें ये स्याद्वादमय जिन वचन मिथ्यादर्शनके समूह रूप हैं। इसमें समस्त मिथ्यादृष्टियाँ अपनी-अपनी अपेक्षामें विराजमान हैं। और अमृतसार या अमृतस्वाहु हैं। वे तटस्थ वृत्तिवाले संविन्न जीवोंको अतिशय सुखदायक हैं। वे जगत् का कल्याण करे—

“महं मिच्छार्थसणसमूहमद्भ्यस्त अमयसारस्त।

जिणबयणस्त भगवओ सविग्गसुहाहिग्गमस्त।”

१. देखीं, प्रो० बलमुक्त मारुबणिया लिखित जैन तर्कवार्तिक की प्रस्तावना।

अनेकान्तदर्शन का सांस्कृतिक आधार

भारतीय विचार परम्परामें स्पष्टतः दो धाराएँ हैं। एक धारा वेदको प्रमाण माननेवाले वैदिक दर्शनोंकी है और दूसरी वेदको प्रमाण न मानकर पुरुवानुभव या पुरुवसाक्षात्कारको प्रमाण माननेवाले श्रमण सन्तो की। यद्यपि चार्वाकदर्शन भी वेदको प्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आत्माका अस्तित्व जन्मसे मरण पर्यन्त ही स्वीकार किया है। उसने परलोक, पुण्य-पाप-मोक्ष जैसे आत्मप्रतिष्ठित तत्त्वोंकी तथा आत्मसंशोधक चारित्र आदिकी उपयोगिता स्वीकृत नहीं की है अतः अवैदिक होकर भी वह श्रमणधारामें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। श्रमणधारा वैदिक परम्पराको न मानकर भी आत्मा, जडभित्त ज्ञानसन्तान, पुण्य-पाप, परलोक, निर्वाण आदिमें विश्वास रखती है अतः पाणिनिकी परिभाषाके अनुसार आस्तिक है। वेदको या ईश्वरको जगत्कर्ता न माननेके कारण श्रमणधाराको नास्तिक कहना उचित नहीं है, क्योंकि किसी एक परम्पराको न माननेके कारण यदि श्रमण नास्तिक कहे जाते हैं तो श्रमणपरम्पराको न माननेके कारण वैदिक भी मिथ्यादृष्टि आदि विशेषणसे पुकारे जा सकते हैं।

श्रमणधाराका सारा तत्त्वज्ञान या दर्शन विस्तार जीवनशोधन या चारित्रवृद्धिके लिए हुआ था। वैदिक परम्परामें तत्त्वज्ञानको ही मुक्तिका साधन माना है जबकि श्रमणधारामें चारित्रिकी। वैदिक परम्परा वैराग्य आदिसे ज्ञानको पुष्ट करती है और विचारशुद्धि करके मोक्ष मान लेती है जबकि श्रमणपरम्परा कष्टही है कि उस ज्ञान या विचारका कोई मूल्य नहीं जो जीवनमें न उतरे। जिसकी सुधाससे जीवन सुवासित न हो। वह ज्ञान या विचार मस्तिष्कके व्यायामसे अधिक कुछ भी महत्त्व नहीं रखते। जैन परम्परामें तत्त्वार्थसूत्रका आद्य सूत्र है—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं” (तत्त्वार्थसूत्र १।१) अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी आत्मपरिणति मोक्षका मार्ग है। यहाँ मोक्षका साक्षात् कारण चारित्र है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान तो उभय चारित्रके परिपोषक हैं। बौद्ध परम्पराका अष्टाङ्ग मार्ग भी चारित्रका ही विस्तार है। तात्पर्य यह कि श्रमणधारामें ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रिका ही अन्तिम महत्त्व रहा है और प्रत्येक विचार और ज्ञानका उपयोग चारित्र अर्थात् आत्मशोधन या जीवनमें सामञ्जस्य स्थापित करनेके लिए किया गया है। श्रमणसन्तोंने तप और साधनाके द्वारा वीतरागता प्राप्त की और उसी परमवीतरागता समता या अहिंसाकी उत्कृष्ट ज्योतिकी विश्वमें प्रचारित करनेके लिए विश्वतत्त्वोंका साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार नहीं, आचार या ज्ञान नहीं, चारित्र था, वाग्विलास या शास्त्रार्थ नहीं, जीवन शुद्धि और संवाद था। अहिंसाका अन्तिम अर्थ है जीवमात्रमें—चाहे वह स्थावर हो या जगम, पशु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय या शूद्र, गौरा हो या काला, एतद्देशीय हो या विदेशी—देश काल शरीराकारके आवरणोंसे परे होकर समत्ववर्दान। प्रत्येक जीव स्वरूपसे चैतन्यस्रष्टिकता अलक्ष्य शाश्वत आधार है। कर्म या वासनाओंके कारण वृक्ष, कीड़ा-मकोड़ा, पशु और मनुष्य आदि शरीरोंको धारण करता है पर अलक्ष्य चैतन्यका एक भी अंश उसका नष्ट नहीं होना वह वासना या राग द्वेषादिके द्वारा विकृत अवश्य हो जाता है। मनुष्य अपने देश-काल आदि निमित्तोंसे गिरे या काले किमी भी शरीरको धारण किए हो, अपनी वृत्ति या कर्मके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी भी श्रेणोंमें उसकी गणना व्यवहारमें की जाती हो, किसी भी देशमें उत्पन्न हुआ हो, किसी भी सन्तका उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तोंसे ऊँच या नीच नहीं हो सकता। किसी वर्ण विशेषमें उत्पन्न होनेके कारण ही वह धर्मका ठेकेदार नहीं बन सकता। मानवमात्रके अन्तः समान अधिकार हैं। न केवल मानवके किन्तु पशु, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष आदि प्राणियोंके भी। अमुक-प्रकारकी आजीविका या व्यापारके कारण वह किसी मानवाधिकारसे वंचित नहीं हो सकता। यह मानवसमत्वभावना या प्राणिमान-समताकी

उत्कृष्ट सत्त्वमयी अहिंसाके विकसित रूप है। भ्रमणसन्ताने यही कहा कि एक मनुष्य किमी भूखण्डपर या अन्य भौतिक साधनोंपर अधिकार कर लेनेके कारण जगत्में महान् एतावता दूसरोंके निदंजनका जन्मगिद्ध अधिकारी नहीं हो सकता। किसी वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण दूसरोंका शासक या धर्मका ठेकेदार नहीं हो सकता। भौतिक साधनोंकी प्रतिष्ठा बाह्यमें कदाचित् ही भी पर धर्मक्षेत्रमें प्राणिमात्रको एक ही मूमि-पर बैठना होगा, हरएक प्राणीको धर्मकी धीतल छायामें समान भावसे सन्तोषकी साँस लेनेका सुअवसर है। व्यक्ति आत्मसमत्व, वीतरागत्व या अहिंसाके विकाससे महान् हो सकता है न कि जगत्में विषमता फैलाने-वाले हिंसक परिग्रहके संग्रहसे। आदर्श त्याग है न कि संग्रह। इस तरह जाति, वर्ण रंग, देश, आकार, परिग्रहसंग्रह आदि विषयतम और संघर्षके कारणसे परे होकर प्राणिमात्रको समत्व, अहिंसा और वांतरागताका पावन सन्देश इन भ्रमणसन्ताने उस समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक षगविशेषकी जीविकाके साधन बने हुए थे। स्वर्गके टिकित कुछ गाय, सोना और स्त्रियोकी दक्षिणासे प्राण हो जाँये, धर्मके नाम-पर गोमेध, अजामेध क्वचित् नरत्पेध तकका खुला बाजार था, जातिगत उच्चत्व, नीचत्वका विप मयाजशरीर-को बध कर रहा था, अनेक प्रकारसे सत्ताकी हथियानेके षड्यन्त्र चालू थे। उस दबर् युगमें मानवसमत्व या प्राणिमैत्रीका उदारतम सन्देश इन युगधर्मों सन्ताने नास्तिकताका मिथ्या लालन सहनें हुए भी दिया और भ्रान्त जनताको सच्ची समाज-रचनाका मूलमन्त्र बताया।

पर, यह अनुभवसिद्ध बात है कि अहिंसाकी स्थायी प्रतिष्ठा मन-शुद्धि और वचनशुद्धिके बिना नहीं हो सकती। हम भले ही शरीरसे दूसरे प्राणियोंकी हिंसा न करें पर यदि वचनव्यवहार और चित्तगत विचार विषम या विस्वादी हीं तो कामिक अहिंसा पल ही नहीं सकती। अपने विचार अर्थात् मतको पुष्ट करनेके लिए उँच-नीच शब्द बोले जायेंसे और फलतः हाथापाईका अवसर आए बिना न रहेगा। भारतीय शास्त्राचार्योका इतिहास अनेक हिंसाकाण्डोंके खूनी पन्नोंसे रँगा हुआ है। अत यह आवश्यक था कि अहिंसा-की सर्वाङ्गीण प्रतिष्ठाके लिए विश्वका यथार्थ तत्त्वज्ञान हो और विचारशुद्धिमूलक वचनशुद्धिकी जीवन-व्यवहारमें प्रतिष्ठा हो। यह संभव ही नहीं है कि एक वस्तुके सम्बन्धमें परस्पर विरोधी मनवाद चलने रहें, अपने पक्षके समर्थनके लिए उचित, अनुचित शास्त्रार्थ होते रहें, पक्षप्रतिपक्षोंका संगठन हो, शास्त्रार्थमें हारने-वालेको तेलकी जलती कड़ाहीमें जीवित तल देने जैसी हिंसक होठे भी लगे, फिर भी परस्पर अहिंसा कायम रहे।

भगवान् महावीर एक परम अहिंसक सन्त थे। उनसे देखा कि आजका सारा राजकारण धर्म और मतवादियोंके हाथमें है। जबतक इन मतवादीका वस्तुस्थितिके आधारसे समन्वय न होगा तबतक हिंसाकी जड़ नहीं कट सकती। उनसे विश्वके तत्त्वोंका साक्षात्कार किया और बताया कि विश्वका प्रत्येक चेतन और जड़ तत्त्व अनन्तधर्मोंका अन्धकार है। उसके विराट् स्वरूपको साधारण मानव परिपूर्णरूपमें नहीं जान सकता। उसका ज्ञानान्त वस्तुके एक-एक अंशको जानकर अपनेमें पूर्णताका दुरभिमान कर बैठता है। विवाद वस्तुमें नहीं है, विवाद तो देखनेवालोंकी दृष्टिमें है। काश, ये वस्तुके विराट् अनन्तधर्मोत्पक या अनेकान्तात्मक स्वरूप की शोकी था सकते। उनसे इस अनेकान्तात्मक तत्त्वज्ञानकी ओर मतवादियोंका ध्यान खींचा और बताया कि देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्तगुण पर्याय और धर्मोंका अक्षण्ड पिण्ड है। यह अपनी अनाद्यन्त सन्तानस्थिति-की दृष्टिसे नित्य है, कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जब विश्वके रङ्गमन्त्रसे एक कणका भी समूल विनाश हो जाय। साथ ही प्रतिक्षण उसकी पर्यायें बदल रही हैं, उसके गुण-धर्मोंमें सद्वा या विसद्वा प्कि-वर्तन हो रहा है। अतः यह अनित्य भी है। इसी तरह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय और धर्म प्रत्येक वस्तुकी

निजी सम्पत्ति है। इनमेंसे हमारा स्वल्प ज्ञानलव एक-एक अशकी विषय करके क्षुद्र मतवादोंकी सृष्टि कर रहा है। आत्माको नित्य सिद्ध करनेवालाका पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्माको अनित्य मिद्ध करनेवालाकी उलाहपछाड़में लगा रहा है तो अनित्यवादियोंका गुट नित्यवादियोंको भला-बुरा कह रहा है। महावीरको इन मतवादियोंकी बुद्धि और वृत्तिपर तरस आता था। वे बुद्धकी तरह आत्मनित्यत्व और अनित्यत्व, पर-लोक और निर्वाण आदिको अव्याप्त कहकर बौद्धिक तमकी सृष्टि नहीं करना चाहते थे। उनमें इन सभी तत्त्वोंका यथार्थ स्वरूप बताकर शिष्योंको प्रकाशमें लाकर उन्हें मानसममताकी समभूमिपर ला दिया। उनमें बताया कि वस्तुको तुम जिस दृष्टिकोणसे देख रहे हो, वस्तु उतनी ही नहीं है उसमें ऐसे अनन्त दृष्टिकोणोंसे देखे जानेकी क्षमता है, उसका विराट् स्वरूप अनन्तधर्मात्मक है। तुम्हें जो दृष्टिकोण विरोधी मालूम होता है उसका ईमानदारीसे विचार करो वह भी वस्तुमें विद्यमान है। चित्तसे पक्षपातकी दुरभिसन्धि निकाशे और दूसरेके दृष्टिकोणको भी अपनी ही प्रामाणिकतासे वस्तुमें खोजो वह वही लहुरा रहा है। हाँ, वस्तुकी सीमा और मर्यादाका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तुम चाहो कि जड़में चेतनत्व खोजा जाय या चेतनमें जड़त्व, तो नहीं मिल सकता। क्योंकि प्रत्येक पदार्थके अपने-अपने निजी धर्म निश्चित हैं। मैं प्रत्येक वस्तुको अनन्तधर्मात्मक कह रहा हूँ, सर्वधर्मात्मक नहीं। अनन्त धर्ममें चेतनके समस्त धर्म चेतनमें मिलेंगे तथा अचेतनगत समस्त धर्म अचेतनमें। चेतनके गुणधर्म अचेतनमें नहीं पाए जा सकते और न अचेतनके चेतनमें। हाँ, कुछ ऐसे सामान्य धर्म भी हैं जो चेतन और अचेतन दोनोंमें साधारण रूपसे पाए जाते हैं। तात्पर्य यह कि वस्तुमें बहुत गुणादृश्य हैं। वह क्षतनी विराट् है जो हमारे, तुम्हारे अनन्त दृष्टिकोणोंसे देखी और जानी जा सकती है। एक क्षुद्र-दृष्टिके आग्रहपूर्वक दूसरेकी दृष्टिका तिरस्कार करना या अपनी दृष्टिका अहंकार करना वस्तुके स्वरूपकी नासमझीका परिणाम है। हरिभद्रसूरिनमें लिखा है कि—

“आग्रहो वत निनोर्षति युक्ति तत्रयत्र मतिरस्य निविष्टा।
पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्यत्र तत्र मतिरेति निवेशम् ॥”

अर्थात् आग्रहो व्यक्ति अपने मनपोषणके लिए युक्तियाँ ढूँढ़ता है, युक्तियोंको अपने मतको ओर ले जाता है पर पक्षरहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिमिद्ध वस्तुस्वरूप को स्वीकार करनेमें अपनी मतिकी सफलता मानता है। अनेकान्त दर्शन भी यही मिलाता है कि युक्तिमिद्ध वस्तुस्वरूपकी ओर अपने मतको लगाओ न कि अपने निश्चित मतकी ओर वस्तु और युक्तिकी खोजतानी करके उन्हें बियाड़नेका दुष्प्रयास करो, और न कल्पनाकी उड़ान इतनी लम्बी लो जो वस्तुकी सीमाको ही लौघ जाय। तात्पर्य यह कि मानस समताके लिए यह वस्तुस्थितिमग्न अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावश्यक है। इसके द्वारा इस नरतनधारीको ज्ञात हो सकेगा कि वह किनमें पानीमें है, उसका ज्ञान किनना स्वल्प है, और वह किम दुरभिमानसे हिंसक मतवादका सर्जन करके मानवगमाजका अहित कर रहा है। हम मानस अहिंसात्मक अनेकान्त दर्शनसे विचारोंमें या दृष्टिकोणोंमें कामचलाऊ समन्वय या ढोला-ढीला समझौता नहीं होता किन्तु वस्तुस्वरूपके आधारसे यथार्थ तत्त्वज्ञानमूलक समन्वयदृष्टि प्राप्त होती है।

डॉ० सर राधाकृष्णन् इंडियन फिलॉसफी (जिल्द १, पृ० ३०५-६) में स्याद्वादके ऊपर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि—“इससे हमें केवल आपेक्षिक अथवा अर्धसत्यका ही ज्ञान हो सकता है, स्याद्वादसे हम पूर्ण सत्यको नहीं जान सकते। दूसरे शब्दोंमें—स्याद्वाद हमें अर्धसत्यके पास लाकर पटक देता है और इन्हीं अर्धसत्यको पूर्णसत्य मान लेनेको प्रेरणा करता है, परन्तु केवल निश्चित-अनिश्चित अर्धसत्यको मिटाकर एकसाथ रख देनेसे वह पूर्णसत्य नहीं कहा जा सकता। आदि।”

क्या सर राधाकृष्णन यह बतानेकी कृपा करेंगे कि स्याद्वादने निश्चित-अनिश्चित अर्धसत्योको पूर्ण-सत्य माननेकी प्रेरणा कैसे की है ? हाँ, वह वेदान्तकी तरह चेतन और अचेतनके काल्पनिक अभेदकी दिमागी बीजमें अवश्य शामिल नहीं हुआ, और न वह किसी ऐसे सिद्धान्तका समन्वय करनेकी सलाह देता है जिसमें वस्तुस्थितिकी उपेक्षा की गई हो। सर राधाकृष्णनको पूर्णसत्य वह काल्पनिक अभेद या ब्रह्म इष्ट है जिसमें चेतन-अचेतन, मूर्त-अमूर्त सभी काल्पनिक चीजें समा जाते हैं। वे स्याद्वादकी समन्वयदृष्टिकी अर्धसत्योके पास लाकर पटकना समझते हैं। पर जब प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः अनन्तधर्मात्मक है तब उस वास्तविक नतीजे-पर पहुँचने को अर्धसत्य कैसे कह सकते हैं। हाँ, वह उस प्रमाण-विषय काल्पनिक अभेदकी ओर वस्तुस्थिति-मूलक दृष्टिसे नहीं ले जा सकता। वैसे संग्रहनयकी एक चरम अभेदकी कल्पना जैनदर्शनकारोंने भी की है और उस परममग्रहनयकी अभेददृष्टिसे बताया है कि 'सर्वमेकं सदविशेषात्' अर्थात् जगत् एक है, सद्रूपसे चेतन और अचेतनमें कोई भेद नहीं है। पर यह एक कल्पना है नयोकिएसा एक सत् नहीं है जो प्रत्येक मौलिक द्रव्यमें अनुगत रहता हो। अतः यदि सर राधाकृष्णनको चरम अभेदकी कल्पना ही देखनी हो तो वे परममग्रहनयके दृष्टिकोणमें देख सकते हैं, पर वह केवल कल्पना होगी, वस्तुस्थिति नहीं। पूर्णसत्य तो वस्तुका अनेकान्तात्मक रूपसे दर्शन ही है न कि काल्पनिक अभेदका दर्शन।

इसी तरह प्रो० बलदेव उपाध्याय इस स्याद्वादसे प्रभावित होकर भी सर राधाकृष्णनका अनुसरण-कर स्याद्वादको मूलभूततत्त्व (एक ब्रह्म ?) के स्वरूपके समझनेमें नितान्त असमर्थ बतानेका साहस करते हैं। इनने तो यहाँ तक लिख दिया है (भारतीय दर्शन, पृ० १७३) कि "इसी कारण यह व्यवहार तथा परमार्थके बीचोंबीच तत्त्वविचारकी कतिपय क्षणके लिए विस्मय तथा विराम देनेवाले विश्रामगृहसे बढ़कर अधिक महत्त्व नहीं रखता।" आप चाहें हैं कि प्रत्येक दर्शनको उस काल्पनिक अभेद तक पहुँचना चाहिए। पर स्याद्वाद जब वस्तु विचार कर रहा है तब वह परमार्थ सत् वस्तुकी सीमाको कैसे लीच सकता है ? ब्रह्मैकवाद न केवल युक्तिविषय ही है पर आजके विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्तविक मूल्य सिद्ध नहीं होता। विज्ञानने एटम तक विश्लेषण किया है और प्रत्येककी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की है। अतः वस्तुकी अनेकान्तात्मक सीमापर पहुँचाकर यदि स्याद्वाद बुद्धिकी विराम देता है तो यह उसका भ्रूषण ही है। विभागी अभेदसे वास्तविक स्थितिकी उपेक्षा करना मनोरञ्जनसे अधिक महत्त्वकी बात नहीं हो सकती।

इमो तरह श्रीयुक्त हनुमन्तराव एम० ए० ने अपने एक लेखमें लिखा है कि स्याद्वाद सरल समझीतका मार्ग उपस्थित करता है, वह पूर्णसत्यतक नहीं ले जाता आदि। ये सब एकही प्रकारके विचार हैं, जो स्याद्वादके स्वरूपको न समझनेके या वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करनेके परिणाम हैं। मैं पहिले लिख चुका हूँ कि महावीरने देखा कि—वस्तु तो अपने स्वानपर अपने विराट् रूपमें प्रतिष्ठित हैं उसमें अनन्तधर्म जो हमें परस्पर विरोधी मालूम होते हैं, अविच्छेद भावसे विद्यमान हैं, पर हमलोगो की दृष्टिमें विरोध होनेसे उसकी यथार्थ स्थितिकी नहीं समझ पा रहे हैं। जैनदर्शन वास्तवमें बहुत्ववादी हैं। वह दो पृथक् सत्ता वस्तुओकी व्यवहारके लिए कल्पनासे अभिन्न कह भी दे पर वस्तुकी निजी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करना चाहता। जैनदर्शन एक व्यक्तिका अपने गुण-पर्यायोसे वास्तविक अभेद मानता है पर दो व्यक्तियोंमें अवास्तविक अभेदको नहीं मानता। इस दर्शनकी यही विशेषता है जो यह परमार्थसत् वस्तुकी परिधिकी नहीं लीचकर उसकी सीमामें ही विचार करता है। और मनुष्योंको कल्पनाकी उडानसे विरतकर वस्तुकी ओर देखनेको बाध्य करता है। जिस चरम अभेदतक न पहुँचनेके कारण अनेकान्तदर्शनको सर राधाकृष्णन जैसे विचारक अर्धसत्योका समुदाय कहते हैं उस चरम अभेदको भी अनेकान्तदर्शन एक-व्यक्तिका एक धर्म मानता है वह उन अभेद कल्पनोंको कहता है कि वस्तु इससे भी बड़ी है अभेद तो उसका एक धर्म है। दृष्टिकी और उदार तथा

बिखाल करके वस्तुके पूर्णरूपको देखो उसमें अभेद एक कोनेमें पड़ा होगा और अभेदके अनन्तो भाई-बन्धु उसमें तादात्म्य हो रहे होंगे। अतः इन ज्ञानलवधारियोंको उदारदृष्टि देनेवाले तथा वस्तुकी झाँकी बिलाने-वाले अनेकान्त दर्शनने वास्तविक विचारकी अन्तिम रेखा खींची है। और यह सब हुआ है मानस समतामूलक तत्त्वज्ञानकी खोजमें। जब इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्तधर्मात्मिका है तब महज ही मनुष्य यह सोचने लगता है कि दूसरा वादी जो कह रहा है उसकी सहानुभूतिसे समीक्षा होनी चाहिए और वस्तुस्थितिमूलक समीकरण होना चाहिए। इस स्वोयस्वल्पता और वस्तु-अनन्तधर्मताके वातावरणसे निरर्थक कल्पनाओंका जाल टूटगा और अहंकारका विनाश होकर मानससमताकी सृष्टि होगी, जो अहिंसाका संजीवन-बीज होगा।

इस तरह मानससमताके लिए अनेकान्तदर्शन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता है। जब अनेकान्त-दर्शनसे विचारसृष्टि हो जाती है तब स्वभावतः वाणीमें नम्रता और परसमन्वयकी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वह वस्तुस्थितिको उल्लंघन करनेवाले शब्दका प्रयोग ही नहीं कर सकता। इसीलिए जैनाचार्योंने वस्तुकी अनेकधर्मात्मकताका द्योतन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता बताई है। शब्दोंमें यह सामर्थ्य नहीं है जो वस्तुके पूर्णरूपको युगपत् कह सके। वह एक समयमें एक ही धर्मको कह सकता है। अतः उसी समय वस्तुमें विद्यमान शेष धर्मोंकी सलाका सूचन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया जाता है। 'स्यात्' के 'सुनिश्चित दृष्टिकोण', 'निर्णय अपेक्षा' ये ही अर्थ हैं 'शायद, संभव, कदाचित्' आदि नहीं। 'स्यादस्ति' का बाष्पार्थ है 'स्वरूपादिको अपेक्षासे वस्तु है ही' न कि 'शायद है' 'संभव है' या 'कदाचित् है' आदि। संक्षेपतः अनेकान्तदर्शन जहाँ चित्तमें समता, मध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षपातताका उदय करता है वहाँ स्याद्वाद वाणीमें निर्दोषता लानेका पूरा अवसर देता है। इस तरह अहिंसाकी परिपूर्णता और स्थायित्वाकी प्रेरणाने मानसशुद्धिके लिए अनेकान्तदर्शन और वचनशुद्धिके लिए स्याद्वाद जैसी निधिओंको भारतीय संस्कृतिके कोषागारमें दिया। बोलते समय वक्ताको सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि जो वह बोल रहा है वस्तु उतनी ही नहीं है वस्तु बहुत बड़ी है उसके पूर्णरूपतक शब्द नहीं पहुँच सकते। इसी भावको जतानेके लिए वक्ता 'स्यात्' शब्दका प्रयोग करता है। 'स्यात्' यह शब्द विधिच्छिद्रमें निष्पन्न होता है जो अपने वक्तव्यको निश्चित रूपमें उपस्थित करता है न कि संशय रूपमें। जैन तीर्थंकरोंने इस तरह सर्वाङ्गीण अहिंसाकी साधनाका वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकारका प्रत्यक्षानुभूत मार्ग बताया। उनमें पदार्थोंके स्वरूपका यथार्थ निरूपण तो किया ही, साथ ही साथ पदार्थोंके देखनेका, उनके ज्ञान करनेका, उनके स्वरूपको वचन से कहनेका नया वस्तुस्पर्शी तरीका बताया। इस अहिंसक दृष्टिसे यदि भारतीय दर्शनकारोंने वस्तुका निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथाका इतिहास रक्तरंजित न हुआ होता, और धर्म तथा दर्शनके नाम पर मानवताका निर्दलन नहीं होता। पर अहंकार और शासनभावना मानवको दानव बना देती है। फिर धर्म और सतका 'अहम्' अतिदुर्निवार होता है। परन्तु युगयुगमें ऐसे ही दानवोंको मानव बनानेके ही लिए अहिंसक सन्त इसी ममन्वयदृष्टि, इसी समताभाव और इसी सर्वाङ्गीण अहिंसाका सन्देश देते आए हैं। यह जैनदर्शनको विशेषता है। जो वह अहिंसाकी तह पहुँचनेके लिए केवल धार्मिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा अपितु वास्तविक स्थितिके आधारसे दार्शनिक गुरिषयोंको सुलझाने की मौलिकदृष्टि भी खोज सका। न केवल दृष्टि ही किन्तु मन, वचन और काय तीनों द्वारोंसे होनेवाली हिंसाको रोकनेका प्रयत्न भी उपस्थित कर सका।

आज डॉ० भगवानदासजी जैसे मनीषी समन्वय और सब धर्मोंकी मौलिक एकताकी आवाज बुलन्द कर रहे हैं। वे वर्षोंसे कह रहे हैं कि समन्वयदृष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नहीं हो सकता, मानव

मानव नहीं रह सकता। उन्होंने अपने 'समन्वय' और 'वर्षानका प्रयोजन' आदि ग्रन्थोंमें इसी समन्वयतत्त्वका भूरि-भूरि प्रतिपादन किया है। जैन ऋषियोंने इस समन्वय (स्याद्वाद) सिद्धान्त पर ही संख्याबद्ध ग्रन्थ लिखे हैं। इनका विश्वास है कि जबतक दृष्टिमें समीचीनता नहीं आयगी तबतक क्षगड़े और संघर्ष बने रहेंगे। नये दृष्टिकोणसे वस्तुस्थितितक पहुँचना ही जीवको विसंवादसे हटाकर उसे सवादी बना सकता है। यही जैनवर्षानकी भारतीय संस्कृतिको देन है। आज हमे जो स्वातन्त्र्यके दर्शन हुए वह इसी अहिंसाका पुण्य फल है, और विश्वमें भारतका मस्तक यदि कोई ऊँचा रख सकता है तो यह निरूपाधि अहिंसा भावना ही।



क्या स्याद्वाद अनिश्चयवाद है ?

[महापंडित राहुल सांकृत्यायन लिखित 'दर्शन-दिग्दर्शन' की एक समीक्षा]

जैनदर्शनने सामान्यरूपसे यावत् सत्को परिणामोन्वित्य माना है। प्रत्येक सत् अनन्तधर्मात्मक है। उसका पूर्णरूप वचनोके अगोचर है। अनेकान्तात्मक अर्थका निर्दोष रूपसे कथन करनेवाली भाषा स्याद्वाद रूप होती है। उसमें जिग धर्मका निरूपण होता है उसके साथ 'स्यात्' शब्द इसलिए रूपा दिया जाता है जिससे पूरी वस्तु धर्मरूप न ममल ही जाय। अविवक्षित शेष धर्मोका अस्तित्व भी उसमें है यह प्रतिपादन 'स्यात्' शब्दसे होता है।

स्याद्वादका अर्थ है—स्यात्-अमुक निश्चित अपेक्षासे। अमुक निश्चित अपेक्षासे घट अस्ति ही है और अमुक निश्चित अपेक्षासे घट नास्ति ही है। स्यात्का अर्थ न शायद है, न सम्भवत और न कदाचित् ही। 'स्यात्' शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोणका प्रतीक है। इस शब्दके अर्थको पुराने मतवादी दार्शनिकोंने ईमान-दारीसे समझनेका प्रयाग नो नहीं ही किया था, किन्तु आज भी वैज्ञानिक दृष्टिको दृष्टि देनेवाले दर्शन-लेखक उसी भ्रान्त परम्पराका पोषण करते आने है।

स्याद्वाद—सुनयका निरूपण करनेवाली भाषापद्धति है। 'स्यात्' शब्द यह निश्चितरूपमें बताना है कि वस्तु केवल धर्मवाली ही नहीं है उसमें इनके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान है। तात्पर्य यह कि—अवि-विक्षित शेष धर्मोका प्रतिनिधित्व 'स्यात्' शब्द करता है। 'रूपवान् घट' यह वाक्य भी अपने भीतर 'स्यात्' शब्दको छिपाए हुए है। इसका अर्थ है कि 'स्यात् रूपवान् घट' अर्थात् वस्तु इन्द्रियके द्वारा प्राप्त होनेसे या रूप गुणकी सत्ता होनेसे घटा रूपवान् है, पर रूपवान् ही नहीं है उसमें रस, गन्ध, स्पर्श आदि अनेक गुण, छोटा, बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान है। इन अविवक्षित गुणधर्मोके अस्तित्वकी रक्षा करनेवाला 'स्यात्' शब्द है। 'स्यात्' का अर्थ शायद या सम्भावना नहीं है किन्तु निश्चय है। अर्थात् घटमें रूपके अस्तित्वकी सूचना तो रूपवान् शब्द दे ही रहा है। पर उन उपेक्षित शेष धर्मोके अस्तित्वकी सूचना 'स्यात्' शब्दसे होती है। माराश यह कि 'स्यात्' शब्द 'रूपवान्' के साथ नहीं जुटता है, किन्तु अविवक्षित धर्मोके साथ। वह 'रूपवान्' को पूरी वस्तु पर आधकार जमानेसे रोकता है और कह देता है कि वस्तु बहुत बड़ी है उसमें रूप भी एक है। ऐसे अनन्त गुणधर्म वस्तुमें लहरा रहे हैं। अभी रूपकी विवक्षा या उसपर दृष्टि होनेसे वह सामने है या शब्दमें उच्चरित हो रहा है सो वह मुख्य हो सकता है पर वही सबकुछ नहीं है। दूसरे क्षणमें रसकी मुख्यता होनेपर रूप गौण हो जायगा और वह अविवक्षित शेष धर्मोकी राशिमें शामिल हो जायगा।

'स्यात्' शब्द एक प्रहरी है, जो उन्नरित धर्मको इधर-उधर नहीं जाने देता। वह उन अविवक्षित धर्मोका मरक्षक है। इसलिए 'रूपवान्' के साथ 'स्यात्' शब्दका अन्य करके जो लोग घटमें रूपकी भी स्थितिको स्यात्का शायद या सम्भावना अर्थ करके सन्दिग्ध बनाना चाहते हैं वे भ्रममें हैं। इसी तरह 'स्या-दस्ति घट' वाक्यमें 'घट अस्ति' यह अस्तित्व अंश घटमें सुनिश्चितरूपसे विद्यमान है। स्यात् शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नहीं बनाता किन्तु उसकी वास्तविक आशिक स्थितिको सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मोके सद्भावको सूचित करता है। माराश यह कि 'स्यात्' पद एक स्वतन्त्र पद है जो वस्तुके शेषाश-

का प्रतिबिम्बित्व करता है। उसे षट् ही कि कहीं अस्ति नामका धर्म, जिसे स्वयंसे उन्मूलित होनेके कारण प्रकृतता मिली है, पूरी वस्तुको न हृष्य जाय, अपने अन्य नास्ति आदि सहयोगियोंके स्थानको समझ व कह दे। इसलिए वह प्रतिवाक्यमें चेतावनी देता रहता है कि—हे भाई अस्ति, तुम वस्तुके एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयोंके हकको हृष्यनेकी चेष्टा नहीं करना। इस भयका कारण है—'नास्ति' ही है, अनित्य ही है' आदि अशवाक्योने अपना पूर्ण अधिकार वस्तुपर अमाकर अनधिकार चेष्टा की है और वस्तुमें अनेक तरहसे बिनका और संघर्ष उत्पन्न किये हैं। इनके फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्याय हुआ ही है, पर इस वाद-प्रतिवादाने अनेक मतवादोंकी सृष्टि करके अहंकार, हिसा, सघर्ष, अनुदारता, परस्परविघ्नपुता आदिसे विश्वको अज्ञान और आकुलतामय बना दिया है। 'स्यात्' शब्द वाक्यके उस बहुरूपको निरस्त करता है जिनसे अहंकारका सर्जन होता है और वस्तुके अन्य धर्मोंके सद्भावसे इनकार करके पदार्थके साथ अन्याय होता है।

'स्यात्' शब्द एक निश्चित अपेक्षाको घोटन करके जहाँ 'अस्तित्व' धर्मकी स्थिति सुदृढ़ और सहेतुक बनाता है वहाँ उसकी उस सर्वहारा प्रवृत्तिको भी नष्ट करता है जिससे वह पूरी वस्तुका धार्मिक बनना चाहता है। वह न्यायाधीशकी तरह तुरन्त कह देता है कि—हे अस्ति, तुम अपने अधिकारकी सीमाना समझो। स्वभाव-क्षेत्रकाल-भावकी दृष्टिसे जिस प्रकार तुम घटमें रहने हो उसी तरह कण्डूवाकिकी अपेक्षा 'नास्ति' नामका तुम्हारा भाई भी उसी घटमें है। इसी प्रकार घटका परिवार बहुत बड़ा है। सभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है, इसका इतना ही अर्थ है कि इस समय तुमसे काम है, तुम्हारा प्रयोजन है, तुम्हारी विवक्षा है। अतः इस समय तुम मुख्य हो। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि—तुम अपने समानाधिकारो भाइयोंके सद्भावको भी नष्ट करनेका बुझास करो। वास्तविक बात तो यह है कि अस्ति 'पर' की अपेक्षा 'नास्ति' धर्म न हो तो जिस घटमें तुम रहते हो वह घटा घड़ा हो न रहेगा, कण्डू अस्ति पररूप हो जायगा। अतः जैसी तुम्हारी स्थिति है वैसे ही पररूपकी अपेक्षा 'नास्ति' धर्मकी भी स्थिति है। तुम उनको हिसा न कर सको इसके लिए अहिसाका प्रतीक 'स्यात्' शब्द तुमसे पहिले हो वाक्यमें क्या किया जाता है। भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम तो बराबर अपने नास्ति आदि अनन्त भाइयोंको वस्तुमें रहने देते हो और बड़े प्रेमसे सबके सब अनन्त धर्मभाई हिलमिलकर रहते हो पर इन वस्तुसहायियोंकी दृष्टिको क्या कहा जाय ! इनकी दृष्टि ही एकागी है। ये शब्दके द्वारा तुममेंसे किंगी एक 'अस्ति' आदिको मुख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहंकारपूर्ण कर देना चाहते हैं जिससे वह 'नास्ति' अन्यका निराकरण करने लग जाता है। बस, 'स्यात्' शब्द एक अञ्जन है जो उनको दृष्टिको विकृत नहीं होने देता और उसे निर्मूल तथा पूर्णदर्शी बनाता है। इस अविवक्षित-संरक्षक, दृष्टिविषयकारी, शब्दको मुधारूप बनानेवाले, सचेतक प्रहरी, अहिसक भावनाके प्रतीक, जीवन्त न्यायरूप, सुनिश्चित अपेक्षाद्योतक 'स्यात्' शब्दके स्वरूपके साथ हमारे दार्शनिकोने न्याय तो किया ही नहीं किन्तु उसके स्वरूपका 'शायद, संभव है, कदाचित्' जैसे भ्रष्ट पर्यायोसे विकृत करनेका दुष्ट प्रयत्न अवश्य किया है तथा अभी भी किया जा रहा है।

सबसे घोषा तक तो यह दिया जाता है कि—'घड़ा जब अस्ति है तो नास्ति कैसे हो सकता है, घड़ा जब एक है तो अनेक कैसे हो सकता है, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है' पर विचार तो करो घड़ाघड़ा ही है, कपडा नहीं, कुरमी नहीं, टेबिल नहीं, गाय नहीं, घोड़ा नहीं, तात्पर्य यह है कि वह घटभिन्न अनन्त पदार्थरूप नहीं है। तो यह कहनेमें आपको क्या संकोच होता है कि 'घड़ा अपने स्वरूपमें अस्ति है, घटभिन्न पररूपोंसे नास्ति है'। इस घटमें अनन्त पररूपोंकी अपेक्षा 'नास्तित्व' धर्म है। नहीं तो दुधिया ये कोई शक्ति घटोंको

३४६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

कण्ठा आदि बननेसे रोक नहीं सकती थी। यह 'नास्ति' धर्म ही घडेको घडे रूपमे कायम रखनेका हेतु है। इसी नास्ति धर्मकी सूचना 'अस्ति' के प्रयोगके समय 'स्यात्' शब्द दे देता है। इसी तरह घडा एक है। पर वही घडा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, छोटो-बडा हलका-भारी आदि अनन्त शक्तियोंकी दृष्टिसे अनेक रूपमें दिखाई देता है या नहीं? यह आप स्वयं बतावे। यह अनेक रूपमे दिखाई देता है तो आपको यह कहनेमें क्यों कष्ट होता है कि—'घडा ब्रह्मरूपसे एक है, पर अपने गुण, धर्म और शक्ति आदिकी दृष्टिसे अनेक है।' कृपाकर सोचिए कि वस्तुमें जब अनेक विरोधी धर्मोंका प्रत्यक्ष हो ही रहा है और स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोंका अविरोधी क्रीडास्थल है तब हमें उसके स्वरूपको विकृत रूपमे देखनेकी दुर्दृष्टि तो नहीं करनी चाहिए। जो 'स्यात्' शब्द वस्तुके इस पूर्णरूप दर्शनकी याद दिलाता है उसे ही हम 'विरोध सशय' जैसी गालियोसे बुरदुराते हैं। किमाश्चर्यमत् परम्। यहाँ धर्मकीतिका यह श्लोकाश ध्यानमे आ जाता है कि—

“यदीय स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्।”

अर्थात्—यदि यह अनेकधर्मरूपता वस्तुको स्वयं पसन्द है, उसमे है, वस्तु स्वयं राजी है तो हम बीचमे काजी बननेवाले कौन? जगत्का एक-एक कण इस अनन्तधर्मताका आकार है। हमें अपनी दृष्टि निर्मल और विद्याल बनानेकी आवश्यकता है। वस्तुमे कोई विरोध नहीं है। विरोध हमारी दृष्टिमे है। और इस दृष्टिविरोधकी अमृता (गुरबेल) 'स्यात्' शब्द है, जो रोगीको कटु तो जरूर मालूम होती है पर इसके बिना यह दृष्टिविषम ज्वर उतर भी नहीं सकता।

महापण्डित राहुल सांकृत्यायनने तथा इत पूर्व प्रो० जैकोबी आदिने स्याद्वादकी उत्पत्तिको सजयवेलटिठ-पुस्तके मतसे बतानेका प्रयत्न किया है। राहुलजीने दर्शनविश्वदर्शन (पृ० ४९६) मे लिखा है कि—“आधुनिक जैनदर्शनका आधार स्याद्वाद है। जो मालूम होता है मजयवेलटिठपुस्तके चार अग वाले अनेकान्तवादको लेकर उसे सात अंगवाला किया गया है।” संजयने तत्त्वो (परलोक देवता) के वाग्मे कुछ भी निश्चयात्मक रूपसे कहनेसे इनकार करते हुए उस इनकारको चार प्रकारका कहा है—

१-है? नहीं कह सकता।

२-नहीं है? नहीं कह सकता।

३-है भी और नहीं भी? नहीं कह सकता।

४-न है और न नहीं है? नहीं कह सकता।

इसकी तुलना कीजिये जैनोके सात प्रकारके स्याद्वादसे—

१-है? हो सकता है (स्यादस्ति)

२-नहीं है? नहीं भी हो सकता है (स्यान्नास्ति)

३-है भी और नहीं भी? है भी और नहीं भी हो सकता।

(स्यादस्ति च नास्ति च)

उक्त तीनों उत्तर क्या कहे जा सकते हैं (वक्तव्य है)? इसका उत्तर जैन नहींमें देते हैं।

४-स्याद् (हो सकता है) क्या यह कहा जा सकता है (वक्तव्य है)?

नहीं, स्याद् अवक्तव्य है।

५-'स्यादस्ति' क्या यह वक्तव्य है? नहीं, 'स्याद् अस्ति' अवक्तव्य है।

६-'स्याद् नास्ति' क्या यह वक्तव्य है? नहीं, 'स्याद् नास्ति' अवक्तव्य है।

७—'स्याद् अस्ति च नास्ति च' क्या यह वक्तव्य है ?

नहीं, 'स्यादस्ति च नास्ति च' अ-वक्तव्य है ।

दोनोंको मिलानेसे मालूम होगा कि जैनोने संजयके पहिलेवाले तीन वाक्यों (प्रश्न और उत्तर दोनों) को अलग करके अपने स्याद्वाक्यको छह भगियाँ बनाई है और उसके चौथे वाक्य 'न हे और न नहीं है' को जोड़कर 'सद्' भी अवक्तव्य है यह सातवाँ भंग तैयारकर अपनी सप्तभंगी पूरी की ।.....इस प्रकार एक भो सिद्धान्त (—स्याद्) की स्थापना न करना जो कि सजयका बाद था, उसीको संजयके अनुयायियोंके लुप्त हो जानेपर जैनोने अपना लिया और उसके चतुर्भंगी न्यायको सप्तभंगीमें परिणत कर दिया ।'

राहुलजीने उक्त सन्दर्भमें सप्तभंगी और स्याद्वाक्यको न समझकर केवल शब्दसाम्यसे एक नये मतकी सृष्टि की है । यह तो ऐसा ही है जैसे कि चोरसे 'क्या तुम अमुक जगह गये थे ?' यह पूछने पर वह कहे कि 'मैं नहीं कह सकता कि गया था' और जज अन्य प्रमाणोसे यह सिद्ध कर दे कि चोर अमुक जगह गया था । तब शब्दसाम्य देखकर यह कहना कि जजका फौला चोरके बयानसे निकला है ।

सजयकेलट्टिपुत्रके दर्शनका विवेचन स्वयं राहुलजीने (पृ० ४९१) इन शब्दोंमें किया है—'यदि आप पूछें—'क्या परलोक है ?' तो यदि मैं समझना हूँ कि परलोक है तो आपको बताऊँ कि परलोक है । मैं ऐसा भी नहीं कहता, बैसा भी नहीं कहता, दूसरो तरहसे भी नहीं कहता । मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं है । मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं है । परलोक नहीं है परलोक नहीं है । परलोक है भी और नहीं भी है । परलोक न है और न नहीं है ।'

संजयके परलोक, देवता, कर्मफल और मुक्तिके सम्बन्धके ये विचार शतप्रतिशत अनिश्चयवादके हैं । वह स्पष्ट कहता है कि—'यदि मैं जानता हूँ तो बताऊँ ।' संजयको परलोक-मुक्ति आदिके स्वरूपका कुछ भी निश्चय नहीं था । इसलिए उसका दर्शन वकील राहुलजीके मानवकी सहजबुद्धिको भ्रममें नहीं डालना चाहता और न कुछ निश्चयकर भ्रान्त धारणाओंकी पुष्टि ही करना चाहता है । तात्पर्य यह कि सजय चोर अनिश्चयवादी था ।

बुद्ध और सजय—बुद्धने "लोक नित्य है, अनित्य है, नित्य-अनित्य है, न नित्य न अनित्य है, लोक अन्तवान् है, नहीं है, है-नहीं है, न है न नहीं है, निर्वाणके बाद तद्बागत होने हैं, नहीं होते, होते-नहीं होते, न होते न नहीं होते, जीव शरीरसे भिन्न हैं, जीव शरीरसे भिन्न नहीं है ।" (माध्यमिक वृत्ति, पृ० ४४६ ।) इन चौदह वस्तुओंको अव्याकृत कहा है । मज्झिमनिकायमें (२।३३) इनकी सख्या दस है । इसमें आदिके दो प्रश्नोंमें तीसरा और चौथा विकल्प नहीं गिनाया गया है । इनके अव्याकृत होनेका कारण बुद्धने बताया है कि इनके बारेमें कहना सार्थक नहीं, भिक्षुचर्याके लिए उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध शांति परमज्ञान या निर्वाणके लिए आवश्यक है । तात्पर्य यह कि बुद्धकी दृष्टिमें इनका जानना मनुष्यके लिए आवश्यक नहीं था । दूसरे शब्दोंमें बुद्ध भी संजयकी तरह इनके बारेमें कुछ कहकर मानवकी सहज बुद्धिको भ्रममें नहीं डालना चाहते थे और न भ्रान्त धारणाओंको पुष्टि ही करना चाहते थे । हाँ, संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्चयको साफ-साफ शब्दोंमें कह देता है कि यदि मैं जानता हूँ तो बताऊँ, तब बुद्ध अपने जानने, न जाननेका उल्लेख न करके उस रहस्यको शिष्योंके लिए अनुपयोगी बताकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं । किसी भी तार्किकका यह प्रश्न अभीतक असमाहित ही रह जाता है कि इस अव्याकृतता और संजयके अनिश्चयवादमें क्या अन्तर है ? सिवाम इसके कि सजय फक्कड़की तरह खरी-खारी बात कह देता है और बुद्ध बड़े आदमियोंकी धालीनताका निर्वाह करते हैं ।

बुद्ध और सजय ही क्या, उस समयके वातावरणमें आत्मा, लोक-परलोक और मुक्तिके स्वरूपके संबंध में—है (सत्), नहीं (असत्), है-नहीं (सत्-असत् उभय), न है, न नहीं है (अव्यक्त या अनुभय) ये चार कोटियाँ रूज रही थी। कोई भी प्रास्तिक किसी भी तीर्थंकर या आचार्यसे बिना किसी संकोचके अपने प्रश्नको एक सामने ही उक्त चार कोटियोंमें विभाजित करके ही पूछता था। जिम प्रकार आज कोई भी प्रश्न मंत्रपुर और पूँजीपति, शोधक और शोधके द्वन्द्वकी छायामें ही सामने आता है, उमी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंके प्रश्न सत्, असत्, उभय और अनुभय-अनिर्वचनीय इस चतुष्कोटिमें आवेष्टित रहते थे। उपनिषद् और ऋग्वेदमें इस चतुष्कोटिके दर्शन होते हैं। विश्वके स्वरूपके सम्बन्धमें सत्से असत् हुआ ? या सत्से सत् हुआ ? विश्व सत् रूप है ? या असत् रूप है, या सदसत् उभयरूप है या सदसत् दोनों रूपसे अनिर्वचनीय है ? इत्यादि प्रश्न उपनिषद् और वेदमें बराबर उपलब्ध होते हैं ? ऐसी स्थानमें दार्शनिकोंका स्वाभाविक विषयमें यह फतवा दे देना कि सजयके प्रश्नोंके शब्दोंसे या उसकी चतुर्भुगीकी तोड़-मरोड़कर सप्तमगी बनी-कहातक उचित है, यह वं स्वयं विचारें।

बुद्धके समकालीन जो छह तीर्थक थे उनमें निगण्ठनाथपुत्र महावीरकी अपने क्षेत्रमें सर्वज्ञ और सर्वदर्शीके रूपमें प्रसिद्धि थी। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे या नहीं, यह हम समयकी चरबाका विषय नहीं है, पर वे विशिष्ट तत्त्वविचारक थे और किसी भी प्रश्नको सजयकी तरह अनिश्चयकोटि या विशेषकोटिमें और बुद्धकी तरह अव्याकृत कोटिमें डालनेवाले नहीं थे और न शिष्योंकी सहज प्रश्नोत्तरोंको अनुपयोगिताके भयप्रद चक्रकरमें डुबा देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि मनुके पंचमूल व्यक्त जबतक वस्तुतत्त्वका ठीक निर्वचन नहीं कर लेते तबतक उनमें बौद्धिक दृढ़ता और मानमवल नहीं आ सकता। वे सदा अपने समानशील अन्य सबके भिक्षुओंके सामने अपनी बौद्धिक दीनताके कारण हतप्रभ रहेंगे और हमका असर उनके जीवन और आचारपर आये बिना नहीं रहेंगे। वे अपने शिष्योंको पूर्वबन्द परिनिर्णयोंकी तरह जगत्के स्वरूपविचारको बाह्य हवामें अपरिचित नहीं रखना चाहते थे, किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक मानव अपनी सहज जिज्ञासा और मननशक्तिको वस्तुके यथार्थ स्वरूपके विचारकी ओर लगावे। न उन्हें बुद्धकी तरह यह अय व्याप्त था कि यदि आत्माके सम्बन्धमें 'है' कहते हैं तो सात्त्वतवाद अर्थात् उपनिषद्वादियोंकी तरह लोग नित्यत्वकी ओर झुक जायेंगे और 'नहीं है' कहनेसे उच्छेदवाद अर्थात् चार्वाककी तरह नास्तिकत्वका प्रसंग प्राण होगा, अतः हम प्रश्नको अव्याकृत रखना ही श्रेष्ठ है। वे चाहते थे कि मीजुद तर्कोंका और संशयोंका समाधान वस्तुस्थितिके आधारसे होना ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूपका अनुभवकर यह बताया कि षण्णवत् प्रत्येक सत्, चह्रं वह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय, परिवर्तनशील है। वह निसर्गतः प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। उसकी पर्याय बदलती रहती है। उसका परिणाम कभी सद्दृश भी होता है, कभी विसद्दृश भी। पर परिणमनसामान्यके प्रभावसे कोई भी अच्छा नहीं रहता। यह एक मौलिक नियम है कि किसी भी सत्का संबंध उच्छेद नहीं हो सकता, वह परिवर्तित होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ताकी नहीं हो सकता। एक परमाणु है वह हस्तशुभ्रजन बन जाय, जल बन जाय, भाप बन जाय, फिर वाणी हो जाय, पृथिवी बन जाय और अन्त आकृतियों या पर्यायोंको धारण कर ले, पर अपने द्रव्यत्व और मौलिकत्वकी नहीं हो सकता। किसीकी ताकत नहीं जो उस परमाणुकी हस्तीको छिटा सके। तात्पर्य यह कि जगत्में जितने 'सत्' हैं उतने बने रहेंगे, उनमेंसे एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरेमें विकीन नहीं हो सकता। इसी तरह न कोई नया 'सत्' उत्पन्न हो सकता है। जितने हैं उनका ही आपसी संयोगोंके आधारसे यह विश्व जगत् (गच्छतीति जगत् अर्थात् नाना रूपोंको प्राप्त होनेवाला) बनता रहता है।

तात्पर्य यह कि—विश्व में जितने सत् हैं उनमें से न तो एक कम हो सकता है और न एक बढ़ सकता है। अनन्त अणु परमाणु, अनन्त आत्माएँ, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाश और असंख्य कालाणु इतने सत् हैं। इनमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल अपने स्वभाविक रूपमें सदा विद्यमान रहते हैं उनका विलक्षण परिणमन नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि वे कूटस्थ नित्य हैं किन्तु इनका प्रतिक्षण जो परिणमन होता है, वह सदा स्वभाविक परिणमन ही होता है। आत्मा और पुद्गल ये दो द्रव्य एक दूसरेको प्रभावित करते हैं। जिस समय आत्मा शुद्ध हो जाता है उस समय वह भी अपने प्रतिक्षणभावी स्वभाविक परिणमनका ही स्वामी रहता है, उसमें विलक्षण परिणति नहीं होती। जबतक आत्मा अशुद्ध है तबतक ही इसके परिणमनपर सजातीय जीवान्तरका और विजातीय पुद्गलका प्रभाव आनेसे विलक्षणता आती है। इसकी नानारूपता प्रत्येकको स्वानुभवसिद्ध है। जड़ पुद्गल ही एक ऐसा विलक्षण द्रव्य है जो सदा सजातीयसे भी प्रभावित होता है और विजातीय चेतनसे भी। इसी पुद्गल द्रव्यके चमत्कार आज विज्ञानके द्वारा हम सबके सामने प्रस्तुत हैं। इसीके हीनाधिक संयोग-वियोगके फलस्वरूप असंख्य आविष्कार हो रहे हैं। विद्युत् शब्द आदि इसीके रूपान्तर हैं, इसीकी शक्तियाँ हैं। जीवकी अशुद्ध दशा इसीके संपर्कसे होती है। अनाविसे जीव और पुद्गलका ऐसा संयोग है जो पर्यायान्तर लेनेपर भी जीव इसके संयोगसे मुक्त नहीं हो पाता और उसमें विभावपरिणमन—राग, द्वेष, मोह अज्ञानरूप दशाएँ होती रहती हैं। जब यह जीव अपनी चारित्रसाधना द्वारा इतना समर्थ और स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता है कि उसपर बाह्य जगत्का कोई भी प्रभाव न पड़ सके तो वह मुक्त हो जाता है और अपने अनन्त चैतन्यमें स्थिर हो जाता है। मुक्त जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वभाविक चैतन्यमें छीन रहता है। फिर उसमें अशुद्ध दशा नहीं होती। अनन्त पुद्गल परमाणु ही ऐसे हैं जिनमें शुद्ध या अशुद्ध किसी भी दशामें दूसरे संयोगके आधारसे नाना आकृतियाँ और अनेक परिणमन संभव हैं तथा होते रहते हैं। इस जगत् व्यवस्थामें किसी एक ईश्वर जैसे नियन्ताका कोई स्थान नहीं है। यह तो अपने-अपने संयोग-वियोगसे परिणमनशील हैं। प्रत्येक पदार्थका अपना महज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चालू है। यदि कोई दूसरा संयोग आ पड़ा और उस द्रव्यमें इसके प्रभावको आत्मसात् किया तो परिणमन तत्प्रभावित हो जायगा, अन्यथा वह अपनी गतिसे बदलता चला जायगा। हाइड्रोजनका एक अणु अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाइड्रोजन रूपमें बबल रहा है। यदि ऑक्सीजनका अणु उसमें आ जुटा तो दोनोंका जलरूप परिणमन हो जायगा। वे दोनों एक जलबिन्दु रूपसे सदा सयुक्त परिणमन कर लेंगे। यदि किसी वैज्ञानिकके विश्लेषणप्रयोगका निमित्त मिला तो वे दोनों फिर जुदा-जुदा भी हो सकते हैं। यदि अग्नि-का संयोग मिल गया तो भाप बन जायेंगे। यदि सौंपके मुखका संयोग मिला तो विषबिन्दु हो जायेंगे। तात्पर्य यह कि यह विश्व साधारणतया पुद्गल और अशुद्ध जीवके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका वास्तविक उद्घान है। परिणमन चक्रपर प्रत्येक द्रव्य चढ़ा हुआ है। वह अपनी अनन्त योग्यताओंके अनुसार अनन्त परिणमनों-को क्रमशः धारण करता है। समस्त 'सत्' के समुदायका नाम लोक या विश्व है। इस दृष्टिसे अब आप लोकके शाश्वत और अशाश्वत वाले प्रश्नको विचारिए—

१—क्या लोक शाश्वत है? हाँ, लोक शाश्वत है। द्रव्योकी संख्याकी दृष्टिसे, अर्थात् जितने सत् इसमें हैं उनमेंका एक भी सत् कम नहीं हो सकता और न उनमें किसी नये सत्की वृद्धि ही हो सकती है। न एक सत् दूसरेमें विलीन ही हो सकता है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जो इसके अंगभूत द्रव्यो-का श्लेष हो या वे लुप्त हो जायें।

२—क्या लोक अशाश्वत है? हाँ, लोक अशाश्वत है, अंगभूत द्रव्योके प्रतिक्षण भावी परिणमनोंकी दृष्टिसे? अर्थात् जितने सत् हैं वे प्रतिक्षण सदा या विसदा परिणमन करते रहते हैं। इसमें दो क्षणिक

ठहरनेवाला कोई परिणमन नहीं है। जो हमे अनेक क्षण ठहरनेवाला परिणमन दिखाई देता है वह प्रतिक्षण-भावी सदृश परिणमनका स्थूल दृष्टिसे अवलोकनमात्र है। इस तरह सतत परिवर्तनशील संयोग-वियोगोंकी दृष्टिसे विचार कीजिये तो लोक अशाश्वत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है।

३-क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप हैं ? हाँ, क्रमशः उपर्युक्त दोनों दृष्टियोंसे विचार कीजिए तो लोक शाश्वत भी है (द्रव्यदृष्टिसे), अशाश्वत भी है (पर्यायदृष्टिसे)। दोनों दृष्टिकोणोंको क्रमशः प्रयुक्त करनेपर और उन दोनोंपर स्थूलदृष्टिसे विचार करनेपर जगत् उभयरूप ही प्रतिभासित होता है।

४-क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप नहीं हैं ? आखिर उसका पूर्णरूप क्या है ? हाँ, लोकका पूर्णरूप अवगतव्य है, नहीं कहा जा सकता। कोई शब्द ऐसा नहीं जो एक साथ शाश्वत और अशाश्वत इन दोनों स्वरूपोंको तथा उसमें विद्यमान अन्य अनन्त धर्मोंको युगपत् कह सके। अतः शब्दकी असामर्थ्यके कारण जगत्का पूर्णरूप अवगतव्य है, अनुभव है, वचनानीत है।

इस निरूपणम आप देखेंगे कि वस्तुका पूर्णरूप वचनोके अगोचर है, अनिर्वचनीय या अवक्तव्य है। यह चौथा उत्तर वस्तुके पूर्णरूपको युगपत् कहनेकी दृष्टिसे है। पर वही जगत् शाश्वत कहा जाता है द्रव्य-दृष्टिसे, अशाश्वत कहा जाता है पर्यायदृष्टिसे। इस तरह मूलरूपमें चौथा, पहिला और दूसरा ये तीन प्रश्न मौलिक हैं। तीसरा उभयरूपताका प्रश्न तो प्रथम और द्वितीयके मयोगरूप है। अब आप विचारें कि सजयने जब लोगके शाश्वत और अशाश्वत आदिके बारेमें स्पष्ट कह दिया कि मैं जानता हूँ तो बताऊँ और बुद्धने कह दिया कि इनमें चक्करमें न पड़ो, इसका जानना उपयोगी नहीं है, तब महावीरने उन प्रश्नोंका वस्तुस्थितिके अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और शिष्योंकी जिज्ञामाका समाधानकर उनको बौद्धिक दीनतासे त्राण दिया। इन प्रश्नोंका स्वरूप इस प्रकार है—

प्रश्न	सजय	बुद्ध	महावीर
१-क्या लोक शाश्वत है ?	मैं जानता हूँ तो बताऊँ (अनिश्चय, विक्षेप)	इसका जानना अनुपयोगी है	हाँ, लोक द्रव्यदृष्टिसे शाश्वत है, इसके किसी भी सत्का (अव्याकृत अकथनीय) संबंधा नाश नहीं हो सकता।
२-क्या लोक अशाश्वत है ?	हाँ, लोक अपने प्रतिक्षण भावी परिवर्तनोंकी दृष्टिसे अशाश्वत है, कोई भी परि- वर्तन दो क्षणस्थायी नहीं है।
३-क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत है ?	हाँ, दोनों दृष्टिकोणोंसे क्रमशः विचार करनेपर लोकको शाश्वत भी कहते हैं और अशाश्वत भी।
४-क्या लोक दोनों रूप नहीं है अनुभव है ?	हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो लोकके परिपूर्ण स्वरूप- को एक साथ समग्र भावसे कह सके। अतः पूर्णरूपसे वस्तु अनुभव है, अवक्तव्य है, अनिर्वचनीय है।

संजय और बुद्ध जिन प्रश्नोंका समाधान नहीं करते उन्हें अनिश्चय या अव्याहृत कहकर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, महावीर उन्हींका वास्तविक युक्तिसंगत समाधान करते हैं। इसपर भी राहुलजी और स्व० धर्मनिन्द कोसम्बी आदि यह कहनेका साहस करते हैं कि 'संजयके अनुयायियोंके लुप्त हो जानेपर संजयबादको ही जैनियोंने अपना लिया।' यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि 'भारतमें रहा परतन्त्रताको ही परतन्त्रता विधायक अंग्रेजोंके चले जानेपर भारतीयोंने इसे अपरतन्त्रता (स्वतन्त्रता) रूपसे अपना लिया है, क्योंकि अपरतन्त्रतामें भी 'प र त न्त्र ता' ये पाँच अक्षर तो मौजूद हैं ही। या हिंसाको ही बुद्ध और महावीरने उनके अनुयायियोंके लुप्त हो जानेपर अहिंसा रूपसे अपना लिया है क्योंकि अहिंसामें भी 'हिं सा' ये दो अक्षर हैं ही।' यह देखकर तो और भी आश्चर्य होता है कि आप (पृ० ४८४) अनिश्चिततावादियोंकी सूचीमें संजयके साथ निगमनाद्यपुत्र (महावीर) का नाम लिख जाते हैं, तथा (पृ० ४९१) संजयको अनेकान्तवादी भी। क्या इसे धर्मकीर्तिके शब्दोंमें 'धिग् व्यापकं तम.' नहीं कहा जा सकता ?

'स्यात्' शब्दके प्रयोगसे साधारणतया लोगोंको सहाय, अनिश्चय या सम्भावनाका भ्रम होता है। पर यह तो भाषाकी पुरानी शैली है उस प्रसंगकी, जहाँ एक वादका स्थापन नहीं होता। एकाधिक भेद या विकल्पकी सूचना जहाँ करनी होती है वहाँ 'स्यात्' पदका प्रयोग भाषाकी शैलीका एक रूप रहा है जैसा कि मज्झिमनिकायके महाराहुलोवादमुक्तके निम्नलिखित अवतरणसे ज्ञात होता है—'कतमा राहुल च तेजोधातु ? तेजोधातु सिया अज्झासिका मिया वाहिंरा।' अर्थात् तेजोधातु स्यात् आध्यात्मिक है स्यात् बाह्य है। यहाँ सिया (स्यात्) शब्दका प्रयोग तेजोधातुके निश्चित भेदकी सूचना देता है न कि उन भेदोंका सहाय, अनिश्चय या सम्भावना बताता है। आध्यात्मिक भेदके साथ प्रयुक्त होनेवाला स्यात् शब्द इस बातका द्योतन करता है कि तेजोधातु-मात्र आध्यात्मिक ही नहीं है किन्तु उससे व्यतिरिक्त बाह्य भी है। इसी तरह 'स्यादस्ति' में अस्तिके साथ लगा हुआ 'स्यात्' शब्द सूचित करता है कि अस्तिके भिन्न धर्म भी वस्तुमें है केवल अस्तिके रूप ही वस्तु नहीं है। इस तरह 'स्यात्' शब्द न शायदका, न अनिश्चयका और न सम्भावनाका सूचक है किन्तु निश्चित धर्मके सिवाय अन्य अशेष धर्मोंकी सूचना देता है जिससे श्रोता वस्तुको निश्चित धर्ममात्र रूप ही न समझ बैठे।

सप्तभंगी—वस्तु मूलतः अनन्तधर्मात्मक है। उसमें विभिन्न दृष्टियोंसे विभिन्न विवक्षाओंसे अनन्त धर्म है। प्रत्येक धर्मका विरोधी धर्म भी दृष्टिभेदसे वस्तुमें सम्भव है। जैसे 'घटः स्यादस्ति' में घट है अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादासे। जिस प्रकार घटमें स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तित्व धर्म है उसी तरह घट-व्यतिरिक्त अन्य पदार्थोंका नास्तित्व भी घटमें है। यदि घटभिन्न पदार्थोंका नास्तित्व घटमें न पाया जाय तो घट और अन्य पदार्थ मिलकर एक हो जायेंगे। अतः घट स्यादस्ति और स्यान्नास्ति रूप है। इसी तरह वस्तुमें द्रव्यदृष्टिसे नित्यत्व और पर्यायदृष्टिसे अनित्यत्व आदि अनेको विरोधी युगल धर्म रहते हैं। एक वस्तुमें अनन्त सप्तभंग बनते हैं। जब हम घटके अस्तित्वका विचार करते हैं तो अस्तित्वविषयक सात भंग हो सकते हैं। जैसे संजयके प्रश्नोत्तर या बुद्धके अव्याहृत प्रश्नोत्तरमें हम चार कोटि तो निश्चित रूपसे देखते हैं—सत्, असत्, उभय और अनुभय। उसी तरह गणितके हिसाबसे तीन मूल भंगोंको मिलानेपर अधिकसे अधिक सात अपुनश्कत भंग हो सकते हैं। जैसे घटके अस्तित्वका विचार प्रस्तुत है तो पहिला अस्तित्व धर्म, दूसरा तद्विरोधी नास्तित्व धर्म और तीसरा धर्म होगा अवकल्य जो वस्तुके पूर्ण रूपकी सूचना देता है कि वस्तु पूर्णरूपसे वचनके अगोचर है, उसके विरुद्ध रूपको शब्द नहीं छू सकते। अवकल्य धर्म इस अपेक्षासे है कि दोनों धर्मोंको युगपत् कहनेवाला शब्द ससारमें नहीं है। अतः वस्तु यथार्थतः वचनातीत है, अवकल्य है। इस तरह मूलमें तीन भंग हैं—

१-स्वावस्ति घटः

२-स्यान्नास्ति घटः

३-स्याववक्तव्यो घटः

अवक्तव्यके साथ स्यात् पद लगानेका भी अर्थ है कि वस्तु युगपत् पूर्ण रूपमें यदि अवक्तव्य है तो क्रमशः अपने अपूर्ण रूपमें वक्तव्य भी है और वह अस्ति, नास्ति आदि रूप वचनोंका विषय भी होती है। अतः वस्तु स्याद् अवक्तव्य है। जब मूल भग तीन है तब उनके द्विसंयोगी भग भी तीन होंगे तथा त्रिसंयोगी भंग एक होगा। जिस तरह चतुष्कोटिमें सत् और अमत्को मिलाकर प्रश्न होता है कि 'क्या सत् होकर भी वस्तु असत् है?' उसी तरह ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि-१-क्या सत् होकर भी वस्तु अवक्तव्य है? २-क्या असत् होकर भी वस्तु अवक्तव्य है? ३-क्या सत्असत् होकर भी वस्तु अवक्तव्य है? इन तीनों प्रश्नोंका समाधान संयोगज चार भागोंमें है। अर्थात्—

४-अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु है स्वचक्षुष्टव अर्थात् स्वदृश्य-ज्ञान-कालभाव और परचतुष्टयपर क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहनेपर।

५-अस्ति अवक्तव्य वस्तु है—प्रथम समयमें स्वचतुष्टय और द्वितीय समयमें युगपत् स्वपरचतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहनेपर।

६-नास्ति अवक्तव्य वस्तु है—प्रथम समयमें परचतुष्टय और द्वितीय समयमें युगपत् स्वपर चतुष्टयकी क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहनेपर।

७-अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु है—प्रथम समयमें स्वचतुष्टय, द्वितीय समय में परचतुष्टय तथा तृतीय समयमें युगपत् स्व-परचतुष्टयपर क्रमशः दृष्टि रखनेपर और तीनोंकी सामूहिक विवक्षा रहनेपर।

जब अस्ति और नास्तिकी तरह अवक्तव्य भी वस्तुका धर्म है तब जैसे अस्ति और नास्तिको मिलाकर पाँचवें, छठवें और सातवें भंगकी सृष्टि हो जाती है।

इम तरह गणितके सिद्धान्तके अनुसार तीन मूल वस्तुओंके अधिकसे अधिक अपुनरूपत सात ही भंग हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तुके प्रत्येक धर्मको लेकर सात प्रकारकी जिज्ञासा हो सकती है, सात प्रकारके प्रश्न हो सकते हैं अतः उनके उत्तर भी सात प्रकारके ही होते हैं।

दर्शनदिग्दर्शनमें श्री राहुलजी ने पाँचवें, छठवें और सातवें भंगको जिस भ्रष्ट तरीकेसे मोडा-मरोडा है वह उनकी अपनी निरी कल्पना और अतिसाहस है। जब वे दर्शनोंको व्यापक नई और वैज्ञानिक दृष्टिसे देखना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी दर्शन को समीक्षा उसके स्वरूपको ठीक समझकर ही करनी चाहिए। वे अवक्तव्य नामक धर्मको, जो कि सत्के साथ स्वतन्त्रभाषसे द्विसंयोगी हुआ है, तोड़कर अवक्तव्य करके संजयके 'नहीं' के साथ मेल बीटा देते हैं और 'सजय' के धोर अनिश्चयवाचको ही अनेकान्तवाद कह देते हैं। किमाश्चर्यमत. परम्।



१. जैन कथाग्रन्थोंमें महावीरके बालजीवनकी एक घटनाका वर्णन आता है कि—'संजय और विजय नामक दो साधुओंका सहाय महावीरको देखते ही तप्ट हो गया था, इसलिए इनका नाम सन्मति रखा गया था। सम्भव है यह सजय-विजय संजयवेलद्विपुत्त ही हों और इसीके संशय या अनिश्चयका नाश महावीरके सत्तमंगी न्यायसे हुआ ही। यहाँ वेलद्विपुत्त विशेषण भ्रष्ट होकर विजय नामका दूसरा साधु बन गया है।

जैन अध्यात्म

पदार्थस्थिति

'नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः' जगत्मे ओ सत् है उसका सर्वथा विनाश नहीं हो सकता और सर्वथा नए किसी अस्तुका सद्रूपमें उत्पाद नहीं हो सकता। जितने मौलिक द्रव्य इस जगत्में अनादिसे विद्यमान हैं वे अपनी अवस्थाओमें परिवर्तित होते रहते हैं। अनन्तजीव, अनन्तामन्त पुद्गलअणु, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाश और असंख्य कालाणु, इनसे यह लोक व्याप्त है। ये छह जातिके द्रव्य मौलिक हैं, इनमेंसे न तो एक भी द्रव्य कम हो सकता और न कोई नया उत्पन्न होकर इनकी संख्यामें वृद्धि कर सकता है। कोई भी द्रव्य अन्यद्रव्यरूपमें परिणमन नहीं कर सकता, जीव जीव ही रहेगा, पुद्गल नहीं हो सकता। जिस तरह विजातीय द्रव्यरूपमें किसी भी द्रव्यका परिणमन नहीं होता उसी तरह एक जीव दूसरे सजातीय जीव-द्रव्यरूप या एक पुद्गल दूसरे सजातीय पुद्गलद्रव्यरूपमें सजातीय परिणमन भी नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों-अवस्थाओकी धारामें प्रवाहित हं किसी भी विजातीय या सजातीय द्रव्यान्तरकी धारामें उसका परिणमन नहीं हो सकता। यह सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तरमें अस्क्रान्ति ही प्रत्येक द्रव्यकी मौलिकता है। इन द्रव्योंमें धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्योंका परिणमन सदा शुद्ध ही रहता है, इनमें विकार नहीं होता, एक जैसा परिणमन प्रतिसमय होता रहता है। जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमें शुद्धपरिणमन भी होता है तथा अशुद्ध परिणमन भी। इन दो द्रव्योंमें क्रियाप्राप्ति भी है जिससे इनमें हलन-चलन, जाना-जाना आदि क्रियाएँ होती हैं। षोष द्रव्य निष्क्रिय है वे जहाँ हैं वहीं रहते हैं। आकाश सर्वव्यापी है। धर्म और अधर्म लोकाकाशके बराबर हैं। पुद्गल और काल अणुरूप हैं। जीव असंख्यातप्रदेशी हैं और अपने शरीरप्रमाण विविध आकारोंमें मिलता है। एक पुद्गलद्रव्य ही ऐसा है जो सजातीय अन्य पुद्गलद्रव्योंसे मिलकर स्कन्ध बन जाता है और कभी-कभी इतना रासायनिक मिश्रण हो जाता है कि उसके अणुओंकी पृथक् सत्ताका भान करना भी कठिन होता है। तात्पर्य यह कि जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्यमें अशुद्ध परिणमन होता है और वह एक दूसरेके निमित्तसे। पुद्गलमें इतनी विशेषता है कि उसकी अन्य सजातीयपुद्गलोसे मिलकर स्कन्ध-पर्याय भी होती है पर जीवकी दूसरे जीवसे मिलकर स्कन्ध पर्याय नहीं होती। दो विजातीय द्रव्य बंधकर एक पर्याय नहीं प्राप्त कर सकते। इन दो द्रव्योंके विविध परिणमनोंका स्कन्धरूप यह दृश्यजगत् है।

द्रव्य-परिणमन

प्रत्येक द्रव्य परिणामीनित्य है। पूर्वपर्याय नष्ट होती है उत्तर उत्पन्न होती है पर मूलद्रव्यकी धारा अविच्छिन्न चलती है। यही उत्पाद-व्यय-प्रीव्यात्मकता प्रत्येक द्रव्यका निजी स्वरूप है। धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्योंका सदा शुद्ध परिणमन ही होता है। जीवद्रव्यमें जो मुक्त जीव हैं उनका परिणमन शुद्ध ही होता है कभी भी अशुद्ध नहीं होता। संसारी जीव और अनन्त पुद्गलद्रव्यका शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही प्रकारका परिणमन होता है। हलनी विशेषता है कि जो संसारो जीव एक बार मुक्त होकर शुद्ध परिणमनका अधिकारी हुआ वह फिर कभी भी अशुद्ध नहीं होगा, पर पुद्गलद्रव्यका कोई नियम नहीं है। वे कभी स्कन्ध बनकर अशुद्ध परिणमन करते हैं तो परमाणुरूप होकर अपनी शुद्ध अवस्थामें आ जाते हैं फिर स्कन्ध बन जाते हैं इस तरह उनका विविध परिणमन होता रहता है। जीव और पुद्गलमें वैभाषिकी कल्पित है जिसके कारण वे विभाज्य परिणमनको भी प्राप्त होते हैं।

द्रव्यगतशक्ति

धर्म, अधर्म, आकाश ये तीन द्रव्य एक-एक हैं। कालाणु असंख्यात हैं। प्रत्येक कालाणुमें एक-जैसी शक्तियाँ हैं। कर्तना करनेकी जितने अविभागप्रतिच्छेदवाली शक्ति एक कालाणुमें है वैसे ही दूसरे कालाणुमें। इस तरह कालाणुओमें परस्पर शक्ति-विभिन्नता या परिणमन-विभिन्नता नहीं है।

पुद्गलद्रव्यके एक अणुमें जितनी शक्तियाँ हैं उतनी ही और वैसे ही शक्तियों परिणमन-योग्यता अन्य पुद्गलाणुओमें है। मूलतः पुद्गल-अणुद्रव्योंमें शक्तिभेद, योग्यताभेद या स्वभावभेद नहीं है। यह तो सम्भव है कि कुछ पुद्गलाणु मूलतः स्निग्ध स्पर्शवाले हो और दूसरे मूलतः रूक्ष, कुछ शीत और कुछ उष्ण पर उनके ये गुण नियत नहीं, रूक्षगुणवाला भी स्निग्धगुणवाला बन सकता है तथा स्निग्धगुणवाला भी रूक्ष। शीत भी उष्ण बन सकता है उष्ण भी शीत। तात्पर्य यह कि पुद्गलाणुओमें ऐसा कोई जातिभेद नहीं है जिससे किसी भी पुद्गलाणुका पुद्गलसम्बन्धी कोई परिणमन न हो सकता हो। पुद्गलद्रव्यके जितने भी परिणमन हो सकते हैं उन सबकी योग्यता और शक्ति प्रत्येक पुद्गलाणुमें स्वभावतः है, यही द्रव्यशक्ति कहलाती है। स्कन्ध-अवस्थामें पर्यायशक्तियाँ विभिन्न हो सकती हैं। जैसे किसी अग्निस्कन्धमें सम्मिलित परमाणुका उष्णस्पर्श और तेजोरूप था, पर यदि वह अग्निस्कन्धसे जुदा हो जाय तो उसका शीतस्पर्श तथा कृष्णरूप हो सकता है। और यदि वह स्कन्ध ही भस्म बन जाय तो सभी परमाणुओका रूप और स्पर्श आदि बदल सकते हैं।

सभी जीवद्रव्योकी मूल स्वभावशक्तियाँ एक जैसी हैं, ज्ञानादि अनन्तगुण और अनन्त चैतन्य-परिणमनकी प्रत्येक शक्ति मूलतः प्रत्येक जीवद्रव्यमें है। हाँ, अनादिकालीन अशुद्धताके कारण उनका विकास विभिन्न प्रकारसे होता है। चाहे हो भव्य या अभव्य, दोनों ही प्रकारके प्रत्येक जीव एक-जैसी शक्तियोंके आधार हैं, शुद्ध दशामें सभी मुक्त एक-जैसी शक्तियोंके स्वामी बन जाते हैं और प्रतिसमय अक्षण्ड शुद्ध परिणमनमें लीन रहते हैं। ससारी जीवोंमें भी मूलतः सभी शक्ति यहाँ हैं। इतना विशेष है कि अभव्य-जीवोंमें केवलज्ञानादिशक्तियोंके आविर्भावकी शक्ति नहीं मानी जाती। उपर्युक्त विवेचनसे एक बात निर्दिष्ट-रूपसे स्पष्ट हो जाती है कि चाहे द्रव्य चेतन हो या अचेतन, प्रत्येक मूलतः अपनी-अपनी चैतन-अचेतन शक्तियोंका धनी है उनमें कहीं कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं है। अशुद्धदशामें अन्य पर्यायशक्तियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं और विलीन होती रहती हैं।

परिणमनके नियतत्वको सीमा

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि द्रव्योंमें परिणमन होनेपर भी कोई भी द्रव्य सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तररूपमें परिणमन नहीं कर सकता। अपनी धारामें सदा उसका परिणमन होता रहता है। द्रव्यगत मूल स्वभावकी अपेक्षा प्रत्येक द्रव्यके अपने परिणमन नियत है। किसी भी पुद्गलाणुके वे सभी पुद्गल-सम्बन्धी परिणमन प्रतिसमय हो सकने हैं और किसी भी जीवके जीवसम्बन्धी अनन्त परिणमन। यह तो संभव है कि कुछ पर्यायशक्तियोंसे सीधा सम्बन्ध रखनेवाले परिणमन कारणभूत पर्यायशक्तिके न होनेपर न हो। जैसे प्रत्येक पुद्गलपरमाणु यद्यपि घट बन सकता है फिर भी जबतक अमुक परमाणुस्कन्ध मिट्टीरूप पर्यायको प्राप्त न होवे तबतक उनमें मिट्टीरूप पर्यायशक्तिके विकाससे होनेवाली षटपर्याय नहीं हो सकती। परन्तु मिट्टी-पर्यायसे होनेवाली घट, सकोरा आदि जितनी पर्याय सम्भावित हैं वे निमित्तके अनुसार कोई भी हो सकती हैं। जैसे जावमें मनुष्यपर्यायमें आँसूसे देखनेकी योग्यता विकसित है तो वह अमुक समयमें जो भी सामने आयेगा उसे देखेगा। यह कदापि नियत नहीं है कि अमुक समयमें अमुक पदार्थको ही देखनेकी उसमें योग्यता है शेषकी नहीं या अमुक पदार्थमें उस समय उसके द्वारा

ही देखे जानेकी योग्यता है, अन्यके द्वारा नहीं। मतलब यह कि परिस्थितिवश जिस पर्यायशक्ति का द्रव्यमें विकास हुआ है उस शक्तिसे होनेवाले यावत्कार्योंमेंसे जिस कार्यकी सामग्री या बलवान् निमित्त मिल जायेंगे उसके अनुसार उसका बीसा परिणमन होता जायगा। एक मनुष्य गद्दीपर बैठा है उस समय उसमें हँसना-रोना, आश्चर्य करना, गम्भीरतासे सोचना आदि अनेक कार्योंकी योग्यता है। यदि बहुरूपिया सामने आ जाय और उसकी उसमें विलम्बभी हो तो हँसनेरूप पर्याय हो जायगी। कोई शोकका निमित्त मिल जाय तो रो भी सकता है। अकस्मात् बात सुनकर आश्चर्यमें डूब सकता है और तत्पश्चात् सुनकर गम्भीरतापूर्वक सोच भी सकता है। इसलिए यह समझना कि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिस्मयका परिणमन नियत है, उममें कुछ हेर-फेर नहीं हो सकता और न कोई हेर-फेर कर सकता है, द्रव्यके परिणमनस्वभावको गम्भीरतासे न सोचनेके कारण भ्रमात्मक है। द्रव्यगत परिणमन नियत है अमुक स्थूलपर्यायगत शक्तियोंके परिणमन भी नियत हो सकते हैं जो उमपर्यायशक्तिके अवश्यभावी परिणमनोममें किसी एकरूपमें निमित्तानुसार सामने आते हैं। जैसे एक अँगुली अगले समय टेढ़ी हो सकती है, मीठी रह सकती है, टूट सकती है, घूम सकती है, जैसी सामग्री और कारण-कलाप मिलेंगे उसमें विद्यमान इन सभी योग्यताओंमेंसे अनुकूल योग्यताका विकास हो जायगा। उस कारणशक्तिसे वह अमुक परिणमन भी नियत कराया जा सकता है जिसकी पूरी सामग्री अविकल हो प्रतिबन्धक कारणकी सम्भावना न हो ऐसी अन्तिमक्षणप्राप्त शक्तिसे वह कार्य नियत ही होगा पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिक्षणका परिणमन सुनिश्चित है उसमें जिसे जो निमित्त होना है नियतचक्रके पेटमें पड़कर ही वह उसका निमित्त बना रहेगा। वह अतिसुनिश्चित है कि हूरकर द्रव्यका प्रतिस्मय कोई न कोई परिणमन होना ही चाहिए। पुराने संस्कारोंके परिणामस्वरूप कुछ ऐसे निश्चित कार्यकारणभाव बनाए जा सकते हैं जिनसे यह नियत किया जा सकता है कि अमुक समयमें इस द्रव्यका ऐसा परिणमन होगा ही, पर इस कारणताकी अवश्यभाविता मामग्रीकी अविकलता तथा प्रतिबन्धककारणकी शून्यतापर ही निर्भर है। जैसे हल्दी और चूना दोनों एक जलपात्रमें डाले गये तो यह अवश्यभावी है कि उनका लालरंगका परिणमन हो। एक बात यहाँ यह खासतौरसे ध्यानमें रखने की है कि अचेतन परमाणुओंमें बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं हो सकती। उनमें अपने संयोगके आधारसे क्रिया तो होती रहती है। जैसे पृथिवीमें कोई बीज पड़ा हो तो सरदी, गरमीका निमित्त पाकर उसमें अकुर आ जायगा और वह पल्लवित, पुष्पित होकर पुनः बीजको उत्पन्न कर देगा। गरमीका निमित्त पाकर जल भाप बन जायगा। पुनः भाप सरदीका निमित्त पाकर जलके रूपमें बरसकर पृथिवीको शस्यस्थामल बना देगा। कुछ ऐसे भी अचेतन द्रव्योंके परिणमन हैं जो चेतन निमित्तसे होते हैं जैसे मिट्टीका घड़ा बनना या रुईका कपड़ा बनना। तात्पर्य यह कि अतीतके संस्कारवश वर्तमान क्षणमें जितनी और जैसी योग्यताएँ विकसित होगी और जिनके विकासके अनुकूल निमित्त मिलेंगे, द्रव्योंका बीसा-बीसा परिणमन होता जायगा। भविष्यका कोई निश्चित कार्यक्रम द्रव्योंका बना हुआ हो और उसी सुनिश्चित अनन्त क्रमपर यह जगत् चल रहा हो, यह धारणा ही भ्रमपूर्ण है। नियताप्रनियतत्ववाद

जैन दृष्टिसे द्रव्यगत शक्तियाँ नियत हैं पर उनके प्रतिक्षणके परिणमन अनिर्धार्य हैं। एक द्रव्यकी उस समयकी योग्यतासे जितने प्रकारके परिणमन हो सकते हैं उनमेंसे कोई भी परिणमन जिसके कि निमित्त और अनुकूल सामग्री मिल जायगी, हो जायगा। तात्पर्य यह कि प्रत्येक द्रव्यकी शक्तियाँ तथा उनसे होनेवाले परिणमनोंकी जाति सुनिश्चित है। कभी भी पुद्गलके परिणमन जीवमें तथा जीवके परिणमन पुद्गल में नहीं हो सकते। पर प्रतिस्मय बीसा परिणमन होगा, यह अनियत है। जिस समय जो शक्ति विकसित होगी

तथा अनुकूल निमित्त मिल जायता उसके बाद वैया परिणमन हो जायगा। अतः नियतत्व और अनियतत्व दोनों धर्म सत्येका हैं। अपेक्षाभेदसे सम्भव है।

नियतिवाद नहीं

जो होना होगा वह होगा ही, हमारा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, इस तरहके निष्क्रिय नियतिवादके विचार जैनतत्त्वस्थितिके प्रतिकूल है। जो द्रव्यगत शक्तियाँ नियत हैं उनमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, हमारा पुरुषार्थ तो कोयलेकी हीरापर्यायिके विकास करानेमें है। यदि कोयलेके लिए उसकी हीरापर्यायिके विकासके लिए आवश्यक सामग्री न मिले तो या तो वह जलकर भस्म बनेगा या फिर खानिमें ही पड़े-पड़े ममाप्त हो जायगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसमें उपादान शक्ति नहीं है उसका परिणमन भी निमित्तसे हो सकता है या निमित्तमें यह शक्ति है जो निस्पादानको परिणमन करा सके।

उभय कारणोसे कार्य

कार्योत्पत्तिके लिए दोनों ही कारण चाहिए उपादान और निमित्त; जैसा कि स्वामी समन्तब्रह्मने कहा है कि "अथा कार्यं बहिरन्तस्थापिभिः" अर्थात् कार्यं बाह्य-आन्मन्तर दोनों कारणोसे होता है। यही अनाद्यन्त वैज्ञानिक कारण-कार्यधारा ही द्रव्य है जिसमें पूर्वपर्याय अपनी सामग्रीके अनुसार सदृश, विसदृश, अर्धसदृश, अल्पसदृश आदिरूपसे अनेक पर्यायोकी उत्पादक होती है। मान लीजिए एक जलविन्दु है उसकी पर्याय बदल रही है, वह प्रतिक्षण जलविन्दु रूपसे परिणमन कर रही है पर यदि गरमीका निमित्त मिलता है तो तुरन्त भाप बन जाती है। किसी मिट्टीमें यदि पड़ गई तो सम्भव है पृथिवी बन जाय। यदि सौंपके झुंडमें चली गई जहर बन जायगी। तात्पर्य यह कि एकधारा पूर्व-उत्तर पर्यायोकी बहती है उसमें जैसे-जैसे सधोम होते जायेंगे उसका उस जातिमें परिणमन हो जायगा। गङ्गाकी धारा हरिद्वारमें जो है वह कानपुरमें बही और कानपुरकी गटर आदिका संयोग पाकर इलाहाबादमें बदली और इलाहाबादकी गन्दगी आदिके कारण काशीकी गङ्गा जुदी ही हो जाती है। यहाँ यह कहना कि "गङ्गाके जलके प्रत्येक परमाणुका प्रति-समयका सुनिश्चिन्त कार्यक्रम बना हुआ है उमका जिस समय परिणमन होता है वह होकर ही रहेगा" द्रव्यकी विज्ञान-सम्मत कार्यकारणपरम्पराके प्रतिकूल है।

'जं जस्स जम्मि' आदि भावनाएँ है

स्थापिकातिकैयानुप्रेषामि सम्यदृष्टिके चिन्तनमें ये दो भाषाएँ लिखी हैं—

जं जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि।

णादं जिणेण णियद जम्म व अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥

तं तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि।

को चालेदुं सबको इदो वा अह जिष्णि वा ॥ ३२२ ॥

अर्थात् जिसका जिस समय जहाँ जैसे जन्म या मरण होना है उसे इन्द्र या जिनन्द्र कोई भी बही टाल सकता, वह होगा ही।

इन भाषाओंका भावनीयार्थ यही है कि जो जब होना है, होगा, उसमें कोई किसीका कारण नहीं है आत्सविभर रहकर जो आवे वह सहना चाहिए। इस तरह चित्तसमाधानके लिए भाई जानेवाली भावनाओंसे वस्तुव्यवस्था नहीं हो सकती। अनित्यभावनामें ही कहते हैं कि जयत् स्वप्नवत् है इसका अर्थ यह करापि नहीं कि शून्यवादियोंकी तरह जयत् पदार्थोंकी सत्तासे क्षुण्य है बल्कि यही उसका तात्पर्य है कि स्वप्नकी

तर्ह वह आत्महितके लिए वास्तविक कार्यकारी नहीं है। यहाँ सम्यग्दृष्टिके चिन्तन-भावनामें स्वावलम्बनका उपदेश है। उससे पदार्थव्यवस्था नहीं की जा सकती।

सबसे बड़ा अस्त्र सर्वज्ञत्व

नियतिवादी या तथोक्त अध्यात्मवाधियोंका सबसे बड़ा तर्क है कि सर्वज्ञ है या नहीं? यदि सर्वज्ञ है तो वह त्रिकालज्ञ होगा अर्थात् भविष्यज्ञ भी होगा। फलतः वह प्रत्येक पदार्थका अनन्तकाल तक प्रतिक्षण जो होना है उसे ठीकरूपमें जानता है। इस तरह प्रत्येक परमाणुकी प्रतिसमयकी पर्याय सुनिश्चित है उनका परस्पर जो निर्मितनैमित्तिकजाल है वह भी उसके ज्ञानके बाहिर नहीं है। सर्वज्ञ माननेका दूसरा अर्थ है नियतिवादी होना। पर, आज जो सर्वज्ञ नहीं मानते उनके सामने हम नियतिचक्रको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जिस अध्यात्मवादके मूलमें हम नियतिवादको पनपाते हैं उस अध्यात्मदृष्टिसे सर्वज्ञता व्यवहारनयकी अपेक्षासे है। निश्चयनयसे तो आत्मज्ञतामें ही उसका पर्यवसान होता है जैसा कि स्वयं आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार (गा. १५८) में लिखा है—

“जाणदि पस्सदि सव्वं व्यवहारणएण केवली भगव ।
केवलणाणो जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥”

अर्थात् केवली भगवान् व्यवहारनयसे सब पदार्थोंको जानते, देखते हैं। निश्चयसे केवलज्ञानी अपनी आत्माको जानता, देखता है।

अध्यात्मशास्त्रमें निश्चयनयकी भूतार्थता और परमाथता व्यवहारनयकी अभूतार्थतापर विचार करनेसे तो अध्यात्मशास्त्रमें पूर्णज्ञानका पर्यवसान अन्तत आत्मज्ञानमें ही होता है। अतः सर्वज्ञत्वकी दलीलका अध्यात्मचिन्तनमूलक पदार्थव्यवस्थामें उपयोग करना उचित नहीं है।

नियतिवादमें एक ही प्रश्न एक ही उत्तर

नियतिवादमें एक ही उत्तर है ‘ऐसा ही होना था, जो होना होगा सो होगा ही’ इसमें न कोई तर्क है, न कोई पुरुषार्थ और न कोई बुद्धि। वस्तुव्यवस्थामें इस प्रकारके मूल विचारोका क्या उपयोग? जगत्में विज्ञानसम्मत कार्यकारणभाव है। जैसी उपादानयोग्यता और जो निमित्त होगे तदनुसार चेतन-अचेतनका परिणमन होता है। पुरुषार्थ निमित्त और अगुकूल सामग्रीके जुटानेमें है। एक अग्नि है पुरुषार्थी यदि उसमें चन्दनका चूरा डाल देता है तो सुगन्धित घुआ निकलेगा, यदि बाक आदि डालता है तो दुर्गन्धित घुआ उत्पन्न होगा। यह कहना कि चूराको उसमें पडना था, पुरुषको उसमें डालना था, अग्निको उसे ग्रहण करना ही था। इसमें यदि कोई हेर-फेर करता है तो नियतिवादीका बड़ी उत्तर कि ‘ऐसा ही होना था’। मानो जगत्के परिणमनोंको ‘ऐसा ही होना था’ इस नियति भगवतीने अपनी गोदमें ले रखा हो।

अध्यात्मकी अकर्तृत्व भावनाका उपयोग

तब अध्यात्मशास्त्रकी अकर्तृत्व भावनाका क्या अर्थ है? अध्यात्ममें समस्त वर्णन उपादानयोग्यताके आधारसे किया गया है। निमित्त मिलानेपर यदि उपादानयोग्यता विकसित नहीं होती, कार्य नहीं हो सकेगा। एक ही निमित्त-अध्यापकसे एक छात्र प्रथम श्रेणीका विकास करता है जबकि दूसरा द्वितीय श्रेणीका और तीसरा अज्ञानीका अज्ञानी बना रहता है। अतः अन्ततः कार्य अन्तिमक्षणवर्ती उपादानयोग्यतासे ही होता है। हाँ, निमित्त उस योग्यताको विकासोन्मुख बनाते हैं, तब अध्यात्मशास्त्रका कहना है कि निमित्तको बूझ

अहङ्कार नहीं होना चाहिए कि हमने उसे ऐसा बना दिया, निमित्तकारणको सोचना चाहिए कि इसकी उपादानयोग्यता न होती तो मैं क्या कर सकता था अतः अपनेमें कर्तृत्वजन्य अहङ्कारके निवृत्तिके लिए उपादानमें कर्तृत्वकी भावनाको दृढमूल करना चाहिए ताकि परपदार्थकर्तृत्वका अहङ्कार हमारे चित्तमें आकर रागद्वेषकी सृष्टि न करे। बड़ेसे बड़ा कार्य करके भी मनुष्यको यही सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया ? यह तो उसको उपादानयोग्यताका ही विकास है। मैं तो एक साधारण निमित्त हूँ। 'क्रिया ही द्रव्य विनयति माह्वन्' अर्थात् क्रिया योग्यमें परिणमन कराती है, अयोग्यमें नहीं। इस तरह अध्यात्मकी अकर्तृत्वभावना हमें वीतरागताकी ओर ले जानेके लिए है। न कि उसका उपयोग नियतिवादके पुरुषार्थ विहीन कुसामं पर ले-जानेको किया जाय।

समयसारमें निमित्ताधोन उपादान परिणमन

समयसार (गा० ८६-८८) में जीव और कर्मका परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध बताते हुए लिखा है कि—

“जीवपरिणामहेतु कम्मत्तं पुग्गला परिणमति ।
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥
ण वि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे ।
अण्णोण्णणिमित्तेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ॥
पुग्गलकम्मकदारणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥”

अर्थात् जीवके भावोंके निमित्तसे पुद्गलकी कर्मरूप पर्याय होती है और पुद्गलकर्मके निमित्तसे जीव रागादिरूपसे परिणमन करता है। इतना समझ लेना चाहिए कि जीव उपादान बनकर पुद्गलके गुणरूपसे परिणमन नहीं कर सकता और न पुद्गल उपादान बनकर जीवके गुणरूपसे परिणमन कर सकता है। हाँ, परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धके अनुसार दोनोंका परिणमन होता है। इस कारण उपादानदृष्टिसे आत्मा अपने भावोंका कर्ता है पुद्गलके ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मात्मक परिणमनका कर्ता नहीं है।

इस स्पष्ट कथनसे कुन्दकुन्दाचार्यकी कर्तृत्व-अकर्तृत्वकी दृष्टि समझमें आ जाती है। इसका विशद अर्थ यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनमें उपादान है। दूसरा उसका निमित्त हो सकता है, उपादान नहीं। परस्पर निमित्तसे दोनों उपादानोंका अपने-अपने भावरूपसे परिणमन होता है। इसमें निमित्तनैमित्तिक-भावका निषेध कहाँ है ? निश्चयदृष्टिसे परनिरपेक्ष आत्मस्वरूपका विचार है उसमें कर्तृत्व अपने उपयोगरूपमें ही पर्यवसित होता है। अतः कुन्दकुन्दके मतसे द्रव्यस्वरूपका अध्यात्ममें वही निरूपण है जो आगे समन्तभद्रादि आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें बताया है।

मूलमें मूल कहाँ ?

इसमें कहाँ मूलमें मूल है ? जो उपादान है वह उपादान है, जो निमित्त है वह निमित्त ही है। कुम्हार घटका कर्ता है, यह कथन व्यवहार हो सकता है। कारण, कुम्हार वस्तुतः अपनी हलन-चलनक्रिया तथा अपने घट बनानेके उपयोगका ही कर्ता है, उसके निमित्तसे मिट्टीके परमाणुमें वह आकार उत्पन्न हो जाता है। मिट्टीको घटा बनना ही था और कुम्हारके हाथ बैसा होना ही था और हमने उसकी व्याख्या ऐसी करनी ही थी, आपको ऐसा प्रश्न करता ही था और हमें यह उत्तर देना ही था। ये सब बातें न अनुभव सिद्ध कार्य-कारणभावके अनुकूल ही हैं और न तर्कसिद्ध।

निश्चय और व्यवहार

निश्चयनय वस्तुकी परनिरपेक्ष स्वभूत दशाका वर्णन करता है। वह यह बतायगा कि प्रत्येक जीव स्वभावसे अनन्तज्ञान-दर्शन या अखण्ड चैतन्यका पिण्ड है। आज यद्यपि वह कर्मनिमित्तसे विभाव परिणमन कर रहा है पर उसमें स्वभावभूत शक्ति अपने अखण्ड निर्विकार चैतन्य होनेकी है। व्यवहारनय परसाक्षे अवस्थाओंका वर्णन करता है। वह जहाँ आत्माको पर-घटपटादि पदाधिके कर्तृत्वके वर्णनसम्बन्धी लम्बी उडान लेता है वहाँ निश्चयनय रागादि भावोंके कर्तृत्वको भी आत्मकोटिसे बाहर निकाल लेता है और आत्माको अपने शुद्ध भावोंका ही कर्ता बनाता है, अशुद्ध भावोंका नहीं। निश्चयनयकी भूतार्थताका तात्पर्य यह है कि वही दशा आत्माके लिए वास्तविक उपादेय है, परमार्थ है, यह जो रागादिकुप विभावपरिणति है यह अभूतार्थ है अर्थात् आत्माके लिए उपादेय नहीं है इसके लिए वह अपरमार्थ है, अप्राज्ञ है।

निश्चयनयका वर्णन हमारा लक्ष्य है

निश्चयनय जो वर्णन करता है कि मैं सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, निष्कषाय हूँ, यह सब हमारा लक्ष्य है। इसमें 'हूँ' के स्थानमें 'हो सकता हूँ', यह प्रयोग भ्रम उत्पन्न नहीं करेगा। वह एक भाषाका प्रकार है। जब साधक अपनी अन्तर्जल्प अवस्थामें अपने ही आत्माको सम्बोधन करता है कि हे आत्मन् ! तू तो स्वभावसे सिद्ध है, बुद्ध है, चोतराग है, आज फिर यह तेरी क्या दशा हो रही है तू कषायी और अज्ञानी बना है। यह पहला 'सिद्ध है बुद्ध है' वाला अंश दूसरे 'आज फिर तेरी क्या दशा हो रही है तू कषायी अज्ञानी बना है' इस अंशसे ही परिपूर्ण होता है।

इसलिए निश्चयनय हमारे लिए अपने द्रव्यगतमूलस्वभावकी ओर संकेत कराता है जिसके बिना हम कषायपङ्कसे नहीं निकल सकते। अतः निश्चयनयका सम्पूर्ण वर्णन हमारे सामने कागजपर मोटे-मोटे अक्षरोंमें लिखा हुआ टेंगा रहे ताकि हम अपनी उस परमदशाको प्राप्त करनेकी दिशामें प्रयत्नशील रहें। न कि हम तो सिद्ध हैं कर्मोंसे अस्पृष्ट हैं यह मानकर मिथ्या अहङ्कारका पोषण करें और जीवनचारित्र्यसे विमुख हो निश्चयकान्तरूपी मिथ्यात्वको बढ़ावें।

ये कुन्दकुन्दके अवतार

सोचनमें यह प्रवाद है कि श्रीकानजीस्वामी कुन्दकुन्दके जीव है और वे कुन्दकुन्दके समान ही सद्गुरु-रूपसे पुजते हैं। उन्हें सद्गुरुमक्ति ही विशिष्ट आकर्षणका कार्यक्रम है। यहाँसे नियतिवादकी आवाज अब फिरसे उठी है। और वह भी कुन्दकुन्दके नामपर। मावनीय पदार्थ जुदा है उनसे तत्त्वव्यवस्था नहीं होती वह मैं पहले लिख चुका हूँ। यो ही भारतवर्षमें नियतिवाद और ईश्वरवादके कारण तथा कर्मवादके स्वरूपको ठीक नहीं समझनेके कारण अपनी यह जितात परतन्त्र स्थिति उत्पन्न कर ली थी। किसी तरह अब नव-स्वा-तन्त्रोपेय हुआ है। इस युगमें वस्तुतत्त्वका वह निरूपण हो जिससे सुन्दर समाजव्यवस्था-घटक व्यक्तिका निर्माण हो। धर्म और अध्यात्मके नामपर और कुन्दकुन्दाचार्यके सुनामपर आलस्य-पोषक नियतिवादका प्रचार न हो। हम सम्यक् तत्त्वव्यवस्थाको समझें और समन्तभद्रादि आचार्योंके द्वारा परिशीलित उभयमुखी तत्त्व-व्यवस्थाका मनन करें।

निश्चयनय सर्वज्ञता और अध्यात्म भावना

निश्चयनयकी दृष्टिसे सर्वज्ञताका पर्यवसान आत्मज्ञतामें होता है, वह प्रतिपादन आ० कुन्दकुन्दने नियमसार (वा० १५८) में किया है। उसका विवेचन मैंने अपने 'जैन दर्शन' ग्रन्थमें किया है। उस सम्बन्धमें कुछ विचारणीय मुद्दे इस प्रकार हैं—

निश्चयनयकी दृष्टिसे जो पर्यवसानका आत्मज्ञतामें किया गया है उस सम्बन्धमें यह विचार भी आवश्यक है कि निश्चयनयका वर्णन स्वाश्रित होता है।^१ निराकार यानी मात्र चैतन्य जब तक स्वीकार रहता है तब तक वह दर्शन ही और जब वह साकार ज्ञान अर्थात् ज्ञेयाकार बनता है तब वह ज्ञान कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि निश्चयनयकी दृष्टिमें ज्ञान स्वसे भिन्न किसी पर पदायको जानता है क्या ? और यदि जानता है तो उसका यह परका जानना क्या पराश्रित कहा जाकर व्यवहारकी सीमामें नहीं आया ? इस प्रश्नके उत्तरमें अपनी दार्शनिक प्रक्रियासे ऊपर उठकर आ० कुन्दकुन्दकी दृष्टिसे ही विचार करना होगा। जहाँ कहीं थोड़ा भी पर पदायका आश्रय आया कि वह स्थिति निश्चयनयकी सीमासे बाहर हो जाती है। समय प्राप्त^२ में ही ज्ञान, दर्शन और चारित्रके गुणभेदको भी व्यवहारनयमें ही ढाल दिया है—

“व्यवहारेणुविदस्सइ णाणिसप चरित्तदसण णाणं।

णवि णाणं ण चरित्तं ण दसण जाणमो सुद्धो ॥”

अर्थात् चारित्र, दर्शन और ज्ञानका उपदेश व्यवहारनयसे है। निश्चयनयसे न ज्ञान है, न चारित्र और न दर्शन ही है, यह तो शुद्ध ज्ञायक है।

जहाँ तक द्रव्यके परिणमनकी बात है, वह एक द्रव्यमें एक समयमें एक ही होता है। वह भी उसके अपने निज उत्पादव्ययप्रौढ्यात्मक मूल स्वभावके कारण। द्रव्य चाहे शुद्ध या अशुद्ध इस परिणामी स्वभावके कारण वह प्रतिक्षण पूर्वपर्यायिको छोड़कर नई पर्यायिको धारण करता हुआ अतीतसे वर्तमान होता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। आत्मद्रव्य एक अखण्ड द्रव्य है। वह भी इसी ध्रुव नियमके अनुसार प्रतिक्षण परिणामी है। उसके इस एक वर्तमानकालीन परिणमनको ज्ञान, दर्शन, सुख और चारित्र आदि अनेक गुणमुक्तोसे देखा जाता है। समस्त गुणोमें एक चैतन्य जाग्रत रहता है। वही एक चैतन्यज्योति सभी गुणोमें प्रकाशमान है - कुन्दकुन्द उसी ज्योतिको 'शुद्ध ज्ञायक' शब्द से कहते हैं। ज्ञान और दर्शनमें भी यही ज्ञायकज्योति प्रवह मान है। जब यह ज्योति स्व से भिन्न किसी ज्ञेयको प्रकाशित करती है तब ज्ञान कही जाती है और अब मात्र स्वको प्रकाशित करती है तब दर्शन कहलाती है। यानी इस ज्योतिमें 'ज्ञान' मंशा परके प्रकाशकत्वसे आती है। अब विचार कीजिये कि जो निश्चयनय अपने गुण-गुणीभेदको भी सहन नहीं करता वह परप्रकाशकत्वसे आनेवाली 'ज्ञान' इस सज्ञाको 'चैतन्य' में कैसे स्वीकार कर सकता है ? दूसरे शब्दोंमें वह 'ज्ञायक' को 'शुद्ध ज्ञायक' मानना चाहता है। आत्मा जब तक विभावपरिणति करता है तब तक उसके अनेक योग, उपयोग और विकल्प होते रहते हैं। किन्तु जब वह विभावदशा से स्वभाव में पहुँचता है तब उसकी परिणति एक ही होती है और वह होती है शुद्ध ज्ञायक परिणति। सिद्ध होनेके प्रथम क्षणसे अनन्तकाल तक एक जैसी शुद्ध परिणति उसकी होती है। तब यह प्रश्न उठता है कि यदि सिद्धकी अनन्तकाल तक एक जैसी शुद्ध पर्याय

१ 'स्वाश्रितो निश्चयः पराश्रितो व्यवहारः।' —नियमसार टीका

बनी रहती है तो उत्पाद व्यय मानने से क्या लाभ ? इसका सहज समाधान यही है कि यह तो इच्छका मूल-भूत निज स्वभाव है कि वह प्रतिक्षण उत्पादव्ययधोव्यात्मक हो। बिना इसके वह 'सत्' नहीं हो सकता। उसमें जो अगुणलघुगुण है उसके कारण यह न गुण होना है और न लघु, अपने निजद्रव्यत्वको बनाये रखता है। उत्पाद व्यय का यह अर्थ कभी नहीं है कि जो प्रथम समयमें है वह द्वितीय समयमें न हो या उससे विच्छेदन ही हो, किंतु उसका अर्थ केवल इतना ही है कि पूर्वपर्याय विनष्ट हो और उत्तर पर्याय उत्पन्न हो। वह उत्तर पर्याय मद्दश, विमद्दश, अर्थसद्दश और अल्पसद्दश कौसी भी हो सकती है। 'हो' इतना ही विचारणीय है, 'कौसी हो' यह सामग्रीपर निर्भर करता है। अनन्तकाल तक एक जैसी शुद्ध अवस्था यदि रहनी है तो रहो इसमें उनके सिद्धत्वकी कोई क्षति नहीं है।

तात्पर्य यह कि जिस प्रकार विभाव अवस्थामें उसके विचित्र अशुद्ध परिणामन होते थे उस प्रकार स्वभाव अवस्थामें नहीं होते। स्वभाव एक ही होता है और शुद्धता भी एक ही होती है।

तो क्या शुद्ध अवस्थामें आत्मा ज्ञानशून्य हो जाता है ? इस प्रश्नका शुद्ध निश्चयनयसे यही उत्तर हो सकता है कि चैतन्यके परिणामी होते हुए भी वह अवस्था नहीं होनी चाहिए जिसमें पर की अपेक्षा हो। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि भेद भी शुद्ध निश्चयनय की दृष्टिमें नहीं हैं। वह तो एक अलक्ष्य चित्तियुक्तको देखता है। 'आत्माके ज्ञानदर्शन आदि गुण है' इसे वह भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक मानता है^१। तथा 'केवलज्ञानादिरूप जीव है' इसे वह निरुपाधि गुणगुण्यभेद विषयक अशुद्ध निश्चयनय समझता है^२।

माराश यह है कि शुद्ध निश्चयनय की दृष्टिमें किसी भी प्रकार का भेद या अशुद्धता नहीं रहनी। इम दृष्टिमें जब सोचते हैं तो जिस प्रकार वर्णादि आत्माके नहीं हैं उसी प्रकार रागादि भी आत्माके नहीं हैं और गुणस्थान पर्यन्त समस्त ज्ञानादि भाव भी आत्माके नहीं हैं। इसी दृष्टिसे यदि 'जाणदि पस्सदि' का व्याख्यान करना हो तो प्रथम तो 'ज्ञान और दर्शन' ये भेद ही नहीं होंगे। कदाचित् स्वीकार करके चलें भी, तो इनका क्षेत्र 'स्वस्वरूप' ही हो सकता है 'स्व' के बाहर नहीं। पर का स्पर्श करते ही वह पराश्रित व्यवहार की मर्यादायें जा पहुँचेंगे। ज्ञानका पर पदार्थको जानना यह नय व्यवहार समझता है, वह स्वकप-ज्योति है, स्वनिमग्न है, उसका पराश्रितत्व व्यवहार है।

जैनदर्शनकी नय प्रक्रिया अत्यन्त दुरूह और जटिल है। इसका अन्यथा प्रयोग वस्तुतत्त्वका विपर्यास करा सकता है। अतः जिस प्रकरणमें विवक्षासे जिस नयका प्रयोग किया गया है उस प्रकरणमें उची विवक्षा से समस्त परिभाषाओं को देखना और लगाना चाहिए। किसी एक परिभाषा को शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे लगाकर अन्य व्यवहारकी परिभाषाओंको पकड़कर धोलचाल करनेमें जैनशासन का यथार्थ निरूपण नहीं हो सकता, किन्तु विपर्यास ही हाथ लगता है।

व्यवहारकी दृष्टि

समयसारमें तो एक अशुद्ध द्रव्य निश्चयनयका विषय मानकर बाकी प्रवर्तक स्वभाव या परभाव सभी व्यवहारके गढ़में डालकर उन्हें हेय जलएव अभूतार्थ कह दिया है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की

१. "भेदकल्पनासापेक्षोऽशुद्धद्रव्याधिको, यथा आत्मनो दर्शनज्ञानादयो गुणा।" (आलाप ५०, पृ० १६८)

२. "तत्र निरुपाधिगुणगुण्यभेदविषयकोऽशुद्धनिश्चयः, यथा केवलज्ञानादयो जीव इति।"

है। नैयमादि नवों का विवेचन वस्तु तत्त्वकी भीमासा करनेकी दृष्टिसे है जब कि समयसारगत नवों का वर्णन अध्यात्म भावना को परिपुष्ट कर हेय और उपादेय के विचार से सन्मार्गमें लगानेके लक्ष्यसे है।

निश्चय और व्यवहारके विचारमें सबसे बड़ा खतरा है—निश्चयको भूतार्थ और व्यवहारको अभूतार्थ रहनेकी दृष्टिको न समझकर निश्चयकी तरफ झुक जाने और व्यवहार की उपेक्षा करने का। दूसरा खतरा है किसी परिभाषा को निश्चयसे और किसीको व्यवहारमें लगाकर धोल-धाल करने का। आ० जमूनचन्द्रने इन्हीं खतरोंसे सावधान करने के लिये एक प्राचीन गाथा उद्धृत की है—

जदि जिणमय पवउजह तो—मा व्यवहारणिच्छए मुयह ।

जेण विणा छिउजय तित्थ अण्णं ण तच्च ॥

अर्थात् यदि जिनमत को प्राप्त होवे तो व्यवहार और निश्चयमें भेदको प्राप्त नहीं होना, किसी एक को छोड़ मत बैठना। व्यवहारके बिना तीर्थ का उच्छेद हो जायगा और निश्चयके बिना तत्त्वका उच्छेद होगा।

कुछ विशेष अध्यात्म प्रेमी जैनदर्शनकी सर्वनय सतुलन पद्धतिको मनमें न रखकर कुछ इसी प्रकार का धोलधाल कर रहे हैं। वे एक परिभाषा एक नयकी तथा दूसरी परिभाषा दूसरे नयकी लेकर ऐसा मार्ग बना रहे हैं जो न तो तत्त्वके निश्चय में सहायक होता है और न तीर्थकी रक्षाका साधन ही सिद्ध हो रहा है। उदाहरणार्थ—निमित्त और उपादानकी व्याख्याको ही ले ले।

निश्चयनयकी दृष्टिसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं करता। जो जिस रूपसे परिणत होता है वह उसका कर्ता होता है। इसकी दृष्टिसे कुम्हार घडंका कर्ता नहीं होता किन्तु मृत्पिण्ड ही वस्तुतः घटका कर्ता है, क्योंकि वही घटरूपसे परिणत होता है। इसकी दृष्टिमें निमित्तका कोई महत्त्वका स्थान नहीं है क्योंकि यह नय पराश्रित व्यवहारको स्वीकार ही नहीं करता। व्यवहारनय परसापेक्षता पर भी ध्यान रखता है। वह कुम्हारको घटका कर्ता इसलिए कहता है कि उसके व्यापारमें मृत्पिण्डमेंसे वह आकार निकला है। घटमें मिट्टी ही उपादान है इसको व्यवहारनय मानता है। किन्तु कुम्भकार व्यवहार वह 'मृत्पिण्ड' में नहीं करके कुम्हारमें करता है। 'घट' नामक कार्यकी उत्पत्ति मृत्पिण्ड और कुम्भकार दोनोंके सन्निधानसे हुई प्रत्यक्ष सिद्ध घटना है। किन्तु दोनों नयोंके देखनेके दृष्टिकोण जुदे-जुदे हैं। अब अध्यात्मी व्यक्ति कर्तृत्वकी परिभाषा तो निश्चयनय पकड़ते हैं और कहते हैं कि दूरएक कार्य अपने उपादानसे उत्पन्न होता है, अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यमें कुछ नहीं कर सकता। जिस समय जो योग्यता होगी उस समय वह कार्य अपनी योग्यतासे हो जायगा। और इस प्रति समयकी योग्यताको सिद्धिके लिये सर्वज्ञताकी व्यावहारिक परिभाषाकी धारण लेते हैं। यह सही है कि समन्तभद्र आदि आचार्यों ने और इसके पहिले ही भूतबलि आचार्य ने इसी व्यावहारिक सर्वज्ञताका प्रतिपादन किया है और स्वयं कुन्दकुन्दने भी प्रवचनमार्गमें व्यावहारिक सर्वज्ञताका वर्णन किया है किन्तु यदि हम समन्तभद्र आदिकी व्यावहारिक सर्वज्ञताकी परिभाषा लेते हैं तो कार्यात्मितिकी क्रिया भी उन्हींके द्वारा प्रतिपादित बाह्य और अन्तरंग उभय विध कारणोंसे जाननी चाहिए। और यदि हम कार्यात्मितिकी प्रक्रिया कुन्दकुन्दकी नैश्चयिक दृष्टिसे लेते हैं तो सर्वज्ञताकी परिभाषाकी नैश्चयिक ही माननी चाहिए। एक परिभाषा व्यवहारको लेना और एक परिभाषा निश्चयकी पकड़कर धोलधाल करनेसे वस्तुका विपर्यास ही होता है।

इसी तरह व्यावहारिक सर्वज्ञतासे नियतिवादको फलित करके उसे निश्चयनयका विषय बनाकर

पुरुषार्थको रेश मारना तीर्थच्छेदकी ही कजामे जाता है। तीर्थ प्रवर्तनका फल यह है कि—व्यक्ति उसका आश्रय लेकर असत् से सत्, अशुभ से शुभ, अशुद्ध से शुद्ध और तम से प्रकाश की ओर जावे। परन्तु इस नियतिवादमें जब अपने अगले क्षणमें परिवर्तन करनेकी शक्यता ही नहीं है तब किसलिये तीर्थ-धर्मका आश्रय लिया जाय ? दीक्षा, शिक्षा और संस्कारका आखिर प्रयोजन ही क्या रह जाता है ? इन तरह जिनबनके दुरासद नयचक्रको नहीं समझकर और समग्र जैनसासनकी सर्वान्वयमयताके परिपूर्ण स्वरूपका ध्यान नहीं करके बहोकी इंट और कही का रोडा लेनेमें न वस्तु तत्त्वकी रक्षा है और न तीर्थ की प्रभावना ही।

आ० कुन्दकुन्दकी अध्यात्मभावना

आ० कुन्दकुन्दने अपने समय-प्राप्तमें अध्यात्म-भावनाका वर्णन किया है। उनका कहना है कि आत्म-संशोधन और शुद्धात्मकी प्राप्तिके लिये हमें इस प्रकारको भावना करनी चाहिए—कि निश्चयनय भूतार्थ है और व्यवहारनय अभूतार्थ है। जिस गाथा^१ में उन्होंने व्यवहारको अभूतार्थ और निश्चयनयको भूतार्थ की बात कही है। उसके पहिलेकी दो गाथाओमें वे आत्मभावना करनेकी बात कहते हैं^२। इतना ही नहीं, वे निश्चयनय में व्यवहारका निषेध करके निर्वाणकी प्राप्तिके लिये निश्चयनयमें लीन होनेका उपदेश करने हैं—

“एवं व्यवहारणञ्चो पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण।

णिच्छयणयसल्लीणा पुन मुणियो पावन्ति णिव्वाणं ॥”

—समयप्रा० गा० २९६।

अर्थात् इस तरह निश्चयनयकी दृष्टिसे व्यवहारनय का प्रतिषेध समझना चाहिये। निश्चयनयमें लीन मुनिजन निर्वाण पाते हैं।

इसी तरह उन्होंने और भी मोक्षमार्गी साधकको जीवन-दर्शनकी तथा आत्म-संशोधनकी प्रक्रिया और भावनाएँ बताई है जिनसे चित्तको भावितकर साधक शान्तिलाभ कर सकता है। परन्तु भावनासे वस्तु-स्वरूपका निरूपण नहीं होता। वही कुन्दकुन्द जब वस्तु स्वरूपका निरूपण करने बैठते हैं तो प्रवचनसार व पंचास्तिकाय का समस्त तत्त्व वर्णन उभयनय समन्वित अनेकान्तदृष्टिसे होता है।

भावनाको तत्त्वज्ञानका रूप देनेसे जो विपर्यास और खतरा होता है तथा उसके जो कुपरिणाम होते हैं वे किसी भी दर्शनके इतिहासके विद्यार्थीसे छिपे नहीं हैं। बुद्ध ने स्त्री आदिसे विरक्तिके लिये उसमें अधिक परमाणुपुत्र स्वप्नोपम मायोपम शून्य आदि की भावना करनेका उपदेश दिया। पीछे उन एक-एक भावनाओको तत्त्वज्ञानका रूप देनेसे क्षणिकवाद, परमाणुपुत्रवाद, शून्यवाद आदि बातों की सृष्टि ही गई और पीछे तो उन्हे दर्शनका रूप ही मिल गया। जैन परम्परामें भी मुसुज्योंको अनित्य, अशरण, अशुचि आदि

१. “ववहारोऽभूदत्यो भूषत्यो देसिहो ह्नु सुद्धणञ्चो।

भूवत्थमस्सिदो खलु सम्माधिदुठी ह्वदि जीवो ॥”

—समयप्रा० गा० १३.

२. “णाणम्हि भावना खलु कादम्भा दंसणे चरिते य।

ते पुण तिण्णदि आधा तम्हा कुण भायणं भावे ॥

जो आदनात्तणमिणं णिच्छुवजुत्तो मुणी समाचरदि।

सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि-अचिरेण कालेण ॥”

—समयप्रा० गा० ११।१२.

भावनासे चित्तको भावित करनेका उपदेश दिया गया है। इन्हे अनुप्रेक्षा सजा भी इसीलिये दी गई है कि इसका बार-बार चिन्तन किया जाय। अनित्य भावनामें वही विचार तो है जो बुद्धने कहे थे कि—अगत जगन्मगुर है, अशुचि है, स्वप्नवत् है, माया है, मिथ्या है आदि। इसी तरह स्त्रीसे विरक्तिके लिये उममें 'भाषिण, सपिणी, नरककी खान, विषनेल' आदि की भावना करने है, पर इससे वह नागिन या सपिणी तो नहीं बन जाती या नागिन और सपिणी तो नहीं है। जैसे इस भावनाको तत्त्वज्ञानका रूप देकर वस्तुविपर्यय नहीं किया जता, उन्ही कुन्दकुन्दकी अध्यात्म भावनाको हमें भावनाके रूपमें ही देखना चाहिये, तत्त्वज्ञानके रूपमें नहीं। उनके तत्त्वज्ञानका ठोस निरूपण यदि प्रवचनसार और पचास्तिकाय आदिमें देखनेको मिलता है तो आत्मशोधनकी प्रक्रिया समयसारमें।

निश्चय और व्यवहारनयोका वर्णन वस्तु तत्त्वके स्वरूपके निरूपणसे उनना मन्वन्ध नहीं रखता जितना हेयोपादेय विवेचनसे। 'स्त्री किन-किन निमित्त और उपादानोसे उत्पन्न हुई है' यह वर्णन अध्यात्म भावनाओं में नहीं मिलता, किन्तु 'स्त्रीको हम किस रूपमें देखें' जिससे विषय विरवित हो, यह प्रक्रिया उममें बताई जाती है। अत यह विवेक करने की पूरी-पूरी आवश्यकता है कि कहीं वस्तु तत्त्वका निरूपण है और कहीं भावनात्मक वर्णन है। मुझे यह स्पष्ट करनेमें कोई मकोच नहीं है कि कभी-कभी असत्य भावनाओंसे भी सत्यकी प्राप्तिका मार्ग अपनाया जाता है। जैसे कि स्त्रीको नागिन और सपिणी समझकर उससे विरक्त करानेका। अन्तत भावना, भावना है, उमका लक्ष्य वैज्ञानिक वस्तु तत्त्वके निरूपणका नहीं है, किन्तु है अपने लक्ष्यकी प्राप्तिका जबकि तत्त्वज्ञानके निरूपण की दिशा वस्तुतत्त्वके विश्लेषण पूर्वक वर्णन की होती है। उमें अमुक लक्ष्य बने या बिगड़े यह चिन्ता नहीं होती। अत हमें आचार्योंकी विभिन्न नयदृष्टयोका यथावत परिज्ञान करके तथा एक आचार्यको भी विभिन्न प्रकरणोंमें क्या विवक्षा है यह सम्यक् प्रतीति करके ही सर्वनयममूह साध्य अनेकान्त तीर्थकी व्याख्यामें प्रवृत्त होना चाहिए। एक नय यदि नयान्तरके अभिप्रायका तिश्कार या निराकरण है तो वह सुनय नहीं रहता दुनय बनकर अनेकान्तका विघातक हो जाता है। भूतबलि, पुष्यदन्त, उमास्वामी, समन्तभद्र और अकलकूदेव आदि आचार्योंने जो जैन-दर्शनका मुनिवादी पायेवार निर्बाध तथा सुदृढ़ भूमिका निरूपण किया है वह यो ही 'व्यवहार' कहकर नहीं उठाया जा सकता। कोई भी धर्म अपने 'तत्त्वज्ञान' और 'दर्शन' के बिना केवल नैतिक नियमोंके सिवाय और क्या रह जाता है। ईसाईधर्म और इस्लामधर्म अपने 'दर्शन' के बिना आज परीक्षा प्रधानी मानवकी अपनी ओर नहीं खींच पाते। जैन-दर्शनमें प्रमेयकी अनेकान्त रूपता, उसके दर्शनको 'अनेकान्त-दर्शन' और उमके कथनकी पद्धति का 'स्याद्वाद भाषा' का जो रूप देकर आज तक भी 'जीवितदर्शन' का नाम पाया है उसे 'व्यवहार' के गड़ड़े में फँकनेसे तीर्थ और शासन की सेवा नहीं होगी। जैन-दर्शन तो वस्तु व्यवस्थाके मूल रूपमें ही लिखता है कि—

“स्वपरात्क्षोपादानापोहनापाद्यत्वं हि वस्तुनो वस्तुत्वम् ।”

अर्थात् स्वोपादान यानी स्वास्तित्वके साथ ही साथ पर की अपेक्षा नास्तित्व भी वस्तुके लिये आवश्यक है। यह अस्ति और नास्ति अनेकान्त दर्शनका क ख है, जिसकी उपेक्षा वस्तु स्वरूपकी विघातक होगी।

सम्यक् नियतिवादके समर्थनमें उपयोग करना जैनीनयदृष्टिको गहराईसे न समझनेका ही परिणाम है। आचार्य अमृतचन्द्रने ठीक ही कहा कि—जिनेन्द्रदेव द्वारा प्ररूपित नयचक्रका समझना अत्यन्त कठिन है। यह दुधारी तलवार है। इसे बिना समझे चलानेवाला विनाशकी ओर ही जाता है। आचार्य कुम्भकुम्भने

अनेकों स्वल्पोंमें यह स्पष्ट किया है कि परिणामी आत्मा और परिणामी पुद्गल एक-दूसरेके निमित्तसे परिणमन करते हैं। यदि आत्मब्रह्ममें अपनेको बुद्धिपूर्वक अचारित्रसे चारित्रकी ओर ले जानेकी शक्यता या अवसरके उपयोग करनेकी प्रवृत्तियोग्यता हो तो क्यों वे सब चरित्रनिर्माण और जीवोद्धारके प्रयत्न आज तक असंख्य तीर्थकरों व आचार्योंने किये ? ये तो इसीछिये हुए कि न मालूम किस निमित्तसे कौन सुलट जाय। किसकी उपादानयोग्यता किस निमित्तसे विकसित हो जाय। 'सब कार्य उपादान योग्यतासे होते हैं' इसमें किसीकी विवाद नहीं है परन्तु उपादानयोग्यतायें सबमें मूलतः समान होनेपर भी उनके विकासकी सामग्री अनेक होती हैं। जिसकी योग्यताके विकासके लिए जो सामग्री फिट (अनुकूल) बैठ जाती है उससे उस योग्यताका विकास हो जाता है। इसीलिए स्वयं आचार्य कुन्दकुन्द ने अनेक नयदृष्टियोंसे आत्माका वर्णन करके स्वकर्तृत्वकी शक्यता और अवसरका विचार करके कषायत्याग और मत्प्रवृत्तिमें प्रयत्न करनेका उपदेश दिया है। 'पुरुषार्थसे अनादिकालीन मलिन आत्मा भी धीरे-धीरे शुद्ध हो सकती है' यह शक्यता उनने स्वयं स्वीकार की है।

आत्मस्वरूप

तीर्थंकर महावीरने उपयुक्त सभी कुदृष्टियोंसे ऊपर उठकर केवलज्ञानसे आत्माका यथार्थ साक्षात्कार किया और बताया कि जगत्का प्रत्येक द्रव्य अपने मूलस्वरूपको अनादिसे रखता आया है और अनन्तकाल तक रखेगा, उसके मूलस्वरूपका कभी समूल विनाश नहीं हो सकता। इस तरह अपनी अनादि-अनन्त परम्परासे वह नित्य या ध्रुव होकर भी प्रतिक्षण अपनी पूर्व पर्यायको छोड़ता है और नवीन उत्तर पर्यायको ग्रहण करता हुआ पर्यायको धारामें प्रवहमान है। कोई भी द्रव्य इसका अपवाद नहीं है। आत्मा जड़ पदार्थसे भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य है। वह चैतन्यमय है और असंख्य परिवर्तन करनेपर भी वह अपने चैतन्यस्वरूपको नहीं छोड़ता। उसके जितने भी परिणमन हुए हैं या होंगे वे सभी चैतन्यमय होंगे। वही अनादिकालसे अशुद्ध हुआ चला आ रहा है और वही शुद्ध होगा। उसकी चैतन्यधारामें सामग्रीके अनुसार असंख्य प्रकारके परिणमन होते रहते हैं।

नियत-अनियत तत्त्ववाद

इसमें इतना नियत है कि—

१—संसारमें जितने द्रव्य हैं—यानी अनन्त आत्मद्रव्य, अनन्त पुद्गल परमाणु द्रव्य, असंख्यकालाणु द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य और एक आकाश द्रव्य, इनकी संख्यामें न्यूनधिकता नहीं हो सकती। न किसी नये द्रव्यकी उत्पत्ति होगी और न किसी मौजूदा द्रव्यका समूल विनाश ही, अनादिकालसे इतने ही द्रव्य थे, हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे।

२—प्रत्येक द्रव्य अपने निज स्वभावके कारण पुरानी पर्यायको छोड़ता है, नई पर्यायका ग्रहण करता है और अपने प्रवाही सत्त्वकी अनुवृत्ति रखता है। द्रव्य चाहे शुद्ध या अशुद्ध इस परिवर्तनचक्रसे अछूता नहीं रह सकता। कोई भी किसी भी पदार्थके उत्पाद और व्यय रूप इस परिवर्तनको रोक नहीं सकता और न इतना विलक्षण परिणमन ही करा सकता है कि वह अपने मौलिक सत्त्वको ही समाप्त कर दे और सर्वथा उच्छिन्न हो जाय।

१. आचार्य कुन्दकुन्दके निश्चय-व्यवहारके स्वरूपके लिये देखिये लेखकका 'जैन-दर्शन' नामक मौलिक ग्रन्थ।

३-कोई भी द्रव्य किसी सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तररूपसे परिणमन नहीं कर सकता। एक चेतन न तो अचेतन हो सकता है और न चेतनान्तर ही बन सकता है। वह चेतन वही चेतन रहेगा।

४-जिस प्रकार दो या अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर एक मयुक्त समान स्कन्ध रूप पर्याय उत्पन्न कर लेते हैं, उस तरह दो चेतन या अन्य धर्मादिद्रव्य मिलकर मयुक्तपर्याय उत्पन्न नहीं कर सकते।

५-प्रत्येक द्रव्यकी अपनी मूल द्रव्य शक्तियाँ और योग्यतायें समान रूपसे निश्चित हैं। उनमें हेर-फेर नहीं हो सकता। कोई नई शक्ति कारणान्तर से ऐसी नहीं आ सकती जिसका अस्तित्व उस द्रव्यमें न हो। इसी तरह कोई द्रव्यशक्ति सर्वथा विनष्ट नहीं हो सकती।

६-द्रव्यशक्तियों के समान होनेपर भी अमुक चेतन या अचेतनमें स्थूल पर्याय सम्बन्धी अमुक योग्यतायें भी नियत हैं। उनमें जिसकी सामग्री मिल जाती है उनका विकास हो जाता है। जैसे प्रत्येक पुद्गलाणुमें पुद्गलकी सभी द्रव्य योग्यतायें रहनेपर भी मिट्टीके पुद्गल ही साक्षात् घडा बन सकते हैं, कच्चीको पुद्गल नहीं। ततुके पुद्गल ही साक्षान् कपडा बन सकने हैं मिट्टीके पुद्गल नहीं, यद्यपि घडा और कपडा दोनों ही पुद्गलकी पर्यायें हैं। हाँ, कालान्तरमें बदलते हुए मिट्टीके पुद्गल भी कपडा बन सकते हैं और ततुके पुद्गल भी घडा। तात्पर्य यह कि ममारी जीव और पुद्गलकी अपनी-अपनी द्रव्य शक्तियाँ समान होनेपर भी अमुक स्थूल पर्यायमें अमुक शक्तियाँ ही साक्षात् विकसित हो सकती हैं, शेष शक्तियाँ बाह्य सामग्री मिलनेपर भी तत्काल विकसित नहीं हो सकती।

७-यह नियत है कि उस द्रव्यकी उस स्थूल पर्यायमें जिनकी पर्याय योग्यतायें हैं उनमेंसे ही जिसकी अनुकूल सामग्री मिलती है उसका ही विकास होता है शेष तत्पर्याययोग्यतायें द्रव्यकी मूल योग्यताओकी तरह सद्भावमें ही बनी रहती हैं।

८-यह भी नियत है कि अगले क्षणमें जिस प्रकार सामग्री उपस्थित होगी, द्रव्यका परिणमन उससे प्रभावित होगा। इसी तरह सामग्रीके अन्तर्गत जो भी द्रव्य है उनके परिणमन भी इस द्रव्यसे प्रभावित होंगे। जैसे कि आँकसीजनके परमाणुको यदि हाइड्रोजनका निमित्त मिल जाता है तो दानोंका जल रूपसे परिणमन हो जायगा अन्यथा जैसी सामग्री मिलेगी उस रूपसे वे परिणमन हों जायेंगे।

जैन-दर्शनमें 'वस्तु क्या है, यह जो पर्यायोका उत्पाद और व्यय है उसमें निमित्त उपादानकी क्या स्थिति है' इत्यादि समस्त कार्यकारणभाव, उनके जाननेकी क्या पद्धति हो सकती है? इस ममस्त ज्ञापक-तरवका पूरा-पूरा निरूपण किया है। इस कारण तत्त्व और ज्ञापक तत्त्वमें भावनाका स्थान नहीं है। इसमें तो कठोर परीक्षा और वस्तु स्थितिके विश्लेषणकी पद्धतिका प्रामुख्य है। अतः जहाँ वस्तु तत्त्वका निरूपण हो वहाँ दर्शनकी प्रक्रियासे उसका विवेचन कीजिये और उत्पन्न तथा ज्ञापित वस्तुमें किस प्रकारकी भावना या चिन्तनसे हम रागद्वेषसे वीतरागताकी ओर जा सकते, इस अध्यात्म भावनाको सम्यसारसे परस्पर। भावना और दर्शनका अपना-अपना निश्चित क्षेत्र है उसे एक दूसरेसे न मिलाएँ।

महावीर वाणी

तीर्थंकर महावीरने बिहारकी पुण्यभूमि वैशालीमें आजसे २५५७ वर्ष पूर्व जन्म लिया था। तीस वर्षकी भरी जवानी में राजवैभवको छान मार वे आत्मसाधनामें लीन हुए थे, व्यक्तिकी मुक्ति और समाजमें शान्तिका मार्ग खोजनेके लिए। बारह वर्षकी सुवीर्य (लम्बी) तपस्याके बाद उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने धर्मका साक्षात्कार किया। उसके बाद लगातार ३० वर्ष तक वे बिहार, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर-प्रदेश आदिमें सतत पाद बिहारकर धर्मोपदेश देकर सर्वोदयतीर्थका प्रवर्तन करते रहे। वीरभूमि और वर्धमान जिले तोर्थंकर महावीरकी यशोगाथाका गान अपने नामों द्वारा आज भी कर रहे हैं।

वे तीर्थंकर थे। तीर्थंकर जन्म-जन्मान्तरसे यह संकल्प और भावना रखता है कि—मुझे जो शक्ति, सामर्थ्य और विभूति प्राप्त हो उसका एक-एक कण जगत्के कल्याण व उद्धारके लिए अर्पित है। अज्ञानके अन्धकार और तुष्णाके जालमें पड़े हुए प्राणी कैसे प्रकाश पाएँ और कैसे तुष्णाके जालको भेदकर सम्मानमें लगे, यह उनके जीवनका प्रमुख लक्ष्य होता है। वह उस अनुभूत धर्म या तीर्थंका उपदेश देता है जिसपर चलकर उसने स्वयं जीवनका चरम लक्ष्य पाया होता है और वह खपा देता है अपनेको प्राणिमात्रके उद्धार और विश्वके कल्याण में।

उन्होंने अपने सर्वोदय तीर्थंका उपदेश उस समयकी जनताकी बोली अर्धमागधीमें दिया था। अर्ध-मागधी वह भाषा थी जिसमें आधे शब्द मगध देशकी भाषाके थे जो महावीरकी मातृभाषा थी और आधे शब्द विदेह अंग, वग, कस्मि आदि अठारह महाजनपदोंकी महाभाषाओं और ७०० लघु भाषाओंके थे। यानी उनकी भाषामें सभी बोलियोंके शब्द थे। इसका कारण था कि उन्हें उन पतित, शोषित, दलित और अभि-द्रावित शूद्रों तकको गढ़र्ममें अमृतका पान कराना था जिनने सदियोंसे धर्मका शब्द नहीं सुना था। जो धर्म तो क्या मनुष्यतासे वंचित थे। जिनकी दशा पशुओंसे भी बदतर थी। जो धर्म वर्गविशेषमें कैद था और वर्गविशेषकी प्रभुताका मात्र साधन बना हुआ था उस धर्मका द्वार जन-जनके कल्याणके लिए उन्हींकी भाषामें उपदेश देकर इन तीर्थंकरने खोला। आज प्रांतीय भाषाओंके नामपर झगडनेवाले हमलोगोंकी महावीर और बुद्धकी उम लोकभाषाकी दृष्टिको ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता है कि भाषा एक वाहन है विचारोंको ढोनेका। वह उतना समृद्ध होना चाहिए जिसका उपयोग बहुजन कर सकें। हिन्दी और हिन्दुस्तानी तथा प्रांतीय भाषाओंके विवादको हमें इसी सद्ग्राहक दृष्टिसे हल कर लेना चाहिए।

धम्मो मंगलमुक्कित्ठं अहिंसा संजमो तवो।

देवा वि तं णमंसति जस्स धम्मं सया मणो ॥

धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, सयम और तप अर्थात् अपनी इच्छाओंको निरोध करना धर्मका मूल रूप है। जिसके जीवन और मनमें धर्म आ गया उसे देव-श्रेष्ठजन भी नमस्कार करते हैं।

अहिंसाकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि—

‘जे य अईया, जे य पडुप्पन्ना, जे यह आयमिस्सा अरिहंता भगवंता सब्बे ते एवमाइ-कसंति एवं भासंति एवं पन्नवेन्ति एवं पक्खेन्ति सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता न हंतब्बा न अज्जायेतब्बा न परिधेतब्बा न परियावेयब्बा न उद्वेयब्बा। एस धम्मं सुद्धं निति ए ससए ।’

अर्थात् जितने अरिहंस या तीर्थंकर हो चुके हैं, तथा होंगे वे सब एक ही बात कहते हैं, एक ही बात बताते हैं, एक ही धर्मका प्रतिपादन करते हैं, एक ही सद्धर्मकी घोषणा करते हैं कि किसी प्राणी, किसी भूत, किसी जीव या किसी सत्व यानी छोटे-भोटे स्थावर या जंगम किसी भी जीवको न मारना चाहिए, न पकड़ना चाहिए, न कष्ट पहुँचाना चाहिए। यह धर्म शुद्ध है, नित्य है और शाश्वत है। और उन्होंने इस बहिःसाकी कसौटी कितने प्यारे शब्दोंमें बताई है—

‘सध्वे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्खपडिकूला’ अर्थात् सभी प्राणियोंको अपना जीवन प्यारा है, सभी सुख-शान्ति चाहते हैं और सभीको दुःख बुरा लगता है। और—

‘जह मम ण पिय दुक्खं जाणिहि एमेव सब्बजोवार्णं’।

जैसे हमें दुःख अच्छा नहीं लगता ऐसे ही सभी जीवोंको जानो।

अत

‘सध्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं न मरिण्जिउं।

तम्हा पाणिवहं घोरं णिग्गंघा वज्जियंति णं॥’

सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अतः सभी प्रकारके प्राणीवध अर्थात् हिंसासे निवृत्त्य परहेज करते हैं उसका त्याग करते हैं।

उन्होंने सभी प्राणियोंमें आत्मोपम्यकी भावनाको जगाते हुए कहा—‘लुममि नाम सच्चैव ज हंतव्व ति मन्नसि, तुमंसि नाम सच्चैव ज अज्जावेयव्वं ति मनसि, तुमंसि नाम सच्चैव ज परियावेयव्वं ति मन्नसि’—

मम पुरुषों, जिसे तुम कष्ट देना चाहते हो वह तुम्ही हो, वह तुम जैसा ही है। जिसे तुम मारना चाहते हो वह तुम्ही हो। जिसे तुम सताना चाहते हो वह तुम्ही हो। जिसे तुम तग करना चाहते हो वह तुम्ही हो। यानी जब तुम किसीको मारने या हिंसा करनेको तैयार होते हो तो तुम स्वयं अपनी हिंसा करते हो।

जिस क्रोध, अहंकार, माया और लोभके बशीभूत होकर तुम हिंसा और अन्य पापकार्योंमें प्रवृत्त होते हो वे सर्वनाशके द्वार हैं—

‘कोओ पीई विणासेइ माणो विणयणासणो।

माया मित्ताणि णासेइ लोभो सब्बविणासणो॥’

क्रोध मित्रता या प्रीतिक्रिया नाश कर देता है। मान विनयको छिन्न-भिन्न कर देता है। माया मित्र-भावको नष्ट कर देती है और लोभ तो सर्वविनाशकारी होता है।

अतः इन चार अन्तरंग शत्रुओं को—

उवसमेण हणे कोहं माणं मद्दवया जिणे।

मायमज्जवभावेण लोहं संतोसओ जिणे॥

उपशमभाव अर्थात् क्षमा या शान्तिसे क्रोधका नाश करे, उसे जीते। विनय या कोमल भावनाओंसे मानका मद बूर करे। सरलता या श्रुजु भावोंसे मायाको जीते और सन्तोषसे लोभको जीते।

उनकी धर्मोपदेशकी सभाको समवसरण कहते हैं। समवसरण-सम अवसरण अर्थात् जिसमें सबको समान अवसर हो। इसीलिए उनकी सभामें शूद्र, माली, स्त्री, चमार, नाई, चाडाल सभी जाते थे। उनकी

समामें स्त्रियोंको भी समान स्थान था और शूद्रोंको भी । इतना ही नहीं, पशु-पक्षी भी अपना जातिविशेष भूलकर इस अहिंसामूर्तिके दर्शनकर एक जगह बैठते थे । उन्होंने सबको धर्मका उपदेश देते हुए बताया था कि—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रूपसे यह वर्णव्यवस्था समाजरचना और व्यवस्थाके लिए अपने गुण और कर्मके अनुसार है । वह जन्मा नहीं है, अपने आचरण से है । कोई भी शूद्र सदाचार धारणकर ब्राह्मणसे भी ऊँचा हो सकता है और कोई ब्राह्मण भी दुराचारके कारण शूद्र से भी नीचा । वे कहते हैं—

“कम्मुणा बंभणो होइ कम्मुणा होइ क्षत्तियो ।
वइसो कम्मुणा होइ सुद्वो हवइ कम्मुणा ॥”

अपने कर्म-आचरणसे ही ब्राह्मण होता है, कर्मसे ही क्षत्रिय होता है, वैश्य भी कर्मसे होता है तथा शूद्र भी कर्मसे ही बनता है ।

उन्होंने ब्राह्मणक्रियाकारिणियों को शकसोरते हुए कहा—

न वि मुडिण्ण समणो न ओंकारेण बंभणो ।
न मुणी रण्णवासेण कुसचीरेण ण तावसो ॥

कोई मूढ़ मूढा लेने मात्रसे श्रमण नहीं हो सकता और न ओंकारके रटने से ब्राह्मण ही । न जंगलमें बस जानेसे मुनि बन सकता है और न मूँजकी रस्सी बाँध लेनेसे तपस्वी ही । तब—

“समयाए समणो होइ बंभचेरेण बंभणो ।
नाणेण मुणी होई तवेण होइ तावसो ॥”

समता से श्रमण होता है । जिसके जीवन में शम-शान्ति सम-समत्वकी भावना और श्रम-स्वावलम्बन की प्रतिष्ठा हो वही सच्चा श्रमण है । ब्रह्मचर्य से अर्थात् आत्मधर्ममें विचरण करने से ब्राह्मण होता है न कि बाह्य क्रियाकांड से । ज्ञान से मुनी होता है और इच्छाओका निरोध करनेसे तपस्वी होता है । उन्होंने सच्चे ब्राह्मणकी परिभाषा करते हुए कहा—

“जहा पोम्मं जले जायं नोवल्लिप्यइ वारिणा ।
एवं अलित्तं कामेहि तं वयं ब्रूम माहणं ॥”

जिस प्रकार कमल जलमें उत्पन्न होकर भी उससे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार संसारमें रहकर जो कामभोगमें लिप्त नहीं होता वह सच्चा ब्राह्मण है ।

और इसीलिए महावीरके धर्मसे अर्जुनमाली और हरिकेशी बाबाल जैसे पतितोका भी उद्धार हुआ था और उन्हें धर्मक्षेत्र में वही दरजा प्राप्त था जो गौतम जैसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को ।

जब उनके परम प्रिय शिष्य गौतमने तीर्थकर महावीरसे गिडगिडाकर कहा—प्रभु, मेरा उद्धार करो, तुम ही मुझे तार सकते हो तो उन्होंने कहा था—गौतम, तुम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हो, कोई किसीका उद्धार करनेवाला नहीं है । जब तक तुमहारे जीवनमें थोडा भी परावलम्बन होगा तब तक तुम पराधीन रहोगे और बन्धनमें पड़े रहोगे । वे बोले—

“पूरिसा तुममेव तुमं मित्तं किं बाहिरा मित्तमिच्छसि ।” अर्थात् प्रभु, तुम स्वयं अपने मित्र हो, बाहिर मित्र कहाँ ढूँढते हो ?

अप्या नई वैयरणी अप्या मे कूड सामली ।
 अप्या कामदुहा घेणू अप्या मे नंदण वण ।।
 अप्या कत्ता विकत्ता य सुहाण दुहाण य ।
 अप्या मित्तममित्तं च दुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ॥

आत्मा ही नरक की वीतरणी या कूट शाल्मली वृक्ष है । आत्मा ही स्वर्ग की कामधेनु और नंदन वन है । यह आत्मा ही अपने सुख और दुःख का कर्ता और भोक्ता है । कोई अन्य ईश्वर इसके पुण्य-पाप का जोखाजोखा नहीं रखता और न पुण्य-पापके फल भोगके लिए स्वर्ग या नरक भेजनेवाला है । बुरे मार्गपर चलनेवाला आत्मा ही शत्रु है और सुमार्ग पर चलनेवाला आत्मा ही मित्र है ।

‘सच्चं लोगम्मि सारमूयं ।’

सत्य ही संसारमें सारमूल है । यह था उनका जीवन सूत्र । समाज रचनाका आधारमूल सूत्र बताते हुए उन्होंने अपरिग्रहका उपदेश दिया और बताया कि—

“घणघन्नपेस्सवग्गेसु परिग्गह्ण विवज्जणं ।”

घन-वान्य और नीकर-भाकर आदिके परिग्रहका त्याग करना ही सर्वोत्तम है । पूर्ण त्याग संभव न हो तो कम से कम परिग्रह रखकर जीवनको स्वावलम्बी बनाना चाहिए । अचीर्यव्रतको भी समाज रचनाका आधार बताते हुए कहा कि—

“त्तं अप्पणा न गिण्हूति नो वि गिण्हावए परं ।
 अन्नं वा गिण्हाणं पि नानुजाणंति संजया ॥”

संयमी पुरुष स्वयं दूसरेकी वस्तुको ग्रहण नहीं करते, न दूसरो से चुरवाते हैं और न चोरी करनेवाले की अनुमोचना ही करते हैं ।

उन्होंने दूसरोके विचारोके प्रति उदारता और सहिष्णुता वर्तनेके लिए अनेकान्तदृष्टिकी साधनाका मार्ग सुझाया कहा । यथा—

“जेण विणा लोगस्स वि ववहारो सब्बहा ण णिब्बयई ।
 तस्स भुवणेक्कगुरुणो णमोऽणेगंतवायस्स ॥”

जिस विचारसहिष्णुता के प्रतीक अनेकान्तदर्शनके बिना लोकव्यवहार भी नहीं चलता उस संसारके एकमात्र गुरु अनेकान्त वादको नमस्कार हो ।

इस तरह विचारमे अनेकान्त, आचार मे अहिंसा, समाज रचनाके लिए अचीर्य, सत्य और अपरिग्रह तथा इन सबकी साधनाके लिए ब्रह्मचर्यका उपदेश देकर अन्तिम समयमें उन्होंने अपने प्रमुख सिद्ध्य गीतमको लक्ष्यकर जिस अप्रमादका उपदेश दिया था वह है—

दुमपत्ताए पंडुयए जहा णिवडइ राइग्गणाण अच्चाए ।
 एयं मणुयाण जीवियं समयं गोयम मा पमायए ॥

जैसे पतझडके समय पीला पत्ता झड जाता है ऐसे ही यह मनुष्य-जीवन क्षणमंगुर है । गीतम, एक क्षण भी प्रसाध न कर ।

कुसुमं जह्नु ओसविबुधु चोर्व चिट्ठइ कम्भमाणए ।
एवं मणुयाण जीवियं समयं गोयम मा पमायए ॥

जैसे घासकी नोकपर पत्ती हुई ओसकी बुँद बोड़े ही समय ठहरती है ऐसे ही मनुष्योंका जीवन है न जाने कब बुलक जाय। गीतम, क्षणभर भी प्रमाद न कर।

परिजूरइ ते सरीरयं केसा पंभुरमा ह्वति ते ।
से सव्वबले य हायइ समयं गोयम मा पमायए ॥

तेरा शरीर जीर्ण होता जाता है। बाल पक गये हैं। सारी शक्ति धीरे-धीरे बिलीन होती जा रही है। गीतम, क्षण भर भी प्रमाद न कर।

“तिष्णोसि अण्णवं महं किहु पुण चिट्ठसि तीरमागळो ।
अभितुर पारं गमित्तए समयं गोयम मा पमायए ॥”

गीतम, तू सारा भव समुद्र तैर चुका। अब किनारेपर आकर क्यों हिम्मत हारता है—एक आखिरी छलांग लगाओ। गीतम, क्षण भर भी प्रमाद नहीं करो। यही भगवान् की पुण्य वेशना है—

“णमोत्थु णं समणस्स भगवळो महावीरस्स” ।



प्राचीन नवीन या समीचीन ?

मनुष्यमें प्राचीनताका मोह इतना दृढ़ है कि अच्छीसे अच्छी बातको वह प्राचीनताके अस्त्रसे उड़ा देता है और बुद्धि तथा विवेकको ताकमें रख उसे 'आधुनिक' कहकर अप्राप्त बनानेका दुष्ट प्रयत्न करता है। इस भूढ़ मानवको यह पता ही नहीं है कि प्राचीन होनेसे ही कोई विचार अच्छा और नवीन होनेसे ही कोई बुरा नहीं कहा जा सकता। मिथ्यात्व हमेशा प्राचीन होता है, अनादिसे आता है और सम्यग्दर्शन नवीन होता है पर इससे मिथ्यात्व अच्छा और सम्यक्त्व बुरा नहीं हो सकता। आचार्य समन्तभद्रने धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा करते हुए लिखा है "देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिबर्हणम्" इसमें उनने प्राचीन या नवीन धर्मके उपदेश देनेकी बात नहीं कही है, किन्तु वे 'समीचीन' धर्मका उपदेश देना चाहते हैं। जो समीचीन अर्थात् सच्चा हो, बुद्धि और विवेकके द्वारा सम्यक् सिद्ध हुआ हो, वही प्राप्त है न कि प्राचीन या नवीन। प्राचीन में भी कोई बात समीचीन हो सकती है और नवीनमें भी कोई बात समीचीन। दोनोंमें असमीचीन बातें भी हो सकती हैं। अतः परोक्षा कसौटीपर जो खरा समीचीन उतरे वही हमें प्राप्त है। प्राचीनताके नामपर पीतल प्राप्त नहीं हो सकता और नवीनताके कारण सोना त्याज्य नहीं। कसौटी रखी हुई है, जो कसनेपर समीचीन निकले वही प्राप्त है।

आचार्य सिद्धसेन दिवाकरने बहुत खिन्न होकर इन प्राचीनता-भोहियोंको सम्बोधित करते हुए छठवीं द्वात्रिंशतिकामें बहुत मार्मिक चेतावनी दी है, जो प्रत्येक सशोधकको सदा स्मरण रखने योग्य है—

"यदर्शाक्षतपण्डितो जनो विदुषामिच्छति वक्तुमग्रत ।
न च तत्क्षणमेव क्षीयति जगत किं प्रभवन्ति देवताः ॥"

समीक्षक विद्वानोंके सामने प्राचीन रुढ़िवादी बिना पढ़ा पण्डितमन्य जब अट-मट बोलनेका साहस करता है, वह तभी क्यों नहीं भ्रम हो जाता ? क्या दुनियामें कोई न्याय-अन्यायको देखनेवाला देवता नहीं है ?

"पुरातनैर्या नियता व्यवस्थितिस्तथैव सा किं परिचिन्त्य सेत्स्यति ।
तथैति वक्तुं मृतरूढगौरवादह न जात प्रथयन्तु विद्विष ॥"

पुराने पुरुषोंको जो व्यवस्था निश्चित की है वह विचारनेपर क्या बंसी ही सिद्ध हो सकती है ? यदि समीचीन सिद्ध हो तो हम उसे समीचीनताके नामपर तो मान सकते हैं, प्राचीनता के नामपर नहीं। यदि वह समीचीन सिद्ध नहीं होती तो मरे हुए पुरुषोंके झूठे गौरवके कारण 'तथा' ही में ही मिलानेके लिए मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। मेरी इस समीचीनप्रियताके कारण यदि विरोधी बढने हों तो बड़ें। श्रद्धावश कबर-पर फूँ तो चढ़ाये जा सकते हैं। पर उनकी हर एक बातका अन्धानुसरण नहीं किया जा सकता।

"बहुप्रकाराः स्थितयः परस्परं विरोधयुक्ताः कथमाशु निश्चयः ।
विशेषसिद्धावियमेन नेति वा पुरातनप्रेमजडस्य युज्यते ॥"

पुरानी परम्परायें बहुत प्रकार की हैं, उनमें परस्पर पूर्व-वर्धिम जैसा विरोध भी है। अतः बिना विचारके प्राचीनताके नामपर बटसे निर्णय नहीं दिया जा सकता। किसी कार्य विशेषकी सिद्धिके लिए 'यही व्यवस्था है, अन्य नहीं, यही पुरानी आम्नाय है' भादि जडताकी बातें पुरातनप्रेमी जड़ ही कह सकते हैं।

“जनोऽयमन्यस्य भूतः पुरातनः पुरातनैरेव समो भविष्यति ।
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत् ॥”

आज जिसे हम नवीन कहकर उदा देना चाहते हैं वही व्यक्ति मरनेके बाद नई पीढ़ीके लिए पुराना हो जायगा और पुरातनोकी गिनतीमें शामिल हो जायगा । प्राचीनता अस्थिर है । जिन्हें आज हम पुराना कहते हैं वे भी अपने जमानेमें नये रहे होंगे और उस समय जो नवीन कहकर दुरदुराये जाते होंगे वे ही आज प्राचीन बने हुए हैं । इस तरह प्राचीनता और पुरातनता अब कालकृत है और कालचक्रके परिवर्तनके अनुसार प्रत्येक नवीन पुरातनोकी राशियों सम्मिलित होता जाता है तब कोई भी विचार बिना परीक्षा किये इस गढ़बढ़ पुरातनताके नामपर कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

“विनिश्चयं नैति यथा यथालसस्तथा तथा निश्चितवत्प्रसीदति ।
अवन्ध्यवाक्या गुरवोऽहमल्पधीरिति व्ययस्यन् स्ववधाय धावति ॥”

प्राचीनतामूढ़ आलसी जब निर्णयकी अशक्ति होनेके कारण अपने अनिर्णयमे ही निर्णयका भान करके प्रसन्न होता है । उसके तो यही अस्त्र है कि अवश्य ही इसमें कुछ तत्त्व होगा ? हमारे पुराने गुरु अमोघवचन थे, उनके वाक्य मिथ्या नहीं हो सकते, हमारी ही बुद्धि अल्प है जो उनके वचनों तक नहीं पहुँचती आदि । इन मिथ्यामूढ़ आलसी पुराणप्रेमियोंकी ये सब बुद्धिहत्याके सीपे प्रयत्न हैं और इनके द्वारा वे आत्मविनाशकी ओर ही तेजीसे बढ़ रहे हैं ।

“मनुष्यवृत्तानि मनुष्यलक्षणैर्मनुष्यहेतोनियतानि तैः स्वयम् ।
अलब्धपाराप्यलसेषु कर्णबानगाघपाराणि कथं गृहीष्यति ? ॥”

जिन्हें हम पुरातन कहते हैं वे भी मनुष्य ही थे और उन्होंने मनुष्योंके लिए ही मनुष्यचरित्रोका वर्णन किया है । उनमें कोई दैवी चमत्कार नहीं था । अतः जो आलसी या बुद्धि अर्थ हैं उन्हें ही वे अगाध गहन या रहस्यमय मालूम हो सकते हैं पर जो समीक्षक चेता मनस्वी हैं वह उन्हें आँसू मँदकर ‘गहन रहस्य’ के नामपर कैसे स्वीकार कर सकता है ?

“यदेव किञ्चित् विषमप्रकल्पितं पुरातनैरुक्तमिति प्रशस्यते ।
विनिश्चिताप्यद्य मनुष्यवाक्कृतिर्न पठ्यते यत्स्मृतिमोह एव सः ॥”

कितनी भी असम्बद्ध और असंगत बातें प्राचीनताके नामपर प्रशंसित हो रही हैं और चल रही हैं । उनकी असम्बद्धता ‘पुरातनोक्त और हमारी अशक्ति’ के नामपर भूषण बन रही है तथा मनुष्यकी प्रत्यक्ष-सिद्ध बोधगम्य और युक्तिप्रवण भी रचना आज नवीनताके नामपर दुरदुराई जा रही है । यह तो प्रत्यक्षके ऊपर स्मृति की विजय है । यह मात्र स्मृतिमूढ़ता है । इसका विवेक या समीक्षणसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

“न गौरवाक्कान्तमतिविगाहते किमत्र युवतं किमयुक्तमर्थतः ।
गुणावबोधप्रभवं हि गौरवं कुलाङ्गनावृत्त मतोऽन्यथा भवेत् ॥”

पुरातनके मिथ्यागौरवका अभिमानी व्यक्ति युक्त और अयुक्तका विचार ही नही कर सकता । उसकी बुद्धि उस बोधे बध्पनसे इतनी दब जाती है कि उसकी विचारशक्ति सर्वथा रुद्ध हो जाती है । अन्त-मे आचार्य लिखते हैं कि गौरव गुणकृत है । जिसमें गुण है वह चाहे प्राचीन हो या नवीन या मध्ययुगीन, गौरवके योग्य है । इसके सिवाय अन्य गौरवके नामका ढोल पीटना किसी कुशीला कुल्काभिनोका अपने कुल्के नामसे सतीत्वको सिद्ध करनेके समान ही है ।

३७४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

कवि कालिदासने भी इन प्राचीनताबद्ध-बुद्धियोंको परप्रत्ययननेयबुद्धि कहा है। वे परीक्षकमतिकी सराहना करते हुए लिखते हैं—

“पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यमम् ।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते भूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥”

अर्थात् सभी पुराना अच्छा और सभी नया बुरा नहीं हो सकता। समझदार परीक्षा करके उनमेंसे समीचीनको ग्रहण करते हैं। भूढ ही दूसरेके बहुकावेमें जाता है।

अतः इस प्राचीनताके मोह और नवीनताके अनादरको छोड़कर समीचीनताकी ओर दृष्टि रखनी चाहिए, तभी हम नूतन पीढ़ीकी प्रतिकी समीचीन बना सकेंगे। इस प्राचीनताके मोहने असंख्य अन्धविश्वासों, कुसूत्रियों, निरर्थक परम्पराओं और अनर्थक कुलास्त्रियोंको जन्म देकर मानवकी सहज बुद्धिको अनन्तभ्रमोंमें उलझा दिया है। अतः इसका सम्पृग्दर्शनकर जीवनको समीक्षापूर्ण बनाना चाहिये।



जैन अनुसंधानका दृष्टिकोण

यह एक सिद्ध बात है कि साहित्य अपने युगका प्रतिबिम्ब होता है। उसके निर्माताओंका एक अपना दृष्टिकोण रहनेपर भी साहित्यको तत्कालीन सामयिक समानतन्त्रीय या प्रतितन्त्रीय साहित्यके प्रभावसे अछूता नहीं रखा जा सकता। युद्ध क्षेत्रकी तरह दार्शनिक साहित्यका क्षेत्र तात्कालिक सन्धियोंके अनुसार मिश्रपक्ष और शत्रुपक्षमें विभाजित होता रहता है। जैसे ईश्वरवादके खण्डनमें जैन, बौद्ध और मीमांसक मिलकर काम करते हैं यद्यपि उन सबके अपने दृष्टिकोण जुदा-जुदा हैं पर वेदके अपौरुषेयत्वके विचारमें मीमांसक विरोध पक्षमें खड़ा ही जाता है और जैन, बौद्ध साथ चलते हैं। क्षणिकत्वके खण्डनके प्रसंगमें जैन और बौद्ध दोनों परस्पर विरोधी बनते हैं और मीमांसक जैनका साथ देता है। तात्पर्य यह कि किसी भी सम्प्रदायके साहित्यमें विभिन्न तत्कालीन साहित्योंका विरोध या अविरोध रूपमें प्रतिबिम्ब अवश्यभावी है। अतः किसी भी साहित्यका संशोधन करते समय तत्कालीन सभी साहित्यका अध्ययन नितान्त अपेक्षणीय है। बिना इसके वह संशोधन एकदेशीय होगा।

अनेक आचार्योंने तत्कालीन परिस्थितियोंके कारण, जैन सस्कृतिके पीछे जो मूल विचारधारा है उसे भी योग्य कर दिया है और वे प्रवाह पतित हो गये हैं। ऐसे तथ्योंका पता लगानेके लिए प्रत्येक विचार विकासका परीक्षण हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोणोंसे करना होगा। जैन विचारधाराका मूल रूप क्या था और किन-किन परिस्थितियोंसे उसमें क्या-क्या परिवर्तन आये इसके लिए बौद्ध पिटक और वैदिक ग्रन्थोंका गम्भीर आलोचन किए बिना हम सत्य स्थितिके पास नहीं पहुँच सकते।

अबान्तर सम्प्रदायोंके अनेक मुद्दोंकी विकास परम्परा और उनके उद्भवके कारणोंपर प्रकाश भी इसी प्रकारके बहुमुखी अध्ययनसे संभव हो सकता है। यद्यपि इस प्रकारके अध्ययनके आलोकमें अनेक

प्रकारके पूर्वग्रहरूपी अन्धकार स्थलोंका भेदन होनेसे कुछ ऐसा लगेगा कि हमारा सब कुछ गया, पर उससे चित्र हल्का ही होगा और संशोधनका क्षेत्र मात्र विद्या और विचारकी पुनीत ज्योतिसे मानवताके विकासमें सहायक होगा ।

संशोधनके क्षेत्रमें हमें पूर्वग्रहोंसे मुक्त होकर जो भी विरोध या अविरोध दृष्टिगोचर हो उन्हें प्रामाणिकताके साथ विचारक जगत्के सामने रखना चाहिए । किसी सदिग्ध स्थलका खींचकर किसी पक्ष विशेषके साथ मेल बैठानेकी वृत्ति संशोधनके दायरेको सकुचित कर देती है । संशोधनके पवित्र विचारपूत स्थानपर बैठकर हमें उन सभी साधनोंकी प्रामाणिकताकी जाँच कठोरतासे करनी होगी जिनके आधारसे हम किसी सत्य तक पहुँचना चाहते हैं । पट्टावली, शिलालेख, दानपत्र, ताम्रपत्र, ग्रन्थोंके उल्लेख आदि सभी साधनोंपर सशोधक पहिले विचार करेगा । कपड़ा नापनेके पहिले गजको नाप लेना बुद्धिमानोंकी बात है ।

जैन सांस्कृतिका पर्यवसान चारित्र्यमें है । विचार तो वही तक उपयोगी है जहाँ तक वे चारित्र्यका पोषण और उसे भाव प्रधान रखनेमें सहायक होते हैं । चारित्र्य अर्थात् ऐसी आचार परम्परा जो प्राणिमात्रमें समता और भीतरागतताका वातावरण बनाकर अहिंसाकी मौलिक प्रतिष्ठा कर सके । व्यक्तिको निराकुलता और अहिंसक समाज रचनाके द्वारा विद्व शान्तिकी ओर बढ़ावे । इस सांस्कृतिक दृष्टिकोणसे हमें अपने अवान्तर सम्प्रदायोंकी अब तककी धाराओंको जाँचना-परखना होगा और आदर्शकी जगह उन मूल विचारोंको देनी होगी जो निर्ग्रन्थ परम्परा की रीढ़ हैं । भले ही उनका व्यवहार मनुष्यके जीवनमें अंशतः ही हो, पर आदर्श तो अपनी ऊँचाईके कारण आदर्श ही होगा । व्यवहार उसकी विद्यामें होकर अपनेमें सफल है । इस मूल सांस्कृतिक दृष्टिकोणकी रक्षा किस समय कहाँ तक हुई, इस छानबीनका कार्य बड़ी जवाबदारी का है । जैन संशोधन तभी सार्थक सिद्ध हो सकता है जब वह अपनी सांस्कृतिक भूमिपर बैठकर विचार ज्योति को जलाये । हमें अपने साहित्यमेंसे उन शिथिल अशोको सामने लाना ही होगा जिनने इस पवित्र दृष्टिकोण को घुँघला किया है और उनके कारणोंपर सयुक्ति प्रकाश भी डालना ही होगा । जैन संशोधन संस्थाएँ तभी अपनी सांस्कृतिक चेतनाको जगानेकी दिशामें अग्रसर बन सकती हैं ।



‘सर्वोदय’ की साधना

“विजय, मैं क्या करूँ”, आहारके समय मर्यादाको लौचकर भोजन कर लेता हूँ, पर पेटकी ज्वाला शान्त नहीं होती। ऐसा लगता है कि खाए ही जाऊँ। कभी धी, दूध आदि पदार्थ अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो क्षणभर शान्ति रहती है। फिर यह ज्वालामुखी भटक उठता है। यह भस्मक मुझे भस्म ही करना चाहता है। अतः अब मेरा विचार शरीररक्षाका नहीं, आत्मरक्षाका ही होता जा रहा है। मैंने तुम्हारी सलाह मानकर आहारमें किञ्चित् ढिलाई भी की पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। अब मैं शान्तिसे आत्माराधना करके इस शरीरको छोड़ देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि गुरुजीसे आज्ञा दिलानेमें तुम हमारी सहायता करो।” ये शब्द अपने लघु सधर्मा विजयसे बड़ी व्यथतासे समन्तभद्रने कहे।

विजय—भन्ते, आपको मैं क्या समझाऊँ ? मैं तो इतनी बात सदा कहता आया हूँ कि शरीरके सुखानेको तप नहीं कहते। आपने मेरी बात न मानकर सदा रुक्ष भोजन लिया और लगातार ग्रन्थ-निर्माणमें कठोर परिश्रम किया। मैं आपका बनाया गया ‘देवागम स्तोत्र’ पढता हूँ तो जी में ऐसा लगता है मानों मैं भगवान्‌के समक्षस्थानमें बैठा हुआ उनका स्तवन कर रहा हूँ। आपकी आत्मा उसमें घुल गई है। अपने जीवन का यह सत्य ‘आभ्यन्तर तपकी वृद्धिके लिए बाह्यतप तपना चाहिए’ आप सदा कहते हैं। पर सोचिए तो सही, धीप्रतासे आभ्यन्तर प्राप्तिकी तृष्णा भी अन्ततः तृष्णा ही है और ‘तृष्णाज्वालाएँ जलती हैं वे शान्त नहीं होती’ के अनुसार वस्तुतः वह तृष्णा भी मनुष्यको उतना ही आकुल करती है जितनी कि घनार्थी को घनतृष्णा। आपसे मानवजातिका समुत्थान होनेवाला है। युगोंमें आप जैसे विरले ही पुरुष होते हैं जिनमें मानवजातिके विकासको एक गति मिलती है। उसे आगे बढ़नेके लिए एक षष्का लगता है।

समन्तभद्र—विजय, मैं बड़ी दुविधामें पड़ा हूँ। एक ओर तो मुझे अपने मुनिव्रतको अखण्डित रखना है दूसरी ओर यह भूरी भावना है कि जब हमने सब कुछ छोड़ा और सासारिक सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर सर्वभूतमैत्रीकी महाभावनाको जीवनमें उतारनेके लिए निकले तब इस मनुष्य जनमका पूरा उपयोग उस मैत्री-भावके विकासमें किया जाय। यह भी विचार मनमें आता ही है कि अब यह रोग निष्प्रतीकार—असाध्य मालूम होता है। अतः समपरिणामोंसे समाधिमरण करके वर्तमान जीवनका अन्त किया जाय। इस मनो-मंथनमें मुझे यदि भीतरसे पूछो तो ‘सर्वभूतमैत्री’ की उपासना ही सर्वाधिक प्रिय है। जब मैं धर्मके नाम-पर अहंकारका पोषण देखता हूँ। आत्मधर्मके क्षेत्रमें भी व्यावहारिक बाह्य जाति-पाति, कुल, बल, शरीर आदि जडधर्मोंकी उपासना देखता हूँ और देखता हूँ कि इस आत्मशोधक जीवनधर्मके धारण करनेवाले श्रमण भी ज्ञान, पूजा, श्रद्धा और तपका भी अहंकार करके मदकी ही पूजा कर रहे हैं तब जो ऐसा विचलित होता है कि इस तरह ये इसको कैसे टिका सकेंगे। ये इन अहंकारीसे मधमत्त होकर अनेक प्रकारकी कल्पित रक्षाएँ मानव-मानवमें खीचकर अन्ततः भौतिकताकी ही पूजा कर रहे हैं। इन्हें “न धर्मो धामिकैर्विना—धर्मात्साओंके बिना धर्म नहीं होता” इस साधारण सत्यका ही पता नहीं है। विजय, उस दिनकी घटनासे तो मेरा जी सिहर उठता है जब अपने ही सामने उस आत्मदर्शी मार्तण्डका तिरस्कार इन धर्माधिमानीयोंने किया था। मालूम हुआ कि पीछेसे उसे पीटा भी गया था। यदि वह विचारा मेरे उपदेशको सुन रहा था तो उससे इनका क्या बिगाड होता था ?

१. ‘बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरत्स्वआभ्यन्तरस्य तपसः परिवृत्तुं ह्यर्थायम् ।’

२. ‘तृष्णाचिचः परिवहन्ति न शान्तिरसाम् ।’

“भन्ते, उसकी बात न छोड़ो। यह सब खुरापात चण्डशर्मा की थी। उसने ही आनन्द आदिको उकसाया था। आनन्द पछता रहा था कि “हम लोगोंने बड़ी भूल की जो उस समभावी धर्मात्माका अपमान किया। हमने तो पीछे मालूम हुआ कि मध, मासादिका त्यागकर ब्रह्मोको धारण किया था। महाराज, उस दिन उसने एक ही वाक्य कहा था ‘क्या श्रमणोंमें भी अहिंसा, बीतरागता और समता केवल उपदेशकी ही वस्तु है?’ पर हमने तो जातिका मद चढा था। उसकी इस बातने हमारी क्रोधधरिनेमे धोका काम किया। हम अपना विवेक खो बैठे। और धोड़े ही दिन पहिले पडा हुआ यह पाठ’ भी भूल गए जिनमे सम्यग्दृष्टि चांडाल आया, आखि डबडबा आह। रेंधे हुए कंठने फिर बोला, “महाराज, उस विचारने और कुछ भी नहीं कहा? यह हमयोगी की ओर मंत्रीभावसे ही देखता रहा। उसकी समतासे हमारा पशु शान्त हुआ और हम पराजित होकर ही लौटे थे। उमी दिन हमलोगोंने समझा कि चण्डकी सस्कृतिसे हमारी श्रमण संस्कृति जुदी है। एकका रास्ता विषमता, परतन्त्रता, वर्गभ्रभुत्व, अहंकार और घृणाका है तो दूसरेका समता, स्वतन्त्रता-व्यक्तिस्वातन्त्र्य, शान्ति और सर्वभैत्रीका है। एक वर्गोदय चाहती है तो दूसरी सर्वोदय। इसीलिए दो-तीन दिन तक हम लोग आपको अपना मुंह दिखाने नहीं आए थे।”

समन्तभद्र—विजय, सबमुच, वे पछता रहे थे? अच्छा हुआ जो उन्हें सद्वृद्धि आई। तुम उन्हें ‘रत्नकरण्डक’ तो पढा ही रहे हो?

विजय—भन्ते, यह उसी का संस्कार है जो उन्हें सुमति आई। उनके भीतर का मानव जाग। अस्तु।

समन्तभद्र—विजय, मेरा मन इस समय बोलित है। वह पीपलके पत्तेकी तरह चञ्चल है। चिर-माधित व्रत और तपोको धिनकी साधनामें जीवनका सारभाग बीता अब इस ढलती उमरमे यो ही शिथिल करूँ? विजय, मुझे यह नहीं होगा। अपने ही हाथो अपना आत्मघात! “आदहिंदं कादव्व जइ सक्कइ परहिंद च कादव्व—आत्महित ही कर्तव्य है और जितना ही सके परहित करना चाहिए” यही हमारा सम्बल है। अब मैं अब समाधिमरणकी आज्ञा लेने गुन्देवके पास जाता हूँ। विजय, मुझे सम्भालना, मैं शान्तिसे निराकुल हो मृत्युमहोत्सव मना सकूँ।

समन्तभद्र और विजय तुरत गुन्देवके समीप पहुँचे। विषण्णवदन समन्तभद्र को अनमयमे आया देखकर गुन्देव बोले —

भद्र, तुम इतने आकुल-व्याकुल क्यों हो? मैं तुम्हारे मनोमन्वनको जानता हूँ और जानता हूँ तुम्हारी आत्मव्यथा को। कहो, तुम क्यों विचलित हो? तुम जगत्मे शासन-प्रभावक महामुपुत्र होओगे। दिव्य, तुम ‘सर्वोदय तीर्थ’ पर आए हुए आवरणको इस तमस्तंभको चीरकर उसके समन्तत भद्र स्वरूपको प्रकट करने वाले होओगे।

समन्तभद्र—गुरुवर, मेरा शरीर भस्मक रोगसे भस्मसात् हो रहा है। रक्त सूख गया है, मांस और चर्बी जल चुके हैं। अब हड्डियाँ तडतडा रहो हैं। इस समय मुझे आप अन्तिम समाधि देकर मेरी इन भव की साधनाकी अन्तिम आहुति दीजिए और आशोर्वादि दीजिए कि जिस प्रामाणिकता और निष्ठासे मैंने आपके द्वारा दिए गए व्रतोंको आज तक निरतिवार पाला है उनका अन्त महोत्सव भी उमी निष्ठासे कर सकूँ। गुन्देव, आपका अनन्त स्नेह ही हमारा आधार है। हम तो अकिंचन हैं।

गुरुदेव—भद्र, इतने आतुर न होओ। अभी तुम्हारा समाधिक समय नहीं आया। मानव जातिके

१. “सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मानंगदेहजम् । देवा देवं वितुर्भस्म गृह्णागारान्तरौजसम् ।” —सम्यग्दर्शनसे युक्त चाण्डालको भी गणधर आदिने देव कहा है। वह तो उस अग्निके समान है जिसका तेज भस्मसे दबा हुआ है।

सर्वोदयके लिए तुम्हें अभी बहुत बड़ा त्याग करना है। तुम्हें अभी जगत्कल्याणकी अग्रय भावना मानना है। तुम्हारी जीवनोंमें जो परहितकातरताके अंकुर हैं उन्हें पल्लविन और पुष्पिन करना है। अतः भद्र, इस 'जिनवेध' को छोड़कर तुम दूसरा वेध लेकर यथेष्ट स्निग्ध आहारसे इस मत्सक रोगकी शान्त करो। जीवन्त जी अन्तमयमें समाप्त करना समाविमरणका लक्ष्य नहीं है। किन्तु उसका परम उद्देश्य तो यह है कि जब रोग निष्प्रतीकार हो जाय और मरण अनिवार्य हो तो तब मरणका स्वागत करना। जिस तरह समाधि से किए सभी तरह समाधिसे ही मरना। भद्र, तुम्हारा रोग अमाध्य नहीं है।

समन्तभद्र—गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं इस दीक्षाको छोड़ दूँ? क्या आप यह कह रहे हैं कि मैं अपनी जीवनभरकी भावनापर पानों फेर दूँ? जिन व्रतों और शीलोकों दरिद्रकी पूँजीकी तरह मैंने सँजोया है, जिस दीपमें मेरा मन आलोकित है उसे अपने ही हाथों वृथा दूँ? नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। मरण यदि कल होना है वह आज ही हो जाय, पर मैं इस पुनोत् निर्गन्धनाको नहीं छोड़ सकता। बाहिर मात्र जीनेके लिए यह छोड़ दूँ? नहीं, यह कभी नहीं होगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा करे। मेरी हत्या मेरे ही हाथों न कराएँ। मैं अन्नही होकर नहीं जी सकता?

गुरुदेव—भद्र, रोओ नहीं। मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वह एक महान् उद्देश्यके लिए। उस महासाधनाके लिए अपने मानसकी तैयारी करो। आ० विष्णुकुमारने भी अकम्पन आदि मुनियोंकी रक्षाके लिए अपना मुनिव्रत छोड़कर दूसरा वेध धारण किया था। तुम तो सदा उन्हीका आदर्श सामने रखते रहे हो। यदि आज मानव कल्याणके लिए कुछ समयको तुम्हें व्रतको स्थगित करना पड़ रहा है तो यह लाभ की ही वस्तु है। तुम्हारी व्रतको आत्माके प्रति अमीम निष्ठा ही फिर तुम्हें इससे भी उच्चतर पदपर ले जायगी। अतः वत्स, मेरी बातको स्वीकारकर तुम इस मुनिव्रतको छोड़कर शरीर स्वस्य करो।

समन्तभद्र यह सुनने ही मूच्छित हो जाते हैं। और मूच्छामें ही बड़बड़ाने हैं—'नहीं...नहीं...नहीं...नहीं... मैं...व्रत...व्रत...नहीं...नहीं छोड़ूँगा प्राण चले जायें।

उपचारसे मूच्छा दूर होने ही वे फिर बोले—गुरुदेव, मेरी रक्षा करो, तुम्हारी शरण हूँ। मुझे बचाओ। व्रतोंके छोड़ते ही कहीं मैं स्वयं नष्ट न हो जाऊँ। आज तो व्रतोंको देखकर ही मैं इस महा भस्मक ज्वालामुखीमें भी शान्त हूँ, और इन्ने चुनीती देना हूँ कि जला ले, मेरी हड्डियोंको भी तड़-तड़ा ले, पर मैं पराजित नहीं होऊँगा। यह कहने कहने फिर उनकी आँखोंक आग अन्धेरा छा गया।

गुरुदेवने उस समय वादको बढ़ाना उचिन् नहीं समझ आदेशक स्वरमें कहा—अच्छा भद्र, अब व्यर्थ तक न करो। मेरी आज्ञा है कि 'सर्वोदय' और अन्तत 'स्वोदय'के लिए तुम मेरे दिए हुए व्रतोंकी कुछ काल के लिए मुझे सोप दो। यह मेरी धानी है। उठो, योग्रता करो। यह मेरी अन्तिम आज्ञा है।

समन्तभद्र—'आज्ञा' 'आप मुझे यह आज्ञा दे रहे हैं गुरुदेव! 'तथास्तु' मैं आपके दिए हुए व्रतोंके प्रतीक रूप इन मयम-साधनों को आपकी ही आज्ञामें चरणोंमें रखता हूँ। गुरुदेव, मुझे न भूलें, इन चिह्नों को पुनः मुझे दे। मैं आपके चरणरज की छायामें आपकी आज्ञा पाल रहा हूँ।

सारा वायुमण्डल नि स्तब्ध था। समन्तभद्रकी आँखोंसे अश्रुधारा बह रही थी। वे फूट-फूटकर रो पड़े और गुरुदेवको अन्तिम वन्दनाकर चल पड़े।

विजय कुछ दूर तक उनके साथ गए। विजयने देखा कि महामुनि समन्तभद्र वृषकी छाल लपेटकर तापसका वेध धारण किए चले जा रहे हैं.....वे देखने ही रहे.....'अनायास उनके मुँहसे निकल पड़ा—'मणि कीचड़में पड़ गया, अग्नि राखने टैंक गई' पर 'सर्वोदय'के लिए।

नियतिवादी सद्दालपुत्र

“बाबा कुछ खानेको दो” भिखारीने दोन स्वरमे कहा ।

“चलो आगे, मैं क्या कर सकता हूँ । इस समय तेरी यही दशा होनी थी । बिना पूछे भीतर तक चला आया, भाग यहाँसे” मित्रकारते हुए सद्दालपुत्र कुम्हारने कहा ।

बेचारा भिखारी हड़बडाकर पास ही रले कच्चे घडोंके डेरपर भरहराकर गिर पडा । कुम्हारके बहुतसे घड़े फूट गए । सद्दालपुत्र क्रोधसे आगबबूला हो गया और बोला—मूर्ख, यह सब क्या किया ? अन्धा कौं का, सब घडे चौपट कर दिये । मेरी दो दिन की मेहनतपर इस अनाडीन पानी फेर दिया ।

भिखारीके होश गायब थे, वह पडनेवाली मारके बचावका उपाय सोचने लगा ।

इतनेमे चयार्के लिए श्रमणनायक निग्गधनाथपुत्र उधरसे निकले और सद्दालपुत्रके द्वारपर पहुँचे । सद्दालपुत्र तो क्रोधसे पागलसा हो रहा था । वह श्रमणनायककी प्रतिपत्ति करना तो भूल गया और बोला—देखिए, हम अन्धेको, इसने मेरा सारा श्रम मिट्टीमे मिग दिया, सारे घडे चौपट कर दिये ।

सामने एक मन्तको देखकर भिखारी को ढाढसमा बँधा और उमकी सहज प्रज्ञा जागी । व्यग्यसे बोला—मैंने क्या किया ? इन घडोंकी इस समय यही दशा होनी थी । भिखारीने सद्दालपुत्रसे हुई सारी बातें सुनाते हुए कहा—“क्या नियति एकके ही लिए है ?”

“सद्दालपुत्र, यह ठीक तो कहता है” श्रमणनायकने कहा । यदि इसका भिखारी होना और उस समय भीख माँगना नियत था और उसी नियतिके बलपर तुमने इसे भगाया भी, तो घडोंका फूटना भी तुम्हारे हिसाबसे नियत ही था । घडोंको इसने कहाँ फोडा है ?

“यदि यह सावधानीसे जाता तो मेरे घडे न फूटते”—सद्दालपुत्र क्रोधको शान्त करते हुए बोला ।

“सद्दाल, क्या तुम यह समझते हो कि तुमने इन घडोंको बनाया है ? क्या इनके बनानेमे तुम्हारा कर्तृत्व है ? यदि तुम्हारा कर्तृत्व है तो क्या तुम रेतको भी घडा बना सकते हो ?” मृदु स्वरमें श्रमणनायक ने पूछा ।

“हाँ, भन्ते, यदि इनका बनानेमे कुछ भी कर्तृत्व है तो मैं असावधानीके दोषका अपराधी हूँ, वैसे इनकी फटकारके निमित्तसे ही मुझसे यह गलती हुई है ।” भिखारी आश्चस्त वाणीमे बोला ।

सद्दालने कहा—हमारे गुरु गोशालकने तो यही कहा था कि—“सत्त्वोंके क्लेशका कोई हेतु नहीं, प्रत्यय नहीं । बिना हेतुके और बिना प्रत्ययके सत्त्व क्लेश पाते हैं । सत्त्वोंकी शुद्धिका कोई हेतु नहीं, प्रत्यय नहीं, बिना हेतुके और बिना प्रत्ययके सत्त्व शुद्ध होते हैं । अपने कुछ नहीं कर सकते, पराए कुछ नहीं कर सकते । कोई पुत्र भी कुछ नहीं कर सकता । बल नहीं, वीर्य नहीं, पुरुषका कुछ पराक्रम नहीं । सभी सत्त्व, सभी प्राणो, सभी भूत और सभी जीव बलमे नहीं हैं । निर्बल और निर्वीर्य, भाग्य और संयोगके फेरसे छह जातिसंज्ञेमे उत्पन्न हो सुख और दुःख भोगते हैं । यह नहीं है—इस शील या व्रत या तप या ब्रह्मचर्यसे मैं अपरिपक्व कर्मको परिपक्व करूँगा । परिपक्व कर्मका भोगकर अन्त करूँगा ।”

सद्दाल कहता ही गया—सभी ब्रह्मोंकी सब पर्यायें नियत हैं, वे होंगी ही; उनमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई बल नहीं, बल नहीं, पराक्रम नहीं, जो जिस समय होता है होगा ही ।

श्रमणनायक बोले—भद्र सद्दाल, यदि यही है तो घडोका फूटना भी इस समय नियत था, इस विचारका क्या दोष ?

सद्दाल अपनी ही कुयुक्तिके जालमें फँस चुका था। वह दबी जबानसे बोला—

“भन्ते, यदि यह थोड़ी भी मावयानीसे यहाँसे बचकर चला जाना तो घडे न फूटने।” इसने तो मेरा सर्वनाश ही कर दिया।

श्रमणनायकने आदेशक स्वरसे कहा—सोचो, अच्छी तरह सोचो, क्या नियतिमें किसीका भी कुछ कर्तुत्व हो सकता है ? तुम्ही बताओ, तुम इन घडोको और सुन्दर और कलापूर्ण बना सकते थे ?

“क्यों नहीं ? यदि श्रम और समय लगाता तो और भी सुन्दर बना सकता था।” सद्दालने कलाके अभिमानसे कहा।

“तो क्या पुरुषार्थ और यत्नसे कुछ भी हेर फेर संभव है ?” श्रमणनायकने पूछा।

यही तो मुझे संशय है कि “यदि पुरुषार्थसे कुछ हो सकता है तो मैं रेतका घडा क्यों नहीं बना पाता ? भगवन्, आप तत्त्वज्ञ और तत्त्वदर्शी हैं, मुझे इसका रहस्य ममसाइये। मेरी बुद्धि इन समय उद्भ्रान्त हो रही है।

श्रमणनायकने सान्त्वना देने हुए गम्भीर वाणीमें कहा—भद्र, मसारके पदार्थोंक कुछ परिणमन नियत है और कुछ अनियत। प्रत्येक पदार्थको अपनी-अपनी द्रव्य शक्तियाँ नियत हैं, इनमें न एक कम हो सकती है और न एक अधिक। कुछ स्थूल पर्यायशक्तिसे साक्षात् सम्बन्ध रखनेवाले परिणमन भी नियत हो सकते हैं ? देखो, घट, कपडा, पानी, आग सभी पुद्गलके परिणमन है पर हर एक पुद्गल स्कन्ध हर समय कपडा या घडा नहीं बन सकता। मिट्टीमें ही घडा बनेगी और सूतसे ही कपडा। यह दूसरी बात है कि मिट्टीके परमाणु कपासके पेड़के द्वारा रुई बनकर परम्परासे कपडा भी बन जायें और सूत भी सड़कर मिट्टीके आकारमें घडा बन जाय, पर साक्षात् उन पदार्थोंक घडा और कपडे पर्यायका विकास नहीं हो सकता। रेतमें घट बननेकी उस समय योग्यता नहीं है। अतः वह मिट्टीकी तरह घडा नहीं बन सकती। जब तुम मिट्टीका पिंड बनाते हो तो क्या यह समझने है कि इतने मिट्टीपरमाणुओका घडा बनना या सकोरा बनना नियत है ? सीधी बात तो यह है कि—मिट्टीके पिंडमें उस समय सकोरा, घडा, प्याला आदि अनेक पर्यायोंके विकासकी योग्यताएँ हैं। यह तुम्हारे पुरुषार्थका प्रबल निमित्त है जो उस समय पिंडसे सुन्दर या अनुसुन्दर घडेंकी ही पर्यायका विकास हो जाता है, सकोरा, प्याला आदि पर्याय योग्यताएँ अविकसित रह जाती हैं। संक्षेपमें जगत्के नियतानियतत्व की व्याख्या इस प्रकार है—

१—प्रत्येक द्रव्यकी मूल द्रव्य-शक्तियाँ नियत हैं। उनकी सख्यामें न्यूनधिकता कोई नहीं कर सकता। वर्तमान स्थूल पर्यायके अनुसार इन्हींमेंकी कुछ शक्तियाँ प्रकट होती हैं और कुछ अप्रकट। इन्हें पर्याय-योग्यता कहते हैं।

२—यह नियत है कि चेतनका अचेतन या अचेतनका चेतन रूपसे परिणमन नहीं हो सकता।

३—यह भी नियत है कि एक चेतन या अचेतन द्रव्यका दूसरे सजातीय चेतन या अचेतन द्रव्य रूपसे परिणमन नहीं हो सकता।

४—यह भी नियत है कि दो चेतन मिलकर एक सयुक्त मद्दश पर्याय उत्पन्न नहीं कर सकते जैसे कि अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर अपनी सयुक्त सदृश घट पर्याय उत्पन्न कर लेते हैं।

५—यह नियत है कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल और शुद्ध जीविका सदा शुद्ध परिणमन होता है अशुद्ध नहीं।

६—यह भी नियत है कि जीविका अशुद्ध परिणमन अनादिकालीन पुद्गल कर्म मन्वन्ध से हो रहा है और इसके सम्बन्ध तक ही रहेगा।

७—यह नियत है कि द्रव्यमे उस समय जितनी पर्याय योग्यताएँ हैं उनमे जिसके अनुकूल निमित्त मिलेंगे वही परिणमन होगा, शेष योग्यताएँ केवल सद्भावमे रहेंगी।

८—यह अतिनियत है कि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिक्षण कोई न कोई परिणमन अवश्य होगा। यह परिणमन द्रव्यगत मूल योग्यता और पर्यायगत विकासोन्मुख योग्यताओंकी सीमाके भीतर ही होगा, बाहर कदापि नहीं।

९—यह भी नियत है कि निमित्त उपादान द्रव्यकी योग्यताका ही विकास करता है, उसमे असद्भूत किसी सर्वथा नूतन परिणमनको उत्पन्न नहीं कर सकता।

१०—यह भी नियत है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनका उपादान होता है। उस समयकी पर्याय-योग्यता रूप उपादानशक्तिके बाहरके किसी परिणमनको निमित्त कदापि नहीं उत्पन्न कर सकता। परन्तु—

यही एक बात अनियत है कि "अमुक समयमे अमुक परिणमन ही होगा" जिस परिणमनका अनुकूल निमित्त मिलेगा वही परिणमन आगे होगा। यह कहना कि 'मिट्टीकी उस समय यहाँ पर्याय होनी थी, अतः निमित्त उपस्थित हो गया' द्रव्य-पर्यायगत योग्यताओंके अज्ञानका फल है।

इतना ही तो पुरुषार्थ है कि उन सम्भाव्य परिणमनोमें से अपने अनुकूल परिणमनके निमित्त जुटाकर उसे सामने ला देना।

देखो, तुम्हारा आत्मा अगले क्षण अतिक्रोधरूप भी परिणमन कर सकता था और क्षमारूप भी परिणमन कर सकता था। यह तो सयोगकी बात है जो मैं इस ओर निकल पड़ा और तुम्हारी आत्मा क्षमा-रूपसे परिणति कर रहा है। मुझे या किसी निमित्तको यह अहङ्कार नहीं करना चाहिए कि मैंने यह किया; क्योंकि यदि तुम्हारे आत्मामे क्षमारूपसे परिणमनकी विकासोन्मुख योग्यता न होती तो मैं क्या कर सकता था? अत उपादान योग्यताकी मुख्यतापर दृष्टिपात करके निमित्तको निरहङ्कारी बनना चाहिए और उपादानको भी अपने अनुकूल योग्यता प्रकटानेके लिए अनुकूल निमित्त जुटानेमे पुरुषार्थ करना चाहिए। यह समझना कि 'जिस समय जो होना होगा उसका निमित्त भी अपने आप जुटेगा' महान् भ्रम है। भद्र, यदि तुम योग्य निमित्तको सुमेलका प्रयत्न न करोगे तो जो समर्थ निमित्त सामने होगा उसके अनुसार परिणमन हो जायगा। और यदि कोई प्रभावक निमित्त न रहा तो केवल अपनी भीतरी योग्यताके अनुसार द्रव्य परिणत होता रहेगा। उसके प्रतिक्षणभावी परिणमनको कोई नहीं रोक सकता। एक जलकी धारा अपनी गतिसे बह रही है। यदि उसमे लाल रंग पड़ जाय तो लाल हो जायगा और नीला पड़ जाय तो नीली। यदि कुछ न पड़ा तो अपनी भीतरी योग्यताके अनुसार जिस रूपमे है उस रूपसे बहती चली जायगी।

श्रमणनायकके इन युक्तिपूर्ण वचनोको सुनकर सद्बालपुत्रका मन भीज गया। वह बोला—भन्ते, आपने तो जैसे ओषेको सीधा कर दिया हो, अन्धेको आँखे दी हो। मेरा तो जनम-जनम का मिथ्यात्व नष्ट हो गया। मुझे शरणागत उपासक माने।

मिस्रारी भी भगवान्की शरणमे प्राप्त हुआ। उसने कर्मोंकी शक्तिको पुरुषार्थ द्वारा परिवर्तित करने की इच्छा पाई और जीवनमें श्रमके महत्त्वको समझा। उसने कर्मोदय की भ्रान्त धारणावश स्वीकार किए गए मिस्रारीपनेको तुरंत छोड़ दिया और उसी कुम्हारके यहाँ परिश्रम करके आजीविका करने लगा।

३८२ : डॉ० महेंद्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

सद्दालपुत्र फिर बोला—भन्ते, सचमुच यह नियतिवाद महान् दृष्टिविष है। इसमें न हिंसा है, न दुराचार और न कोई पाप; क्योंकि हिंसा या दुराचाररूपी घटनाओसे सम्बद्ध पदार्थोंके परिणमन जब नियत हैं उनमें हेरफेरकी कोई सम्भावना नहीं तब क्यों कोई हिंसक हो और क्यों कोई दुराचारी ? यज्ञमें की जाने-वाली षष्ठु हिंसा क्यों पाप हो ? उस समय बकरेको कटना ही था, बधकको काटना ही था, छुरेको बकरेकी गर्दनमें घुसना ही था आदि सभी पदार्थोंके परिणमन निश्चित ही थे तो क्यों उस काण्डको हिंसाकाण्ड कहा जाय ? इसी तरह जब हमारी प्रतिजणकी दशाएँ अनन्तकाल तककी निश्चित हैं तब क्या पुण्य और क्या पाप ? क्यों हम अहिंसादि चारित्र्यको धारण करें ? क्यों दीक्षा लें ? क्योंकि हमारा स्वयं अपने अगले परिणमनपर अधिकार ही नहीं है स्वकर्तृत्व ही नहीं है, वह तो नियत है। मानो दुनियाके पदार्थोंका अनन्तकालका टाइम-टेबुल बना हुआ हो और उसीके अनुसार यह जगत् चक्र चल रहा हो। भन्ते, आप महाश्रमण हैं, जो मेरे इस दृष्टिविषको उतारकर मुझे सम्यक् नियतानियतत्ववादकी अमृत संजीवनी दी। मुझे अपने पुरुषार्थ और कर्तृत्वका भाग कराया।

श्रमणनायकने सद्दालपुत्र और भिखारीको आशीर्वाद दिया।

इसके बाद सद्दालपुत्रने भक्ति-भावसे श्रमणनायकको आहार दिया। भिखारी और सद्दालपुत्रके जीवनकी दिशा ही बदल गई। वे श्रमण सस्कृतिके सम और शमसे जीवन सशोधनकर अपने व्यवहारमें श्रमका महत्त्व समझे और पराबलम्बनसे हटकर सच्चे स्वावलम्बी बने।



श्रमण प्रभाचन्द्र

राजपुरोहितने जब यह सुना कि श्रमण प्रभाचन्द्रने आज शूद्रोंको जैन दीक्षा दी है, और उन शूद्रोंमें सहस्रकूट चैत्यालयमें जिनपूजा भी की है तो उसके बदनमें आग लग गई, आँसुमें खून उतर आया। झुकुटी चढ़ गई। ओठ चाबकर बोला—इस मनेका इतना साहस, नास्तिक कहीका। यह तुरन्त राजा भोजके अध्ययन-कक्षमें पहुँचा और बोला—राजन्, सुना है ? उस श्रमण प्रभाचन्द्रने आज शूद्रोंको जैन दीक्षा दी है। मैंने तुम्हें पहिले ही चेताया था कि ये निर्ग्रन्थ तुम्हारे राज्यकी जड़ ही उखाड़ देंगे। जानते हो, प्राणिमात्र के समानाधिकार का क्या अर्थ है ? ये निरन्तर व्यक्तिस्वातन्त्र्य, समता और अहिंसाके प्रचार से तुम्हारी शासन-सत्ताकी नींव ही हिला रहे हैं। तुम इनकी वाक्सुभाषण मुख झोकर सिर हिला देते हो। वेद और स्मृतिग्रंथोंमें प्रतिपादित जन्मसिद्ध वर्णव्यवस्था और वर्णधर्म ही तुम्हारी सत्ताका एकमात्र आधार है। 'राजा ईश्वर का अंश है' यह तत्त्व स्मृतियोंमें ही मिल सकता है। आज, शत्रु तक व्यक्तिस्वातन्त्र्य, समता और समानाधिकारके नारे लगा रहे हैं।

भोज—परन्तु, ये तो धर्मक्षेत्रमें ही समानताकी बात कहते हैं। इन निर्ग्रन्थों को राजकाजसे क्या मतलब ? ये तो प्राणिमात्रको समता, अहिंसा, अपरिग्रह, और कषायजयका उपदेश देते हैं। आचार्य, मैं सब कहता हूँ, उस दिन इनकी अमृतवाणी सुनकर मेरा तो हृदय गद्गद हो गया था।

पुरोहित—राजन्, तुम भूलते हो। कोई भी विचार-धारा किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहती। उसका असर जीवनके प्रत्येक क्षेत्रपर पड़ता है। क्या तुमने इनके उपदेशों से शूद्रोंका सिर उठाकर चलना नहीं देखा ? कल ही शिवमन्दिरके पुजारी से भग्नू मुँह लगकर बात कर रहा था। सोचो, तुम्हारी सत्ता ईश्वरोक्त वर्णभेदको कायम रखने में है या इनके व्यक्तिस्वातन्त्र्यमें। हमारे ऋषियोंने ही राजा में ईश्वराशक्ति घोषणा की है और यही कारण है कि अब तक राजन्यवर्गके अभिजात कुलका शासन बना है। हमारा काम है कि तुम्हें समय रहते चेतावनी दें और तुम्हें कुलधर्ममें स्थिर करें।

भोज—पर आचार्य, श्रमण प्रभाचन्द्र का तर्कजाल दुर्भेद्य है। उनने अपने ग्रंथोंमें इस जन्मजात वर्ण-व्यवस्थाकी घञ्जियाँ उडा दी हैं।

पुरोहित—राजन्, तुम बहुत भावुक हो, तुम्हें अपनी परम्परा और स्थिति का कुछ भी भान नहीं है। क्या तुम्हें अपने पुरोहितके पांडित्यपर विश्वास नहीं है ? मैं स्वयं वाद करके उस श्रमण का गर्व खर्ब करूँगा। उस नास्तिकका अभिमान चूर कर दूँगा। वादका प्रबन्ध किया जाय।

भोज—पर ने तो राजसभामें आते नहीं हैं। हम सब ही उद्यानमें चले। और वहीं इसकी चर्चा हो। सचमुच, इनका उपदेश प्रजामें व्यापक असन्तोष की सृष्टि करके एक दिन सत्ताका विनाशक हो सकता है।

[उद्यान में आ० चतुर्मुखेव और लघु सधर्मा गोपनन्दि के साथ प्रभाचन्द्रकी चर्चा हो रही है। सपरिहर राजा भोज आकर वहीं बैठ जाते हैं]

गोपनन्दि—आपने जो शूद्रोको जैन दीक्षा दी है, इससे श्रमणसचके भी कुछ लोग असन्तुष्ट हैं। उनका कहना है कि श्रमण प्रभाचन्द्र यह नई प्रथा चला रहे हैं। भन्ते, क्या पुराने आचार्य भी इससे सहमत हैं ?

प्रभाचन्द्र—अवश्य, मैंने यह कार्य श्रमणपरम्पराकी मूलधारके आधारसे ही किया है। सुनो, मैं तुम्हें पूर्वाचार्यों के प्रमाण सुनाना हूँ। वरागचरित में आ० जटासिंहनन्दि स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि—

“क्रियाविशेषात् व्यवहारमात्रात् दयाभिरक्षाकृषिशिल्पभेदात् ।
शिष्टाश्च वर्णाश्चतुरो वदन्ति न चान्यथा वर्णचतुष्टयं स्यात् ॥”

—वरागचरित २५।११

अर्थात्—शिष्टजन इस वर्णव्यवस्था को अहिंसा आदि क्रमोका पालन, रक्षा करना, शैती आदि करना तथा शिल्पवृत्ति इन चार प्रकार की क्रियाओं में ही मानते हैं। यह वर्णव्यवस्था केवल व्यवहार के लिए है। क्रिया के सिवाय अन्य कोई वर्णव्यवस्था का हेतु नहीं है। रविपेण पद्यचरित में लिखते हैं—

“तस्माद् गुणैर्वर्णव्यवस्थितः ।

ऋषिश्रृंगादिकानां मानवानां प्रकीर्त्यते ।
ब्राह्मण्यं गुणयोगेन न तु तद्योनिसंभवात् ॥
चातुर्वर्ण्यं तथाऽन्यच्च चाण्डालादिविशेषणम् ।
सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्धिं भुवने गतम् ॥”

—पद्यचरित ११।१९८-२०५

अर्थात्—वर्णव्यवस्था गुण कर्मके अनुसार है, योनिनिमित्तक नहीं। ऋषिश्रृंग आदिमें ब्राह्मण व्यवहार गुणनिमित्तक ही हुआ है। चातुर्वर्ण्यं या चाण्डाल आदि व्यवहार सब क्रियानिमित्तक है।

“व्रतस्थमपि चाण्डालं तं देवा ब्राह्मणं विदुः।” —पद्यचरित ११-२०

अर्थात्—व्रतधारी चाण्डाल ब्राह्मण कहा जाता है।

जिनसेन आदिपुराण में लिखते हैं—

“मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोद्भवा ।
वृत्तिभेदाहितादभेदात् चातुर्विध्यमिहास्मुते ॥
ब्राह्मणा व्रतसंस्कारात् क्षत्रियाः शस्त्रधारणात् ।
वणिजोऽर्थाजिनात् न्याय्यात् शूद्रा न्यग्वृत्तिसंश्रयात् ॥”

—आदि पु० ३८।४५-४६ ।

अर्थात्—जाति नामकर्म से तो सबकी एक ही मनुष्य जाति है। ब्राह्मण आदि चार भेद वृत्ति अर्थात् आचार-व्यवहार से हैं। व्रत संस्कार से ब्राह्मण, शस्त्रधारण से क्षत्रिय, न्यायपूर्वक धन कमाने से वैश्य और सेवावृत्ति से शूद्र होते हैं।

गोपनन्दि—तो क्या शूद्र इसी पर्याय में शूद्र हो सकते हैं ? क्या मुनिदीक्षा के भी अधिकारी हैं ?

प्रभाचन्द्र—हाँ आयुग्मन् ! सोमदेव आचार्य ने अपने नीतिवाक्यामृतमें अत्यन्त स्पष्टता से लिखा है कि—

“आचारानवद्यत्वं शुचिरूपस्कारः शरीरशुद्धिश्च करोति शूद्रानपि देवद्विजातितपस्विपरिकर्मसु योग्यान् ।”

अर्थात्—निर्दोष आचरण, गृहपात्र आदि की पवित्रता और नित्य स्नान आदि के द्वारा शरीर शुद्धि ये तीनों बातें शूद्रों को भी देव द्विजाति और तपस्वियों के परिकर्म के योग्य बना देती हैं।

अब तो पुरोहित का पारा और भोग गरम हो गया। वह क्रोध से बोला—राजन्, इन नास्तिकों के पास बैठने से भी प्रायश्चित्तका भागी होना पड़ेगा।

“पुरोहित जी, नास्तिक किसे कहते हैं ?” हमते हुए प्रभाचन्द्र ने पूछा।

“जो वेदकी निन्दा करे वह नास्तिक” रोष भरे स्वरमें तपाक से पुरोहित ने उत्तर दिया।

“नहीं, पाणिनि ने तो उसे नास्तिक बताया है जो आत्मा और परलोक आदि की मत्ता नहीं मानता। यदि वेदको नहीं माननेके कारण हम लोग नास्तिक हैं तो यह नास्तिकता हमारा भूषण ही है।” तर्कपूर्ण वाणीमें प्रभाचन्द्रने कहा।

भोज—महाराज, इस झगड़के समाप्त कीजिए। यदि आपकी अपनी परिभाषा के अनुसार ये नास्तिक हैं तो इनकी परिभाषा के अनुसार आप मिथ्यादृष्टि भी हैं। ये तो अपनी-अपनी परिभाषाएँ हैं। आप प्रकृत वर्णव्यवस्थापर ही चरचा चलाइए।

पुरोहित—आपने शूद्रको दीक्षा देकर बड़ा अनर्थ किया है। ब्रह्माके शरीर से चारो वर्ण पुण्य-गुणक उत्पन्न हुए हैं। जन्मसे ही उनकी स्थिति हो सकती है, गुणकर्म से नहीं।

प्रभाचन्द्र—ब्रह्मा में ब्राह्मणत्व है या नहीं ? यदि नहीं, तो उसमें ब्राह्मण कैसे उत्पन्न हुआ ? यदि है; तो उससे उत्पन्न होनेवाले शूद्र आदि भी ब्राह्मण ही कहे जाने चाहिए। ब्रह्माके मुक्तमें ब्राह्मणत्व, बाहु में क्षत्रियत्व, गेटमें वैश्यत्व और पैरोंमें शूद्रत्व मानना तो अनुभवविरुद्ध है। इस मान्यतामें आपका ब्रह्मा भी अशत शूद्र हो जायगा। फिर आपको ब्रह्माजो के पैर नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वहाँ तो शूद्रत्व है।

पुरोहित—समस्त ब्राह्मणोंमें नित्य एक ब्राह्मणत्व है। यह ब्राह्मण माता-पितासे उत्पन्न हुए शरीर में व्यक्त होता है। अन्वयान, वानप्रस्थ, यज्ञोपवीतग्रहण आदि उसके बाह्य आचार हैं। प्रत्यक्ष से ही ‘यह ब्राह्मण है’ इस प्रकार का बोध होता है।

प्रभाचन्द्र—जैसे हमें प्रत्यक्ष से ‘यह मनुष्य है, यह घोड़ा है’ इस प्रकार मनुष्य आदि जातियों का ज्ञान हो जाता है उस प्रकार ‘यह ब्राह्मण है’ यह बोध प्रत्यक्ष से नहीं होता अन्यथा ‘आप किस जाति के हैं ?’ यह प्रश्न ही क्यों किया जाता ? यदि ब्राह्मण पिता और शूद्रा माता तथा शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुए बच्चोंमें घोड़ी और गधे से उत्पन्न सख्चर की तरह आकृति भेद दिखाई देना तो योनिनिबन्धन ब्राह्मणत्व माना जाता। फिर जब स्त्रियों का इस जन्ममें ही भ्रष्ट होना सुना जाता है तो अनादिकाल से आज तक कुलपरम्परा शुद्ध रही होगी यह निश्चय करना ही कठिन है। यदि ब्राह्मणत्व जाति शोत्वजाति की तरह नित्य है और वह यावज्जीवन बराबर बनी रहती है तो जिस प्रकार चाण्डाल के घर में रहने-वाली गायको आप दक्षिणामें ले लेते हो और उसका दूध भी पीते हो उसी तरह चाण्डाल के घरमें रहने-वाली ब्राह्मणी को भी ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि नित्य-ब्राह्मणत्व जाति तो उसमें विद्यमान है। यदि आपाचार भ्रष्टता से ब्राह्मणी की जाति नष्ट हो गई है तो आचारशुद्धि से वह उत्पन्न क्यों नहीं हो सकती ? आप जो शूद्रके अन्वसे, शूद्रसे बोलनेपर, शूद्रके सम्पर्क से जातिलोप मानते हो वह भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपके मत्से जाति नित्य है उसका लोप ही नहीं सकता।

अन्वय, क्या बताए कि क्या ब्राह्मणत्व जीवमें मानते हो या शरीरमें या दोनोंमें या संस्कारमें या वेदाध्ययनमें ? जीव तो शूद्र आदि सभीमें विद्यमान है अतः उनमें भी ब्राह्मणत्व होना चाहिए। शरीर भी पञ्चभूतात्मक सबके समान है। यदि संस्कारमें ब्राह्मणत्व माना जाता है; तो संस्कार शूद्र बालकमें भी किया जा सकता है। यदि संस्कारसे पहिले ब्राह्मण बालकमें ब्राह्मणत्व मानते हो तो संस्कार करना व्यर्थ ही है। यदि नहीं मानते तो जैसे ब्राह्मणत्वशून्य ब्राह्मण बालकमें संस्कारसे ब्राह्मणत्व आ जाता है उसी तरह शूद्र-बालकमें भी संस्कारसे ब्राह्मणत्व आ जाना चाहिए। रही वेदाध्ययनकी बात, तो शूद्र भी देशान्तरमें जाकर वेदाध्ययन कर सकता है और करा सकता है। किन्तु इतने मात्रसे आप उसमें ब्राह्मणत्व नहीं मानते। अतः यह समस्त ब्राह्मणादि वर्णव्यवस्था सदृश क्रिया और सदृश गुणोंके आधारसे है। यदि जन्मना वर्णव्यवस्था हो तो ब्रह्म, व्यास, विश्वामित्र आदिमें गुणकृत ब्राह्मणत्व आप स्वयं क्यों मानते हो ?

पुरोहित—तो क्या जैन ग्रन्थोंमें बताई गई वर्णाश्रम व्यवस्था झूठी है ?

प्रभाचन्द्र—नहीं, झूठी क्यों होगी। प्रश्न तो यह है कि वर्णव्यवस्था जन्मसे है या गुणकर्मसे ?

अतः जिन-जिन व्यक्तियोंमें जो-जो गुण-गुण-कर्म पाए जायेंगे उसीके अनुसार उसमें ब्राह्मण आदि व्यवहार होगा और तबनुकूल ही वर्णाश्रम व्यवस्था चलेगी। जैनदर्शन तो व्यक्ति स्वातन्त्र्यवादी है। उसमें पुरुषार्थको बड़ी गुञ्जाइश है। जैसे-जैसे गुण-धर्मोंका विकास व्यक्ति करेगा उसीके अनुसार उसमें ब्राह्मणत्व आदि व्यवहार होंगे। शूद्र इसी अन्वयमें अपने पुरुषार्थके द्वारा सर्वोच्च मुनिबोला ले सकता है। मैंने न्यायकुमुदचन्द्र ग्रन्थ (पृ० ७७८) में स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि—

“क्रियाविशेषयज्ञोपवीतादिचिह्नोपलक्षिते व्यक्तिविशेषे तद्व्यवस्थायाः तद्व्यवहारस्य चोपपत्तेः। तन्न भक्तकल्पितं नित्यादिस्वभावं ब्राह्मण्यं कुतश्चिदपि प्रमाणात् प्रसिध्यतीति क्रिया-विशेषनिबन्धनं स्वर्ग्यं ब्राह्मणादिव्यवहारो युक्तः।”

अर्थात्—यह समस्त ब्राह्मणादि व्यवहार क्रियामूलक है, नित्य और जन्ममूलक ब्राह्मणत्व आदि आक्षेपे नहीं।

भोज प्रभाचन्द्रके अकाट्य तर्कोंसे अत्यन्त प्रभावित हुआ और पुरोहितराजसे बोला कि—देखो, मैंने पहिले ही कहा था कि ये श्रमण अपनी आध्यात्मिक भूमिकापर समता और व्यक्तिस्वातन्त्र्यके सन्देशवाहक हैं। ये तो अत्यन्त अपरिग्रहवादी हैं। उनके जीवनमें राजकारणका कोई महत्त्व नहीं है। इनका नम्रत्व स्वयं परम व्यक्तिस्वातन्त्र्य का साक्षी है। ये प्राणिमात्रके प्रति मैत्री भावना रखनेवाले हैं। अतः यदि इनने शूद्रोंको धिखा दी है तो हमें चिन्तित होनेकी आवश्यकता नहीं है। इन्हें अपनी आध्यात्मिक समताका प्रचार करने देना चाहिए। इससे मानवजातिका समुत्थान ही होगा।

भोज सपरिकर श्रमणोंको बन्दनाकर विदा हुए।

राजपुरोहितके बादकी चर्चा बात ही बातमें धारानगरीमें फैल गई। आ० जगुमुख और समयस्त शक्यसक हर्षविभोर हो गए।



अमृत दर्शन

“चक्रवर्ती होकर भी विरक्त। असंभव बात है। अनेक नववीवना महारानियों और विपुल सुखसामग्रीका भोक्ता उदासीन, कल्पना की बात है। वैभव और आत्मदर्शन छीन और छूटी तरह विरोधी है।”

“नहीं, बन्धु, असंभव कुछ नहीं है और न कल्पना ही है। वैराग्य और उदासीकता अन्तरकी परिणति है, विभूति और वैभव बाह्य पदार्थ हैं। मात्र दृष्टि फेरनेसे नकशा ही बदल जाता है।”

सोमदत्त और यज्ञदत्त दो द्विजकुमार आपसमें अतया रहे थे। दोनोंने निश्चय किया कि कवि सध-मुच भरतको आत्मदृष्टि प्राप्त है तो यह बिद्या उनसे सीखनी चाहिये। पुराने जमानेमें अध्यात्मविद्या क्षत्रियों के पास ही रही है, यह सुना जाता है।

दोनों महाराज भरतके दरबारमें पहुँचे।

सोमदत्त—महाराज, सुना है कि आपको आत्मदर्शन हो गया है। छहसंबके जगन्ध साम्राज्यकी सम्हालते हुए भी आत्मदर्शन ? कुछ सम्झने नहीं आता।

यो भाटो और चारणोंके द्वारा अन्य विभूतियोंकी तरह एक यह भी घोभावर्णन ही तो हमें कुछ कहना नहीं है। हम अपना चौबीसो घटा अग्निहोत्र आदि क्रियाओंमें लगाते हैं और सतत धर्मकी आराधना करते हैं पर हमें अभी तक आत्माके दर्शन नहीं हो सके। आप हमें वह उपाय बतावें जिससे आपको आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है।

महाराज भरत मुस्कुराये। उनसे कहा—विप्रकुमार, मुझे इस समय कुछ आवश्यक राजकाज है। आप लोग तबतक हमारे राजकोश और वैभवका निरीक्षण करके वापिस आइए फिर धान्तिसे आत्मवर्षा करेंगे। हम आपको एक-एक अमृतपात्र देते हैं इसे हथेलीपर रखकर ही आप कटक—निरीक्षणके लिए जायेंगे। ध्यान रहे, इसकी एक बूँद भी न छलक पावे, अन्यथा राजदंड भोगना छेड़ें।

दोनों विप्रकुमार दरवानके साथ हथेलीपर अमृतपात्र रखे हुए कटकमें गये।

दरवानने एक-एक करके राजकोश, अश्वशाला, गजशाला, सेनानिवास, रानियोंके अन्तःपुर अर्द्धि दिखाये।

दो घंटेमें समस्त कटक घूमकर विप्रकुमार वापिस आये।

महाराज भरत विचारमग्न थे। आते ही विप्रकुमारोंसे पूछा—क्यों आई, कटक देख आये ? अन्तःपुर गए थे ? कैसा लगा ?

द्विजकुमार सिटपिटाये और बोले—महाराज, शरीरसे घूमनेकी क्रिया तो अवश्य हुई पर सिवाय इस अमृतपात्रके हमने कुछ नहीं देखा। हमें इसके छलकनेकी चिन्ता प्रतिक्षण लगी थी। दरवानके शब्द कानों तक जाते थे, पाकशालामें पकवानोंकी सुगन्धित नाक तक आई थी, प्यास लगनेपर सुन्दर पानक भी पिया था, अन्तःपुरकी सुकोमल शय्याओंपर भी बैठे थे और इन आँखोंने सब कुछ देखा पर इन्द्रियों से सुनने, सूँघने, चखने और छूनेवाकी नहीं है, हमारा मन और आत्मा तो इस अमृतकी ओर था। वह चिन्ता थी कि कहीं इसकी एक भी बूँद न छलक जाय।

सो महाराज, हमने सिर्फ इस अमृतपात्रको ही देखा है, कटक आदिको देखते हुए भी नहीं देखा।

“हैं, देखते हुए भी नहीं देखा” झूठ। यह कैसे हो सकता है ?” भरतने विनोदसे कहा।

“महाराज, हमारी दृष्टि इस अमृतपर थी। इन अमृतकी एक बूंद हमारी आत्माके बराबर थी। इसकी एक बूंदसे हमारी आत्मा तुल्य रही थी।” द्विजकुमारने कहा।

भरतने फिर पूछा—

“यह अमृत कैसा लगा ?”

द्विजकुमार बोला—

“महाराज, यह अमृत नहीं था, यह तो हमारी आत्मा थी। इसके द्वारा हमने अपनी आत्माका दर्शन हो रहा था। उसका मूल मालूम हो रहा था और उसकी तौल भी। कानोमें सुनाई देता था कि बूंद न छलके, सावधान बूंद न छठके। बूंद-बूंद-बूंद। एक ही शब्द, एक ही अर्थ और एक ही भाव चारों ओर व्याप्त था। दो घंटेका प्रत्येक क्षण बूंद दर्शन, बूंद चिन्तन, बूंद मनन और अन्तन बूंदमय हो रहा था। और मामले दूसरा दृश्य था—कामीका—कदाचित् बूंद छलक गई तो रेशमकी डोरी गलेमें पड़ेगी। बस, इमी भयसे अपनी सारी शक्तसे अमृतपात्रको धामे रड़े और आपकी इस अमृत-निधिको आप तक ले आये है ?”

भरतने गम्भीरतापूर्वक कहा—द्विजकुमार, जिस प्रकार तुम्हें प्राणदण्डके भयसे इस अमृतपात्रका ही एकमात्र ध्यान रहा और तुम कटकको देखकर भी नहीं देख सके उमी तरह हमें स्वभावतः अपने रुचिसे ही अपनी आत्मारूपी अमृतकुम्भमें गुणरूपी रसके बूंदोंके छलकनेका मदा ध्यान रहता है। मेरा एकमात्र प्रयत्न आत्म-गुणोंके सरक्षणका है। मुझे यह पता रहता है कि आत्माने इस समय पाप या अन्याय किया। मुझे अनेक प्रकारके हिंसा, परिग्रह, अनाचार सम्बन्धी भी कार्यं परवश हो जाते हैं पर वे मेरे अनजानमें नहीं। उन्हें मैं हूँ जानता हूँ और उनपर परदा डालकर या प्रवृत्तिका आवरण देकर आत्माको धोखेमें नहीं डालता। परको पर और स्वको स्व मानता हूँ। जितना और जबतक कर्तव्यका भार है तबतक उसको निभाता हूँ। मैं सदा जागरूक हूँ। मुझे अपने अच्छे-बुरेका सम्यक्-दर्शन है।

द्विजकुमार—महाराज, आपको आत्मदर्शन कैसे हुआ ?

भरत—कुमार, तुमने गुना होगा और देख भी रहे हो कि मेरा रूप कामके समान अप्रतिम है। मुझे भी अपनी देहके वनाव-शृंगारमें रस था। मेरी आभूषण और वस्त्रोंकी नवनवप्रियता रूपको चकाचौंधया देता था। एक दिन मैं वस्त्राभूषणोंसे मुमग्निजित होकर अपने रूपके अहंकारमें मदमात्ता हो दंपणमें अपना सौन्दर्य देखकर फूटा नहीं समा रहा था कि अचानक मेरे दाहिने हाथकी अँगुलीसे मणिमय अँगुठी गिर पड़ी। उसके निकलने ही वह अँगुठी श्रीहीन हो गई। मैंने क्रमशः शेष नौ अँगुठियोंको भी निकाल डाला और देखा तो वे सब शोभाहीन मात्रम होने लगीं। मैंने गाचा—इस उधार लो हुई शोभासे क्या लाभ ? जिस दिन ये अँगुठियाँ न रही उस दिन मेरी सारी शोभा समाप्त ? इसका क्या अहंकार ? हमें अपनी आत्माकी शोभा बढ़ानेका प्रयत्न करना चाहिये, उसीका शृंगार करना चाहिये जिसे न चोर चुरा सकता है और न जिसके गिरनेका ही डर है। उसी क्षणमें मेरा मन अन्तर्मुख हो गया। सब पूछा जाय जाँ यह जगत् दृष्टि-सृष्टि है। जिसकी जैवी दृष्टि है उसे वह वैया ही मालूम होता है और यह खेलाखिली अपनी उषेड बुनने ही इस दुर्लभ मनुष्यजन्मको निकाल देता है। सीधा या मार्ग है स्व को स्व और पर को पर समझो। और इस स्वतत्त्वके प्रति निष्ठा ही अनन्त मुक्तिमें परिणत हो जाती है।

द्विजकुमार—राजर्षि, हमारा भ्रम दूर हुआ। आपने तो जैसे ओंघेको सीखा कर दिया हो। आज हमें मालूम हुआ कि यज्ञ, यागादि क्रियाकांडोंका सत्य भोग है, मुक्ति नहीं। ये भीतिक उद्देश्यसे किये जाने-वाले हैं आत्म-दर्शनके लिए नहीं। 'प्लवा ह्येतेऽश्रुदाः' ये यज्ञादि संस्कारसमुद्रसे तारनेके लिए समर्थ नहीं हैं। एकमात्र सद्-दृष्टि और आत्म-दर्शन ही तारक है, साधन है और धर्म है।



जटिल मुनि

“मुनिवर, आज बड़ा अनर्थ हो गया। पुरोहित चण्डशर्माने चौलुक्याधिपति को शाप दिया है कि—दस मुहूर्तमें वह सिंहासनके साथ पागाल हूँ मैं जायँगे। दुर्वासकी तरह वक्र भ्रुकुटि, लालनेत्र और सर्पकी तरह फुँककारते हुए जब चण्डने शाप दिया तो एक बार तो चौलुक्याधिपति हतप्रभ हो गये। मैं उन्हें साम्बना तो दे आया हूँ। पर जो आन्दोलित है। मुनिवर, चौलुक्याधिपतिकी रक्षा कीजिए।” राजमन्त्रीने धबढाहटसे कहा।

जटिलमुनि—मन्त्रिवर, धबढानेकी बात नहीं है। क्या चौलुक्याधिपतिने पुरोहितकी सम्पत्ति छोन ली या उसका अपमान किया ? बात क्या हुई ?

मन्त्री—कुछ नहीं मुनिवर, राजसभामें चर्चा चल रही थी कि यह वर्णभेद क्यों हुआ। इसी प्रसंग में चौलुक्याधिपतिने कहा था कि—“जब प्रजाओंका बनानेवाला एक ही ब्रह्मा है तब यह जातिभेद कैसा ? एक ही पिता की चार सन्तानोंमें जातिभेदकी कल्पना बुद्धिगम्य तो नहीं है। जैसे कि एक वृक्षकी विभिन्न शाखाओंमें उत्पन्न होनेवाले फलोंमें जातिभेद नहीं है उसी तरह एक ब्रह्माकी सन्ततिमें यह जन्मना जातिभेद कहाँसे आ गया ? ब्राह्मण ही चन्द्रमाके समान गौर वर्ण, क्षत्रिय ही छेदके फूलके समान आरक्त वर्ण, वैश्य ही पीतवर्ण तथा शूद्र ही कृष्णवर्ण नहीं देखे जाने, सभी वर्णोंमें सभी प्रकारके मनुष्य हैं। हमारे पुरोहित-जी ही का रंग कृष्ण है। सभी वर्णवालोंका चलना-फिरना, शरीर, केश, खून, चमड़ा, हड्डी आदि एक जैसे हैं उनमें कोई तार्त्विक वर्णभेद नहीं है फिर यह मानव-मानवमें विषमता कैसी ?” इतना सुनते ही पुरोहित चण्डशर्माका पारा तेज हो गया। वे राजसभाकी मर्यादाकी भूल गये और बोले—चौलुक्याधिपति, सावधान, तुम ब्रह्मतेजको नहीं जानते। क्या वेद प्रतिपादिन सत्युगसे प्रचलित वर्ण व्यवस्था झूटी है ? उस समय भी चौलुक्याधिपतिने पुरोहितको शांत करते हुए नम्र भावसे कहा कि पुरोहितजी, आपने ही पहिले यह बताया था कि कृतयुगमें वर्णभेद नहीं था, त्रेतामें भी प्रजाएँ वर्णविहीन थीं। द्वापर युगमें ही यह वर्ण-व्यवस्था प्रचलित की गई तथा कलियुगमें लोभ, मोह, द्वेष, विश्वासघात आदिसे वर्णव्यवस्था चौपट हो गई है। आप ही बताइए कि श्रेष्ठ काल तो वही है जिसमें सभी मानव समानतासे रहते थे, यह जातिगत उच्चनीच भाव नहीं था। इस व्यवस्थाके मूलमें ब्राह्मणप्रभुत्वकी भावना ही कार्य कर रही है। मानव जातिका एक बड़ा भाग अछूत और अस्पृश्य बना हुआ है, उनकी वंश पशुओंसे भी बदतर है। चौलुक्याधिपतिके इन समुक्तिक वाक्योंमें भी चण्डशर्माकी क्रोधाग्निमें घी का काम किया। वह आपसे बाहर होकर चौलुक्याधिपति से बोला—मूर्ख, तू इन श्रमणोंके चक्करमें है। अब तेरा विनाश काल निश्चय है। शास्त्रपातकिन्, तू दस मुहूर्तमें ही सिंहासन पातालमें धँस जायगा, मैं अनुष्ठान करता हूँ। इतना कहकर पुरोहित राजसभासे जाने लगा। मैंने अधिपतिकी रक्षाके लिए पुरोहितको जेलमें डाल बिगा है। वह वही मन्त्र-पाठ कर रहा है। मुनिवर, समय थोड़ा है। मेरा चित्त भी कुछ चंचल हो रहा है।

जटिलमुनि—मन्त्रिवर, चिन्ताकी विशेष बात नहीं है। मन्त्र अपनेमें कोई सामर्थ्य नहीं रखता। वे शब्द जिनका मुखसे उच्चारण किया जाता है, पौद्गलिक हैं। असली शक्ति तो उच्चारणकर्ताकी आत्म-शक्ति है। आत्मबल ही शब्दोंके द्वारा सामने वालेके ऊपर अपना प्रभाव डालता है। फिर जब अमुक शब्दों के द्वारा दस-बीस प्रभावशाली व्यक्ति आत्मप्रभाव व्यक्त कर चुकते हैं तो वही मन्त्र बन जाता है।

जिन शब्दोंके पीछे जितने अधिक समर्थ पुरुषोका साथनाबल रहता है वे दूसरे साथकोको उतने ही क्षीप्र मनकी एकाग्रता करके अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। यही मन्त्रसामर्थ्यका रहस्य है। आप क्षीप्र जाकर चौलुक्याधिपतिको यहाँ लिवा लाइए।

इतनेमें ही सपरिकर चौलुक्याधिपति स्वय आकर नमस्कार करके मुनिराजसे बोले—

मुनिवर—चण्डशर्माको शाप विष्ट्रुए आठ मुहूर्तं स्यतीत हो गए, पर अभी तक तो पातालमे जाने जैसी बात नहीं बीखती। फिर भी मेरा मन भावी अनिष्टकी आशंकासे विचलित सा हो रहा है।

जटिलमुनि—राजन्, आप चिन्ता न करें। आप क्षत्रिय परम्पराको स्वीकार करनेवाले दृढपरि-कर्मा बीर पुरुष इन अन्धविश्वागोको छोड़ें और अपने क्षात्रवीर्यको स्मरण करे तथा मनसे हिंसा और द्वेष-बुद्धि निकालकर जगत्कल्याणकी सर्वभूतमैत्रीकी भावना भावे। उस अनुपम आत्मरसमें विभोर होकर अब आप मैत्री, प्रमोद, करुणा और माय्यस्थ भावमें लीन होगे तब इन कषायाविष्ट पामर-जनोकी शक्ति अनायास ही कुण्ठित हो जायगी। आप यमस्त विकल्पोको त्यागकर निराकुल होइए और परम अहिंसक भावोकी आराधना कीजिए। सब अच्छा ही होगा। मैं आपकी रक्षाका प्रबन्ध भी कर देता हूँ।

मुनिराजने राजाके आश्वामनके लिए कुछ क्रिया कर दी। राजा, मन्त्री आदि सभी शान्त बातावरण में अहिंसा और अद्वेषका विचार करने लगे। इस अहिंसक चरचामे पता नहीं चला कि दस मुहूर्तं कब बीत गए। जब चरचा टूटी तो चौलुक्याधिपतिका ध्यान घटिका यन्त्रपर गया वह हर्षातिरेकसे बोला, ग्यारह मुहूर्तं हो गए। बुलाओ उस मिथ्याचारीको। ये झूठे ही शापका भय दिखाते हैं। इन लोगोंने न जाने कितने अज्ञानी लोगोंको शापके भयसे त्रस्त कर रखा है। एक मामूली द्वारपालके आदेश से ये हतप्रभ होते हैं और हमारी अनुवृत्तिके लिए हाँ शास्त्र, मन्त्र और शाप आदिके हृदियारोका प्रयोग करते हैं। चौलुक्याधिपति-को इस तरह क्रोधाविष्ट देखकर मुनिराज जटिलने कहा—राजन्, क्षमा बीरोका भूषण है। आप चण्डशर्माके हृदयके चण्डत्वको जीतिए जिनसे वे स्वय मानव-समत्वके पुण्यदर्शन कर सकें और अपने प्रभावका उपयोग व्यक्ति और जातिगत स्वार्थसे हटाकर मानवमात्रके उद्धारमें लगावे।

इतनेमें द्वारपाल चण्डशर्माको लेकर आ गया। देखते ही चौलुक्याधिपतिका क्रोध फिर भमका। पर मुनिराज जटिलने उन्हें शान्त कर दिया। उनने चण्डशर्मासे आश्वस्त बाणीमे कहा—

पुरोहितजी, शक्ति और प्रभावका उपयोग मानवमात्र ही नहीं प्राणिमात्रके कल्याणमें करना चाहिए। इस जीवनको जगदुपकारमें लगाइए। जाति, कुल, रूप आदि देहाश्रित है। वर्णं आजीविका और क्रियाके आधीन है ये तो व्यवहार है। यह तो आपको विदित है कि—व्यास, वसिष्ठ, कमठ, कठ, द्रोण, पराशर आदि जन्मसे ब्राह्मण नहीं थे पर तपस्या और सदाचार आदिके उनने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। यह ससार एक रंगशाला है। इसमें अपनी वृत्तिके अनुसार यह जीव नाना वेशोको धारण करता है। कम से कम धर्मका क्षेत्र तो ऐसा उन्मुक्त रहना चाहिए जिनमें मानवमात्र क्या प्राणिमात्र शान्ति लाभ कर सकें। आप ही बताइए, शत्रु यदि व्रत धारण कर ले और सफाई से रहने लगे, विद्या और शीलकी उपासना करने लगे, मद्य, मांसादि को छोड़ दे तो उसमें और हममें क्या अन्तर रह जाता है? शरीरका रक्त, मांस, हड्डी आदि में क्या जाति-भेद है? शरीरमें तो ब्राह्मणत्व रहता नहीं है। आत्माके उत्कर्ष का कोई बन्धन नहीं है। आज ही राज्यमें अनेक तथोक्त नीचकुलोत्पन्न भी ऊँचे पदोपर प्रतिष्ठित हैं। हमारा तो यह निश्चित सिद्धान्त है कि—

क्रियाविशेषाद् व्यवहारमात्रात् दयाभिरक्षाकृषिशिल्पभेदात्।

शिष्टाश्च वर्णश्चित्तुरो वदन्ति न चान्यथा वर्णश्चित्तुष्ट्यं स्यात् ॥”

३९२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

अर्थात्-दया आदि व्रतोंके धारण करनेसे, रक्षा-कार्य करने से, कृषि करने से और शिल्प आदि से ही ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंकी व्यवस्था है। यह क्रियायुक्त है और व्यवहारमात्र है। दूसरे प्रकार से वर्ण व्यवस्था नहीं है।

जटिलमुनिके इन शम और सम्पूर्ण बचनोंको सुनकर चण्डशर्मा पानी-पानी हो गया। वह गद्गद हो चरणोंमें पड़कर बोला—धर्मणवर, आज आपने मुझे सच्चे ब्राह्मणत्वका मार्ग बताया। मेरी तो जैसे आँखें-ही खोल दीं हो। आज तो मुझे दुनिया कुछ दूसरी ही दिख रही है। मेरा तो नकशा ही बदल गया है। मुनिवर, मुझे उपासक मानें। आपने चालुक्येद्वर की कोपाग्निसे मेरी रक्षा की, मुझे क्षम्य दिया। धन्य।



तीर्थंकर महावीर

जन्म और विहार क्षेत्र

तीर्थंकर महावीरने विहार की पुष्यभूमि वैशालीमें आषाढ २५५६ वर्ष पूर्व जन्म किया था। तीस वर्ष की उमरमें जबानीमें राज्य बँधव त्याग कर वे आत्मसाधनामें लीन हुए थे; व्यक्ति की मुक्ति और समाजमें शान्ति का मार्ग खोजनेके लिए। १२ वर्ष की दीर्घ तपस्याके बाद उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ और वे उसके बाद ३० वर्ष तक विहार, उड़ीसा, बंगाल और उत्तरप्रदेशमें सतत पाद विहार कर उपदेश देते रहे। उनके तथा शास्ता बुद्धके विहारके कारण ही प्रान्त का नाम विहार पडा। वीर भूमि (वीर भूम) और वर्धमान (वर्धवान) जिले तीर्थंकर महावीरके विहार (विचरण) की साजी दे रहे हैं।

वे तीर्थंकर थे

तीर्थंकर वह व्यक्ति बन पाता है, जो जन्म-जन्मान्तरके वह उच्छेद-मलिनता-रहित है; कि—युद्धे जो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो वह जगत्के कल्माज व उद्धारके लिए व्यपित है। संसारके प्रणी अज्ञान-अन्धकार और तृष्णाके जालमें पड़े हुए है। जैसे वे प्रकाश पाएँ और तुल्यके जलके-केक-कल-सम्पन्नमें-लग सकें, इसी पवित्र भावनासे व्यक्ति तीर्थंकर बनता है; मोक्षमार्ग का नेता होकर है। वह अपने-अनुभूत धर्म-धर्म-का विषय कल्याणके लिए उपदेश देता है और अपने को बचा देता है जगत्के उद्धारमें। तीर्थंकर-स्वयं तीर्थ अर्थात् धर्म मार्ग का कर्ता होता है। वह किसी शास्त्रमें या ग्रन्थमें लिखे हुए धर्म मार्ग का प्रचारक नहीं होता, किन्तु अपने जीवनमें जिस धर्म का साक्षात्कार करता है, और जिस मार्गसे अपनी आत्मा की-मुक्ति का द्वार पाता है, उसी धर्म का वह उपदेश देता है। जिस मार्गसे वह तपता है, वही धर्म मार्ग दुसरोँ को बताता है। वह तरण-तारण होता है। उनके तीर्थके मुख्य अर्थार्थ ये हैं—

पुरुष स्वयं प्रमाण है

धर्मके स्वरूपके निश्चय करनेमें परम्परासे आए हुए वेद या शास्त्र एकमात्र प्रमाण नहीं हो सकते; किन्तु निर्मल और तत्त्वज्ञानी आत्मा स्वयं धर्म का साक्षात्कार कर सकता है। वह स्वयं अपने धर्म मार्ग का निर्णय कर सकता है। इस तरह वेद या शास्त्रके नाम पर एक बर्ग की, जो धर्म का अधिकारी बना हुआ था, वह धर्म की ओ म्याख्या करता था, वही सबको मान्य करनी पड़ती थी, बुद्ध की इस गुलामी को तीर्थंकरने उतार फेका और कहा कि—व्यक्ति अपनी साधनासे स्वयं भीतरागी बन सकता है और वह केवल-ज्ञान—पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसके बल पर वह धर्म का साक्षात्कार कर सकता है और धर्म मार्ग का निर्णय भी कर सकता है। कोई भी वाक्य या शब्द, चाहे वे बेधमें लिखे हों या अन्य किसी शास्त्र-में, स्वतः (अपने आपमें) प्रमाण नहीं हो सकते। शब्द या वाक्य की प्रमाणता यमता (बोलने वाले) के प्रामाण्य (प्रामाणिकता) पर निर्भर होती है। जिन शब्दों का कहने वाला यमता भीतरागी और तत्त्वज्ञ है, वे ही शब्द प्रमाण होते हैं; अर्थात् शब्दोंमें प्रमाणता स्वयं की नहीं है, किन्तु बोलने वाले व्यक्ति की है।

एक बात विशेष रूपसे ध्यान देने की है कि अथर्व संहिताके महान् ज्योतिष्वर तीर्थंकर महावीर और शास्ता बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे। उस समय धर्मके एक मात्र अधिकारी ब्राह्मण थे। किन्तु महावीर और बुद्धने स्वयं साधना करके धर्मके ऊपर वेद और ब्राह्मण वर्गके ही एक मात्र अधिकार की परम्परा को तोड़ कर स्वयं धर्म का उपदेश दिया। यह एक महान् विचारक्रान्ति थी। ये क्षत्रिय कुमार धर्ममें स्वयं प्रमाण बन कर धर्म तीर्थके कर्ता हुए। इतना ही नहीं, किन्तु इन्होंने धर्म का द्वार मानवमात्रके लिए खोल दिया था। इन्होंने बड़े धर्म-अध्वर्याके शिष्यमें जकड़ी हुई मानवता को बाध दिया और स्पष्ट कहा कि—

वर्ण व्यवस्था व्यवहार के लिए है

आजीविकाके उपायों का वर्गीकरण वर्णव्यवस्था का मुख्य प्रयोजन है। यह सामाजिक व्यवस्था का तत्कालीन प्रयोग है। इसके आधार पर धर्माधिकारमें भेद नहीं किया जा सकता। कोई भी मनुष्य धर्मके किसी भी पद को अपनी साधनासे पा सकता है। उसके पानेमें उसका शरीर बाधक नहीं होगा। उन्होंने जन्म-सिद्ध वर्ण व्यवस्थाके विरुद्ध अपने सधमें चाडाल, माली, कहार, नाई आदि जन्मसे कहे जाने वाले शूद्रों को भी शामिल किया। और उनके लिए धर्म का द्वार ही नहीं खोला, बल्कि अपने सधमें उन्हें बड़ी बरजा दिया, जो किसी उच्च वर्णवाले ब्राह्मण आदि को मिल सकता था। अहिंसाके द्रवियोंमें सबसे अच्छा उदाहरण थमपाल चाडाल का लिया जा सकता है। मेतार्य मुनि और हरिकेशी साधु भी चांडाल ही थे। तात्पर्य यह कि—तीर्थंकर महावीर का अहिंसा धर्म किसी वर्ण विशेषके लिए ही नहीं था, बल्कि उसकी शीतल छायामें सभी समान रूपसे शान्ति लाभ करते थे। जिन असह्य शूद्रों को धर्म का अक्षर सुनने तक का अधिकार नहीं था, जो मनुष्य की शकलमें पशुओंसे भी बदतर थे, उन्हें धर्ममें समान पद और समान अधिकार का मिल जाना सधमुच उस युग की सबसे बड़ी क्रान्ति थी। इसी समता तीर्थ या सर्वोदय तीर्थके प्रवर्तक होनेके कारण महावीर तीर्थंकर थे।

जगत् स्वयं सिद्ध है

जगत्के बनाने वाले ईश्वर को मानकर और वर्णव्यवस्था को ईश्वर की देन कहकर जो एकाधिपत्य की परम्परा प्रचलित थी, उसे भी तीर्थंकरने स्वीकार नहीं किया। उनमें बताया कि जगत्की रचना भौतिक परमाणुओंके संयोग-वियोगसे स्वयं हो रही है। उसमें किसी सर्व-नियन्ता का कोई स्थान या हाथ नहीं है। कही पुरुषके प्रयत्न उसे भले ही नियंत्रित कर लें, पर यह सब समय और मव स्थानोंके लिए नहीं है। विरवके रग-मंच पर असह्य परिवर्तन आपसी संयोग-वियोगसे अपने आप होते रहते हैं। आंकीजन और हाईड्रोजन को किसी प्रयोगशालामें विज्ञान वेत्ता भी मिलाता है और आकाशमें वे अपने आप ही मिलकर जल बन जाते हैं। मनुष्य स्वयं अपने पुष्य और पाप का फल पाता है। अपने कर्म सस्कारोंके अनुसार अच्छी और बुरी अवस्था को प्राप्त होता है। इसके लिए लेखा-जोखा रखने वाले किसी महाप्रभु की न तो आवश्यकता है और न उसकी स्थिति विज्ञान-समत कार्यकारण की शृंखलामें ही फिट—सुमिल बैठती है।

पशुयज्ञ आदि धर्म नहीं

ईश्वरके नाम पर यह भी कहा जाता था कि स्वयंभू ईश्वरने यज्ञके लिए पशुओं को सृष्टि की है। अत यज्ञमें पशुओं का बध करना हिंसा या अधर्म नहीं है। अहिंसाके सर्वोदयी पुरस्कर्ता तीर्थंकर महावीरने कहा कि ईश्वरने किसी को नहीं बनाया। जिस प्रकार हम स्वयं सिद्ध हैं, उसी तरह गाय आदि पशु भी। जिस प्रकार हमें प्राण प्यारे हैं, हम सुख चाहते हैं, इसी तरह वे पशु भी। कहा है—

“जह मम न पियं दुक्खं, जाणिहि एमेव सम्बजीवाणं।”

जैसे हमें दुःख प्रिय नहीं लगता, वैसे ही सब जीवों को जानो।

“सब्बे जीवा पिवालजा सुहसाया दुक्ख-पडिक्कला।”

सभी को अपने प्राण प्यारे हैं, सब सुख चाहते हैं, दुःखसे सब डरते हैं। इसलिए यज्ञमें पशुओं का होमा जाना कदापि धर्म नहीं हो सकता। तीर्थंकरके द्वारा किये गए इस पशुबधके विरोध का जनताने स्वागत किया। इसी तरह जदियोंमें स्नान करना, पंचाग्नि तपना, पर्वतसे गिरना, काष्ठी करवट लेना, अग्निपात आदि क्रियाकाष्ठोंमें धर्म मानने को भ्रष्टता बताकर कहा कि धर्म तो आत्मशुद्धि का मार्ग है।

अपने मनकी शुद्धि ही वास्तवमें धर्म है। इस मन शुद्धिके साथ समस्त प्राणियोंकी आत्म-समता की बुद्धिसे रखा करना ही परम धर्म है। इस धर्ममें प्राणिमात्र का समान अधिकार है।

लोकभाषा की प्रतिष्ठा

भाषा भावों का वाहन है। वह एक ऐसा माध्यम है, जिससे एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्वके हृदयगत भावों को समझता है। अतः किसी भी भाषा को शिष्ट और पुण्य मानकर उससे असंख्य जनता को बंचित रखना भी रूढ़ वर्णव्यवस्था का एक अभिशाप है। संस्कृत का उच्चारण ही धर्म और पुण्य है; लोकभाषा प्राकृत, अपभ्रंस आदि का उच्चारण नहीं करना चाहिए; संस्कृत विशेषतः वैदिक संस्कृतके पढ़ने का अधिकार शूद्रों और स्त्रियों को नहीं है—इत्यादि व्यवस्थाओं द्वारा जो भाषा का साम्राज्य भारत भूमि पर स्थापित था; उसके विरुद्ध तीर्थंकर महावीरने अपना उपदेश अर्धमागधी बोलीमें दिया था। अर्धमागधी वह बोली थी, जिसमें आधे शब्द मगध-जनपद की बोलीके थे और आधे शब्द अन्य बिदेह अंग, बंग, काशी, कौशल आदि महाजनपदों की बोलीके थे। यानी उस भाषामें १८ महाभाषाके और ७०० लघु भाषाओं (छोटी बोलियों) के शब्दों का समावेश था। इतनी उदार थी वह भाषा, जिसमें तीर्थंकर का उपदेश होता था। बुद्ध की पालि भाषा मूलतः यही मागधी है। उसका पाली नाम तो 'बुद्ध वचनों की पक्ति' के धार्मिक अर्थके कारण पड़ा है। आज हम हिन्दू और हिन्दुस्तानीके जिस विसंवादेमें पढ़कर भाषाके क्षेत्रमें जो चौका लगा रहे हैं और उसके नाम पर राष्ट्र की एकता को छिन्न-भिन्न करनेमें नहीं चूकते, उन्हें तीर्थंकर की लोकभाषा को इस दृष्टि को अपना कर भाषा को सकुचित रखने की मनोवृत्ति को छोड़ना चाहिए। और भाषा को साध्य नहीं, साधन मान कर उसे सब की बोली बनने देना चाहिए।

व्यक्ति धर्म और समाज धर्म

व्यक्ति को निराकुल और शुद्ध बननेके लिए महावीरने अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर बहुत जोर दिया है और बताया कि जब तक मनुष्य प्राणिमात्रके साथ आत्म-तुल्यता की भावना नहीं बनाता; सब प्राणियों को अपने ही समान जीने का अधिकारी नहीं मानता—तब तक उसके मनमें सर्वोदयी अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। वासनाओं पर विजय पाना ही सच्ची शुद्धि है और उसकी कसौटी है ब्रह्मचर्य की पूर्णता। परिग्रह का संग्रह ही विषमता, संघर्ष और हिंसा की जड़ है। इसका संग्रह करने वाला व्यक्ति कभी सर्वोद्य (सबका उदय, सबका भला) की भावना का अधिकारी नहीं हो सकता। इन सबके साथ ही जीवन की शुद्धिके लिए सत्य का भी उतना ही स्थान है, जितना अहिंसा का। सत्य का आग्रह होना और उसके निमानेके लिए प्रत्येक त्याग की तैयारी रखना परिग्रह-लिप्सु, वासनाओंके गुलाम और हिंसक अर्थात् दूसरोंके अधिकार को हड़पने वाले व्यक्तिके बंध की बात नहीं है। इसी तरह अचौर्यव्रत अर्थात् दूसरों की वस्तु को नहीं चुराना यानी दूसरोंके अधिकार और धर्म को हड़पने की वृत्ति का न होना—यह जीवन शुद्धि का महान् प्रयोग है। एक तरहसे देखा जाए, तो मनमें अहिंसा की ज्योतिके जगते ही अचौर्य की प्रवृत्ति और सत्य का आग्रह अपने आप ही आ जाते हैं; और इन सबको निमानेके लिए इन्द्रियजय ही नहीं, इन्द्रिय बधन रूप संयम या ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा नितान्त आवश्यक है।

इन पाँच व्रतों का, जो वस्तुतः अहिंसके ही विस्तार हैं; जीवन शुद्धिमें जितना उपयोग है, उससे भी अधिक इनका स्वस्थ समाजके निर्माणमें मूलभूत स्थान है। समाज रचना की मूल भूमिका है—प्रत्येक इकाई का दूसरी इकाईके प्रति आत्म-समानता का भाव यानी प्रत्येक इकाई को अपनी ही तरह समान

अधिकारी मानना। इस सर्वोच्चको रूप की पूर्णताके लिए सबसे पहले व्यक्तिके मानसमें सर्व समता स्वी अहिंसा की ज्योति जगना ही चाहिए। उसीके निमल प्रकाशमें वह नव समाज निर्माणके मंगलमय स्व की रचना कर सकता है। इस आत्म-समानता की ज्योतिके जगते ही अपरिग्रह या समान-परिग्रह की प्रवृत्ति उसमें स्वतः ही ब्या जाएगी। वह अपनी आवश्यकताओं को इतना सीमित रखेगा, कि समाज की प्रारंभिक और अनिवार्य आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाएँ, उसकी पूर्णतामें बाधा न आए, विषमताके वातावरण की सृष्टि न हो। समान-अधिकार वाली समाज की स्वस्थताके लिए परस्पर सत्य व्यवहार और अर्थायुक्ति यानी दूसरों की भोग्य वस्तु या अधिकार को नहीं हड़पना—ये मूल बातें हैं। और यह सब तब हो सकता है, जब जीवनमें से विलासिता, वासनाओं की गुलामी और इन्द्रिय लोलुपता की बेरोक प्रवृत्तियाँ दूर हो जाएँ। अर्थात् सीमित ब्रह्मचर्य स्वस्थ समाज की स्थिरता का प्राणभूत आधार है।

विचारशुद्धि यानी अनेकान्तदृष्टि

संसारके हर एक पदार्थमें अनन्त धर्म हैं। किसी एक पदार्थ की संपूर्ण विशेषताओं—खूबियों को जान लेना हम-सुम जैसे अल्पज्ञानियोके वश की बात नहीं है। कोई पूर्ण ज्ञानी उन्हें जान भी ले, तो भी वह उनका वर्णन तो कर ही नहीं सकता। ज्ञान-विज्ञान की असह्य शाखाएँ हमारे सामने हैं। उस ज्ञान समुद्र की एक बूँद को भी पूर्ण रूपसे न पाने वाला यह मनुष्य कितना अहंकारी बन गया है कि वह अपने एक दृष्टिकोण को ही पूर्ण सत्य मानने का ढोंग कर बैठा है। तीर्थंकर महावीरने उसके इस दम को धक-धोरते हुए कहा—सुद मानव ! तू कहीं है ? इस अनन्त विश्वके एक कण को भी तू पूरे रूपसे नहीं समझ पाया है। प्रत्येक कण—अणु अनन्त धर्मों का आधार है। अतः वस्तुके स्वरूपके सम्बन्धमें जितने भी विचार और दृष्टिकोण सामने आएँ, उन्हें सहानुभूति और वस्तु स्थितिके आधारसे देखो। कोई विचार या दृष्टिकोण एक अपेक्षासे ही सत्य हो सकता है, सभी दृष्टिकोणों या पूर्ण रूपसे सत्य नहीं हो सकता; क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही जब अनेकान्त यानी अनन्त धर्म वाला है, तब उसके एक-एक अंश को पकड़ने वाला विचार पूर्ण सत्य कैसे हो सकता है। तात्पर्य यह कि विचारशुद्धि और सत्यताके लिए आवश्यक है कि वस्तु की अनन्त धर्मता और अपनी सकुचित शक्ति का भान हमें रहे। ऐसी स्थितिमें हम अपने ही विचार, दृष्टिकोण या अभिप्राय को पूर्णतया सत्य मानने का दावा या दम नहीं कर सकते। कोई भी विचार अपने रूपमें किसी एक दृष्टिसे ही सत्य हो सकता है, सर्व या संपूर्ण दृष्टियोसे नहीं। यह अनेकान्त दर्शन ही विचार शुद्धि का वास्तविक आधार है और इसी की मंगलमय ज्योतिमें हम ज्ञानके अहंकार और उस अहंकारसे होने वाले विविध मत-मतांतरोंके सांप्रदायिक कुचक्रसे मानव समाज की रक्षा कर सकेंगे।

स्याद्वाद भाषा

तीर्थंकर महावीरने इस अनेकान्त दर्शनके साथ ही साथ भाषा की एक निर्बोध पद्धति भी बताई। जब छोटी-बड़ी सभी वस्तुएँ अनन्त धर्म वाली हैं और हमारा ज्ञान उनके एक ही अंश को एक समयमें पकड़ सकता है, तब हमारी भाषा भी सापेक्ष (किसी अपेक्षा से) होनी चाहिए। हम सिर्फ वस्तुके एक ही अंश को जानकर भी 'वस्तु ऐसी हो है' इस प्रकार जो एक दृष्टि को सर्व निश्चयात्मकता या संपूर्णकृता देने वाले 'ही' का प्रयोग करते हैं, वह हमारे अहंकार और असत्य का ही चोतक होता है। जब कि हमें सवा 'वस्तु ऐसी भी है' इस प्रकार सापेक्षताके चोतक 'भी' शब्दके प्रयोग की निर्बोध पद्धति सीखनी चाहिए। जब एक ही वस्तु अनेक दृष्टिकोणोंसे देखी जा सकती है, और वे सभी दृष्टिकोण अपनेमें सत्य हैं; तब एक दृष्टिकोण पर 'ही' लगाकर भार देने का मतलब यह होता है कि दूसरे दृष्टिकोणोंसे वह देखने लायक नहीं

है। किन्तु इसके उलटा 'भी' शब्द अपने दृष्टिकोण की आशिक सत्यता बताकर भी दूसरे आशिक सत्यों का निषेध नहीं करता। अतः समय दृष्टिसे वस्तु का कथन करते समय हमें इस दुराग्रहकारी 'ही' से बचकर समन्वयकारी 'भी' शब्दके प्रयोग को अपनाना ही होगा। 'स्यात्' शब्द इसी 'भी' का प्रतिनिधि है। 'स्यात्' का अर्थ शायद, संभव या कदाचित् नहीं है। किन्तु यह 'स्यात्' सुनिश्चित दृष्टिकोणसे आशिक सत्यता को बताता है। यह हम मानते हैं कि हर एक दृष्टिकोण भी अपनी आशिक सत्यता का दावा 'ही' शब्दसे कर सकता है, पर सपूर्ण सत्यके लिए तो वह 'भी' ही कह सकता है। सारांश यह है कि स्याद्वाद भाषा संशय या संभावना रूप न होकर सुनिश्चित दृष्टिकोण या आशिक सत्य की निर्णयात्मक रूपसे प्रकट करने वाली एक अहिंसक भाषा पद्धति है।

इस तरह विचारमें अनेकान्त दर्शन, आचारमें अहिंसा, समाज रचनाके लिए अचीर्यं और अपरिग्रह तथा इन सबके लिए सत्य की निष्ठा और जीवन शुद्धिके लिए ब्रह्मचर्य यानी इन्द्रियविजय आदि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन महावीरने किया।

हमने पंचशील का जो उद्बोध विद्वेशान्तिके लिए किया है, वह महावीर जैसे तीर्थकरों की अनेकान्त दृष्टि, समन्वय की प्रवृत्ति और अहिंसा की पवित्र भूमिका पर ही हुआ है।



खण्ड : ५

जैन न्यायविद्या का विकास
जैन दार्शनिक साहित्य

जैन न्यायविद्याका विकास

• डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य
प्रधान सम्पादक

प्रो. वृत्त

हम यहाँ जैन संस्कृतिके विभिन्न अंगोंमें न्यायशास्त्रके विकास पर विमर्श करेगे। इस मस्कृतिके धर्म, दर्शन, न्याय, साहित्य, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष आदिका समावेश है। और प्रत्येक पर गहराईके साथ विचार किया गया है।

जैनधर्म भारतकी आध्यात्मिक उर्वरा भूमिके उत्पन्न हुआ, विकसित हुआ और समृद्ध हुआ है। यह भारतीय धर्म होते हुए भी वैदिक और बौद्ध धर्मों भारतीय प्रधान धर्मसे भिन्न है। इसके प्रवर्तक २४ तीर्थंकर हैं; जो वैदिक धर्मके २४ ऋषयों तथा बौद्धधर्मके २८ बुद्धोंसे भिन्न हैं। इन सभीका तत्त्व-निरूपण भी भिन्न-भिन्न है। हाँ, किल्ली ही बातोंमें उनमें साम्य भी है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि सदियोंसे ही नहीं; सहस्राब्दियोंसे एक साथ रहनेवालोंमें एक-दूसरेसे प्रभावित होना और आदान-प्रदान करना बहुत सम्भव है। पुरातत्त्व, इतिहास और साहित्यकी प्रचुर साक्ष्योंसे भी सिद्ध है कि जैनधर्म इन दोनों धर्मोंसे पृथक् एव स्वतन्त्र धर्म है। उसका मूलाधार उसकी विशिष्ट आध्यात्मिकता एव तत्त्व-निरूपण है।

तीर्थंकर ऋषभदेव

जैनधर्मके आद्यप्रवर्तक ऋषभदेव हैं। जैन साहित्यमें इन्हें प्रजापति, आदिब्रह्मा, आदिनाथ, बृहद्देव, पुरुदेव, नामिसूनु और वृषभ नामोंसे भी सम्मलेखित किया गया है। इनके एक ही एक (१०१) पुत्र थे। भारत ज्येष्ठ पुत्र थे, जो उनके राज्यके उत्तराधिकारी तो हुए ही, प्रथम सम्राट् भी थे, और जिनके नाम पर हमारे राष्ट्रका नाम "भारत" पडा।

वैदिक धर्ममें भी इन्हें अष्टमऋषयोंके रूपमें माना गया है। "भागवत" में "अर्हन्" राजाके रूपमें इनका विस्तृत वर्णन है। ऋषभेद आदि प्राचीन वैदिक साहित्यमें भी इनका आदरके साथ संस्तवन किया गया है।

अन्य २० तीर्थंकर

ऋषभदेवके पश्चात् अजितसे लेकर नमि पर्यन्त २० तीर्थंकर ऐसे हुए, जिन्होंने ऋषभदेवकी तरह अपने-अपने समयमें धर्म-तीर्थंका प्रवर्तन किया। ऋषभदेवके बाद नमिके बीचमें ऐसे समय आए, जब जैनधर्मका विच्छेद हो गया, जिसका पुनः स्थापन इन्होंने किया। और इससे वे तीर्थंकर कहे गये।

नमिके पश्चात् २२ वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि अथवा नेमि हुए। ये श्रीकृष्णके बड़े ताऊ समुद्र विजयके तनय तथा उनके चचेरे भाई थे। ये बचपनसे सात्त्विक, प्रतिभावान् और बलशाली थे। इनके जीवनमें एक घटना ऐसी घटी, जिसने उनके जीवनको मोड़ दिया। जब इनकी बारात जूनगढ पहुँची, तो नगरके बाहर एक बाघमें घिरे हुए पशुओंके श्लैष्कारकी इन्होंने सुना। सुनकर रथके सारथीसे इसका कारण पूछा। सारथीने कहा— "महामाग्य राजकुमार ! बारातमें जो मांसभक्षी राजा आए हैं, उनके मांस-भक्षण हेतु इन्हें मारा जायेगा।" इसे सुनते ही राजकुमार अरिष्टनेमि संसारसे विरक्त हो गये। और पशुओंको बेचसे मुक्त करारकर विवाह न कराते हुए निकटवर्ती ऊर्ध्वगन्तगिरि पर चले गए। वहाँ पहुँचकर समस्त बस्त्रा-नूषण त्याग दिए और दिगम्बर साधु हुए। और तपस्या और ध्यान करके नीतराग-सर्वज्ञ बन गए।

२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

बर्षों तक जनसामान्यको अहिंसा तथा मोक्षमार्गका उन्होंने उपदेश दिया। अंतमें उसी ऊर्जयन्तगिरिसे निर्वाण प्राप्त किया। वैदिक साहित्यमें अनेक स्थलों पर विघ्न विनाशके लिए इनका स्मरण किया गया है।

अरिष्टनेमिके एक हजार वर्ष पश्चात् २३वें तीर्थंकर पार्ष्वनाथ हुए, जिनका जन्म वाराणसीमें हुआ। राजा अश्वसेन और माता वामादेवीकी कृपासे जन्म लिया। एक दिन कुमार पार्ष्व वन-क्रीड़ाके लिए गंगाके किनारे गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक तापसी पचाग्नि तप रहा है। वह अग्निमें गीले और पोले लकड़के जला रहा था। पार्ष्वकी पैनी दृष्टिने देखा कि उस लकड़केमें एक नाग-नागनीका युगल है। और जो अर्धमृतक अवस्थामें है। कुमार पार्ष्वने यह तापसीसे कहा। तापसी झुंझला कर बोली—“इसमें कहाँ नाग-नागनी है?” और जब उस लकड़केको फाटा गया तो उसमें मरणासन्न नाग-नागनीको देखा। पार्ष्वने “गमोकारमंत्र” पढ़कर दोनोंको सम्बोधा, जिसके प्रभावसे वह युगल मरकर देव-जातिमें धरणेन्द्र-पद्मावती हुआ। जैन भंदिरोमें पार्ष्वनाथकी अधिकांश मूर्तियोंके मस्तक पर जो फणामण्डप देखा जाता है। वह धरणेन्द्रके फणामण्डपका अंजन है, जिसे उसने अपने उपकारीके प्रति कृतज्ञतावश कमठ द्वारा योगमग्न पार्ष्वनाथ पर किए गये उपसर्गोंके निवारणार्थ अपनी विक्रियासे बनाया था। पार्ष्वकुमार लोकमें फौली हुई इन मूढ़ताओंको देखकर कुमार अवस्थामें ही प्रवृजित हो गये, न विवाह किया और न राज्य किया। कठोर तपस्या कर ‘अहंन्तकेवली’ हो गये और जगह-जगह पदयात्राएँ करके लोकमें फौली मूढ़ताओंको दूर किया तथा ज्ञानका प्रचार किया। अंतमें उन्होंने विहार प्रदेशमें स्थित मम्मदेशिखर पर्वतसे, जिसे आज ‘पार्ष्वनाथ हिल’ कहा जाता है, मुक्तिलाभ किया।

पार्ष्वनाथसे अढ़ाई सौ वर्ष पश्चात् ईसापूर्व ५२६में अन्तिम एव २४वें तीर्थंकर महावीर हुए, जिन्हें वर्षायान, वीर, अतिवीर और सत्यति इन चार नामोंसे भी उल्लिखित किया जाता है। ये वैशाली गणतंत्रके नायक शेटकके धेवता तथा सिद्धार्थ एवं त्रिशलाके पुत्र थे। कुण्डलपुर (कुण्डपुर) इनकी जन्मभूमि थी। विशालाका दूसरा नाम प्रियकारिणी था। प्रियकारिणी बिम्बसार अपरनाम राजा श्रेणिककी रानी चेलनाकी सगी बड़ी बहिन थी। महावीरके समयमें भी अनेक मूढ़ताएँ व्याप्त थी। धर्मके नामपर नरमेघ, गोमेध, अश्वमेघ, अजमेघ आदि हिंसा पूर्ण यज्ञ किए जाते थे। तथा “याज्ञिकी हिंसा हिंसा न भवति” जैसे श्रुति वाक्योंसे उनका समर्थन किया जाता था। महावीरने देशको यह स्थिति देखकर उसे बदलनेका निर्णय किया। और भरी जवानिमें तीस वर्षकी वयमें ही राजमहलके गुप्तोंका त्यागकर दिगम्बर साधु हो गये। और तीन-पूर्वके बारह वर्ष घोर तपस्या की। फलतः ४२ वर्षकी अवस्थामें उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया और पूर्ण वीतराग-सर्वज्ञ हो गए। उन्होंने तीस वर्ष तक विहार करके उक्त हिंसापूर्ण यज्ञोंका निषेध किया। तथा अहिंसापूर्ण आत्मयज्ञ करनेका उपदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि नरमेघ, गोमेध आदि यज्ञ बंद हो गये। और लोगके हृदयमें अहिंसाकी ही धर्म माननेकी आस्था दृढ़ हो गई। वैदिक धर्मके महान् विद्वान् एवं वैदिक कर्मकाण्डके प्रसिद्धकर्त्ता गौतम इन्द्रभूति और उनके वैदिक विद्वान् दश भाई भी अहिंसाके प्रति आस्थावान् बन गए। इनता ही नहीं, महावीरके पादमूलमें पहुँचकर उनके शिष्य भी हो गये। इन्द्रभूति तो उनका प्रधान गणधर (आद्यशिष्य) बन गया ? और महावीरके उपदेशोंको उसने चहुँओर फैलाया।

ध्यातव्य है कि पार्ष्वनाथकी परम्पराके एक दिगम्बर साधुसे दीक्षित एव नमन रहना, खड़े-खड़े आहार लेना, केशलुञ्चन करना आदि दिगम्बर चर्चाको पालनेवाले, किन्तु उसे बादमें कष्टदायी ज्ञातकर त्याग देनेवाले तथा मध्यम मार्गके प्रवर्तक गौतम बुद्धने भी महावीरके अहिंसा-प्रचारमें प्रबल सहयोग किया। दीपनिकाय आदि बौद्ध साहित्यमें अनेक स्थलोंपर “निर्गंधनाथपुत्र”के नामसे महावीरके सिद्धान्तोंकी

वर्षा की गई है। आज वे ऐतिहासिक महापुरुषके रूपमें विश्रुत एवं सर्वमान्य हैं। सन् १९७४-७५में समग्र भारत और विश्वके अनेक देशोंमें उनकी पावन २५००वीं निर्वाण जयन्ती पूरे एक वर्ष तक मनाई गयी थी, जिसके समारोह भारतके सभी राज्योंमें आयोजित हुए थे। जिनमें पूरे राष्ट्रने उन्हें श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित की थी।

अतमें तीर्थंकर महावीरने बुद्धकी निर्वाणभूमि कुशीनगरके पास स्थित पावासे मोक्ष प्राप्त किया।

तीर्थंकर-देशना

इन चौबीस तीर्थंकरोंने अपने-अपने समयमें धर्ममार्गसे श्रुत जनसमुदायको सम्बोधित किया, और उसे धर्ममार्गमें लगाया। इसीसे इन्हें धर्ममार्ग-मोक्षमार्गका नेता तीर्थं प्रवर्तक, तीर्थंकर कहा गया है। जैन सिद्धान्तके अनुसार जनकल्याणकी भावना भावनेसे बद्ध "तीर्थंकर" नामकी एक पुण्य (प्रशस्त) प्रकृति—कर्म है, उसके उदयसे तीर्थंकर होते हैं और वे तत्त्वोपदेश करते हैं। नौवीं शताब्दीके आचार्य विद्यानन्दने 'आप्तपरीक्षा' कारिका सोलहमें स्पष्ट कहा है कि "विना तीर्थंकरत्वेन नाम्ना नार्थोपदेशना" अर्थात् विना तीर्थंकर पुण्यनामकर्मके तत्त्वोपदेश सम्भव नहीं है।

इन तीर्थंकरोंका वह उपदेश जिनशासन, जिनागम, जिनश्रुत, द्वादशांग, जिनप्रवचन आदि नामोंसे व्यवहृत किया गया है। उनके इस उपदेशको उनके प्रमुख एवं प्रतिभाशाली शिष्य विषयवार भिन्न-भिन्न प्रकारणोंमें निबद्ध करते हैं। अतएव उसे प्रवन्ध एवं ग्रन्थ भी कहते हैं। उनके उपदेशको निबद्ध करने वाले इन प्रमुख शिष्योंको जैनवाङ्मयमें "गणधर" कहा गया है। ये गणधर अत्यन्त सूक्ष्मबुद्धिवाले एव विशिष्ट क्षयोपशमके धारक होते हैं। उनकी धारणाशक्ति और स्मरणशक्ति असाधारण होती है।

उत्तरकालमें अल्पमेघाके धारक आचार्य उनके इस श्रुतका आश्रय लेकर अपने विभिन्न-विषयक ग्रन्थोंकी रचना करते हैं। और उनके इसी जिनोपदेशको जन-जन तक पहुँचानेका प्रशस्त प्रयास करते हैं। तथा क्षेत्रीय भाषाओंमें भी उसे ग्रथित करते हैं।

उपलब्ध-श्रुत

ऋषभदेवका श्रुत अजित तक, अजितका श्रुत शम्भव तक और शम्भवका अभिनन्दन तक, इस तरह पूर्व तीर्थंकरका श्रुत उत्तरवर्ती अगले तीर्थंकर तक रहा। तेईसवें तीर्थंकर पार्वका द्वादशाङ्ग श्रुत तब तक रहा, जब तक महावीर तीर्थंकर (धर्मोपदेष्टा) नहीं हुए। आज जो आशिक द्वादशाङ्गश्रुत उपलब्ध है वह अंतिम तीर्थंकर महावीरसे सम्बद्ध है। अन्य सभी तीर्थंकरोंका श्रुत लेखबद्ध न होने तथा स्मृतिधारकोंके न रहनेसे नष्ट हो चुका है। वर्तमान महावीरका द्वादशाङ्गश्रुत भी पूरा उपलब्ध नहीं है। आरम्भमें वह आचार्य-शिष्य-परम्परामें स्मृतिके आधारपर विद्यमान रहा। उत्तरकालमें स्मृतिधारकोंकी स्मृति मद् पड़ जानेपर उसे निबद्ध किया गया। विगम्बर परम्पराके अनुसार वर्तमानमें जो श्रुत उपलब्ध है वह बारहवें अंग दृष्टि-वादका कुछ अंग है, जो धरसेनाचार्यको आचार्य परम्परासे प्राप्त था और जिसे उनके शिष्य भूतबलि और पुष्पवर्तने उनसे प्राप्तकर लेखबद्ध किया। शेष ग्यारह अंग और बारहवें अंगका बहुभाग नष्ट हो चुका है। श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार देवधि गणोंके नायकत्वमें हुई तीसरी बलभी वाचनामें सङ्कलित ग्यारह अंग मौजूद है, जिन्हें दिगम्बर परम्परामें मान्य नहीं किया गया। श्वेताम्बर परम्परा दृष्टिवादका विच्छेद स्वीकार करती है। आज आवश्यक है कि दोनों परम्पराओंके अवशेष श्रुतका अभ्ययन किया जाये और महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जायें।

४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

धर्म, दर्शन और न्याय

उक्त श्रुतमें तीर्थंकर महावीरने धर्म, दर्शन और न्याय इन तीनोंमें भेद करते हुए बताया कि मुख्यतया आचारका नाम धर्म है। धर्मका जिनविचारो द्वारा समर्थन किया जाए वे विचार दर्शन हैं। और धर्मके सम्बोधनके लिए प्रस्तुत विचारोको युक्ति-प्रत्युक्ति, खण्डन-मण्डन, प्रश्न-उत्तर एवं शंका-समाधान पूर्वक दृढ़ करना न्याय है। उसी को प्रमाणशास्त्र भी कहते हैं। इन्हें एक उदाहरण द्वारा यो समझें। अहिंसाका पालन करो, किसी जीवकी हिंसा न करो, सत्य बो लो, असत्य मत बो लो आदि विधि और प्रतिषेध रूप आचारका नाम धर्म है। जब इसमें "क्यो"का सवाल उठता है तो उसके उत्तरमें कहा जाता है कि अहिंसाका पालन करना जीवोका कर्तव्य है और इससे सुख मिलता है। किन्तु जीवोकी हिंसा करना अकर्तव्य है और उससे दुःख मिलता है। इसी तरह सत्य बोलना कर्तव्य है, और उससे न्यायकी प्रतिष्ठा होती है। किन्तु असत्य बोलना अकर्तव्य है और उससे अन्यायको बल मिलता है। इस प्रकारके विचार दर्शन कहे जाते हैं। और जब इन विचारोको दृढ़ करनेके लिए यों कहा जाता है कि दया करना जीवोका स्वभाव है, यदि उसे स्वभाव न माना जाए तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। सब सबके भक्षक या घातक हो जायेंगे। परिवारमें, देशमें और विश्वके राष्ट्रोंमें अनवरत हिंसा रहनेपर शान्ति और सुख कभी उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इसी तरह सत्य बोलना मनुष्यका स्वभाव न हो तो परस्परमें अविश्वास छा जायेगा और लैन-नेन आदिके घारे लोकव्यवहार लुप्त हो जायेंगे। इस तरह धर्मके समर्थनमें प्रस्तुत विचाररूप दर्शनको दृढ़ करना न्याय है। तात्पर्य यह कि धर्म जहाँ सदाचारके विधान और असदाचारके निषेधरूप हैं वहाँ दर्शन उनमें कर्तव्य-अकर्तव्य और सुखदुःखका विवेक जागृत करता है। तथा न्याय दर्शनके रूपमें प्रस्तुत विचारोको हेतुपूर्वक मस्तिष्कमें बिठा देता है। यही कारण है कि विश्वमें इन तीनोंपर पृथक्-पृथक् शास्त्रोकी रचना हुई है। भारतमें भी जैन, बौद्ध और वैदिक सभीने धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र और न्यायशास्त्रका प्रतिपादन किया है। तथा उन्हें महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

जैनन्यायका उदय और विकास

जैनश्रुतके बारहवें अंग दृष्टिवादमें तीन सौ तिरैसठ मतोंकी विवेचना की गई है। जैनदर्शन और जैनन्यायके बांज भी इसमें प्रचुर मात्रामें मिलते हैं। आचार्य भूतबलि और पुण्यवंत द्वारा निबद्ध दशखण्डागममें "सियावज्जत्ता", "सिया अपज्जत्ता", "मणुस अपज्जत्ता दब्बपमाणेण केवडिया", "असखेज्जा" जैसे "सिया" (स्यात्) शब्द और प्रश्नोत्तर शैलीको लिए हुए वाक्य उपलब्ध हैं। कुन्दकुन्दने पचास्तिकाय, प्रवचनसार आदि आर्षग्रन्थोंमें उनके कुछ और अधिक बीज दिये हैं। "सिय अत्थि गत्थि उहय्य" आदि उनके वाक्य उदाहृत किये जा सकते हैं। श्वेताम्बर आगमोंमें भी जैनदर्शन और जैन न्यायके बीज बहुलतया पाये जाते हैं। उनमें अनेक जगह 'से' केणट्ठेणं भंते एवमुच्चई जीवाण, भते, कि सासया असासया ? गायमा ! जांवा सिय सासया सिय असासया ? गोयमा दब्बट्ठयाए सासया भावट्ठयाए असासया । जैसे तर्क गमित प्रश्नोत्तर प्राप्त होते हैं। ध्यातव्य है कि 'सिया' या 'सिय' प्राकृत शब्द हैं, जो संहृतके 'स्यात्' शब्दके पर्यायवाची हैं। और 'कथंचित्' अर्थके बोधक हैं। इससे प्रकट है कि स्याद्वाददर्शन और स्याद्वादन्याय आर्षग्रन्थोंमें भी प्राप्त हैं। जैन मनीषी यशोविजयने लिखा है कि 'स्याद्वादार्थां दृष्टि-वादार्थवातव्य' अर्थात् स्याद्वाद (जैनदर्शन और न्याय) दृष्टिवाद रूप अर्थके उत्पन्न हुए हैं। यथार्थतः स्याद्वाद दर्शन और स्याद्वादन्याय ही जैनदर्शन और जैन न्याय हैं। आचार्य समन्तभद्रने सभी तीर्थंकरोको

‘स्याद्वादी’ कहकर उनके उपदेशको स्याद्वाच रूप कहा है। अकलंकदेव तो बों कहते हैं कि ऋषभने जेकर महावीर पर्यन्त सभी तीर्थंकर स्याद्वादी—स्याद्वाचके उपदेशक हैं।

यथा—

ऋषभादिमहावीरान्तेभ्यः स्वात्मोपलब्धये।

धर्मतीर्थंकरेभ्योऽस्तु, स्याद्वादिभ्यो नमो नमः ॥—छवीय० १

समन्तभद्र, अकलंक, यशोविजय आदि मनीषिओंके विषय सिद्धसेन, किचानंद जैसे विभूत दार्शनिकों एवं तार्किकोंने भी स्याद्वाददर्शन और स्याद्वादन्यायको जैनदर्शन और जैनन्याय प्रतिपादित किया है। तथा उनकी उत्पत्ति दृष्टिवाच नामक बारहवें अंगसे बतलाई है।

अब हम इनके विकासपर विचार करेंगे। कालकी दृष्टिसे उनके विकासको तीन कालखण्डोंमें विभक्त किया जा सकता है। और उन कालखण्डोंके नाम निम्न प्रकार रखे जा सकते हैं—

१—आदिकाल अथवा समन्तभद्रकाल (ई० २०० से ई० ६५०)।

२—मध्यकाल अथवा अकलंककाल (ई० ६५० से ई० १०५०)।

३—अंतकाल अथवा प्रभाचन्द्रकाल (ई० १०५० से १७००)।

१. आदिकाल अथवा समन्तभद्रकाल

जैनदर्शन एव जैनन्यायके विकास का आरम्भ यो तो आचार्य कुन्दकुन्दसे उपलब्ध होने लगता है। उनके पचासस्तिकाय, प्रवचनमार आदि प्राकृत ग्रन्थोमे दर्शन एव न्यायकी बर्चा प्राप्त है। स्वैतान्तर परम्परामें प्रसिद्ध ‘भगवतीसूत्र’ (५।३।१९१-१९२) स्थानागसूत्र (२९८) आदिमेभी दर्शनकी सामान्य बर्चा उपलब्ध है। आ० गूढपिच्छके तत्त्वार्थसूत्रमे, जो जैन संस्कृत-वाङ्मयका आद्य सूत्र ग्रन्थ है, सिद्धान्तके साय दर्शन और न्यायकी भी प्रवृत्तिया मिलती है। किन्तु आ० समन्तभद्रस्वामीने उस आरम्भको आगे बढ़ाया और बहुत स्पष्ट किया है। उनकी उपलब्ध ५ कृतियोमे चार (४) कृतियाँ हैं तो तीर्थंकरोके स्वतन्त्ररूपमें, पर उनमे दर्शन और न्यायके प्रचुर उपादान मिलते हैं, जो प्रायः उनसे पूर्व अप्राप्य हैं। उन्होंने इनमे एकान्तवादी की दृढ़तासे समीक्षा करके अनेकाल और स्याद्वादकी प्रस्थापना की है। उनकी वे चार कृतियाँ ये हैं—(१) ‘आप्तमीमामा’ अपर नाम ‘देवगम’, (२) ‘युक्त्यनुशासन’, (३) ‘स्वयम्भू’ और (४) ‘जिनघातक’। इनमे उन्होंने स्याद्वाद, सप्तभगनय और अनेकान्तका सुन्दर एव प्रीक्ष संस्कृतमे प्रतिपादन किया है, जो उस प्राचीन जैन संस्कृतवाङ्मयमें पहली बार मिलता है। प्रतीत होता है कि समन्तभद्रने भारतीय दार्शनिक एवं तार्किक क्षेत्रमे जैनदर्शन और जैन न्यायके युग प्रवर्तकका कार्य किया है। उनसे पूर्व जैन संस्कृतिके प्रागभूत स्याद्वादको प्रायः आगमरूप ही प्राप्त था। और उसका आगमिक विषयोके निरूपणमें ही उपयोग किया जाता था। जैसा कि हम पहले ‘सिया’, ‘सिय’ के सन्दर्भमें देख आए हैं। उसके समर्थनमे युक्तिवाचकी आवश्यकता बहुत कम समझी जाती थी। परन्तु समन्तभद्रके कालमे उसकी विशेष आवश्यकता बढ़ गई, क्योंकि ई० २री-३री शताब्दीका समय भारत वर्षके दार्शनिक इतिहासमें अपूर्व क्रांतिका माना जाता है। इस समय विभिन्न दर्शनोमे अनेक प्रभावशाली दार्शनिक हुए हैं। यद्यपि वैदिक परम्परा वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, वेदान्त, सांख्य आदि अनेक शाखाओंमें विभक्त थी और उनमे भी परस्पर खण्डन-मण्डन, आलोचन-प्रत्यालोचन चलता था। किन्तु श्रमणों और श्रमण सिद्धान्तोके विरुद्ध सब एक थे। और सभी अपने सिद्धान्तोंका आधार प्रायः वेदकी मानते थे। ऐसे समयमे ईश्वरकृष्ण, विन्ध्यवासी, वात्स्यायन, अरुंग, वसुबन्धु आदि विद्वान् दोनो परम्पराओंमें आविर्भूत हुए। और उन्होंने स्वपक्षके समर्थन एवं परपक्षके

६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

सम्बन्धनके लिए अनेक शास्त्रोंकी रचना की। इस तरह वह समय सभी दशानोंका अखाडा बन गया था। सभी दार्शनिक एक दूसरेको परास्त करनेमें लगे थे। इस सबका आभास उस कालमें रचे एवं उपलब्ध दार्शनिक साहित्य से होता है।

इसी समय जैन परम्परामें दक्षिण भारतमें महामनीषी समन्तभद्रका उदय हुआ, जो उनकी उपलब्ध कृतिजोसे प्रतिभाशाली और तेजस्वी पारिष्ठत्यसे युक्त प्रतीत होते हैं। उन्होंने उक्त दार्शनिकोंके संबंधको देखा और अनुभव किया कि परस्परमें एकान्तोंके आप्रहृते वास्तविक तत्त्व लुप्त हो रहा है। सभी दार्शनिक अपने-अपने पक्षाग्रहके अनुसार तत्त्वका प्रतिपादन करते हैं। कोई तत्त्वको मात्र भाव (अस्तित्व) रूप, कोई अभाव (नास्तित्व) रूप, कोई अद्वैत (एक) रूप, कोई द्वैत (अनेक) रूप, कोई शाश्वतरूप कोई अशाश्वतरूप, कोई पृथक् (भेद) रूप, कोई अपृथक् (अभेद) रूप मान रहा है, जो तत्त्व (वस्तु) का एक-एक अंश है, समग्र रूप नहीं। इस सबकी झलक उनकी 'आप्तमीमासा' में मिलती है। उसमें उन्होंने इन सभी एकान्त मान्यताओंको प्रस्तुत कर उनका समन्वय किया है इसका विस्तृत विवेचन उनके ग्रन्थोंसे किया जा सकता है।

यद्यपि धमण और धमणेतरोके वादोंकी चर्चा दृष्टिवादमें उपलब्ध है। किन्तु समन्तभद्रके कालमें वह उभरकर अधिक आई। समन्तभद्रने किसीके पक्षको मिथ्या बतलाकर तिरस्कृत नहीं किया, अपितु उन्हें वस्तुका अपना एक-एक अंश (धर्म) बतलाया। वक्ता जिन धर्मकी विवक्षा करेगा वह मुख्य हो जायेगा और शेष धर्म गौण। इस तरह समन्तभद्रने वस्तुको अनतधर्मी सिद्ध करके स्याद्वादके द्वारा समस्त विवादोंको शमित किया। इसके निवाय प्रचलित एकान्तवादोंका स्याद्वादन्याय द्वारा अपनी कृतियोंमें ही समन्वय नहीं किया, अपितु भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरके सभी देशों व नगरोंमें पदयात्रा करके वादियोंसे शास्त्रार्थ भी किए। और उनके एकान्तोंको स्याद्वादन्यायसे समाहित किया। उदाहरणके लिए श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) का एक शिलालेख नं० ५४ यहाँ दे रहे हैं।—

पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे मेरी मया ताडिता,
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क विषये काँचीपुरे वैदिशे।
प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं सकटं,
वादार्यीं विचराम्यहं नरपते शादुर्लविक्रीडितम् ॥

इस पद्यमें समन्तभद्रने स्पष्ट कहा है कि "हे राजन् ! मैंने पहले पाटलिपुत्र (पटना) नगरमें वादके लिए मेरी बजाई और वहाँके वादिओंके साथ वाद किया। उसके पश्चात् मालव, सिन्धु, ठक्क (पंजाब), काँचीपुर और वैदिश (विदिशा) में वादिओंको वादके लिए आहूत किया और अब करहाटक (कोल्हापुर) में विद्याभिमानी वादिओंको सिद्धकी तरह ललकारा है।"

समन्तभद्र वादार्यिक अतिरिक्त एक अन्य प्रसंगमें किसी राज सभामें अपना परिचय भी देते हैं।—

आचार्योऽहं कविरहमहं वादिराट् पडितोऽहं,
दैवज्ञोऽहं मिषगहमहं मान्त्रिकस्तांत्रिकोऽहं।
राजन्नस्यां जलधिवलयामेखलायाभिलाया-
माज्ञासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोऽहं ॥

इसमें कहा है कि "हे राजन् ! मैं आचार्य हूँ, मैं कवि हूँ, मैं वादिराट् हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं दैवज्ञ हूँ, मैं मिषग हूँ, मैं मान्त्रिक हूँ, मैं तान्त्रिक हूँ और तो क्या मैं इस समुद्रवल्या पुष्पी पर आज्ञासिद्ध हूँ, जो आदेश दूँ वही होता है। तथा सिद्धसारस्वत हूँ—सरस्वती मुझे सिद्ध है।"

समन्तभद्र ने एकान्तवादोंको तोड़ा नहीं, जोड़ा है। और वस्तुको अनेकात स्वस्व सिद्ध किया है।

साथ ही स्याद्वादन्यायके अनेक अंगोंका प्रणयन किया। जैसे प्रमाणका लक्षण, प्रमाणके भेद, प्रमाणका विषय, प्रमाणके फलकी व्यवस्था, नय लक्षण, हेतुलक्षण, सप्तभगीका समस्त वस्तुओंमें संयोजन, अनेकातमें भी अनेकान्त, वस्तुका स्वस्व, स्याद्वाद न्यायकी सम्यक्सिद्धि, सर्वज्ञकी सिद्धि आदि। इसीसे यह काल जैनदर्शन और जैनन्यायके विकासका आधिकाल है। और इस कालको समन्तभद्रकाल कहा जा सकता है। निस्सन्देह जैनदर्शन और जैनन्यायके लिए किया गया उनका यह महाप्रयास है।

समन्तभद्रके इस कार्यको उनके उत्तरवर्ती श्रीवत्त, पूज्यपाद-देवनदि, सिद्धसेन, मल्लवादी, सुमति, पात्रस्वामी आदि जैन दार्शनिकों एवं तार्किकोंने अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओं द्वारा अप्रमार्जित किया। श्रीवत्तने, जो तिरसेठ वादियोंके विजेता थे, जल्पनिर्णय, पूज्यपाद-देवनदिने सारसंग्रह एवं सर्वार्थसिद्धि, सिद्धसेनने सन्मत्सूत्र, मल्लवादीने द्वादशारनयचक्र, सुमत्तिदेवने सन्मत्तिटीका और पात्रस्वामीने त्रिलक्षणकदर्शन जैसी तार्किक कृतियोंको रचा है। दुर्भाग्यसे जल्पनिर्णय, सारसंग्रह, सन्मत्तिटीका और त्रिलक्षणकदर्शन आज उपलब्ध नहीं हैं, केवल उनके तर्कग्रन्थों तथा शिलालेखोंमें उल्लेख पाये जाते हैं। मिद्धसेनका सन्मत्तिसूत्र, पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि और मल्लवादीका द्वादशारनयचक्र उपलब्ध हैं; जो समन्तभद्रकी कृतियोंके आभारी हैं।

इस कालमें और भी दर्शन एवं न्यायके ग्रन्थ रचे गए होंगे, जो आज हमें उपलब्ध नहीं हैं। बौद्ध, वैदिक और जैन शास्त्रभण्डारोंका अभी पूरी तरह अन्वेषण नहीं हुआ, अन्वेषण होनेपर सम्भव है कि उनमें कोई ग्रन्थ उपलब्ध हो जाए। पहले अकलंकका 'सिद्धि-विनिश्चय' और 'प्रमाणसंग्रह' अश्रुत थे। अब वे एक श्वेताम्बर शास्त्र भण्डारमें प्राप्त हो गये और उनका भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशन भी हो चुका है। बौद्ध दार्शनिक शान्तरक्षित (ई० ७वी-८वी शती) और उनके साक्षात् शिष्य कमलशीलने तत्त्वमग्रह एवं उसकी टीकामें जैन तार्किकोंके नामोल्लेख अथवा बिना नामोल्लेखके कई जैन तर्कग्रन्थोंके उद्धरण प्रस्तुत किये हैं और उनकी आलोचना की है। परन्तु वे ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि इस आधिकाल अथवा समन्तभद्रकालमें जैनदर्शन और जैनन्यायकी एक योग्य और उत्तम भूमिका बन चुकी थी।

२. मध्यकाल अथवा अकलंककाल

यह काल ईसवी सन् ६५० से ईसवी सन् १०५० तक माना जाना चाहिए। समन्तभद्र द्वारा निर्मित जैनन्यायकी उन्नत भूमिकापर इस (जैनदर्शन और जैनन्याय) का उत्तुङ्ग एवं सर्वोत्तम महान् प्रासाद जिस कुशल एवं तीक्ष्णबुद्धि तार्किक-शिल्पीने खड़ा किया वह है सूक्ष्मप्रज्ञ 'अकलंकदेव'। अकलंकदेवके कालमें भी बलिष्ठ दार्शनिक मुठभेड़ थी। एक ओर शब्दाद्वैतवादी मत्सूहृति, प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल, न्याय-निष्णात नैयायिक उद्योतकर आदि वैदिक विद्वान् जहाँ अपने-अपने पक्षोंपर आरूढ़ थे, वहीं दूसरी ओर धर्मकीर्ति, उनके तर्कपटु शिष्य एवं समर्थक व्याख्याकार प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, कर्णकगोमि जैसे बौद्ध मनीषी भी अपनी साम्यताओंपर आग्रहबद्ध थे। शास्त्रार्थों और शास्त्रोंके निर्माणकी पराकाष्ठा थी। प्रत्येक दार्शनिकका प्रयत्न था कि जिस किसी तरह वह अपने पक्षको सिद्ध करे और परपक्षका निराकरण कर अपनी विजय प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त परपक्ष असत् प्रकारोंसे तिरस्कृत एवं पराजित किया जाता था। विरोधीको 'पशु', 'बहुङ्गी', 'जड़मति' जैसे अभद्र शब्दोंका प्रयोग तो सामान्य था। यह काल जहाँ तर्कके विकासका मध्याह्न भाग जाता है वहाँ इस कालमें दर्शन और न्यायका बड़ा उपहास भी हुआ है। तत्त्वके संरक्षणके लिए छल, जाति, निग्रहस्थान जैसे असत् साधनोंका खूलकर प्रयोग करना और उन्हें स्वपक्ष सिद्धिका साधन एवं

८ : डॉ० महेश्वरकुमार वैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

शास्त्रार्थका जैन आनना इस कालको देव बन गई थी। क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, शब्दाद्वैत, ब्रह्माद्वैत, विश्वात्मिष्ठ आदि बातोंका पुरजोर समर्थन इस कालमें घडल्लेसे किया गया और कट्टरतासे विपक्षका निरास किया गया।

इस दार्शनिक एवं तार्किक संघर्षके कालमें सूक्ष्मदृष्टि अकलकका प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इस समय स्थितिका अध्ययन किया तथा सभी दशानोंका गहरा एवं सूक्ष्म चिन्तन किया, उन्हें प्रच्छन्नबेशमें तत्कालीन शिक्षाकेन्द्रों, यथा काञ्ची, मालन्दा आदि विश्वविद्यालयोंमें अध्ययन करना पडा।

समन्तभद्रने जो स्याद्वाद, अनेकातवाद और सप्तभगीका प्रतिपादन किया था, उसे ठीक तरह से न समझनेके कारण दिग्नाग, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध विद्वानों तथा उद्योतकर, कुमारिल आदि वैदिक मनोषियोने क्षणन करनेका प्रयत्न किया। अकलकने उसका उत्तर देनेके लिए दो अपूर्व कार्य किए। एक तो स्याद्वाद और अनेकातपर किये गये आक्षेपोंका सबल जवाब दिया। दूसरा कार्य जैनदर्शन और जैनन्यायके चार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंका प्रणयन किया, जिनमें उन्होंने न केवल अनेकात स्याद्वाद और सप्तभगीपर किये गये आक्षेपोंका उत्तर दिया, अपितु उन सभी एकान्तपक्षोंमें दूषण भी प्रदर्शित किये। उनके वे दोनों कार्य हम यहाँ सक्षेपमें देनेका प्रयत्न करेंगे।

दूषणोद्धार

आप्तमीमासामे समन्तभद्रने अर्हन्तकी सर्वज्ञता और उनके उपदेश (स्याद्वाद) की महत्वुक सिद्धि की है। दोनोंमें साक्षात् (प्रत्यक्ष) और असाक्षात् (परोक्ष) का भेद बतलाते हुए दोनोंको सर्वतत्त्वप्रकाशक कहा है। उनमें इतना ही अंतर है कि अर्हन्त वक्ता है और स्याद्वाद उनका वचन है। यदि वक्ता प्रमाण है तो उसका वचन भी प्रमाण माना जाता है। आप्तमीमासामे अर्हन्तको युक्तिपुरस्सर आप्त सिद्ध किया गया है और उनका उपदेश स्याद्वाद भी प्रमाण माना गया है।

मीमांसक कुमारिलको यह सख नहो हुआ, क्योंकि वे किसी पुरुषको सर्वज्ञ स्वीकार नहो करते, तथा वेदको अपीक्ष्य मानते हैं। अतएव कुमारिल 'अर्हत्'की सर्वज्ञतापर आपत्ति करने हुए कहते हैं—

एवं ये केवलज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः।

सूक्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम् ॥

नसं तदागमात्सिद्धयेन्न च तेनागमो विना।

यहाँ कहा गया है कि जो सूक्ष्म, अतीत आदि विषयोका अतीन्द्रिय केवलज्ञान पुरुषके माना जाता है वह आगमके विना सिद्ध नहो होता और आगम उसके विना सम्भव नहो। इस प्रकार दोनोंमें अयोन्याश्रय दोष होनेसे न अर्हत् सर्वज्ञ हो सकता है और न उनका उपदेश (स्याद्वाद) ही सिद्ध हो सकता है।

यह अर्हत्की सर्वज्ञता और उनके स्याद्वाद रूप उपदेशपर कुमारिलका एक साथ आक्षेप है। अकलकने इस आक्षेपका उत्तर सबलताके साथ इस प्रकार दिया है—

एवं यस्केवलज्ञानमनुमानविजृम्भितम्।

नसं तदागमात् सिद्धयेन्न च तेन विनाऽऽगमः ॥

सत्यमर्थबलादेव पुरुषातिशयो मतः।

प्रभवः पौरुषेयोऽस्य प्रबन्धोऽनाविरिष्यते ॥

“यह सच है कि अनुमान द्वारा सिद्ध केवलज्ञान (सर्वज्ञता) आगमके विना और आगम केवलज्ञान-

के बिना सिद्ध नहीं होता तथापि उनमें अन्योन्वाश्रय दोष सही है क्योंकि पुरुषातिशय (केवलज्ञान) को अर्धवध (प्रतीतिवध) माना जाता है । दोनोंमें बीजाकुरके प्रवाहकी तरह अनादि प्रवाह माना गया है । अतएव अर्हत्की सर्वज्ञता और उनका उपदेश (स्याद्वाद) दोनों ही युक्तिसिद्ध हैं ।”

पाठक, यहाँ देखें कि समन्तभद्रने जो अनुमानसे आप्तमीमासा कारिका ५, ६, ७ में सर्वज्ञताकी सिद्धि की है और जिसका समालोचन कुमारिलने उक्त प्रकारसे किया है, अकलकदेवने उसीका यहाँ विषयवृत्त-के साथ सहेतुक उत्तर दिया है । तथा सर्वज्ञता (केवलज्ञान) और आगम (स्याद्वाद) दोनोंमें बीजाकुर-संततिकी तरह अनादिप्रवाह बतलाया है ।

बौद्ध तात्त्विक धर्मकीर्तिने स्याद्वादपर निम्न प्रकारसे प्रहार किया है—

एतेनैव यत्किञ्चिदयुक्तमश्लीलमाकुलम् ।
प्रलपन्ति प्रतिक्षिप्तं तदप्येकान्तसम्भवात् ॥

“धर्मकीर्ति कहने हैं कि कपिलमनके खण्डनसे ही जैनदर्शनका, जो अयुक्त, अश्लील और आकुलरूप ‘किञ्चित्’ (स्यात्) का प्रलप है वह क्षिणित हो जाना है, क्योंकि उनका कथन भी एकान्तरूप सम्भव है ।”

यहाँ धर्मकीर्तिने समन्तभद्रके “सर्बधा (एकांत) के त्यागपूर्वक किञ्चित्के विधानरूप स्याद्वाद (आ० मी० १०४)” का खण्डन किया है । इस खण्डनमें “तदप्येकान्तसम्भवात्” पदका प्रयोग करके उन्होंने समन्तभद्र द्वारा प्रतिपादित स्याद्वाद लक्षणकी मीमासा की भी है ।

इसका भी उत्तर अकलकदेवने मय व्याजके निम्न प्रकार दिया है—

ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्रं परमपि च बहिर्भासिभावप्रवादश्च,
चक्रे लोकानुरोधात् पुनरपि सकलं नेति तत्त्वं प्रपेदे ।
न ज्ञाता तस्य तस्मिन् न च फलमपरं ज्ञायतेनापि किञ्चित्,
इत्यश्लीलं प्रमत्तः प्रलपति जङ्घीराकुलः व्याकुलाप्तः ॥

—न्यायविनिश्चय का० १७०

‘कोई बौद्ध विज्ञप्तिमात्र तत्त्वको मानते हैं, कोई बाह्यपदार्थके सद्भावको स्वीकार करते हैं, कोई दोनोंको लोकानुसार अगीकार करते हैं और कोई कहते हैं कि न बाह्यतत्त्व है, न आन्तरतत्त्व, तथा न उनको जाननेवाला है । और न कोई उसका फल है । ऐसा परस्परविरुद्ध बने प्रलप करते हैं । ऐसे लोगोंको अश्लील, उन्मत्त, जङ्घुडि और आकुल कहा जाना चाहिए ।’

धर्मकीर्ति केवल स्याद्वादपर आशेष करके ही मीन नहीं रहे, किन्तु ‘स्याद्वाद’के वाच्य ‘अनेकांत’के खण्डनपर भी उन्होंने कलम चलाई है । यथा—

सर्वस्थोभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृतेः ।
चोदितो दधि खादेति किमुष्टं नाभिधावति ॥

—प्र० वा० १-१८३

‘यदि सब पदार्थ उभयरूप (अनेकान्तात्मक) हैं तो उनमें कुछ भेद न होनेके कारण किमीको ‘दही खा’ कहनेपर वह ऊँटको खानेके लिए क्यों नहीं दौडता ?

यहाँ धर्मकीर्तिने जिस उपहास एवं व्यंग्यके साथ समन्तभद्र द्वारा प्रतिपादित स्याद्वादके वाच्य अनेकान्त-की खिल्ली उड़ाई है, अकलकदेवने भी उसी उपहासके साथ धर्मकीर्तिको उत्तर दिया है । यथा—

दध्युष्ट्रादेरभेदत्वप्रसंगादेकचोदनम् ।
 पूर्वपक्षमविज्ञाय दूषकोपि विदूषकः ॥
 सुगतोऽपि मृगो जातो मृगोऽपि सुगतः स्मृतः ।
 तथापि सुगतो बन्धो मृग स्याद्यो यथेष्यते ॥
 तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदव्यवस्थितेः ।
 चोदितो दधि खादेति किमुष्ट्रमभिधावति ॥

—न्या० वि० ३७२, ३७३, ३७४ ।

“दही और ऊँटको एक बतलाकर दोष देना धर्मकीतिका पूर्वपक्ष (अनेकान्त) को न समझना है वे दूषक (दूषण प्रदर्शक) होकर भी विदूषक—दूषक नहीं, उपहासके ही पात्र हैं, क्योंकि सुगत भी पूर्व पर्यायमे मृग थे और वह मृग भी सुगत हुआ, फिर भी सुगत बदनीय एवं मृग भक्षणीय कहा गया है।”

इस तरह सुगत एव मृगमे पर्याय भेदसे जिस कार क्रमशः बंदनीय एवं भक्षणीयका भेद तथा एक चित्तसंतानकी अपेक्षासे उनमें अभेदकी व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार वस्तु बल (प्रतीतिबल) से सभी पदार्थोंमें भेद और अभेद दोनोंकी व्यवस्था है। अतः किमीको ‘दही खा’ कहने पर वह ऊँटको खानेके लिए क्यों दौड़ेगा, क्योंकि सत्सामान्यकी अपेक्षामें उनमें अभेद होनेपर भी पर्याय (पृथक्-पृथक् प्रत्ययके विषय की अपेक्षासे उनमें स्पष्टतया भेद है। सजा भेद भी है। एकका नाम दही है और दूसरेका नाम ऊँट है, तब जिसे दही खानेको कहा वह दही ही खायेगा, ऊँटको नहीं, क्योंकि दही भक्षणीय है, ऊँट भक्षणीय नहीं। जैसे सुगत बदनीय एवं मृग भक्षणीय हैं। यही वस्तुव्यवस्था है। भेदाभेद (अनेकान्त) तो वस्तुका स्वरूप है। उसका अपलाप नहीं किया जा सकता” ।

यहाँ अकलंकने धर्मकीतिके आक्षेपका शालीन किन्तु उपहास पूर्वक, चुभने वाला करारा उत्तर दिया है। यह विदित है कि बौद्ध परम्परामें आप्तरूपमे मान्य सुगत पूर्व जन्ममें मृग थे, उस समय वे मांस भक्षियोंके भक्ष्य थे, किन्तु जब वही पूर्व पर्यायिका मृग मरकर सुगत हुआ, तो वह बदनीय हो गया। इस प्रकार एक चित्तसंतानकी अपेक्षा उनमें अभेद है। और मृग तथा सुगत इन दो पूर्वापर पर्यायोंकी अपेक्षा से उनमें भेद है।

इस प्रकार जगतकी प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्षदृष्ट भेदाभेदको लिए हुए है। और यही अनेकान्त है, कोई वस्तु हम अनेकान्तकी अवहेलना नहीं कर सकती।

इस तरह अकलंकदेवने विभिन्न वादियों द्वारा स्याद्वाद और अनेकान्तपर किये गये आक्षेपोंका सयुक्तिक परिहार किया।

नव निर्माण

अकलंकदेवका दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य नवनिर्माण है। जैनन्यायके जिन आवश्यक तत्त्वोंका विकास और प्रतिष्ठा अब तक नहीं हो पायी थी, उसकी उन्होंने प्रतिष्ठा की। इसके हेतु उन्होंने जैनन्यायके निम्न चार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की—

- १—न्यायविनिश्चय (स्वोपज्ञवृत्ति सहित),
- २—सिद्धिविनिश्चय (स्वोपज्ञवृत्ति सहित),
- ३—प्रमाणसंग्रह (स्वोपज्ञवृत्ति सहित),
- ४—लघीयस्त्रय (स्वोपज्ञवृत्ति समन्वित)।

बौद्ध परम्परामे जिस प्रकार धर्मकीर्तिने बौद्धदर्शन और बौद्धन्यायको प्रमाणवातिक, प्रमाणविनिश्चय जैसे कारिकात्मक ग्रन्थोंका निर्माणकर निबद्ध किया है उसी प्रकार अकलंकदेवने भी जैनदर्शन और जैन-न्यायको इन चार कारिकात्मक ग्रन्थों द्वारा निबद्ध किया है। न्यायविनिश्चय मे ४३०, सिद्धि-विनिश्चयमे ३६७, प्रमाणसंग्रहमे ८७ और लघोयस्त्रयमे ७८ कारिकायें हैं। चारों ग्रन्थोंकी कुल कारिकायें ९६२ हैं। प्रत्येक कारिका सूत्रात्मक, बहुवर्णगर्भ और गम्भीर है। चारों ग्रन्थ अत्यन्त क्लिष्ट, दुरवगाह और दुःसूह हैं। चारों पर उनकी स्वोपश्रुतियाँ हैं, ये श्रुतियाँ भी अत्यन्त कठिन हैं। हर्षकी वान है कि इन चारों पर वैदुष्यपूर्ण व्याख्याएँ भी लिखी गई हैं। न्यायविनिश्चय पर स्याद्वादविद्यापति वादिराज (ई० १०२५) ने न्यायविनिश्चयालंकार अपर नाम न्यायविनिश्चयविवरण, सिद्धिविनिश्चय पर तात्त्विक िरोमणि बृहदन्त-वीर्य (ई० ८५०) ने सिद्धिविनिश्चयालंकार तथा इन्होंने ही प्रमाणसंग्रह पर प्रमाणसंग्रहभाष्य और आचार्य माणिक्यनदि (ई० १०२८) के शिष्य आचार्य प्रभाचन्द्र (१०४३) ने लघोयस्त्रय पर लघोयस्त्रया-लंकार अपर नाम न्यायकुमुदचन्द्र नामकी विस्तृत एव प्रौढ़ टीकायें लिखी हैं। इनमे प्रमाणसंग्रहभाष्य अनुपलब्ध है। शेष तीनों टीकायें उपलब्ध हैं, और अपने मूलके साथ भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्लीसे प्रकाशित हैं। इन तीनोंका सुयोय सम्पादन स्व० प० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्यने किया है। प्रमाणसंग्रहभाष्यका उल्लेख स्वयं अनन्तवीर्यने अपने सिद्धिविनिश्चयालंकारमे अनेक स्थलों पर विस्तृत जाननेके लिए किया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रमाणसंग्रहभाष्य भी एक विस्तृत टीका ग्रन्थ रहा है।

अकलंकदेवने इन चारों तर्कग्रन्थोमे अन्य तार्किकोंकी एकात्मन्यायताओंकी कड़ी तथा मर्मस्पर्शी समीक्षा की है। जैनदर्शनमे मान्य प्रमाण, नय और निक्षेपके स्वरूप, उनके भेद, विषय तथा प्रमाणफलका विवेचन विशदतया किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षके साध्यबह्वारिक और मुख्य इन दो प्रकारोंकी प्रतिष्ठा, परोक्ष-प्रमाणके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम इन पांच भेदोंका निर्धारण, उनकी सयुक्तिक सिद्धि, उनके लक्षणोंका प्रणयन तथा इन्हीं परोक्षभेदोंमे उपमाल, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव आदि अन्य तार्किकोंके स्वीकृतप्रमाणोंका अन्तर्भाव, सर्वज्ञकी विविध युक्तिओंसे विशेष सिद्धि, अनुमानके साध्य-साधन अङ्गोंके लक्षण और भेदोंका विस्तृत निरूपण, कारण हेतु, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर आदि अनिवार्य नये हेतुओंकी प्रतिष्ठा अन्यथानुपपत्तिके अभावसे एक अकिञ्चित्कर हेत्वाभासका स्वीकार और उसके भेदरूपसे असिद्धादि हेत्वाभासोंका प्रतिपादन, बादका लक्षण, जय पराजय-व्यवस्था, दृष्टात, धर्मों, जाति और निग्रह-स्थानके स्वरूप आदिका कितना ही नया प्रतिष्ठापन करके जैन न्यायको अकलंक देखने न केवल समृद्ध एवं परिपुष्ट किया, अपितु उन्हें भारतीय दर्शनों एव न्यायोंमें प्रतिष्ठित एव गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया, जैसा बौद्धदर्शन और बौद्धन्यायको धर्मकीर्तिने दिया। अतः अकलंकको जैनदर्शन और जैनन्यायके मध्य-कालका प्रतिष्ठापक और इस कालको अकलंककाल कहा जा सकता है।

अकलंकके इस कार्यको उत्तरवर्ती जैन दार्शनिकों एवं जैन नैयायिकोंने गति प्रदान की, वीरसेन, हरिभद्र, कुमारदि, विद्यानद, अनन्तवीर्यप्रथम, वादीभस्मिह, वादिराज, माणिक्यनदि आदि मध्ययुगीन जैन तार्किकोंने उनके कार्यको निश्चय ही अगे बढ़ाया और उसे यशस्वी एवं प्रभावपूर्ण बनाया। अकलंकके गम्भीर और सूत्रात्मक निरूपण तथा चिन्तनको इन तार्किकोंने अपने ग्रन्थोंमे सुपुष्ट और विस्तृत किया है। वीरसेनकी सिद्धान्त एवं तर्क-बहुला धवला-जयधवला टीकाएँ, हरिभद्रकी अनेकान्तजयपताका, शास्त्रवार्ता-समुच्चय, बादन्यायविक्रम कुमारनदिका वादन्याय, विद्यानदके विद्यानदमहोदय, तत्त्वार्थश्लोकवातिक और उसका भाष्य, अष्टसहस्री, आन्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्य-शासन परीक्षा, युक्त्यनुशासनालंकार,

१२ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

अनतवीर्यं प्रथमकी सिद्धिविनिश्चय टीका व प्रमाणसंग्रहभाष्य, वादिराजके न्याय-विनिश्चयविवरण एव प्रमाणनिर्णय, वादीभसिंहकी स्याद्वादसिद्धि और माणिक्यनदिका परोक्षामुख अकलकके वाङ्मयसे पूर्णतया प्रभावित एवं उसके आभारी तथा उल्लेखनीय तार्किक रचनायें हैं, जिन्हें मध्यकालकी महत्त्वपूर्ण वेन कहा जा सकता है ।

३. अन्त्यकाल अथवा प्रभाचन्द्रकाल

यह काल जैन न्यायके विकासका अन्तिम काल है । इस कालमें मौलिक ग्रन्थोंके निर्माणकी क्षमता कम हो गई और व्याख्या-ग्रन्थोंका निर्माण मुख्य हो गया । यह काल तार्किक ग्रन्थोंके सफल और प्रभावशाली व्याख्याकार जैन तार्किक प्रभाचन्द्रसे आरम्भ होता है । उन्होंने इस कालमें अपने पूर्वज जैन दार्शनिकों एव तार्किकोंका अनुगमन करते हुए जैन न्यायके दो ग्रन्थों पर जो विशालकाय व्याख्याग्रन्थ लिखे हैं, वे अतुलनीय हैं । उत्तर कालमें उन जैसे व्याख्याग्रन्थ नहीं लिखे गये । अतएव इस कालको प्रभाचन्द्र काल कहा जाय तो अत्युचित नहीं होगा । प्रभाचन्द्रने अकारकदेवके लघीयस्त्रय पर लघीयस्त्रयालकार अपर नाम न्यायकुमुदचन्द्र व्याख्या ग्रन्थ लिखा है । न्यायकुमुदचन्द्र वस्तुन न्यायरूपी कुमुदोको विकसित करनेवाला चन्द्र है । इसमें प्रभाचन्द्रने अकलकके लघीयस्त्रयकी कारिकाओं और उसकी स्वोपज्ञवृत्ति तथा उनके दुर्बुध पदवाक्यादिकोंकी विशद एव विस्तृत व्याख्या तो का ही है, किन्तु प्रसंगोपात्त विविध तार्किक चर्चाओं द्वारा अनेक अनुद्घाटित तथ्यों एव प्रियया पर भी नया प्रकाश डाला है । इसी तरह उन्होंने अकलकके वाङ्मय मथनसे प्रसूत माणिक्यनदिके आद्य जैन न्यायसूत्र परोक्षामुख पर जिसे लघु अनतवीर्यने 'न्यायविद्यामृत' कहा है, परोक्षामुखालकार अपरनाम प्रमेयकमलमानण्ड नामकी प्रमेयबहुला एव तर्कगर्भा व्याख्या रची है । इस व्याख्यामें भी प्रभाचन्द्रने अपनी तर्कबुद्धि प्रतिभाका पूरा उपयोग किया है । परोक्षामुखके प्रत्येक सूत्रका विस्तृत एव विशद व्याख्यान किया है । इसके साथ ही अनेक शकाओंका समुचित समाधान किया है । मनीषियोंको यह व्याख्याग्रन्थ इतना प्रिय है कि वे जैनदर्शन और जैनन्याय सम्बन्धी प्रश्नोंके समाधानके लिए इसे बड़ी रुचिके साथ पढ़ते हैं और उसे प्रमाण मानते हैं ।

वस्तुतः प्रभाचन्द्रके ये दोनों व्याख्याग्रन्थ मूल जैसे ही हैं, जो उनकी अमोघतर्कणा और उनके उज्ज्वल यशको प्रसूत करते हैं ।

प्रभाचन्द्रके कुछ ही काल बाद अभयदेवने सिद्धसेन प्रथमके सन्मत्तिसूत्र पर विस्तृत सन्मतितर्कटीका लिखी है । यह टीका अनेकाल और स्याद्वाद पर विशेष प्रकाश डालती है । देवसूरिका स्याद्वादरत्नाकर अपरनाम प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार टीका भी उल्लेखनीय है । ये दोनों व्याख्याएँ प्रभाचन्द्रकी उपयुक्त व्याख्याओंसे प्रभावित एव उनकी आभारी हैं । प्रभाचन्द्रकी तर्क पद्धति और शैली इन दोनोंमें परिलक्षित है ।

इन व्याख्याओंके सिवाय इस कालमें लघु अनतवीर्यने परोक्षामुखपर मध्यम परिमाणकी परोक्षामुखवृत्ति अपरनाम प्रमेयरत्नमालाकी रचना की है । यह वृत्ति मूलसूत्रों के अर्थको तो व्यक्त करती ही है, सूष्टिकर्ता जैसे वादग्रस्त विषयों पर भी अच्छा एव विवाद प्रकाश डालती है । लघीयस्त्रय पर लिखी अभयचन्द्रकी तात्पर्यवृत्ति, हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमांसा, मल्लिषेणकी स्याद्वादमञ्जरी, पण्डित आशाधरका प्रमेयरत्नाकर, भावसेनका विद्वतत्वप्रकाश, अजितसेनकी न्यायमणिदीपिका, अभिनवधर्मभूषणयतिकी न्यायदीपिका, नरेन्द्रसेनकी प्रमाणप्रमेयकलिका, विमलदासकी सप्तभङ्गीतरङ्गणी, चास्कीति भूटारककी अर्थप्रकाशिका तथा प्रमेयरत्नालकार, यशोविजयके अष्टसहस्रीविवरण, जैन तर्कभाषा और ज्ञान बिन्दु इसकालकी उल्लेखनीय तार्किक रचनाएँ हैं । अन्तिम तीन तार्किकोंने अपनी रचनाओंमें नव्यन्यायशैलीको भी अपनाया है, जो बारहवीं

शतीके विद्वान् गङ्गेश उपाध्यायसे उद्भूत हुआ और विष्णुके तीन-चार दशक तक अध्ययन, अध्यापनमें विद्यमान रहा। इसके बाद जैन न्यायका कोई मौलिक या व्याख्याग्रन्थ लिखा गया हो, यह ज्ञात नहीं। फलतः उत्तरकालमें जैनन्यायका प्रवाह अवरुद्ध हो गया।

इस बीसवीं शताब्दीमें अवश्य कतिपय जैन दार्शनिक एवं जैन नैयायिक हुए, जो उल्लेखनीय हैं। इन्होंने प्राचीन आचार्यों द्वारा लिखित जैनदर्शन और जैन न्यायके ग्रन्थोंका न केवल अध्ययन-अध्यापन किया, अपितु उनका राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अनुवाद एवं सम्पादन भी किया है। साथमें उनकी अनुसंधान पूर्ण विस्तृत प्रस्तावनाएँ भी लिखी हैं, जिनमें ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारके ऐतिहासिक परिचयके अतिरिक्त ग्रन्थगत विषयोंका भी तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक आकलन प्रस्तुत किया गया है।

उदाहरणके लिए सन्त प्रवर न्यायाचार्य श्री गणेशप्रसाद वर्णी, न्यायाचार्य पं० माणिक्यचंद कौन्देय, पं० सुखलाल संघवी, डॉ० पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, पं० दलसुख मालवणिया और प्रस्तुत आलेखके लेखक (डॉ० पं० दरबारीलाल कोठिया) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वर्णीजीने अनेक छात्रोंको जैनदर्शन एवं न्यायमें प्रशिक्षित किया, श्री कौन्देयने आचार्य विद्यामंथके तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक भाष्यका सात खण्डोंमें हिन्दी रूपान्तर किया है। श्री संघवीने प्रमाणमीमांसा, ज्ञानबिन्दु, सन्मतितर्क, जैनतर्कभाषा आदि तर्क ग्रन्थोंका वैदुष्यपूर्ण सम्पादन व उनकी प्रस्तावनाएँ लिखी हैं। डॉ० पं० महेन्द्रकुमारने न्यायविनिश्चय-विवरण, सिद्धिविनिश्चयटीका, न्यायकुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलमातण्ड, अकलकग्रन्थत्रय, तत्त्वार्थवार्तिक भाष्य, तत्त्वार्थ-वृत्ति आदिका विद्वत्तापूर्ण सम्पादन एवं उनकी अनुसन्धानपूर्ण प्रस्तावनाएँ लिखी हैं। श्री मालवणियाने “आगमयुगका जैनदर्शन” आदिका लेखन-सम्पादन किया है। डॉ० कोठियाने न्यायदीर्षिका, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्र परीक्षा, स्याद्वादसिद्धि, प्रमाणप्रमेयकलिका, ब्रह्मसंग्रह आदि ग्रन्थोंका सम्पादन एवं हिन्दी अनुवाद किया तथा उनकी शोधपूर्ण विस्तृत प्रस्तावनाएँ उनके साथ निबद्ध की हैं। इसके अतिरिक्त “जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान विचार, जैनदर्शन और प्रमाणशास्त्र परिशीलन, जैन तत्त्वज्ञानमीमांसा आदि मौलिक रचनाएँ भी हिन्दीमें प्रस्तुत की हैं।” पं० कैलाशचन्द्र शास्त्रीका जैनन्याय भी उल्लेखनीय है।

इस प्रकार जैन ताकिकोंने अपनी ताकिक रचनाओं द्वारा जैन वाङ्मयके भण्डारको समृद्ध किया है। और जैन न्यायका उल्लेखनीय विकास किया।



जैनदार्शनिक साहित्य

• डॉ० महेश्वरकुमार जैन व्यायाचार्य

इस प्रकारमे प्रमुख रूपसे उन प्राचीन जैनदार्शनिकों और मूल जैनदर्शनग्रन्थोंका नामोल्लेख किया गया, जिनके ग्रन्थ किसी भंडारमें उपलब्ध हैं तथा जिनके ग्रन्थ प्रकाशित हैं। उन ग्रन्थों और ग्रन्थकारोंका निर्देश भी यथासंभव करनेका प्रयत्न करेगे, जिनके ग्रन्थ उपलब्ध तो नहीं हैं, परन्तु अन्य ग्रन्थोंमें जिनके उद्धरण पाये जाते हैं या निर्देश मिलते हैं। इसमें अनेक ग्रन्थकारोंके समयकी शताब्दी आनुमानिक हैं और उनके पौर्वापर्यमें कही व्यत्यय भी हो सकता है, पर यहाँ तो मात्र इस बातकी चेष्टा की गई है कि उपलब्ध और सूचित प्राचीन मूल दार्शनिक साहित्यका सामान्य निर्देश अवश्य हो जाय।

द्विगम्बर आचार्य^१

उमास्वाति—(वि० १-३ री)	तत्त्वार्थसूत्र	प्रकाशित
समन्तभद्र (वि० २-३ री)	आप्तमीमासा मुक्त्यनुशासन बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र जीवसिद्धि	प्रकाशित " " 'पार्ष्वनाथचरित'में वाविराजद्वारा उल्लिखित
सिद्धसेन (वि० ४-५वी)	सन्मतितर्क (कुछ द्वार्त्रिघातिकाएँ)	प्रकाशित "
देवनन्दि (वि० ६वी)	सारसग्रह	धवला-टीकामें उल्लिखित
श्रीधन (वि० ६वी)	जल्पनिर्णय	तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमें विद्यानन्द- द्वारा उल्लिखित।
सुमति (वि० ६वी)	सन्मतितर्कटीका सुमतिसप्तक	पार्ष्वनाथचरितमें वाविराजद्वारा उल्लिखित मल्लिवेण-प्रद्यस्तिसमें निर्दिष्ट
[इन्हीका निर्देश शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रहमें 'सुमतेद्विगम्बरस्य'के रूपमें है]		
पात्रकेसरी (वि० ६वी)	त्रिलक्षणकदर्शन पात्रकेसरी-स्तोत्र	अनन्तवीर्याचार्य द्वारा सिद्धिबिनि- श्चय टीकामें उल्लिखित प्रकाशित
[इन्हीका मत शान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रहमें 'पात्रस्वामि'के नामसे दिया है।]		
वाविसिंह (६-७वी)		वाविराजके पार्ष्वनाथचरित और जिनसेनके महापुराणमें स्मृत
अकलंकदेव (वि० ७००)	लघीयस्त्रय (स्वयुतिसहित) न्यायविनिश्चय	प्रकाशित (अकलंकस्त्रयत्रयमें) प्रकाशित

१. श्वीवर्षाग्रन्थमाला, बनारसमें संकलित ग्रन्थ-सूचीके आधारसे।

अकलंकदेव (वि० ७००)	(न्यायविनिश्चय- विवरणसे उद्धृत) प्रमाणसंग्रह सिद्धिविनिश्चय (सिद्धिविनिश्चय- टीकासे उद्धृत), अष्टशती (आप्तमीमांसाकी टीका) प्रमाणलक्षण (?) तत्त्वार्थवार्तिक (तत्त्वार्थसूत्रकी टीका)	(अकलङ्कग्रन्थभयमें) प्रकाशित (अकलङ्कग्रन्थभयमें) प्रकाशित प्रकाशित मैसूरकी लाइब्रेरी तथा कोबीन- राज पुस्तकालय तिरुपुण्डिचणमें उपलब्ध प्रकाशित
[जिनदासने निषीयञ्चणमें इन्हीके सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख दर्शनप्रभावक शास्त्रोमे किया है ।]		
कुमारसेन (वि० ७७०)	वादन्याय	जिनसेन द्वारा महापुराणमें स्मृत विद्यानन्द द्वारा प्रमाणपरीक्षामें उल्लिखित
कुमाररन्दि (वि० ८वी)	स्वाद्वादसिद्धि नवपदार्थनिश्चय	प्रकाशित मूडबित्री भारतमें उपलब्ध
वादीभसिंह (वि० ८वी)	सिद्धिविनिश्चयटीका	रविभद्रपादोपजीवी अनन्तवीर्य- द्वारा सिद्धिविनिश्चयटीकामें उल्लिखित
अनन्तवीर्य (वृद्ध) (वि० ८-९वी)		
अनन्तवीर्य रविभद्रपादोपजीवी (९वीं)	सिद्धिविनिश्चयटीका अष्टसहस्री (आप्तमीमांसा-अष्ट- शतीकी टीका) तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक (तत्त्वार्थसूत्रकी टीका), युक्त्यनुशासनालङ्कार, विद्यानन्दमहोदय	प्रकाशित प्रकाशित " " तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमें स्वयं निर्विष्ट तथा वाविदेवसूरि द्वारा स्वाद्वाद- रत्नाकरमें उद्धृत
	आप्तपरीक्षा प्रमाणपरीक्षा पात्रपरीक्षा	प्रकाशित प्रकाशित ,, आप्तपरीक्षाके साथ

१६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

विद्यानन्द (वि० ९वीं)	सत्यशासनपरीक्षा श्रीपुरपाश्र्वर्चनाथस्तौत्र पंचमप्रकरण	प्रकाशित प्रकाशित अप्रकाशित जैनमठ श्रवणबैल्लगोलामे उपलब्ध (मैसूरकुर्गसूची नं २८०३) प्रकाशित
	नयविवरण (?) (त० श्लोकवा० का अंश)	
अनन्तकीर्ति (१०वी)	जीवसिद्धिटीका	वादिराजके पाश्र्वर्नाथचरितमे उल्लिखित प्रकाशित
	बृहत्संबंज्ञसिद्धि लघुसंबंज्ञसिद्धि	" "
देवसेन (९९० वि०)	नयचक्रप्राकृत आलापपद्धति	प्रकाशित "
वसुनन्दि (१९वी, ११वी)	आप्तमीमासावृत्ति	"
माणिक्यनन्दि (वि० ११वीं)	परीक्षामुख	"
सोमदेव (वि० ११वी)	स्याद्वादोपनिषत्	दानपत्रमे उल्लिखित, जैन माहिल्य और इतिहास पृ० ८८
वादिराज सूरि (वि० ११वीं)	न्यायविनिश्चयविवरण प्रमाणनिर्णय	प्रकाशित "
माहल्ल घवल (वि० ११वीं)	द्रव्यस्वभावप्रकाश प्राकृत	प्रकाशित
प्रभाचन्द्र (वि० ११-१२वी)	प्रमेयकमलमार्तण्ड (परीक्षामुख-टीका) न्यायकुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रय-टीका), परमतसंज्ञानिल	" " जैन गुरु चित्तापुर आरकाट नाथके पास
अनन्तवीर्य (वि० १२वी)	प्रमेयरत्नमाला (परीक्षामुख-टीका)	प्रकाशित
भावसेन त्रैविद्य (वि० १२-१३वी)	विश्वतत्त्वप्रकाश	स्याद्वाद विद्यालय बनारसमे उपलब्ध
लघुसमन्तभद्र (१३वीं)	अष्टसहस्री-टिप्पण	प्रकाशित
आशाधर (वि० १३वीं)	प्रमेयरत्नाकर	आशाधर-प्रशास्तिमें उल्लिखित
शान्तिषेण (वि० १३वी)	प्रमेयरत्नाकर	जैन सिद्धान्त-भवन, आरा
जिनदेव धर्मभूषण (वि० १५वीं)	कारुण्यकालिका न्यायबीपिका	न्यायबीपिकामें उल्लिखित प्रकाशित

शक्तिसेन

विमलदास

शुभचन्द्र

शुभचन्द्रदेव

शान्तिवर्षा

शास्कीति पंडिताचार्य

नरेन्द्रसेन

सुस्तप्रकाश मुनि

अमृतानन्द मुनि

सम्भनाकन्द

जगन्नाथ (१७०३ वि०)

बखनन्द

प्रवरकीति

अमरकीति

नेमिचन्द्र

मणिकण्ठ

शुभप्रकाश

अज्ञातकर्तृक

अज्ञातकर्तृक

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

न्यायमणिदीपिका

(प्रमेयरत्नमाला-टीका)

सप्तभङ्गीतरङ्गिणी

संशयवदनविचारण

बह्वर्शनप्रमाणप्रमेयसंग्रह

परीक्षामुखवृत्ति

प्रमेयकण्ठिका

(परीक्षामुखवृत्ति)

प्रमेयरत्नलाङ्कार

प्रमाणप्रमेयकलिका

न्यायदीपावलि टीका

न्यायदीपावलिबिबेक

तत्त्वदीपिका

केवलभुक्तिनिराकरण

प्रमाणग्रन्थ

तत्त्वनिश्चय

समयपरीक्षा

प्रवचनपरीक्षा

न्यायरत्न

न्यायमकरन्दविवेचन

बह्वर्शन

श्लोकवार्तिकटिप्पणी

बह्वर्शनप्रपञ्च

प्रमेयरत्नमालालघुवृत्ति

अर्थव्यञ्जनपर्याय-विचार

स्वमतस्थापन

सृष्टिवाद-परीक्षा

सप्तभङ्गी

व्यस्ततर्क

सम्भक्षणाख्यान

प्रमाणसिद्धि

प्रमाथपद्यार्थ

प्रथमतस्तत्त्व

जैन सिद्धान्त-भवन, आरामें

उपलब्ध

प्रकाशित

”

प्रधास्तिसंग्रह, वीर सेवा मन्दिर,
विल्की

जैनमठ, मूडबिद्रीमें उपलब्ध

जैन सिद्धान्त-भवन, आरामे

उपलब्ध

” ”

प्रकाशित

जैनमठ, मूडबिद्रीमें उपलब्ध

” ”

जैनमठ, मूडबिद्रीमें उपलब्ध

अयपुर तेरापथी मन्दिरमें उपलब्ध

धवलकवि द्वारा उल्लिखित

जैनमठ, मूडबिद्रीमें उपलब्ध

हुम्मच गाणगणि, पुठ्यामें उपलब्ध

जैन सिद्धान्त-भवन, आरामे

”

”

पद्मनाभशास्त्री, मूडबिद्रीके पास
उपलब्ध

जैनमठ, श्रवणवेलगोलामे उपलब्ध

जैन भवन, मूडबिद्रीमें उपलब्ध

मन्नास सूची नं० १५७४

” ” १५५७

जैनमठ, मूडबिद्री

” ”

” ”

” ”

” ”

” ”

” ”

” ”

१८ : डॉ० महिन्द्रकुमार जीने न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

अज्ञातकार्यक	न्यायामृत	जैनमठ, मूबिद्री
"	नयसंधह	" "
"	नयलक्षण	" "
"	न्यायप्रमाणभेदी	जैन सिद्धान्त भवन, आरा
"	न्यायप्रदीपिका	" "
"	प्रमाणनयग्रन्थ	" "
"	प्रमाणलक्षण	" "
"	मतसंभेदनवाद	" "
"	विशेषवाद	बम्बई सूची न० १६१२
	द्वैतान्तर आचार्य^१	
उमास्वाति (वि० ३री)	तत्त्वार्थसूत्र स्वोपज्ञ भाष्य	प्रकाशित
सिद्धसेन विद्याकर (वि० ५-६वी)	न्यायायतार	प्रकाशित
	कुछ द्वानिघातिकाएँ	"
मल्लवादि (वि० ६वी)	नयचक्र (द्वावशार)	प्रकाशित
	सन्मतितर्कटीका	अनेकान्तजयपताकामे उल्लिखित
हरिभद्र (वि० ८वी)	अनेकान्तजयपताका सटीक	प्रकाशित
	अनेकान्तवाद प्रवेश	"
	षड्दर्शनसमुच्चय	"
	शास्त्रवार्ताममुच्चय सटीक,	"
	न्यायप्रवेश-टीका	"
हरिभद्र	धर्मसंग्रहणी,	प्रकाशित
	लोकतत्त्वनिर्णय	"
	अनेकान्त प्रघट्ट	जैनग्रन्थ ग्रन्थकार सूचीसे
	तत्त्वतरङ्गिणी,	"
	त्रिभङ्गीसार	"
	न्यायावतारवृत्ति	"
	पञ्चलिङ्गी	"
	द्विजवदनचपेटा	"
	परलोकसिद्धि	"
	वेदबाह्यतानिराकरण	"
	सर्वज्ञसिद्धि	"
	स्याद्वादकुचोद्यपरिहार	"
शाकटायन	स्त्रीमुक्तिप्रकरण	जैन साहित्य सशोधकमे
(पाल्यकीर्ति) (वि० ९वी)	केवलमुक्तिप्रकरण	प्रकाशित
(बापनीय)		

१. 'जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकार' के आधारसे ।

सिद्धधि (वि० १०वी)	न्यायावतार-टीका	प्रकाशित
अभयदेव सूत्रि (वि० ११वी)	सन्मतिटीका (वादमहार्णव)	प्रकाशित
जिनेश्वरसूत्रि (वि० ११वी)	प्रमालक्ष्य सटीक	प्रकाशित
	पञ्चलिङ्गीकरण	"
शान्तिसूत्रि	न्यायावतारवातिक संवृत्ति	प्रकाशित
(पूर्णतल्लगच्छीय) (वि० ११वी)		
मुनिचन्द्रसूत्रि (वि० २वी)	अनेकात्तजमयसाकन-भृतिटिप्पण	प्रकाशित
वादिदेवसूत्रि (१२वी सवी)	प्रमाणयत्तत्त्वान्नेकात्तल्लङ्कार	प्रकाशित
	स्याद्वावरलाकर	"
हेमचन्द्र	प्रमाणमीमासा	प्रकाशित
(पूर्णतल्लगच्छ) (वि० १२वी)	अन्ययोगव्यवच्छेदिका	"
	वादानुशासन	(अनुपलम्ब)
	वेदाकुश	प्रकाशित
	जीवानुशासन	प्रकाशित
देवसूत्रि		
(वीरचन्द्रशिष्य) (वि० ११६२)		
श्रीचन्द्रसूत्रि (वि० १२वी)	न्यायप्रवेशहरिभद्रवृत्तिपण्डिका	प्रकाशित
देवभद्रसूत्रि	न्यायावतारटिप्पण	"
(मलघारि श्रीचन्द्र शिष्य)		
(वि० १२वी)		
मलयगिरि (वि० १३)	धर्मसंग्रहणीटीका	प्रकाशित
चन्द्रसेन	उत्पादाधिसिद्धि सटीक	"
(प्रद्युम्नसूत्रि शिष्य) (वि० १३वी)		
आनन्दसूत्रि	सिद्धान्तार्णव	अनुपलब्ध
अमरसूत्रि (सिंहव्याघ्रशिष्य)		
रामचन्द्रसूत्रि	न्यतिरेकद्वान्त्रिशिका	प्रकाशित
(हेमचन्द्र शिष्य) (१३ वीं)		
मल्लवादि (१३ वी)	धर्मोत्तरटिप्पणक	प० दक्षमुत्तरार्द्धके पास
प्रद्युम्नसूत्रि (१३ वी)	वाकस्थल	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें सूचित
जिनपतिसूत्रि (१३ वी)	प्रबोधवाकस्थल	" "
रत्नप्रभसूत्रि (१३ वी)	स्याद्वावरलाकरावतारिका	प्रकाशित
देवभद्र (१३ वी)	प्रमाणप्रकाश	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें सूचित
नरचन्द्रसूत्रि	न्यायकण्ठीटीका	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें सूचित
(देवप्रभ शिष्य) (१३ वी)		
अभयतिलक (१४ वी)	पञ्चप्रस्थन्यायतर्कव्याख्या	" "
	तर्कन्यायसूत्रटीका	" "
	न्यायलकारवृत्ति	" "

२० : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

मल्लिषेण (१४ वीं)	स्याद्वादमञ्जरी	प्रकाशित
सोमतिलक (वि० १३९२)	षड्दर्शनटीका	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें सूचित
राजशेखर (१५ वीं)	स्याद्वादकलिका	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें सूचित
	रत्नाकरावतारिका	
	पञ्जिका	प्रकाशित
	षड्दर्शनसमुच्चय	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें सूचित
	न्यायकन्दलीपञ्जिका	
ज्ञानचन्द्र (१५ वीं)	रत्नाकरावतारिकाटिप्पण	प्रकाशित
जयसिंहसूरि (१५ वीं)	न्यायसारदीपिका	प्रकाशित
मेस्तुङ्ग	षड्दर्शननिर्णय	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें सूचित
(महेन्द्रसूरि शिष्य) (१५ वीं)		
गुणरत्न (१५ वीं)	षड्दर्शनसमुच्चयकी	प्रकाशित
	तर्करहस्यदीपिका	
भुवनसुन्दरसूरि (१५ वीं)	परब्रह्मोत्थापन	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें
	लघु-महाविद्याविहम्बन	„
	जल्पमञ्जरी	„
सत्यराज	वादविजयप्रकरण	„
सुषानन्दगणेशिष्य (१६ वीं)	हेतुषर्धानप्रकरण	„
साधुविजय (१६ वीं)	दर्शनरत्नाकर	„
	न्यायरत्नावली	„
सिद्धान्तसार (१६ वीं)	तर्कभाषावातिक	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें
दयारत्न (१७ वीं)	स्याद्वादमाला	प्रकाशित
शुभविजय (१७ वीं)	षट्त्रिंशत्तजल्पविचार	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें
	नयकारिका	प्रकाशित
भाबविजय (१७वीं)	षट्त्रिंशत्तजल्पसंक्षेप	जैनग्रन्थ ग्रन्थकारमें
विनयविजय (१७ वीं)	अष्टसहस्रीविवरण	प्रकाशित
यशोविजय (१८वीं)	अनेकान्तव्यवस्था	„
	ज्ञानविन्दु (नव्यशैलीमें)	„
	जैनतर्कभाषा	„
	देवधर्मपरीक्षा	„
	द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशतिका,	„
	धर्मपरीक्षा	„
	नयप्रवीप	„
	नयोपदेश	प्रकाशित
	नवरत्नस्य	„

यशोविजय (१८वी)	न्यायसम्बन्धसाध (नव्यशैली)	प्रकाशित
	न्यायालोक	"
	भाषारहस्य	"
	शास्त्रवार्तासमुच्चयटीका	"
	उत्पादव्ययश्रीव्यसिद्धि टीका	"
	ज्ञानार्णव	"
	अनेकान्त प्रवेश	"
	गुरुत्वविनिश्चय	"
	आत्मख्याति	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें
	तत्त्वलोकविवरण	"
	त्रिसुम्बालोक	"
	द्रव्यलोकविवरण	"
	न्यायबिन्दु, प्रमाणरहस्य	"
यशोविजय	मंगलवाद, वावमाला	"
	वादमहार्णव, विविवाद	"
	वेदान्तनिर्णय	"
	सिद्धान्ततर्क परिष्कार	"
	सिद्धान्तमञ्जरी टीका	"
	स्याद्वादमञ्जूषा	"
	(स्याद्वादमञ्जरीकी टीका),	"
	द्रव्यपर्याययुक्ति	"
घशस्वत् सागर (१८वी)	जैनसप्तपदार्थी	प्रकाशित
	प्रमाणवादार्थ	जैनग्रन्थग्रन्थकारमें
	वाचार्थनिरूपण	"
	स्याद्वादमुक्तावली	प्रकाशित
भावप्रभसूरि (१८वी)	नयोपदेशटीका	प्रकाशित
मयाचन्द्र (१९वी)	ज्ञानक्रियावाद	जैनग्रन्थग्रन्थकार
पद्मविजयगणि (१९वी)	तर्कसंग्रहपक्षिका	"
शुद्धिसागर (२०वी)	निर्णयप्रभाकर	"

इत्यादि

इस तरह जैनदर्शन ग्रन्थोंका विशाल कोशामार है। इस सूचीमें संस्कृत ग्रन्थोंका ही प्रमुखरूपसे उल्लेख किया है। कन्नड भाषामें भी अनेक दर्शनग्रन्थोंकी टीकाएँ पाई जाती हैं। इन सभी ग्रन्थोंमें जैनाचार्योंने अनेकान्तबुद्धिसे बस्तुतत्त्वका निरूपण किया है, और प्रत्येक वादका खंडन करने भी उनका नयबुद्धिसे समन्वय किया है। अनेक अजैनग्रन्थोंकी टीकाएँ भी जैनाचार्योंने लिखी हैं, वे उन ग्रन्थोंके हार्दको बड़ी सूक्ष्मतासे स्पष्ट करती हैं। इति।

स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समितिके पदाधिकारी

परम संरक्षक

स्वस्तिश्री कर्मयोगी भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी
स्वस्तिश्री कर्मयोगी भट्टारक चारुकीर्ति जी
सिद्धान्ताचार्य पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य
समाजरेत्न साहू अशोककुमार जैन

मूढबिंद्री
श्रवणबेलगोला
बीना
नई दिल्ली

संरक्षक

श्री निमल कुमार सेठी
श्री देवकुमार सिंह कासलीवाल
श्री विजयकुमार मलैया
श्री रायबहादुर हरसचंद
श्री ज्ञानचंद खिन्नुका
श्री पद्मश्री बाबूलाल पाटीसी
साहू रमेशचन्द्र जैन

लखनऊ
इन्दौर
दमोह
राँची
जयपुर
इन्दौर
दिल्ली

प्रधान सम्पादक

श्री पं० डॉ० दरबारीलाल जी कोटिया न्यायाचार्य

बीना

सम्पादक मण्डल

श्री पं० हीरालाल कौशल
श्री डॉ० कस्तूरचंद्र कासलीवाल
श्री डॉ० राजाराम जैन
श्री डॉ० रतन पहाड़ी
श्री डॉ० भागचन्द्र जैन "भागेशु"
श्री डॉ० सागरमल जैन
श्री डॉ० फूलचन्द जैन 'प्रेक्षी'

दिल्ली
जयपुर
आरा
कामठी
मोपाल
वाराणसी
वाराणसी

प्रबन्ध सम्पादक

श्री बाबूलाल जैन कागुल्ल

वाराणसी

अध्यक्ष

श्रीमंत सेठ डारुचन्द जीव

सागर

उपाध्यक्ष

श्री सिन्धई जीवनकुमार
श्री सेठ मोतीलाल जैन
श्री सुरेश जैन—आय० ए० एस्०
श्रीमंत सेठ राजेन्द्रकुमार जीव

सागर
सागर
मोपाल
विधिवा

श्री जयकुमार इटोरिया	दमोह
श्री प्रकाशचन्द सिघई, एडवोकेट	दमोह
श्री सेठ लक्ष्मीचन्द जैन	दमोह
श्री संतोष जैन (बैटरीवाले)	सागर
श्री धन्यकुमार राधेलीय, एडवोकेट	कटनी
श्री सि० राकेश कुमार	बीना

कोषाध्यक्ष

श्री सुरेशचन्द चौधरी	दमोह
----------------------	------

मंत्री

श्री डॉ० भागचन्द्र जैन, "भागमु",	गोपाल
----------------------------------	-------

सहसंजीगण

श्री वीरेन्द्र इटोरिया	दमोह
श्री राजेन्द्र जैन, "बच्चजी"	बीना-इटावा
श्री बिमबकुमार जैन-इंजीनियर	बीना

सदस्यगण

श्री दशरथ जैन, एडवोकेट, एवं पूर्व मंत्री, म० प्र०	छतरपुर
श्री प्रोफे० उदयचन्द जैन	वारानसी
श्री डॉ० नेमीचन्द्र जैन, प्राचार्य	खुरई
श्री प० कमल कुमार जैन	छतरपुर
श्री प० रविचन्द्र जैन	दमोह
श्री संतोष सिघई	दमोह
डॉ० श्रीमती कुसुम पटोरिया	नागपुर
श्री गुलाबचन्द्र दर्शनाचार्य	जबलपुर
श्री ईश्वर भाई : प्रभुदास किशोरवांस	दमोह
श्री जयय टण्डन	दमोह
श्री सुमेरचन्द्र पाटनी	लखनऊ
श्री सौभाग्यमल जैन	लखनऊ
श्री मौजोलाळ जैन	नागपुर
श्री कृष्णाशचंद जैन	नागपुर
श्री सिघई कोमलचंद राधेलीय	सागर
श्री चन्द्रकुमार जैन सर्राफ-पूनिक् ट्रेक्टर,	दमोह
श्रीमती विमला जैन, न्यायाधीश	गोपाल
,, राजकुमारी राधेलिया	कटनी
,, डॉ० रमोळा हेनरी	दमोह

२४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

परामर्शदातृ मण्डल

श्री सहितासूरि पं० नाथूलाल शास्त्री	इन्दौर
श्री साहित्याचार्य पं० डॉ० पन्नालाल जैन	जबलपुर
श्री प्रोफेसर कृशालचंद मोरावाला	वाराणसी
श्री दलसुख मालवणिया	बहुमवाबाद
श्री डॉ० नथमल टाटिया	लाहर्नू
श्री प्राचार्य नरेन्द्र प्रकाश जैन	फिरोजाबाद
श्री० डॉ० भागीरथप्रसाद त्रिपाठी "बागीश"	वाराणसी
श्री डॉ० गोकुलचंद जैन	वाराणसी
श्री पं० नीरज जैन	सतना
श्री डॉ० नेमीचंद जैन, सम्पादक "तीर्थकर"	इन्दौर
श्री डा० भोलाशंकर व्यास	वाराणसी
श्री यशपाल जैन	दिल्ली
श्री डॉ० श्रेयांसकुमार जैन	बडौत
श्री पं० सत्यन्धर कुमार सेठी	उज्जैन
श्री डॉ० सुदर्शनलाल जैन	वाराणसी
श्री डॉ० कमलचन्द सागोषी	जयपुर
प्रोफे० डॉ० लक्ष्मीचंद जैन	जबलपुर
श्री डॉ० कस्तूरचंद "सुमन"	श्रीमहावीरजी



सम्पादक-मंडल परिचय

• प्रस्तुति—डॉ० भागचन्द्र जैन 'भागेन्दु', दमोह

डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य

श्रद्धेय डॉ० कोठियाजी भारतीयवर्षान और जैन न्यायविद्याके प्रथम पत्रिक के अग्रगण्य मनीषी हैं। वे सहृदयवागी, कुशल सयोजक, सफल सञ्चालक एवं उदारमना विद्वान् हैं। अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंके रचयिता, संपादक तथा अनुवादक डॉ० कोठियाजीका जन्म जून १९११ ई० में मध्यप्रदेशके छतरपुर मण्डलके श्री रेशिदीगिरमें हुआ। अनेक शिक्षा-संस्थाओंमें शिक्षादान करते हुए डॉ० कोठिया काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें १४ वर्षों तक प्राध्यापक और उसके बाद रीढ़रके पद पर कार्यरत रहे। अखिल भारतवर्षीय हि० जैन विद्वत्परिषद्के अध्यक्ष, श्रीगणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला तथा वीर सेवा मन्दिर-ट्रस्टके अध्यक्ष एवं देशकी अनेक संस्थाओंके सञ्चालक डॉ० कोठियाका अनेक बार सम्मान हुआ है। सन् १९८२ ई० में उन्हें एक भव्य 'अभिनन्दन-ग्रन्थ' समर्पित करके अखिल भारतीय सम्मानसे अलंकृत किया गया है।

डॉ० कोठियाके संपादकत्वमें डॉ० पन्नालाल साहित्याचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ तथा अन्य अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। आपकी कृतियाँ—(१) संपादित ग्रन्थ—न्यायदीपिका, आप्त-वरीक्षा, प्रमाण-वरीक्षा, पत्र-वरीक्षा, स्याद्वाद-सिद्धि, प्रमाण-प्रमेय-कलिका, अध्यात्म-कमलमार्तण्ड आदि तथा (२) मौलिक-कृतियाँ—जैन-दर्शन और प्रमाणशास्त्र परिशोधन, जैन-तर्कशास्त्रमें अनुमान विचार, जैन तत्त्वज्ञान-मोमासा आदि हैं। प्रस्तुत 'स्मृति-ग्रन्थ'के अन्तसे इति तक यशस्वी सूत्रधार और 'प्रधानसंपादक' आप ही हैं।

पण्डित हीरालाल जैन 'कौशल'

आपका जन्म ११ मई सन् १९१४ को ललितपुर, उत्तर प्रदेशमें एक प्रतिष्ठित जैन कुलमें हुआ। आपने स्कूलकी शिक्षाके पश्चात् सर हुकुमचन्द्र जैन महाविद्यालय, इन्दौरमें सिद्धान्त, दर्शनशास्त्र, व्याकरण व साहित्यका अध्ययन कर शास्त्री और न्यायतीर्थकी परीक्षाएँ सम्मानपूर्वक उत्तीर्ण कीं।

१९३४ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधीके आदेशसे गुजरातमें हिन्दीका प्रचार कार्य किया।

३६ वर्ष तक हीरालाल जैन उ० मा० विद्यालय, सदर बाजार, दिल्लीमें उच्च कक्षाओंको हिन्दी व धार्मिक शिक्षा देते हैं।

'जैन प्रचारक' दिल्लीका १० वर्ष तक सम्पादन तथा अन्य ग्रन्थोंमें—पूजा-वाठ प्रदीप, भक्तामर-स्तोत्र, मन्त्र-तन्त्र विधि, छहठाला आदि पुस्तकोंका सम्पादन किया।

आप अनेक संस्थाओंके सरसक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी तथा कार्यकारिणीके सम्मानित सदस्य हैं। आपको समाजकी ओरसे सन् '४० में 'विद्याभूषण', २५ सौ निर्वाण महोत्सव पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति द्वारा 'विद्वत्त्रल' तथा आचार्य संघ द्वारा 'वाणीभूषण' की उपाधसे सम्मानित किया गया।

आप जैन सिद्धांत तथा अन्य धर्मोंके अच्छे ज्ञाता, सुलेखक, विचारक, कर्मठ समाजसेवी तथा शिक्षा-क्षेत्रमें विशिष्ट सेवाओंके लिये सरकारी सम्मान प्राप्त करने वाले शास्त्री विद्वान् हैं।

डॉ० भागचन्द्र जैन 'भागेन्दु'

• अनिलकुमार जैन अनुसन्धित्सु

जबलपुर जिलेके रीठी नगरमें जन्में डॉ० भागचन्द्रजी 'भागेन्दु' जैन समाजके उन मनीषियोंमेंसे हैं जन्होंने अपने जीवनको सेवामय बना रखा है। प्राचीन वाङ्मय, भाषाशास्त्र, जैन-दर्शन-संस्कृति और कला-

२६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

के क्षेत्रमें उनकी विशिष्ट सेवाएँ हैं। डॉ० भागेन्दुजीका अध्ययन सागर (म० प्र०) के श्रीगणेश जैन महा-विद्यालय तथा सागर विश्वविद्यालयमें हुआ।

जैन विद्याओं पर अनुसन्धान-निर्देशन हेतु विख्यात डॉ० 'भागेन्दु' जी सम्प्रति आप मध्यप्रदेश संस्कृत अकादमीके मन्त्रिच हैं। आपके निर्देशनमें कई शास्त्रियोंको जैन ग्रन्थों पर पी-एच० डी० की उपाधि हो चुकी है। डॉ० भागेन्दुजी अखिल भारतीय स्तरकी अनेक मस्थाओं, शोध-संस्थानों और महाविद्यालयोंसे निकटत सम्बद्ध हैं। आप कुशल लेखक, गणसूची संपादक, सफल प्राध्यापक और अच्छे वक्ता हैं। आपकी प्रसिद्ध कृतियाँ—देवगढ़की जैन कलाका मास्कृति अध्ययन, भारतीय मस्कृतिमें जननमंका योगदान, जन-धर्मका व्यावहारिक पक्ष अनेकान्तवाद अतीत वातायनमें आदि हैं। आपने अनेक कृतियोंका सम्पादन भी किया है। साहित्याचार्य डॉ० पन्नालाल जैन अभिनन्दन-ग्रन्थके प्रधान-सम्पादक और सयोजक डॉ० भागेन्दु-जी रहे हैं।

प्रस्तुत स्मृति-ग्रन्थके सम्पादनमें आपकी भूमिका नितरा प्रशंसनीय है।

डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल

राजस्थानके जैन ग्रन्थ भण्डारोंमें सुरक्षित महनीय साहित्यको उजागर करके प्राचीन वाङ्मय विशेषत जैन अनुसन्धानके अनेक सभावित पक्षोंका उद्घाटन करनेवाले डॉ० कामलीवालका जन्म ८ अगस्त १९२० ई० को जयपुरके निकट हुआ। संस्कृत, प्राकृत और हिन्दीके ५०० में अधिक ग्रन्थोंका परिचय तथा प्रशस्ति प्रकाशित करके उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। आप इतिहासमूलक, विद्यावारिधि आदि उपाधियोंसे सम्मानित किये गये हैं। अनेक ग्रन्थोंके प्रणेतृ महावीर ग्रन्थ अकादमीके माध्यममें अलम्ब्य-अप्रकाशित साहित्यको प्रकाशित करनेवाले डॉ० कामलीवालजी अनेक अभिनन्दन-ग्रन्थोंका कुशलतापूर्वक संपादन कर चुके हैं।

विवेच्य 'स्मृति-ग्रन्थ' के सम्पादन कार्यमें आपके गृहीत अनुभव तथा सद्ग प्रकृतिका लाभ निरन्तर प्राप्त हुआ है।

डॉ० सागरमल जैन

डॉ० सागरमल जैनका जन्म सन १९३० में साजापुरमें हुआ। १८ वर्षकी अवस्थामें ही आप व्यावसायिक कार्यमें संलग्न हो गये। व्यवसायके साथ-साथ आपका अध्ययन भी कुछ व्यवधानोंके साथ चलता रहा। आपने व्यापार विशारद, जैन मिद्वान्त विशारद, साहित्यरत्न और एम० ए० की उपाधियाँ प्राप्त की। एम० ए० (दर्शन) में आपने वरीयता सूचीमें प्रथम स्थान प्राप्त किया और कला सहायमें द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक प्राप्त किया। उसके पश्चात् अध्ययनकी रुचिको निरन्तर जागृत बनाये रखने हेतु व्यवसायसे पूर्ण निवृत्ति लेकर शासकीय सेवामें प्रवेश किया और रीवाँ स्वायत्तियर और इन्दौरके महा-विद्यालयोंमें दर्शनशास्त्रके अध्यापक तथा हमीरिया महाविद्यालय, भोपालमें दर्शन विभागके अध्यक्ष रहे। सम्प्रति आप पार्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसीके निदेशक एवं आगम अहिंसा एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुरके मानद निदेशक हैं। 'श्रमण' पत्राधिकके प्रधान सम्पादक हैं। जैन शिक्षा के क्षेत्रमें आपको प्रतिभाकी सदैव सम्मान मिला है। आप अनेक विश्वविद्यालयोंमें अध्ययन-परिषद्, वलामनाथ एवं विद्यापरिषद्के सदस्य रहें हैं।

आपने जैन, बौद्ध और गीताके आचार दर्शन पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की है। आपके

२० ग्रन्थ एवं १५० उच्चस्तरीय लेख प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही आपने अनेक ग्रन्थोंका कुशल सम्पादन भी किया है।

आप अनेक बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। सन् १९९३ की विश्वधर्म संसद, सिकागोमे आप प्रमुख वक्ताके रूपमें आमंत्रित थे। अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि अनेक देशोंमें आपने अपने व्याख्यान दिये हैं।

डॉ० राजाराम जैन

सम्प्रति प्राकृत भाषाओंके अध्ययन-अनुशीलनके क्षेत्रमें (स्व०) डॉ० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्यकी प्रवृत्तियोंको गति-प्रदाता डॉ० राजारामजीका जन्म मागर जिलेके मालधीन ग्राममें फरवरी १९२९ ई० को हुआ था। उनका शिक्षण पपीराजी तथा वाराणसीके जैन विद्यालयोंके अतिरिक्त बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालयमें भी हुआ।

डॉ० जैनने (स्व०) डॉ० हौरालालजी जैनके निर्देशनमें शोधकार्य किया। अपभ्रंश साहित्यके प्रसिद्ध कवि 'रङ्गू'के साहित्यका आपने विशेष अध्ययन किया है। वदंमानचरित, महावीरचरित आदि आपकी प्रसिद्ध संपादित-साहित्यिक कृतियाँ हैं। सामाजिक और साहित्यिक जीवनमें आप निरन्तर सक्रिय हैं। गणेश वर्णो दि० जैन संस्थान, वाराणसीके आप अध्यक्ष हैं।

डॉ० राजारामजी इस स्मृति-ग्रन्थके सम्पादक-मण्डलके वरिष्ठ सदस्य हैं।

डॉ० फूलचन्द्र जैन 'प्रेमी'

सागर (म० प्र०) जिलेके दलपतपुर ग्राममें जन्मे डॉ० 'प्रेमी' जी कुशल-वक्ता, यशस्वी-लेखक, सामाजिक चेतनाके धनी युवा विद्वान् हैं। इन्होंने कटना एव बनारसके जैन विद्यालयोंमें शिक्षा प्राप्त की। जैन-दर्शनाचार्य, प्राकृताचार्य एव पी-एच० डी० उपाधिधारी डॉ० प्रेमी, जैन विश्वभारती, लाहन् (राजस्थान) में चार वर्ष प्राध्यापक रह चुके हैं। वे मस्कृत-प्राकृत भाषाओं तथा जैन-दर्शनके गभीर अध्येता मनीषी हैं। इनका शोध विषय मूलाचारका समीक्षात्मक अध्ययन है। वह प्रकाशित हैं तथा इस पर इन्हें प्रशस्ति-पत्र एव पाँच हजार रुपयेके साथ १९८८ का महावीर पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

वे सम्प्रति सम्पूर्णानन्द मस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसीमें जैन-दर्शन-विभागाध्यक्ष हैं।

सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक प्रवृत्तियोंमें सोत्साह निरत डॉ० प्रेमीजी इस स्मृति-ग्रन्थके सम्पादक-मण्डलके मान्य सदस्य हैं।

डॉ० रतन पहाड़ी

सन् १९४२ में केवल १३ वर्षकी उम्रमें सारनाथ और वाराणसीमें 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग लेने तथा अंग्रेजी सरकार द्वारा जन्त पत्रिका 'रणभेरी'के चोरी छिपे छापने तथा प्रचार करनेके कारण छह माहकी सजा हुई। सन् १९५१ में बर्षा आ गये। आजकल आप कामठी (नागपुर) में रहते हैं। सन् १९५५ में कुछ समयके लिये 'जैन जगत'के सम्पादक भी रहे। अनेकान्त स्वाध्यायमंदिरमें और प्राकृतिक चिकित्साकी प्रवृत्तियोंमें दिलचस्पी लेते हैं। लगभग १० वर्षों तक दि० जैन बोर्डिंग हाउसके मन्त्री रहे। आचार्य विद्यासागरजीके सद्यस्व मुनियों, आर्थिकाओंकी प्राकृतिक चिकित्सामें समर्पित।

२८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ

श्री बाबूलाल जैन फागुल्ल

संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थोंके अधुनासन कलापूर्ण मुद्रण और प्रथम पक्षिके जैन मनीषियोंके अभिनन्दन-ग्रन्थोंके लब्धप्रतिष्ठ मुद्रक श्री बाबूलालजी जैन फागुल्लका जन्म सन् १९२६ ई० में बुन्देलखण्डके ललितपुर जिलेके महावरा ग्राममें हुआ। श्रीवीर विद्यालय, पपीरा और श्री स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसी आपके प्रशिक्षण केन्द्र थे। मुद्रणके क्षेत्रमें श्री फागुल्लजीका प्रवेश भारतीय ज्ञानपीठके व्यवस्थापकके रूपमें हुआ, जहाँसे उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये। सम्प्रति महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसीके स्वत्वाधिकारी हैं। अपने मिलनसार व्यक्तित्व और कार्यक्षमताके आधार पर श्री फागुल्लजी सर्वत्र यश अर्जित कर सके हैं। श्रेष्ठ ग्रन्थोंके मुद्रण-कार्यमें आप अनेक बार पुरस्कृत हो चुके हैं।

सरस्वती-वरदपुत्र प० ब्रह्मधरजी व्याकरणाचार्यके अभिनन्दन-ग्रन्थके प्रबन्धनमें श्री फागुल्लजीकी भूमिका, क्षमता और दायित्वबोध नितरा प्रशंस्य रहा है।

प्रस्तुत स्मृति-ग्रन्थके सृजनमें प्रशंस्य योगदान है।

